राजस्थान की अर्थव्यवस्था

(ECONOMY OF RAJASTHAN)

(राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक समीक्षात्मक अध्ययन)

(A Critical Study of the Economy of Rajasthan)

लेखक

डॉ. लक्ष्मीनारायण नाथूरामका

पूर्व रीडर, अर्थशास्त्र विभाग,

राजस्थान विश्वविद्यालय,

जयपुर

सोलहवाँ पूर्णतया संशोधित व परिवर्धित संस्करण

[2004-05]

कॉलेज बुक हाउस

चौड़ा रास्ता, जयपुर-3

प्रकाशक :
कॉलेज बुक हाउस
चौड़ा रास्ता, जयपुर-3
फोन : कार्यालय : 2572087, 2578763

सोलहवाँ पूर्णतया संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण सत्र 2004-05

लेखक की अर्थशास्त्र पर अन्य रचनाएँ

1. आर्थिक अनुसंधान की विधियाँ
2. Economy of Rajasthan
3. व्यष्टि-अर्थशास्त्र (राजस्थान संस्करण)
4. व्यष्टि-अर्थशास्त्र (यूजीसी पाठ्यक्रमानुसार अजमेर, उदयपुर व अन्य विश्वविद्यालयों के लिए)
5. भारतीय अर्थव्यवस्था (सम्पूर्ण संस्करण) (यूजीसी पाठ्यक्रमानुसार राजस्थान, अजमेर व अन्य विश्वविद्यालयों के लिए)
6. अर्थव्यवस्था में गणित के प्रयोग (एम.ए. के पाठ्यक्रमानुसार)
7. प्रारम्भिक अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग (द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमानुसार)
8. समष्टि अर्थशास्त्र (राजस्थान संस्करण)
9. समष्टि अर्थशास्त्र (जोधपुर व अन्य विश्वविद्यालयों के लिए)
10. समष्टि अर्थशास्त्र (यूजीसी पाठ्यक्रमानुसार रचित नयी पाठ्यपुस्तक)
11. मुद्रा, बैंकिंग व सार्वजनिक वित्त (यूजीसी पाठ्यक्रमानुसार नवीनतम रचना, जारी अगस्त 2004 में)
12. राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था (आ.ए.स. व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रचना)

मूल्य : 175.00 रुपये मात्र

लेजर टाइपसैटिंग :
ऑफसैटर्स इंडिया, जयपुर

मुद्रक :
कौस्तुभ प्रिन्टर्स, जयपुर

सोलहवें संस्करण की भूमिका

मुझे पुस्तक का सोलहवाँ पूर्णतया संशोधित व परिवर्धित संस्करण प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है । इसमें *'राजस्थान की अर्थव्यवस्था'* से जुड़े सभी पहलुओं पर नवीनतम सामग्री प्रस्तुत की गयी है जिसका उपयोग स्नातक स्तर के पाठक व प्रतियोगी-परीक्षार्थी कर सकते हैं । इस संस्करण में राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07, राज्य के परिवर्तित वार्षिक बजट 2004-05, राज्य में बेरोजगारी व निर्धनता पर बदलती हुई परिस्थिति, तथा सभी अध्यायों में अन्य पूर्णतया नये परिदृश्यों का समावेश किया गया है ।

वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नों की संख्या 800 रखी गयी है जिसके लिए काफी पुराने व अनुपयोगी प्रश्नों को हटाकर उनके स्थान पर नये व अधिक उपयोगी तथा नवीनतम प्रश्नों का समावेश किया गया है । **जो विषय देर से सामग्री उपलब्ध होने के कारण मूलपाठ में शामिल नहीं किये जा सके, उन्हें यथासम्भव प्रश्नोत्तर खण्ड में शामिल करके पाठकों तक अधिकाधिक ज्ञान को पहुँचाने की चेष्टा की गयी है ।**

राष्ट्रीय योजना आयोग (दिल्ली) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के खण्ड III में राज्यों की योजनाओं की प्रवृत्तियो, प्रश्नों व रणनीतियों पर काफी विस्तृत व गहन विवेचन प्रस्तुत किया था जिसका पुस्तक में व्यापक रूप से उपयोग करके इसे एक नया आयाम व प्रामाणिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है ।

संशोधन मे प्रमुखतया निम्न स्रोतो का उपयोग किया गया है :

(i) **Economic Review 2003-04 (DES Jaipur) July 2004 (Hindi & English)**

(ii) **मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का परिवर्तित बजट-भाषण, 2004-05 12 जुलाई, 2004.**

(iii) **Modified Budget Study & Budget At A Glance 2004-05, July 2004**

(iv) **State Finances : A Study of Budget of 2003-04, April 2004 (RBI)**

(v) **Some Facts About Raj. 2003, June 2003.**

(vi) **Agricultural Statistics of Rajasthan 1973-74 to 2001-02 October, 2003** (DES, Jaipur)

(vii) Agricultural Statistics, Raj 2001-02, January 2004.

(viii) **Annual Survey of Industries 2000-01, Rajsthan, February 2003.** (DES, Jaipur)

(ix) Economic Survey 2003-04 (GOI)

(x) Statistical Outline of India 2003-04, January 2004, (Tata Services Ltd)

(xi) **Draft Tenth Five Year Plan 2002-07,** Volume III-State **Plans: Trends, Concerns and Strategies** (Government of India), Feb, 2003.

(xii) **Hand Book of Statistics on State Government Finances, RBI, June 30, 2004.**

(xiii) **Report the Controller And Auditor General of India for the year Ended 31 March, 2003 (CIVIL), GOR., July 2004.**

(xiv) **Inter-State Economic Indicators, DES, Jaipur, April 2003.**

आशा है नवीनतम सामग्री से ओत-प्रोत इस रचना का उपयोग राजस्थान की अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा । मैं अपने प्रकाशक श्री हर्षवर्धन जैन व श्री मनीष जैन का हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन की व्यवस्था की है । पाठकों से निवेदन है कि पुस्तक में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी के पाए जाने पर वे मुझे शीघ्र सूचित करने की कृपा करें ताकि उन्हे सुधारने की तुरन्त चेष्टा की जा सके । इसके लिए मैं उनका व्यक्तिगत रूप से भी आभारी रहूँगा ।

लक्ष्मीनारायण नाथूरामका
B-17-A, चौमू हाउस कॉलोनी,
सी-स्कीम, जयपुर
फोन : 2369461

University of Rajasthan

B.A. Part I Examination, 2005

Economics

Paper II : Economy of Rajasthan

Note : *A Candidate will be required to attempt five question in all. The* multiple choice/objective type question will be compulsory & will consist of 20 questions of one mark each.

Section-A

Rajasthan's physiography : Climate, Vegetation and Soil and Physical Divisions of Rajasthan

Population : Size and growth, Rural and Urban Population Human Resource Development Indicators (i.e. Literacy, Health, Nutrition etc.) and Occupational Structure

Natural Resources : Mines and Minerals, Forests, Land and Water, Animal Resources, State Domestic Product and its trends, Environmental pollution

Agriculture : Land utilization, cropping pattern, Food and commercial crops, Land reforms, Salient features of Rajasthan tenancy Act, 1956 Ceiling of land and distribution of land to the poor Major Irrigation and power Projects, Importance of Animal Husbandry, Dairy Development Programmes, Problems of Sheep and Goat husbandry

Section-B

Industry : Growth and location of industries, Small Scale and Cottage Industries, *Industrial Exports from Rajasthan, Handicrafts, Industrial Policy of* Rajasthan, Fiscal and Financial incentives for Industries, Development of Industrial Areas, Role of RFC, RIICO and RAJSICO in Industrial Development

Drought and Famine in Rajasthan : Short-term and long-term Drought management strategies

Tourism Development : Its role in the economy of the State. Problems and Prospects. Strategy of Tourism Development in the State.

Section-C

Economic Planning and Development in Rajasthan : Objectives and achievements of the latest five year plan. Agricultural and industrial development during the plan period, constraints in economic development of Rajasthan and Measures to overcome them

Problems of Poverty and Unemployment in Rajasthan : Magnitude of poverty and special programmes for its alleviation and employment generation, IRDP and JRY.

Special Area Programmes-DPAP, Desert Development, Tribal Area and Aravalli Development Programmes

Present Position of Rajasthan in Indian Economy : Size of population, per capita income, Agriculture, Industry, Infrastructure, Power and roads

Current budget of Government of Rajasthan

विषय-सूची

भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति
(Position of Rajasthan in Indian Economy)

राजस्थान 'एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछडा हुआ प्रदेश' (A backward region in a backward economy) माना गया है। सर्वप्रथम स्वयं भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित व पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मानी गई है, और द्वितीय राजस्थान की अर्थ व्यवस्था तो इसमें एक पिछड़े हुए प्रदेश की भाँति ही है। इस अध्याय में जनसंख्या, क्षेत्रफल कृषि, उद्योग व आधार-ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति का विवेचन किया जाएगा और साथ में अन्य राज्यों की स्थिति से भी इसकी तुलना की जाएगी।

राजस्थान अपने वर्तमान रूप मे 1 नवम्बर, 1956 को 19 देशी रियासतों तथा 3 सामन्ती राज्यो के एकीकरण से गठित हुआ था । इन रियासतों के आकार, जनसख्या, प्रशासनिक स्वरूप व क्षमता तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर मे काफी अन्तर पाया जाता था । वर्ष 2003 में राज्य 32 जिलो विभक्त रहा है । इसमे 188 सब-डिवीजन, 241 तहसीले, 183 नगरपालिकाएँ, 9189 ग्राम पंचायते, 237 पंचायत समितियाँ तथा 222 शहर हैं । 2001 में राज्य में रेवेन्यू-गाँवो को संख्या 41353 तथा बसे हुए गाँवो की संख्या 39753 थी ।

राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ के नए राज्य बनने के बाद अब यह भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है । राज्य की पाकिस्तान के साथ काफी लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है । यह उत्तर पूर्व में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश से तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है । अरावली पहाड़ी शृंखला राज्य के बीच में से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है । इन पहाड़ियों के पश्चिम व उत्तर-पश्चिम में "थार का रेगिस्तान" पड़ता है, जिसके 11 जिलों में राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 61% आता है तथा इस भाग में राज्य की जनसंख्या का 40% निवास करता है ।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख सूचक भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में अग्र तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं । इन पर विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार आगे चलकर सविस्तार विचार किया जाएगा । यहाँ इन पर एक नजर डालना काफी उपयोगी होगा ।

क्र सं.	मद	वर्ष	राजस्थान	भारत	राजस्थान का समस्त भारत में अंश या अन्य टिप्पणी
1	जनसख्या	2001	5 56 करोड	102 70 करोड	5 5%
2	क्षेत्रफल	2001	लगभग 3 42 लाख वर्ग किमी (342239 वर्ग किमी)	लगभग 32 87 लाख वर्ग किमी (3287263 वर्ग किमी.)	10 4% (देश में प्रथम स्थान)
3	जनसख्या की दसवर्षीय वृद्धि-दर	1991-2001	28 33%	21 34%	भारत से ज्यादा
4	कुल साक्षरता-दर (7 वर्ष व अधिक आयु-वर्ग में)	2001	61 03%	65 38%	भारत से नीची
5	घनत्व (प्रति वर्ग किमी मे जनसख्या)	2001	165	324	भारत से कम
6	अनुसूचित जाति का जनसख्या में अनुपात	2001	17 16%	16 33% (1991)	भारत से थोडा ज्यादा
7	अनुसूचित जनजाति का जनसख्या में अनुपात	2001	12 56%	8 01% (1991)	भारत से काफी ज्यादा
8	खाद्यान्नो में क्षेत्रफल	2002-03 (फाइनल)	8 61 मिलियन हैक्टेयर	111 5 मिलियन हैक्टेयर	7.7%
9	रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की सख्या	1999-2000	5160	133234	3.9%
10	प्रति हैक्टेयर बोए गए क्षेत्र-फल पर उर्वरको का उपभोग	2002-03	28 54	84 82	भारतीय स्तर का 34% (1/3)
11	जोतों का औसत आकार	1995-96	3 96 हैक्टेयर	1 41 हैक्टेयर	भारत का 2 8 गुना
12.	इन्फ्रास्ट्रक्चर के सापेक्ष विकास का सूचकांक	नवीनतम्*	76	100	राष्ट्रीय स्तर का 3/4
13	विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग	2002-03	291 किलोवाट घंटे (kwh)	373 किलोवाट घंटे (kwh)	राष्ट्रीय स्तर का 78%
14	सडकों की लम्बाई (प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में)	2001-2002	44 07 किलोमीटर	74 90 किलोमीटर	राष्ट्रीय औसत का लगभग 3/5
15	ग्रामीण विद्युतीकरण	दिनांक 31-3-03	97 4%	83 8%	राष्ट्रीय स्तर से कुछ अधिक
16	प्रति व्यक्ति आय (1993-94 के मूल्यों पर) स्थिर भावों पर) (अग्रिम)	2003-04	8571	11684	भारत की प्रति व्यक्ति आय का लगभग 73% (लगभग 3/4)

[स्रोत : **Statistical Outline of India 2003-2004 (Tata Services Ltd.), Economic Survey 2003-04 (GOI) and Economic Review 2003-04 (GOR)]**

* Eleventh Finance Commission Report, June 2000, p.218, a study by Anant, Krishna and Roy Choudhry (1999)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि-दर भारत की तुलना में ज्यादा है। यहाँ जोतों का औसत आकार भी राष्ट्रीय औसत से काफी ऊँचा पाया जाता है। लेकिन राज्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर आज भी काफी कमजोर है और भविष्य में उसका विकास किए जाने की काफी सम्भावनाएँ हैं। अब हम विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार राजस्थान की स्थिति पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे।

1. जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति

2001 की जनगणना के परिणामों के अनुसार, **राजस्थान की जनसंख्या लगभग 5.65 करोड़ व्यक्ति रही है,** जबकि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 102.70 करोड़ आँकी गई है। अत: **2001 में राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.5% रही है।** 1991 की जनगणना के अनुसार, यह अनुपात लगभग 5.2% रहा था। इस प्रकार 2001 में राजस्थान का भारत की कुल जनसंख्या में अंश मामूली बढ़ा है। 1981-91 की अवधि में भारत की जनसंख्या में 23.85% की वृद्धि हुई, जबकि राजस्थान की जनसंख्या में 28.44% की वृद्धि हुई थी। 1991-2001 की अवधि में जहाँ भारत की जनसंख्या में 21.34% की वृद्धि हुई, वहाँ राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 28.33% की वृद्धि हुई। इस प्रकार, यद्यपि 1991-2001 की अवधि में राजस्थान की जनसंख्या में 1981-91 की अवधि की तुलना में वृद्धि-दर में मामूली गिरावट आई है, फिर भी यह भारत में हुई जनसंख्या की वृद्धि-दर से अधिक रही। अत: राजस्थान में जनसंख्या समस्त भारत की तुलना में अधिक तेज रफ्तार से बढ़ रही है, जो एक चिन्ता का विषय है।

भारत में 25 राज्य और 7 संघीय प्रदेश हैं। 25 राज्यों में 2001 में जनसंख्या के घटते हुए क्रम में राजस्थान का आठवाँ स्थान रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की रही है जो लगभग 16.61 करोड़ थी। यह भारत की कुल जनसंख्या का 16.2% थी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम रहा है, जिसकी जनसंख्या मात्र 5.40 लाख ही है, जो भारत की जनसंख्या का 0.05% थी।

जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कुछ राज्यों की तुलना में निम्न तालिका में दर्शाई गई है—

2001 की जनगणना के अनुसार

राज्य	समस्त भारत की जनसंख्या का (%)	भारत में स्थान
राजस्थान	5.5	8
गुजरात	4.9	10
महाराष्ट्र	9.4	2
मध्य प्रदेश	5.9	7
उत्तर प्रदेश	16.2	1

2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से आठवाँ आता है । इससे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश में पाई गई हैं ।

लिंग-अनुपात (Sex Ratio) : प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है । 2001 में राजस्थान में लिंग-अनुपात भारत व कुछ अन्य राज्यों की तुलना में इस प्रकार रहा—

लिंग अनुपात[1]	
भारत	933
राजस्थान	922
केरल	1058
तमिलनाडु	986
हरियाणा	861
मध्य प्रदेश	920
पंजाब	874
उत्तर प्रदेश	898

इस प्रकार राजस्थान में लिंग-अनुपात तमिलनाडु से तो कम रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश से अधिक पाया गया । केरल में यह सर्वाधिक पाया गया है । वहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है । वहाँ 2001 में यह 1058 रही, जो 1991 के 1036 से कुछ अधिक थी । भारत व राजस्थान में लिंग-अनुपात में कुछ वृद्धि हुई है । 1991 में राजस्थान में लिंग-अनुपात 910 रहा था । अतः 2001 में इसमें 12 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है ।

जनसंख्या का घनत्व[2]

प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का निवास जनसंख्या का घनत्व कहलाता है । 2001 में घनत्व की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है—

भारत	324
बिहार	880
राजस्थान	165
पश्चिम बंगाल	904
केरल	819
उत्तर प्रदेश	689
पंजाब	482
दिल्ली	9,294

1 Some Facts About Rajasthan, 2003, (June 2003), pp 65-66

2 ibid, pp 65-66.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व भारत की तुलना में लगभग आधा है। 1991 में राजस्थान का घनत्व 129 था। अत: 2001 में घनत्व में पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है। 2001 में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा घनत्व पश्चिम बंगाल में 904 तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 13 था। 2001 में दिल्ली प्रदेश में घनत्व 9,294 रहा था, जो सर्वाधिक था।

साक्षरता-दर (Literacy Rate)—जो व्यक्ति एक साधारण पत्र लिख-पढ़ सकते हैं, वे साक्षर माने जाते हैं। राजस्थान की साक्षरता-दर भारत व अन्य राज्यों की तुलना में काफी नीची रही है। अब साक्षरता की दर का अनुमान लगाते समय साक्षर व्यक्तियों की संख्या में सात व अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या का भाग दिया जाता है। 1981 के आँकड़े भी इस नई परिभाषा के अनुसार संशोधित किए गए हैं। राजस्थान में महिला-वर्ग में साक्षरता-दर बहुत नीची पाई जाती है।

2001 में साक्षरता-दर की स्थिति आगे की तालिका में दी गई है[1]—

(% में)

राज्य	कुल व्यक्तियों में	पुरुषों में	महिलाओं में
राजस्थान	61 0	76 5	44 3
भारत	65 4	75 9	54.2
केरल	90 9	94 2	87 9
बिहार	47 5	60 3	33 6

2001 में राजस्थान में साक्षरता की दृष्टि से काफी सुधार हुआ है। यह 1991 में लगभग 38.6% से बढ़ कर 2001 में लगभग 61% पर आ गयी है। बिहार की स्थिति इस दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है। महिला-साक्षरता की दर राजस्थान में बिहार से ऊँची हो गई है। 2001 में बिहार में महिला-वर्ग में साक्षरता की दर 33.6% थी, जबकि राजस्थान में यह 44 3% हो गई है। आगे भी राजस्थान को महिला-वर्ग में साक्षरता बढ़ाने की दृष्टि से विशेष प्रयास करना होगा। आज भी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-वर्ग में साक्षरता की दर नीची पाई जाती है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति

अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता है। वर्ष 2001 में राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10 41% था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है।

---

1 Provisional Population Totals, Paper 1 of 2001 Raj 27 March, 2001, p 38

राजस्थान के अन्य पड़ौसी राज्यों की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से इस प्रकार है[1]—

भारत के क्षेत्रफल का अंश (17 राज्यों की सूची में)

	प्रतिशत	भारत के राज्यों में स्थान
महाराष्ट्र	9.36	3
आन्ध्र प्रदेश	8.37	4
गुजरात	5.96	7
हरियाणा	1.34	16
उत्तर प्रदेश	7.27	5

इस प्रकार राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% (लगभग दसवाँ भाग है), जबकि गुजरात का 6% तथा उत्तर प्रदेश का लगभग 7.3% है । क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊँचा अनुपात होने के कारण ही राजस्थान राज्यों की ओर किए जाने वाले केन्द्रीय आयकर व संघीय उत्पाद-शुल्क के राजस्व के के हस्तान्तरणों में 'क्षेत्रफल' को एक आधार के रूप मे शामिल किए जाने पर सदैव बल देता रहा है, जिसे दसवें वित्त आयोग ने 5% भार के रूप मे पहली बार शामिल किया है । **राज्य के क्षेत्रफल की दूसरी विशेषता यह है कि 11 मरु जिलों में कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत अंश पाया जाता है, जबकि इन जिलों में राज्य की 40 प्रतिशत जनसंख्या ही निवास करती है । ये जिले अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में "थार मरुस्थल" में पाये जाते हैं ।**

यही कारण है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तथा इनके निवासियों को निरन्तर सूखे व अभाव की समस्याओ से जूझना पड़ता है ।

3. कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति

(i) 1995-96 की कृषिगत संगणना के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार 3.96 हैक्टेयर पाया गया (समस्त भारत में 1.41 हैक्टेयर) । यह 1990-91 में 4.11 हैक्टेयर रहा था (समस्त भारत में 1.57 हैक्टेयर) । 1995-96 में 17 राज्यों की औसत कृषि-जोत के आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान सर्वोच्च रहा था । दूसरा स्थान पंजाब का रहा था, जिसकी औसत जोत 3.79 हैक्टेयर रही थी ।

कुछ अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार रही—

(1995-96 में औसत जोत का आकार)[2]

(हैक्टेयर में)

गुजरात	2.62
मध्य प्रदेश	2.28
उत्तर प्रदेश	0.86
पश्चिम बंगाल	0.85

1 Economic Review 2003-04, table 10, Statewise Important Economic Indicators.

2 ibid, table 10

इस प्रकार कार्यशील जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान की स्थित उत्तम मानी गई है । । तालिका से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में यह एक हैक्टेयर से भी कम हो गई है ।

(ii) **कुल कृषित क्षेत्रफल[1]**—2001-02 में राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का 11.1 प्रतिशत पाया गया । मध्य प्रदेश में यह 13.5% महाराष्ट्र में 11.5% तथा उत्तर प्रदेश में 13 8% प्रतिशत रहा । बिहार मे केवल 5.2 प्रतिशत ही पाया गया । इस प्रकार भारत में कुल कृषित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अंश संतोषजनक माना जा सकता है । इस सूचक के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान चतुर्थ रहा । प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान मध्यप्रदेश व तृतीय स्थान महाराष्ट्र का रहा । **2001-02 में राजस्थान में कुल कृषित क्षेत्रफल राज्य के कुल रिपोटिंग क्षेत्रफल का 60.7% रहा था** । यह 2000-01 में लगभग 56 1% रहा था ।

(iii) **सिंचाई व उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से स्थान[2]**—राजस्थान में 2001-02 में सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 32 43% रहा, जबकि समस्त भारत में वर्तमान में यह अंश लगभग 39% है । इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान का अंश भारत की तुलना में थोड़ा नीचा पाया जाता है । 2002-03 में राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषि क्षेत्रफल का 39 9% रहा था ।

2002-03 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर बोये गए क्षेत्रफल के अनुसार रासायनिक उर्वरकों का उपभोग 28.5 किलोग्राम रहा, जबकि समस्त भारत के लिए यह औसत 84.8 किलोग्राम था । मध्यप्रदेश मे यह 36.4 किलोग्राम, बिहार में 87.2 किलोग्राम तथा उत्तर प्रदेश में 126.5 किलोग्राम पाया गया । पंजाब में प्रति हैक्टेयर बोये गए क्षेत्रफल पर उर्वरकों का उपभोग 175 किलोग्राम पाया गया । इस प्रकार उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से राजस्थान काफी पिछडा हुआ है । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज भी राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर उर्वरको का उपभोग समस्त भारत की तुलना में काफी कम पाया जाता है ।

(iv) **प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान की समस्त भारत में स्थिति[3]**—पिछले वर्षों में राजस्थान देश में तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है । **देश के तिलहन उत्पादन का लगभग 1/8 भाग राजस्थान में होने लगा है** । राई व सरसों (rape and mustard) के उत्पादन में यह अग्रणी राज्य हो गया है । **यहाँ देश की कुल राई व सरसों के उत्पादन का लगभग 31% अंश होने लगा है** । 2002-03 में राज्य मे राई व सरसो का उत्पादन 11.8 लाख टन तथा समस्त भारत में 39 लाख टन आँका गया है ।

---

1 Stastical Outline in India 2003-04 p 140

2 Economic Review 2003-2004, Govt of Raj p 48, Economic Survey 2003-04, p 164, & (for fertilisers) Agricultural Statistics, Raj 2001-02, p 1

3 Economic Survey 2003-2004, p S-16 & Economic Review 2003-2004 Govt of Raj , pp 41-42

राज्य के खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रतिवर्ष भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। 2001-02 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 140 लाख टन रहा जबकि इसी वर्ष समस्त भारत में यह 21.2 करोड़ टन रहा। इस प्रकार 2001-02 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन समस्त भारत की तुलना में लगभग 6.6% रहा। 1996-97 से 1999-2000 का खाद्यान्नों का औसत उत्पादन लेने पर राजस्थान का अंश 6 3% रहा था। गेहूँ में राजस्थान के लिए यह अंश 9 6% व चावल में 0.2% रहा था। राजस्थान कपास का भी एक महत्त्वपूर्ण उत्पादक राज्य माना गया है। लेकिन तिलहन के उत्पादन में राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय हो गई है। 2001-02 के संशोधित अन्तिम अनुमानों के अनुसार राज्य में तिलहन का उत्पादन 31.3 लाख टन हुआ, जो 2002-03 के अन्तिम अनुमानों में 17.6 लाख टन तथा 2003-04 के लिए सम्भावित उत्पादन 39.4 लाख टन आँका गया है।

4. उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान की भारत में स्थिति

***(i)* राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व श्रमशक्ति में उद्योगों का अंश–** उद्योगो मे विनिर्माण (Manufacturing) (पजीकृत व अपजीकृत), निर्माण तथा विद्युत, गैस व जल-पूर्ति लेने पर 1999-2000 मे राजस्थान मे उद्योगो का योगदान राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे (1993-94 के मूल्यो पर) 25 7% रहा, जबकि समस्त भारत के लिए यह अश 24 4% रहा।

केवल विनिर्माण (manufacturing) को लेने पर राजस्थान मे 1999-2000 मे इसका अश मात्र 12% रहा। इस प्रकार (पजीकृत व अपजीकृत) विनिर्माण मे राजस्थान को अपना अश 12% से ऊँचा करने का प्रयास करना होगा। 1991 मे मुख्य श्रमिको (main workers) मे खनन, उद्योग (पारिवारिक व अन्य) तथा निर्माण मे लगे श्रमिको का अश राजस्थान मे 10 9% तथा भारत मे 12.75% पाया गया।

***(ii)* उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) के आधार पर राजस्थान की फैक्ट्री-क्षेत्र की स्थिति**—वर्ष 1999-2000 के लिए रिपोर्टिंग फैक्ट्री-क्षेत्र की सूचना के आधार पर राजस्थान की स्थिति इस प्रकार रही।[1]

1999-2000 में अंश (प्रतिशत में)

	रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या में	श्रम-लागत (Labour Cost)	कर्मचारियों की संख्या	विनिर्माण द्वारा शुद्ध जोड़े गए मूल्य में (Net Value Added)
राजस्थान	3 9	2 9	2 6	2 1

1 Annual Survey of Industries 1999–2000 (CSO), March 2001, Quick Estimates, Various tables

इस प्रकार 1999-2000 में फैक्ट्री क्षेत्र के विभिन्न सूचकों में राजस्थान का अंश समस्त भारत में 3 से 4 प्रतिशत रहा है, जो राज्य की पिछड़ी औद्योगिक दशा का सूचक है। लेकिन वर्तमान में स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि पिछले वर्षों में राज्य में औद्योगिक विकास के प्रयास किए गए हैं।

1999-2000 में फैक्ट्री-क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ राज्यों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है—

	रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या	श्रम-लागत (करोड़ रु. में)	कर्मचारियों (Employees) की संख्या (लाखों में)	विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य (NVA) (करोड़ रु. में)
राजस्थान	5160	1690	2 64	3197
गुजरात	15210	6002	9 03	19868
महाराष्ट्र	19235	12433	14 40	37741
भारत	133234	57719	99 0	155343

तालिका से पता चलता है कि राजस्थान में फैक्ट्री-क्षेत्र का विकास काफी पिछड़ा हुआ है। **1999-2000 में गुजरात में फैक्ट्री-क्षेत्र में स्थिर पूँजी राजस्थान की तुलना में लगभग 3.4 गुनी व विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य में 6.2 गुनी राशि पाई गई, जबकि भारत की जनसंख्या में दोनों का अंश लगभग 5% पाया जाता है, हालांकि क्षेत्रफल में राजस्थान का अंश 10.4% व गुजरात का 6% है।** आर्थिक साधन, जैसे खनिज पदार्थ आदि, दोनों में पाये जाते हैं। **लेकिन गुजरात औद्योगिक दृष्टि से उन्नत माना जाता है, जबकि राजस्थान अभी भी पीछे है।** उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की संख्या राजस्थान की तुलना में लगभग 5 5 गुनी पाई जाती है, जिससे राजस्थान के पिछड़ेपन का अनुमान लगाया जा सकता है।

हम आगे के अध्यायों में देखेंगे कि राजस्थान में शक्ति के विकास की सम्भावनाएँ काफी मात्रा में विद्यमान हैं जिनका समुचित विदोहन करके वह भी एक अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है।

1986-87 में प्रथम बार राजस्थान का फैक्ट्री-क्षेत्र में विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य (NVA) में घटते हुए क्रम में दसवाँ स्थान आया था। लेकिन यह स्थिति आगे के वर्षों में जारी नहीं रह सकी। इससे पूर्व भी इसको यह स्थान कभी प्राप्त नहीं हुआ था।

हमें यह स्मरण रखना होगा कि राजस्थान की स्थिति, हाथकरघा, दस्तकारी व ग्रामीण उद्योगों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य रत्न व आभूषणों, गलीचों, दस्तकारी के सामान, आदि के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। अतः इस क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

5. आधार-ढाँचे (Infrastructure) की दृष्टि से राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति

आधार ढांचे के अन्तर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़कों, रेलों, डाकघर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बैंकिंग की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सिंचाई पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। **ताजा अनुमानों के आधार पर आधार-ढाँचे के सापेक्ष विकास के सूचकांक निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं[1]—**

नवीनतम सूचना के अनुसार (समस्त भारत = 100)

	आधार-ढाँचे के सापेक्ष विकास का सूचकाक	14 गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में स्थान
राजस्थान	76	14
गुजरात	124	—
हरियाणा	138	—
मध्य प्रदेश	77	—
उत्तर प्रदेश	101	—
पंजाब	188	—
समस्त भारत	100	—

14 गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश) में आधार-ढाँचे के सापेक्ष विकास के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का 14वाँ स्थान पाया गया है। इससे इस दिशा में इसके अत्यधिक पिछड़े होने का परिचय मिलता है।

तालिका से पता चलता है कि ताजा सूचना के अनुसार आधार-ढाँचे के सापेक्ष विकास का सूचकांक राजस्थान के लिए 76 रहा, जो समस्त भारत के 100 से कम था। यह हरियाणा के 138 अंक से काफी नीचा था।[2]

अब हम आधार-ढाँचे के विभिन्न उप-क्षेत्रों की स्थिति का उल्लेख करेंगे।

***(i)* विद्युत**—2003-04 के अन्त मे राजस्थान में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 5237.72 मेगावाट थी, जिसमें लगभग आधी राज्य के बाहरी साधनों से प्राप्त होती है और शेष आधी राज्य के स्वयं के साधनों से प्राप्त होती है। 2003-04 में 690.54

1 Anant Krishna & Uma Datta Roy Choudhry (1999), **Measuring Inter-state Differentials in Infrastructure** in Eleventh Finance Commission Report, June 2000, p 218

2 सूचकांक बनाने के लिए विभिन्न मदों को भार दिए गए हैं, जो इस प्रकार होते हैं-शक्ति (power) 20%, सिंचाई (20%), सड़के (15%) रेलवे (20%) डाकघर (5%), शिक्षा (10%), स्वास्थ्य (4%) एवं बैंकिंग (6%)।

मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता सृजित की गयी है । विद्युत सप्लाई में भारी उतार-चढ़ाव आने से उत्पादन को क्षति पहुँचती है । राज्य में विद्युत के विकास की भारी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, जिनका उपयोग करने का प्रयास तेज किया जा रहा है ।

नीचे दी गई तालिका से पता लगता है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपयोग 2002-03 में लगभग 291 किलोवाट घंटे रहा, जो पंजाब के लगभग 870 किलोवाट घंटे की तुलना में बहुत नीचा था । प्रति व्यक्ति विद्युत के उपभोग की दृष्टि से 17 राज्यों में राजस्थान का स्थान 10वाँ रहा । पंजाब का स्थान सर्वोच्च पाया गया । लेकिन राजस्थान की स्थिति उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर रही, जिसका स्थान 13वाँ रहा ।

2002-03 में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग इस प्रकार रहा ।[1]

	किलोवाट घंटों (KWH) में) (लगभग)	(17 राज्यों की तुलना)
राजस्थान	291	11
बिहार	145	16
गुजरात	838	2
हरियाणा	580	4
मध्य प्रदेश	278	13
पंजाब	870	1
उत्तर प्रदेश	188	15
अखिल भारत	373	—

कुल ग्रामों में विद्युतीकृत गाँवों का अनुपात[2]—31 मार्च, 2003 में राजस्थान मे कुल ग्रामो में विद्युतीकृत गाँवों का अनुपात 97 4% पाया गया । हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब आदि के गाँवो में यह 100 प्रतिशत पाया गया; आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में यह 100 प्रतिशत के समीप रहा एवं असम, उड़ीसा, प. बंगाल आदि मे यह 77 प्रतिशत से ऊपर रहा ।

(ii) **सड़कें**—सड़कों की स्थिति के सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से प्रायः नवीनतम आँकड़ों का अभाव पाया जाता है । 2003-04 के अन्त में राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लम्बाई 45 93 किलोमीटर रहने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74.9 किलोमीटर (1996-97) आंका गया है । अतः राज्य में सड़कों की औसत लम्बाई भारत की तुलना में नीची पाई जाती है । यह गुजरात, हरियाणा व मध्य प्रदेश से भी कम है ।

1 Economic Review 2003-04, Govt of Raj . table 10

2 ibid, table 10.

1997-98 मे राजस्थान में सडकों की कुल लम्बाई का 57.5% ग्रामीण सडको का था। हरियाणा मे यह अनुपात 76 3%, केरल मे 75 1%, मध्य प्रदेश में 69.2% तथा गुजरात मे 27 1% था। इस प्रकार राजस्थान मे कुल सडकों की लम्बाई का लगभग आधा भाग ग्रामीण सडको के रूप मे पाया जाता है।[1]

(iii) **रेलमार्ग**– 31 मार्च, 2001 के अत मे प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रेलमार्ग की लम्बाई इस प्रकार रही[2]–

	(किमी. में)		(किमी. में)
राजस्थान	17 32	बिहार	36 55
गुजरात	27 10	उत्तर प्रदेश	35 93
पजाब	41 73	पश्चिम बगाल	41 26

इस प्रकार रेलमार्ग की लम्बाई की दृष्टि से भी राजस्थान पिछड़ा हुआ है । इस क्षेत्र में पंजाब का प्रथम स्थान आता है (उपर्युक्त तालिका के अनुसार) । वैसे दिल्ली राज्य में रेलमार्ग की लम्बाई 134.63 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर रही थी, जो सर्वाधिक थी ।

(iv) शिक्षा– हम प्रारम्भ मे बतला चुके हैं कि राज्य मे साक्षरता की अनुपात काफी नीचा है। 2001 मे यह सभी व्यक्तियों के लिए 61 0% रहा, जबकि पुरुषो के लिए 76 5% व महिलाओ के लिए 44 3% रहा। राजस्थान की स्थिति महिला–साक्षरता की दृष्टि से ज्यादा पिछडी हुई है, इसमे भी ग्रामीण महिलाओ मे साक्षरता का अनुपात और भी नीचा पाया जाता है। इससे परिवार–नियोजन मे भी बाधा पहुँचती है। राज्य मे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगो मे साक्षरता का अनुपात काफी नीचा पाया जाता है।

योजनाकाल मे स्कूलो मे भर्ती होने वालो का अनुपात बढा है, लेकिन इस दिशा मे अभी भी विशेष प्रगति की आवश्यकता है। स्कूल छोडने वाले बच्चो की संख्या भी काफी अधिक पाई जाती है। यह विशेषतया 6-11 वर्ष के आयु–समूह मे अधिक पाई जाती है।

वर्ष 2001-02 के लिए राजस्थान व भारत के लिए सकल नामांकन-अनुपात (Gross Enrolment Ratio) कक्षा I से V तथा VI से VIII के लिए अग्र तालिका में दर्शाया गया है ।[3]

(% में)

	प्राइमरी (I–V)			अपर प्राइमरी (VI–VIII)		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
राजस्थान	139.1	83.2	112.2	102.0	47.5	76 2
समस्त भारत	105.3	86.9	96.3	67 8	52.1	60.2

प्राइमरी कक्षा में 6-11 वर्ष के आयु-समूह के तथा अपर-प्राईमरी कक्षा मे 11-14 वर्ष के लड़के-लड़कियाँ आते हैं । प्राइमरी कक्षा में लड़को के लिए राजस्थान में नामांकन-अनुपात

1 Report on Currency & Finance, Vol 1, 1997-98 p XI–31.

2 Draft Tenth Five-year Plan 2002-07, Vol III p 63

3 Economic Survey 2003-2004 GOI, p S-110

139.1 आने का कारण यह है कि इस समूह में कुल लड़के 6 वर्ष से कम आयु के होंगे । लेकिन यहाँ ध्यान देने की मुख्य बात यह है कि प्राइमरी व अपर-प्राइमरी दोनों स्तरों पर राजस्थान में लड़कियों में नामांकन-अनुपात समस्त भारत से नीचा पाया गया है । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समूह में यह और भी नीचा रहा है । राज्य में स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों का अनुपात भी ऊँचा रहता है । अतः प्राइमरी शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(v) स्वास्थ्य के सूचक तथा स्वास्थ्य की सुविधाएँ :

(अ) (i) स्वास्थ्य के सूचक— इसके अन्तर्गत हम जीने की औसत आयु शिशु मृत्यु-दर, जन्म दर व मृत्यु-दर को ले सकते हैं जिनके बारे में तुलनात्मक स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है।[1]

	जन्म के समय जीने की प्रत्याशा (Life Expectancy) (2001-06) पुरुष (Male)	शिशु मृत्यु-दर (IMR) (2000 में प्रति हजार)	जन्म-दर (2002 में	मृत्यु-दर प्रति हजार)
राजस्थान	62 2	79	30 6	7.7
भारत	63 9	68	25.0	8.1
केरल	71 7	14	16 8	6 4

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में 2002 में जन्म-दर प्रति हजार 30 6 थी, जो भारत से अधिक थी । मृत्यु-दर में विशेष अन्तर नहीं था, लेकिन शिशु-मृत्यु-दर भारत की तुलना में राजस्थान में अधिक थी । जीने की औसत आयु में ज्यादा अन्तर नहीं था । उपर्युक्त सभी सूचकों की दृष्टि से केरल की स्थिति राजस्थान व अन्य राज्यों से काफी बेहतर रही है ।

(ii) 1998-99 मे राजस्थान मे असंक्रमीकरण (immunization) के दायरे मे 17% बच्चे लाए जा सके जब कि मध्य प्रदेश में इनका अनुपात 22% व समस्त भारत मे 42% रहा। (राष्ट्रीय-परिवार-स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 1998-99)

(iii) इसी सर्वेक्षण के अनुसार 1998-99 मे 3 वर्ष की आयु से नीचे के 82% बच्चे राजस्थान मे खून की कमी (anaemic) के शिकार पाये गये। भारत मे यह अनुपात 74% रहा।

(iv) यूनीसेफ की MICS 2000 की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के जन्म के समय कम वजन (2500 ग्राम से नीचे) का अनुपात राजस्थान मे 30% व भारत मे 22% पाया गया।

(v) 1998-99 मे बाल-कुपोषण का अनुपात राजस्थान मे 51% रहा। 1993-94 से

1. Economic Survey 2003-2004 p S-109.

1998-99 की अवधि में 14 बडे राज्यो मे राजस्थान में इस दिशा में प्रगति सबसे कमजोर रही।

(आ) स्वास्थ्य सुविधाएँ— इसके अन्तर्गत डॉक्टरो, अस्पतालों, पेयजल आदि की सुविधाएँ आती हैं। 1996-97 मे राजस्थान मे अस्पतालो की सख्या 219, डिस्पेन्सरियों की 278 व बिस्तरों की सख्या 36702 पाई गई। इसी वर्ष प्रति अस्पताल जनसख्या 2 20 लाख, प्रति डिस्पेन्सरी जनसख्या 1 73 लाख तथा प्रति बिस्तर जनसंख्या 1313 पाई गई। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश मे प्रति अस्पताल जनसख्या 17854, बिहार मे लगभग 3 लाख व मध्यप्रदेश मे 2 10 लाख थी। इस प्रकार स्वास्थ्य की सुविधाएँ राजस्थान मे बिहार से बेहतर पाई गई हैं। लेकिन अन्य राज्यो के मुकाबले आज भी राजस्थान में इनका अभाव पाया जाता है। गुजरात मे भी लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएँ राजस्थान की तुलना में बेहतर पाई जाती हैं। राज्य मे स्वास्थ्य की सुविधाओं का गाँवों व शहरों में विस्तार करने की आवश्यकता है।

(vi) बैंकिंग सुविधाएँ—दिसम्बर 2003 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है[1]—

बैंकों की संख्या (प्रति लाख जनसंख्या पर)

राज्य		क्रम (rank)	राज्य		क्रम (rank)
राजस्थान	5.6	12	केरल	10.3	3
हिमाचल प्रदेश	12 6	1	गुजरात	6.9	8
मध्य प्रदेश	5.4	13	उत्तर प्रदेश	4 7	15
अखिल भारत	6.2	—			

बैंकों की संख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का स्थान प्रथम व पंजाब का द्वितीय रहा है । इस सम्बन्ध में राजस्थान व मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग एक-सी पाई गई है । बैंकिंग सुविधाओं के विकास की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति समस्त भारत की तुलना में ज्यादा पिछड़ी हुई नहीं है । फिर भी केरल व हिमाचल प्रदेश की तुलना मे यह काफी पिछड़ी हुई मानी जा सकती है ।

दिसम्बर 2003 मे राजस्थान में उधार-जमा का अनुपात (credit deposit ratio) *54.6% रहा था, जबकि समस्त भारत में यह 57 9% था* । इस प्रकार उधार-जमा अनुपात राजस्थान में समस्त भारत की तुलना में नीचा है । राजस्थान में साख विस्तार करना आवश्यक है ।[2]

कृषि, उद्योग व उधार-ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में राजस्थान की पिछड़ी स्थिति के प्रमुख कारण—हमने इस अध्याय में जनसख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग व आधार-ढाँचे की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति का अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य व अन्य राज्यों के सन्दर्भ में

1 Economic Review 2003-2004, table 10

2 ibid, p 19

प्रस्तुत किया है । तुलनात्मक दृष्टि से राजस्थान काफी पिछड़ा रहा है । इस सम्बन्ध में प्रमुख कारण इस प्रकार दिए जा सकते हैं—

(1) नियोजन के प्रारम्भ में विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान की स्थिति अत्यन्त दयनीय व पिछड़ी हुई थी—आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान के पिछड़े रहने का प्रमुख कारण यह है कि नियोजन के आरम्भ में राज्य की आर्थिक स्थिति नितान्त शोचनीय थी । 1950-51 में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता मात्र 13 मेगावाट ही थी, सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का 12% ही था, राज्य में केवल 42 स्थानों को ही बिजली मिली हुई थी तथा केवल 17,399 किलोमीटर दूरी में सड़कें थीं । सड़क, जल व बिजली के अभाव में बड़े उद्योगों का विकास सम्भव नहीं था । शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में भी उस समय अभाव की दशाएँ विद्यमान थीं, जैसे 1950-51 में 6-11 वर्ष की उम्र के बच्चों में स्कूल जाने वालों का अनुपात 16.6% तथा 11-14 वर्ष की आयु वालों में 5.4% ही था । उस समय अस्पतालों में रोगियों के बिस्तरों की संख्या कुल 5,720 ही थी ।

इस प्रकार प्रारम्भ में विभिन्न क्षेत्रों मे विकास के स्तर बहुत नीचे रहने से नियोजन के 53 वर्षों के बाद भी अभाव पूरी तरह दूर नहीं हो पाए हैं, हालांकि विकास के कारण महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं, जो अन्यथा सम्भव नहीं थी ।

(2) राज्य की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियाँ—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, राजस्थान के 61 प्रतिशत भूभाग मे रेगिस्तान पाया जाता है, जहाँ बहुधा अकाल पड़ते रहते हैं । **राज्य में सतह के जल-साधन (surface water resources) समस्त भारत की तुलना में 1% मात्र हैं** । राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रति व्यक्ति लागत ऊँची आती है । अतः विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है । मानसून की अनिश्चितता का प्रभाव राजस्थान में और भी अधिक प्रतिकूल रहता है, जिससे यहाँ कृषिगत उत्पादन के उतार-चढ़ाव अधिक तीव्र होते हैं । उदाहरण के लिए 2001-02 में खाद्यान्नों का उत्पादन 140.0 लाख टन हुआ जो घटकर 2002-03 में 75.3 लाख टन पर आ गया । 2003-2004 में इसके लगभग 189 लाख टन के स्तर पर पहुँचने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के दुगुने से अधिक होगा ।

(3) राज्य में जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है—1981-91 की अवधि में राज्य में जनसंख्या की वृद्धि 28.44% रही, जबकि 1991-2001 के बीच यह पहले से कुछ कम 28.33% रही, दोनों ही अवधियों में यह राष्ट्रीय औसत से अधिक थी । जनसंख्या की तीव्र वृद्धि-दर का राज्य के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(4) भूजल (ground water)—भूजल बहुत से स्थानों पर लवणीय (Brakish) पाया जाता है और सूखे के कारण जलस्तर (Water-lable) निरन्तर नीचे गिरता जा रहा है, जिससे कृषिगत विकास में बाधा पहुँचती है ।

(5) 2001 में राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति के लोग 17.2% तथा अनुसूचित जनजाति के 12.6% पाए गए । इस प्रकार इनका व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों

का राज्य की जनसंख्या में 30% से अधिक अनुपात होने से राज्य सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ है ।

(6) विकास के लिए वित्तीय साधनों का अभाव—राज्य की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर व डांवाडोल रही है जिससे आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधाएँ आती हैं । राज्य में योजनाकाल में काफी धनराशि व्यय की गई है । प्रति व्यक्ति विनियोजन बढ़ा है । दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) का आकार, प्रचलित भावों पर 31832 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया है जो नवीं योजना से अधिक है, लेकिन वित्तीय साधनों के अभाव में इसे प्राप्त करना कठिन होगा । राज्य पर कई कारणों से बकाया कर्ज का भार काफी बढ़ गया है । **मार्च 1999 के अन्त में राज्य पर कर्ज का कुल भार लगभग 24,170 करोड़ रु. आँका गया था । इसके मार्च 2005 तक 59280 करोड़ रु. के समीप पहुँच जाने की संभावना है ।[1] इसमें काफी अंश केन्द्रीय ऋणों का रहने की आशा है । इससे राज्य पर ब्याज की वार्षिक देनदारी असहनीय हो गई है** । राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है । भविष्य मे भी राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएँ आएँगी, जैसे पुराने कर्जों पर ब्याज व देय किश्त का भार, राज्य कर्मचारियो के महँगाई भत्तों में वृद्धि का भार, अकाल राहत-कार्यों पर *व्यय का भार, पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव आदि* ।

(7) राज्य के पिछड़ेपन का एक कारण यहाँ नियोजन-प्रक्रिया का कमजोर रहना भी माना जा सकता है—राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करके इनका राजनीतिक आधार-ढाँचा तो खड़ा किया, लेकिन भूतकाल में विकेन्द्रित नियोजन (जिला या खण्ड स्तर पर) नहीं अपनाने के कारण नियोजन की प्रक्रिया सबल व सुदृढ़ नहीं हो सकी । परिणामस्वरूप, स्थानीय नियोजन के अभाव में स्थानीय साधनों, स्थानीय श्रम-शक्ति व स्थानीय आवश्यकताओं के बीच आवश्यक समन्वय व ताल-मेल स्थापित नहीं किया जा सका । हाल के वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना में प्रगति हुई है । इस पर संविधान के 73वें व 74वें संशोधन का प्रभाव पड़ा है ।

राज्य में कृषि व औद्योगिक विकास तथा आधारभूत ढाँचे के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं । राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार जनवरी 2004 से आर्थिक विकास के लिए भरसक प्रयास कर रही है । भविष्य में औद्योगिक विकास, खनन-विकास, सड़क-विकास, पर्यटन-विकास व पावर-विकास की एक समयबद्ध व पारदर्शी योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें काफी मात्रा में विदेशी निजी विनियोग का भी उपयोग किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके । राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील भी है । विश्व बैंक से विशेष सहायता प्राप्त करके कृषिगत-विकास की काफी विस्तृत व व्यापक योजना पर कार्य करने से विभिन्न प्रकार की फसलों, फलों, पशु-पालन,

1. Finance Department GOR, March 2004, tables.

चारा, वृक्षारोपण आदि का विकास किया जा रहा है जिससे रोजगार में काफी वृद्धि होगी, ग्रामीण निर्धनता कम होगी तथा आर्थिक असमानता में भी कमी आएगी।

इन विभिन्न विषयों का यथास्थान समुचित विवेचन किया जाएगा। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि उचित आर्थिक नीतियाँ अपनाकर व प्रशासन को अधिक ईमानदार व चुस्त-दुरुस्त करके राज्य विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम व सफल हो सकता है।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है—
(अ) 9% (ब) 10 4% (स) 15% (द) 20% (ब)

2. राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ?
(अ) 9% (ब) 10 4% (स) 16% (द) 20% (ब)

3. 1994-95 से 1997-98 की अवधि में राजस्थान का खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत में कितना प्रतिशत योगदान रहा ?
(अ) 5 2 (ब) 6 3 (स) 10 4 (द) 3 5 (ब)

4. वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन-सा स्थान आता है ?
(अ) प्रथम (ब) द्वितीय
(स) तृतीय (द) कोई नहीं (अ)

5. विभिन्न औद्योगिक सूचकों में, जैसे फैक्टरियों की संख्या, स्थिर पूँजी, कर्मचारियों की संख्या व जोड़े गये शुद्ध मूल्य, आदि में राजस्थान का समस्त भारत में कितना अंश आता है ?
(अ) 3 से 4% तक (ब) लगभग 3%
(स) लगभग 4% (द) 2 से 3% तक (अ)

6. इन्फ्रास्ट्रक्चर का सूचकांक बनाने के लिए कौन-सी मदों का उपयोग किया जाता है ?
(अ) सिंचाई व शक्ति (ब) सड़कें व रेलें
(स) डाकघर व बैंकिंग (द) शिक्षा व स्वास्थ्य
(ए) सभी (ए)

7. राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर का सूचकांक भारत से कितना नीचा है ?
(अ) 10 बिन्दु (ब) 24 बिन्दु
(स) 30 बिन्दु (द) लगभग समान है। (ब)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को समझाइए जिनसे ज्ञात होता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछड़ी अवस्था में है।

[उत्तर—संकेत :

(1) जनसंख्या की वृद्धि-दर 1991-2001 में 28 3% रही जो समस्त भारत की वृद्धि-दर 21 3% से अधिक थी।

(2) साक्षरता-अनुपात 2001 में 61% था, जबकि समस्त भारत में यह लगभग 65 4% था। महिलाओं में साक्षरता की दर और भी नीची है; विशेषतया ग्रामीण महिलाओं में यह काफी नीची है।

(3) राज्य में सतह जल-साधन भारत के कुल सतह जल-साधनों का मात्र 1% ही है, जिससे राजस्थान में जल का नितान्त अभाव पाया जाता है। राज्य में मरुस्थल का विस्तार ज्यादा है।

(4) 2002-03 में कुल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल लगभग 39.9% था, (सकल कृषित क्षेत्रफल के नीचा रहने के कारण) जबकि समस्त भारत में भी यह वर्तमान में लगभग 39% आँका गया है।

(5) प्रति हैक्टेयर उर्वरकों का उपभोग राष्ट्रीय औसत से कम है।

(6) खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वार्षिक उतार-चढ़ाव आते हैं।

(7) 1999-2000 में राज्य में फैक्ट्री क्षेत्र पिछड़ा था। विभिन्न औद्योगिक सूचकों में राज्य का स्थान समस्त भारत में 3 से 4% के बीच ही आता है।

(8) आधार-ढाँचा कमजोर है जो विद्युत, सड़कों आदि के अभाव के रूप में प्रगट होता है, तथा

(9) शिक्षा व स्वास्थ्य की सेवाएँ पिछड़ी हैं।

(10) विकास के लिए वित्तीय साधनों का नितान्त अभाव पाया जाता है।]

2. भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जनसंख्या, क्षेत्रफल, कृषि, उद्योग एवं इन्फ्रा-स्ट्रक्चर के सन्दर्भ में क्या स्थिति है ?

3. राजस्थान की आर्थिक स्थिति की तुलना समस्त भारत व कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति से कीजिए और उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिनकी वजह से यह राज्य अन्य राज्यों की तुलना में पीछे रह गया है।

4. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

(*i*) राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक स्थिति,

(*ii*) राजस्थान में विद्युत व सड़कों की भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक स्थिति,

(*iii*) भारत के संदर्भ में राजस्थान की जनसंख्या, 2001,

(*iv*) राजस्थान में साक्षरता की स्थिति।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान राज्य की वर्तमान स्थिति निर्धारित कीजिए।

(Raj. Iyr 2004)

6. उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान बताइए। (100 शब्दों में)

जनसंख्या
(Population)

आकार व वृद्धि—2001 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च, 2001 को सूर्योदय के समय राजस्थान की जनसंख्या लगभग 5 65 करोड़ व्यक्ति आंकी गई है। 1991 में यह लगभग 4 40 करोड़ व्यक्ति थी। इस प्रकार 1991-2001 की अवधि में राज्य की जनसंख्या में लगभग 124 7 लाख व्यक्तियों की बढ़ोत्तरी हुई, जो 28 33% वृद्धि को सूचित करती है। इसी अवधि में भारत की जनसंख्या में 21 34% की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार 1991-2001 के दशक में राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि समस्त भारत की तुलना में 7 प्रतिशत बिन्दु अधिक हुई है।

निम्न तालिका में 1901 से 2001 तक की अवधि में राजस्थान में जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि (लाखों में) तथा दस वर्षीय वृद्धि-दरों का परिचय दिया गया है।[1]

वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	दस वर्षीय वृद्धि (लाखों में)	दस वर्षीय वृद्धि दर (% में)
1901	1 03	—	—
1911	1 10	7	6 7
1921	1 03	(–) 7	(–) 6 3
1931	1 17	14	14 1
1941	1 39	21	18 0
1951	1 60	21	15 2
1961	2 02	42	26 2
1971	2 58	56	27 8
1981	3 43	85	33 0
1991	4 40	97	28 4
2001	5 65	125	28 3

1 Provisional Population Totals, Paper–1 of 2001 March 2001, p 25 (Director of census operations, Rajasthan) आगे भी अधिकांश सूचना इसी पर आधारित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1951 2001 के 50 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या 1 60 करोड़ से बढ़कर 5 65 करोड़ हो गई, अर्थात् इसमें 4 करोड़ 5 लाख की वृद्धि हो गई। शुरू में 1901 51 के पचास वर्षों में इसमें केवल 57 लाख की वृद्धि हुई थी। **ध्यान देने की बात है कि 1901-61 के 60 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या में लगभग एक करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि 1991-2001 के दस वर्षों में 1.25 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है।** इससे हाल के दशक में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है।

1911 से 1921 के बीच जनसंख्या में गिरावट आई थी, जिसका सम्बन्ध अकाल व महामारी के प्रकोप से था। 1961 में जनसंख्या 1951 की तुलना में 26 2% बढ़ी। उसके बाद के दशकों में जनसंख्या की वृद्धि काफी तेज रफ्तार से हुई है। 1971-81 में यह 33% रही, जो सर्वोच्च थी। 1981-91 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि 28.4% तथा 1991-2001 के दशक में 28 3% हुई। लेकिन 1991-2001 में समस्त भारत की वृद्धि-दर (21 3%) से तो अभी भी यह काफी ऊँची है, जिसे भविष्य में कम करने की आवश्यकता है। 2001 में राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5 5 प्रतिशत रही है। यह 1991 में भारत की जनसंख्या का 5 2% थी।

1991-2001 की अवधि में राजस्थान में जनसंख्या का 28 3% बढ़ जाना इस बात का सूचक है कि राज्य में जनसंख्या-नियंत्रण की दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

राज्य में जन्म-दर (प्रति हजार) समस्त भारत की तुलना मे ऊँची रही है। वर्ष 2002 के सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया) के अनुमानों के अनुसार राजस्थान में जन्म-दर (प्रति हजार) 30.6 व मृत्यु-दर (प्रति हजार) 7.7 रही है। समस्त भारत के लिए ये दरें क्रमशः 25.0 तथा 8.1 रही हैं।[1] इस प्रकार राजस्थान में मृत्यु-दर तो भारत की मृत्यु-दर के लगभग समान है, लेकिन यहाँ की जन्म-दर भारत की जन्म-दर से लगभग 5 बिन्दु (प्रति हजार) ऊँची है, जो वास्तव में एक चिन्ता का विषय है।

राज्य में पिछले दशकों में जन्म-दर व मृत्यु-दर में गिरावट आई है जो निम्न तालिका में दर्शाई गई है। आगामी वर्षों में भी जन्म-दर के ऊँचा रहने के आसार हैं।

राजस्थान में अनुमानित जन्म-दर, मृत्यु-दर व जनसंख्या की वृद्धि-दरें[2]—

(प्रति हजार) (त्रिवर्षीय चल औसत लेने पर)

अवधि	जन्म-दर	मृत्यु-दर	वृद्धि-दर
1993	34 0	9.1	24 9
1998	31 5	8.8	22.7
2002	30 6	7.7	.22.9

1 Economic Survey 2003-2004 p S 109

2 Economic Review 2003 04 p 3

2002 की अवधि के लिए समस्त भारत के लिए जन्म-दर प्रति हजार 25.0 तथा मृत्यु-दर 8.1 अनुमानित है । तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि-दर आज भी लगभग 23 प्रति हजार है, जबकि भारत में यह 16.9 प्रति हजार है । इस प्रकार राजस्थान में जनसंख्या काफी तेज गति से बढ़ रही है ।

राजस्थान में ऊँची जन्म-दर के लिए निम्न तत्त्व जिम्मेदार माने गए हैं—जैसे कुल महिलाओं में शादीशुदा महिलाओं (married females) का ऊँचा अनुपात, शादी की औसत उम्र का नीचा पाया जाना, परिवार नियोजन की विधियों के उपयोग का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन, निर्धनता, निरक्षरता आदि । ऊँची जन्म-दर के मुख्य कारणों पर नीचे प्रकाश डाला जाता है ।

(1) शादीशुदा महिलाओं का ऊँचा अनुपात—1971 व 1981 के लिए विवाहित महिलाओं का अनुपात इस प्रकार रहा ।[1]

(विवाहित महिलाओं का प्रतिशत)

आयु-समूह (Age-group)	1971	1981
15–44	91 2	88 6
15–19	75 5	64 3
20–24	96 6	94 7

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में कुल महिलाओं में विवाहित महिलाओं का अनुपात काफी ऊँचा पाया जाता है । 15-44 वर्ष के आयु-समूह में 1971 में यह 91.2% तथा 1981 में 88 6% पाया गया था । 20-24 वर्ष के आयु-समूह में तो विवाहित महिलाओं का अनुपात 1981 में 94 7% पाया गया था । ऐसी स्थिति में जन्म-दर का ऊँचा रहना स्वाभाविक है ।

(2) शादी की औसत आयु का नीचा होना–शादी की औसत उम्र भी राजस्थान मे नीची पाई जाती है। **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 1992-93 के अनुसार शहरी क्षेत्रों मे लडकियों की शादी की प्रभावी औसत उम्र 20.5 वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 17.9 वर्ष पायी गई है। समग्र रूप से यह 18.4 वर्ष रही है। राष्ट्रीय-परिवार-स्वास्थ्य-सर्वेक्षण (NFHS), 1998-99** के **अनुसार राजस्थान में 82% लडकियों की शादी 18 वर्ष की** उम्र तक कर दी जाती है। इनमे भी 48% लडकियो की शादी तो 15 वर्ष की उम्र तक ही कर दी जाती है और 34% लडकियों की 15 से 18 वर्ष की उम्र तक कर दी जाती है।

राजस्थान मे शादी के समय लडके व लडकी दोनो की औसत उम्र इनके लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर, *क्रमश 21 वर्ष व 18 वर्ष से नीची पाई जाती है।* राज्य मे बाल–विवाह की कुप्रथा भी प्रचलित है। इस सम्बन्ध मे आवश्यक कानून की निरन्तर अवहेलना की जाती रही है। ग्रामीण क्षेत्रो मे बाल–विवाह के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। शिक्षा व चेतना के अभाव मे आज भी 'आखा–तीज' पर खूब शादियाँ रचायी जाती हैं। 1996-97 मे राजस्थान मे शादी की औसत उम्र (mean age) महिलाओ के लिए 15 4 वर्ष रही। लेकिन भीलवाडा जिले मे यह 11 1 वर्ष जोधपुर जिले मे 11 7 वर्ष तथा सिरोही जिले मे 17 8 वर्ष रही।[2]

1 Population and Demography 1988 DES Jaipur p 25
2 Concurrent Evaluation of Spacing Method and MCH Services 1996-97 Family welfare Department, Rajasthan

(3) दम्पत्ति-सुरक्षा-दर का नीचा पाया जाना—कुल दम्पत्तियों में परिवार नियोजन अपनाने वालों के अनुपात को दम्पत्ति-सुरक्षा-दर (couple protection rate) (CPR) कहते हैं। 1995 में को कुछ राज्यों में दम्पत्ति-सुरक्षा-दर अग्र तालिका में दर्शाई गई है[1]—

दम्पत्ति-सुरक्षा-दर (CPR) अथवा परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियों का अनुपात

(1995 में)

	प्रतिशत में
राजस्थान	32 6
बिहार	21 1
केरल	46 7
मध्य प्रदेश	47 4
महाराष्ट्र	51 0
समस्त भारत	45 4

इस प्रकार राजस्थान में परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियो का अनुपात कम है। सन् 2000 तक समस्त भारत के लिए इसका लक्ष्य 60% रखा गया था, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका है। 31 मार्च 2001 को राज्य में दम्पत्ति-सुरक्षा-दर 43.5% थी (वर्तमान में सुरक्षा प्राप्त (Currently protected का प्रतिशत) (Statistical Abstract, Rajasthan 2001,p 94)

(4) महिलाओं में साक्षरता की बहुत नीची दर, विशेषतया ग्रामीण महिलाओं में—2001 में राजस्थान में महिला साक्षरता-दर 44 3% थी। अत: आज भी राज्य में 56% महिलाएँ निरक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-वर्ग में निरक्षरता ज्यादा पाई जाती है। 1991 में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर केवल 11 6% ही थी। बाड़मेर जिले में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर 4.2% तथा जैसलमेर जिले में 4.7% थी। नीची साक्षरता-दरों के कारण राज्य में परिवार नियोजन का अभाव देखा जाता है जिससे जन्म-दर ऊँची पाई जाती है।

(5) सामाजिक पिछड़ापन—1991 में राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का जनसंख्या में अनुपात 17.3% तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का 12.4% रहा था। अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को शामिल करने पर राज्य में 30% से अधिक लोग सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में आते हैं। व्यापक निरक्षरता, अज्ञानता व सामाजिक अभावों के कारण परिवार नियोजन के साधनों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं हो पाता है। दूर-दराज के रेगिस्तानी क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति-क्षेत्रों आदि में सामाजिक-आर्थिक दशाएँ काफी प्रतिकूल पाई जाती हैं।

---

1 Ninth Five Year Plan 1997–2002 (GOI), A Nabhi Publications, Feb 2000 p 26

इस प्रकार राज्य मे सामाजिक पिछडापन ऊँची जन्म–दर मे सहायक रहा है। आवश्यक सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक सुधार से ही जनसख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियों का प्रतिशत बढाने की आवश्यकता है।

अब हम राजस्थान मे जनसंख्या के विभिन्न पहलुओ का विवेचन करेगे।

1991-2001 की अवधि में जनसंख्या की चक्रवृद्धि दर[1]– 1991-2001 की अवधि में जनसख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि–दर (exponential growth rate) (ब्याज पर ब्याज वाले सूत्र के अनुसार) भारत के लिए 1 93% तथा राजस्थान के लिए 2 49% रही। 1981-91 की अवधि के लिये ये दरें भारत के लिए 2 14% तथा राजस्थान के लिए 2 50% रही थीं। 1991-2001 के दशक मे जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि–दरें कुछ राज्यों के लिए निम्नांकित रहीं–

(प्रतिशत में)

बिहार	2 50
मध्य प्रदेश	2 18
उत्तर प्रदेश	2.30
केरल	0 90
गुजरात	2 03
पजाब	1 80
महाराष्ट्र	2.04
पश्चिम बगाल	1 64

इस प्रकार 1991-2001 के दशक मे जनसख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि–दर राजस्थान मे 2 49% रही, जो पजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बगाल व गुजरात राज्यो से अधिक थी। यह न्यूनतम केरल में 0 9% रही। यह बिहार मे लगभग बराबर थी।

राजस्थान मे 1991-2001 की अवधि मे जिलेवार जनसंख्या की वृद्धि-दरें[2]– 1991-2001 की अवधि मे राजस्थान के 32 जिलो मे जनसख्या की सर्वाधिक वृद्धि–दर जैसलमेर जिले में 47 45% पाई गई है, जबकि सबसे कम वृद्धि–दर राजसमद जिले मे 19 88% पाई गई है। 32 जिलो में जनसख्या से सम्बन्धित विस्तृत आँकडो की तालिका इस अध्याय के परिशिष्ट–2 में दी गई हैं।

---

1 Provisional Population Totals, Paper-I of 2001, India, pp 42–43

2 Provisional Population Totals, Paper I of 2001, Raj March p 39.

राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि-दर (28 3%) की तुलना में तेरह जिलों में अर्थात् जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, बाड़मेर, सिरोही, अलवर, नागौर, कोटा, बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर व जोधपुर जिलों में जनसंख्या में अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई तथा अन्य 19 जिलों में यह राज्य के औसत से कम रही।

राज्य में सबसे अधिक आबादी जयपुर जिले की है, जो 2001 में 52.52 लाख रही। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 9 30% है। आबादी की दृष्टि से जैसलमेर का स्थान अंतिम आता है। 2001 में यहाँ की आबादी 5 08 लाख रही, जो राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 0.90 प्रतिशत है।

राज्य में जनसंख्या के घनत्व की स्थिति—2001 के परिणामों के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 165 रहा, जबकि 1991 में यह 129 था। भारत में 2001 में घनत्व 324 रहा, जबकि 1991 में यह 267 रहा था। 28 राज्यों में सबसे ज्यादा घनत्व पश्चिम बंगाल में 904 पाया गया तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 13 रहा।

2001 जनगणना के अनुसार राज्य के 32 जिलों में भी परस्पर घनत्व के काफी अन्तर पाए जाते हैं। जयपुर जिले में घनत्व 471 रहा, जो सर्वाधिक था तथा जैसलमेर जिले में न्यूनतम 13 रहा (यहाँ 1991 में यह केवल 9 ही था)। राज्य के 22 जिलों में घनत्व राज्य *के औसत घनत्व से अधिक पाया गया है तथा शेष 10 जिलों में यह राज्य के औसत घनत्व* से कम पाया गया है।

राज्य में लिंग-अनुपात (sex-ratio) की स्थिति—राज्य में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 2001 में 922 रही, *जबकि 1991 में यह 910 रही थी।* इस प्रकार राजस्थान में लिंग-अनुपात में 12 अंकों की वृद्धि हुई है। 2001 में केरल में लिंग-अनुपात 1058 रहा था; अर्थात् वहाँ पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक रही। राजस्थान के विभिन्न जिलों में लिंगानुपात में अन्तर पाया जाता है।

वैसे राजसमंद व डूँगरपुर को छोड़कर सभी जिलों में 2001 में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम पाई गई, लेकिन राज्य के सोलह जिलों में लिंग-अनुपात राज्य के औसत अनुपात से अधिक पाया गया है। उदाहरण के लिए, डूंगरपुर जिले में यह अनुपात 1027, राजसमंद जिले में 1002, बांसवाड़ा जिले में 978 व उदयपुर जिले में 972 रहा। 2001 में **डूंगरपुर जिला ऐसा जिला रहा जिसमें लिंग-अनुपात 1027 रहा जो सर्वोच्च था। लेकिन 1991 में इसमें भी पुरुषों के पक्ष में परिवर्तित हो गया था जो 995 रहा था। न्यूनतम लिंग-अनुपात जैसलमेर जिले में पाया गया है, जहाँ यह 821 रहा है।**

राज्य में साक्षरता-दर (Literacy-rate)—2001 में राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों का अनुपात 61 0% रहा है। पुरुषों में साक्षरता-दर

लगभग 76.5% थी तथा स्त्रियों में यह लगभग 44.3% रही है। 1951 व बाद के वर्षों के लिए राजस्थान मे साक्षरता की प्रभावी दरे निम्न तालिका मे दी गई हैं।[1]

(प्रतिशत में)

वर्ष	सभी व्यक्तियों के लिए	पुरुष	स्त्रियाँ
1951	8.9	14.4	3
1961	15.2	23.7	5.8
1971	19.1	28.7	8.5
1981	30.1	44.8	14.0
1991	38.6	55.0	20.4
2001	61.0	76.5	44.3

स्मरण रहे कि उपर्युक्त तालिका में 1981 व बाद के वर्षों के लिए साक्षरता की प्रभावी दरें 7 वर्ष व अधिक की आयु-वर्ग के लिए हैं, जबकि पिछली अवधियों में माप का आधार 5 वर्ष व अधिक आयु-वर्ग रखा गया था। इसलिए तुलना मे थोडी कठिनाई आती है। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि 1951 से 2001 की अवधि मे साक्षरता की दर में सुधार हुआ है। महिलाओ के लिए साक्षरता की दर 1951 में 3% से बढकर 2001 में 44.3% हो गई है (प्रतिशत की दृष्टि से यह लगभग 15 गुनी हो गई है)। फिर भी राज्य साक्षरता की दृष्टि से आज भी पिछडा हुआ माना जाता है।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो के अनुसार 1961 से साक्षरता की स्थिति निम्न तालिका मे दी जाती है–

(प्रतिशत मे)

वर्ष	कुल व्यक्तियों के लिए	ग्रामीण	शहरी
1961	15.2	10.9	37.6
1971	19.1	13.9	43.5
1981	30.1	17.8	47.9
1991	38.6	30.4	65.3
2001	61.0	55.9	76.9

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1961 मे ग्रामीण क्षेत्रो मे साक्षरता की दर 11% से बढ कर 2001 में 56% हो गई तथा शहरी क्षेत्रो मे यह 38% से बढकर 77% हो गई। इस प्रकार अब शहरी क्षेत्रो मे साक्षरता का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रो की तुलना मे प्रतिशत की दृष्टि से ज्यादा पाया जाता है।

इस प्रकार 1991-2001 के दशक मे राजस्थान में साक्षरता की दर मे काफी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी यह राज्य साक्षरता की दृष्टि से पिछडा हुआ माना जाता है।

1 Some Facts About Rajasthan, 2003 (June 2003), Part II p 17 and provisional Population Totals, Paper 2 of 2001 for **Rural-Urban Distribution of** Population Rajasthan Ch 10.

इस प्रकार 1991-2001 के दशक में राजस्थान में साक्षरता की दर में काफी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी यह राज्य साक्षरता की दृष्टि से पिछडा हुआ माना जाता है। राज्य मे महिलाओ मे साक्षरता की दर नीची है। 2001 में ग्रामीण स्त्रियों में साक्षरता की दर केवल 37 7% थी जो बहुत नीची थी। बासवाडा जिले में ग्रामीण महिलाओं मे साक्षरता की दर 23.8% (न्यूनतम) रही, जबकि झुन्झुनूँ जिले मे यह 59 8% (अधिकतम) रही। वैसे **तहसीलवार लेने पर कोटरा तहसील (उदयपुर) में यह 11.1% तथा उदयपुर तहसील (झुन्झुनँ) मे यह लगभग 68% रही।**

2001 में कुछ जिलों में साक्षरता-दर निम्न तालिका में दर्शायी गयी है (दशमलव के एक स्थान तक)—

जिले	सात वर्ष व अधिक आयु-वर्ग में साक्षरता-दर (% में) (व्यक्ति) (Persons) (पुरुष व स्त्रियों दोनों को शामिल करके)
कोटा	74 5 (अधिकतम)
झुंझुनूं	73 6
सीकर	71 2
जयपुर	70 6
चूरु	67 0
हनुमानगढ	65 7
अजमेर	65 1
गंगानगर	64 8
करौली	64 6
बांसवाड़ा	44 2 (न्यूनतम)

इस प्रकार 2001 में साक्षरता की दर कोटा जिले में सर्वोच्च 74 5% रही, वहीं यह बांसवाड़ा जिले में न्यूनतम 44 2% रही। राज्य में साक्षरता का प्रचार बढ़ाकर इसकी दर बढ़ाई जानी चाहिए।

2001 में राजस्थान में साक्षरता की दर 61% रही, जब भारत के लिए यह 65 4% रही।

राजस्थान में नीची साक्षरता-दरों के लिए उत्तरदायी कारण

(1) नवम्बर 1956 में राजस्थान के पुनर्गठन के समय विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता की दरें बहुत नीची थीं। उस समय की सामन्ती रियासतों में लोगों की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था।

(2) राज्य में विभिन्न सरकारों ने भी प्रारम्भिक वर्षों में साक्षरता-अभियान उतनी तत्परता से नहीं चलाए जितने हाल के वर्षों में चलाए हैं। वर्तमान में सम्पूर्ण साक्षरता-अभियान पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में साक्षरता-कार्यक्रम तीन चरणों में चलाया जा रहा है; प्रथम चरण में निरक्षरों का सर्वे किया जाता है, दूसरे चरण में उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम (post-literacy programme) के अन्तर्गत साक्षरता का स्तर सुदृढ़ किया जाता है और

तृतीय चरण में निरंतर शिक्षा (continuing education) (CE) के अन्तर्गत नव-साक्षरों को दैनिक जीवन के लायक ज्ञान प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में सभी 32 जिलों में उत्तर-साक्षरता अभियान चल रहा है। तेरह जिलों में यह अन्तिम चरण में है।[1]

(3) सामाजिक व आर्थिक कारणों से प्राथमिक स्कूलों से छात्र-छात्राओं के बीच में ही अपना अध्ययन छोड़कर चले जाने से भी शिक्षा की प्रगति में बाधा पहुँची है।

(4) प्राय: ग्रामों में व शहरों के निर्धन परिवारों में सामाजिक-आर्थिक कारणों से विशेषतया लड़कियों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। वे प्राय: घरेलू काम-काज में अपने माता-पिता का हाथ बँटाती हैं और परिवारों को अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाती हैं। अधिकांश गरीब परिवार शिक्षा के व्यय का भार उठाने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं।

(5) बहुधा गाँवों में प्राथमिक स्कूलों की कमी पाई जाती है। गाँवों के आस-पास भी इनका अभाव देखा जाता है।

हाल के वर्षों में शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और सरकार भी शिक्षा के विस्तार के लिए कई कदम उठा रही है; जैसे प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए कुछ जनजाति व रेगिस्तानी जिलों में ड्रेस के लिए नकद-राशि का भुगतान तथा स्कूलों में जाने व पढ़ने के लिए नई प्रेरणाएँ, आदि। आशा है इन उपायों से शिक्षा व साक्षरता की दिशा में ठोस प्रगति हो पाएगी। इससे शादी की उम्र भी बढ़ेगी, मानवीय साधनों का विकास होगा, लोगों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और परिवार-नियोजन को भी अधिक सुदृढ़ आधार मिल पायेगा।

जिलेवार व शहरी जनसंख्या का वितरण[2]—राज्य में 1991 में शहरी जनसंख्या का अनुपात 22.9% था जो 2001 में बढ़कर 23.4% हो गया। अत: ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग 76 6 प्रतिशत है।

2001 में निम्न जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 90% से अधिक रहा—

जिले	(प्रतिशत में)
जालौर	92 41
डूँगरपुर	92 76
बाँसवाड़ा	92 85 (सर्वाधिक)
बाड़मेर	92 60

जिन जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 70% से नीचे पाया गया, वे अग्र प्रकार हैं—

1. Economic Review 2003-04, p 69
2. Some Facts About Rajasthan, 2003, Part II pp 30-31

(ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात)

जिले	(प्रतिशत में)
अजमेर	59 91
बीकानेर	64 48
जयपुर	50 62
जोधपुर	66 25
कोटा	46 58(न्यूनतम)

शेष जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 70% से 90% के बीच पाया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में बाड़मेर, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर व जालौर का स्थान आता है। इसके विपरीत अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर व कोटा जिलों में ग्रामीण जनसंख्या अपेक्षाकृत कम अनुपात में पाई जाती है।

2001 में बांसवाड़ा जिले में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 92.85% रहा, जो सर्वाधिक था तथा कोटा जिले में यह 46.58% रहा, जो न्यूनतम था।

राजस्थान में जनसंख्या-नियंत्रण की दिशा में सरकारी प्रयास—अन्य राज्यों की भाँति राजस्थान में भी परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में दम्पत्ति-सुरक्षा-दर (CPR) 1995 में 32.6% हो गई थी, जबकि भारत में यह दर 45 4% थी। छोटे परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण राज्य में सघन परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया गया है। 1997-98 में इसके लिए एक नई पद्धति को अपनाया गया जिसमें लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत नहीं समझी गई। वर्ष 2003-04 में 3 लाख नसबन्दी, 2 66 लाख लूप (I U D) के प्रयोग, 4 51 लाख गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण तथा 5 04 लाख 'निरोध' वितरण के कार्य सम्पन्न किए गए। इनसे दम्पत्ति-सुरक्षा-दर में काफी सुधार होने की आशा है।[1]

राज्य ने परिवार-नियोजन के प्रोत्साहन हेतु निम्न कार्यक्रम चलाये हैं—

(1) पंचायत चुनावों में सीमित परिवार के लिए कानूनी प्रावधान—राज्य सरकार ने 15 जून, 1992 को एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचायत चुनाव में परिवार को सीमित रखने का कानूनी प्रावधान करने का फैसला किया था। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार दो बच्चों के बाद निर्वाचन के एक साल आगे की अवधि में तीसरा बच्चा होने पर चुना हुआ पंच या सरपंच स्वत: ही चुनाव की दृष्टि से अयोग्य हो जाता है। चुनाव के समय उम्मीदवार के चाहे जितने बच्चे हों, मगर यदि निर्वाचन के एक वर्ष के अन्तराल के बाद कोई बच्चा होता है तो दो से अधिक बच्चे होने पर उसका निर्वाचन निरस्त घोषित हो जाता है। यदि निर्वाचन तक उम्मीदवार के एक भी बच्चा नहीं है तो उसे दो सन्तान तक की छूट होगी। यह एक अच्छी शुरुआत है जिससे आगे चलकर परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसको अधिक तत्परता व अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

1. Economic Review 2003-04, (GOR), p 76

(2) लड़कियों के लिए राज-लक्ष्मी-बॉण्ड की स्कीम—दो बच्चों तक के छोटे परिवार को प्रोत्साहन देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने 1992-93 के बजट-भाषण में राज-लक्ष्मी-बॉण्ड योजना का प्रस्ताव रखा था। इसके अनुसार जिस परिवार में माता या पिता की आयु 35 वर्ष से कम होती है एवं एक या दो बच्चों के बाद माता या पिता किसी ने भी परिवार कल्याण (नसबन्दी) का आपरेशन करवाया है, तो सरकार की ओर से परिवार की एक लड़की अथवा दो लड़कियों तक के लिए एक-एक हजार रुपये का 'फिक्स्ड डिपोजिट' का खाता खुलवाया जाएगा। यह डिपोजिट परिवार नियोजन बॉण्ड कहलाएगा। यह राशि इन लड़कियों के खातों में उनकी 20 वर्ष की आयु तक जमा रहेगी, जिसके बाद वे स्वयं के लिए इसका उपयोग कर सकेंगी। 20 वर्ष में पुत्री को 21 हजार रु (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की पुत्री को 31 हजार 500 रु) मिलेंगे। ऐसी योजना को जारी रखा जाना चाहिए। यह योजना बाल-विवाह, अशिक्षा, दहेज प्रथा तथा भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक अपराधों पर नियंत्रण करने में भी सहायक सिद्ध होती है। **1992-93 से लेकर अब तक इस स्कीम से मार्च 1998 तक 61472 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। जून 1996 से इस स्कीम को अधिक सरल कर दिया गया जिसके अनुसार पति-पत्नी की आयु-सीमा का बंधन हटा दिया गया। सभी के लिए बांड की राशि 1500 रु. निर्धारित की गई है। इस प्रकार इस स्कीम में बालिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वारा पुंजी-निवेश किया जाता है।**

(3) परिवार-नियोजन की नयी विकल्प योजना—1997-98 में राजस्थान में जनसंख्या-नियंत्रण व परिवार-कल्याण के लिए एक नई "विकल्प" (Vikalp) योजना चालू करने का निर्णय लिया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(1) इसमें ऊपर से थोपे जाने वाले लक्ष्यों को समाप्त कर दिया गया तथा उनके स्थान पर जिला-परिवार-कल्याण-ब्यूरो अपने कर्मचारियों से विचार-विमर्श करके स्वयं वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है।

(2) नकद व वस्तुओं के रूप में दिए जाने वाले प्रलोभनों को समाप्त किया गया। निर्धारित रकम का उपयोग सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने, उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य-बीमा, मेडी-क्लेम, आदि सुविधाएँ प्रदान करने में किया जाता है।

(3) इसमें निजी अस्पताल, नर्सिंग होम तथा निजी चिकित्सकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

(4) यह प्रारम्भ में टोंक व दौसा जिलों में चलायी गई।

इस प्रकार राज्य सरकार ने परिवार नियोजन की दिशा में अधिक ठोस व व्यावहारिक कदम उठाए हैं जिनकी भारत सरकार व अन्य राज्य सरकारों द्वारा काफी सराहना की गई है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में जन्म-दर वर्तमान स्तर की तुलना में कम की जाए, तभी राज्य की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना सम्भव हो पाएगा।

राजस्थान के लिए नई जनसंख्या नीति की घोषणा

सरकार ने **20 जनवरी 2000** को राज्य के लिए नई जनसंख्या-नीति की घोषणा की। **आंध्र प्रदेश और मध्यप्रदेश के बाद** जनसंख्या-नीति की घोषणा करने वाला

राजस्थान तीसरा राज्य है। राज्य की जनसंख्या नीति के चार मुख्य बिन्दु हैं, जो इस प्रकार हैं—

(i) प्रजनन व बाल स्वास्थ्य को आधार मान कर सेवाएँ प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण करके पैकेज तैयार करना;

(ii) सेवा-प्रणाली के प्रबंधन में गुणात्मक सुधार करना;

(iii) छोटे परिवार की अवधारणा के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना तथा

(iv) सेवाएँ प्रदान करने तथा सामाजिक चेतना जागृत करने में पंजायती राज संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, निजी, सहकारी व अन्य संस्थाओं को भागीदार बनाना।

नई जनसंख्या-नीति को लागू करने के संबंध में सरकार निम्न बातों पर जोर देगी—

(1) छोटे परिवार का माहौल तैयार करने के लिए महिला-साक्षरता बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए वांछित कानून बनाया जाएगा, बालिकाओं के लिए स्कूलों की स्थापना की जाएगी तथा महिला-शिक्षा-पाठ्यक्रम में महिला स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का समावेश किया जाएगा।

(2) प्रथम प्रसव में विलम्ब, दो प्रसवों के बीच अंतराल, प्रजनन-व्यवहार में पुरुषों के उत्तरदायी योगदान तथा सुखी व सीमित परिवार की अवधारणाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। बालक-बालिकाओं को मानव-प्रजनन, जीव-विज्ञान, आरोग्य पद्धतियों और उत्तरदायी यौन व्यवहार व परिवार नियोजन साधनों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा-पाठयक्रमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

(3) जनसंख्या की नई रणनीति का केन्द्र बिन्दु परिवार होगा। राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए विवाह का कानूनी-पंजीकरण, सरकारी सुविधाओं व सेवाओं के लिए विवाह की स्वीकृत न्यूनतम आयु को अनिवार्य तथा वर्तमान कानून को अधिक दण्डात्मक बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण (women-empowerment) के लिए विशेष योजनाएँ तैयार की जाएँगी।

(4) नई नीति में वित्तीय प्रोत्साहन योजना समाप्त कर दी गई है। दो बच्चों के बाद भी नसबंदी नहीं कराने वालों को हतोत्साहित किया जाएगा। दो से अधिक बच्चे होने पर अयोग्यता के प्रावधान सहकारी संस्थाओं तथा राज्य कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में शामिल करने की बात कही गयी है।

(5) सुरक्षित-प्रसव-सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए सन् 2001 तक प्रत्येक गाँव में प्रशिक्षित दाई की सुविधा मुहैया की जाएगी। प्रशिक्षित दाई की सुविधा प्रदान करने के लिए दाई-कर्म-प्रशिक्षण-कोर्स चालू किया जाएगा तथा आयुर्वेद-चिकित्सालयों में प्रसव-सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

आशा है इस नई स्पष्ट, व्यावहारिक व प्रावैगिक नीति के क्रियान्वयन से राज्य में जन्म-दर अवश्य घटेगी। नई जनसंख्या-नीति घोषित करने की दिशा में सरकार की पहल सराहनीय कही जा सकती है।

राज्य सरकार ने जनसंख्या-नियन्त्रण व परिवार-नियोजन को बढ़ावा देने के लिए 20 जून, 2001 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार राज्य में एक जून 2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तथा ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति पर भी पाँच वर्ष तक विचार नहीं होगा। पहले एक बच्चा हो, और यदि बाद में एक से अधिक बच्चे होते हैं तो दूसरी बार के जन्मे बच्चों को एक इकाई ही समझी जायेगी। यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आशा है इससे परिवार-नियोजन को अवश्य प्रोत्साहन मिलेगा।

श्रम-शक्ति का व्यावसायिक ढाँचा

राज्य में 1991 में कुल श्रमशक्ति जनसंख्या का 39% थी, जो 2001 में 42.1% हो गई।[1] इसमें मुख्य श्रमिक व सीमान्त श्रमिक दोनों को शामिल कर लिया गया है। इसे काम में भाग लेने की दर (work participation rate) भी कहते हैं। 2001 में भारत में काम में भाग लेने की दर 39.3% रही। इस प्रकार 2001 में काम में भाग लेने की दर राजस्थान में भारत से लगभग 3% बिन्दु अधिक थी।

मुख्य श्रमिकों (main workers) के औद्योगिक श्रेणी-विभाजन के अनुसार 1991 में 68.8% श्रमिक कृषक व खेतिहर मजदूर थे तथा 2001 में यह अंश (मुख्य व सीमान्त श्रमिकों को मिलाकर) 66% ही रहा जो पहले से मामूली कम माना जा सकता है। लेकिन खेतिहर मजदूरों का अनुपात कुल श्रमिकों में पहले की तुलना में बढ़ रहा है। 2001 में राजस्थान में गैर-कृषिगत क्रियाओं में 34% श्रमिक कार्यरत थे।

निम्न तालिका में भारत व कुछ राज्यों में 2001 में कुल श्रमिकों का कृषिगत व गैर-कृषिगत क्षेत्र में वितरण दर्शाया गया है[2]—

(मुख्य + सीमान्त श्रमिकों में अनुपात)

		कृषिगत क्षेत्र में श्रमिकों का (कृषक व खेतिहर मजदूर) प्रतिशत	गैर-कृषिगत क्षेत्र में प्रतिशत
1	भारत	58 4	41 6
2	राजस्थान	66 0	34 0
3	बिहार	77 4	22 6
4	मध्य प्रदेश	71 6	28 4
5	महाराष्ट्र	55 4	44 6

तालिका से स्पष्ट होता है कि 2001 में राजस्थान में लगभग 2/3 श्रमिक खेती में संलग्न थे (कृषकों व खेतिहर मजदूरों के रूप में) और शेष 1/3 गैर-कृषिगत

---

1 1991 में मुख्य श्रमिकों का अनुपात 32% तथा सीमान्त श्रमिकों का 7% रहा। मुख्य श्रमिक सम्बद्ध आर्थिक क्रिया में छः महीने व अधिक के लिए भाग लेते हैं, और सीमान्त श्रमिक उसमें छः महीने से कम अवधि के लिए भाग लेते हैं।

2. Provisional Population Totals, Paper-3 of 2001, (Distribution of Workers and Non-workers), pp 39–40

क्रियाओं में संलग्न थे। लेकिन बिहार में कृषिगत क्षेत्र में कुल श्रमिकों का 77.4% लगा हुआ था जबकि महाराष्ट्र में यह अनुपात 55 4% ही था। इस प्रकार श्रमिकों के वितरण में राज्य स्तर पर भारी असमानता पाई जाती है।

1991 में मुख्य श्रमिकों में, कृषक, खेतिहर मजदूर व पारिवारिक उद्योगों में संलग्न श्रमिकों के अलावा शेष 29.2% श्रमिकों का विभिन्न उप-श्रेणियों में अनुपात अग्र प्रकार रहा था।[1]

(प्रतिशत में)

1	*पशु पालन, मछली, शिकार, बागान व कृषि की सहायक क्रियाएँ*	1 8
2	खनन व पत्थर निकालना	1 0
3	पारिवारिक उद्योगों के अलावा अन्य उद्योग	5 5
4	निर्माण (Construction)	2 4
5	व्यापार व वाणिज्य	6 4
6	परिवहन, संचार, संग्रह	2 4
7	अन्य सेवाएँ	9 7
	शेष क्रियाओं का कुल योग	29 2

1991 में राजस्थान में श्रम-शक्ति के व्यावसायिक वितरण में पहले की तुलना में परिवर्तन आया है। इससे राज्य में कृषि व पारिवारिक उद्योगों के अलावा अन्य क्रियाओं की प्रगति झलकती है। आशा है, आगामी वर्षों में राज्य के औद्योगिक विकास से यह प्रवृत्ति और जोर पकड़ेगी, जिससे श्रम-शक्ति का व्यावसायिक वितरण अधिक संतुलित हो सकेगा। इसके लिए राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का जाल बिछाना होगा।

राजस्थान में कृषि-आधारित उद्योगों, खनिज-आधारित उद्योगों तथा पशु-आधारित उद्योगों के विकास की काफी संभावनाएँ हैं। **रत्न व आभूषण, हथकरघा, दस्तकारी, गलीचों व विभिन्न प्रकार के ग्रामीण उद्योगों में श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है।** कुछ कर्मचारियों को पर्यटन-विकास, शिक्षा व चिकित्सा के विकास कार्यों में लगाना भी सम्भव हो सकता है।

मानवीय साधनों से सम्बन्धित उपर्युक्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि राजस्थान में एक तरफ *जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित किया जाना* चाहिए और दूसरी तरफ तीव्र गति से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। राज्य में जनसंख्या-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक आर्थिक व सामाजिक उपाय करने होंगे। राजस्थान में कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की गति को तेज करके लोगों की आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार लाया जा सकता है। आगे चलकर सम्बन्धित अध्यायों में इन पहलुओं पर अधिक प्रकाश डाला जाएगा।

---

1 *Some Facts About Rajasthan, 2003*, pp 47-49 से जोड़कर प्रतिशत निकाले गए हैं।

राज्य में मानवीय साधनों का विकास
(Human Resource Development in the State)

मानवीय साधनों का सदुपयोग व विकास करना योजना का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इसके लिए सरकार को साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई व पोषण (विशेषतया स्त्रियों व बच्चों के पोषण) आदि पर समुचित ध्यान देना होता है। इससे शिशु मृत्यु-दर (infant mortality rate) (एक वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु-दर) व सामान्य जन्म-दर में कमी आती है, उचित पोषण से श्रम की कार्यकुशलता बढ़ती है और जीने की प्रत्याशा (expectation of life), अथवा जीने की औसत आयु, में वृद्धि होती है और लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा होता है।

भारत में केरल व पंजाब में जन्म-दरों व मृत्यु-दरों में कमी की दिशा में प्रगति हुई है। केरल में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी व प्रति-व्यक्ति नीची आय के बावजूद जनसंख्या की वृद्धि-दर न्यूनतम रही है, तथा शिशु मृत्यु-दर भी बहुत कम हो गई है। वहाँ शिक्षा का स्तर-विशेषतया महिलाओं की शिक्षा का स्तर-बहुत ऊँचा है और स्वास्थ्य व सफाई के स्तर भी बहुत ऊँचे हैं। पंजाब में ऊँची आमदनी के फलस्वरूप शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर सुधरे हैं।

राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी के नीचा होने व सामाजिक पिछड़ेपन के कारण मानवीय साधनों का विकास अपर्याप्त रूप से हो पाया है। यहाँ महिलाओं में साक्षरता का नितान्त अभाव पाया जाता है-विशेषतया ग्रामीण महिला-वर्ग में, तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग में (पुरुषों व स्त्रियों दोनों में)। स्त्रियों के लिए प्रसव से पूर्व व बाद की देखरेख का अभाव पाया जाता है। गर्भवती स्त्रियों व प्रसव के बाद की अवधि में स्त्रियों के लिए पोषण का अभाव पाया जाता है। बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं। कई प्रकार की बीमारियों से गर्भवती महिलाओं व बच्चे के जन्म के बाद स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। अधिकांश परिवार केलोरी व प्रोटीन की अपर्याप्तता के शिकार पाये जाते हैं। नीचे साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण आदि सूचकों के आधार पर राजस्थान की स्थिति का विवेचन किया गया है—

(1) साक्षरता—जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान में साक्षरता का स्तर बहुत नीचा है। 2001 में राज्य में साक्षरता की दर 61 0% रही, जो पुरुष-वर्ग में 76 5% तथा महिला-वर्ग में 44 3% रही। 1991 में साक्षरता की दर केवल 38 6% रही थी, जो पुरुषों में 55% तथा महिलाओं में मात्र 20 4% रही थी। इस गणना में सात वर्ष व अधिक आयु के साक्षर व्यक्ति शामिल हैं। राज्य में ग्रामीण महिला-वर्ग में साक्षरता की दर बहुत नीची पाई जाती है। 1991 में राज्य में अनुसूचित जाति के पुरुषों में साक्षरता की दर 42 4% व स्त्रियों में 8 3% रही एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में यह 33 3% तथा स्त्रियों में 4 4% रही। इस प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में निरक्षरता व्यापक रूप से फैली हुई है। इनमें भी जिलों के अनुसार काफी अन्तर पाये जाते हैं।

राजस्थान में 2001-02 में कक्षा I-IV तथा V से VIII के समूहों में कुल-नामांकन-अनुपात (Enrolment Ratio) में लड़कियों का अनुपात क्रमश: 83.2% व 47.5% रहा, जो राष्ट्रीय औसत, क्रमश: 86.9% व 52.1% से काफी नीचे था ।

1992-93 मे 6-14 वर्ष के आयु–समूह में स्कूल छोडने वाले बच्चों का अनुपात निम्न तालिका में दर्शाया गया है[1]–

	% में					
	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	स्त्रियाँ	कुल	पुरुष	स्त्रियाँ	कुल
राजस्थान	56	110	74	08	34	19

तालिका से स्पष्ट होता है कि स्कूल छोडने वालों मे सर्वोच्च अनुपात ग्रामीण स्त्री–वर्ग का था, जो 11% था और सबसे कम शहरी पुरुष--वर्ग में था, जो केवल 0 8% ही था।

नामाकन व स्कूल छोडने की क्रियाओं पर कई सामाजिक–आर्थिक कारकों का प्रभाव पडता है। इन पर परिवारो की गरीबी का सबसे ज्यादा प्रभाव पडता है। बच्चे परिवार की कम आमदनी में कुछ सहायता पहुँचाने का प्रयास करते हैं, काफी बच्चे अपने से छोटे बच्चो की देखभाल के लिए घर पर रोक लिए जाते हैं और कई बार बच्चो व उनके माता–पिताओ की शिक्षा मे रुचि भी कम पाई जाती है।

(2) (अ) स्वास्थ्य की दशा (Health Status)– साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव परिवार–नियोजन पर पडना स्वाभाविक है। केरल मे साक्षरता का स्तर (अब लगभग शत–प्रतिशत) बहुत ऊँचा होने से वहाँ जन्म–दर नीची है तथा जनसंख्या की वृद्धि–दर भी काफी कम है। वर्ष 2000 के **सेम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार** केरल में शिशु मृत्यु–दर (IMR) (प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर) (per 1000 live births) 14 थी, जबकि राजस्थान में यह 79 थी। कुछ राज्यों में 2000 मे शिशु मृत्यु–दर की स्थिति निम्न प्रकार रही–

2000 में शिशु मृत्यु-दर (IMR)[2]

	(प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर)
मध्य प्रदेश	87
बिहार	62
गुजरात	62
उडीसा	96
उत्तर प्रदेश	83
राजस्थान	79
अखिल भारत	68

1 Chakrabarty and Pal, **Human Development Profile of the Indian States**, 1995, p 50

2 Economic Survey 2003-2004 (G O I), p S-110

इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए महिला-वर्ग में साक्षरता का प्रसार करना बहुत आवश्यक है। इससे परिवार नियोजन को भी बल मिलता है। शिशु मृत्यु-दर घटने से छोटे परिवार के प्रति रुझान बढ़ता है। शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण व सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी होता है।

(आ) स्वास्थ्य की सुविधाएँ—चिकित्सा, स्वास्थ्य व सफाई की सुविधाएँ (Health Facilities)—राजस्थान में चिकित्सा-संस्थाओं का बहुत अभाव है। 1996-97 में राजस्थान में उपलब्ध स्वास्थ्य की सुविधाओं की तुलना कुछ राज्यों से निम्न तालिका में की गई है।[1]

राज्य	प्रति अस्पताल के पीछे जनसंख्या	प्रति डिस्पेन्सरी जनसंख्या	प्रति बिस्तर (per bed) जनसंख्या
राजस्थान	220091	173381	1313
पंजाब	103846	14694	863 (1995 96)
महाराष्ट्र	116712	60578	689

तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रति अस्पताल व प्रति डिस्पेन्सरी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पंजाब व महाराष्ट्र से काफी पिछड़ी हुई थी। प्रति बिस्तर जनसंख्या भी राजस्थान में इन दोनों राज्यों से अधिक थी। इस प्रकार राजस्थान स्वास्थ्य की सुविधाओं में इन राज्यों से पीछे रहा है।

अत: राज्य में चिकित्सा की सुविधाओं का नितान्त अभाव पाया जाता है। दूर-दराज के गाँवों में चिकित्सा की सुविधाओं का भारी अभाव पाया जाता है। **1987 में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 88.7% बच्चों के जन्म के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति ने देखरेख नहीं की थी।** 1987 में 0-4 वर्ष के बच्चों में मृत्यु का अनुपात कुल मृत्युओं में (death ratio in total deaths) 51.1% पाया गया था।

(3) पोषण (Nutrition)- भारत मे करोडो बच्चे अपर्याप्त खुराक पर जीते हैं। **1998-99 में राजस्थान में 51% बच्चे कुपोषण के शिकार थे, जबकि भारत में इनका अनुपात 47% था।** राजस्थान मे भी निर्धनता, कम आमदनी, महँगाई, सामाजिक पिछडेपन परिवार नियोजन, आदि के अभाव के कारण पोषण का नितान्त अभाव पाया जाता है। गर्भवती महिलाओ व प्रसव के बाद की अवधि मे महिलाओ मे पोषण मे काफी कमी पाई जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक विकास नहीं कर पाते।

कुछ राज्यों के लिए बाल-कुपोषण (Child-Malnutrition) की स्थिति का परिवर्तन 1992-93 से 1998-99 के लिए अग्र तालिका मे दर्शाया गया है।

1. Report on Currency And Finance 1996-97 Vol I. pXI-22

राज्य	1992-93	1998-99	% बिन्दुओं का अंतर
बिहार	63	54	–9
मध्य प्रदेश	57	55	–2
उडीसा	57	55	–2
राजस्थान	42	51	9 (बड़े राज्यो मे सबसे कमजोर स्थिति)
उत्तर प्रदेश	59	52	–7
भारत	53	47	–6

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1992-93 से 1998-99 की अवधि मे बिहार, मध्य प्रदेश उडीसा व उत्तर प्रदेश तथा समस्त भारत मे बाल–कुपोषण की स्थिति मे थोडा सुधार नजर आया है, लेकिन राजस्थान की स्थिति मे गिरावट परिलक्षित हुई है क्योंकि 1992-93 मे 42% बालक कुपोषण के शिकार थे जबकि 1998-99 मे इनका घटने की बजाय बढकर 51% हो गया जो एक चिता का विषय है।[1]

राजस्थान में मानवीय साधनों के विकास की दिशा में उठाए गए कदम–

(1) राज्य में लोगों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आमदनी को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए नवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की वास्तविक राशि लगभग 19 5 हजार करोड़ रु. थी, जिसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में 31.8 हजार करोड़ रु. तक बढ़ाया जा रहा है, ताकि विकास की गति और तेज की जा सके।

(2) 1994-95 के राज्य का बजट शिक्षा को, 1995-96 का बजट चिकित्सा व स्वास्थ्य को, 1996-97 का बजट पेयजल को तथा 1997-98 का बजट गरीब व कमजोर वर्ग को समर्पित किया गया था। 1999-2000 का बजट नई सरकार द्वारा किसी विभाग या सेवा विशेष को समर्पित नहीं करके राज्य की जनता को ही समर्पित किया गया था। 2000-2001 का बजट राजकोषीय स्थिति को सुदृढ करने तथा वित्तीय अनुशासन को प्राप्त करने के लिए समर्पित किया गया। पूर्व वर्षों में विभिन्न क्षेत्रो मे व्यय की राशियॉं बढाई गई है। पिछले वर्षो मे राज्य मे मानवीय साधनो के विकास पर ध्यान दिया गया है, जिसे भविष्य मे और तेज करने की आवश्यकता है।

(3) राज्य में साक्षरता-अभियान पर विशेष बल—जैसा कि पहले कहा जा चुका है राज्य मे सभी जिलों मे साक्षरता-अभियान-कार्यक्रम लागू किया गया है । वर्तमान में 30 जिलों में उत्तर-साक्षरता (post-literacy) कार्यक्रम चल रहा है । राज्य के कुछ जिलों में अनौपचारिक शिक्षा की 'गुरु-मित्र' योजना 'यूनीसेफ' की वित्तीय सहायता से चलाई गयी है । सीडा की मदद से लोक-जुम्बिश योजना चलाई गयी थी । शिक्षित महिला को देखरेख मे 'सरस्वती' स्कीम चलाई जा रही है । जनजाति व मरुक्षेत्रो में शिक्षा के विस्तार के लिए कई प्रकार की प्रेरणाएँ दी गयी हैं । स्वैच्छिक संस्थाएँ व गैर-सरकारी एजेन्सियाँ इस कार्य में विशेष योगदान दे सकती है । मानवीय साधनों के विकास के लिए लोगो की आमदनी बढाना तथा शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, पेयजल, आदि की सुविधाएँ बढ़ाना बहुत आवश्यक है । नयी सरकार को इस दिशा में अपने प्रयास तेज करने चाहिए ।

1 National Family Health Survey (NFHS) I & 2 1992-93 & 1998-99

सारांश– जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राजस्थान मे 1991-2001की अवधि मे जनसख्या मे 28 3%की वृद्धि हुई, जो 1971-81 की 33%की वृद्धि की तुलना मे तो कम थी फिर भी यह भारतीय औसत से ऊँची थी। इसलिए 2000 के दशक व बाद में राज्य मे जन्म-दर कम करने पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए महिला- वर्ग मे साक्षरता का अनुपात बढाना होगा। राजस्थान मे लडकियो की शादी की औसत आयु 1994 मे 18 4 वर्ष थी जिसमे वृद्धि करनी होगी तथा परिवार-नियोजन के विभिन्न उपाय अपनाने वाले दम्पतियो का अनुपात (जो 1995 मे 32 6%आका गया है) बढाना होगा। इन सबका प्रभाव जन्म-दर को घटाने के रूप मे प्रगट होगा। राज्य में यह प्रयास युद्ध स्तर पर चलाना होगा। इसके लिए जहाँ प्रति व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य व पोषण पर व्यय बढाना होगा, वहाँ साथ मे गरीब-वर्ग के लोगो तक सामाजिक सेवाओ को पहुँचाना होगा, अन्यथा अधिकाश व्यय प्रशासनिक व्यवस्था पर हो जाएगा। यदि हम महिला-साक्षरता, शिक्षा तथा जन्म-दर के सम्बन्ध को, एवं जन्म-दर व शिशु मृत्यु-दर के सम्बन्ध को तथा माता व बच्चों के पर्याप्त पोषण, जन्म-दर तथा शिशु-मृत्यु-दर में परस्पर सम्बन्ध को ठीक से समझ लें तो आम जनता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

राज्य में कुल प्रजनन-दर (Total Fertility Rate) को कम करने की नितान्त आवश्यकता है। TFR बच्चों की उस संख्या को सूचित करती है जिन्हें एक स्त्री जन्म देगी; बशर्ते की वह अपने प्रसव-काल के वर्षों के अंत तक जीवित रहती है, और वर्तमान आयु-विशिष्ट प्रजनन-दरों (age-specific fertility rates) के अनुसार बच्चे पैदा करती है। दूसरे शब्दों में यह एक महिला के जीवन में औसत जन्मों की संख्या (average births) को सूचित करती है।

1994 में राजस्थान में कुल प्रजनन-दर (TFR) 4.5, उत्तर प्रदेश में 5.1, केरल में 1.7 तथा समस्त भारत में 3.5 थी। आजकल जनसंख्या-विशेषज्ञ यह मानते हैं कि जनसंख्या-स्थिरीकरण के लक्ष्य (population-stabilisation-goal) की तरफ बढ़ने के लिए कुल प्रजनन-दर (TFR) 2.1 होनी चाहिए, जो केरल में 1988 में व तमिलनाडु में 1993 में प्राप्त कर ली गयी है, लेकिन राजस्थान में इसे 4.5 से घटाकर 2.1 पर लाने में कई वर्ष लगेंगे। अत: इसके लिए विशेष प्रयास करने होंगे और केरल व तमिलनाडु के अनुभवों से लाभ उठाना होगा।

राजस्थान में जन्म-दर को वर्ष 1999 में 31.1 प्रति हजार के स्तर से घटाकर भविष्य में 22 प्रति हजार पर लाने की नितान्त आवश्यकता है। 1999 में कर्नाटक, आन्ध्र-प्रदेश, पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र में जन्म-दर का स्तर लगभग 22 प्रति हजार पर आ गया था। इसलिए प्रयत्न करने पर यह स्तर राजस्थान में भी लाया जा सकता है। राजस्थान को इन राज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। केरल में तो जन्म-दर 1999 में 18 0 प्रति हजार रही थी। पिछले वर्षों के अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिशु मृत्यु-दर कम करने,

साक्षरता का अनुपात बढ़ाने (विशेषतया महिला-वर्ग में) तथा शादी की आयु बढ़ाने से जन्म-दर में निश्चित रूप से गिरावट आती है। अतः हमें एक तरफ सघन अभियान चलाकर परिवार-नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियों का अनुपात बढ़ाना चाहिए और दूसरी तरफ साक्षरता बढ़ाकर, शिशु मृत्यु-दर घटाकर तथा शादी की औसत आयु में वृद्धि करके और महिलाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य व कल्याण पर विशेष बल देकर जनसंख्या की वृद्धि-दर घटानी चाहिए। भावी पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

परिशिष्ट–I

2001 में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों व नगरों की संख्या इस प्रकार थी[1]—

क्र. सं.	शहर	(लाखों में)	1991-2001 में % वृद्धि
1	जयपुर	23 24	59 4
2	जोधपुर UA*	8 56	28 5
3	कोटा UA	7 05	31 1
4	बीकानेर	5 29	27 1
5	अजमेर UA	4 90	21 7
6	उदयपुर	3 89	26.2
7	भीलवाडा	2 80	52.3
8	अलवर UA	2 66	26 5
9	गंगानगर UA	2 23	38 0
10	भरतपुर UA	2 05	30 7
11	पाली	1 88	37 1
12	सीकर UA	1 86	25 1
13	टोंक	1 36	35 3
14	हनुमानगढ़	1 30	56 7
15	ब्यावर UA	1.26	18 0
16	किशनगढ	1 16	41 7
17	गंगापुर सिटी UA	1 05	52 9
18	सवाई माधोपुर UA	1 02	31 3
19	चूरू UA	1 02	22 9
20	झुन्झुनूँ	1 00	39 2

1. Some Facts About Rajasthan, 2003, Part II, pp 8-11.

* Urban Agglomeration. (शहरी सकुल)

जिला	जनसंख्या (हजार में)		1991–2001 में दसवर्षीय वृद्धि-दर (% में)	लिंग-अनुपात (Sex-Ratio) (प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या)	घनत्व (Density) (प्रति वर्ग किलोमीटर)	साक्षरता की दरें (प्रतिशत में) (7 वर्ष व अधिक के आयु-समूह में)			
	1991	2001				(व्यक्तियों में)	(पुरुषों में)	(स्त्रियों में)	
राजस्थान	44,006	56473	28.33	922	165	61.0	76.5	44.3	
श्रीगंगानगर	1403	1788	27.5	873	224	64.8	75.5	52.7	
हनुमानगढ़	1220	1517	24.3	895	120	65.7	77.4	52.7	
बीकानेर	1211	1674	38.2	889	61	57.5	70.8	42.6	
चूरू	1543	1923	24.6	948	114	67.0	79.5	53.9	
झुंझुनूं	1582	1913	20.9	946	323	73.6	86.6	60.1	
अलवर	2297	2991	30.2	887	357	62.5	78.9	44.0	
भरतपुर	1652	2098	27.0	857	414	64.2	81.4	44.1	
धौलपुर	750	983	31.1	828	324	60.8	75.9	42.4	
करौली	928	1206	30.0	858	218	64.6	80.9	45.4	
सवाईमाधोपुर	876	1116	27.4	889	248	57.3	76.8	35.4	
दौसा	994	1317	32.4	899	384	62.8	80.4	43.2	
जयपुर	3888	5252(H)	35.1	897	471 (H)	70.6	83.6	56.2	
सीकर	1843	2287	24.1	951	296	71.2	85.2	56.7	
नागौर	2145	2774	29.3	951	157	58.3	75.3	40.5	

जोधपुर	2154	2881	33.8	908	126	57.4	73.9	39.2	
जैसलमेर	345	508(L)	47.5(H)*	821(L)	13 (L)	51.4	66.9	32.3	
बाड़मेर	1435	1964	36.8	896	69	59.7	73.6	43.9	
जालौर	1143	1448	26.8	968	136	46.5	65.1	27.5(L)	जालौर
सिरोही	654	851	30.1	944	166	54.4	70.6	37.4	
पाली	1486	1819	22.4	983	147	54.9	73.1	36.7	
अजमेर	1729	2181	26.1	932	257	65.1	80.0	49.1	
टोंक	975	1211	24.2	936	168	52.4	71.3	32.3	
बूँदी	770	961	24.8	908	173	55.8	72.2	37.8	
भीलवाड़ा	1593	2010	26.1	964	192	51.1	68.1	33.5	
राजसमंद	823	986	19.9(L)	1002 (स्त्रियों की संख्या अधिक)	256	55.8	74.1	37.9	
उदयपुर	2067	2632	27.4	972	196	59.3	74.5	43.7	
डूँगरपुर	875	1107	26.6	1027(H) (स्त्रियों की संख्या अधिक)	294	48.3	66.2	31.2	
बांसवाड़ा	1156	1500	29.8	978	298	44.2(L)	60.2(L)	27.9	बांसवाड़ा
चित्तौड़गढ़	1484	1803	21.5	966	166	54.4	71.8	36.5	
कोटा	1221	1569	28.5	895	288	74.5(H)	86.3(H)	61.3(H)	कोटा
बारां	810	1023	26.2	909	146	60.4	76.9	42.2	
झालावाड़	957	1180	23.3	928	190	58.0	74.3	40.4	

स्रोत : जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर, अप्रैल 2001. [H = Highest (अधिकतम); L = Lowest (न्यूनतम)]

* अधिक सुनिश्चित रूप में 47.45%, निम्न जिलों में जहाँ जनसंख्या की वृद्धि-दर 1991-2001 के दशक में 30% से अधिक रही है उनमें इसके नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए : जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, दौसा, सिरोही, अलवर व धौलपुर ।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है राज्य में राज लक्ष्मी योजना परिवार-नियोजन की दिशा में एक सराहनीय कदम माना गया है । बाद में "विकल्प" योजना के अन्तर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक नया रूप दिया गया। इसे 'चिकित्सा-स्वरूप' से 'सामाजिक-स्वरूप' में बदला गया । यह निजी क्षेत्र व जनता की भागीदारी से चलाया जाना था । यह कार्यक्रम सिर्फ गर्भ निरोधक-साधनों के प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके द्वारा एक खुशहाल व स्वस्थ परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया जाना था । 20 जनवरी 2000 से सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है जो अधिक व्यापक, अधिक स्पष्ट व अधिक व्यावहारिक प्रतीत होती है । इसे लागू करके जन्म-दर घटाई जानी चाहिए । राज्य मे 1991 में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 14 ही थे । 2001 में इस श्रेणी में ब्यावर, किशनगढ़, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, चूरू व झुन्झुनूँ और जुड़े हैं जिससे इनकी संख्या 20 हो गई है । 1991-2001 में सबसे कम वृद्धि ब्यावर शहर की जनसंख्या में हुई, जो केवल 18% रही है । 20 जून 2001 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कि है जिसके अनुसार राजस्थान में अब दो से अधिक संतान वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तथा इनकी 5 वर्ष तक पदोन्नति भी रुकेगी । इसके लिए 1 जून 2002 व इसके बाद की अवधि को आधार बनाया गया है । आशा है इससे परिवार-नियोजन को प्रेरणा मिलेगी ।

परिशिष्ट

वर्ष 1999 में राजस्थान में जिलेवार मानवीय विकास सूचकांक[1]

(District wise Human Development Index for Rajasthan in 1999)

हाल मे राजस्थान सरकार ने योजना आयोग यू.एन.डी.पी. तथा भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान के लिए जिलेवार मानवीय विकास सूचकाक प्रकाशित किए हैं, जिससे विभिन्न जिलो के सम्बन्ध मे शिक्षा, स्वास्थ्य व आमदनी के तथ्यो के आधार पर वर्ष 1999 के लिए मानवीय विकास की स्थिति की जानकारी होती है। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

(1) मानवीय विकास का सर्वोच्च सूचकांक गगानगर जिले मे रहा है (0.656)। हनुमानगढ जिले मे यह 0.644, कोटा जिले मे 0.613 व जयपुर जिले में 0.607 रहा है। कम विकसित जिलो मे यह 0.5 या इससे कम रहा है, जैसे डूँगरपुर जिले मे यह 0.456, बाडमेर जिले में 0.461, बासवाडा जिले में 0.472 व जालोर जिले में 0.500 रहा है। मानवीय विकास की दिशा मे राजस्थान के समक्ष चुनौतियाँ व अवसर विद्यमान हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) शिक्षा के सूचकांक को लेने पर पता चलता है कि इस सम्बन्ध में कोटा जिला सर्वोच्च स्थान पर है (0.449), जबकि बाडमेर सबसे निचे है (0.208)।

(3) स्वास्थ्य के सूचकांक को लेने पर सबसे आगे गंगानगर व हनुमानगढ जिले आए हैं जहाँ सूचकांक 0.752 रहा है और सबसे नीचा सूचकांक चित्तौडगढ का 0.542 रहा है।

1. Rajasthan Human Development Report, 2002, Govt. of Rajasthan, p.154 released in April, 2002

(4) आमदनी का सूचकांक सर्वाधिक गगानगर जिले का 0.842 रहा है और सबसे नीचा डूँगरपुर जिले का 0.530 रहा है।

इन आर्थिक क्षेत्रों व ज़िलों के अनुसार मानवीय विकास के सम्बन्ध में जो परिणाम सामने आए हैं उनके आधार पर **हम भावी कार्य के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित कर सकते हैं; जैसे शिक्षा को बढावा देने के लिए हमें निम्न जिलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए:** जैसलमेर (0 261) जालोर (0 219), बासवाडा (0 231), बाडमेर (0 208) तथा डूँगरपुर (0 274), **स्वास्थ्य को बढावा देने के लिए निम्न जिलों पर ध्यान देना होगा:** पाली (0 563), चित्तौडगढ (0 542) धौलपुर (0 563), बासवाडा (0 548) व डूँगरपुर (0 563)। **आमदनी को बढाने की दृष्टि से निम्न जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए:** झुन्झुनूँ (0 627), सीकर (0 600), चूरू (0 614), बाडमेर (0 581), व डूँगरपुर (0 530)। इस प्रकार राजस्थान मे मानवीय विकास के लिए उचित नीतियाँ निर्धारित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान मे 1991-2001 के दशक मे जनसख्या की वृद्धि–दर कितनी रही?
   (अ) 28 33% (ब) 25 21% (स) 31 46% (द) 17 78% (अ)
2. जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही—
   (अ) जयपुर (ब) कोटा (स) जैसलमेर (द) सीकर (स)
3. 1991-2001 के दशक में राजस्थान राज्य में निम्न में से किस जिले में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि-दर रही ?
   (अ) जैसलमेर (ब) जयपुर (स) अजमेर (द) राजसमंद (द)
4. राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषो के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना रहा ?
   (अ) 935 (ब) 922 (स) 920 (द) 905 (ब)
5. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है?
   (अ) 44 3% (ब) 52 11% (स) 39 42% (द) 38 41 (अ)
6. वर्ष 2001 की जनगणना मे राजस्थान मे निम्न मे से किस जिले में महिलाओं में साक्षरता की दर सबसे अधिक रही ?
   (अ) बीकानेर (ब) जयपुर (स) जैसलमेर (द) कोटा (द)
7. राजस्थान में 2001 मे सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में रही ?(व्यक्तियो में)
   (अ) जयपुर (ब) बीकानेर (स) अजमेर (द) बाँसवाड़ा (द)
8. 2001 मे जिस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रही है, वह है:
   (अ) जयपुर (ब) झुँझुनूँ (स) सीकर (द) कोटा (द)
9. जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान मे किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम रहा:
   (अ) जैसलमेर (ब) झुँझुनूँ (स) उदयपुर (द) अजमेर (अ)

10. राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला जिला है—
    (अ) जयपुर (ब) कोटा (स) जोधपुर (द) टोंक (अ)

11. राज्य की नई जनसंख्या–नीति कब घोषित गई है?
    (अ) 30 जनवरी 1999 (ब) 20 जनवरी 1998
    (स) 20 जनवरी 2000 (द) 20 जनवरी 1997 (स)

12. राजस्थान में वर्तमान में जन्म–दर को 31 प्रति हजार से घटाकर निकट भविष्य मे 25 प्रति हजार पर लाने के लिए कौन–सा उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा?
    (अ) दम्पत्ति–सुरक्षा–दर (CPR) में वृद्धि (ब) शिशु मृत्यु–दर मे गिरावट
    (स) लडकियो की शादी की आयु मे वृद्धि
    (द) साक्षरता–अभियान (अ)

13. राजस्थान मे मानवीय विकास का कौन–सा सूचक सबसे ज्यादा कमजोर है?
    (अ) जन्म के समय जीने की प्रत्याशा (ब) पुरुष साक्षरता–दर
    (स) महिला साक्षरता–दर (द) शिशु मृत्यु–दर
    (ए) जन्म–दर (ऐ) मृत्यु–दर (स)

अन्य प्रश्न

1. 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के प्रमुख लक्षण बताइए ।
2. राजस्थान राज्य की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख कीजिए । इसकी तीव्र वृद्धि के कारण बताइए । **(Raj. Iyr 2004)**
3. राजस्थान मे जनसख्या के आकार एव वृद्धि का विवेचन कीजिए। वे कौन से तत्त्व (घटक) हैं जो मानव संसाधन के विकास मे सहयोगी रहे हैं?
4. राजस्थान की जनसख्या–वितरण का व्यवसाय, ग्रामीण–शहरी एव जिले के आधार पर उल्लेख करें। वे कौन से तत्व हैं जो मानव ससाधन के विकास मे सहयोगी रहे हैं?
5. राजस्थान मे साक्षरता की दर, शिशु–मृत्यु–दर व जन्म–दर का विवेचन करके इनमें परस्पर कडी स्थापित कीजिए।
6. राजस्थान मे श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण स्पष्ट कीजिए।
7. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–
   (i) राजस्थान मे कुल प्रजनन–दर (Total Fertility Rate) (TFR)
   (ii) मानवीय साधनो के विकास के प्रमुख सूचक व इनमे राजस्थान की स्थिति,
   (iii) राज्य मे शिशु मृत्यु–दर,
   (iv) राजस्थान मे जनसख्या–नियत्रण के लिए सुझाव।
8. राजस्थान राज्य मे मानव ससाधन विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? शिक्षा के क्षेत्र मे किए गए कार्यों के विशेष सन्दर्भ मे वर्णन कीजिए।
9. राजस्थान मे 1951 के पश्चात् साक्षरता के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा कीजिए।
10. राजस्थान राज्य की जनसख्या की प्रमुख विशेषताएँ बतलाइए।
11. निम्नाकित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–
    (अ) राजस्थान मे साक्षरता (ब) राजस्थान मे कार्यशील जनसख्या
12. राजस्थान मे जनसख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइये।
13. राजस्थान राज्य की जनसख्या के विभिन्न पहलुओ का उल्लेख कीजिए। इसकी तीव्र वृद्धि के कारण बताइए।

राजस्थान की भौतिक रचना–प्राकृतिक भाग, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति एवं वन

(Rajasthan's Physiography-Physical Divisions, Climate, Soils, Vegetation and Forests)

> *"राजस्थान की प्राकृतिक व जलवायु की दशाओं ने यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी व कृषिगत क्रियाओं को बहुत प्रभावित किया है।"*
>
> *—डॉ. वी सी. मिश्र, "राजस्थान का भूगोल", पृ.-5*

राजस्थान का निर्माण

वर्तमान राजस्थान राज्य एकीकरण की एक लम्बी प्रक्रिया के बाद बन पाया है। यह प्रक्रिया 17 मार्च, 1948 को प्रारम्भ होकर 1956 में समाप्त हुई थी। शुरू में 17 मार्च, 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली राज्यों एवं नीमराना की चीफशीफ को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था। 25 मार्च, 1948 को अन्य पड़ौसी राज्य जैसे—कोटा, बूँदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक इस संघ में मिल गये थे। इससे 'पूर्व-राजस्थान' का निर्माण कार्य सम्पन्न हो गया था। मत्स्य संघ के निर्माण के एक माह बाद उसमें उदयपुर शामिल हो गया। 30 मार्च, 1949 तक पहले के राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व जोधपुर भी शामिल हो गए थे। इस प्रकार **'वृहद् राजस्थान'** का निर्माण हुआ। छठी अवस्था में सिरोही राज्य का कुछ भाग इसमें मिला दिया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने पर अजमेर राज्य, पहले के बम्बई राज्य का आबू रोड तालुका एवं पहले के मध्य भारत का सुनेल थापा प्रदेश राजस्थान में मिल गए और कोटा जिले का सिरोंज उपखण्ड मध्य प्रदेश को दे दिया गया। **इस प्रकार राजस्थान अपने वर्तमान रूप में 19 देशी रियासतों व 3 सामन्ती राज्यों के एकीकरण से बना है।**

जैसा कि पहले बतलाया गया था वर्तमान में राजस्थान में कुल 32 जिले हो गए हैं तथा राजस्व-गाँवों की कुल संख्या 41,353 हो गई है । राज्य में विधानसभा की 200 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें व राज्यसभा की 10 सीटें हैं ।

राजस्थान राज्य हमारे देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित एक बहुत बड़ा राज्य है । इसका क्षेत्रफल 3 42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 4 प्रतिशत है । अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका प्रथम स्थान आता है । जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका नवाँ स्थान है । सन् 2001 में राजस्थान की जनसंख्या लगभग 5.65 करोड़ व्यक्ति है, जो देश की जनसंख्या का लगभग 5 5 प्रतिशत है । 2001 में राज्य में जनसंख्या का औसत घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है, जबकि भारत के लिए यह 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । अत: यह भारत के औसत घनत्व का लगभग आधा है ।

राजस्थान की भौतिक रचना

स्थिति (Location)—राजस्थान राज्य 23°3′ उत्तरी अक्षांश से 30°12′ उत्तरी अक्षांश तथा 69°30′ पूर्वी देशान्तर से 78°17′ पूर्वी देशान्तर के बीच में स्थित है । यह राज्य पूर्णत: उष्ण कटिबन्ध में आता है । भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित होने के कारण इस राज्य की जलवायु पूर्णत: उष्ण मरुस्थलीय है ।

इसकी आकृति एक पतंग के समान है । उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लम्बाई 748 किमी है और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 850 किमी. है । राज्य की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है । यह सीमा 1070 किमी. लम्बी है । **इस सीमा से राजस्थान के चार जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जुड़े हैं।** राज्य की अन्तर्राज्यीय सीमाएँ भारत के पाँच राज्यों को छूती हैं । राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब से, उत्तर-पूर्वी सीमा हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण-पूर्वी व दक्षिण सीमा मध्य प्रदेश से तथा दक्षिण-पश्चिमी सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है । यह राज्य समुद्र से बहुत दूर है । देश के आन्तरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म व शुष्क रहती है ।

राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के समक्ष जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वह मूलत: प्राकृतिक है, और वह थार के रेगिस्तान से गुजरती है । इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है और यातायात की कठिनाइयाँ भी पाई जाती हैं । इसीलिए इस क्षेत्र में सीमा-सुरक्षा पर भी व्यय अधिक करना पड़ता है । इस क्षेत्र में सड़कें बनाना भी आवश्यक है । वैसे सीमा पर रेगिस्तान के आ जाने से कुछ प्राकृतिक रोक लग जाती है । लेकिन युद्ध व संघर्ष के समय साज-सामान भेजने के लिए परिवहन के साधनों के अधिक विकास की आवश्यकता होती है । अत: सीमावर्ती क्षेत्रों के समुचित विकास पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है ।

सकेत–
जिला मुख्यालय •
राज्य के 32 जिले चित्र में प्रदर्शित

भौतिक विशेषताएँ (Physical Features)—राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ने इस क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं और सामाजिक दशाओं पर काफी प्रभाव डाला है । राज्य का लगभग 61 प्रतिशत भाग रेगिस्तानी है जो रेत के विशाल टीलों से ढका हुआ है । मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमालाएँ उत्तर-पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण-पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई हैं । ये पर्वत बहुत कम ऊँचाई वाले हैं और राज्य के 12 प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं । पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी भाग में नदियों द्वारा बनाए गए मैदान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की मिट्टी को काफी उपजाऊ बना दिया है । दक्षिणी भाग में पर्वत-पठारी क्षेत्र है । इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है ।

राज्य की मुख्य विशेषता जलवायु की विषमता है । पश्चिमी व उत्तरी मरुस्थलीय प्रदेश में गर्मियों में अत्यधिक ऊँचे तापमान बने रहते हैं, जो कभी-कभी 48° सेल्सियस से भी अधिक हो जाते हैं । सर्दियों में इन्हीं क्षेत्रों में तापमानों की भारी गिरावट होती है, तब न्यूनतम तापमान (–) 3° सेल्सियस तक गिर जाते हैं । इस प्रदेश में रेत के भारी जमाव के कारण यह विषमता उत्पन्न होती है । बलुई रेत के मोटे कण होते हैं जो दिन में धूप के कारण जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात के समय शीघ्र ही ठण्डे हो जाते हैं । इसलिए रेगिस्तानी भागों में दिन और रात के तापमानों में भी भारी अन्तर रहता है । मरुस्थली भागों में वर्षा भी कम होती है । इसलिए जलवायु शुष्क बनी रहती है और वनस्पति भी कम उत्पन्न होती है । रेगिस्तान क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम रहता है । कहीं-

कहीं वर्षा 10 सेमी. से भी कम होती है। वर्षा की मात्रा के उतार-चढ़ाव भी बहुत अधिक होते हैं। कुछ वर्षों में वर्षा बहुत कम तथा कुछ में बहुत अधिक होती है।

राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहाँ 50 से 100 सेमी. तक सालाना वर्षा होती है। इसलिए इन भागों में वनस्पति भी अधिक पायी जाती है तथा जनसंख्या भी अधिक होती है। ये क्षेत्र भी गर्म अर्ध-मरुस्थली जलवायु से प्रभावित हैं।

प्राकृतिक धरातल और जलवायु की दशाओं ने राज्य के जनसंख्या-वितरण तथा लोगों की आर्थिक व सामाजिक दशाओं को बहुत प्रभावित किया है। जनसंख्या का वितरण वार्षिक वर्षा के अनुरूप पाया जाता है। ज्यों-ज्यों हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों वार्षिक वर्षा में कमी होती जाती है और उसी के अनुसार जनसंख्या का घनत्व भी कम होता जाता है। इसी प्रकार पूर्वी भागों में अधिक वर्षा और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण अधिकांश लोग खेती करते हैं, जबकि पश्चिमी भागों में कम वर्षा और अनुपजाऊ मिट्टी के कारण अधिकांश लोग पशु-पालन करते हैं।

राजस्थान के प्राकृतिक भाग
(Physiographic or Natural Divisions of Rajasthan)

धरातल और जलवायु के अन्तरों के आधार पर राजस्थान राज्य को मोटे-तौर पर निम्नांकित चार भागों में बाँटा जा सकता है—

(1) उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश
(2) मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश
(3) पूर्वी मैदानी प्रदेश
(4) दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश (हाड़ौती पठार)

(1) उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश (North-West Desert Region)—**राज्य का लगभग 61 प्रतिशत भाग इस रेगिस्तानी प्रदेश में शामिल है।** इस प्रदेश में सम्पूर्ण जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर और सीकर जिले शामिल हैं। इनके अतिरिक्त सिरोही, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों के उत्तर-पश्चिमी भाग भी इसी प्रदेश में आते हैं। इस प्रदेश का पूर्वी भाग 'मारवाड़' कहलाता है तथा पश्चिमी भाग "थार का रेगिस्तान" (The Thar Desert) कहलाता है।

इस प्रदेश के अधिकांश भाग में 20 से 50 सेमी. तक वार्षिक वर्षा होती है। परन्तु जैसलमेर जिले के सुदूर पश्चिमोत्तर भाग में वर्षा का औसत 10 सेमी. से भी कम पाया जाता है। गर्मियों में कुछ स्थान जैसे जैसलमेर, फलौदी और चूरू में उच्चतम तापमान 48° से. तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में इन्हीं स्थानों पर न्यूनतम तापमान (–) 3° से. तक चला जाता है।

इस क्षेत्र में बलुई मिट्टी का अत्यधिक जमाव पाया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर जिलों में रेत के स्थायी टीले हैं, जो कहीं-कहीं 6-7 किलोमीटर लम्बे और 50-60 मीटर ऊँचे हैं। ये टीले रेत की पहाड़ियों के समान दिखाई देते हैं। उत्तरी भागों में विशेषतः चूरू, झुंझुनूं, सीकर और बीकानेर जिलों में अस्थायी टीले हैं जो तेज हवाओं के

साथ उड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने से कृषि-कार्यों में काफी बाधा पहुँचती है। कभी-कभी उपजाऊ मिट्टी वाले खेत भी इन टीलों की मिट्टी से भर जाते हैं। इस क्षेत्र में प्रायः टीलों द्वारा सड़क-मार्ग व रेल-मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं।

मरुस्थलीय भाग में भूमिगत जल भी अधिक गहरा होता है। साधारणतः इन भागों में कुओं की गहराई 20 से 100 मीटर तक होती है जिससे पानी निकालना कठिन होता है। इसलिए बैल अथवा ऊँट को जोतकर कुओं से पानी निकाला जाता है। वर्षा की कमी के कारण सतह के जल (Surface Water) का नितान्त अभाव रहता है। इस क्षेत्र में नदियाँ बहुत कम हैं। केवल लूनी ही एकमात्र नदी है। **इसका उद्गम अजमेर के पास पुष्कर घाटी के समीप अरावली की पहाड़ियों में आनासागर से होता है और यह पश्चिम में बहती हुई दक्षिण-पश्चिमी भाग में 320 किलोमीटर तक बहकर कच्छ के रण में प्रवेश करती है जहाँ पहुँचकर इसका पानी फैल जाता है।** इसमें भी केवल वर्षा के दिनों में पानी रहता है। इस नदी का जल भी दक्षिणी बहाव क्षेत्र में खारा है और पीने के अयोग्य है। रेगिस्तानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में भूमिगत जल खारा पाया जाता है जिसे न तो पीने के काम में लिया जा सकता है और न ही उससे सिंचाई की जा सकती है। **अरावली पर्वत के पश्चिम में बहने वाली केवल एकमात्र नदी लूनी ही है।**

इस प्रदेश में कृषि-कार्यों के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। रेत के टीलों के बीच स्थित निम्न ऊँचाई वाले मैदानों में तथा रेत के समतल विशाल मैदानों में बरसात के दिनों में खेती की जाती है। सिंचित कृषि बहुत कम क्षेत्रों में की जाती है। बाजरा, मूँग, मोठ आदि

मुख्य फसलें होती हैं जो थोड़ी-सी वर्षा से ही उत्पन्न हो सकती हैं । खेती के अभाव में यहाँ पशु-पालन मुख्य उद्योग बन गया है । यहाँ राठी और थारपारकर नस्ल की गायें पाली जाती हैं जो कठिन जलवायु की परिस्थितियों में भी रह सकती हैं । इनके अतिरिक्त भेड़ और बकरी-पालन भी किया जाता है जिन्हें कम पानी और कम चारे की आवश्यकता होती है ।

मरुस्थलीय प्रदेश में कुछ स्थानों पर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ भी होती हैं । इनसे इमारती पत्थर निकाला जाता है । जैसलमेर के समीप पीला और जोधपुर के पास लाल रंग का इमारती बलुआ पत्थर मिलता है । इन पहाड़ियों से कहीं-कहीं बहुमूल्य खनिज भी प्राप्त होते हैं । डेगाना (नागौर जिला) की पहाड़ी से टंगस्टन नामक धातु प्राप्त होती है । भारत में टंगस्टन की प्राप्ति का यही एकमात्र स्थान है । इसके अलावा मरुस्थलीय भाग में जिप्सम और रॉक-फॉस्फेट खनिजों के भी विशाल भण्डार हैं जिनका आजकल खनन किया जा रहा है ।

राजस्थान के प्राकृतिक भागों को पिछले चित्र की सहायता से पहचाना जा सकता है ।

(1) थार का मरुस्थल (The Thar Desert)—अरावली पर्वतीय प्रदेश के सुदूर पश्चिमी भाग में भारत-पाक सीमा को छूते हुए थार का मरुस्थल फैला हुआ है । इसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व मारवाड़ के वे क्षेत्र शामिल हैं जिनमें मरुस्थल अपने प्रखर व उग्र रूप में विद्यमान है । इस प्रदेश की जलवायु अत्यधिक उष्ण है और इसमें दूर-दूर तक केवल बालू का ही साम्राज्य फैला हुआ है । यह मरुस्थल हवाओं के प्रभाव से आगे बढ़ता रहा है जिससे अन्य स्थानों की उपजाऊ मिट्टी को भारी क्षति हुई है । अत: इसकी निरन्तर जारी रहने वाली यात्रा को रोकना आवश्यक माना जाता है ।

(2) मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश (Central Aravalli Hill Region)—यह भौतिक प्रदेश सम्पूर्ण उदयपुर और डूँगरपुर जिलों तथा सिरोही, पाली, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व अजमेर जिलों के कुछ भागों में फैला हुआ है । अरावली पर्वत विश्व के अत्यन्त प्राचीन पर्वत माने गए हैं । इन पर्वतों पर समय के साथ-साथ ऐसी भौतिक क्रियाएँ होती रही हैं, जिनसे ये पहाड़ आज बहुत कम ऊँचाई के रह गए हैं । उदयपुर जिले में इन पर्वतों की अधिकतम ऊँचाइयाँ पाई जाती हैं । अधिक ऊँचाई वाला यह क्षेत्र कुंभलगढ़ और गोगुन्दा तहसीलों में है । स्थानीय रूप से इस क्षेत्र को भोराट का पठार (Bhorat Plateau) कहा जाता है ।

अरावली पर्वतों का सबसे ऊँचा शिखर गुरु शिखर (1722 मी.) है, जो माउन्ट आबू (सिरोही जिले) में है । गुरुशिखर के आसपास की अन्य चोटियों में सेर (1597 मीटर), अचलगढ़ (1380 मीटर) और दिलवाड़ा के पश्चिम में तीन अन्य चोटियाँ हैं । इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा भी अधिक होती है । इसलिए इन पर्वतों पर वनस्पति भी अधिक होती है । अरावली पर्वतों की कई समानान्तर श्रेणियाँ सिरोही, उदयपुर और डूँगरपुर जिलों में फैली हुई हैं ।

अरावली पर्वतों का विस्तार उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर है । ये पर्वत अजमेर, जयपुर और अलवर जिलों में भी फैले हैं, जहाँ इनकी ऊँचाई बहुत कम है । इन जिलों में इनकी औसत ऊँचाई 550 से 670 मीटर तक पाई जाती है । अजमेर में तारागढ़ (870 मीटर) और जयपुर में नाहरगढ़ इस क्षेत्र की सर्वाधिक ऊँची पर्वत-मालाएँ हैं ।

अरावली क्षेत्र में अधिकांश भूमि ऊबड़-खाबड़ है जो खेती के अयोग्य है । इस पर्वत-पठारी क्षेत्र में नदियों द्वारा निर्मित कई उपजाऊ घाटियाँ हैं । लूनी की कई सहायक नदियाँ जैसे जवाई, लीलरी, जोजरी, सूकड़ी, आदि अरावली की पश्चिमी ढालों से निकलती हैं । इन नदियों की घाटियों में अच्छी खेती होती है । अरावली की ढालों पर मक्का की खेती विशेष रूप से की जाती है । अरावली पर्वतों की चट्टानों में कई स्थानों पर खनिज भी प्राप्त होते हैं । यह क्षेत्र अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है । खेतड़ी-सिंघाना क्षेत्र में ताँबा और जावर में जस्ते व सीसे की खानें हैं ।

अरावली पहाड़ की दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर होने के कारण इसके बायें भाग में उत्तर-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है, जहाँ मानसूनी वर्षा कम होती है और दायें भाग में मैदानी प्रदेश पाये जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है । इसका उत्तरी-पूर्वी भाग खेतड़ी के समीप है और दक्षिणी-पश्चिमी छोर माउण्ट आबू के समीप है । अरावली पर्वत-मालाओं ने राज्य को प्राकृतिक भागों में बाँट दिया है । **राजस्थान का $\frac{3}{5}$ भाग अरावली के उत्तर-पश्चिम में पड़ता है तथा $\frac{2}{5}$ भाग दक्षिण-पूर्व में पड़ता है ।** इनका जलवायु पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है । ये पश्चिम से आने वाली मिट्टी को भी रोकते हैं ।

यदि इस पहाड़ की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ होती तो राज्य की जलवायु व धरातलीय बनावट पर काफी भिन्न व विपरीत प्रभाव पड़ते । इससे राज्य के पूर्वी भाग में वर्षा का अभाव बढ़ जाता और कृषिगत पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता । उपजाऊ मैदानी भाग की भी सम्भवतया कमी हो जाती । लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र (जैसलमेर, बाड़मेर आदि) में वर्षा अधिक होती जिससे इसको लाभ होता । इस प्रकार अरावली पर्वत-मालाओं ने राजस्थान की जलवायु व धरातल की संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है ।

(3) पूर्वी मैदानी प्रदेश (Eastern Plains)—यह भौतिक प्रदेश राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है । इस प्रदेश में मुख्यत: बनास व उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं जिन्होंने इस भाग में उपजाऊ मिट्टी को जमा किया है । इस कारण इस भाग में अच्छी खेती होती है और गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, ज्वार, सरसों, तिलहन, गन्ना, आदि का उत्पादन होता है । इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है ।

बनास नदी का स्रोत उदयपुर जिले में कुम्भलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से है । यह नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूँदी और सवाई माधोपुर जिलों में बहती हुई खण्डार (सवाई माधोपुर जिला) के समीप **चम्बल नदी में मिल जाती है ।** इसे 'वन की आशा' भी कहा जाता है । स्वयं बनास में कई सहायक नदियाँ मिलती हैं । इनमें से मुख्य नदियाँ बेड़च, गम्भीरी, कोठारी, खारी, मुरेल आदि हैं । बनास और उसकी सहायक नदियाँ केवल बरसात के मौसम में ही बहती हैं, इसलिए इनके पानी का खेती के लिए उपयोग साल भर नहीं किया जा सकता । परन्तु इन नदियों की घाटियों में भूमिगत जल अधिक उपलब्ध होता है जो जल के रिसाव के कारण इकट्ठा होता रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है ।

इस मैदानी भाग में चम्बल ही एक प्रमुख नदी है जो साल-भर बहती है। **यह मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल में मऊ नामक स्थान से निकलती है।** राजस्थान में चम्बल का प्रवाह-क्षेत्र केवल कोटा, बूँदी और झालावाड़ जिलों में है। चम्बल घाटी परियोजना का राजस्थान व मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में केन्द्रीय स्थान है। इन जिलों में चम्बल की सहायक नदियाँ; जैसे पार्वती, काली सिन्ध, बामनी, चन्द्रभागा, आदि भी बहती हैं। **चम्बल नदी सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है।** इस क्षेत्र में चम्बल नदी ने मिट्टी का भारी जमाव किया है। इस जमाव के कारण भूमि ऊबड़-खाबड़ हो गई है और अनेक स्थानों पर ऊँचे रेत के टीले व उनके बीच गहरी घाटियाँ बन गई हैं। ऐसी भूमि को बीहड़ भूमि (Ravine Land) कहते हैं। यह क्षेत्र खेती के लिए सर्वथा अयोग्य होता है। सरकार कंदराओं की भूमि का विकास करने के लिए वृक्षारोपण कर रही है। **चम्बल नदी अन्त में उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है।**

इन मैदानों में कई अन्य छोटी-छोटी नदियाँ भी हैं। जयपुर जिले में ढुन्ड (Dhund) और बाणगंगा नदियाँ हैं। **बाणगंगा** जयपुर के पास विराटनगर की पहाड़ियों से निकलकर पूर्वी भाग में बहती हुई (भरतपुर व धौलपुर में से) उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के समीप यमुना में मिलती है। अलवर में रूपारेल और कोटपूतली तहसील में साबी-सोता नदियाँ हैं। इस प्रदेश का ढाल पूर्व की ओर है। इसलिए इसकी सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं।

राज्य के दक्षिणी भाग में माही व उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। माही की दो मुख्य सहायक नदियाँ एराव और एरन हैं। **माही नदी मुख्यतया गुजरात की नदी है। इसका उद्गम-स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विन्ध्याचल पर्वत में है। माही का प्रवाह-क्षेत्र बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़ जिला) और डूँगरपुर जिलों में है।** इस क्षेत्र के मैदानों को 'छप्पन-मैदान' (Chhappan Plains) कहते हैं। माही भी एक बरसाती नदी है जिसका प्रवाह अरब सागर की ओर है। **यह नदी खम्भात की खाड़ी (Gulf of Cambay) में गिरती है और अरब सागर में समा जाती है।** इस नदी पर बाँसवाड़ा जिले में लोहारिया गाँव के समीप एक बाँध बनाया गया है जिससे सिंचाई की जाती है। इस परियोजना को माही बजाज सागर परियोजना कहते हैं। इस बाँध के जल से जल-विद्युत भी उत्पन्न की जाती है।

घग्घर नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर पंजाब में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। यह हनुमानगढ़ के पश्चिम में लगभग तीन किलोमीटर में प्रवाहित होती है। इसमें वर्षा ऋतु में कभी-कभी काफी जल आ जाता है।

पूर्वी मैदानी भाग में वार्षिक वर्षा का औसत 60 से 100 सेमी. तक है। छप्पन के मैदान तथा कोटा, बूँदी, झालावाड़, भरतपुर आदि जिलों में अच्छी वर्षा होती है, इसलिए कृषिगत उपज भी अधिक होती है। मैदानी भागों में सड़क व रेलमार्ग भी अधिक विकसित हुए हैं। इन कारणों से इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है।

(4) दक्षिण-पूर्वी पठारी प्रदेश (South-Eastern Plateau Region)—इस प्रदेश में कटे-फटे पठार पाये जाते हैं जिन पर कई छोटी-बडी नदियाँ बहती हैं। दक्षिणी राजस्थान में

यह पठारी भाग बाँसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में तथा दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कोटा, बूँदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर जिलों में फैला हुआ है । **हाड़ौती पठारी भाग दो पृथक्-पृथक् क्षेत्रों में बँटा हुआ है जिन्हें विन्ध्या स्कार्पलैण्ड और दक्षिणी लावा पठार कहते हैं ।**

हाड़ौती पठार मुख्यत: कोटा और बूँदी जिलों में फैला हुआ है । **इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण प्रारम्भिक ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है ।** दक्षिणी लावा का पठार मुख्यत: चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है । यहाँ की मिट्टी भी काली और उपजाऊ होती है । पठारी क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी में कपास, अफीम, तम्बाकू और गन्ने की फसलें पैदा की जाती हैं, क्योंकि ये सभी फसलें मिट्टी से अधिक मात्रा में रासायनिक लवणों का शोषण करती हैं ।

ये पठार धौलपुर और करौली क्षेत्रों के कुछ सीमित क्षेत्रों में भी फैले हुए हैं । इनसे इमारती पत्थर जैसे पट्टियाँ और चौके प्राप्त होते हैं । सम्पूर्ण पठारी क्षेत्र में नदियों के बहाव के कारण कटे-फटे भाग अधिक दिखाई देते हैं । इनके पहाड़ी भागों को पठार (Higher Plateau) कहते हैं । निचले भागों में खेती की जाती है । पहाड़ी भागों पर उष्ण कटिबन्धीय वन हैं जो अब धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं ।

राजस्थान की झीलें

राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं—

(1) खारे पानी की झीलें, (2) मीठे पानी की झीलें ।

(1) खारे पानी की झीलें—ये सभी पश्चिमी राजस्थान में स्थित हैं ।

***(i)* सांभर झील**—यह जयपुर से 65 किलोमीटर दूर फुलेरा रेलमार्ग के समीप स्थित है । **यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ।** इस झील से नमक का उत्पादन किया जाता है । यह दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लम्बी तथा 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है ।

***(ii)* पचपदरा (या पंचभद्रा) झील**—यह बाड़मेर जिले की बालोतरा के समीप स्थित है । यहाँ का नमक उच्च कोटि का होता है । इसमें सोडियम क्लोराइड 98% तक पाया जाता है ।

इसके अलावा जोधपुर जिले की फलौदी तहसील की झील, नागौर जिले की डीडवाना झील तथा बीकानेर जिले की लूणकरसर नामक झीलें भी प्रसिद्ध हैं ।

(2) मीठे पानी की झीलें—*(i)* उदयपुर के निकट स्थित **जयसमंद झील** मीठे पानी की कृत्रिम झील है । *(ii)* उदयपुर जिले में कांकरोली के समीप **राजसमंद झील** है, जिसमें गोमती नदी गिरती है । *(iii)* अजमेर की **आनासागर झील**, *(iv)* अजमेर के समीप तीन तरफ पहाड़ियों से घिरी **पुष्कर झील**, *(v)* उदयपुर में स्थित **पिछौला व फतहसागर झीलें**, *(vi)* जयपुर का रामगढ़ बाँध, *(vii)* जोधपुर के समीप कायलाना बाँध या झील, *(viii)* अलवर के समीप राजसमंद व सिलीसेढ़ झीलें, *(ix)* बाँसवाड़ा के पास बजाज सागर, कडाणा बाँध, मेजा बाँध आदि मशहूर झीलों के उदाहरण हैं । राज्य के अन्य भागों में कई झीलें और हैं ।

झीलों में कुछ प्राकृतिक हैं तथा कुछ कृत्रिम अथवा मानव-निर्मित हैं । खारे पानी की सांभर झील प्राकृतिक है तथा मीठे पानी की पुष्कर झील भी प्राकृतिक है । माउण्ट आबू का नक्खी तालाब/झील काफी सुन्दर व रमणीय है ।

जलवायु (Climate)—राजस्थान के जलवायु को इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ने अधिक प्रभावित किया है । अधिकांश भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है और शेष भाग में अर्ध नम जलवायु पाई जाती है । राज्य में तीन मुख्य मौसम होते हैं—

(1) गर्मी, (2) वर्षा, (3) सर्दी ।

गर्मी का मौसम—यह मौसम मध्य मार्च से जून तक रहता है । इस मौसम में तापमान निरन्तर बढ़ते जाते हैं । मई और जून सबसे गर्म महीने होते हैं । इस समय औसत दैनिक तापमान 32° सेल्सियस से 36° सेल्सियस तक हो जाता है । मई के महीने में उच्चतम तापमान 44° सेल्सियस से 48° सेल्सियस तक रहते हैं । जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, फलौदी आदि शहरों में राजस्थान के ही नहीं, बल्कि प्राय: सम्पूर्ण देश के उच्चतम तापमान रिकार्ड किए जाते हैं ।

मई के महीने के औसत दैनिक तापमानों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस समय *जैसलमेर जिले के उत्तरी भाग, बीकानेर जिले के पश्चिमी भाग और कोटा जिले के पूर्वी* भागों में सर्वोच्च तापमान पाये जाते हैं । ये तापमान सम्पूर्ण जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर तथा जोधपुर, कोटा, बूँदी, झालावाड़, चूरू और नागौर ज़िले के कुछ भागों में पाये जाते हैं ।

सिरोही जिले के पर्वतीय भागों में ऊँचाई अधिक होने के कारण औसत तापमान कम रहते हैं । ये तापमान 28° से 30° सेल्सियस तक होते हैं ।

गर्मियों के मौसम में तापमान के अधिक रहने के कारण वायु का दवाब कम हो जाता है । सूर्य की गर्मी से पृथ्वी का धरातल शीघ्र ही गर्म हो जाता है और वायुमण्डल भी धीरे-धीरे गर्म होता रहता है । धरातल की समीपवर्ती वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और अधिक ऊँचाई पर जाकर ठण्डी होती है । इसलिए धरातल के समीप वायु की कमी हो जाती है और वायु के कम दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

वायु के निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में वायु की कमी को पूरा करने के लिए चारों ओर से तेज हवाएँ आती हैं । ये हवाएँ अपने साथ रेत और मिट्टी को भी उड़ाकर लाती हैं । इन आँधियों के आने से मौसम थोड़ा ठण्डा हो जाता है । तापमान में गिरावट आती है । पश्चिमी राजस्थान में औसतन 28 से 35 दिन तक तेज गति से धूल भरी हवाएँ चलती हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान में ये हवाएँ 8 से 15 दिन तक औसतन चलती हैं । आँधियों के साथ कभी-कभी गरज के साथ वर्षा भी होती है और ओले भी गिरते हैं ।

गर्मी के मौसम में वायु में नमी की कमी हो जाती है । वायुमण्डल की नमी को सापेक्ष आर्द्रता (Relative Humidity) में व्यक्त किया जाता है । यह औसतन 10 से 45 प्रतिशत तक रहती है ! आर्द्रता के कम रहने के कारण दिन में प्राय: 'लू' चलती है ।

गर्मी के मौसम में दैनिक तापमानों में भारी अन्तर रहता है । यह अन्तर विशेष रूप से पश्चिमी राजरथान के मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक होता है । इस क्षेत्र में रेत का जमाव होने के कारण दिन में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और रात के समय बहुत कम, क्योंकि रेत के मोटे कण दिन में शीघ्र ही ताप सोखते हैं और रात के समय बहुत जल्दी ही ताप का विकीर्णन कर देते हैं । इसलिए पश्चिमी राजस्थान में दिन के तापमान 45° सेल्सियस से अधिक व रात के तापमान 20° सेल्सियस से कम रहते हैं ।

वर्षा का मौसम—प्राय: जून के अन्तिम सप्ताह से वर्षा का मौसम शुरू हो जाता है जो सितम्बर के अन्तिम सप्ताह तक अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक रहता है। शेष भारत की तरह राजस्थान में भी दक्षिण-पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। इस मानसून की दो शाखाएँ होती हैं जिन्हें बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा कहते हैं। इन दोनों शाखाओं का लाभ राजस्थान को मिलता है। गर्मी के मौसम में उच्च तापमानों से उत्पन्न हुए निम्न वायु के दबाव के कारण दोनों ओर की जलभरी हवाएँ राजस्थान में केन्द्रित होती हैं। परन्तु इनसे अधिक वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि राजस्थान समुद्र तट से बहुत दूर है। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते दोनों मानसूनी धाराएँ अपने जल की मात्रा को खो देती हैं और लगभग शुष्क हो जाती हैं।

इन कारणों से समूचे राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 10 से 125 सेमी. तक पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में 10 से 50 सेमी तक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा सिरोही जिले के माउण्ट आबू पर्वतीय क्षेत्र में होती है, जहाँ इसका औसत 100 से 125 सेमी वार्षिक रहता है। दक्षिण राजस्थान के डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, झालावाड़ जिलों तथा चित्तौड़गढ़ व पाली जिलों के कुछ भागों में वर्षा का औसत 75 सेमी. से अधिक रहता है। **इस प्रकार अरावली पर्वत एक वर्षा-विभाजक रेखा का काम करते हैं। इन पर्वतों के पूर्व में अधिक व पश्चिम में कम वर्षा होती है।**

सितम्बर के मध्य से मानसून कमजोर हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में तापमानों की भारी गिरावट होती है और यहाँ का निम्न वायु दबाव वाला क्षेत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए मानसूनी हवाएँ अपनी सक्रियता खो देती हैं। ये आर्द्र बरसाती हवाएँ भारत के दक्षिणी व पूर्वी भागों तक ही बहती हैं। इससे अक्टूबर माह में तापमान की कुछ वृद्धि होती है। सितम्बर-अक्टूबर महीनों के मौसम को मानसून के लौटने का समय कहा जाता है। देश के सभी भागों में मानसूनी वर्षा का अत्यधिक महत्त्व होता है। इस वर्षा से ही जल की सर्वाधिक प्राप्ति होती है। इस मौसम में खरीफ की फसलें जैसे—बाजरा, ज्वार, दालें, मूंगफली आदि बोई जाती हैं। असिंचित क्षेत्रों में इसी वर्षा से फसलें उत्पन्न की जाती हैं।

बरसात के मौसम में तापमान कम हो जाते हैं। सापेक्ष आर्द्रता भी बढ़ जाती है जो दिन के समय औसतन 45 प्रतिशत व रात के समय 70 प्रतिशत तक रहती है। राजस्थान के सभी जिलों में वर्षा के दिन प्राय: कम रहते हैं।

सर्दी का मौसम—यह मौसम नवम्बर से मार्च के मध्य रहता है। सर्दी में नवम्बर माह के बाद तापमानों में निरन्तर भारी गिरावट आती जाती है। जनवरी का महीना सबसे अधिक सर्दी का होता है। इस महीने में उत्तरी राजस्थान के गंगानगर व चूरू जिलों तथा अलवर, झुंझुनूँ, सीकर व बीकानेर जिलों के उत्तरी भागों में औसत दैनिक तापमान 12° से 14° सेल्सियस तक बने रहते हैं।

चूरू, बीकानेर, गंगानगर, फलौदी, जैसलमेर आदि नगरों में न्यूनतम तापमान (-)3° सेल्सियस तक चले जाते हैं, जो पानी के जमाव-बिन्दु से भी कम होते हैं।

राज्य के कुछ भागों में शीतकालीन वर्षा भी होती है जिसे 'महावट' कहते हैं। इस वर्षा का औसत 5 से 10 सेमी तक रहता है। यह वर्षा विशेषत: उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान

में होती है। इस वर्षा से रबी की फसलों को बहुत लाभ मिलता है। इस मौसम में गेहूँ, जौ, सरसों, चने आदि की खेती की जाती है, जो थोड़ी-सी वर्षा से ही भरपूर फसल देते हैं। इस शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण भूमध्य सागरीय चक्रवात (Cyclones) होते हैं, जो यूरोपीय क्षेत्रों में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों से होते हुए उत्तरी भारत में प्रवेश करते हैं। इन चक्रवातों से हिमालय के क्षेत्र में भारी हिमपात होता है। हिमपात के कारण कभी-कभी तेज गति वाली ठण्डी हवाएँ भी चलती हैं। इन्हें 'शीत लहर' (Cold Wave) कहते हैं। इनसे तापमानों में अचानक भारी गिरावट आ जाती है।

मार्च के मध्य से तापमान फिर बढ़ने लगते हैं और गर्मी के मौसम का प्रारम्भ हो जाता है। इसके बाद तापमानों में पुन: वृद्धि होने लगती है।

जलवायु-आधारित प्रदेश (Climatic Regions)—तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राज्य को चार मुख्य प्रदेशों में बाँटा जा सकता है—

(i) **शुष्क प्रदेश** (Dry Region)—इस प्रदेश में गर्म और शुष्क जलवायु की दशाएँ पाई जाती हैं। गर्मियों में औसत दैनिक तापमान 34° सेल्सियस और सर्दियों में 12° सेल्सियस रहते हैं। सालाना वर्षा 10 से 25 सेमी तक होती है। इसलिए साल-भर शुष्कता बनी रहती है। इतनी कम वर्षा वाले भागों में वनस्पति बहुत कम होती है। इस प्रदेश में सम्पूर्ण जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का उत्तरी भाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग और गंगानगर का दक्षिणी भाग शामिल हैं।

(ii) **अर्द्ध-शुष्क प्रदेश** (Semi-Dry Region)—इसमें पश्चिमी राजस्थान के वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ सालाना वर्षा 25 से 50 सेमी. तक होती है । इस प्रदेश में झाड़ियाँ, घास के मैदान और कुछ रेगिस्तानी पेड़-पौधे उगते हैं । इस प्रदेश में गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, नागौर, पाली व जालौर जिले शामिल हैं ।

(iii) **उप-आर्द्र प्रदेश** (Sub-humid Region)—इस प्रदेश में पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 50 से 80 सेमी. तक रहता है । अधिक वर्षा के कारण वनस्पति भी अच्छी होती है । इस प्रदेश में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूँदी, चित्तौड़गढ़ आदि शामिल हैं ।

(iv) **आर्द्र प्रदेश** (Humid Region)—इसमें वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से अधिक रहता है । गर्मियों और सर्दियों के तापमान उप-आर्द्रता प्रदेश की भाँति ही रहते हैं । अधिक वर्षा के कारण पहाड़ी भागों पर सघन वन पाये जाते हैं । इस प्रदेश में झालावाड़, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर आदि जिले शामिल हैं जो सभी दक्षिणी राजस्थान में स्थित हैं ।

मिट्टियाँ (Soils)—मिट्टियों का कृषिगत उत्पादन से सीधा सम्बन्ध होता है । इनसे ही विभिन्न किस्म की खाद्यान्न-फसलें व व्यापारिक फसलें उत्पन्न की जाती हैं । मिट्टी के विभिन्न भौतिक व रासायनिक गुणों पर यह निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में कौन-सी फसलें बोई जाएँगी और किस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी ।

राजस्थान राज्य में मुख्यत: निम्नांकित आठ प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं—

(1) भूरी मिट्टी (brown soil)
(2) सीरोजम मिट्टी
(3) लाल-बलुई मिट्टी
(4) लाल-दुमट मिट्टी
(5) पर्वतीय मिट्टी
(6) बलुई मिट्टी व रेत के टीले
(7) जलोढ़ मिट्टी या दुमट मिट्टी
(8) लवणीय मिट्टी

(1) भूरी मिट्टी (Brown Soil)—इस मिट्टी का रंग भूरा होता है । इस प्रकार की **मिट्टी टोंक, सवाई माधोपुर, बूँदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है । इस मिट्टी का जमाव विशेषत: बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाया जाता है । इस प्रकार इसका क्षेत्र मुख्यतया अरावली के पूर्वी भाग में माना जाता** है । इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लवणों का अभाव होता है । इसलिए इन लवणों से युक्त कृत्रिम खाद देने पर अच्छी फसलों का उत्पादन हो सकता है । इस मिट्टी में खरीफ की फसलें बिना सिंचाई के तथा रबी की फसलें सिंचाई के द्वारा पैदा की जा सकती हैं ।

(2) सीरोजम मिट्टी (Sierozem Soil)—इसका रंग पीला-भूरा (yellow-brown) होता है। मिट्टी के कण मध्यम मोटाई के होते हैं। इनमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसलिए इस प्रकार की मिट्टी में उर्वरा शक्ति की कमी होती है। इनमें बारानी खेती की जाती है। रबी की फसलों के लिए निरन्तर सिंचाई की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में रासायनिक खाद डालनी पड़ती है। इन मिट्टियों का विस्तार पाली, नागौर, अजमेर व जयपुर जिले के बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, जो ज्यादातर अरावली के पश्चिम में पड़ता है। इन्हें 'धूसर मरुस्थलीय मिट्टी' भी कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टियाँ रेत के छोटे टीलों वाले भागों में पाई जाती हैं।

(3) लाल-बलुई मिट्टी (Red Desertic Soil)—इस मिट्टी का रंग लाल होता है और यह मुख्यतः मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। इसका मुख्य विस्तार जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, चूरू और झुंझुनूं जिलों के कुछ भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम होती है। साधारणतः ऐसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में बरसाती घास और कुछ झाड़ियाँ उगती हैं। इस भाग में सिंचाई करने और रासायनिक खाद डालने पर रबी की फसलें—गेहूँ, जौ, चना आदि पैदा किए जा सकते हैं। खरीफ के मौसम में बारानी खेती की जाती है, जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है।

(4) लाल-दुमट मिट्टी (Red-Loamy Soil)—इसका रंग लाल होता है । मिट्टी के कण बारीक होते हैं । बारीक कणों वाली मिट्टी को दुमट मिट्टी कहते हैं । ऐसी मिट्टी में पानी अधिक समय तक रहता है । इसलिए वर्षा के बाद एक लम्बे समय तक मिट्टी में नमी बनी रहती है । इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के लवण अधिक होते हैं, जिनसे मिट्टी का रंग लाल हो जाता है । परन्तु इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्सियम लवणों की कमी होती है । ऐसी मिट्टी में रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने से कपास, गेहूँ, जौ, चना आदि की अच्छी फसलें पैदा की जा सकती हैं । यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूँगरपुर, बाँस-वाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है ।

(5) पर्वतीय मिट्टी (Mountain Soil)—ऐसी मिट्टी अरावली पर्वतों के नीचे के प्रदेशों (Foothills) में मिलती है । मिट्टी का रंग लाल से लेकर पीले, भूरे रंग तक होता है । ये मिट्टियाँ पहाड़ी ढालों पर होती हैं । इसलिए मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है और मिट्टी की कुछ गहराई के बाद ही चट्टानी धरातल आता है, जिन्हें छोटे पौधों की जड़ें नहीं भेद सकती हैं । ऐसी मिट्टी पर खेती नहीं की जा सकती है, बल्कि केवल जंगल लगाए जाते हैं । ये मिट्टियाँ सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर और अलवर जिलों के पहाड़ी भागों में पाई जाती हैं ।

(6) बलुई मिट्टी (Sandy Soil)—यह मिट्टी रेत के टीलों के रूप में होती है जो पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है । मिट्टी के कण मोटे होते हैं जिनमें पानी शीघ्र ही विलीन हो जाता है । इसलिए वर्षा का जल बहुत थोड़े समय के लिए नमी बना पाता है और सिंचाई का भी विशेष लाभ नहीं होता । ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की कमी होती है । परन्तु इसमें कैल्सियम लवणों की अधिकता रहती है । ऐसे क्षेत्रों में बाजरा, मोठ, मूँग, आदि की फसलें खरीफ के मौसम में पैदा की जाती हैं । कुछ सिंचित भागों में रबी में गेहूँ की खेती की जाती है । रेत के ऊँचे-ऊँचे टीलों के समीप कुछ स्थानों पर निचले गहरे भाग भी बन गए हैं । इनमें बारीक कणों वाली मटियारी मिट्टी का जमाव हो गया है । इन निचले भूभागों को 'खडीन' कहते हैं । ये बहुत उपजाऊ होते हैं ।

(7) जलोढ़ या दुमट मिट्टी (Alluvial Soil)—ऐसी मिट्टी की रचना नदी-नालों के किनारे तथा उनके प्रवाह के क्षेत्र में होती है । जलोढ़ मिट्टी नदियों के पानी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है । यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है । इसमें नमी बहुत समय तक मौजूद रहती है । ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं । मिट्टी का रंग पीला होता है । कहीं-कहीं कंकरों का भी जमाव होता है । इसमें कैल्सियम तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है । ऐसी मिट्टी अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा आदि जिलों में पाई जाती है । इस मिट्टी में खरीफ व रबी दोनों प्रकार की फसलें उगायी जाती हैं ।

(8) लवणीय मिट्टी (Alkaline Soils)—ऐसी मिट्टी में क्षारीय लवण तत्त्वों की मात्रा अधिक होती है । लवणों का जमाव अधिक सिंचाई करने से भी हो जाता है । प्राकृतिक रूप से ये मिट्टियाँ निम्न भूभागों में उत्पन्न हो जाती हैं, जहाँ पानी का जमाव निरन्तर होता रहता है । ये मिट्टियाँ पूर्णतः अनुपजाऊ होती हैं । इनमें केवल चरागाह, प्राकृतिक झाड़ियाँ व बरसाती पेड़-पौधे ही उग सकते हैं । **लवणीय मिट्टी के अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर व जालौर जिलों में पाये जाते हैं ।** आजकल गंगानगर, भरतपुर व कोटा जिलों में भी अधिक सिंचाई वाले भागों में लवणीय मिट्टियाँ अधिक पाई जाने लगी हैं ।

मिट्टी का कटाव (Soil Erosion)—राज्य में मिट्टी का कटाव एक मुख्य समस्या है । मिट्टी का कटाव पानी और हवाओं से होता है । पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएँ चलती हैं । इसलिए इस क्षेत्र में हवाओं द्वारा भूमि का कटाव होता है । अरावली पर्वतीय भागों में तथा पूर्वी राजस्थान में नदियाँ अधिक हैं । अत: इन क्षेत्रों में बहते हुए जल द्वारा मिट्टी का कटाव होता है । दोनों प्रकार के कटावों से खेत की उपजाऊ मिट्टी उड़कर अथवा बहकर दूर चली जाती है । इसलिए मिट्टी के कटाव की रोकथाम करना जरूरी होता है ।

मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए जंगलों और चरागाहों की वृद्धि करना आवश्यक है । पेड़-पौधों और घास की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं और उसका कटाव नहीं होने देतीं । **गंगानगर जिले में घग्घर नदी, भरतपुर जिले में बाणगंगा और गम्भीरी नदियाँ तथा कोटा और धौलपुर जिलों में चम्बल नदी मिट्टी का भारी कटाव करती हैं ।** इसलिए इन सभी नदियों के किनारों पर पेड़ों और स्थाई घास का रोपण किया जाना आवश्यक है ।

राजस्थान में वनस्पति (Vegetation)—राजस्थान में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है । इन पर भौतिक तत्त्वों जैसे तापक्रम व मिट्टी, जलवायु तथा जैविक (Biotic) तत्त्वों (पशुओं की चराई) का प्रभाव पड़ा है । राज्य में पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जबकि अरावली श्रेणियों के पूर्व व दक्षिण-पूर्व में मिश्रित पतझड़ (mixed deciduous) एवं अर्द्ध-उष्ण सदाबहार (sub-tropical evergreen) वन पाये जाते हैं ।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान की भौतिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा है । इस पर्वतमाला के पूर्व व दक्षिण-पूर्व में वनस्पति काफी विकसित है । माउण्ट आबू के इर्द-गिर्द भारी वर्षा के कारण वनस्पति काफी सघन पाई जाती है । राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश झाड़ियों की बहुतायत प्रदर्शित करता है । बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर आदि की तरफ वृक्ष गायब होने लगते हैं, और काफी झाड़ियाँ पाई जाती हैं । राज्य की वनस्पति पर जैविक तत्त्वों (Biotic Factors) का भी प्रभाव पड़ा है । भारी संख्या में भेड़-बकरियों व ऊँट जैसे अन्य पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई, वृक्षों की अनियमित

कटाई, भूमि का कृषि के लिए बढ़ता हुआ उपयोग, आदि कारणों से प्राकृतिक वनस्पति को बहुत हानि हुई है । पशु-पालक अपने पशुओं को लेकर चराई के लिए भ्रमण करते रहते हैं जिससे भी वनों को भारी क्षति पहुँची है ।

राजस्थान में वन क्षेत्र—अगस्त 1996 में राजस्थान सरकार के वन-विभाग ने **"स्टेट फोरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम"** (1996-2016) **नामक रिपोर्ट** प्रकाशित की है, जिसमें वन-क्षेत्र (जिलेवार), वनों की किस्म, वन नीति, भावी कार्यक्रम, आदि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है ।

उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर है, जिसके 31902 वर्ग किलोमीटर (लगभग 32 हजार वर्ग किलोमीटर) में वन-क्षेत्र हैं, जो इसका 9 32% है । इस प्रकार राज्य में वन-क्षेत्र का अभाव है, क्योंकि सामान्यतया भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग में वनों का होना उचित माना जाता है । जिलों के अनुसार वन-क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से अनुपात काफी असमान पाया जाता है। **जहाँ वन-क्षेत्र का अनुपात सिरोही जिले में लगभग 31% (अधिकतम), उदयपुर व राजसमंद जिलों में *29.4%*, कोटा व बारां जिलों में *28.8%*, सवाई माधोपुर जिले में (अब करौली सहित) 27.6% व बूँदी में 26.7% पाया जाता है, वहीं बाड़मेर जिले में यह मात्र 1.5%, जोधपुर जिले में 1.3%, नागौर में 1.25%, जैसलमेर जिले में 1.1% तथा चूरू जिले में मात्र 0.5% (न्यूनतम) पाया जाता है** । 27 जिलों के वन-क्षेत्र के अनुपात अध्याय के अन्त में एक परिशिष्ट में दिए गए हैं ।[1]

31902 वर्ग किलोमीटर में फैले वन-क्षेत्र, अथवा (एक वर्ग किलोमीटर = 100 हैक्टेयर लेने पर) लगभग 31 9 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैले वन-क्षेत्र में, 11 2% भाग में सघन वन (40% से अधिक ढके हुए), 29 8% *भाग में खुले वन (open forest)* (10% से अधिक व 40% से कम आच्छादित) तथा शेष लगभग 59% भाग में मात्र झाड़ियाँ व बंजर वन (barren forests) (10% से कम आच्छादित) हैं ।

कानूनी स्थिति के अनुसार 1997-98 के लिए वनों का वर्गीकरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है[2]—

क्र. सं.	कानूनी स्थिति (legal status)	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर)	प्रतिशत
(i)	आरक्षित (reserved) वन	11 86	36 5
(ii)	सुरक्षित (protected) वन	17 65	54 3
(iii)	अवर्गीकृत (unclassified) वन	2 98	9 2
	कुल	*32 49*	*100.0*

इस प्रकार 36 5% वन-क्षेत्र आरक्षित है, जहाँ पशुओं को घास चरने व लोगों को सूखे पेड़ काटने की आज्ञा नहीं दी जाती है । लगभग आधे वन-क्षेत्र सुरक्षित श्रेणी में आते हैं जहाँ

1 State Forestry Action Programme (1996-2016), August 1996, p 15

2 *Some Facts About Rajasthan, 2003, p 19*

जैविक दबाव बहुत ज्यादा पाया जाता है, और अवर्गीकृत क्षेत्र में मुख्यतया मरु जिले आते हैं और इसी में इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र की व्यर्थ भूमि पर उगाये गये पेड़ भी शामिल हैं।

वनों का वर्गीकरण (Classification of Forests)—राज्य में वन मुख्यतः अरावली के पर्वतीय भागों में पाये जाते हैं। वनों में उत्पन्न होने वाले पेड़-पौधे उस स्थान की जलवायु की दशाओं से प्रभावित होते हैं। अतः वनस्पति और जलवायु का परस्पर गहरा सम्बन्ध होता है। इस आधार पर राजस्थान के वनों को मुख्यतया चार वर्गों में बाँटा जा सकता है—

***(i)* शुष्क सागवान के वन** (Dry Teak Forests)—ये वन मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान के बाँसवाड़ा और डूँगरपुर जिलों में पाये जाते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा कोटा जिलों के कुछ भागों में इनका विस्तार पाया जाता है। सागवान के वन राज्य के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 75 से 110 सेमी तक होती है तथा सर्दियों में अधिक ठण्ड नहीं पड़ती। इन वनों में ऊँचे साल के वृक्ष पाये जाते हैं। पिछले वर्षों में इन वनों का काफी विनाश हुआ है। ये वन-क्षेत्र के 7% भाग में फैले हुए हैं।

***(ii)* मिश्रित पतझड़ वाले वन** *(Mixed Deciduous Forests)—इन वनों में ऐसे* पेड़ व झाड़ियाँ उगती हैं जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान में पतझड़ का यह मौसम मार्च-अप्रैल के महीने में गर्मियाँ शुरू होने से पहले होता है। इन वनों में मुख्यतः धोंक, खैर, ढाक, साल और बाँस के वृक्ष मिलते हैं। धोंक के वृक्षों की लकड़ी जलाने और कोयला बनाने के काम आती है। खैर से कत्था प्राप्त होता है। साल की लकड़ी का उपयोग दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने में किया जाता है। इस लकड़ी से पैकिंग केस भी बनाए जाते हैं। साल के जंगलों का विस्तार अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और अजमेर जिलों में अधिक पाया जाता है। ढाक के पेड़ों की पत्तियों से पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। बाँस को छप्पर, टोकरियाँ, चारपाई आदि बनाने के काम में लिया जाता है।

धोंक के वनों का विस्तार विशेषतः सवाई माधोपुर, बूँदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और अलवर जिलों में पाया जाता है। ये पेड़ कठोर चट्टानों पर भी सरलता से उग सकते हैं और इन्हें अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये पेड़ अधिकांशतः वन प्रदेश में फैले रहते हैं। खैर के वृक्षों की उत्पत्ति मुख्यतः झालावाड़, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़ व अलवर जिलों के वनों में होती है। साल के वृक्षों का विस्तार अलवर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाया जाता है। ये वृक्ष पठारी-पर्वतीय प्रदेशों में अधिक उगते हैं। ढाक के वन सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर और टोंक जिलों में अधिक पाये जाते हैं। बाँस की उत्पत्ति विशेषतः आबू के पहाड़ों, उदयपुर, कोटा और *अलवर जिलों में अधिक होती है।*

मिश्रित पतझड़ वाले वनों में कई अन्य छोटे-बड़े पेड़-पौधे भी मिलते हैं। इन वनों में तेंदू, नीम, पीपल, आम, जामुन, सीताफल, बेर, आदि के वृक्ष भी पाये जाते हैं। इन वनों का भी पिछले तीस वर्षों में काफी विनाश हुआ है। इनके वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जलाने के लिए तथा इमारती लकड़ी के रूप में होता रहा है, इसलिए वनों की सघनता काफी कम हो गई है। ये वन-क्षेत्र के 27% भाग में फैले हुए हैं।

***(iii)* शुष्क वन** (Dry Forests)—इन वनों में पेड़ बहुत छोटे आकार के होते हैं। छोटी झाड़ियाँ अधिक होती हैं। ये वन राज्य के शुष्क उत्तर-पश्चिमी भाग में पाये जाते हैं। इनमें प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम होती है और काफी छितरी हुई अवस्था में दिखाई देती है। रेगिस्तानी टीलों तथा चम्बल व बनास नदियों के बीहड़ों में भी इसी प्रकार की वनस्पति होती है।

इस प्रकार के शुष्क जलवायु वाले वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, थोर आदि के वृक्ष तथा झाड़ियाँ उगते हैं। इन पेड़ों और झाड़ियों की जड़ें बहुत गहराई तक पहुँचती हैं। इसलिए ये गर्मियों की कठोर शुष्कता को भी सहन कर लेते हैं। इन सभी पेड़-पौधों का रेगिस्तानी भागों में बहुत महत्त्व होता है। खेजड़ी के छोटे-छोटे पत्ते पालतू पशुओं को खिलाने के काम में आते हैं। बेर के पत्तों से बना 'पाला' भी पशुओं को खिलाया जाता है। **खेजड़ी का वृक्ष इतना अधिक उपयोगी होता है कि उसे रेगिस्तान का 'कल्पवृक्ष' कहा गया है।** ये वन-क्षेत्र के 2/3 भाग (लगभग 65%) में पाये जाते हैं।

***(iv)* अर्द्ध-उष्ण सदाबहार वन** (Sub-tropical Evergreen Forests)—ये वन सदैव हरे-भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति राज्य के अर्द्ध-गर्म भागों में होती है। अत: इन्हें अर्द्ध-उष्ण कहा जाता है। इन वनों का विस्तार राज्य के बहुत छोटे और सीमित भाग आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ वृक्षों की सघनता अधिक होती है और साल-भर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पाये जाते हैं। जैसे—आम, बाँस, नीम, सागवान, आदि। ये वन ऊँचाई वाले पहाड़ी ढालों पर फैले होते हैं। अत: यहाँ की जलवायु भी शेष राजस्थान से अधिक ठण्डी होती है। इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा के कारण पौधों को भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। इनका फैलाव बहुत कम होता है। ये कुल वन-क्षेत्र के मात्र 0 4% (1/2 % से भी कम) भाग में पाये जाते हैं।

राजस्थान में वनों से जलाने की लकड़ी व चारकोल प्राप्त होता है। इनसे इमारती लकड़ी, बाँस, कत्था, तेन्दू के पत्ते, शहद व गोंद, अडवल की छाल, घास आदि वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, जिनका विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। वनों का राज्य की घरेलू उत्पत्ति में लगभग 716 करोड़ रु. का योगदान माना गया है; जिसमें जलाने की लकड़ी का योगदान 72 करोड़ रु, चारे का 570 करोड़ रु, टिम्बर का 34 करोड़ रु. व गैर-टिम्बर वनोत्पादों का 40 करोड़ रु., (पत्तियाँ, फल-फूल, दवाई के पौधे, आदि) आँका गया है।[1] वनों से लोगों को रोजगार भी मिलता है और ये पशुओं के जीवन का आधार होते हैं।

अत: वन-सम्पदा व वनस्पति के संरक्षण, विकास व उचित विदोहन की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। वनों से जलाने की लकड़ी, टिम्बर, बांस व तेन्दू पत्ता, आदि प्राप्त होते हैं।

वर्तमान समय में राज्य में वन-क्षेत्र कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 9 3% आँका गया है। पंजाब को छोड़कर देश में सबसे कम वन-सम्पदा राजस्थान की ही मानी जाती है। **ताजा सूचना के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक अंश 16% उदयपुर जिले**

1 State Forestry Action Programme, 1996-2016, p 23

में पाया जाता है तथा जोधपुर जिले में यह मात्र 0.9% ही है। इस प्रकार राज्य में वनों का वितरण काफी असमान है। वनों के अन्तर्गत कम क्षेत्रफल होने के कारण राज्य में ईंधन व औद्योगिक लकड़ी की माँग की पूर्ति कर सकना कठिन रहता है। पश्चिमी राजस्थान में वनों का नितान्त अभाव पाया जाता है। वहाँ कुछ कटिदार झाड़ियाँ व घास-पात ही होते हैं। राष्ट्रीय वन-नीति के अनुसार लगभग $\frac{1}{3}$ भौगोलिक क्षेत्र में वन होने चाहिए। इस दृष्टि से राज्य में वनों का अत्यधिक अभाव पाया जाता है। जिस क्षेत्र में वन दिखाए गए हैं उनमें भी बहुत कम भाग में उत्तम किस्म के वन पाये जाते हैं। ज्यादातर घटिया श्रेणी के वन होते हैं। वृक्षों की अत्यधिक कटाई, आवश्यकता से अधिक चराई व भूमि के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में भी वनों का काफी ह्रास हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान की बिड़ला इन्स्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में पड़ने वाले 16 जिलों के कुछ भागों में 1972-75 से 1982-84 की अवधि में वन-क्षेत्र में *41.5% की गिरावट आई है।*[1] *इससे पता चलता है कि राज्य में कितनी भयावह रफ्तार से* वनों का ह्रास हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग ईंधन को लकड़ी सिर पर ढोकर वनों का विनाश करते रहे हैं। ऐसा जयपुर, अलवर, बूँदी, उदयपुर, कोटा आदि शहरों के समीप के क्षेत्रों में देखा गया है, जहाँ आस-पास की पहाड़ियाँ बंजर हो गई हैं और उनमें पर्यावरण की समस्याएँ बढ़ गई हैं। **राज्य में ईंधन की लकड़ी की माँग तेजी से बढ़ रही है। इसके 2001 तक 67.3 लाख टन होने की आशा है, जबकि इसकी पूर्ति राज्य के साधनों से केवल 11.8 लाख टन ही हो पाएगी, जिससे लगभग 55.5** लाख टन का अभाव रहेगा। इसलिए राज्य में ईंधन की लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है।

राज्य में व्यर्थ भूमि (Wasteland) की मात्रा काफी अधिक है जो घटिया वन-भूमि, अकृष्य भूमि (Unculturable Land), चराई व चरागाह-भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि तथा सड़कों, नहरों आदि के किनारे भूमि के टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। **देश की कुल व्यर्थ भूमि का लगभग $\frac{1}{5}$ भाग अकेले राजस्थान में पाया जाता है।** विपरीत जलवायु व अन्य जैविक दबावों के कारण राज्य में व्यर्थ पड़ी भूमि का उपयोग करना एक दुष्कर कार्य है। राज्य में ईंधन की लकड़ी, चारे व इमारती लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालीन नीति की आवश्यकता है ताकि वानिकी (Forestry) में अधिक विनियोग किया जा सके। **राज्य में वर्ष 2001 में चारे की माँग का अनुमान 7.2 करोड़ टन व पूर्ति 5 करोड़ टन आंकी गई है, जिससे 2.2 करोड़ टन का अभाव रहने का अनुमान है।** अत: घास के मैदानों व चरागाहों का विकास किया जाना भी *अत्यावश्यक है।* इसी प्रकार टिम्बर की माँग भी इसकी पूर्ति से अधिक रहेगी। उसका उत्पादन भी बढ़ाया जाना चाहिए।

वर्तमान समय में जापान की आर्थिक सहायता से इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण व चरागाह-विकास से इस क्षेत्र को हरा-भरा करने की एक व्यापक योजना पर कार्य चल

---

1 Eighth Five Year Plan 1992-97, March 1993, p 122

रहा है तथा अरावली वनरोपण प्रोजेक्ट के माध्यम से उस क्षेत्र में वृक्षारोपण, चरागाह विकास, मिट्टी व नमी-संरक्षण के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

वनों के विकास के लिए सरकारी कार्यक्रम

वनों की उपयोगिता देखते हुए राज्य सरकार तेजी से वन-विकास के कार्यक्रम चला रही है। राज्य में वन लगाने का काम कई विभाग करते हैं। ये विभाग इस प्रकार हैं—

(1) वन-विभाग, (2) भू-संरक्षण विभाग (Soil Conservation Department), (3) कमाण्ड क्षेत्र विकास विभाग, (4) मरुस्थल विकास प्रोग्राम (Desert Development Programme) के अन्तर्गत, (5) सूखा-सम्भावित क्षेत्र-कार्यक्रम (Drought-Prone Area Programme) (DPAP) के अन्तर्गत, (6) जवाहर रोजगार योजना और (7) आकाशीय बीजारोपण (Aerial Seeding) हैं। इन सभी विभागों व कार्यक्रमों के अन्तर्गत वृक्षारोपण का विस्तार किया जा रहा है जिनको भविष्य में अधिक सफल बनाने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त राज्य में सामाजिक वानिकी (Social Forestry) और फार्म वानिकी (Farm Forestry) के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सामाजिक-वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा व्यक्तियों को निश्चित संख्या में छोटे-छोटे पेड़ दिए जाते हैं जिन्हें गाँवों व शहरों की बंजर भूमि, नहरों व सड़कों के किनारे, रेल की पटरियों के दोनों तरफ व अन्य स्थानों पर लगाया जाता है और पूरी देखरेख के साथ विकसित किया जाता है। राज्य में सामाजिक वानिकी-कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण की योजना लागू की जा रही है। फार्म-वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत इच्छुक किसानों को अपने खेतों पर पेड़ लगाने के लिए पौधे दिए जाते हैं। इस प्रकार सभी तरह के सम्भावित वन-विकास-कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे राज्य में वनों का विकास व विस्तार हो सके।

वानिकी कार्य के लिए सरकार प्रति वर्ष धनराशि के व्यय का प्रावधान करती है। वन-विभाग रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने का कार्य कर रहा है।

राज्य के 10 जिलों—अलवर, जयपुर, सीकर, झुँझुनूं, नागौर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा एवं सिरोही—में जापान सरकार के सहयोग से 1992-93 से अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया गया है। **इस परियोजना का कार्यकाल 31 मार्च, 2000 को समाप्त हो गया है।** इंदिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में जापान सरकार के सहयोग से वृक्षारोपण व चरागाह विकास के कार्य किए जा रहे हैं। **यह परियोजना 1991-92 में प्रारम्भ की गई और इसका कार्यकाल 5 फरवरी, 2000 को समाप्त होना था, जिसे बाद में 2 साल बढ़ाकर 5 फरवरी, 2002 तक कर दिया गया।** वन-सुरक्षा व विकास हेतु उत्तम काम वाली संस्थाओं, स्कूलों, पंचायतों व कर्मचारियों को पुरस्कार देने के लिए धन राशि का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गाँधी नगर परियोजना वानिकी-प्रोजेक्ट के लिए जापान के **Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है (अब इसका नाम बदलकर Japan Bank of International Co-operation (JBIC) कर दिया गया है)।** इसकी संशोधित लागत

288 करोड़ रु. आँकी गयी है । इसके माध्यम से वृक्षारोपण, सीडलिंग-वितरण, नमी-संरक्षण व नई नर्सरी के कार्यक्रम सम्पन्न किए गए हैं । JBIC, जापान की सहायता से 2003-04 में 35 करोड़ रु. के प्रावधान से **'राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना'** नाम की नई बाह्य सहायता प्राप्त योजना स्वीकृत की गई है ।

गैर-अरावली व गैर-मरु (15 जिलों में) वानिकी-विकास-परियोजना 1995-2002 के लिए 145 करोड़ रु. की लागत से प्रारम्भ की गयी है । इसमे भी इंदिरा गाँधी नहर वानिकी-प्रोजेक्ट की भाँति कार्य किए जा रहे हैं ।

1999-2000 में एक शत-प्रतिशत केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम—''बनास भू व जल-संरक्षण स्कीम''—4 जिलों टोंक, जयपुर, सवाईमाधोपुर व दौसा में 10 करोड़ रु. के (प्रारम्भिक वर्ष में) व्यय से चालू की गयी है ।

भारत वन-सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में 1993 से 1999 तक 982 वर्ग किलोमीटर में सेटेलाइट सर्वे के आधार पर नया वृक्षारोपण किया गया है । इसमें जनता व सरकार के सहयोग से प्रगति हुई है । विश्व खाद्य कार्यक्रम के तत्वावधान में *'मरुस्थलीकरण को रोकने की परियोजना'* केन्द्र ने स्वीकृत की है । इसे उदयपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ व डूँगरपुर जिलों में अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए भी चलाया जायगा ।

परिशिष्ट

वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में (% में)

क्र.	जिला		क्र.	जिला	
1	अजमेर	7 2	2	अलवर	18 9
3	बाँसवाड़ा	23 6	4	बाड़मेर	1 5
5	भीलवाड़ा	7 6	6	बीकानेर	4 6
7	बूंदी	26 7	8	चित्तौड़गढ़	24 3
9	चूरू	0 5 (L) (न्यूनतम)	10	धौलपुर	21 1
11	डूंगरपुर	17 1	12	गंगानगर व हनुमानगढ़	4.2
13	जयपुर व दौसा	8.3	14	जैसलमेर	1 1
15	जालौर	5 3	16	झालावाड़	21 0
17	झुंझुनूं	6 8	18	जोधपुर	1.3
19	कोटा व बारां	28 8	20	नागौर	1.25

क्र.	जिला		क्र.	जिला	
21	पाली	7.4	22	सवाईमाधोपुर व करौली	27.6
23	सीकर	8.3	24	सिरोही	31.0 (H) (अधिकतम)
25	टोंक	4.6	26	उदयपुर व राजसमंद	29.4
27	भरतपुर	7.0			
समस्त राजस्थान 9.32					

स्रोत : State Forestry Action Programme (1996-2016) p 15

नोट : प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम अनुपात सिरोही जिले का तथा न्यूनतम अनुपात चूरू जिले का आंका गया है।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी कौनसी झील है ?
   (अ) पंचभद्रा झील (ब) सांभर झील
   (स) रामगढ़ झील (द) लेक पैलेस झील (ब)

2. जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, वह है—
   (अ) बाड़मेर (ब) जयपुर
   (स) जैसलमेर (द) बाँसवाड़ा (अ)

3. नक्की झील स्थित है—
   (अ) माऊंट आबू में (ब) उदयपुर में
   (स) जैसलमेर में (द) बीकानेर में (अ)

4. राजस्थान राज्य की सीमाएँ जिन अन्य राज्यों को छूती हैं, उनके नाम हैं—
   (अ) पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
   (ब) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात
   (स) पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात (ब)

5. राजस्थान के वे जिले जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं—
   (अ) गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेल एवं बाड़मेर
   (ब) गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर एवं जालोर
   (स) गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालोर
   (द) जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर (अ)

6. राजस्थान के पड़ोस में राज्य है :
   (अ) गुजरात (ब) मध्य प्रदेश
   (स) हरियाणा (द) उपरोक्त सभी (द)

7. राजस्थान की राजधानी है :
   (अ) जयपुर (ब) जोधपुर
   (स) बीकानेर (द) भीलवाड़ा (अ)

8. बिड़ला समूह कहलाता है :
   (अ) मारवाड़ी (ब) पंजाबी
   (स) सिंधी (द) गुजराती (अ)

9. अरावली श्रेणियों की दूसरे नम्बर की ऊँची चोटी का नाम है—
   (अ) कुम्भलगढ़ (ब) नागपहाड़
   (स) सेर (द) अचलगढ़ (स) (1597 मीटर)
   [RAS, 1998]

10. निम्नांकित में से कौन-सा युग्म सही है ?
   (अ) बाणगंगा—बनास (ब) कोठारी—लूनी
   (स) सूकड़ी—चम्बल (द) जाखम—माही (द)
   [RAS, 1998]

11. हाड़ौती-पठार की मिट्टी है—
   (अ) कछारी (जालौढ़) (ब) लाल
   (स) भूरी (द) मध्यम काली (द)
   [RAS, 1998]

12. राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है—
   (अ) जैसलमेर एवं बाड़मेर (ब) जैसलमेर एवं जालोर
   (स) बीकानेर एवं चूरू (द) जोधपुर एवं जैसलमेर (स)
   [RAS, 1998]

13. राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम है—
   (अ) बनास (ब) माही
   (स) लूनी (द) गम्भीरी (स)

14. गर्मियों के मौसम में आबू क्षेत्र में तापमान कम रहता है, क्योंकि वहाँ की—
   (अ) ऊँचाई अधिक है ।
   (ब) भूमध्य रेखा से दूरी अधिक है ।
   (स) समुद्र-तट से दूरी अधिक है ।
   (द) मानसूनी हवाओं का वेग अधिक होता है । (अ)

15. राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम है—
    (अ) सीरोजम (ब) लाल-दुमट
    (स) जलोढ़ (alluvial) (द) बलुई
    (ए) भूरी (स)

16. राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल निम्न जिलो में से किस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है ?
    (अ) नागौर जिला (ब) भरतपुर जिला
    (स) गंगानगर जिला (द) सवाई माधोपुर जिला (द)

17. राजस्थान में सर्वाधिक वन-क्षेत्र निम्न में से किस जिले में पाया जाता है ?
    (अ) उदयपुर व राजसमंद जिले (ब) कोटा व बारां जिले
    (स) चित्तौड़गढ़ जिला (द) सवाई माधोपुर व करौली जिले (अ)

18. राजस्थान में वनों का शीघ्र ह्रास होने का कारण है—
    (अ) वर्षा की कमी (ब) वायु द्वारा भूमि का कटाव
    (स) तापक्रम की अधिकता (द) पेड़ों की अनियंत्रित कटाई (द)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान की भौतिक संरचना का विवेचन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत करिए—
   (अ) प्राकृतिक भाग, (ब) जलवायु
   (स) मिट्टियाँ तथा (द) वनस्पति
2. क्या राजस्थान की भौतिक संरचना राज्य के आर्थिक विकास के अनुकूल है ? इस सम्बन्ध में राज्य की वनस्पति सम्बन्धी स्थिति का विवरण दीजिए और सरकार द्वारा इनके विकास के उपाय स्पष्ट कीजिए।
3. राज्य की वन-सम्पदा पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
4. राज्य के प्राकृतिक भागों की आर्थिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
5. राजस्थान की नदियों, झीलों व मिट्टी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इनकी राज्य के आर्थिक विकास में क्या भूमिका मानी जा सकती है ?
6. राज्य में निम्नलिखित नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और किसमें मिलती हैं ?
   (अ) लूनी (ब) चम्बल
   (स) माही (द) बनास

प्राकृतिक साधन : भूमि, जल, पशु-धन व वन्य-जीव*

(Natural Resource Endowments : Land, Water, Livestock and Wild life)

किसी भी राज्य के आर्थिक विकास पर उसके प्राकृतिक साधनों की मात्रा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । प्राकृतिक साधनों में भूमि की मात्रा व किस्म का कृषिगत उत्पादन से सीधा सम्बन्ध होता है । मिट्टी की किस्म, जलवायु व वर्षा से फसलों की किस्में निर्धारित होती हैं । भूमि का उपयोग कृषिगत उत्पादन, वनों की उपज, चरागाहों के माध्यम से पशु-धन के विकास, बंजर भूमि की मात्रा, आदि को प्रभावित करता है । जल-साधन—सतही जल व भूजल—राज्य के आर्थिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं । कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था, उद्योगों के लिए जल की उपलब्धि, जल-विद्युत का विकास, पेयजल की आपूर्ति, आदि राज्य में जल की पर्याप्त उपलब्धि पर ही निर्भर करते हैं । राज्य की खनिज सम्पदा औद्योगिक विकास की दिशा व दशा को निर्धारित करती है, जिसका दूरगामी प्रभाव राज्य में रोजगार, आमदनी व निर्यात की प्रगति, आदि पर पड़ता है । इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि *प्राकृतिक साधनों की मात्रा व गुणवत्ता राज्य में आर्थिक विकास की दर को* प्रभावित करते हैं । प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन करके वहाँ के नागरिकों का जीवन-स्तर उन्नत किया जा सकता है । लेकिन उनका विदोहन करते समय पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण पर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा, अन्यथा भावी पीढ़ी के लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं ।

प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग करके व उनका समुचित विकास करके निर्धनता व बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है । अतः आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों का केन्द्रीय स्थान होता है ।

---

* वनों का विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है ।

इस अध्याय में हम राज्य के प्राकृतिक साधनों में भूमि, जल व पशु-धन का वर्णन करेंगे तथा अगले अध्याय में खनिज-पदार्थों व राज्य को अगस्त 1994 में घोषित नई खनिज नीति की विस्तृत चर्चा करेंगे, जो आगामी वर्षों में राज्य के औद्योगिक विकास पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।

राजस्थान में भूमि का उपयोग[1]—इसका विस्तृत विवेचन कृषि के अध्याय में किया जाएगा। यहाँ मोटे तौर पर यह बतलाया जाएगा कि राज्य में रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है और वर्तमान में उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है।

2001-02 की सूचना के अनुसार, राजस्थान में रिपोर्टिंग क्षेत्र लगभग 3 करोड़ 42 लाख 65 हजार हैक्टेयर था। शुद्ध कृषित क्षेत्र (net area sown) इसका 48.9% था। शुद्ध कृषित क्षेत्र एक फसल के आधार पर जोता-बोया क्षेत्र होता है। इसी वर्ष बंजर व अकृषित भू-क्षेत्र (barren and uncultivated land) लगभग 7.4 प्रतिशत था और कृषि योग्य व्यर्थ (Culturable waste) क्षेत्र 13.8 प्रतिशत था। चालू परती भूमि (जो एक वर्ष के लिए बिना खेती के रखी जाती है) 5.2 प्रतिशत तथा अन्य परती भूमि (जो एक से पाँच वर्ष तक बिना बोए छोड़ी जोती है) का अनुपात भी लगभग 6 8 प्रतिशत था। इस प्रकार कुल परती भूमि का क्षेत्र लगभग 12 प्रतिशत था। वनों के अन्तर्गत रिपोर्टिंग क्षेत्र का अंश 7.7 प्रतिशत था।[2] शेष भूमि अन्य कार्यों; जैसे अकृषिगत उपयोगों, स्थायी चरागाह, वृक्ष-फसलों (tree-crops) व कुंजों, आदि में लगी हुई थी।

ध्यान देने की बात है कि राज्य में **कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की मात्रा काफी अधिक है। यह कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 13.8% है।** चालू परती व अन्य परती भूमि का अनुपात भी लगभग 12% पाया जाता है। DES के आँकड़ों के अनुसार राज्य में वनों का क्षेत्र बहुत कम, लगभग 7.7 प्रतिशत ही है। कृषियोग्य व्यर्थ भूमि का उपयोग करके राज्य में आमदनी व रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। प्रयत्न करके इस पर वृक्षों व घास का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में इसके उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

जल-साधन (Water Resources)—भारत में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें जल-साधनों का सबसे ज्यादा अभाव पाया जाता है। राज्य में जल-साधनों की कमी का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है जिसमें कुछ सूचकों में राजस्थान की स्थिति भारत की तुलना में दर्शाई गई है—

(i)	भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का अंश	10 4%
(ii)	कृषित क्षेत्र में राजस्थान का अंश	10 6%
(iii)	1991 की जनसंख्या में राजस्थान का अंश	5 2%
(iv)	सतही जल (Surface water) की उपलब्धि में राजस्थान का भारत के कुल सतही जल में अंश	1 04%

1. Some Facts About Rajasthan, 2003, pp.12-13 (प्रतिशत निकाले गए हैं)
2. State Forestry Action Programme (1996-2016) के अनुसार वन-क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9 3% आंका गया है।

इस प्रकार सतही जल-साधनों (surface water sources) में राजस्थान का केवल 1% अंश है, जो अन्य सूचकों की तुलना में काफी नीचा है । वैसे जल-साधनों में सतही-जल साधन व भू-जल साधन दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ सतही जल-साधन को ही लिया गया है ।

(i) सतही-जल साधन (Surface Water Sources)—राजस्थान में कुल सतह जल की सम्भाव्यता 15.86 मिलियन एकड़ फुट (MAF) की है । इसलिए राज्य को जल के लिए अन्तर्राज्यीय नदी बेसीनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके तहत राज्य को निम्न प्रकार से 14.51 MAF जल आवंटित किया गया है ।[1]

		मिलियन एकड़ फुट (MAF) में
(i)	गंग नहर	1.11
(ii)	भाकड़ा नहर	1.41
(iii)	नर्मदा	0.50
(iv)	रावी-व्यास	8.60
(v)	यमुना का जल	0.91
(vi)	माही का जल	0.37
(vii)	चम्बल/कोटा बैराज	1.60
	कुल	14.50

अन्तर्राज्यीय नदी-सिंचित प्रदेशों में से राजस्थान को सर्वाधिक मात्रा रावी-व्यास से 8.60 MAF आवंटित है । इसमें से 7.59 MAF का उपयोग इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (IGNP) के माध्यम से किया जाना है तथा शेष 1.02 MAF का इस्तेमाल गंग व भाकड़ा नहर-प्रणालियों में सिद्धमुख, नोहर व पूरक गंग नहर के माध्यम से किया जाना है ।

भू-जल (Ground Water) की उपलब्धि राज्य की जल-विज्ञान सम्बन्धी दशाओं के कारण काफी परिवर्तनशील व असमान रहती है । लेकिन अधिकांश भागों में भू-जल की किस्म घटिया किस्म की पाई जाती है ।

राज्य के जल-साधनों पर पेनल ने भू-जल साधनों के निम्नांकित अनुमान पेश किए हैं—

		(MAF में)
1	कुल भू-जल साधन	10.183
2	पीने, औद्योगिक व अन्य उपयोगों के लिए निर्धारित	1.527
3	शेष सिंचाई के लिए प्रयोज्य	8.656
4	इसमें से अब तक प्रयुक्त मात्रा	4.354
5	भू-जल की बकाया मात्रा जो भविष्य के लिए उपलब्ध होगी	4.302
6	भू-जल के उपयोग का वर्तमान स्तर [(4) का (3) से अनुपात]	50.30%

1 Draft Tenth Five Year Plan, 2002-07. Vol I GOR, p 13 1.

इस प्रकार राज्य में भू-जल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग आधा अंश काम में लिया जा रहा है। लेकिन इसमें प्रादेशिक अन्तर बहुत ज्यादा पाया जाता है। **जून 1988 तक राज्य के 237 खण्डों में से 81 खण्ड 'काली श्रेणी' (dark category) में आ चुके थे, तथा 31 खण्ड 'भूरी श्रेणी' (grey category) में आ चुके थे।** इसका आशय यह है कि उनमें पानी की सतह बहुत नीचे चली गई है। इसलिए राज्य में भूमि के नीचे के जल का उपयोग अधिक सावधानी से करने की आवश्यकता है।

राजस्थान पत्रिका में 22 मई 1997 को प्रकाशित सूचना के अनुसार 1995 में डार्क व ग्रे जोनों की संख्या बढ़कर 109 हो गई है। राज्य में 2 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूजल उपलब्ध है। अब इसमें से 92,285 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (43%) डार्क व ग्रे जोन में आ चुका है। राज्य में कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है। यदि यही सिलसिला जारी रहा तो कुछ ही वर्षों में भूगर्भीय पानी खत्म हो जायेगा, या फिर वह इतना लवणीय और अशुद्ध हो जायेगा कि न तो पीने के काम आ सकेगा और न ही सिंचाई के। इस सम्बन्ध में नागौर व जयपुर जिलों की स्थिति सबसे ज्यादा चिन्ताजनक बतलायी गयी है

इसके विपरीत पत्रिका की ही 29 मई, 1997 की सूचना के अनुसार **बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना इलाके में भूजल के बढ़ते उपयोग से वहाँ के किसान इसबगोल, जीरा व सरसों जैसी फसलें बोने लगे हैं** और गेहूँ, बाजरा, जौ, मूँग-मोठ उनकी दूसरी प्राथमिकता -(second priority) बन गये हैं। धोरीमन्ना क्षेत्र से ही मारवाड़ की गंगा लूणी नदी बाड़मेर जिले से जालोर जिले की सांचोर तहसील में प्रवेश कर नेहड़ इलाके से गुजरती हुई कच्छ के रण में प्रवेश करती है। धोरीमन्ना क्षेत्र में पानी की उपलब्धता की जानकारी वहाँ के किसानों को तो पहले भी थी, लेकिन पहले सामन्ती शासन के कारण वहाँ भूजल-स्रोतों पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी सरकारों ने इस क्षेत्र के भूजल-स्रोतों के विकास की कोई सुदृढ़ योजना नहीं प्रारम्भ की। उम्मीद है कि भविष्य में इस क्षेत्र की माली हालत सुधरेगी।

जुलाई 1997 की सूचना के अनुसार नागौर व चूरू जिलों के **लाडनूँ व सुजानगढ़ समेत विभिन्न स्थानों के भूगर्भीय जलस्तर व इसकी गुणवत्ता में अप्रत्याशित रूप से फेरबदल हो रहा है।** लाडनूँ की धरती में खूब पानी निकलने लगा है। इससे उस क्षेत्र में हरियाली बढ़ी है और कृषिगत विकास की नई सम्भावनाएँ उत्पन्न हुई हैं, जिनका नियोजित ढंग से उपयोग व विकास किया जाना चाहिए।

राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 1971-72 में 24.40 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 2001-02 में 67.44 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गया है। नहरों, कुओं व नलकूपों से सिंचित **क्षेत्रफल बढ़ा है। राज्य में योजनाकाल में सिंचाई के साधनों का काफी विकास हुआ है।**

राज्य में जल-साधनों के सदुपयोग के लिए सुझाव—(1) *अन्तर्राज्यीय जल-साधनों* में राज्य के अंश का शीघ्रतापूर्वक पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, नर्मदा, सिद्धमुख व नोहर सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए भारत सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराना चाहिए। सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए ताकि इनकी लागत न बढ़े।

(2) पानी का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन अधिकतम हो सके। इसके लिए फव्वारा-सिंचाई (sprinkler irrigation) व बूँद-बूँद सिंचाई (Drip-irrigation) की विधियाँ अपनाई जा सकती हैं, जिनमें पानी की किफायत होती है और कम पानी से ज्यादा-से-ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(3) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में भू-जल व सतह-जल का मिला-जुला उपयोग (Conjunctive use) इस प्रकार का होना चाहिए जिससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके।

(4) जिन क्षेत्रों में पानी की सतह (Water-level) सूखे की दशाओं के कारण बहुत नीचे जा रही है उनमें भू-जल के उपयोग में विशेष सावधानी बरतनी होगी तथा अन्य उपाय भी करने होंगे।

(5) सरकार को जल-पूर्ति के विकास पर अधिक विनियोग करना चाहिए। इससे पेयजल की सुविधा भी बढ़ेगी।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में पानी के अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जल-साधनों का उपयोग अधिक सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि मनुष्यों व पशुओं को पेयजल मिल सके, फसलों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके तथा भवन-निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र व अन्य प्रकार की जल की आवश्यकताओं की यथा-सम्भव पूर्ति की जा सके।

राजस्थान का पशु-धन—राजस्थान के लिए पशु-सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्त्व माना गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन ही है। इससे राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का 15% से अधिक अंश प्राप्त होता है। राजस्थान में देश के पशु-धन का 7% तथा भेड़ों का 25% अंश पाया जाता है। राज्य में देश के दूध-उत्पादन का 11% तथा ऊन के उत्पादन का 40% प्राप्त होता है।

राज्य में प्रति पाँच वर्ष में एक बार पशु-संगणना होती है। पशुओं की संख्या पर सूखे व अकाल का विपरीत प्रभाव पड़ता है। 1987-88 के भयंकर सूखे व अकाल के कारण 1983-88 की अवधि में पशुओं की संख्या लगभग 88 लाख घट गयी थी। **1992 की पशु-संगणना के अनुसार पशुओं (total livestock) की संख्या 4.78 करोड़ आंकी गयी है जो बढ़कर 1997 में 5.47 करोड़ हो गई है। 1997 में विभिन्न प्रकार के पशुओं का वर्गीकरण इस प्रकार रहा—गोधन (गाय-बैल) 1.21 करोड़, भैंस-जाति 97.7 लाख, भेड़-जाति 1.46 करोड़, बकरी-जाति 1.70 करोड़ तथा शेष 12.0 लाख में घोड़े व टट्टू, ऊँट व सूअर तथा गधे वगैरह शामिल थे।**[1]

जैसा कि पहले बतलाया गया है राज्य में समस्त भारत की भेड़ों की संख्या का लगभग 25% अंश पाया जाता है। भेड़-पालन में लगभग 2 लाख परिवार संलग्न हैं, और लगभग इतने ही परिवार ऊन-प्रोसेसिंग की क्रियाओं में संलग्न हैं। प्रतिवर्ष लगभग 170 लाख

1. Some Facts About Rajasthan, 2003, part I. p 17 (प्रतिशत निकाले गए हैं) (संशोधित)।

किलोग्राम ऊन उत्पन्न किया जाता है और 30 लाख से अधिक भेड़-बकरियाँ मांस के लिए प्रयुक्त होती हैं।

राजस्थान में पशुओं की कुछ सर्वोत्तम नस्लें पाई जाती हैं। नागौरी बैल माल ढोने में बहुत चुस्त पाए जाते हैं। ये प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में राजस्थान से बाहर भेजे जाते हैं। राज्य सरकार ने राठी, थारपारकर व नागौरी नस्लों वाले क्षेत्रों में चुने हुए ढंग पर पशुओं के प्रजनन (Selective Breeding) की नीति अपनाई है। इसके अन्तर्गत एक नस्ल के उत्तम पशुओं को चुना जाता है। कांक्रेज या सांचोरी, गिर, हरियाणा व मालवी नस्लों के लिए चुने हुए ढंग (सिलेक्टिव) पर तथा 'क्रोस-ब्रीडिंग' दोनों विधियों के आधार पर पशुओं की नस्ल के विकास का काम किया जाता है। क्रोस-ब्रीडिंग में सुधरी नस्ल के उत्तम पशुओं का प्रजनन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह पशुओं की नस्ल-सुधार व उत्पादकता बढ़ाने में मदद देता है।

देश में ऊन के कुल उत्पादन का लगभग 40% अंश अकेले राजस्थान में उत्पन्न होता है। राजस्थान में भेड़ों की निम्न 8 नस्लें पायी जाती हैं : चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा तथा सोनाड़ी । इनमें प्रथम तीन बीकानेर की प्रमुख नस्लें हैं। जोधपुर की मारवाड़ी नस्ल मशहूर है। चोकला भेड़ से वस्त्रों की ऊन प्राप्त होती है। नाली नस्ल का ऊन दोनों में काम आता है। राज्य में 1992 में भेड़ों की संख्या मेढ़ों व मेमनों सहित 1.22 करोड़ थी जो 1997 में बढ़कर 1.43 करोड़ हो गई। राजस्थान में देश की कुल भेड़ों का लगभग 25% अंश होने पर भी देश के कुल ऊन के उत्पादन का 40% अंश प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि **यहाँ प्रति भेड़ ऊन की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है**। यहाँ प्रति भेड़ लगभग 1.6 किलो ऊन प्राप्त होता है, जबकि समस्त देश का औसत केवल 0.9 किलो ही माना गया है। **भेड़-नस्ल-सुधार-कार्यक्रम में मारवाड़ी, जैसलमेरी व मगरा भेड़ों को 'सिलेक्टिव ब्रीडिंग' स्कीम में लिया गया है। इसके लिए उसी नस्ल के चुने हुए उत्तम मेंढ़े प्रयुक्त किए जाते हैं। नाली, चोकला, सोनाड़ी व मालपुरा नस्लों का विकास 'क्रोस-ब्रीडिंग' के माध्यम से किया जाता है,** जिसमें भेड़ों की नस्ल में गुणात्मक सुधार करने के लिए किसी उत्तम किस्म की दूसरी नस्ल का ब्रीडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। वर्तमान में राज्य में लगभग 1.70 करोड़ किलोग्राम अथवा 17 हजार टन ऊन उत्पन्न किया जाता है। मांस के विक्रय से करोड़ों रुपयों का वार्षिक व्यापार होता है। बाड़मेर, सीकर, जोधपुर व भीलवाड़ा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऊन-आधारित उद्योग का विकास किया जा रहा है। कोटा व सवाई माधोपुर में बकरियों की नस्ल दूध व मांस दोनों दृष्टियों में उत्तम मानी गई है। राज्य में ऊँटों की कई नस्लें पाई जाती हैं। **जैसलमेर के समीप नाचना का ऊँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि समस्त भारत के औसत की तुलना में अधिक पाई जाती है।** राजस्थान से प्रतिदिन काफी मात्रा में अण्डे अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं।

राजस्थान में कृषि के बाद जीविकोपार्जन का दूसरा महत्त्वपूर्ण साधन पशुपालन ही माना गया है। इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को कृषि व पशुपालन की अर्थव्यवस्था

कहा जाता है । सरकार को पशुपालन के विकास पर काफी ध्यान देना चाहिए । राज्य के निवासियों की आय बढ़ाने के लिए पशु-धन के विकास पर ज्यादा बल देना उचित होगा । पानी, चारा (उत्पादन एवं संग्रह) आदि के विस्तार से पशु-सम्पत्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है । अकाल व सूखा पड़ जाने से पिछले वर्षों में कई बार राजस्थान से पशुओं को अन्यत्र भेजना पड़ा है और पशु-धन को काफी क्षति पहुँची है । लेकिन अब अन्य राज्यों में भी कठिनाइयाँ होने के कारण वहाँ पशुओं को भेजना मुश्किल होता जा रहा है । राज्य में पानी व चारे की सुविधाएँ बढ़ाकर अर्द्धशुष्क व शुष्क प्रदेशों में भेड़-पालन व अन्य पशुओं का विकास किया जाना चाहिए । **राजस्थान में पशु-आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ हैं; जैसे ऊन का उद्योग, दुग्ध व दुग्ध-निर्मित पदार्थ, मांस का उद्योग, चमड़े का उद्योग व हड्डी का उद्योग** । यदि पशु-धन के विकास पर समुचित ध्यान दिया *जाए तो सरकार व जनता दोनों की आय में वृद्धि हो सकती है ।*

राजस्थान सहकारी डेयरी संघ सहकारी आधार पर डेयरी के विकास में संलग्न है । वर्तमान में राज्य में 16 जिला डेयरी संघों की प्रतिदिन की दूध-संग्रह की क्षमता 9 लाख लीटर दूध से बढ़कर 13.45 लाख लीटर हो गयी है । 2002-03 में पंजीकृत सहकारी डेयरी समितियों (DCS) की संख्या 6961 थी तथा इसके नीचे 16 जिला दुग्ध संघ थे । 2003-04 में प्रतिदिन दुग्ध का औसत संग्रहण 10.33 लाख किलोग्राम हो पाया था[1] वर्तमान में दूध का संग्रहण—स्तर प्रतिदिन बढ़ने लगा है । पिछले दो वर्षों की दूध के संग्रहण व बिक्री की सफलता को देखते, हुए राज्य को—"व्यवसाय-उपक्रमों के ग्लोबल-संगठन" की तरफ से 'ज्ञान ज्योति' का अवार्ड दिया गया है बीकानेर में 'सरस रसगुल्लों' का उत्पादन भी किया जाता है । इसके अलावा सरस पनीर, सरस घी व 90 दिन तक खराब न होने वाले **'टेट्रापैक दूध' (Tetrapak milk)** का उत्पादन भी किया जाता है ।

राज्य में पशु-पालन व डेयरी-विकास के सम्बन्ध में नीति व राजकीय प्रयास— राज्य मे पशु—पालन व डेयरी विकास की दिशा मे महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गये हैं। मरु-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन के विकास को प्राथमिकता दी गई है। पशुओ की नस्ल को सुधारने के लिए प्रजनन की उत्तम विधियाँ अपनाई गई हैं। कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है। पशुओ में बीमारी की रोकथाम का इन्तजाम *किया गया है। इसके लिए पशु—चिकित्सा—केन्द्र खोले गए हैं।*

प्रतिदिन दूध के सकलन की व्यवस्था की गई है। जैसा कि ऊपर कहा गया है राज्य मे 10 डेयरी संयत्र लगाए जा चुके हैं तथा 25 अवशीतन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। दूध का उत्पादन करने वालो की सहकारी समितियाँ बनाई गई हैं। उनको सतुलित पशु—आहार व चारा उपलब्ध कराया जाता है।

पशु—पालको की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1 अप्रैल, 1986 को भारत एग्रो-इण्डस्ट्रीज-फाउन्डेशन (BAIF) की सहायता से क्रोस-ब्रीडिग के लिए 50 केन्द्र स्थापित

1 Economic Review 2003-04, pp.53-54 & Some Facts About Rajasthan, 2003, part I, p.25.

करने का समझौता किया गया था । ये केन्द्र भीलवाड़ा, कोटा, बूँदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूँगरपुर व बाँसवाड़ा जिलों में स्थापित किए गए हैं ।

इस प्रकार सरकार पशुओं की नस्ल सुधारने, पशु-चिकित्सा, पशु-पालकों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने तथा पशुधन की अभिवृद्धि करके राज्य की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है । **पशु-नस्ल-सुधार के लिए 'गोपाल योजना' काफी उपयोगी रही है ।** वर्तमान में राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों के 12 जिलों की 40 चुनी हुई पंचायत समितियों में 586 गोपाल कार्यरत हैं । राज्य में विभिन्न स्थानों पर पशु-मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें परबतसर व पीपलू गाँव के पशु मेले उल्लेखनीय हैं । बस्सी (जयपुर) में पशु-प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है, यहाँ विशेषतया जरसी गायों का प्रजनन होता है । गौशालाओं को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केन्द्र बनाने के लिए **"कामधेनु" नाम की एक नई योजना प्रारम्भ की गई है ।** इसका लाभ कृषि-विकास केन्द्र व स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलेगा । आगे चलकर चयनित निजी पशुपालकों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है ।

वन्य जीव-सुरक्षा (Wild life protection)—राजस्थान की अधिकांश भूमि रेतीली, बंजर व पर्णपाती वनों से घिरी होते हुए भी वन्य-जन्तु व पशु-पक्षियों से भरपूर है । विभिन्न वन्य-पशु आवास हेतु राष्ट्रीय पार्क, सुरक्षित स्थल व पक्षी-विहार विकसित किए गए हैं । इन्हें प्राकृतिक रूप में संजोकर रखा गया है ।

राज्य में **तीन राष्ट्रीय पार्क व 25 अभयारण्य हैं** । तीन राष्ट्रीय पार्कों का परिचय नीचे दिया जाता है—

(1) रणथम्भौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर—यह 389 वर्ग किलोमीटर में फैला बाघ का आवास-क्षेत्र माना जाता है । यह स्थान बाघ के अभयारण्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है । **इसे 'शेरों की भूमि' भी** कहा जाता है । पिछले समय में यहाँ शेरों की संख्या को लेकर थोड़ा विवाद रहा है । रणथम्भौर की संकरी घाटी को बाघ, शेर व रीछ के छिपने का उपयुक्त स्थान माना गया है । यहाँ गीदड़, लकड़बग्घा, हिरण, चिंकारा, नीलगाय आदि जानवर भी विचरण करते दिखाई देते हैं । पास की झील में मगरमच्छ व पक्षियों के झुण्ड भी पाए जाते हैं ।

(2) राष्ट्रीय मरुउद्यान (डेजर्ट सैंक्चुअरी), जैसलमेर—यह 1981 में स्थापित किया गया था । यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में चिंकारा, रैगिस्तानी बिल्ली, लोमड़ी, खरगोश आदि पाए जाते हैं । यहाँ रंग-बिरंगी चिड़ियाँ, शाही रेगिस्तानी मुर्गा, सारस व बस्टर्ड, गरुड़, बाज आदि पाए जाते हैं । मरुस्थल के बहुत भीतरी भाग में **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावन पक्षी)** अपनी वंश-वृद्धि करते हैं, हालांकि यह नस्ल तेजी से लुप्त होती जा रही है ।

(3) केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर—यहाँ अद्वितीय हंसों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं । यहाँ पक्षी कीकर के पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं । यहाँ कई प्रकार के सारस देखे जा सकते हैं । यहीं पर प्रति वर्ष साइबेरिया से उड़ने वाले सारस विश्राम करने के लिए आते हैं । यहाँ नीलगाय, चीतल, साँभर व हिरण भी विचरण करते हैं । कहीं-कहीं शेर व चीते भी देखे जा सकते हैं ।

वन्य जीवन शरणस्थलों या अभयारण्यों (sanctuaries) में कुछ प्रसिद्ध स्थल इस प्रकार हैं—टाइगर प्रोजेक्ट, सरिस्का (अलवर) वन्य जीवन अभयारण्य कुम्भलगढ़ (उदयपुर), सीतामाता (चित्तौड़गढ़), केलादेवी (सवाईमाधोपुर), टोडगढ़ रवाली (अजमेर), फुलवारी की नाल (उदयपुर), आदि ।

उदयपुर के समीप विभिन्न स्थानों में कुछ जाने-अनजाने विहार और स्थित हैं, जिनमें वन्य पशु-पक्षी पाए जाते हैं । कोटा नगर से 40 किलोमीटर दूर दर्राह वन्य अभयारण्य तथा माउंट आबू अभयारण्य में भी कई प्रकार के वन्य जीव पाये जाते हैं । जोधपुर जिले के मांचिया में एक सफारी पार्क एवं कई लघु मृग पार्क हैं । इस प्रकार राजस्थान प्रमुखतया मरुस्थलीय प्रदेश होते हुए भी वन-प्राणियों से विहीन नहीं है । ये प्राणी प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं और पर्यावरण व परिवेश के संतुलन को बनाए रखने में मदद देते हैं । सरकार सदैव इनकी सुरक्षा व संरक्षण के लिए प्रयत्नशील रहती है । इनके चोरी-छिपे शिकार पर कठोर प्रतिबन्ध होना जरूरी है, अन्यथा भविष्य में इनकी कमी मानवता के लिए अभिशाप बन सकती है ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क कहाँ है ?
   (अ) जोधपुर (ब) बाड़मेर
   (स) जैसलमेर (द) जालौर (स)

2. प्राकृतिक साधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावनाएँ हैं जिनका आधार है—
   (अ) पशुधन (ब) वन
   (स) कृषि (द) खनिज (द)

3. राजस्थान में 2001-02 में शुद्ध जोता-बोया क्षेत्र कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभग कितना अंश है ?
   (अ) 49% (ब) दो-तिहाई
   (स) 60% (द) कोई नहीं (अ)

4. राज्य में कृषियोग्य व्यर्थ भूमि कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का कितना भाग है ? (2001-02 में)
   (अ) 5% (ब) 14%
   (स) 20% (द) 25% (ब)

5. राज्य में कौन-सा जल समस्त राष्ट्रीय जल का लगभग 1% अंश माना गया है ?
   (अ) सतही जल (ब) भूजल
   (स) सतही तथा भूजल (द) कोई भी नहीं (अ)

6. हाल में राज्य में जल की कौन-सी समस्या सर्वाधिक गम्भीर होती जा रही है ?
   (अ) पानी खारा होता जा रहा है
   (ब) डार्क व ग्रे जोनों की संख्या बढ़ रही है
   (स) पानी सिंचाई के लायक नहीं रह गया है
   (द) पानी की कमी बढ़ती जा रही है । (ब)
7. आर्थिक विकास की दृष्टि से राज्य के प्राकृतिक साधनों की स्थिति पर कौन-सा कथन लागू होता है ?
   (अ) सभी प्राकृतिक साधन अपर्याप्त हैं
   (ब) कुछ साधन पर्याप्त हैं और कुछ का अभाव है
   (स) कृषि के लिए भूमि की कोई कमी नहीं है
   (द) औद्योगिक विकास के लिए सभी साधन विद्यमान हैं । (ब)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक साधनों का विवेचन कीजिए और बताइए कि वे राजस्थान के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं ।
2. राजस्थान के 'जल-साधनों' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।
3. राजस्थान के पशुधन का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।
4. राजस्थान के आर्थिक साधनों का मूल्यांकन कोजिए ।
5. राजस्थान में प्रचुर प्राकृतिक साधन हैं, समझाइए ।
6. प्राकृतिक संसाधन निधियों में राजस्थान किस सीमा तक धनी है ?
7. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान का पशु-धन,
   (ii) राज्य के जल-साधन,
   (iii) राज्य में भूमि का उपयोग ।
8. राजस्थान के प्राकृतिक साधनों का विवेचन कीजिए और बताइए कि वे राजस्थान के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं ?
9. प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास में महत्व बताइए ।
10. राजस्थान राज्य के भूमि, पशुधन एवं जल-संसाधनों का वर्णन कीजिए ।

खनिज पदार्थ व राज्य की नई खनिज नीति, अगस्त 1994

(Minerals and New Mineral Policy of the State, August, 1994)

राजस्थान खनिज पदार्थों का एक अजायबघर (A Museum of Minerals) माना गया है । वर्तमान में यहाँ 42 किस्म के बड़े खनिज तथा 23 प्रकार के लघु खनिज पाए जाते हैं । अलौह धातु (non-ferrous metals) (सीसा, जस्ता व ताँबा) के उत्पादन-मूल्य की दृष्टि से भारत में इसका प्रथम स्थान है, तथा लौह खनिजों (ferrous minerals) जैसे टंगस्टन, आदि के उत्पादन-मूल्य में इसका चौड़ा स्थान है । प्रचलित कीमतों पर (at current prices) खनन (mining) से 1991-92 में 462 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी, जो राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP) का 2.3% थी । यह 2002-03 में 1955 करोड़ रुपये हो गई, जो राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का 2.6% अंश रही । खनन-क्षेत्र से राज्य को गैर-कर राजस्व (non-tax revenue) 1993-94 में 161.2 करोड़ रु. प्राप्त हुआ था जिसके भविष्य में बढ़ने की आशा है । इसी वर्ष खनन-क्रिया में 3.25 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था ।

वर्तमान में राजस्थान जास्पर व वोलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तथा टंगस्टन, सीसा व जस्ता कन्सन्ट्रेट्स, ताँबा धातु, सीमेंट व स्टील ग्रेड चूना पत्थर, सोपस्टोन, बाल क्ले, कैल्साइट, फैल्सपार, प्राकृतिक जिप्सम, चीनी मिट्टी (केओलिन), रॉक फॉस्फेट, गेरू (ऑकर) एवं इमारती पत्थर का अग्रणी उत्पादक माना गया है ।

राज्य में जिन खनिजों का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 70% या अधिक होता है, वे अग्रांकित तालिका में दर्शाए गए हैं ।[1]

1 Mineral Policy, August 1994, Department of Mines, Govt of Raj., p 1

राजस्थान में देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 5 7% होता है। **इस दृष्टि से भारत में राज्य का पाँचवाँ स्थान है**। उत्पादन-मूल्य की दृष्टि से बिहार (13 1%), मध्य प्रदेश (9 7%), गुजरात (8 6%) तथा असम (7 3%) इससे आगे हैं।

राजस्थान में समस्त भारत के उत्पादन का प्रतिशत

खनिज पदार्थ		खनिज पदार्थ	
वोलस्टोनाइट	100	सीसा कन्सन्ट्रेट	80
जास्पर	100	रॉक फॉस्फेट	75
जस्ता कन्सन्ट्रेट	99	बाल क्ले	71
फ्लोराइट	96	कोटा स्टोन	70
जिप्सम	93	फैल्सपार	70
मार्बल	90	कैल्साइट	70
एसबेस्टस	89	सैण्डस्टोन	70
सोप स्टोन	87		

खनिज ईंधनों (Mineral fuels) में पलाना की लिग्नाइट की खानें आती हैं, जिनमें काफी वर्षों से काम होता रहा है। नागौर जिले के मेड़ता रोड तथा बाड़मेर जिले के कपूरड़ी क्षेत्रों में लिग्नाइट के विशाल भण्डार मिले हैं। कपूरड़ी में 6 करोड़ टन के लिग्नाइट के भण्डार आँके गए हैं। **मई 1983 में जैसलमेर जिले में घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का एक विशाल भण्डार पाया गया था**। यहाँ एक अरब घनमीटर में प्राकृतिक गैस मिली है। इस क्षेत्र में सीमेंट प्लांट और विद्युत-गृह स्थापित करने की योजना है। **6 जुलाई, 1990 को डांडेवाला (जैसलमेर) में प्राकृतिक गैस का एक भण्डार मिला है**। इससे प्रतिदिन 4 लाख क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध होने का अनुमान है जिससे एक बिजलीघर व कई गैस-आधारित उद्योग चलाए जा सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, रीको, सेंचुरी रेयन, दिग्विजय सीमेंट, गोविन्द ग्लास उद्योग, गैस के लिए ऑयल इण्डिया लि. को अनुरोध कर चुके हैं। मार्च 1984 में जैसलमेर से करीब 145 किलोमीटर दूर सादेवाला में तेल का एक बड़ा भण्डार मिला था। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने जून 1983 के अन्त में वहाँ खुदाई का काम शुरू किया था। जैसलमेर में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग एक हीलियम गैस प्लांट लगाने का विचार कर रहा है। सादेवाला से पाक सीमा के बीच करीब छः किलोमीटर की ही दूरी है। रामपुरा-आगुचा (भीलवाड़ा जिले) में जिंक व सीसे के विपुल भण्डार मिलने से राजस्थान में भारत सरकार ने चंदेरिया में एक जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है, जिसकी लागत लगभग 447 करोड़ रु. अनुमानित है। इसे हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड कार्यान्वित करेगा। इस परियोजना में खनिज दोहन पर 170 करोड़ रुपये की लागत को शामिल करने पर कुल लागत का अनुमान 617 करोड़ रुपये लगाया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के गाँव केसरपुरा (प्रतापगढ़) के निकट हीरे की खोज उल्लेखनीय है। इसका विस्तृत सर्वे किया जा रहा है।

जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र में 50 करोड़ टन स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डारों का पता लगाया गया है। यह पीले रंग का स्टील ग्रेड लाइमस्टोन उत्तम किस्म का होता है। यह इस्पात बनाने की फैक्ट्रियों में प्रयुक्त किया जा सकता है।

अप्रैल 1992 में ऑयल इण्डिया को बीकानेर के निकट बाधेवाला क्षेत्र में तेल के विशाल भण्डार मिले हैं। बाधेवाला से तुवरीवाला तक 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हैवी क्रूड ऑयल के भण्डार का पता चला है, जो करीब 125 मीटर मोटी परत के रूप में है। इस क्षेत्र में करीब साढ़े तीन करोड़ टन तेल के भण्डार है। राज्य में तेल व गैस की खोज के सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। पोलैण्ड की सुप्रसिद्ध कम्पनी-पोलिश ऑयल एण्ड गैस कम्पनी के सहयोग से एसार ऑयल द्वारा बीकानेर, गंगानगर व चूरू जिलों के 32 हजार वर्ग किलोमीटर में खोज कार्य शुरू करने की चर्चा रही है। शैल इन्टरनेशनल ने बाड़मेर-जालौर जिलों में अपना सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है तथा वहाँ परीक्षण के तौर पर कुए खोदे जा रहे हैं।

नीचे विभिन्न खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है—

धात्विक खनिज (Metallic Minerals)[1]

(i) **ताँबा**—खेतड़ी की ताँबे की खानें सिंघाना से रघुनाथपुरा तक फैली हुई हैं। राज्य के अन्य भागों में भी ताँबे के भण्डारों का सर्वेक्षण किया गया है। दरीबा के समीप का क्षेत्र भी उल्लेखनीय है। झुंझुनूं जिले के खेतड़ी-सिंघाना क्षेत्र में ताँबा निकाला जाता है। दूसरा स्रोत खो-दरीबा (अलवर जिला) है। भीलवाड़ा जिले में भी ताँबे का क्षेत्र है। सिरोही जिले में आबू रोड के समीप सोना, जस्ता व ताँबा पाए गए हैं। उदयपुर जिले के अंजली क्षेत्र में ताँबे के भण्डार मिले हैं।

खेतड़ी के समीप ताँबे के बड़े भण्डार हैं। इनका उपयोग करके कच्चा ताँबा गलाने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। इससे उपोत्पत्ति (by-product) के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगी और थोड़ी चाँदी व सोने की मात्रा भी उपलब्ध होगी। सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होने से सुपर फॉस्फेट का उत्पादन भी चालू किया जा सकेगा।

राजस्थान में कच्चे ताँबे (copper-ore) का उत्पादन 1999-2000 में 8.5 लाख टन तथा 2001-02 में 8.9 लाख टन अनुमानित है।

(ii) **सीसा व जस्ता**—उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर जावर स्थान पर सीसे व जस्ते की खानें स्थित हैं। सीसे के डले गलाने के लिए बिहार भेज दिए जाते हैं, और जस्ते के डले जो पहले जापान भेज दिए जाते थे, अब देबारी (उदयपुर के पास) में जस्ता गलाने के संयंत्र में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस कार्य के संचालन के लिए 'दी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड', देबारी की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जस्ता गलाने की उपोत्पत्ति के रूप में सुपर फॉस्फेट एसिड व कैडमियम प्राप्त होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है,

1 Some Facts About Rajasthan, 2003, part 1, pp 26-27 आगे भी 2001-02 के अधिकांश आँकड़े इसी स्रोत से लिए गए हैं।

भीलवाड़ा जिले के रामपुरा-आगुचा क्षेत्र में जस्ते व सीसे के विपुल भण्डार मिले हैं जिससे चंदेरिया में एक जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाया जा रहा है।

2001-02 में राजस्थान में सीसे के डलों का उत्पादन 44 हजार टन तथा जस्ते के डलों का 398 हजार टन हुआ था । 2001-02 में चाँदी का उत्पादन 45406 किलोग्राम हुआ जो पिछले साल से अधिक था ।

(iii) कच्चा लोहा—राजस्थान में थोड़ी मात्रा में कच्चा लोहा जयपुर, उदयपुर, झुंझुनूं, सीकर व अलवर जिलों में पाया जाता है । मुख्य भण्डार जयपुर व उदयपुर जिलों में स्थित हैं । 2000-01 में कच्चे लोहे का उत्पादन 43.6 हजार टन हुआ था जिसके घट कर 2001-02 में 29.5 हजार टन होने का अनुमान है ।

(iv) **मैंगनीज**—बांसवाड़ा जिले में घटिया किस्म की मैंगनीज पाई जाती है । राज्य में मैंगनीज का उत्पादन बहुत कम होता है ।

(v) **टंगस्टन** (Tungsten)—नागौर जिले में डेगाना के पास दो पहाड़ियों में टंगस्टन के भण्डार पाए जाते हैं । यहाँ पर टंगस्टन की किस्म भी काफी अच्छी बताई जाती है । *टंगस्टन का उपयोग एलोय तथा स्पेशल स्टील के निर्माण में होता है । यह विद्युत के साज-*सामान में भी प्रयुक्त किया जाता है । टंगस्टन रक्षा-विभाग को सप्लाई किया जाता है । भारत में टंगस्टन के उत्पादन का बड़ा अंश राजस्थान से ही प्राप्त होता है । मैंगनीज व टंगस्टन के उत्पादन के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

औद्योगिक व अधात्विक खनिज (Industrial and Non-Metallic Minerals)—इन खनिजों का वर्णन निम्न समूहों में विभाजित करके किया जा सकता है—

(अ) पृथक् करने के काम आने वाले खनिज, ताकि ताप का प्रभाव न पड़े (Insulants), **ताप सहन करने में मदद देने वाले खनिज** (refractories) **व चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आने वाले खनिज** (ceramic minerals) । इस समूह में निम्न खनिज शामिल होते हैं—

(i) एसबेस्टस—एसबेस्टस का उपयोग एसबेस्टस सीमेंट, छत की चद्दरें, पाइप आदि बनाने में किया जाता है । 2001-02 में 14.8 हजार टन एसबेस्टस का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 2000-01 में 17.9 हजार टन का हुआ था । भारत का 89% एसबेस्टस राजस्थान में उत्पादित किया जाता है । इसके भण्डार उदयपुर, डूँगरपुर, भीलवाड़ा व अजमेर जिलों में हैं ।

(ii) फैल्सपार (Felspar)—यह काँच, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में प्रयुक्त होता है । देश में फैल्सपार की कुल उत्पत्ति का लगभग 70% राजस्थान में उत्पन्न होता है । यह मुख्यतया अजमेर में पाया जाता है और थोड़ी मात्रा में सिरोही, उदयपुर, अलवर और पाली जिले में भी पाया जाता है । 2001-02 में इसका उत्पादन 155 हजार टन हुआ जबकि 2000-01 में 141 हजार टन हुआ था ।

(iii) **सिलिका रेत** (Silica Sand)—यह काँच उद्योग में कच्चे माल के रूप में काम में आती है । यह अधिकांशतः जयपुर और बूँदी जिलों में निकाली जाती है ।

2001-02 में इसका उत्पादन 1.99 लाख टन हुआ जबकि 2000-01 में 2.07 लाख टन हुआ था।

***(iv)* क्वार्ट्ज**—यह चीनी मिट्टी के उद्योग व इलेक्ट्रोनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है। यह अलवर, सीकर, सिरोही व अलवर जिलों में मिलता है।

***(v)* मैग्नेसाइट**—यह रिफ्रेक्टरी ईंटों के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। यह थोड़ी मात्रा में काँच के उद्योगों में भी काम आता है। यह अजमेर जिले में भी पाया जाता है।

***(vi)* वरमीक्यूलाइट**—अजमेर जिले में एक खान से थोड़ी मात्रा में वरमीक्यूलाइट निकाला जाता है। इस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता। यह ताप व ध्वनि का अच्छा इन्स्यूलेटर होता है।

***(vii)* वोलस्टोनाइट**—यह एक नवीन खनिज है जिसके उपयोग बढ़ते जा रहे हैं। यह सिरैमिक उद्योग में काफी काम आता है। यह पेन्ट व कागज उद्योग में भी प्रयुक्त होता है। यह सिरोही जिले में मिलता है। **भारत का शत-प्रतिशत वोलस्टोनाइट का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है।**

***(viii)* चायना क्ले व व्हाइट क्ले**—यह बर्तन बनाने व विद्युत इन्स्यूलेटर के रूप में काम आता है। यह सवाई माधोपुर, सीकर, अलवर, नागौर व जालौर जिलों में पाया जाता है।

***(ix)* फायर क्ले**—यह फायर क्ले ईंट, ब्लॉक्स आदि बनाने के काम आती है। यह बीकानेर जिले में पाई जाती है।

***(x)* डोलोमाइट**—यह अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, सीकर व उदयपुर जिलों से निकाला जाता है। यह चिप्स व पाउडर तथा चूना बनाने में भी काम आता है।

(आ) इलेक्ट्रोनिक व आणविक खनिज—इस समूह में अभ्रक व बेरिल आते हैं।

***(i)* अभ्रक** (mica)—राजस्थान में अभ्रक की खानें भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर व उदयपुर जिलों में पाई जाती हैं। अभ्रक विद्युत साज-सामग्री में प्रयुक्त होता है। यह रबर के टायरों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है।

बिहार व आन्ध्र प्रदेश के बाद अभ्रक के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान आता है। भारत का लगभग एक-चौथाई अभ्रक राजस्थान में उत्पन्न होता है। 2000-01 में अभ्रक का उत्पादन 169.7 टन तथा 2001-02 में 329.6 टन आंका गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगुना था।

***(ii)* आणविक खनिज**—आणविक खनिजों में भी राजस्थान की स्थिति उत्साह-वर्द्धक मानी जाती है। अजमेर व राजगढ़ की खानों में लिथियम की कुछ मात्रा मिली है। उदयपुर के समीप यूरेनियम की खोज की जा रही है। राजस्थान बेरिल का भी प्रमुख उत्पादक है। यह सूक्ष्म मात्रा में अभ्रक की खानों में मिलता है। यह अजमेर व जयपुर संभाग में पाया जाता है।

(इ) कीमती पत्थर व अब्रेसिव्ज (Gem Stones and Abrasives)—

(i) **पन्ना** (Emerald)—अजमेर व उदयपुर जिलों में कुछ स्थानों पर एमरल्ड मिलता है। यह हरे रंग का कीमती पत्थर होता है। पिछले वर्षों में इसका उत्पादन काफी घट गया है।

(ii) **गारनेट**—यह अजमेर, भीलवाड़ा व टोंक जिलों में पाया जाता है। इसकी दो किस्में होती हैं : एक तो अब्रेसिव ओर दूसरी जैम। राजस्थान में इसकी दोनों किस्में पाई जाती हैं। जैम गारनेट टोंक जिले में ज्यादा मिलता है।

(ई) उर्वरक खनिज—इस समूह में जिप्सम, रॉक-फॉस्फेट व पाइराइट्स आते हैं।

(i) **जिप्सम**—राजस्थान मे जिप्सम के काफी भण्डार भरे पड़े हैं। देश में कुल उत्पादन का 93% राजस्थान के हिस्से मे आया है। जिप्सम की खानें बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर व पाली जिलें मे पाई जाती हैं। पहले यह भवन-प्लास्टर मे ज्यादा प्रयुक्त होती थी, अब यह उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल मानी जाती है। यह सीमेंट उद्योग में भी प्रयुक्त होती है। देश मे गन्धक की कमी होने से जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण बहुत उपयोगी माना जा सकता है। 2000-01 में राजस्थान में 25 लाख टन जिप्सम का उत्पादन हुआ तथा 2001-02 के लिए लगभग 27.1 लाख टन का अनुमान लगाया गया है।

(ii) **रॉक-फॉस्फेट**—उदयपुर के समीप रॉक-फॉस्फेट के विशाल भण्डारों की खोज ने राजस्थान के खनिज-इतिहास मे एक नया अध्याय जोड़ दिया है। पहले यह जैसलमेर जिले मे बिरमेनिया स्थान पर ढूँढा गया था। **झामर-कोटड़ा के भण्डार बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं।** अन्य छोटे-छोटे भण्डार भी पाए गए हैं। झामर-कोटड़ा क्षेत्र मे उत्पादन मार्च 1969 से प्रारम्भ हो गया था। रॉक-फॉस्फेट का उपयोग सुपर फॉस्फेट के उत्पादन में किया जा रहा है। 1969 मे राज्य मे लगभग 69 हजार टन रॉक-फॉस्फेट का उत्पादन एक महत्त्वपूर्ण घटना मानी गई है। इससे विदेशी विनिमय की काफी बचत हुई है। 2000-01 में रॉक-फॉस्फेट का उत्पादन 10.1 लाख टन हुआ था। 2001-02 के लिए उत्पादन का अनुमान 11.1 लाख टन है, जो पिछले वर्ष से थोड़ा ज्यादा है। रॉक-फॉस्फेट की बिक्री से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी होती है। रॉक-फॉस्फेट के परिशोधन के लिए एक बड़ा संयंत्र लगाने की योजना है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट सोफरा माइन्स, फ्रांस द्वारा तैयार कराई गई है। झामर-कोटडा मे रॉक-फॉस्फेट के 68 करोड़ टन के भण्डार अनुमानित हैं।

(iii) **पाइराइट्स** (Pyrites)—सीकर जिले के सलादी-पुरा में पाइराइट्स की काफी मात्रा उपलब्ध हुई है। इससे गन्धक का अम्ल निकाला जा सकता है। गन्धक का अम्ल या तेजाब उर्वरक उद्योग के काम में आता है। उदयपुर के समीप रॉक-फॉस्फेट के भण्डारों व सलादीपुरा की पाइराइट्स का उपयोग करके राज्य में एक उर्वरक कॉम्पलेक्स या समूह स्थापित किया जा सकता है।

(उ) रसायन उद्योग के खनिज—इस समूह में लाइम-स्टोन, फ्लोर्सपार व बेराइट्स आते हैं।

***(i)* लाइमस्टोन या चूना पत्थर**—सौभाग्य से राजस्थान को सीमेंट के उत्पादन के लिए लाइमस्टोन के विस्तृत भण्डार प्राप्त हैं । नौ सीमेन्ट के प्लाण्ट: लाखेरी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, दारौली (उदयपुर), निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), मौडक (कोटा), बनास (सिरोही), ब्यावर व कोटा में चल रहे हैं । पिछले पाँच वर्षों में राज्य में सीमेंट का उत्पादन काफी बढ़ा है । राज्य के विभिन्न भागों में लाइमस्टोन पाए जाने से सीमेन्ट के उद्योग का भविष्य उज्ज्वल हो गया है । **जैसलमेर, उदयपुर, बाँसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही व पाली जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में लाइमस्टोन की सकल मात्रा व श्रेणी निश्चित करने के लिए प्रोसपेक्टिंग का कार्य चल रहा है । जैसा कि प्रारम्भ में बताया जा चुका है जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में स्टीलग्रेड लाइमस्टोन का 50 करोड़ टन का भण्डार मिला है** । लाइमस्टोन का उत्पादन लाइमस्टोन (आयामी) (डाइमेन्सनल) व बर्निंग दो श्रेणियों के तहत अलग से दिखाया जाता है । 2001-02 में आयामी लाइमस्टोन का उत्पादन 21 6 लाख टन तथा बर्निंग किस्म के लाइमस्टोन का उत्पादन लगभग 29.1 लाख टन आंका गया है ।

***(ii)* फ्लोर्सपार (Flourspar)**—डूँगरपुर जिले मे मांडो-की-पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार के भण्डार पाए जाते हैं । इसका विकास पहले के वर्षों में राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम के द्वारा किया गया था । यह फ्लोर्सपार स्टील मैटेलर्जी में व हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने मे काम आता है । राज्य में 2000-01 में 4.8 हजार टन फ्लोराइट क्रूड का उत्पादन हुआ था । 2001-02 में 3.5 हजार टन का उत्पादन होने का अनुमान है ।

***(iii)* बेराइट्स (Barytes)**—*यह तेल के कुओं की ड्रिलिंग के दौरान घोल या कीचड़ बनाने के काम आता है* । यह पेंट, लिथोपेन उद्योग तथा बेरियम रसायनों में प्रयुक्त होता है । यह कागज व रबर उद्योग में भी काम आता है । यह अलवर जिले में तथा नाथद्वारा के समीप मिलता है । 2000-2001 में इसका उत्पादन 6 हजार टन हुआ था । **2001-02 में इसके घटकर 3.8 हजार टन रहने का अनुमान है** ।

(ऊ) छोटे खनिज (Minor Minerals)—

***(i)* बेन्टोनाइट**—यह एक प्रकार की मिट्टी होती है । यह ड्रिलिंग मड तैयार करने व सौन्दर्य प्रसाधनों (cosmetics) के निर्माण में प्रयुक्त होता है । यह बाड़मेर व सवाई माधोपुर जिलों में पाया जाता है । देश का 15% बेन्टोनाइट राजस्थान में मिलता है ।

***(ii)* मुलतानी मिट्टी (Fuller's Earth)**—बीकानेर व जोधपुर जिले में इसके भण्डार पाए जाते हैं । यह चिकनाहट को सोख लेती है और तेल से रंगीन पदार्थ हटाने में प्रयुक्त होती है ।

***(iii)* संगमरमर, ग्रेनाइट व अन्य भवन-निर्माण के पत्थर**—मकराना का संगमरमर ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त किया गया था । नागौर, पाली, सिरोही, बूँदी, उदयपुर व जयपुर जिलों में संगमरमर की प्राप्ति के अन्य स्थान भी मिले हैं । 2000-01 में संगमरमर (ब्लॉक्स) का उत्पादन 40.6 लाख टन हुआ जिसके 2001-02 में 49.3 लाख टन होने

का अनुमान है । राजस्थान के 18 जिलों में ग्रेनाइट पत्थर मिलता है । अतः राज्य ग्रेनाइट की दृष्टि से काफी धनी है । **जालौर जिले में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है । ग्रेनाइट के भण्डारों में प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं—झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, अलवर व राजसमंद ।** राज्य के विभिन्न भागों में सैण्डस्टोन व लाइमस्टोन के भण्डार पाए जाते हैं ।

(ए) विविध–

***(i)* घीया पत्थर, टेल्क व पाइरोपिलाइट**—राजस्थान इनका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना गया है । ये खनिज टैल्कम पाउडर, खिलौने आदि बनाने में प्रमुख माने जाते हैं । ये उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा व डूँगरपुर जिलों में पाए जाते हैं ।

***(ii)* कैल्साइट**—यह रसायन के रूप में कैल्सियम कार्बोनेट होता है । यह कागज, वस्त्र, चीनी मिट्टी उद्योग, पेन्ट इत्यादि में काम आता है । यह सीकर जिले में प्राप्त होता है । लेकिन कुछ मात्रा सिरोही, पाली, जयपुर व उदयपुर जिलों में भी पाई जाती है ।

***(iii)* गेरू या ओकर्स (Ochres) (लाल और पीले)**—ये खनिज पिगमेंट होते हैं । ये घुलते नहीं हैं और रंग बनाने, सीमेंट, रबड़, प्लास्टिक आदि उद्योगों में काम आते हैं । यह चित्तौड़गढ़ जिले में कई स्थानों पर मिलता है । यह कुछ अन्य जिलों में भी मिलता है ।

***(iv)* नमक**—राजस्थान में सांभर झील में काफी नमक उत्पन्न किया जाता है । डीडवाना, पचपदरा व लूनकरणसर भी नमक के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र माने गए हैं ।

खनिज ईंधन (Mineral Fuels)

(1) लिग्नाइट कोयला—राजस्थान में लिग्नाइट कोयला (भूरा कोयला) काफी मात्रा में पाया जाता है । इससे थर्मल बिजली पैदा की जा सकती है । राज्य में इसके भण्डार पलाना (बीकानेर) में 2 5 करोड़ टन, कपूरड़ी (बाड़मेर) में 6 करोड़ टन तथा मेड़ता रोड (नागौर) में 2 5 करोड़ टन पाए गए हैं ।

लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत गृह के लिए 2×250 मेगावाट बरसिंगसर परियोजना के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान विद्युत कॉरपोरेशन के साथ 16 दिसम्बर, 1996 को विद्युत खरीदने का अनुबन्ध किया गया था ।

बरसिंगसर में लिग्नाइट-आधारित ताप बिजलीघर का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य में विद्युत का अभाव दूर किया जा सके । बरसिंगसर में 6 करोड़ 20 लाख टन लिग्नाइट होने का अनुमान है । यहाँ 35 साल तक लिग्नाइट का खनन किया जा सकता है । अतः इस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक जल की पूर्ति इन्दिरा गाँधी नहर से की जाएगी ।

(2) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस—राजस्थान में गैस के भण्डार जैसलमेर में घोटारू नामक स्थान पर 1983 में पाए गए थे । इनमें मिथेन व हीलियम गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है । जुलाई 1990 में डांडेवाला (जैसलमेर क्षेत्र) में प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार मिले हैं, जिनसे एक बिजलीघर व कुछ गैस-आधारित उद्योग चलाए जा सकते हैं ।

1984 में जैसलमेर मे 'सादेवाला' में खनिज तेल के भण्डार मिले हैं। अप्रैल 1992 में बीकानेर के निकट 'बाघेवाला' मे हैवी क्रूड ऑयल के भण्डार का पता चला है। **फरवरी 2003 के प्रारम्भ में स्कॉटलैण्ड की फर्म कैरन एनर्जी (Cairn Energy) ने बाडमेर जिले के गुढामलानी व कोसलू क्षेत्रों में उच्च कोटी के कच्चे तेल तथा ग्राम नगर से कच्चे तेल व गैस का पता लगाया है जिससे राज्य के विकास को बढावा मिलेगा। श्री गंगानगर जिले में भी कच्चे तेल का पता लगाया गया है। इनसे राज्य का राजस्व भी बढेगा।**

राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योग (Mineral-Based Industries in Rajasthan)—उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में खनिज पदार्थ विपुल मात्रा में पाए जाते हैं और राज्य अनेक खनिजों के उत्पादन में अग्रणी माना गया है। अत: राज्य में खनिज-आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सुदृढ़ नींव विद्यमान है। योजनाकाल में राज्य में कई प्रकार के खनिज-आधारित उद्योग स्थापित हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण उद्योग इस प्रकार हैं : जस्ता स्मेल्टर, सुपर जस्ता स्मेल्टर, ताँबा स्मेल्टर, रॉक फॉस्फेट बेनिफियेशन संयंत्र, पोर्टलैण्ड सीमेंट के बड़े संयंत्र, सफेद सीमेंट के संयंत्र, मार्बल प्रोसेसिंग संयंत्र, ग्रेनाइट प्रोसेसिंग संयंत्र, सिरेमिक व इन्स्युलेटर इकाइयाँ तथा कोटा स्टोन प्रोसेसिंग संयंत्र, आदि। इसके अलावा अनेक इकाइयाँ पत्थर/खनिज तोड़ने, पीसने व पाउडर बनाने, कटाई चिराई व पॉलिशिंग का काम करती हैं। इसके अलावा राज्य में चूने के भट्टे, हाइड्रेटेड चूने के संयंत्र, ईंट-भट्टे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की इकाइयाँ भी पाई जाती हैं। कुल मिलाकर राज्य में इस समय लगभग 5 हजार खनिज-आधारित लघु इकाइयाँ पंजीकृत हैं।

कुछ खनिज-आधारित संयंत्रों का उल्लेख नीचे किया जाता है—

(1) जस्ता एवं गलाई संयंत्र (Zinc Smelter Plant)—उदयपुर के समीप देबारी नामक स्थान पर 18 हजार टन की प्रारम्भिक क्षमता से एक जिंक स्मेल्टर प्लांट चालू किया गया था। ऊँची किस्म का जस्ता तैयार करने के साथ-साथ वह उपोत्पत्ति के रूप में केडमियम व गन्धक का तेजाब (सल्फ्यूरिक एसिड) भी तैयार करता है। सल्फ्यूरिक एसिड से सुपर फॉस्फेट तैयार किया जा सकता है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भीलवाड़ा जिले में **रामपुरा-आगुचा** में जिंक व सीसे के पर्याप्त भण्डार पाए जाने से भारत सरकार ने राजस्थान में जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने की स्वीकृति दे दी है जिसे हिन्दुस्तान जिंक लि कार्यान्वित कर रहा है। **यह चंदेरिया स्थान पर लगाया जा रहा है**। इसमें खनिज-दोहन व स्मेल्टर संयंत्र पर लगभग 617 करोड़ *रुपये की लागत का अनुमान है। इससे 4 2 करोड़ टन खनिज निकाला जाएगा, 2 हजार* व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार व 10 हजार व्यक्तियों को परोक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

(2) राज्य में सीमेंट के नौ बड़े कारखाने स्थापित किए जा चुके हैं। भविष्य में और नए कारखाने भी स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में राज्य में काफी संख्या में सीमेन्ट के छोटे संयंत्र (mini-cement plants) भी लगाए गए हैं। राज्य में लाइमस्टोन की उपलब्धि के कारण सीमेंट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। नई खनिज नीति लागू होने के पश्चात् **29 क्षेत्रों में 10 लाख टन प्रतिवर्ष या इससे अधिक क्षमता के सीमेंट प्लांट लगाने के लिए**

खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किए गए हैं, अथवा भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। पूर्व वर्षों की सरकारी सूचना के अनुसार इनमें से 13 प्रस्ताव खनन-पट्टों के लिए हैं जिन पर बड़े सीमेंट प्लान्ट स्थापित करने की पूरी सम्भावनाएँ हैं, तथा शेष 16 पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों के लिए हैं जिन पर भी सीमेंट प्लांट स्थापित होने की आशा है।

जैसलमेर के खिंया-खींवसर क्षेत्र में तीन बड़े सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिए स्थान अधिसूचित किए गए हैं। इस प्रकार जैसलमेर में अब पूर्वघोषित क्षेत्रों के साथ 5 बड़े सीमेंट के प्लांट स्थापित करने की योजना है।

(3) खेतड़ी का ताँबा गलाने का संयंत्र (Copper Smelter Plant)—खेतड़ी में ताँबा गलाने के संयंत्र की क्षमता 30 हजार टन है, जो भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग करने के लिए अन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

(4) जैसा कि पहले कहा जा चुका है, **उदयपुर के समीप झामर-कोटड़ा क्षेत्र में प्राप्त रॉक-फॉस्फेट के भण्डारों का उपयोग करके** सुपर-फॉस्फेट का उत्पादन किया जा सकता है। **सीकर (सलादीपुरा) में पाइराइट्स के भण्डारों का उपयोग करके** सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्न की जा सकती है जिसका उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जा सकता है।

इस प्रकार राज्य में कई तरह से सुपर-फॉस्फेट के उत्पादन में वृद्धि होने से विकास को नया मोड़ मिल सकता है।

(5) कई वर्ष पूर्व राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम ने डूँगरपुर में मांडो की पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनिफिशियेशन प्लांट प्रारम्भ किया था, जिससे रसायन उद्योगों को बढ़ावा मिला है।

(6) जालौर में एक ग्रेनाइट पॉलिशिंग फैक्ट्री राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम के अधिकार में ली गई थी जिसका विकास किया गया है। राज्य में पिछले वर्षों में ग्रेनाइट प्रोसेसिंग के संयंत्र आबू रोड व अन्य स्थानों में भी लगाए गए हैं।

(8) अन्य—इसके अलावा हाईटेक प्रिसीजन फैक्ट्री, जोधपुर में ग्लास व ग्लास प्रोडक्ट्स, पर्फेक्ट पोटरी कम्पनी लिमिटेड, भरतपुर में फायर ब्रिक्स, स्टोनवेयर व पाइप, भूपाल माइनिंग वर्क्स, भीलवाड़ा में ब्रिक्स, माइका इन्सूलेटिंग ब्रिक्स तथा जयपुर ग्लास एण्ड पॉटरीज वर्क्स, जयपुर में क्राकरी बनाई जाती है।

एक उर्वरक का कारखाना **गढ़ेपान** (कोटा के पास) स्थापित किया जा रहा है।

बीकानेर में **बरसिंगसर** में लिग्नाइट के भण्डारों का वैज्ञानिक ढंग से विदोहन किया जाएगा जिससे पर्यावरण की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

सूरतगढ़ के पास एक गैस का भण्डार मिला है जिसमें से वर्तमान में 5 मिलियन क्यूसेक फीट का ही उपयोग हो पा रहा है। यहाँ एक पेट्रोलियम कॉम्पलैक्स बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए योजना आयोग को एक मसौदा पेश किया गया है, जिसे उसने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है।

राज्य की अगस्त 1994 में घोषित नई खनिज नीति तथा जून 1994 व जून 1998 में घोषित नई औद्योगिक नीति में खनिज-आधारित उद्योगों के विकास के लिए कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि **राजस्थान में ताँबा, सीसा, जस्ता एवं सम्बद्ध धातुओं का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।** भारत में इनका नितान्त अभाव है। अत: राज्य को इनके विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और केन्द्र को इनमें अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिए। विभिन्न स्रोतों से सुपर-फॉस्फेट का उत्पादन बढ़ने से उर्वरकों को सप्लाई भी बढ़ सकती है जिससे भविष्य में कृषिगत उत्पादन में वृद्धि होगी। लाइमस्टोन का उत्पादन बढ़ाकर सीमेंट व स्टील उद्योग को काफी लाभ पहुँचाया जा सकता है।

राज्य में निम्न खनिज-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है[1]—

	खनिज पदार्थ	उद्योग
1	ताँबा	वायर ड्राइंग, फाउण्ड्री
2	सीसा	सफेद सीसा व क्रोम सीसा, स्टोरेज बैटरीज
3	जस्ता	जस्ता ऑक्साइड, जस्ता सल्फेट
4	सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन	सीमेंट
5	रसायन ग्रेड लाइमस्टोन	कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्सियम कार्बाइट आदि रसायन
6	रॉक फॉस्फेट	सिंगल सुपर फॉस्फेट व अन्य प्रकार के फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, आदि।
7	चीनी मिट्टी (चाइना क्ले)	सिरेमिक
8	बाल क्ले	सिरेमिक
9	फायर क्ले	रिफ्रेक्टरीज
10	कैल्साइट	ग्लेज्ड टाइल्स
11	अभ्रक	वैट ग्राउण्ड, अभ्रक का पाउडर, आदि।
12	क्वार्ट्ज व सिलिका सैण्ड	बोतल, काँच के लैम्प व फ्लोरोसेंट ट्यूबें।
13	बेन्टोनाइट व फुलर्स अर्थ	पल्वराइजिंग इकाइयाँ, आदि।
14	सोपस्टोन	कीटनाशी दवाइयाँ, प्रसाधन की सामग्री, आदि।
15	जिप्सम	प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम बोर्ड।
16	फ्लोर्सपार	हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, आदि।
17	गारनेट	एब्रेसिव्स, कटाई व पॉलिशिंग
18	लिग्नाइट	तरल लिग्नाइट, ब्रिक्वेटिंग।
19	पोटाश	म्यूरेट ऑफ पोटाश
20	ग्रेनाइट तथा मार्बल	प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्लेब व टाइलें बनाना।

1 Mineral Policy 1994 (Govt of Raj) p 17

राज्य में खनिज नीति का विकास—परिवहन व शक्ति के साधनों के विकास से राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ बढ़ रही हैं । **राज्य में खनिज विकास के लिए 1978 में एक खनिज नीति घोषित की गई थी** । इसमें खनिज पदार्थों की खोज हेतु सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पर जोर दिया गया था । इसमें सड़कों के मास्टर प्लान बनाने, बिजली उपलब्ध कराने व खनन कार्य के लिए बैंकों, सहकारी संस्थाओं तथा राजस्थान वित्त निगम आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था । इसमें कहा गया था कि छोटे पट्टेधारियों को ऋण दिलाया जाएगा **तथा अप्रधान खनिजों—जैसे लाइमस्टोन, संगमरमर आदि के पट्टे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भी प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएँगे** ।

राज्य में खनिजों के विकास के लिए नवम्बर 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) स्थापित किया गया था । पहले यह कार्य राजस्थान औद्योगिक व खनन विकास निगम (RIMDC) के अन्तर्गत किया जाता था । रॉक-फॉस्फेट के खनन के लिए राजस्थान राज्य खान व खनन लिमिटेड कार्यरत है । **एम.वी. माथुर समिति ने खनन-विकास के लिए निम्न सुझाव दिए थे**[1]—

(i) **खनन को उद्योग घोषित किया जाना चाहिए** ताकि इसको भी राजकोषीय लाभ व प्रेरणाएँ मिल सकें ।

(ii) खनन व भूगर्भ संचालक को सभी खनन लीजहोल्ड क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर ***भूगर्भीय नक्शा*** बनवाना चाहिए ।

(iii) रामगंज, मोडक व झालावाड़ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर **लाइमस्टोन की टूट-फूट व व्यर्थ अंश पड़े हैं, जिनसे पोजलाना** (puzzalana) **सीमेंट बन सकती है,** बशर्ते कि इस पर उत्पादन-शुल्क घटाया जाए । इससे रोजगार बढ़ेगा तथा सरकार को आमदनी प्राप्त होगी ।

(iv) बिहार सरकार की भाँति **अभ्रक को राजकीय व केन्द्रीय बिक्री कर से मुक्त रखा जाना चाहिए** ।

(v) **खनन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए** ।

(vi) खनन विभाग को खानों के पट्टे देने तथा रायल्टी इकट्ठा करने के अलावा **खनिज पदार्थों के भण्डारण, श्रेणीकरण आदि के बारे में विस्तृत सूचना रखनी चाहिए,** एवं

(vii) **भवन-निर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए निर्माण-उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए** । इसके लिए भूमि-रूपान्तरण, अवाप्ति नियमों व वित्त आदि की व्यवस्था बढ़ाकर निर्माण-उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए । इससे राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा ।

ये सुझाव काफी व्यावहारिक व उपयोगी माने गए हैं ।

---

1 प्रो. एम.वी. माथुर समिति (आठवीं योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति) की रिपोर्ट जून 1989, पृष्ठ 36-37

भारत सरकार ने 18 फरवरी, 1992 से कोयला, लिग्नाइट व तेल को छोड़कर खनिजों और लघु खनिजों की रॉयल्टी में वृद्धि करने की घोषणा की थी, जिससे राज्य सरकार की रॉयल्टी की आय में वृद्धि होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

पुरानी दरों पर रॉयल्टी 116 करोड़ रु. से बढ़कर नई दरों पर 331 करोड़ रु. होने का अनुमान है। डोलोमाइट, खनिज सोने, खान के ऊपर हीरे की बिक्री, बॉक्साइट, कैल्साइट, जिप्सम आदि पर रॉयल्टी में वृद्धि की गई है, जिससे राज्य सरकार की रॉयल्टी की आय बढ़ेगी। भविष्य में भी इसमें अपेक्षाकृत कम अवधि में संशोधन किया जाना चाहिए।

सितम्बर 1992 में पर्यावरण अधिनियम में केन्द्र द्वारा संशोधन की अधिसूचना जारी करने से राज्य में खनन-विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई थी क्योंकि इससे पहाड़ी व वन क्षेत्रों में खनन-कार्य के रुक जाने की स्थिति बन गई थी। इस सम्बन्ध में पर्यावरण-संरक्षण और विकास की आवश्य- कताओं के बीच उचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में स्वयं राज्य सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि विकास का कार्य निर्बाध गति से आगे बढ़ सके। 1996-97 में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार कई वन-क्षेत्रों में खनन-कार्य पर रोक लगा दिए जाने से राजस्थान में भी कई खानों पर काम बंद कर दिया गया था जिससे काफी खनन-श्रमिक बेरोजगार हो गए थे तथा खनन-उत्पादन व खनिज-आधारित उद्योगों को भारी धक्का पहुँचा और राज्य की खनन-रॉयल्टी से होने वाली आमदनी भी घटी। इस प्रकार के अचानक निर्णय से भारी आर्थिक क्षति होती है। राज्य सरकार के प्रयत्नों से कुछ बन्द खानों पर पुनः खनन-कार्य चालू किया गया, लेकिन भविष्य में वन-क्षेत्र में खनन-कार्य के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित की जानी चाहिए। पर्यावरण, खनन-क्रिया, रोजगार व विकास में परस्पर आवश्यक तालमेल बैठाया जाना चाहिए।

इसके अलावा केन्द्रीय सरकार खान व खनिज-पदार्थ नियमन व विकास अधिनियम 1957 में संशोधन करके लघु खनिजों (minor minerals) की परिभाषा को बदलना चाहती है ताकि मार्बल, ग्रेनाइट, सेण्डस्टोन व अन्य आयामी (dimensional) पत्थर लघु खनिजों की श्रेणी में न रहें। इससे इन खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार नहीं रहेगा, जैसा कि बड़े खनिजों के सम्बन्ध में आज भी नहीं है। अतः इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वह इन लघु खनिजों का उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को भी नहीं दे पाएगी, जिनका जीवन इन पर निर्भर करता है। अतः राज्य में खनिज-विकास को उचित प्रोत्साहन देने के लिए वन-क्षेत्रों में खनन-क्रिया पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और **मार्बल, ग्रेनाइट आदि को लघु खनिजों की श्रेणी में रखकर इनके विकास व उपयोग का अधिकार राज्य सरकार को ही मिलना चाहिए।**

ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में नई नीति, सितम्बर 1991—राज्य सरकार ने 25 सितम्बर, 1991 को एक अधिसूचना जारी करके ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में नई नीति निर्धारित की थी जो निम्न प्रकार थी—

(1) **खनिज ग्रेनाइट के खनन पट्टे ऐसे उद्यमियों को स्वीकृत किए जाएँगे जो खनन कार्य मशीनों से करेंगे और ग्रेनाइट के प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित करेंगे।** ऐसे उद्यमकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो निर्यात के लिए प्रोसेसिंग संयंत्र लगाएँगे।

(2) खनन पट्टे ऐसे आवेदकों के पक्ष में स्वीकृत किए जाएँगे **जिन्होंने पहले से प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है, अथवा जो दो वर्ष की अवधि में प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेंगे।**

(3) ***खनन पट्टों के अन्तर्गत क्षेत्र की साइज 100 मीटर × 100 मीटर,*** *अर्थात्* 10,000 वर्गमीटर रखी गई है।

(4) उक्त माप के **दो से अधिक प्लाट नियमानुसार स्वीकृत न करने की नीति अपनाई गई है।**

(5) विशेष परिस्थितियों में दो से अधिक प्लाट स्वीकृत किए जा सकेंगे, बशर्ते कि आवेदक ने अन्य आयातित चिराई की मशीन एवं पालिशिंग मशीन स्थापित कर रखी है, अथवा उसकी तैयारी हो गई है। ऐसी स्थिति में 5 प्लाट या 50,000 वर्गमीटर का क्षेत्र खनन पट्टे पर दिया जा सकेगा।

5 प्लाट या 500 मीटर लम्बाई (स्ट्राइक लैन्थ) वाले फेस का पट्टा दिया जा सकेगा। जून 1992 में यह सीमा 200 मीटर थी।

एक ही क्षेत्र के एक से अधिक आवेदन-पत्र होने पर लॉटरी से निपटारा किया जाएगा।

शुरू में 'लेटर ऑफ कमिटमेंट' दिया जाएगा और खनन-पट्टा संयंत्र स्थापित होने पर ही दिया जाएगा।

जून 1992 में इन नियमों को अधिक उदार बनाया गया जिसके अनुसार 20 प्लाट तक खनन-पट्टे स्वीकृत हो सकते हैं।

पुन: अक्टूबर 1994 में नई मार्बल नीति तथा जनवरी 1995 में नई ग्रेनाइट नीति घोषित की गई। **नई नीति में प्लाट का आकार 1 हैक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हैक्टेयर किया गया तथा इन क्षेत्रों में विकास के लिए निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया गया।**

खनिज नीति, अगस्त, 1994

राजस्थान सरकार ने काफी विचार-विमर्श के बाद अगस्त 1994 में नई खनिज नीति घोषित की। इस नीति के उद्देश्य नीचे दिए जाते हैं—

(1) आधुनिक तकनीक अपनाते हुए तीव्र गति से नये खनिज भण्डारों की खोज करना;

(2) खानों का उपयुक्त ढंग से यंत्रीकरण (mechanisa-tion) करके सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि से खनन-कार्य करना,

(3) राज्य में खनिज-आधारित-उद्योगों की स्थापना करना,

(4) खनिजों का निर्यात बढ़ाना,

(5) नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना ताकि खनिज पदार्थों का उत्पादन वढ़ सके,

(6) खनन एवं खनिज आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानवीय संसाधनों का विकास करना, तथा

(7) खनन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना ताकि अधिक लोगों को काम पर लगाया जा सके ।

पूर्व में, वर्ष 1977 में राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार खनिज नीति की घोषणा की गई थी । तब से अब तक नये खनिज भण्डारों की जानकारी, राष्ट्रीय खनिज नीति एवं प्रचलित नियमों में व्यापक संशोधन तथा आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता के साथ, अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं । साथ ही प्रतिस्पर्धा तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर आधारित खुले बाजार की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के फलस्वरूप भी नई खनिज नीति की घोषणा आवश्यक हो गई थी । उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के उपायों का नीति में विस्तृत रूप से समावेश किया गया है ।

खनिज पदार्थों की खोज (Mineral Exploration)—खनिज पदार्थों की खोज हेतु सुदूर, आदिवासी तथा मरु क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक तकनीक अपनाने तथा प्रोसपेक्टिंग में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया गया, एवं सर्वेक्षण कार्य हेतु द्विस्तरीय नीति निर्धारित की गई । एक उन खनिजों के लिए जो निर्यात योग्य हैं एवं जिन पर आधारित उद्योग अथवा प्रोसेसिंग इकाइयाँ शीघ्रता से लगाई जा सकती हैं, व दूसरे—ऐसे खनिजों के लिए जिनके खोज व खनन प्रारम्भ करने में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगता है, जैसे सोना, बेस या आधार मेटल्स, हीरा व अन्य बहुमूल्य रत्न, पोटाश आदि । दूसरी श्रेणी के खनिजों के लिए विदेशी निवेशकों (Foreign Investors) को आकर्षित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार को 25 वर्ग किमी. से अधिक आकार के क्षेत्रों के भूगर्भीय सर्वेक्षण परमिट्स स्वीकृत करने की सिफारिश करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया ।

खनन पट्टे स्वीकृत करने की नई नीति—राज्य में विद्युत ऊर्जा की कमी को देखते हुए बीकानेर जिले के पलाना, गुढ़ा, बरसिंगसर एवं बिथनोक तथा बाड़मेर जिले के कपूरड़ी व जालीपा क्षेत्रों के लिग्नाइट भण्डारों को ताप-बिजली के उत्पादन हेतु आरक्षित रखा गया है । बाड़मेर जिले के गिराल एवं नागौर जिले के कसनाऊ-इग्यार स्थित लिग्नाइट भण्डारों को औद्योगिक एवं घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग के लिए आरक्षित रखा गया है । आशा है इससे लिग्नाइट आधारित ताप-विद्युत के उत्पादन की परियोजनाओं में पूँजी-निवेश बढ़ेगा ।

जैसलमेर जिले के सोनू गाँव के समीप उपलब्ध इस्पात श्रेणी के लाइमस्टोन का खनन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया, परन्तु सीमेन्ट श्रेणी के लाइमस्टोन के लिए राज्य की नीति पट्टाधारी द्वारा स्थापित सीमेन्ट संयंत्र में ही इसके उपयोग के लिए देने की रखी गई।

अब तक जिप्सम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ही आरक्षित रहा है। भविष्य में इसके खनन पट्टे निजी क्षेत्र में दिए जाने के लिए उपयुक्त नीति बनाने की बात कही गई। बेस मेटल्स एवं वोलस्टोनाइट को भी निजी उद्यमियों के लिए खोल दिया गया।

ईंट भट्टों में उपयोग में ली गई मिट्टी के लिए खनन पट्टों के स्थान पर कम से कम एक वर्ष तथा अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया। एवं लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को रायल्टी का भुगतान निर्धारित सूत्र के आधार पर करने की नीति अपनाई गई।

सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खनन

(1) **संगमरमर व ग्रेनाइट के खनन पट्टों के लिए वर्तमान में निर्धारित क्षेत्रों का आकार एक हैक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हैक्टेयर किया गया।** अन्य खनिजों के लिए भी निर्धारित न्यूनतम आकार की समीक्षा की जाकर आवश्यकतानुसार पुनर्निर्धारण करने की बात स्वीकार की गई ताकि लाभकारी खनन हेतु बड़ी बैंचें बनाई जा सकें।

(2) ग्रेनाइट के समान ही संगमरमर के पट्टे विभाग द्वारा नियत किए गए भूखण्डों पर देने का निर्णय लिया गया एवं आवेदन पत्र के साथ आवेदक को परियोजना का एक प्रारूप भी प्रस्तुत करना होगा। आवंटन में प्राथमिकता हेतु खानों के यंत्रीकरण एवं प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना तथा निर्यात हेतु वांछित पूँजी निवेश की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखने की बात स्वीकार की गई।

(3) कोटा स्टोन एवं स्लेट स्टोन के नये पट्टे उन्हीं उद्यमियों को देने का निर्णय लिया गया जो आवश्यक मशीनरी लगा कर खनिज की अविभाज्य परतों का ब्लॉक्स के रूप में खनन करने को तैयार होंगे।

(4) खनन पट्टों के नवीनीकरण के समय यह देखने का निश्चय किया गया कि खान का विकास सुचारू रूप से किया गया है अथवा नहीं।

(5) अप्रधान या छोटे खनिजों के छोटे पट्टे जो एक दूसरे से सटे हुए हों, वे एक एकीकृत पट्टे के रूप में सम्मिलित किए जा सकेंगे, बशर्ते कि एकीकृत पट्टों का कुल क्षेत्रफल 5 हैक्टेयर से अधिक न हो।

(6) पट्टाधारकों को अवधि-ऋण (Term Loan) की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खनन पट्टों को वित्तीय संस्थाओं के पास बंधक रखने की अनुमति देने की घोषणा की गई।

(7) जिन खानों में खनन कार्य नहीं हो रहा है, उनकी जानकारी करने एवं यह प्रयास करने कि खनन पट्टे बिना खनन कार्य के व्यर्थ नहीं पड़े रहें, इस सम्बन्ध में पूरा ध्यान दिया जाएगा।

(8) विभाग में खनिजों की खोज तथा दोहन एवं खनिज-आधारित-उद्योगों के विकास हेतु एक पृथक् प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी जो अन्य कार्यों के साथ खनन के तरीकों; खनिज के अपव्यय में कमी एवं खनिजों के वेस्ट अंश को उपयोगी बनाने के उपायों तथा छोटी खानों के लिए उपयोगी खनन-मशीनरी व उपकरणों के विकास जैसे विषयों का अध्ययन करेगा।

(9) खनिजों की खोज, खनन एवं खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए पाँच करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश करने वाले निवेशकों को 'सिंगल खिड़की सेवा' (Single Window Service) व 'पथ-प्रदर्शन-सेवाएँ', प्रदान की जाएँगी।

खनिज आधारित उद्योग

(1) नई खनन-नीति में यह व्यवस्था की गई कि जो उद्यमी खनिज आधारित उद्योग स्थापित करेंगे उन्हें खनन पट्टे स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) खानों से निकले कोटा स्टोन वेस्ट को यदि औद्योगिक इकाइयों में कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया गया तो उस पर रायल्टी नहीं ली जाएगी।

(3) सिरेमिक एवं ग्लास उद्योग की उन इकाइयों के लिए जिनमें पूँजी निवेश 5 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये के बीच होता है, बिक्री-कर प्रोत्साहन/ आस्थगन स्कीम, 1989 के अन्तर्गत लाभ की अधिकतम अवधि 7 वर्ष से बढ़ा कर 9 वर्ष की गई, तथा जिन इकाइयों का पूँजी-निवेश 25 करोड़ रुपयों से 100 करोड़ रुपयों के बीच होता है, उनके लिए यह अवधि 9 वर्ष से बढ़ाकर 11 वर्ष कर दी गई। करदेयता की छूट भी 75% से बढ़ाकर 100% की गई। जून 1998 को नई बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन स्कीम में और संशोधन किए गए।

खनिज पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय (Export Promotion Measures)

(1) राज्य में समय-समय पर मेलों, प्रदर्शनियों एवं सेमीनारों का आयोजन करने पर बल दिया गया तथा देश व विदेश में आयोजित मेलों आदि में निर्यातकों एवं सरकारी कार्यकर्त्ताओं के भाग लेने की व्यवस्था की गई।

(2) निर्यातोन्मुख उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों को खनन पट्टा आवंटन करने में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।

(3) विभागीय प्रयोगशाला उदयपुर एवं भारतीय खान ब्यूरो, परिष्करण (Beneficiation) प्रयोगशाला, अजमेर को परिष्करण एवं रासायनिक विश्लेषण हेतु और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करने की बात स्वीकार की गई।

आधारभूत सुविधाएँ (Infrastructural facilities)—खानों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए "अपना गाँव-अपना काम" तथा "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत भी सड़कों का यथासम्भव निर्माण कराने पर बल दिया गया। कुछ सड़कों का निर्माण राजस्थान

राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराने की बात स्वीकार की गई। परन्तु व्यय की गई राशि निगम द्वारा पथकर (टोल टैक्स) के रूप में वसूल करने की नीति अपनाई गई। जो सड़कें खानों के स्वामियों द्वारा प्रस्तावित होंगी, उन पर 50% व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की गई।

यह कहा गया कि पट्टाधारकों द्वारा खान श्रमिकों के लिए स्कूल व अस्पताल जैसी सुविधाओं के निर्माण पर किए जाने वाले व्यय का 50% राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।

जिन क्षेत्रों में खानों का सामूहिक आवंटन किया जाएगा वहाँ आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को सौंपी जाएगी।

यह निर्णय लिया गया कि क्षतिपूर्ति के लिए किए जाने वाले वनारोपण हेतु प्रत्येक जिले में न्यूनतम 100 हैक्टेयर भूमि "भूमि-बैंक" के रूप में खान विभाग को आवंटित की जाएगी, जिस पर प्रति हैक्टेयर में कम से कम 400 पौधे पट्टाधारियों द्वारा लगाए जाएँगे।

राजस्थान लघु खनिज रियायत नियमों में संशोधन—सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक खनन, यन्त्रीकरण, अवैध खनन पर नियंत्रण व कानूनी विवादों में कमी लाने के उद्देश्य से नियमों में निम्न महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए—

(1) खनन पट्टों की अवधि 10 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष तथा खदान-लाइसेंस (Quarry licence) की अवधि 1 वर्ष के स्थान पर पाँच वर्ष कर दी गई। खनन पट्टों का नवीकरण भी 20 वर्ष के लिए कर दिया गया।

(2) खनन पट्टों के लिए न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र को 0 25 हैक्टेयर से बढ़ाकर एक हैक्टेयर कर दिया गया।

(3) यह कहा गया कि वार्षिक स्थिर लगान या किराये (Dead Rent) का पुन-निर्धारण, अब खनिज उत्पादन की मात्रा के आधार पर नहीं होगा। नये सूत्र के अनुसार संशोधित स्थिर किराया पूर्व स्थिर किराये का 1 4 गुणा होगा। परन्तु यह नियमों की द्वितीय अनुसूची में दी गई दरों के अनुसार आकलित राशि के 5 गुणा से अधिक नहीं होगा।

(4) नई नीति में कहा गया कि खनन पट्टा क्षेत्रों का आंशिक परित्याग (Surrender) स्वीकार किया जाएगा तथा वार्षिक स्थिर किराये की दर छोड़े गए क्षेत्र के अनुपात में कम की जाएगी।

(5) राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रक्रिया के अनुसार खान धारक रायल्टी का स्वतः निर्धारण कर सकेंगे।

(6) खनन पट्टों की स्वीकृति, नवीनीकरण एवं अन्तरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के निर्धारित समय के पश्चात् स्वतः अस्वीकृत होने के प्रावधान को हटा दिया गया।

(7) यह निर्णय लिया गया कि जो क्षेत्र विभाग द्वारा आवंटन हेतु घोषित किए जाएँगे उनमें कतिपय खनिजों के लिए 'पहले आओ, पहले पाओ' (first come first served) के सिद्धान्त पर किए जा रहे आवंटन के स्थान पर अब आवेदन प्राप्ति हेतु घोषित प्रथम तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर सर्वाधिक उपयुक्त आवेदन के चयन हेतु एक

साथ विचार किया जाएगा। आशा की गई कि इससे अधिक योग्य व अधिक समर्थ आवेदक के चुनाव में मदद मिलेगी।

(8) खनन नीति में यह घोषणा की गई कि जो खानें लम्बे समय तक बन्द रहेंगी, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

(9) खानधारकों से स्थिर किराये से अधिक रायल्टी की वसूली हेतु ठेके दिए जा सकेंगे।

(10) दस लाख वार्षिक से अधिक रायल्टी राशि के ठेकों के लिए प्रतिभूति राशि 2 50 लाख रुपया, अथवा बोली राशि की 12 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, नियत की गई। ठेका राशि का मासिक किश्तों में भुगतान करने व जमा प्रतिभूति राशि को इस शर्त पर कि ठेकेदार द्वारा कोई चूक नहीं की गई है, ठेके की मासिक किश्त में समायोजित करने सम्बन्धी प्रावधान जोड़े गए।

(11) अवैध खनन (Unauthorised Mining) पर नियंत्रण की दृष्टि से नियमों में अधिक कठोर प्रावधान किए गए।

प्रक्रियाओं का सरलीकरण—प्रक्रिया व व्यवस्था को सरल व प्रभावी बनाने की दृष्टि से अनेक निर्णय लिए गए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

(1) विभाग के वरिष्ठ भू वैज्ञानिक (senior geolo gist) को खोज कार्य का निरीक्षण करने के उद्देश्य से प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के स्वीकृति आदेशों की प्रति दी जाएगी तथा इस कार्य की समाप्ति पर प्राप्त रिपोर्ट भी सत्यापन हेतु उन्हें अविलम्ब भेज दी जाएगी।

(2) खनन पट्टों की स्वीकृति अथवा नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्त होने के समय ही चैक किया जाएगा एवं यदि कोई कमी पाई गई तो उसे प्राप्ति-रसीद के साथ ही दी जाने वाली चैक लिस्ट में अंकित कर दिया जाएगा।

(3) यदि चरागाह भूमि का क्षेत्रफल खनन-पट्टे के लिए आवेदित भूमि के क्षेत्रफल के 5% से कम होता है तो आवेदन के समय राजस्व-विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की जरूरत नहीं होगी। परन्तु यह शपथ-पत्र (affidavit) देना होगा कि चरागाह क्षेत्र में खनन कार्य तभी किया जाएगा जब इस हेतु राजस्व विभाग अथवा अन्य सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

जिला कलेक्टर्स को 4 हैक्टेयर क्षेत्र तक की चरागाह भूमि के लिए अनापत्ति पत्र (NOC) देने का अधिकार दिया गया।

(4) खनन पट्टे की स्वीकृति, नवीनीकरण और अन्तरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का काम निपटाने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय सीमा निर्धारित की गई। यदि कोई अधिकारी, जिन्हें उक्त आवेदन पत्रों के निपटाने की शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की गई हैं, दी गई समय सीमा में किसी आवेदन पत्र का निपटान नहीं करेंगे, तो ये शक्तियाँ उस आवेदन पत्र हेतु समाप्त मानी जाएँगी व आवेदन पत्र उच्चतर अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा।

(5) खनन पट्टों के अन्तरण हेतु राजस्व अथवा वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा तथा खनन पट्टों का अन्तरण वार्षिक स्थिर किराये की 20

प्रतिशत के बराबर राशि प्रीमियम के रूप में भुगतान करने पर निदेशक, खान, द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा।

(6) जिला कलेक्टर्स, विभाग के खनन अभियन्ता/ सहायक खनन अभियन्ता से पत्र-प्राप्त होने के 30 दिनों में आवश्यक रूप से यह सूचना देंगे कि आवेदित क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत करने पर क्या उन्हें कोई आपत्ति है। सूचना प्राप्त नहीं होने पर जिलाधीश को मामले के निपटाने का अधिकार नहीं रहेगा एवं सम्बन्धित संभागीय आयुक्त (divisional commissioner) अगले 30 दिन की अवधि में अपना अन्तिम निर्णय सूचित करेंगे, अन्यथा यह मानते हुए कि, कोई आपत्ति नहीं है, खान विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

(7) खनिज पदार्थ भेजने के लिए रवन्ना बुक्स सहायक खनन अभियन्ता/खनन अभियन्ता अथवा उनकी अनुपस्थिति में किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही जारी की जाएगी।

(8) बेहतर प्रशासन एवं खान सम्बन्धी दावों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य को तीन क्षेत्रों में विभाजित कर इन क्षेत्रीय कार्यालयों को अतिरिक्त निदेशक (खान) के नियंत्रण में दिया जाएगा। वरिष्ठ खनन अभियन्ता, खनन अभियन्ताओं एवं सहायक खनन अभियंताओं द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक करेंगे। इससे न केवल प्रशासन बेहतर होगा वरन् पट्टाधारियों को भी सुविधा होगी।

(9) खानों का निरीक्षण सहायक खनन अभियन्ता एवं उनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी करेंगे।

(10) वन विभाग 60 दिन की अवधि में खनन अभियन्ता/सहायक खनन अभियन्ता को आवश्यक रूप से सूचित करेगा कि आवेदित क्षेत्र वन भूमि में पड़ता है अथवा नहीं। सूचना प्राप्त नहीं होने व राजस्व रिकार्ड के अनुसार क्षेत्र वन भूमि में नहीं होने पर खान विभाग द्वारा यह मान कर कार्यवाही कर ली जाएगी कि वह क्षेत्र वन भूमि से बाहर है।

खनन क्षेत्र में विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर

(1) राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 1986 में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को कुछ खनिजों के लिए खान आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। मार्बल तथा सजावटी पत्थरों के भी कुछ क्षेत्रों का आरक्षण ऐसे व्यक्तियों के लिए करने पर बल दिया गया।

(2) नई खनिज नीति को लागू करने पर राज्य के खनिज क्षेत्र में रोजगार 3.25 लाख व्यक्तियों से बढ़कर अगले दशक में 10 लाख व्यक्ति हो सकेगा।

खान विभाग एवं खनिज उद्यमियों के मध्य वार्ता- लाप—खनिज मंत्री की अध्यक्षता में एक खनिज परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना करने की घोषणा की गई जिसमें खानों एवं खनिज-आधारित उद्योगों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। परिषद् की एक कार्यकारिणी होगी जिसके अध्यक्ष खान सचिव होंगे।

नीति का क्रियान्वयन—यह कहा गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति खनिज परामर्श-दात्री परिषद् के खनिज नीति में प्रस्तावित उपायों के अनुपालन की देखभाल करेगी।

सारांश—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की नई खनिज नीति में यंत्रीकृत व वैज्ञानिक खनन को आगे बढ़ाने तथा खनिज-आधारित उद्योगों का विकास करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए हैं ताकि खनन-क्षेत्र में रोजगार व आमदनी बढ़ सके और राज्य खनिजों का निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अधिक मदद दे सके। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खनन सर्वेक्षण व खोज में विदेशी निवेशकों को अपेक्षा- कृत बड़े भू-क्षेत्रों में काम करने की इजाजत दी गई, खनन-प्लाटों का आकार भी बढ़ाया गया, पट्टे देने व उनके नवीकरण की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष की गई, प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने वाले उद्यमकर्ताओं तथा अन्य अधिक सक्षम उद्यमकर्ताओं को वरीयता दी गई तथा सड़कों के निर्माण व खनन-श्रमिकों के कल्याण पर भी अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए खदानों (Quarry) के लाइसेंसों का प्रावधान किया गया। रायल्टी संग्रह की व्यवस्था में सुधार किया गया तथा अवैध खनन के लिए उचित सजा का प्रावधान किया गया।

नई खनन-नीति से यह आशा लगायी गयी थी कि यह राज्य में खनन-विदोहन, विकास व संरक्षण को आवश्यक प्रोत्साहन देगी। **लेकिन इस नीति की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसके सभी प्रावधानों को व्यवहार में शीघ्र लागू किया जाए, आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, पर्यावरण-सम्बन्धी निर्णयों में राज्य की भागीदारी बढ़ाई जाए तथा विभिन्न खनिज-पदार्थों व खनिज-आधारित उद्योगों के लिए जिलेवार व क्षेत्रवार विकास के समयबद्ध व पारदर्शी लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ, ताकि आगामी वर्षों में खनन-क्षेत्र में रोजगार व आमदनी बढ़ सके और उन क्षेत्रों के गरीब लोगों को भी खनन-विकास के लाभों में हिस्सा लेने का सुअवसर मिल सके। खनन-विकास के क्षेत्र में युद्धस्तर पर काम करने की आवश्यकता है।**

आशा है नई सरकार खनिज-विकास की दिशा में भरसक प्रयास करेगी ताकि यह क्षेत्र राज्य में रोजगार व आय बढ़ाने में उचित योगदान दे सके और खनिज-पदार्थों के निर्यातों में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा के अर्जन में भी मदद दे सके। सरकार को बाड़मेर क्षेत्र के कच्चे तेल व गैस के भण्डारों से अपना रोयल्टी, बिक्री-कर व मुनाफे में उचित हिस्सा लेकर राजस्व-प्राप्ति को बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार व केयर्न एनर्जी कम्पनी से वार्तालाप किया जाना चाहिए।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. खेतड़ी जाना जाता है—
   (अ) कोयला खान (ब) ताम्र परियोजना
   (स) जिंक स्मेल्टर प्लांट (द) संगमरमर पत्थर (ब)

2. **राजस्थान राज्य खनन विकास निगम (RSMDC) प्रमुखतया किन खनिजों के** उत्पादन व विपणन को देखता है ?

(अ) लाइमस्टोन, रोकफोस्फेट व जिप्सम

(ब) कच्चा लोहा लाइम स्टोन व लिग्नाइट

(स) अभ्रक लाइमस्टान व जिप्सम

(द) ताँबा, अभ्रक व कोयला (अ)

3. घटिया रोकफोस्फेट के रूप में उपर्युक्त निगम (RSMDC) ने कौन-सा उर्वरक विपणन-हेतु बाजार में प्रस्तुत किया है ?

उत्तर . उदयफोश

4. निम्नांकित को सुमेल (match) कीजिए—

खनिज	प्रदेश
(A) जिप्सम	I झामर कोटड़ा
(B) तांबा	II रामपुरा-आगूंचा
(C) फॉस्फेट रॉक	III खो-दरीबा
(D) सीसा एवं जस्ता	IV जामसर

	A	B	C	D
(अ)	III	II	IV	I
(ब)	II	III	IV	I
(स)	IV	III	I	II
(द)	I	IV	II	III

(स)

[RAS, 1998]

5. राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह है—

(अ) उदयपुर (ब) कोटा

(स) झालावाड़ (द) बांसवाड़ा (द)

[RAS, 1998]

6. राज्य की खनिज नीति, 1994 का उद्देश्य छाँटिए—

(अ) नये खनिजों की खोज

(ब) यंत्रीकृत खनन को बढ़ावा

(स) खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना

(द) खनिजों का निर्यात बढ़ाना

(ए) सभी (ए)

7. वे खनिज छाँटिए जिनमें राजस्थान का समस्त भारत के उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार है—

(अ) वोलस्टोनाइट (ब) जस्ता

(स) फ्लोराइट (द) जिप्सम (अ)

8. राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है—
   (अ) मैंगनीज (ब) क्रोमाइट
   (स) अभ्रक (द) बॉक्साइट (स)

[RAS, 1996]

9. प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है ?
   (अ) धौलपुर (ब) जालिपा
   (स) भिवाड़ी (द) रामगढ़ (द)

[RAS, 1995]

10. राजस्थान में तांबे के विशाल भण्डार स्थित हैं—
   (अ) डीडवाना क्षेत्र में (ब) बीकानेर क्षेत्र में
   (स) उदयपुर क्षेत्र में (द) खेतड़ी क्षेत्र में (द)

[RAS, 1993]

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान के खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए और बताइए कि वे राज्य की औद्योगिक प्रगति में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं ?

2. किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए—
   (i) राजस्थान के खनिज संसाधन
   (ii) राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति
   (iii) राजस्थान में खनिज ईंधन की स्थिति व सम्भावनाएँ
   (iv) नई खनिज नीति, अगस्त, 1994
3. राजस्थान के खनिज विकास की प्रमुख विशेषताएँ बताइए तथा नवीन खनिज नीति 1994 की व्याख्या कीजिए।
4. राजस्थान में 'खनिज-आधारित उद्योगों के विकास' पर एक निबन्ध लिखिए।

5. राज्य की नई खनिज नीति, 1994 के मुख्य उद्देश्य लिखिए।

राज्य घरेलू उत्पत्ति
(State Domestic Product)

जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार एक राज्य के स्तर पर राज्य घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है । इसमें एक राज्य में एक वर्ष में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली आय का अनुमान लगाना होता है । जैसे राजस्थान की घरेलू उत्पत्ति में राज्य में कृषि, पशु-पालन, वन, मछली, खनन, विनिर्माण (Manufacturing), निर्माण-कार्य (Construction), विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग प्रशासन, आदि क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली वार्षिक आय का अनुमान लगाया जाता है । यह कार्य काफी जटिल होता है और इसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं । विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पत्ति की मात्रा व उसकी कीमतों तथा कच्चे माल की मात्रा व उसकी कीमतों, आदि का हिसाब लगाना सरल काम नहीं होता । फिर भी **राज्य- घरेलू-उत्पत्ति का अनुमान लगाना आवश्यक होता है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जा सके तथा उसकी तुलना अन्य राज्यों व समस्त भारत की आर्थिक प्रगति से की जा सके** । राज्य घरेलू उत्पत्ति के अनुमान प्रचलित मूल्यों व स्थिर मूल्यों दोनों पर ज्ञात किए जाते हैं । इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दोनों प्रकार के मूल्यों पर की जाती है । लम्बी अवधि के लिए राज्य घरेलू उत्पत्ति के स्थिर मूल्यों पर प्राप्त अनुमानों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों (Structural Changes) का पता लगाया जाता है । इसके लिए अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है—

***(i)* प्राथमिक क्षेत्र** (Primary Sector)—इसमें कृषि, पशु-पालन, वन, मछली-पालन व खनन को शामिल किया जाता है । कुछ लेखक खनन को द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं ।

***(ii)* द्वितीयक क्षेत्र** (Secondary Sector)—इसमें विनिर्माण (Manufacturing) (पंजीकृत व अपंजीकृत), निर्माण-कार्य (Construction), विद्युत, गैस तथा जल-पूर्ति को शामिल किया जाता है।

***(iii)* तृतीयक या सेवा क्षेत्र** (Tertiary Sector)—इसमें शेष आर्थिक क्रियाएँ शामिल की जाती हैं, जैसे परिवहन के साधन—रेल, सड़क आदि, संग्रहण (storage), संचार, व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक सम्पदा (real estate) सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य सेवाएँ।

स्थिर मूल्यों पर इन तीनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध लम्बी अवधि के आय के आँकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था के ढाँचे में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। इससे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों की बदलती हुई स्थिति का पता लग जाता है, जैसे पहले की तुलना में राज्य की कुल आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश कितना घटा, तथा अन्य क्षेत्रों का कितना बढ़ा, आदि-आदि। यही नहीं बल्कि एक क्षेत्र के उप-क्षेत्रों (sub-sectors) की बदलती हुई स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है, जैसे तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, बैंकिंग व बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, आदि की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी हो जाती है।

अतः राज्य के स्तर पर घरेलू उत्पत्ति या आय की गणना करना बहुत लाभकारी होता है। आज के आर्थिक नियोजन के युग में यह और भी अधिक जरूरी हो गया है क्योंकि इन्हीं आँकड़ों का उपयोग करके योजना में हुई आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, कुछ सीमा तक राज्यों की आमदनी के आधार पर योजना आयोग द्वारा राज्यों में योजना-सहायता का आवंटन किया जाता है और वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यों में आवंटन किया जाता है।

राजस्थान में घरेलू उत्पत्ति के अनुमान—राजस्थान में राज्य घरेलू उत्पत्ति (S D.P.) के अनुमान प्रचलित भावों व स्थिर भावों पर 1954-55 से प्रारम्भ किए गए थे। ये 1956 में जारी किए गए थे। यह सिरीज 1959-60 तक जारी रहा था। बाद में इसका आधार-वर्ष बदलकर 1960-61 कर दिया गया और संशोधित सिरीज (revised series) 1978-79 तक प्रकाशित किया गया। इसके बाद 1979 में एक संशोधित सिरीज (revised series) 1970-71 के नये आधार-वर्ष पर जारी किया गया। फरवरी 1988 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (C.S O.) ने राज्य घरेलू उत्पत्ति का एक नया सिरीज (new series) 1980-81 के आधार-वर्ष पर जारी किया। हाल में आधार-वर्ष पुनः बदलकर **1993-94 किया गया है। 1980-81 के भावों पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति के आँकड़े 1960-61 से 1998-99 तक की लम्बी अवधि के लिए राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (DES), जयपुर ने उपलब्ध किए हैं, जिससे तृतीय योजना व बाद की योजनाओं के लिए राज्य की घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव हो सका है।** जैसा कि ऊपर बतलाया गया है। अब राज्य की घरेलू उत्पत्ति का आधार-वर्ष 1993-94 कर दिया गया है। **DES द्वारा प्रकाशित आर्थिक समीक्षा 2003-2004 में**

प्रचलित भावों व 1993-94 के भावों पर वर्ष 2001-02 के लिए राज्य की आय के प्रारम्भिक अनुमान (Provisional estimates), **2002-03 के लिए त्वरित अनुमान** (quick estimates) **तथा 2003-04 के लिए अग्रिम अनुमान** (advance estimates) **प्रस्तुत किए गए हैं** । इनमें बाद में नई सूचना के आधार पर आवश्यक संशोधन किया जाएगा । राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति (**gross state domestic product**) में से मूल्य-ह्रास (depreciation) घटाने से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (**NSDP**) ज्ञात हो जाती है, जिसमें जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होती है ।

स्मरण रहे कि 1993 94 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करने से आय के अनुमानों में से दोनों प्रभाव दूर हो जाते हैं, पहला कीमत-वृद्धि या महँगाई का प्रभाव तथा दूसरा जनसंख्या की वृद्धि का प्रभाव । अत: लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय, (स्थिर मूल्यों पर) बढ़ सके । इसके लिए एक तरफ स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति बढ़ानी होगी और दूसरी तरफ जनसंख्या की वृद्धि पर भी नियंत्रण करना होगा ।

अब हम राज्य की घरेलू उत्पत्ति के परिवर्तनों का अध्ययन करने से पूर्व संक्षेप में इसकी गणना की विधियों का परिचय देंगे ताकि यह अवधारणा ठीक से स्पष्ट हो सके ।

राज्य घरेलू उत्पत्ति के माप की विधि—राष्ट्रीय आय की भाँति राज्य की घरेलू उत्पत्ति या आय का अनुमान लगाने के लिए भी प्राय: उत्पत्ति-विधि एवं आय-विधि (Product-method and income-method) का उपयोग किया जाता है । कहीं-कहीं व्यय-विधि (expenditure method) भी काम में ली जाती है, जैसे निर्माण-कार्य (construction) से होने वाली आय का अनुमान लगाने के लिए । इनका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता है—

(1) उत्पत्ति-विधि (Product Method)—**इसे जोड़े गए मूल्य या 'वर्धित-मूल्य'** (value-added) **की विधि या 'इन्वेन्टरी-विधि' भी कहते हैं** । इसमें सर्वप्रथम उस आर्थिक क्षेत्र की अन्तिम उत्पत्ति का बाजार मूल्य निकाला जाता है । फिर उसमें से उत्पादन में लगाए गए साधनों का कुल मूल्य घटाया जाता है (जैसे कच्चे माल का मूल्य, ईंधन-पावर आदि पर किया गया व्यय) । बाद में मूल्य-ह्रास घटाने से शुद्ध आय प्राप्त होती है, जो उस क्षेत्र का राज्य की घरेलू उत्पत्ति में योगदान मानी जाती है ।

राजस्थान में राज्य की घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाने के लिए उत्पत्ति-विधि का उपयोग निम्न क्षेत्रों के लिए किया गया है—कृषि, पशु-पालन, वन, मछली, उद्योग, खनन व पत्थर निकालना, पंजीकृत विनिर्माण-कार्य (registered manufacturing) (फैक्ट्री आदि में) इसके लिए उत्पत्ति व इन्पुट की मात्राओं व इनके मूल्यों के आँकड़ों की आवश्यकता होती है ।

(2) आय-विधि (Income Method)—यह दो रूपों में प्रयुक्त होती है—

(i) प्रत्यक्ष रूप में (In the Direct Form)—यह उन आर्थिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है जिनमें कर्मचारियों के भुगतान, ब्याज, लगान, किराया, लाभ, मूल्य-ह्रास आदि के आँकड़े विभिन्न उपक्रमों के वार्षिक लेखों (annual accounts) में मिल जाते हैं । उनमें उत्पादन के

विभिन्न साधनों की आय को जोड़कर उन क्षेत्रों का राज्य की आय में योगदान ज्ञात किया जाता है।

यह विधि निम्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है—विद्युत (जहाँ राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल व राजस्थान आणविक पावर प्रोजेक्ट (RAPP) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक लेखों से आवश्यक जानकारी मिलती है), जल-पूर्ति, रेल, संगठित सड़क परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, स्थावर सम्पदा (real estate), आदि। इन क्षेत्रों में वार्षिक लेखों से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके आय के अनुमान तैयार किए जाते हैं।

(ii) **परोक्ष रूप में** *(In Indirect Form)—इस विधि में सर्वेक्षण के आधार पर आय* का पता लगाया जाता है। पहले उस क्षेत्र की श्रम-शक्ति का पता लगाते हैं, फिर सेम्पल-सर्वेक्षण के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत आय ज्ञात की जाती है और तत्पश्चात् इन दोनों को गुणा करके उस क्षेत्र का राज्य की आय में योगदान निकाला जाता है।

यह विधि गैर-पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र (कुटीर व ग्रामीण उद्योग आदि) असंगठित सड़क परिवहन, होटल, घरेलू सेवाओं आदि क्षेत्रों की आय का अनुमान लगाने में प्रयुक्त की जाती है। इनमें लगे व्यक्तियों की संख्या को क्रमश: इनकी प्रति व्यक्ति औसत आय (जो सेम्पल सर्वेक्षण से जानी जाती है) से गुणा किया जाता है।

इस प्रकार आय-विधि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दो रूपों में प्रयुक्त की जाती है।

(3) व्यय-विधि (Expenditure Method)—जैसा कि पहले कहा जा चुका है **निर्माण-कार्यों में आमदनी का अनुमान व्यय-विधि से लगाया जाता है।** निर्माण कार्य पर लगे माल जैसे सीमेन्ट, इस्पात, ईंट, पत्थर, इमारती लकड़ी व अन्य सामान का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इन पर व्यय की राशि को काम में लेने के कारण यह व्यय-विधि कहलाती है। श्रम-गहन कच्चे निर्माण कार्यों के लिए सेम्पल सर्वेक्षण का उपयोग करके व्यय-विधि के द्वारा उनका राज्य की आय में योगदान निकाला जाता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की घरेलू उत्पत्ति को ज्ञात करने के लिए उत्पत्ति-विधि, आय-विधि व व्यय-विधि का मिला-जुला प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांश उपयोग प्रथम दो विधियों का ही किया जाता है।

राज्य की घरेलू उत्पत्ति या राज्य की आय में परिवर्तन

***(i)* प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) व प्रति व्यक्ति आय**— जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के अनुमान 1954-55 से प्रकाशित किए गए हैं। हम पहले प्रचलित मूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, क्योंकि 1980-81 के मूल्यों पर नया सिरीज 1960-61 से प्राप्त हो पाया है, जिससे प्रचलित मूल्यों व स्थिर मूल्यों पर एक साथ तुलना इस वर्ष के बाद की अवधि के लिए सम्भव हो सकी है। **अब 1993-94 के आधार पर राज्य की घरेलू उत्पत्ति का नया सिरीज चालू हो जाने से स्थिर मूल्यों पर राज्य की आय का अध्ययन करने के लिए** 1993-94 का आधार-वर्ष काम में लेना होगा।

NSDP व प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर

(at Current Prices)

वर्ष	शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
1954-55	400	233
1960-61	559	284
1970-71	1637	645
1980-81	4126	1222
1990-91	18281	4191
2000-01	70211	12570
2001-02 (P)	78761	13738
2002-03 (Q)	75048	12753
2003-04 (A)	89075	14748

स्रोत: *Net State Domestic Product (By Industrial origin at Factor Cost) of* Rajashthan (1960-61 to 2001-02), Economic Review 2003-04, p.4 (DES, Jaipur)

तालिका के परिणाम—*वैसे समय-समय पर विधि-सम्बन्धी परिवर्तनों व आँकड़ों* में सुधार होने से प्रचलित मूल्यों पर भी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की प्रवृत्ति के विवेचन में आवश्यक सावधानी बरतनी होती है। फिर भी योजनाकाल में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में काफी वृद्धि हुई है।

2002-03 में प्रचलित भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 75048 करोड़ रुपये तथा प्रति व्यक्ति आय 12753 रुपए रही। 2002-2003 में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.7% घटी तथा प्रति व्यक्ति आय 7.2% घटी। 2003-2004 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर चालू कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति में 2002-2003 की तुलना में 18.7% तथा प्रति व्यक्ति आय में 15.6% की वृद्धि अनुमानित है।

(*i*) स्थिर मूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के परिवर्तन—जैसा कि पहले कहा जा चुका है अब राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के आँकड़े 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर उपलब्ध किए जाने लगे हैं। पहले का आधार वर्ष 1980-81 हुआ करता था। निम्न तालिका में *1960-61* से *2003-04* तक के शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के आँकड़े 1993-94 के भावों पर प्रस्तुत किए गए हैं।

NSDP व प्रति व्यक्ति आय (1960-61 से 2003-04 तक के आँकड़े

(1993-94 के भावों पर)

वर्ष	शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
1960-61	7606	3865
1970-71	11528	4538
1980-81	12738	3772
1990-91	28857	6615
2000-01	45267	8104
2001-02 (P)	49137	8571
2002-03 (Q)	44769	7608
2003-04 (A)	51767	8571

[स्रोत : पूर्वोद्धत संदर्भ]

तालिका के निष्कर्ष—तालिका से यह पता चलता है कि स्थिर किमतों (1993-94) पर 1960-61 में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 7606 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000-01 में 45267 करोड़ रुपये हो गई । 2001-02 मे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष की *तुलना में बढ़ी तथा 2002-03 में 8 9% घटी । प्रति व्यक्ति आय 2002-03 मे 11.2% घटी* तथा 2003-04 मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय दोनों में क्रमश: 15 6% व 12 7% की वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार 2002-03 के शीघ्र अनुमानों (quick estimates) के आधार पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 44769 करोड़ रु. व प्रति व्यक्ति आय 7608 रुपए अनुमानित है । लेकिन 2003-04 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर इनमें काफी वृद्धि के अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं ।

योजनाकाल में राजस्थान व भारत की आय में तुलनात्मक परिवर्तन (1980-81) के भावों पर)—चूँकि 1993-94 का सिरीज अभी तक सम्पूर्ण योजनाकाल के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुलना के लिए फिलहाल 1980-81 के आधार वर्ष का ही उपयोग किया गया है ।

वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) (1980-81 के मूल्यों पर)[1]

अवधि	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (राजस्थान) (NSDP)	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति (भारत) (NNP)	प्रति व्यक्ति आय	
			राजस्थान	भारत
तृतीय योजना (1961-66)	14	−4 7	−1 0	−6 8
वार्षिक योजनाऐं (1966-69)	−0 8	37	−3 0	15
चतुर्थ योजना (1969-74)	71	33	38	10
पचम योजना (1974-79)	52	50	22	27
वार्षिक योजना (1979-80)	−14 5	−6 0	−16 9	−8 2
छठी योजना (1980-85)	59	55	30	32
सातवीं योजना (1985-90)	70	58	45	36
(1990-92)	39	25	17	04
आठवीं योजना (1992-97)	70	66	48	46
दीर्घकालीन (1960-90)	42	40	16	1.7
नवीं योजना (1997-2002)*	4 3**	5 6	23	3.7

तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल मे राजस्थान मे विकास की वार्षिक दर सर्वाधिक सातवीं व आठवीं योजना मे लगभग 7% रही। तृतीय योजना मे यह मात्र 1.4% रही थी। 1961-62 से 1989-90 तक के 28 वर्षों मे राज्य में विकास

---

1. भारत के लिए Economic Survey 2003-2004, p.S-4 तथा राजस्थान के लिए Draft Tenth Five Year Plan 2002-07 Vol. I, p.1.6 तथा Economic Review 2003-2004, p.4 (GOR).

* 1993-94 के मूल्यों पर,

** गणना अध्याय के अंत में परिशिष्ट में । (नवीनतम आँकड़ों के आधार पर) ।

की दर लगभग 4.2% रही । भारत में भी सर्वाधिक विकास की वार्षिक दर आठवीं योजना में 6.7% प्राप्त की गई तथा प्रति व्यक्ति विकास की दर 4.6% भी इसी योजना में प्राप्त हुई थी । 1961-90 की अवधि में भारत में विकास की औसत दर 4% रही, जो राजस्थान से मामूली कम थी । लेकिन भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर राजस्थान से कम होने के कारण उसकी प्रति व्यक्ति आय की दीर्घकालीन वृद्धि दर 1.7% रही । तृतीय योजना में भारत में विकास की दर -4.7% रही जिससे प्रति व्यक्ति विकास की दर में 6.8% की गिरावट आई थी ।(1980-81 के मूल्यों पर) ।

प्रत्येक योजना में वार्षिक चक्रवृद्धि दर निकालने के लिए योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन निकाले जाते हैं । फिर पाँच वर्ष के प्रतिशत परिवर्तनों का ज्यामितीय औसत (Geometric mean) लिया जाता है । इसकी विधि अध्याय के अन्त में परिशिष्ट में समझाई गई है । उसमें राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) के आँकड़ों का 1993-94 के मूल्यों पर उपयोग किया गया है । **आय की वार्षिक वृद्धि-दर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाकर भी ज्ञात की जाती है, जिसके लिए आधार वर्ष व अन्तिम वर्ष की आय के आँकड़ों का उपयोग किया जाता है ।**

राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के योजनावार परिवर्तनों का अर्थ सावधानीपूर्वक लगाना होगा, क्योंकि **किसी भी योजनावधि में औसत वार्षिक वृद्धि दर उस योजना में किसी एक वर्ष की असामान्य वृद्धि या असामान्य गिरावट से अत्यधिक मात्रा में प्रभावित हो सकती है ।** उदाहरण के लिए, आठवीं योजना (1992 97) में औसत चक्र-वृद्धि दर (शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति) 7 0% रही। लेकिन इस योजनावधि मे पॉच मे से तीन वर्षो मे तो शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे पिछले वर्ष की तुलना मे तीव्र वृद्धि हुई थी। **1994-95 मे पिछले वर्ष की तुलना मे यह 18% (स्थिर मूल्यो पर) बढी थी।** 1992-93 मे यह 15% तथा 1996-97 मे 14 8% बढी थी। **इन्ही के फलस्वरूप आठवीं योजना में विकास की चक्रवृद्धि दर 7.0% प्राप्त की जा सकी थी।**

अत: योजनावार वार्षिक वृद्धि-दर का अर्थ लगाते समय यह ध्यान रखना होगा कि कहीं एक वर्ष की अत्यधिक या असाधारण वृद्धि इसको प्रभावित न करे । पाँचवीं, छठी व सातवीं योजनाओं में भी क्रमश: 1975-76 की 21 3%, 1983-84 की 22 8% तथा 1988-89 की 41 3% वृद्धियों ने सम्बद्ध योजनाओं की औसत वृद्धि-दरों को प्रभावित किया था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि आधार वर्ष एवं अन्तिम वर्ष में परिवर्तन मात्र से आय में कोई भी वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई जा सकती है । राजस्थान के आर्थिक विकास के अध्ययन में यह बात सदैव ध्यान में रखनी होगी ।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढाँचे (Structure of NSDP) अथवा क्षेत्रवार अंशदान में परिवर्तन—निम्न तालिका में 1960-61 से 2003-04 तक की अवधि के लिए राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के ढाँचे के परिवर्तन की जानकारी के लिए आधार-वर्ष

1993-94 प्रयुक्त किया गया है । हम पहले बतला चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व सहायक उद्योग, वन, मछली व खनन शामिल होते हैं । द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस व जल-पूर्ति तथा निर्माण-कार्य शामिल होते हैं एवं तृतीयक क्षेत्र में परिवहन संग्रहण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, स्थावर सम्पदा व सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवाएँ शामिल होती हैं ।

NSDP में प्रतिशत अंश[1]

(1960-61 से 2003-04 के लिए आधार वर्ष (1993-94)

वर्ष	प्राथमिक	द्वितीयक	तृतीयक
1960-61	52 7	19 2	28.1
1970-71	57 5	16 4	26.1
1980-81	47.8	19 5	32.7
1990-91	43 5	20 8	35 7
2000-01	28 4	25 7	45.9
2001-02 (P)	32 8	23.1	44.1
2002-03 (Q)	26 4	25 1	48 5
2003-04 (A)	32.8	21.6	45.6

योजनाकाल में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढाँचे में परिवर्तन—उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि योजना-काल मे (NSDP) के क्षेत्रवार अंशदान में काफी परिवर्तन हुए हैं । प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान 1960-61 मे 52 7% (1993-94 के भावो पर) से घटकर 2002-03 मे 26 4% पर आ गया । इस अवधि मे द्वितीयक क्षेत्र का अंश 19.2% से बढ़कर 25.1% हो गया, तथा तृतीयक क्षेत्र का 28 1% से बढ़कर 48 5% हो गया । इस प्रकार इस अवधि में तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1/4 से बढ़कर लगभग आधा हो गया है । **इससे सिद्ध होता है कि राज्य की आय में सेवा-क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है** । इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटा है तथा तृतीयक क्षेत्र का बढा है । द्वितीयक क्षेत्र का योगदान घटता-बढ़ता रहा है और 2002-03 में 25% रहा है ।

---

1. NSDP 1960-61 to 2001-02, July 2002 & Economic Review 2003-04, July 2004, p 12

द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण (manufacturing) की आय शामिल होती है । 1999-2000 में पंजीकृत व गैर-पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान राज्य की घरेलू उत्पत्ति में 14.5% हुआ था, जिसमें पंजीकृत क्षेत्र का अंश 9% तथा गैर-पंजीकृत का 5.5% था । 2002-03 में इस क्षेत्र का योगदान 11.5% ही रहा, (1993-94 के मूल्यों पर) जिसमें पंजीकृत क्षेत्र का अंश 5.6% तथा गैर-पंजीकृत क्षेत्र का 5.9% रहा । इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र का योगदान आज भी थोड़ा है । समस्त भारत में यह लगभग 21% पाया जाता है । अतः राज्य को इसका योगदान बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के उद्योगों का विकास करना चाहिए ।

तृतीयक क्षेत्र की सबसे बड़ी मद व्यापार, होटल तथा जलपान-गृह की होती है जिसमें पिछले 15 वर्षों में कुछ परिवर्तन आया है । 1999-2000 में इस मद से राज्य की आय (शुद्ध) में 14.2% का योगदान हुआ था, जो बढ़कर 2002-03 में 16% पर आ गया है । यह 1993-94 के मूल्यों के आधार पर है ।

राज्य की आय में सर्वाधिक वृद्धि-दर तृतीयक क्षेत्र में हुई है जिसमें व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, आदि शामिल होते हैं । सच पूछा जाए तो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों की वृद्धि दरों का विशेष महत्त्व होता है, क्योंकि उनका सम्बन्ध वस्तु-क्षेत्रों (commodity-sectors) से होता है । तृतीयक क्षेत्र में तो विभिन्न प्रकार की सेवाएँ आती हैं । योजनाकाल में राष्ट्रीय स्तर पर भी तृतीयक क्षेत्र में विकास-दर अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक रही है, जिससे आर्थिक विकास की दर के ऊँचा होने में मदद मिली है । लेकिन यह सीधे वस्तु-उत्पादन से सम्बन्ध नहीं रखती है, इसीलिए ऐसी विकास की दर पूर्ण संतोष नहीं दे सकती ।

राज्य की आय के क्षेत्रवार वितरण पर कृषिगत उत्पादन का अधिक प्रभाव पड़ता है । अच्छी फसल वाले वर्ष में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है और सूखे व अकाल के वर्षों में यह काफी घट जाता है । परिणाम-स्वरूप, खराब फसल वाले वर्षों में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों के अंश बढ़ जाते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) (जो द्वितीयक क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग होता है) का अंश बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। यह लगभग 12-13 प्रतिशत पर ठहरा हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके इस अनुपात को बढ़ाया जाना चाहिए । प्रयत्न करने पर यह एक दशक में 20% तक पहुँचाया जा सकता है । राज्य में आर्थिक साधनों पर आधारित औद्योगिक इकाइयों के विकास के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं, जिनका उपयोग करके इस क्षेत्र का योगदान सकल व शुद्ध घरेलू उत्पाद में बढ़ाया जाना चाहिए । साथ में निर्माण-कार्यों को भी बढ़ाना चाहिए । इसके लिए भी राज्य में ईंट, पत्थर, सीमेन्ट व अन्य भवन निर्माण-कार्यों की आवश्यक सामग्री का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिससे रोजगार में भी वृद्धि की जा सकती है । राज्य में जवाहरात व आभूषणों का उत्पादन बढ़ाने के भी पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं । गलीचों, हथकरघा व दस्तकारियों का उत्पादन बढ़ाकर रोजगार, आमदनी व निर्यात में काफ़ी वृद्धि की जा सकती है ।

राजस्थान एवं भारत की प्रति व्यक्ति आय के बीच बढ़ता हुआ अन्तर—आगे की तालिका में 1960-61 से 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय के अन्तर 1993-94 के मूल्यों पर दिए गए हैं । इनके अध्ययन से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान व भारत के बीच का अन्तराल घटता-बढ़ता रहा है । 1960-61 से 1970-71 के बीच यह घट गया था, लेकिन 1970-71 से 1980-81 के बीच काफी बढ़ गया । पुन: यह 1980-81 से 1990-91 के बीच घटा । बाद के वर्षों में भी यह घटता-बढ़ता ही रहा है । इस प्रकार यह कहना गलत होगा कि **1980-81 से 2002-03 तक राजस्थान व भारत की प्रति व्यक्ति आय में अन्तराल निरन्तर बढ़ता गया है** । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दोनों के बीच प्रति व्यक्ति आय का अन्तराल आज भी बना हुआ है, जिसे यथासम्भव कम किया जाना चाहिए । 1970-71 में यह अन्तराल काफी कम हो गया था । जिन वर्षों में राजस्थान में सूखे के कारण कृषिगत उत्पादन को भारी क्षति पहुँचती है, उनमें प्रति व्यक्ति आय का अन्तराल सर्वाधिक हो जाता है । 2002-03 मे यह 3356 रुपये हो गया था, जो सर्वाधिक था । 2003-04 में भी यह अन्तराल काफी ऊँचा रहा है, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

भारत व राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय का अन्तराल[1]

(1960-61 से 2003-04 तक के लिए आधार-वर्ष 1993-94 लेने पर)

प्रति व्यक्ति आय (रु. में)			
वर्ष	भारत	राजस्थान	अन्तराल (Gap)
(1)	(2)	(3)	(4)
1960-61	4429	3865	564
1970-71	5002	4538	464
1980-81	5352	3772	1580
1990-91	7321	6615	706
2000-01	10313	8104	2209
2001-02 (P)	10774	8571	2203
2002-03 (Q)	10964	7608	3356 (H)
2003-04 (A)	11684	8571	3113

1. पूर्वोद्धृत स्रोत ।

उपर्युक्त तालिका मे चुने हुए वर्षों के लिए राजस्थान व भारत की प्रति व्यक्ति आय के आँकडे 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर दिए गए हैं। साथ में उनका अन्तराल भी दिया गया है।

अन्य राज्यों से तुलना—निम्न तालिका में कुछ राज्यों के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) व प्रति व्यक्ति GSDP में वार्षिक वृद्धि-दरें दर्शाई गई हैं। यहाँ आधार-वर्ष 1980-81 लिया गया है।[1]

(% में)

(1991-92 से 1997-98 तक) (आधार-वर्ष 1980-81)	सकल घरेलू उत्पत्ति की वृद्धि-दर	प्रति व्यक्ति GSDP की वृद्धि-दर
1 राजस्थान	6 54	3 96
2 बिहार	2 69	1 12
3 गुजरात	9 57	7 57
4 मध्य प्रदेश	6 17	3 87
5 पंजाब	4 71	2 80
6 तमिलनाडु	6 22	4 95
7 उत्तर प्रदेश	3 58	1 24
समस्त भारत	6 89	5 0 (लगभग)

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सकल घरेलू उत्पत्ति में चक्रवृद्धि-दर 1991-92 से 1997-98 के 6 वर्षों में 6 5% वार्षिक रही, जो भारत के औसत 6 9% से कुछ कम थी। यह बिहार, पंजाब व उत्तर प्रदेश से ज्यादा थी। लेकिन इन आँकड़ों का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सकल व शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की वार्षिक वृद्धि-दर में काफी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे 1991-92 में यह 7 7% घटी, 1992-93 में 15% बढ़ी, 1993-94 में यह पुन: 8 2% घटी, 1994-95 में 18% बढ़ी तथा 1995-96 में 0 9% घटी। 1996-97 में यह पुन: 14 8% बढ़ गयी। **इसलिए कुछ वर्षों की ऊँची वृद्धियाँ औसत वृद्धि-दर को बढ़ा देती हैं। फिर भी 1991-92 से 1997-98 की अवधि में राजस्थान की विकास-दर (6.54%) काफी ऊँची रही। यह गुजरात, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल से कम थी, लेकिन अन्य कई राज्यों में ऊँची थी। 1980-81 से 1990-91 की अवधि में भी राजस्थान की विकास-दर 6.60% सालाना रही थी। अतः राजस्थान आँकड़ों की दृष्टि से उत्तम प्रगति वाला राज्य माना गया है।** अन्य राज्यों में वृद्धि-दर में इतने उतार-चढ़ाव नहीं आते। अत: तुलना से परिणाम निकालने में हमें पर्याप्त सावधानी रखनी होगी।

---

1 Montek S Ahluwalia, **Economic Performance of States in Post-Reforms Period**, an article in EPW May 6 2000, p 1638

राजस्थान में सकल या शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NDP) में तेज गति से वृद्धि करने के लिए कुछ सुझाव—चूँकि शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (सकल घरेलू उत्पत्ति—मूल्य-ह्रास) का उद्‌गम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कृषि, पशु-पालन, खनन, विद्युत, उद्योग, परिवहन, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन आदि से होता है, इसलिए इसमें तीव्र गति से वृद्धि करने के लिए इन क्षेत्रों के विकास के प्रयास करने होंगे। इनका विवरण आगे दिया जा रहा है—

(1) **कृषि**—राजस्थान में कृषिगत उत्पादन में भारी मात्रा में वार्षिक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, जिन्हें कम करने के लिए सूखी खेती की पद्धतियों का व्यापक रूप से उपयोग करना होगा। फव्वारा सिंचाई व बूँद-बूँद सिंचाई से उत्पादन भी बढ़ेगा तथा पानी के उपयोग में भी किफायत होगी। राजस्थान में पशु-विकास, फल-विकास, वन-विकास, चारा-विकास, आदि पर एक साथ बल देना होगा। इसके लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर एक विस्तृत कृषि-विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसे सफल बनाने की आवश्यकता है। इसकी सहायता से सोयाबीन, ईसबगोल, मेहंदी व तुम्बा (एक प्रकार का तिलहन) का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा कृषिगत क्षेत्र से आमदनी भी बढ़ेगी। सम्पूर्ण कार्यक्रम को लागू करने से कृषिगत विकास को काफी गति मिलेगी। भूमि, वृक्ष, जल, नमी आदि सभी का सदुपयोग व संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि इनसे उत्पादन में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो सके।

(2) **उद्योग, खनन व विद्युत**—हम पहले बतला चुके हैं कि राजस्थान में खनन विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं और इन पर आधारित उद्योगों पर समुचित रूप से ध्यान देने से भी राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति बढ़ाई जा सकती है। राज्य में सीमेंट उद्योग, मार्बल व ग्रेनाइट उद्योग, खाद्य-तेल व वनस्पति उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग, आदि का विकास करके आय बढ़ाई जा सकती है। रत्न, आभूषण, गलीचों, दस्तकारियों व हथकरघा उद्योग का विकास करके रोजगार, आय व निर्यात बढ़ाए जा सकते हैं। राज्य में पशु-धन आधारित, कृषिगत माल पर आधारित, खनिज-पदार्थ-आधारित तथा अन्य कई प्रकार के उद्योगों के विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, जिनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो सके। **राज्य को तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग पर ले जाने की नितान्त आवश्यकता है।** इसमें गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों की भाँति औद्योगिक विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं, जिनका पूरा-पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता है। राज्य अपने परम्परागत ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को पनपा कर भी अपनी आमदनी, रोजगार व निर्यातों में वृद्धि कर सकता है।

पर्यटन का विकास करके भी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। राज्य में थर्मल पावर गैस आधारित विद्युत व आणविक विद्युत तथा मिनी जल-विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करके पावर-सप्लाई बढ़ाकर विकास के नए अवसर खोले जा सकते हैं।

(3) सेवा-क्षेत्र—शिक्षा, चिकित्सा, जल-पूर्ति, परिवहन (विशेषतया सड़कों तथा ब्रोडगेज रेल लाइनों), बैंकिंग आदि का विकास करके सामाजिक सेवाओं व आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है। इससे जीवन-स्तर में सुधार आने के साथ-साथ राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में भी वृद्धि होगी।

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य अवश्य है, लेकिन यहाँ विभिन्न दिशाओं में आर्थिक विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, जिनका समुचित उपयोग करके आगे आने वाले वर्षों में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में द्रुतगति से वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए जिला-नियोजन अथवा विकेन्द्रित नियोजन के माध्यम से स्थानीय साधनों का उपयोग करके उत्पादक परियोजनाओं को संचालित करने की आवश्यकता है। राज्य को अकाल व सूखे की दशाओं पर नियंत्रण करने के लिए एक दीर्घकालीन, व्यावहारिक व ठोस कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में सरकार चारे व घास का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में किए गए विनियोगों से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस दिशा में अधिक दीर्घकालीन व अधिक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार कोई कारण नहीं कि सुनियोजित व अधिक सक्रिय ढंग से आगे बढ़ने पर राज्य अपना आर्थिक विकास अधिक तेजी से न कर सके। जून 1994 में नई औद्योगिक नीति, (जून 1998 में संशोधित औद्योगिक नीति), अगस्त 1994 में नई खनिज नीति, दिसम्बर 1994 में नई सड़क नीति, जनवरी 2000 में नई जनसंख्या नीति, अप्रैल 2000 की नई सूचना-प्रौद्योगिकी (IT) नीति तथा निकट भविष्य में प्रस्तावित पर्यटन नीति व नई कृषिगत नीति को लागू करके राज्य आर्थिक विकास की गति को तेज करने में समर्थ हो सकता है। केन्द्र की भाँति राज्य सरकार भी विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक उदारता व आर्थिक सुधारों का समावेश करने का प्रयास कर रही है ताकि उत्पादन व उत्पादकता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके तीव्र, न्यायपूर्ण व रोजगारोन्मुख आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

कांग्रेस सरकार ने राज्य के योजना-बोर्ड का पुनर्गठन किया था तथा राज्य में एक आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना की थी लेकिन विशेष प्रगति नहीं हो पायी। जनवरी 2004 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है। इसने एक आर्थिक सुधार परिषद्, (An Economic and Reforms Council) का गठन किया है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के *कार्यक्रम तैयार* करने में संलग्न है। एक *'व्यय-सुधार-आयोग'* का भी गठन किया गया है जो 31 दिसम्बर, 2004 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आशा है आगामी पाँच वर्षों में विद्युत का उत्पादन बढ़ने से कृषि, उद्योग, आदि सभी क्षेत्रों में विकास के नये अवसर उत्पन्न होंगे जिससे राज्य की आय बढ़ेगी। इसके लिए राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं को रोजगारोन्मुख व विकासोन्मुख बनाया जाना चाहिए ताकि आय के बढ़ने से राज्य में खुशहाली बढ़ सके और लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा हो सके।

परिशिष्ट

(अ) राजस्थान में 1997-98 से 2001-02 (नवीं योजना) की अवधि में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) की औसत वृद्धि-दर ज्ञात करने की विधि (1993-94 के भावों पर)[1]–

वर्ष	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	सूचकांक	सूचकांक का लॉग लेने पर
1997-98	12 2	112.2	2.0500
1998-99	4 4	104.4	2.0187
1999-2000	0 3	100 3	2.0013
2000-01	(-) 2 8	97.2	1.9877
2001-02	8.5	108.5	2.0354
		लॉग का जोड़ =	10.0931

$$\text{लॉग का औसत} = \frac{10\ 0931}{5} = 2\ 0186$$

इसका antilog = 104.3

इसलिए विकास की वार्षिक दर (104.3 – 100) = 4 3% रही ।

यहाँ परिवर्तन की वार्षिक दर निकालने के लिए वार्षिक प्रतिशत के परिवर्तनों का ज्यामितीय औसत (G.M.) लिया गया है। इसका ज्ञान मामूली अभ्यास से हो सकता है, जिसे अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके लिए log-table व anti-log table के उपयोग की जानकारी आवश्यक होती है।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. वर्ष 2002-03 में राजस्थान की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) (1993-94 के भावों पर) कितनी रही ?

   (अ) 22917 करोड़ रु. (ब) 31307 करोड़ रु.

   (स) 44769 करोड़ रु (द) 41021 करोड़ रु (स)

---

1. वार्षिक वृद्धि-दर के आँकड़े, Economic Review 2003-04, (GOR) July 2004 से लिये गये हैं ।

2. वर्ष 2002-03 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय (1993-94 के मूल्यों पर) कितनी रही ?
   (अ) 8793 रु. (ब) 7608 रु.
   (स) 9993 रु. (द) 5232 रु. (ब)
3. राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद के परिवर्तनों के सम्बन्ध में कौन-सा कथन ज्यादा उपयुक्त लगता है ?
   (अ) पाँच में से एक साल की अत्यधिक वृद्धि-दर पंचवर्षीय योजना की वृद्धि-दर को प्रभावित कर डालती है,
   (ब) प्राय: एक साल धनात्मक वृद्धि-दर व दूसरे साल ऋणात्मक वृद्धि-दर होती है,
   (स) वार्षिक वृद्धि-दर पर कृषिगत उत्पादन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है,
   (द) राज्य की अर्थव्यवस्था अत्यधिक अस्थिर किस्म की है। (ब)
4. चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध-राज्य घरेलू उत्पत्ति 2001-02 में किस राज्य की सर्वाधिक थी ?
   (अ) पंजाब की (ब) हरियाणा की
   (स) गोआ की (द) महाराष्ट्र की (स)
5. राजस्थान को सकल-घरेलू-उत्पत्ति में तेजी से वृद्धि करने के लिए किस आर्थिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा बल देना चाहिए ?
   (अ) खनन (ब) औद्योगिक
   (स) पशु-धन (द) पर्यटन (ब)
6. राजस्थान में 1993-94 के भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की सर्वाधिक राशि (लगभग 44769 करोड़ रु.) किस वर्ष रही ?
   (अ) 1996-97 (ब) 1997-98
   (स) 2002-03 (द) 1999-2000 (स)

अन्य प्रश्न

1. "राज्य घरेलू उत्पाद" से आप क्या समझते हैं ? राजस्थान में राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ एवं संरचना समझाइए।
2. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए। उन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव दीजिए।
3. योजनाकाल में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय में 1960-61 से हुई वास्तविक प्रगति की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्या यह प्रगति संतोषजनक रही है ?
4. राजस्थान में आय-ढाँचे (SDP-Structure) में योजनाकाल में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं ? क्या ये परिवर्तन अनुकूल माने जा सकते हैं ?

5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राज्य घरेलू उत्पत्ति की प्रवृत्तियाँ व संरचना।
   (ii) राज्य की आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान।
   (iii) राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान।
   (iv) राज्य की आय में योजनावार वृद्धि की दरें।
   (v) राजस्थान की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय (1993–94 के मूल्यों पर)।
6. राजस्थान में योजनावधि में विकास की दर समस्त देश की तुलना में नीची रही है। क्या आप इस मत से सहमत हैं ? राज्य में विकास की गति को तेज करने के कुछ *व्यावहारिक सुझाव दीजिए।*
7. राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के उपायों का विवेचन करिए। इनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के सुझाव दीजिए।
8. भारत व राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय के अन्तराल की स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह बतलाइए कि इस अन्तराल को कैसे कम किया जा सकता है ?
9. राज्य की 'प्रति व्यक्ति आय' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
10. राजस्थान में 'शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद' में वृद्धि के लिए सुझाव दीजिए।

पर्यावरण प्रदूषण व सुस्थिर विकास की समस्याएँ
(Environmental Pollution and Problems of Sustainable Development)

"गैर-टिकाऊ या असुस्थिर (Unsustainable), अनियन्त्रित व असंतुलित विकास परमाणु-सर्वनाश से भी कई गुना अधिक भयावह होता है" —आचार्य महाप्रज्ञ

"जब मानव समाज का आर्थिक कल्याण अपनी सुस्थिरता (sustainability) के लिए न केवल टेक्नोलोजी के पर्यावरणीय-पुनर्गठन को चाहता है, बल्कि अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए यह मानवीय मूल्यों व संस्थागत तथा कानूनी व्यवस्था का भी वैसा ही पुनर्गठन चाहता है; ऐसी स्थिति में परम्परागत अर्थशास्त्र को भी अपने फ्रेमवर्क व विश्लेषण की विधि में परिवर्तन करने होंगे।" रामप्रसाद सेनगुप्ता, 'Ecology And Economics', 2002, पृ.234.

'निर्धनता प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है'

(Poverty is the biggest polluter)
–Indira Gandhi, Stockholm, UN Conference on Human Environment, 1972.

पिछले वर्षों में पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध पर बहुत बल दिया जाने लगा है। इन दोनों को एक-दूसरे का पूरक माना जाता है। 'जल, जमीन व जंगल' के संरक्षण का आन्दोलन देश के विभिन्न भागों में चलाया गया है। पर्यावरण में मुख्यतया जल, पेड़, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, वायु, भूमि आदि शामिल किए जाते हैं। विकास का सम्बन्ध प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि से होता है। अत: यह स्वीकार किया जाने लगा है कि विकास की प्रक्रिया से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए; बल्कि विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा हो तथा इसमें निरन्तर अभिवृद्धि हो। यदि पर्यावरण को हानि पहुँचाकर विकास किया गया तो वह स्थायी व टिकाऊ नहीं होगा, बल्कि आगे चलकर समाज के लिए घातक व विनाशकारी सिद्ध होगा। इसलिए विकास के दौरान जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण, मिट्टी के कटाव, मिट्टी की बढ़ती लवणता व क्षारीयता, मरुस्थलीकरण (Desertification), वृक्षों की अंधाधुंध कटाई (Deforestation), ध्वनि-प्रदूषण आदि से बचने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि वर्तमान व भावी पीढ़ी दोनों के हितों की रक्षा की जा सके और लोगों के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पड़ने वाले कुप्रभावों से बचा जा सके।

सुस्थिर विकास क्या है ? (What is Sustainable Development ?)

पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा में पिछले वर्षों में सुस्थिर या सुदृढ़ या टिकाऊ विकास (Sustainable development) की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है।

इसका अर्थ तो सरल है, लेकिन इसे प्राप्त करना काफी कठिन है। वह विकास जो आगे जारी रह सके, सुस्थिर या टिकाऊ विकास कहलाता है।[1] इसके लिए विद्वानों ने अन्य कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे संतुलित या सम्यक् विकास (balanced development), समताकारी विकास (equitable development), आदि। लेकिन इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा आज के विकास के लिए आज के फल चखते समय यह ध्यान रखा जाए कि भावी पीढ़ियाँ पर्यावरण को गिरावट या पतन से हानि न उठाएँ। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट (Our Common Future, 1987) में सुस्थिर व सुदृढ़ विकास का सामान्य सिद्धान्त यह बतलाया था कि **"वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करे ताकि उससे भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता पर विपरीत असर न पड़े।" (Current generations should meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs.)** अतः विकास में स्थिरता, दृढ़ता, समता व संतुलन तभी आते हैं **जब वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ी दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक साधनों का विदोहन, संरक्षण व विकास किया जाता है।** विश्व में लोगों की, विशेषतया निर्धन लोगों की आवश्यकताएँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए पर्यावरण को क्षमता तथा टेक्नोलॉजी की क्षमता सीमित होती है। इसलिए पर्यावरण व उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना सुस्थिर व सम्यक् विकास कहा जाता है। इसके लिए एक तरफ देश की उत्पादक क्षमता का विकास करना होता है तो दूसरी तरफ जनसंख्या की वृद्धि को पृथ्वी के प्राकृतिक साधनों के साथ संतुलन में रखना होता है। **अतः सुस्थिर विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें साधनों के उपयोग, विनियोग की दशा, टेक्नोलोजिकल प्रगति का रुख व संस्थागत परिवर्तन का रूप आदि सभी वर्तमान व भविष्य, अथवा आज और कल, के लिए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।**[2] अतः सुस्थिर विकास की अवधारणा में प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है ताकि भावी पीढ़ी के हितों की उपेक्षा न हो और मानवीय कल्याण को अधिकतम किया जा सके। सुस्थिरता (sustainability) दो प्रकार की हो सकती है—एक तो मजबूत और दूसरी कमजोर। **'मजबूत या सुदृढ़ सुस्थिरता'** में प्रत्येक परिसम्पत्ति को अलग से बनाए रखने की आवश्यकता समझी जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियाँ एक-दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, न कि परस्पर प्रतिस्पर्धी। इसके विपरीत **'कमजोर या दुर्बल सुस्थिरता'** में परिसम्पत्तियों के कुल भण्डार का समग्र मौद्रिक मूल्य कायम रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि विभिन्न परिसम्पत्तियों में प्रतिस्थापन का ऊँचा अंश माना

1 'Sustainable development is development that lasts,' World Development Report, 1992, p 34 इस रिपोर्ट में पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है।

2 "Sustainable development is best understood as a process of change in which the use of resources, the direction of investments, the orientation of technological development and institutional change all enhance the potent al to meet human needs both today and tomorrow" The Report of the World Commission on Environment and Development-**Sustainable Development : A Guide to our Common Future, 1987, p 3**

और दूसरी कमजोर। **'मजबूत या सुदृढ़ सुस्थिरता'** मे प्रत्येक परिसम्पत्ति को अलग से बनाए रखने की आवश्यकता समझी जाती है, क्योकि विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियाँ एक–दूसरे की पूरक मानी जाती है, न कि परस्पर प्रतिस्पर्धी। इसके विपरीत **'कमजोर या दुर्बल सुस्थिरता'** मे परिसम्पत्तियो के कुल भण्डार का समग्र मौद्रिक मूल्य कायम रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि विभिन्न परिसम्पत्तियो मे प्रतिस्थापन का ऊँचा अश माना जाता है। इस प्रकार **'मजबूत सुस्थिरता' में प्रत्येक प्राकृतिक साधन; जैसे जल, जंगल, जमीन, आदि की पूरी-पूरी रक्षा की जाती है, जबकि 'कमजोर सुस्थिरता' में प्राकृतिक साधनों के कुल भण्डार की रक्षा करने का ही प्रयास किया जाता है।**[1]

सुस्थिर विकास के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं हैं जो इस प्रकार हैं।[2]

(i) कई विकासशील देशो मे **उत्पादकता नीची, विकास गतिहीन व बेरोजगारी ऊँची** पायी जाती है।

(ii) 1 डालर प्रतिदिन से कम आमदनी पर जीने वाले लोगो की सख्या (1 2 अरब) घट रही है, लेकिन फिर भी यह एक चुनौती है और अधिक लोग **कमजोर (fragile) भूक्षेत्रों में निवास कर रहे हैं।**

(iii) **आय की असमानता बढ़ रही है।** सबसे अधिक धनी 20 देशो मे औसत आमदनी सबसे गरीब 20 देशो की औसत आमदनी से 37 गुनी है, जो अनुपात मे 1970 की दुगुनी है।

(iv) **कई निर्धन देशों में नागरिक संघर्ष पाये जाते है** जिनमे विद्वेष गहरे व लम्बी अवधि के होते हैं।

(v) **पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहे हैं।** मछलियो का अधिक विदोहन किया जाता है, मिट्टियो का ह्रास हो रहा है, प्रवाल भित्ति (coral reefs) नष्ट की जा रही है, उष्ण कटिबन्ध के वनो का ह्रास हो रहा है और जल–प्रदूषण बढ रहा है।

(vi) **इन समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय हस्तान्तरणों का अभाव पाया जाता है,** हालाकि साधन तो उपलब्ध होते है।

इससे सिद्ध होता है कि सुस्थिर विकास की समस्या का हल काफी कठिन है।

पर्यावरण-प्रदूषण के विभिन्न रूप, कारण व उसके दुष्परिणाम- पर्यावरण प्रदूषण के कई रूप होते हैं, जैसे जल–प्रदूषण व जल का अभाव, वायु–प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व उर्वरता का ह्रास, वृक्षो की कटाई, जैविक विविधता (biodiversity) (नाना प्रकार के जीव–जन्तु व पेड़–पौधो) का उत्तरोत्तर ह्रास तथा वायुमण्डल के परिवर्तन जैसे ग्रीन–हाउस गैसो के बढने से ग्रीन हाउस–उष्णीकरण या गर्माहट या तपन का बढना तथा ओजोन परत का क्षय होना (Ozone depletion), आदि। इनमे से कुछ प्रदूषण अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यीय स्तरो के अलावा अन्य छोटे स्तरो जैसे जिला व ग्राम–स्तरो तक चल रहे हैं। लेकिन ग्रीनहाउस–उष्णीकरण (greenhouse warming) व ओजोन परत का क्षय (Ozone depletion) का विवरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के अन्तर्गत किया जाता है, जबकि जल–प्रदूषण, ध्वनि–प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व मिट्टी का क्षारीयकरण, वृक्षो की कटाई तथा जैविक–विविधता का निरन्तर ह्रास विभिन्न देशो व राज्यो मे पर्यावरण के विनाश को इगित करते है।

अन्तर्राष्ट्रीय–ऊर्जा–पहल (Initiative), बगलौर के पर्यावरण–विशेषज्ञ अमूल्य के एन रेड्डी (Amulya K N Reddy) ने ठीक ही कहा है कि '' **कुछ स्थानीय पर्यावरणीय**

1 **Economic Survey 1998-99, Chapter 11 Special Topic Promoting Sustainable Development: Challenges For Environment Policy, p.156.** यह अध्याय काफी रोचक है। इसे ध्यान से पढा जाना चाहिए।

2 **World Development Report 2003, p 183**

समस्याएँ होती हैं; जैसे असुरक्षित जल, लगातार जमा होता हुआ शहरी कूड़ा-कचरा, बिना साफ किया गया गंदा पानी (untreated sewage), व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था के कारण प्रदूषित शहरी वायु अथवा लकड़ी की ईंधन वाले चूल्हों के धुएँ से प्रदूषित घर के अन्दर की वायु, आदि। इनके अलावा प्रादेशिक व राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्याएँ भी होती हैं; जैसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, एसिड वर्षा (औद्योगिक प्रक्रियाओं में ईंधन के जलने से वायु में सल्फर व नाइट्रोजन तत्त्वों तथा अन्य प्रदूषित तत्त्वों का सम्मिश्रण), नदी-प्रदूषण, वृक्षों का नाश, आदि। अंत में भूमण्डलीय (global) पर्यावरणीय समस्याएँ आती हैं; जैसे वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों का जमा होना।"[1] इस प्रकार पर्यावरणीय समस्याएँ स्थानीय राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तीनो स्तरो पर देखी जा सकती हैं।

हमे इनको क्रमबद्ध ढग से हल करना होगा। सर्वप्रथम, हम स्थानीय समस्या को ले सकते है, तत्पश्चात् राष्ट्रीय समस्या को और अतत अन्तराष्ट्रीय समस्या को, हालाकि इस सम्बध मे कोई पक्का या अन्तिम नियम नहीं होता। चूँकि ये सभी हमारे दैनिक जीवन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं इसलिए इनको किसी न किसी चरण मे तो हल करना ही होगा।

हम नीचे पर्यावरण–कुप्रबन्ध से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रदूषणो का विवेचन करते है–

पर्यावरण-प्रदूषण-अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में
(In global perspective)

(1) ग्रीनहाउस उष्णीकरण (Greenhouse warming)– वातावरण मे गैसो के सकेन्द्रण व सघनन के बढने से ग्रीनहाउस–उष्णीकरण (Warming) बढ रहा है। *वातावरण मे ग्रीनहाउस गैसे* (greenhouse gases) (GHGs) *बढ़ रही हैं।* *इनमे से प्रमुख* गैस–कार्बन डाइऑक्साइड पिछले तीस वर्षो मे 12% से अधिक बढ गई है। यह सब मानवीय क्रियाओ के फलस्वरूप हुआ है। भविष्य मे ग्रीनहाउस की गर्मी के बढ़ने की प्रक्रिया पर आर्थिक विकास की गति, उत्पादन की ऊर्जा–गहनता, वातावरण, समुद्र आदि की रसायन–क्रिया वगैरह का प्रभाव पडेगा। मिथेन गैस के स्रोत धान के खेत व पशुधन तथा प्राकृतिक नम जलवायु वाले प्रदेश होते है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस विशेषतया समुद्र व मिट्टी से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लकडी, कोयला पेट्रोल आदि ईंधनो के जलने से उत्पन्न होती है।

वातावरण मे ग्रीनहाउस गैसो मे कार्बन डाइऑक्साइड के दुगुना होने से तापक्रम 1 2° सैल्सियस बढता है। जल की भाप (Water Vapor) व समुद्र का भी ऊष्णीकरण पर प्रभाव पडता है। ग्रीनहाउस–उष्णीकरण से जलवायु मे परिवर्तन आता है। इससे तूफानो की सम्भावना व भीषणता पर भी असर पड़ता है। इस प्रकार ग्रीनहाउस –ऊष्णीकरण पर्यावरण को प्रभावित करता है।

भारत में ग्रीनहाउस गैस का प्रभाव- भारत मे कृषिगत क्षेत्र का विशेष महत्त्व होने से मिथेन गैस का योगदान उल्लेखनीय है। यह सिचित चावल की खेती व पशु–पालन से उत्पन्न होती है। कृषि से उत्पन्न होने के कारण इसको कम करने की तकनीकी सम्भावनाएँ कार्बन डाइऑक्साइड को नियन्त्रित करने की तुलना मे कम पाई जाती हैं। कृषिगत उत्पादन को बनाए रखते हुए मिथेन गैस को सीमित कर सकना काफी कठिन होता है। अत इससे होने वाली पर्यावरण की क्षति को कम करना सुगम नहीं होता।

(2) ओजोन की परत का क्षयशील होना (Ozone depletion)– वैज्ञानिको के अनुसार पृथ्वी की सतह से 25 से 35 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन की परत होती है, जो घातक अल्ट्रावायलेट रेडियम विकिरण को रोकती है। 1985 मे एन्टार्टिका (Antarctica) पर

---

1 Anulya K N Reddy Environmental Action: First Act locally then globally; an article In Survey of the Environment 1995 (The Hindu) p 33

ओजोन मे कमी देखी गई थी। वायुमण्डल मे क्लोरीन का जमाव बढ़ने से ओजोन मे कमी आती है। क्लोरीन CFCs (क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स) से उत्पन्न होती है। अनुमान है कि ओजोन परत का घटना कम से कम एक दशक तक जारी रहेगा। उसके बाद यह क्रम पलट सकता है। ओजोन परत के क्षय से लोगो के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। इससे सामुद्रिक प्रणाली की उत्पादकता घटती है। ओजोन के क्षय के फलस्वरूप सूर्य की अल्ट्रावायेलेट रेडियेशन, जो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है, उसमे वृद्धि हो जाती है। एन्टार्टिका में ओजोन के ह्रास की घटना के दौरान अल्ट्रावायलेट (uv) से जैविक क्षति बढ़ी है। ऐसा माना जाता है कि अल्ट्रावायलेट की वृद्धि के प्रभाव सर्वप्रथम दक्षिणी गोलार्द्ध मे प्रगट होगे।

ओजोन मे 10 प्रतिशत की कमी से चर्म–केन्सर (Skin Cancer) मे वृद्धि होती है जिसका प्रभाव प्रति वर्ष 3 लाख व्यक्तियो पर पड़ सकता है। इसके असर से प्रतिवर्ष 17 लाख व्यक्ति ऑखो की केटेरेक्ट की बीमारी से ग्रस्त हो सकते है। uv रेडियेशन के बढने से स्वास्थ्य को काफी हानि होने का भय रहता है। इससे पौधो पर भी विपरीत प्रभाव पड सकता है। सामुद्रिक उत्पादकता व परिवेश–व्यवस्था पर इसके प्रभावो के सम्बध मे अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है।

इस प्रकार ग्रीनहाउस–ऊष्णीकरण (Greenhouse warming) व ओजोन के क्षयीकरण व ह्रास (Ozone depletion) ने स्वास्थ्य के लिए नए खतरे उत्पन्न कर दिए हैं, विशेषतया विकासशील देशो मे पर्यावरण को जो क्षति पहुँचने लगी है, वह वास्तव मे एक चिन्ता का विषय है।

(3) जैविक विविधता का ह्रास (Loss of Biodiversity)– नाना प्रकार के पेड – पौधो, पशु–पक्षियो तथा जीव–जन्तुओ से भरी परिवेश–व्यवस्था का कालान्तर मे निरन्तर ह्रास होता गया है। ये अपने प्राकृतिक परिवेश मे ही कायम रहते हैं और फलते–फूलते हैं। वहाँ से इनको हटाने का प्रयास करने से ये बडे पैमाने पर नष्ट होने लगते है और अन्त मे सदैव के लिए अनन्त मे विलीन हो जाते है। अब यह समझ मे आने लगा है कि इनमे से कुछ प्रमुख किस्मो या नस्लो (पशु–पक्षियो या पौधो) के नष्ट हो जाने से अन्य नस्लो पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 'प्रमुख' किस्मो का परिवेश–प्रणाली पर गहरा असर पडता है। उदाहरण के लिए, चमगादड़ (bat) जैसे छोटे से पक्षी को ही लीजिए। 1970 के दशक मे मलेशिया मे एक लोकप्रिय फल– डूरिअन (durian) की पैदावार अचानक घटने लगी थी, जिससे 10 करोड डालर सालाना वाले इस उद्योग को भारी खतरा उत्पन्न हो गया था। इस फल के पेड बिल्कुल दुरुस्त थे। वे दीखने मे स्वस्थ थे, लेकिन इनमे अचानक कम फल लगने लगे। इसका रहस्य उस समय खुला जब यह पता चला कि इस पेड के फूल को जो चमगादड़ की एक किस्म द्वारा पराग दिया जाता था (pollinated) (जिससे फल लगने मे मदद मिलती थी), उनकी सख्या काफी घट गई थी। चमगादड़ो की सख्या दो कारणो से घट गई थी– (i) ये स्वय अपना भोजन मैंग्रोव (Mangrove) दलदली भूमि मे पेडो से लेती थी, जिनमे श्रिम्प (समुद्री–केकडा) का विकास करने से उसका मिलना कम हो गया था एव (ii) एक स्थानीय सीमेंट की फैक्ट्री के कारण लाइमस्टोन की गुफाएँ ढहा दी गई, जहाँ चमगादड़ विश्राम किया करते थे। बाद मे सरक्षण के प्रयासो के अन्तर्गत लाइमस्टोन की पहाड़ी गुफाऍ बचाने के कारण सीमेंट की फैक्ट्री बद कर दी गई। तत्पश्चात् डूरिअन फल उद्योग व चमगादड दोनो को पुनर्जीवन मिल गया और दोनो पुन पनपने लगे। इससे सिद्ध होता है कि पर्यावरण व परिवेश जगत मे एक छोटा–सा पक्षी (चमगादड़) और वह भी अधा, कितना लाभकारी हो सकता है और उसके नष्ट होने से करोडो डालर वार्षिक आमदनी वाला उद्योग भी खतरे मे पड सकता है।

फल उद्योग व चमगादड़ दोनों को पुनर्जीवन मिल गया और दोनों पुन: पनपने लगे। इससे सिद्ध होता है कि पर्यावरण व परिवेश जगत में एक छोटा सा पक्षी (चमगादड़) और वह भी अंधा, कितना लाभकारी हो सकता है और उसके नष्ट होने से करोड़ों डालर वार्षिक आमदनी वाला उद्योग भी खतरे में पड़ सकता है।

इसी प्रकार कहते हैं कि **दक्षिण अफ्रीका में हाथियों के खत्म हो जाने से तीन किस्म के हिरण भी नष्ट हो गए, क्योंकि हाथी अपने पैरों से नये पेड़-पौधों को कुचल कर उन्हे छोटे-छोटे घास में बदल देते थे, जिनमें हिरण पनप सकते थे। लेकिन हाथियों के नहीं रहने से पेड़-पौधे बड़े-बड़े व सघन होने लग गए जिनमें हिरणों का निवास करना भी कठिन हो गया।**[1] इस प्रकार यह माना गया है कि जैविक विविधता को नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। पेड़-पौधों व पशु-पक्षियों को अपने नैसर्गिक निवासों (natural habitats) में रहने व पनपने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे हमें भोजन, रेशे, दवा व औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक इन्पुट मिलेंगे। इससे इन्सान को पर्यावरण के भावी दबावों को झेलने की शक्ति भी मिलती है। यह हमारा पुनीत कर्तव्य भी है कि जो कुछ हमें प्रकृति से मिला है, उसे हम भावी पीढ़ी को विरासत में सौंपें। हमें जैविक विविधता को नष्ट होने से बचाना चाहिए, क्योंकि जब कोई किस्म या जाति या नस्ल (पौधे व पशु-पक्षी की) नष्ट हो जाती है तो पर्यावरणीय संतुलन मूल रूप से परिवर्तित हो जाता है। ऊष्ण प्रदेश के जंगलों में जैविक विविधता का विनाश अभूतपूर्व गति से हुआ है। हालांकि बड़े-बड़े भू-क्षेत्र संरक्षण के लिए सुनिश्चित किए गए हैं, फिर भी अपर्याप्त प्रबन्ध व कानूनों की अवहेलना होते रहने से अभी तक इस दिशा में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई है।

भारत में जैव-विविधता की स्थिति—विश्व के भू-क्षेत्र के 2.4% अंश के साथ भारत विश्व की जैव-विविधता में 8% अंश रखता है। विश्व के 12 मेगा (विशाल) जैव-विविधता वाले केन्द्रों में भारत का भी स्थान आता है। **पौधों की विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में दसवाँ तथा एशिया में चौथा स्थान आता है।** भारत में 46 हजार किस्म के पौधे व लगभग 81 हजार किस्म के जानवर पाए जाते हैं; जिनमें से 1500 पौधों की किस्में, 79 स्तनधारी जीव (mammals), 44 पक्षी, 15 रेंगने वाले जानवर, 3 जलस्थल चर पशु (amphibians) व अनेक प्रकार के कीट-पतंग खतरे में आए माने जाते हैं (endangered)। इस प्रकार का जैविक खतरा वास्तव में हमारे लिए एक भारी चिन्ता का विषय है। पशुओं की अनधिकार शिकार (poaching) व उनके अवैध व्यापार पर रोक लगने से ही जैव-विविधता की रक्षा करना सम्भव हो सकता है।[2]

(4) जल-प्रदूषण (Water-pollution)—आज विश्व में जल-प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा गम्भीर हो गई है। वर्तमान में बहुत से लोग नदियों व तालाबों का अशुद्ध पानी पीने को बाध्य हैं। नदियों का जल नाना प्रकार की गंदगी व मल-मूत्र के मिश्रण से निरन्तर

---

1 चमगादड़ व हाथियों के इस दृष्टान्त के लिए देखिए *World Development Report 1992* पृ 59, बॉक्स 2 3—प्रमुख नस्लें—बड़ी व छोटी। कहते हैं कि चीन में चिड़ियों को नष्ट करने से वे जीव तेजी से बढ गये जिनको चिड़िया खा जाती थीं। इससे उन जीवो के बढने से देश को काफी हानि होने लगी, जिससे पुन: चिडियों को बसाना या पनपाना पड़ा। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जीव जन्तुओं की परस्पर निर्भरता पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. **Economic Survey 1998-99, (GOI), pp.157-158.**

दूषित होता जा रहा है । जब नदियाँ बड़े नगरों व औद्योगिक केन्द्रों के पास से गुजरती हैं तो उनमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, कारखानों से निकले रासायनिक तत्त्वों के नदियों के जल में घुल जाने से तथा पानी में सीसे, पारे व कैडमियम के घुल जाने से पेयजल से इन प्रदूषित तत्त्वों को निकालना बहुत कठिन हो जाता है । सतह के जल के दूषित हो जाने से भू-जल भी दूषित हो जाता है । भू-जल में भी भारी धातु मिश्रित रसायन व अन्य खतरनाक पदार्थ घुल-मिल जाते हैं । भू-जल के भण्डारों में नदियों की भाँति स्वयं को शुद्ध करने की क्षमता नहीं पाई जाती है । इसलिए एक बार प्रदूषित हो जाने पर उनको शुद्ध करना मुश्किल हो जाता है । सेप्टिक टैंक प्रणाली की जगह पाइप द्वारा गंदे पानी की प्रणाली लागू करने से भू-जल प्रदूषण का खतरा काफी कम हो जाता है । विकासशील देशों में ग्रामीण निर्धन लोग नदियों, झीलों व असुरक्षित छिछले कुओं का पानी काम में लेने के कारण कई प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं । भारत में प्रति वर्ष 15 लाख बच्चे पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों से, 5 वर्ष की आयु से पूर्व ही, मौत के मुँह में चले जाते हैं ।[1]

जल-प्रदूषण के अलावा जल का अभाव भी एक गम्भीर समस्या मानी जाती है । पानी मनुष्यों व पशुओं के लिए पीने के लिए आवश्यक होता है । कृषि में सिंचाई के लिए, भवन-निर्माण के लिए, बाग-बगीचों में पानी देने के लिए तथा उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है । इन सभी कार्यों के लिए प्राय: जल की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पाती । **राजस्थान के कुछ शुष्क भागों में स्त्रियों को दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी लाने के लिए प्रतिदिन मीलों चलना पड़ता है । इससे जीवन की कठोरता व नीरसता का अनुमान लगाया जा सकता है ।** लगातार सूखा व अकाल पड़ने से भूजल का स्तर लगातार नीचे चलता जा रहा है । कुछ जगहों पर भूजल खारा निकलता है जो पीने के लायक नहीं होता । वर्ष 2000 के अकाल व सूखे की स्थिति ने गुजरात व राजस्थान में विशेषतया 'पानी के अकाल व अभाव' की दशा उत्पन्न कर दी है । इन राज्यों में अनेक गाँवों में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची है और हमारे विकास-कार्यक्रमों के खोखलेपन को उजागर किया है ।

प्रदूषित जल पीने व उससे नहाने से टायफायड, हैजा, दस्त, राउण्ड वर्म, नारू (guinea-worm), सिस्टोसोमाइसिस (सिस्टोसोम कीड़े से उत्पन्न) आदि रोग हो जाया करते हैं । साथ में सफाई की अपर्याप्त व्यवस्था (inadequate sanitation) होने से ये बीमारियाँ और उग्र रूप धारण कर सकती हैं । शहरों व गाँवों में कूड़े के ढेर जमा होने व उनकी सफाई न होने से वे सड़ने लगते हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियों के उत्पन्न होने का भय हो जाता है । बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों के बढ़ने से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं । कुछ समय पूर्व सूरत में प्लेग की बीमारी के भय से लोगों का पलायन हुआ था और सरकार को स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़े थे । पेयजल में सुधार व सफाई की पर्याप्त व्यवस्था से अनेक व्यक्तियों को उपर्युक्त बीमारियों का शिकार होने से बचाया जा सकता है ।

जल-प्रदूषण से मछली-उद्योग को भी क्षति पहुँचती है । गंदे पानी व रासायनिक पदार्थों के घोल से मछली भी दूषित हो जाती है और वह मानवीय उपभोग के लायक नहीं रहती । सामुद्रिक खाद्य-पदार्थ (sea food) भी गंदे पानी से प्रदूषित हो जाने से हैपाटाइटिस जैसी बीमारी या हैजे को उत्पन्न करते हैं ।

भारत सरकार ने छ: बड़ी नदियों को प्रदूषित माना है । इनके नाम इस प्रकार हैं— **साबरमती, सुबरनरेखा, गोदावरी, कृष्णा, सिंध तथा गंगा व इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ (प्रमुखतया यमुना, गोमती आदि)** । इनमें घरेलू गंदा पानी व औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ

---

1. N.R. Krishnan, Environmental Priorities for the Govenment, Business Line, August 6, 2004, p 11.

भारी मात्रा में घुल मिल जाते हैं ।[1] विश्व विकास रिपोर्ट 1992 में कावेरी, गोदावरी, साबरमती, सुबरनरेखा (जमशेदपुर व रांची क्षेत्रों के लिए) तथा ताप्ती (बुरहानपुर व नेपानगर क्षेत्रों के लिए) नदियों के प्रदूषण की मात्रा के अनुमान दिए गए हैं जिससे पता चलता है कि इनमें घुले हुए ऑक्सीजन (dissolved oxygen) व मल मूत्र प्रदूषण (fecal coliform) के अंश किस सीमा तक पाए जाते हैं । उन आँकड़ों के अध्ययन से पता लगता है कि 1983-86 की अवधि में सुबरनरेखा नदी में जमशेदपुर व रांची क्षेत्रों में मल मूत्र के कारण प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक हो गई थी । लेकिन 1987-90 की अवधि में यह कम हुई है, हालांकि अब भी यह काफी ऊँची बनी हुई है ।

शहरों में जल प्रदूषण दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है । प्राय. दूरदर्शन व रेडियो के माध्यम से कई शहरों व स्थानों के बारे में जल प्रदूषण की खबरें प्रसारित होती रहती हैं । दूषित जल को पीने के लिए लोग बाध्य होते हैं और उन्हें नाना प्रकार के असाध्य रोगों का शिकार होना पड़ता है । 1994 में जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल की एक टीम द्वारा कीटाणुओं के प्रदूषण के अध्ययन से पता चला है कि **जयपुर का निवासी औसतन प्रत्येक दो मिनट में 25 कीटाणु श्वास के जरिए अन्दर पहुँचा लेता है** ।[2] राजस्थान में जल-प्रदूषण के साथ साथ जलाभाव की समस्या भी काफी गम्भीर है । भूजल का स्तर उत्तरोत्तर नीचे जा रहा है जिससे जल की समस्या चुनौतीपूर्ण हो गयी है ।

(5) वायु-प्रदूषण (Air Pollution)—भारत में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, लकड़ी व गोबर जलाने से जो धुआँ होता है उससे घर के अन्दर वायु-प्रदूषण हो जाता है । घर के बाहर वायु-प्रदूषण ऊर्जा के उपयोग, वाहनों का धुआँ निकलने व औद्योगिक उत्पादन के कारण फैलता है । 1980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में विश्व के प्रमुख नगरों जैसे बैंकाक, बीजिंग, कलकत्ता, नई दिल्ली व तेहरान में वायु-प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के निर्देशों से कहीं अधिक पाया गया है । इससे निमोनिया व हृदय-रोग तथा श्वास-सम्बन्धी बीमारियाँ बढ़ी हैं । कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग इनसे जल्दी प्रभावित होते हैं । वायु-प्रदूषण से पुरानी ब्रोन्काइटिस व इम्फीसीमा बीमारियाँ बढ़ी हैं जिनका असर श्वास नली के निचले भाग पर होने से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और अंत में हृदय गति रुक सकती है । भारत व नेपाल में अध्ययनों से पता चला है कि बायोमास के धुआँ (लकड़ी, गोबर आदि जलाने से उत्पन्न धुआँ) से श्वास नली की बीमारी बढ़ी है । गाड़ियों से धुआँ निकलने से वायु-प्रदूषण बढ़ा है । हाल की एक जाँच के बाद **मुम्बई शहर में पर्यावरण-प्रदूषण के कारण तीन वर्ष की उम्र से नीचे के बच्चों के रक्त में सीसे (lead) की मात्रा ज्यादा पायी गयी है** । इसके परिणाम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी घातक माने गए हैं । एक और अध्ययन के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण के कारण बच्चों में बुद्धि-भागफल (intelligence quotient) (IQ) सात वर्ष की आयु तक चार या अधिक बिन्दु गिरा है (बैंकाक के अध्ययन के अनुसार) तथा हाइपरटेन्सन से होने वाली मौतें बढ़ती जा रही हैं । सल्फर डाइऑक्साइड से भी प्रदूषण बढ़ रहा है । दिल्ली में वायु-प्रदूषण के कारण उच्च रक्त चाप, दमा व हृदय-रोग के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

---

1 Neena Vyas **Pollution-Challenge and Response,** an article in Survey of the Environment 1992 (The Hindu) p 173

2 Sunny Sebastian **Jaipur—On the road to decline,** in Survey of the Environment 1995, (The Hindu) p 129

भारत के प्रमुख शहरों में पिछले चालीस वर्षों में जिस रफ्तार से मोटरगाड़ियों, बसों, थ्री व्हीलर्स व टू व्हीलर्स आदि की संख्या बढ़ी है, उसके परिणामस्वरूप वाहनों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की गैसों के उत्सर्जन का भार (emission load) (जैसे सस्पेन्डेड परटीक्यूलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स तथा कार्बन मोनोक्साइड) मार्च 1987 में कुछ नगरों के लिए निम्न तालिका में दिया गया है।[1]

		(प्रतिदिन टनों में) (गैस के उत्सर्जन का भार)
1	दिल्ली	872
2	मुम्बई	549
3	कलकत्ता	245
4	चेन्नई	188
5	जयपुर	75
6	नागपुर	48

इस प्रकार दिल्ली में प्रतिदिन वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण का भार (pollution load) 872 टन पाया गया है, जो सर्वाधिक है। यह जयपुर की तुलना में 12 गुना है, जिससे वहाँ के प्रतिदिन के वाहन-जन्य वायु-प्रदूषण का अनुमान लगाया जा सकता है।

(6) मिट्टी का कटाव व मिट्टियों को होने वाली अन्य प्रकार की क्षति—मिट्टी को तीन प्रकार से क्षति पहुँचती है, यथा मरुस्थलीकरण या रेगिस्तानीकरण (desertification), मिट्टी के कटाव (erosion) तथा क्षारीयकरण (salinization) अथवा पानी का जमाव या दलदल होने से क्षति (Waterlogging)। मरुस्थलीकरण से बालू आगे बढ़कर चरागाहों व कृषिगत भूमि को ढक लेती है। मिट्टी का कटाव हवा व पानी से होता रहता है जिससे मिट्टी की उपजाऊ परत आगे चली जाती है, जिससे प्रति हैक्टेयर पैदावार घट जाती है।

ऊष्ण प्रदेशों वाले विकासशील देशों में इस प्रकार का कटाव काफी क्षति पहुँचाता है। मिट्टी के कटाव से बाँधों, सिंचाई-प्रणालियों व नदी-परिवहन-व्यवस्था में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और मछली-पालन को क्षति पहुँचती है। वैसे मिट्टी के कटाव से कभी-कभी दूसरी जगह उपजाऊपन बढ़ जाता है, लेकिन जिस स्थान से मिट्टी की ऊपरी परत आगे चली जाती है, उस जगह तो हानि ही होती है। इसलिए इसका वितरणात्मक प्रभाव प्रतिकूल होता है। उदाहरण के लिए, नेपाल को इससे संतोष नहीं होगा कि इसकी मिट्टी के बह कर चले जाने से बंगला देश की कृषिगत भूमि ज्यादा उपजाऊ बन गई है।

अतः भू-संरक्षण के उपाय अपनाने जरूरी हो गए हैं। इसके लिए परिधि-खेती (contour cultivation) (पहाड़ी क्षेत्रों में), कृषि-वानिकी, खाद देना, आदि लाभकारी होते हैं। क्षारीयकरण व पानी का जमाव होने से सिंचित क्षेत्रों को काफी हानि हो रही है। यह चीन, मिस्र, भारत, मैक्सिको, पाकिस्तान आदि में विशेष रूप से देखने को मिलती है। विश्व में कृषिगत भूमि का लगभग एक-तिहाई भाग लवण की समस्या से ग्रस्त पाया जाता है। सिंचाई की खराब व्यवस्था के कारण सेम व क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हुई है। नए भू-क्षेत्रों में

1 India Development Report 1997, Chapter 6, Environment : Can Neglect No Longer, an article by Vijay Laxmi, Jyoti Parikh and Kirit Parikh, p 98

यह समस्या बढ़ती जा रही है । इस प्रकार मिट्टी को मरुस्थलीकरण, कटाव व लवणता के कारण ह्रास का शिकार होना पड़ा है ।

(7) वनों का वृक्षों की कटाई के कारण तीव्र गति से विनाश (Deforestation)—वृक्षों की अनियन्त्रित कटाई से पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचती है । इस सम्बन्ध में ऊष्ण प्रदेशों में नम जंगलों की स्थिति ज्यादा चिंताजनक मानी गई है । वन सूखे प्रदेशों व शीतोष्ण प्रदेशों में भी पाए जाते हैं । वनों के कई प्रकार के सामाजिक व पर्यावरणीय कार्य होते हैं । वे जलवायु, जल-पूर्ति, मिट्टी, आदि को प्रभावित करते हैं । ऊष्ण प्रदेशों के नम जंगलों में वृक्षों की अव्यवस्थित कटाई से होने वाली क्षति को पुनः वृक्षारोपण से पूरा कर सकना कठिन होता है ।

इनमें जैविक विविधता भी अधिक पाई जाती है । हालांकि ये पृथ्वी के 7% भाग में पाए जाते हैं, लेकिन, पेड़-पौधों व जीव-जन्तुओं की आधी नस्लें इनमें मिलती हैं । जंगलों को कृषि, निर्माण-सामग्री व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया है । विकासशील देशों में जलाने की लकड़ी के लिए ज्यादातर वनों का विनाश हुआ है । ऊष्ण प्रदेशों के नम वनों (tropical wet forests) को इमारती लकड़ी के लिए उजाड़ दिया गया है । खनन, तेल की खोज, सड़क व रेलों के निर्माण, बीमारियों पर नियंत्रण की आवश्यकता आदि के कारण वन-क्षेत्रों में लोग प्रविष्ट हुए हैं जिससे वनों को हानि हुई है । अतः भविष्य में वनों के संरक्षण व विकास पर ध्यान देना होगा । चेकोस्लोवाकिया, कांगो, कोलम्बिया, दक्षिण चिली, मेडागास्कर, ब्राजील आदि में वनों का विनाश किया गया है ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अभी तक **विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण की सुरक्षा व इसके समुचित प्रबन्ध पर पर्याप्त ध्यान न देने से विश्व में जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण, मिट्टी व वनों के विनाश तथा ह्रास, जैविक विविधता के अन्तर्गत नाना प्रकार के पशु-पक्षियों, जीव-जन्तुओं व पेड़-पौधों का विलुप्त होना, ग्रीनहाउस ऊष्णीकरण व ओजोन की परत के ह्रास आदि के रूप में पर्यावरण-पतन की प्रक्रिया जारी है जिसे रोका जाना अत्यावश्यक है ।**

पर्यावरण में गिरावट के कारण—पर्यावरण की चर्चा में सर्वप्रथम प्रश्न इसके कारणों को लेकर किया जाता है । सभी इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि जनसंख्या की वृद्धि व निर्धनता पर्यावरण-असंतुलन के मुख्य कारण हैं ।

(1) जनसंख्या, निर्धनता व पर्यावरण—वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 5 8 अरब है और इसमें प्रतिवर्ष औसतन 1.5% की रफ्तार में वृद्धि हो रही है तथा एक पीढ़ी में 1990 से 2030 तक जनसंख्या में 3 7 अरब की वृद्धि की सम्भावना है । इस प्रकार जनसंख्या के बढ़ने से भोजन, ईंधन, पशुओं के लिए चारे व लोगों के लिए रोजगार की आवश्यकताएँ बढ़ती हैं जिससे उचित व्यवस्था के अभाव में वृक्षों की कटाई, मिट्टी के ह्रास, जल तथा वायु के प्रदूषण आदि की समस्याएँ अधिक उग्र होती जाती हैं ।

(2) विकसित औद्योगिक देश सर्वाधिक प्रदूषण फैलाते हैं—विश्व में 25% लोग विश्व की 75% पर्यावरण-समस्या के लिए उत्तरदायी माने गए हैं । अमेरिका में ऊर्जा की सर्वाधिक खपत होती है । वहाँ प्रति व्यक्ति वायुमण्डल में कार्बन की छोड़ी जाने वाली मात्रा 5 टन मानी जाती है, जबकि भारत में यह मात्र 0 4 टन है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की खपत कम पाई जाती है । एक अमरीकी नागरिक एक औसत भारतीय से वायुमण्डल को 12 गुना

प्रदूषित करता है। अमरीका का रिकार्ड CFC (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) की खपत में भी ऊँचा है। यहाँ ३५0 अरब मीट्रिक टन सी एफ सी पर्यावरण में छोड़ी जाती है, जबकि जापान में 100 अरब मीट्रिक टन तथा भारत में मात्र 0 7 अरब मीट्रिक टन छोड़ी जाती है।

(3) विकासशील देशों में औद्योगीकरण व शहरीकरण से प्रदूषण में वृद्धि—चीन व भारत जैसे देशों में औद्योगीकरण की प्रगति से तथा जनसंख्या की वृद्धि से प्रदूषण का विस्तार हो रहा है, और आगामी 30-40 वर्षों में कार्बन की निकासी विश्व में वर्तमान के 20 अरब टन के स्तर से बढ़कर 50 अरब टन तक जा सकती है।

(4) पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलोजी पर कम ध्यान तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के प्रयासों में कमी—विकसित तथा विकासशील देशों में टेक्नोलोजी पर्यावरण के अनुकूल न होने से भी पर्यावरण को होने वाली क्षति बढ़ी है। प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते समय इनके संरक्षण व संवर्द्धन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए, खनन-क्षेत्रों में से खनिज-पदार्थ निकाल कर उनको अनदेखा छोड़ देने से वे भू-क्षेत्र खाली व वीरान पड़े रह जाते हैं, जिससे वे पर्यावरण के ह्रास में योगदान देने लग जाते हैं। वृक्षों की कटाई के साथ-साथ नए वृक्ष लगाने पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। झूम खेती (shifting cultivation) की पद्धति में जंगलों को साफ करके खेती कुछ वर्षों के लिए की जाती है। फिर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिससे पर्यावरण के विनाश को प्रोत्साहन मिलता है। **कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना प्रकृति से लेता है, अथवा लेना चाहता है, उतना वह प्रकृति को देता नहीं, अथवा दे नहीं पाता, अथवा देना नहीं चाहता। इससे मानव व प्रकृति के बीच एक संघर्ष छिड़ जाता है और इनमें परस्पर असंतुलन के फलस्वरूप पर्यावरण का पतन प्रारम्भ हो जाता है जो उत्तरोत्तर अधिक गम्भीर होता जाता है।**

(5) बड़े बाँधों पर अधिक बल देने से पर्यावरण को खतरा हो सकता है—जैसा कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट व उत्तर प्रदेश की टेहरी बाँध परियोजना के सम्बन्ध में कहा गया है। पर्यावरण-विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े बाँधों से वन-क्षेत्र को हानि होती है, क्योंकि वृक्षों की कटाई करनी होती है और लोगों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। हालांकि इस सम्बन्ध में लागत-लाभ अध्ययनों का महत्त्व स्वीकार किया गया है, फिर भी कुल मिलाकर यह माना जाने लगा है कि बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं का चयन काफी सोच-विचार कर व स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर तथा उनकी पूर्ण सहमति से ही किया जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर इनके क्रियान्वयन में बाधाएँ न आएँ। जून 1992 में ब्रेडफोर्ड मोर्स (Bradford Morse) की अध्यक्षता में नियुक्त विश्व बैंक के आयोग ने नर्मदा प्रोजेक्ट पर अपनी लगभग 350 पृष्ठों की रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आयोग के मतानुसार सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से काफी गाँव पानी की डूब के क्षेत्र में आ जाएँगे, काफी लोग बेघरबार हो जाएँगे जिनको फिर से बसाने की गम्भीर समस्या हल करनी होगी। साथ में नहर व्यवस्था के कारण भूमि की क्षारीयता व दलदल होने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आयोग की रिपोर्ट से भारत में पर्यावरणवेत्ताओं व पर्यावरण के पक्षधरों के मत की पुष्टि हुई है। बाद में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपने साधनों से पूरा करने का निश्चय किया है और विश्व बैंक से और सहायता न लेने की घोषणा की है ताकि हमारी स्वायत्तता बनी रह सके। हाल में गुजरात में भयंकर सूखे व अकाल के कारण पुनः यह प्रश्न सामने आया है कि आखिर यह समस्या उत्पन्न क्यों हुई ? इस सम्बन्ध में यह

स्वीकार किया गया है कि पर्यावरणविदों के अनुसार यदि सरकार जल-संरक्षण के परम्परागत साधनों-छोटे-छोटे साधनों (कुएँ, बावड़ी, तालाब आदि) का उपयोग करती और उनका विकास करती तो सम्भवतः स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती । अतः भविष्य में जल-संरक्षण के इन लघु साधनों के इस्तेमाल पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इस प्रकार पर्यावरण-प्रदूषण के लिए कई प्रकार के तत्त्व जिम्मेदार होते हैं । लोगों में पर्यावरण सम्बन्धी तथ्यों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इसकी रक्षा के लिए अपना आवश्यक योगदान दे सकें ।

पर्यावरण-कुप्रबन्ध व प्रदूषण के दुष्परिणाम[1] —हमने ऊपर पर्यावरण-प्रदूषण व पतन के कुछ दुष्परिणामों की ओर संकेत किया है । अग्र तालिका के रूप में विश्व में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का सारांश दिया गया है ।

उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार से उत्पादकता को भी घटाते हैं । अतः विकास व पर्यावरण पर एक साथ विचार करना जरूरी होता है । अब हम पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलुओं का विवेचन राष्ट्रीय व राज्यीय परिप्रेक्ष्य में करेंगे ।

	पर्यावरण की समस्या	स्वास्थ्य पर प्रभाव	उत्पादकता पर प्रभाव
1	जल-प्रदूषण व जल का अभाव	20 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु व करोड़ों बीमारी के शिकार, जल की कमी से स्वास्थ्य को खतरे ।	मछली उत्पादन में गिरावट, आर्थिक क्रिया में अवरोध, ग्रामीण परिवारों के समय की बर्बादी, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा सुरक्षित जल उपलब्ध करने की लागतें, आदि ।
2	वायु-प्रदूषण	ग्रामीण क्षेत्रों में इन्डोर धुएँ के कारण महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट, अकाल मृत्यु, कफ-खांसी आदि ।	वाहन व औद्योगिक क्रिया पर समय-समय पर रोक, वनों पर एसिड वर्षा का दुष्प्रभाव ।
३	ठोस व जोखिम पूर्ण व्यर्थ पदार्थ	सड़ते हुए कूड़े से बीमारी फैलना	भूतल जल-साधनों का प्रदूषण
4	मिट्टी का ह्रास (soil degradation)	सूखे की सम्भावना का बढ़ना तथा गरीब किसानों के पोषण में कमी	खेतों की उत्पादकता में गिरावट, जलाशयों में मिट्टी भर जाना, नदियों में परिवहन-चैनल में बाधा, आदि ।
5	वनों की कटाई	स्थानीय बाढ़ से मृत्यु व बीमारियाँ	लकड़ी का अभाव होना, जलग्रहण स्थिरता में कमी (loss of watershed stability)
6	जैविक विविधता का ह्रास (loss of biodiversity)	नई दवाओं की उपलब्धि न होना	पर्यावरण-व्यवस्था में गिरावट व कई प्रकार के प्राकृतिक साधनों की कमी
7	वायुमण्डल के परिवर्तन	बीमारियों, ओजोन परत के घटने से चर्म-कैंसर व आँखों की केटेरेक्ट (मोतियाबिंद) की बीमारी	सामुद्रिक खाद्य-पदार्थों की उपलब्धि में व कृषिगत उत्पादकता में प्रादेशिक परिवर्तन आदि ।

1 World Development Report, 1992, p 4, table 1, **लेखक द्वारा अनूदित । World Development Report, 2003** में भी प्रावैगिक विश्व में सुस्थिर विकास की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है ।

भारत में पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलू—भारत में जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ से बढ़कर 1991 में 84 6 करोड़ हो गई है। वर्ष 2000 में यह एक अरब के अंक को पार कर गई है। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में आबादी के दबाव काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 1961 में शहरी जनसंख्या 7.8 करोड़ थी जो बढ़कर 1991 में 21 76 करोड़ हो गई है। 1961 में यह कुल जनसंख्या का 18% थी जो 1991 में 25.72 प्रतिशत हो गई है। शहरों में आबादी के बढ़ने से पानी, सफाई, आवास, परिवहन, संचार, आदि प्रणालियों पर भारी दबाव पड़े हैं और पर्यावरण-प्रदूषण काफी बढ़ा है।

भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.9 करोड़ हैक्टेयर आंका गया है जिसमें से 17.5 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र पतनोन्मुख (degraded) है। पतन का कारण जल व वायु-कटाव (लगभग 14 1 करोड़ हैक्टेयर में) तथा शेष 3 4 करोड़ हैक्टेयर का पतन जलमग्न क्षेत्र, मिट्टी के खारापन, झूमखेती, घाटियों, नदियों की तेज धाराओं व बाढ़ों, आदि के कारण हुआ है। वर्तमान में वन-क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 23.3 प्रतिशत भाग में है, लेकिन वनाच्छादित या वनों से ढका क्षेत्र तो 19 3% ही है (जो 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के मुताबिक 33% में होना चाहिए) और सघन वनों का क्षेत्र तो लगभग 11 2% में ही पाया जाता है।[1] शेष क्षेत्र में घटिया श्रेणी के वन ही पाए जाते हैं। वनों की कटाई से व्यर्थ भूमि की मात्रा बढ़ी है तथा मिट्टी का कटाव बढ़ा है। जैसा कि पहले बतलाया गया था, भारत की कई प्रमुख नदियाँ प्रदूषण की शिकार हैं। इनमें मैला पानी छोड़ा जाता है और औद्योगिक व्यर्थ-पदार्थ आदि डाल दिए जाते हैं, जिससे ये भारी मात्रा में प्रदूषित होती जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ईंधन व पानी की तलाश में कई मीलों का चक्कर लगाना पड़ता है। **योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एल.सी. जैन के अनुसार "एक अर्द्ध-शुष्क गाँव में एक महिला को वर्ष में 1400 किलोमीटर चलना पड़ता है, ताकि वह अपने लिए रोज की जलाने की लकड़ी इकट्ठी करके ला सके। यह दूरी दिल्ली से कलकत्ता तक की मानी गई है।"**[2] पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति तो और भी बदतर होती है। इस प्रकार निर्धनता के कारण लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोग बेबस होकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाते रहते हैं।

देश में सिंचाई की व्यवस्था में कमी रहने से मिट्टी में लवणता व क्षारीयता बढ़ी है। कीटनाशक दवाइयों के अविवेकपूर्ण उपयोग से खाद्यान्नों में टोक्सिक तत्व रहने से केंसर व अन्य बीमारियों का प्रभाव बढ़ा है।

भारत में बड़े बाँधों के पर्यावरण पर दुष्प्रभावों की चर्चा हुई है तथा इस सम्बन्ध में आन्दोलन भी किए गए हैं। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश में गढ़वाल-हिमालय क्षेत्र में भागीरथी नदी पर टेहरी बाँध (260 5 मीटर ऊँचा) को लेकर

1 पूर्वोद्धृत, Economic Survey 1998-99, pp.156-157
2 L.C. Jain, **Decentralisation : In Touch with People**, p 155 (Survey of Environment, The Hindu, 1992)

पर्यावरणीय समस्याएँ उठाई गई हैं । टेहरी परियोजना के सम्बन्ध में भूकम्प व बाढ़ की आशंकाएँ भी प्रकट की गई हैं। **अप्रैल 1999 के प्रारम्भ में चमोली व रुद्रप्रयाग के कुछ भागों में भूकम्प के झटकों ने वहाँ काफी क्षति पहुँचायी है । इससे पूर्व उस प्रदेश में वर्षाऋतु में भूस्खलन से जानमाल की भारी तबाही हो चुकी थी ।** इस प्रकार प्राकृतिक असन्तुलनों से मानवीय खतरे काफी बढ़ते जा रहे हैं । टेहरी बाँध के विफल होने से बाढ़ का भय बतलाया गया है । अत: भविष्य में बड़े बाँधों के चयन में अधिक सावधानी व सतर्कता बरतनी होगी । जैसा कि पहले बतलाया गया है, जून 1992 में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त ब्रैडफोर्ड मोर्स आयोग ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय कुप्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया है । इस सम्बन्ध में प्रभावित लोगों को पुनः बसाने की समस्या बहुत जटिल होती है । सरदार सरोवर के निर्माण को लेकर बाबा आमटे, मेघा पाटकर व अरुंधती राय (Arundhati Roy) आदि पर्यावरणविद् नर्मदा बचाओ आंदोलन में संलग्न रहे हैं । लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई सर्वमान्य हल नहीं निकाला जा सका है ।

चिपको आन्दोलन—कुछ वर्ष पूर्व भारत में मध्य-हिमालय में अलकनंदा के इर्द-गिर्द पहाड़ी प्रदेश (बद्रीनाथ मार्ग पर) में वृक्षों की कटाई से पर्यावरण व परिवेश को भारी क्षति होने लगी थी । पेड़ों को काटकर पहाड़ी के नीचे लुढ़काने से ऊपर की मिट्टी ढीली होने से बरसात में तेजी से आगे खिसकने लगी । इससे जुलाई 1970 में अलकनंदा में भयंकर बाढ़ भी आई थी । बाद में वहाँ के लोगों ने गोपेश्वर के समीप एक ग्राम स्वराज मण्डल की स्थापना करके एक आन्दोलन प्रारम्भ किया था, जिसे 'चिपको आन्दोलन' का नाम दिया गया था । इस आन्दोलन में लोग पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए 'पेड़ों से चिपक जाते' थे और वन विभाग के कर्मचारियों और ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोकते थे । यह आन्दोलन काफी कामयाब रहा और इसकी वजह से पेड़ों की कटाई जोशीमठ व अन्य आस-पास के स्थानों में काफी सीमा तक रुक गई थी । इस आन्दोलन से यह सबक मिलता है कि लोग अपने प्रयास से पर्यावरण को नष्ट होने से बचा सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण का महत्त्व समझ में आ जाए । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के विनाश में ग्रामीण जनता की इतनी भागीदारी नहीं होती जितनी अन्य लोगों की होती है, हालांकि प्रायः कोशिश सम्पूर्ण दोष को ग्रामीण जनता के गले ही मढ़ने की होती रहती है । अत: चिपको जैसे लोकप्रिय व जनवादी आन्दोलन का पर्यावरण की रक्षा में महत्त्व स्वीकार किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में प्रमुख पर्यावरणवादी श्री सुन्दरलाल बहुगुणा का योगदान अत्यन्त सराहनीय रहा है ।

छठी योजना में पर्यावरण की सुरक्षा पर लगभग 40 करोड़ रु. व्यय किए गए और सातवीं योजना (1985-90) में इसके लिए 428 करोड़ रु. के व्यय की व्यवस्था की गई जिसमें 240 करोड़ रु. गंगा-कार्य-योजना (Ganga Action Plan) के लिए निर्धारित किए गए थे । गंगा-कार्य-योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने । इसमें गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्तमान में चालू मैले पानी के 'ट्रीटमेंट प्लान्ट्स' को आधुनिक बनाने का कार्य हाथ में लिया गया था तथा नये

प्लान्ट्स स्थापित करना भी आवश्यक माना गया था । इसमें यू.पी., बिहार व पश्चिम बंगाल *राज्यों को शामिल किया गया । इसमें गंदे पानी (Sewage) का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने व* सुधरे पानी को सिंचाई के लिए घास-पात (Algae) के उत्पादन व मछली-उत्पादन में प्रयुक्त करने का कार्यक्रम रखा गया है । इसके अधिकांश काम पूरे हो गए और शेष 1995 तक पूरे होने का लक्ष्य था । इस पर 423 करोड़ रु व्यय होने का अनुमान है ।

भारत सरकार ने अप्रैल 1993 में यमुना व गोमती नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 421 करोड़ रु. की लागत की एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की । इसमें यमुना का अंश 357 करोड़ रु तथा गोमती का 64 करोड़ रु. रखा गया । इसे पूरा करने में लगभग छ: वर्ष का अनुमान लगाया गया । यह परियोजना हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के 15 बड़े नगरों में कार्यान्वित की जानी है । इसका आधा खर्च भारत सरकार उठाएगी तथा शेष आधा खर्च तीन प्रदेश उठाएँगे । **'इसे गंगा एक्शन प्लान' का दूसरा चरण (Second Phase) माना गया है ।** इसमें भी म्यूनिसिपल व्यर्थ-जल को दूसरी तरफ प्रवाहित करना व रोकना, गंदे पानी के ट्रीटमेन्ट वर्क्स स्थापित करना, कम लागत पर साफ सफाई की व्यवस्था करना, नदी के घाटों को सुधारना, नदी के किनारे वृक्षारोपण करना व सुधरी हुई शवदाहशालाओं की व्यवस्था करने जैसे कार्य शामिल हैं । यमुना परियोजना से हरियाणा के यमुनानगर व जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गाँव व फरीदाबाद में, उत्तर प्रदेश व संघीय प्रदेश दिल्ली के गाजियाबाद, नोएडा, वृन्दावन, मथुरा, आगरा, इटावा, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में प्रदूषण कम करने के वर्क्स स्थापित किए जाएँगे । गोमती नदी के लिए लखनऊ, सुल्तानपुर व जौनपुर नगर लिए गए हैं ।

भारत में पर्यावरण की सुरक्षा पर भावी योजनाओं में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, वृक्षारोपण के जरिए फलों, चारे, ईंधन की लकड़ी व इमारती लकड़ी की पैदावार बढ़ाई जा सके । सम्बन्धित क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव से रक्षा करनी होगी और शहरों व गाँवों की साफ-सफाई (Sanitation) पर ज्यादा ध्यान देना होगा । यथासम्भव नगर-नियोजन को सुधार कर लोगों के लिए आवास, पानी-बिजली व परिवहन की सुविधाएँ बढ़ानी होंगी । जनसंख्या-नियंत्रण व आर्थिक विकास के जरिए निर्धनता-उन्मूलन पर अधिक ध्यान देने से पर्यावरण को सुधारने में भी मदद मिलेगी ।

ग्रामीण औद्योगीकरण पर अधिक बल देने से नगरों व महानगरों में गंदी बस्तियों का फैलाव रुकेगा और पर्यावरण अधिक साफ-सुथरा हो सकेगा । जनसंख्या का गाँवों से शहरों की ओर पलायन रुकेगा ।

अत: भावी योजनाओं में विकेन्द्रित नियोजन को अपना कर जनता की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए और स्थानीय स्तर पर विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को लागू करके लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए ताकि वे पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का प्रयास न करें ।

राजस्थान में पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलू[1] —राजस्थान में जल-प्रदूषण से भी ज्यादा गंभीर समस्या जलाभाव की है। देश के सतही जल-साधनों का केवल 1% अंश ही राजस्थान में पाया जाता है, जो क्षेत्रफल व जनसंख्या के क्रमशः लगभग 10.4% व 5.2% अनुपातों को देखते हुए बहुत कम है। कई क्षेत्रों में भूतल का जल खारा होता है। **पिछले वर्षों में राज्य में भूतल के जल-साधनों का भी लगभग 85% अंश प्रयुक्त किया जाने लगा है। राज्य में हवा के कारण मिट्टी का कटाव होता रहता है।** राज्य के निम्न 11 जिलों में मरुस्थल पाया जाता है—श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, झुंझुनूं, पाली, सीकर व नागौर। पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश भू-क्षेत्र ह्रास (Degradation) के शिकार हैं। इस प्रदेश में वर्षा का औसत 300 मिलीमीटर वार्षिक पाया जाता है, जो बहुत नीचा है। मिट्टी कम उपजाऊ होती है। तेज हवाओं व ऊँचे तापमान के कारण नमी की उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस प्रदेश में पानी की कमी है और सीमित जल के लिए मनुष्य व पशु में स्पर्धा की स्थिति पाई जाती है। अत्यधिक चराई से भूमि को काफी हानि हुई है। राज्य में चारे की माँग व पूर्ति में असंतुलन पाया जाता है। सूखे के वर्ष में चारे की सप्लाई उसकी माँग से बहुत कम पाई जाती है। कभी-कभी यह माँग की तुलना में चौथाई पाई गई है जिससे चारे की खरीद अन्य राज्यों से करनी पड़ती है।

1997-98 में राज्य में सिंचित क्षेत्र कुल कृषित क्षेत्र का केवल 30% है। इस प्रकार लगभग 70% कृषित क्षेत्र वर्षा पर आश्रित रहता है।

इन्दिरा नहर के सिंचित क्षेत्र में 'सेम' की समस्या—इन्दिरा गाँधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव हो रहा है जिससे आस-पास के गाँव और चक वीरान होने लगे हैं तथा रिसाव (सेम) से उपजाऊ भूमि हजारों हैक्टेयर क्षेत्र में नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है। उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व जहरीला घास उत्पन्न हो गया है। रिसाव से नष्ट होने वाले क्षेत्र का दायरा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत पाई जाती है तथा किसान पानी अधिक मात्रा में देते हैं, जिससे सेम की समस्या अधिक गम्भीर होती जा रही है।

पाली व आस-पास के क्षेत्रों में वस्त्रों की छपाई-रंगाई की इकाइयों से जल-प्रदूषण बढ़ा है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल-प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। **राजस्थान का जल-बजट (water-budget) लड़खड़ा रहा है। वर्षा के जल, सतही जल व भूतल के जल से राज्य की जल की कुल आवश्यकता की पूर्ति करना कठिन होता जा रहा है जिससे वर्ष 2000 में जल-संकट और तीव्र हो गया है।** भूतल के जल का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भविष्य में जल का अभाव अधिक गम्भीर हो सकता है।

पिछले वर्षों में आरक्षित वनों (reserve forests) पशु-पक्षियों के शरण-स्थलों में खनन-कार्यों के बढ़ने से पर्यावरण को हानि पहुँची है। अलवर जिले में सरिस्का क्षेत्र में मार्बल, लाइमस्टोन, सोपस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेनाइट आदि के खनन (अधिकृत व अनधिकृत)

---

1 J. Venkateswarlu, **Deserts : Taming the arids**, Survey of Environment (The Hindu) 1991, pp 162-163

से पर्यावरण को क्षति पहुँची है। इससे इस क्षेत्र में मिट्टी को क्षति पहुँची है और श्रमिक वनों से ईंधन व चारे की प्राप्ति के लिए इनको क्षति पहुँचाते हैं। राज्य में करौली के वनों में गैर-कानूनी ढंग से खनन किया जा रहा है। राजस्थान में वन-भूमि पर पशुओं का दबाव बहुत बढ़ गया है। राज्य में पशुओं की संख्या मनुष्यों से अधिक पाई जाती है। बकरी घास की अन्तिम पत्ती तक का सफाया कर देती है।

अतः राजस्थान में पानी की कमी, मिट्टी का कटाव, वृक्षों की कटाई, खनन-क्रिया से वन-क्षेत्रों को क्षति, सिंचाई से 'सेम' की समस्या व दलदली भूमि का उत्पन्न होना (विशेषतया इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में) आदि समस्याएँ पर्यावरण की कठिनाइयों को स्पष्ट रूप से प्रगट करती हैं।

राज्य सरकार ने जापान की आर्थिक सहायता का प्रयोग करके अरावली प्रदेश को हरा-भरा करने का प्रयास किया है। राज्य में अरावली क्षेत्र पर्यावरण-असंतुलन व गिरावट का एक ज्वलंत उदाहरण है। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के चारों तरफ वन लगाने व रेगिस्तानी टीलों के स्थिरीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना बनाई गई है। इन दोनों परियोजनाओं में जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोपरेशन फण्ड (OECF) की वित्तीय सहायता का उपयोग किया गया है।

राजस्थान में 'जल, जमीन व जंगल' के संरक्षण हेतु, एक स्वैच्छिक संस्था-तरुण भगत सिंह की देखरेख में 'जोहड़' (Johad) की व्यवस्था चालू की गई है, जिससे काफी लाभ हुआ है। जोहड़ सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए 'चेक-बाँध' (check dams) होते हैं। इससे इन क्षेत्रों का जल-स्तर ऊँचा हुआ है, सिंचाई की सम्भावना बढ़ी है, प्रति बीघा आमदनी बढ़ी है और अलवर, जयपुर, दौसा व सवाई माधोपुर जिलों की कुछ तहसीलों में किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है। इसके परिणाम गोपालपुरा में व थानागाजी तथा रायगढ़ तहसीलों के गाँवों में अच्छे प्राप्त हुए हैं।[1]

राजस्थान की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में पशु-पालन के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। भविष्य में खनन-क्रिया के वैज्ञानिक संचालन पर जोर दिया जाना चाहिए और जोधपुर स्थित काजरी के अध्ययनों व अनुसंधानों का उपयोग करके-वृक्षारोपण व कृषिगत विकास पर ध्यान देना चाहिए। राज्य की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ करने की *आवश्यकता है। इसके लिए ठोस कार्यक्रमों के चयन पर बल दिया जाना चाहिए।*

विभिन्न प्रकार के पर्यावरण-प्रदूषणों को कम करने के उपाय—पर्यावरण-प्रदूषण के विभिन्न रूपों को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के उपाय काम में लेने होंगे जिन पर संक्षेप में नीचे प्रकाश डाला जाता है।

(1) कारों व अन्य वाहनों से उत्पन्न वायु-प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था (public transport) विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा

---

1 **Sustainable Development : Leading by example**, an article in Survey of Environment, 1995, by Sunny Sebastian, pp 203-205 -

ऐसे वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए जिनमें ऊर्जा की खपत कम हो, शहरों में ट्रैफिक नियंत्रण योजना को कार्यकुशल बनाया जाना चाहिए और यथासम्भव विद्युत चालित वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में वायु-प्रदूषण को कम करने के लिए निर्धूम चूल्हों का विस्तार, घरों में हवा की उचित व्यवस्था, खाना पकाने के लिए यथासम्भव प्रेशर कूकर जैसी सस्ती विधियों के उपयोग को प्रोत्साहन देना तथा गर्भवती महिलाओं को खाना बनाने के काम में कम समय लगाने की सलाह देना लाभकारी हो सकता है।

(3) उद्योगों को वायु-उत्सर्जन व व्यर्थ-जल की निकासी के मानकों का पालन करना चाहिए, इनके लिए आवश्यक ट्रीटमेन्ट-संयंत्र लगाना चाहिए, उन पर आवश्यकतानुसार प्रदूषण कर भी लगाया जा सकता है और उद्योगों का गंदा जल जल के अन्य स्रोतों में सीधे नहीं डालने दिया जाना चाहिए। शहरों व कस्बों में सुलभ शौचालयों का विस्तार किया जाना चाहिए और लोगों में स्वच्छता की पर्याप्त जानकारी कराई जानी चाहिए। भारत में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण-नियंत्रण-उपकरण लगाने के लिए राजकोषीय प्रेरणाएँ (कर-सम्बन्धी रियायतें, सब्सिडी, आदि) प्रदान की हैं। इसके लिए आयात-शुल्कों की छूटें व उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए हैं। प्रदूषण-नियंत्रण की शर्तें न मानने वाली इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। विश्व बैंक की सहायता से एक 'औद्योगिक-प्रदूषण-नियंत्रण-परियोजना' संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से लघु इकाइयों के समूहों को 'कॉमन व्यर्थ पदार्थ ट्रीटमेंट संयंत्र' (Common effluent treatment plants) (CETPs) लगाने के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 29 किस्म के उद्योगों के लिए पर्यावरण-सम्बन्धी क्लीयरेन्स लेना आवश्यक बना दिया गया है। राज्य सरकारें विशिष्ट श्रेणी के थर्मल पावर प्रोजेक्टों के लिए पर्यावरण-सम्बन्धी क्लीयरेन्स देने के लिए अधिकृत की गई हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम के तहत पर्यावरण-सम्बन्धी क्षति के लिए पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने व हर्जाना देने की व्यवस्था की गई है।[1]

(4) शहरों के कचरे व व्यर्थ पदार्थों का उपयोग करने की विधियाँ प्रयुक्त की जानी चाहिए जिससे कुछ सस्ती वस्तुएँ उत्पन्न की जा सकेंगी और लोगों को रोजगार भी दिया जा सकेगा। व्यर्थ पदार्थों को उठाने वालों के लिए दस्तानों, जूतों व अन्य सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए तथा उन स्थलों को दुर्गन्ध से मुक्त रखने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए।

(5) वनों के संरक्षण व विस्तार की व्यवस्था की जानी चाहिए, चराई व वृक्षों की कटाई को नियंत्रित व नियमित किया जाना चाहिए। दीर्घकाल में ग्रामीण जनता के लिए सस्ती ईंधन की व्यवस्था करने से ही वनों की रक्षा करना सम्भव हो सकता है।

(6) जैविक विविधता (biodiversity) की रक्षा करने के लिए लोगों में आवश्यक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए, वन्यजीवन रक्षा अधिनियम को कड़ाई से लागू

1 Economc Survey 1998-99, p 159

करना चाहिए और राष्ट्रीय पार्कों व वन्यजीव-अभयारण्यों का विकास किया जाना चाहिए ताकि अनेक प्रकार के पौधों, पशुओं व जीव-जन्तुओं की रक्षा की जा सके।

जून 1992 में ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन—ब्राजील की राजधानी रियो दे जेनिरियो में पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से 14 जून, 1992 तक आयोजित किया गया था। पर्यावरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर आयोजित यह पहला बड़े पैमाने पर आयोजित विश्व स्तरीय सम्मेलन था, जिसमें 178 देशों ने भाग लिया तथा इसमें करीब 100 देशों के राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि ने भाग लिया था।

सम्मेलन ने विश्व के विभिन्न देशों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित किया था और उनको यह एहसास कराया था कि यदि पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिम्हाराव ने **पर्यावरण-संरक्षण-कोष** की स्थापना का महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया था। इसके अनुसार दुनिया के देशों को अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) का 0 7% इस कोष में देना चाहिए। हालांकि इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम फैसला नहीं हो सका, फिर भी यह सुझाव व्यावहारिक व लाभकारी माना गया है। औद्योगिक देशों द्वारा प्रदूषण में अधिक योगदान देने के कारण उनके द्वारा इसको रोकने पर व्यय भी अधिक करना चाहिए। भारत के तत्कालीन केन्द्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री श्री कमलनाथ के कारण भी पृथ्वी सम्मेलन में भारत की भूमिका काफी प्रभावशाली रही। तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने भी चीनी कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि **'यदि हमने पृथ्वी को लूटा, तो पृथ्वी हमें लूटेगी' (If we plunder earth, earth would plunder us)**।

पृथ्वी सम्मेलन में कुल मिलाकर सभी पर्यावरणीय मुद्दों पर आम सहमति नजर आई थी। जापान व यूरोपीय देशों ने अपनी तरफ से ग्रीन हाउस गैसों के निर्गम (emission) को कम करने, जैविक विविधता का संरक्षण करने तथा प्रदूषण को खत्म करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। पहले अमेरिका ने वांछित सहयोग नहीं दिया, लेकिन बाद में उसे भी पृथ्वी पर पर्यावरण के पतन को रोकने के प्रयासों में अपनी सहमति प्रगट करनी पड़ी।

आशा है कि ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में तैयार किए गए जैविक विविधता, संरक्षण व वन-संरक्षण के दस्तावेज तथा एजेण्डा-21 आगे चलकर पर्यावरण-संरक्षण को आवश्यक आधार प्रदान कर पाएँगे। **इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय संस्कृति जो धर्म व अध्यात्म पर आधारित है और जिसमें सदैव प्रकृति की पूजा पर बल दिया गया है, औद्योगिक देशों की उपभोक्तावादी, भोगवादी व भौतिकवादी संस्कृति को यह सबक सिखा पाएगी कि वह जल, थल, नभ व सम्पूर्ण वायुमण्डल को स्वच्छ रखने को प्राथमिकता दे। लेकिन साथ में इसे अपने यहाँ भी इन उच्च आदर्शों के पालन पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि भारत में सभी प्रकार के प्रदूषणों में कमी की जा सके।** डॉ. रजनी जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग, आई. आई टी., मुम्बई का मत है कि **भारत में 'यज्ञ' की परम्परा पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद**

देती है । यज्ञ में केसर, कस्तूरी, चंदन, इलायची आदि, घी, दूध, गेहूँ, चावल, जौ, आदि, चीनी, किशमिश, शहद, छुआरा, आदि का हवन-सामग्री के रूप में प्रयोग करने से जो अत्यंत सुगंधित वायुमण्डल बनता है उससे पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद मिलती है । यज्ञ की यह प्रक्रिया पर्यावरण-मैत्रीपूर्ण होती है । भारत में इसका महत्व उजागर किया गया है । इस विषय पर अधिक वैज्ञानिक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ।[1] अब विकास व पर्यावरण पर एक साथ ध्यान देने से ही टिकाऊ विकास का लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव हो सकता है ।

विकास व पर्यावरण एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि परस्पर प्रतिस्पर्धी । हमें इन दोनों के समन्वित विकास की योजना बनानी चाहिए । **हमें पर्यावरण-मैत्रीपूर्ण विकास तथा विकास-मैत्रीपूर्ण पर्यावरण को अपना आदर्श बनाना चाहिए । हमें अन्तर्राष्ट्रीय रूप में सोचना चाहिए तथा स्थानीय रूप में काम करना चाहिए (we must think globally and act locally)** । पर्यावरण की सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यीय स्तरों पर की जानी चाहिए । प्रत्येक नागरिक का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा व विकास में अपना योगदान दे । जल, जमीन व जंगल की रक्षा से ही सारे जहाँ की रक्षा हो पाएगी ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक प्रदूषित दो क्षेत्रों के नाम हैं—
   (अ) पाली व जोधपुर (ब) कोटा व बाराँ
   (स) जयपुर व दौसा (द) उदयपुर व बाँसवाड़ा (ब)

2. सुस्थिर विकास का अर्थ है—
   (अ) विकास में उतार-चढ़ाव न आए,
   (ब) विकास की दर स्थिर बनी रही,
   (स) विकास में वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ी दोनों के हितों का ध्यान रखा जाए
   (द) विकास में निर्धन-वर्ग के हितों की रक्षा की जाए . (स)
3. जैव-विविधता का ह्रास क्यों होता है—
   (अ) वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को जाती है
   (ब) पशुओं का अनधिकार शिकार
   (स) उनका अवैध व्यापार
   (द) सभी (द)
4. पर्यावरणीय पतन का कारण छाँटिए—
   (अ) निर्धनता (ब) जनसंख्या की वृद्धि

---
1 Economic Times, June 5, 2000, p 3, Holy Smoke, Awanish Mishra

(स) औद्योगीकरण (द) शहरीकरण

(ए) सभी (ए)

5. भारत के गाँवों में किस प्रकार के प्रदूषण के नियन्त्रण को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए ?

(अ) जल-प्रदूषण (ब) वायु-प्रदूषण

(स) ध्वनि-प्रदूषण (द) मिट्टी-प्रदूषण (अ)

अन्य प्रश्न

1. (अ) "यदि आर्थिक विकास उन्नत जीवन स्तर के लिए आवश्यक है तो पर्यावरणीय संतुलन उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है।" इस कथन की राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (5 पृष्ठों में)

(ब) पर्यावरण-प्रदूषण की अवधारणा का अथ बताइए। (100 शब्दों में)

2. पर्यावरण प्रदूषण क्या है ? इसके रूप, कारण और प्रभावों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए।
3. पर्यावरण-प्रदूषण का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके विभिन्न रूपों का परिचय दीजिए या "पर्यावरण के चार दुश्मन जल, थल, वायु व ध्वनि प्रदूषण" को समझाइए।
4. सुस्थिर या टिकाऊ विकास का अर्थ लिखिए। 'विकास व पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।' समझाकर लिखिए।
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

   (i) पर्यावरण-प्रदूषण-अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में,

   (ii) पर्यावरण-प्रदूषण,

   (iii) राजस्थान में पर्यावरण-प्रदूषण;

   (iv) गंगा-कार्य-योजना चरण I व II,

   (v) ओजोन परत का ह्रास,

   (vi) पर्यावरण प्रदूषण-विभिन्न रूप, कारण एवं परिणाम,

   (vii) ग्रीन हाउस उष्णीकरण या गरमाहट (Greenhouse warming),

   (viii) जल-प्रदूषण,

   (ix) वायु-प्रदूषण,

6. (अ) पर्यावरण प्रदूषण एवं स्थायी विकास की समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के संदर्भ में स्पष्ट कीजिये।

   (ब) सुस्थिर विकास की अवधारणा क्या है ?

   सुस्थिर विकास का अर्थ बताइए।

कृषि
(Agriculture)

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है । 2000-01 में कृषि का अंश राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (NSDP) में लगभग 24.6% तथा 2001-02 में 29% रहा (1993-94 के मूल्यों पर) ।[1] राज्य के कृषिगत उत्पादन में प्रतिवर्ष काफी उतार-चढाव आते रहते हैं । स्थिर भावों पर कृषि का योगदान राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में प्रति वर्ष काफी घटता-बढ़ता रहता है । राज्य की कृषिगत अर्थव्यवस्था मूलतः अस्थिर (Unstable) किस्म की है और इस पर अकालों की काली छाया निरन्तर पड़ती रहती है ।

(अ) भूमि का उपयोग—अगली तालिका में 1951-52 व 2001-02 के वर्षों में राजस्थान में भूमि के उपयोग का परिवर्तन दर्शाया गया है ।

अग्र तालिका से पता चलता है कि राजस्थान में 2001-02 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 3 426 करोड़ हैक्टेयर भूमि था । शुद्ध कृषित क्षेत्र (net area sown) इसका 48 9% था जो 1951-52 में केवल 27 प्रतिशत ही रहा था । यह 1951-52 में 93 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 2001-02 में 167 7 लाख हैक्टेयर हो गया । इस प्रकार योजनाकाल में राज्य मे नई भूमि पर खेती का काफी विस्तार किया गया । एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र 1951-52 मे 4.4 लाख हैक्टेयर था, जो 2001-02 में 40.3 लाख हैक्टेयर हो गया । इस प्रकार सिंचाई के साधनों का विकास होने से राज्य में गहन कृषि का भी कुछ सीमा तक विकास किया गया है । परिणामस्वरूप कुल कृषित क्षेत्र (total cropped area) जो 1951-52 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 28 4% था, वह 2001-02 मे 60.7% हो गया । यह 1997-98 में लगभग 65.2% व 1998-99 में 62.5% रहा था । राज्य में आज भी वनों का क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 7.7% मात्र है । कृषि-योग्य व्यर्थ भूमि (Culturable Wasteland) व परती भूमि (Fallow land) (मद 4 + मद 5) का अंश लगभग 25 9% है ।

1 Economic Review 2003-04, Govt. of Rajasthan, table on NSDP at 1993 94, prices

भविष्य में इसमें से कुछ क्षेत्र कृषि में और लाया जा सकता है । अतः राज्य में विस्तृत व गहन दोनों प्रकार की कृषि के विकास की भावी सम्भावनाएँ कुछ सीमा तक विद्यमान हैं ।

राजस्थान में भूमि का उपयोग[1]

वर्गीकरण	(लाख हैक्टे. में) 1951-52)	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत	(लाख हैक्ट. में) (2001-02)	रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत
1. रिपोर्टिंग क्षेत्रफल	342.8	100.0	342.6	100.0
2. वन	11.6	3.4	26.5	7.7
3. कृषि के लिए अप्राप्य *	89.8	26.2	59.8	17.5
4. कृषि योग्य व्यर्थ भूमि	90.0	26.3	47.3	13 8
5. परती भूमि **	58.3	17.0	41.4	12.1
6. शुद्ध कृषिगत भूमि	93.1	27.1	167.7	48.9
7. एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र	4.4	1.3	40.3	11.8
8. सकल कृषिगत क्षेत्र	97.5	28.4	208.0	60.7

* इसमें निम्नांकित क्षेत्र शामिल किए गए हैं—वर्ष 2001-02 के लिए (i) गैर-कृषिगत उपयोगो मे लगाई भूमि 5 1% (ii) बंजर व अकृष्य भूमि 7 4% (iii) स्थायी चरागाह व अन्य चराई की भूमि (5%) तथा (iv) विविध पेड़ों व कुजों की भूमि नगण्य (0 04%) । इन चारो का जोड 17 5% आता है ।

** परती भूमि में चालू परती भूमि (Current fallow) एक वर्ष के लिए परती छोडी जाती है का अश 5 3% तथा अन्य परती भूमि (एक से पाँच वर्ष तक परती भूमि) का अश भी लगभग 6 8% था । इस प्रकार कुल परती भूमि का अश 14 2% रहा ।

2001-02 में शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल 1.68 करोड़ हैक्टेयर रहा, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 48 9% था । इसी वर्ष सकल कृषित क्षेत्रफल (gross cropped area) 2.08 करोड़ हैक्टेयर था, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभग 60 7% था । सकल कृषित क्षेत्र की मात्रा में निरन्तर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । सूखे के वर्षो मे यह घट जाता है । 1998-99 में सकल कृषित क्षेत्र 2.14 करोड़ हैक्टेयर था, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 62 5% रहा था ।

इस प्रकार फसल-गहनता (Cropping-intensity) 1951-52 में 1.047 से बढ़कर 2001-02 में 1.240 हो गई । फसल-गहनता निकालने के लिए सकल कृषित क्षेत्र में शुद्ध कृषित क्षेत्र का भाग दिया जाता है । भविष्य में इसमे वृद्धि के लिए एक से अधिक बार जोती गई भूमि का विस्तार करना होगा ।

---

1 **Some Facts About Rajasthan 2003, June 2003, pp.12-13** (2001-02 के आँकड़ों के लिए) ।

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में आज भी कार्यशील जोतों का वितरण काफी असमान बना हुआ है। एक हैक्टेयर तक की जोतें लगभग 30% हैं, लेकिन इनमें कुल क्षेत्रफल का केवल 3 7% भाग ही समाया हुआ है। इसके विपरीत 10 हैक्टेयर से ऊपर की जोतें लगभग 9 1% हैं, जबकि इनमें 42.8% क्षेत्रफल समाया हुआ है। 1970-71 में राजस्थान में कार्यशील जोतों का औसत आकार 5 46 हैक्टेयर था, जो समस्त भारत के औसत आकार 2 28 हैक्टेयर का 2 5 गुना था, एवं सभी राज्यों की तुलना में यह सर्वाधिक था। 1995-96 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार घटकर 3.96 हैक्टेयर पर आ गया, तथा इसी वर्ष भू-जोतों की कुल संख्या लगभग 53 64 लाख रही, जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 2 करोड़ 12 लाख 50 हजार हैक्टेयर समाया हुआ था।

राजस्थान में 1995-96 में कार्यशील जोतों का विवरण[1]

जोतों की किस्में	जोतों की संख्या (लाख में)	कुल का प्रतिशत	समाया हुआ क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)	कुल का प्रतिशत
1 सीमात जोतें (1 हैक्टेयर तक)	16.1	30.0	7.8	3.7
2. लघु जोतें (1-2 हैक्टेयर)	10.8	20.2	15.6	7.4
3 लघु-मध्यम जोते (2-4 हेक्टेयर)	11.2	20.8	31.8	15.0
4 मध्यम जोतें (4-10 हैक्टेयर)	10.6	19.8	66.2	31.1
5 बड़ी जोते (10 हैक्टेयर से ज्यादा)	4 9	9.1	91.0	42 8
कुल	53.6	100.0	212.5	100.0

शुष्क प्रदेश में सिंचाई का महत्त्व—राजस्थान के शुष्क प्रदेश (arid region) में पानी की सुविधा का महत्त्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि बीकानेर व गंगानगर जिले में मुख्य अन्तर यही है कि गंगानगर जिले को गंगनहर से सिंचाई की सुविधा मिली हुई है। 2001-02 में गंगानगर जिले मे शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 6.98 लाख हैक्टेयर (कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 10.93 लाख हैक्टेयर का 63 86% था, जबकि बीकानेर जिले में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल मात्र 14.8 लाख हैक्टेयर (कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 30.3 लाख हैक्टेयर का 48.8% ही था।[2] इस प्रकार गंगानगर जिले में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल आनुपातिक दृष्टि से सिंचाई की सुविधाओं के कारण बीकानेर जिले से काफी ज्यादा पाया जाता है। गंगानगर जिले में लगभग 25 किस्म की फसलें बोई जाती हैं, जबकि बीकानेर में केवल 5 या 6 तरह की ही बोई जाती हैं। पशु-पालन भी गंगानगर जिले में ज्यादा उन्नत हो पाया है। वहाँ कपास, गन्ना, तिलहन, गेहूँ, चावल आदि की फसलें उत्पन्न की जाती हैं।

1 Some Facts About Rajasthan 2003, part I, p 10

2 Agriculatural Statistics, Rajasthan 2001-02, DES (हनुमानगढ जिले को अलग करके), January 2004, pp 4-5

(आ) सिंचित क्षेत्र—राजस्थान में नहरों, तालाबों व कुओं आदि साधनों की सहायता से सिंचाई की जाती है । विभिन्न स्रोतों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र (Gross irrigated area) *1951--52* में 11.7 लाख हैक्टेयर था, जो 2002-03 में 52.7 लाख हैक्टेयर हो गया । 2001-02 में यह लगभग 67.4 लाख हैक्टेयर रहा था । विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल निम्न तालिका में दिखाया गया है ।

तालिका से यह पता चलता है कि 2002-03 में नहरों की सिंचाई 1951-52 की तुलना में 9 गुना हो गई । लेकिन राज्य में आज भी सिंचाई के साधनों में कुओ व ट्यूबवैल का सर्वाधिक स्थान है, जो 2000-01 में लगभग 41.2 लाख हैक्टेयर रहा । (अन्य साधनों सहित) ।

1951-52 में सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 12% था जो बढकर 1970-71 में 14.7% तथा 1990-91 में लगभग 24%, 1999-2000 मे 35.9% तथा 2000-2001 मे लगभग 31.9% हो गया। इस प्रकार योजनाकाल मे राज्य मे सिंचाई के साधनो का काफी विस्तार हुआ है और सकल सिचित क्षेत्रफल **सकल कृषित क्षेत्रफल का 12% से बढकर 2000-01 में 32% हो गया, जो प्रतिशत की दृष्टि से लगभग तिगुना है।**

विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र[1]

	(सकल सिंचित क्षेत्र)		(लाख हैक्टेयर में)	
वर्ष	नहरे	तालाब	कुए/नलकूप व अन्य साधन	योग
1951-52	2 2	0.8	7.0	10 0
2002-03	13.5	0.08	39.2	52.7

राज्य मे अधिक मात्रा मे सिंचित फसलों में गन्ना, कपास, जौ व गेहूँ का स्थान आता है और ज्वार, बाजरा व मूंगफली का स्थान काफी कम सिंचित फसलों में आता है । राज्य में सिंचाई के विकास की काफी सम्भावनाएँ विद्यमान हैं । इसके लिए सिंचाई के क्षेत्र में भारी मात्रा में पूँजी लगाने की आवश्यकता है । **2001-02 में खाद्यान्नों की फसलों में 32.3 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की गई, जो कुल सिंचित क्षेत्रफल 67.4 लाख हैक्टेयर का लगभग 47.9% था** । अत: राज्य में लगभग आधी सिंचाई की सुविधा खाद्यानों की फसलों को प्राप्त है ।

पिछले वर्षों में राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (Net Irrigated Area) बढ़ा है । 2001-02 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 54.2 लाख हैक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 67.4 लाख हैक्टेयर रहा । इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 13 2 लाख हैक्टेयर भूमि में एक से अधिक बार सिंचाई की गई थी ।

1. Economic Review 2003-04, GOR, p 48 (2002-03 के आँकडों के लिए)

स्मरण रहे कि $\frac{\text{सकल सिंचित क्षेत्रफल}}{\text{शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल}}$ = सिंचाई की गहनता (irrigation intensity) कहलाती है । यह 2001-02 के लिए $\frac{52.7}{43.7} = 1.206$ रही है । इसको भविष्य में और बढ़ाने की आवश्यकता है । इसके लिए एक से अधिक बार के सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना होगा ताकि सकल सिंचित क्षेत्रफल बढ़ सके ।

राजस्थान में फसलों का ढाँचा या प्रारूप (Cropping Pattern in Rajasthan)– राजस्थान मे खाद्यान्नो की फसलो मे अनाज में बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मक्का, जौ, मोटे अनाज व चावल एव दालो मे चना तुर अन्य रबी की दाले व अन्य खरीफ की दालें शामिल हैं एव गैर–खाद्यान्नो की फसलो मे तिलहन मे राई व सरसो, अलसी, मूगफली व अरण्डी एव अन्य मे कपास, तम्बाकू, सन, गन्ना, हल्दी, धनिया, मिर्च, आलू, अदरक अफीम व ग्वार शामिल हैं।

निम्न तालिका में प्रथम योजना की अवधि की औसत स्थिति (Average Position) तथा 2001-02 वर्ष के लिए राजस्थान में फसलों के ढाँचों का विवरण दिया गया है ।[1]

(क्षेत्रफल लाख हैक्टेयर में)

प्रथम योजना (औसत)		प्रतिशत	2001-02	प्रतिशत
फसलें	क्षेत्रफल		क्षेत्रफल	
1. अनाज	65.6	56.0	93.8	45.0
2 दालें	24 6	21.0	33.6	16.2
3. खाद्यान्न (1 + 2)	90.2	77.0	127.4	61.2
4. तिलहन	7.2	6.2	31.1	15.0
5. कपास	1.9	1.7	5.1	2.4
6. गन्ना, ग्वार, चारा, फल, सब्जी व अन्य मसालें	17.7	15.1	44 4	21.3
कुल कृषित क्षेत्र	117.0	100.0	208.0	100.0

तालिका से पता चलता है कि राजस्थान मे प्रथम योजना काल से अब तक फसलो के ढॉचे मे काफी परिवर्तन हुआ है। इस सम्बन्ध मे प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

(1) अनाज की फसलों का क्षेत्रफल प्रथम योजना में 56% से घटकर 2001-02 लगभग 45% रह गया है । 2001-02 में दालों का क्षेत्रफल 12% के समीप रहा जिससे खाद्यान्नों का क्षेत्रफल 77% से घटकर लगभग 61% रह गया है । मोटे तौर पर खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का योजना के प्रारम्भ में लगभग 3/4 था, जो 2001-02 में घटकर लगभग 61% रह गया । 1998-99 में यह 63% रहा था क्योंकि दालों का क्षेत्रफल 22% रहा था ।

1 राजस्थान मे कृषि विकास प्रगति: 1990-91, पृ 7-8 तथा Some Facts About Rajasthan 2003, p 13

दालो के क्षेत्रफल मे कमी का मुख्य कारण इनका बारानी क्षेत्रो मे बोया जाना है, जो पूर्णत वर्षा पर निर्भर करता है। इनमे प्रति हैक्टेयर उत्पादन भी नीचा होता है जो इनके क्षेत्रफल मे कमी का प्रमुख कारण है। इनके क्षेत्रफल मे वृद्धि के लिए ऐसी किस्मों का विकास करना आवश्यक है जो सूखे से प्रभावित हुए बिना पर्याप्त उत्पादन दे सके।

(2) राज्य में तिलहनों का क्षेत्रफल प्रथम योजना के 6 2% से बढ़कर 2001-02 में लगभग 15% हो गया है । तिलहनों में यह वृद्धि मुख्यत: राई व सरसों के क्षेत्रफल में हुई है । राज्य में खरीफ के अन्तर्गत सोयाबीन की खेती भी की जाने लगी है । पिछले दशक मे इसका क्षेत्रफल काफी बढा है ।

(3) मोटे अनाजो व दालो के क्षेत्रफल की कमी को कपास, ग्वार, चारा, फल-सब्जी व मसालो के क्षेत्र मे वृद्धि करके पूरा किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि 2001-02 में 61% क्षेत्रफल खाद्यान्नों की फसलों (अनाज व दालों) के अन्तर्गत था और शेष 39% गैर-खाद्यान्नों की फसलों के अन्तर्गत था । 2001-02 में कुल कृषिगत क्षेत्र के 45% भाग पर अनाज बोया गया और लगभग 16% भाग पर दालें बोई गईं । इस प्रकार लगभग 61% क्षेत्रफल खाद्यान्नों की फसलों के अन्तर्गत रहा । स्मरण रहे कि राज्य के लगभग 1/4 कृषित क्षेत्रफल में अकेले बाजरे की खेती की जाती है । (2001-02 में कुल कृषित क्षेत्रफल लगभग 2.08 करोड़ हैक्टेयर रहा, जिसके लगभग 51.3 लाख हैक्टेयर में बाजरे की खेती की गई) । राज्य में तिलहन, गन्ना व कपास की पैदावार होने से इनसे सम्बन्धित उद्योगो (तेल उद्योग, चीनी व गुड़ उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग) का विकास किया जा सकता है । मसालों में लाल मिर्च, जीरा, धनिया व हल्दी के उत्पादन का भी काफी महत्त्व है । इनके उत्पादन से कृषकों को अच्छी आय होती है । राज्य में ग्वार, तम्बाकू, अफीम आदि की भी पैदावार होती है ।

प्रमुख फसलें (Major Crops)[1]– राजस्थान मे फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल मे ज्यादा महत्त्वपूर्ण स्थान बाजरा, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, दाल, तिल, मूगफली व कपास का आता है। लेकिन क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष मौसमी परिवर्तनो के कारण काफी उतार-चढाव आते रहते हैं। राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर उपज बहुत कम होती है। **प्रमुख फसलो** का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है-

(1) गेहूँ—राजस्थान गेहूँ का उत्पादन करने की दृष्टि से भारत में पाँचवाँ सबसे बड़ा राज्य है । राज्य में गेहूँ की पैदावार का जिलेवार औसत लेने पर पता चलता है कि गंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा व सवाईमाधोपुर जिलों में गेहूँ का उत्पादन अधिक होता है । सबसे ज्यादा गेहूँ का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है । गेहूँ रबी की फसल है । 2002-03 में गेहूँ का उत्पादन 48.8 लाख टन हुआ जिसके 2003-04 में 61.8 लाख टन होने का अनुमान है । 2002-03 में अखिल भारतीय गेहूँ के उत्पादन (6 5 करोड़ टन) का 7.5% अंश राजस्थान में हुआ था ।

1 Economic Review 2003-04, (GOR) pp 41-43, and Agricultural Statistics of Rajasthan 2001-02, relevant tables

राज्य में गेहूँ की सोना-कल्याण, मैक्सिन, सोना, कोहिनूर आदि विकसित किस्में बोई जाती हैं, जो कम सिंचाई के क्षेत्रों में भी काफी फसल देती हैं ।

(2) चना—उत्तर प्रदेश के बाद चना उत्पादन करने में राजस्थान का स्थान आता है । इसके प्रमुख जिले गंगानगर, अलवर, कोटा, जयपुर व सवाईमाधोपुर हैं । सबसे ज्यादा चने का उत्पादन गंगानगर जिले में होता है । राज्य का आधे से ज्यादा चना इन्हीं जिलों में उत्पन्न किया जाता है । राज्य में चने का उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है । 2002-03 में चने का उत्पादन 3.41 लाख टन हुआ जिसके 2003-04 में 10.75 लाख टन रहने का अनुमान है । 2002-03 में राज्य में चने के उत्पादन का समस्त भारत से अनुपात 8.3% रहा था । यह रबी की दालों की श्रेणी में आता है । दालों के उत्पादन में चने का स्थान काफी ऊँचा है ।

(3) बाजरा—बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता है । देश में कुल बाजरे के उत्पादन का लगभग 1/3 अंश राजस्थान में होता है । जयपुर, नागौर, अलवर, चूरू व सवाईमाधोपुर जिलों में राज्य का अधिकांश बाजारा उत्पन्न होता है । जयपुर जिले में बाजरे का काफी उत्पादन होता है । राज्य में बाजरे का उत्पादन काफी घटता-बढ़ता रहता है । बाजरे का उत्पादन 2002-03 में 7.2 लाख टन हुआ था, जिसके बढ़कर 2003-2004 में 66.5 लाख टन होने का अनुमान है (829% वृद्धि) ।

(4) जौ (Barley)—उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थान जौ उत्पन्न करने वाले राज्यों में आता है । देश का चौथाया जौ राजेस्थान में पैदा होता है । यह ज्यादातर जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर व अजमेर जिलों में उत्पन्न होता है । आजकल नई किस्मों का प्रचलन भी हो गया है; जैसे ज्योति, आर.एस—6 आदि । 2002-03 में जौ का उत्पादन 4 47 लाख टन हुआ जिसके बढ़कर 2003-2004 में 6.90 लाख टन होने का अनुमान है ।

(5) मक्का (Maize)—देश में कुल मक्का की पैदावार का 1/8 अंश राजस्थान में होता है । यह राज्य मे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व बाँसवाड़ में ज्यादा मात्रा में पैदा की जाती है । 2002-03 में राज्य में मक्का का उत्पादन 8.7 लाख टन हुआ, जिसके 2003-2004 में बढ़कर 20.7 लाख टन रहने का अनुमान है ।

(6) सरसों, राई व तिल—राज्य मे तिलहनों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा होता है । पहले सरसो अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा गंगानगर जिलों में पैदा होती थी । अब कृषि-विस्तार कार्यक्रमों के फलस्वरूप यह जालौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा व बूँदी जिलों में भी होने लगी है । 2002-03 में राई व सरसों (rape and mustard) का उत्पादन 11.8 लाख टन हुआ जिसके 2003-2004 में 26.6 लाख टन के स्तर पर रहने का अनुमान है । **2002-03 में राजस्थान में राई व सरसों का उत्पादन समस्त देश के उत्पादन का लगभग 30% था और भारत में इसका स्थान प्रथम रहा ।** इस प्रकार राज्य में पिछले वर्षों मे सरसों व राई का उत्पादन बढ़ा है । तिल के उत्पादन में राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद आता है । पाली जिले में भी काफी तिल पैदा होता है । राज्य में अलसी, अरण्डी, तारामीरा, सोयाबीन आदि का भी उत्पादन होता है । 2001-02 में राज्य में सोयाबीन का उत्पादन 7.16 लाख टन हुआ था । राज्य में तिलहन

(Oilseeds) का उत्पादन हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है । 2002-03 में तिलहन का उत्पादन 17.6 लाख टन हुआ जिसके 2003-2004 में 39.4 लाख टन होने का अनुमान है ।[1] इस प्रकार राज्य तिलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्य हो गया है । राज्य में ज्यादा पैदावार रबी के तिलहनों की होती है । रबी के तिलहनों में राई-सरसों, तारामीरा व अलसी (linseed) आते हैं तथा खरीफ के तिलहनों में मूँगफली, तिल, सोयाबीन व अरण्डी के बीज आते हैं । 2002-03 में खरीफ के तिलहनों के उत्पादन का अनुमान 4.4 लाख टन तथा रबी के तिलहनों के उत्पादन का अनुपात 13.2 लाख टन लगाया गया है । (कुल 17.6 लाख टन) । तिलहन में टेक्नोलोजी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से विशेष सहायता मिली है ।

(7) गन्ना—राजस्थान में गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता है । गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन बूँदी जिले में होता है । *अन्य जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व गंगानगर हैं ।* 2002-03 में गन्ने का उत्पादन 4.2 लाख टन हुआ । 2003-04 में इसके 3.3 लाख टन रहने की सम्भावना है । गन्ने के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, जहाँ देश की पैदावार का 40% गन्ना होता है । राजस्थान का अंश भारत के कुल उत्पादन में 1/2% से भी कम (लगभग 0.4%) आता है ।

(8) कपास—कपास की बुवाई का काम मई-जून के महीनों में किया जाता हे । पौधे उग जाने के बाद चार-पाँच बार सिंचाई की आवश्यकता होती है । सितम्बर-अक्टूबर तक इन पौधों में कपास के फूल निकल आते हैं । इन फूलों से कपास के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है ।

2002-03 में कपास का उत्पादन 2.52 लाख गाँठें हुआ जिसके 2003-04 में घटकर 1.32 लाख गाँठें रहने का अनुमान है । **इसका सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है ।** यह मुख्यतः तीन प्रकार की होती है । **देशी कपास** मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बाँसवाड़ा में बोई जाती है । **अमेरिकन कपास** मुख्यतः गंगानगर जिले में बोई जाती है । इस कपास का रेशा लम्बा होता है और यह अच्छे किस्म के सूती कपड़े बनाने में काम आती है । तीसरे प्रकार की **मालवी कपास** होती है जिसे कोटा, बूँदी, झालावाड़ और टोंक जिलों में बोया जाता है । **कपास का सबसे अधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है, जहाँ नहरी सिंचाई की सुविधाएँ पाई जाती हैं ।**

(9) विविध प्रकार की फसलें—राज्य की अन्य पैदावारों में ग्वार, धनिया (Coriander), सूखी लाल मिर्च, आलू, तम्बाकू, मैथी, जीरा (Cumin) आदि आते हैं ।

खाद्यान्नों का उत्पादन—राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । राज्य में 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन 30 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 1960-61 में 45.5 लाख टन तथा 1965-66 में घटकर 38.4 लाख टन हो गया था । **1970-71 में यह 88.4 लाख टन तक पहुँच गया,** जो 1974-75 में घटकर 49.8

1. Economic Review 2003-04 (Govt. of Raj) p 42.

लाख टन पर आ गया था । उसके बाद के वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहे हैं । निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि 1983-84 में खाद्यान्नों का उत्पादन पहली बार 1 करोड़ टन की सीमा को पार कर गया था, जो बाद में इससे नीचे घूमता रहा और 1987-88 के अभूतपूर्व सूखे व अकाल के कारण लगभग 48 लाख टन पर आ गया था । 1990-91 में यह 1 करोड़ 9 3 लाख टन रहा । निम्न तालिका में 1990-91 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए खाद्यान्नों का वार्षिक उत्पादन दिया गया है जिससे इसके उतार-चढ़ावों का पता चलता है । 2001-02 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन 140 लाख टन आंका गया था जो 2002-03 में घटकर लगभग 75 3 लाख टन पर आ गया 2003-04 में खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 189 लाख टन आंका गया है । इस प्रकार राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत अस्थिर रहता है । सूखी खेती की विधियों को अपना कर इसमें स्थिरता लाने की आवश्यकता है ।

1990-91 से 2003-2004 तक खाद्यान्नों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव[1]

वर्ष	(लाख टनों में)
1990-91	109.3
1991-92	79.8
1992-93	114.8
1993-94	70.5
1994-95	117.1
1995-96	95.7
1996-97	128.2
1997-98	140.5
1998-99	129.3
1999-2000	106.9
2000-2001	100 4
2001-2002 (सं. अंतिम)	140 0
2002-2003 (अन्तिम)	75.3
2003-2004 (संभावित)	189.0

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में योजनाकाल में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ता गया है, लेकिन इसमें वार्षिक उतार-चढ़ावों की भरमार रही है । यह मुख्यतया वर्षा की मात्रा व वितरण की अनिश्चितता के कारण हुआ है । 1994-95 में खाद्यान्नों का उत्पादन 117 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% से भी अधिक था । 1995-96 में यह घटा और बाद में बढ़ा तथा 1997-98 में 140 लाख टन आंका गया । 1998-99 से 2000-01 के वर्षों में यह घटा तथा 2001-02 में यह 140 लाख टन रहा । खरीफ के

1. Economic Review 2003-04, (GOR) p 41 (for 2001-02 to 2003-04)

अनाजों में बाजरा, मक्का व ज्वार की प्रमुखता होती है और रबी में गेहूँ की । लेकिन खरीफ में चावल व छोटे अनाज तथा रबी में जौ-चना भी बोए जाते हैं । राज्य में 2001-02 में खाद्यान्नों के 140 लाख टन के अन्तिम उत्पादन में खरीफ की मात्रा 63.9 लाख टन व रबी की 76.1 लाख टन आंकी गई है । लेकिन 2003-04 के खाद्यानों के सम्भावित उत्पादन में खरीफ का उत्पादन 109 लाख टन व रबी का 80 लाख टन (कुल 189 लाख टन अनुमानित है ।

हम अगले अध्याय में राज्य के कृषिगत विकास की मुख्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करेंगे। वहाँ पर राजस्थान में हरित क्रान्ति के प्रभावों का विवरण भी दिया जाएगा।

प्रश्न

1. राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र स्थित है—
   (अ) नागौर में (ब) अलवर में
   (स) जयपुर में (द) सेवर में (द)
   (सेवर, भरतपुर)
2. राजस्थान में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करने वाला जिला है—
   (अ) अलवर (ब) भरतपुर
   (स) जयपुर (द) गंगानगर (द)
3. राजस्थान में निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक गेहूँ उत्पादित होता है ?
   (अ) जयपुर (ब) दौसा
   (स) कोटा (द) गंगानगर (द)
4. राजस्थान में सर्वाधिक जीरा उत्पादक जिला है—
   (अ) दौसा (ब) जयपुर
   (स) जालौर (द) नागौर (स)
5. राजस्थान में सर्वाधिक जीरा उत्पादन करने वाला जिला है—
   (अ) गंगानगर (ब) बूँदी
   (स) जालौर (द) कोटा (स)
6. राजस्थान में 1993-94 की कीमतों पर सन् 2001-02 में अनुमानित शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि (पशु-पालन सहित) का हिस्सा रहा—
   (अ) 40 प्रतिशत (ब) 29.0 प्रतिशत
   (स) 45 प्रतिशत (द) 42.0 प्रतिशत (ब)
7. 2001-02 में राज्य में सकल कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभग कितना अंश रहा—
   (अ) 50% (ब) 33%
   (स) 61% (द) 25%
   (ए) 2/5 (स)

8. पिछले 25 वर्षों में राज्य में फसलों के प्रारूप में मुख्य परिवर्तन क्या आया है ?
   (अ) खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल के अनुपात में घटा है,
   (ब) तिलहनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का अनुपात बढ़ा है,
   (स) कपास में भी थोड़ा बढ़ा है,
   (द) सभी। (द)
9. राजस्थान में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2001-02 तक किस स्तर तक पहुँच चुका है ?
   (अ) 140 लाख टन (ब) 120 लाख टन
   (स) 118 लाख टन (द) 150 लाख टन (अ)
10. राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 2001-02 में किस स्तर पर रहा ?
   (अ) 58 लाख है (ब) 63.6 लाख है
   (स) 67.4 लाख है (द) 67.4 लाख है (द)
   (2002-03 में 52.7 लाख हैक्टेयर)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान में भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया गया है ? इसके प्रारूप में योजनावधि में किस दिशा में परिवर्तन हुए हैं ? क्या ये परिवर्तन अनुकूल दिशा में हुए हैं ?
2. राजस्थान में फसलों का वर्तमान प्रारूप क्या है ? अनाज, दालों, तिलहन आदि मुख्य फसलों के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन स्पष्ट कीजिए ?
3. राजस्थान में मुख्य फसलें कौन-कौन सी हैं ? उनके उत्पादन की मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए।
4. राजस्थान में भूमि उपयोग, फसल-प्रारूप तथा मुख्य कृषि-उपजों का उल्लेख कीजिए।
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान में तिलहन की पैदावार
   (ii) राज्य में सकल कृषित क्षेत्रफल
   (iii) राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसलें
   (iv) राजस्थान की प्रमुख खाद्य व अखाद्य फसलें
   (v) राजस्थान में फसलों का प्रारूप

योजनाकाल में राज्य का कृषिगत विकास
(Agricultural Development in the State During the Plan Period)

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषिगत विकास का विशेष महत्त्व होता है ताकि बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की पूर्ति बढ़ाई जा सके, उद्योगों के लिए कृषिगत कच्चे माल की व्यवस्था की जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। इससे गाँवों में निर्धनता कम करने में भी मदद मिलती है तथा जीवन-स्तर में सुधार के अवसर उत्पन्न होते हैं। सच पूछा जाए तो कृषिगत विकास ही आर्थिक विकास का मुख्य आधार होता है।

राजस्थान प्रमुख रूप से एक कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ कृषिगत कार्य जलवायु की बहुत जटिल दशाओं में किया जाता है। *वैसे तो समस्त भारत में कृषि मानसून का जुआ मानी* गई है, लेकिन यह कथन राजस्थान पर विशेष रूप में लागू होता है। यहाँ पानी का नितान्त अभाव है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, राजस्थान में भारत के कुल सतही जल-साधनों (surface water resources) का 1% अंश ही पाया जाता है, जबकि क्षेत्रफल 10.4% एवं जनसंख्या 5.5% पाई जाती है। **राज्य में जनसंख्या की वृद्धि-दर भी समस्त** भारत की तुलना में ऊँची है। यह 1971-81 में 33%, 1981-91 में 28.4% तथा 1991-2001 में 28.37% रही है। **राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि-दर जनसंख्या की वृद्धि से नीची रही है, जो भविष्य के लिए एक गम्भीर चुनौती व चेतावनी बन गई है।**

हम नीचे योजनाकाल मे विशेषतया पिछले 30 वर्षों की अवधि (1973-74 से 2002-2003 की अवधि) मे राजस्थान के कृषिगत विकास के विभिन्न पहलुओ पर प्रकाश डालते हैं जिससे इस क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों की जानकारी हो सकेगी तथा साथ में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा का भी अनुमान लगाया जा सकेगा।

पंचवर्षीय योजनाओ में सार्वजनिक व्यय में कृषि व सहायक कार्यक्रमों पर व्यय की स्थिति- राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओ मे कृषि व सहायक कार्यक्रम पर व्यय का अश (कुल सार्वजनिक व्यय मे) निम्न प्रकार रहा—

योजना	%	योजना	%
प्रथम योजना	6.6	छठी योजना *	10.2
द्वितीय योजना	11.0	सातवीं योजना	11.9
तृतीय योजना	11.3	1990–91	13.6
तीन वार्षिक योजनाएँ (1966–69)	10.4	1991–92	15.5
चतुर्थ योजना	8.2	आठवीं योजना (1992–97)	15.9
पंचम योजना	9.3	नवीं योजना (1997-2002)	14.7
1979–80	17.6	2002–03	12.3
		2003–04	9.9

* इसमें व आगे की योजनाओं मे कृषि व सम्बद्ध सेवाओं के अलावा ग्रामीण विकास व स्पेशल क्षेत्रीय कार्यक्रमो का व्यय भी शामिल है।

तालिका से स्पष्ट होता है कि हाल की योजनाओं में कृषि व सहायक क्रियाओं पर व्यय का अंश नवीं पंचवर्षीय योजना में 14.7% तथा 2003-04 में लगभग 10% व्यय हुआ है।

उपर्युक्त व्यय के अलावा सिंचाई व विद्युत आदि पर व्यय का लाभ भी कृषिगत क्षेत्र को प्राप्त होता है।

विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ मे कृषिगत उत्पादन बढाने के लिए जिन बातो पर बल दिया गया वे निम्नाकित है[1]–

प्रथम योजना– कृषिगल क्षेत्रफल तथा सिचाई का विकास,

द्वितीय योजना- आवश्यक इन्पुटो के उपयोग व सिचाई पर बल,

तृतीय योजना- गहन कृषि–विकास कार्यक्रम व शीघ्र प्रतिफल देने वाले निवेशो पर बल,

1996-99– सिचाई को प्राथमिकता,

चतुर्थ योजना- अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढाना तथा उर्वरको का उपयोग बढाना;

पाँचवीं योजना- समन्वित क्षेत्र–दृष्टिकोण, कृषिगत इन्पुटो का नियोजन, खेतो पर विकास, उन्नत फसल प्रबन्ध–विधियाँ अपनाना (ट्रेनिग व विजिट (T & V के द्वारा)

छठी योजना- नई टेक्नोलॉजी को कृषिगत विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से कमजोर वर्गो तक पहुँचाना,

1. Draft. Ninth Five Year Plan, 1997–2002, p.7.3 and Budget Study 2004-05 (July 2004), p 50. (for 2002-03, and 2003-04)

सातवीं योजना- तिलहन के टेक्नोलोजी मिशन के माध्यम से खाद्य–तेलो में आत्म–निर्भरता प्राप्त करना और इसके लिए तिहलन की उत्पादन–क्षमता का अत्यधिक विस्तार करना,

आठवीं योजना– जल के उपयोग मे किफायत की विधियाँ अपनाकर स्प्रिंकलर.. ड्रिप, आदि के द्वारा जल का कार्यकुशल उपयोग करना, तिलहन का उत्पादन बढाना आदि।

इन प्रयासो से राज्य में योजनाकाल मे कृषिगत उत्पादन मे नई गति प्राप्त की जा सकी है।

अब हम योजनाकाल मे कृषिगत क्षेत्र की प्रगति के विभिन्न पहलुओ पर प्रकाश डालते हैं।

(1) राज्य में भूमि का उपयोग—प्रथम योजना में औसत रूप से (पाँच वर्षों का औसत) शुद्ध जोता-बोया क्षेत्र (net area sown) 106.2 लाख हैक्टेयर रहा था, जो 2001-02 में 167.7 लाख हैक्टेयर हो गया । इस अवधि मे यह कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 31% से बढ़कर 48.9% हो गया ।[1]

इस प्रकार राज्य में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल के अनुपात में काफी वृद्धि हुई है । उपर्युक्त अवधि में सकल कृषित क्षेत्रफल 113.2 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 208 लाख हैक्टेयर हो गया था । **इस प्रकार एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में 7 लाख हैक्टेयर से 40.3 लाख हैक्टेयर तक वृद्धि हुई है** । अत: उपर्युक्त अवधि में फसल-गहनता (cropping intensity) 1.066 से बढ़कर 1 240 हो गई है । भविष्य में एक से अधिक बार कृषित क्षेत्रफल को बढ़ाकर फसल-गहनता बढ़ाई जा सकती है और वस्तुत: बढ़ाई जानी चाहिए ।

2001-02 में एक से अधिक बार जोता-बोया गया क्षेत्र 40.3 लाख हैक्टेयर रहा, जबकि 2000-01 में यह 33.7 लाख हैक्टेयर रहा था । सिंचाई के साधनों का विकास करके इसमें वृद्धि करना सम्भव हो सकता है । आँकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि 1973-74 के बाद सकल कृषित क्षेत्रफल में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई । **यह 1973-74 में 178.8 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 2001-02 मे 208.0 लाख हैक्टेयर पर ही आ पाया है,*** **जिससे 28 वर्षों में इसमें 29.2 लाख हैक्टेयर की ही वृद्धि हुई है,** जो कम है । इसलिए भविष्य में सिंचाई के साधनों का विकास करके सकल कृषित क्षेत्रफल को बढ़ाने का प्रयास करना होगा ।

(2) सिंचाई का विकास—राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र-फल 1951-52 में 10 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 1970-71 में 21.4 लाख हैक्टेयर, 1980-81 में 29.8 लाख हैक्टेयर तथा 2001-02 मे 54 2 लाख हैक्टेयर हो गया (1951-52 की तुलना मे 5.4 गुना) । इसी अवधि में कुल सिंचित क्षेत्रफल 11.7 लाख हैक्टेयर से बढ़कर लगभग 67.4 लाख हैक्टेयर हो गया (लगभग 5 8 गुना) । कुल सिंचित क्षेत्रफल मे एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल शामिल किया जाता है । दूसरे शब्दों में, इसमे फसलों के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल

---

[1] Growth of Agriculture in Rajasthan (A Graphical Presentation), Directorate of Agriculture, Jaipur, November, 1991, p 6 & Agricultural Statistics of Rajasthan, 2001-02 DES, Jaipur, Jan 2004, p 5

* Agriculture Statistics of Rajasthan 1973-74 to 2001-02, DES, October, 2003, p Table 1

का योग निकाला जाता है । राज्य में प्रथम योजना के प्रारम्भ में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल शुद्ध कृषित क्षेत्रफल का 10.8% हुआ करता था जो 2001-02 में 32.3% हो गया । 2001-02 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल लगभग 54.2 लाख हैक्टेयर था, जबकि शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 167.7 लाख हैक्टेयर था ।

फसलों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्रफल[1]—राज्य में गेहूँ, जौ, चना, कपास, मक्का व सरसों आदि फसलों को सिंचाई की अधिक सुविधा मिली हुई है । द्वितीय योजना में औसत रूप से 17 लाख हैक्टेयर भूमि में विभिन्न फसलों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई थी, जो बढ़कर 2001-02 में 67.4 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गई । **2001-02 में राज्य में कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 34% गेहूँ के अन्तर्गत पाया गया था (कुल सिंचित क्षेत्रफल *67.4 लाख हैक्टेयर* जिसमें से गेहूँ के *अन्तर्गत 22.6 लाख हैक्टेयर* सिंचि क्षेत्रफल) । योजना-काल में सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप राई व सरसों के सिंचि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है । छठी योजनाकाल में राई व सरसों में सिंचित क्षेत्रफल केवल 4.25 लाख हैक्टेयर (कुल सिंचित क्षेत्रफल का 11% था) जो 2001-02 में 15. लाख हैक्टेयर (कुल सिंचित क्षेत्रफल का 22.3% हो गया** । राज्य में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने में इससे काफी मदद मिली है ।

राज्य में सिंचाई के विकास के सम्बन्ध में अन्य उल्लेखनीय तथ्य निम्नांकित हैं-

(i) योजनाकाल में तालाबो व नहरो के विकास पर काफी धनराशि व्यय करने के बाद भी 2001-02 में इनके द्वारा सकल सिंचित क्षेत्रफल क्रमश: 109 हजार हैक्टेयर व 21. लाख हैक्टेयर रहा, जबकि कुओ, नलकूपों व अन्य स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल 44.5 लाख हैक्टेयर रहा । **इस प्रकार आज भी राज्य में कुओं की सिंचाई (नलकूपों सहित का स्थान ऊँचा (लगभग 66% या 2/3) है** । जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 2001-02 मे कुल सिंचित क्षेत्रफल 67 4 लाख हैक्टेयर रहा है ।

(ii) पॉचवी व छठी योजनाओ की अवधि मे भू-जल का तेजी से विकास किया गया है। फिर भी इसके विकास के लिए सतह जल (surface water) की तुलना में सार्वजनिक विनियोग की कमी रही है।

(iii) सतह-जल के विकास मे किए गए विनियोगो से पूरे लाभ नहीं प्राप्त कि जा सके हैं, अथवा काफी विलम्ब के बाद लाभ मिलने शुरू हुए हैं- जैसे सोम-कमला-अम्बा बाँध (डूँगरपुर जिला) की प्रारम्भिक लागत का अनुमान 2 करोड़ रुपये लगाया गया था, जिस पर 90 करोड रुपये से अधिक की राशि व्यय करने के बाद सिंचाई के लाभ काफी विलम्ब से (1992-93 से) मिलना चालू हुआ।

(iv) सिचाई की विभिन्न परियोजनाएँ प्रारम्भ कर दी गईं, लेकिन उनके लि अपर्याप्त धनराशि का आवटन किए जाने से आगे चलकर उनकी लागतें काफी बढ गई **वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई के सृजन की लागत प्रथम योजना में 2644 रुपये प्रति हैक्टेयर से बढकर सातवीं योजना मे 28255 रुपये प्रति हैक्टेयर (10 गुने**

1. Agricultural Statistics of Rajasthan, 2001-02, January 2004, Various tables.

से अधिक) हो गई। अत भविष्य मे नई परियोजनाएँ काफी सोच–विचार कर प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा वे कम लागत वाली होनी चाहिए एव उनके लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था भी होनी चाहिए।

(v) विभिन्न जिलों में सिंचाई व जल-विकास पर किए गए विनियोगों में काफी अन्तर रहा है जिससे कृषिगत विकास में जिलेवार असमानता बढ़ी है । 2001-02 में एक तरफ गंगानगर जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सकल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 82.5% अंश रहा कोटा व बूँदी जिलों में भी यह क्रमश: 57% व 58.8% रहा, अलवर जिले में 58.7%, भरतपुर जिले में 52 7% रहा, लेकिन बाड़मेर व जोधपुर जिलों में यह क्रमश: 9% व 14% ही रहा तथा जैसलमेर व चूरू जिलों में (क्रमश: 20% व 4.7%) रहा । इस प्रकार राज्य के जिलों में सिंचित क्षेत्रफल के अनुपात में काफी अन्तर पाया जाता है ।[1]

(3) राज्य में फसलों के प्रारूप में परिवर्तन (Changes in Cropping Pattern)—जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया गया है, राज्य में अनाज व दालों की फसलों के क्षेत्रफल में योजनाकाल में कमी आई है । प्रथम योजनाकाल में (औसत रूप से) अनाजों (cereals) के अन्तर्गत क्षेत्रफल 56% पाया गया था जो 2001-02 में घटकर 45% पर आ गया तथा दालों में यह 21% से घटकर 16.2% पर आ गया । यह मोटे अनाजों में विशेष रूप से घटा है । **राज्य में तिलहनों के क्षेत्रफल में काफी वृद्धि हुई है** । यह प्रथम योजना में 6% से बढ़कर 2001-02 में 15% तक पहुँच गया । तिलहनों में यह वृद्धि राई व सरसों में विशेष रूप से हुई है । सोयाबीन के अन्तर्गत भी क्षेत्रफल काफी बढ़ाया गया है ।

(4) कृषिगत पैदावार में वृद्धि[2]—

(i) अनाज (cereals) का उत्पादन—1952-53 में अनाज (Cereals) का उत्पादन लगभग 29 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 2001-02 में 125.8 लाख टन हो गया व 2002-03 में इसके 70.5 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है । इस प्रकार

योजनाकाल मे राज्य मे अनाज का उत्पादन काफी बढा है। इसमे मानसून के अनुसार भारी परिवर्तन आते रहते हैं। राज्य के बाडमेर, डूँगरपुर, अजमेर, टोंक, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, चूरु व झुंझुनूं जिलों में प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन घट जाने से उत्तम वर्षों में भी इनमे अनाज की कमी रहती है। इन्हीं जिलो मे जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होने से अनाज की कमी ज्यादा मात्रा मे पाई जाती है।

(ii) दालों (Pulses) का उत्पादन—दालें ज्यादातर वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों की सीमान्त भूमियों पर उगाई जाती है । 1952-53 में इनका उत्पादन लगभग 5 लाख टन हुआ था जो 2001-02 में 14.3 लाख टन रहा तथा 2002-03 में 4.8 लाख टन अनुमानित है। दालो के वार्षिक उत्पादन मे भी उतार–चढाव आते रहते हैं। उत्तम मानसून के वर्षों मे दालो के अन्तर्गत क्षेत्रफल काफी बढ जाता है और मिट्टी मे नमी बढ जाने से पैदावार बढ जाती है।

1. Agriculture Statistics of Raj. 2001-02, table, 1 (DES).
2. Economic Review 2003-04, (GOR), pp. 41-42.

(iii) खाद्यान्नों का उत्पादन—अनाज व दालों के उत्पादन को शामिल करने पर खाद्यान्नों का उत्पादन 1952-53 में लगभग 34 लाख टन से बढ़कर 2001-02 में 140 लाख टन हो गया । 2002-03 मे 75.3 लाख टन के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है । पहले बतलाया जा चुका है कि राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन काफी अस्थिर किस्म का पाया जाता है । उत्तम मानसून के वर्षों में यह काफी ऊँचा हो जाता है और घटिया मानसून के वर्षों में यह काफी नीचे आ जाता है । सिंचित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है । इसी वजह से गेहूँ के उत्पादन में विशेष प्रगति हुई है । यह 1973-74 में 17.9 लाख टन से बढ़कर 2002-03 में 48.8 लाख टन हो गया । 2003-2004 मे 61.8 लाख टन के उत्पादन की आशा है । वर्षा पर आश्रित क्षेत्रो में मोटे अनाजों का उत्पादन जैसे—ज्वार, मक्का व बाजरे का उत्पादन काफी घटता-बढ़ता रहता है । 2002-03 में बाजरे का उत्पादन मात्र 7.2 लाख टन हुआ था जिसके 2003-04 में 66 5 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि बाजरे के वार्षिक उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं ।

(iv) कपास का उत्पादन—राज्य में कपास की खेती लगभग 5 लाख हैक्टेयर में की जाती है । इसके 90% क्षेत्र में सिंचाई की जाती है । यह ज्यादातर गंगानगर जिले में उगाई जाती है । कपास का 80% क्षेत्र इसी जिले मे पाया जाता है । कपास का उत्पादन 1952-53 मे 1 03 लाख गाँठे रहा था जो 2001-02 मे 2 8 लाख गाँठें हो गया । 2002-03 में यह 2 5 लाख गाँठें रहा तथा 2003-04 के लिए सम्भावित उत्पादन 5.3 लाख गाँठे आंका गया है ।

(v) तिलहन का उत्पादन— राजस्थान तिलहन के उत्पादन मे एक अग्रगामी राज्य के रूप मे उभरा है। देश के कुल तिलहन उत्पादन का 12% राजस्थान मे होने लगा है। राई व सरसो के उत्पादन मे इसका लगभग 1/3 अश हो गया है, जो देश मे प्रथम स्थान पर आ गया है।

1952-53 में तिलहन का उत्पादन केवल 1.34 लाख टन ही हो पाया था जो बढ़कर 2001-02 मे 31.3 लाख टन पर पहुँच गया । 2002-03 मे इसका उत्पादन 17.6 लाख टन व 2003-04 मे 39 4 लाख टन आँका गया है ।

पिछले कुछ वर्षों में तिलहन के उत्पादन की यह वृद्धि काफी तेज रही है । विशेष वृद्धि सरसों व सोयाबीन के उत्पादन में प्रगट हुई है । सोयाबीन की खेती कोटा, बूँदी, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ जिलो मे की जाती है । इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल 1983-84 मे केवल 23 हजार हैक्टेयर था, जो 2001-02 में 6.56 लाख हैक्टेयर हो गया । यह एक गैर-परम्परागत व नई फसल है । भविष्य में इसका क्षेत्रफल और बढ़ने की सम्भावना है ।

(vi) गन्ने का उत्पादन—राज्य मे गन्ने का उत्पादन 1952-53 में 4.1 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 2001-02 में 4.3 लाख टन हो गया । 2002-03 में इसके 4.2 लाख टन रहने की सम्भावना है । इस प्रकार राज्य में गन्ने के उत्पादन में भी भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन 1983-84 में 14.8 लाख टन हुआ था । इस प्रकार बाद के वर्षों में इसके उत्पदान में गिरावट आई है ।

राज्य में गन्ने का क्षेत्र 1977-78 में लगभग 61 हजार हैक्टेयर था, जो घटकर 2001-02 में 9 हजार हैक्टेयर पर आ गया है । यह एक चिन्ता का विषय है । **राजस्थान में धनिये का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 40% होता है ।** इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ा है । यह ज्यादातर कोटा व झालावाड़ जिलों में पैदा होता है । राज्य की अन्य व्यापारिक फसलों में ईसबगोल, जीरे, लाल मिर्च, मेंहदी, ग्वार आदि का स्थान आता है । ये नकद फसलें हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

राज्य मे माल्टा/कीनू, अनार, बेर आदि फलो का उत्पादन भी किया जाता है। फलो के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

निम्नाकित तालिका से पता चलता है कि राजस्थन मे उर्वरको का उपयोग द्वितीय योजनाकाल मे औसत रूप से 1 3 हजार टन था जो सातवीं योजना की अवधि मे बढकर 2 55 लाख टन हो गया। उसके बाद मे भी उर्वरको की खपत तेजी से बढती जा रही है। प्रति हैक्टेयर उर्वरको का उपयोग द्वितीय योजना मे लगभग 0 1 किलोग्राम (1/10 किलोग्राम) से बढकर सातवीं योजना मे 15 किलोग्राम तक हो गया। 2000-01 मे प्रति हैक्टेयर उर्वरको की खपत लगभग 29 8 किलोग्राम रही।

राजस्थान मे कृषिगत इन्पुटों के उपयोग मे वृद्धि तथा
1966-67 से हरित क्रान्ति का प्रभाव[1]

(i) उर्वरकों का उपयोग- राज्य मे उर्वरको के उपयोग मे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है–

अवधि (वार्षिक)	उर्वरको की खपत (हजार टन मे)	प्रति हैक्टेयर खपत (किलोग्राम में)
द्वितीय योजना (1956-61)	1 3	0 1
पाचवी योजना (1974-79)	96 4	5 7
1979-80	147 2	9 0
छठी योजना (1980-85)	171 0	9 4
सातवी योजना (1985-90)	254 8	15 0
1990-91	372 3	19 1
1991-92	441 0	24 4
1992-93	490 5	24 3
1993-94	502 4	26 1
1994-95	602	29 5
1995-96	642 6	33 1
1996-97	701 2	33 8
1997-98	787 6	35 3
1999-2000	817	39 5
2000-2001	664	29 8

(Tata SOI, 2002-03, p 140)

1. Draft Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Vol. 1. p 7.6 and Economic Review 2003-04, table 10

2001-02 में उर्वरकों का वितरण लगभग 7.9 लाख टन हुआ तथा 2002-03 में यह 5.5 लाख टन रहा है । इसके अलावा राज्य में जैविक खाद के उपयोग को भी बढ़ाया गया है । इसमें शहरी खाद व ग्रामीण खाद शामिल होती है ।

(ii) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का तथा अन्य सुधरे हुए बीजों का वितरण-

औसत वार्षिक	खरीफ व रबी को मिलाकर (वितरण)	
	अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज (HYV) (हजार क्विंटल मे)*	अन्य सुधरी किस्मों के बीज (हजार क्विंटल में)
द्वितीय योजना (1956-61)	–	–
तृतीय योजना	–	–
1968-69	25 1	–
चतुर्थ योजना (1969-74)	26 8	–
पचम योजना (1974-79)	48 1	8 1
छठी योजना (1980-85)	126 0	30 1
1990-91	152 7	66 9
1991-92	143 9	66.5
1992-93	148 0	72 6
1993-94	181 3	84 5
1994-95	199 2	97.6
1995-96	223 0	121.3
1996-97	264 8	137 4
1997-98	274 5	153.9
1998-99	277 7	146 2
1999-2000	374 3	168 2
2000-2001	328.1	161 9

योजनाकाल में 1966-67 से हरित क्रान्ति या कृषिगत विकास की नई व्यूहरचना के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों व अन्य किस्म के बीजों का उपयोग बढ़ाया गया है । इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है । 2001-02 में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की खपत लगभग 3.45 लाख क्विंटल व अन्य सुधरी किस्मों के बीजों की खपत 1.72 लाख क्विंटल हो गई थी । 2002-03 में इनकी खपत क्रमश: 3.32 लाख टन व 1.59 लाख टन रही है ।

* धान, ज्वार, बाजरा, मक्का व गेहूँ सहित,

स्रोत: Agriculture Statistics of Rajasthan, 25 years, DES p 65 & Economic Review 2003-04, p 43

***(iii)* पौध-संरक्षण रसायनों की खपत में वृद्धि**—राज्य में तकनीकी ग्रेड के रसायनों की खपत बढ़ाई गई है ताकि विभिन्न फसलों, सब्जियों व फलों को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाया जा सके। द्वितीय योजना में इनकी वार्षिक खपत 129 टन, तृतीय योजना में 229 टन तथा छठी योजना में 2004 टन रही। नवीं योजना में इनकी खपत का स्तर 3000 टन प्रति वर्ष रहा है।

***(iv)* अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) के अन्तर्गत क्षेत्र**[1]—1966 में हरित क्रान्ति की शुरुआत के बाद राजस्थान में भी अधिक उपज देने वाली फसलों के उपयोग में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1966-69 की अवधि में ज्वार, बाजरा, मक्का, धान व गेहूँ के कुल कृषित क्षेत्रफल के केवल 2% भाग पर इन फसलों की उन्नत किस्मों की बुआई की गई थी। बाद में हुई प्रगति निम्न तालिका में दर्शाई गई है। अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) के अन्तर्गत उपर्युक्त पाँच फसलों में कुल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत इस प्रकार रहा—

पाँच फसलों में कुल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत अंश

चतुर्थ योजना	88
पंचम योजना	170
छठी योजना	283
सातवीं योजना	319

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में भी अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का, धान व गेहूँ का क्षेत्रफल बढ़ा है, जो सातवीं योजना में इन फसलों के कुल क्षेत्रफल का 32% तक हो गया था। इससे उनके उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

इनमें गेहूँ रबी की फसल है और शेष चार खरीफ की फसलें हैं।

राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूँ के मिनिकिट वितरित किए गए हैं। अकाल व सूखे से ग्रस्त लघु व सीमान्त किसानों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से अकाल सहायता कार्यक्रम के तहत उनको बीज व उर्वरकों के मिनिकिट्स निःशुल्क बाँटे गए हैं। बीज मिनिकिट्स बाँटने में राजफेड ने सहयोग दिया है। उर्वरक मिनिकिट्स में यूरिया के 25-25 किलोग्राम के मिनिकिट्स बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों के खेतों पर मक्का, बाजरा व ज्वार के सघन प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। इनसे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है।

राज्य में कृषिगत उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न कार्यक्रम

(1) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (National Pulses Development Project) (NPDP)—राजस्थान में रबी की दलहन फसलों में चना, मसूर व मटर आते हैं

1 राजस्थान में कृषि विकास प्रगति : 1990-91, कृषि विभाग, जयपुर, पृ. 19.

तथा खरीफ में मोठ, उड़द, मूँग, चंवला व अरहर मुख्य हैं। मोठ कुल दलहनी क्षेत्र के 40% क्षेत्र में बोया जाता है। यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हो सकता है। दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1974-75 से एक केन्द्र-चालित दलहन विकास योजना कार्यशील थी, जिसे 1986-87 से राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना में शामिल कर लिया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने 12 जिले चने के विकास के लिए, 8 जिले मूँग के लिए तथा 3 जिले उड़द के लिए चुने थे। राज्य ने 6 जिले चने के लिए, 2 मूँग के लिए, 4 उड़द के लिए तथा 8 मोठ के लिए चुने थे। इस प्रकार राज्य सरकार ने विभिन्न दालों के विकास के लिए 20 जिले चुने थे।

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को सब्सिडी देकर दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जैसे मिनिकिट वितरण, ब्लॉक-प्रदर्शन, प्रशिक्षण, पौध-संरक्षण, उपचार (दवाइयाँ), प्रमाणित बीज वितरण, पौध-संरक्षण यंत्र आदि के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिसमें ज्यादातर केन्द्र का अंश 75% व राज्य का 25% है। आशा है इस कार्यक्रम से खरीफ व रबी की दालों का उत्पादन बढ़ेगा।

(2) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (National Oilseeds Development Project) (NODP)—राज्य में खरीफ के तिलहनों में तिल, मूंगफली, सोयाबीन व अरण्डी का स्थान है, तथा रबी के तिलहनों में राई-सरसों, तारामीरा व अलसी का स्थान है। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1984-85 व 1985-86 में केन्द्र-चालित योजना में केन्द्र का अंश शत-प्रतिशत था तथा 1986-87 से केन्द्र व राज्य का 50 · 50 अंश रहा था।

1987-88 में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम 'तिलहन-उत्पादन-थ्रस्ट-कार्यक्रम' (Oil-seeds Production Thrust Programme) (OPTP) चालू किया गया, जिसमें केन्द्र का अंश शत-प्रतिशत रखा गया। ये दोनों योजनाएँ 1989-90 तक लागू रहीं। इसके बाद 1990-91 से दोनों को मिलाकर एक तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (Oilseeds Production Programme) (OPP) लागू किया गया जिसका 75% व्यय केन्द्र द्वारा तथा 25% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काश्तकारों को मिनि- किट्स, वृहद् प्रदर्शन, उन्नत कृषि यंत्र, पौध संरक्षण यंत्र व दवाइयों तथा जिप्सम के उपयोग पर सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए सरकार ने 24 जिले चुने हैं तथा राज्य सरकार ने 2 जिले—डूँगरपुर व चूरू चुने हैं। **राज्य में कोटा, बूँदी, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ जिलों में सोयाबीन की खेती को काफी लोकप्रिय बनाया गया है, जिससे इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल व उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है।**

इसी प्रकार सरसों का उत्पादन भी बढ़ाया गया है। इसके लिए समय पर बुवाई, पौध-संरक्षण, जीवाणु खाद (organic manures) का उपयोग आदि पर बल दिया गया है। सरसों, मूँगफली व सोयाबीन की फसलों में बुवाई से पूर्व जिप्सम का 250 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से उपयोग करने पर उत्पादन बढ़ा है। इसके लिए सरकार सब्सिडी (अनुदान) देती है। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को स्प्रिंक्लर सैट अनुदान

पर उपलब्ध किए जा रहे हैं। इनसे पानी की किफायत होती है और अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। सरसों की फसल में चेपा लगने पर वह घुल जाता है, जिससे उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव आता है।

तिलहन का उत्पादन वृहत् प्रदर्शन व मिनिकिट वितरण के कारण भी बढ़ा है।

(3) विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना (Special Food Production Programme) (SFPP)—देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना आयोग ने सातवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम अपनाया था, जिसके अन्तर्गत 14 राज्यों के 169 जिलों में गेहूँ, चना, मक्का, चावल व अरहर का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए। 1988-89 व 1989-90 में इस कार्यक्रम का शत-प्रतिशत व्यय भारत सरकार के द्वारा किया गया था।

राजस्थान में यह कार्यक्रम शुरू में 14 जिलों में गेहूँ, चना व मक्का की फसलों पर लागू किया गया। यह कार्यक्रम 1990-91 के लिए भी जारी रखा गया और इस बार इसमें बाजरा भी शामिल किया गया। 1990-91 में इस कार्यक्रम में गेहूँ के लिए 14 जिले, चने के लिए 8 जिले, मक्का के लिए 7 जिले तथा बाजरा के लिए 8 जिले चुने गए थे।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की इन्पुटों (जैसे प्रमाणित बीज, पौध-संरक्षण दवाइयों व यंत्रों तथा सुधरे हुए व फार्म यंत्रों), प्रदर्शनों आदि के लिए अनुदान दिए जाते हैं ताकि इसमें शामिल फसलों की पैदावार बढ़ सके। इस कार्यक्रम पर अधिक धनराशि व्यय की गई है। सामान्यतया विभिन्न फसलों के लिए जो धनराशि व्यय हेतु निश्चित की गई थी, उससे कम राशि ही व्यय हो पाई है। फिर भी इस कार्यक्रम की सहायता से गेहूँ, चना, मक्का व बाजरे का उत्पादन चुने हुए जिलों में बढ़ाने में मदद मिली है।

राज्य में प्रमुख फसलों में उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ (भारतीय संदर्भ में)[1]

राजस्थान में विभिन्न फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार में वृद्धि हुई है जिसे समस्त भारत की तुलना में निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

(प्रति हैक्टेयर किलोग्राम में)

फसल	राजस्थान		भारत	
	1970-71	2001-02	1970-71	2001-02
1. गेहूँ	1320	2793	1307	2761
2. राई व सरसों	972	1084	594	1001
3. कपास (लिंट)	184	281	106	186
4. गन्ना (टन प्रति हैक्टेयर)	32.8	47.7	48	67

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में प्रति हैक्टेयर उपज 1970-71 से 2001-02 की अवधि में गेहूँ, राई व सरसों, कपास व गन्ने सभी में बढ़ी है।

1. Economic Survey 2003-04, p S 18 (for India) and Agricultural Statistics of Rajasthan 2001-02, pp 66-68, table 9

है । 2001-2002 में राजस्थान में प्रति हैक्टेयर उपज की तुलना समस्त भारत से करने पर पता चलता है कि यह गन्ने में काफी नीची है । लेकिन 2001-2002 में राजस्थान में कपास में उत्पादकता का स्तर भारत से ऊँचा पाया गया है । गेहूँ में राजस्थान का स्तर समस्त भारत के उत्पादकता के स्तरों के लगभग समान रहा है । 2001-2002 में राजस्थान में गेहूँ का उत्पादन लगभग 28 क्विंटल प्रति हैक्टेयर रहा, जबकि भारत में यह 27.6 क्विंटल रहा था ।

राजस्थान में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के सूचनांक— राज्य में कृषिगत विकास के अध्ययन में फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के सूचनांकों का भी प्रयोग करना उचित होगा । आजकल आधार वर्ष 1979-80 से 1981-82 = 100 मानकर विभिन्न वर्षों के लिए फसलवार सूचनांक तैयार किए जाते हैं, जो आगे की तालिका में दर्शाए गए हैं ।

तालिका के निष्कर्ष

(1) 1973-74 से 2001-02 की 29 वर्षों की अवधि में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल काफी घटा है, लेकिन तिलहन के क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्धि हुई है । सभी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का सूचनांक 1973-74 में 109.7 से बढ़कर 2001-02 में 112.1 हो गया है । अत: इसमें वृद्धि हुई है ।

(2) गन्ने के उत्पादन का सूचनांक 1973-74 मे 155.3 से घटकर 2001-02 में 34.5 पर आ गया । तिलहन के उत्पादन का सूचनांक 1973-74 में 76.1 से बढ़कर 2001-02 में 555.3 पर आ गया था । इस प्रकार इन वर्षों में तिलहन के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । अनाज, दालों व खाद्यान्न-फसलों के उत्पादन-सूचनांकों में वृद्धि हुई है ।

(3) 1973-74 से 2001-02 की अवधि में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का सूचनांक बढ़ता गया । इसी अवधि में सभी फसलों के लिए यह 98.6 से बढ़कर 192.6 पर पहुँच गया ।

चूँकि राज्य में मानसून के फलस्वरूप क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रति वर्ष काफी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए आँकड़ों की तुलना करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

इस प्रकार राजस्थान के कृषिगत विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि यहाँ मानसून के फलस्वरूप कृषिगत उत्पादन काफी अस्थिर रहता है, लेकिन पिछले वर्षों में विशेष कार्यक्रम अपनाकर अनाजों, दालों व तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं ।फिर भी राज्य में सिंचाई का अभाव पाया जाता है तथा राज्य में उर्वरकों की खपत भी अपेक्षाकृत कम होती है । फार्म-यंत्रों में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है तथा जल-साधनों के सदुपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । राज्य में क्षारयुक्त मिट्टियों की समस्या उग्र रूप धारण करती जा रही है तथा कृषिगत उत्पादन, फलों के उत्पादन, वानिकी, चरागाह व पशु-पालन के विकास में अधिक समन्वय व तालमेल बैठाने की जरूरत है । राज्य सरकार कृषिगत विकास के लिए कई उपाय कर रही है ताकि उत्पादन बढ़ सके ।

सूचनांक : क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता (1979-80 से 1981-82 का औसत = 100)।

	फसलें	क्षेत्रफल			उत्पादन			उत्पादकता		
		1973-74	1990-91	2001-02	1973-74	1990-91	2001-02	1973-74	1990-91	2001-02
1.	अनाज	112.1	99.1	103.7	100.9	177.9	244.7	98 2	185.3	223 6
2.	दालें	108 6	110.9	101.1	105 8	146.1	121 5	142.7	125.1	150 8
3	खाद्यान्न फसलें (Foodgrain Crops)	111 2	102.3	103 0	102 0	168.4	208.0	91 6	166.2	207.9
4	तिलहन	103 9	246 0	207.7	76 1	507 0	555 3	83 7	157.9	192.4
5.	कपास	80 2	120 8	135 6	69 4	212 3	64.9	86 6	175 7	47.9
6.	गन्ना	120 1	68 2	27 1	155 3	96 0	34 5	126 9	140 8	127.4
7.	सभी फसलों (All Crops)	109 7	114 4	112.1	100 0	211.4	244.7	98 6	165 1	192 6

[स्रोत : Agricultural Statistics of Rajasthan 1973-74 to 2001-02, October 2003, DES, Various tables, pp 102-119

राजस्थान में कृषिगत उत्पादन का विस्तार करने के लिए जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू व जैसलमेर में **तुम्बा** की खेती, श्रीगंगानगर, बीकानेर, झालावाड़ व बांसवाड़ा में **सूरज-मुखी** की खेती, उदयपुर व डूँगरपुर में **कुसुम** (Safflower) की खेती तथा पाली, जालौर, अजमेर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमन्द, सीकर व हनुमानगढ़ में अरण्डी (Castor seed) की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है । सोयाबीन की खेती को सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक, बाँसवाड़ा व भीलवाड़ा जिलों में तथा बूँदी, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में राजमा की खेती एवं उदयपुर तथा कोटा सम्भागों में काबुली चने की खेती को भी प्रोत्साहित किया गया है । **नवीं योजना में होहोबा (Hohoba) की खेती को लोकप्रिय बनाया जाएगा । इसका तेल हवाई जहाजों, दवाइयों व सौंदर्य-प्रसाधनों, आदि में काम आता है ।**

पिछले वर्षों में कृषिगत विकास के कार्यक्रम व दिशाएँ

1994-95 में कृषिगत विकास की दिशाएँ—कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत 1994-95 वर्ष के लिए 87.26 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था । इसमें निम्न कार्यक्रमों पर जोर दिया गया था—*क्षारीय व लवणीय भूमि में सुधार, जल का समुचित उपयोग,* चारा विकास कार्यक्रम, उन्नत बीजों आदि की तकनीक के बारे में प्रचार-प्रसार, श्रव्य-दृश्य साधनों का उपयोग, कम्प्यूटर उपयोग, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, फल-विकास, भूजल-विभाग, पशुपालन, महिला किसान प्रशिक्षण, आदि । जलग्रहण विकास (Watershed Development) के लिए समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना व राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम पर धनराशि बढ़ाई गई थी । केन्द्र-प्रवर्तित-योजनाओं के अन्तर्गत 1994-95 के लिए धनराशि में काफी वृद्धि की गई तथा उसमें 25 करोड़ रु. उर्वरक अनुदान के शामिल किए गए थे ।

1995-96 के लिए कृषिगत विकास के कार्य- क्रम—27 मार्च, 1995 को मुख्य-मंत्री ने अपने बजट-भाषण में कृषिगत विकास के लिए निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे—

(1) 1995-96 में **20 हजार फव्वारा** लगाने के लिए किसानों को 10 करोड़ रु. की सहायता देने का लक्ष्य रखा गया । कुओं से सिंचाई में होने वाली पानी की छीजत को कम करने के लिए पाइप लाइनें बिछाने हेतु दो करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था ।

(2) 1994-95 में **इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में पानी के कुशल उपयोग** के लिए डिग्गी निर्माण व पम्प सेट एवं फव्वारा सिंचाई के लिए सहायता की योजना चालू की गई । 1995-96 में इस योजना को गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में भाखड़ा गंगनहर क्षेत्र में लागू करने का लक्ष्य रखा गया । इसके लिए अनुदान की व्यवस्था की गई ।

(3) **फल विकास** की एक विशेष योजना के अन्तर्गत 15 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान राशि निर्धारित की गई ।

(4) 1995-96 में सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर 286.50 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान किया गया जो पिछले वर्ष से लगभग 52 करोड़ रु. अधिक था ।

(5) सरकार ने इन्दिरा गाँधी सिंचित विकास परि- योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, पक्के खालों के निर्माण, सड़क व नई डिग्गियों के निर्माण, टिब्बा स्थिरीकरण, आदि पर बल दिया। इसी प्रकार चम्बल परियोजना व माही बजाज सागर परियोजना के अन्तर्गत विकास-कार्य कराने पर जोर दिया गया।

1996-97 में कृषिगत विकास के कार्यक्रम

(1) 1996-97 वर्ष के लिए 20 हजार फव्वारा सैट लगाने, सिंचाई के लिए 25 लाख मीटर पाइप लाइन बिछाने और 50 हजार कुओं के सुधार का लक्ष्य रखा गया। गंग, भाखड़ा व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में 500 डिग्गियों का निर्माण कराने के कार्यक्रम रखे गए।

(2) 40 लाख फलदार पौधों के वितरण का कार्यक्रम रखा गया तथा गोपाल-योजना की तरह 'उद्यान-सखा' योजना लागू की गई।

(3) 1500 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई का लक्ष्य रखा गया। यह 1995-96 के लक्ष्य से तिगुना था। इसके लिए प्रति हैक्टेयर 15 हजार रुपये का अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया। जलग्रहण-विकास व भू-संरक्षण विकास पर 1996-97 में 125 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया, जबकि 1995-96 में यह 90 करोड़ रु. का था।

(4) शीत-गृह, कृषि पैकेजिंग, ग्रेडिंग, आदि में पूँजी लगाने वाली नई इकाइयों को अनुदान देने पर बल दिया गया। यह 20% तथा एक इकाई को अधिकतम 15 लाख रु. तक देने का लक्ष्य रखा गया।

(5) यह कहा गया कि खालों के निर्माण के लिए दिए गए ऋणों का भुगतान किसानों की ओर से सरकार करने का प्रयास करेगी ताकि कृषकों को राहत मिल सके। ये राजस्थान भूमि विकास बैंक के माध्यम से दिए गए थे। भारत सरकार व नाबार्ड ने इनका भुगतान करना स्वीकार नहीं किया।

1997-98 के बजट में कृषिगत विकास के प्रस्तावित कार्यक्रम

(1) 1997-98 में बूँद-बूँद सिंचाई की पद्धति से 1500 हैक्टेयर क्षेत्र तथा फव्वारा-सिंचाई से 50 हजार हैक्टेयर भूमि तथा 21 हजार किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। सिंचाई की पाइप लाइन डालने के लिए किसानों को 40 करोड़ रु. का अनुदान देने का निश्चय किया गया।

(2) 145 'किसान-सखा' प्रशिक्षित करने के लिए 1.5 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया।

(3) प्रामाणिक बीजों के लिए गाँवों में खुदरा बीज-बिक्री-केन्द्र खोलने तथा समस्याग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया।

(4) बारानी क्षेत्रों में जलग्रहण विकास कार्यक्रम पर 1997-98 में 115 करोड़ रु. व्यय करने का लक्ष्य रखा गया।

(5) किन्नू, संतरों व मसालों आदि का निर्यात बढ़ाने पर बल दिया गया।

(6) राज्य भण्डारण निगम की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने का कार्यक्रम रखा गया।

1999-2000 के बजट में कृषिगत विकास की दिशाएँ

(1) वर्ष 1999-2000 मे 2 करोड हैक्टेयर क्षेत्र मे खरीफ व रबी की फसले बोकर 126 लाख टन खाद्यान्न व 36 लाख टन तिलहन का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(2) इन लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए 20 लाख टन रासायनिक उर्वरक व 4 लाख क्विटल प्रमाणित व उन्नत बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रख गया।

(3) कृषि व सम्बद्ध सेवाओ पर 1999-2000 मे 278 करोड़ 34 लाख रु. के व्यय का प्रावधान किया गया।

(4) 20 हजार नये फव्वारा सेट्स लगाने हेतु अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया।

(5) गाँवो मे कचरे का उपयोग करके कम्पोस्ट खाद तैयार करवाने के लिए 'निर्मल ग्राम योजना' प्रारम्भ करने पर बल दिया गया तथा इसके लिए 1 42 करोड रु के व्यय का प्रावधान किया गया।

(6) जल ग्रहण योजनाओं पर 128 करोड रु व्यय करने का प्रस्ताव किया गया।

2000-2001 के बजट में कृषिगत विकास के कार्यक्रम[1]

कृषि-विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए वर्ष 2000-2001 में 129.10 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। जलग्रहण योजनाओं पर 56.65 करोड रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। बूँद-बूँद सिंचाई का कार्यक्रम 1600 हैक्टेयर में लागू किया जाएगा। मसाले व सब्जी की फसलों का नए क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण विकास व पचायती राज–कार्यक्रमो को अधिक सुदृढ किया जाएगा।

'राजीव गाँधी पारम्परिक जल स्रोत संधारण कार्य-क्रम' नामक **योजना सम्पूर्ण राज्य में लागू की जाएगी। पहाडी क्षेत्रों में पिछडी जातियों व अल्पसंख्यक लोगों के विकास हेतु 'मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम' लागू किया जाएगा। इंदिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत मार्च 2000 के अंत तक 12.78 लाख हैक्टेयर में सिंचाई दी जा सकेगी।**

2001-2002 के बजट में कृषिगत विकास के कार्यक्रमः-

कृषि की विभिन्न गतिविधियो के लिए 2001-02 मे 420 करोड 35 लाख रुपयो का प्रावधान किया गया था। 100 करोड रु. की लागत से जलग्रहण विकास व भू–सरक्षण कार्य सम्पन्न करने के लक्ष्य रखे गये थे। खाद्यान्नो के उत्पादन का लक्ष्य 125 लाख टन व तिलहन का 40 लाख टन रखा गया था।

2002-2003 के बजट में कृषि, पशुपालन व वन विकास के कार्यक्रम सुनिश्चित किये गये। कृषिगत विकास के लिए 411 41 करोड रु का तथा पशुपालन के लिए 116 23 करोड रु का व्यय प्रस्तावित किया गया। खाद्यान्नो के उत्पादन का लक्ष्य 127 लाख टन व तिलहन का 40 लाख टन रखा गया। **बूँद-बूँद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि के कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर दिया गया। क्षारीय भूमि सुधार, तिलहन व दलहन उत्पादन के लिए किसानों को 98 हजार टन जिप्सम उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।**

2003-2004 के बजट में कृषिगत विकास पर 408 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य 114 लाख टन व तिलहन का 37 लाख टन रखा गया है। कृषको को प्रमाणित व उन्नत बीज तथा रासायनिक खाद उपलब्ध कराई जायगी। किसानो व खेतिहर मजदूरो के लिए कार्य करते समय या घर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर तथा मृत्यु होने पर क्रमश 15 हजार रु व 30 हजार रु की सहायता देय होगी। जलग्रहण व भू–सग्रहण कार्यक्रमो पर धनराशि व्यय करने तथा बागवानी विकास करने के प्रयास तेज किये जायेगे।

---

1 वित्तमंत्री का बजट भाषण 5 मार्च, 2003, पृ 29-31.

राज्य में कृषिगत विकास के सम्बंध में मुख्य निष्कर्ष— राजस्थान मे कृषिगत विकास के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य से कृषिगत क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है, सिचाई की सुविधाएँ बढ़ी हैं एव कृषिगत विकास की नई व्यूहरचना को लागू किया गया है। राज्य मे उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिचाई, कीटनाशक दवाई, आदि इन्पुटो का उपयोग बढा कर प्रति हैक्टेयर उपज मे वृद्धि की जानी चाहिए। अकाल व सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए भी सिचाई का विस्तार किया जाना चाहिए।

कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ-साथ पशु-धन के विकास पर भी समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान मे पशु–धन विकास के लिए पर्याप्त अवसर व सुविधाएँ विद्यमान हैं। **इस प्रकार राज्य हरित क्रान्ति** (green revolution) के साथ–साथ श्वेत क्रान्ति (white revolution) करने की स्थिति मे भी आ गया है। इस सम्बध मे दूध का उत्पादन व सग्रह बढाने के लिए राज्य मे ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रमो का सचालन किया गया है। **राजस्थान में भारत के कुल दूध-उत्पादन का 10% होता है। 1989-90 में 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था, जिसके बढकर 1996-97 में 54.5 लाख टन होने का अनुमान है।** बरसी मे गौवश–सवर्द्धन का प्रयास जारी है। दूध उत्पादको की सहकारी समितियाँ स्थापित की गई हैं। पशु–चिकित्सा मे सुधार हुआ है। इस विषय पर आगे चलकर एक स्वतत्र अध्याय मे सविस्तार चर्चा की गई है।

तीसरी क्रान्ति नीली क्रान्ति (Blue Revolution) मछली के उत्पादन से सम्बध रखती है। 1995-96 मे 12,400 टन मछली का उत्पादन हुआ था। मछली–सीड–उत्पादन मे वृद्धि जारी है। फिश–सीड–उत्पादन भीमपुरा, चादलाई सिलीसेढ (अलवर), पाचनपुरा व कासिमपुरा मे किया जा रहा है। राणाप्रताप सागर, जयसमद व कडाना बाँध मे यन्त्रीकृत नावें चालू की गई हैं तथा इन्दिरा गॉधी नहर कमाड क्षेत्र मे मछली का उत्पादन बढाया जा सकता है।

भूरी क्रान्ति (Brown Revolution) के अन्तर्गत खाद्य-परिष्करण (फूड-प्रोसेसिंग) का विकास कार्य किया जा रहा है। रीजेन्सी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (शाहजहाँपुर) द्वारा टमाटर की खेती व टमाटर पेस्ट व कन्सन्ट्रेट तैयार करने का कार्यक्रम रखा गया था। इमामी फूड (शाहजहाँपुर) नमकीन खाद्य–पदार्थ, ब्रेक–फास्ट, फूड, आदि के लिए स्थापित किया गया है। इस प्रकार राज्य मे पजाब के पेप्सी कोला की भाति भूरी क्रान्ति का दौर भी प्रारम्भ किया जा रहा है।

भविष्य मे हरित, श्वेत, नीली व भूरी क्रान्तियो कोअधिक कामयाब बनाने की आवश्यकता है। आशा है कि भविष्य मे सिचाई की बढती हुई सुविधाओ के फलस्वरूप राज्य की कृषिगत अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। राज्य मे आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे है। विभिन्न कृषिगत साधनो की सप्लाई बढाकर एव सस्थागत व भूमि–सुधार लागू करके कृषि के क्षेत्र मे समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। राज्य मे घटिया मिट्टी व जल–साधनो की समस्या है। **सूखी खेती की विधियों का प्रयोग करके राज्य में कृषि का विकास किया जाना चाहिए।** विद्वानो का मत है कि राज्य मे कृषिगत अनुसधान पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। दालो, तिलहन आदि का उत्पादन बढाया जाना चाहिए। राज्य के चरागाहो को बढ़ाकर मरुभमि मे पशु–धन का विकास किया जाना चाहिए। जोधपुर मे 'काजरी' (CAZRI) (Central Arid Zone Research Institute) सूखे प्रदेशो की विभिन्न कृषिगत समस्याओ के अध्ययन मे कार्यरत है। **काजरी का पुनर्गठन 1959 में किया गया था। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं- (1) शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों के लिए पेड-पौधों, चरागाह, भूमि की नमी, जल सम्बंधी अध्ययन करना, (2) सतह व भूजल के उपयोग का अध्ययन करना (3) पर्यावरण की प्रकृति का अध्ययन करना (4) प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन**

करना तथा (5) जल के श्रेष्ठ उपयोग की व्यवस्था करना। इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के पूरा हो जाने से जैसलमेर जिले में भी कृषिगत पैदावार तेजी से बढ़ेगी। अत: राज्य में कृषिगत उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषिगत उत्पादन के उतार-चढ़ाव कम किए जा सकते हैं। *सिंचाई की विभिन्न परि-योजनाओं का* विवरण आगे चलकर एक स्वतन्त्र अध्याय में दिया जाएगा।

राज्य सरकार की प्रस्तावित कृषिगत नीति (Proposed Agricultural Strategy) के सम्बन्ध में सुझाव—राजस्थान देश में मसालों व दालों के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ देश के गेहूँ व कपास के कुल उत्पादन का लगभग 10% उत्पन्न किया जाता है और खाद्य-तेल के उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत उत्पादित किया जाता है।

समता के साथ सुस्थिर व टिकाऊ कृषिगत विकास करने के लिए सीमान्त कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, अतिरिक्त श्रम-शक्ति को गैर-कृषि क्षेत्र में ले जाना चाहिए और कृषि का विकास अनुकूल जलवायु के क्षेत्रों में बढ़ाया जाना चाहिए।

राज्य की भावी कृषिगत नीति की अन्य बातें इस प्रकार होनी चाहिए—

(1) वृहद् व मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं के लिए विनियोग पर कृषकों को 50% सब्सिडी दी जानी चाहिए। एक कृषक को 50 हजार रु. तक की सब्सिडी दी जानी चाहिए, ताकि वह फसल-गहनता 200 से 300 प्रतिशत तक प्राप्त कर सके।

(2) जहाँ जल-विकास 100% से अधिक हो चुका है वहाँ नये कुए खोदने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

(3) नई नीति में कुकरमुत्ता (mushroom), शतावरी (asparagus) व फल-सब्जियों के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। यह पर्यटन-उद्योग के विकास के लिए भी जरूरी है।

(4) मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत टिब्बा-स्थिरीकरण पर बल दिया जाना चाहिए ताकि रेगिस्तान का फैलाव रुक सके। मरु क्षेत्रों में वन-विकास का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाना आवश्यक है।

(5) विश्व बैंक की मदद से अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर व जोधपुर जिलों में एकीकृत जलग्रहण-विकास-कार्यक्रम (integrated watershed development programme) संचालित किया जाना चाहिए। इस कार्य को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(6) कृषिगत विकास का जल, मिट्टी, वर्षा व तापक्रम के साथ तालमेल बैठाया जाना चाहिए और पैदावार-मिश्रण (product-mix) उसी के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

(7) फाउन्डेशन बीज के उत्पादन के निजीकरण के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं। तिलहन के बेहतर मूल्य देने से सरसों व राई का उत्पादन काफी बढ़ा है। अत: इन गतिविधियों को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए।

(8) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना ने भाखड़ा प्रणाली के साथ 20 लाख हैक्टेयर से ऊपर क्षेत्र की कायापलट कर दी है तथा दक्षिण-पूर्व प्रदेश में चम्बल प्रणाली से 2.75 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की जा रही है। इन क्षेत्रों में ज्यादा पानी का उपयोग करने वाली

फसलें उत्पन्न की जाती हैं तथा असिंचित क्षेत्रो में कम पानी का उपयोग करने वाली फसले, जैसे बाजरा, मसाले, गुवार, मोठ, आदि उत्पन्न की जाती हैं । राज्य में पश्चिमी प्रदेश में सरकार को पशु-पालन व पशु-विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

2004-05 के बजट में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कृषिगत विकास के लिए निम्न बातों पर बल दिया है—[1] (i) फसल-पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, (ii) कृषि-निर्यात क्षेत्र विकसित किये जाने चाहिएँ; (iii) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वर्तमान में 6 फसलों के अलावा 14 और फसलों पर लागू किया जायगा; (iv) कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रु व दो अंगों की क्षति होने पर 25 हजार रु. की सहायता दी जायगी; (v) कृषकों को 2004-05 में 30% अधिक कर्ज दिया जायगा, (vi) किसान क्रेडिट कार्ड समस्त पात्र किसानो को विभिन्न बैंको द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे; (vii)'नई सदी नया सहकार' योजना के तहत दवा के पौधों, फल-सब्जी व ऑर्गेनिक कृषि को सहकारी समितियों के मार्फत बढ़ावा दिया जायगा ।

आशा है इन नीतियों व कार्यक्रमो को लागू करने से राज्य के कृषको को लाभ होगा एवं राज्य का कृषिगत विकास होगा ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 'सेवण' घास निम्न में से किस जिले मे विस्तृत रूप मे पाई जाती है ?
   (अ) बाड़मेर (ब) बीकानेर (स) जैसलमेर (द) जोधपुर (स)
2. श्वेत क्रान्ति का सम्बन्ध है—
   (अ) खाद्यान्न प्रसंस्करण (ब) ऊन उत्पादन
   (स) दूध उत्पादन (द) बकरी के बालों का उत्पादन (स)
3. राजस्थान में 'भूरी क्रान्ति' का सम्बन्ध है—
   (अ) खाद्यान्न प्रसंस्करण (food processing)
   (ब) भैंस दुग्ध उत्पादन (स) ऊन उत्पादन
   (द) बकरी के बालों का उत्पादन ( )
4. राज्य में सकल कृषित क्षेत्र कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 2001-02 मे कितना अंश हो गया है ?
   (अ) 60.7% (ब) 65.5% (स) 70% (द) 56.1% (अ)
5. राज्य में 2001-02 में एक से अधिक बार जोता-बोया गया क्षेत्र लगभग कितना हो गया ?
   (अ) 50 लाख हैक्टेयर (ब) 40 लाख हैक्टेयर
   (स) 70 लाख हैक्टेयर (द) 60 लाख हैक्टेयर (ब)
6. राजस्थान में वर्तमान मे 2001-02 मे सकल सिंचित क्षेत्रफल छाँटिए—

1. श्रीमती वसुन्धरा राजे का परिवर्तित बजट-भाषण 2004-05, 12 जुलाई, 2004

(अ) 67.4 लाख हैक्टेयर (ब) 61.8 लाख हैक्टेयर
(स) 63.6 लाख हैक्टेयर (द) 58 लाख हैक्टेयर (अ)

7. राज्य में योजनाकाल में (1973-74) से 2003-04 तक) किस फसल की पैदावार (अनुपात में) सबसे ज्यादा बढ़ी है ?
(अ) गेहूँ (ब) सरसों व राई
(स) तिलहन (द) बाजरा (ब)

8. वर्तमान में राज्य में प्रति हैक्टेयर उर्वरकों की खपत है—
(अ) 29.8 किलोग्राम (ब) 25 किलोग्राम
(स) 39 किलोग्राम (द) 20 किलोग्राम (अ)

9. राज्य में कृषिगत विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए ?
(अ) सूखी खेती की पद्धति अपनानी चाहिए,
(ब) मिश्रित खेती अपनानी चाहिए,
(स) फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए,
(द) लघु व सीमान्त किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए ।
(ए) सभी (ए)

अन्य प्रश्न

1. 1956 से अब तक राज्य मे कृषि विकास की विवेचना कीजिए । राज्य में कृषि विकास में राज्य सरकार की क्या भूमिका रही है ?
2. राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे कृषि का योगदान स्पष्ट कीजिए । समझाइए कि राजस्थान हरित क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहा है ।
3. राजस्थान में अपनाई गई कृषि व्यूहरचना की विवेचना करें एवं इसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करे ।
4. योजनाकाल के लगभग पाँच दशकों में राजस्थान में कृषिगत विकास की मुख्य प्रवृत्तियो का विवेचन कीजिए ।
5. राजस्थान मे खाद्यान्नो व तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के विशेष कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए तथा उनका महत्त्व समझाइए ।
6. संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए—
   (i) राजस्थान में सिंचाई का विकास,
   (ii) राजस्थान में खाद्यान्नों के उत्पादन की प्रवृत्ति,
   (iii) राज्य में इन्पुटों के उपयोग में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ,
   (iv) राज्य में तिलहन का उत्पादन ।
7. योजनाकाल में राजस्थान में कृषि विकास की समीक्षा कीजिए ।
8. राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे कृषि का योगदान निर्धारित कीजिये । राज्य में कृषि विकास की समस्याओ का वर्णन कीजिये । **(Raj. I year, 2004)**

भूमि सुधार
(Land Reforms)

भूमि सुधारों का स्थान संस्थागत सुधारों (institutional reforms) के अन्तर्गत आता है। इनके द्वारा भूमि-सम्बन्धों (land relations) में परिवर्तन किया जाता है जिससे भूस्वामी, काश्तकार व सरकार के भूधारण-अधिकारों (land tenurial rights) में परिवर्तन होता है। **भूमि-सुधारों के अन्तर्गत निम्न सुधार शामिल किए जाते हैं—मध्यस्थ-वर्ग या बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारी-सुधार (tenancy reforms) जैसे काश्तकारों के लगान में कमी, भूधारण की सुरक्षा, भूमि का मालिक बनने के अधिकार, चकबंदी, सहकारी कृषि, भूमि पर सीमा-निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण, आदि।** इन कार्यक्रमों को लागू करने के बाद भूमि-व्यवस्था अधिक कार्यकुशल व न्यायसंगत बनती है। इसीलिए यह माना जाता है कि भूमि-सुधारों से उत्पादन बढ़ता है, सामाजिक न्याय व समानता की दिशा में प्रगति होती है एवं निर्धनता-उन्मूलन में सहायता मिलती है। भूमि-सुधारों के बाद कृषि में तकनीकी परिवर्तन की प्रगति तेज हो सकती है तथा इनके अभाव में तकनीकी परिवर्तन भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। अतः कृषिगत विकास में भूमि-सुधारों की भूमिका सर्वोपरि मानी गई है।

राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण प्रणालियाँ

(1) *जागीरदारी प्रथा*—मार्च 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय राज्य के बड़े क्षेत्र में भू-राजस्व की वसूली के अधिकार जागीरदारों को मिले हुए थे। **जागीरदारी प्रथा राज्य के कुल क्षेत्र के लगभग साठ प्रतिशत भाग में फैली हुई थी।** जागीरदार भूमि को जोतने वाले व राज्य के बीच उसी प्रकार से मध्यस्थ होता था, जैसे पार्ट-ए राज्य में जमींदार हुआ करता था। काश्तकार (tenant) के लिए तो जागीरदार भूमि के 'स्वामी' के रूप में आचरण करता था। जागीरदार राज्य को जो भेंट (tribute) देता था, उसका उस लगान (rent) से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता था, जो वह काश्तकारों से वसूल किया करता था।

जागीरदार द्वारा राज्य को किए जाने वाले भुगतान सैकड़ों वर्ष पूर्व जागीरें मिलने के समय जागीर की अनुमानित आमदनी पर आधारित होते थे। लेकिन कालान्तर में जागीरों की वास्तविक आमदनी अनुमानित आमदनी से कई गुना हो गई थी। फिर भी 'भेंट' की राशि जागीर प्राप्त होने के समय निर्धारित राशि जितनी ही बनी रही। अधिकांश जागीर क्षेत्रों में जहाँ बन्दोबस्त नहीं हुआ था, जागीरदार उपज के अंश के रूप में लगान वसूल किया करते थे। यह 1/2 से 1/8 तक पाया गया था। युद्ध के कारण कृषिगत उपज के मूल्यों में काफी वृद्धि हो जाने से काश्तकार ऊँचे लगानों का विरोध करने लगे। वे ऊपर का बड़ा अंश लगान के रूप में भरने को तैयार नहीं थे। जागीर क्षेत्रों के अधिकांश काश्तकारों को भूधारण की सुरक्षा, निर्धारित लगान व उचित लगान, आदि की कोई जानकारी नहीं थी। इनमें से ज्यादातर काश्तकार **'स्वैच्छिक काश्तकार' (Tenants-at-will)** हुआ करते थे जिन्हें भूस्वामी अपनी इच्छा से कभी भी भूमि से बेदखल (eject) कर सकते थे और भूमि के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा, ऊँचे लगान व कृषि में गिरावट की दशाएँ उत्पन्न हो गई थीं।

बहुत वर्ष पूर्व डॉ दूलसिंह ने जागीर क्षेत्रों की कुल लाग-बागों अथवा उपकरों (Cesses) की सूची तैयार की थी। उनमें 29 तरह की लाग-बागों में से चार भूमि व पशु-धन पर आधारित थीं। तीन स्पष्टतः अनिवार्य या जबरन श्रम से सम्बद्ध थीं तथा शेष बाईस *सामाजिक शोषण पर आधारित थी एवं इनमें कई तरह की लाग-बागें शामिल थी,* जैसे 'माताजी की भेंट', 'बाईजी का हाथ खर्च' व ये जन्म से मृत्यु तथा त्यौहार व उत्सव आदि सभी अवसरों से जुड़ी रही हैं जिनमें जागीरदार या स्वयं कृषक भाग लेते रहे हैं।

(2) **जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा**—बिचौलियों की दूसरी प्रथा में जमींदार या बिस्वेदार हुआ करते थे। **यह 4870 गाँवों में फैली हुई थी जिसमें 8 जिले शामिल थे। इनमें मुख्यतः अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर व कोटा जिले थे। जमींदार व बिस्वेदार राज्य को निर्धारित भू-राजस्व देते थे, लेकिन उनको ज्यादातर काश्तकारों से मिलने वाले नकद लगान की राशि निर्धारित नहीं होती थी। वे अपनी इच्छा के मुताबिक लगान लेने को स्वतंत्र थे और इनके काश्तकार भी 'स्वैच्छिक काश्तकार' माने जाते थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था।**

(3) **रैयतवाड़ी प्रथा**—रैयतवाड़ी क्षेत्रों में मुख्य काश्तकार अपनी मर्जी के मुताबिक वस्तु रूप में या नकद लगान लेने को स्वतंत्र था और वह उप-काश्तकार को अपनी इच्छानुसार बेदखल कर सकता था।

राजस्थान में शामिल होने वाले राज्यों में काश्तकारी कानून—राजस्थान में शामिल होने वाले राज्यों में जैसलमेर, शाहपुरा व किशनगढ़ राज्यों को छोड़कर शेष में काश्तकारी कानून हुआ करते थे। लेकिन वे ज्यादातर प्रथाओं पर आधारित होते थे। उस समय काश्तकारों की श्रेणियों व उनके अधिकारों के सम्बन्ध में काफी अन्तर पाए जाते थे। एक ही राज्य में खालसा क्षेत्र में काश्तकारों के अधिकार जागीर क्षेत्रों के काश्तकारों से भिन्न हुआ करते थे। काश्तकारों के हस्तान्तरण के अधिकारों में काफी अन्तर पाए जाते थे। बीकानेर राज्य में नजराना या प्रीमियम चुकाने के बाद भी भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार राज्य सरकार की स्वीकृति पर निर्भर किया करता था।

अधिकांश क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण व बन्दोबस्त नहीं हुए थे तथा भूमि के रिकार्ड नहीं पाए गए थे । इस प्रकार मार्च 1949 में **राजस्थान के निर्माण के समय भूधारण की प्रणालियाँ किसान के शोषण पर आधारित थीं** । मध्यस्थ-वर्ग की विशाल संख्या के कारण काश्तकारों की दशा काफी दयनीय हो गई थी । इन परिस्थितियों में कृषक तथा कृषि का विकास सम्भव नहीं था ।

राजस्थान में भूमि-सुधारों व काश्तकारी विधान की वर्तमान स्थिति की चर्चा करने से पूर्व उन अन्तरिम वैधानिक उपायों का उल्लेख करना उचित होगा जो सरकार ने प्रयुक्त किए थे ।

अन्तरिम वैधानिक उपाय (Interim Legislative Measures)

(1) काश्तकारों की सुरक्षा का अध्यादेश, 1949 (The Protection of Tenants Ordinance, 1949)—काश्तकारों की बेदखली से रक्षा करने के लिए 1949 में एक अध्यादेश जारी किया गया था । सम्पूर्ण राजस्थान में काश्तकारों ने इस अध्यादेश का लाभ उठाया और इससे बेदखली से सुरक्षा प्राप्त हुई । बाद में इसकी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में शामिल कर ली गई ।

(2) उपज-लगान-नियमन-अधिनियम, 1951 (The Produce Rents Regulating Act, 1951)—इसके अनुसार अधिकतम लगान सकल उपज का $\frac{1}{3}$ अंश निर्धारित किया गया था । इसमें बाद में संशोधन भी किए गए थे । अन्त में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने पर इसकी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ उसमें शामिल कर ली गई।

(3) कृषिगत लगान नियंत्रण अधिनियम, 1952 (The Agricultural Rents Control Act, 1952)—इस अधिनियम के अनुसार एक जोत पर अधिकतम लगान की मात्रा भू-राजस्व के दुगुने तक निर्धारित कर दी गई । इसमें उपज-लगानों (Produce-rents) को नकद-लगानों (Cash Rents) में परिवर्तित करने की भी व्यवस्था की गई थी । बाद में इसका स्थान 1954 के अधिनियम ने ले लिया था । साथ में इसकी मुख्य धाराओं को भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में शामिल कर लिया गया था ।

इस प्रकार प्रारम्भिक वर्षों में अन्तरिम वैधानिक उपायों के द्वारा काश्तकारों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया था । लेकिन जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों का उन्मूलन करने की आवश्यकता बराबर बनी रही ।

अब हम जागीरदारी प्रथा व अन्य मध्यस्थ भूधारण-प्रणालियों के उन्मूलन का विवेचन करेंगे—

(1) जागीरदारी प्रथा का अन्त—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, **राजस्थान बनने के समय राज्य के 60 प्रतिशत भाग पर जागीर-प्रथा कायम थी जो लगभग 17 हजार गाँवों में फैली हुई थी । यह जोधपुर राज्य के 82% क्षेत्र और जयपुर राज्य के 65%**

क्षेत्र में फैली हुई थी ।[1] जागीरदार एक मध्यस्थ होता था जो काश्तकार से कुल उपज का एक बड़ा भाग लेता था और 'बेगार' व 'लाग-बाग' ऊपर से लिया करता था । जागीर क्षेत्रों में बेदखली का बोलबाला था । **जागीरदार भूमि का क्रय-विक्रय तो नहीं कर सकते थे, लेकिन दीवानी और फौजदारी अधिकारों व अपने राजनीतिक प्रभाव व प्रभुत्व के कारण वे प्रजा पर काफी अत्याचार किया करते थे ।** उनके द्वारा ली जाने वाली कई प्रकार की लाग-बागों का संकेत अध्याय के प्रारम्भ में दिया जा चुका है ।

राज्य विधानसभा ने राजस्थान भूमि-सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 (The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952) **पास कर दिया था ।** सर्वप्रथम, जून 1954 में सीकर व खेतड़ी की सबसे बड़ी जागीरों का पुनर्ग्रहण किया गया । कुछ छोटे जागीरदारों ने 'स्टे आर्डर' लाकर लगभग दो वर्ष तक इसे लागू होने से रोक दिया । तत्पश्चात् स्वर्गीय श्री नेहरू और स्वर्गीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त के प्रयत्नों से फैसला किया गया और जागीरदारों को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान देने के लिए दरें निर्धारित की गईं । **मुआवजा आधार वर्ष की विशुद्ध आय** (Net Income) **का सात गुना रखा गया ।** यह 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 15 समान किस्तों में चुकाना निश्चित किया गया । जिन जागीरदारों की कुल आय 5000 रुपये से अधिक नहीं थी, उनको विशुद्ध आय के पाँच से ग्यारह गुने तक पुनर्वास अनुदान (Rehabilitation grant) देने का निश्चय किया गया । अन्य जागीरदारों को विशुद्ध आय के दुगुने से चार गुने तक पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया ।

धार्मिक जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य कुछ देर से आरम्भ हुआ । 1 नवम्बर, 1959 से 5000 रुपये से ऊपर की आय वाली ऐसी जागीरों और अगस्त 1960 से 1000 रुपये से ऊपर की आय की जागीरों का पुनर्ग्रहण किया गया । अतः राज्य में धार्मिक व गैर-धार्मिक सभी जागीरों के पुनर्ग्रहण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है । **पुनर्ग्रहण की प्रत्यक्ष लागत 1971 तक लगभग 51.3 करोड़ रुपये आंकी गई थी ।** इनमें मुआवजा व पुनर्वास अनुदान, इन पर ब्याज, स्थायी वार्षिक जागीर-स्थापना व पेंशन शामिल हैं । इनके अतिरिक्त भी राज्य को कुछ व्यय करना पड़ा है । जागीर अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं ।

(2) जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा का अन्त—राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1 नवम्बर, 1959 से लागू किया गया । यह प्रथा राज्य के लगभग 5 हजार गाँवों में फैली हुई थी । जमींदार व बिस्वेदार भी किसानों का आर्थिक शोषण किया करते थे ।

राजस्थान जमींदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1 नवम्बर, 1959 से लागू किया गया था । जमींदारों व बिस्वेदारों को खुदकाश्त में भूमि प्रदान की गई थी । मुआवजे की राशि शुद्ध आय का सात गुना निर्धारित की गई थी । इसके अलावा पुनर्वास अनुदान की भी व्यवस्था की गई जो 25 रुपये तक के भू-राजस्व पर शुद्ध आय का बीस गुना हो सकती थी,

1 Land Reforms in Rajasthan, Directorate of Public Relations, Govt of Raj , p 3

और 3500 रुपये से अधिक के वार्षिक भू-राजस्व पर कोई पुनर्वास अनुदान नहीं दिया गया था।

जमींदार व बिस्वेदार के काश्तकार "खातेदार काश्तकार" (Khatedar tenants) बना दिए गए और उन्हें सरकार को वही लगान देने को कहा गया जो वे जमींदार या बिस्वेदार को दिया करते थे। लेकिन अब यह भू-राजस्व के दुगुने से अधिक नहीं हो सकता था।

इस प्रकार राज्य में जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों का उन्मूलन कर दिया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (Rajasthan Tenancy Act, 1955)— यह भारत के सबसे अधिक प्रगतिशील काश्तकारी अधिनियमों में गिना जाता है। इसके माध्यम से राज्य में भूमि-सुधारों की व्यापक रूप से व्यवस्था की गई है। यह 15 अक्टूबर, 1955 से लागू किया गया था। इसमें कई बार संशोधन किए गए ताकि यह प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

इसकी मुख्य बातें आगे दी जाती हैं—

(1) इसमें केवल तीन प्रकार के काश्तकार रखे गए हैं, यथा, खातेदार काश्तकार, खुदकाश्त के काश्तकार तथा गैर-खातेदार काश्तकार। इस अधिनियम की धारा 15 काफी क्रान्तिकारी मानी जाती है। इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम के लागू होने के समय भूमि पर काश्तकार था (उप-काश्तकार या खुदकाश्त के काश्तकार को छोड़कर) वह खातेदार काश्तकार बना दिया गया। लेकिन चरागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए। धारा 15 के प्रभाव क्षेत्र से गंग नहर, भाखड़ा, चम्बल व जवाई परियोजना क्षेत्रों को बाहर रखा गया था, क्योंकि सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर भारी धनराशि व्यय करनी होती है। 1958 में धारा 15-क जोड़कर राजस्थान नहर क्षेत्र की समस्त भूमि भी अस्थायी रूप से पट्टे पर दी हुई मान ली गई और इस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता था। इससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया था।[1]

काश्तकारों को गाँव की आबादी में रिहायशी मकान बनाने के लिए निःशुल्क जगह देने का भी प्रावधान किया गया। काश्तकारों के लिए भू-स्वामियों से लिखित लीज प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई, नजराना व बेगार लेना रोक दिया गया।

(2) खातेदार काश्तकारों को बिक्री या भेंट के माध्यम से अपनी भूमि के हस्तान्तरण के अधिकार दिए गए। लेकिन यदि कोई खातेदार ऐसे व्यक्ति को भूमि का हस्तान्तरण करना चाहे जिसके पास पहले से 30 एकड़ सिंचित भूमि है, या 90 एकड़ असिंचित भूमि है, तो उसे सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। इससे भूमि की भावी जोतों पर सीमा लगाने में मदद मिली है।

(3) खुदकाश्त के काश्तकार या एक उप-काश्तकार जिसे धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार मिले हैं, वह भी सरकार या भूमि बंधक बैंक या सहकारी समिति से कर्ज के लिए भूमि को गिरवी रख सकता है।

---

1 राजस्थान का किसान और कानून, मूँगालाल सूरेका, राज. पत्रिका, 27 नवम्बर, 1992 में प्रकाशित लेख।

(4) खातेदारी काश्तकारों को एक साथ पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए भूमि को किराए पर देने के अधिकार दिए गए हैं । लेकिन दुबारा किराए पर देने के लिए दो साल का अन्तराल रखना जरूरी होगा, ताकि भूमि लगातार किराए पर न उठाई जा सके ।

(5) बन्दोबस्त के द्वारा काश्तकारों से लगान नकद रूप में निर्धारित किए गए हैं । उप-काश्तकारों को भी लगान नकद देने पड़ते हैं । लेकिन उनसे निर्धारित लगान के दुगुने से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता है ।

(6) वस्तु रूप में प्राप्त अधिकतम लगान की राशि कुल उपज के 1/6 से अधिक नहीं हो सकती ।

(7) लगान की बकाया राशि न चुकाने पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है, अथवा भूमि को गैर-कानूनी हस्तान्तरण करने या उसे गैर-कानूनी ढंग से किराए पर दूसरों को उठाने या अन्य हानिकारक कार्य करने या शर्त को तोड़ने पर उसे बेदखल किया जा सकता है ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को कई बार संशोधित किया गया । ये संशोधन योजना आयोग के सुझाव पर किए गए ताकि उप-काश्तकार व खुदकाश्तकार भी खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर सकें, जिन्हें वे पहले धारा 19 के अन्तर्गत मिले अधिकारों का उपयोग करके प्राप्त नहीं कर पाए थे ।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक व्यापक कानून माना गया है । इसमें काश्तकारों की विभिन्न श्रेणियाँ रखी गई हैं । इसमें काश्तकारों को अधिकार देने, जोतों के हस्तान्तरण व विभाजन, लगान को निश्चित करने और इसको वसूल करने के ढंग को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है । इसमें उन दशाओं को बतलाया गया है, जिनमें काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है और झगड़ों को निपटाने के लिए अदालतों की स्थापना की गई है ।

राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 के अनुसार, लगान की राशि मालगुजारी या भू-राजस्व के 1.5 गुने से तीन गुने तक निर्धारित की गई (जहाँ लगान नकद दिया जाना था) । भूमि की खुदकाश्त के लिए आवश्यकता हो तो काश्तकार बेदखल किया जा सकता था, बशर्ते कि काश्तकार के पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि हो । गैर-पुनर्ग्रहण वाले क्षेत्रों (Non-Resumable Areas) में काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार या खातेदारी अधिकार दिए जा सकते हैं । भू-स्वामी को दिया जाने वाला मुआवजा सिंचित भूमि के लगान का 20 गुना तथा असिंचित भूमि का 15 गुना निश्चित किया गया ।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपलब्धियाँ (Achievements of the Rajasthan Tenancy Act, 1955)—इस अधिनियम के फलस्वरूप काश्तकारी कानूनों में *काफी समानता स्थापित हो सकी है । इसने काश्तकारों के अधिकारों व दायित्वों की* अवधारणा में क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । राजस्थान राज्य को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि इसने एक झटके में ही काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए जिससे अधिकांश काश्तकारों की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई । इसमें प्रगति की भावना थी

जिसने राजस्थान को काश्तकारी कानून के सम्बन्ध में एक अग्रणी राज्य (front-line state in tenancy reforms) बना दिया। इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले खातेदारी अधिकारों ने काश्तकारों को भूमि का मालिक बना दिया। इस अधिनियम की धारा 15 व धारा 19 के अन्तर्गत काफी काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गए। इस अधिनियम ने काश्तकार को भू-स्वामी के द्वारा की जा सकने वाली गैर-कानूनी बेदखली और अन्यायपूर्ण व अनुचित व्यवहार से रक्षा की। जब तक काश्तकार लगान देता जाता है तब तक उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। इन गुणों के बावजूद भी इस नियम में कई प्रकार की जटिलताएँ थीं। इसीलिए समय-समय पर इसमें संशोधन किए गए। इस अधिनियम की धारा 88 के अनुसार, एक काश्तकार या उप-काश्तकार अदालत में दावा करके अपने अधिकारों की माँग कर सकता है और इस माँग के लिए कोई अन्तिम अवधि तय नहीं की गई है। इससे उत्पन्न अनिश्चितता के कारण निरन्तर मुकदमेबाजी होती रहती है, जो उचित नहीं है।

आरम्भ से लेकर जून 1967 तक धारा 15 के अन्तर्गत 5,37,642 काश्तकारों को लगभग 44 5 लाख एकड़ भूमि पर तथा धारा 19 के अन्तर्गत 1,99,505 काश्तकारों को 9 44 लाख एकड़ भूमि पर राज्य के विभिन्न जिलों में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे।[1]

राजस्थान में भू-जोतों पर सीमा-निर्धारण (Land Ceilings in Rajasthan)—वर्तमान जोतों पर सीमा-निर्धारण के प्रश्न की जाँच के लिए नवम्बर, 1953 में एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसकी रिपोर्ट फरवरी, 1958 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधानसभा में राजस्थान काश्तकारी (छठा संशोधन) बिल अक्टूबर, 1958 में पेश किया गया जो प्रवर समिति को सौंप दिया गया। इस बिल में एक सारणी दी गई थी, जिसमें राज्य की विभिन्न तहसीलों के लिए भूमि पर अधिकतम सीमा लगाने का सुझाव दिया गया था। यह कहा गया था कि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2,400 रुपये की विशुद्ध आय (Net Income) होनी चाहिए। प्रवर समिति ने सारणी को हटा दिया और 30 'स्टैण्डर्ड एकड़' पर सीमा लगाने का सुझाव दिया। एक 'स्टैण्डर्ड एकड़' में प्रतिवर्ष 10 मन गेहूँ, अथवा इसके बराबर, मूल्य की कृषिगत उपज निर्धारित की गई थी।

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1960 में लागू किया गया। लेकिन सीमा-निर्धारण के लिए आवश्यक नियम दिसम्बर, 1963 में प्रकाशित किए गए। 1950 का संशोधित अधिनियम और 1963 के नियम अप्रैल, 1966 से लागू किए गए। इससे स्पष्ट होता है कि सीमा निर्धारण के कार्य में काफी विलम्ब हुआ। राज्य सरकार इसे कई अवस्थाओं में लागू करना चाहती थी। सबसे पहले 150 साधारण एकड़ व अधिक की जोतों के स्वामियों से सूचना देने के लिए कहा गया। इसे अदालतों में चुनौती दी गई और 'स्टे आर्डर' लाए गए। बाद में यह अधिनियम संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, जिससे आशा की गई कि अब इसे लागू करना सम्भव हो सकेगा।

---

1 भूमि सुधार सम्बन्धित एकत्रित एवं संकलित सारणियाँ, राजस्व (भूमि सुधार) विभाग, सचिवालय, जयपुर, 1968, पृ 1 व 2

वास्तव में सीमा-निर्धारण का कार्य बहुत जटिल माना गया है। **राजस्थान सरकार ने 27 फरवरी, 1973 को एक नया विधेयक पारित करके भूमि की सीमा 5 सदस्यों के एक परिवार के लिए 18 से 175 एकड़ के बीच निर्धारित कर दी थी।** जिस भूमि पर वर्ष में दो फसलें बोई जाती हैं और सिंचाई निश्चित रूप से होती है, उस पर 18 एकड़ पर सीमा लगाई गई, एक फसल वाली सिंचित भूमि पर 27 एकड़ पर तथा असिंचित भूमियों पर विभिन्न किस्म की भूमियों के अनुसार क्रमश: 48, 54, 125 तथा 175 एकड़ पर सीमा लगाई गई। इस प्रकार भूमि के उपजाऊपन, सिंचाई की सुविधा व फसलों की किस्म के अनुसार राज्य के विभिन्न भागों के लिए भूमि की अलग-अलग सीमाएँ निर्धारित की गईं। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति **28 मार्च, 1973 को** मिली थी।

राजस्थान में वर्तमान सीलिंग (हैक्टेयर में) नीचे दी जाती है—

सिंचित भूमि पर	असिंचित भूमि पर
7 28–10 93	21 85–70 82

इस प्रकार सिंचित व असिंचित भूमि के अनुसार सीलिंग के स्तर अलग-अलग निर्धारित किए गए।

सीमा निर्धारण में गन्ने के खेतों, कुशल प्रबन्ध वाले फार्मों तथा विशिष्ट फार्मों को छूट दी गई। **31 जनवरी, 1995 के अन्त तक सीलिंग कानूनों के तहत 2.43 लाख हैक्टेयर भूमि सरप्लस घोषित की गई, जिसमें से 2.25 लाख हैक्टेयर भूमि राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले ली तथा 1.79 लाख हैक्टेयर भूमि वितरित कर दी। जनवरी 1995 के अन्त तक 77 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया था। इस प्रकार जनवरी 1995 के अन्त में सरप्लस घोषित भूमि का 92.5% अंश सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था और वितरित भूमि का अनुपात सरकार द्वारा प्राप्त भूमि से लगभग 79.6% था। जनवरी 1995 तक राजस्थान में वितरित भूमि 1.79 लाख हैक्टेयर थी, जो समस्त भारत में कुल वितरित भूमि (20.7 लाख हैक्टेयर) का 8.6% थी।** पश्चिम बंगाल में जनवरी 1995 के अन्त तक 3.84 लाख हैक्टेयर भूमि वितरित की गई, जो राज्यों में सर्वाधिक थी। सरप्लस-भूमि-वितरण की दृष्टि से कुछ अग्रणी राज्य क्रमवार इस प्रकार रहे—

आंध्र प्रदेश (2.25 लाख हैक्टेयर), महाराष्ट्र (2.23 लाख हैक्टेयर), असम (1.99 लाख हैक्टेयर), जम्मू-कश्मीर (1.82 लाख हैक्टेयर) व राजस्थान (1.79 लाख हैक्टेयर)।[1] इस

---

1 India's Agricultural Sector, A Compendium of Statistics, September 1995, CMIE, Bombay, p 4, table 4

राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के ड्राफ्ट के अनुसार 30 जून, 1997 तक 6 l लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई, इसमें से 5 65 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा 4.55 लाख एकड़ (1 84 लाख हैक्टेयर) भूमि 79 हजार लाभ प्राप्तकर्ताओं में वितरित की गई। (एक हैक्टेयर = 2 47 एकड़ के हिसाब से इन आंकड़ों को हैक्टेयर में बदला जा सकता है।)

प्रकार प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान का सरप्लस भूमि के वितरण में छठा स्थान रहा। राज्य में काफी भूमि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में वितरित की गई है।

राजस्थान में भूमि-सुधारों का क्रियान्वयन व प्रगति—हम नीचे राजस्थान में भूमि-सुधारों व काश्तकारी अधिनियम के क्रियान्वयन का विवरण देते हैं।

भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों ने तो काश्तकार की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। लेकिन कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में गम्भीर कमियाँ रह गई हैं। राजस्थान में काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिलने से वे भूमि के मालिक जैसे हो गए हैं। जागीरदारों ने खुदकाश्त के अन्तर्गत कुछ भूमि रख ली है, लेकिन उसकी मात्रा पहले के कुल जागीर क्षेत्रों की मात्रा की तुलना में कम पाई गई है।

जागीरदारों ने बिक्री, उपहार अथवा अन्य रूपों में काफी भूमि का हस्तान्तरण किया है। ऐसा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम लागू होने से पूर्व किया गया था।

जागीरों के समाप्त करने से जागीरदारों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। मध्यम श्रेणी के ठिकाने तो ऋणग्रस्त थे। उनके ठिकानेदार कोई भी उपयोगी काम करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे। इससे उनका मानसिक व नैतिक पतन हो गया था। अधिकांश जागीरदार भूमि-सुधारों के बाद खेती में लग गए। इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 के लागू होने के समय 10 प्रतिशत काश्तकारों को खातेदारी काश्तकारों के समान अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब सभी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। यह स्थिति बहुत संतोषप्रद है। अब राज्य में गैर-खातेदारी काश्तकारों की संख्या अधिक नहीं है।

उप-काश्तकारों (Sub-tenants) के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना का अभाव पाया जाता है। लेकिन प्रमुख काश्तकार (tenant-in-chief) इनसे 'नौकरनामा' लिखाकर काश्त करवाते हैं और इनका शोषण करते हैं। इस प्रकार उपकाश्तकार आज भी प्रमुख काश्तकारों की दया पर आश्रित हैं। प्रमुख काश्तकार इनसे उपज के रूप में ऊँचा लगान लेते हैं और उन्हें जब चाहे बेदखल कर देते हैं। फसल बटाई अनुचित रूप में आज भी प्रचलित है। **इस प्रकार अब प्रमुख काश्तकार उन शोषण के तरीकों का उपयोग उप-काश्तकारों पर करने लग गए हैं, जिनका उपयोग पहले स्वयं भू-स्वामी उन पर किया करते थे।** यह एक अत्यन्त निराशाजनक व निन्दनीय स्थिति है। इसको दूर करने का समुचित उपाय होना चाहिए, तभी भूमि को जोतने वाला सच्चा भू-स्वामी हो सकेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 समस्त भूमि के स्वामी के रूप में सरकार को ही मानता है। किसान अपनी भूमि का स्वामी नहीं माना गया है। अपनी भूमि का स्वामी नहीं होने के कारण उसकी भूमि में छिपे खनिजों, तेल व गैस इत्यादि आज भी सरकारी स्वामित्व में ही आते हैं। जालोर, सिरोही, उदयपुर आदि स्थानों पर निकलने वाले ग्रेनाइट तथा अन्य कई स्थानों पर निकलने वाले मार्बल-पत्थर पर किसान का अधिकार न होकर सरकार का ही माना जाता है। **इस प्रकार सही मायने में अभी तक किसान अपनी भूमि का मालिक नहीं माना जाता।**

श्री अमीर राजा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, योजना आयोग ने राजस्थान में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मध्यस्थों की समाप्ति से सम्बन्धित कार्यों जैसे खुदकाश्त के आवंटन के लिए आवेदन-पत्रों का अन्तिम निबटारा करने, दावों (Claims) को तैयार करने तथा मुआवजे देने में बड़ी धीमी प्रगति रही है। इस बात की नवीनतम सूचना प्राप्त नहीं है कि जागीरदारों व मध्यस्थों के पास खुदकाश्त में कितनी भूमि मौजूद है, कितनी भूमि पर काश्तकारों ने खातेदारी-अधिकार ग्रहण किए हैं और कितनी शेष किस्म की है। सरकार ने कृषि के साथ-साथ वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए काश्तकारों को अधिक सीमा तक अधिकार दिए हैं ताकि वे अधिक संख्या में वृक्ष लगाने में रुचि ले सकें। किसान अपनी जोत की भूमि के 1/50 हिस्से में भवन व अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य कर सकता है। कृषिगत भूमि को आवासीय व वाणिज्यिक कार्यों में बदलने के लिए नियम भी बनाए गए हैं।

फसल-बटाई प्रथा जारी (Crop-sharing system continuing)

सरकारी स्पष्टीकरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि उप-काश्तकारी व फसल बटाई को रोकना सदैव संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में भू-स्वामी स्वयं बीमारी व अन्य कारणों से भूमि को जोतने की स्थिति में नहीं होता है और कभी-कभी दूसरों से बैल की जोड़ी, श्रम व अन्य साधन लेने के लिए उनकी साझेदारी स्वीकार करनी होती है। अतः आवश्यक दशाओं में इन्हें कृषिगत उत्पादन के हित में स्वीकार करने का समर्थन किया गया है।

लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर भारत में भूमि-सुधारों पर 1989-90 के लिए एक अध्ययन करवाया था, जिसमें राजस्थान के सम्बन्ध में निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए थे—

(1) राज्य में फसल-बटाई के रूप में अनौपचारिक काश्तकारी प्रथा (informal tenancy system) जारी है। सिंचित क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक है। कानून में तो उचित लगान कुल उपज का 1/6 रखा गया है, लेकिन व्यवहार में बटाईदार कुल उपज का 1/2 भाग लगान में दे रहे हैं। 1975 तक वास्तविक खातेदार काश्तकार या उप-काश्तकार का नाम "खसरा-गिरदावरी" में देने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, जिससे उप-काश्तकारों को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ा है।

ऐसा माना जाता है कि राज्य में अनौपचारिक काश्तकारी, लगान की लूट व शोषण-मूलक बटाई प्रथा आज भी कायम है।

(2) अलवर, भीलवाड़ा, कोटा व उदयपुर जिलों में से प्रत्येक में एक-एक गाँव के अध्ययन से पता चलता है कि अतिरिक्त घोषित भूमि में से केवल *7.6%* भूमि ही आवंटित की गई है।

इन्हीं जिलों में से प्रत्येक में से चार-चार गाँवों के अध्ययन से पता चला है कि सीलिंग से ऊपर अतिरिक्त घोषित अधिकांश भूमि बंजर, अनुत्पादक व अकृषि योग्य पाई गई है। गाँव (बहदनवाड़ा) में पहाड़ी भूमि देकर एक भू-स्वामी ने इसका मुआवजा

उपजाऊ भूमि के बराबर वसूल कर लिया, जिससे वह स्वयं तो लाभ में रहा, लेकिन सरकारी खजाने पर अनावश्यक रूप से भार डाल दिया।[1]

इस प्रकार राजस्थान में काश्तकारी व सीलिंग कानूनों को लागू करने की दृष्टि से प्रगति बहुत धीमी रही है।

राजस्थान में सीलिंग कानून की काफी अवहेलना की गई है। जब 3 नवम्बर, 1969 को अनूपगढ़ में भूमि की नीलामी चालू हुई थी तो किसान आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। सरकार नीलामी से वित्तीय साधन जुटाना चाहती थी, लेकिन इससे भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल सकती थी। इस स्थिति में राजनीतिक दलों ने संघर्ष चालू कर दिया था। बाद में सरकार ने नहरी क्षेत्रों में नीलामी बन्द कर दी और भूमिहीनों को निश्चित भावों पर भूमि देने का निर्णय किया। 3 एकड़ से नीचे की भूमि पर खुशहाली कर (betterment levy) समाप्त कर दिया गया, कपास पर उपकर नहीं लिया गया और भू-राजस्व की वृद्धि नहीं की गई।

राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण[2]

राजस्थान में 1970-71 व 1995-96 की कृषिगत संगणनाओं (Agricultural censuses) के अनुसार कार्यशील जोतों का वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

1995-96 में राजस्थान में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 53 64 लाख थी और उनमें कुल क्षेत्रफल 2.12 करोड़ हैक्टेयर समाया हुआ था। इस प्रकार राज्य में जोत का औसत आकार 3.96 हैक्टेयर था। 1970-71 में यह 5.45 हैक्टेयर था (जो समस्त भारत की कार्यशील जोत का 2.5 गुणा था)। **इस प्रकार राज्य में जोत का औसत आकार समस्त भारत के औसत आकार से काफी ऊँचा पाया जाता है, लेकिन यह निरन्तर घटता जा रहा है।**

	जोतों की श्रेणी	1970-71		1995-96	
		जोतों का प्रतिशत	क्षेत्रफल का प्रतिशत	जोतों का प्रतिशत	क्षेत्रफल का प्रतिशत
(i)	सीमान्त (एक हैक्टेयर)	25 2	2.3	30 0	3.7
(ii)	लघु (1-2 हैक्टेयर)	18.5	4 9	20 2	7 4
(iii)	अर्द्ध-मध्यम (2-4 हैक्टेयर)	20 7	11 0	20 8	15 0
(iv)	मध्यम (4-10 हैक्टेयर)	21.5	24 7	19 8	31 1
(v)	वृहद् (10 हैक्टेयर व अधिक)	14 0	57 1	9 1	42 8
	योग (लगभग)	100.0	100.0	100.0	100.0

1 Mainstream, July 14, 1990, pp 18-19 & pp 23-24, इस विषय पर यह एक नवीन अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट मानी गई है।

2 Some Facts About Rajasthan 2003, part I. p. 10 (1995-96 के लिए)

तालिका के मुख्य निष्कर्ष—

(1) 1995-96 में भी राज्य में कार्यशील जोतों का वितरण काफी असमान रहा, क्योंकि 2 हैक्टेयर तक की जोतें लगभग 50% (आधी) थीं और उनमें कुल कृषित क्षेत्रफल का 11.1% (लगभग 1/10 अंश) समाया हुआ था । इसके विपरीत आधी जोतें 2 हैक्टेयर से अधिक थीं और उनमें कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 89% (9/10 अंश) समाया हुआ था । इस प्रकार वर्ष 1995-96 में भी जोतों का वितरण काफी असमान था । यह भी ध्यान देने की बात है कि 10 हैक्टेयर व अधिक की वृहद् जोतें (large holdings) संख्या में तो लगभग 9.1% (1/10) थीं, लेकिन उनमें 43% (2/5 से कुछ अधिक) कृषित क्षेत्र समाया हुआ था । इससे आज भी बड़ी जोतों के अन्तर्गत अधिक कृषित भूमि समाई हुई है । इसके विपरीत एक हैक्टेयर तक की सीमान्त जोतें 30% थीं, लेकिन उनमें कृषित भूमि का अंश केवल 3.7% ही था । इस प्रकार सीमान्त जोतों के अन्तर्गत कृषित भूमि का अंश बहुत कम है ।

(2) 1970-71 से 1995-96 के 25 वर्षों में कुल जोतों में सीमान्त जोतों का अंश 25.2% से बढ़कर 30% हो गया और इनमें क्षेत्रफल का अंश 2.3% से बढ़कर 3.7% हो गया । इसके विपरीत बड़ी जोतों का अंश 14% से घटकर 9% पर आ गया तथा इनके अन्तर्गत कृषित क्षेत्रफल में भी 57% से 43% तक हो गया (14% बिन्दु की गिरावट आई) । **अतः योजनाकाल की इस अवधि में कुछ क्षेत्रफल बड़ी जोतों के अन्दर से निकलकर अन्य श्रेणियों जैसे सीमान्त, लघु, अर्द्ध-मध्यम व मध्यम की ओर अवश्य गया है ।**

इस प्रकार भूमि के वितरण की असमानता के बने रहने के बावजूद कुछ सीमा तक क्षेत्रफल अन्य भू-जोतों की ओर भी अन्तरित हुआ है ।

(3) 1995-96 में कार्यशील जोतों के वितरण का जिनी-अनुपात (gini-ratio) 0 5736 रहा, जबकि 1985-86 में यह 0 5793 रहा था । इससे पता चलता है कि जोतों के वितरण की असमानता पिछले दशक में लगभग समान ही बनी हुई है । इसका स्तर आज भी ऊँचा बना हुआ है । **इससे भूमि के वितरण की असमानता का अनुमान लगाया जा सकता है ।** स्मरण रहे कि यहाँ हमने कार्यशील जोतों के वितरण का उल्लेख किया है, लेकिन स्वामित्व के अनुसार जोतों (ownership holdings) का वितरण इससे भी थोड़ा ज्यादा असमान होता है । स्वामित्व के अनुसार जोतों के वितरण में यह देखा जाता है कि मालिकाना हक (ownership) के अनुसार जोतों का वितरण कैसा पाया जाता है । इससे भूमि का स्वामित्व के अनुसार वितरण सामने आ पाता है ।

यदि स्वामित्व के रूप के अनुसार कार्यशील जोतों का वितरण देखा जाए तो 1995-96 में 37.7 लाख व्यक्तिगत-धारकों के पास 138.7 लाख हैक्टेयर भूमि थी, 15.8 लाख संयुक्त-धारकों के पास 72.4 लाख हैक्टेयर भूमि थी तथा 0 2 लाख संस्थागत-धारकों के पास 1.4 लाख हैक्टेयर भूमि थी । इस प्रकार व्यक्तिगत-धारकों (individual holders) के पास सर्वाधिक भूमि थी ।[1]

---

1 Agricultural Statistics of Rajasthan, DES, Feb 1999, p 9

राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण (NSS) के अध्ययनों के आधार पर 1961-62 से 1982 के बीच स्वामित्व की जोतों के वितरण में परिवर्तन निम्न प्रकार से हुआ । 20 हैक्टेयर से अधिक की बड़ी जोतों की संख्या 3.6% से घटकर 1.4% हो गई तथा इनके अन्तर्गत क्षेत्रफल 26% से घटकर 14% हो गया । 10 से 20 हैक्टेयर की जोतों में भी परिवर्तन की इसी प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई । अन्य श्रेणियों जैसे 1-2 हैक्टेयर, 2-4 हैक्टेयर तथा 4-10 हैक्टेयर में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थिति में सुधार हुआ । **इससे स्पष्ट होता है कि भूमि-सुधारों के फलस्वरूप बड़े तथा बहुत बड़े भूस्वामी कृषकों का प्रभुत्व काफी सीमा तक घटा है ।**[1] अत: स्वामित्व की जोतों के वितरण में भी अनुकूल परिवर्तन आया है । लेकिन इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति जानने के लिए अधिक गहन व ताजा सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है ।

(4) राजस्थान में 2 हैक्टेयर से अधिक आकार की कार्यशील जोतों में लगभग 89% क्षेत्रफल होने के कारण यहाँ सीमा-निर्धारण से ऊपर अतिरिक्त भूमि के मिलने की सम्भावना अधिक प्रतीत होती है । राज्य में भूमि का इतना अभाव नहीं है जितना अन्य राज्यों में पाया जाता है ।

भूमि-सुधारों की समस्याएँ—उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में भूमि सुधारों के लिए कई कानून बनाए गए हैं और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को इस दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण माना गया है । **लेकिन अन्य राज्यों की भाँति यहाँ भी भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जैसे भूमि का वितरण आज भी काफी असमान बना हुआ है । सीलिंग से अतिरिक्त भूमि जितनी प्राप्त होनी चाहिए थी उतनी प्राप्त नहीं हुई है और राज्य में उप-काश्तकारी प्रथा व फसल-बटाई जैसी शोषणमूलक प्रथा आज भी कायम है । इसके अलावा सहकारी खेती की दिशा में प्रगति नगण्य रही है** । मंदिरों की जमीनों पर किसानों का कब्जा चाहे कितने ही सालों से क्यों न रहा हो, फिर भी उन पर किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं मिल पाते । इस प्रकार किसान को कानून से पूरी मदद नहीं मिल पाई है ।[2]

राज्य में सीलिंग कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया गया है जिससे वास्तव में अतिरिक्त घोषित की गई भूमि की मात्रा काफी कम निकली है । इसके लिए अग्र कारण उत्तरदायी माने जा सकते हैं—

(1) भूस्वामियों ने काफी भूमि बेच दी है, या अपने सम्बन्धियों में वितरित कर दी है, अथवा अन्य किसी तरह जैसे बेनामी रूप में हस्तान्तरित कर दी है, जिससे अतिरिक्त भूमि कम मात्रा में मिल पाई है ।

(2) भूमि-सुधार राज्यों का विषय है और विधान-सभाओं में भूस्वामी वर्ग का अधिक राजनीतिक प्रभाव होने के कारण भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

---

1. V S Vyas & Vidya Sagar, Land Reforms and Agricultural Development in Rajasthan in Land Reforms in India (Vol 2)—**Rajasthan—Feudalism and Change**, edited by B N Yugandhar & P S Datta, 1995, pp 36-53
2. मोहनसिंह राघव, **किसान और कानून [2]** राज पत्रिका, 25 मई 2000.

(3) तृतीय योजना के बाद समस्त देश में भूमि-सुधारों पर धीरे-धीरे जोर कम होता गया है। कृषिगत विकास के लिए तकनीकी परिवर्तनों व इन्पुटों की सप्लाई बढ़ाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे भी भूमि सुधार कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(4) भूमि सम्बन्धी रिकार्ड को नवीनतम रूप में तैयार करने की दिशा में भी वांछनीय प्रगति नहीं हो पाई है।

भूमि सुधारों को भारतीय संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने से स्थिति काफी बदल गई है। अब भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती और इनको लागू करने में भी अपेक्षाकृत अधिक आसानी हो गई है।

आवश्यक सुझाव

(1) रोजगार के अवसरों में वृद्धि—सरकार भूमि-सुधारों को लागू करना चाहती है। लेकिन इसके मार्ग में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का काफी बड़ा जाल बिछ गया है। **वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक व कानूनी ढाँचों के अन्तर्गत भूमि का कोई विशेष पुनर्वितरण सम्भव नहीं प्रतीत होता।** ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों का सुझाव है कि निर्धन लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वैकल्पिक उपाय ढूंढे जाने चाहिएँ, **जिससे उनको रोजगार मिले तथा आमदनी बढ़ाने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें।** भूमि के पुनर्वितरण से इनकी समस्या का पूरा समाधान निकाल सकना सम्भव नहीं प्रतीत होता। राज्य में खेतिहर श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह 1981 में 4 8 लाख से बढ़कर 1991 में 13 9 लाख हो गई है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 12.9 लाख व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख खेतिहर श्रमिक पाए जाते हैं। खेतिहर मजदूरों की संख्या की अत्यधिक वृद्धि एक गम्भीर समस्या है। इनके लिए कुटीर उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है।

(2) निर्धनों के लिए कल्याण-कार्य—भारत में भूमि-सुधारों का उद्देश्य कभी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा गाँवों में शक्ति-सन्तुलन निर्धन व भूमिहीनों के पक्ष में नहीं है। इसलिए बार-बार भूमि-सुधारों को लागू करने पर जोर देने का विशेष अर्थ नहीं निकलता। अत: निर्धन लोगों के कल्याण के लिए अन्य वैकल्पिक प्रयास करने जरूरी हैं; जैसे उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा व पेयजल की पूर्ति बढ़ाना, आदि। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार ने नियमित रोजगार अथवा स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं। इनमें कम्पोजिट लोन स्कीम, महिलाओं के लिए गृह-उद्योग, दस्तकारों के लिए रोजगार, शिक्षितों के लिए स्वरोजगार, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पैकेज कार्यक्रम, शहरी गरीब लोगों के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम, आदि शामिल हैं। इनको प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने से निर्धन वर्ग की आय बढ़ेगी तथा वे निर्धनता की रेखा से ऊपर आ सकेंगे।

(3) दैनिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि—राज्य में खेतिहर मजदूरों व अन्य मजदूरों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी की दर समय-समय पर पुन: निर्धारित की गई है।

भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने 1 अप्रैल, 2004 से दैनिक न्यूनतम मजदूरी की दरों में 13 रु. की वृद्धि की है । ये अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए 60 रु. से बढ़ाकर 73 रु. अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 64 रु. से बढ़ाकर 77 रु. तथा कुशल श्रमिकों के लिए 68 रु. से बढ़ाकर 81 रु. की गयी हैं ।* यह परिवर्तन महँगाई के कारण करना जरूरी हो गया था । दैनिक न्यूनतम मजदूरी में समय-समय पर संशोधन किया जाता है ।

(4) भूमि-सुधारों में काश्तकारी सुधारों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि काश्तकारों से उचित लगान लिया जाए तथा उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जाए ।

(5) भूमि-सुधारों में चकबंदी पर भी पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कृषिगत उत्पादन बढ़ सके ।

(6) राजस्थान में वृक्षारोपण, चरागाह विकास व पशु-पालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भूमि का सदुपयोग हो सके और लोगों की आमदनी बढ़ सके ।

(7) भूमि-सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग के राजनीतिक संगठन (Political organisation) की नितान्त आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवश्यक राजनीतिक संघर्ष कर सकें ।

(8) अन्य राज्यों की भाँति राजस्थान में भी बीहड़ भूमि (जो पानी से होने वाली कटाई के कारण कृत्रिम नालों व गहरी घाटियों में बदल गई है और जिस पर आसानी से खेती नहीं की जा सकती) को भूमिहीन श्रमिकों में आवंटित करने के लिए कोई प्रभावशाली योजना होनी चाहिए, अन्यथा उसके अन्य वर्गों में आवंटित होने का खतरा बना रहता है ।

(9) भूमि सुधार कार्यक्रम में लघु व सीमान्त कृषकों को सहायता पहुँचाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए ।

(10) भविष्य में भूमि-सुधारों का एक सुनिश्चित, पारदर्शी व समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और सम्बन्धित व्यक्तियों में उसका आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए ।

(11) भूमि-सुधारों के साथ-साथ साख, संग्रहण, विपणन, विस्तार, अनुसंधान, आदि का भी तेजी से विकास किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास द्रुतगति से हो सके । कृषि में पूँजी-निर्माण की गति तेज की जानी चाहिए ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि-सुधार-कार्यक्रम को लागू करना काफी जटिल माना गया है । इसलिए इस दिशा मे चुने हुए कार्यक्रमों को समयबद्ध रूप में लागू करना उचित होगा जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में "राजनीतिक इच्छाशक्ति" (Political will) की आवश्यकता मानी गई है । अब राज्य मे पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से

---

* राजस्थान पत्रिका 21 जुलाई, 2004, पृ 20

ग्रामीण विकास के नये अवसर खुले हैं। इसलिए भूमि-सुधारों पर बदली हुई परिस्थितियों में पुन: विचार किया जाना चाहिए। प्रमुख राजनीतिक दलों को इसे अपने एजेण्डा में शामिल करना चाहिए। वामपंथी दल इस दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPI(M)) ने पश्चिम बंगाल में भूमि-सुधारों को लागू करने में विशेष रूप से सफलता हासिल की है। **पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों में भूमि-वितरण के कार्यक्रम को सभी क्षेत्रों में सराहा गया है।**

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान में अब तक भूमि-सुधारों के किस कार्यक्रम को अधिक सफलता मिली है ?
   (अ) मध्यस्थ-वर्ग की समाप्ति
   (ब) सीलिंग-कानून को लागू करना
   (स) चकबंदी
   (द) सहकारी संयुक्त खेती (अ)
2. राज्य में सिंचित भूमि पर सीलिंग की मात्रा है—
   (अ) 7.28 – 10 93 हैक्टेयर
   (ब) 10 हैक्टेयर
   (स) 21 85 – 70 82 हैक्टेयर
   (द) 30 हैक्टेयर (अ)
3. भविष्य में भूमिहीनों को लाभ पहुँचाने का उपाय है—
   (अ) अतिरिक्त भूमि का वितरण
   (ब) रोजगार देना
   (स) ग्रामीण क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों का निर्माण करना
   (द) सभी (द)
4. राजस्थान में भावी भूमि-सुधार-नीति में किस बात पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ?
   (अ) सीमा-निर्धारण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण
   (ब) चकबंदी
   (स) सहकारी संयुक्त व सेवा समितियों की स्थापना
   (द) व्यर्थ भूखण्डों का तेजी से विकास (Waste land development)
   (ए) लघु व सीमान्त कृषकों को वित्तीय व तकनीकी सहायता (ए)

अन्य प्रश्न

1. भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं ? स्वाधीनता के पश्चात् राजस्थान में भूमि-सुधार नीति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।
2. स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में भूमि सुधार नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
3. "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राज्य में भूमि-सुधारों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।" समीक्षा कीजिए।
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान में भूमि-सुधार
   (ii) आपके राज्य में भूमि-सुधार
5. राजस्थान सरकार ने 1948 के पश्चात् जो प्रमुख भूमि-सुधार किए हैं, उनकी विशेषताएँ संक्षेप में लिखिए और बतलाइए कि उनसे कृषक का आर्थिक स्तर कितना उन्नत हुआ है ?
6. राजस्थान में जागीरदारी व अन्य भूधारण प्रणालियों के उन्मूलन का विवेचन कीजिए। इस दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।
7. राजस्थान में भूजोतों पर सीमा-निर्धारण का विवरण दीजिए। इस दिशा में हुई प्रगति का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजिए।
8. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान में भूमि का वितरण,
   (ii) फसल बटाई प्रथा,
   (iii) राजस्थान में भूमि-सुधार।
9. राजस्थान में भूमि सुधारों की उपलब्धियों और विफलताओं की विवेचना कीजिए।
10. राजस्थान में भूमि सुधार के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। इस दिशा में राज्य को कहाँ तक सफलता मिली है ? समझाइए।

(Raj. Iyear, 2004)

राजस्थान में अकाल व सूखा
(Famines and Droughts in Rajasthan)

राजस्थान के लिए अकाल व अभाव बहुत जाने-पहचाने शब्द हैं । यहाँ के ग्रामीण जीवन से इनका चोली-दामन का सम्बन्ध रहा है । राज्य के कई जिले प्राय: अकाल से प्रभावित होते रहते हैं । सरकार अकाल राहत कार्य खोलती है तथा लोगों को भूख-प्यास से मरने नहीं देती । पशुओं के लिए भी यथासम्भव पानी व चारे की व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है । कभी-कभी अकाल भयकर रूप धारण कर लेता है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार दोनो को भारी प्रयास करना होता है । कृषिगत वर्ष 1987-88 (जुलाई-जून) का अकाल सबसे ज्यादा भीषण किस्म का था । इसने सभी 27 जिलों को अपनी गिरफ्त मे ले लिया था । इससे राज्य के 36252 गाँवों मे लगभग 3 करोड़ 17 लाख जनसख्या व करोड़ो पशु प्रभावित हुए थे । राज्य में वर्ष 1984-85 से लगातार अकाल पड़ते रहे हैं । 1990-91 से 1999-2000 की अवधि में राज्य केवल 1990-91 व 1994-95 मे ही अकाल की विभीषिका से मुक्त रहा, अन्यथा प्रति वर्ष अकाल राज्य में पैर पसारे रहा है, और राज्य के विभिन्न जिलों मे काफी गाँवों में लोग व पशु इसकी गिरफ्त में रहे हैं । वर्ष 1999-2000 का अकाल अपनी भीषणता व विकरालता के कारण मीडिया में काफी चर्चित रहा है । **राज्य के 32 जिलों में से 26 जिलों के लगभग 23406 गाँवों में लगभग 2.6 करोड़ लोग व लगभग 3.5 करोड़ पशु इससे बुरी तरह प्रभावित हुए थे** और जून 2000 में राज्य में पानी के अकाल, चारे के अकाल व अन्न के अकाल की व्यापक रूप से गूँज सुनायी दे रही थी । 1999-2000 में सरकार ने भू-राजस्व का निलम्बन (Suspension) लगभग 2.28 करोड़ रुपये का किया था । **2000-2001 की अवधि में राजस्थान तीसरे वर्ष अकाल की चपेट में रहा । इससे 31 जिलों की 3.30 करोड़ आबादी व 30583 गाँव प्रभावित हुए थे ।**[1] 2001-2002 में अकाल से 18 जिलों के 7964 गाँव प्रभावित हुए, प्रभावित जनसंख्या 69.7 लाख आँकी गई थी । 2002-2003 का अकाल व सूखा 'मेक्रो-ड्रॉउट' कहा गया है, क्योंकि इस वृहत् अकाल का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों

1 Economic Review 2003-2004, *Govt of Raj*, table on Loss Due to Famine/ **Scarcity Condition in Raj.** table-9

तक फैल गया था । 2002-2003 के अकाल से 32 जिलों के 40990 गाँव प्रभावित हुए तथा राज्य की 4.48 करोड़ जनसंख्या अकाल की गिरफ्त में आ गयी, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था ।

2003-04 में भी अकाल से 3 जिले प्रभावित हुए थे । अकालग्रस्त गाँवों की संख्या 649 रही थी । 2004-05 में जून-जुलाई में राज्य में सूखे व अकाल की चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होने लगी थी, लेकिन अगस्त, 2004 में बरसात होने से लोगों को कुछ राहत मिली है । देखना है कि आगे क्या स्थिति बनती है । राज्य सरकार ने केन्द्र से काफी मात्रा में वित्तीय सहायता व गेहूँ की माँग की है ।

अकाल के क्षेत्र/जिले

सर्वप्रथम, हमें यह जानना चाहिए कि राजस्थान में अकाल के कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं । वैसे विभिन्न वर्षों में अकाल से प्रभावित होने वाले जिलों की संख्या एक-सी नहीं होती है, फिर भी राजस्थान का दक्षिण भाग तो प्राय: अकाल की चपेट में आता ही रहता है । अकाल के सम्बन्ध में निम्न दोहा काफी मशहूर माना जाता है । इसमें अकाल के प्रदेशों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।[1]

"पग पूंगल, धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर
जाये लादे जोधपुर, ठावो जैसलमेर ॥"

इसका अर्थ यह है कि अकाल के पैर पूंगल (बीकानेर) में, धड़ कोटड़ा (मारवाड़) में, भुजाएँ बाड़मेर (मालानी) में स्थायी रूप से माने गए हैं । लेकिन तलाश करने पर यह जोधपुर में भी मिल जाता है एवं जैसलमेर में तो इसका खास ठिकाना (ठायो) है ही ।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के निम्न 11 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है । इनमें राज्य के क्षेत्रफल का 61% तथा जनसंख्या का 40% भाग शामिल है । राज्य में कुल व्यर्थ भूमि (total wastelands) का लगभग 2/3 अंश इन्हीं ग्यारह जिलों में पाया जाता है । **व्यर्थ भूमि में (परती भूमि को छोड़कर) बंजर व अकृषिल भूमि (जिसे अकृषियोग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं) तथा कृषियोग्य व्यर्थ भूमि (Culturable wastelands) दोनों शामिल माने जाते हैं ।** इन ग्यारह जिलों में 1985-86 में कुल व्यर्थ भूमि 58 6 लाख हैक्टेयर थी, जो उनके कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र 208 लाख हैक्टेयर का 28% थी । इससे इन क्षेत्रों में व्यर्थ पड़ी भूमि के आकार का पता चलता है । इन ग्यारह जिलों की लगभग दो लाख नौ हजार वर्ग किलोमीटर भूमि में प्राय: अकाल एक अनचाहे मेहमान की तरह जमकर बैठा रहता है । **ये 11 जिले इस प्रकार हैं—जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, चूरू, पाली, जालौर, सीकर व झुंझुनूं ।*** इन जिलों की मरुभूमि अकाल जैसे दानव के पंजों में जकड़ी हुई है । इन क्षेत्रों में वर्षा कम व अनियमित होती है । बहते जल व भूमि के नीचे जल की कमी पाई जाती है । पानी के भाप बनकर उड़ जाने की रफ्तार तेज होती है । ग्रीष्म ऋतु में प्राय: धूल भरी आँधियाँ चलती हैं एवं बालू मिट्टी का हवा से कटाव होता रहता है । दुनिया के अन्य भागों के मरुस्थलों की तुलना में राजस्थान के मरुस्थल में

---

1 सईद अहमद खाँ का लेख, मुकाबला कोई आसान नहीं, राजस्थान पत्रिका, अकाल राहत परिशिष्ट, 24 अप्रैल, 1986, पृ 4

* हनुमानगढ को शामिल करने पर अब इनकी संख्या 12 हो गई है ।

जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जिससे यहाँ पर अकाल की समस्या का अधिक जटिल होना स्वाभाविक है ।

पिछले दो दशकों में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति[1]

यह कहना गलत न होगा कि राजस्थान में प्रतिवर्ष किसी न किसी जगह अकाल व अभाव की स्थिति अवश्य पाई जाती है । यही नहीं बल्कि 1968-69 से 1999-2000 तक के कुल 32 वर्षों में से 12 वर्षों में राज्य में अकाल व अभाव की दशाएँ 26 व अधिक जिलों में पाई गई थीं । ये दशाएँ 1986-87 में व 1987-88 में 27 जिलों में तथा 1991-92 में 30 जिलों में तथा 1995-96 में 29 जिलों में व्याप्त थीं। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है। ये 1999-2000 में 26 जिलों में व्याप्त रही हैं । इस प्रकार राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल की काली छाया निरन्तर मंडराती रहती है, जिससे काफी जनसंख्या व पशुधन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और सरकार को राहत कार्यों पर काफी धनराशि व्यय करनी पड़ती है एवं भू-राजस्व की वसूली में भी ढील देनी पड़ती है । अकाल के कारण 1987-88 में 7.54 करोड़ रु. की भू-राजस्व की राशि निलम्बित करनी पड़ी थी । 1993-94 में भू-राजस्व की निलम्बित राशि 4.91 करोड़ रु. 1995-96 में 2.1 करोड़ रु., 1997-98 में 2.79 करोड़ रु. 1999-2000 में 2.28 करोड़ रु., 2000-01 में 3.10 करोड़ रु. तथा 2002-03 में 4.29 करोड़ रु. आँकी गई

1956-57 से 1989-90 तक के कुल 34 वर्षों में राज्य ने अकाल राहत कार्यों पर लगभग 1799 करोड़ रुपये व्यय किए, जिनमें अकेले सातवीं योजना की कुल अवधि (1985-90) में 1236 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे । अकाल राहत कार्यों पर वर्ष 1987-88 में 622 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जो वार्षिक योजना में सार्वजनिक परिव्यय की कुल राशि से भी अधिक थे । नवम्बर 1992 के मूल्यों पर राहत-व्यय की यह राशि 998 6 करोड़ रु आंकी गई है ।[2] इससे राज्य पर अकाल के कारण पड़ने वाले अत्यधिक वित्तीय भार का अनुमान लगाया जा सकता है ।

पिछले वर्षों में पानी का अकाल विशेष रूप से सामने आया है । इससे जन-जीवन व पशुधन दोनों पर कुप्रभाव पड़ा है । सरकार अनाज के अभाव को तो अपेक्षाकृत आसानी से दूर कर सकती है, लेकिन पानी का अभाव इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता । राज्य में पिछले वर्षों से अकाल ने **'त्रिकाल' (Triple Famine) का रूप धारण कर लिया है, जिसमें भोजन, चारे व पानी तीनों का गम्भीर संकट एक साथ खड़ा हो जाता है ।**

अकाल, सूखे व अभाव की समस्या के कारण—निरन्तर पड़ने वाले अकाल प्रकृति व पुरुष के बीच निरन्तर चलने वाले कठिन संघर्ष की दशा को सूचित करते हैं । इसके लिए प्राकृतिक कारण प्रमुख होते हैं । लेकिन साथ में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों को भी काफी सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । इन पर आगे प्रकाश डाला जाता है—

---

1. Economic Review 2003-2004, Raj. पूर्वोद्धृत ।
2. Memorandum to the Tenth Finance Commission, Govt of Raj, p 95

(1) प्राकृतिक कारण—

(अ) धरातल की बनावट, जलवायु वगैरह—दूर-दूर तक फैला मरुस्थल या मरु-प्रदेश जहाँ ग्रीष्म ऋतु में तपती धरती, तपता आसमान, तपते इन्सान व तपते पशु सब कठोर नियति के जाल में फंसे होते हैं, जिससे छुटकारा पाना दुष्कर होता है, क्योंकि 11 मरुस्थलीय जिलों में सर्वत्र बालू के टीले पाए जाते हैं तथा धरती के नीचे व इसकी सतह पर जल का नितान्त अभाव होता है। हम पहले बतला चुके हैं कि इन ग्यारह जिलों की दो लाख नौ हजार वर्ग किलोमीटर भूमि प्राय: इस मरु दानव के पंजों में बुरी तरह जकड़ी रहती है।

इन क्षेत्रों में हवा से मिट्टी का कटाव निरन्तर होता रहता है जिससे रेगिस्तान सुनिश्चित गति से आगे बढ़ता जा रहा है। आगे चलकर इससे अन्य राज्यों की उपजाऊ धरती को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

(आ) वर्षा की कमी, अनियमितता व अनि- श्चितता—अकाल व सूखे की स्थिति का प्रधान कारण मानसून का विफल होना माना गया है। राजस्थान के उपर्युक्त 11 मरुस्थलीय जिलों में साल भर में सामान्यतया वर्षा पचास सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। जैसलमेर में औसतन 16 सेमी. वर्षा ही हो पाती है। पिछले 100 वर्षों में वहाँ केवल 25 वर्ष ही बारिश हुई, जिससे इस इलाके में वर्षा के अभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। **अत: आवश्यकता के अनुसार वर्षा का न होना, कभी-कभी वर्षा का बिल्कुल न होना तथा कभी देर से होना, ये सब अकाल व सूखे की स्थितियों को जन्म देते हैं।** अभाव की ये स्थितियाँ कभी-कभी नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। तब लोग-बाग अपने मवेशियों को लेकर निकटवर्ती राज्यों में चारे व पानी की तलाश में पलायन या निष्क्रमण करने लगते हैं। अकाल से पशुधन की भारी हानि होती है। कभी-कभी निकटवर्ती राज्यों में भी अभाव व सूखे के कारण उनमें पशुओं के प्रवेश से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि पड़ौसी राज्य इसका विरोध भी करते हैं। उनकी स्वयं की कठिनाइयाँ भी दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं।

(2) आर्थिक कारण—

आर्थिक विकास के अभाव से भी अकाल व सूखे की समस्या अधिक जटिल होती गई है। मरुप्रदेश या मरु जैसे प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। जनसंख्या के बढ़ने से आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ा है। लोगों के लिए रोटी-रोजी की समस्या काफी गम्भीर हो गई है। परम्परागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हुआ है तथा सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषि को उन्नत करने में बाधा पहुँचती है। बालू मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। जोधपुर की सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (काजरी) की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, चारे की कमी का कारण बढ़ती हुई पशु-संख्या है। 1972-77 की अवधि में पशुओं की संख्या 44.5 लाख बढ़ी थी, जिससे प्रति पशु चराई की भूमि घट गई थी। जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण अधिक भूमि पर खेती की जाने लगी है जिससे सन्तुलित चारे के अभाव में इसके दाम बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के दाम

बढ़ाने पड़ते हैं । मरुस्थलीय प्रदेशों में कृषिगत उत्पादकता भी नीची पाई जाती है जिससे कृषकों की आमदनी कम होती है । सहायक धन्धों के अभाव में आमदनी बढ़ा सकना भी सुगम नहीं होता । अत: बेरोजगारी व अल्प-रोजगार की समस्या भी काफी तीव्र हो गई है। **लघु कृषकों, भूमिहीन किसानों व ग्रामीण काश्तकारों के श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता** जिससे अकाल के समय इनकी आर्थिक हालत बड़ी दयनीय हो जाती है । सरकार राहत कार्य चलाकर इन लोगों को लाभ पहुँचाने का प्रयास करती है ।

(3) सामाजिक कारण—

जलाने की लकड़ी के अभाव की समस्या काफी जटिल रूप धारण कर चुकी है। लोगों ने अंधाधुंध पेड़ काट डाले हैं व अनियंत्रित चराई ने मिट्टी के कटाव की समस्या को तीव्र कर दिया है । कृषिगत भूमि, वन, जल, आदि का परस्पर सन्तुलन बिगड़ जाने से परिवेश-असंतुलन (ecological im-balance) की समस्या उत्पन्न हो गई है । इसके लिए उचित जल व भूमि-प्रबन्ध की आवश्यकता है ।

(4) राजनीतिक कारण—

अकाल व सूखे की समस्या का सम्बन्ध राजनीतिक कारणों से भी माना गया है। **विभिन्न योजनाओं की अवधि में सरकार ने स्थायी व उत्पादक राहत कार्यों की बजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ध्यान दिया जिससे उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों (productive community as-sets) का निर्माण तेजी से नहीं हो पाया है ।** फलस्वरूप राहत कार्यों पर किया गया व्यय दीर्घकालीन दृष्टि से पर्याप्त प्रतिफल नहीं दे पाया है और अकाल को रोकने की दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित रही है । यदि प्रारम्भ से ही सुनियोजित तरीके से अकालों से लड़ने का प्रयास किया जाता तो इन 'अनचाहे मेहमान' को अपने घर वापस भेजना सम्भव हो सकता था । लेकिन प्रशासनिक कमियों के कारण यह जमकर बैठा हुआ है और जाने का नाम तक नहीं लेता ।

इस प्रकार अकाल व सूखे की समस्या प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक कारणों की देन है । राज्य सरकार के पास वित्तीय साधनों की कमी रही है जिससे वह राज्य को अकाल के दानव से मुक्त नहीं करा सकी है । फिर भी कई प्रकार के राहत कार्यक्रम चलाकर सरकार लोगों को भूख-प्यास से मरने नहीं देती और अकाल से जूझने के लिए सदैव कृत-संकल्प रहती है, जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट हो जाएगा—

राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या के हल के लिए सरकारी नीति—राजस्थान में अकाल की समस्या एक अल्पकालीन समस्या नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालीन समस्या है । अत: इस समस्या का स्थायी हल तो दीर्घकाल में ही सम्भव हो सकता है । फिर भी राज्य सरकार ने इसके हल के लिए भूतकाल में कई प्रयास किए हैं और वर्तमान में भी ये प्रयास जारी हैं । आगामी वर्षों में भी इस समस्या के लिए निरन्तर प्रयास जारी रखने होंगे ।

(i) अल्पकालीन नीति—

अकाल राहत-कार्य—अकाल की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में सरकार की मुख्य नीति राहत कार्य (relief works) चालू करने की रही है। इसके लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता देने की माँग की जाती है। वित्तीय साधनों के आधार पर भू-संरक्षण, सड़क-निर्माण, पाठशाला व औषधालय-निर्माण, सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण, तालाबों व अन्य सिंचाई के साधनों के निर्माण व उनकी मरम्मत तथा रख-रखाव एवं जल की सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध किया जा सके तथा पशुओं को भी पीने का पानी मिल सके। इसके अलावा चारे की उपलब्धि बढ़ाने जैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि लोगों को रोजगार व आमदनी मिल सके एवं साथ में उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके।

राज्य में कुछ वर्षों के अकाल-राहत कार्यों का संक्षिप्त परिचय

अकाल राहत कार्य (1985-86 के अकाल के सन्दर्भ में)[1]—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, 1985-86 का अकाल काफी भीषण किस्म का रहा था और इसने उस समय के 27 जिलों में से 26 जिलों को प्रभावित किया था। इससे राज्य के 26859 गाँवों की 2 करोड़ 20 लाख जनसंख्या व 3 करोड़ से अधिक पशु प्रभावित हुए थे। अकाल के समय पीने के पानी, पशुओं के लिए चारे व मनुष्यों के लिए अन्न का नितान्त अभाव हो गया था।

राज्य सरकार ने अक्टूबर 1985 से 15 जुलाई, 1986 तक विभिन्न प्रकार के अकाल राहत कार्य संचालित किए थे जिससे लोगों के लिए रोजगार व आमदनी की व्यवस्था की जा सकी थी, तथा कई स्थानों में टैंकरों, बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों आदि की सहायता से पीने का पानी पहुँचाया गया था एवं पशुओं के लिए चारे व पानी की सुविधा बढ़ाई गई थी। जैसलमेर जिले में दिसम्बर, 1985 से मार्च, 1986 तक के चार महीनों में 1.2 लाख क्विंटल घास कटवाकर सूखाग्रस्त जिलों को भेजी गई थी और उससे राज्य सरकार को करीब 2 करोड़ रुपये की नकद आय हुई थी। जैसलमेर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 125 किलोमीटर लम्बी व 25-30 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी पर 'सेवण' घास ईश्वर का वरदान मानी जाती है। यह 45° सेल्सियस तक के तापमान में उग व पनप सकती है। इस पट्टी पर 50 से 80 लाख क्विंटल घास पाई जाती है। यह पशुओं के लिए पौष्टिक आहार का काम देती है। सरकार को जैसलमेर के इस घास के खजाने का विस्तार करना चाहिए। लाखों श्रमिकों को अकाल-राहत कार्यों में रोजगार दिया गया था।

1985-86 में अकाल-राहत कार्यों की दो विशेषताएँ रहीं—

(1) मजदूरी का भुगतान अनाज के रूप में किया गया था, भारत सरकार से जो सहायता मिली उसे सामग्री के अंश के रूप में व्यय किया गया।

---

1 मुख्यमंत्री का बजट भाषण 1986-87, मार्च 1986, पृ. 6-9

1985-86 में अकाल राहत पर कुल व्यय लगभग 88.9 करोड़ रुपयों का हुआ था तथा भू-राजस्व की वसूली 5.6 करोड़ रुपयों तक की रोक दी गई थी।

(2) दूसरी विशेषता यह थी कि स्थायी महत्त्व एवं उत्पादक किस्म के कार्यों को प्राथमिकता दी गई ताकि सिंचाई, भू-संरक्षण, वन एवं सड़क-निर्माण के कार्यों का भलीभाँति विस्तार किया जा सके।

निर्माण-कार्यों में सर्वाधिक राशि का सिंचाई कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान था। दूसरा स्थान सड़क निर्माण कार्यों को दिया गया था। उसके बाद भू-संरक्षण, वनों के विस्तार आदि का स्थान आया था।

स्मरण रहे कि अधिकांश राहत कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) के अन्तर्गत किए गए थे। रोजगार देने में भूमिहीन श्रमिकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनु-सूचित *जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई थी।*

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी व्यापक निर्माण कार्य हाथ में लिए गए थे। इसके लिए उनको विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा व जनजाति विकास आदि से एवं भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराई गई ताकि पाठशाला-भवनों आदि का निर्माण कराया जा सके। अन्य कार्य पटवार घर, पंचायत घर, औषधालय भवन, पंचायत की दुकानें, पेयजल कुओं का निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा तालाबों की मरम्मत व गहरा कराने आदि के कार्य भी सम्मिलित थे।

ये कार्य सामान्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों के अतिरिक्त थे।

1986-87 के भीषण अकाल से सम्बन्धित राहत-कार्य

1986-87 के भीषण-अकाल का दुष्प्रभाव 31936 गाँवों, 2.53 करोड़ लोगों व 3.27 करोड़ पशुओं पर पड़ा था।

अकाल-राहत कार्य निम्न विभागों द्वारा चलाए गए थे—(i) राहत विभाग, *(ii)* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत, *(iii)* सार्वजनिक निर्माण विभाग, *(iv)* सिंचाई विभाग, *(v)* वन-विभाग, *(vi)* पंचायत समितियों के माध्यम से।

राहत कार्यों में कुओं के निर्माण, भवन-निर्माण, सिंचाई के कार्य, सड़क-निर्माण, भू-संरक्षण आदि शामिल थे। जून 1987 में 14.73 लाख लोगों को राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार ने राजस्थान को राहत सहायता के बतौर 2 लाख टन गेहूँ आवंटित किया था।

अगस्त 1987 में राज्य सरकार ने अकाल से निपटने के लिए निम्न उपाय घोषित किए थे—

(1) राहत कार्यों पर तत्काल मजदूरों की संख्या 7 लाख बढ़ाने की घोषणा की गई थी। (2) असिंचित क्षेत्रों में लगान व सहकारी कर्जों की वसूलियाँ तुरन्त स्थगित करने का फैसला किया गया था। जिन गाँवों में लगातार चार साल से अकाल पड़ रहा था, वहाँ एक साल का लगान माफ करने की कार्यवाही का निर्णय किया गया था। अल्पावधि के सहकारी कर्जों को मध्यावधि कर्जों में परिवर्तित किया गया था। (3) राठी, थारपारकर

कांकरेज आदि उन्नत नस्ल की गायों को बचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया था। इसके अनुसार **ऐसी गायों को विशेष रूप से श्रीगंगानगर के केम्पों में रखा गया जहाँ इन्हें चारा, पानी, दवाइयाँ आदि उपलब्ध हो सकें और साथ में उनका दूध बिक सके।** स्वयंसेवी संस्थाओं का भी व्यापक रूप से सहयोग लिया गया था। इन्होंने चारे का वितरण करने में मदद की थी। चारे के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी प्रदान की थी। (4) एक सौ ट्यूब-वैल जो उस समय उपयोग में नहीं आ रहे थे, उनका विद्युतीकरण करके घास उगाने का काम करने का निर्णय किया गया था। (5) सूरतगढ़ व जैतसर कृषि-फार्मों में चारा उगाने की व्यवस्था की गई थी। (6) पीने के पानी के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, आबू, पाली, राजसमन्द, भरतपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ आदि शहरों में हैण्ड-पम्प व ट्यूब-वैल खुदवाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था। (7) सार्वजनिक वितरण की दुकानों की संख्या बढ़ाई गई थी। आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमणशील दुकानें खोली गई थीं। (8) पंजाब व हरियाणा से चारा खरीदने की व्यवस्था की गई थी। (9) अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा पहुँचाने के लिए केन्द्र जो अनुदान देता है, उसे 30 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर भाड़े का वास्तविक खर्च वहन करने की सिफारिश की गई थी। सरकार ने एक वृहद् आपात योजना को लागू करने का निश्चय किया था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अकाल की समस्या राज्य सरकार के समक्ष एक महान चुनौती बनकर आती है। सरकार ने राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने का प्रयास किया, लेकिन मुख्य कठिनाई वित्त के अभाव की रही है। सरकार केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता लेने का प्रयास करती है ताकि सूखे पर काबू पाया जा सके। 1985-86 में गुजरात व मध्य प्रदेश में भी सूखा पड़ने के कारण राजस्थान से पशुओं का निष्क्रमण वहाँ नहीं हो पाया था और दो लाख से अधिक पशुओं को जैसलमेर के चरागाहों में भेजा गया था और उनके लिए वहाँ पीने के पानी की विशेष व्यवस्था की गई थी। दुधारू पशुओं को पशु-आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष रूप से व्यवस्था की थी तथा गाँवों में पेयजल की व्यवस्था बढ़ाई गई थी। 1986-87 के अकाल का मुकाबला करने के लिए सरकार को पुनः सक्रिय होना पड़ा था और विभिन्न राहत कार्यों पर निर्माण कार्य चलाए गए थे। ये राहत कार्य जून 1987 के बाद भी कुछ अवधि तक जारी रखने पड़े थे। राज्य सरकार ने केन्द्र से राहत कार्यों के लिए सहायता माँगी थी।

1987-88 के अकाल में राहत कार्य[1]

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 1987-88 में 27 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया। इससे 36252 गाँव प्रभावित हुए जिनमें 3.17 करोड़ जनसंख्या अकाल की चपेट में आ गई थी। इतनी विशाल जनसंख्या को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य था। इस अकाल में 3 लाख राहत कार्य प्रारम्भ कर कुल 42.4 करोड़ रुपये मानव-दिवस का कार्य सृजित किया गया। **अकाल राहत कार्यों पर 1987-88 में 622 करोड़ रुपये व्यय हुए,** जो वार्षिक योजना के सार्वजनिक परिव्यय की राशि से

1 बजट भाषण 1989-90, पृ 4

अधिक थे। जैसा कि पहले बतलाया गया है, यह राशि नवम्बर 1992 के मूल्यों पर 998.6 करोड़ रु. (लगभग एक हजार करोड़ रु.) आती है। इसमें गेहूँ का मूल्य भी शामिल है। राज्य ने केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त स्वयं के साधनों से करोड़ों रुपये व्यय किए। **सूखा-प्रबन्ध पर इन 16 महीनों में (1987-88 व बाद में) जो धनराशि व्यय की गई वह गत चार दशकों में अकाल राहत-सहायता पर व्यय की गई कुल राशि से भी बहुत ज्यादा थी।**

1990-91 व बाद के वर्षों के लिए अकाल व अभाव की स्थिति के आवश्यक आँकड़े निम्न तालिका में दिए गए हैं[1] —

वर्ष	प्रभावित जिले	प्रभावित गाँवों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	भू-राजस्व की वसूली रोकी गई (लाख रु.)
1990-91	–	–	–	–
1991-92	30	30041	289 0	325 9
1992-93	12	4376	34 7	29 1
1993-94	25	22586	246 8	491 4
1994-95	–	–	–	–
1995-96	29	25478	273 8	209 1
1996-97	21	5905	55 3	28 9
1997-98	24	4633	14 9	2 8
1998-99	20	20069	215 1	168 5
1999-2000	26	23406	261 8	228 0
2000-2001	31	30583	330 4	310 5
2001-2002	18	7964	69 7	45 8
2002-2003	32	40990	447.8	429 3

तालिका से स्पष्ट होता है कि 2002-03 अकाल भीषणतम रहा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वर्ष 1990-91 व 1994-95 अकाल व अभाव से मुक्त रहे थे। लेकिन 1995-96 में राज्य पुनः अकाल की चपेट में आ गया था जिससे काफी गाँवों की जनसंख्या प्रभावित हुई थी। 1998-99 में 20 जिलों के 20069 गाँवों में अकाल का प्रभाव पड़ा। **1999-2000 में राज्य के 26 जिलों के 23406 गाँव अकाल की गिरफ्त में रहे हैं जिनमें लोगों व पशुओं को भारी क्षति पहुँची है।** 2000-2001 में 31 जिलों के 30583 गाँव अकाल से प्रभावित हुए जिनमें 3.3 करोड़ जनसंख्या व 4 करोड़ पशु अकाल की गिरफ्त में आए थे। **2002-03 में राज्य के सभी 32 जिलों के 40990 गाँव अकाल से प्रभावित हुए थे।** इसमें लगभग 4.5 करोड़ जनसंख्या व करोड़ों पशु अकाल से प्रभावित हुए। 1988-89 व बाद के वर्षों में सूखा-राहत कार्यों पर व्यय

1 Economic Review 2003-2004, Raj, पूर्वोद्धृत।

की राशि आगे की तालिका में दर्शाई गई है । इसका उपयोग लोगों को राहत-कार्यों में रोजगार देने, पीने का पानी उपलब्ध कराने व पशुओं को चारा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए किया गया था । साथ में बाढ़ व ओलों आदि से सम्बन्धित राहत-कार्यों का व्यय भी दिया गया है ।

सूखा राहत कार्यों पर व्यय की राशि[1]

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सूखा	बाढ़, ओलावृष्टि आदि	कुल
1988-89	322.8	1 6	324 4
1989-90	30.7	1.2	31.9
1990-91	38 4	3.8	42.4
1991-92	5 7	0 6	6 3

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1988-89 में सूखा-राहत कार्यों पर व्यय 323 करोड़ रु. रहा । वैसे 1990-91 का वर्ष अकाल व सूखे से मुक्त था, लेकिन पिछले वर्ष का राहत व्यय जारी रहने से इस वर्ष भी 38 करोड़ रु. का व्यय दर्शाया गया है । 1995-96 में भी खरीफ के मौसम में कृषिगत उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा और सरकार को राहत-कार्य प्रारम्भ करने पड़े । सरकार ने स्थायी प्रकृति के कार्यों पर बल दिया और अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की नीति अपनाई । 1995-96 में प्रारम्भ किए गए राहत-कार्य जुलाई 1996 तक जारी रखे गए । 1996-97 में रोजगार, पेयजल व चारे आदि की व्यवस्था के लिए सम्बद्ध विभागों को 210 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई । 1996-97 में सामान्यतया अच्छी बरसात हुई, लेकिन राज्य के कुछ भागों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे । बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये 1996-97 में सम्बद्ध जिलाधीशों व विभागों को 33.12 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी ।[2]

1999-2000 के अकाल की स्थिति में राज्य सरकार ने केन्द्र से राहत-सहायता के रूप में नवम्बर 1999 में 1145 करोड़ रुपये की माँग की थी, जिसमें से केन्द्र ने केवल 103 करोड़ रुपये राष्ट्रीय-आपदा-सहायता-कोष (NCRF) से 31 मार्च, 2000 को स्वीकृत किए गए थे । वर्ष 2002-2003 में लगातार पाँचवें वर्ष भीषण अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सितम्बर 2002 में राज्य सरकार ने केन्द्रीय अध्ययन दल के समक्ष 7519.76 करोड़ रुपये की माँग प्रस्तुत की तथा 56 लाख मेट्रिक टन गेहूँ की आवश्यकता प्रकट की ।

1 Memorandum to the Tenth Finance Commission, p. 95
2 Economic Review 1996-97, GOR, pp 139-140

2003-04 में राजस्थान अकाल से मुक्त रहा, लेकिन जून-जुलाई 2004 में समय पर वर्षा नहीं होने से राज्य में पुन: अकाल के आसार उत्पन्न होने लगे । **सरकार ने केन्द्र से 7719.43 करोड़ रु. की अकाल-सहायता की माँग पेश की और गेहूँ की भी माँग की है । लेकिन अगस्त 2004 में वर्षा होने से स्थिति कुछ अनुकूल हुई है** । अत: सरकार को बदलते हुए हालात पर कड़ी नजर रखनी होगी और परिस्थिति के अनुकूल फैसले करने होंगे । अकाल के प्रभाव के अनुरूप लोगों के लिए अनाज, पानी, रोजगार तथा पशुओं के लिए चारे-पानी की व्यवस्था करनी होगी । अत: अकाल की समस्या पुन: उत्पन्न हो सकती है ।

अकाल की समस्या को हल करने के लिए प्रमुख सरकारी कार्यक्रम—राज्य सरकार ने अकाल की समस्या के हल के लिए निम्न दो दिशाओं में प्रयास किए हैं । राज्य में विशिष्ट योजना संगठन (Special Schemes Organisation) (SSO) की स्थापना 1971 में की गई थी । इसकी तरफ से विभिन्न योजनाएँ चलाई गई हैं, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, बायो गैस कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, लघु व सीमान्त कृषक वृहद् कार्यक्रम तथा ऊर्जा व जल बचत सिंचाई योजना आदि । इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को लाभ पहुँचता है । लेकिन इनमें से सूखा सम्भावित कार्यक्रम व मरु विकास कार्यक्रम का अकाल की समस्या से सीधा सम्बन्ध होता है । इसलिए इन पर नीचे प्रकाश डाला गया है ।

(1) सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (DPAP)—कार्यक्रम वर्ष 1974-75 से प्रारम्भ किया गया था । इससे रोजगार व आय में वृद्धि होती है एवं सूखे के प्रभाव को कम करना सम्भव होता है । प्रारम्भ में यह कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों तथा बाँसवाड़ा व डूँगरपुर क्षेत्र में लागू किया गया था । लेकिन धीरे-धीरे यह 13 जिलों के 79 खण्डों में फैला दिया गया । 1982-83 में केन्द्रीय सरकार ने एक दल की सिफारिश के आधार पर इसे 61 खण्डों में समाप्त कर दिया तथा बाद में यह केवल 18 विकास खण्डों में ही जारी रखा गया ।

1974-75 से 1978-79 तक इसके व्यय का 2/3 अंश केन्द्रीय सरकार तथा 1/3 अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था । 1979-80 में 50-50 प्रतिशत भार दोनों सरकारों के द्वारा वहन किया जा रहा है । मार्च 1985 तक लगभग 77 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं पर व्यय किए गए थे । 1985-86 में केन्द्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़ व कोटा जिलों के 12 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम लागू किया गया था । इस प्रकार सातवीं योजना में 8 जिलों के कुल 30 विकास खण्डों में (DPAP) कार्यक्रम संचालित किया गया और इस पर 23.78 करोड़ रुपये व्यय किए गए । 2003-04 में (DPAP) के अन्तर्गत 25.23 करोड़ रु. प्राप्त किये गये, जिसके तहत 28.21 करोड़ रु. काम में लिए गये । इस कार्यक्रम के माध्यम से भू-संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण व चरागाह विकास के कार्य संचालित किए जाते हैं । वर्तमान में यह कार्यक्रम 11 जिलों में *क्रियान्वित किया जा रहा है* ।

(2) मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम (DDP) 1977-78 से केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । 1979-80 से केन्द्र व राज्य

इसमें 50-50 प्रतिशत व्यय करने लगे थे। **1985-86 से पुनः इसका सम्पूर्ण व्यय-भार केन्द्र द्वारा वहन किया जाने लगा है। यह कार्यक्रम 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 विकास-खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है।** 31 मार्च 2000 तक 841 वाटरशेड प्रोजेक्ट पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिनके लिए शत-प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार की रही है। 1 अप्रैल 1999 से नए प्रोजेक्टों के लिए केन्द्र का अंश 75% व राज्यों का 25% रखा गया है, और 4 वर्षों में **'मरुस्थलीकरण का मुकाबला'** करने के लिए 97.50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, मरुस्थलीय वन, भू-जल, चारा विकास, पशु, जल-सप्लाई व ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कार्यक्रम आते हैं। आरम्भ से मार्च 1985 तक लगभग 73 करोड़ रुपये व्यय किए गए। सातवीं योजना में (1985-90) इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र ने 147 करोड़ की धनराशि आवंटित की थी। इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति विनियोग की राशि 109 रुपये रही। **2003-04 में इस कार्यक्रम के लिए लगभग 128.56 करोड़ रु. प्राप्त हुए, जबकि व्यय की राशि 110.44 करोड़ रु. रही। बाह्य संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने का प्रयास किया गया है। इसमें इजराइल से तकनीकी सहयोग लेने का प्रयास प्रमुख माना जाता है।**

सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए दीर्घकालीन नीति (Long Term Policy)

सरकार ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अकाल राहत कार्य चालू करने की नीति अपनाई है तथा सूखा संभाव्य तथा मरु विकास कार्यक्रम आदि अपनाए हैं। लेकिन इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए दीर्घकालीन उपायों की आवश्यकता है। इसका विवेचन नीचे किया जाता है—

(1) विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था—सिंचाई के विस्तार से ही अकालों पर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा कृषिगत उत्पादन की अस्थिरता कम की जा सकती है। राज्य में भूजल विकास की सम्भावनाओं का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा **इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को प्रत्येक दृष्टि से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, जैसे नहर के दूसरे चरण के संशोधित रूप को पूरा करना, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करना तथा अन्य कार्य पूरे करना, ताकि उनके लाभ आम आदमी तक शीघ्र पहुँच सकें। इसके लिए प्रशासन को सुदृढ़ करना होगा।**

इन्दिरा गाँधी नहर से होने वाले लाभों के संबंध में अमृत नाहटा का मत है कि इससे अकाल का स्थाई हल निकल सकता है; बशर्ते कि इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में पशु-पालन, फलों के वृक्षों, फूलों तथा सब्जी का विकास किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि का विकास करना उपयुक्त नहीं होगा। उनका मत है कि यदि इंदिरा गाँधी नहर प्रदेश में पशु-पालन, बागवानी, उद्योग-धंधे व दस्त-कारियों का विकास किया जाए तो वे कृषि के मुकाबले ज्यादा आर्थिक लाभ दे सकते हैं और उस प्रदेश के लोगों का अधिक

रोजगार मिल सकता है तथा उनकी आमदनी बढ़ सकती है ।[1] कुछ इंजीनियरों व विशेषज्ञों ने नाहटा के मत का समर्थन नहीं किया है । उनका कहना है कि इंदिरा गाँधी नहर क्षेत्र में कृषिगत फसलों की पैदावार भी बढ़ायी जा सकती है और बढ़ायी जानी चाहिए । भूमि की लवणता व जल-प्लावन की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए ।

(2) सिंचित क्षेत्र में उत्तम जल-व्यवस्था—सिंचित क्षेत्रों में जल की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सिंचाई से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किए जा सकें । पानी के निकास की व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए ताकि पानी के अभाव में क्षारयुक्त भूमि की समस्या उत्पन्न न हो । जल का वितरण सही ढंग से होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के सभी कृषक ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें ।

(3) अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी समन्वय—योजना में शामिल विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, सामान्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों, अकाल राहत कार्यक्रमों, पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में परस्पर प्रभावपूर्ण तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण में तेजी लाई जा सके । भविष्य में विकेन्द्रित नियोजन को अपनाकर रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए । इससे प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र का विकास होगा ।

(4) लूनी नदी के क्षेत्र (बेसिन) का भी विकास किया जाना चाहिए । यह मरु-प्रदेश की मुख्य नदी है तथा कच्छ की खाड़ी में गिरती है । यदि सिंचाई, वृक्षारोपण, भू-संरक्षण व गाँवों में सड़क व भवन निर्माण के कार्यों को सफल बनाया जा सका तो राजस्थान में ग्रामीण जनता की खुशहाली बढ़ सकती है । लूनी जल-ग्रहण-क्षेत्र के विकास हेतु अलग से एक योजना तैयार की जा रही है । पूर्व में लूनी बेसीन परियोजना के लिए एक 200 करोड़ रु की स्कीम एफ डब्ल्यू. जर्मन मिशन को वित्तीय सहायता के लिए भेजी गई थी । अब समय आ गया है जब हम जिला व खण्ड स्तर पर विकास के विभिन्न स्पष्ट, व्यावहारिक व लाभकारी कार्यक्रम संचालित करके राज्य के विभिन्न प्रदेशों की अर्थ-व्यवस्था को अकाल से मुक्त कर सकते हैं । इसके लिए व्यापक ग्रामीण जन सहयोग की शर्त भी स्वीकार करनी होगी ।

(5) अकाल राहत केन्द्रों में मजदूरों की उपस्थिति के 'मस्टर-रोल' ठीक से बनाए जाने चाहिए । उनमें मन-माने नाम भर कर रकम हड़पने से समाज को कोई लाभ नहीं हो सकता । अकाल राहत कार्यों में स्कूल, डिस्पेन्सरी, सड़क आदि का निर्माण किया जाना चाहिए । राहत केन्द्रों की व्यवस्था में सुधार करने से लोगों को रोटी-रोजी की समस्या एक साथ हल हो सकती है । **इसलिए अकाल राहत कार्यों में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाई जानी चाहिए ।** इनके सम्बन्ध में आए दिन विभिन्न प्रकार की अनिय- मितताओं व कमियों के समाचार मिलते रहते हैं, जिससे अकाल से प्रभावित लोगों को पूरी राहत नहीं मिल पाती । अकाल राहत कार्यों पर व्यय करने से लोगों को

1 अमृत नाहटा, नहर में निहित है अकाल का स्थाई हल, राज पत्रिका में लेख 8 मई व 9 मई 2000

रोजगार देने, पशुधन को बचाने, चारा उपलब्ध कराने, पेयजल पहुँचाने, कुपोषण व बीमारियों से बचाने तथा कृषिगत क्षेत्र के विकास में योगदान दिया जाता है। अतः इस धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग करके अकालग्रस्त लोगों को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया जाना चाहिए।

(6) मरुक्षेत्र में बालू के टीलों का स्थिरीकरण (Stabilisation of sanddunes) करने के लिए कूचा लगाना चाहिए जो मिट्टी को उड़ने से रोकता है। चारे के वृक्षों (fodder-trees) **जैसे खेजड़े का वृक्षारोपण बढ़ाया जाना चाहिए। इसे राजस्थान का 'कल्पतरू' कहा गया है।** इसकी लोंग, सांगरी व लकड़ी बहुत काम की होती है। बेर की झाड़ी, बेर का फल, पशुओं के लिए पाला व बाड़ के काँटे देती है। रोहिड़ा वृक्ष भी टिम्बर की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। गोठ व ग्वार के पत्तों का चारा बनता है।

अतः अब ऐसी विधियाँ निकाली गई हैं जिनसे हम मरुस्थल में शीघ्र व कम व्यय से पेड़ों व चरागाहों का विकास करके अकाल व सूखे की दीर्घकालीन समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए राजनीतिक व सामाजिक इच्छा-शक्ति की विशेष आवश्यकता है, जिसके बिना ठोस प्रगति का वातावरण नहीं बन सकता। हमें व्यर्थ पड़ी भूमि का सदुपयोग करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विदेशों से तकनीकी व वित्तीय सहयोग भी लिया जाना चाहिए।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्यकलापों के विस्तार की आवश्यकता—गाँवों में कुटीर व लघु उद्योगों का विकास करना भी अकालों का सामना करने की दीर्घकालीन नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है। **इससे ग्रामीण जनता की आमदनी में अधिक स्थिरता व सुनिश्चितता आती है, जिससे वे अकाल की भीषण स्थिति में भी अपने कार्यों को जारी रख सकते हैं।** यदि लोग-बाग सदैव कृषि पर निर्भर करते हैं, अथवा बेरोजगार रहते हैं तो उनकी अकालों का सामना करने की क्षमता कमजोर हो जाती है इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर-कृषिगत कार्यों में रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए।

राजस्थान में लघु पैमाने पर खनन-उद्योग, खनिज पदार्थ-आधारित उद्योग, हथकरघा, विविध ग्रामीण उद्योगों तथा दस्तकारियों आदि का विकास करके ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सशक्त किया जाना चाहिए। **जिस सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्य-कलापों का विस्तार होगा, उस सीमा तक लोगों की अकाल व सूखे की दशाओं का सामना करने की आर्थिक व वित्तीय क्षमता भी बढ़ेगी।**

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, अकाल के समय सबसे बड़ा संकट पेयजल का होता है। राजस्थान में जल का नितान्त अभाव है और वर्षा न होने पर या कम होने पर यह संकट गहरा हो जाता है। आज भी राजस्थान का ग्रामवासी यह मानता है कि वर्षा न होने पर सरकार भी क्या कर सकती है। (देहाती भाषा में, **'राम रूठग्यो तो राज कांई कर लेसी'**)। अतः मुख्य समस्या पानी के अभाव को दूर करने की है। भूमि के नीचे जल-स्तर निरन्तर अधिक नीचे जाता जा रहा है। निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर नदी-नालों पर व्यक्तिगत तौर पर छोटे बाँध व एनीकट बनाए जा रहे हैं। नदियों के पास के क्षेत्रों से अवैध रूप से पानी

निकाला जा रहा है । कहीं-कहीं पाइपें काट कर पानी निकाल लिया जाता है । बूस्टरों का प्रयोग करने से जल संकट गहरा हो जाता है । प्राय: यह भी देखने में आता है कि खराब पड़े हैण्ड पम्पों की जल्दी से मरम्मत नहीं हो पाती । विद्युत की आपूर्ति में बाधा पड़ने से पानी की सप्लाई नियमित नहीं हो पाती । नहरों का पानी अन्तिम छोर (टेल) के किसानों को नहीं मिल पाता और ऊपरी छोर (हैड) के किसान जरूरत से ज्यादा पानी खींच लेते हैं । इस प्रकार कई किस्म की अनिय-मितताओं व गड़बड़ियों ने अकाल की समस्या को अधिक जटिल बना दिया है । अत: इन सबको हल करना नितान्त आवश्यक है, जिससे उचित राहत मिल सकती है । **अधिकांश विशेषज्ञों की यह राय है कि उचित ढंग से जल-संग्रहण, जल-संरक्षण व जल-प्रबंधन** (water-harvesting, water-conservation and water-management) **से ही अकालों से संघर्ष करने में मदद मिल सकती है** । इसके लिए ग्राम-पंचायतों में कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर जल-प्रबंध के लिए तैयार करना चाहिए । इसमें NGOs की भी मदद ली जा सकती है । इसके अलावा, बरसात के जल का रोकने के लिए परम्परागत प्रणालियों जैसे कुएँ, बावड़ी, चेक-बांध, तालाब, टांकों, आदि का उपयोग भी बढ़ाना चाहिए ताकि जल-संकट के समय स्थिति का मुकाबला करने में मदद मिल सके ।

इस प्रकार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपायों में उचित तालमेल स्थापित करके सूखे की दशाओं का सामना किया जा सकता है । इस दिशा में अधिक सचेष्ट व सजग रहने की आवश्यकता है ।

नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990-95 के पाँच वर्षों में अकाल राहत कार्यों के लिए राज्य को भारत सरकार से कुल 465 करोड़ रुपया ही उपलब्ध किया गया (620 करोड़ रुपये का 75 प्रतिशत अंश) । शेष 25% राज्य सरकार को देना पड़ा था । लेकिन 1987-88 के अकाल में इससे ज्यादा राशि (622 करोड़ रुपये) एक ही वर्ष में अकाल-राहत पर खर्च की गई थी । **अत: सरकार के समक्ष अकाल राहत कार्यों के लिए धनराशि का नितान्त अभाव पाया जाता है ।** योजना के विकास-कार्यों व अकाल-राहत कार्यों में परस्पर उचित तालमेल बैठाकर अभावग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 की अवधि में विपदा राहत-कोष (Calamity Relief Fund) (CRF) के तहत राजस्थान को 706 89 करोड़ रु. हस्तान्तरित किए थे । राज्य के लिए कुल कोष 945.52 करोड़ रु. का रखा गया, जिसका 75% केन्द्र द्वारा तथा 25% राज्य सरकार द्वारा दिया गया । एक राष्ट्रीय विपदा-राहत कोष (National Fund For Calamity Relief) (NFCR) 700 करोड़ रु. का अलग से बनाया गया जिसमें प्रारम्भिक राशि 200 करोड़ रु. रखी गई । (150 करोड़ रु. केन्द्र द्वारा और 50 करोड़ रु. राज्यों द्वारा) तथा 1995-96 से 1999-2000 तक के पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष केन्द्र ने 75 करोड़ रु. और सभी राज्य सरकारों ने मिलकर 25 करोड़ रु. देने का निर्णय लिया । **इस राशि का उपयोग**

अधिक तीव्र किस्म की प्राकृतिक विपदा की स्थिति का मुकाबला करने में किया जाना था। अब इसका नाम राष्ट्रीय-आकस्मिक-आपदा-कोष [National Contingency Calamity Fund (NCCF)] रखा गया है।

आजकल अकाल व सूखे की स्थिति में राहत कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशियाँ काफी बढ़ गई हैं। अत: भविष्य में अकाल राहत कार्यों के लिए सरकारी सहायता के साथ-साथ व्यक्तिगत व सार्वजनिक संस्थाओं की सहायता की भी जरूरत रहेगी। इस कार्य में सभी का सहयोग वांछनीय होगा।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राज्य में 31 जिलों में अकाल व सूखे की स्थिति किस वर्ष रही ?
   (अ) 1997-98 (ब) 2000-2001
   (स) 1987-88 (द) 1988-89 (ब)
2. राज्य में अकाल व सूखे से सबसे ज्यादा गाँव कब प्रभावित हुए ?
   (अ) 2002-03 (ब) 2000-01
   (स) 1991-92 (द) 1995-96 (अ)
3. अकाल की समस्या का दीर्घकालीन समाधान है—
   (अ) सिंचाई के साधनों का विकास
   (ब) योजनाओं में गाँवों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर अधिक बल,
   (स) मरुक्षेत्र को आगे बढ़ने से रोकने के उपाय,
   (द) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को पूरा करना,
   (ए) सभी। (ए)
4. किन कार्यक्रमों का अकाल-राहत से सीधा सम्बन्ध है ?
   (अ) सूखा-सम्भाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम,
   (ब) मरु विकास कार्यक्रम,
   (स) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम,
   (द) सभी। (अ व ब)
5. 'त्रिकाल' का सम्बन्ध है—
   (अ) बेरोजगारी, पानी व अनाज,
   (ब) अन्न, चारा व पानी,
   (स) आमदनी का अभाव, अनाज व पानी,
   (द) चारा, बेकारी व अनाज। (ब)

6. राजस्थान में बारम्बार होने वाले 'सूखे एवं अकाल' का प्रमुख कारण है—
   (अ) वनों का अवक्रमण (ब) जल का अविवेकपूर्ण उपयोग
   (स) अनियमित वर्षा (द) भूमि का कटाव (स)

[RAS, 1999]

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान में अकाल के कारणों का विवेचन कीजिए। राज्य में इस समस्या को हल करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।
2. राजस्थान में 'अकाल व सूखे' की समस्या का वर्णन कीजिए और समस्या के समाधान के लिए अपनाए गए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए।
3. सूखे की दशाओं का सामना करने के लिए अल्पकालीन उपायों की विवेचना कीजिए।
4. राजस्थान में अकाल—"कारण व समाधान" पर एक संक्षिप्त आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
5. राजस्थान में सूखे और अकाल की समस्या के स्वरूप और इसके समाधान हेतु किए गए उपायों की विवेचना कीजिए।
6. राजस्थान में सूखे एवं अकाल की गम्भीरता का वर्णन कीजिए तथा राज्य सरकार द्वारा सूखे एवं अकाल की समस्या के हल हेतु अपनाई अल्पकालीन एवं दीर्घ-कालीन नीति का वर्णन कीजिए।

पशु-पालन-पशुधन का महत्त्व
(Animal Husbandry-Importance of Livestock)

राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि व पशुपालन एक ही धुरी के दो पहियों की भाँति माने गए हैं। **कृषि पशु-पालन पर निर्भर है तो पशुपालन कृषि पर।** इनकी परस्पर निर्भरता समस्त भारत में अपना महत्त्व रखती है, लेकिन राजस्थान के सन्दर्भ में वह ज्यादा प्रबल व प्रभावी मानी जा सकती है। राजस्थान पशु-सम्पदा में काफी सम्पन्न व विकसित श्रेणी का माना गया है। पशुधन की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में लगातार सूखे व अकाल की दशाओं के कारण जीवनयापन में पशुधन का विशेष सहयोग प्राप्त होता है।

पशुपालन से राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति में लगभग 9% का योगदान प्राप्त होता है।[1] **अन्य सूचक, जो भारतीय सन्दर्भ में राजस्थान के पशुधन की महत्ता को दर्शाते हैं, इस प्रकार हैं—**

- *(i)* राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन (Milk Production) का अंश लगभग 10%,
- *(ii)* राज्य के पशुओं द्वारा भार-वहन शक्ति (draft power) 35%,
- *(iii)* भेड़ के माँस में राजस्थान का भारत में अंश 30%,
- *(iv)* ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40%,
- *(v)* वर्तमान में राज्य में भेड़ों की संख्या समस्त भारत की संख्या का लगभग 25% है।

राजस्थान में दूध व दूध से बने पदार्थ, ऊन, मांस, चमड़ा आदि उद्योगों का आधार पशुधन है। राज्य में पशुधन में काफी वृद्धि होती रही है, जो अगली तालिका से स्पष्ट हो जाती है। **1997 की पशु-संगणना (Livestock census) के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या 543.5 लाख आंकी गई है। यह 1992 में 477.7 लाख रही है। इस प्रकार 1992-97 की अवधि में पशुओं की संख्या में 65.8 लाख की वृद्धि हुई है।**

1. Economic Review 2003-04, p. 51.

आगे की तालिका से स्पष्ट होता है कि 1988 में 1983 की तुलना में पशुओं की संख्या में भारी गिरावट आई थी। बार-बार पड़ने वाले सूखे की दशाओं ने राज्य के पशुधन को भारी क्षति पहुँचाई है। 1983-88 की अवधि में कई बार भयंकर सूखे पड़े हैं। 1987-88 का सूखा सबसे अधिक भीषण रहा है। परिणामस्वरूप इस अवधि में गौवंश के पशुओं की संख्या में 19.2%, बकरियों की संख्या में 18 7% तथा भेड़ों की संख्या में 26 2% की भारी गिरावट आई थी। इसी अवधि में ऊँटों की संख्या में भी 4 6% की कमी हुई, लेकिन भैंस-जाति के पशुओं में 4 9% की वृद्धि हुई थी। कुल मिलाकर 1983 में पशुओं की संख्या 4.97 करोड़ से घटकर 1988 में 4.09 करोड़ रह गई थी, जो वास्तव में एक भारी क्षति की सूचक थी। राज्य में कुल पशुधन में भेड़-बकरी की संख्या 50% से अधिक पाई जाती है। 1992 की पशु-गणना के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या 4 78 करोड़ रही जो 1988 की तुलना में अधिक थी। 1997 में यह बढ़कर 5 47 करोड़ हो गई, जिसका विभिन्न पशुओं के अनुसार वितरण इस प्रकार रहा।[1]

1997 में विभिन्न प्रकार के पशुओं की संख्या

गौवंश अथवा गाय बैल (Cattle)	1 21 करोड़
भैंस जाति के	97 7 लाख
भेड जाति के	1 46 करोड़
बकरी जाति के	1 70 करोड़
शेष ऊँट, घोड़े, गधे, सुअर आदि	12 लाख

इस प्रकार संख्या की दृष्टि से पशुओं में गाय-बैल (Cattle) तथा भेड़-बकरी व भैंस जाति के पशुओं का स्थान काफी ऊँचा है। आर्थिक दृष्टि से भी इनके महत्त्व की अधिक चर्चा की जाती है।

विभिन्न वर्षों में पशुओं की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है—

1951-1997 के बीच पशुओं की संख्या में परिवर्तन[2]

वर्ष	पशुधन (संख्या लाखों में)
1951	246 4
1961	345 0
1972	386 8
1977	413 6
1983	496 5
1988	409 0
1992	477 7
1997	546 7

1. Some Facts About Rajasthan 2003, DES part I, p. 17.
2. Agricultural Statistics of India, 1973-74 to 1997-98, Feb. 1999, p.104

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1997 में पशुओं की संख्या में 1992 की तुलना में 69 लाख की वृद्धि हुई। राज्य में 1997 में गौवंश के पशु लगभग 1.21 करोड़, भेड़ जाति के पशु 1.46 करोड़ तथा बकरी-जाति के पशु 1 70 करोड़ पाये गए। वर्ष 2000 व 2001 के अकालों में काफी संख्या में पशु चारे-पानी के अभाव में मौत के मुँह में चले गए हैं, जिससे राज्य के पशु-धन को भारी क्षति पहुँची है।

राजस्थान में गौ-वंश के पशुओं (Cattle) में गिर, राठी व थारपारकर नस्लें दूध के उत्पादन की दृष्टि से, नागौरी व मालवी बैल की दृष्टि से तथा हरियाणा व कांकरेज नस्लें दोनों दृष्टियों से (उत्तम बैल व अधिक मात्रा में दूध) महत्त्व रखती हैं। इनसे सम्बन्धित प्रमुख जिले व स्थान इस प्रकार हैं—

गिर—अजमेर, किशनगढ़ (तहसील), चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूँदी।

राठी—श्रीगंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर के कुछ भाग।

थारपारकर—बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के कुछ भाग।

नागौरी—नागौर तथा पास के क्षेत्र।

मालवी—डूँगरपुर, बाँसवाड़ा व झालावाड़—मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जिले।

हरियाणा—चूरू, झुंझुनूं, सीकर जिले।

कांकरेज—ये सांचोर की श्रेणी में भी आते हैं। जालौर, सिरोही, पाली तथा बाड़मेर के कुछ भागों में पाए जाते हैं।

राज्य में भैंस की मुर्रा (Murrah) नस्ल दूध के उत्पादन की दृष्टि से महत्त्व रखती है। इनके प्रमुख जिले जयपुर, उदयपुर, अलवर व गंगानगर हैं। राजस्थान में 1989-90 में 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था जो बढ़कर 1996-97 में 54.5 लाख टन हो गया। भविष्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु-नस्ल में सुधार करना होगा।

भेड़-पालन—राज्य में 1997 में भेड़ों की संख्या 1 46 करोड़ थी जो 1992 की तुलना में 17.2% अधिक थी। 1997 में राजस्थान में भेड़ों की संख्या समस्त भारत का लगभग 25% अंश थी।

ये कठोर पर्यावरण को भी सहन कर सकती हैं, इसलिए शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में फसल-उत्पादन से भी भेड़-पालन ज्यादा लाभकारी व्यवसाय माना जाता है। ये राज्य की जल-वायु व आर्थिक दशाओं के अधिक अनुकूल मानी जाती हैं। राज्य की बहुआयामी अर्थ-व्यवस्था में इनका स्थान काफी ऊपर आता है। लगभग 2 लाख परिवार भेड़-पालन में लगे हैं और लगभग इतने ही परिवार ऊन-प्रोसेसिंग की क्रियाओं में संलग्न हैं।

राज्य में भेड़ों की आठ नस्लें पाई जाती हैं—चोकला, मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, मालपुरा व सोनाड़ी। **चोकला भेड़ का ऊन मध्यम फाइन किस्म का होता है।** मगरा का ऊन मध्यम श्रेणी का होता है, जो गलीचा बनाने में उसकी चमक, मजबूती, आदि के लिए पसन्द किया जाता है। मारवाड़ी का ऊन मध्यम व मोटी किस्म का होने के कारण गलीचा बनाने में उपयुक्त रहता है। सूखा प्रभावित व मरु क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए भेड़-पालन रोजगार का महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है। अन्य भागों में यह सहायक

धंधे के रूप में अपनाया जाता है। राज्य से लाखों भेड़ें प्रतिवर्ष अन्य राज्यों व विदेशों को भेजी जाती हैं। इनमें प्रमुख किस्म की भेड़ों के क्षेत्र इस प्रकार हैं—

चोकला—सीकर, झुंझुनूं (शेखावाटी क्षेत्र)।

मगरा—बाड़मेर व जैसलमेर जिले।

नाली—राज्य के उत्तर-पश्चिम में बीकानेर, श्रीगंगा नगर आदि में।

पूगल—बीकानेर, जैसलमेर व नागौर के कुछ भागों में।

जैसलमेरी—जैसलमेर जिले में।

मारवाड़ी—जोधपुर, पाली, नागौर व बाड़मेर जिलों में आधी भेड़ें इसी नस्ल की हैं।

मालपुरा—जयपुर व आस-पास के क्षेत्रों में।

सोनाड़ी—ये राज्य के दक्षिण-पूर्व में टोंक, बूँदी, कोटा व झालावाड़ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देशी भेड़ों की नस्ल में 'खेरी' नस्ल को भी शामिल किया जाता है।

बकरी की नस्लें—राज्य में 1997 में बकरी-जाति के पशुओं की संख्या 1.69 करोड़ थी जो 1992 की तुलना में लगभग 12% अधिक थी। बकरियों की नस्लों में जमनापुरी, बरबारी, सिरोही, लोही व मारवाड़ी उल्लेखनीय हैं। इनका दूध, माँस व बाल आर्थिक दृष्टि से महत्त्व रखते हैं।

पशु-पालन का शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों (arid and semiarid zones) में महत्त्व—राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में (राज्य का उत्तर-पश्चिमी भाग) मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। **इसमें 11 जिले हैं जिनमें राज्य के कुल क्षेत्रफल का *लगभग 61% भाग आता है*। इसके छः जिले—*श्रीगंगानगर*, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर व बाड़मेर हैं, जिनमें राज्य का 45% क्षेत्रफल समाया हुआ है, और इनमें वर्षा औसतन 20 से 35 सेमी. ही होती है**। यह शुष्क प्रदेश (arid zone) कहलाता है, हालांकि इसके श्रीगंगानगर जिले में सघन सिंचाई होती है, फिर भी यह शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में ही आता है। जैसलमेर जिले में वर्षा का औसत 10 सेमी. से भी कम है। शेष 5 जिलों का क्षेत्रफल 16% है, जिसमें झुंझुनूं, सीकर, नागौर, पाली व जालौर जिले आते हैं। इनमें वर्षा सामान्यत: 35 से 50 सेमी. के बीच होती है। यह अर्द्ध-शुष्क प्रदेश (Semi-arid zone) कहलाता है।

1997 के अनुमानों के अनुसार पाली जिले में भेड़ों की संख्या 13.7 लाख, जोधपुर जिले में 15 6 लाख व नागौर जिले में 11.7 लाख आंकी गई है। बाड़मेर जिले में 15.1 लाख, भीलवाड़ा जिले में 8.5 लाख व बीकानेर जिले में 11.5 लाख भेड़ें आंकी गई हैं। **1997 में गौ-वंश के पशुओं (Cattle) की सर्वाधिक संख्या 9.7 लाख उदयपुर जिले में थी जब कि भैंस-जाति के पशुओं (Buffalo) की सर्वाधिक संख्या 7.67 लाख जयपुर जिले में थी तथा दूसरा स्थान अलवर जिले का रहा जहाँ यह 7.58 लाख थी।**[1]

1 Basic Statistics 2002, Raj. DES, November 2002, p 88

इन 11 जिलों को जो मरु जिले (शुष्क व अर्द्ध-शुष्क सहित) कहलाते हैं, प्राकृतिक विशेषताएँ इस प्रकार हैं—कम व अनिश्चित वर्षा, बालू के टीले, धूलभरी आँधियाँ, गर्मी व सर्दी के तापक्रम में भारी अन्तर, भू-क्षरण व मिट्टी का कटाव (बालू का उड़कर अन्य स्थानों में जाना), जल-सतह काफी नीचे जा रहा है, कई स्थानों पर खारा पानी (brakish water), कठोर जीवन, भूतल व सतह के जल का अभाव, बार-बार सूखा व अकाल, पहुँचने में दिक्कतें, लम्बी दूरियाँ व ऊँचा वाष्पायन (high evaporation) व जीवन के प्रत्येक कदम पर भारी चुनौतियाँ।

राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में निम्न कारणों से पशु-पालन का विशेष महत्त्व है—

(1) **भीलवाड़ा व जैसलमेर जिलों में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का कम अंश पाया जाता है। इसलिए इनमें पशु-पालन स्वतंत्र रूप में विकसित हुआ है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके ।** भीलवाड़ा जिले में शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 2001-02 मे 35.4% तथा जैसलमेर जिले मे मात्र 12.7% हो था।[1] बूंदी, धौलपुर, डूँगरपुर, सिरोही, उदयपुर आदि जिलो मे भी शुद्ध कृषित क्षेत्रफल काफी कम पाया जाता है । इसलिए कृषि-कार्यों के अभाव में पशु-पालन का महत्त्व बढ़ जाता है । इन जिलों में बंजर भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि व परती भूमि का कुल क्षेत्रफल में अंश काफी ऊँचा पाया जाता है । दूसरे शब्दों में, व्यर्थ भूमि (wasteland) का अनुपात ऊँचा पाया जाता है। इससे पशु-पालन के माध्यम से जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त हो जाते हैं ।

(2) राज्य के पश्चिमी भाग में बाजरा, ग्वार आदि मुख्य फसलों की औसत उपज कम होती है। लेकिन इन फसलों के चारे का मूल्य ऊँचा होता है और वह अधिक संख्या में पशुओं का भरण-पोषण कर सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों में पशु-पालन लाभकारी माना जाता है ।

(3) **पशु-पालन में ऊँची आमदनी व रोजगार की सम्भावनाएँ निहित हैं । पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है ।** राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क भागों में कुछ परिवार (विशेषतया लघु व सीमान्त कृषक तथा खेतिहर श्रमिक) काफी संख्या में पशु-पालन करते हैं और इनका यह कार्य वंश-परम्परागत चलता आया है। इन क्षेत्रों में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊँचा अंश पशु-पालन से सृजित होता है। इसलिए मरु अर्थव्यवस्था (desert economy) मूलतः पशु-आधारित है।

(4) जैसा कि पहले कहा गया है कि शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में पशु-पालन का कार्य कृषि से भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें स्थिरता (stability) का विशेष गुण पाया जाता है। **कुछ विशेषज्ञों का मत है कि इंदिरा गाँधी नहर का प्रदेश पशु-पालन के लिए ज्यादा उपयुक्त है।** वहाँ चरागाहों का विकास हो सकता है, पशु-धन से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ायी जा सकती है और अकालों का स्थाई समाधान निकाला जा सकता है ।

(5) निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रम में भी पशु-पालन की महत्ता स्वीकार की गई है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्य-क्रम (IRDP) में गरीब परिवारों को दुधारू पशु देकर

1. Agricultural Statistics Rajasthan 2001-02 (DES January 2004, Jaipur). P. 1.

उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है । लेकिन इसके लिए चारे व पानी की उचित व्यवस्था करनी होती है तथा लाभान्वित परिवारों को बिक्री की सुविधाएँ भी प्रदान करनी होती हैं ।

(6) राज्य के अन्य भागों में पशु-पालन कृषि के साथ किया जा सकता है । अतः आजकल मिश्रित खेती (mixed farming) में कृषि व पशु-पालन दोनों पर एक साथ जोर दिया जाता है । इससे अल्परोजगार (underemployment) की समस्या भी कुछ सीमा तक हल होती है । गैर-परम्परागत ऊर्जा के साधनों पर बल देने से पशुओं का योगदान ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति में बायो गैस के माध्यम से काफी बढ़ जाता है ।

(7) शहरों में आमदनी बढ़ने से दूध व दूध से बने पदार्थों की माँग तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में इसके और बढ़ने की सम्भावना है । इससे भी पशु-पालन व डेयरी विकास का महत्त्व बढ़ जाता है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी कारणों से पशु-पालन का महत्त्व सदैव रहा है । इन क्षेत्रों के लिए भेड़-बकरी पालन का महत्त्व रोजगार व आमदनी के साथ-साथ पारिवारिक पोषण के स्तर को ऊँचा करने की दृष्टि से भी माना गया है । भविष्य में भी पशु-पालन पर पर्याप्त ध्यान देकर राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ाया जा सकता है । वर्तमान समय में भी राज्य के कुल दूध-उत्पादन का काफी ऊँचा अंश राज्य के बाहर बिक्री हेतु भेजा जाता है । भविष्य में इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है । इस प्रकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, विशेषतया शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में, पशु-पालन का विशेष महत्त्व माना गया है । रेगिस्तानी जिलों में लगभग 95% क्षेत्र में एक फसल ही बोई जाती है जो कम वर्षा पर आश्रित होती है । पशु-पालन सूखे की दशाओं में आवश्यक बीमे का काम करता है और आमदनी, रोजगार व पोषण प्रदान करता है ।

जहाँ राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्र (जो कुल क्षेत्रफल के 61% भाग में फैला है) में पशु-पालन लोगों की जीविका का महत्त्वपूर्ण साधन है, वहीं जनजाति बाहुल्य पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के छोटे-छोटे भूखण्डों से उत्पन्न कठिन भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए एकमात्र विकल्प पशु-पालन ही रह जाता है । अतः राजस्थान में पशु-पालन से आमदनी व रोजगार पर काफी प्रभाव पड़ता है ।

सातवीं योजनाकाल में सूखे व अभाव की दशाओं का सबसे अधिक दुष्प्रभाव भेड़-जाति के पशुओं पर पड़ा था, हालांकि भैंस-जाति के पशुओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई थी । राज्य में भेड़-बकरी कुल पशुधन के आधे से अधिक है । इनकी संख्या में वृद्धि को रोक कर उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है ।

राज्य में पशु-पालन व डेयरी विकास का आमदनी, रोजगार व पोषण का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से ऊँचा स्थान होने के कारण इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को हल करके इसको अधिक कार्यकुशल, अधिक उत्पादक व अधिक आधुनिक बनाने की आवश्यकता है । इसमें भावी विकास की सम्भावनाएँ व्यापक रूप से निहित हैं । विभिन्न क्षेत्रों में सूखे की

दशाओं के कारण पशुओं का अन्य स्थानों को निरन्तर निष्क्रमण (migration) होता रहता है। पशु कुपोषण के शिकार होते रहते हैं. इससे स्वदेशी नस्ल में गिरावट आती गई है और चारे की कमी के कारण लाखों पशु-पालक वर्तमान में इस रुग्ण उद्योग में नीचा जीवन-स्तर भोग रहे हैं। वे कॉमन भूमि पर स्वतंत्र चराई पर निर्भर करते हैं और पशुओं को अपने पास से घटिया किस्म का चारा व घास खिलाने को बाध्य होते हैं। इसलिए पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था करके तथा उनकी नस्ल में सुधार करके इनकी उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि यह क्षेत्र भी राज्य की घरेलू उत्पत्ति में अपना योगदान बढ़ा सके।

हम नीचे योजनाकाल में पशु-पालन के विकास से सम्बन्धित अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवेचन करते हैं।

(1) पशुओं के लिए नस्ल सुधार व चिकित्सा सुविधाओं के कार्यक्रम—राज्य में गहन पशु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination) पशुओं के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था तथा खुराक व चारे का विकास किया गया है। बस्सी (जयपुर) में गाय व भैंस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया है, जहाँ आवश्यक उपकरणों व साधनों की उपलब्धि की गई है। राज्य में मुर्रा नस्ल के भैंसों का अभाव पाया जाता है। इसके लिए कुम्हेर (झालावाड़) में एक फॉर्म हाउस स्थापित करने का कार्यक्रम है क्योंकि उस क्षेत्र में भैंस की संख्या अधिक है। इसलिए वहाँ पाड़ा (Buffalo calf) का विकास किया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से विदेशी नस्लों का उपयोग राज्य में अवर्गीकृत (non-descript) पशुओं के क्षेत्रों के क्रॉस-प्रजनन (cross breeding) के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तम स्वदेशी नस्लों का उपयोग करके चयनित प्रजनन (Selective breeding) भी बढ़ाया जा रहा है। चयनित प्रजनन में विदेशी नस्ल का उपयोग न करके अपने देश की उत्तम नस्ल का ही उपयोग किया जाता है, जबकि क्रॉस-ब्रीडिंग में विदेशी नस्ल का उपयोग किया जाता है। चयनित प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान व स्वाभाविक प्रजनन (Natural breeding) दोनों माध्यमों से किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नस्लों के लिए किया जाता है, जैसे : राठी, थारपारकर, नागौरी, आदि के लिए। दक्षिण के आदिवासी जिलों में भी पशु नस्ल सुधार का काम विदेशी जर्म प्लाज्म व क्रॉस-प्रजनन के अर्द्ध-प्रजनित सांडों (Half-bred bulls) की सहायता से करने का कार्यक्रम है।

स्वदेशी पशुओं की नस्लों में भी सुधार किया जा रहा है ताकि कम उत्पादन करने वाले पशुओं की संख्या कम की जा सके। उनकी गुणवत्ता सुधारी जा सके एवं बेकार के सांडों (Scrub bulls) की संख्या कम की जा सके।

राज्य में राठी, गिर, थारपारकर, कांकरेज तथा नागौरी देशी गौ नस्ल विकास के लिए 5 परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। जैसलमेर में थारपारकर नस्ल की गायों के विकास हेतु गौ-संरक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रयास किया गया है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमावर्ती जिलों में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रारम्भ किया गया है ताकि देशी नस्ल के पशुओं में गुणात्मक सुधार किया जा सके।

राज्य में पशु-चिकित्सालय की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है । 1950-51 में इनकी संख्या 147 थी जो बढ़कर 1960-61 में 255 हो गई । सातवीं योजना व बाद के वर्षों में इनमें वृद्धि की गई है । वर्तमान में राज्य में 12 पशु-पोली-क्लीनिक 175 प्रथम श्रेणी के पशु-अस्पताल, 1238 पशु-अस्पताल, 285 पशु-डिसपेन्सरियाँ व 1727 उप-केन्द्र हैं । इनके अलावा एक पशु-संस्था 15273 पशुओं पर कार्यरत है ।[1]

पशुओं में क्रॉस-प्रजनन व चयनित प्रजनन (cross-breeding and selective breeding) के माध्यम से नस्ल-सुधार के प्रयास जारी हैं तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के प्रयास भी बढ़ाए गए हैं । इससे पशुओं की उत्पादकता में सुधार हो रहा है, जिसके भविष्य में और बढ़ने की आशा है ।

गहन पशु-प्रजनन के लिए "गोपाल" कार्यक्रम—यह कार्यक्रम 1990-91 में चालू किया गया था । इसमें गैर-सरकारी संगठन अथवा गाँव के शिक्षित युवक (गोपाल) को उचित प्रशिक्षण देकर उसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है । इसमें विदेशी नस्ल का उपयोग बढ़ाने के लिए गोपाल को क्रॉस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है । एक क्षेत्र के बेकार सांडों को पूर्णत: बधिया दिया जाता है । पशु-पालकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने पशुओं को स्टॉल पर किस प्रकार खिलावें और सदैव बाहर चरने की विधि पर आश्रित न हों ।

गोपाल की शिक्षा कम से कम आठवीं कक्षा पास अवश्य होनी चाहिए । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति या एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है । इनको 4 महीने का कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आवश्यक साज-सामान नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है । चुने हुए व्यक्ति को प्रथम चार महीने के लिए 400 रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण-भत्ता (stipend) दिया जाता है और तत्पश्चात् 8 महीनों के लिए इतनी ही राशि का प्रेरणा-भत्ता दिया जाता है । दूसरे वर्ष में उसे 300 रु. प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है तथा गर्भाधान की फीस भी दी जाती है जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है । तीसरे वर्ष में उसे 200 रु. मासिक दिया जाता है और बाद में कोई भत्ता नहीं दिया जाता है । दूसरे वर्ष से उसे प्रति बछड़ा (calf) प्रेरणा-राशि दी जाती है, और प्रथम वर्ष में उसे बेकार सांडों को बधियाने पर प्रेरणा-राशि दी जाती है । उसे आवश्यक साज-सामान व सामग्री नि:शुल्क दी जाती है । उसे काम पर लगाने से पूर्व 4 वर्ष का बांड भरना होता है । प्रति गोपाल लागत का अनुमान 21 हजार रुपये लगाया गया है । उसको प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिया जाता है । इस कार्यक्रम के लिए आठवीं योजना में 3.67 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था ।

कार्यक्रम का प्रशासनिक ढाँचा इस प्रकार रखा गया—एक जिले में 4 पंचायत समितियाँ रखी गई । एक पंचायत समिति में 10 गोपाल संस्थाएँ होती हैं । इस प्रकार राज्य के दक्षिण व

1. Economic Review 2003-04, p. 52.

पूर्वी भाग के 10 जिलों की 40 पंचायत समितियों में 400 गोपाल संस्थाएँ रखी गई हैं। प्रत्येक गोपाल-संस्था या इकाई निम्न कार्यों में भाग लेती हैं—

(i) विदेशी नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान,
(ii) बेकार सांडों को बधियाना (Castration of Scrub bulls),
(iii) चारे का विकास,
(iv) प्रबन्ध की विधियों में सुधार,
(v) संतुलन-राशन की बिक्री
(vi) बांझपन के कैम्प (Infertility camps),
(vii) कीट नष्ट करना (डिवॉर्मिंग) (Deworming) व सींग हटाना (डिहोर्निंग) (Dehorning)

आशा है गोपाल योजना से राज्य के पशु-पालन में प्रगति होगी, जिससे राजस्थान में दूध का उत्पादन बढ़ेगा और पशु-पालकों की आमदनी भी बढ़ेगी। वर्तमान में राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भागों के 12 जिलों की 40 चुनी हुई पंचायत समितियों में 586 गोपाल कार्यरत हैं। अब कई लाख पशुओं को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध है। एक पशुधन सहायक 2 हजार पशुओं को प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराता है। जयपुर, भरतपुर, अलवर व दौसा जिलों में डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान डेयरी फेडरेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। RCDF के साथ 46 गोपाल कार्यरत हैं।

गौशालाओं को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केन्द्र बनाने के लिए "कामधेनु" नाम की एक नई योजना 1997-98 में प्रारम्भ की गई है। इससे कृषि-विकास केन्द्र व सक्षम स्वयंसेवी संस्थाएँ भी लाभ उठा सकेंगी। आगे चलकर चयनित निजी पशुपालकों को भी इस योजना के अन्तर्गत लिया जाएगा। इसके लिए 1997-98 में 50 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। (बजट-भाषण, 12 मार्च, 1997)

(2) राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम—डेयरी या दुग्ध विकास नीति के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन (Rajasthan Cooperative Dairy Federation) (RCDF) अमूल के नमूने पर राष्ट्रीय डेयरी विकास के सहयोग से राज्य में डेयरी कार्यक्रम संचालित कर रहा है। डेयरी फैडरेशन उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म का दूध तथा दूध से बने पदार्थ उपलब्ध कराने में संलग्न है। यह पशुओं के स्वास्थ्य के सुधार, पशु आहार की सुविधा तथा दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने का भी प्रयास कर रहा है। वर्तमान **में दूध-संकलन का कार्य 16 जिला डेयरी संघों के द्वारा संचालित किया जा रहा है जिनकी क्षमता क्रमशः 9 लाख लीटर से बढ़ाकर 13.45 लाख लीटर प्रतिदिन कर दी गयी है।** गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी 30 जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्य में 16 दुग्ध उत्पादक संघों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। 2003-04 में (मार्च 2004 तक) डेयरी फैडरेशन का औसत दुग्ध संग्रहण 10.33 लाख किलोग्राम प्रतिदिन रहा था तथा इसके दूध की बिक्री प्रतिदिन औसतन 8.55 लाख लीटर की थी।

राज्य में मार्च, 2004 के अन्त में कार्यशील दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या 7692 हो गई और इनमें जिला दुग्ध संघों की संख्या 16 हो गई। सहकारी समितियों के विकास के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों को काफी लाभ पहुँचा है। इससे उत्पादन को विपणन के साथ जोड़ा जा सका है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य मिल पाया है और मध्यस्थ वर्ग के शोषण से मुक्ति मिली है। डेयरी फैडरेशन के अधीन 4 पशु आहार संयंत्र (Cattle feed plants) कार्यरत हैं जिनमें पशु-आहार का उत्पादन कर उसका विपणन किया जाता है।

राजस्थान में डेयरी के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी व रोजगार में वृद्धि हुई है। लघु व सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक लाभ पहुँचा है। समाज के निर्धन वर्ग को लाभ हुआ है, मानवीय खुराक में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है तथा बायो-गैस के माध्यम से ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत का विकास हुआ है। शहरी क्षेत्रों में दूध व दूध से बने पदार्थों की बढ़ी हुई माँग की पूर्ति करने में मदद मिली है, जो अन्यथा कठिन थी।

डेयरी विकास पर टेक्नोलोजी मिशन—भारत सरकार ने डेयरी विकास पर टेक्नोलोजी मिशन प्रारम्भ किया है, इसके निम्न उद्देश्य हैं—

(i) उत्पादकता बढ़ाने व लागत घटाने के लिए आधुनिक टेक्नोलोजी को अपनाकर ग्रामीण रोज-गार व आमदनी में वृद्धि करना,

(ii) दूध व दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाना।

राज्य में ऑपरेशन फ्लड I कार्यक्रम पाँचवीं योजनाकाल में, ऑपरेशन फ्लड II कार्यक्रम छठी योजनाकाल में तथा ऑपरेशन फ्लड III सातवीं योजना में चलाया गया था। इसे 1994 तक पूरा करने का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम को राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन (RCDF) क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होती है। अब ऑपरेशन फ्लड III कार्यक्रम टेक्नोलोजी मिशन में शामिल कर दिया गया है ताकि पहले से स्थापित इन्फ्रास्ट्रक्चर के पूरे लाभ प्राप्त किए जा सकें और सहकारी समिति, दूध यूनियन, व फैडरेशन के तीनों स्तरों पर आत्मनिर्भर व सुदृढ़ सहकारी ढाँचे की स्थापना की जा सके।

भावी योजनाओं में पशु-पालन, डेयरी विकास व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अधिक तालमेल बैठाकर राज्य में आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज की जा सकती है।

महिला डेयरी विकास योजना राज्य के 9 जिलों—जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर एवं सीकर में चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1993 तक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन कर एक लाख 95 हजार ग्रामीण महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इसे 3 वर्ष और बढ़ाने तथा चूरू व उदयपुर जिलों में लागू करना भी स्वीकार किया गया है।

राज्य में पशु-विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रति गाय दूध की मात्रा 1960 में 1.02 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 1985-86 में 2.75 किलोग्राम प्रति दिन हो

गई है। दूध का कुल उत्पादन 1979-80 में 31.50 लाख टन हुआ था, जो 1989-90 में 42 लाख टन तथा 2002-03 में 79.1 लाख टन हो गया है। इसके अलावा ऊन का उत्पादन 1973-74 में एक करोड़ किलोग्राम से बढ़कर 1989-90 में 1.62 करोड़ किलोग्राम व 2002-03 में 2.04 करोड़ किलोग्राम तथा मांस का उत्पादन 1973-74 में 12 हजार टन से बढ़कर 1989-90 में 21.50 हजार टन तथा 2002-03 में 58 हजार टन पर आ गया है एवं अंडों का उत्पादन 2002-03 में 65.40 करोड़ हो गया है।[1]

राजस्थान में भेड़ पालन का विकास व समस्याएँ--हम पहले बता चुके हैं कि राजस्थान में भेड़ों की संख्या 1997 में 1.43 करोड़ थी जो 1992 की तुलना में 17.2% अधिक थी। लगातार सूखा पड़ने के कारण 1983-88 की अवधि में काफी भेड़ें नष्ट हो गई थीं। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भेड़ें एक महत्त्वपूर्ण परिसम्पत्ति मानी जाती हैं। राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क भागों में खेती की बजाय भेड़-पालन ज्यादा लाभकारी रहता है। इसका राज्य के आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी पहलुओं से ज्यादा ताल-मेल बैठता है। लगभग 2 लाख व्यक्ति सीधे भेड़-पालन से अपना जीविकोपार्जन करते हैं और लगभग 20 लाख व्यक्ति ऊन व ऊन-उत्पादन में संलग्न हैं।

भेड़ प्रजनन कार्यक्रम (Sheep Breeding Programme)—राज्य में ऊन व मांस के उत्पादन में गुणात्मक व मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड़ प्रजनन कार्य में सुधार के व्यापक प्रयास किए गए हैं। क्रॉस-प्रजनन (Cross Bree-ding) कार्यक्रम नाली, चोकला, सोनाड़ी व मालपुरा नस्लों पर लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत विदेशी मेढ़ों (Exotic rams) व अर्द्ध-प्रजनन मेढ़ों (Half-bred rams) की आवश्यकता होती है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेड़ों की नस्ल सुधारी जाती है। इसके अलावा चयनित प्रजनन (Selective breeding) की विधि का उपयोग मारवाड़ी, जैसलमेरी, पुगल व मगरा नस्लों पर किया गया है। इसके लिए चुने हुए मेढ़े पालकों से उचित दामों पर खरीद कर अन्य भेड़-पालकों को अनुदान देकर कम मूल्यों पर उपलब्ध किए जाते हैं। इस विधि में कृत्रिम गर्भाधान व प्राकृतिक प्रजनन दोनों का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में तीन भेड़ प्रजनन-फॉर्म (three sheep breeding farms) जयपुर, फतेहपुर (सीकर जिला) व चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं, जो विदेशी व क्रॉस प्रजनित मेंढ़े उत्पन्न करते हैं। ये भेड़ पालकों को दिए जाते हैं। क्रॉस-प्रजनन का कार्यक्रम भीलवाड़ा, जयपुर, चूरू, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर व डूँगरपुर जिलों में लागू किया गया है। इसके लिए विदेशी भेड़ें आयात करके विदेशी मेंढ़े (Exotic rams) तैयार किए जाते हैं।

चयनित प्रजनन का कार्यक्रम बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जालौर, जोधपुर व पाली जिलों में लागू किया गया है। इससे ऊन की किस्म में सुधार होता है तथा भेड़-पालकों को लाभ होता है।

---

1 Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, p.113 & Economic Review 2003-04, p. 52.

भेड़ की 'अविकालीन' नस्ल—मालपुरा नस्ल की भेड़ तथा रेम्बुले (विदेशी मेंढ़ा) के संकरीकरण से विकसित की गई है। यह गलीचा ऊन के लिए एक उत्तम नस्ल मानी जाती है। **भारत के लिए 'मेरिनो' नस्ल** राजस्थान की चोकला, मालपुरा, नाली तथा जैसलमेरी नस्लों के रेम्बुले व रूसी मेरिनो (विदेशी मेढ़ों) द्वारा संकरीकरण से विकसित की गई है। हमें भारतीय मेरिनो नस्ल के मेढ़ों का भेड़-प्रजनन कार्य में अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये विदेशी आयातित मेढ़ों से अधिक सस्ते होते हैं।[1]

राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लि. 1977

इसकी स्थापना 1977 में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी—

(i) भेड़-पालकों को बिचौलियों के शोषण से बचाना,
(ii) इनकी प्राथमिक सहकारी समितियाँ स्थापित करना,
(iii) ऊन व अतिरिक्त भेड़ें (Surplus Sheep) भेड़-पालकों से खरीदना,
(iv) ऊन की ग्रेडिंग व बिक्री करना, तथा
(v) मांस की खरीद व बिक्री करना।

इस प्रकार भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन की स्थापना सहकारी क्षेत्र में की गई है। इसके सदस्य इस प्रकार हैं—भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा भेड़-पालकों की सहकारी समितियाँ। ऊन व अतिरिक्त भेड़ों की बिक्री की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। इसकी वित्तीय स्थिति की जाँच का कार्य सार्वजनिक उपक्रमों पर नियुक्त माथुर समिति को सौंपा गया था। इसे 1991-92 में 23.1 लाख रु. व 1992-93 में 3.7 लाख रु. का मुनाफा हुआ था, लेकिन 1993-94 में 94 हजार रु. का घाटा हुआ और 1994-95 में भी 23.6 लाख रु. का घाटा हुआ है।[2] इसके कार्य सम्पादन में सुधार करके इसे अधिक सक्षम व सक्रिय करने की आवश्यकता है।

भेड़ विकास से सम्बन्धित समस्याएँ व सुझाव

(1) ऊन के विपणन में कमियाँ—ऊन के लिए उचित कीमत-व्यवस्था का अभाव पाया जाता है। ऊन प्रचलित बाजार भाव पर खरीद लिया जाता है। फिर उसकी ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) करके उसे ऊँचे भावों पर बोली लगाकर बेच दिया जाता है। लेकिन ऊन के लिए कोई समर्थन मूल्य (support price) निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में मंदी की दशा में ऊन-उत्पादकों को हानि होने का अन्देशा बना रहता है।

ऊन का उत्पादन, खरीद, प्रोसेसिंग व बिक्री तथा मांस व जीवित भेड़-जाति के पशुओं का कारोबार निजी व सरकारी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे सहकारी समितियों के

---

1 नरेन्द्रकुमार शर्मा, भेड़-पालन व्यवसाय : वर्तमान और भविष्य, राजस्थान पत्रिका, 14 मई, 1995, पृष्ठ 3

2. Public Enterprises Profile of Rajasthan 1991-92 to 1994-95, Bureau of Public Enterprises, (GOR), Annexure 'I'

दायरे में लाकर डेयरी विकास कार्यक्रम की भाँति संचालित करने की आवश्यकता है। ऐसी समितियाँ ग्राम स्तर पर बनाई जानी चाहिए। ये ऊन व अतिरिक्त पशु खरीद सकती हैं तथा टीकाकरण, उत्तम मेंढ़े उपलब्ध करने आदि कार्यों में सहयोग दे सकती हैं। इनसे भेड़-पालकों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इनसे जाति, वर्ग व लिंग के भेद भी कम होंगे तथा भेड़-विकास-कार्यक्रम को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

(2) मांस व जीवित भेड़ों का निर्यात खाड़ी-देशों में बढ़ाकर भेड़पालकों को अतिरिक्त पशुओं का ऊँचा मूल्य दिलाना सम्भव हो सकता है।

(3) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ऊन की ग्रेडिंग व विपणन में सुधार हो सके।

(4) भेड़-पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। चूँकि भेड़-पालन की व्यवस्था तीन प्रकार की होती है—यथा, एक जगह स्थित होकर (sedentary), अर्द्ध-प्रवासी या भ्रमणशील (semi-migratory) तथा प्रवासी। इसलिए सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए भेड़-पालकों से निरन्तर सम्पर्क रखना कठिन होता है। भेड़-पालक समुदाय में से ही आवश्यक भत्ता देकर युवकों को प्रशिक्षण देकर तैयार करना होगा ताकि वे भेड़-विकास कार्यक्रम को आवश्यक गति प्रदान कर सकें।

(5) **बीमारी की जाँच-पड़ताल व स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम**—विदेशी व क्रॉस-प्रजनन की भेड़ों पर बीमारी का जल्दी असर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक जिले में बीमारी के निदान व इलाज की व्यवस्था बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए टीके लगाने, दवाइयाँ देने, भेड़ों को कीड़ों से मुक्त करने (deworming), खनिज-विटामिनों की कमी दूर करने आदि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। चूँकि भेड़-पालक दवाई की कीमत देने में असमर्थ पाए जाते हैं, इसलिए सरकार द्वारा उनको अतिरिक्त सहायता पहुँचानी होगी।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, राजस्थान में सूखे के प्रकोप से लाखों भेड़ों का सफाया हो जाने का भय बना रहता है और भेड़ों का अकाल के समय अन्य क्षेत्रों में निष्क्रमण भी होता रहता है। इसलिए चारे व आहार का उत्पादन तथा पानी की सुविधा बढ़ाकर भेड़-विकास कार्यक्रम को अधिक स्थिरता व गति प्रदान की जानी चाहिए। भेड़ों में रोगों की रोकथाम के लिए दवाइयों की खुराकों, छिड़काव व टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों का भी महत्त्व होता है। पानी व चारे की कमी के कारण भेड़ें पश्चिमी राजस्थान से राज्य की सीमा से जुड़े राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात में चली जाती हैं। उनके ठहराव के दौरान उनके उचित व शीघ्र उपचार के लिए 41 स्थायी निगरानी चौकियाँ (check posts) स्थापित की गई हैं।

बकरी-पालन : विकास व समस्याएँ—राजस्थान में बकरी की संख्या भारत में सबसे ज्यादा रही है। 1983 में बकरी-जाति के पशुओं की संख्या 1.55 करोड़ रही जो घटकर 1988 में 1.26 करोड़ पर आ गई। 1992 में बकरी-जाति की संख्या 1.51 करोड़

रही जो 1988 की तुलना में 19 8% अधिक थी । **1997 में इनकी संख्या 1.69 करोड़ आंकी गई है जो 1992 की तुलना में 12% अधिक है** । इस प्रकार बकरी की संख्या में अनियमित रूप से परिवर्तन होते रहे हैं । बकरी की संख्या बहुधा सूखे के कारण घट जाती है और अपेक्षाकृत उत्तम वर्षा के कारण बढ़ जाती है । राज्य के उत्तर-पूर्वी व पश्चिमी जिलों में लगभग 3/4 बकरी जाति के पशु पाए जाते हैं । राज्य के सभी भागों में बकरी की संख्या में वृद्धि होती रही है । राजस्थान में बकरी की प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं : सिरोही, लोबी, जमना, पारी, अलवरी, बरबारी तथा झकराना । सिरोही नस्ल दूध व मांस दोनों के लिए उत्तम मानी गई है, जबकि मारवाड़ी नस्ल मांस के लिए, विशेष रूप से राज्य के सूखे पश्चिमी भाग में पाली जाती है ।

बकरी 'गरीब की गाय' (poor man's cow) मानी गई है । प्रायः लागत के कारण, निर्धन परिवार बकरी पालते हैं, जिससे उनको पोषण प्राप्त होता है और वे इसे आसानी से बेच भी सकते हैं । अजमेर व सिरोही जिलों में बकरी के आर्थिक अध्ययन[1] से पता चला है कि **न केवल निर्धन लोग, बल्कि अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग** भी बकरी पालते हैं । निर्धन लोग इसे 'कम लागत कम प्रतिफल' के रूप में अपनाए रहते हैं, लेकिन खेतों पर चराई की थोड़ी सुविधा पाए जाने के कारण मध्यम श्रेणी के किसान भी इनको पालते हैं । बकरी-पालन-श्रम-गहन होता है, और इसमें प्रायः स्त्रियों, बच्चों, कमजोर व वृद्ध व्यक्तियों के श्रम का उपयोग होता है ।

बकरी-पालन व पर्यावरण (Goat-keeping and environment)—प्रायः यह शिकायत की जाती है कि बकरी पर्यावरण का ह्रास (degradation) करती है । ऐसा बहुधा वन-विभाग कर्मचारी कहा करते हैं । उनका विचार है कि बकरी पौधों को अन्तिम पत्तियाँ तक खा जाती है, जिससे पर्यावरण में गिरावट आती है । लेकिन उपर्युक्त विकास-संस्थान के अध्ययन का निष्कर्ष है कि यह धारणा सही नहीं है । बकरी तो अन्य कारणों से गिरे हुए पर्यावरण में भी अपने आप को जिंदा रखती है, क्योंकि यह उन पौधों को भी खा सकती है, जिन्हें भेड़ें व अन्य पशु नहीं खाते । इस तरह यह चारे के लिए अन्य पशुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करती । इससे प्रोटीन (दूध व मांस) की मात्रा इसको दिए आहार की तुलना में भेड़ से थोड़ी अधिक प्राप्त होती है । लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि बकरी पौधों के अपेक्षाकृत अधिक बेहतर अंशों को खा जाती है, जिससे भेड़ व अन्य पशुओं की तुलना में ये अधिक विनाशकारी सिद्ध होती हैं ।

बकरी-पालन की समस्याएँ—बकरी-पालन के अध्ययन से एक निष्कर्ष यह भी सामने आया है कि एक साथ 10-20 बकरी पालने पर प्रति बकरी लाभ की मात्रा सर्वाधिक होती है, हालांकि इस पर विभिन्न परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है । प्रायः यह देखा

---

1 Kanta Ahuja and M S Rathore, **Goat and Goat-Keepers**, Institute of Development Studies (IDS), Jaipur, 1987

गया है कि बकरी-पालन में झुंड (herd) की संख्या के बढ़ने का उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रति बकरी आर्थिक लाभ सर्वाधिक रखने के लिए इनकी संख्या प्रति पालक बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। बकरी की ठीक-ठीक संख्या पर ही एक बकरी पालक उन पर अधिक ध्यान दे सकता है तथा उनके आहार की उचित व्यवस्था कर सकता है।

बकरी के दूध, मांस व खाल से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए बकरी-पालकों को दूध की एक विशेष प्रकार की गंध में सुधार करने का उपाय सुझाना चाहिए ताकि इसकी बिक्री बढ़ सके। उनको मांस व जीवित पशुओं की बिक्री से अधिक आय अर्जित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य में बकरी की नस्ल उत्तम किस्म की पाई जाती है जिसे बनाए रखने व उसमें सुधार करने के लिए बकरी-पालकों को उत्तम किस्म के स्वदेशी नस्ल के बकरों (bucks) का वितरण करना चाहिए। इस व्यवस्था पर विदेशी नस्लों के द्वारा क्रॉस-प्रजनन से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। बकरी के लिए चारे का विकास पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी (social forestry) कार्यक्रम में ऐसे पेड़ व झाड़ियों को लगाने पर जोर देना चाहिए जो बकरी के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। 'विलायती बबूल' इस दृष्टि से हानिकारक माना गया है। बकरी अरडू, खेजड़ी, बोरड़ी आदि पौधों व पेड़ों को ज्यादा पसन्द करती है।

अत: बकरी जैसे छोटे पशु पर अधिक ध्यान देकर निर्धन परिवारों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास में इनकी आर्थिक भूमिका सुदृढ़ की जा सकती है। स्मरण रहे कि बकरी पर्यावरण के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। इसके लिए बकरी को दोषी ठहराना इस नन्हें से पशु के साथ घोर अन्याय करना होगा, जो किसी न किसी तरह प्रतिकूल पर्यावरण में भी अपने आपको जीवित रखे हुए है।

वर्तमान में विदेशी नस्ल के माध्यम से बकरी पर क्रॉस-प्रजनन विषय पर अध्ययन के लिए स्विट्जरलैण्ड की सरकार से एक समझौता हुआ है। इस परियोजना के चौथे चरण के मार्च 1993 के अन्त तक समाप्त होने का लक्ष्य था। बकरी-विकास कार्यक्रम में स्विस-सहयोग व सहायता से काफी लाभ प्राप्त हुआ है। **स्विट्जरलैण्ड से एल्पाइन एवं टोगनबर्ग नस्ल के बकरे मंगवाए गए हैं, तथा विदेशी नस्ल से कृत्रिम गर्भाधान की विधि द्वारा भी सिरोही नस्ल की बकरियों में सुधार करने का प्रयास किया गया है।** राज्य के अन्य बकरी-पालकों में भी इनका वितरण किया गया है। भूतकाल में बकरी की संख्या अपने आप बढ़ती रही है, भविष्य में इसे नियमित करने के लिए नियोजित प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि यह रोजगार, आय व पोषण बढ़ाने में अधिक योगदान दे सके। बकरी विकास कार्यक्रम के तहत विदेशी सहायता प्राप्त होती है। स्वदेशी नस्ल में स्वदेशी साधनों से सुधार करने का प्रयास भी साथ में जारी रहना चाहिए।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं ?
   (अ) पाली (ब) अजमेर
   (स) जयपुर (द) दौसा (स)

2. केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है—
   (अ) जयपुर में (ब) अम्बिकानगर में
   (स) जोधपुर में (द) पाली में (ब)
   (सही नाम) (अविकानगर, मालपुरा, टोंक में)

3. राजस्थान में सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती हैं ?
   (अ) उदयपुर (ब) जयपुर
   (स) पाली (द) बाड़मेर (अ)

4. दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन-सा स्थान है ?
   (अ) प्रथम (ब) चतुर्थ
   (स) द्वितीय (द) पंचम (अ)

5. राजस्थान के किस जिले में विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन होता है ?
   (अ) जयपुर (ब) जैसलमेर
   (स) बाड़मेर (द) पाली (द)

6. राष्ट्रीय उष्ट्र (ऊँट) अनुसंधान केन्द्र स्थित है—
   (अ) अलवर में (ब) बाड़मेर में
   (स) बीकानेर में (द) जैसलमेर में (स)

7. राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है, वे पशु हैं—
   (अ) बकरियाँ (ब) दुधारू पशु
   (स) ऊँट (द) भेड़ें (अ)

8. 1997 की पशु-संगठना के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या है—
   (अ) 3.43 करोड़ (ब) 5 43 करोड़
   (स) 5 5 करोड़ (द) 4 78 करोड (ब)

9. पशुओं में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक संख्या है—
   (अ) गौवंश के पशुओं की (ब) भेड़-जाति के पशुओं की
   (स) बकरी-जाति के पशुओं की (द) भैंस-जाति के पशुओं की (स)
10. पशु-धन से सर्वाधिक लाभ क्या मिलता है ?
    (अ) सुस्त मौसम के रोजगार
    (ब) वर्षभर का पूर्ण रोजगार
    (स) उद्योगों के लिए कच्चा माल
    (द) अर्द्ध-शुष्क व शुष्क प्रदेशों में रोजगार (द)
11. दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं—
    (अ) थारपारकर एवं राठी (ब) राठी एवं नागौरी
    (स) मालवी एवं थारपारकर (द) मेवाती एवं मालवी (अ)
    [RAS, 1998]
12. किस भेड़ का ऊन मध्यम फाइन किस्म का होता है ?
    (अ) चोकला (ब) मगरा
    (स) मारवाड़ी (द) कोई नहीं (अ)
13. राज्य में रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक स्रोत है—
    (अ) पर्यटन (ब) पशु-पालन
    (स) बड़े उद्योग (द) खनन (ब)
14. राज्य में बकरी प्रजनन-केन्द्र कहाँ है ?
    उत्तर : अजमेर जिले के रामसर गाँव में।
15. राज्य में पोल्ट्री-फार्म कहाँ स्थित है ?
    (अ) जोधपुर (ब) जयपुर
    (स) कोटा (द) बीकानेर (ब)
16. अश्व विकास केन्द्र कहाँ कार्यरत हैं ?
    उत्तर : उदयपुर, झालावाड़, जालोर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर व जयपुर जिलों में।
17. डेयरी फेडरेशन को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में 1999 में कौन-से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ?
    उत्तर : ज्ञान-ज्योति।

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिए। राज्य सरकार द्वारा डेयरी विकास हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।

2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान का पशुधन **(Raj. Iyear, 2004)**
   (ii) राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम
   (iii) गहन पशु-प्रजनन के लिए 'गोपाल' कार्यक्रम
3. राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? इनमें पशु-पालन का महत्त्व समझाइए। क्या इनमें पशु पालन कृषिगत कार्य से अधिक लाभकारी माना जा सकता है ? स्पष्ट कीजिए।
4. राजस्थान के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुपालन का महत्त्व स्पष्ट कीजिए। राज्य में पशुधन की हीन दशा के क्या कारण हैं ?
5. राजस्थान की पशु-सम्पदा का विवरण दीजिए। राज्य में भेड़-पालन व्यवसाय की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं ?
6. राजस्थान के पशुधन के महत्त्व व संरचना पर एक निबन्ध लिखिए।
7. गोपाल योजना के उद्देश्य बताइए। (100 शब्दों में)
8. (अ) राजस्थान में पशुधन के विकास में क्या-क्या बाधाएँ हैं ? सरकार द्वारा पशुधन के विकास के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ? (5 पृष्ठों में)
   (ब) राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम की उपलब्धियाँ बताइए। (100 शब्दों में)
9. राज्य में भेड़ व बकरी व्यवसाय पर एक निबन्ध लिखिए।

13

राज्य का आधार-ढाँचा–सिंचाई (Infrastructure in the State-Irrigation)

इस अध्याय में आधार-संरचना के विकास के अन्तर्गत राजस्थान में सिंचाई के विकास व सिंचाई की महत्त्वपूर्ण परि-योजनाओ पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा ।

(1) सिंचाई का विकास—राजस्थान में निरन्तर पड़ने वाले सूखे व अकाल तथा राज्य के लगभग दो-तिहाई भू-भाग में मरु व अर्द्ध-मरु क्षेत्र के पाए जाने के कारण सिंचाई का विकास करना बहुत आवश्यक माना गया है । राज्य मे नदियो व तालाबों की कमी पाई जाती है । पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं । उनके पानी का उपयोग बाँधों का निर्माण करके किया जा सकता है । इस क्षेत्र मे कुओ का पानी कम गहराई पर पाया जाता है जिसे पम्प द्वारा निकालकर सिंचाई के काम मे लिया जा सकता है । राज्य मे योजनाकाल में वृहद्, मध्यम व लघु सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है । वृहद् **(major) सिंचाई का साधन उसे कहते हैं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (Culturable command area) (CCA) 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है, मध्यम में यह 2 से 10 हजार हैक्टेयर के बीच तथा लघु (Minor) में 2 हजार हैक्टेयर तक होता है ।**

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर कुल व्यय का अनुपात घटता–बढ़ता रहा है । चतुर्थ व पंचम योजनाओं में यह 34% रहा था । सातवीं योजना में यह 22.2% रहा था, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में यह 15.3% रहा । नवीं योजना (1997-2002) में यह 11.4% रहा ।[1] 2002–03 में यह 8.4% व 2003–04 में 15.2% रहा ।

सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर व्यय की राशि प्रथम योजना में 31.3 करोड़ रुपये से बढ़कर सातवीं योजना में 690.5 करोड़ रुपये तथा आठवीं योजना (1992-97) 1836.2 करोड़ रु. हो गई (लक्ष्य 1920 करोड़ रु. का था) । नवीं योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर 2261 करोड़ रु., 2002–03 में 370.2 करोड़ रु. व 2003–04 में 916 8 करोड़ रु. व्यय किये गये ।

---

1 Budget Study, 2004-05, July 2004, pp 48 & 50, Economic Review 2003-04, p 17 (GOR)

योजनाकाल में सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर व्यय तथा सिंचाई की सम्भाव्यता **(Irrigation Potential)** का विकास—राज्य में सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर योजनावार वास्तविक व्यय की राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

योजनाकाल	सिंचाई व बाढ़-नियन्त्रण पर वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)	योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)	सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण पर कुल व्यय का अनुपात (प्रतिशत में)
प्रथम	31 3	54.1	57.8
द्वितीय	27 9	102 7	27.2
तृतीय	87 9	212 7	41.3
तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	46 6	136 8	34.1
चतुर्थ	105 3	308 8	34.1
पंचम	271 2	857 6	31.6
1979-80	76.3	290.2	26.3
छठी	553.3	2130.7	26 0
सातवीं	690 5	3106 2	22.2
1990-91	177.5	975 6	18.2
1991-92	217.7	1178.5	18 5
आठवीं (1992-97)	1836.2	11999	15.3
नवीं (1997-2002)	2261.3	19836	11.4
2002-03	370.2	4431	8.4
2003-04	916 8	6044.4	15.2

योजनाओं में सिंचाई पर भारी विनियोगों के फलस्वरूप राज्य में सिंचाई की सम्भाव्यता (Irrigation Potential) 1950-51 में 4 लाख हैक्टेयर से बढ़कर सातवीं योजना के अन्त में, अर्थात् 1989-90 में, लगभग 22.32 लाख हैक्टेयर तथा आठवीं योजना के अंत तक 26.63 लाख हैक्टेयर हो गई । लेकिन नवीं योजना के अंत में इसके 28 लाख हैक्टेयर रहने का अनुमान लगाया गया था ।[1]

1 Draft Tenth Five Year Plan Vol. I, P 13 2 & Modified Budget Study 2004-05, p 50

योजनाकाल में वृहद् व मध्यम सिंचाई की परि योजनाओं पर किए गए व्यय व उससे उत्पन्न सिंचाई की सम्भाव्यता निम्न तालिका में दर्शाई गई है। साथ में लघु सिंचाई के विकास पर किए गए व्यय व उत्पन्न सिंचाई की सम्भाव्यता भी दी गई है।[1]

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल की कुल अवधि (1951-90) में सिंचाई की वृहद् व मध्यम योजनाओं पर 1515 करोड़ रुपये के व्यय से 19 2 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता (Irrigation Potential) उत्पन्न की गई। इसी अवधि में लघु सिंचाई की स्कीमों पर लगभग 197 करोड़ रुपये के व्यय से 3 2 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता का विकास किया गया। इस प्रकार कुल 1712 करोड़ रुपये के व्यय से लगभग 22 4 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता की जा सकी। (जो ऊपर दिए गए 22 32 लाख हैक्टेयर के समीप आती है)। स्मरण रहे कि सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न करने की प्रति हैक्टेयर लागत काफी तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, वृहद् व मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं पर तृतीय योजना में 65.4 करोड़ रुपये के व्यय से 3.3 लाख हैक्टेयर में सिंचाई का विकास हुआ, जबकि सातवीं योजना में 589 करोड़ रुपये के व्यय से केवल 2 लाख हैक्टेयर में ही सिंचाई का विकास किया जा सका। इसी प्रकार की स्थिति लघु सिंचाई कार्यक्रमों में भी प्रकट हुई है। तृतीय योजना में इन पर 3.3 करोड़ रुपये के व्यय से 22 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न की गई थी, जबकि सातवीं योजना में 108.7 करोड़ रुपये के व्यय से 38.6 हजार हैक्टेयर में ही सिंचाई का विकास किया जा सका है। इस प्रकार दोनों प्रकार की परियोजनाओं में प्रति हैक्टेयर सिंचाई के सृजन की लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

योजनावधि	वृहद् व मध्यम परियोजनाओं पर व्यय (करोड़ रु. में)	इनसे उत्पन्न सिंचाई सम्भाव्यता (लाख है. में)	लघु सिंचाई पर व्यय (करोड़ रु. में)	इनसे उत्पन्न सिंचाई सम्भाव्यता (हजार है. में)
योजना पूर्व अवधि	उपलब्ध नहीं	3 2	उपलब्ध नहीं	80
प्रथम योजना	23 8	0 9	1 1	13
द्वितीय	33 6	1 1	1 7	30
तृतीय	65 4	3 3	3.3	22
1966-69	37 6	1 5	3 1	10
चतुर्थ	90 7	1 4	11 4	25
पाँचवीं (वर्ष 1979-80 सहित) अर्थात् (1974-80 तक)	294 5	4 1	30 8	48
छठी	380 8	1 7	36 5	54
सातवीं (अनुमानित) 1985-90	589 0	2 0	108 7	37
कुल	1515 4	19 2	196 6	1190

1 Report of the Working Group on Irrigation for the Eighth Five Year Plan (1990-95) Department of Irrigation Government of Rajasthan, Jaipur September 1989

1990-92 की वार्षिक योजनाओं वृहद् व मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई की सम्भाव्यता 1.0 लाख हैक्टेयर तथा लघु परियोजनाओं से 20 हजार हैक्टेयर उत्पन्न की गई जो आठवीं योजना में क्रमश: 2.75 लाख हैक्टेयर व 32 हजार हैक्टेयर रही ।

प्रथम योजना में वृहद् व मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं पर सिंचाई की सम्भाव्यता (Irrigation Potential) उत्पन्न करने की लागत प्रति हैक्टेयर 2644 रुपये से बढ़कर सातवीं योजना में 28255 रुपये प्रति हैक्टेयर हो गई ।इस प्रकार इस अवधि में सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न करने की लागत 10 गुनी से अधिक हो गई । भविष्य में अधिक जटिल क्षेत्रों में सिंचाई का प्रयास करने से यह लागत और बढ़ेगी।[1]

सिचाई से फसलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है। 1990-91 व 2001-02 की अवधि के लिए राजस्थान में विभिन्न फसलों की उत्पादकता के औसत परिणाम सिंचित व असिंचित फसलों के लिए निम्न प्रकार रहे—

1990-91 व 2001-02 के वर्षों में उत्पादकता के स्तर[2]

(प्रति हैक्टेयर उत्पादन किलोग्राम में)

		1990-91		2001-02	
फसल		सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित
1.	गेहूँ	2491	1257	2855	1275
2	सरसों व राई	906	760	1177	862
3	कपास (लिट में) (1989-90)	1186	503	292	167

तालिका से स्पष्ट होता है कि आमतौर पर प्रति हैक्टेयर पैदावार सिंचित क्षेत्रों में असिंचित क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाई जाती है । इससे सिंचाई का महत्त्व प्रगट होता है ।

राजस्थान में सिंचाई-गहनता (Irrigation-Intensity) में धीमी गति से वृद्धि—सिंचाई-गहनता निकालने के लिए सकल सिंचित क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भाग देना होता है ।इसकी बदलती हुई स्थिति निम्न तालिका में दी गई है—

योजना अथवा वर्ष	सकल सिंचित क्षेत्र (लाख है. में)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (लाख है. में)	सिंचाई-गहनता (Irrigation-Intensity)
प्रथम योजना का औसत	14.39	12.07	119.21
छठी योजना का औसत	38.31	31.17	124.51
1990-91	46.52	39.04	119.2
2000-01	61.35	49.07	1.250
2001-02	67.44	54.20	1.244
2002-03	52.72	43.72	1.206

1. Papers on Perspective Plan, Rajasthan, 1990-2000 AD, Planning Department, Government of Rajasthan, p 118.
2. Agricultural Statistics of Rajasthan, 1973-74 to 2001-02, DES, October 2003, pp 74 & 76

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में सिंचाई-गहनता प्रथम योजना के 119.2 के औसत से बढ़कर 2002-03 में 120.6 पर आ गई है । इससे सिद्ध होता है कि एक से अधिक बार सिंचाई का क्षेत्र थोड़ा बढ़ा है । पूर्व वर्षों में यह कभी-कभी इससे भी ऊँची रही थी ।

2002-03 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल लगभग 43.7 लाख हैक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 52.7 लाख हैक्टेयर रहा । सकल सिंचित क्षेत्रफल में 38.9 लाख हैक्टेयर में कुओं व ट्यूबवैल से 74% भाग में सिंचाई हुई तथा 13.5 लाख हैक्टेयर में अर्थात् 26% भाग में नहरों से सिंचाई सम्पन्न की जा सकी । इस प्रकार राज्य में कुओं व ट्यूबवैलों के माध्यम से सिंचाई का स्थान सर्वोच्च रहा है । इसी वर्ष तालाबों का सकल सिंचित क्षेत्रफल में अंश नगण्य ही रहा (मात्र 8000 हैक्टेयर) ।

योजनाकाल में सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति[1]—योजनाकाल मे चुने हुए वर्षों के लिए कुल सिंचित क्षेत्रफल को प्रगति निम्न तालिका में दर्शाई गई है ।

वर्ष	सकल सिंचित क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)	सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का प्रतिशत
1950-51	11.7	12.0
1960-61	20.8	14 9
1970-71	24 5	14.7
1980-81	37.5	21.6
1990-91	46 5	24.0
1998-99	68.1	31.8
1999-2000	69.3	36.0
2000-2001	61 4	31.9
2001-2002	67.4	32 4

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य मे कुल सिंचित क्षेत्रफल का कुल कृषित क्षेत्रफल से अनुपात 1950-51 में 12% से बढ़कर 1999-2000 में लगभग 36.0% पर पहुँच गया । लेकिन 2001-02 में यह 32.4% तथा 2002-03 में 39 9% (कुल कृषित क्षेत्र के काफी घट जाने के कारण) आंका गया है । **इसका आशय यह है कि आज भी लगभग 2/3 कृषित क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है, इसलिए राजस्थान में सूखी खेती के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।**

अब हम राजस्थान में नहरों की सिंचाई पर प्रकाश डालेंगे । इनमें कुछ नहरें पुरानी हैं और कुछ नहीं हैं । पुरानी नहर व्यवस्था में गंगनहर व भरतपुर नहर का उल्लेख करना

1. Agricultural Statistics of Rajasthan, 1973-74 to 2001-02 Various Tables (for 1980-81 to 2001-02)

आवश्यक है । आगे चलकर हम बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं तथा सिंचाई की वृहद् परियोजनाओं के अन्तर्गत भी नहरों की सिंचाई का वर्णन करेंगे ।

गंगनहर—नहरों के सम्बन्ध में राजस्थान की यह प्रथम सिंचाई योजना मानी गई है । यह सन् 1927 में सतलज नदी से फिरोजपुर (पंजाब) के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई थी । मुख्य नहर फिरोजपुर से शिवपुर (श्रीगंगानगर) तक बहती है । इसकी लम्बाई 137 किलोमीटर है और वितरक-शाखाओं की लम्बाई 1280 किमी है । इससे श्रीगंगानगर जिले में 1.5 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है । इसकी सिंचाई से कपास, गेहूँ, माल्टा आदि की फसलें उत्पन्न की जाती हैं । यह नहर अब काफी पुरानी हो चुकी है और इसकी मरम्मत की आवश्यकता है ।

सन् 1984 मे इस नहर को गगनहर लिंक चैनल से जोड़ने का काम शुरू किया गया था। यह लिंक चैनल 80 किमी लम्बी बनाई जा सकती है जिससे इसमें इंदिरा गाँधी नहर का पानी छोड़ा जाएगा। लिंक चैनल का उद्‌गम हरियाणा मे लौहगढ़ नामक स्थान पर होगा। यह चैनल साधुवाली (श्रीगगानगर) के पास गगनहर मे मिल जाती है।

गंगनहर के आधुनिकीकरण के लिए 445.79 करोड़ रु. की लागत की योजना का कार्य प्रगति पर है। 2004-05 के लिए इस पर 72 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित है।

भरतपुर नहर— यह नहर 1964 मे बनकर तैयार हो गई थी। यह पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। इसकी कुल लम्बाई 28 किमी है जिसमे से 16 किमी. लम्बाई उत्तर प्रदेश मे आती है। इससे ग्यारह हजार हैक्टेयर भूमि की सिचाई होती है। इसमे खाद्यान्नो का उत्पादन बढने मे भारी योगदान मिला है।

गुड़गाँव नहर—यह नहर यमुना नदी से ओखला (दिल्ली) के पास निकाली गई है । इसका निर्माण 1966 में शुरू किया गया था और यह 1985 में बनकर तैयार हो गई थी । राजस्थान में यह नहर भरतपुर जिले के कामां तहसील के जेरा गाँव में प्रवेश करती है, राज्य में इसकी लम्बाई 35 मील है । इससे कामां व डीग तहसीलों में 28,200 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है । यह सिंचाई की वृहद् परियोजना में आती है ।

राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ तथा सिंचाई की वृहद् परियोजनाएँ

(अ) राजस्थान की बहुउद्देशीय तथा अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएँ इस प्रकार हैं—

(1) भाखड़ा नांगल परियोजना में हिस्सा,

(2) चम्बल परियोजना में हिस्सा,

(3) व्यास परियोजना,

(4) माही परियोजना ।

(आ) सिंचाई की वृहद् परियोजनाएँ (जिन पर कार्य किया जा रहा है) जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, सिंचाई की वृहद् परियोजनाओं के अन्तर्गत कृषि के लायक कमाण्ड क्षेत्रफल 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है । ये अग्रांकित हैं—

(1) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना,

(2) अन्य सात वृहद् सिंचाई परियोजनाएँ--गुड़गाँव नहर, ओखला जलाशय, नर्मदा, जाखम, बीसलपुर, नोहर फीडर व सिद्धमुख । इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है ।

राज्य की बहुउद्देशीय व अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएँ

(1) भाखड़ा-नांगल—यह राष्ट्र की सबसे बड़ी बहु-उद्देशीय नदी घाटी योजना है । इसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य भाग ले रहे हैं । **राजस्थान का इसमें 15.2% अंश रखा गया है । इस योजना से राजस्थान के श्रीगंगा- नगर जिले की कुछ भूमि कृषि योग्य हो सकी है और वहाँ सिंचाई का विस्तार हुआ है** । राज्य में छोटी-बड़ी मिलाकर एक हजार मील लम्बी नहरें बनाई गई हैं—मुख्य शाखा-नहरों की तलहटियाँ पक्की बनाई गई हैं, जिसमें बहुमूल्य पानी रेत के द्वारा न सोखा जा सके । नहरों की खुदाई और लाइनिंग के साथ-साथ गाँव बसाने, मंडियाँ और सड़कें बनाने आदि का कार्य भी किया गया है। **भाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई- क्षमता 14.6 लाख हैक्टेयर है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हैक्टेयर, हरियाणा का 5.5 लाख हैक्टेयर तथा पंजाब का 6.8 लाख हैक्टेयर रखा गया है ।**

इस योजना में सिंचाई के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में बिजली भी पैदा की जाती है । नांगल का बिजलीघर तैयार हो गया है और इससे राजस्थान को बिजली मिलने लगी है । राजस्थान को बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली दी गई है, जहाँ से यह अन्य शहरों और गाँवों में पहुँचाई गई है । फलस्वरूप चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनूं व सीकर आदि स्थानों को भी भाखड़ा की बिजली पहुँचाई गई है ।

(2) चम्बल परियोजना—चम्बल राजस्थान की सबसे बड़ी और एक अविरल बहने वाली नदी है । चम्बल विकास परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं । **इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है** । इस परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर बाँध बनाया गया है ।

***(i)* गाँधी सागर बाँध**—(प्रथम अवस्था)—यह भान-पुरी (मध्य प्रदेश) से 10 मील उत्तर-पश्चिम में और चौरासी-गढ़ से 5 मील नीचे बनाया गया है । यह सबसे बड़ा जलाशय है । ***(ii)* राणा प्रताप सागर बाँध**—(द्वितीय अवस्था)—यह पहले बाँध से 21 मील नीचे चूलिया झरने पर बनाया गया है । ***(iii)* जवाहर सागर बाँध**—(तृतीय अवस्था)—यह बाँध केवल 'पिक-अप' बाँध है जिसमें गाँधीसागर बाँध व राणा प्रताप सागर बाँधों से छोड़ा गया पानी इकट्ठा किया जाता है । यह कोटा शहर से 10 मील दक्षिण में बनाया जा रहा है । इसे कोटा बाँध भी कहते हैं । ***(iv)* कोटा सिंचाई बाँध** (Kota Barrage)—(प्रथम अवस्था)—यह कोटा शहर से 5 मील उत्तर में बनाया गया है । पहले तीन बाँधों के साथ पन-बिजलीघर भी बनाए गए हैं । इस योजना की पहली अवस्था में गाँधी सागर बाँध तथा बिजलीघर, कोटा सिंचाई बाँध और जवाहर सागर बाँध से दायीं और बायीं मुख्य नहरों का काम हाथ में लिया गया था, जो अब पूरा हो गया है । द्वितीय अवस्था में रावतभाटा के पास

राणाप्रताप सागर बाँध व बिजलीघर बनाए जा रहे हैं। तृतीय अवस्था में जवाहर सागर बाँध बनाया जा रहा है। **चम्बल परियोजना से राजस्थान में मुख्यतया कोटा व बूँदी जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी।** चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में पानी के जमाव, क्षारयुक्त भूमि व पानी के मिट्टी में सोख लिए जाने की समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, जिससे सिंचाई की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। विश्व बैंक की सहायक संस्था 'अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन' (IDA) की सहायता से इन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। आधुनिकीकरण व पानी के निकास की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। छठी योजना (1980-85) की अवधि में राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर तथा लिफ्ट स्कीम के चालू कार्यक्रमों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई थी। चम्बल परियोजना के नए कार्यक्रमों में बूँदी शाखा का विस्तार, कोटा जलाशय को ऊँचा करना तथा डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क्स शामिल किए गए थे। अब चम्बल परियोजना का काम पूरा हो गया है। **इससे 4.5 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है तथा 386 मेगावाट जल-विद्युत उत्पन्न होती है। चम्बल लिफ्ट स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई की अधिकतम क्षमता 47,880 हैक्टेयर रखी गई है।**

(3) व्यास परियोजना (Beas Project)—यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की मिलीजुली बहुउद्देशीय योजना है। **इस योजना में सतलज, रावी और व्यास तीनों के जल का उपयोग किया जा रहा है। इसकी निम्न तीन इकाइयाँ हैं—(1) व्यास-सतलज कड़ी (2) पोंग स्थान पर व्यास नदी पर बाँध (3) व्यास ट्रांसमिशन प्रणाली।** पहली इकाई में पण्डोह (Pandoh) (हिमाचल प्रदेश) नामक स्थान पर एक बाँध, दो सुरंग, सात मील लम्बी खुली हाइडल चेनल (बग्गो से सुन्दर नगर तक) एवं शक्ति-संयंत्र (देहर स्थान पर 165 मेगावाट क्षमता का) शामिल किया गया है।

दूसरी इकाई में **पोंग बाँध (व्यास नदी पर) का उद्देश्य राजस्थान के लिए पानी एकत्र करना है।** इससे पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। इसमें एक शक्ति-संयंत्र को स्थापित करने की योजना भी है। इसका निर्माण कार्य व्यास-नियंत्रण मण्डल की देखरेख में सम्पन्न किया जा रहा है। राजस्थान को व्यास परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई का लाभ नहीं मिलेगा। यह इंदिरा गाँधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल-सप्लाई करेगी। इस योजना से तीनों राज्यों में 21 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना से राजस्थान राज्य को 150 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी (कुल क्षमता 240 मेगावाट होगी)।

रावी-व्यास नदी जल-विवाद[1]—पिछले दो दशकों से रावी-व्यास नदी जल-विवाद चलता आ रहा है। अन्तर्राज्यीय जल-विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1986, पंजाब समझौते को लागू करने के लिए पारित किया गया था। इसके अन्तर्गत इराडी आयोग का गठन किया गया, जिसको दो कार्य सौंपे गए थे—

1 मुंगालाल सुरेका, "पंजाब व राजस्थान आमने-सामने", राजस्थान पत्रिका, 6 जून, 1986 तथा "इराडी पंचाट की असहनीय कार्यवाही", राजस्थान पत्रिका, 26 मई, 1987

(i) **यह निर्धारित करना कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के किसान 1 जुलाई को रावी-व्यास नदियों का कितना-कितना पानी उपयोग में ला रहे थे ताकि कम से कम उतना पानी उनको अवश्य मिलता रहे। (पंजाब समझौते के पैरा 9(1) के अनुसार)।**

(ii) **आयोग यह निर्णय करेगा कि पंजाब व हरियाणा के अपने बाकी बचे हुए हिस्से में से कितना हिस्सा किस राज्य (पंजाब या हरियाणा) को मिलेगा।** आयोग का यह निर्णय केवल इन्हीं दो राज्यों पर लागू होगा। (पंजाब समझौते के पैरा (2) के अनुसार)

इस प्रकार इराडी आयोग की नियुक्ति किसी स्वतंत्र न्यायिक निर्णय के लिए नहीं की गई थी, बल्कि राजीव-लोंगोवाल पंजाब समझौते में किए गए राजनीतिक निर्णय को लागू करने में मदद देने के लिए की गई थी।

पंजाब का यह तर्क रहा है कि रावी-व्यास नदियाँ राजस्थान में होकर नहीं बहतीं, इसलिए इनके पानी पर राजस्थान का कोई अधिकार नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि पंजाब व हरियाणा के आपसी विवाद में राजस्थान को अनावश्यक रूप से घसीट लिया गया है। **राजस्थान सिंध नदी का प्रदेश है और इस प्रकार इन नदियों के पानी में पूरा हकदार माना जाना चाहिए।** राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी व सूखा क्षेत्रों को सिंचाई के लिए पानी की नितान्त आवश्यकता है।

इराडी आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई, 1987 में पेश की थी जिसके अनुसार पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के पानी के हिस्से निम्न प्रकार निश्चित किए गए थे—

राज्य	नये निर्धारित अंश	पूर्व अंश
1 पंजाब	50 लाख एकड फुट	42 2 लाख एकड फुट
2 हरियाणा	38 लाख 30 हजार एकड़ फुट	35 लाख एकड़ फुट
3 राजस्थान	86 लाख एकड़ फुट	86 लाख एकड़ फुट

इस प्रकार इराडी आयोग की सिफारिशों से पंजाब व हरियाणा के हिस्से बढ़े तथा राजस्थान का यथावत रहा। इससे राजस्थान का वास्तविक अंश रावी-व्यास पानी में 3% कम हो गया। इस बात से राजस्थान का असंतुष्ट होना स्वाभाविक था, क्योंकि राज्य में बहुधा सूखा पड़ता रहता है और यहाँ की जल की आवश्यकता भी अधिक है। **इसलिए राजस्थान का हिस्सा भी आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए था,** लेकिन समझौते के अन्तर्गत अतिरिक्त पानी पंजाब व हरियाणा में ही विभाजित किया गया।

जून 1992 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह ने सलाह दी थी कि राजस्थान को रावी-व्यास नदियों के अपने हिस्से के पानी में से 2 मिलियन एकड़ फुट (20 लाख एकड़ फुट) पानी हरियाणा को देना चाहिए, जो राष्ट्रहित में होगा। लेकिन यह सुझाव राजस्थान के हितों के विपरीत माना गया था। पंजाब व हरियाणा में सिंचित क्षेत्रफल का अनुपात राजस्थान मे कहीं ज्यादा है। राजस्थान द्वारा 2 मिलियन एकड़ फुट पानी कम कर

देने से इसकी लिफ्ट योजनाओं व कई कमाण्ड क्षेत्रों को पानी नहीं मिल पाएगा, जिससे राजस्थान के हितों को क्षति पहुँचेगी । पिछले दिनों पंजाब विधानसभा ने एक अधिनियम पारित करके सतलज-यमुना लिंक नहर बनाने से इन्कार कर दिया था जिससे राजस्थान, हरियाणा व सम्बद्ध राज्यों ने एतराज उठाया है । पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने अन्य राज्यों को पानी देने से इन्कार नहीं किया है । उनके हिस्से का पानी उनको मिलना बराबर जारी रहेगा । लेकिन पंजाब सरकार के इस प्रकार के एकतरफा निर्णय को अधिकांश क्षेत्रों में उचित नहीं माना गया है । अतः भविष्य में ऐसे निर्णयों में सभी की सहमति जरूरी मानी गयी है ।

(4) माही बजाज सागर परियोजना—यह राजस्थान का गुजरात की मिली-जुली परियोजना है। इससे दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात में सिंचाई की जाएगी । राजस्थान और गुजरात के बीच वर्ष 1966 में माही नदी के जल का उपयोग करने हेतु एक समझौता हुआ था । इसके अनुसार गुजरात में कडाना बाँध (Kadana Dam) बनाया जाना था, जिसकी पूरी लागत गुजरात वहन करेगा और वही उसका लाभ लेगा। लेकिन समझौते में यह व्यवस्था की गई थी कि नर्मदा का विकास होने पर कडाना बाँध का कुछ जल राजस्थान को भी दिया जाएगा और इसके लिए राजस्थान गुजरात को बाँध की यथोचित लागत भरेगा ।

माही बजाज सागर परियोजना पर 1968 से कार्य चल रहा है । इसकी प्रथम इकाई सिंचाई के लिए है, जिसमें राजस्थान व गुजरात दोनों का हिस्सा है, (मुख्य बाँध)—3109 मीटर लम्बा है। इसके व्यय मे गुजरात का अंश 55% तथा राजस्थान का 45% है । इकाई II मे सिचाई व शक्ति दोनों में केवल राजस्थान का ही हिस्सा है, इकाई III भी मात्र राजस्थान का ही शक्ति वाला भाग है, इकाई IV में राजस्थान का ही सिंचाई वाला भाग शामिल है । सातवीं योजना मे इकाई V पर भी कुछ व्यय किया गया था । यह भी राजस्थान के सिचाई वाले भाग के लिए ही था ।

योजना की तीसरी इकाई में शक्ति का विकास किया जा रहा है। शक्ति गृह नं. 2 का कार्य काफी आगे बढ़ गया है। इस पर 45-45 मेगावाट की दो इकाइयाँ लगाई जा रही हैं। प्रथम पावर हाउस में 25-25 मेगावाट की दो इकाइयाँ हैं। इसे जनवरी, 1986 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था । इस प्रकार इसकी पावर की कुल क्षमता (90+50) = 140 मेगावाट है। पावर हाउस नं. 2 की पहली इकाई फरवरी 1986 में तथा दूसरी इकाई जुलाई 1989 में चालू की गई थी । राजस्थान व गुजरात राज्य में 8 8 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई का पानी मिलेगा । संशोधित प्रोजेक्ट के तहत कृषियोग्य कमांड क्षेत्र (CCA) 80 हजार हैक्टेयर आंका गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 802 करोड़ रु. है जिसमें से लगभग 701 करोड़ रु. मार्च 2004 तक व्यय किये जा चुके हैं । मार्च 2004 के अन्त तक 65450 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के तहत लाया जा सका है ।[1] 2004-05 में माही परियोजना के लिए 50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है ।

---

1. Economic Review 2003-04, p 51.

सिंचाई व विद्युत की सुविधा मिलने से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का कृषिगत व औद्योगिक विकास होगा, जिससे लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकेगा।

सिंचाई की वृहद् परियोजनाएँ (Major Irrigation Projects)

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना का मानचित्र

(1) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (इगानप) (Indira Gandhi Nahar Project) (IGNP) का विवरण[1]—यह पहले राजस्थान नहर परियोजना कहलाती थी। इस परियोजना के पूरा हो जाने से यह विश्व की सबसे लम्बी सिंचाई प्रणालियों (Irrigation Systems) में से एक मानी जाएगी। यह थार के रेगिस्तान के बड़े भू-भाग को हरा-भरा बना देगी तथा **चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर** जिलों को लाभ पहुँचाएगी। इसकी सिंचाई की कुल सम्भाव्यता या क्षमता (*irrigation potential*) 15 17 लाख हैक्टेयर होगी।[1] इसके अन्तर्गत कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (Culturable Command area) 17 41 लाख हैक्टेयर होगा (चरण I मे 5 53 लाख हैक्टेयर तथा चरण II मे 11 88 लाख हैक्टेयर)।

---

1. Economic Review 2003-04, p. 50

प्रथम चरण (Stage I) के अन्तर्गत 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर (जो पंजाब में व्यास व सतलज नदियों के संगम पर हरीके बाँध से प्रारम्भ होती है और हनुमानगढ़ के पास मसीतावाली गाँव पर समाप्त होती है), 189 किलोमीटर लम्बी राजस्थान मुख्य नहर तथा 3109 किलोमीटर में वितरिकाओं के निर्माण कार्य रखे गए थे, जो पूरा होने में आ गए हैं। द्वितीय चरण (Stage II) में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर (189 किलोमीटर से 445 किलोमीटर तक) (छतरगढ़ से जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ तक) तथा 5756 किलोमीटर में वितरिकाओं (कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र व छः लिफ्ट नहरों के क्षेत्रों को शामिल करके) के निर्माण कार्य रखे गए हैं । 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण कार्य वर्ष दिसम्बर 1986 में पूरा हो गया । मार्च 2004 तक शाखाओं व वितरिकाओं का निर्माण 7524 किलोमीटर की दूरी में पूरा किया गया, जबकि लक्ष्य 9060 किलोमीटर का था । इस पर कुल व्यय 2600.89 करोड़ रु. का हुआ जो प्रथम चरण में 393.17 करोड़ रु. का तथा दूसरे चरण में 2207 72 करोड़ रु. का था। 2003-04 के अन्त तक 12.13 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की क्षमता सृजित की जा सकी है । 2004-05 में इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के लिए योजना-मद में 177 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इस व्यय से पक्की नहरों का निर्माण कराया जाएगा जिससे 115 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हो सकेगी ।[2] इसके अलावा 2003-2004 में इंदिरा गाँधी नहर परियोजना सिंचित क्षेत्र के विकास के लिए 63 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था । इसका उपयोग विशेषकर पक्के खालों के निर्माण, सेम-समस्या-निवारण व कृषि-विस्तार-कार्यक्रमों पर किया जाना था, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित हो सकेगी ।

एक अनुमान के अनुसार इस परियोजना से 1600 करोड़ रु. का वार्षिक कृषिगत उत्पादन प्राप्त होने लगा है ।[1] जनवरी, 1987 को मुख्य नहर के अन्तिम छोर तक पानी पहुँचाया गया था । हिमालय की गगनचुम्बी बर्फीली चट्टानों से सैकड़ों मील दूर प्यासे और तपते हुए रेगिस्तान को जीवनदायक जल पहुँचाना एक भागीरथ प्रयास की सुखद परिणति है । इसके साथ ही वितरिकाओं का निर्माण कार्य भी कराया गया है । योजना का प्रथम चरण वर्ष 2000-2001 तक तथा दूसरा चरण वर्ष 2005 तक पूरा होने की आशा है । योजना के दोनों चरणों की कुल लागत उत्तरोत्तर बढ़ती गई है ।

जैसलमेर जिले को समृद्ध बनाने में लाठी सिरीज के क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा । यहाँ पानी पहुँचते ही खेती होने लगेगी । वैसे भी वहाँ मामूली बरसात से 'सेवण' घास पैदा होती है, जो पशुओं के लिए पौष्टिक मानी जाती है । मोहनगढ़ से आगे राजस्थान नहर के अन्तिम छोर से लीलवा शाखा निकाली जा रही है । यह 90 किलोमीटर लम्बी होगी और लाठी सिरीज क्षेत्र में सिंचाई करेगी । ताजा सूचना के अनुसार, राजस्थान नहर का

1. Economic Review 2003-04, p. 50.
2. बजट-भाषण, 12 जुलाई 2004, पृ. 56

पानी सदियों से प्यासे पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ से कई किलोमीटर आगे तक पहुँच गया है। पानी के अभाव में वीरान पड़े हुए मोहनगढ़ क्षेत्र के निवासियों एवं पशु-पक्षियों को पहली बार मीठा पेयजल मिला है तथा शुष्क इलाके को सिंचाई की सुविधा मिली है। अब इस परियोजना को बाड़मेर में गडरा रोड तक बनाने की स्वीकृति मिल गई है।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से राज्य में गेहूँ, कपास व तिलहन की पैदावार बढ़ेगी। नये उद्योग, नये नगर, नई बस्तियाँ, ये सब नहर के ही वरदान होंगे। नहरी क्षेत्र में लाखों व्यक्तियों को बसाने का कार्यक्रम है। इसके लिए 'मास्टर प्लान' पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना की यह विशेषता है कि इससे पहली बार नई भूमि पर खेती की जा सकेगी। इससे रावी-व्यास के जल का ज्यादा गहरा उपयोग हो सकेगा और कमाण्ड क्षेत्र में निरन्तर सूखे के कारण अकाल-राहत कार्य किया जा रहा है। इसलिए इस परियोजना का महत्त्व काफी बढ़ गया है। इस परियोजना के पूरा होने पर सारा देश लाभान्वित होगा।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एक अतिरिक्त नहर (लीलवा शाखा) के निर्माण का काम चल रहा है। मुख्य नहर के आखिरी छोर से एक और बड़ी शाखा दीघा भी निकाली जाएगी, जिसका निर्माण कार्य भी हाथ में लिया जा चुका है। इन दोनों शाखाओं से जैसलमेर का क्षेत्र कुछ ही वर्षों में चमन हो जाएगा।

योजना को पूरा करने में सीमेन्ट व कोयला बाधा डाल रहे हैं। इस नहर से लिफ्ट सिंचाई (जलोत्थान) स्कीम को कार्यान्वित करने की योजना बनाई है ताकि राज्य के पश्चिमी भाग को सिंचाई के लिए जल मिल सके। मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इन लिफ्ट नहरों में पानी को ऊपर उठाया जाता है। एक बार में लिफ्ट में पानी को 60 मीटर ऊपर उठा सकते हैं। जोधपुर को लिफ्ट नहर से 1992 में पानी देने का लक्ष्य रखा गया था। सात लिफ्ट नहरों के नाम इस प्रकार हैं—

(1) कंवरसेन लिफ्ट नहर (बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर)—इससे बीकानेर शहर को पानी मिलेगा।

(2) गजनेर लिफ्ट नहर

(3) साहवा लिफ्ट नहर—इससे कई गाँवों के अलावा सरदारशहर व तारानगर को पानी मिलेगा।

(4) बांगड़सर लिफ्ट नहर

(5) कोलायत लिफ्ट नहर

(6) फलौदी लिफ्ट नहर

(7) पोकरण लिफ्ट नहर

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से थार के बड़े क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिलेगा तथा फलों के पेड़ों का विस्तार किया जा सकेगा। राज्य सरकार चाहती है कि इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार पूरा करे क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में वित्तीय व्यय की आवश्यकता

है । अत: सतलज-यमुना लिंक (SYL) की भाँति इसका वित्तीय भार भी केन्द्र को वहन करना चाहिए । इससे राज्य के आर्थिक विकास में विभिन्न प्रकार से मदद मिलेगी; जैसे **सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, कृषिगत उपज में वृद्धि, बिजली के उत्पादन में वृद्धि, पेयजल की सप्लाई में वृद्धि, रेगिस्तान के प्रसार पर रोक, मछली पालन को प्रोत्साहन, परिवहन का विकास, अनाज की मण्डियों का निर्माण, पशुपालन का विकास, औद्योगिक विकास, पर्यटन-विकास आदि ।**

सिंचाई के अलावा कंवरसैन लिफ्ट कैनाल से बीकानेर व 99 गाँवों को पेयजल की सुविधा दी गई है । इसके अलावा गंधेलीसहवा लिफ्ट स्कीम से चूरू जिले के 175 गाँवों को तथा मुख्य नहर से जोधपुर लिफ्ट स्कीम के जरिए जोधपुर शहर व बीच में पड़ने वाले गाँवों को पेयजल की सुविधा दी गई है । इन्दिरा गाँधी सिंचित विकास परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, पक्के खालों के निर्माण, सड़कों व नई डिग्गियों के निर्माण तथा टीला-स्थिरीकरण आदि कार्यक्रमों पर बल दिया गया है ।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी जिसे केन्द्र देने में असमर्थ है । अत: इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से साधन जुटाने होंगे । परियोजना से बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालन, चरागाह विकास व स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खेती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इन्दिरा गाँधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव (सेम) से काफी उपजाऊ भूमि नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है । उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व जहरीला घास नजर आने लगा है । **भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत है तथा किसान पानी अधिक देते हैं जिससे सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है । इस समस्या का समाधान होना चाहिए । यदि सेम नहर से हो रहा है तो सीमेन्ट प्लास्टर पर एक–एक टाइल की लाइनिंग की एक और परत बिछा कर उसे रोका जाना चाहिए । रिसाव रोकने का कार्य शीघ्र ही किया जाना चाहिए ।** जैसा कि पहले कहा जा चुका है अमृत नाहटा का मत है कि इंदिरा गाँधी नहर का क्षेत्र पशुपालन, फलों के वृक्ष व बागवानी के ज्यादा योग्य है, और यह नहर खुली न रखकर पाइपों के द्वारा पानी ले जाने की दृष्टि से बनायी जाती तो ज्यादा अच्छा होता ।

वर्ष 1999-2000 के बजट में सरकार ने इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में भूमि को बेचकर 200 करोड़ रु. जुटाने का लक्ष्य घोषित किया गया था । इससे उपनिवेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और भूमि का आवंटन किया जाएगा ।

(2) अन्य वृहद् सिंचाई परियोजनाएँ—जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस समय सिंचाई की निम्न 7 बड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है—गुड़गाँव नहर, ओखला जलाशय, नर्मदा, जाखम (जनजाति योजना के अन्त-र्गत), बीसलपुर (जिला टोंक), नोहर फीडर तथा सिद्धमुख । इन सिंचाई की वृहद् परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय अग्र तालिका में दिया गया है—

वृहद् सिंचाई की परियोजनाएँ		जिला	अधिकतम सिंचाई की क्षमता (हैक्टेयर में)
1	जाखम	उदयपुर	23505
2	गुड़गाँव नहर	भरतपुर	28200
3	ओखला जलाशय	भरतपुर	(गुड़गाँव का ही भाग)
4	नर्मदा	जालौर	73157
5	सिद्धमुख	श्रीगंगानगर	33620
6	नोहर	श्रीगंगानगर	13665
7	बीसलपुर	टोंक	69300
			(इसकी 72% सिंचाई-क्षमता पर 49900 हैक्टेयर में सिंचाई की सुविधा)

इनमे से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

(1) सिद्धमुख परियोजना— इससे श्रीगंगानगर जिले की नोहर व भादरा तहसीलों तथा चूरू जिले की राजगढ़ (सादुलपुर) व तारानगर तहसीलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसमें राजस्थान रावी-व्यास नदियों के सरप्लस पानी का उपयोग करेगा जो उसके हिस्से में दिसम्बर 1981 मे पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए एक समझौते के अन्तर्गत मिला है। राजस्थान को मिलने वाला पानी नागल हैड वर्क्स से भाखड़ा मुख्य नहर, पंजाब मे होते हुए फतेहाबाद *शाखा तथा किशनगढ़ उपशाखा, हरियाणा के* समानान्तर नहर द्वारा लाया जाएगा। **310 करोड़ रु. की लागत की इस परियोजना का 12 जुलाई, 2002 को लोकार्पण किया जा चुका है। इसके माध्यम से 94 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिल गयी है।**

(2) **नोहर परियोजना** का लाभ श्रीगंगानगर जिले में नोहर तहसील को मिलेगा। ये दोनों परियोजनाएँ एक ही कार्यक्रम का अंग हैं। इसमें रावी-व्यास नदियों के सरप्लस पानी का उपयोग किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 40 60 करोड़ रुपये है। सिद्धमुख व नोहर क्षेत्र में सिंचाई की वृहद् परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ आर्थिक समझौता हुआ है।

(3) **नर्मदा परियोजना—गुजरात राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना एक वृहद् परियोजना है।** इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 548 करोड़ रुपये आंकी गई है। *इससे राजस्थान को भी सिंचाई का लाभ जालौर जिले के 76 गाँवों तथा बाड़मेर जिले के* 7 गाँवों को मिलेगा। राजस्थान में इसके लिए नहर निर्माण कार्य 8 वर्ष में पूरा होने का प्रस्ताव है। नर्मदा के जल के बँटवारे के बारे में राजस्थान व गुजरात में कोई मतभेद नहीं है। राजस्थान के हिस्से की नहरें बनाने का कार्य सरकार के द्वारा अपने हाथ में लिया गया है।

(4) **बीसलपुर योजना** (Bisalpur Project)—इस परियोजना में बनास नदी पर बीसलपुर गाँव के पास एक बाँध बनाया जा रहा है। यह गाँव टोंक जिले में टोडारायसिंह कस्बे में 13 किमी. दूर है, उस पर 1986-87 में कार्यारम्भ हुआ था। यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 6 नगरों को घरेलू उपयोग के लिए पानी देना है और टोंक, अजमेर तथा बूँदी जिलों के गाँवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है ।

इस प्रोजेक्ट के द्वारा जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी और सरवाड़ आदि को पानी दिया जायगा, जहाँ भी पीने के पानी और घरेलू उपयोग व कल-कारखानों के लिए पानी की बहुत कमी रहती है । इस कमी को पूरा करने के लिए बनास नदी के बहाव क्षेत्र में चार स्थानों पर नलकूप और कुएँ खोदे गए हैं । ये चार स्थान सांडला, छतरी, नेगडिया और देवली हैं ।

सांडला में 20 नलकूप, छतरी में 16 नलकूप और एक कुआ तथा नेगडिया और देवली में एक-एक कुआ खोदा गया है । आगे चलकर इस परियोजना से पेयजल का लाभ जयपुर शहर को भी मिलेगा । **इस प्रोजेक्ट से टोंक जिले की 81800 हैक्टेयर कृषिगत भूमि में सिंचाई हो सकेगी । प्रोजेक्ट की संशोधित लागत 658 करोड़ रु. आँकी गई है ।** अब तक 42500 हैक्टेयर मे सिंचाई का पानी पहुँचाने की व्यवस्था को जा चुकी है । प्रोजेक्ट के वर्ष 2006 तक पूरा होने की आशा है ।

कुछ अन्य बाँधों का परिचय

(i) **जवाई बाँध**—यह बाँध जवाई नदी पर बना है जो पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी की सहायक है । जवाई नदी पाली जिले में अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल पर बहती है । यहाँ एरिनपुरा रेलवे स्टेशन से 3 किमी. दूर जवाई बाँध बनाया गया है । इस बाँध को बनाने का काम 1946 में शुरू हुआ था और यह 1951-52 में बनकर तैयार हो गया था ।

इस बाँध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहरों को घरेलू उपभोग के लिए पानी दिया जाता है । इसके अलावा पाली जिले में 26 हजार हैक्टेयर भूमि और जालौर जिले में 15 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है ।

इस परियोजना में एक पक्का बाँध बनाया गया है । इसके दोनों किनारों पर मिट्टी का बाँध है । इसके दोनों ओर ऊँची दीवारें हैं । बाँध से 176 किमी लम्बी नहर निकाली गई है ।

(ii) **जाखम बाँध**—यह बाँध जाखम नदी पर प्रताप-गढ़ तहसील (जिला चित्तौड़-गढ़) में बनाया गया है । जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है । बाँध बनाने का कार्य 1962 में शुरू किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य धरियाबाद (जिला उदयपुर) और प्रतापगढ़ के गाँवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का है । इन क्षेत्रों में ज्यादातर भील आदिवासी रहते हैं । आदिवासी क्षेत्रों को इस योजना से बहुत लाभ पहुँचा है ।

मुख्य बाँध से 13 किमी. नीचे नागरिया गाँव में एक पिकअप बाँध बनाया गया है । ऊपरी बाँध के प्रवाह-क्षेत्र में ऊबड़-खाबड़ जमीन है जो खेती के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए निचले उपजाऊ भागों को सिंचाई करने के लिए एक पिक-अप बाँध बनाना जरूरी था ।

पिकअप बाँध के दायें और बायें किनारों से दो नहरें निकाली गई हैं । मुख्य बाँध पर 4.5 मेगावाट जल-विद्युत बनाने की दो इकाइयाँ लगाई गई हैं जिनसे 9 मेगावाट बिजली पैदा होती है । इस परियोजना से कुल 23505 हैक्टेयर में सिंचाई की जा सकेगी । जाखम परियोजना का निर्माण जनजाति उप-योजना (tribal sub-plan) के अन्तर्गत किया गया है ।

(iii) मेजा बाँध—यह बाँध भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ कस्बे से 8 किमी. दूर कोठारी नदी पर बनाया गया है । बाँध का निर्माण 1957 में शुरू हुआ था और यह 1972 में बनकर तैयार हो गया था । इससे भीलवाड़ा जिले में 10 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है । इस बाँध से भीलवाड़ा नगर को भी घरेलू उपभोग के लिए पानी दिया जाता है । यहाँ पाइप लाइन भी फरवरी 1985 में बनकर तैयार हो गई थी ।

(iv) पांचना बाँध—यह मिट्टी का बाँध करौली के समीप सवाई माधोपुर जिले में पाँच छोटी-छोटी नदियों के संगम पर गम्भीरी स्थान पर बनाया जा रहा है । बाँध पूरा भर जाने पर करौली कस्बे के कुछ भाग को खतरा उत्पन्न हो सकता है । बाँध से निकाली गई नहरों और पुलियाओं के निर्माण का काम चल रहा है । इससे गंगापुर, हिण्डौन, नादौती, टोडाभीम आदि तहसीलों में 9980 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी ।

(v) मोरेल बाँध—यह बाँध मोरेल नदी पर लालसोट से लगभग 16 किमी दूर सवाई माधोपुर जिले में बनाया गया है । इससे 8 6 हजार हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है ।

वर्तमान में राज्य में कुछ प्रमुख मध्यम सिंचाई की परियोजनाओं के नाम व जिले नीचे दिए जाते हैं—

मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ	जिला
1 भीमसागर	झालावाड़
2 छापी	झालावाड़
3. हरिश्चन्द्र सागर	झालावाड़
4 बिलास	बारां
5 सावन भादों	कोटा
6. परवन लिफ्ट	कोटा
7. सोम-कमला-अम्बा	डूँगरपुर
8. सोम कागदर	उदयपुर
9 पांचना	सवाई माधोपुर

राज्य सरकार गंगा व उसकी सहायक नदियों के अधिक जल को राजस्थान में लाने के लिए शारदा यमुना, तथा राजस्थान साबरमती लिंक नहर शीघ्र बनाने के लिए प्रयास कर रही है । इसके तहत शारदा का पानी यमुना में डाला जाना प्रस्तावित है । इसके बाद राजस्थान साबरमती लिंक नहर से हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर व

सिरोही जिलों को सिंचाई व पेयजल की सुविधा मिलेगी ।[1]

वर्तमान में 7 वृहद, 7 मध्यम एवं 140 लघु सिंचाई परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं । छापी, पांचना एवं बेथली मध्यम तथा 35 लघु सिंचाई परियोजनाएँ 2004-05 में पूर्ण की जायेंगी । (बजट-भाषण, 12 जुलाई 2004, पृ. 57) ।

राजस्थान में भू-जल (Ground Water) का सिंचाई के लिए विकास[2]

फरवरी 1991 में राजस्थान के भू-जल विभाग ने भू-जल साधनों व सिंचाई की **सम्भाव्यता के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किए थे—**

		मिलियन एकड़ फुट (MAF)
1	कुल भू-जल साधन	12 27
2	घरेलू व औद्योगिक उपयोगों में प्रयोग के लिए (रिजर्व रखा गया)	1 99
3	सिंचाई में काम लेने के लायक मात्रा	10 80
4	सिंचाई में प्रयुक्त मात्रा (net draft)	5 82
5	सिंचाई के लिए भू जल बकाया-मात्रा (balance)	4 98
6	भूजल का सिंचाई में अब तक उपयोग (क्रम 4 का क्रम 3 से अनुपात)	लगभग 54 प्रतिशत

इस प्रकार वर्तमान में भूजल का सिंचाई के लिए 54% तक का उपयोग ऊँचा है । राज्य में जल-सतह तेजी से नीचे जा रही है । भूजल के कई क्षेत्रों में यह जल के अत्यधिक उपयोग को सूचित करने लगी है । **जयपुर, झुंझुनूं, पाली, अलवर, जोधपुर, सीकर व जालौर जिलों में स्थिति काफी भयावह हो गई है, क्योंकि इनमें भूजल का उपयोग 85% से अधिक स्तर तक पहुँच गया है ।** विद्युत की सहायता से भूजल का उपयोग पीने व सिंचाई के लिए अत्यधिक मात्रा में हुआ है ।

1979-80 में भूजल से सिंचाई 14 6 लाख हैक्टेयर में की गई जो बढ़कर 1989-90 में 17.6 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गई । अत: 1979-90 की अवधि में इसमें लगभग 21% की वृद्धि हुई है । अनुमान है कि 2000 ईस्वी तक भूजल का उपयोग 67% तक होने लग जाएगा, जो वर्तमान में 54% आंका गया है ।

भविष्य में सिंचाई के विकास की रणनीति सही होनी चाहिए । इसके लिए सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में उपयोग किया जाना चाहिए । बड़े व मध्यम सिंचाई के अधूरे प्रोजेक्टों को पहले पूरा करना चाहिए । नये प्रोजेक्ट धन की व्यवस्था होने पर ही हाथ में लेने चाहिए । पहले से उत्पन्न सिंचाई की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए । रिसाव व वाष्पायन (seepage and evaporation) से होने वाली क्षति कम की जानी चाहिए । जल-मार्गों की लाइनिंग की जानी चाहिए । फसलों को इतनी बार पानी देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज मिल सके । इसके लिए फसलवार अधिकतम पानी देने का क्रम तय किया जाना चाहिए । सिंचाई

---

1 राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह का विधान सभा में अभिभाषण, 24 फरवरी, 2003, पृ 13

2 Papers on Perspective Plan, Rajasthan, 1990-2000 AD, pp 119-122

के प्रोजेक्टों के रख-रखाव पर पर्याप्त धनराशि के व्यय की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि रख-रखाव की कमी से इनमें तेजी से गिरावट आती है।

राजस्थान जल विकास निगम लि. (Rajasthan Water Resources Development Corporation Ltd.)—यह 1984 में कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसके निम्न कार्य हैं—

(1) भू-जल (Ground Water) की जाँच करना, ट्यूबवैल स्थापित करना तथा भूजल का उपयोग कृषि, उद्योग, पीने, घरेलू व अन्य उपयोगों के लिए निर्धारित करने में मदद देना।

(2) सतह के जल (Surface Water) का उपयोग कृषि, उद्योग, पीने व घरेलू आदि कार्यों के लिए निर्धारित करना।

(3) पानी को लिफ्ट करने व उपयुक्त स्थान पर पहुँचाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों की व्यवस्था में मदद देना।

निगम की **वित्तीय स्थिति** मे सुधार की आवश्यकता है। **इसे 1997-98 में शुद्ध लाभ 18.5** लाख रु., **1998-99 में 21.3 लाख** रु. व **1999-2000 में 13** लाख रु. का **मुनाफा प्राप्त हुआ।**[1] यह जल-साधनों के उपयोग व विकास में **महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।**

सिंचित क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम—कमाण्ड क्षेत्र विकास (Command Area Development) राज्य सरकार ने पाँचवीं योजना में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल किया था। वैसे इस कार्यक्रम पर चतुर्थ योजना की अवधि में भी कुछ सीमा तक बल दिया गया था। अब तक इसके अन्तर्गत इंदिरा गाँधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रम, चम्बल कमाण्ड क्षेत्र का विकास-कार्यक्रम तथा माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। इनका विवरण नीचे दिया जाता है—

(1) इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम—इसमें निम्न प्रकार के कार्यक्रम आते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं—

(अ) भूमि को समतल करना,

(ब) पानी को नालियों को पक्का करना,

(स) सड़क व डिग्गियों का निर्माण, शिक्षा, मण्डियों का विकास, ग्रामीण जल सप्लाई, कृषि, सहकारिता, पशु-पालन व मछली पालन। इन कार्यों को संचालित करने में विश्व बैंक की सहायक संस्था—अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसो-सियेशन से मदद ली गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 महीने की फ्री-राशन तथा प्रत्येक बसने वाले को 2 हजार रुपये ब्याज-मुक्त कर्ज दिया गया है।

1992-93 से जापान के ओवरसीज इकोनोमिक को-ऑपरेशन फण्ड (OECF) की वृक्षारोपण-परियोजना प्रारम्भ की गई है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को हरा-भरा करना है। इसके लिए जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त खालों, सड़कों,

1 Report of Raj Singh Nirwan Committee, March 2001, p 62

पेयजल हेतु डिग्गियों एवं नई मण्डियों के बीकानेर व जैसलमेर में निर्माण कार्य भी सम्पन्न किए जाएँगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर लगभग 500 करोड़ रु. व्यय करने का लक्ष्य था। इसमें प्रस्तावित व्यय का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया गया—सामान्य वृक्षारोपण, भूमि-विकास कार्य, सड़क-निर्माण, नहरों के किनारे वृक्षारोपण, डिग्गियों का निर्माण, टिब्बा-स्थिरीकरण, आदि। सेम व खार की समस्या को हल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2004-2005 में इस क्षेत्र में खालों का निर्माण-कार्य जारी रखा गया है।

(2) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम—यहाँ पर विकास कार्य 1974-75 में चालू किया गया था। इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम इन्दिरा गाँधी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम से थोड़े भिन्न हैं, क्योंकि यह एक पहले से बसा हुआ इलाका था, जहाँ लम्बी अवधि से रेवेन्यू प्रशासन चला आ रहा था। यहाँ सामाजिक सेवाओं का कुछ सीमा तक विकास हो चुका था। अत: इस क्षेत्र में जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए जल की उचित किस्म की निकास-प्रणाली (Proper Drainage System) का विकास किया जाना चाहिए तथा जंगली घास-पात को उखाड़ने की समस्या को हल किया जाना चाहिए। अन्य कार्यक्रमों में वृक्षारोपण, कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास, प्रोसेसिंग उद्योग, ग्रामीण गोदाम व ग्रामीण भवन निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी विश्व बैंक से सहायता ली गई है। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के कार्यक्रम की अवधि जून 1982 में समाप्त हो गई थी, लेकिन इसे छठी योजनावधि में जारी रखा गया था।

कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय-विकास एजेन्सी (CIDA) के एक प्रोजेक्ट (राजस्थान कृषिगत अनुसंधान ड्रेनेज प्रोजेक्ट, चम्बल, कोटा) पर कार्य 1991-92 से शुरू किया गया जिससे इस क्षेत्र के भावी विकास में मदद मिली है। इससे सिंचाई व भूमिगत जल-विकास कार्यों आदि में कोटा स्थित कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी की वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। **2003-04 में चम्बल परियोजना के सिंचित क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों पर 6 करोड़ 32 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव था जिससे 2500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि-विकास के कार्य कराया जाना था।**

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक व भारत सरकार की मदद से क्षेत्र विकास कमिश्नरों की देखरेख में किया जाता है। इससे इन इलाकों के आर्थिक विकास में काफी मदद मिलती है। गंग नहर प्रणाली उत्तरी-पश्चिमी भाखड़ा नहर प्रणाली में भी कमाण्ड क्षेत्र में विकास-कार्यक्रम लागू किया गया है।

इस क्षेत्र में सीडा की मदद से भूमिगत नालियों का निर्माण-कार्य किया गया है। भविष्य में इसे बढ़ाया जाएगा। एक एकीकृत वाटरशेड क्षेत्र भी तैयार कराया जा रहा है।

(3) माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम—इसके अन्तर्गत कच्चे जलमार्ग, सड़क, क्रोसिंग, कलवर्ट, विशेष जलमार्गों की लाइनिंग आदि के निर्माण पर बल दिया गया है। इससे जनजाति व पिछड़े हुए लोग लाभान्वित होंगे। इससे सिंचाई के पानी की हानि कम की

जा सकेगी और पानी की सप्लाई में सुधार होने से किसानों को लाभ होगा । वर्ष 2003-04 में 1.65 लाख घनमीटर में मिट्टी भराई व 0.57 लाख वर्ग मीटर में लाइनिंग का कार्य कराया गया तथा 81 पक्के कार्य पूरे किये गये । मार्च 2004 के अंत तक 2507 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार किया गया ।

सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई-कार्यक्रम (Community Lift Irrigation Programme)—राज्य के दक्षिणी व दक्षिणी-पूर्वी भागों में लघु व सीमान्त कृषकों को सिंचाई कार्यों में मदद देने के लिए 1980-81 से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के तहत एक सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था । इसके लिए लघु व सीमान्त कृषकों की एक प्रबन्ध समिति बनाई जाती है । सिंचाई की स्कीम की कम से कम 10% लागत लाभान्वित कृषक स्वयं प्रदान करते हैं और सरकार सब्सिडी देती है । इस कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के तीन स्रोत हैं—

(*i*) सरकारी सब्सिडी, (*ii*) कृषकों का स्वयं का अंशदान तथा (*iii*) वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कर्ज की व्यवस्था करना ।

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (DRDAs) में तकनीकी कक्षों के द्वारा यह स्कीम बनाई व संचालित की जाती है । राज्य में लिफ्ट सिंचाई स्कीमें निम्न कार्यक्रमों में शामिल की गई हैं; मैसिव कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास-कार्यक्रम तथा राज्य का बजट ।

यह कार्यक्रम झालावाड़, कोटा, बूँदी, बाँसवाड़ा, डूँगर-पुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, सिरोही तथा धौलपुर जिलों में लाभकारी हो सकता है, जहाँ लघु व सीमान्त किसानों को सिंचाई का अधिक लाभ पहुँचाया जा सकता है । इसके लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है ।

राजस्थान में नदी नालों, झीलों व स्रोतों आदि पर बाँध बनाकर अथवा लिफ्ट करके, सिंचाई, पेयजल एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए योजनाएँ बनाकर जल का उपयोग किया जा रहा है । सहकारी समितियों को कृषि हेतु पम्प लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि कृषिगत उत्पादन बढ़ सके ।

राजस्थान जल-संसाधन-एकीकरण-परियोजना—राजस्थान को यमुना नदी के पानी के बंटवारे के मई 1994 के समझौते के तहत 1.111 बिलियन (अरब) क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम.) हिस्सा मिला । इससे 3 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकती है । इस पानी से भरतपुर, अलवर, चूरू, सीकर व झुंझुनूं आदि जिलों को पेयजल की समस्या का भी हल सम्भव होगा । अप्रैल 1995 में यमुना नदी से राजस्थान को अन्तरिम रूप से 100 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया गया जो कम था । राज्य सरकार सर्वाधिक प्राथमिकता सिंचाई

के अधूरे कार्यों को पूरा करने पर दे रही है। सिंचाई कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। राज्य के जल स्रोतों का अधिकतम विकास करने के लिए जल- संसाधन एकीकरण परियोजना बनाई जा रही है। इसमें विश्व बैंक की सहायता ली जा रही है। 50 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों का प्रबन्ध भी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का विचार किया जा रहा है। वर्षा के जल के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ताजा जानकारी के अनुसार राजस्थान में सिंचाई की सम्भाव्यता, सृजन व उपयोग की स्थिति इस प्रकार है[1]—

(लाख हैक्टेयर में)

	सिंचाई की अंतिम सम्भाव्यता	1993-94 तक सृजित सम्भाव्यता	1993-94 तक सृजित-क्षमता का प्रतिशत
1 वृहद् व मध्यम	28 0	21 0	75 0
2 लघु	24 0	24 0	100 0
3 कुल	52 0	45 0	86.5

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के लघु सिंचाई के साधनों की अन्तिम सम्भावना की सीमा का न केवल सृजन कर लिया है, बल्कि राज्य लगभग इस सीमा का उपयोग करने की स्थिति में भी आ गया है। अत: भविष्य में वृहद् व मध्यम सिंचाई के साधनों पर ही अधिक बल देना होगा।

राज्य में जल-संसाधनों के एकीकृत व वैज्ञानिक उपयोग की नितान्त आवश्यकता है।

राजस्थान में सिंचाई के विकास व जलोपयोग की व्यूहरचना के लिए आवश्यक सुझाव[2]

राजस्थान में जल-संसाधन-प्रबन्ध पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्न रणनीति अपनाई जा सकती है—

(1) उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण किया जाना चाहिए। सिंचाई के लिए उपलब्ध जल पूर्ति से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई की जानी चाहिए।

(2) बेसीन या उप-बेसीन आधार पर जल के सम्बन्ध में साधनों का नियोजन किया जाना चाहिए। बेसीन में एक नदी की घाटी का जल-क्षेत्र योजना की इकाई माना जाता है।

---

1 Statistical Outline of India 1999-2000, Tata Services Ltd, Dec 1999, p 66

2 Papers on Perspective Plan, Rajasthan, 1990-2000, GOR 1990, pp 121-123

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है—
   (अ) 8 (ब) 7
   (स) 6 (द) 5 (ब)
   [बांगड़सर लिफ्ट नहर सहित]

2. राजस्थान में 'जीवन धारा योजना' का सम्बन्ध है—
   (अ) गरीबों के लिए बीमा योजना
   (ब) सिंचाई कुओं का निर्माण
   (स) ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना।
   (द) चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। (ब)

3. मोम-कमला-अम्बा सिंचाई परियोजना जिस जिले में स्थित है—
   (अ) डूँगरपुर (ब) बाँसवाड़ा
   (स) उदयपुर (द) चित्तौड़ (अ)
   [RAS, 1998]

4. 2003-04 के अन्त तक इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से लगभग कितने क्षेत्र में सिंचाई-सम्भाव्यता विकसित की गई ?
   (अ) 12.13 लाख हैक्टेयर (ब) 11.5 लाख हैक्टेयर
   (स) 10.1 लाख हैक्टेयर (द) 15.4 लाख हैक्टेयर (अ)

5. कंवरसैन लिफ्ट कैनाल से किस जिले को पेयजल की समस्या के हल में मदद मिलेगी ?
   (अ) जोधपुर (ब) चूरू
   (स) बीकानेर (द) चूरू व बीकानेर (स)

6. राजस्थान में 2002-03 में सकल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया है ?
   (अ) 39-40 (ब) 25-27
   (स) 27-29 (द) 24.8-26 8 (अ)

7. 2003-04 की अवधि में कुल योजना-व्यय का लगभग कितना प्रतिशत सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर व्यय किया गया—
   (अ) 15.2 (ब) 18
   (स) 16 (द) 10

8. जाखम सिंचाई की परियोजना किस जिले को लाभ पहुँचाएगी ?

(अ) भरतपुर (ब) टोंक

(स) उदयपुर (द) जालौर (स)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान में योजनाकाल में सिंचाई की प्रगति पर प्रकाश डालिए। क्या यह प्रगति संतोषजनक मानी जा सकती है ?
2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   - *(i)* कडाना बाँध
   - *(ii)* नर्मदा परियोजना
   - *(iii)* इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना
   - *(iv)* माही बजाज सागर परियोजना
   - *(v)* बीसलपुर सिंचाई परियोजना
   - *(vi)* राज्य में भूजल (Ground Water) व सिंचाई का विकास
   - *(vii)* राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
   - *(viii)* राजस्थान में सिंचाई की अन्तिम सम्भाव्यता, सृजन व उपयोग की स्थिति
   - *(ix)* राजस्थान का यमुना जल के बंटवारे में हिस्सा
   - *(x)* राज्य की योजनाओं में सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर व्यय की राशियाँ, तथा
   - *(xi)* राज्य में सिंचाई के विभिन्न कमाण्ड क्षेत्रों का विकास।
3. बीसलपुर परियोजना पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए।

विद्युत
(Power)

आर्थिक विकास में विद्युत के विकास का केन्द्रीय स्थान होता है। विद्युत की पर्याप्त मात्रा में नियमित पूर्ति तथा इसकी उचित दरों पर उपलब्धि कृषि व उद्योग के विकास को प्रभावित करती है। ***आधार-ढाँचे के विकास में विद्युत का सर्वोपरि स्थान माना गया है।*** पिछले आठ वर्षों में आर्थिक सुधारों के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता के विकास पर काफी जोर दिया गया है और इसके लिए निजी विनियोग (private investment) (स्वदेशी तथा विदेशी दोनों को) इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की नीति स्वीकार की गई है। ऊर्जा प्राप्त करने के दो प्रकार के स्रोत होते हैं—

(1) परम्परागत स्रोत (Conventional Sources)—इसमें जल-विद्युत, थर्मल-पावर (कोयले, गैस व तेल से उत्पन्न) व अणु-शक्ति से उत्पन्न पावर के स्रोत शामिल होते हैं।

(2) गैर-परम्परागत स्रोत (Non-Conventional Sources)—इसमें लकड़ी, बायो गैस, सौर्य-ऊर्जा (Solar Energy), निर्धूम चूल्हा, पवन-चक्की, आदि स्रोत शामिल होते हैं। इन्हें ऊर्जा के पुनः नये किए जा सकने वाले स्रोत (renewable sources of energy) भी कहते हैं क्योंकि इन्हें विभिन्न प्रकार के उपाय करके बढ़ाया या पुनः सृजित किया जा सकता है।

राजस्थान में 2002-03 में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 291 किलोवाट घंटे था जो समस्त भारत (373 किलोवाट घंटे) की तुलना में कम था। **प्रति व्यक्ति बिजली के उपभोग की दृष्टि से भारत के 17 राज्यों में राजस्थान का ग्यारहवाँ स्थान रहा।** पंजाब का प्रति व्यक्ति 870 किलोवाट घंटे के उपभोग के साथ प्रथम स्थान रहा।[1]

1 Economic Review 2003-2004 table 10. on Economic Indicators.

2002-03 के अन्त में राज्य में विद्युत् की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 4547 मेगावाट हो गई थी। 2003-04 में इसमें लगभग 691 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के सृजन का अनुमान लगाया गया है। जिससे मार्च 2004 के अंत में विद्युत्-सृजन-क्षमता लगभग 5238 मेगावाट हो गयी थी।[1] 1951-52 में यह मात्र 13 मेगावाट ही थी। इस प्रकार योजनाकाल में विद्युत् की प्रस्थापित क्षमता का काफी विकास हुआ है । लेकिन विद्युत् की माँग व पूर्ति में अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है । अत: विद्युत् की प्रस्थापित क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है।

1989-90 में विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 2711 मेगावाट थी, जिसमें राज्य की स्वयं की क्षमता (State-owned Capacity) 789 मेगावाट, अन्य परियोजनाओं में राज्य के हिस्से की क्षमता (Shared-Capacity) 933 मेगावाट तथा अन्य परियोजनाओं के माध्यम से आवंटित क्षमता (allotted-capacity) लगभग 989 मेगावाट थी । कुल प्रस्थापित क्षमता 2711 मेगावाट में जल-विद्युत क्षमता 957 मेगावाट, थर्मल क्षमता 1292 मेगावाट तथा आणविक क्षमता 462 मेगावाट थी ।[2]

राजस्थान में 1980-81 में पावर की लगभग 9 6% कमी थी, जो बढ़कर 1987-88 में 30 27% हो गई । इसके आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 40% हो जाने का अनुमान लगाया गया था । अत: भावी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान को विद्युत के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि माँग व पूर्ति में उचित संतुलन स्थापित किया जा सके ।

स्मरण रहे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में विद्युत की 385 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई थी, जो लक्ष्य से काफी अधिक थी । इसमें कोटा थर्मल पावर स्कीम के चरण II की दो इकाइयों का योगदान 420 मेगावाट, माही प्रोजेक्ट का 140 मेगावाट व मिनी माइक्रो जल-विद्युत-स्कीमों का 20 मेगावाट रहा था (कुल 580 मेगावाट) । आठवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त विद्युत-सृजन क्षमता का लक्ष्य 540.2 मेगावाट था जिसमें से लगभग 258.7 मेगावाट की ही वास्तविक प्राप्ति हो सकी है । इसमें प्रमुख योगदान कोटा थर्मल पावर प्लान्ट की पाँचवीं इकाई (210 मेगावाट) का रहा, जो 26 मार्च, 1994 को कमीशन की गई । इसके अलावा जैसलमेर जिले में रामगढ़ की 3 मेगावाट व 35.5 मेगावाट की गैस-इकाइयों का योगदान रहा, जो क्रमशः 15 नवम्बर, 1994 व 12 जनवरी, 1996 को जारी की गई। कुछ अतिरिक्त विद्युत सृजन क्षमता माइक्रो जल- विद्युत स्टेशनों व भाखड़ा दायें किनारे के पावर प्लान्ट की एक मशीन की अपरेटिंग से प्राप्त की गई । 1994-95 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को केन्द्रीय सृजन पावर स्टेशन से 620 मेगावाट विद्युत का आवंटन किया गया । इस प्रकार आठवीं योजना में विद्युत का काफी अभाव रहा जिससे उद्योगों के लिए विद्युत की कटौती करनी पड़ी और राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को

1. Economic Review 2003-2004 (GOR), p. 58
2. Papers on Perspective Plan Rajasthan 1990-2000 AD. p 125.

काफी ऊँची दरों पर पड़ौसी राज्यों से भी बिजली खरीदनी पड़ी ताकि उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाई जा सके । कांग्रेस सरकार ने जनवरी 1999 में सत्ता सम्हालने के बाद रबी के मौसम में 8 घंटे बिजली देने के वायदे को निभाने के लिए अतिरिक्त बिजली की खरीद के लिए विद्युत मण्डल को 30 करोड़ रु प्रति माह का विशेष नकद अनुदान दिया है जिससे राज्य पर वित्तीय भार बढ़ा है ।

(अ) विद्युत में राज्य का अपना हिस्सा व आवंटित हिस्सा देने वाली अलग-अलग परियोजनाएँ इस प्रकार हैं—

***(i)* राज्य के अपने हिस्से की क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाएँ निम्न प्रकार हैं—**

(1) भाखड़ा-नांगल परियोजना

(2) व्यास इकाई I (देहर) तथा इकाई II (पोंग)

(3) चम्बल प्रोजेक्ट (ये तीनों जल-विद्युत योजनाएँ हैं)

(4) सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (ताप बिजलीघर) (मध्य प्रदेश) ।

***(ii)* अन्य परियोजनाएँ जिनसे राजस्थान को आवंटित-क्षमता (allotted capacity) प्राप्त होती है—**

(1) सिंगरौली सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश)—इसकी कुल क्षमता 2050 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान को 15% हिस्सा आवंटित किया गया है । यह केन्द्रीय प्रोजेक्ट राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (NTPC) द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

(2) रिहन्द सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) (NTPC द्वारा संचालित)—इसकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का आवंटित अंश 9 5% है ।

(3) अन्ता गैस पावर स्टेशन (NTPC द्वारा)—इसकी कुल क्षमता 413 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का आवंटित हिस्सा 19 8% रखा गया है ।

(4) औरैया गैस केन्द्र (उत्तर प्रदेश)—इसकी कुल क्षमता 652 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान को 9.2% अंश आवंटित किया गया है ।

(5) नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना (उत्तर प्रदेश)—इसकी कुल क्षमता 470 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का आवंटित अंश 9 6% रखा गया है ।[1]

(6) राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट (RAPP)

(ब) राज्य की स्वयं के स्वामित्व की क्षमता प्रदान करने वाली परियोजनाएँ निम्न प्रकार हैं—

(1) कोटा थर्मल पावर स्टेशन (KTPS)

चरण I (2 × 110) = 220 मेगावाट (1983 में चालू)

चरण II (प्रथम इकाई) 210 मेगावाट (25 सितम्बर, 1988 को चालू)

---

[1] राजस्थान पत्रिका, 30 जुलाई, 1991, पृ 12 (विभिन्न विद्युत केन्द्रों में राजस्थान के आवंटित अंश के लिए)

चरण II (द्वितीय इकाई) 210 मेगावाट (1 मई, 1989 को चालू)

चरण III (एक इकाई) 210 मेगावाट (11 अप्रैल, 1994 को चालू) इसकी लागत 480 करोड़ रु. आंकी गई है।

इस प्रकार कोटा थर्मल पावर स्टेशन (KTPS) की कुल क्षमता = 850 मेगावाट हो गई है। अब तक तीन चरणों में इसकी कुल पाँच इकाइयाँ चालू की जा चुकी हैं। इसकी 195 मेगावाट की छठी इकाई से अगस्त 2003 में उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है। इस *पर 2003-04 मे 38 करोड़ रु का निवेश किया जायगा।*

(2) माही हाइडल प्रोजेक्ट

(3) राजस्थान की मिनी हाइडल स्कीमें—

(i) इन्दिरा गाँधी नहर प्रोजेक्ट में अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा, मांगरोल, चारणवाला व पूगल शाखाएँ,

(ii) अन्य—दायीं मुख्य नहर माही I व II, इटवा, बिरसलपुर व जाखम परियोजना, कुल 10 मिनी स्कीमें।

राजस्थान अणु-शक्ति प्रोजेक्ट (RAPP)—यह कनाडा के सहयोग से रावत-भाटा नामक स्थान पर (राणाप्रताप सागर के विद्युतगृह के समीप) 1973 में स्थापित किया गया था। इसमें 235 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगाने से इसकी क्षमता 470 मेगावाट हो गई है। यह शत-प्रतिशत राजस्थान के लिए है। तीसरी व चौथी इकाइयाँ (कुल क्षमता 440 मेगावाट) के क्रमश: जुलाई व दिसम्बर 1999 में प्रारम्भ होने की सम्भावना बतलायी गई थी।[1] चार इकाइयाँ (प्रत्येक 500 मेगावाट की) बाद में और लगाई जाएँगी।

कुछ समय पूर्व रावतभाटा अणु शक्ति परियोजना की दूसरी इकाई ने काम करना बन्द कर दिया था और तकनीकी कारणों से इस इकाई से कुछ समय तक विद्युत का उत्पादन नहीं किया गया। पहली इकाई पहले से ही बन्द पड़ी थी। इस परियोजना से राज्य को 61 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती थी। इसके बन्द हो जाने से अन्य जगहों से महँगी दर पर बिजली खरीदी गई। इससे राज्य विद्युत मण्डल के साधनों पर भी भारी प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव पड़ा। बाद में भारतीय इन्जीनियरों व आणविक तकनीक के विशेषज्ञों ने इस इकाई की नालियों को साफ करके इसे पुनः चालू कर दिया जिससे सिद्ध होता है कि भारत की स्वदेशी तकनीक भी काफी सुदृढ़ है और हम **इस दिशा में काफी प्रगति करने की क्षमता व दक्षता रखते हैं।** कनाडा की तकनीकी सहायता के बिना यह सफलता प्राप्त करना भारत के लिए यह एक उल्लेखनीय बात मानी जा सकती है।

हाल में राज्य सरकार का परमाणु-शक्ति-निगम (Nuclear Power Corporation) (NPC) से एक समझौता हुआ है जिसके तहत RAPP की तीसरी व चौथी इकाई से पूरी बिजली राजस्थान को दी जाएगी। राज्य को विद्युत 2.78 रु. प्रति

1 राज्यपाल का विधानसभा में अभिभाषण, 8 जनवरी, 1999

यूनिट दी जाएगी, जिसमें हर साल 18 पैसे की वृद्धि की जाएगी । यह समझौता 5 साल के लिए किया गया है । पहले तीसरी व चौथी इकाई से केवल 19 56% बिजली (86 मेगावाट) ही मिलने की चर्चा थी, **लेकिन अब पूरी 440 मेगावाट बिजली राज्य को उपलब्ध हो सकेगी** । RAPP की तीसरी इकाई के जून 2000 में तथा चौथी इकाई के सम्भवत: जनवरी 2001 तक पूरी होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया है । यह समझौता लागू होने पर राज्य में विद्युत की आपूर्ति में काफी सुधार होने की आशा है ।

राजस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सी (Rajasthan Energy Development Agency) (REDA) की स्थापना जनवरी 1985 में हुई थी। इसका कार्य गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना था । **अब इसका अगस्त 2002 में स्थापित नई कम्पनी-राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम (Rajasthan Renewable Energy Corporation Ltd.) (RREC)** में विलय हो गया है । इसका सम्बन्ध निर्धूम चूल्हे, बायो-गैस, सौर्य-ऊर्जा आदि से है । इनकी प्रगति का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है—

***(i)* सौर-ऊर्जा (Solar Energy)**—इससे गैस व ईंधन की बचत होगी। पहला सौर-ऊर्जा फ्रीज जोधपुर जिले में बालेसर उन्नीकृत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में लगाया गया था । इसमें छत पर काँच की प्लेटों का पेनल बनाया जाता है । सूर्य की रोशनी से फ्रीज की बैटरी में ऊर्जा इकट्ठी होकर फ्रीज को चलाती है ।

जोधपुर जिले के मथानिया में 140 मेगावाट के सौर-मिश्रित-चक्रीय-विद्युत्-गृह (Integrated Solar Combined Cycle (ISCC) की स्थापना प्रस्तावित है । इस परियोजना की कुल संशोधित लागत 700 करोड़ रु आंकी गई है, जिसमे विश्व बैंक का योगदान 160 करोड़ रु , जर्मनी की सहायता एजेन्सी (KFW) का 300-400 करोड़ रु. तथा राजस्थान सरकार व केन्द्र मे प्रत्येक का 50 करोड़ रु. होगा । विश्व बेक ग्लोबल एन्वायरनमेण्टल फेसीलिटी (GEF) के तहत सहायता देने को तैयार हो गया है । इसकी लागत बढ़कर 980 करोड़ रु हो सकती है ।

इससे उत्पन्न होने वाली सौर्य-ऊर्जा का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाएगा—

(i) स्ट्रीट ट्यूब-लाइटे लगाना, *(ii)* सोलर-कूकर्स चलाना, *(iii)* वाटर-हीटर्स लगाना, *(iv)* सोलर पम्प लगाना—नीची सतह से पानी निकालने के लिए बाड़मेर, नागौर, चूरू आदि मे पम्प लगाना, *(v)* सीमावर्ती क्षेत्रो मे रंगीन टी वी. सेट्स लगाना ।

(ii) वायु-ऊर्जा—राजस्थान मे वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घण्टा पाया जाता है । सरल व कम लागत के उपकरण लगाकर इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारे व चरागाह के विकास के लिए 10 वायु मिल (पवन-चक्कियाँ) स्थापित करने को योजना है। इस प्रकार मरुस्थल के विकास के लिए वायु एरो-जेनरेटर्स प्राप्त किए जाएँगे । **जैसलमेर में 10 अप्रैल, 1999 को 2 मेगावाट के वायु-आधारित पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी गयी और इस प्रोजेक्ट ने 14 अगस्त, 1999 से पावर-उत्पन्न करना चालू कर दिया** । दूसरा वायु-पावर-डिमोन्स्ट्रेशन-प्रोजेक्ट, **चित्तौड़गढ़ जिले के देवगढ़ स्थान पर 6 मार्च 2001 को राष्ट्र को समर्पित किया** । अब तक वायु-ऊर्जा की क्षमता 186 11 मेगावाट प्रस्थापित की जा चुकी है । **RREC द्वारा जैसलमेर जिले के सोडाग्राम में 25 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है** ।

***(iii)* बायो-गैस**—राजस्थान में गाँवों में गोबर-गैस संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है। इनसे किरोसीन तेल व जलाने की लकड़ी की काफी बचत होगी।

छठी योजना में 13660 बायोगैस संयंत्र लगाए गए, जिनकी संख्या सातवीं योजना में 20779 हो गई। 1990-91 में यह 3950, 1991-92 में 4128 तथा आठवीं योजना में 18243 रही। राज्य सरकार इनकी स्थापना के लिए सब्सिडी देती है। राज्य के कई भागों में बहुत से संयंत्रों के विफल हो जाने के कारण अब पूर्व उपलब्धियों को बनाए रखने पर अधिक बल दिया जाने लगा है।

राजस्थान में विद्युत की स्थिति तथा उससे जुड़े कुछ प्रश्न—राज्य में मार्च 1996 के अन्त में स्वयं की विद्युत-सृजन-क्षमता (Owned Generating Capacity) 1982 मेगावाट थी जिसमें जल-विद्युत का अंश 968 मेगावाट तथा थर्मल का 1014 मेगावाट था।[1] 1992-93 में राज्य में कैप्टिव पावर के उपभोग का अंश 21.6% पाया गया था, जबकि समस्त भारत के लिए यह अंश 47.9% था। अन्य बातो का नीचे उल्लेख किया जाता है—

(1) थर्मल स्टेशनों में संयंत्र-भार-तत्त्व (Plant Load Factor of Thermal Station)[2]—राज्य में थर्मल स्टेशनों का संयंत्र-भार-तत्त्व 1990-91 में 42 8% था जो बढ़कर 1993-94 में 81% हो गया। 1994-95 में यह 75.7% रहा। **इस ‹ राज्य में थर्मल संयंत्रों की क्षमता का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने लगा** है। 1994-95 में समस्त भारत के लिए यह 60% आंका गया है। इसी वर्ष राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में थर्मल स्टेशनों का संयंत्र-भार-तत्त्व सर्वाधिक पाया गया था। बिहार में तो यह मात्र 20% ही पाया गया था। संयंत्र-भार-तत्त्व पर प्रबंध की कार्यकुशलता, संयंत्रों की देखभाल, आम किस्म के कोयले की उपलब्धि, आदि का असर पड़ता है। राजस्थान में पिछले वर्षों में इस दिशा में हुई प्रगति सराहनीय रही है।

(2) ट्रान्समिशन व वितरण के घाटे (Transmission and Distribu-tion Losses (T & D Losses)—राज्य में कई कारणों से उपलब्ध बिजली का कुछ अंश ट्रांसमिशन व वितरण के दौरान नष्ट हो जाता है। **1992-93 से 1995-96 के दौरान इस प्रकार की हानि कुल उपलब्धि का लगभग 22% आंकी गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत** लगभग 20% रहा है। जम्मू-कश्मीर मे तो यह अंश 42-48 प्रतिशत पाया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार आदि की स्थिति राजस्थान जैसी ही पाई गई है। इसके अलावा बिजली की चोरी भी एक आम समस्या बन गई है। एक अध्ययन के अनुसार राज्य में बिजली की छीजत व चोरी का अंश वर्तमान में लगभग 35% है जिसे घटाने से विद्युत् मण्डल का राजस्व कई करोड़ रु. तक बढ़ सकता है।[3] अब यह बढ़कर 42% अनुमानित है।

---

1 India's Energy Sector, CMIE, September, 1996, p 28

2 The India Infrastructure Report, 1997, (Chairman Rakesh Mohan) p 307, आगे की अधिकांश सूचना भी इसी पर आधारित है।

3 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का आर्थिक संकट : चोरी और छीजत पर अंकुश जरूरी, एम आर. गर्ग, राजस्थान पत्रिका, 1 व 2 अप्रैल 1999

(3) राज्य विद्युत मण्डल की वित्तीय स्थिति अन्य राज्यों की भाँति बहुत कमजोर रही है। 31 मार्च, 1995 को केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमो को चुकाने की बकाया राशि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पर लगभग 500 करोड़ रु. थी, हालाँकि उत्तर प्रदेश पर यह 2054 करोड रु व बिहार पर 1033 करोड रु. थी। विद्युत मण्डलो की वित्तीय स्थिति सभी राज्यो मे डावाडोल पाई गई है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के 5 कम्पनियो मे विभाजन से पूर्व ऊर्जा के क्षेत्र का सयुक्त घाटा 1678 करोड रु था (मासिक औसत 139 करोड रु. का था) पिछले दो वर्षों (2000-01 व 2001-02) मे इस क्षेत्र मे विद्युत-मण्डल को 5 कम्पनियो मे विभक्त करने के बाद पाँच माह (अप्रैल—अगस्त 2000) की अवधि मे प्रति माह 150 करोड रु का घाटा हुआ, और आगामी 18 महीनो मे यह घट कर 110 करोड रु मासिक पर आ गया। **इस प्रकार वार्षिक घाटा 1290 करोड रु से अधिक आंका गया है।**[1] इसका मुख्य कारण कृषि–उपभोक्ता को भारी मात्रा मे सब्सिडी का दिया जाना है।

(4) विद्युत की बिक्री पर औसत प्रशुल्क– 1995-96 मे प्रति किलोवाट घटे विद्युत की औसत दर राजस्थान मे 147 53 पैसे रही है, जबकि असम मे यह 234 09 पैसे, गुजरात मे 141.50 पैसे व मध्य प्रदेश मे 136 47 पैसे रही है। (The India Infrastructure Report, 1997, पृ 311)

इस प्रकार विभिन्न राज्यों में संयंत्र-भार-तत्त्व, ट्रान्समिशन व वितरण के घाटों, विद्युत की औसत दर, आदि में काफी अन्तर पाये जाते हैं । भविष्य मे देश के विभिन्न भागों में बिजली की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए विद्युत की प्रस्थापित क्षमता को वृद्धि करनी होगी और बिजली को उचित दर अथवा कीमत निर्धारित करनी होगी ताकि वित्तीय घाटों को कम किया जा सके ।

पूर्व में राज्य में निजी क्षेत्र में लगभग 4300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत-सृजन की परियोजनाएँ[2]

पूर्व मे राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में लगभग 4300 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत-क्षमता स्थापित करने की परियोजनाएँ तैयार की थीं । लेकिन उनके क्रियान्वयन की दिशा मे आवश्यक प्रगति नहीं हो सकी । इनकी पुन: समीक्षा की जानी चाहिए । इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

लिग्नाइट-आधारित ताप-विद्युत परियोजनाएँ

(1) कपूरडी व जालीपा—में दो लिग्नाइट-आधारित ताप-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कई पार्टियों से प्रस्ताव मिले हैं । इनके लिए अनुबन्ध किए जा रहे हैं ।

कपूरडी परियोजना की लागत 1800 करोड़ रु आंकी गई है । इसमें दो विद्युत-सृजन इकाइयाँ (प्रत्येक 250 मेगावाट की) होगी । जालीपा परियोजना की लागत 3600 करोड़ रु व क्षमता 1000 मेगावाट अनुमानित है । इसमें चार इकाइयाँ (प्रत्येक 250 मेगावाट की) होंगी । इस प्रकार कपूरडी व जालीपा (Kapurdi and Jalipa) दोनों की कुल विद्युत-सृजन क्षमता 1500 मेगावाट आंकी गई है ।

---

1 Hindustan Times, 28 February, 2003

2 Eighth Five Year Plan (1992-97) Review of Progress, Planning Department GOR, July 1996, p 6

(2) सूरतगढ़ ताप बिजलीघर—इसे वन व पर्यावरण, नागरिक उड्डयन, जल-आवश्यकता आदि के दृष्टिकोण से स्वीकृति मिल गई है, लेकिन कोयले की जरूरत को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। **सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह के प्रथम चरण (stage I) की पहली इकाई (250 मेगावाट) ने नियमित उत्पादन 3 नवम्बर 1998 से प्रारम्भ कर दिया है। प्रथम चरण की दूसरी इकाई (250 मेगावाट) का 13 अक्टूबर, 2000 को श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लोकार्पण किया गया।**

सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह के **द्वितीय चरण (stage II)** में प्रत्येक 250 मेगावाट की दो इकाइयाँ लगाई जाएँगी। इनके लिए एक आर्थिक-तकनोकी स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। पूरे प्रोजेक्ट में 5000 करोड़ रु के निवेश का अनुमान है।

(3) धौलपुर ताप बिजलीघर—इसके लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। पहले इस क्षेत्र के ट्राइपेजियम जोन में आने के कारण इससे ताजमहल की सुरक्षा को तथा चम्बल नदी में घड़ियालों को खतरा होने की सम्भावना बतलाए जाने के कारण पर्यावरणीय कारणो से स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। लेकिन बाद में इस प्रस्तावित संयंत्र के लिए पर्यावरण-मंत्रालय की स्वीकृति मिल जाने पर यह भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इसकी संशोधित क्षमता 702 मेगावाट रखी गई है। इसकी लागत 1300 करोड़ रु. आंकी गई हे। इसका कार्य आरपीजी धौलपुर पावर कं को सौंपा गया है, जिससे पावर खरीदने का समझौता (PPA) 29 अगस्त, 1996 को किया गया था। यह नेफ्था-आधारित परियोजना है। अतः इसके लिए केन्द्र द्वारा नेफ्था की आवश्यक आपूर्ति अत्यावश्यक है।

(4) बरसिंगसर में लिग्नाइट-आधारित बिजलीघर—बरसिंगसर में लिग्नाइट आधारित बिजलीघर की स्थापना के लिए नवम्बर 1987 में राजस्थान सरकार व नैवेली लिग्नाइट निगम के बीच एक समझौता हुआ था। बरसिंगसर में लिग्नाइट के काफी भण्डार हैं। बीकानेर के पलाना व गुडा क्षेत्रों में तथा बाड़मेर के कपूरडी व जालीपा क्षेत्रों में तथा नागौर के मेडता रोड मे लिग्नाइट के विशाल भण्डार पाए गए हैं। अब इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, कोयला मन्त्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 10 जून, 2002 को मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिग के फलस्वरूप 2 x 125 मेगावाट की क्षमता की इकाइयो पर वर्ष 2004 से कार्य आरम्भ होने की आशा है।

गैस-आधारित ताप-विद्युत की परियोजना– जैसलमेर क्षेत्र मे जुलाई 1990 मे डांडेवाला मे गैस के नए विशाल भण्डार मिले है। वहाँ भी गैस अधारित विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। रामगढ के **तनोट क्षेत्र** मे गैस प्राप्त हुई है। रामगढ मे दो गैस–आधारित ताप–विद्युत स्टेशनो का निर्माण किया जा रहा है। **इससे बाडमेर, जैसलमेर व जोधपुर जिलो को विद्युत की सप्लाई बढाने मे मदद मिलेगी।** राज्य सरकार ने 35 5 मेगावाट के रामगढ (जिला जैसलमेर) मे गैस–आधारित विद्युत गृह के लिए केन्द्र सरकार से समुचित गैस–आपूर्ति के लिए आग्रह किया है। **इस अतिरिक्त गैस से वर्तमान बिजलीघर में 76 मेगावाट की विद्युत क्षमता सृजित हो सकेगी।**

डीजल-आधारित विद्युत-संयंत्र—राज्य में पहले अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व आबू रोड में (छः स्थानों में) डीजल-आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इनमें प्रत्येक की क्षमता 100 मेगावाट आंकी गई थी। इन पर कुल लागत का अनुमान 1900 करोड़ रु. लगाया गया था। इनके चालू हो जाने से इन छः औद्योगिक क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में काफी सुधार की आशा लगाई गई है।

अन्य प्रोजेक्ट—राज्य सरकार कोटा ताप विद्युत परियोजना की छठी इकाई (चरण IV की प्रथम इकाई) की स्थापना करेगी जिसकी लागत 470 करोड़ रु. आंकी गई है। इसे नवीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया जाएगा। इसकी क्षमता 210 मेगावाट निर्धारित की गई है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है जोधपुर में मथानियाँ नामक स्थान पर 140 मेगावाट (संशोधित क्षमता) की सौर ताप परियोजना चालू की जाएगी जिसमें पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध विपुल सौर-ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए **ग्लोबल एनवायरनमेण्ट फैसिलिटी (GEF)** से सहायता प्राप्त की जा रही है। **इस प्रकार आगामी वर्षों में विद्युत के विकास पर भारी विनियोग होने की आशा है।** पूर्व में राज्य सरकार ने इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खुले आवेदन-पत्र माँगे थे, जो एक नया प्रयास था। राज्य में आगामी वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में भारी कायापलट होने की सम्भावनाएँ हैं।

पिछले वर्षों में पूर्व सरकार ने राज्य में सौर्य-ऊर्जा के विकास के लिए तीन परियोजनाओं का चयन किया था जिनकी कुल सृजन-क्षमता 300 मेगावाट की आंकी गई थी। लेकिन कुछ कठिनाइयों व समस्याओं के कारण उन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा है। ये जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर के 'सोलर-एनर्जी-एन्टरप्राइज-जोन' (SEEZ) में स्थापित की जानी थी। इनमें एक एनरजन इन्टरनेशनल कम्पनी द्वारा **जैसलमेर में 200 मेगावाट का संयंत्र** लगाने की योजना थी, दूसरी एमको-एनरान सोलर पावर कम्पनी द्वारा **50 मेगावाट की जैसलमेर** में लगाई जाने वाली योजना थी तथा तीसरी **बाड़मेर के '*आगोरिया गाँव*' में सन-सोर्स (इण्डिया) लि. द्वारा 50 मेगावाट की** लगाई जाने वाले सौर्य–ऊर्जा की योजना थी। लेकिन ये सब योजनाएँ बाद में संकट मे फस गई, जिससे इनके क्रियान्वयन मे बाधा उपस्थित हो गयी। भावी समझौतो मे इनके अनुभवो से लाभ उठाया जाना चाहिए।

पूर्ववर्णित नये प्रोजेक्टों के अलावा तरल ईंधन (Liquid Fuel) पर आधारित 100 मेगावाट तक की लघु क्षमता वाले निम्न प्रोजेक्टों के पावर-खरीद के समझौते (PPA) ज्यादातर सितम्बर-अक्टूबर 1996 में किए गए थे। इनकी कम्पनी, स्थान व क्षमता आदि के विवरण इस प्रकार हैं—

कम्पनी	स्थान	क्षमता
1 एस टी पावर सिस्टम	जोधपुर	2 × 75 मेगावाट
2 टी एफ एण्ड एम सर्विसेज निगम	भरतपुर/बाँसवाड़ा	2 × 75 मेगावाट
3 कानोडिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज	नीमराना	1 × 50 मेगावाट
4 डी एल एफ इन्डस्ट्रीज	सवाई माधोपुर, झालावाड, उदयपुर	3 × 100 मेगावाट
5 गोयल गैसेज	बारां अलवर	50 मेगावाट, 140 मेगावाट
6 केडिया कैशल	सारेखुर्द (Sarekhurd) (जिला अलवर)	1 × 50 मेगावाट
7 ग्लोबल बोर्ड्स	केशोरायपाटन (जिला बूँदी)	166 मेगावाट
8 केडिया कैशल	सारेखुर्द (जिला अलवर)	100 मेगावाट
9 इन्डो कैल पावर वेंचर्स	जोधपुर	2 × 40 मेगावाट, 2 × 10 मेगावाट
10 भगत पावर	केशोरायपाटन	100 मेगावाट
11 यूरो पावर कन्सोर्टियम	भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ	10 × 50 मेगावाट, 2 × 25 मेगावाट (5 स्थान)
12 बर्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर	आबू रोड (सिरोही)	100 मेगावाट

इनकी स्थापना में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय समिति ने पूर्व में विचार किया था।

राजस्थान को दसवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आगामी वर्षों में इसकी माँग व पूर्ति के अन्तर को समाप्त किया जा सके। प्रयत्न करने पर भविष्य में राजस्थान विद्युत की सप्लाई में आत्मनिर्भर हो सकता है।

केन्द्र से समय पर स्वीकृति नहीं मिलने पर सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना, बरसिंगसर लिग्नाइट खनन व ताप विद्युत परियोजना, मथानियाँ सौर ऊर्जा ताप केन्द्र व अन्ता (द्वितीय चरण) की प्रस्तावित लागतों में अरबों रुपयों की वृद्धि हो गई है।

नवीं पंचवर्षीय योजना में सूरतगढ़ चरण I की दोनों इकाइयों को चालू करके 500 मेगावाट क्षमता का विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा कुछ क्षमता का विकास गंगुवाल व कोटला तथा पोंग पावर प्रोजेक्टों व भाखड़ा के दायें किनारे की मशीन की अपरेटिंग से प्राप्त किया जाना था। निम्न केन्द्रीय पावर-सृजन केन्द्रों से राजस्थान को 590.20 मेगावाट तक की क्षमता के आवंटित होने (allocation) की सम्भावना व्यक्त की गयी थी[1]—

1 Draft Ninth Five Year Plan, 1997-2002, Vol I, (GOR), p 15 4

(मेगावाट)

(i)	ऊन्चाहर (Unchahar) चरण I	42 0
(ii)	रिहन्द	100 0
(iii)	RAPP विस्तार	88 0
(iv)	उरी (Uri)	43 2
(v)	नाथपा-झाकड़ी	150 0
(vi)	दुलहस्थी जल विद्युत प्रोजेक्ट	39 0
(vii)	धौलीगंगा	28 0
(viii)	टेहरी चरण I	100 0
	कुल	590 2

पार्वती पन बिजली परियोजना में विभिन्न राज्यों की हिस्सेदारी इस प्रकार रखी गई है[1]—

राजस्थान 40%
हिमाचल 27% (12% नि.शुल्क बिजली, तथा 15% बिजली उत्पादन-लागत पर)
हरियाणा 25%
दिल्ली 8%

कांग्रेस के शासन-काल (1999-2002) में विद्युत का विकास[2]—राज्य सरकार के 4 वर्षों के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप विद्युत उत्पादन 3356 मेगावाट से बढ़कर 4564 मेगावाट हो गया था। इस तरह चार वर्षों में 1208 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता अर्जित की गयी थी। वर्ष 2003-2004 में 631 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य था। इसके परिणामस्वरूप 5 साल में विद्युत उत्पादन-क्षमता में 1839 मेगावाट की कुल बढ़ोत्तरी होनी थी, जो गत 50 वर्षों के कुल विद्युत उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक आंकी गयी थी। सूरतगढ़ राज्य का पहला सुपर तापीय विद्युत गृह बन गया है। इसे उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 2000-2001 व 2001-2002 में स्वर्ण पदक के लिए चुना गया। कोटा तापीय विद्युत गृह की 195 मेगावाट की छठी इकाई से अगस्त 2003 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य था। रामगढ़ गैस तापीय विद्युत गृह के द्वितीय चरण में 37.5 मेगावाट के गैस टरबाइन से 7 अगस्त, 2002 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया था, तथा 37.5 मेगावाट के स्टीम-टरबाइन से मार्च 2003 में विद्युत-उत्पादन प्रारम्भ होने

1 राजस्थान पत्रिका 26 दिसम्बर, 1998
2 राज्यपाल का अभिभाषण, 24 फरवरी, 2003, पृ 6-9

की आशा व्यक्त की गयी थी । बरसिंगसर लिग्नाइट तापीय खनन एवं विद्युत परियोजना का काम नेवेली लिग्नाइट निगम को सौंपा गया था । कई सब-स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था । गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में राजस्थान स्टेट माइन्स व मिनरल्स लि. द्वारा 4.90 मेगावाट तथा सुजलोन एनर्जी लि. द्वारा 5.25 मेगावाट क्षमता की पवन-ऊर्जा-परियोजनाएँ क्रमश: मई 2002 व सितम्बर 2002 में उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी हैं ।* राज्य में वर्ष 1998 में विद्युत की माँग व पूर्ति का अंतर 23.2% से घटकर 2003 में 5.6 पर आ गया था । राज्य के कई गाँवों में सोलर फोटो वोल्टाइक संयंत्र स्थापित करने की योजना है । राज्य में कुओं के ऊर्जीकरण का कार्य काफी प्रगति पर है ।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यक्रम[1]

सरकार की प्राथमिकता राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की होगी । ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2004-05 में **50 करोड़ रु. का निवेश लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना, गिराल तथा 120 करोड़ रु. का निवेश गैस थर्मल परियोजना, धोलपुर में किया जाना प्रस्तावित है** । राज्य सरकार राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की परियोजनाओं से 230 मेगावाट व पवन-ऊर्जा-परियोजनाओं से 135 मेगावाट प्राप्त करने का भी प्रयास करेगी ।

विद्युत्-प्रसारण-तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है । 400 के.वी. जयपुर-मेड़ता-जोधपुर लाइन का कार्य लगभग पूरा हो गया है । 400 के.वी. रतनगढ़-मेड़ता लिंक लाइन तथा 220 के.वी. के 4 एव 132 के वी के 12 नये ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव हैं ।

'प्रसारण व वितरण क्षतियों' (T & D Losses) को कम करने के लिए 6 हजार ग्रामीण फीडरों का पुनरोद्धार किया जायगा, ताकि T & D Losses को घटाकर 25% के स्तर पर लाया जा सके । इस वर्ष (2004-05) 600 फीडरों का रिनोवेशन किया जायगा । उपभोक्ताओं को नये विद्युत-कनेक्शन दिये जायेंगे ।

राजस्थान में विद्युत क्षेत्र में सुधार (Power Sector Reforms in Rajasthan)—वर्तमान में राजस्थान में विद्युत् क्षेत्र मे काफी सुधार किए जा रहे हैं । विद्युत् के उत्पादन, ट्रान्समिशन, वितरण, प्रशुल्क-निर्धारण व अन्य नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं । इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है—

(1) जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है आगामी चार-पाँच वर्षों में राज्य मे विद्युत् की प्रस्थापित क्षमता काफी बढ़ने की सम्भावना है । आशा है कि तब राज्य विद्युत को सप्लाई में न केवल आत्म-निर्भर हो जाएगा, बल्कि कुछ मात्रा में सरप्लस भी हो सकता है । इसके लिए निजी कम्पनियों (देशी व विदेशी) से समझौते किए गए हैं । ये अन्तर्राष्ट्रीय

1. मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का बजट-भाषण, 2004-05, 12 जुलाई 2004, पृ 54-55

निविदा प्रणाली के आधार पर पारदर्शी, खुले व सुनिश्चित रूप में किए गए हैं, जिनकी सर्वत्र सराहना हुई है।

(2) राज्य विद्युत मण्डल को राज्य विद्युत निगम में बदला जा रहा है जिसके कम्पनी अधिनियम में पंजीकरण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। भविष्य में निगम बनने के बाद यह सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। बिजली की दर एक निर्धारण-समिति तय करेगी। यह निजी क्षेत्र को उत्पादन व सप्लाई का काम ठेके पर देने के लिए स्वतन्त्र होगा। इससे मौजूदा आर्थिक संकट को हल करने में मदद मिलेगी। विद्युत की चोरी पर अंकुश लगेगा और बिलों की वसूली में भी सख्ती की जा सकेगी।

(3) विद्युत-वितरण (Power Distribution) व बिल वसूली का काम ठेके पर देने से गुणात्मक सुधार होगा। प्रथम चरण में अलवर व सवाई माधोपुर जिलों में यह कार्य ठेके पर दिया गया है। आगे चलकर चार जिलों—पाली, जालौर, सिरोही व जोधपुर में भी ठेके पर इसी प्रकार का काम देने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है इससे विद्युत क्षेत्र की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार आएगा और कुल मिलाकर विद्युत व्यवस्था घाटे के दौर से निकलकर लाभ के दौर में प्रवेश कर सकेगी।

(4) पिछले वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँवों में विद्युतीकरण की सुविधा बढ़ाई गई है। **वर्ष 1994 में रा.रा.वि.मं. (RSEB) ने एक 'नर्सरी स्कीम' (Nursery Scheme) लागू की थी जिसके अन्तर्गत क्रम को लांघकर (out of term) कृषि-कनेक्शन दिए गए थे। इसके लिए उपभोक्ता पूरी लागत भरता था और गैर-घरेलू श्रेणी (non-domestic category) के प्रशुल्क (tariff) का 50% देता था। इस प्रकार इस स्कीम के उपभोक्ता कृषिगत क्षेत्र की सामान्य दर के दुगुने से ज्यादा का भुगतान करते थे।** यह स्कीम कृषकों में काफी लोकप्रिय हुई थी और काफी कृषकों ने इसका लाभ उठाया था। लेकिन नई कांग्रेस सरकार ने नर्सरी योजना को समाप्त **कर दिया और 1999-2000 से राज्य में नई कृषि-कनेक्शन नीति लागू की गई जिसके अन्तर्गत सामान्य आवेदकों को उचित प्राथमिकता गयी थी।**

(5) राज्य में विद्युत-नियमनकारी आयोग (Electricity Regulatory Commission) एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में स्थापित किया गया है जो राज्य विद्युत निगम के कार्यों का नियमन करेगा और विद्युत के ट्रान्समिशन व सप्लाई के लाइसेंस जारी करेगा।

(6) राज्य विद्युत मण्डल का मुख्य रूप से तीन भागों—उत्पादन, प्रसारण व वितरण—में बंटवारा किया गया है। इसके लिए तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण करना होगा। **वितरण क्षेत्र को भी तीन कम्पनियों में विभाजित किया गया है**—एक जयपुर, दूसरी जोधपुर व तीसरी अजमेर क्षेत्र के लिए **होगी। राज्य में विद्युत-सुधारों के अन्तर्गत इन परिवर्तनों के प्रभाव आगामी वर्षों में सामने आएँगे। विद्युत-सुधारों का कार्य बहुत कठिन है। इसे कर्मचारियों के सहयोग से ही पूरा करना सम्भव हो सकता है।**

भविष्य में राज्य में ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों के विकास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है । राज्य विद्युत-मण्डल के घाटों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर निरन्तर दुष्प्रभाव पड़ता रहता है । इसलिए इनकी प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके तथा विद्युत की दरों में आवश्यक संशोधन करके एवं बिजली की चोरी व छीजत को रोककर इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए । **विद्युत की उपलब्धि बढ़ाकर ही कृषि व उद्योग के विकास की बात सोची जा सकती है। विद्युत के विकास पर ही आम उपभोक्ताओं के हित निर्भर करते हैं । अतः आगामी वर्षों में सरकार को काफी मात्रा में अतिरिक्त विद्युत्-सृजन की क्षमता का विकास करने का भरपूर प्रयास करना होगा ।**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि **राजस्थान का ऊर्जा-परिदृश्य (power-scenario) काफी तेजी से बदल रहा है** । यदि विभिन्न ऊर्जा-परियोजनाओं पर तेजी से काम किया गया तो राज्य भविष्य में 'ऊर्जा-आधिक्य' (power surplus) वाला राज्य बन सकता है, जिससे इसको आगे चल कर विकसित राज्यों की पंक्ति में बैठने का मौका मिल सकता है ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान के कुल आबाद गाँवों में से विद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत 2002-03 में लगभग था—
   (अ) 97 प्रतिशत
   (ब) 80 प्रतिशत
   (स) 75 प्रतिशत
   (द) 90 प्रतिशत (अ)
2. सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की पहली इकाई ने नियमित उत्पादन आरम्भ कर दिया—
   (अ) 3 नवम्बर, 1998 से
   (ब) 3 नवम्बर, 1997 से
   (स) नवम्बर 1999 से सम्भावित
   (द) कोई नहीं (अ)

3. धौलपुर विद्युत परियोजना किस पर आधारित होगी ?
   (अ) लिग्नाइट पर (ब) गैस पर
   (स) नेफ्था पर (द) डीजल पर (स)
4. वर्ष 1999 में किस परियोजना की किस इकाई पर कार्य प्रारम्भ होने की आशा प्रगट की गई ?
   (अ) धौलपुर नेफ्था-आधारित परियोजना (702 मेगावाट)
   (ब) बरसिंगसर लिग्नाइट-आधारित परियोजना (500 मेगावाट)
   (स) राजस्थान आणविक विद्युत गृह, रावतभाटा की तीसरी व चौथी इकाई (कुल 440 मेगावाट)
   (द) सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना की (250 मेगावाट की) दूसरी इकाई (स)
5. राज्य में नई विद्युत नीति की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?
   (अ) विद्युत-सृजन में निजी क्षेत्र की भागीदारी
   (ब) विद्युत-वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी
   (स) राज्य विद्युत-नियामक-प्राधिकरण की स्थापना
   (द) सभी (द)
6. सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल कितनी इकाइयाँ रखी गयी हैं ?
   (अ) 4 (ब) 5
   (स) 6 (द) इनमें से कोई नहीं (ब)
7. राजस्थान परमाणु बिजलीघर की तीसरी व चौथी इकाई (2 × 200 मेगावाट) राष्ट्र को कब समर्पित की गई ?
   (अ) 10 मार्च, 2001 (ब) 18 मार्च, 2001
   (स) 18 दिसम्बर, 2000 (द) अभी नहीं (ब)
8. जून 2001 में कोटा थर्मल की छठी इकाई की 195 मेगावाट क्षमता को स्वीकृति मिलने पर इसकी कुल उत्पादन-क्षमता कितनी हो गयी ? इसका राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

   उत्तर :

   (i) इसकी कुल उत्पादन-क्षमता **1045 मेगावाट** हो गयी ।

   (ii) यह सूरतगढ़ थर्मल के बाद राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन बन गया ।

   (iii) छठी इकाई के वर्ष अगस्त 2003 में पूरा होने की सम्भावना व्यक्त की गयी थी ।

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान में पावर के क्षेत्र में हुई प्रगति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । क्या राज्य अपनी पावर की आवश्यकताओं के लिए अन्य राज्यों पर आश्रित है ?
2. राजस्थान में पावर के विकास की प्रस्तावित परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए । इनको कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं ?
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान में पावर-इन्फ्रास्ट्रक्चर,
   (ii) राजस्थान में ऊर्जा-आधारित संरचना,
   (iii) राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट (RAPP),
   (iv) बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट,
   (v) सूरतगढ़ या धौलपुर ताप-बिजली परियोजना,
   (vi) मथानियाँ सौर-ऊर्जा परियोजना,
   (vii) राज्य की डीजल-आधारित विद्युत परियोजनाएँ तथा
   (viii) REDA तथा अब RREC
   (ix) राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में सुधार ।
   (x) पार्वती जल-विद्युत परियोजना ।

सड़कें व नई सड़क नीति दिसम्बर, 1994
(Roads and New Road Policy December, 1994)

आर्थिक विकास में सड़कों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । इनके विकास को भी आधार-ढाँचे के विकास में उच्च स्थान दिया जाता है । सड़कों के विकास के बिना किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास सम्भव नहीं होता । कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, लोगों के आवागमन, आदि की प्रगति बहुत कुछ सड़कों के विकास पर ही निर्भर करती है । सड़क-विकास की योजनाओं के माध्यम से रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, अकाल के समय राहत-कार्य चलाए जाते हैं, खनन-क्षेत्रों का विकास किया जाता है तथा सामाजिक विकास (शिक्षा, चिकित्सा, आदि) का आधार तैयार किया जाता है ।

राजस्थान के निर्माण के समय सड़कों की दशा काफी असंतोषजनक थी । 31 मार्च, 1951 को राज्य में डामर की (BT) सड़कों की लम्बाई केवल 17,339 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 2003-04 में 96091 किलोमीटर हो गई । राज्य में सभी प्रकार की सड़कों की लम्बाई मार्च, 2004 के अन्त में 1,57,178 किलोमीटर आंकी गयी है ।[1]

राज्य में निम्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाकाल में सड़कों का विकास किया गया है—*(i)* सिंचित क्षेत्र विकास, (कमांड क्षेत्र विकास के अन्तर्गत), *(ii)* न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP), *(iii)* दुग्ध-मार्ग का विकास, *(iv)* खनिज सड़कें, *(v)* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, *(vi)* ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (अब जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत), *(vii)* अकाल राहत कार्य, *(viii)* कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि-उपज-मंडी की सड़कें, *(ix)* स्थानीय संस्थाओं द्वारा जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA), नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी द्वारा, आदि ।

---

1 Economic Review 2003-2004, Govt. of Rajasthan, p 61 (नवीनतम स्थिति के लिए) इसमें डामर, मेटल, ग्रेवल व मौसमी सभी तरह की सड़कें शामिल हैं ।

इस प्रकार 1950-51 की तुलना में 2003-04 में डामर की सड़कों की लम्बाई लगभग 5.5 गुनी हो गई । इसके बावजूद भी राज्य सड़कों की दृष्टि से समस्त भारत की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है ।

योजनाकाल में राज्य में सड़कों का अंश काफी बढ़ा है जो एक संतोषजनक स्थिति का परिचायक है । पहले की तुलना में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है । विभिन्न वर्षों में सड़कों के विकास की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है—

वर्ष	डामर सड़कों की लम्बाई (किमी. में)
1955-56	18,749
1960-61	26,693
1970-71	31,752
1980-81	41,194
1990-91	58,350
2001-02	89727
2003-04	96091

सड़कों की वर्तमान स्थिति—31 मार्च, 2004 को राज्य में सभी प्रकार की डामर की सड़कों की सम्भावित लम्बाई 96091 किलोमीटर थी, जिसका वर्गीकरण निम्न तालिका में दिया है—

31 मार्च, 2004 को राज्य में डामर की (Black Top) सड़कों की लम्बाई[1]

	लम्बाई (किलोमीटर में)
1. राष्ट्रीय राजमार्ग	5592
2. राज्यीय राजमार्ग	8514
3. बड़ी जिला सड़कें	5278
4. अन्य जिला सड़कें	15956
5. ग्रामीण सड़कें	60751
कुल	96091

आजकल सड़कों को किस्मों के अनुसार निम्न श्रेणियों में रखा जाता है—

(1) B.T. (Bitumen Treated) या डामर की सड़कें,

(2) WBM (Water Bound Macadam) या पक्की सड़कें (Metalled roads)

(3) Gravel Roads या मिट्टी व छोटे गोल पत्थरों को मिलाकर बनी सड़कें तथा

(4) Fair Weather Roads या साधारण मौसमी सड़कें ।

1. Economic Review 2003-2004, (GOR), p 61.

2003-04 में विभिन्न प्रकार की सड़कों की लम्बाई इस प्रकार थी[1]—

	(किलोमीटर में)
1. बी. टी. या डामर की सड़कें	96091
2. डब्ल्यू. बी.एम. (पक्की सड़कें)	11729
3. ग्रेवल की सड़कें	45085
4. साधारण सड़कें (FWR)	4273
कुल	157178

राज्य में 31 मार्च, 2001 को निम्न पाँच जिलों में सभी प्रकार की सड़कों की लम्बाई (*राष्ट्रीय राजमार्गों सहित*) *कुल राज्य का लगभग 28.2% अंश पाई गई थी।*[2]

जिला	(किलोमीटर में)
1. जोधपुर	6156
2. पाली	4863
3. नागौर	5368
4. बाड़मेर	5407
5. भीलवाड़ा	4017
योग	25811

31 मार्च, 2001 को सभी 32 जिलों में सड़कों की लम्बाई 92009 किलोमीटर आंकी गई थी। उपरोक्त पाँच जिलो में राज्य की सड़कों की कुल लम्बाई का लगभग 28% अंश पाया गया था। राजस्थान में जिलेवार सड़कों की लम्बाई में काफी असमानता पाई जाती है।

मार्च 2001 के अन्त तक राज्य मे डामर की सड़कों से जुड़े गाँवों की संख्या अग्र तालिका में दर्शाई गई है—

1. Economic Review 2003-04 p 61
2 Basic Statistics Rajasthan 2002, p 147.

1991 की जनगणना के अनुसार डामर की सड़कों से जुड़े गाँवों की संख्या[1]

जनसंख्या	गाँवों की संख्या	मार्च 2002 के अन्त तक BT सड़कों से जुड़े गाँव	मार्च 2002 के अन्त तक सड़कों से बिना जुड़े गाँवों की संख्या
1. 1,500 व अधिक	6131	5857	274
2. 1,000-1,500	4635	3526	1109
3. 1,000 से कम	27123	8193	18930
योग	37889	17576	20313

इस प्रकार 1991 की जनगणना के अनुसार मार्च 2002 के अन्त तक लगभग 46% गाँव ही सड़कों से जुड़ पाए हैं और लगभग 54% गाँव सड़कों से बिना जुड़े रह गए हैं । इनकी संख्या 20313 आंकी गई है ।

अत: आज भी राजस्थान में काफी गाँव सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं । राज्य में सड़कों के सम्बन्ध में कई प्रकार के काम करने बाकी हैं; जैसे सड़क की परत को मोटा करना, सड़कों को चौड़ा करना तथा मार्ग में पड़ने वाले बिना पुल के नदी-नालों पर पुल बनाना आदि ।

राज्य में 32 जिले (नये करौली जिले सहित) है, जो 105 उप-खण्डों (sub-divisions), 241 तहसीलों व 9,184 पंचायत मुख्यालयों में विभाजित हैं । ये प्रशासनिक, आर्थिक व सामाजिक क्रियाओं के मेरुदण्ड हैं । इनको सड़कों से जोड़ना अत्यावश्यक है । सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता है ।

राजस्थान में 2003-04 के अन्त में सड़कों का घनत्व बहुत कम था । यह 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पीछे 45.93 किलोमीटर था, जबकि राष्ट्रीय औसत 77 किलोमीटर आंका गया था (1998-99 में) । इस प्रकार यह राष्ट्रीय औसत से काफी नीचा है ।[2] **भविष्य में सड़क-विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर ध्यान देना होगा, जैसे बड़ी गायब कड़ियों का निर्माण करना, अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण करना तथा बिना पुल के क्रोसिंग के स्थानों पर पुल बनाना, आदि । स्वाभाविक है कि इसके लिए काफी पूँजी का विनियोजन करना होगा ।**

सड़क विकास की नागपुर योजना के अनुसार सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 42 किलोमीटर होनी चाहिए, जो 1961 तक प्राप्त करनी थी । लेकिन 31 मार्च, 1999 के अन्त में यह राजस्थान में 43.7 किलोमीटर तक आ पाई है, **जो नागपुर योजना के लक्ष्य के समीप होते हुए भी आज भी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है ।**

1 Some Facts About Rajasthan, 2003 part-I, p 37
2. Economic Review 2003-2004, p-61 & Table 10 at the end.

सड़क विकास की मास्टर प्लान (1981-2001)—पहले राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग (*PWD*) ने सड़क विकास की बीस वर्षीय मास्टर प्लान तैयार की थी जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(1) सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना, (2) एक हजार व अधिक जन-संख्या (1971 की जनगणना के अनुसार) वाले सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ना, (3) सड़कों की गायब कड़ियों का निर्माण करना व दो मार्ग वाली सड़कें बनाना, (4) बड़ी जिला सड़कों पर आवश्यक पुलों का निर्माण करना, (5) अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण करना, (6) पर्यटन महत्त्व की सड़कों का निर्माण करना, (7) धार्मिक स्थानों तक सड़कें बनाना, (8) रेलवे-स्टेशन तक सड़कें बनाना, (9) खनन-सड़कें बनाना, (10) औद्योगिक केन्द्रों तक सड़कें बनाना, (11) मण्डियों तक सड़कें बनाना तथा दूध के मार्गों एवं पंचायत मुख्यालयों तक आबादी क्षेत्रों में छोटी कड़ियाँ स्थापित करना।

उपर्युक्त मास्टर प्लान के अनुसार, सड़क निर्माण कार्य पर 3,500 करोड़ रु. व्यय करने की आवश्यकता आंकी गई थी।

सड़क निर्माण की योजना को कृषि उपज मण्डी समिति (KUMS), केन्द्रीय सड़क कोष (CRF), ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम व अकाल राहत कार्यों (सूखे के वर्षों में) से जोड़ने *पर बल दिया गया है ताकि सड़क विकास की गति तेज की जा सके।*

राज्य में नई सड़कों के निर्माण के साथ-साथ वर्तमान सड़कों के रख-रखाव पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सड़कों के निर्माण का अनेक दृष्टियों से महत्त्व है, जैसे **कृषिगत माल के उचित विपणन के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए, निर्धनता-निवारण के लिए, रोजगार देने की दृष्टि से, दस्युग्रस्त इलाकों में दस्यु-उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिए, जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए, नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए,** आदि-आदि। इसलिए भावी योजनाओं में सड़कों के विकास पर काफी बल देना होगा।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में सड़क- विकास के लिए प्रावधान, लक्ष्य व उद्देश्य—आठवीं पंच-वर्षीय योजना में सड़क-विकास के लिए 697 50 करोड़ रु. आवंटित किए गए जिनमें से 388 करोड़ रु. राज्यस्तरीय सड़कों के लिए और 260 करोड़ रु. न्यूनतम-आवश्यकता-कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई जाने वाली सड़कों के लिए रखे गए। शेष राशि हवाई पट्टियों के विकास, शहरी सड़कों, पर्यटन-महत्त्व की सड़कों तथा अन्य *अनुसंधान व विकास-कार्यों पर व्यय के लिए निर्धारित की गई।*

विश्व बैंक की सहायता से 280 7 करोड़ रु. की लागत से 5 राज्यस्तरीय सड़कों को चौड़ा करने, परत को मजबूत करने और पुलों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया।

आठवीं योजना में ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 6600 किलोमीटर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था।

सड़क-विकास के अन्य मुख्य लक्ष्य इस प्रकार रखे गए थे—*(i)* **1000 की जनसंख्या से ऊपर (1971 की जन- गणना के अनुसार) के सभी गाँवों को डामर की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।** इसके लिए गायब कड़ियों के लिए सड़कों का निर्माण करना होगा और ग्रेवल व पक्की सड़कों को काफी सीमा तक डामर की सड़कों में समुन्नत किया जाएगा। *(ii)* 1,798 पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल या पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। *(iii)* कई गायब कड़ियों को पूरा किया जाएगा। *(iv)* बड़े पर्यटन स्थलों व धार्मिक स्थानों को परस्पर मिला दिया जाएगा। *(v)* 5 राज्य स्तरीय सड़कों को बाह्य सहायता की मदद से समुन्नत किया जाएगा।

नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क-विकास के लिए प्रावधान, उद्देश्य व लक्ष्य— नवीं पंचवर्षीय योजना में PWD के योजना-कोषों से लगभग 1,600 करोड़ रु. व्यय किए जाएँगे। ये राज्यस्तरीय सड़कों व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की सड़कों पर व्यय होंगे। नवीं योजना में सड़क-विकास के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार रखे गए हैं—

(i) 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गाँवों को डामर की सड़कों से जोड़ा जाएगा। **इसके लिए लगभग 700 करोड़ रु. के व्यय से 15,186 किलोमीटर में सड़कों का निर्माण किया जाएगा, अथवा उन्हें उन्नत किया जाएगा।**

(ii) 1991 की जनगणना के अनुसार जनजाति क्षेत्रों में व कम आबादी वाले मरु जिलों में 750 की जनसंख्या से अधिक वाले सभी गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा।

(iii) सभी पंचायत मुख्यालयों को मिलाने वाली सड़कों को डामर की सड़कों में उन्नत किया जाएगा।

(iv) बड़ी राज्य स्तरीय सड़कों व कुछ मध्यम जिला-सड़कों को चौड़ा किया जाएगा तथा उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। इसका उद्देश्य जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से व जिला मुख्यालयों को पड़ौसी जिला मुख्यालयों से दुगुनी चौड़ी सड़क (7 मीटर) के माध्यम से जोड़ना है।

(v) अन्तर्राज्यीय व आर्थिक महत्त्व की बड़ी कड़ियों का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन की सुविधा, धार्मिक महत्त्व व रेलवे स्टेशनों जैसे स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

(vi) बाईपास मार्गों का निर्माण किया जाएगा। ऐसा भारी घनत्व वाली सड़कों पर विशेषतया किया जाएगा।

(vii) गायब पुलों, कलवर्ट (पुलिया), आदि का निर्माण किया जाएगा तथा भारी ट्रैफिक की सड़कों पर ओवर ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा।

(viii) खनन क्षेत्रों में टोल-टैक्स के आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

(ix) सड़क-निर्माण की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त साधन-संग्रह करना होगा, टेक्नोलोजी को समुन्नत करना होगा, लागत कम करने का प्रयास करना होगा, पेशेवर प्रबन्ध को बेहतर बनाना होगा, तकनीकी दक्षता में सुधार करना होगा एवं सड़क निर्माण की विधियों को बदलना होगा। **आठवीं योजना में सड़क-विकास पर कुल सार्वजनिक परिव्यय का 6% आवंटित किया गया था, जिसे बढ़ाकर नवीं योजना के पूर्व स्वरूप में 8% प्रस्तावित किया गया।**

अकाल व बाढ़ राहत कार्य, जवाहर रोजगार योजना, 32 जिले 32 काम, रोजगार-आश्वासन योजना (Employment Assurance Scheme) आदि रोजगारोन्मुख कार्यक्रम हैं और इनमें सड़क-निर्माण प्रमुख क्रिया मानी जाती है। इनमें परस्पर ताल-मेल बैठाने की आवश्यकता है तथा कृषि-उपज-मंडी, कमांड क्षेत्र विकास व खनन-विकास आदि के साथ इनको जोड़कर सड़क-विकास के काम को अधिक तेज गति से करने की आवश्यकता है।

इन विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने पर सड़क-विकास के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) की अवधि में कुल 3000 करोड़ रु. के व्यय की आवश्यकता होगी, जिसका आवंटन निम्न प्रकार दर्शाया गया है—

(करोड़ रु.)

(i)	सार्वजनिक निर्माण विभाग के योजना कोषों से	1600
(ii)	अकाल राहत कोषों से	400
(iii)	कृषि उपज मण्डी कोषों से	300
(iv)	रोजगार-आश्वासन स्कीम के कोषों से	300
(v)	जवाहर रोजगार योजना कोषों से	200
(vi)	संस्थागत वित्त से	200
	कुल	3000

विभिन्न कार्यों के पूरा होने पर वर्ष 2002 तक 20 हजार किलोमीटर दूरी में डामर की सड़कें तथा 5 हजार किलोमीटर में ग्रेवल-सड़कें (अकाल राहत व अन्य रोजगार-सृजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत) एवं अलग से खनन-सड़कें, कमाण्ड-क्षेत्र-विकास-सड़कें व कृषि-उपज-मण्डी की सड़कें बन सकेंगी, **जिससे वर्ष 2002 में सड़क-घनत्व (road-density) 100 वर्ग किलोमीटर पर लगभग 45 किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया था।**

नई सड़क-विकास नीति की विशेषताएँ—उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान सड़क-विकास के एक वृहद् कार्यक्रम को अपनाने जा रहा है। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार होंगी—

(1) नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क-विकास पर 3000 करोड़ रु. का विनियोजन करना होगा।

(2) सड़क-निर्माण के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर ताल-मेल बैठाना होगा।

(3) सड़क-निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए संस्थागत वित्त की मदद लेनी होगी। जैसे राजस्थान राज्य पुल व निर्माण निगम (RSBCC) इस कार्य के लिए कर्ज लेगा जिसको चुकाने के लिए टोल-टैक्स लगाना होगा।

(4) सड़क-विकास के लिए निजी साझेदारी को आमन्त्रित करना होगा। इसके लिए खुले टेण्डर आमंत्रित किए जाएँगे। निजी उद्यमकर्त्ता Build, Operate and Transfer (BOT) (निर्माण करो, संचालन करो और बाद में हस्तान्तरित करो) अथवा BOMT (Build, Operate, Maintain and Transfer) (निर्माण, संचालन, देखभाल व हस्तान्तरण) के आधार पर आगे आ सकते हैं। लेकिन अन्त में यह कार्य वापस सरकार के पास चला जाएगा। निजी उद्यमकर्त्ता अपनी पूँजीगत लागत निकालने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर टोल-टैक्स एकत्र कर सकेंगे।

(5) सड़क-विकास की नई नीति में सड़कों के रख-रखाव (maintenance) पर भी पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया गया है।

(6) सड़कों को चौड़ा करने पर भी पर्याप्त बल दिया गया है।

(7) सड़क-विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि यह कार्य कम लागत पर अधिक कार्यकुशल ढंग से पूरा किया जा सके।

नई सड़क नीति, 1994 की आलोचना—सड़क- विकास की नई नीति राजस्थान में सड़क-विकास की दिशा में एक 'लम्बा डग' (a big leap forward) **मानी जा सकती है।** आठवीं योजना में सड़कों के विकास के लिए 697.50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था, जिसे बढ़ाकर नवीं पंचवर्षीय योजना में 3000 करोड़ रु. करने का लक्ष्य रखा गया। प्रश्न उठता है कि वित्तीय साधनों के अभाव की स्थिति में क्या इतनी विशाल धनराशि जुटा पाना सम्भव होगा ? सड़कों के अलावा वित्तीय साधनों की आवश्यकता नई विद्युत-परियोजनाओं व नई सिंचाई की परियोजनाओं के लिए भी होगी। चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता होगी। इसलिए नई सड़क-नीति को सफल बनाने के लिए विशाल मात्रा में वित्तीय साधनों की व्यवस्था करनी होगी। राज्य पर पहले ही बकाया कर्ज का भार बहुत अधिक है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता लेकर ही आधार-ढाँचे का विकास करना सम्भव हो पाएगा।

नई सड़क नीति की सफलता निम्न तीन बातों पर निर्भर करेगी—

(i) निजी क्षेत्र सड़क-विकास में किस सीमा तक साझेदारी कर पाता है ?

(ii) सड़क-विकास की विभिन्न परियोजनाओं व एजेन्सियों जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP), जवाहर रोजगार योजना, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, खनन-सड़कों, कृषि-उपज-मंडी की सड़कों, धार्मिक स्थलों व पर्यटन स्थलों की सड़कों, आदि में कितना ताल-मेल स्थापित हो पाता है ?

(iii) नई सड़कों का उपयोग करने वाले टोल-कर, आदि के रूप में कितनी राशि चुका पाते हैं ? अतः नई सड़क नीति एक साहसी व दूरगामी नीति है। आशा है इससे राज्य में सड़क निर्माण-कार्य को काफी बल मिलेगा।

सड़क-विकास के नये कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण[1] —मार्च 2004 के अंत तक 19,696 आबाद गाँवों के सडकों से जुड़े जाने का अनुमान है । इसी अवधि तक 8751 पंचायत मुख्यालय डामर की सड़कों से जोड़े जा चुके थे ।
प्रगति का अन्य विवरण नीचे दिया जाता है ।

(1) प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना (PMGSY) प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को प्रारम्भ की गयी थी । इसके माध्यम से 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या अधिक आबादी के सभी गाँव 2007 के अंत तक सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे । मार्च, 2004 के अंत तक 1904 गाँवों में 6826 किलोमीटर डामर की सड़कें बनायी जा चुकी हैं । (2) मार्च 2004 तक 1687 किलोमीटर की दूरी तक राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार किया गया है । भारत का राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण (NHAI) प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग-ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 4 व 6 लेन की सड़कें बनाने में संलग्न है । इसके तहत—

(1) स्वर्णिम-चतुर्भुज (अ) जयपुर बाईपास चरण II (4 लेन का) व (आ) जयपुर-किशनगढ़ (राष्ट्रीय राजमार्ग-8) (6 लेन का); (इ) किशनगढ़-भीलवाड़ा-उदयपुर-रतनगढ़ (गुजरात सीमा) (4 लेन का); (2) उत्तर दक्षिण कोरीडोर-आगरा-धौलपुर-मुम्बई (4 लेन का) तथा (3) पूर्व-पश्चिम कोरीडोर-पिंडवाड़ा-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-कोटा-बारां-शिवपुरी (4 लेन का) शामिल हैं । इनकी लम्बाई, लागत व पूरा होने के वर्ष भिन्न-भिन्न हैं ।

(3) नाबार्ड की वित्तीय सहायता से 'सड़क-अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट' सड़कों की मरम्मत के लिए चलाया गया है । यह जनवरी 2002 से प्रारम्भ किया गया है ।

(4) निजी क्षेत्र के निवेश से 'बनाओ-संचालन करो-हस्तान्तरित करो (BOT) के तहत सड़क, बाई-पास व टनलों, आदि के निर्माण का कार्य राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 के तहत चलाया जा रहा है ।

(5) केन्द्रीय-सड़क-कोष के तहत राज्यीय राजमार्गों को सुदृढ़ करने, चौड़ा करने तथा नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है ।

(6) कृषक उपज मण्डी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्ट व अकाल राहत वर्क्स के तहत 'गायब कड़ी प्रोजेक्ट', 2003-04 में स्वीकृत किया गया था । इस प्रकार राज्य में सड़क-विकास के कई कार्य संचालित किये जा रहे हैं ।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (Rajasthan State Road Transport Corporation) (RSRTC)—इसकी स्थापना 1964 में एक वैधानिक निगम के रूप में हुई थी । इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—

(i) राज्य में सड़क परिवहन का विकास करके जनता, व्यवसाय व उद्योग को लाभ पहुँचाना,
(ii) सड़क परिवहन का परिवहन के अन्य साधनों से ताल-मेल बैठाना तथा
(iii) एक क्षेत्र में सड़क परिवहन की सुविधाओं का विस्तार करना व उनमें सुधार करना और राज्य में सड़क परिवहन सेवा को कार्यकुशल व किफायती रूप प्रदान करना ।

निगम को 1991-92 से 1997-98 तक लगातार सात वर्षों तक मुनाफा प्राप्त हुआ जो 1994-95 में 24.12 करोड़ रु. तक पहुँच कर बाद में घटता गया और 1997-98 में मात्र लगभग 4 करोड़ रु. रह गया । लेकिन 1998-99 में इसे लगभग

1. Economic Review 2003-04, pp. 61-63.

44 करोड़ रु., 1999-2000 में 73.8 करोड़ रु. व 2000-2001 में 85.6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ ।[2]

इस प्रकार राजकीय उपक्रमों में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम पिछले 7 वर्षों में लाभार्जन करने वाला एक अग्रणी उपक्रम माना गया था, जिसने 1998-99 में अपना नाम घाटे के उपक्रमों में लिखा लिया है जो एक भारी चिंता का विषय है। इसके कारणों पर आगे प्रकाश डाला गया है ।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मार्च 1996 के अन्त में उपलब्धियों की तुलना कुछ राज्यों व समस्त भारत से निम्न तालिका में की गई है ।

मार्च 1996 के अंत में	फ्लीट का (औसत वर्ष)	प्रति बस प्रतिदिन यात्रियों की संख्या	प्रति बस प्रतिदिन वाहन-उत्पादकता (किलोमीटर में)	प्रति बस प्रतिदिन मुनाफा या घाटा (रु. में)
राजस्थान	3.71	177	280	47.21
पंजाब	5.30	359	238	(-) 271.19
महाराष्ट्र	4.81	455	274	(-) 49.87
समस्त भारत	5.27	627	277	(-) 369.32

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1995-96 में जहाँ पंजाब, महाराष्ट्र व समस्त देश में प्रति बस, प्रतिदिन घाटा हुआ था, वहाँ राजस्थान में मुनाफा अर्जित किया गया था । प्रति बस प्रतिदिन वाहन-उत्पादकता भी किलोमीटर में राजस्थान में अधिक रही थी । लेकिन प्रति बस प्रतिदिन मुनाफा राजस्थान में 1994-95 में 138.79 रु. हुआ, जो लागत बढ़ने के कारण 1995-96 में 47.21 रु. ही हुआ । पूर्व में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके इसके मुनाफे में वृद्धि की गई थी । लेकिन 1998-99 में रोड़वेज की दुर्गति का मुख्य कारण कुप्रबन्ध, भ्रष्टाचार, रोड़वेज द्वारा किरायों में भारी वृद्धि तथा निजी बसों का धड़ल्ले से संचालन माना जा रहा है । रोडवेज के किरायों में तथा निजी बसों के किरायों में ज्यादा अन्तर होने से लोगों ने सरकारी बसों से मुँह मोड़ लिया है । इस स्थिति पर तुरन्त ध्यान देकर इसे सुधारने की जरूरत है, अन्यथा भविष्य में रोड़वेज को घाटे से उबारना दुष्कर हो जाएगा ।

निष्कर्ष—राजस्थान के नियोजित विकास में सड़कों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । योजनाकाल में सड़कों की लम्बाई कई गुनी हो गई है। हालांकि यह प्रगति काफी सराहनीय है, फिर भी राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, यह पर्याप्त नहीं कही जा सकती । इसलिए राजस्थान को आगामी दशक में अपने आधार-ढाँचे को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास जारी रखना होगा । सरकार को सड़क-विकास की नई नीति (1994) के क्रियान्वयन की भरपूर कोशिस करनी चाहिए ताकि 2004-05 में सड़कों का विकास राज्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका आदा कर सके ।

राजस्थान भारत में पहला राज्य है जिसने सड़क-विकास की इतनी बड़ी योजना प्रस्तुत की है । नवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व प्रारूप में सड़क-विकास के लिए 3000

2. राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम, 37वाँ वार्षिक प्रदिवेदन 2000-2001. पृ 4.

करोड़ रु. का विनियोग प्रस्तावित किया गया था। अब देखना है कि सरकार इतनी धनराशि को किस प्रकार जुटा पाती है और विभिन्न कार्यक्रमो मे किस प्रकार आवश्यक सामजस्य बैठा पाती है। इसमे कोई सदेह नहीं कि नई नीति ने सड़क–विकास के तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक व व्यावहारिक पक्षो को काफी स्पष्ट, पारदर्शी व गतिमान बनाया है, जो सरकार की एक उपलब्धि है। **राज्य सरकार ने सडकों की स्थिति सुधारने के लिए 600 करोड रु. की एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में 24 हजार किलोमीटर की सडकों का सुदृढ़ीकरण व उन्नयन किया जाएगा।**

इसमे धनराशि राज्य सरकार, कृषि विपणन बोर्ड व वित्तीय सस्थाओ से प्राप्त की जाएगी। राज्य सरकार सडक–विकास की दिशा मे महती प्रयास कर रही है ताकि राज्य का आर्थिक विकास द्रुतगति से हो सके।

सडक विकास के नए कार्यक्रम[1]-

नवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क-विकास में योजना की राशि का 4.8 प्रतिशत रखा गया था, जिसे दसवीं योजना में बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 1 हजार से अधिक जनसंख्या वाले 417 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है । **इस योजना के तहत देश में निर्मित सड़कों में से अधिकांश सड़कें राजस्थान में बनी हैं ।**

पिछली साल की प्रस्तावित सड़कों में रींगस-खाटूश्याम जी, लक्ष्मणगढ़-सालासर, भीलवाड़ा-नाथद्वारा, पीपासर-मुकाम सड़कों के उन्नयन व नवीनीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष सडकों का कार्य प्रगति पर है जिसे सितम्बर 2003 तक पूरा कर लिया जायगा। 2003-2004 में सड़क निर्माण पर 76 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित है, जिसमें निम्न सडकें शामिल हैं: जयपुर-डिग्गी-मालपुरा-केकड़ी-शाहपुरा-मांडलगढ-भीलवाड़ा, भरतपुर-डीग-नगर-अलवर- बहरोड, बूँदी-लाखेरी- इन्द्रगढ़-सवाईमाधोपुर-लालसोट, चित्तौड़गढ- प्रतापगढ-बासवाडा, डूँगरपुर- सागवाड़ा- बासवाडा-रतलाम-(स्टेट बोर्डर), डूँगरपुर-सीमलवाड़ा, बालोतरा- बायतू- बाड़मेर- गडरारोड, भरतपुर-रूपवास-सेपऊ, गगानगर-पदमपुर-रायसिहनगर, उदयपुर-डबोक-मावली-भोपाल सागर- कपासन-चित्तौड़गढ़, जयपुर-जोबनेर-पचकोडिया लूणावा-नावा-कुचामन- खाटूरोड, जैसलमेर-सम-थनाना, भरतपुर-मथुरा, अलवर-शाहपुरा-कम्रट-नीमकाथाना- खेतडी-सिघाना, तथा सिरोही-कालंदरी-रामसीन-जालोर-सीवाणा-बालोतरा-शेरगढ।

इसके अलावा 'मिसिंग कड़ियों' को चिन्हित किया गया है जिन्हें पूरा करने का प्रयास किया जायगा । सड़क निर्माण में बी.ओ.टी. स्कीम के अन्तर्गत नई परियोजनाएँ तैयार की गई हैं । इस प्रकार राज्य सरकार सड़क-निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राज्य मे वर्तमान मे प्रति एक सौ वर्ग किलोमीटर पर सडको की लम्बाई है–
   (अ) **45.9** किलोमीटर (ब) 40 किलोमीटर
   (स) 38 किलोमीटर (द) 70 किलोमीटर (अ)

2. राज्य में सडक–नीति घोषित की गई–
   (अ) जनवरी 1994 मे (ब) दिसम्बर 1994 में
   (स) दिसम्बर 1995 मे (द) जनवरी 1995 मे (ब)
3. सडक–नेटवर्क का विकास करने के लिए अनेक परियोजनाएँ किसके द्वारा संचालित की जा रही है
   (अ) राजस्थान राज्य पुल–निर्माण निगम द्वारा
   (ब) सार्वजनिक–निर्माण–विभाग द्वारा
   (स) स्थानीय सस्थाओ द्वारा
   (द) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत (अ)
4. जयपुर से कोटपुतली तक राष्ट्रीय राजमार्ग की सख्या है–
   (अ) राष्ट्रीय राजमार्ग–8 (ब) राष्ट्रीय राजमार्ग–10
   (स) राष्ट्रीय राजमार्ग–65 (द) कोई नहीं (अ)
5. निकट भविष्य मे सडको के विकास व उन्नयन हेतु सर्वाधिक वित्तीय सहायता राज्य को मिलेगी–
   (अ) भारत सरकार से (ब) निजी निवेश से
   (स) राज्य सरकार से (द) विश्व बैंक से (द)

अन्य प्रश्न

1. राज्य मे सडको के विकास का विवेचन कीजिए। ग्रामीण सडको की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिए। सडको के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पडने वाले प्रभावो का उल्लेख कीजिए।
2. नई सडक नीति, 1994 की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।
3. राज्य की सडक–विकास–नीति, 1994 मे नवीं पचवर्षीय योजना के लिए सडक–विकास के लिए क्या लक्ष्य सुझाए गए हैं? इसके वित्तीय प्रावधान भी स्पष्ट कीजिए।
4. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–
   (i) राज्य मे सडक–विकास की वर्तमान स्थिति,
   (ii) सडक–विकास–नीति, 1994–उद्देश्य व लक्ष्य,
   (iii) राज्य मे सडक–विकास का महत्त्व
   (iv) सडक–विकास के मार्ग मे आने वाली बाधाएँ,
   (v) सडक–विकास मे निजी क्षेत्र की साझेदारी
   (vi) सडक–विकास का 20 वर्षीय मास्टर प्लान (1981-2001)
   (vii) राजस्थान राज्य सडक परिवहन निगम।
   (viii) सड़क-विकास के नये कार्यक्रम व उनकी प्रगति ।

पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य का औद्योगिक विकास
(Industrial Development of the State During Five Year Plans)

सन् 1949 के पुनर्गठन के पूर्व राजस्थान में छोटे-बड़े कई राज्य थे, जिनमें बिजली, पानी व यातायात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का विकास करना सम्भव नहीं था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राज्य में केवल सात सूती-वस्त्र मिलें, दो सीमेन्ट की फैक्ट्रियाँ व दो चीनी की मिलें थीं। आज भी राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है।

1999-2000 में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन के मूल्य, विनियोजित-पूँजी की मात्रा, विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य (net value added by manufacture)[1] आदि का 4/5 से अधिक अंश देश के 10 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व पंजाब में पाया गया था। 1986-87 में पहली बार शुद्ध जोड़े गए मूल्य की दृष्टि से समस्त भारत के फैक्ट्री क्षेत्र में राजस्थान का दसवां स्थान आया था। लेकिन बाद में उसे यह स्थान नहीं प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है। अन्य राज्यों का क्रम ऊपर दिया गया है। राज्य में 1962 की तुलना में 1999-2000 में औद्योगिक प्रगति हुई है, लेकिन सम्पूर्ण देश की पृष्ठभूमि में अब भी राजस्थान का पिछड़ापन अगली तालिका से स्पष्ट हो जाता है।[2]

---

1 यह उत्पत्ति के मूल्य में से इन्पुटों का मूल्य (ईंधन, कच्चा माल आदि) घटाने से प्राप्त राशि के बराबर होता है।

2 ASI (Factory Sector) 1999–2000, (CSO), March 2001 (Quick Estimates)

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1999-2000 में भी राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में काफी नीचा स्थान था । इस वर्ष भारत में पंजीकृत फैक्ट्रियों का 3 9% राजस्थान में तथा महाराष्ट्र में 14 4% था । फैक्ट्री में रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का समस्त भारत में अंश 2 6% था, जबकि महाराष्ट्र का 14 5% था । विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य (net value added) में भी राजस्थान का अंश 2.1% ही था, जबकि महाराष्ट्र का 24.3% था । इस प्रकार जोड़े गए शुद्ध मूल्य में भारत में जहाँ महाराष्ट्र का अंश लगभग 1/4 था, वहाँ राजस्थान का केवल 1/48 था । फैक्ट्री-क्षेत्र में जोड़ा गया मूल्य राजस्थान में 1960-61 में समस्त भारत का 1% था, जो 1970-71 में 2 1% तथा 1999-2000 में 2.1% हो गया । इस तरह राजस्थान का स्थान औद्योगिक दृष्टि से फैक्ट्री क्षेत्र में काफी नीचे आता है । लेकिन जोड़े गए मूल्य में उसकी स्थिति असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर व उड़ीसा आदि से बेहतर है ।

राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थान

(प्रतिशत अंश)

वर्ष	कुल पंजीकृत फैक्ट्रियों का अंश	स्थिर पूँजी का अंश	रोजगार का अंश	विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य (VAM) का अंश
1962	1 6	1 0	1 5	1 1
1999-2000	3 9	NA	2 6	2.1

तालिका से स्पष्ट होता है कि फैक्ट्री-क्षेत्र के विभिन्न सूचकों, जैसे फैक्ट्रियों की संख्या, स्थिर पूँजी, रोजगार, व विनिर्माण द्वारा वर्धित मूल्य में राजस्थान का अंश समस्त भारत की तुलना में 3-4% के बीच आता है । इस प्रकार राजस्थान का फैक्ट्री क्षेत्र में अपेक्षाकृत नीचा स्थान पाया जाता है ।

DES के सर्वे के अनुसार राज्य में 1951 में 103 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थीं, जिसमें लगभग 18 हजार व्यक्ति काम पाए हुए थे और उनमें केवल 9 करोड़ रुपयों की पूँजी लगी हुई थी । 2000-01 में रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या 5325, स्थिर पूँजी की राशि लगभग 14560 करोड़ रुपये, कर्मचारियों की संख्या 2.59 लाख तथा विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य की राशि 4951 करोड़ रुपये रही थी । राजस्थान में लघु इकाइयों में ज्यादातर, 'अति लघु इकाइयाँ' (संयंत्र व मशीनरी में 25 हजार रुपये तक का विनियोग) पाई जाती हैं । आधी से अधिक इकाइयाँ धातु-पदार्थों, चमड़े की वस्तुओं व अधात्विक खनिज पदार्थों के निर्माण में हुई हैं ।

सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगीकरण के लिए विद्युत-सृजन पर काफी बल दिया है । भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है । थर्मल व विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है । राज्य में अणुशक्ति का भी विकास किया गया है । प्रथम योजना के प्रारम्भ में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता केवल 13 मेगावाट थी

जो 1998-99 के अन्त में लगभग 3355.84 मेगावाट हो गई। इसी प्रकार पानी की व्यवस्था का भी कई नगरों व गाँवों में विस्तार किया गया है। सड़कों का निर्माण किया गया है और उद्यमकर्त्ताओं को कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं, जिनका सम्बन्ध भूमि के आवंटन, विद्युत की दरों, बिक्री कर, चुंगी एवं वित्तीय सहायता व पूँजी सब्सिडी आदि से रहा है। इन रियायतों के फलस्वरूप राज्य में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफी बढ़ी है।

1980 में राज्य में 20 सूती व सिन्थेटिक रेशे की इकाइयाँ, 10 ऊनी, 3 चीनी, 5 सीमेन्ट, 3 मिनी सीमेन्ट की इकाइयाँ, एक टेलीविजन फैक्ट्री, एक टायर व ट्यूब फैक्ट्री, 9 वनस्पति तेल की मिलें, 20 इंजीनियरी की औद्योगिक इकाइयाँ तथा 5 खनिज आधारित बड़ी व मध्यम श्रेणी की इकाइयाँ थीं। इनके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र में केवल 7 औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., हिन्दुस्तान साल्ट्स लि., माडर्न बेकरीज एवं राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि.। 1999-2000 में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के गैर-विभागीय उपक्रमों में समस्त भारत के कुल केन्द्रीय परिसम्पत्तियों (assets) का 2.2% अंश ही पाया गया था, जबकि 1980-81 में यह 1.7 प्रतिशत था। अतः 1999-2000 में इसमें वृद्धि हुई है।[1]

मार्च 1999 के अन्त में राजस्थान में लगभग 531 बड़े एवं मध्यम दर्जे के उद्योग लगे हुए थे। इनमें पूँजीगत निवेश की मात्रा 13740 करोड़ रु. तथा रोजगार की मात्रा 1.70 लाख व्यक्ति आंकी गई है। 2002-2003 में उद्योग-विभाग में पंजीकृत लघु पैमाने के उद्योगों व कारीगरी की इकाइयों की संख्या 2.41 लाख थी जिनमें 3571 करोड़ रुपये का विनियोग किया गया था तथा लगभग 9.27 लाख व्यक्ति काम पाए हुए थे।

राजस्थान में उद्योगों का कुल राज्य-घरेलू-उत्पत्ति तथा रोजगार में स्थान

(1) उद्योगों का कुल राज्य-घरेलू-उत्पत्ति में स्थान—आजकल औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक परिभाषा में इसे द्वितीयक क्षेत्र के बराबर माना जाने लगा है। हम इसमें खनन, विनिर्माण तथा विद्युत, गैस और जल-पूर्ति शामिल करते हैं, हालांकि व्यापक परिभाषा के अनुसार इसमें निर्माण-कार्य (Construction) भी शामिल किए जा सकते हैं।

राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में उद्योगों का स्थान (1993-94) के मूल्यों पर अग्र तालिका में दर्शाया गया है।

1 **Hand Book of Industrial Policy And Statistics 2001, (GOI) pp 368-369** 1999-2000 में राजस्थान में केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में परिसम्पत्तियों का मूल्य 8419 करोड़ रु. रहा जबकि समस्त भारत में यह 381365 करोड़ रु. रहा। अतः राज्य में इनका अंश 2.2% रहा। राज्य में इनमें 30 हजार व्यक्ति लगे हुए थे, जबकि समस्त भारत में 18.2 लाख व्यक्ति थे।

2. Some Facts About Rajasthan 2003, p.28.

अवधि : 1980-81 से 2002-03 राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में योगदान (1993-94 के मूल्यों पर) (प्रतिशत में)[1]

	1980-81	1990-91	2002-03 (त्वरित अनुमान)
(i) खनन व पत्थर निकालना	1.25	1.24	2.99
(ii) विनिर्माण (Manufacturing)	11.04	11.04	11.54
(अ) पंजीकृत	3.65	5.77	5.63
(ब) गैर-पंजीकृत	7.39	5.27	5.91
(iii) विद्युत, गैस तथा जल-पूर्ति	0.76	1.44	3.28
कुल	13.05	13.72	17.81

पूर्व तालिका से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र का राजस्थान की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में 1980-81 में लगभग 13.1% अंश था, जो 1990-91 में 13.7% तथा 2002-03 में 17.8% रहा । इस प्रकार 1980-81 से 2002-03 की अवधि में इसमें कुछ सीमा तक (लगभग 5 प्रतिशत बिन्दु की) वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय स्तर पर यह लगभग 25% आंका गया है। इस प्रकार राजस्थान में उद्योगों का राज्य की आय में अंश आज भी समस्त भारत की तुलना में काफी कम है, जिसे भविष्य में बढ़ाने की आवश्यकता है । 2002-03 में अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस व जल-पूर्ति का सकल घरेलू उत्पाद में (1993-94 के भावों पर) योगदान 24.9% रहा था, जबकि राजस्थान में यह 28.1% रहा । (1993-94 के भावों पर)(निर्माण का 10.32% अंश जोड़ने पर) था। अत: राजस्थान में यह अनुपात अपेक्षाकृत ऊँचा हो गया है। (विशेषतया निर्माण के योगदान के कारण)

उद्योगों के विनिर्माण (Manufacturing) का अंश विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता है । **राजस्थान में यह 2002-03 में लगभग 11.5% आंका गया है । इसमें पंजीकृत क्षेत्र का अंश लगभग 5.6% तथा गैर-पंजीकृत क्षेत्र का लगभग 5.9% है।** इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र का अंश आज भी कम है। पंजीकृत व गैर-पंजीकृत दोनों क्षेत्रों का अंश कम है। पंजीकृत क्षेत्र में फैक्ट्री क्षेत्र या संगठित क्षेत्र की प्रधानता होती है, जबकि गैर-पंजीकृत क्षेत्र में ग्रामीण व कुटीर उद्योग, दस्तकारियाँ आदि आते हैं, जिनमें कारीगर अपने घरों का काम करके माल का उत्पादन करते हैं । अभी भी विनिर्माण का अंश शुद्ध घरेलू उत्पाद में 11-12 प्रतिशत ही पाया जाता है, जो काफी कम है । यह गणना 1993-94 के मूल्यों पर की गयी है।

(2) उद्योगों का रोजगार में स्थान—जैसा कि जनसंख्या के अध्याय में बतलाया गया था, 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में विनिर्माण कार्यों में रोजगार का अंश मुख्य श्रमिकों में 7.4% था, जिसमें पारिवारिक उद्योगों में यह 2% तथा अन्य में 5.4% था । यह खनन व पत्थर निकालने में 1% तथा विद्युत, गैस व जल-पूर्ति में भी कम है । 1981 व 1991 में उद्योगों का रोजगार में स्थान अग्र तालिका से स्पष्ट हो जाता है—

1. Net State Domestic Product of Rajasthan (1960-61 to 2001-02) July 2002, (DES, Jaipur) Tables on p 38 p 42 & p 54 Economic Review 2003-04, Table 4

उद्योगों में श्रम-शक्ति का अनुपात

(प्रतिशत में)

	1981	1991
(i) खनन व पत्थर निकालना	0 7	1 0
(ii) (अ) घरेलू उद्योग	3 3	2 0
(ब) घरेलू उद्योग के अलावा अन्य उद्योग	5 0	5 4
कुल	9 0	8 4

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1981-91 की अवधि में घरेलू उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों में रोजगार का अंश बढ़ा है तथा घरेलू उद्योगों में कुछ कम हुआ है। खनन व विनिर्माण कार्य (mining and manufacturing) में श्रम-शक्ति का अंश 1991 में केवल 8 4% रहा है, जो पहले से भी कुछ कम है। भविष्य में राज्य का औद्योगिक विकास करके उद्योगों का रोजगार में अंश बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य में खनन-कार्य व लघु उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का विकास करने की सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राज्य की खनिज-सम्पदा विपुल मानी गई है। राज्य में हथकरघा क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। राज्य में कई प्रकार की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा विद्युत, गैस व जलपूर्ति के क्षेत्र में भी अधिक श्रमिकों को काम दिया जा सकता है। ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तथा उनके जीवन-स्तर में सुधार आएगा। गलीचों, चमड़े की वस्तुओं, हथकरघा की वस्तुओं तथा रत्न-आभूषण आदि के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार राज्य में औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया जाना चाहिए।

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण या विशेषताएँ—उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं—

(i) आकार—जैसा कि पहले बतलाया गया है कि **समस्त भारत के फैक्ट्री-क्षेत्र में** राजस्थान का स्थान काफी नीचा आता है। 1999-2000 में भारत में **कुल रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों** का 3.9% अंश ही राजस्थान में था। विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य **(VAM) में राज्य का** अंश 2.1% था। **1986-87 में पहली बार जोड़े गए शुद्ध मूल्य की दृष्टि से भारत में राजस्थान का दसवाँ स्थान आया था, लेकिन बाद में यह स्थान राजस्थान को पुनः नहीं मिल पाया है।**

राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर द्वारा भी समय-समय पर उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आँकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। इनमें **फैक्ट्री क्षेत्र में हुई औद्योगिक** प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि ये आँकड़े भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO), नई दिल्ली, द्वारा प्रकाशित आँकड़ों से थोड़े भिन्न होते हैं,

(पद्धति के अन्तर के कारण) फिर भी इनके माध्यम से हमें कई प्रकार के नये विवरण प्राप्त होते हैं, जैसे फैक्ट्रियों का आकार के अनुसार वितरण, जिलों के अनुसार वितरण, आदि जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। इसलिए राज्य के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणों का विवेचन किया जा सकता है।

राज्य में लघु पैमाने की इकाइयों की भरमार—वर्ष 1997-98 में राज्य की 4537 फैक्ट्रियों के विवरण प्राप्त हुए थे, जिनमें विभिन्न आकार की फैक्ट्रियों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है[1]—

आकार	संख्या	संख्या में प्रतिशत अंश	कुल उत्पत्ति (करोड़ रु.)	कुल उत्पत्ति में प्रतिशत अंश
(i) लघु पैमाने की इकाइयाँ	3933	88 8	11569 1	45 0
(ii) मध्यम पैमाने की इकाइयाँ	300	6 8	2762 1	10 8
(iii) बड़े पैमाने की इकाइयाँ	196	4 4	11356 1	44 2
कुल	4429	100 0	25687 3	100 0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में 1997-98 में लगभग 88 8% फैक्ट्रियाँ लघु पैमाने की थीं। उस समय लघु पैमाने की इकाइयों में प्लांट व मशीनरी में विनियोग की सीमा 60 लाख रुपये थी। पाँच करोड़ रुपये तक की प्रोजेक्ट-लागत की इकाइयाँ मध्यम आकार की तथा इससे ऊपर की बड़े आकार की मानी जाती थीं। उस समय मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ 6 8% तथा बड़े पैमाने की भी 4 4% थीं। इससे पता चलता है कि राजस्थान में लघु इकाइयों की भरमार है। इनमें कुल फैक्ट्री-कर्मचारियों का लगभग 1/3 अंश लगा हुआ है। लघु पैमाने की इकाइयों में स्थिर पूँजी (Fixed capital) की मात्रा कम होती है, लेकिन जोड़े गए शुद्ध मूल्य (net value added) में इनका अंश स्थिर पूँजी के अंश से अधिक पाया जाता है।

1997-98 में लघु पैमाने की इकाइयों का कुल उत्पत्ति में अंश 45% रहा, जो बड़े पैमाने की इकाइयों के 44% के लगभग समान था। राज्य के फैक्ट्री-क्षेत्र में लघु इकाइयों के योगदान का काफी महत्त्व होता है। इनके माध्यम से काफी कर्मचारियों को काम दिया जा सकता है।

जहाँ तक बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों का प्रश्न है, 1997-98 में इनका अनुपात लगभग 4.4% रहा तथा कुल उत्पत्ति के मूल्य में इनका अंश 44% रहा। इस प्रकार बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की संख्या तो कम है, लेकिन सकल उत्पत्ति के मूल्य में इनका योगदान ऊँचा पाया जाता है।

---

1 Report on Annual Survey of Industries, Rajasthan, 1997–98 DES, Jaipur December 2000, p 21

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के औद्योगिक विकास में सभी प्रकार की इकाइयों की अपनी-अपनी भूमिका पाई जाती है। राज्य में आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का विकास किया जाना चाहिए। लेकिन रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से श्रम गहन लघु इकाइयों को प्राथमिकता दी जा सकती है। आधुनिक युग में टेक्नोलोजी भी उत्पादन के पैमाने के चुनाव को प्रभावित करती है।

(2) वस्तुगत ढाँचा (Commodity Structure)—राजस्थान में फैक्ट्री-क्षेत्र तथा गैर फैक्ट्री क्षेत्र में कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। फैक्ट्री-क्षेत्र की विस्तृत सूचना उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। इसमें भारतीय फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत धारा 2 एम (i) व 2 एम (ii) में पंजीकृत विभिन्न फैक्ट्रियाँ शामिल की जाती हैं। इसमें पावर की सहायता से चालित 10 या अधिक व्यक्तियों को काम देने वाली फैक्ट्रियों तथा बिना पावर के 20 या अधिक व्यक्तियों को काम देने वाली फैक्ट्रियाँ शामिल होती हैं।

स्मरण रहे कि फैक्ट्री-क्षेत्र में शामिल इकाइयों में विनिर्माण इकाइयों (Manufacturing units) के अलावा विद्युत-इकाइयाँ, वाटर-वर्क्स व सप्लाई, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग तथा मरम्मत सम्बन्धी सेवा की इकाइयाँ भी शामिल होती हैं।

राजस्थान की फैक्ट्री-क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों में आजकल कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा है, इसलिए उत्पादन में विविधता दिखाई देने लगी है।

राज्य में 1997-98 में निम्न सात श्रेणी के उद्योगों में कुल फैक्ट्री-उद्योगों में जोड़े गए शुद्ध मूल्य (Net Value Added) का अंश 82.5% रहा। विभिन्न उद्योगों की स्थिति अग्र तालिका में दर्शाई गई है।[1]

शुद्ध जोड़े गए मूल्य (NVA) में अंश

उद्योग कोड	उद्योग	(%)
24	ऊन व रेशम टैक्सटाइल्स	10.2
30	रसायन व रसायन पदार्थ	7.3
20–21	खाद्य-पदार्थ	6.3
32	गैर धात्विक खनिज पदार्थ	8.3
35–36	परिवहन के अलावा अन्य मशीनरी	5.9
31	रबड, पेट्रोलियम व कोयला-पदार्थ	7.0
40	विद्युत	37.5
	कुल	82.5

इस प्रकार राजस्थान में 1997-98 में उपर्युक्त सात श्रेणी के उद्योगों में शुद्ध वर्धित मूल्य (net value added) का लगभग 4/5 अंश पाया गया जिसमें अकेले विद्युत का अंश 37.5% था।

---

1 Annual Survey of Industries 1997–98, CSO, September 1999, p 54

विभिन्न उद्योग-समूहों के अन्तर्गत शामिल उद्योगों के नाम इस प्रकार है—

उद्योग-समूह	उत्पादित वस्तुओं के नाम
1 ऊन, रेशम व सिंथेटिक रेशे के वस्त्र	(ऊन की कताई, बुनाई व अन्य क्रियाएँ, रेशम तथा सिंथेटिक वस्त्रों से सम्बन्धित क्रियाएँ)
2 गैर धात्विक खनिज पदार्थों से बनी वस्तुएँ (non metallic mineral products)	(सीमेंट मार्बल ग्रेनाइट, चीनी-मिट्टी, काँच, अभ्रक आदि से बनी वस्तुएँ)
3 परिवहन-उपकरण के अलावा अन्य मशीनरी व उपकरण	(कृषिगत मशीनरी व उपकरण, निर्माण व खनन उद्योगों की मशीनरी, बॉयलर्स, कई प्रकार की औद्योगिक मशीनरी व मशीनी औजार, विद्युत औद्योगिक मशीनरी, बिजली के लैम्प, बिजली के पंखे, टीवी रिसीवर्स, कम्प्यूटर्स आदि ।)
4 बेसिक धातु व एलोय उद्योग (Basic metals and Alloy Industries)	(लोहा व इस्पात, ताँबा, एल्यूमिनियम, जस्ता व अन्य अलौह धातु उद्योग)
5 रसायन व रसायन-पदार्थ	(उर्वरक, पेंट वार्निश, दवाइयाँ, प्लास्टिक का सामान, अखाद्य-तेल, कोस्मेटिक्स (प्रसाधन-सामग्री), आदि) ।

इसके अलावा राजस्थान में खाद्य-वस्तुओं (Food Products) के निर्माण में संलग्न इकाइयों की संख्या भी काफी पाई जाती है । ये दुग्ध-पदार्थों, अन्न-पदार्थों (जैसे दाल आदि), बेकरी में बने पदार्थों, चीनी, गुड़, खण्डसारी, कॉमन नमक, खाद्य-तेल व वनस्पति, बर्फ आदि का उत्पादन करती हैं ।

पिछले वर्षों में राज्य में रबड़, प्लास्टिक एवं रसायन-पदार्थों का उत्पादन काफी बढ़ा है । राज्य में विभिन्न प्रकार की मशीनरी (विद्युत व गैर-विद्युत) तथा इलेक्ट्रोनिक्स की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है ।

हालांकि आज भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात आदि की तुलना में पीछे है, लेकिन धीरे-धीरे इसकी स्थिति में सुधार आ रहा है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 1986-87 में जोड़े गए शुद्ध मूल्य की दृष्टि से भारत में इसका दसवाँ स्थान रहा था, जबकि कर्नाटक व मध्य प्रदेश का क्रमशः आठवाँ व नवाँ स्थान रहा था । पंजाब व हरियाणा का स्थान क्रमशः ग्यारहवाँ व बारहवाँ रहा था। अतः इनसे राजस्थान की स्थिति थोड़ी बेहतर रही थी। लेकिन बाद के वर्षों में जोड़े गए मूल्य की दृष्टि से पंजाब ने दसवाँ स्थान ले लिया।

राजस्थान के फैक्ट्री-क्षेत्र में रोजगार की मात्रा 1980-81 में 1.91 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 2000-01 में 2.59 लाख व्यक्ति हो गई। इस प्रकार 20 वर्षों में फैक्ट्री-क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या में लगभग 68 हजार की वृद्धि हुई। लेकिन इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर फैक्ट्री-क्षेत्र में रोजगार 78.54 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 79.88 लाख व्यक्ति हो गया । इस प्रकार समस्त भारत में फैक्ट्री-क्षेत्र में रोजगार लगभग 1.34 लाख ही बढ़ा। लेकिन 1995-96 में भारत में फैक्ट्री-क्षेत्र में रोजगार की मात्रा 100 लाख रही थी । **इस प्रकार पिछले पाँच वर्ष में फैक्ट्री-क्षेत्र में रोजगार बहुत घट गया है ।**

राजस्थान का औद्योगिक ढाँचा (Industrial Structure of Rajasthan)— औद्योगिक ढाँचे के अन्तर्गत उपयोग-आधारित औद्योगिक वर्गीकरण (Use-based industrial

classification) का अध्ययन किया जाता है। इसमें निम्न चार प्रकार के उद्योगों का रोजगार अथवा जोड़े गए शुद्ध मूल्य में योगदान के आधार पर सापेक्ष महत्त्व देखा जाता है—

(1) आधारभूत वस्तुओं के उद्योग (Basic Goods Industries) जैसे इस्पात, उर्वरक, विद्युत आदि।

(2) पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग (Capital Goods Industries) जैसे मशीनरी, परिवहन का माल आदि।

(3) मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग (Intermediate Goods Industries) जैसे कॉटन यार्न, रंग, टायर-ट्यूब आदि।

(4) उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग (Consumer Goods Industries) इनमें टिकाऊ व गैर-टिकाऊ उप-भोक्ता वस्तुएँ शामिल की जाती हैं। टिकाऊ उप-भोक्ता माल में टी.वी. सेट्स, स्कूटर, मोटर गाड़ियाँ आदि आती हैं तथा गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में चीनी, नमक, माचिस, दवा आदि वस्तुएँ आती हैं।

राजस्थान में इनमें से प्रत्येक की स्थिति का संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है।

(1) आधारभूत वस्तुओं के उद्योग—इस श्रेणी में प्रमुख उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं—सीमेन्ट, बेसिक रसायन, लोहा व इस्पात, उर्वरक व कीटनाशक, ताँबा, पीतल, एल्यूमिनियम, जस्ता व अन्य अलौह धातु, नमक एवं विद्युत।

(i) सीमेन्ट—राज्य में सीमेंट के कई बड़े कारखाने कार्यरत हैं। सीमेंट के कारखाने सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, ब्यावर व कोटा में निजी क्षेत्र में तथा रीको से सहायता प्राप्त दो कारखाने मोडक (कोटा) (मंगलम सीमेंट लि) तथा बनास (सिरोही) (स्ट्रा प्रोडक्ट्स जे के ग्रुप का) में चल रहे हैं। राज्य में कई मिनी सीमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं जिनसे सिरोही, बाँसवाड़ा व जयपुर जिलों में सीमेंट का उत्पादन होने लगा है। भविष्य में राज्य में कई सीमेंट के बड़े कारखाने लगाने की योजना है।

(ii) रासायनिक उद्योग—इसमें मुख्यतया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना आता है। यह सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है। डीडवाना में नमक का भी उत्पादन होता है। कोटा में श्रीराम केमिकल इण्डस्ट्रीज लि भी इसी श्रेणी में आता है। उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स तथा मोदी एल्केलाइज एण्ड केमिकल लि, अलवर भी आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आते हैं।

धौलपुर में संयुक्त क्षेत्र में रीको व IDL केमिकल लि हैदराबाद के परस्पर सहयोग से **दी राजस्थान अक्सप्लोजिव्स एण्ड केमिकल्स लि.**, की स्थापना की गई थी, जहाँ विस्फोटक (detonators) बनाए जाते थे। यहाँ मार्च, 1981 से उत्पादन चालू किया गया था। **लेकिन यह कई महीनों से बंद पड़ा है जिससे श्रमिकों को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है।** वर्तमान सरकार इसे पुनः चालू करने का भरसक प्रयास कर रही है। आशा है इसे शीघ्र ही चालू किया जा सकेगा।

(iii) डूँगरपुर जिले में मांडो-की-पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनेफिशियेशन प्लांट लगाया गया था जो फ्लोर्सपार उत्पन्न करता है। यह इस्पात बनाने में प्रयुक्त होता है।

(iv) राज्य में उदयपुर में जस्ता गलाने का संयंत्र (हिन्दुस्तान जिंक लि.) तथा खेतड़ी में ताँबा गलाने का संयंत्र (हिन्दुस्तान कॉपर लि) कार्यरत हैं। इस प्रकार राज्य में आधारभूत उद्योगों के अन्तर्गत सीमेंट, रसायन, उर्वरक तथा ताँबा व जस्ता के कारखाने चल रहे हैं।

(2) पूँजीगत वस्तुओं के उद्योग—पूँजीगत उद्योगों की श्रेणी में औद्योगिक मशीनरी, रेफ्रिजरेटर व एयर कन्डीशनर, मशीनी औजार, विद्युत मशीनरी, विद्युत कम्प्यूटर व पुर्जे, रेलवे वैगन, (रेल परिवहन का साज-सामान) आदि आते हैं। भरतपुर में सिम्को वैगन फैक्ट्री है। अजमेर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. (HMT Limited) तथा कोटा में इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. हैं। जयपुर में नेशनल ईंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि. में बाल बियरिंग एवं अशोका लीलेण्ड लि., अलवर में व्यापारिक वाहन बनाए जाते हैं तथा कुछ और इन्जीनियरिंग उद्योग भी हैं। इस प्रकार राजस्थान में पूँजीगत वस्तुओं के भी कारखाने हैं।

(3) मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग—इस श्रेणी में उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं : कॉटन जिनिंग, क्लीनिंग व बेलिंग, सूती वस्त्रों की छपाई, रंगाई व ब्लीचिंग, ऊन की सफाई, रंगाई व ब्लीचिंग, चमड़े की रंगाई व तैयारी, टायर-ट्यूब, पेंट व वार्निश, आदि जयपुर में पानी व बिजली के मीटर बनाए जाते हैं। उदयपुर के पास कांकरोली में जे के टायर का कारखाना है जिसमें ऑटोमोबाइल टायर व ट्यूब बनाए जाते हैं।

(4) उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग—राजस्थान में सूती वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, चीनी, गुड़, वनस्पति घी व वनस्पति तेल, साबुन, क्रॉकरी, साइकिल के पुर्जे, जूते (चमड़े व रबड़ के), स्कूटर्स व मोपेड (केल्विनेटर ऑफ इण्डिया लि), ऊनी माल (बीकानेर), बीड़ी (मयूर बीड़ी उद्योग, टोंक) आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग आते हैं।

फैक्ट्री-क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक श्रेणियों का योगदान[1]

उद्योगों की श्रेणी	रोजगार में अंश प्रतिशत		जोड़े गए मूल्य में अंश (प्रतिशत)	
	1970	1980-81	1970	1980-81
1 आधारभूत उद्योग	30 0	34 6	39 0	51 4
2 पूँजीगत उद्योग	21 5	14 3	18 8	15.5
3 मध्यवर्ती उद्योग	5 4	15 6	2 8	9 0
4 उपभोक्ता उद्योग	43 1	35.5	39 4	24 1
कुल	100 0	100 0	100 0	100 0
कुल मात्रा	1 12	1 92	62.4	37 0
	(लाख व्यक्ति)		(करोड़ रुपए)	

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सभी प्रकार के उपयोग-आधारित उद्योगों (Use-based industries) की इकाइयाँ पाई जाती हैं, हालांकि राज्य का *समस्त देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में आज भी नीचा स्थान है। योजनाकाल में इन*

1 Industrial Structure of Rajasthan, 1970, and A.S I 1980-81 (Rajasthan) (DES) के आँकड़ों के आधार पर लेखक द्वारा प्रतिशत निकाले गए हैं। इसमें विनिर्माण की इकाइयों के अलावा विद्युत, गैस, जल-पूर्ति व मरम्मत में संलग्न सभी प्रकार की फैक्ट्री-इकाइयाँ शामिल की गई हैं।

विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों का योगदान रोजगार व जोड़े गए मूल्य आदि में बदला है, जो उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका से पता चलता है कि 1970 से 1980-81 की अवधि में राजस्थान में आधारभूत उद्योगों का योगदान रोजगार व जोड़े गए मूल्य में बढ़ा है, पूँजीगत उद्योगों का घटा है, मध्यवर्ती उद्योगों का काफी बढ़ा है तथा उपभोक्ता-उद्योगों का घटा है। 1980-81 में आधारभूत उद्योगों का अंश जोड़े गए मूल्य में लगभग 1/2 व उपभोक्ता-उद्योगों का 1/4 पाया गया था। **स्मरण रहे कि आधारभूत उद्योगों के योगदान के बढ़ने के पीछे मुख्य कारण इस श्रेणी में विद्युत का शामिल होना है।**

1990-91 से 2000-2001 की अवधि में राज्य की औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा औद्योगिक विनियोगों के नए प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं।

उद्योगों का साधन-आधारित वर्गीकरण (Input-based Classification of Industries)—उद्योगों का अध्ययन इन्पुटों के आधार पर वर्गीकरण करके भी किया जाता है जैसे—कृषि-आधारित, वन-आधारित, खनिज पदार्थ-आधारित तथा रसायन-आधारित उद्योग। इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जाता है—

(1) कृषि-आधारित व फूड-प्रोसेसिंग उद्योग—व्यापक अर्थ में कृषि-आधारित उद्योगों में खाद्य-पदार्थ, दुग्ध-पदार्थ व मांस-पदार्थ शामिल किए जाते हैं, लेकिन संकीर्ण अर्थ में इस श्रेणी में कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग आते हैं, जैसे-कॉटन-जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ, सूती कपड़ा उद्योग (कताई व बुनाई) (खादी, हथकरघा, शक्ति-करघा व मिल-करघा), रेशम उद्योग, तिलहन पर आधारित वनस्पति घी व वनस्पति तेल उद्योग, साबुन उद्योग, गन्ने पर आधारित गुड़, खंडसारी व चीनी, अचार-मुरब्बा, दाल मिल, बेकरी व कान्फेक्शनरी उद्योग, आदि। इसी में सुपारी, चूर्ण, पाली की मेहंदी व बांसवाड़ा का आम-पापड़, बीकानेर के पापड़-भुजिया, जोधपुर-नागौर क्षेत्र की मेथी, झालावाड़ व श्रीगंगानगर के रसदार फल, आबू-सिरोही क्षेत्र के टमाटर तथा पुष्कर के गुलाब के फूल, सब्जी व फल, आदि आते हैं।

(2) वन-आधारित उद्योग—इसमें लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, रबड़, गोंद, राल, लाख आदि पर आधारित उद्योग आते हैं।

(3) पशु-धन आधारित उद्योग—राजस्थान में पशु-धन पर आधारित उद्योगों में ऊन, दूध से बने पदार्थ, चमड़ा, खालें, हड्डियाँ व माँस शामिल होते हैं।

(4) खनिज-पदार्थ आधारित उद्योग—धातु-आधारित, जैसे इस्पात उद्योग, मशीनरी, परिवहन का सामान (वैगन) धातु से बनी वस्तुएँ जैसे इस्पात का फर्नीचर, मोटर-साइकिल, आदि।

(अ) अधातु-खनिज उद्योग (non-metallic mineral industries)—इसमें पत्थर व मार्बल से बनी वस्तुएँ, काँच व काँच का सामान, चायना क्ले व सिरेमिक की इकाइयाँ, एस्बेस्ट्स सीमेंट, सीमेंट-पाइप आदि आते हैं।

राजस्थान में कृषि-आधारित, खनिज-आधारित व पशु-आधारित उद्योगों का बड़ा महत्त्व है। इनके विकास से अकाल, निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिल सकती है। इस समय राज्य में 23 सूती वस्त्र की मिलें हैं, तीन चीनी के बड़े कारखाने हैं तथा वेजिटेबल घी व वनस्पति तेल की कई फैक्ट्रियाँ हैं। सूती वस्त्र की मिलों में 17 मिलें निजी क्षेत्र में, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में (दो ब्यावर व एक विजयनगर में) तथा तीन सार्वजनिक क्षेत्र में (गुलाबपुरा, गंगापुर तथा हनुमानगढ़) में हैं। सूती वस्त्र की मिलें ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, उदयपुर, पाली, गंगापुर (भीलवाड़ा जिला) आदि में स्थित हैं। चीनी के तीन कारखाने भोपाल सागर (चित्तौड़गढ़ जिला) (निजी क्षेत्र में), श्रीगंगानगर (सार्वजनिक क्षेत्र में) तथा केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि (बूँदी जिले में) (सहकारी क्षेत्र में) हैं।

राज्य में वनस्पति तेल की फैक्ट्रियाँ जयपुर (विश्वकर्मा में 'वीर बालक'), अलवर (खैरथल में), दौसा, निवाई, भरतपुर (सरसों इंजन छाप), गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जालौर आदि में स्थित हैं। वनस्पति घी के कारखाने जयपुर के विश्वकर्मा क्षेत्र में 'महाराजा वनस्पति', झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 'आमेर वनस्पति', निवाई में 'केसर वनस्पति' दुर्गापुरा में रोहिताश तथा अन्य चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में स्थित हैं।

राजस्थान में साधन-आधारित उद्योगों की संख्या का परिवर्तन 1989-90 से 1997-98 की अवधि में निम्न तालिका में दर्शाया गया है[1]—

उद्योग की श्रेणी	1989-90 में इकाइयों की संख्या	कुल का प्रतिशत	1997-98 में इकाइयों की संख्या	कुल का प्रतिशत
1. साधन-आधारित उद्योग				
(i) कृषि व पशु-धन आधारित	1276	39 4	1575	35 6
(ii) वन-आधारित	61	1 9	96	2 2
(iii) खनिज-आधारित	347	10 7	618	13 9
2. उपभोक्ता माल के उद्योग	612	18 9	930	21 0
3. उत्पादक माल के उद्योग	216	6 7	305	6 9
4 सामान्य इंजीनियरिंग के उद्योग	443	13 7	525	11 8
5. रसायन उद्योग	82	2 5	149	3 4
6. छपाई व प्रकाशन उद्योग	55	1 7	43	1 0
7. विद्युत, रोशनी, पावर व गैस	129	4 0	173	3 9
8. वाटर वर्क्स	14	0 4	15	0 3
कुल	3235	100 0	4429	100 0

1 Report on Annual Survey of Industries, Rajasthan, 1997-98, December 2000, p 15 (1997-98 के लिए) व पूर्व वर्षों के ASI, Raj

तालिका से पता चलता है कि 1989-90 से 1997-98 की अवधि में राज्य में खनिज-आधारित उद्योगों, उपभोक्ता-माल के उद्योगों तथा रसायन उद्योग की इकाइयों का कुल औद्योगिक इकाइयों में अनुपात बढ़ा है । छपाई तथा प्रकाशन की इकाइयों में स्थिरता की दशा देखने को मिली है ।

राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन की प्रगति—1971 से 2003 की अवधि में राज्य में प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति निम्न तालिका में दर्शाई गई है—

कुछ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि[1]

वस्तु का नाम	इकाई	1971	2002	2003
1. सीमेंट	(लाख टन)	14.0	81.5	84.5
2. यूरिया	(लाख टन)	2.6	3.52	3.80
3. सुपर फॉस्फेट	(हजार टन)	45.0	1.10	1.80
4. बॉल-बियरिंग	(लाखों में)	73.0	257	291

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1971-2003 की अवधि में विभिन्न वस्तुओं जैसे सीमेन्ट, बॉल-बियरिंग, आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई है । राज्य में घी, वनस्पति घी, खाद्य-तेल, सभी किस्म की शराब, सूती वस्त्र, सिन्थेटिक यार्न व वस्त्र, ट्रान्सफॉर्मर्स, पानी के मोटरों आदि का उत्पादन होता है ।

राजस्थान के 32 जिलों में फैक्ट्रियों का वितरण काफी असमान पाया जाता है । आगे की तालिका में 1970 तथा 2000-01 के लिए विभिन्न जिलों के अनुसार फैक्ट्रियों की संख्या व उनमें संलग्न कर्मचारियों की संख्या दी गई है, जिससे जिलेवार तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है । तालिका से स्पष्ट होता है कि 1970 से 2000-01 के बीच *रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या 1022 से बढ़कर 5325 हो गई । इसमें संलग्न कर्मचारियों की* संख्या 1.1 लाख से बढ़कर 2.59 लाख हो गई ।

---

1 Economic Review 2003-2004, Govt. of Raj., Table on pp. 32-33. on Industrial Production of Selected Items

राजस्थान में उद्योगों का प्रादेशिक अथवा जिलेवार फैलाव (Regional Spread)

जिले का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या		कर्मचारियों की संख्या	
	1970	2000-01	1970	2000-01
1. अजमेर	149	446	17118	11414
2. अलवर	14	552	470	36698
3. बाँसवाड़ा	5	42	227	5690
4. बाड़मेर	2	118	147	1587
5. भरतपुर	21	52	3180	5799
6. भीलवाड़ा	45	424	5043	34010
7. बीकानेर	46	240	3099	4594
8 बूँदी	12	29	2370	1516
9. बाँरा	(कोटा में शामिल)	5	–	195
10. चित्तौड़गढ़	35	114	1637	5802
11. चूरू	5	15	113	246
12. डूँगरपुर	–	6	–	2545
13. धौलपुर	–	10	–	654
14. दौसा	(जयपुर में शामिल)	10	–	678
15. हनुमानगढ़	(गंगानगर मे शामिल)	140	–	5642
16. गंगानगर	114	309	7292	11818
17. जयपुर	234	1014 (H)	36891	46289 (H)
18. जैसलमेर	1	6	15	120
19. जालौर	2	8	21	136
20. झालावाड़	12	15	1377	2485
21. झुंझुनूँ	3	13	36	3035
22 जोधपुर	76	599	6240	19879
23. कोटा	75	89	11835	10512
24 नागौर	41	95	1206	3442
25. राजसमंद	(उदयपुर में शामिल)	122	–	3198
26. पाली	47	351	5431	10069
27. सवाईमाधोपुर	10	18	2724	868
28. सीकर	5	39	153	3904
29. सिरोही	9	95	208	5862
30. टोंक	3	23	96	2733
31. उदयपुर	56	325	4764	17214
32. करौली	(सवाईमाधोपुर में शामिल)	1	(स.मा.)	374
कुल	1022	5325	111693	259010

लगभग

स्रोत: ASI Reports for 1970 and 2000-01, Feb , 2003, pp 70-73, DES, Jaipur.

2000-01 में 200 से अधिक फैक्ट्रियों की संख्या निम्न 9 जिलों में पाई गयी थी । इसे क्रमवार निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

जिले का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1. जयपुर	1014	46289
2. जोधपुर	599	19879
3. पाली	351	10069
4. भीलवाड़ा	424	34010
5. अजमेर	446	11414
6. अलवर	552	36698
7. उदयपुर	325	17214
8. गंगानगर	309	11818
9. बीकानेर	240	4594
कुल	4260	191985
9 जिलों में कुल फैक्ट्रियों का अंश = लगभग 80%		
इनमें कुल रोजगार का अंश = 74%		

इस प्रकार राज्य के उपर्युक्त 9 जिलों में कुल फैक्ट्रियों का लगभग 80% अंश पाया गया तथा शेष 23 जिलो में 20% अंश ही पाया गया । इन्हीं नौ जिलो में कुल फैक्ट्री रोजगार का 74% अंश पाया गया । **इस प्रकार अधिकांश फैक्ट्रियाँ व फैक्ट्री-रोजगार इन नौ जिलों में पाया गया है ।** वैसे रोजगार की दृष्टि से नौ जिलों का क्रम भिन्न रहा है, जो इस प्रकार है । जैसे—जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, अजमेर, पाली, व बीकानेर ।

यह ध्यान देने की बात है कि 2000-01 में भी निम्न जिलों में फैक्ट्रियों की संख्या 10 से भी कम रही—

क्रं. स.	जिले	फैक्ट्रियों की संख्या
1.	करौली	1
2.	डूंगरपुर	6
3.	जैसलमेर	6
4.	जालौर	8
5.	बारां	5
	कुल	26

इस प्रकार ये पाँच जिले फैक्ट्री-विकास की दृष्टि से काफी पिछड़े माने जा सकते हैं। 2000-01 में धौलपुर व दौसा जिलों में प्रत्येक में फैक्ट्रियों की संख्या 10 थी। 1970 से 2000-01 के 30 वर्षों में नई फैक्ट्रियों की स्थापना में अग्र जिलों ने विशेष प्रगति दर्शाई है—

जयपुर, पाली, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा व अलवर । पाली जिले में फैक्ट्रियों की संख्या 1970 में 47 थी जो 2000-01 में बढ़कर 351 हो गई । यहाँ सूती वस्त्रों की छपाई, रंगाई व ब्लीचिंग का काम काफी बढ़ा है । इसी अवधि में उदयपुर जिले में इनकी संख्या 56 से बढ़कर 325 हो गई है । यहाँ अधात्विक खनिज पदार्थों का काम बढ़ा है।

2000-01 में राज्य के फैक्ट्री-क्षेत्र में जोड़े गए शुद्ध मूल्य (Net value added) की कुल राशि में सर्वाधिक राशि अलवर जिले की थी। दूसरा स्थान भीलवाड़ा जिले का रहा। इस प्रकार राजस्थान में फैक्ट्री-क्षेत्र की दृष्टि से विभिन्न जिलों का विकास काफी असंतुलित रहा है । भविष्य में पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास पर शेष ध्यान देन होगा ताकि विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके । **इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता आधारभूत-ढाँचे के विकास को देनी होगी ताकि राज्य में विद्युत, संचार, सड़क, जल, शिक्षा व स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएँ विकसित की जा सकें ।** साथ में साधन-आधारित उद्योगों का पिछड़े प्रदेशों में विकास करना होगा । रोजगार के अवसरों का विकास करने के लिए लघु उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों व दस्तकारियों के विकास पर अधिक ध्यान देना होगा ।

अब हम राज्य के प्रमुख ग्रामीण उद्योगों व दस्तकारियों, लघु उद्योगों व कुछ बड़े पैमाने के उद्योगों का विवेचन प्रस्तुत करेंगे ।

राजस्थान के कुटीर या ग्रामीण उद्योग व दस्तकारियाँ—कुटीर या पारिवारिक उद्योगों में प्राय: परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन का कार्य करते हैं । लेकिन कभी-कभी एक मालिक या कोई फर्म कुछ श्रमिकों से मजदूरी पर उत्पादन का काम करवा सकते हैं; जैसे सोने-चाँदी के जेवर बनवाना, कपड़े की रंगाई-छपाई का काम करवाना, गलीचे बनवाना, आदि । इनके द्वारा थोड़े समय के लिए रोजगार दिया जा सकता है, अथवा पूर्णकालिक रोजगार दिया जा सकता है । ये गाँव व शहर दोनों में चलाए जाते हैं । इनमें विद्युत का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हाथ का काम ही किया जाता है । भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इनका काफी महत्त्व है । 1997-98 के केन्द्रीय बजट में घोषित लघु उद्योगों की परिभाषा में वे उद्योग आते हैं, जिनमें संयंत्र व मशीनरी (Plant and Machinery) में पूँजी की सीमा 3 करोड़ रुपये* तथा टाइनी इकाइयों की 25 लाख रुपये होती है । इनके लिए श्रमिकों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, बल्कि इनके लिए केवल प्लांट व मशीनरी में विनियोग की सीमा ही निश्चित की जाती है । नीचे राजस्थान के खादी, ग्रामीण उद्योग तथा हस्तशिल्प-उद्योग का विवेचन किया जाता है ।

* दिसम्बर 1999 में इसे घटाकर 1 करोड़ रुपए किया गया है ।

(1) खादी उद्योग (Khadi Industries)—राजस्थान के कुटीर व ग्रामीण उद्योगों में खादी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह एक परम्परागत घरेलू उद्योग है, जिसमें लोग अंश-कालिक व पूर्णकालिक रोजगार पाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं । इसमें कुछ सीमा तक स्त्रियों को भी काम मिलता है । इसमें सूती व ऊनी खादी दोनों आती हैं । वर्तमान में इनमें 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को आंशिक व पूर्णकालिक काम मिला हुआ है । अत: रोजगार देने की दृष्टि से राज्य में इसका काफी ऊँचा स्थान माना गया है । ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के ऊनी कम्बल, चक की रेजी व चौमूँ के खेस एवं अन्य स्थानों की रेजी काफी मशहूर हैं । बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर की मैरीनो खादी की परस्पर होड़ लगी रहती है । सूती खादी की अपेक्षा ऊनी खादी पर अधिक मुनाफा होता है ।

खादी उद्योग में उत्पादन के मूल्य की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है ।[1]

सूती व ऊनी खादी के उत्पादन का मूल्य
(1977-78 से 2000-2001)

वर्ष	करोड़ रु.
1977-1978	4.1
1980-1981	10.8
1999-2000	34.6
2000-2001	27.1
2003-2004	23.5

इस प्रकार 1977-78 की तुलना में खादी के उत्पादन का मूल्य 2003-04 में लगभग 5.7 गुना हो गया है । 1997-98 में यह 43 करोड़ रु. का हुआ था । ऊनी खादी का मूल्य सूती खादी के मूल्य से अधिक होता है । सरकार प्रतिवर्ष ऊनी, सूती तथा रेशमी खादी पर बिक्री बढाने के लिए सब्सिडी देती है ताकि इनकी बिक्री अधिकाधिक की जा सके ।

राजस्थान में खादी उद्योग का अध्ययन करने वालों का कहना है कि राज्य में खादी संस्थान व्यापारिक लाभ कमा रहे हैं, जबकि ऊन के उत्पादकों व कातने एवं बुनने वालों को उनके कठिन श्रम का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता है । खादी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है । रंगों की खरीद में कई प्रकार की अनियमितताएँ पाई जाती हैं । अत: खादी से जुड़ी संस्थाओं के प्रबन्ध में सुधार किया जाना चाहिए तथा साधारण खादी के मजदूरों के हितों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

1. Ten Years of Industrial and Mineral Statistics, Rajasthan, From 1977-78 to 1986-87, (1988), (DES, Jaipur), p 17 and Economic Review 2003-04, p 35.

(2) ग्रामीण उद्योग (Village Industries)—राज्य में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड खादी के अलावा निम्न ग्रामीण उद्योगों का भी संचालन करता है, जैसे **घानी का तेल, गुड़, खण्डसारी, हाथ का बना कागज, गैर-खाद्य तेल का साबुन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाना (Pottery), मधुमक्खी-पालन (शहद) तथा चावल की हाथ से कुटाई।** इस प्रकार ग्रामीण उद्योगों में से आठ उद्योग प्रमुख रूप से शामिल होते हैं । इसमें उत्पादन व बिक्री-मूल्य की दृष्टि से चमड़े व घानी के तेल का स्थान काफी ऊँचा पाया जाता है ।

राज्य में ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन-मूल्य व रोजगार की प्रगति निम्न तालिका में दर्शाई गई है—

ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन का मूल्य
(1977-78 से 2003-04)

वर्ष	करोड़ रु.
1977-78	7.5
1980-81	21.6
1997-98	340.3
1998-99	408.0
1999-2000	450.0
2000-2001	463.5
2003-2004	97.3

तालिका से स्पष्ट होता है कि पिछले दशक में ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन-मूल्य में काफी वृद्धि हुई थी। लेकिन 2003-04 में ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन-मूल्य मात्र 97.3 करोड़ रु. आंका गया है जो काफी कम है ।

ग्रामीण उद्योगों को भी माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार ने इनकी बिक्री में सहायता पहुँचाने के लिए कई प्रतिष्ठान खोले हैं। इनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है तथा कारीगरों को हर प्रकार की मदद दी जाती है। भविष्य में सहकारिता के आधार पर ग्रामीण कारीगरों को अधिक मदद पहुँचाई जानी चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि 2000-2001 में राज्य में खादी व ग्रामोद्योग में उत्पादन का मूल्य लगभग 490 करोड़ रुपये था तथा इनमें रोजगार की मात्रा लगभग 5 लाख व्यक्ति थी, जो फैक्ट्री कर्मचारियों से काफी अधिक थी । लेकिन 2003-04 में उत्पादन का मूल्य काफी घट गया है ।

सरकार को इनके संगठन, वित्त-व्यवस्था, टेक्नोलोजी व उत्पादन-विधि, बिक्री की व्यवस्था व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था में सुधार करके इनके विकास पर समुचित ध्यान देना चाहिए । जयपुर में राष्ट्रीय खादी व ग्रामोद्योग नुमाइश 10 दिसम्बर, 2003 से 19 जनवरी 2004 तक दौसा समिति व खादी आयोग तथा राजस्थान खादी बोर्ड की तरफ से संचालित की गयी थी ।

(3) हस्तशिल्प उद्योग (Handicrafts)—राजस्थान की दस्तकारी में यहाँ की कला व संस्कृति की छाप पाई जाती है । यहाँ के कारीगरों ने पीतल, पत्थर, मिट्टी, चमड़े, कपड़े, लकड़ी व अन्य पदार्थों पर काम करके अपनी कारीगरी व प्रतिभा का उच्च कोटि का

परिचय दिया है । सांगानेर, पाली, बगरू आदि स्थानों के वस्त्र पर हाथ की रंगाई व छपाई का काम काफी प्रसिद्ध माना गया है । बाड़मेर की 'अजरक प्रिंट', उदयपुर के समीप नाथद्वारा की 'पिछवाइयाँ' (मूर्तियों के पृष्ठ भाग में) जिनमें पहले कपड़ों को काला रंगते हैं तथा उस पर भगवान कृष्ण की बाल-लीलाएँ आदि अंकित करते हैं तथा फड़ कपड़े पर भी किसी महापुरुष की जीवनी का चित्रांकन करते हैं । जोधपुर के मशहूर बादले व बँधेज के काम की ओढ़नियाँ व जयपुर की बँधेज की चुनरिया, औढ़नियाँ, लहरिया आदि प्रसिद्ध माने गए हैं । जयपुर की पाव रजाई (250 ग्राम रुई से बनी) काफी मशहूर मानी गई है, जिसे विदेशी भी बहुत चाव से खरीदते हैं । इनके अलावा जयपुर के मूल्यवान व अर्द्ध-मूल्यवान रत्नों तथा सोने चाँदी के कलात्मक आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ व अन्य सजावटी वस्तुएँ, संगमरमर की मूर्तियाँ, हल्की सलमा-सितारों की कारीगरी से युक्त जूतियाँ (मौजड़िया व नागरे), ब्ल्यू पॉटरी की अनेक वस्तुएँ, मिट्टी व लकड़ी के खिलौने, चंदन व हाथीदाँत की बनी वस्तुएँ, जयपुर व बीकानेर के ऊनी गलीचे, ऊँट की खाल से बनी वस्तुएँ, खस के पानदान आदि राजस्थान की हस्तकला के एक से एक अद्भुत नमूने हैं । राजस्थान की हस्तकला की वस्तुएँ निर्यात भी होती हैं, जैसे गलीचे, आभूषण आदि ।

राज्य के कुछ जिलों में रेशम उद्योग विकसित किया गया है । कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बूँदी, चित्तौड़गढ़ जिलों में इसके लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं व मलबरी की खेती की जाती है ।

टसर (कृत्रिम रेशम) का विकास भी कोटा, उदयपुर व बाँसवाड़ा जिलों में किया जा रहा है । इसके लिए "अर्जुन" पेड़ लगाए जाते हैं जिनसे परिवेश-संतुलन भी होता है और रासायनिक विधि से कृत्रिम रेशम भी बनाया जाता है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि **राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, विशेषतया ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, कुटीर व ग्रामीण उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है** । राज्य में विभिन्न प्रकार की दस्तकारियाँ भी प्राचीनकाल से चली आ रही हैं, जिनकी छाप आज भी कायम है तथा जिनकी कलात्मक कृतियाँ देश-विदेश में काफी समय से विख्यात हैं ।

राजस्थान के लघु उद्योग—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लघु उद्योग की चालू परिभाषा के अनुसार संयंत्र व मशीनरी में पूँजी की सीमा 60 लाख रुपए (जो बाद में 3 करोड़ रुपए तथा दिसम्बर 1999 में घटाकर 1 करोड़ रुपए) रखी गई है, जबकि पहले यह 35 लाख रुपये हुआ करती थी । 2002-2003 में राजस्थान में पंजीकृत लघु पैमाने की इकाइयाँ तथा कारीगरों की इकाइयाँ 2.41 लाख हैं जिनमें 9.27 लाख व्यक्ति काम पाए हुए हैं । इनमें पूँजी का विनियोजन 3571 करोड़ रु. का हुआ है ।[1] इनके सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ लघु इकाइयाँ तो फैक्ट्री-क्षेत्र में आती हैं और कुछ नहीं आतीं । फैक्ट्री-क्षेत्र की लघु इकाइयों के आँकड़े तो नियमित रूप से एकत्र किए जाते हैं, लेकिन गैर-फैक्ट्री-क्षेत्र की लघु इकाइयों का ज्ञान ठीक से नहीं हो पाता है ।

1. Some Facts About Rajasthan, 2003, p 28.

फिर भी राजस्थान के फैक्ट्री व गैर-फैक्ट्री-क्षेत्र में लघु इकाइयों की संख्या काफी है। यहाँ पर मध्यम पैमाने के उद्योगों का अभाव है। लघु उद्योग विभिन्न प्रकार के होते हैं—

(1) कृषि-पदार्थों पर आधारित लघु उद्योग—जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, इसके अन्तर्गत वनस्पति तेल व घी उद्योग, गुड़ व खण्डसारी की इकाइयाँ, छोटी दाल फैक्ट्रियाँ व अन्य इकाइयाँ, हथकरघा उद्योग, बेकरी व कन्फेक्शनरी की इकाइयाँ, दरी व निवार बनाने वाली इकाइयाँ, कपास की जिनिंग व प्रेसिंग इकाइयाँ आदि आती हैं, जिनमें संयंत्र व मशीनरी में पूँजी की राशि अब 3 करोड़ रु. कर दी गई है।

राज्य में जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूँदी, अजमेर और पाली जिलों में तिलहन का उत्पादन होने से वहाँ वनस्पति तेल की कई इकाइयाँ पाई जाती हैं। राज्य में वनस्पति तेल की फैक्ट्रियाँ जयपुर (विश्वकर्मा में 'वीर बालक'), अलवर (खैरथल में), दौसा, निवाई, भरतपुर (सरसों इंजन छाप), गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, जालौर आदि स्थानों में पाई जाती हैं। वनस्पति घी के कारखाने जयपुर (विश्वकर्मा में) **'महाराजा वनस्पति'**–प्रीमियर वेजीटेबल प्रोडक्ट्स; **'आमेर वनस्पति'**–पी.वी.पी. लिमिटेड, झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, **'केसरी वनस्पति'** (निवाई में), दुर्गापुरा में रोहिताश तथा चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। राज्य में अरहर, मूँग, उड़द व मोठ आदि की दालें बनाने की इकाइयाँ पाई जाती हैं। हाथकरघा उद्योग में कोटा डोरिए की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अन्य स्थानों पर कई प्रकार का कपड़ा बुना जाता है। गन्ने का उपयोग गुड़ व खण्डसारी की इकाइयों में किया जाता है।

(2) पशु-आधारित लघु उद्योग—इनमें ऊनी वस्त्र, चमड़े, खाल, हड्डियाँ, दुग्ध पदार्थ आदि के उद्योग आते हैं। राज्य में भेड़ों की संख्या बहुत अधिक है। बीकानेर, चूरू और लाडनूँ की ऊनी मिलें लघु उद्योगों के अन्तर्गत कार्यरत हैं। इनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। इनको बंद करने का कार्य चल रहा है।

(3) खनिज पदार्थ-आधारित उद्योग—राज्य में मकराना (नागौर), बाँसवाड़ा व अन्य स्थानों में संगमरमर का पत्थर निकलता है, जिससे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ व अन्य वस्तुएँ बनाई जाती हैं। जयपुर, पाली, जोधपुर, भरतपुर तथा किशनगढ़ में पीतल व ताँबे के बर्तन बनाने के कारखाने हैं। जयपुर में सोने-चाँदी के बर्तन बनाए जाते हैं। राज्य के कई भागों में लोहे के कृषिगत औजार बनाए जाते हैं। इस सम्बन्ध में गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर) तथा जयपुर में झोटवाड़ा के कारखाने विशेष रूप से मशहूर हैं।

(4) वन-आधारित उद्योग—राज्य में उदयपुर, सवाई माधोपुर व जोधपुर में लकड़ी के खिलौने बनाने के कारखाने हैं। यहाँ बांस का सामान भी बनाया जाता है। कोटा में स्ट्रा बोर्ड का कारखाना है। राज्य में तेंदू पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। कत्था, गोंद व लाख का उपयोग किया जाता है। फर्नीचर बनाने की इकाइयाँ पाई जाती हैं। अजमेर तथा अलवर में माचिस बनाने के कारखाने हैं।

इस प्रकार राज्य में यहाँ के साधनों पर आधारित कई प्रकार के कारखाने व अन्य औद्योगिक इकाइयाँ चल रही हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है 1997-98 में लघु पैमाने

की कुल पंजीकृत इकाइयों की संख्या 1.94 लाख थी, जिनमें कुल विनियोग 2333 करोड़ रुपयों का था तथा रोजगार प्राप्त व्यक्ति लगभग 7.53 लाख थे।

कुटीर व लघु उद्योगों की समस्याएँ व समाधान—सम्पूर्ण देश की भाँति राजस्थान में भी कुटीर व लघु उद्योगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका हल निकालने का सरकार प्रयत्न कर रही है। ये समस्याएँ इस प्रकार हैं—

(1) कच्चे माल की समस्या—इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उचित कीमत पर नहीं मिलता, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

(2) उत्पादन की पुरानी तकनीक—उत्पादन की पुरानी तकनीक व पुरानी मशीनें होने से माल की किस्म घटिया होती है और कीमत भी ऊँची होती है, क्योंकि उत्पादन-लागत अधिक आती है। उत्पादन की पद्धति में सुधार किया जाना आवश्यक है।

(3) बिक्री की समस्या—कुटीर व लघु उद्योगों को तैयार माल की बिक्री की समस्या का सामना करना पड़ता है। बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से इनके माल की माँग कम हुई है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

(4) पूँजी का अभाव—इनके लिए कार्यशील पूँजी का अभाव पाया जाता है। बैंकों से कर्ज की व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।

(5) दक्ष श्रमिकों का अभाव—आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ाकर इस कमी को दूर किया जा सकता है।

(6) पावर की कमी—प्राय: कारखानों को उनकी आवश्यकतानुसार पावर नहीं मिल पाती है। पावर कटौतियाँ, पावर के उतार-चढ़ाव आदि उत्पादन को निरन्तर जारी नहीं रहने देते जिससे इसको क्षति पहुँचती है। अत: पावर सप्लाई की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कारखानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

कुटीर व लघु उद्योगों की विभिन्न समस्याओं को हल करके इनके माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खनिज-पदार्थ आधारित लघु इकाइयों का विकास करके राज्य में औद्योगिक रोजगार व आमदनी बढ़ाने के अवसर हैं, जिनका उपयोग करने की आवश्यकता है। राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ने से वनस्पति तेल की अधिक इकाइयाँ लगाई जा सकती हैं। सोने-चाँदी के आभूषणों का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। रत्न व जवाहरात का उद्योग विकसित किया जाना चाहिए। गलीचों का उत्पादन बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि इनका निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जा सके।

राजस्थान में प्रमुख वृहद् उद्योग-सूती वस्त्र उद्योग—सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के बड़े पैमाने के उद्योगों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 1949 में वृहद् राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में 7 सूती वस्त्र की मिलें थीं। वर्तमान में इनकी संख्या 23 हो गई है। इनमें से 17 मिलें निजी क्षेत्र में हैं, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं (दो ब्यावर में तथा एक विजयनगर में) तथा 3 सहकारी क्षेत्र में कताई मिलें (गुलाबपुरा, गंगापुर तथा हनुमानगढ़ में) हैं। सूती वस्त्र की मिलें ब्यावर (3), भीलवाड़ा (3), जयपुर (2), किशनगढ़ (2), उदयपुर, पाली, गंगापुर

(भीलवाड़ा), हनुमानगढ़, कोटा, भवानीमंडी, विजयनगर, गंगानगर, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) आदि केन्द्रों में स्थित हैं । भविष्य में राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के बढ़ने की सम्भावना है ।

राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल "दी कृष्णा मिल्स लि." 1889 में निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी । यहाँ पर दूसरी मिल "एडवर्ड मिल्स लि." 1906 में स्थापित की गई । तीसरी मिल "महालक्ष्मी मिल्स लि." भी यहीं पर 1925 में स्थापित हुई । इसके बाद 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स तथा 1942 में पाली में महाराजा उम्मेद मिल्स लि. की स्थापना की गई । 1946 में श्रीगंगानगर में सार्दुल टेक्सटाइल लि. की स्थापना की गई । आगे चल कर कृष्णा मिल्स व एडवर्ड मिल्स के रुग्ण हो जाने के कारण इनको राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपने हाथ में ले लिया था, जिससे ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थीं ।

राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले तत्त्व—इस उद्योग की स्थापना पर कच्चे माल अर्थात् कपास की समीपता का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना बाजार की समीपता का पड़ता है । यह आवश्यक नहीं कि सूती कपड़े की मिलें उन्हीं स्थानों के आस-पास स्थापित हों, जहाँ कपास का उत्पादन किया जाता है । यह दूसरे ऐसे स्थानों पर भी भेजी जा सकती है, जहाँ उद्योग की स्थापना के लिए अनुकूल तत्त्व पाए जाते हैं ।

(1) कच्चे माल की उपलब्धि—फिर भी राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना पर कच्चे माल की उपलब्धि का प्रभाव पड़ा है । उदाहरण के लिए, श्रीगंगानगर की सूती वस्त्र मिल को कपास वहाँ की सिंचित भूमि से मिल जाती है । अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ तथा जयपुर जिलों में भी कपास की खेती होती है । बाँसवाड़ा में भी माही सिंचाई परियोजना से कपास की खेती को काफी प्रोत्साहन मिला है । ब्यावर की मिलों को भी कपास राज्य के अन्दर व बाहर दोनों से उपलब्ध होती रही है ।

(2) उस उद्योग की स्थापना पर बाजार की समीपता व श्रम की उपलब्धि का प्रभाव पड़ा है । श्रमिक पास के गाँवों से आ जाते हैं और उत्पादन केन्द्रों के पास ही माल के उपभोक्ता केन्द्र व बाजार भी पाए जाते हैं । श्रम-शक्ति में पुरुष, स्त्रियाँ, युवक आदि आस-पास के स्थानों से उपलब्ध हो जाते हैं ।

(3) उद्योग की स्थापना **जलवायु, पानी की सप्लाई, भूमि की उपलब्धि** आदि से भी प्रभावित हुई है ।

(4) कोयला राज्य के बाहर से मँगाना पड़ता है । इसके अलावा विभिन्न केन्द्रों में विद्युत की भी व्यवस्था है तथा डीजल जेनरेटिंग सेट्स की स्थापना की भी इजाजत दी गई है ।

इस प्रकार राज्य में सूती कपड़े की मिलों की स्थापना पर कई तत्त्वों का प्रभाव पड़ा है । भविष्य में राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के नये कार्यक्रम हैं ताकि श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जा सकें ।

कपास के उत्पादन की प्रवृत्ति—राज्य में कपास का वार्षिक उत्पादन काफी घटता-बढ़ता रहता है। 1998-99 में कपास का उत्पादन 8.8 लाख गाँठें, 2001-02 में 2.8 लाख गाँठें, 2002-03 में 2.5 लाख गाँठें *तथा 2003-04 में 5.3 लाख गाँठें अनुमानित हैं ।*

राज्य में सूती वस्त्र व सूत के उत्पादन की स्थिति अग्र तालिका में दी गई हैं ।[1]

मद	1978	1983	2000	2001
1 सूती वस्त्र (करोड़ मीटर)	3 32	5 58	4 10	2 91
2 सूत (Yarn) (हजार टन)	33 6	42 7	83	70

इस प्रकार राज्य में सूती वस्त्र का उत्पादन 2001 में लगभग 2.91 करोड़ वर्ग मीटर हुआ तथा सूत (यार्न) का उत्पादन 70 हजार टन रहा । तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2001 में सूती वस्त्र का उत्पादन 2 91 करोड़ वर्ग मीटर हुआ जो 1983 की तुलना में कम था । राजस्थान में सूती वस्त्र का उत्पादन काफी घटता-बढ़ता रहता है । 2001 में कॉटन यार्न का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है । **1983 में राज्य में सूती वस्त्र का उत्पादन 5.6 करोड़ मीटर हुआ, जो** अपने आप में एक रिकार्ड था । बाद में इसके **उत्पादन में लगातार कमी हुई है ।**

सहकारी क्षेत्र में कताई-मिलें
(Spinning Mills in the Cooperative Sector)

(1) राजस्थान सहकारी कताई मिल लि., गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)—यह 1965 में स्थापित हुई थी । यह कपास का उत्पादन करने वाले सदस्य कृषकों व अन्य से कपास खरीदती है और जिनिंग, कताई, बुनाई, रंगाई व अन्य सम्बद्ध क्रियाओं में भाग ले सकती है । इसका मुख्य उद्देश्य यार्न बेचकर कपास के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाना होता है । 1991-92 में इसे 96 लाख रुपयों का घाटा हुआ था । **1 अप्रैल, 1993 से गुलाबपुरा, गंगापुर व हनुमानगढ़ की तीन सहकारी कताई मिलों एवं गुलाबपुरा की जिनिंग मिल्स को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी व जिनिंग मिल्स संघ लि. स्थापित किया गया है । इसका नाम "स्पिनफेड" (SPINFED) रखा गया है ।**

(2) गंगापुर सहकारी कताई मिल लि.—यह 1981 में स्थापित की गई थी । यह भी भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में स्थित है । यह समिति के सदस्यों के लाभ के लिए सहायक उद्योगों का संचालन करती है । इसे 1991-92 में 1 23 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ जो पिछले साल से कम था । 1 अप्रैल, 1993 से इसे "स्पिनफेड" में मिला दिया गया है ।

(3) श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल लि.—इसकी स्थापना 1978 में हुई थी । इसका कार्यालय **हनुमानगढ़ जंक्शन** (जिला श्रीगंगानगर) में है । इसका उद्देश्य भी जिले में

उत्पन्न कपास का उपयोग करना तथा पावरलूम व हाथकरघों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है। यह पिछले वर्षों से घाटे में चल रही थी, लेकिन इसे 1990-91 में 2.28 करोड़ तथा 1991-92 में 1.17 करोड़ रु का शुद्ध मुनाफा हुआ था। 1 अप्रैल, 1993 से इसे ''स्पिनफेड'' में मिला दिया गया है।

सूती वस्त्र मिलों की समस्याएँ व उनका हल

(1) कच्चे माल की कमी—राज्य में जिस वर्ष कपास का उत्पादन घट जाता है, उस वर्ष सूती वस्त्र मिलों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ता है। यहाँ लम्बे रेशे की कपास का अभाव पाया जाता है।

(2) पुरानी मशीनरी—राज्य में सूती वस्त्र की मिलों में काफी मशीनें बहुत पुरानी हैं। ब्यावर में कृष्णा मिल व एडवर्ड मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने रुग्ण होने के कारण अपने अधिकार में ले ली थी। इनमें आधुनिकीकरण का अभाव रहा है।

(3) शक्ति के साधनों की कमी—राज्य में पुराने स्टीम संयंत्रों के लिए कोयला बिहार से मँगाया जाता है। प्राय: मिलों को पावर की समस्या का सामना करना पड़ता है जिसे हल किया जाना आवश्यक है।

(4) सामान्य कठिनाइयाँ—पूँजी की कमी, कुप्रबन्ध व मिलों के आकार के छोटे होने से उत्पादन लागत अधिक आती है। अत: इस उद्योग के प्रबन्ध में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।

चीनी उद्योग—राज्य में कई वर्षों से चीनी के तीन बड़े कारखाने चल रहे हैं जो इस प्रकार हैं—(1) **दी मेवाड़ शूगर मिल्स, भोपाल सागर (चित्तौड़गढ़ जिला)** जो 1932 में स्थापित हुई थी, (2) **दी गंगानगर शूगर मिल्स लि.** जो 1945 में बीकानेर औद्योगिक निगम लि. के अधिकार में थी तथा 1 जुलाई, 1956 को इसे श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लि. के नाम से राजकीय उपक्रम में बदल दिया गया था। अत: अब यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। (3) **श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि.** 1965 में सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। यह **बूँदी जिले** में स्थित है।

इस प्रकार चीनी की तीन मिलें क्रमश: निजी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने के कारण तीन प्रकार के औद्योगिक संगठनों के उत्पादन की तुलना करने का अवसर देती हैं। चीनी की मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप होती है ताकि गन्ने को दूर तक ले जाने की असुविधा का सामना न करना पड़े तथा उसके अधिकाधिक रस का प्रयोग किया जा सके। गन्ने का उपयोग गुड़ व खण्डसारी बनाने में भी किया जाता है।

राज्य में बूँदी, चित्तौड़गढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में काफी गन्ना उत्पन्न किया जाता है, इसलिए चीनी की मिलें भी इन्हीं जिलों में स्थापित की गई हैं।

गन्ने का उत्पादन—राज्य में गन्ने का उत्पादन काफी घटता-बढ़ता रहता है जिससे चीनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 1977-78 में गन्ने का उत्पादन 28.3 लाख टन हुआ था जो बाद में कम हुआ है।

2001-02 में गन्ने का उत्पादन 4.3 लाख टन हुआ । 2002-03 में 4.2 लाख टन हुआ तथा 2003-04 में 3.3 लाख टन रहने का अनुमान है ।

अत: पिछले वर्षों में राज्य में गन्ने की पैदावार में घटने की प्रवृत्ति पाई गई है, जो एक चिन्ता का विषय है ।

चीनी के उत्पादन की प्रवृत्ति—राजस्थान में चीनी के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । 1978 में चीनी का उत्पादन लगभग 41 हजार टन हुआ था । 1993 में इसका उत्पादन 26 हजार टन हुआ जो घटकर 1994 में 12 हजार टन के स्तर पर आ गया था । 1999 में यह बढ़कर 23.4 हजार टन, 2000 में 12.0 हजार टन तथा 2001 में मात्र 4733 टन रह गया है ।

हम नीचे उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गंगानगर शूगर मिल्स लि. (सार्वजनिक उपक्रम) व सहकारी क्षेत्र की श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि. की प्रगति का संक्षिप्त विवरण देते हैं ।

(1) दी गंगानगर शूगर मिल्स लि.—यह जुलाई 1956 से राजकीय उपक्रम के रूप में कार्य कर रही है । इसमें 97% अंश राज्य के हैं तथा शेष निजी शेयरहोल्डरों के हैं । इसके अन्तर्गत निम्न इकाइयों का कार्य चल रहा है—

(i) शूगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर, जहाँ गन्ने व चुकन्दर से चीनी बनाई जाती है ।

(ii) श्रीगंगानगर व अटरू में स्थित डिस्टलरी में तथा राज्य के अन्य भागों में मदिरा-घरों में परिशोधित स्प्रिट (Rectified spirit) तैयार की जाती है ।

(iii) लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को देशी मदिरा बेचने के लिए दी जाती है (कोटा व उदयपुर डिवीजन में जनजाति क्षेत्रों में), तथा

(iv) धौलपुर में हाइटेक ग्लास फैक्ट्री में काँच के सामान, बोतलों व रेलवे जार्स का उत्पादन किया जाता है ।

गंगानगर शूगर मिल्स लि को 1991-92 में 69 9 लाख रुपयों का घाटा हुआ था । बाद के वर्षों में यह लाभ की स्थिति में आयी और 1994 95 में इसे 27 3 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ । 1987-88 में भीषण अकाल के कारण काफी गन्ना पशुओं के चारे के लिए बेचना पड़ा था, जिससे चीनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा था । इसी वर्ष पानी व सिंचाई के अभाव में गन्ने की पैदावार कम हुई, गन्ने में रस की मात्रा कम हुई एवं गन्ने पर पायरीला नामक कीड़े का भारी प्रकोप रहा । कम्पनी द्वारा श्रीगंगानगर व अटरू में मोलासेस या सीरे (Molass ,) से परिशोधित स्प्रिट अजमेर व मण्डोर की डिस्टीलरियों में केसर-कस्तूरी व 14 बॉटलिंग केन्द्रों पर देशी मदिरा का उत्पादन किया जाता है ।

1991-92 में हाइटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर में लगभग 62 लाख बोतलों का उत्पादन हुआ था । कोयले की कमी से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । इसे बन्द करने की कार्रवाई की जा रही है ।

(2) श्री केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि. (बूँदी जिला)—इसकी स्थापना सहकारी क्षेत्र में 1965 में हुई थी । गन्ने के कृषक इसके सदस्य हैं । इसका एक उद्देश्य

पास-पड़ौस के क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाना भी है । इसकी प्रतिदिन गन्ना पिराई की क्षमता 1250 टन है, जिसका 1991-92 में पिराई के मौसम में 70% उपयोग हो पाया था । 1991-92 में यहाँ चीनी का उत्पादन 9555 टन हुआ था, जो पहले से अधिक था । इसे 1991-92 में 2 9 लाख रुपये का मामूली मुनाफा हुआ जबकि 1990-91 में 73.3 लाख रुपये का घाटा हुआ था । बाद के वर्षों में इसके मुनाफों में काफी उतार-चढ़ाव आता रहा है, जैसे 1992-93 में इसे 35 2 लाख रु. का मुनाफा हुआ जो 1993-94 में केवल 81 हजार रु. रह गया और 1994-95 में यह पुनः बढ़कर 44.5 लाख रु के स्तर पर पहुँच गया ।

निष्कर्ष—राजस्थान में चीनी, गुड़ तथा खण्डसारी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए । साथ में चुकन्दर का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है । प्रचलित मिलों की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए । उनके लिए वित्त, नई मशीनें, पावर आदि की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए ।

सीमेंट उद्योग—राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत में एक अगुआ राज्य माना जाता है । यहाँ सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन काफी मात्रा में पाया जाता है । इस उद्योग के लिए जिप्सम भी राजस्थान में मिलता है तथा कोयला राज्य के बाहर से मँगाना पड़ता है । राज्य में सीमेंट के कारखाने लाइमस्टोन की खानों के आस-पास स्थापित किए गए हैं । इस प्रकार कच्चे माल की उपलब्धि ने इस उद्योग की स्थापना को प्रभावित किया है । 1988 में सीमेंट की 9 बड़ी इकाइयाँ इस प्रकार थीं । इनके अलावा बहुत-सी मिनी सीमेंट की इकाइयाँ भी स्थापित हुई हैं । सीमेंट की बडी इकाइयाँ इस प्रकार हैं—

(1) ए सी सी लि , लाखेरी, (2) जयपुर उद्योग, सवाई माधोपुर, (3) बिड़ला जूट, चित्तौड़गढ़, (4) हिन्दुस्तान शुगर, उदयपुर, (5) जे के. सीमेंट, निम्बाहेड़ा, (6) मंगलम् सीमेंट, मोडक, (7) स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स, बनास, सिरोही जिला, (8) श्री सीमेंट, ब्यावर, तथा (9) श्रीराम सीमेंट, श्रीरामनगर, कोटा ।

इनमें सर्वाधिक उत्पादन-क्षमता जे के. सीमेंट, निम्बाहेड़ा की है । इसकी क्षमता 1 अप्रैल, 1988 को 11 4 लाख टन वार्षिक थी । सबसे कम श्रीराम सीमेंट, कोटा की थी जो केवल 2 लाख टन वार्षिक ही थी ।

सीमेंट का उत्पादन—राज्य में सीमेंट का उत्पादन योजनाकाल में काफी बढ़ाया गया है । यह निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

सीमेंट का उत्पादन (लाख टन में)	
1978	20 6
1989	41.8
1993	48 1
2000	86 0
2001	63 8
2002	81.4
2003	84.5

राज्य में पिछले वर्षों में सीमेंट का उत्पादन काफी बढ़ा है । **2003 में सीमेंट का उत्पादन 84.5 लाख टन आंका गया है जो 1978 की तुलना में लगभग 4 गुना है । यह** 2000 की तुलना में कुछ कम है । राजस्थान में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भण्डार होने के कारण भविष्य में सीमेंट का उत्पादन और भी बढ़ाया जा सकता है । राज्य में कई स्थानों पर मिनी सीमेंट की इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं । । अप्रैल, 1989 से सीमेंट के वितरण व मूल्य पर से नियंत्रण हटा लिया गया था ।

अब राज्य में सीमेंट के उत्पादन की क्षमता लगभग 110 लाख टन प्रतिवर्ष हो गई है । पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट की कुछ नई बड़े आकार की इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं । पिछले वर्षों में रीको व राजस्थान वित्त निगम ने कई मिनी सीमेंट के संयंत्र भी स्वीकृत किए हैं, जिससे सीमेंट उद्योग में एक *अभूतपूर्व प्रगति की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।*

वर्ष 1992-93 में रीको से दो सीमेंट की बड़ी कम्पनियों का 'टाइ-अप' हुआ था । एक तो डी.एल.एफ. सीमेंट लिमिटेड का तथा दूसरी इन्डो निपोन स्पेशल सीमेंट्स लि. का । इनमें से प्रत्येक में 400 करोड़ रुपये की पूँजी का विनियोजन होने का अनुमान लगाया गया है । इस प्रकार राजस्थान का सीमेंट उद्योग भारत के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है । राज्य में निकट भविष्य में सीमेंट की कई बड़ी इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं ।

भारत में सीमेंट की माँग बढ़ रही है, इसलिए इस उद्योग का विकास देश के हित में रहेगा । **मिनी सीमेंट के कारखाने—आबूरोड, नीम का थाना, बाँसवाड़ा, हिण्डौन सिटी व कोटपूतली आदि स्थानों में स्थापित किए गए हैं ।** इनमें लागत कम व रोजगार अधिक मिलता है । सीमेंट उद्योग के विकास पर कच्चे माल की उपलब्धि व बाजार की माँग का भी काफी प्रभाव पड़ता है ।

राज्य में सीमेंट उद्योग की समस्याएँ व उनका समाधान

(1) यहाँ सीमेंट के कारखानों में उत्पादन लागत अधिक आने से उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके लागत घटाई जा सकती है ।

(2) ***मिनी सीमेंट की इकाइयाँ बड़ी इकाइयों की प्रतियोगिता का पर्याप्त मात्रा में* सामना नहीं कर पातीं** । इसलिए सीमेंट की माँग के बढ़ने पर ही उनका विकास सम्भव हो पाता है ।

(3) बिजली की सप्लाई के बढ़ने व उसके अनियमित से नियमित होने पर उद्योग का भविष्य निर्भर करता है ।

(4) सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री कई कारणों से बन्द रही है, जिसके लिए श्रमिकों की तरफ से काफी आन्दोलन भी हुए हैं । इसे पुनः चालू किया जाना चाहिए ।

राजस्थान को आधुनिक उत्पादन-विधि को अपनाकर सीमेंट का उत्पादन बढ़ाना चाहिए । राज्य में इस उद्योग का भविष्य काफी उज्ज्वल है, क्योंकि यहाँ इसके विकास की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है । आशा है कि भविष्य में भी सीमेंट उद्योग का

राज्य में काफी विकास होगा। 1990-91 के राज्य सरकार के बजट में सीमेंट पर केन्द्रीय बिक्री-कर 16% से घटाकर 7% कर दिया गया था ताकि सीमेंट की बिक्री को प्रोत्साहन मिले और उद्यमकर्त्ता अन्य राज्यों में सीमेंट बेचने के लिए अपनी 'ब्रांच-ट्रांसफर' न करें।

नमक उद्योग—राजस्थान में नमक उद्योग का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जिससे नमक के उत्पादन के लिए प्राकृतिक दशाएँ काफी अनुकूल हैं। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने सांभर, डीडवाना, पचपदरा में हैं तथा निजी क्षेत्र में छोटे आकार के नमक के कारखाने फलौदी, कुचामन सिटी, पोकरन व जाब्दीनगर (नावां तहसील, नागौर-जिला) आदि स्थानों में पाए जाते हैं।

हम नीचे लवण-स्रोतों का परिचय देंगे। उसके बाद इन पर आधारित कारखानों का वर्णन किया जाएगा।

(1) राजकीय लवण-स्रोत, डीडवाना—यह स्रोत 1910 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में 400 नमक के क्यारे पुश्तैनी देश वालों के द्वारा तथा 800 क्यारे विभाग द्वारा दिए गए 10 वर्ष के लीज के अन्तर्गत कार्यरत हैं। स्रोत के दोनों तरफ बने बाँधों में वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। यही पानी रिसकर नमक उत्पादन क्षेत्र में आता है। इस पानी को 'ब्राइन' कहते हैं। ब्राइन में नमक के अलावा सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में होने से यह नमक खाने के काम में नहीं आ सकता। इसलिए इस स्रोत से 80-85% अखाद्य नमक (non-edible salt) बनता है। इसको बेचने में बड़ी कठिनाई होने लगी है। 1990-91 में इसे शुद्ध लाभ 125 लाख रुपयों का हुआ था, जो पिछले वर्ष से अधिक था।

(2) राजकीय लवण-स्रोत, पचपदरा—पचपदरा लवण स्रोत 32 वर्ग मील में फैला है। यहाँ नमक की उत्पादन क्षमता 6 लाख क्विंटल वार्षिक है। पचपदरा जोधपुर से 128 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। यह स्रोत भी 1964 से कार्यरत है। इस स्रोत से 1989-90 में 115 लाख रुपयों का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ, जबकि 1990-91 में एक लाख रुपये का घाटा हुआ था।

ये दोनों नमक-स्रोत राजस्थान सरकार संचालित करती है जबकि साँभर में नमक का उत्पादन भारत सरकार की देखरेख में होता है—जिसका संचालन साँभर साल्ट्स लि. (हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लि की सहायक कम्पनी) कर रही है। साँभर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ का नमक अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध रहा है।

विभाग द्वारा साँभर के निकट जाब्दीनगर में नया नमक स्रोत विकसित किया जा रहा है।

राज्य में नमक पर आधारित राजकीय उपक्रमों का विवरण आगे दिया जा रहा है।

(1) राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री)[1]—यह 1966 में स्थापित की गई थी। इसमें सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है। यह चमड़े तथा रंगाई उद्योग में काम आता है। इसे डीडवाना केमिकल्स लि. को लीज पर

1 Public Enterprises Profile of Rajasthan for 1991-92 to 1994-95, GOR, Annexure, 'J', 1997

दिया गया था, लेकिन लीज का भुगतान समय पर न करने से लीज को फरवरी, 1987 में समाप्त कर दिया गया । उत्पादन कार्य सितम्बर 1988 से बन्द कर दिया गया । इसे पुनः संयुक्त क्षेत्र में चलाने का विचार किया गया है । इसे 1991-92 में 5 5 लाख रुपयों, 1992-93 में 4.1 लाख रु. व 1993-94 में 7 7 लाख रु. का घाटा हुआ था । 1994-95 में 'न लाभ न *हानि' की स्थिति रही थी । वर्तमान में यह बन्द पड़ी है ।*

(2) राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स)[1]— यह 1964 में स्थापित *किया गया था* । यह क्रूड सोडियम सल्फेट का उत्पादन करता है । नमक की क्यारी में सर्दी में सल्फेट अलग होकर जम जाता है । 10-12 वर्ष में **यह परत मोटी हो जाती है जिसे क्रूड सल्फेट कहते हैं । यह सल्फेट सल्फाइड उत्पादन के काम में आता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है** । इस इकाई से पिछले वर्षों में लाभ हुआ है लेकिन लाभ की मात्रा उत्तरोत्तर घटती गई है । यह 1991-92 में 42 8 लाख रु. से घटकर *1994-95 में 4.7 लाख रु. पर आ गई थी । 1995-96* में इसे पुनः 16 लाख रु का मुनाफा हुआ । बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(3) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, डीडवाना–*इसकी स्थापना 1960 में विभागीय* उपक्रम के रूप में हुई थी । यहाँ खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाया जाता है । यहाँ ब्राइन से सोडियम सल्फेट निकाल कर शुद्ध नमक बनाया जाता है । इसे भी सितम्बर, 1981 में मैसर्स डीडवाना केमिकल प्राइवेट लि को लीज पर दे दिया गया था, लेकिन विवाद होने पर मामला कोर्ट में चला । पिछले वर्षों में इसका मुनाफा घटता-बढ़ता *रहा है । 1994-95 में इसे 50 3 लाख रु. का मुनाफा हुआ जो घटकर 1995-96 में 42 8* लाख रु. के स्तर पर आ गया । बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(4) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, पचपदरा—यह 1960 में स्थापित हुआ था । यह भी खाद्य, अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाता व बेचता है ।

पचपदरा व डीडवाना दोनों में आयोडीनीकरण के संयंत्र लगाए गए हैं ताकि नमक का आयोडीनीकरण किया जा सके । पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी से घेंघे (Goitre) की बीमारी हो जाती है जिसको दूर करने के लिए नमक के माध्यम से आयोडीन मनुष्य के शरीर में पहुँचाया जाता है । *इसे 1991-92 में 13.3 लाख रु. तथा 1992-93 में 15.3 लाख रु.* का घाटा हुआ । बाद के दो वर्षों में 'न लाभ न हानि' की स्थिति रही है ।

राज्य में नमक के उत्पादन की प्रवृत्ति—राज्य में नमक का उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है ।

विभिन्न वर्षों में उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है—

वर्ष	नमक का उत्पादन (लाख टन)
1978	4 6
1989	9.3
1991	14 4
1997	11 7
1998	11
1999	17
2000	12
2001	18

1 Public Enterprises Profile 1997-98, GOR, p 138

2001 में नमक का उत्पादन 18 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष से कम था।

निष्कर्ष—जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, डीडवाना के संयंत्र लीज पर दिए गए हैं, लेकिन नमक-आधारित वस्तुओं के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। नमक के राजकीय उपक्रमों की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करने की नितान्त आवश्यकता है।

काँच का उद्योग—काँच बनाने में बालू मिट्टी के अलावा कई रासायनिक पदार्थ तथा कोयला आदि प्रयुक्त होते हैं। राज्य में काँच के उद्योग के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ विद्यमान हैं, जैसे बालू पत्थर, सिलिका मिट्टी, सोडियम सल्फेट, शीरा आदि की पर्याप्त उपलब्धि। यहाँ काँच बनाने वाले कुशल मजदूर भी पाए जाते हैं। चूने का पत्थर भी बहुतायत में मिलता है। काँच का सामान बनाने के कारखाने पहले कुछ नगरों में पाए जाते थे, लेकिन आजकल धौलपुर के निम्न दो कारखाने विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं—

(1) धौलपुर ग्लास वर्क्स—यह निजी क्षेत्र में है। इसमें काँच का लगभग 1000 टन वार्षिक उत्पादन होता है।

(2) हाइटेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर—यह दी गंगानगर शुगर मिल्स लि. जयपुर के अन्तर्गत है। यह जुलाई 1968 से कम्पनी के पास लीज पर है। यहाँ मदिरा विभाग के लिए बोतलों का उत्पादन किया जाता है। 1991-92 में यहाँ 62 लाख बोतलों का उत्पादन हुआ था। पुरानी भट्टी के खराब हो जाने से उत्पादन कम हुआ है। कोल इण्डिया व लघु उद्योग निगम से अच्छी किस्म का कोयला न मिलने से फर्नेस में पूरा तापमान न बनने से उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार नहीं किया जा सका है। इस इकाई की स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है।

राजस्थान में काँच के उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ जयपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, बूँदी तथा उदयपुर में पाई जाती हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, नमक व काँच उद्योगों का विकास कुछ सीमा तक हुआ है। भविष्य में राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है। राज्य में खनिज-आधारित उद्योगों के विकास की भी काफी सम्भावनाएँ हैं।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है—

(अ) सीमेंट उद्योग (ब) सूती वस्त्र उद्योग

(स) चीनी उद्योग (द) वनस्पति तेल उद्योग (ब)

2. फैक्ट्रियों की नवीनतम सूचना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियाँ हैं ?

(अ) भीलवाड़ा (ब) कोटा
(स) जयपुर (द) जोधपुर (स)

3. राज्य में किस श्रेणी के उद्योगों में विकास की सर्वाधिक सम्भावनाएँ हैं—
(अ) खनिज-आधारित (ब) पशुधन-आधारित
(स) कृषि-आधारित (द) इलेक्ट्रोनिक्स (अ)

4. राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है—
(अ) केलवा (ब) कांकरोली
(स) करौली (द) कोटपूतली (ब)
[RAS, 1998]

5. उन आठ जिलों के नाम लिखिए जिनमें राज्य की 3/4 फैक्ट्रियाँ स्थित हैं, और जिनमें राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र के 3/4 कर्मचारी कार्यरत हैं—
उत्तर : जयपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, उदयपुर व गंगानगर।

6. 2002-2003 में विनिर्माण-क्षेत्र (manufacturing) का राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में (1993-94 के भावों पर) लगभग कितना अंश रहा?
(अ) 14% (ब) 11.5%
(स) 9% (द) 8% (ब)

7. राज्य का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी व निजी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है?
(अ) सूती वस्त्र (ब) चीनी
(स) सीमेन्ट (द) नमक (ब)

अन्य प्रश्न

1. **राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से अग्रिम चार जिलों के नाम लिखिए। (फैक्ट्री-विकास की दृष्टि से)**
उत्तर : जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा तथा जोधपुर।
2. **राजस्थान में लघु-उद्योग एवं दस्तकारी उद्योग के महत्त्व को समझाइये। लघु उद्योगों की समस्याओं का विवेचन कीजिये तथा उन्हें दूर करने के उपायों को भी बताइये।**
(Raj. I year, 2004)
3. "राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय (प्रादेशिक) भिन्नता" विषय पर संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (*i*) उद्योगों का राजस्थान की कुल घरेलू उत्पत्ति में योगदान;
   (*ii*) राज्य में उद्योगों का रोजगार में अंशदान;
   (*iii*) राजस्थान में उद्योगों का आकार;
   (*iv*) राजस्थान में लघु उद्योग व हस्तशिल्प

5. राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणों का विवरण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दीजिए—
   (i) आकार,
   (ii) वस्तुगत ढाँचा, तथा
   (iii) प्रादेशिक फैलाव या जिलेवार वितरण।
6. राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए।
7. राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग तथा हस्तकलाओं के महत्त्व को समझाइए। इन उद्योगों की समस्याएँ व उपाय बताइए।
8. राजस्थान में जिले वार औद्योगिक विकास (फैक्ट्री-क्षेत्र के अनुसार) का संक्षिप्त विवेचन करिए।

9. राजस्थान के सीमेंट उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति व समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इनके विकास के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए।
10. राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से कौन से जिले अधिक विकसित हो पाए हैं ? राज्य में औद्योगिक दृष्टि से अविकसित पाँच जिलों के नाम लिखिए और उनकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख कीजिए।
11. राजस्थान के औद्योगिक ढाँचे का संक्षिप्त परिचय दीजिए। क्या वह पहले की तुलना में काफी परिवर्तित हुआ है ?
12. योजनाकाल में राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।
13. राजस्थान के ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का विवरण दीजिए। इनमें मुख्यतः किन वस्तुओं का निर्माण होता है ?
14. राजस्थान में सीमेन्ट उत्पादन के प्रमुख कारखानों के नाम बताइए।

15. राज्य में सीमेंट उद्योग की प्रमुख समस्याएँ बताइए। (100 शब्द)

16. राज्य में नमक उत्पादन के कारखानों के नाम लिखिए। (100 शब्द)

राज्य में औद्योगिक नीति का विकास, जून 1998 की नीति व नई दिशाएँ
(Evolution of Industrial Policy of the State, Policy of June 1998 and New Directions)

इस अध्याय में राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सरकार की तरफ से दी गई वित्तीय रियायतों व सुविधाओं का संक्षिप्त परिचय देकर राज्य की पूर्व औद्योगिक नीतियों—1978, 1990 व 1994 का उल्लेख करते हुए जून 1998 की नीति पर प्रकाश डाला जाएगा। बाद में पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा की जाएगी। अध्याय के परिशिष्ट में राज्य में बहुराष्ट्रीय व विदेशी कम्पनियों की औद्योगिक विकास में भूमिका व निर्यात की स्थिति का भी परिचय दिया जाएगा।

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए रियायतें व सुविधाएँ[1]
(Concessions & Facilities for Industrial Development in the State)

पिछली दो शताब्दियों में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए उद्यम कर्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायतें, सुविधाएँ तथा प्रेरणाएँ प्रदान की हैं। **राज्य का उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries) लघु व कुटीर उद्योगों की प्रगति का कार्य देखता है।** इसके द्वारा लघु इकाइयों का पंजीकरण (Registration) किया जाता है तथा यह उनके लिए कच्चे माल का आवंटन करने की

1. **Concessions & Facilities to Industries**, RIICO, July 1999 & **Industrial Land In Rajasthan**, January, 2003 for land rates in various industrial areas

सिफारिश करता है । इसी के अन्तर्गत वर्तमान में 32 जिला उद्योग-केन्द्र (District Industries Centres) (DICs) काम कर रहे हैं, जिनमें RFC, RIICO व राजस्थान लघु उद्योग निगम (RSIC) तथा व्यापारिक बैंकों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं ।

राजस्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में तथा उद्यमकर्ताओं को पूँजी की सुविधा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विवरण नीचे दिया जाता है—

(1) भूमि का आवंटन—राज्य सरकार ने चुने हुए स्थानों पर उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े भू-क्षेत्र निर्धारित किए हैं । इन औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) में उद्योगों को 99 वर्ष की 'लीज' पर भूमि आवंटित की गई है । भूमि के आवंटन की दरें विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रखी गई हैं । ये पिछड़े जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम हैं । विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन की दरें संशोधित की गई हैं । रीको की पुस्तिका **Industrial Land in Rajasthan,** जनवरी 2003 के अनुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की दरों में काफी अंतर पाया जाता है। झालावाड के नये विकास केन्द्र में यह सामान्यतया 165 रु प्रति वर्गमीटर, धौलपुर के विकास केन्द्र मे 200 रु प्रति वर्गमीटर, जयपुर के कूकस औद्योगिक क्षेत्र मे 550 रु प्रति वर्गमीटर, तथा अलवर के भिवाडी चोपन्की (Bhiwadi Chopanki) में 440 रु प्रति वर्गमीटर रखी गई है। लेकिन भिवाडी में यह 550 रु प्रति वर्गमीटर तक रही है।

रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनि-योजन निगम लि.) एक समय में भुगतान की शर्त पर भूमि का आवंटन करता है, जिनमें 25% राशि आवंटन के समय जमा करनी होती है और शेष राशि तीन माह में देय होती है । इसका विस्तृत विवरण आगे चलकर किया जाएगा ।

(2) औद्योगिक बस्तियों व औद्योगिक क्षेत्रों का विकास—(रीको) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि. ने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं । इनमें पावर, सड़क, जल व पानी के विकास की सुविधाएँ दी गई हैं । इसके द्वारा विकसित किए गए क्षेत्र जयपुर (विश्वकर्मा तथा मालवीय), कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, पाली, चिड़ावा, पिलानी, बूँदी, टोंक, निवाई, सीकर, बालोतरा, बाड़मेर, सादुलपुर व चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों में हैं । **मार्च 2003 के अंत तक रीको ने 286 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है** और इनमें 17121 औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादन में आ चुकी हैं ।

व्यापारिक बस्तियों में नीचे दुकान व ऊपर रिहायशी मकान की व्यवस्था होती है । रीको ने इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के लिए जयपुर व पिलानी में **कार्यात्मक बस्तियाँ (Functional estates)** स्थापित की हैं ।

अलवर जिले के 9 औद्योगिक क्षेत्र हैं, मत्स्य, मत्स्य विस्तार, राजगढ़, राजगढ़ विस्तार, थानागाजी, खेड़ली रेल, बहरोड़, खैरथल, खैरथल विस्तार व अलवर टी ए. रीको ने ये औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (National Capital Region) के अलवर जिले के भाग में विकसित किए हैं । NCR में दिल्ली के इर्द-गिर्द के हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कई

औद्योगिक क्षेत्र भी आते हैं। अलवर जिले की भिवाड़ी इकाई के अन्तर्गत भिवाड़ी, खुशखेरा I, II, III चरण, चोपान्की, सारे-खुर्द, रामपुर-मुण्डाना भिवाड़ी के IV चरण के विस्तार में आते हैं। भिवाड़ी इकाई में काफी पूँजी का निवेश हो चुका है। यह अपनी क्षमता के उच्च शिखर पर पहुँच गया है। अब यहाँ पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ने लगी हैं। रीको खस्ता हाल औद्योगिक क्षेत्रों को बेचने का कार्य भी संचालित करता है। इसने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की कुछ अतिरिक्त भूमि को अलवर नगर विकास न्यास को बेचा है।

(3) वित्तीय प्रेरणाएँ (Financial Incentives)—उद्योगों को वित्तीय सहायता राज्य सरकार के उद्योग विभाग, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि., भारतीय स्टेट बैंक व इसके सहायक बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का उल्लेख नीचे किया जाता है।

राजस्थान वित्त निगम (RFC) लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दीर्घकालीन कर्ज देता है जिसकी अधिकतम राशि पहले 60 लाख रुपये तक हो सकती थी, जिसे क्रमशः बढ़ाकर 90 लाख रु., 1.5 करोड़ रु. तथा वर्तमान में 2.40 करोड़ रु. कर दिया गया है। कर्ज देने की कई स्कीमें हैं, जैसे कम्पोजिट टर्म लोन योजना, उदार ऋण योजना, परिवहन ऋण (सिंगल वाहन), होटल कर्ज, डीजल जेनरेटिंग सेट के लिए कर्ज, टेक्नीशियन सहायता स्कीम, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ता स्कीम, भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्कीम, शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों तथा डॉक्टरों के लिए स्कीम। पहले एकाकी स्वामित्व व साझेदारी फर्म के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये रखी गई थी जिसे अब बढ़ाया गया है। (RFC) अपनी उदार ऋण योजना (Soft Loan Scheme) के अन्तर्गत कर्ज देता है। कर्ज की सुविधा टेक्नोक्रेट्स व टेक्नीशियनों के लिए भी उपलब्ध की गई है।

कम्पोजिट टर्म लोन योजना के अन्तर्गत कर्ज दस्तकारों व उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाता है।

पहले रीको 90 लाख रुपये तक के अवधि-कर्ज (Term Loans) प्रदान कर सकता था, जिसे एक बार बढ़ाकर 1.5 करोड़ रु. तथा वर्तमान में **2.5 करोड़ रु.** किया गया है। अब रीको 10 करोड़ रुपये तक की लागत के प्रोजेक्टों को सहायता दे सकता है। IDBI रीको के साथ 5 करोड़ रु. से अधिक, लेकिन 10 करोड़ रुपये की लागत तक के प्रोजेक्टों में संयुक्त रूप से कर्ज देने में शरीक होता है।

पहले RFC, RIICO व व्यापारिक बैंक परस्पर मिल-कर जो कुल कर्ज दे सकते थे, अब उसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। औद्योगिक इकाई शेयर बेचकर भी धन जुटा सकती है। उद्योग निदेशालय भी लघु इकाइयों को अब 35 हजार रुपये तक के कर्ज उपलब्ध करता है। रीको द्वारा अवधि-कर्ज (टर्म-लोन) पर ली जाने वाली ब्याज की दर औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित होती है।

रीको व (RFC) के द्वारा बिक्री कर की राशि के बराबर ब्याज-मुक्त-ऋण (Interest free loans) भी दिए जाते हैं। राज्य में उद्योगों को बिक्री कर से कुछ वर्षों के लिए मुक्त रखने व इसका आस्थगन (Deferment) करने की एक स्कीम 1987 में घोषित की गई थी, जिसे 1989 में परिवर्तित रूप में लागू किया गया था।

(4) विद्युत की सप्लाई बढ़ाई गई है एवं इस दिशा में प्रयास भी जारी हैं। विद्युत-प्रशुल्क पर रिबेट दी जाती है। जल-सप्लाई व कच्चे माल की पूर्ति बढ़ाई गई है।

(5) राजकोषीय प्रेरणाएँ (Fiscal Incentives) व करों में राहत (Tax Relief)—सरकार ने कारखानों में लगाई जाने वाली मशीनरी को चुंगी-शुल्क (Octroi) से मुक्त किया है। कच्चे माल पर भी यह छूट दी गई है। राज्य सरकार ने मशीनों व कच्चे माल पर बिक्री कर की छूट दी है। विद्युत-शुल्क में भी छूट दी गई है। बाद में बिक्री कर से छूट व आस्थगन की 1989 की स्कीम लागू की गई। इसे जून 1998 में पुन: संशोधित किया गया, जिस पर आगे चलकर प्रकाश डाला गया है।

(6) राजस्थान के पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास के लिए सब्सिडी की व्यवस्था—भूतकाल में राज्य में 16 जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया था। ये जिले इस प्रकार थे—जालौर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झालावाड़, टोंक, अलवर, सिरोही, उदयपुर, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, जैसलमेर व बाड़मेर। सितम्बर 1988 तक 27 जिलों में से 16 जिलों को भारत सरकार की तरफ से विनियोग-सब्सिडी दी जाती थी। (जो बाद में बन्द कर दी गई) तथा शेष 11 जिलों को राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी। **सब्सिडी की स्कीम पूँजी से जुड़ी राजकोषीय प्रेरणा (Capital-linked Fiscal Incentive) की स्कीम होती है** जिसके अन्तर्गत उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अन्तर्गत स्थिर पूँजीगत वि-नियोग जैसे भूमि, फैक्ट्री, व प्लान्ट तथा मशीनरी के विनियोग का निर्धारित अंश उद्यमकर्ता को सरकार सब्सिडी या अनुदान सहायता के रूप में देती है, जिससे उनको कारखाना लगाने के लिए भारी प्रोत्साहन मिलता है।

पहले केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था में पिछड़े जिलों को तीन श्रेणियों A, B तथा C के अन्तर्गत विभक्त किया गया था, जो इस प्रकार थे—(A) इसके अन्तर्गत 25% सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही, चूरू व बाड़मेर के लिए रखी गई थी। ये 'शून्य उद्योग जिले' (No Industries Districts अथवा NIDs) कहलाते थे। सब्सिडी की अधिकतम सीमा एक इकाई के लिए 25 लाख रुपये रखी गई थी। (B) इसके अन्तर्गत 15 प्रतिशत सब्सिडी पाँच जिलों—अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर व उदयपुर के लिए रखी गई थी तथा इसकी अधिकतम राशि 15 लाख रुपये रखी गई थी। (C) इसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत सब्सिडी सात जिलों—बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, सीकर व टोंक के लिए थी तथा एक औद्योगिक इकाई के लिए सब्सिडी की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये रखी गई थी।

इस प्रकार केन्द्रीय सब्सिडी की व्यवस्था काफी लचीली थी। शेष 11 जिलों—अजमेर, भरतपुर, बूँदी, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, पाली, सवाई

माधोपुर व धौलपुर के लिए पहले राज्य सरकार सब्सिडी देती थी, जो बड़ी व मध्यम इकाइयों के लिए 10% (अधिकतम 10 लाख रुपये) एवं लघु इकाइयों के लिए 15% (अधिकतम 3 लाख रुपये), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लघु इकाइयों पर 20% तथा नन्हीं (tiny) इकाइयों के लिए 25% रखी गई थी। निम्न क्षेत्रों को सब्सिडी नहीं दी गई थी; जैसे मत्स्य (अलवर), मरुधर (जोधपुर), जयपुर के विश्वकर्मा व मालवीय तथा मेवाड़ (उदयपुर)। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएँ पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करती रही हैं। रीको कुछ मामलों में बिक्री-कर की एवज में ब्याज-मुक्त कर्ज की सुविधा भी प्रदान करता रहा है।

बिक्री-कर मुक्ति-योजना, 1998[1]
(Sales-tax Exemption Scheme, 1998)

इस स्कीम में बिक्री-कर मुक्ति/आस्थगन की प्रेरणा की अवधि 11-14 वर्ष की गई है, जो पहले से अधिक है। प्रेरणाओं को घटते हुए (tapering) ढंग पर रखा गया है; जैसे प्रथम एक या दो वर्षों तक बिक्री-कर की प्रेरणा 100% रखी गई है, जो आगे के वर्षों में प्रति वर्ष घटते हुए क्रम में अन्तिम वर्ष में 30% तक पहुँच जाएगी। बिक्री-कर की प्रेरणाएँ थ्रस्ट क्षेत्रों; जैसे गारमेण्ट्स व बुने हुए वस्त्रों, रत्न व जवाहरात, टेक्सटाइल्स, आदि के लिए, **बहुत प्रतिष्ठामूलक इकाइयों (very prestigious units) (स्थिर पूँजी निवेश 50 करोड़ रु. या अधिक तथा रोजगार 250 व्यक्तियों को), 5 विकास केन्द्रों के उद्योगों, ऑटो इकाइयों, प्रीमियर इकाइयों (न्यूनतम निवेश 150 करोड़ रु. व नियमित रोजगार 500 व्यक्तियों को)** आदि के लिए अधिक उदार रखी गई हैं। आगे की तालिका में इनका विवरण दिया गया है।

बिक्री-कर मुक्ति-योजना, 1998 की आवश्यक बातें—

क्र. सं.	इकाई की किस्म	कुल कर-देयता से मुक्ति के प्रतिशत की सीमा	स्थिर पूँजी-निवेश के प्रतिशत के रूप में अधिकतम छूट की सीमा	कर से मुक्ति की अधिकतम समय-सीमा
1	क्र.सं. 2 व 3 में वर्णित नई इकाइयों को छोड़कर अन्य इकाइयाँ तथा विस्तार व विविधीकरण वाली इकाइयाँ	प्रथम वर्ष में 100% द्वितीय वर्ष में 90% क्रमश. घटते हुए क्रम में अन्त में 11वें वर्ष में 30%	150 लाख रु. से अधिक वाले स्थिर पूँजी-निवेश के मामलों में 100% तक तथा 150 लाख रु. तक के लिए 125%	ग्यारह वर्ष

1 Concessions & Facilities to Industries in Rajasthan RIICO, updated upto July 1999, pp 4-5

क्र. सं.	इकाई की किस्म	कुल कर-देयता से मुक्ति के प्रतिशत की सीमा	स्थिर पूँजी-निवेश के प्रतिशत के रूप में अधिकतम छूट की सीमा	कर से मुक्ति की अधिकतम समय-सीमा
2	(अ) बुना हुआ कपड़ा (knit-wears) रत्न व जवाहरात, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स व दूरसंचार, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर, जूते (फुटवीयर्स) व चमड़े का माल	प्रथम वर्ष में 100% द्वितीय वर्ष में 100% तृतीय वर्ष में 90% फिर क्रमश घटते ,हुए तेरहवें वर्ष में 30%	स्थिर पूँजीगत विनियोग (FCI) का 125%	तेरह वर्ष
	(आ) काँच व सिरेमिक की नई इकाइयाँ बहुत प्रतिष्ठा-मूलक इकाइयाँ			
3	मिनी सीमेंट प्लांट छोड़कर सीमेंट प्लांट की सभी श्रेणियाँ, पायोनियरिंग/प्रतिष्ठा मूलक/बहुत प्रतिष्ठामूलक/प्रीमियर इकाइयों सहित	कुल कर-देयता का 25%	स्थिर पूँजी विनियोग (FCI) का 100%	ग्यारह वर्ष
4	**रुग्ण इकाइयाँ** (अ) वे इकाइयाँ जिन्हे पहले कर-मुक्त या आस्थगन का लाभ नहीं मिला था।	क्रम संख्या 1 की नई इकाइयों को उपलब्ध होने वाले लाभ	क्रम संख्या 1 के अनुसार	ग्यारह वर्ष
	(आ) जिन्हें पहले कर मुक्ति/आस्थगन का लाभ मिल चुका है।	प्रथम वर्ष में 80% द्वितीय वर्ष में 70%, फिर घटते क्रम मे ग्यारहवें वर्ष में 10%	स्थिर पूँजी विनियोगों का 100% जहाँ इनकी राशि 150 लाख रु से अधिक हो, जहाँ विनियोगों की राशि 150 लाख रु तक हो वहाँ उसका 125%	ग्यारह वर्ष
5	पायोनियरिंग इकाइयाँ/प्रतिष्ठा मूलक इकाइयाँ/निर्यात-इकाइयाँ (जहाँ उत्पादन का न्यूनतम 50% निर्यात किया जाए।	प्रथम वर्ष में 100% द्वितीय वर्ष में 100%, बाद में घटते क्रम में 13वें वर्ष में 30%	स्थिर पूँजी-विनियोगो का 100%	तेरह वर्ष

नोट : विकास-केन्द्रों में स्थापित इकाइयों को स्थिर पूँजी विनियोग (FCI) का 20% और मिलेगा (कुल 145%), और एक अतिरिक्त वर्ष (कुल 14 वर्ष) तक का लाभ मिलेगा।

बिक्री कर-आस्थगन (deferment) की भी लगभग वे ही शर्तें हैं जो कर-मुक्ति की ऊपर बतलाई गई हैं। लेकिन उसमें श्रेणी 2(अ) व (आ) के लिए तथा श्रेणी 5 के लिए तेरहवें वर्ष में कुल कर-देयता के आस्थगन के प्रतिशत को दर 40% पर ही आ पाती है। बाकी सब शर्तें समान रहती हैं। **औद्योगिक इकाई बिक्री कर-मुक्ति या आस्थगन में से एक को चुन सकती है।** उद्योगों को मिलने वाली अन्य प्रेरणाओं या रियायतों जैसे ब्याज पर सब्सिडी, माल भाड़ा-सब्सिडी, DG सेट पर सब्सिडी, चुंगी से मुक्ति, आदि का विवरण अगले अध्याय में विस्तार से दिया गया है।

स्मरण रहे कि नई परिभाषा के अनुसार प्रीमियर इकाई में स्थिर पूँजी की राशि 150 करोड़ रु., बहुत प्रतिष्ठामूलक इकाई में 50 करोड़ रु. तथा प्रतिष्ठामूलक इकाई में 15 करोड़ रु. की गई है; तथा इनमें नियमित श्रमिकों की संख्या क्रमशः 500, 250 व 100 मानी गई है।

विकास केन्द्रों (Growth Centres) से सम्बन्धित नीति—22 अक्टूबर, 1989 को केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 70 विकास-केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसमें राजस्थान के लिए 4 विकास केन्द्र बीकानेर, (खारा), झालावाड़, आबूरोड व धौलपुर के लिए स्वीकृत किए गए थे। वर्ष 1996-97 में हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) विकास-केन्द्र का काम भी हाथ में लिया गया। इस प्रकार कुल पांच विकास-केन्द्र हो गए हैं। जोधपुर के लिए एक मिनी-विकास केन्द्र बनाया जा रहा है तथा उदयपुर में भी एक विकास-केन्द्र स्थापित करने की योजना है। प्रत्येक विकास केन्द्र पर 30 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि वहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर; जैसे पानी, बिजली, सड़क, रेल, संचार व अन्य आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जा सकें। यह महसूस किया गया कि इन स्थानों में विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहूलियत होगी जिससे इनमें औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकेगी। इससे इन केन्द्रों के आसपास के इलाकों में भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

इन स्थानों के चुनाव के पीछे प्रमुख कारण यह था कि इनमें औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाएँ काफी हैं। उदाहरण के लिए, **भीलवाड़ा ने देश के टेक्सटाइल क्षेत्र में काफी नाम कमा लिया है।** यहाँ काफी संख्या में पावरलूम व प्रोसेस-गृह (process-houses) स्थापित हुए हैं, जिससे वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। यहाँ खनिज पदार्थों के विकास के भी अवसर हैं। इस जिले के दक्षिण भाग से कोटा-चित्तौड़गढ़ ब्राडगेज लाइन गुजरती है जिससे यहाँ विकास के नये अवसर खुले हैं।

भीलवाड़ा सिन्थेटिक यार्न व कपड़े का एक बड़ा उत्पादन-केन्द्र बन चुका है। यहाँ पहले ही विभिन्न उद्योग-धन्धों में काफी पूँजी का विनियोजन हो चुका है। यहाँ विकास-केन्द्र के पनपने की काफी सम्भावनाएँ हैं।

बीकानेर जिले के बीच से इन्दिरा गाँधी नहर गुजरती है। यहाँ कृषि-आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ हैं। इस सम्बन्ध में **बीछवाल का औद्योगिक क्षेत्र**

उल्लेखनीय है। बीकानेर के विकास केन्द्र में कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ, वनस्पति तेल, खण्डसारी व गुड़ की इकाइयों, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग, आदि कृषि व पशु-आधारित उद्योग पनप सकते हैं। बीकानेर में बड़ी रेल लाइन भी पहुँच गई है। अतः यहाँ विकास के नये अवसर उत्पन्न हुए हैं।

झालावाड़ जिले के एक भाग से बम्बई-दिल्ली ब्रॉडगेज लाइन गुजरती है। इसने नारंगी के उत्पादन में नाम कमाया है। आधारभूत सुविधाओं के विकास से इस विकास केन्द्र में नई औद्योगिक इकाइयाँ विकसित की जा सकती हैं।

आबू रोड में पहले से कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं जिनमें मार्बल, ग्रेनाइट, मिनी सीमेन्ट आदि की इकाइयाँ प्रमुख हैं। यह शहर अहमदाबाद के निकट है। यहाँ विकास-केन्द्र के पनपने की भारी सम्भावनाएँ हैं।

राज्य में अन्य स्थान भी विकास केन्द्र बनाए जाने के लायक हैं; जैसे बहरोड, बाँसवाड़ा, आदि। लेकिन उन पर साधनों की स्थिति को देखकर विकास के अगले चरण में विचार किया जाएगा।

विकास-केन्द्रों की स्थापना के कार्य की प्रगति को तेज करने की आवश्यकता है। रीको इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने में संलग्न है। विकास-केन्द्र पर जो 30 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जानी है, उसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व वित्तीय संस्थाएँ अपना-अपना योगदान देती हैं।

इसके अलावा भारत सरकार की एक स्कीम के अन्तर्गत **समन्वित आधारभूत ढांचे के विकास [Integrated Infrastructure Development (IID)] का कार्य भी चलाया जा रहा है ताकि लघु उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके।** इसके लिए एक केन्द्र सांगरिया (जोधपुर) में तथा दूसरा नागौर में स्थापित किया जा रहा है।

राज्य में औद्योगिक नीति का विकास
(Evolution of Industrial Policy in the State)

राजस्थान में जनता सरकार की औद्योगिक नीति, जून 1978—राज्य में जनता सरकार ने 24 जून, 1978 को अपनी औद्योगिक नीति घोषित की थी। **इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति माना गया है।** इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। **इसमें उद्योगों में प्राथमिकताओं का क्रम निश्चित किया गया था, क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करने के उपाय बतलाए गए थे, उद्योगों को दी जाने वाली *सहायताएँ व सुविधाएँ स्पष्ट की गई थीं और बीमार औद्योगिक इकाइयों को दी जाने* वाली सहायता के बारे में भी नीति निर्धारित की गई थी।**

(i) **उद्योगों में प्राथमिकता का क्रम**—उद्योगों को प्राथमिकता के क्रम में खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्त-शिल्प को सबसे ऊपर रखा गया था। उसके बाद एक लाख रुपये तक की पूँजी वाले उद्योग, फिर क्रमशः 10 लाख रुपये, 50 लाख रुपये तथा अन्त में वृहद् आकार के उद्योग रखे गए थे।

***(ii)* क्षेत्रीय प्राथमिकता का क्रम**—क्षेत्रीय असमानताएँ कम करने के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ तय की गई थीं। इनका क्रम इस प्रकार रखा गया था : पहले गाँव, फिर अर्द्ध-शहरी क्षेत्र तथा अन्त में शहर। नये, सार्वजनिक व संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लगाने का निश्चय किया गया था।

स्थानीय साधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया गया था। श्रम-प्रधान उद्योगों को पूँजी-प्रधान उद्योगों की तुलना में अधिक महत्त्व दिया गया था।

***(iii)* सार्वजनिक उद्योग**—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए राजस्थान प्रबन्धक सेवा-संवर्ग (Rajasthan Management Cadre) बनाने का प्रस्ताव किया गया था। एक ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज बनाने का प्रस्ताव किया गया था जो सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता व कार्य-प्रणाली की निरन्तर समीक्षा करता रहेगा। संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इक्विटी पूँजी में 10% सरकारी सहयोग की नीति घोषित की गई थी।

***(iv)* बीमार औद्योगिक इकाइयों के प्रति नीति**—जिस औद्योगिक इकाई में कुल क्षमता का 20% से कम उत्पादन हो तथा जो घाटे में चल रही हो व जिसने पिछले तीन वर्ष से ब्याज या मूलधन का भुगतान न किया हो, वह बीमार या रुग्ण इकाई मानी गई थी। इनके सम्बन्ध में यह कहा गया था कि ऐसी इकाई को उद्योग-निदेशक प्रमाण पत्र देगा। रुग्णता का कारण खोजा जाएगा। राजस्थान वित्त निगम ऐसी इकाइयों के ऋण के भुगतान को दूसरी तिथि निर्धारित करेगा (Reschedule)। ऐसी इकाइयों से की गई सरकारी खरीद का भुगतान एक माह के भीतर कर दिया जाएगा। सरकारी खरीद में भी ऐसी इकाइयों के माल को प्राथमिकता दी गई थी।

***(v)* नई सहायताएँ व सुविधाएँ**—औद्योगिक नीति में यह भी कहा गया था कि उद्योगों के लिए आवश्यक गोचर भूमि जिलाधीश ग्राम पंचायत की सिफारिश पर रूपान्तरित (Convert) करेंगे। स्वयं का उद्योग लगाने पर किसान की खातेदारी की 500 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण अपने आप माना गया था। इसके लिए केवल परिवर्तन-शुल्क जमा करना आवश्यक माना गया था। दाल मिल, चावल मिल आदि को 25 हजार से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने पर बिजली खर्च में 25% सब्सिडी देने की नीति घोषित की गई थी।

बाद में 1980 में राज्य में कांग्रेस (आई) सरकार पर राजस्थान के औद्योगीकरण की जिम्मेदारी आ गई थी। विभिन्न प्रकार की रियायतों व सुविधाओं का लाभ मिलने से राज्य औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढ़ा था। रीको, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, उद्योग-निदेशालय, आदि राज्य में औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करते रहे हैं। उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय पूँजीगत सब्सिडी व राज्यीय पूँजीगत सब्सिडी का विस्तार किया गया था। विदेशों में बसे भारतीयों को राजस्थान में पूँजी लगाने के लिए आकर्षित किया गया था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना (Industrial Strategy During Seventh Plan)—राज्य के योजना विभाग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के प्रारूप में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना में निम्न बातों का समावेश किया था।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य—सातवीं योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधनों का उपयोग किया जाएगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएँगे, प्रादेशिक असन्तुलनों को कम किया जाएगा, परम्परागत शिल्पकलाओं का विकास किया जाएगा, उद्यमकर्ताओं को सहायता दी जाएगी तथा औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।

(1) **रोजगारोन्मुख उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया था।** इसके लिए खादी व ग्रामोद्योगों, हथकरघा, दस्तकारियों, अति लघु व लघु उद्योगों को इसी क्रम में प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था।

(2) जिला उद्योग केन्द्रों के स्टाफ का स्वरूप बदलने की आवश्यकता स्वीकार की गई थी। इसके लिए अतिरिक्त-कार्यालय मैनेजरों व प्रोजेक्ट-मैनेजरों को नियुक्त करने पर बल दिया गया था।

(3) श्रेणी 'A', 'B', 'C' के जिलों के लिए विनियोग-सब्सिडी की व्यवस्था जारी रखी गई थी। बिक्री-कर की एवज में ब्याज-मुक्त कर्ज की स्कीम काफी आकर्षक बनाई गई थी। अत: इसे योजना की स्कीमों में शामिल करने का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा बिक्री-कर से मुक्ति/ आस्थगन की स्कीम, 1987 तथा बाद में 1989 में घोषित की गई थी।

(4) यह कहा गया था कि राजस्थान लघु उद्योग निगम गलीचा प्रशिक्षण केन्द्रों, परम्परागत दस्तकारियों, एयर कारगो कॉम्पलेक्स व निर्यात-संवर्द्धन कार्यों को बढ़ावा देगा।

(5) खादी व ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन व रोजगार में वृद्धि करने पर जोर दिया गया था।

(6) **मार्च, 1984 में राजस्थान हथकरघा विकास निगम (RHDC) स्थापित किया गया** ताकि सहकारिता के दायरे से बाहर रहने वाले बुनकरों को मदद दी जा सके। निगम बुनकरों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है तथा कारगो की गुणवत्ता (क्वालिटी) में सुधार करता है। उनको कच्चा माल देता है तथा निर्मित माल की बिक्री की व्यवस्था करता है।

(7) राज्य के कुछ जिलों में रेशम के उद्योग को तथा टसर के विकास के लिए पौधे लगाने को महत्त्व दिया गया। राज्य में उनके विकास के समुचित अवसर विद्यमान हैं। बाद में मार्च 1987 में औद्योगीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम घोषित किया गया।

शेखावत सरकार की औद्योगिक नीति 1990

भारतीय जनता पार्टी व जनता दल की सरकार (मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत) ने राजस्थान की औद्योगिक नीति दिसम्बर, 1990 में घोषित की थी, जिस पर जनवरी, 1991 से कार्यारम्भ हो गया था। **यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की द्वितीय औद्योगिक नीति मानी जाती है**। इस नीति का विवेचन नीचे किया जाता है—

उद्देश्य—*(i)* खनन, कृषिगत व अन्य साधनों का अधिकतम उपयोग करना ताकि राज्य की आय में उद्योगों का योगदान बढ़े, *(ii)* अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, *(iii)* प्रादेशिक असंतुलन समाप्त करना, *(iv)* उद्यमकर्ता को प्रोत्साहन देना तथा *(v)* औद्योगीकरण के माध्यम से राज्य के वित्तीय साधन बढ़ाना ताकि अधिक मात्रा में विकास कार्यक्रम संचालित किए जा सकें।

प्राथमिकताएँ—औद्योगिक नीति में प्राथमिकताएँ इस क्रम में सुझाई गई थीं—

(i) सर्वोच्च प्राथमिकता खादी व ग्रामीण उद्योग, हथ-करघा, दस्तकारियों व चमड़ा आधारित इकाइयों को, *(ii)* उसके बाद टाइनी उद्योग जिनमें स्थिर पूँजी का विनियोग 5 लाख रुपयों तक हो, *(iii)* तत्पश्चात् लघु पैमाने के उद्योग जिनमें स्थिर पूँजी का विनियोग 60 लाख रुपयों तक होगा, सहायक उद्योग जिनमें पूँजी के लिए 75 लाख रुपये की सीमा होगी तथा *(iv)* अन्त में मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग।

निम्न उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा—इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो टेक्नोलॉजी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, साधन-आधारित, श्रम-गहन, कम-ऊर्जा तथा कम पानी का उपयोग करने वाले उद्योग।

पावर का विकास निजी क्षेत्र में भी किया जाएगा। 33 के.वी. से 220 के.वी. पर बिजली लेने वालों को 15% से 10% विद्युत-प्रशुल्क रियायत व 1990-95 की अवधि में पावर-कनेक्शन प्राप्त कई औद्योगिक इकाइयों के लिए 3000 के.वी. तक के भार पर 31-3-1995 तक कोई पावर कटौती नहीं होगी। लघु व मध्यम इकाइयों से एक वर्ष तक कोई न्यूनतम चार्जेज नहीं लिए जाएँगे।

पिछले तीन माह के अधिकतम उपभोग के 15 दिन के उपभोग की नकद सिक्यूरिटी मनी ही जमा की जा सकेगी। डीजल जेनरेटिंग सैट की लागत पर 15% या 50 हजार रुपये तक (जो भी कम हो) नकद सब्सिडी की राशि मिल सकेगी।

उद्योग के लिए पूँजी-विनियोग सब्सिडी—*(i)* सभी नये मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों को स्थिर पूँजी के विनियोग पर 15% सब्सिडी की दर से (एक इकाई को 15 लाख रुपयों तक अधिकतम राशि), *(ii)* निम्नलिखित श्रेणी के उद्योगों को 20% की दर से सब्सिडी (एक इकाई को अधिकतम 20 लाख रुपयों तक), यह सुविधा लघु व सहायक उद्योगों, साधन-आधारित उद्योगों व प्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों तथा 100% निर्यातोन्मुख उद्योगों को दी गई।

29 अगस्त, 1992 की एक अधिसूचना के अनुसार, राज्य पूँजी-विनियोजन सब्सिडी की स्कीम को अधिक आकर्षक व उदार बनाया गया। इसके अनुसार

जनजाति व NID में लघु पैमाने की इकाइयों की सब्सिडी के लिए नई दर 30% (एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक) तथा जनजाति क्षेत्रों व उद्योग रहित जिलों में मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए नई दर 20% (एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक) कर दी गई । इसी प्रकार प्रवासी भारतीयों के लिए भी नई सब्सिडी की दर 20% (एक इकाई के लिए अधिकतम राशि 35 लाख रुपये) कर दी गई ।[1]

:2% की अतिरिक्त सब्सिडी (2 लाख रुपये अधिकतम) श्रम-गहन उद्योगों को दी गई जिनमें प्रति श्रमिक विनियोग 35 हजार रुपये से कम हो (फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में पंजीकृत) ।

यह विनियोग-सब्सिडी जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा शहरों की म्युनिसिपल व शहरी सुधार-सीमाओं में स्थापित उद्योगों तथा जयपुर व कोटा शहरों की शहरी-संकुलन-सीमाओं (Urban agglomeration limits) में नहीं दी गई । बाद में इस सम्बन्ध में यह रियायत घोषित की गई कि रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को यह सब्सिडी सुविधा प्राप्त होगी । यह एक महत्त्वपूर्ण घोषणा थी जिसका इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा उत्पन्न हो गई थी । लेकिन इससे राज्य सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय भार काफी बढ़ गया था ।

इलेक्ट्रोनिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन्स जैसे उद्योगों को समस्त राज्य में पूँजी-विनियोग-सब्सिडी उपलब्ध की गई । साथ में यह भी स्पष्ट किया गया कि जब केन्द्रीय सब्सिडी की स्कीम लागू हो जाएगी तब राज्य सब्सिडी स्कीम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा और केन्द्रीय सब्सिडी की सीमा तक राज्य सब्सिडी उपलब्ध नहीं की जाएगी ।

बिक्री-करों में रियायतें (Sales Tax Conces-sions)—औद्योगिक नीति, 1990 में बिक्री करों में जो व्यापक रियायतें घोषित की गईं, वे इस प्रकार थीं—

(i) 1987 व 1989 की बिक्री कर-प्रेरणा व आस्थगन की स्कीम नये उद्योगों व पर्याप्त विस्तार व विविधीकरण करने वाली इकाइयों पर लागू की गई । इनका कार्य-काल जो 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाला था, वह 31 मार्च, 1995 तक बढ़ा दिया गया ।

(ii) जो औद्योगिक इकाइयाँ वर्तमान स्थिर पूँजीगत विनियोग के 100% या अधिक तक विस्तार या विविधी-करण करने जा रही हैं, और अपना उत्पादन वर्तमान लाइसेंसशुदा/पंजीकृत क्षमता के 100% या अधिक तक बढ़ा लेती हैं, उन्हें भी 1989 की बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगन स्कीमों के अन्तर्गत 75% तक कर से मुक्ति या आस्थगन का लाभ दिया गया, *जैसा कि एक नई इकाई को दिया गया था ।*

---

1 RIICO News letter, October, 1992, p. 6 जनजाति क्षेत्रों में बांसवाड़ा, डूँगरपुर व उदयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ तथा सिरोही जिले में आबू रोड खण्ड को बढ़ी हुई सब्सिडी का लाभ दिया गया तथा उद्योगविहीन जिलों (NIDs) में सिरोही, जैसलमेर, चूरू व बाड़मेर जिलों को यह लाभ दिया गया ।

(iii) नये इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों को बिक्री कर से मुक्ति व आस्थगन का लाभ उनके स्थिर पूँजीगत विनियोग तक ही सीमित नहीं रखा गया। नई पायोनियरिंग (विनियोग सीमा 10 करोड़ रुपये तक) तथा प्रतिष्ठामूलक (prestigious) (विनि-योग सीमा 25 करोड़ रुपये तक) इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयों को बिक्री कर की रियायत 9 वर्ष तक दी गई, चाहे वे कहीं भी स्थित क्यों न हों।

(iv) निम्न उद्योगों में मशीनरी की खरीद पर नई इकाइयों को आठवीं योजना-काल में बिक्री-कर के भुगतान से छूट दी गई—सीमेंट, तम्बाकू, वस्त्र, चीनी, इलेक्ट्रोनिक्स, फूड प्रोसेसिंग तथा कृषिगत पदार्थों पर आधारित इकाइयाँ।

(v) कुछ उद्योगों के कच्चे माल पर बिक्री कर 3% से कम किया गया। उदाहरण के लिए, ताँबा, लोहा व इस्पात व कच्चे ऊन पर बिक्री कर 1 5% लगाया गया। नमदे के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे ऊन पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया गया। वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त खाद्य तेलों पर यह 1.5% रखा गया।

(vi) राज्यों में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली कई वस्तुओं पर बिक्री कर की दर 4% रखी गई; जैसे मोटर गाड़ियाँ, टाइपराइटर्स, रेफ्रीजरेटर्स, सिलाई की मशीन, आदि।

(vii) अति प्रतिष्ठामूलक या बहुत प्रतिष्ठामूलक (very prestigious) उद्योगों (जिनमें स्थिर पूँजी का विनियोग 100 करोड़ रुपये या अधिक होता है) को बिक्री कर में जो अतिरिक्त प्रेरणाएँ मुक्ति-स्कीम (Under exemption scheme) में दी गईं, वे इस प्रकार हैं—जो अपने कुल उत्पादन का 90% तक ब्रांच-ट्रान्सफर के माध्यम से अन्य राज्यों में हस्तान्तरित कर सकेंगी, उन्हें कर-दायित्व के 90% तक बिक्री कर से मुक्त रखा गया। इन्हें श्रेणी (1) के जिलों में 11 वर्ष तक तथा श्रेणी (2) के जिलों में बिक्री कर की 1989 की स्कीम के मुताबिक छूट दी गई तथा इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयों को ग्यारह वर्ष तक के लिए बिक्री कर से मुक्त रखा गया, वे चाहे जहाँ स्थित हों। पायोनियरिंग व प्रेस्टीजियस इकाइयों को अपने कुल उत्पादन का 80% तक राज्य के बाहर ब्रान्च-ट्रान्सफर के मार्फत बेचने की छूट दी गई तथा अन्य लघु, मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए इनकी अधिकतम सीमा 60% रखी गई। इनका उल्लेख पहले भी तालिका में दिया जा चुका है।

(viii) जेम्स व स्टोन्स को बिक्री कर से मुक्त किया गया ताकि इनका निर्यात बढ़ सके।

(ix) बिक्री कर की एवज में 7 वर्ष के लिए ब्याज-मुक्त कर्ज की एक नई स्कीम लागू की गई। इसमें वे इकाइयाँ शामिल की गईं जिनको पहले की अवधि में बिक्री-कर से अन्य किसी स्कीम के तहत लाभ नहीं मिल रहा था।

चुंगी से छूट—उत्पादन आरम्भ होने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए नए उद्योगों को आठवीं योजनावधि में कच्चे माल पर चुंगी कर से छूट दी गई थी। उन्हें आयातित मशीनरी पर चुंगी कर से मुक्त रखा गया था। यह कहा गया था कि विस्तार के लिए आयोजित मशीनरी पर भी चुंगी नहीं देनी होगी। कृषि-आधारित लघु उद्योगों को सीधे किसान से अपनी जरूरत का माल खरीदने पर मण्डी कर से मुक्त रखा गया था।

यह कहा गया था कि राजस्थान लघु उद्योग निगम कच्चे माल की सप्लाई बढ़ाने का प्रयास करेगा। वितरण नीति में कुटीर उद्योगों के कच्चे माल की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया था। इनके लिए आयातित कच्चे माल की व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी। हथकरघा बुनकरों, दस्तकारों तथा कारीगरों के लिए भी कच्चे माल की व्यवस्था बढ़ाई गई थी।

विपणन—राजस्थान का स्वयं का औद्योगिक वस्तुओं का बाजार बड़ा नहीं है। इसलिए उद्योगों को प्रायः विपणन की जटिल समस्या का सामना करना पड़ता है। औद्योगिक नीति में विपणन के सम्बन्ध में निम्न उपाय सुझाए गए थे—

(i) वित्त विभाग के केन्द्रीय स्टोर्स क्रय-संगठन ने सरकारी विभागों द्वारा लघु पैमाने के उद्योगों से 130 वस्तुओं को खरीदने के लिए अब तक नियम बनाए थे। इनमें 34 वस्तुओं को और जोड़ा गया। राज्य के मानक स्तर के लघु उद्योगों को 15% का कीमत-अधिमान (Price preference) दिया गया, और अन्य को 10% का कीमत-अधिमान दिया गया था। ये लाभ राज्य के विभिन्न विभागों या स्थानीय संस्थाओं के द्वारा की जाने वाली खरीद पर भी उपलब्ध किए गए थे।

(ii) यह व्यवस्था भी की गई कि यदि उद्योगों के संगठन अपने माल की बिक्री के लिए कम्पनी बनाते हैं तो राज्य सरकार उनको भी आवश्यक सहायता देगी।

(iii) राजस्थान लघु उद्योग निगम एक व्यापार केन्द्र व औद्योगिक म्यूजियम की स्थापना करेगा जिनके माध्यम से लघु उद्योगों की वस्तुओं की नुमाइश व विपणन की व्यवस्था की जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष सहायता

इनके द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए विशेष सुविधाओं का विस्तार किया गया। रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में इनके द्वारा खरीदे जाने वाले 4 हजार वर्गमीटर तक के भू-खण्डों की खरीद पर 50% तक रिबेट दी जाती है। राजस्थान वित्त निगम एक लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज में 2% की रिबेट देता है, और शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार की स्कीम में इनके लिए 30% का आरक्षण दिया गया था। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल इनको पावर कनेक्शन देने में प्राथमिकता देता है। जनजाति उप-योजना में स्थापित उद्योगों के लिए राजस्थान वित्त निगम ने ब्याज पर रिबेट 0.5% से बढ़ाकर 1% कर दी। यह कहा गया कि रीको भी इतनी ही रिबेट देगा। जनजाति उप-योजना क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों में रीको शेयर पूँजी में 10% हिस्सा लेता है। अनुसूचित जाति के उद्यमकर्ताओं द्वारा स्थापित उद्योगों में 10% शेयर प्रदान करने के लिए एक पृथक् शेयर पूँजी कोष स्थापित किया गया था।

औद्योगिक रुग्णता से सम्बन्धित नीति

(i) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल रुग्ण इकाइयों को न्यूनतम चार्जेज व पावर कटौती से मुक्त करने की सुविधा देता है। रुग्णता का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसे जिला

स्तर पर जारी करने की व्यवस्था की गई। रुग्ण इकाइयों को दो वर्ष के लिए पावर कटौती से मुक्त रखा गया।

(ii) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की गई तथा रुग्णता के कारणों का पता करके इनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था की गई।

(iii) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (BIFR) के विचाराधीन रुग्ण इकाइयों को निम्न रियायतें दी गईं—

(अ) पुनर्वास की अवधि में पाँच वर्ष तक विद्युत-शुल्क का स्थगन, ब्याज, जुर्माने व दण्डस्वरूप ब्याज (Penal interest) को माफ करना।

(आ) बिक्री कर, क्रय-कर, विद्युत-शुल्क आदि का पुनर्निर्धारण तथा पुनर्वास अवधि में स्थगन-राशि पर ब्याज के भुगतान से मुक्ति प्रदान करना।

(इ) रुग्ण इकाई की अतिरिक्त भूमि को बेचकर प्राप्त राशि का उपयोग उस इकाई के पुनर्वास की योजना के आधार पर ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में किया जा सकता है। भूमि का बेचान राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी या संस्था के मार्फत करना होगा।

(ई) कर्ज लेने के लिए सरकार द्वारा रुग्ण इकाई की भूमि को वित्तीय संस्था को गिरवी रखने की इजाजत समय पर दे दी जाएगी।

(उ) राजस्थान वित्त निगम ने एक खिड़की (Single window) पर सहायता देने की स्कीम लागू की जिसमें स्थिर पूँजी की 5 लाख रुपये की सहायता के साथ 2 5 लाख रुपये की कार्यशील पूँजी भी दी जा सकती है। इससे रुग्ण लघु इकाइयों को कार्यशील पूँजी की सुविधा भी मिलने लगी।

(ऊ) रुग्ण लघु इकाइयों को बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगन के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ जारी रखे गए।

(ए) रुग्ण लघु इकाइयों के पुनर्वास के लिए मार्जिन मुद्रा से सम्बन्धित कर्ज की स्कीम अधिक इकाइयों पर लागू करने के लिए अधिक कोष प्रदान करने पर जोर दिया गया।

यह आशा की गई कि इन विभिन्न उपायों को लागू करने से रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना में मदद मिलेगी जिससे उत्पादन व रोजगार को बनाए रखना सुगम होगा।

औद्योगिक नीति में औद्योगिक माल का निर्यात बढ़ाने तथा प्रवासी भारतीयों को औद्योगिक विनियोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपाय सुझाए गए थे। इस प्रकार दिसम्बर, 1990 की औद्योगिक नीति के माध्यम से औद्योगिक समस्याओं को हल करने की दिशा में कई प्रकार के आवश्यक कदम उठाए गए थे।

सितम्बर 1991 में उद्योगों के विकास के लिए पाँच नई रियायतें घोषित की गईं जो इस प्रकार हैं—

(1) बिक्री कर से मुक्त या आस्थगन की स्कीम के लिए सम्पूर्ण राज्य को पिछड़ा घोषित कर दिया गया। पहले यह श्रेणी I व II जिलों में विभाजित किया गया था एवं श्रेणी II के जिलों में बिक्री-कर से मुक्ति या आस्थगन की दर श्रेणी I के जिलों की तुलना में नीची रखी गई थी।

बिक्री कर से मुक्ति या आस्थगन की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष के लिए बढ़ाई गई (जैसे 5 से 7 वर्ष एवं 7 वर्ष से 9 वर्ष तथा 9 वर्ष से 11 वर्ष आदि)। अतः इसे अधिक उदार बनाया गया।

(2) 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (Export-oriented units) को अतिरिक्त लाभ दिए गए, जैसे अति-प्रतिष्ठामूलक इकाई को 11 वर्ष तक क्रय-कर से छूट, 5 वर्ष तक विद्युत-शुल्क की देयता से छूट, 11 वर्ष तक बिक्री कर की देयता से छूट, आदि।

(3) प्रवासी भारतीयों (NRIs) को स्थिर विनि- योग-सब्सिडी 20% (अधिकतम राशि एक इकाई को 35 लाख रुपये) देने का निर्णय लिया गया। NRI की इकाई वह मानी गई जिसमें कुल इक्विटी में वह कम से कम 40% इक्विटी विदेशी करेंसी के रूप में प्रदान करे।

(4) स्टेनलेस स्टील की इकाइयों को अतिरिक्त बिक्री कर सम्बन्धी रियायतें दी गई। इन पर बिक्री कर 8% से घटाकर 2% किया गया। स्टेनलेस स्टील की शीटों पर क्रय-कर 3% से घटाकर 1% किया गया।

(5) सभी टाइनी औद्योगिक इकाइयों व कुछेक लघु उद्योगों को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RPCB) से 'No Objection Certificate' (NOC) लेने की शर्त से भी मुक्ति दी गई।

मार्च 1995 में घोषित अतिरिक्त बिक्री कर की प्रेरणाएँ[1]

(1) 31 मार्च, 1997 तक स्थापित होने वाले सभी नए उद्योगों की प्लांट व मशीनरी को बिक्री-कर से मुक्त रखा गया। (2) आस्थगित बिक्री कर की राशि को अब उद्योगों के लिए ब्याजमुक्त कर्ज में बदल दिया गया। (3) विस्तार (expansion) के मामलों में बिक्री-कर प्रेरणा-स्कीम में अब छूट की सीमा 75% कर दी गई, जो पहले 60% हुआ करती थी। (4) बिक्री-कर की प्रेरणा अब पैकेजिंग के सामान पर भी दी जाने लगी। (5) निर्यात के लिए आभूषण-निर्माताओं द्वारा खनिज व धातु व्यापार निगम (MMTC) से खरीदी गई सोने व चाँदी की खरीद को क्रय-कर से मुक्त किया गया। (6) कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त चमड़ा व खालों तथा कच्चे ऊन को बिक्री-कर से मुक्त किया गया। (7) सभी दस्तकारी की मदों को बिक्री-कर से पूर्णतया मुक्त किया गया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि 1990 की औद्योगिक नीति काफी व्यापक व व्यावहारिक किस्म की थी और इससे राज्य में साधन-आधारित उद्योगों (Resource-based industries) तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला था। इसमें समस्त राज्य में उद्योगों के लिए पूँजी-विनियोग सब्सिडी का प्रावधान किया गया था, जिससे राजस्थान भी औद्योगिक प्रेरणाओं व रियायतों की दृष्टि से पहली बार न केवल अन्य राज्यों के समकक्ष आ गया, बल्कि कुछ सीमा तक उनसे भी आगे निकल

1 RIICO, Concessions & Incentives of Industries, January 1996, p 12

गया था। सितम्बर, 1988 में केन्द्रीय सब्सिडी के बंद हो जाने के बाद राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र में शिथिलता का वातावरण छा गया था। अन्य राज्यों ने केन्द्रीय सब्सिडी के बदले में राज्य सब्सिडी स्कीम को लागू करके इस अभाव की काफी सीमा तक पूर्ति कर ली थी। लेकिन इस दृष्टि से राजस्थान पीछे रह गया था। 1990 की औद्योगिक नीति ने इस अभाव की पूर्ति की और उद्यमकर्ता राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आने लगे।

राज्य की औद्योगिक नीति, 1994*

औद्योगिक नीति के उद्देश्य इस प्रकार रखे गए—*(i)* राज्य का अधिक तेज गति से औद्योगीकरण करना, *(ii)* राज्य के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, *(iii)* अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना, *(iv)* प्रादेशिक असंतुलनों को हटाना, *(v)* निर्यात-संवर्धन करना तथा *(vi)* खादी व ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा, दस्तकारी व लघु तथा अति लघु (टाइनी) उद्योगों को सहायता प्रदान करना।

व्यूहरचना (Strategy)—इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अग्र **व्यूहरचना (Strategy)** व उपाय अपनाने पर बल दिया गया—

(i) विनियोगों के लिए वातावरण सुधारना, *(ii)* भौतिक व सामाजिक आधार-ढाँचे (infrastructure) का विस्तार करना तथा इसे अधिक सुदृढ़ बनाना, *(iii)* नियम व कार्य-विधियों को सरल बनाना, *(iv)* उद्योगों को शीघ्रता से इन्पुट उपलब्ध कराना तथा उनके लिए विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के मामलों को तेजी से निपटाना, *(v)* इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाना, *(vi)* रोजगारोन्मुख विनियोगों तथा ग्रामीण व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना, *(vii)* दक्ष मानवीय शक्ति की उपलब्धि में सुधार करना तथा गुणवत्ता सुधार में मदद देना तथा *(viii)* मुख्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना। इसमें निर्यातों व राज्य के संसाधन-आधारित विकास को उच्च प्राथमिकता देना।

औद्योगिक विकास नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों व व्यूहरचना को कारगर बनाने के लिए कार्य-विधि व विभिन्न प्रेरणाओं में प्रमुखतया निम्न परिवर्तन किए गए—

1. आधार-ढाँचा (Infrastructure)

***(i)* सरकार** ने निजी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया। लेकिन यह शर्त रखी कि प्रस्तावित क्षेत्र रीको के निकटतम औद्योगिक क्षेत्र से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित होना चाहिए।

***(ii)* भूमि का औद्योगिक कार्यों के लिए रूपान्तरण (Conversion)-5 हैक्टेयर तक का भू-क्षेत्र सम्बन्धित अधिकारी (Prescribed authority) द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन में औद्योगिक कार्य के लिए रूपान्तरित कर दिया जाएगा।** यदि इस अवधि में आदेश जारी न हो सका तो स्वीकृति स्वतः दी हुई मानी जाएगी।

---

* Industrial Policy 1994, GOR, June 15, 1994

5 हैक्टेयर से 20 हैक्टेयर तक के भू-क्षेत्र के रूपान्तरण के अधिकार जिलाधीश के कार्यक्षेत्र में माने गए। इससे ऊपर व 30 हैक्टेयर तक के लिए अधिकार खण्ड-कमिश्नर (Divisional Commissioner) के माने गए।

नमक वाले क्षेत्र (Saline area) के आवंटन के नियम आसान बनाए गए। इनकी लीज की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई।

(iii) **राज्य में पावर की सृजन-क्षमता 31 मार्च, 1994 को 2813 मेगावाट हो गई थी।** इसके बाद कोटा थर्मल पावर स्टेशन की इकाई-V चालू की गई जिससे 210 मेगा-वाट सृजन- क्षमता और जुड़ी है। 1 अप्रैल, 1994 को राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (NTPC) से समझौता होने से 250 मेगावाट अतिरिक्त पावर प्राप्त हो सकी थी। भविष्य में निम्न परियोजनाओं से पावर प्राप्त करने का प्रावधान किया गया—सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन (2 × 250 मेगावाट) रामगढ़ गैस पावर स्टेशन (विस्तार) (35.5 मेगावाट), बरसिंगसर लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन (2 × 120 मेगावाट) तथा धौलपुर पावर स्टेशन (3 × 250 मेगावाट)। पावर-सृजन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का भी कार्यक्रम रखा गया।

ओद्योगिक इकाइयों को कैप्टिव पावर संयंत्र (Captive Power Plants) लगाने की सुविधा दी गई और उनकी अतिरिक्त पावर RSEB द्वारा खरीद कर अन्यत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। डीजल जेनरेटिंग सेट (DG Sets) के लिए अनापत्ति सर्टिफिकेट (NOC) 15 दिन में स्वीकार करने का आश्वासन दिया गया।

(iv) राज्य में पानी का अभाव है। **यह देश के सतह के कुल जल (Surface water) का लगभग 1 प्रतिशत मात्र है।** यमुना जल-समझौते से राज्य के पूर्वी भाग को 1119 करोड़ घन मीटर पानी उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया जो काफी सीमा तक पानी की कमी को दूर करेगा। इन्दिरा गाँधी नहर से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर जिलों को तथा चम्बल से कोटा व बूँदी जिलों को पानी देने का निर्णय लिया गया। माही प्रोजेक्ट से बाँसवाड़ा जिले को तथा नर्मदा से जालौर व बाड़मेर क्षेत्रों को जल देने का कार्यक्रम रखा गया।

(v) राज्य में संचार की सुविधाएँ बढ़ी हैं। 1995-96 तक लगभग 2000 किलोमीटर में मीटर गेज से ब्रोडगेज में परिवर्तन करने का लक्ष्य घोषित किया गया ताकि उद्योगों के लिए विकास की सुविधाएँ काफी बढ़ सकें।

सड़कों का निर्माण निजी क्षेत्र में भी प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। यह कहा गया कि निजी पार्टियाँ अपने द्वारा निर्मित सड़कों व पुलों से टोल-टैक्स भी एकत्र कर सकेंगी।

(vi) **रीको व राजस्थान वित्त निगम का अवधि- कर्ज देने का काम बढ़ाने का निर्णय लिया गया।** रीको ने मर्चेन्ट बैंकिंग कम्पनी का कार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे सरकार को योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटाने में मदद मिली है; जैसे राज्य सरकार ने सार्वजनिक बॉण्ड बेचकर 1994-95 में 250 करोड़ रु. एकत्र करने का लक्ष्य रखा जिसे प्राप्त कर लिया गया।

(iii) यह कहा गया कि सरकार निजी क्षेत्र को इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में अधिक सहयोग देगी। सरकार के स्वामित्व वाली हेरीटेज प्रोपर्टी को होटल में बदलने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जाएगा। निजी पार्टियाँ मनोरंजन पार्क, रोपवेज, जल-स्पोर्ट्स व अन्य क्रीड़ाओं का विकास कर सकेंगी।

2. शीघ्र स्वीकृतियाँ (Speedy clearances) व प्रणाली का सरलीकरण (Simplified Systems)

***(i)* प्रदूषण-नियंत्रण-बोर्ड से स्वीकृति**—1994 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत 115 लघु उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने से मुक्त कर दिया गया। राज्य में 26 उद्योग **'लाल'** (Red) श्रेणी में रखे गए। ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग माने गए हैं और 32 उद्योग मामूली प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग माने गए हैं। इन्हें **'नारंगी'** (Orange) श्रेणी में रखा गया।

1994 की नीति में यह व्यवस्था की गई कि प्रदूषण नियंत्रण-बोर्ड से स्वीकृति 15 वर्ष के लिए दी जाएगी, लेकिन लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए यह 3 वर्ष व नारंगी श्रेणी के उद्योगों के लिए 5 वर्ष के लिए होगी। स्वीकृतियों के नवीकरण की प्रक्रिया भी सरल की गई।

***(ii)* उद्योगों के निरीक्षण-कार्य (इन्स्पेक्शन) में कमी—वर्तमान में फैक्ट्री अधिनियम को छोड़कर 14 श्रम-कानून हैं जिनके अन्तर्गत एक उद्योग का इन्स्पेक्शन** किया जाता है। 1994 की नीति के तहत यह निर्णय लिया गया कि अलग-अलग निरीक्षण की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त किया जाए और इसकी जगह एक कॉमन निरीक्षण की व्यवस्था ही रखी जाए। श्रम-विभाग द्वारा औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा श्रम-कानूनों के अन्तर्गत पूरे किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण दायित्वों की एक चैकलिस्ट तैयार की जाएगी जिसे उद्योगों व इन्स्पेक्टरों में वितरित किया जाएगा और उसी के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा।

1994 की नीति के तहत यह व्यवस्था की गई कि 20 श्रमिकों से कम व्यक्तियों को काम देने वाली लघु व टाइनी इकाइयों के सम्बन्ध में रैण्डम आधार पर केवल 5% प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाएगा। अन्य मामलों में वर्ष में एक बार 10% इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा। बड़े व मध्यम उद्योगों में निरीक्षण के वर्तमान नॉर्म को 50% कम कर दिया गया। सामान्य निरीक्षण के लिए फैक्ट्री देखने से पूर्व नियंत्रक अधिकारी की लिखित इजाजत जरूरी कर दी गई। लेकिन विशेष परिस्थितियों में या विशेष शिकायतें होने पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

आगे से लघु पैमाने की इकाइयों को केवल एक वार्षिक-रिटर्न ही भेजना होगा और सभी श्रम-कानूनों के लिए एक कॉमन नोटिस लगाना होगा।

10 श्रमिकों से कम काम देने वाले प्रतिष्ठानों को केवल एक रजिस्टर रखना होगा और 10-19 श्रमिकों वाली इकाइयों को तीन रजिस्टर रखने होंगे।

फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत भी निरीक्षण के मान (Norms) घटाए गए। **राज्य की लगभग 12600 फैक्ट्रियों में से 5000 इकाइयों को अधिनियम से मुक्त कर दिया गया क्योंकि अब यह 15 मदों की जगह केवल 3 मदों वाली फैक्ट्रियों पर ही लागू होगा।** इससे बहुत छोटे उपक्रम इसके दायरे से निकल गए जिससे इन लघु इकाइयों को काफी राहत मिली।

विशेष इन्पुट व स्वीकृतियों के कामों को शीघ्र निपटाने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधि-कार प्राप्त समिति (Empowered committee) स्थापित की गई जिसे अन्तिम निर्णय के अधिकार दिए गए। प्रत्येक विभाग या संगठन में एक वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख या 'नोडल अधिकारी' बनाया गया जिसे उद्यमकर्ता व विभाग के बीच सम्पर्क का काम दिया गया। राज्य स्तर व जिला-स्तर पर सहूलियत-समूह (Facilitation groups) स्थापित किए गए ताकि शीघ्रतापूर्वक स्वीकृतियाँ दिलाई जा सकें। राज्य-स्तर पर समिति के अध्यक्ष उद्योग-सचिव और जिला-स्तर पर जिलाधीश रखे गए। राज्य-स्तर पर इस कार्य का सचिवालय 'बिप' (Bureau of Industrial Promotion) (BIP) तथा जिला-स्तर पर जिला-उद्योग-केन्द्र (DIC) रखा गया।

इस प्रकार सभी प्रकार की स्वीकृतियाँ समयबद्ध सारणी के अनुसार नियोजित की गईं।

3. निर्यात (Exports)

1993-94 में राजस्थान से लगभग 1432 करोड़ रु. के माल का निर्यात किया गया था, जो बाद के वर्षों में बढ़ा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक निर्यात-विकास-परिषद का पुनर्गठन किया गया। निर्यात के लिए एक अन्तर्देशीय-कन्टेनर-डिपो (Inland Container Depot) (ICD) व एयर-कार्गो-कॉम्प्लेक्स जयपुर में कार्यरत हैं। एक नया ICD जोधपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। औद्योगिक नीति में निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए अग्र उपाय सुझाए गए—

(i) **निर्यात-प्रोत्साहन-औद्योगिक पार्क (Export Promotion Industrial Park) (EPIP)**—भारत सरकार की मदद से राज्य में स्थापित करने का निश्चय किया गया ताकि इस पार्क में उच्च श्रेणी की आधार-सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

(ii) यह कहा गया कि निजी क्षेत्र को निर्यात-प्रोसेसिंग क्षेत्र (Export Processing Zones) (EPZs) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(iii) पावर कनेक्शन देने में 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को प्राथमिकता दी गई।

(iv) 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को अतिरिक्त प्रेरणाएँ दी गई। 15 करोड़ रु. से 100 करोड़ रु. के प्रोजेक्टों के लिए 5 से 7 वर्ष तक कच्चे माल पर क्रय-कर से मुक्ति दी गई। 5 करोड़ रु. से 15 करोड़ रु. के प्रोजेक्टों के लिए 50% की छूट दी गई। कृषि आधारित इकाइयों के लिए विनियोग की निचली सीमा 1 करोड़ रु. रखी गई। 10 करोड़ रु. से ऊपर विनियोग वाली इकाइयों को पावर-कटौती से मुक्त रखा गया। मशीनरी की

खरीद पर बिक्री-कर नहीं लगाया गया । पूँजी-विनियोग सब्सिडी अनिवासी या प्रवासी भारतीयों (NRIs) की इकाइयों के समान कर दी गई । गुणवत्ता के लिए ISO 9000 व BIS 14000 सिरीज में रजिस्ट्रेशन पाने के लिए जाँच-उपकरण (Testing equipment) की खरीद पर सब्सिडी उसकी लागत का 50% रखी गई ताकि गुणवत्ता में सुधार हो सके । मालभाड़ा सब्सिडी (Freight subsidy) कुल मालभाड़े का 25% निर्धारित की गई । यह ICD के मार्फत बन्दरगाहों तक कन्टेनर्स भेजने पर लागू की गई । यह कहा गया कि एक व्यापार-केन्द्र स्थापित किया जाएगा तथा निर्यात-उत्पादन, डिजाइन-विकास व वस्तु में नयापन लाने हेतु कई प्रयास किए जाएँगे ।

1993-94 व 1996-97 में राजस्थान से किए गए निर्यातों की स्थिति अध्याय के अंत में परिशिष्ट 2 में दी गई है ।

4. औद्योगिक रुग्णता (Industrial Sickness)

(i) **रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए वर्तमान सुविधाएँ—**बिक्री-कर प्रेरणा/आस्थगन स्कीम 1987 अथवा 1989 के अन्तर्गत रुग्ण इकाइयों को कर-देयताओं (Tax liabilities) की 50% की दर से छूट/आस्थगन की सुविधा दी जाती है । उनको बिजली कटने की अवधि के लिए न्यूनतम चार्जेज के भुगतान से मुक्त रखा जाता है (जो इकाइयाँ रीको या अन्य संस्थाओं द्वारा पुनर्जीवित की जा रही हैं) । राज्य विद्युत मण्डल की बकाया राशियाँ विलम्ब-भुगतान-सरचार्ज के स्थान पर 15% वार्षिक ब्याज लगाकर वसूल की जाती हैं । इनको विद्युत-शुल्क के भुगतान की नई तारीख एवं बिक्री-कर की बकाया-राशियों के लिए नई तारीख की सुविधा दी जाती है । अतिरिक्त भूमि को बेचकर प्राप्त राशि ब्याज मुक्त-कर्ज के रूप में दी जाती है । भूमि को वित्तीय संस्थाओं को गिरवी रखने की तेजी से इजाजत दी जाती है । लघु इकाइयों को पुनर्स्थापना के दौरान 50 हजार रु. की मार्जिन मुद्रा कर्ज के रूप में दी जाती है ।

(ii) **1994 की औद्योगिक नीति में रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ—**नीति में यह व्यवस्था की गई कि भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार रुग्ण लघु इकाइयों व अन्य गैर-बी आई.एफ.आर. इकाइयों को पहचाना जाएगा । इन्हें अतिरिक्त भूमि बेचने, भुगतान की बकाया राशियों के लिए आगे की तारीख तय करने, विद्युत-शुल्क व बिक्री-कर का ब्याज/जुर्माना माफ करने, पुनर्स्थापना के लिए अतिरिक्त संयंत्र व मशीनरी पर चुंगी के भुगतान की छूट देने की व्यवस्था की गई । बीआईएफआर (BIFR) के मामलों में अतिरिक्त भूमि को औद्योगिक कार्य के लिए बेचने की इजाजत दी गई । इस बात पर जोर दिया गया कि स्थानीय अधिकारियों की इजाजत से यह अन्य कार्यों के लिए भी बेची जा सकेगी और बिक्री से प्राप्त राशियाँ रीको या राजस्थान वित्त निगम के पास जमा करानी होंगी, जो पुनर्स्थापन के लिए उनको ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में दी जाएगी । राज्य विद्युत मण्डल भविष्य में बकाया राशियों पर विलम्ब-भुगतान-सरचार्ज की जगह सामान्य दशाओं में केवल 15% वार्षिक ब्याज लेगा ।

5. प्रेरणाएँ (Incentives)

पूँजी-विनियोग-सब्सिडी (Capital Investment Subsidy)—1 अप्रैल, 1990 के बाद उत्पादन में आने वाली इकाइयों को यह सुविधा निम्न प्रकार से उपलब्ध की गई—बड़े व मध्यम उद्योगों को स्थिर विनियोग पर सब्सिडी 15% की दर से, लेकिन एक इकाई को सर्वाधिक राशि 15 लाख रुपए तथा लघु इकाइयों के लिए 20% की दर से, लेकिन सर्वाधिक राशि 20 लाख रु.। बड़ी व मध्यम इकाइयाँ, जो 100% निर्यातोन्मुख हों, या साधन-आधारित हों, उनको भी 20% या अधिकतम 20 लाख रु की सब्सिडी दी गई। उद्योग-विहीन जिलों व जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में अतिरिक्त 5% सब्सिडी (अधिकतम 5 लाख रु) बड़े व मध्यम उद्योगों को, तथा लघु इकाइयों को अतिरिक्त 10% (अधिकतम 10 लाख रु) सब्सिडी दी गई। अनिवासी या प्रवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा इक्विटी में 40% तक अंश वाली इकाइयों को 20% सब्सिडी, अथवा अधिकतम 35 लाख रु. की सब्सिडी दी गई। सब्सिडी की यह स्कीम 31 मार्च, 1995 को समाप्त हो गई। इसमें निम्न संशोधन किए गए।

सब्सिडी की चालू स्कीम में परिवर्तन—*(i)* इसमें सोफ्टवेयर विकास, विशिष्ट क्षेत्रों में दूध-उत्पाद, विशेष विनियोग सीमा तक सोफ्ट पेय की इकाइयों, औद्योगिक अल्कोहल, पावर-गहन-इकाइयों व बियर को भी शामिल किया गया। *(ii)* लघु इकाइयों के सम्बन्ध में सब्सिडी के मामले जिलास्तरीय समितियों द्वारा निपटाने का निर्णय लिया गया। *(iii)* इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर अधिक बल दिया गया और प्रत्यक्ष संवर्धनात्मक (Direct promotional) सब्सिडी पर कम बल दिया गया। सब्सिडी का उपयोग रोजगार में वृद्धि करने व लाभ उठाने वाले उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

यह स्कीम मार्च, 1997 तक लागू की गई, लेकिन इसमें निम्न परिवर्तन किए गए—

(अ) सब्सिडी *लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को जारी रखी गई*। बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में एक पंचायत समिति में स्थापित होने वाली प्रथम इकाई को ही सब्सिडी दी गई। (आ) मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार व विविधीकरण के लिए सब्सिडी नहीं दी गई। (इ) शहरी क्षेत्रों में 1 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले क्षेत्रों में सब्सिडी नहीं दी गई।

मार्च, 1997 के बाद उत्पादन में आने वाली इकाइयों को सब्सिडी या अन्य लाभ नहीं दिया गया। लेकिन यदि कोई औद्योगिक इकाई स्कीम की अन्तिम तारीख तक प्रोजेक्ट-लागत का कम से कम 25% विनियोग कर लेती है, और इस तारीख के बाद 3 वर्ष की अवधि में व्यावसायिक उत्पादन चालू कर देती है, तो उसको सब्सिडी का लाभ दिया गया।

बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगन की स्कीम—यह सुविधा 1989 व 1987 की स्कीमों में नई इकाइयों, पुनर्स्थापन में लगी रुग्ण इकाइयों व विस्तार/विविधीकरण में लगी इकाइयों

को उपलब्ध रही है । यह उद्योग के आकार-प्रकार के आधार पर 7 से 11 वर्ष तक दी जाती है । सुविधा की मात्रा स्थिर विनियोग व कर-देयताओं (Tax-liability) की मात्रा के अनुसार सीमित होती है । यह स्थिर पूँजीगत विनियोगों के 100% से 125% तक सीमित की गई । कर-देयताओं के रूप में यह 75% से 100% तक सीमित की गई । यह सुविधा मध्यम व लघु इकाइयों को जिला स्तर पर तथा बड़ी इकाइयों को राज्य-स्तर पर स्वीकृत की जाती है ।

राज्य सरकार ने इस स्कीम के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिए—

(i) महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित टाइनी औद्योगिक इकाइयों को 100% तक 3 वर्षों के लिए बिक्री-कर से छूट दी गई । *(ii)* रेलवे साइडिंग्स, रोलिंग स्टॉक, रेक्स व रेल-इंजनों को भी स्थिर परिसम्पत्ति (Fixed assets) में शामिल किया गया । *(iii)* 10 करोड़ रु. से अधिक विनियोग वाली सोफ्टवेयर विनिर्माण इकाइयों को इस स्कीम की नकारात्मक सूची से निकाल दिया गया ।

बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगन स्कीम में निम्न परिवर्तन करने की घोषणा की गई—

(i) **बिक्री-कर में एकत्र राशि व उद्यमकर्ता द्वारा रखी गई राशि राज्य सरकार को दी हुई मानी जाएगी और वह उद्यमकर्ता को ब्याज-मुक्त कर्ज के रूप में दी हुई मानी जाएगी, जब तक कि यह स्कीम के मुताबिक पुनः वापस नहीं कर दी जाती । इससे फर्म के लिए आयकर की समस्या नहीं रही ।** *(ii)* आस्थगन स्कीम के अन्तर्गत बिक्री कर की एकत्र राशि, सुविधा चालू होने के 4 वर्ष बाद देय की गई । *(iii)* इस स्कीम में श्रम-गहन-इकाइयों को स्थिर पूँजी विनियोग के अतिरिक्त 20% बिन्दु तक लाभ दिया गया । *(iv)* बियर, औद्योगिक अल्कोहल, आदि इकाइयों को भी यह सुविधा दी गई । *(v)* 100 करोड़ रु. से ऊपर के विनियोग वाली नई सीमेंट इकाइयों को (गैर-जनजाति उप-योजना क्षेत्र में) आस्थगन स्कीम में लाभ 25% से बढ़ाकर 50% किया गया । *(vi)* यदि स्कीम के बन्द होने की तारीख तक प्रोजेक्ट-लागत का कम से कम 25% विनियोग हो चुका है, तो उस इकाई को इस स्कीम का लाभ दिया गया ।

क्रय-कर—ईसबगोल पर क्रय-कर 2.5% से घटाकर 1% कर दिया गया, क्योंकि इसके निर्यात की सम्भावनाएँ हैं । यह व्यवस्था की गई कि विनिर्माता कच्चा माल 3% का रियायती कर देकर प्राप्त कर सकेंगे । लेकिन 4% कर देकर ब्रांच-ट्रान्सफर की इजाजत दी जा सकेगी । मशीनों की खरीद पर बिक्री-कर से छूट दी गई । यह सुविधा 31 मार्च, 1997 तक बढ़ा दी गई । विशेष इन्जीनियरी व रसायन उद्योग इसके दायरे में लाए गए । डीजल जैनेरेटिंग सेट पर सब्सिडी की राशि लागत का 25%, अथवा 1.50 लाख रु. (पहले 50 हजार रु.) जो भी कम हो, कर दी गई । कैप्टिव-पावर-प्लांट पर विद्युत-शुल्क से छूट दी गई । राज्य विद्युत मण्डल ने विलम्ब-भुगतान-सरचार्ज को पहले से अधिक उदार बनाया ।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्ताओं को विशेष सहायता—

(i) रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में 4000 वर्गमीटर तक के प्लाटों के आवंटन पर 50% रिबेट दी गई ।

(ii) राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिए जाने वाले कर्जों पर ब्याज में 2% की रिबेट (2 लाख रु के स्थान पर 5 लाख रुपयों के कर्ज तक) दी गई। जनजाति उप-योजना क्षेत्र में ब्याज में 1% की अतिरिक्त रिबेट दी गई। ऐसे कर्ज पर मार्जिन मुद्रा 25% की जगह 5% ही रखी गई।

(iii) RFC कर्ज की प्रोसेसिंग-फीस पर 50% की रियायत दी गई।

(iv) राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पावर-कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है।

(v) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना में 22 5% रिजर्वेशन उपलब्ध है।

(vi) इनके लिए अलग से उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम संचालित किए गए।

महिला-उद्यमकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन—*(i)* महिला उद्यमियों के लिए 2000 वर्गमीटर की औद्योगिक भूमि पर 10% स्पेशल रिबेट तथा युद्ध काल की विधवा महिलाओं (War-widows) के लिए 25% रिबेट दी गई।

(ii) RFC द्वारा महिला-उद्यम-निधि-स्कीम (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की) के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को नए प्रोजेक्ट (15 लाख रु की लागत तक) के लिए 1% सालाना, ब्याज की दर पर इक्विटी-टाइप सहायता उपलब्ध कराई गई।

(iii) घरेलू उद्योगों के लिए शहरी निर्धन महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

(iv) टाइनी इकाइयों पर बढ़ी हुई दरों से बिक्री-कर पर छूट दी गई।

(v) उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रमों का लाभ महिला उद्यमशीलता के विकास के लिए भी उपलब्ध किया गया।

6. विशेष उद्योगों के विकास के उपाय

***(i)* चमड़ा-आधारित उद्योग (Leather-based Industries)**—वर्तमान में इस उद्योग का अधिकांश कच्चा माल राज्य के बाहर भेज दिया जाता है। औद्योगिक नीति में इस उद्योग में परम्परागत विधियों के स्थान पर आधुनिक व वैज्ञानिक विधियों को अपनाने पर बल दिया गया तथा **बिक्री- दर की देयताओं की सीमाएँ 75% से बढ़ाकर 90% (नई इकाइयों के लिए) तथा विस्तार/विविधीकरण के लिए 60% से बढ़ाकर 75% कर दी गई।** कच्चे माल जैसे कच्चा चमड़ा, खालों आदि पर क्रय-कर 3% से घटाकर 1% करने का निर्णय लिया गया।

***(ii)* चीनी मिट्टी व काँच के उद्योग (Ceramic and Glass Industries)**—राज्य में फेल्सपार, सिलीका मिट्टी, क्वार्ट्ज व बेन्टोनाइट, आदि के बड़े भण्डार पाए जाते हैं। इन उद्योगों का 40% से 70% कच्चा माल राज्य के बाहर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। औद्योगिक नीति में बिक्री-कर-प्रोत्साहन-स्कीम 1989 के अन्तर्गत 5 करोड़ से 25 करोड़ रु. के विनियोग वाली इकाइयों को बिक्री-कर का लाभ 7 वर्ष से

बढ़ाकर 9 वर्ष तथा 25 करोड़ रु. से 100 करोड़ वाली इकाइयों को 9 वर्ष से बढ़ाकर 11 वर्ष किया गया। उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के लिए कर-देयता (Tax-liability) से छूट 75% से बढ़ाकर 90% तथा 75% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की गई।

***(iii)* ऊन उद्योग (Wool Industry)**—इस उद्योग में गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण, वस्तु-विविधीकरण, ऊन की ग्रेडिंग, नमदा उत्पादन, क्रय कर में कमी करने (1%) की सुविधा दी गई।

***(iv)* इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (Electronics Indu-stries)**—इनको भी चीनी मिट्टी व काँच के उद्योग की भाँति नई सुविधाएँ दी गईं। इसकी इकाइयों के लिए क्रय-कर 2% रखा गया तथा ब्रांच-ट्रान्सफर की सुविधा दी गई।

***(v)* खनिज-आधारित उद्योग (Mineral-based Industries)**—राज्य फेल्सपार व वोलस्टोनाइट का अकेला उत्पादक है, तथा इसका जस्ते, जिप्सम, फ्लोराइट, एस्बेस्टस व केल्साइट के उत्पादन में एकाधिकार है एवं यह सीसे, टंग्स्टन, फॉस्फोराइट, फ्लोर्सपार, आदि का प्रमुख उत्पादक है। इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने के लिए निम्न कदम उठाए गए—खनन पट्टे वित्तीय संस्थाओं को गिरवी रखकर अवधि-कर्ज प्राप्त करने की सुविधा दी गई। बड़े खनिजों के लीज की स्वीकृति का न्यूनतम क्षेत्र 5 हैक्टेयर कर दिया गया। राज्य में प्रोसेसिंग इकाई लगाने वाले उद्यमकर्ताओं को खनन-लीज स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी गई।

***(vi)* कृषि व खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग (Agro and Food Processing)**—राज्य में देश का 40% सरसों उत्पन्न होता है। सोयाबीन में इसका द्वितीय स्थान है। यहाँ धनिया, जीरा व लालमिर्च बहुत होती है। राज्य कपास, सोयाबीन, सरसों, गुआर गम (guar gum), ईसबगोल, आदि का निर्यात कर सकता है। राज्य में कुकुरमुत्ता (Mushroom), शतावरी (Asparagus), जोजोबा, कट-फ्लॉवर, आदि के उत्पादन की भी सम्भावनाएँ हैं। भविष्य में कोल्ड स्टोरेज व ग्रीन हाउस के लिए सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई। टिस्यू कल्चर व फूलों की खेती को बढ़ाने पर बल दिया गया। 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों की भाँति इनकी स्थिर पूँजी के विनियोग पर भी सब्सिडी दी गई। निर्यातोन्मुख फसलों व ऊँचे मूल्य वाली फसलों को विदेशी सहयोग से आगे बढ़ाने तथा आवश्यक मामलों में सीलिंग कानून से छूट देने की नीति का समर्थन किया गया।

***(vii)* पर्यटन (Tourism)**—राज्य के लिए एक व्यापक पर्यटन विकास योजना तैयार करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से धन प्राप्त करने की आवश्यकता स्वीकार की गई।

(viii) सीमेन्ट, वस्त्र, वनस्पति/खाद्य-तेलों को सहायता जारी रखी गई। विशेष कॉम्पलेक्स स्थापित करके इन उद्योगों का विकास करने पर बल दिया गया।

राजस्व-विकास, उद्योग-निदेशालय, रीको/आर एफ सी. पर्यावरण विभाग, फैक्ट्री व बॉयलर इन्स्पेक्टर, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल आदि के लिए विभिन्न कार्यों के लिए समय-सीमाएँ निर्धारित कर दी गईं ताकि राज्य का औद्योगिक विकास द्रुतगति से हो सके।

औद्योगिक नीति, जून 1998
(Industrial Policy, June 1998)

नई औद्योगिक नीति की व्यूहरचना (Strategy)—नई नीति में विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है और इसके लिए **समूहों के विकास (development of clusters) की रणनीति अपनाई गई है ताकि समूह की किफायतों (economies of agglomeration) व प्रमुख क्षेत्रों की प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके।** इस नीति की व्यूहरचना में आधारभूत ढाँचे के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा विकास व रोजगार की दृष्टि से कुछ प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है, नियम व प्रक्रियाएँ सरल की गई हैं, नीति के क्रियान्वयन में उद्योग व सरकार की साझेदारी को स्वीकार किया गया है, उद्योग की नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानवीय संसाधनों के विकास पर अधिक बल दिया गया है और राज्य के आर्थिक विकास में निजी उपक्रम की साझेदारी बढ़ाई गई है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास—आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए राज्य के साधनों के अधिकतम उपयोग व निजी क्षेत्र के सहयोग की नीति अपनाई गई है। इसके लिए क्षेत्रीय समूहों (Sectoral Clusters) का विकास करने के विशेष उपाय करने पर बल दिया गया है।

विनियोग बोर्ड का पुनर्गठन 'इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास व विनियोग बोर्ड' के रूप में किया गया है ताकि उद्योग से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में समय पर सुविधाएँ उपलब्ध करने में मदद मिलेगी और अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

निजी क्षेत्र में एक परियोजना विकास निगम (Project Development Corporation) (PDCOR) की स्थापना की गई है जिसमें राज्य सरकार ने शेयर-पूँजी में भाग लिया है। यह कम्पनी व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद परियोजनाओं पर **'विनियोग बैंकिंग रिपोर्ट'** प्रस्तुत करेगी। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज लि. (IL & FS) तथा हाउसिंग डेवलपमेण्ट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) का योगदान होगा।

राज्य के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के सहयोग से **व्यवसाय-केन्द्र (Business Centres) स्थापित करने पर जोर दिया गया है जिनके लिए रीको भूमि या भवन की व्यवस्था करेगा।** इनमें उद्यमकर्ताओं को टेलीफोन, फेक्स, सम्मेलन के स्थान, आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी।

निम्न स्थानों पर विशेष उद्योगों के लिए औद्योगिक समूह (Industrial Complexes) स्थापित किए जाएँगे—

1 जेम्स एण्ड ज्वैलरी	EPIP व जेम पार्क, जयपुर
2 होजियरी	चोपन्को, भिवाड़ी
3 ऑटो सहायक पदार्थ	घटल (भिवाड़ी) तथा सीतापुरा (जयपुर)
4 सिरेमिक्स	खारा (बीकानेर)
5 सोफ्टवेयर टेक्नोलोजी	EPIP (जयपुर)
6 इलेक्ट्रोनिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन्स	कूकस (जयपुर)
7 टेक्सटाइल्स	भीलवाड़ा, सांगानेर, सीतापुरा, पाली, जोधपुर, बालोतरा
8 कृषि (एग्रो) उद्योग	इन्दिरा गाँधी नहर प्रोजेक्ट क्षेत्र
9 चमड़ा	मानपुरा-माचेड़ी
10 ऊन उद्योग	ब्यावर, बीकानेर
11 दस्तकारियाँ	शिल्पग्राम (जोधपुर व जैसलमेर)
12 डाइमेन्शनल स्टोन (आयामी पत्थर)	किशनगढ़, उदयपुर, चित्तौडगढ़ ।

औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ; जैसे—सड़क, पावर, जल-पूर्ति, आदि विकसित की जाएँगी तथा साथ में सामाजिक आधारभूत सुविधाएँ; जैसे शिक्षा, आवास, अस्पताल, आदि का भी विकास किया जाएगा । **नेशनल हाईवे संख्या 8 पर जयपुर से भिवाड़ी तक समन्वित औद्योगिक विकास का कार्यक्रम सम्पन्न किया जाएगा ।** समन्वित औद्योगिक पार्क रीको के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में या निजी क्षेत्र में विकसित किए जाएँगे ।

पहले निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास रीको के औद्योगिक क्षेत्रों की 10 किलोमीटर की दूरी में नहीं हो सकता था । इसे अब घटाकर 5 किलोमीटर किया गया है । भूमि-रूपान्तरण (Land Conversion) 5 हैक्टेयर तक स्वचालित हो सकेगा । राजस्व-अधिकारी को दिए गए आवेदन की तारीख से 30 दिन बीत जाने पर रूपान्तरण हुआ मान लिया जाएगा । इसे तहसीलदार/ग्राम पंचायत 7 दिन में गाँव के रिकार्डों में प्रविष्टि दे देंगे । औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सलाह देने के लिए सलाहकार समितियाँ नियुक्त की जाएँगी । उद्यमकर्ताओं के विवादों को निपटाने के लिए निपटारा-समितियाँ बनाई जाएँगी ।

शक्ति (Power)—नई औद्योगिक नीति में पावर की प्रस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 1998 व वर्ष 1999 में सूरतगढ़ चरण-1 परियोजना की दो इकाइयाँ (प्रत्येक इकाई 250 मेगावाट की) चालू हो जाएँगी । इनके अलावा निम्न बड़े शक्ति-संयंत्र (पावर-प्लांट) नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में व दसवीं योजना के प्रारम्भिक वर्षों में चालू किए जाएँगे ।

क्षमता (मेगावाट में)

1	धौलपुर पावर प्रोजेक्ट (तरल ईंधन पर आधारित)	700
2	बरसिंगसर पावर प्रोजेक्ट (लिग्नाइट पर आधारित)	500
3	सूरतगढ़ चरण-II पावर प्रोजेक्ट (कोयले पर आधारित)	500
4	कपूरडी व जालीपा प्रोजेक्ट (लिग्नाइट पर आधारित)	1200
	कुल	2900

राज्य में कैप्टिव पावर संयंत्रों को लगाने की पूरी स्वतन्त्रता होगी । इसके लिए RSEB की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । RSEB की तरफ से प्रोसेस उद्योग, निर्यातोन्मुख इकाइयों व EPIP में स्थापित इकाइयों के लिए बिजली की निर्बाध रूप में पूर्ति की व्यवस्था की जाएगी । रीको निजी क्षेत्र में लगाए जाने वाले पावर संयंत्रों के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा जो RSEB के ग्रिड स्टेशन के पास होगी । ईंधन सरचार्ज तिमाही आधार पर संशोधित किया जाएगा । जो औद्योगिक उपभोक्ता अपनी पावर से अपना संयंत्र चलाता है उससे कोई न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाएगा । नए बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रथम छ: माह के लिए वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली का भुगतान करना होगा, और अगले छ: माह के लिए वास्तविक उपभोग, अथवा न्यूनतम चार्जेज के 50% (जो भी अधिक हो), के आधार पर भुगतान करना होगा ।

दूरसंचार की सुविधा कार्यकुशल व विश्वसनीय बनाई जाएगी । सेल्यूलर फोन की सुविधा जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा के अलावा अलवर, भिवाड़ी, पाली व ब्यावर, आदि को भी प्रदान की जाएगी ।

भीलवाड़ा व उदयपुर को निकट भविष्य में ब्रोडगेज से जोड़ने का तथा भिवाड़ी को भी रेल-मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाएगा ।

नवीं पंचवर्षीय योजना में 1500 किलोमीटर की दूरी में राज्य हाईवे नेटवर्क को विश्व बैंक की सहायता से सुधारा जाएगा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर जयपुर-दिल्ली के बीच चार लेन का राजमार्ग बनाया जाएगा जिसमें जयपुर-कोटपूतली मार्ग तो पूरा हो गया है और कोटपूतली-दिल्ली का शेष अंश शीघ्र ही पूरा किया जाएगा । दूसरे चरण में जयपुर-अजमेर खण्ड लिया जाएगा । प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में लिंक-सड़कों का विकास किया जाएगा ।

कान्दला में एक बर्थ-सुविधा विकसित करने का प्रयास किया जाएगा । वायु-परिवहन के विकास के लिए सरकार की वर्तमान 19 एयर-स्ट्रिप्स (हवाई पट्टियों) की सुविधा एयर टैक्सी ऑपरेटरों को उपलब्ध करा दी गई है ।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति (Clearance) प्राप्त करने की सुविधा—रीको अथवा और कोई एजेन्सी पर्यावरण विभाग से पर्यावरण-प्रभाव-मूल्यांकन (Environment

Impact Assessment) (EIA) तथा पर्यावरण-प्रबन्ध योजना (Environment Management Plan) (EMP) सम्पूर्ण क्षेत्र अथवा किसी क्षेत्र के विशेष भाग के लिए स्वीकृत करा लेगी। उसके बाद एक औद्योगिक इकाई को अलग से पर्यावरण-विभाग से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

औद्योगिक इकाइयों को राष्ट्रीय या राज्यीय राजमार्गों से सामान्यतया 150 मीटर से परे के क्षेत्रों में अपनी इकाई स्थापित करने की इजाजत दी जाएगी ताकि ट्रैफिक के मुक्त प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। लेकिन बड़े पैमाने पर विकसित क्षेत्रों में जिला स्तरीय समिति की इजाजत से इसमें कुछ रियायत दी जा सकेगी। सीमेंट संयंत्रों, ग्राइन्डिंग इकाइयों व अन्य काफी प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को राजमार्गों से 300 मीटर की दूरी में अपनी इकाई लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रीको में प्रदूषण-नियंत्रण के लिए एक सलाहकारी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। प्रदूषण-नियंत्रण बोर्ड बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में प्रादेशिक कार्यालय स्थापित करेगा ताकि यह काम विकेन्द्रित आधार पर निपटाया जा सके। लघु व टाइनी इकाइयों के लिए 7 दिन में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOCs) देने की सुविधा दी जाएगी। इस नीति में 115 उद्योगों के स्थान पर 150 लघु पैमाने के उद्योगों को NOCs/स्वीकृति लेने से मुक्त कर दिया गया।

औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के लिए प्रयास किए जाएँगे। फैक्ट्री के अन्दर धमकी देने, श्रमिकों से पैसा ऐंठने व हिंसा करने जैसी प्रतिबन्धात्मक श्रम-विधियों को सम्बद्ध नियमों के तहत कड़ाई से रोका जाएगा ताकि उत्पादन को किसी प्रकार की हानि न पहुँचे। जिलाधीश की अध्यक्षता में श्रम-समस्याओं के निपटारे के लिए समिति बनाने पर जोर दिया गया।

रीको के भूमि-आवंटन नियमों को अधिक सरल बनाया गया। 40 हजार वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर भवन-निर्माण की योजनाओं की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। रीको क्षेत्रों में औद्योगिक प्लाटों पर आवासीय सुविधाएँ उदार कर दी गई हैं। शहरी क्षेत्रों में 20% क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30% क्षेत्र में आवासीय सुविधाएँ दी गई हैं। प्रथम मंजिल पर रिहायशी निर्माण के लिए सारे प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं। रीको क्षेत्रों की एक किलो-मीटर दूरी तक भूमि-रूपान्तरण के लिए NOC लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पतालों/नर्सिंग होम्स के लिए भू-आवंटन औद्योगिक दरों पर किया जाएगा, न कि पूर्व की भाँति व्यावसायिक दरों पर।

निर्यात-प्रोत्साहन—नई औद्योगिक नीति में निर्यातों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने पर बल दिया गया है। सीतापुरा, जयपुर में 365 एकड़ में एक निर्यात-प्रोत्साहन-औद्योगिक-पार्क (EPIP) स्थापित किया जा चुका है। दूसरा EPIP भिवाड़ी में स्थापित किया जाएगा। इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो (ICD) जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर में स्थापित हो चुके हैं। नए कन्टेनर डिपो भीलवाड़ा, भिवाड़ी व गंगानगर में स्थापित किए जाएँगे। इनके लिए रेल-लिंक स्थापित करने के प्रयास जारी हैं।

निर्यात-प्रोत्साहन के लिए अन्य उपाय निम्नांकित हैं—

(i) **राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र (international trading zone)** स्थापित किया गया है जिसका नाम इन्डोबाजार कॉम **(WWW) (World Wide Web)** रखा गया है। इनमें क्रेता व विक्रेता एकत्र होकर अपनी क्रय-विक्रय की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। इससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(ii) निर्यात के अवसरों व विधियों की जानकारी बढ़ाने के लिए वर्कशॉप, सेमीनार व प्रशिक्षण-कार्यक्रम सम्पन्न किए जाएँगे।

(iii) सीतापुरा, जयपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय नुमाइश समूह (Exhibition Complex) व कन्वेन्शन केन्द्र स्थापित किया जाएगा। यह रीको व निजी क्षेत्र का संयुक्त उपक्रम होगा। इसमें पन्द्रह वर्ष तक मनोरंजन कर से छूट रहेगी।

(iv) प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बाण्डेड वेयरहाउस की सुविधा प्रदान का जाएगी।

(v) 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए प्रेरणाएँ अधिक उदार बना दी गई हैं। अब ये प्रेरणाएँ अपने 50% उत्पादन का निर्यात करने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध हो सकेंगी।

(vi) ऐसी सभी इकाइयों को ये प्रेरणाएँ सार्वजनिक यूटिलिटी स्टेटस औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुच्छेद 2 (एन) के अन्तर्गत मिल सकेंगी।

(vii) 31 मार्च, 2003 तक स्थापित होने वाली इकाइयों को पाँच वर्ष तक मशीनरी के क्रय पर बिक्री-कर देने से मुक्ति प्रदान की गई है।

(viii) निर्यातक इकाइयों के लिए कच्चे माल पर क्रय-कर की दरें युक्तिसंगत बनाई गई हैं।

(ix) विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगों व प्रवासी भारतीयों के विनियोगों को आकर्षित करने के लिए पारदर्शी नीतियाँ व नियम बनाए गए हैं।

(x) प्रवासी भारतीयों को रिहायशी मकानों के आवंटन में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण व शहरी-सुधार-ट्रस्ट (UIT) प्राथमिकता देंगे, बशर्ते कि वे राज्य में औद्योगिक प्रोजेक्ट लगाएँ। उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। औद्योगिक प्रोत्साहन ब्यूरो (BIP) प्रत्येक FDI/NRI प्रोजेक्ट पर एक 'नोडल अधिकारी' नियुक्त करेगा जो उनको आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ताकि आवश्यक स्वीकृतियाँ शीघ्रतापूर्वक मिल सकें।

नई औद्योगिक नीति में समाज के कमजोर वर्ग के उद्यमकर्ताओं के लिए विशेष सहायता व प्रोत्साहन की व्यवस्था—

(अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यम- कर्ताओं को दी जाने वाली सहायता—

(i) रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में 4000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के आवंटन में 50% की रिबेट।

(ii) - राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रु. तक के अवधि-कर्जों पर ब्याज में 2% की रिबेट (पूर्व में यह 2 लाख रु की सीमा तक हुआ करती थी)।
(iii) जनजाति उप-योजना क्षेत्र में 1% की अतिरिक्त ब्याज की रिबेट।
(iv) मार्जिन मनी 25% के स्थान पर 5%।
(v) कर्ज के आवेदन-पत्रों की जाँच की फीस में 50% की रियायत।
(vi) विद्युत-कनेक्शन क्रम को छोड़कर उपलब्ध कराना।
(vii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 22 5% आरक्षण।
(viii) उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रमों में प्राथमिकता।

(आ) महिला उद्यमकर्ताओं को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी—
(i) महिलाओं की उद्यमशीलता-दक्षता, साख-सुविधा व रोजगार-संवर्धन की दृष्टि से मदद की जाएगी।
(ii) औद्योगिक भूमि पर 10% की विशेष रिबेट व महिला-उद्यम-निधि-स्कीम के अन्तर्गत इक्विटी (शेयर-पूँजी) की सहायता जारी रखी जाएगी।
(iii) महिला उद्यमकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण-पाठ्य-क्रम पूरा करने पर फैक्ट्री-फ्लैट आवंटित किए जा सकेंगे। उद्यमशीलता व प्रबन्ध-विकास-संस्थान के पाठ्यक्रमों में 30% सीटें इनके लिए आरक्षित की जाएँगी। इनके लिए पारिवारिक उद्योग स्कीम को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रोजेक्ट-रिपोर्टों को समय-समय पर नवीनतम बनाया जाएगा।

प्रमुख या थ्रस्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास—राज्य की विशेष क्षमता व विकास की भावी सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न क्षेत्रों की प्रगति पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है—(1) गारमेंट्स व बुने हुए कपड़े, (2) रत्न व आभूषण, (3) वस्त्र (टेक्सटाइल्स), (4) इलेक्ट्रोनिक्स व दूरसंचार, (5) सूचना-प्रौद्योगिकी (Information Technology), (6) स्वचालित वाहन व उनके पुर्जे, (7) जूते व चमड़े की वस्तुएँ, (8) आयामी (डाइमेन्शनल) पत्थर, (9) सीमेंट, (10) काँच व सिरेमिक्स, (11) कृषि उत्पाद प्रसंस्करण।

इन उद्योगों में उत्पादन, बिक्री, निर्यात, गुणवत्ता-सुधार, प्रौद्योगिकीय प्रगति, आदि पर विशेष ध्यान देकर इनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को उन्नत करने के आवश्यक कार्यक्रम अपनाए जाएँगे।

लघु, टाइनी व कुटीर उद्योगों का क्षेत्र तथा उसको उन्नत करने के उपाय—इनके सम्बन्ध में बिक्री, तकनीकी सुधार, कच्चे माल की उपलब्धि, आदि के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएँगे। जिला-उद्योग-केन्द्रों में इनके उद्यम-कर्ताओं को समय पर सेवाएँ उपलब्ध की जाएँगी और इनकी गुणवत्ता व उत्पादकता में सुधार हेतु उत्तमता-पुरस्कार प्रारम्भ किए जाएँगे। इसी प्रकार दस्तकारियों के लिए डिजाइन में सुधार, हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों की आमदनी में वृद्धि, उनके लिए कच्चे माल (सूत) की उपलब्धि, आदि की

व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के विकास में चमड़ा उप-क्षेत्र, ऊन-उप-क्षेत्र, लघु खनिज उप-क्षेत्र, आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी खरीद में इनको 70% तक कीमत-अधिमान जारी रखा जाएगा। इससे लघु क्षेत्र की इकाइयों को लाभ होगा। सरकार नमक-क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान देगी और 18000 एकड़ खाली पड़े क्षारयुक्त भूखण्डों में चरणबद्ध तरीके से कृषि-कार्य चालू किया जाएगा।

4 मार्च, 1989 को पर्यटन का क्षेत्र उद्योग के अन्तर्गत ले लिया गया है। सरकार इसके लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास, ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा, आदि के लिए कृतसंकल्प है। इसके लिए प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो पर्यटन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी।

औद्योगिक विकास के लिए प्रेरणाएँ/रियायतें—पूर्व कमियों को दूर करने के लिए नई औद्योगिक नीति में उद्योगों के विकास के लिए नया पैकेज इस प्रकार रखा गया है—

बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 1998
(Sales Tax Exemption/Deferment Scheme, 1998)

एक नई बिक्री-कर मुक्ति/आस्थगन स्कीम, 1998 वर्तमान स्कीम, 1989 की एवज में लाई गई है। यह पहले की योजना से निम्न प्रकार से भिन्न मानी जा सकती है—

(i) नई स्कीम पहले से ज्यादा स्पष्ट है और इसका अर्थ लगाना अधिक आसान है।

(ii) अब प्रेरणाएँ घटते हुए क्रम में 11 से 14 वर्ष तक दी जाएँगी।

(iii) विकास-केन्द्रों के लिए प्रेरणाओं की मात्रा ऊँची रखी गई है ताकि उनका अधिक व्यवस्थित रूप में और समूहों (clusters) के रूप में विकास हो सके।

(iv) **अब एक प्रोजेक्ट उस स्थान पर भी लगाया जा सकेगा जहाँ पहले से उसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है।** अत: प्रेरणाओं का सम्बन्ध स्थान (location) की बजाय उत्पादन-क्षमता व विनियोग से कर दिया गया है।

(v) अब स्थिर पूँजी विनियोग के क्षेत्र में इन-हाउस प्रशिक्षण सुविधाओं, अनुसंधान व गुणवत्ता नियंत्रण-उपकरणों का व्यय भी शामिल किया जा सकेगा।

(vi) नई प्रेरणा-योजना में प्रथम बिक्री की तारीख से, या विस्तार/विविधीकरण की तारीख से, अथवा रुग्णता घोषित होने की तारीख से औद्योगिक इकाई को लाभ मिल सकेंगे।

(vii) 150 करोड़ रु. व अधिक के विनियोग वाले प्रमुख प्रोजेक्टों तथा 500 व्यक्तियों को नियमित रोजगार देने वाले प्रोजेक्टों अथवा ग्रस्त क्षेत्रों के प्रोजेक्टों को (कस्टमाइज्ड पैकेज) दिए जाएँगे।

(viii) वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर लगे रियायती क्रय-करों का पुनरीक्षण करके उन्हें युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

ब्याज पर सब्सिडी (Interest Subsidy)—**नई औद्योगिक नीति में पूँजी-विनियोग सब्सिडी (Capital investment subsidy) के स्थान पर ब्याज**

पर सब्सिडी की योजना लागू करने पर अधिक बल दिया गया है । यह प्लान्ट व मशीनरी में 60 लाख रु. तक के विनियोग वाली इकाइयों को उपलब्ध होगी और भुगतान की अवधि तक ब्याज में 2% की दर से दी जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रु. होगी । यह सब्सिडी वित्तीय संस्थाओं व बैंकों को नियमित रूप से भुगतान करने पर ही प्राप्त हो सकेगी । यह व्यवस्था 31 मार्च, 2003 तक लागू करने का सुझाव दिया गया ।

चुंगी से मुक्ति (Octroi exemption)—नवीं योजना में यह लाभ (चुंगी से मुक्ति) शहरी क्षेत्रों में 5 वर्ष तक प्लान्ट व मशीनरी तथा कच्चे माल की खरीद पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 7 वर्ष तक नई इकाइयों को उपलब्ध होगा । लेकिन विस्तार व विविधीकरण के लिए यह केवल प्लान्ट व मशीनरी की खरीद पर ही उपलब्ध होगा ।

चुंगी से मुक्ति की योजना को लागू करने की विधि को सरल किया गया है । प्लान्ट व मशीनरी तथा कच्चे माल के आयात का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर जिला-उद्योग-केन्द्र का जनरल मैनेजर चार माह के लिए चुंगी-मुक्ति सर्टिफिकेट जारी कर सकेगा और एक पास-बुक जारी की जाएगी ताकि वस्तुओं का आवागमन निर्बाध रूप से हो सके ।

डीजल जेनरेटिंग (DG) सेट पर सब्सिडी—यह लघु इकाइयों के लिए DG सेट की खरीद पर खरीद मूल्य के 25% की दर से (अधिकतम 2 50 लाख रु) दी जाएगी । यह सुविधा 31 मार्च 2003 तक उपलब्ध रहेगी ।

मुद्रांक या स्टाम्प-शुल्क को युक्तिसंगत बनाना

मद	रियायत
1 कस्टम बांड पर	बांड राशि के 1% से घटाकर 0 1%, न्यूनतम राशि 100 रु तथा अधिकतम राशि 1000 रुपए
2 गिरवी प्रपत्र के प्रतिभूति बांड पर	0 5% से घटाकर 0 1%
3 प्रपत्र के पंजीकरण पर	1% फीस, अधिकतम राशि 25,000 रुपए

संशोधित साझेदारी प्रपत्रों/पूरक लीज-प्रपत्रों पर भी स्टाम्प-शुल्क 100 रु किया गया है । साझेदारी में परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र पर स्टाम्प-शुल्क 500 रु. निर्धारित किया गया है, बशर्ते कि शेयर राशि का 50% से कम हस्तान्तरित किया गया हो । रुग्ण इकाइयों की बिक्री व हस्तान्तरण पर स्टाम्प-शुल्क से मुक्ति रहेगी ।

भूमि व भवन कर—इस नीति के तहत उद्योगों के लिए भूमि व भवन कर से छूट की सीमा 5 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. कर दी गई । यह कर बाजार-दर के आधार पर वसूल किया जाएगा । नई औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादन की तारीख से 4 वर्ष की अवधि तक भूमि व भवन कर के भुगतान से मुक्त रहेंगी । यदि BIFR या वित्तीय संस्थाओं की किसी योजना के तहत कोई रुग्ण इकाई पुन: उत्पादन में आ जाती है तो वह भूमि व भवन कर से मुक्त रहेगी ।

भूमि व भवन कर की उपर्युक्त शर्तें पर्यटन की परियोजनाओं पर भी लागू होंगी। **1 अप्रैल, 2003 से स्वयं भूमि व भवन कर ही समाप्त कर दिया गया है।**

राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा उदारीकरण के उपाय

(अ) राजस्थान वित्त निगम (RFC) के उपाय—फील्ड स्तर पर कर्ज की स्वीकृति के अधिकार 2 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. तक किए गए हैं। पूरी सूचना देने पर कर्ज की स्वीकृति 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। RFC की शाखाओं को कर्ज के वितरण के लिए अधिकृत किया गया है। मूल्यांकन के लिए 7 दिन का समय नियत किया गया है। सारे कागजात पूरे होने पर व मूल्यांकन के बाद 24 घंटों के भीतर कर्ज का वितरण कर दिया जाएगा। उत्तम श्रेणी के उधार लेने वालों से ब्याज की दर 1% कम की जाएगी। पर्यटन की परियोजनाओं पर ब्याज की दर 1% कम होगी। समय पर भुगतान करने पर रिबेट 1% होगी।

(आ) रीको के उदारीकरण की दिशा में प्रयास—रीको उद्योगों को कई प्रकार से वित्त की सुविधा प्रदान करता है, जैसे लीज पर वित्तीय व्यवस्था, कार्यशील पूँजी के कर्ज देना उपकरण-वित्त-व्यवस्था, बिल पर बट्टा काटना, आदि। 10 करोड़ रु. से ऊपर की लागत वाले प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उद्योग से जुड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए (औद्योगिक क्षेत्रों में) वित्तीय सहायता दी जाएगी। समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी।

रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन (Revival of sick units) के प्रयास—सरकार ने नई औद्योगिक नीति में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन व पुनरुत्थान के लिए कुछ उपायों की घोषणा की है जो इस प्रकार हैं—

(i) राज्य सरकार बी.आई.एफ.आर (Board for Industrial and Financial Reconstruction) के नमूने पर उन रुग्ण इकाइयों के पुनर्जीवन व पुनर्स्थापन के लिए एक पृथक प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है जो बी.आई.एफ.आर. के दायरे में नहीं आते।

(ii) रीको व आर.एफ.सी. रुग्णता रोकने पर अधिक ध्यान देंगे। इसके लिए वे नियमित भुगतान करने वालों से 2% कम ब्याज की दर वसूल करेंगे।

(iii) इसके लिए राज्य वित्तीय संस्थाएँ प्रबंध के परिवर्तन, एक बार मे निपटारा, आदि पर भी विचार कर सकेंगी।

(iv) रुग्ण इकाइयों के लिए नई बिक्री कर प्रेरणा योजना में अधिक उदार रूप से प्रेरणा की व्यवस्था की गई है। जिन रुग्ण इकाइयों को प्रबंध में परिवर्तन करके नए विनियोग से पुनर्जीवित किया गया है, उन्हें नई इकाइयों के समान प्रेरणाएँ मिल सकेंगी। लेकिन शर्त यह होगी कि इन इकाइयों को भूतकाल में ऐसी प्रेरणा का लाभ नहीं मिला हुआ हो।

(v) रुग्णता की अवधि में रुग्ण इकाई से कोई भूमि व भवन कर नहीं लिया जाएगा, बशर्ते कि बी.आई.एफ.आर. या वित्तीय संस्थाओं ने कोई पुनर्जीवन की योजना तैयार की है।

(vi) रुग्ण इकाइयों को पुनर्स्थापन योजना के तहत चुँगी-मुक्ति का लाभ मिलेगा, जैसा कि पुनर्स्थापन पैकेज में स्वीकार किया गया है।

(vii) रुग्ण इकाई के पुनर्जीवन के लिए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (RSEB) न्यूनतम चार्जेज का 1/3 अंश, या वास्तविक उपभोग चार्जेज, (जो भी अधिक हो) वसूल कर सकेगा।

(viii) अपनी स्वयं की भूमि पर स्थापित इकाइयों द्वारा अतिरिक्त भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि को संस्थापक का अंशदान (promoter's contribution) मानने की इजाजत दी गई है (बजाय राज्य सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त कर्ज के)। यह शर्त उन रुग्ण इकाइयों पर लागू होगी जिनके पुनर्स्थापन/ पुनर्जीवन की योजना बी.आई.एफ आर या वित्तीय संस्थाओं ने तैयार की है।

***(ix)* राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समिति (State level inter-institutional committee) का पुनर्गठन किया गया है ताकि वह बी.आई.एफ.आर. के दायरे से बाहर वाली इकाइयों पर ध्यान केन्द्रित कर सके।**

नीति का क्रियान्वयन—उपर्युक्त नीति के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है। वह इसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर ध्यान देगी। राज्य सरकार द्वारा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास व विनियोग बोर्ड स्थापित किया गया है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। यह बड़ी परियोजनाओं व नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करता है। यह निर्णय-प्रक्रिया में विलम्ब को कम करता है। बिक्री-कर ढाँचे को सुव्यवस्थित करने के लिए एक राज्य-स्तरीय समिति बनाई गई है।

राज्य सरकार विकास-समितियाँ गठित करेगी। इनमें विशेषज्ञ, उद्योग व सरकार के नुमाइन्दे होंगे जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य-योजना तैयार करेंगे, प्रगति का मूल्यांकन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर सुधारों के बारे में सुझाव देंगे।

नई औद्योगिक नीति, 1998 की समीक्षा-इसमें कोई संदेह नहीं कि औद्योगिक नीति, 1998 पहले की औद्योगिक नीतियों की तुलना में ज्यादा व्यापक व अधिक उदार किस्म की है। इसमें उद्योगों के आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उद्योगों को ब्याज-सम्बन्धी रियायतें देने पर काफी बल दिया गया है। पूँजी-विनियोग सब्सिडी समाप्त करके उसके स्थान पर ब्याज-सब्सिडी की नई व्यवस्था लागू की गई है। इस नीति को विशेष उद्योगों के विकास की दृष्टि से तैयार किया गया है। अत: यह विशेष उद्योगपरक नीति (industry-specific policy) कही जा सकती है। इसमें विकास की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है।

अत: 1998 की *नई औद्योगिक नीति* पहले से ज्यादा *व्यापक* किस्म की है और इसमें राजस्थान के तीव्र गति से औद्योगीकरण की कल्पना की गई है।

क्या नई औद्योगिक नीति, 1998 राज्य की औद्योगिक समस्याओं का निराकरण कर पाएगी ?

यद्यपि नई औद्योगिक नीति, 1998, पूर्व औद्योगिक नीतियों की तुलना में अधिक व्यापक व अधिक स्पष्ट है; लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या यह राज्य का तीव्र गति से

औद्योगीकरण कर पाएगी ? इसके साथ कई अन्य प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं; जैसे क्या इस नीति से राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान तीव्र गति से बढ़ पाएगा, क्या यह नीति औद्योगिक रोजगार बढ़ा पाएगी, क्या इससे राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास हो पाएगा, आदि, आदि।

औद्योगिक नीति 1998 की आलोचना के निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए—

(1) यह नीति ऐसे समय में घोषित की गई थी जब देश औद्योगिक मंदी के दौर से गुजर रहा था और उसका राजस्थान के उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। औद्योगिक मंदी का मुख्य कारण माँग की कमी माना गया है। इसलिए जब तक औद्योगिक माल की माँग नहीं बढ़ती तब तक उद्योगों की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। अत: नई औद्योगिक नीति के उदार होते हुए भी जब तक देशव्यापी तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं होता तब तक राज्य में औद्योगिक विकास की दर तेज होने के आसार नजर नहीं आ सकते। इसके अलावा 1998 का वर्ष राज्य में विधानसभा के चुनावों का वर्ष रहा था, जिससे नीति के क्रियान्वयन की दिशा में सक्रिय कदम उठाने में कठिनाई रही। सरकार नई औद्योगिक नीति के आधार पर राज्य में औद्योगिक विनियोगों को प्रोत्साहन देने के लिए देश के प्रमुख शहरों में 'औद्योगिक अभियान' (industrial campaigns) चला रही है, आशा है देश में औद्योगिक मंदी के बादल छंटने से राज्य भी औद्योगिक प्रगति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने लगेगा।

(2) राज्य की पावर की स्थिति को सुदृढ़ करने के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न हो गई हैं। पूर्व में चयनित सौर्य ऊर्जा की परियोजनाएँ संकट का सामना करने लगी हैं। **इसलिए जब तक राज्य की पावर की स्थिति में काफी सुधार नहीं आ जाता तब तक औद्योगिक विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने में बाधा जारी रहेगी।**

(3) नई नीति में पूँजी-सब्सिडी के स्थान पर ब्याज पर सब्सिडी की नई योजना लागू की गई है। इसका एक प्रभाव तो यह होगा कि चालू औद्योगिक इकाइयों के समक्ष नई इकाइयों के आने से (जो पूँजी-सब्सिडी के कारण आने का प्रयास करतीं) जो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती उसमें कमी आएगी। इससे चालू इकाइयों को अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद मिलेगी। **लेकिन यदि पड़ौसी राज्यों जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में पूँजी-सब्सिडी जारी रही व अधिक उदार बना दी गई तो राजस्थान में नए उद्योगों की स्थापना में (विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में) कठिनाई आ सकती है। देखना यह है कि पूँजी-सब्सिडी के स्थान पर ब्याज की सब्सिडी का विकल्प कितना सफल प्रमाणित होता है। यह औद्योगिक विकास को किस सीमा तक प्रोत्साहित कर पाता है।**

(4) नई औद्योगिक नीति में भी पूर्व नीतियों की भाँति सार्वजनिक व सहकारी उद्योगों की समस्याओं के समाधान का कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में कई इकाइयों की लाभप्रदता का स्तर काफी नीचा पाया जाता है। अत: इस क्षेत्र की समस्याओं के हल के लिए भी एक व्यापक पैकेज की आवश्यकता बनी हुई

है। लगातार हानि उठाने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में एक नई व प्रभावपूर्ण नीति की आवश्यकता आज भी बनी हुई है।

(5) 1994 की नीति में 'इन्सपेक्टर राज' कम करने पर बल दिया गया था। उद्यमकर्ताओं का मानना है कि इसमें ऊपरी तौर पर तो अवश्य कुछ कमी हुई है, लेकिन व्यवहार में बिक्री-विभाग, उत्पादन-शुल्क (आबकारी) विभाग, आयकर-विभाग, व अन्य विभागों के विभिन्न स्तरों के इन्सपेक्टरों से उद्यमकर्ताओं को काफी सीमा तक अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में अधिक पारदर्शी व प्रामाणिक परिवर्तन की आवश्यकता बनी हुई है; जिस पर विचार करके कोई विश्वसनीय व ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राज्य-स्तर पर इन्सपेक्टर राज की समस्या काफी चर्चा का विषय रही है, लेकिन इसे समाप्त करने की दिशा में अभी तक कोई प्रभावी व ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। राज्य के उद्यमकर्ताओं ने इस सम्बन्ध में संतोष जाहिर नहीं किया है।

(6) कभी-कभी केन्द्र के कुछ निर्णयों से राज्य के उद्योग संकट में पड़ जाते हैं और उस स्थिति में औद्योगिक नीति कारगर नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के आधार पर **पर्यावरणीय कारणों से कुछ वर्ष पूर्व राज्य की कई खानें बंद कर दी गई थीं, जिससे खनिज-पदार्थों पर आधारित उद्योगों को काफी आघात पहुँचा था।** इसी प्रकार कभी-कभी केन्द्र की कर-नीति से कुछ उद्योगों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाती है; जैसे 1998-99 के केन्द्रीय बजट में मार्बल उद्योग पर उत्पाद-शुल्क के बढ़ाने से संकट छा गया था (30 रु. प्रति वर्गमीटर से 40 रु. प्रति वर्गमीटर उत्पाद-शुल्क कर देने से)। बाद में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 400 रु. प्रति वर्ग मीटर के मूल्य से कम की टाइलों पर तो उत्पाद-शुल्क घटाकर 30 रु. प्रति वर्गमीटर की दर से कर दिया, लेकिन इस मूल्य से ऊपर के लिए 40 रु. प्रति वर्गमीटर ही रखा, जिस पर राज्य सरकार ने केन्द्र से पुनः विचार करने का आग्रह किया था।

निष्कर्ष व सुझाव—राजस्थान में औद्योगिक विकास की भावी सम्भावनाएँ काफी हैं। नई औद्योगिक नीति में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर पर्याप्त रूप से बल दिया गया है। लेकिन **वर्तमान में निजी उद्यमकर्ताओं को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; जैसे उत्पादन के लिए ऋणों पर ब्याज की ऊँची दरें, उन पर कई प्रकार के करों का भार, माल की बिक्री-सम्बन्धी कठिनाइयाँ, कार्यशील पूँजी की कमी आदि।** अतः भविष्य में उद्यमकर्ताओं की विभिन्न समस्याओं को हल करने पर अधिक जोर देना चाहिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर; जैसे विद्युत, सड़क, रेल-परिवहन, संचार, आदि के विकास को तेज किया जाना चाहिए एवं माल की बिक्री की सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए।

अतः औद्योगिक विकास पर कई तत्त्वों का प्रभाव पड़ता है जिन पर एक साथ अधिक सक्रिय रूप से ध्यान देने से राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों की पंक्ति में अपना स्थान पा सकता है। लेकिन इसके लिए अभी भारी प्रयास करना होगा। निस्संदेह नई

औद्योगिक नीति इस दिशा में अपना योगदान देगी । इसमें प्रस्तावित विभिन्न प्रेरणाओं व प्रोत्साहनों को व्यवहार में पूर्णरूप से व पूरी तत्परता से लागू करने की आवश्यकता है ।

पूर्व में गहलोत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदम[1]

कांग्रेस सरकार ने औद्योगिक नीति 1998 को आवश्यक परिवर्तनों के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया था । उस समय राज्य में 33 जिला उद्योग-केन्द्र व 8 उप-केन्द्र उद्योग-निदेशालय के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे ।

राज्य मे **बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़, आबू रोड़ व भीलवाड़ा में औद्योगिक विकास केन्द्रों** की स्थापना का कार्य किया गया था। प्रत्येक केन्द्र पर 30 करोड़ रु. खर्च किये जाने थे। **चार एकीकृत एन्फ्रास्ट्रक्चर विकास केन्द्र (मिनी ग्रोथ सेन्टर) जोधपुर, नागौर, निवाई व कलड़वास में,** प्रत्येक 5 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृत किये गये। ब्याज पर सब्सिडी की 2% की स्कीम लागू की गयी थी। डीजल जेनरेटिंग सैट की खरीद पर 25% की सब्सिडी (अधिकतम 2.50 लाख रु.) लागू की गयी। **औद्योगिक विकास की दिशा में पिछली सरकार के प्रयास इस प्रकार रहे थे—**

(i) संशोधित प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत व्यावसायिक सेवा के लिए 1 लाख रु, तथा औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 2 लाख रु का कर्ज, 8वीं कक्षा पास युवकों के लिए, उपलब्ध कराया गया ।

घरेलू उद्योगों की स्कीम के तहत विधवाओं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर व तलाक शुदा औरतों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी ताकि वे आत्म-निर्भर हो सकें ।

(ii) ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन (BIP) के माध्यम से निवेशकर्ताओं के लिए **'एकल खिड़की स्कीम'** (Single window scheme) लागू की गयी ।

2002-2003 तक 2 41 लाख औद्योगिक इकाइयो का पंजीकरण किया जा चुका था जिनमें 3571 करोड़ रु. की पूँजी लग चुकी थी। इनमें 9 27 लाख व्यक्तियों को काम दिया गया। 6-10 जनवरी, 1999 के बीच भारतीय-उद्योग-परिसंघ (CII) के सहयोग से एक **'पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन'** जयपुर मे किया गया, जो राज्य को नई सहस्राब्दि के लिए तैयार करने को दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण रहा ।

(iii) **एक उच्चस्तरीय 'आर्थिक विकास बोर्ड' गठित किया गया जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे। इसका काम राज्य के समग्र विकास की दीर्घकीलन योजना में अपना योगदान देना था ।**

(iv) **इण्डिया स्टोनमार्ट, 2000 का आयोजन 2-6 फरवरी, 2000 के बीच तथा इण्डिया स्टोनमार्ट 2003 का 31 जनवरी, 2003 से 4 फरवरी, 2003 के बीच जयपुर में किया गया।** इसे 'स्टोन्स के विकास केन्द्र' (CDOS) ने संगठित किया था। इसमें स्टोन से जुड़ी विश्व की बड़ी कम्पनियो ने भाग लिया था । इससे राज्य के स्टोन-उद्योग के विकास में मदद मिलने की सम्भावना व्यक्त की गयी ।

(v) भिवाड़ी को रेल से जोड़ने का प्रयास किया गया ।

(vi) औद्योगिक क्षेत्रो में सामाजिक बुनियादी ढाँचा मजबूत किया गया ।

(vii) उस समय राजस्थान, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली राज्य मिलकर गुजरात में एक **'ड्राई-पोर्ट' स्थापित करने को सहमत हो गए थे। कोटा के सकतपुरा स्थान पर एक फ्लाई एश प्रोजेक्ट स्थापित करने का निर्णय किया गया ।**

---

1. Economic Review 2003-2004, pp 25-31

(viii) रीको, आर.एफ.सी. व लघु उद्योग निगमों के कार्यों को अधिक चुस्त-दुरुस्त करने का प्रयास किया गया ।

(ix) 'सिंगल-विन्डो-क्लीयरेन्स' के लिए त्रिस्तरीय समितियाँ गठित की गयी थीं। प्रथम स्तर के लिए विनियोग की सीमा 3 करोड़ रु. रखी गयी, जिसके लिए जिलाधीश की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय लेगी; 3 करोड़ रु. से 25 करोड़ रु. तक के लिए विनियोग के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय लेगी और 25 करोड़ रु. से ऊपर के विनिवेश के लिए निर्णय 'इन्फ्रास्ट्रक्चर व विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड' की समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्णय लेगी । इन तीनों अधिकार प्राप्त समितियों के निर्णय सम्बद्ध विभागों के लिए बाध्य माने जाएंगे । 'इन्फ्रास्ट्रक्चर व विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड' ने कई प्रतिष्ठामूलक निवेश प्रस्तावों को क्लीयरेंस प्रदान की थी ।

जनवरी 2004 से बी जे पी सरकार मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में राज्य के औद्योगिक विकास के लिए नई नीति व नया कार्यक्रम तैयार करने में संलग्न है । नई सरकार प्रमुखतया निवेश को बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ताकि राज्य अपनी औद्योगिक क्षमता का विस्तार कर सके ।

आशा है नई सरकार औद्योगिक विकास को नए आयाम दे पाएगी ।

परिशिष्ट–1 : बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व अन्य निगमित संस्थाओं (MNCs/OCBs) द्वारा राजस्थान में विनियोग (1990-91 से 2000-01 की अवधि में)

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम व स्थान	सहयोगी का नाम व देश	वस्तु	प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु.)
	वर्ष 1990-91			
1	बोश एण्ड लोम्ब (इण्डिया) लि , भिवाड़ी	बोश एण्ड लोम्ब Inc अमेरिका	सोफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस मेटेलिक स्पेक्टेकल फ्रेम सन ग्लासेज	70 00
2	महाराजा इन्टरनल लि (इलेक्ट्रोलक्स), शाहजहाँपुर	एबी इलेक्ट्रोलक्स स्वीडन	वाशिंग मशीनें, डिश वाशर्स एण्ड रेफ्रिजरेटर्स	15 00
3	राजस्थान पोलीमर्स एण्ड रेजीन्स लि., आबू रोड (बंद BIFR में)	एम जी ओ टेक्नोचिम, रूस	एबीसी रेजीन्स	73 00
	उप जोड़ (Sub-total)			158 00
	वर्ष 1991-92			
4	सेम्कोर ग्लास लि., नया नोहरा	कोर्निंग एण्ड सेम्संग, अमेरिका व कोरिया	ग्लास शैल, ब्लेक एण्ड व्हाइट टीवी पिक्चर ट्यूबों व मोनीटर (इकाई I)	210 00

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम व स्थान	सहयोगी का नाम व देश	वस्तु	प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु.)
5	एस आई सी पी ए (इण्डिया) लि , भिवाड़ी	SICPA, SA, स्विट्जरलैण्ड	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग स्याही	34 00
6	राजस्थान ब्रूअरीज लि शाहजहाँपुर (बंद)	स्ट्रॉ (stroh), अमेरिका	बीयर, जौ माल्ट, माल्ट स्पिरिट, पेप्सी सोफ्ट ड्रिंक कैनिंग	125 00
7	क्लाइमेट सिस्टम्स (I) लि , भिवाड़ी	फोर्ड मोटर कं , अमेरिका	यान्त्रिक दृष्टि से जोड़े गए अल्यूमिनियम रेडियेटर्स	26 00
8	ग्रेफ्को इण्डस्ट्रीज लि. एम आई ए	बुडियम, अमेरिका	स्टोन उद्योग के लिए डायमण्ड इम्प्रेगनेटेड कटिंग टूल्स	20 00
9	सुपर कॉम्पेक्ट डिस्क लि , शाहजहाँपुर	डेल्टा, यू के (संयुक्त राज्य)	ऑडियो कॉम्पेक्ट डिस्क	13.28
	उप जोड़			*428.28*
	वर्ष 1992–93			
10	अम्बे स्नेड ओक्साइड्स (Ambe Sneyd Oxides) लि भिवाड़ी	Sneyd Oxides Ltd यू.के	सिरेमिक कलर्स	11.50
11	राठी ग्राफिक टेक. लि , भिवाड़ी	रेवन इण्डस्ट्रीज, अमेरिका	टोनर्स एण्ड डेवलपर्स	14 30
	वर्ष 1992–93			
12	एरिकशन टेलीकम्यूनि-केशन्स, लि , कूकस	एल एम एरिकशन, स्वीडन	इलेक्ट्रोनिक स्विटिंग सिस्टम	20 00
13	पोदार पिगमेण्ट्स लि., सीतापुरा	रिसर्च इन्स्टीटयूट फॉर मेनमेड फिल्स, चेकोस्लोवाकिया	मास्टर बैचेज	19 75
14	एशियन कन्सोलीडेटेड लि , शाहजहाँपुर (छोड़ दिया गया)	CMB पैकेजिंग टेक्नोलोजी, यू के	बीयर केन्स	125 00
15	गोविन्द रबर लि. भिवाड़ी	यूनियन रबर इण्डिया कं. लि , ताइवान	साइकिल टायर व ट्यूब	27 02
16	इण्डिया शेविंग प्रोडक्ट्स लि , भिवाड़ी	जिलेट, अमेरिका, अमेरिका	शेविंग ब्लेडें, शेविंग रेजर्स एण्ड शेविंग सिस्टम	119 00

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम व स्थान	सहयोगी का नाम व देश	वस्तु	प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु.)
17	सौपानी वरस्टेड इण्डस्ट्रीज लि., सुखखेरा (छोड़ दिया गया)	EMS इन्वेन्टा AG स्विट्जरलैण्ड	ऊनी वरस्टेड यार्न	120 00
18	विसम ब्रूअरीज लि., भिवाड़ी	Henniger, जर्मनी	बीयर	20 96
19	टेरी FAB (इण्डिया) लि चैंदई	GMC अमेरिका	टेरी टोवल्स	19 62
20	अम्बुजा इण्डस्ट्रीज लि., भिवाड़ी	स्टील यूनियन कं., स्पेन	कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स	15 15
21	जैनस ओवरसीज इलेक्ट्रिकल्स, लि. सीतापुरा	BMS Gmbh जर्मनी	हाइब्रिड माइक्रो सर्किट्स	15 80
	उप-जोड़			528 10
	वर्ष 1993-94			
22.	टेक गैस इक्विपमेंट्स प्रा लि अलवर	कार्बागैस, स्विट्जरलैण्ड	एयर सेपरेटर्स प्लान्ट	13 30
23	ग्वालियर पोलीपाइप्स लि., कोटा (छोड़ दिया गया)	CIDA, कनाडा (कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी)	PVC रिजिड पाइप्स	11 26
	वर्ष 1993-94			
24	Aksh इण्डिया लि. भिवाड़ी	रोजेनडॉल (Rosendaul) Austria (Alcatel की सहायक कं.)	ऑप्टिकल फाइबर केबल्स	17 00
	उप-जोड़			41 56
	वर्ष 1994-95			
25	अक्श (Aksh) इण्डिया लि भिवाड़ी	Rosendaul ऑस्ट्रिया	ऑप्टिकल फाइबर लाइन टर्मिनल उपकरण	10 00
26	सोलरटेक इण्डिया लि बगरू	IREDA, इटली	सिलीकोन वैफर्स	8 00
	उप-जोड़			18 00
	वर्ष 1995-96			
27	सिलीकोन्स इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि., तिजारा (बन्द)	क्रेमीनीज पोलीमर, यूक्रेन	सिलीकोन प्रोडक्ट्स	60 25
28	महाराजा इन्टरनल लि. (इलेक्ट्रोलक्ष) शाहजहाँपुर	ए बी इलेक्ट्रोलक्ष स्वीडन	कम्प्रेसर फॉर रेफ्रिजरेटर्स	10 00
29	फिलिप्स इण्डिया लि., कोटा (छोड़ दिया गया)	फिलिप्स हालैण्ड, हालैण्ड	FTL & GIS लैम्प	200 00

क्र. सं.	प्रोजेक्ट का नाम व स्थान	सहयोगी का नाम व देश	वस्तु	प्रोजेक्ट लागत (करोड़ रु)
30	सकाटा Inx (इण्डिया) लि., भिवाडी	सकाटा (Sakata) जापान	पैकेजिंग इंक	14 28
31	कमल sabre मोटर लि सीतापुरा (छोड़ दिया गया है)	Sabre Intl Corp., अमेरिका	स्पोर्ट्स कार	5 00
32	महाराजा इन्टरनेशनल लि (इलेक्ट्रोलक्स) शाहजहाँपुर	AB इलेक्ट्रोलक्स स्वीडन	फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर एण्ड अन्य व्हाइट गुड्स (विस्तार)	50 00
33	इचकॉन इण्डस्ट्रीज लि उदयपुर	Bausano SPS इटली	प्लास्टिक लकडी (फोम वाली PVC शीट)	16 65
34	ट्रेन्डी ट्रोपीकल फूडस लि सीतापुरा (छोड दिया गया)	Gauthier SA फ्रास	सेमी–केन्डीड फ्रूट्स	4 60
	उप जोड			360 78
	वर्ष 1996-97			
35	सेम्कोर ग्लास लि नया नोहरा	कोर्निंग एण्ड सेम्सग एण्ड कोरिया	कलर टयूब ग्लास शैल्स (इकाई II)	800 00
36	कॉम्प्यूकॉम टेक्नोलोजीज प्रा लि कनकपुरा	कॉम्प्यूकॉम अमेरिका	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	1 50
37	रोयल इण्डिया ज्यूलरी मैन्यूफेक्चरिंग क लि मालवीय इण्डस्ट्रियल एरिया	रोमर स्पेन	स्वर्ण–आभूषण	2 00
38	मोटर इण्डस्ट्रीज क लि (MICO) सीतापुरा	बोश जर्मनी	फ्यूअल इन्जेक्शन उपकरण	250 00
	उप–जोड			1053 50
	वर्ष 1998 99			
39	कॉपर ऑटोमोबाइल प्रोडस (I) लि भिवाडी	चैम्पिअन अमेरिका	स्पार्क प्लग्स	120 00
40	क्लाइमेट सिस्टम्स (I) लि भिवाडी	फोर्ड मोटर क अमेरिका	यान्त्रिक दृष्टि से जोडे गए अल्यूमिनियम रेडियेटर्स (विस्तार)	30 00
41	रिवोना इण्डस्ट्रीज लि जोधपुर	Cnlofle फ्रास	स्टेनलेस स्टील कटलरी	12 40
	उप–जोड			162 40
	वर्ष 2000-2001			
42	ओसीएपी चेसीस पार्ट्स प्रा लि भिवाडी अलवर (क्रियान्वयन में)	OCAP S P A इटली	स्टीयरिंग एण्ड ससपेन्सन पार्ट्स	12 00
	उप–जोड			12 00
	कुल (total)			2762 62
			घटाओ निवेश बंद इकाइयाँ	757 00
			विशुद्ध निवेश (लगभग) 2000 करोड रु	

(स्रोत रीको अक्टूबर 2001) [नोट: तालिका से स्पष्ट होता है कि अधिकांश MNCs अमेरिका की रही हैं तथा ये ज्यादा संख्या में भिवाडी में स्थित है।]

परिशिष्ट-II
राजस्थान से निर्यात[1]
(Exports from Rajasthan)

(करोड़ रु. में)

वस्तुओं के नाम	1991-92	1996-97
इंजीनियरिंग	53 3	175 5
इलेक्ट्रोनिक्स	3 8	73 2
फूड/एग्रो प्रोडक्ट्स	80 2	533 3 III
रेडीमेड गारमेंट्स	68 0	370 0
टेक्सटाइल	142 7	588 0 I
कारपेट एण्ड दरीज	58 0	134 0
प्लास्टिक एण्ड लिनोलियम	3 1	28 0
जेम एण्ड ज्यूलरी	206 0	575 1 II
डायमण्ड	—	446 6 IV
केमिकल एण्ड एलाइड	34 6	234 1
ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स	1 6	18 0
हैण्डीक्राफ्ट्स	28 4	176 2
लैदर	5 2	37 2
मार्बल एण्ड ग्रेनाइट	3 6	87 1
वूल एण्ड वूलन्स	0 4	3 5
हैण्डलूम	—	0 2
कुल	688 9	3480 0

[तालिका से स्पष्ट होता है कि 1996-97 में 400 करोड़ रुपए से अधिक की निर्यात की मदों में स्थान चार मदों का क्रमश: टेक्सटाइल (वस्त्रों), जेम्स व ज्यूलरी, फूड/कृषि-उत्पादों व डायमंड का रहा। इनका निर्यात 2143 करोड़ रुपए का रहा, जो राज्य के कुल निर्यातों का 62% (लगभग 2/3) आँका गया है।]

पूर्व सरकार ने नई निर्यात-नीति (new export policy) की रूपरेखा तैयार की थी जिसके तहत वर्ष 2003 तक 15 हजार करोड़ रु. का निर्यात करने का लक्ष्य प्रस्तावित था। राज्य से तैयार वस्त्र, रत्न व आभूषण, हैण्डीक्राफ्ट, इमारती पत्थर,

---

1 राजस्थान सुजस, अप्रैल-जुलाई 1999, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर पृ 9

कपड़ा, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर व जड़ी-बूटी आधारित दवाओं (हर्बल दवाओं) का निर्यात बढ़ाया जा सकता है ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में कौनसा कथन सही माना जाएगा ?
   (अ) यह पूँजी-गहन की बजाए श्रम-गहन विधियों पर अधिक बल देती है ।
   (ब) यह पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर अधिक जोर देती है
   (स) यह उदारवादी है
   (द) यह सुधारवादी है
   (ए) यह निर्यातोन्मुखी है
   (ऐ) सभी (ऐ)
2. वर्तमान में राज्य के औद्योगिक विकास में कौनसा औद्योगिक समूह सबसे ज्यादा सहायक हो सकता है ?
   (अ) खनिज-आधारित (ब) वन-आधारित
   (स) कृषिगत पदार्थ-आधारित (द) तिलहन-आधारित (अ)
3. जयपुर जिले में मानपुरा-माचेड़ी को विकसित किया गया है—
   (अ) सोफ्टवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में
   (ब) हार्डवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में
   (स) लेटर (चमड़ा) कॉम्पलेक्स के रूप में
   (द) हैण्डीक्राफ्ट कॉम्पलेक्स के रूप में (स)
   [RAS 1998, सामान्य ज्ञान व सा. विज्ञान]
4. वर्ष 2003 में राज्य में किस वस्तु का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा घटा ? (प्रतिशत में)
   (अ) खाद्य-तेल (ब) घी
   (स) सोडियम क्लोराइड (नमक) (द) सभी किस्म की खल (35%) (द)
5. राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र कौन संचालित करता है ?
   (अ) राजस्थान वित निगम (ब) रीको
   (स) राजसीको (द) राज्य का गलीचा विभाग (स)
6. राज्य में औद्योगिक विकास केन्द्र (IGC) स्थापित किए गए हैं—
   (अ) बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़, आबूरोड़ व भीलवाड़ा
   (ब) बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़, सिरोही, नागौर
   (स) उदयपुर, भीलवाड़ा, आबूरोड, जोधपुर, निवाई
   (द) कोटा, झालावाड़, अजमेर, गंगानगर, आबूरोड (अ)

7. राजस्थान में मार्च, 2003 के अंत में कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो चुके थे ?
   (अ) 275 (ब) 270
   (स) 286 (द) 302 (स)
8. मरुधर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है ?
   (अ) जोधपुर में (ब) बीकानेर में
   (स) कोटा में (द) झालावाड़ में (अ)
9. राज्य में कितने औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित हो चुके हैं ?
   (अ) 5 (ब) 6
   (स) 4 (द) 7 (अ)
10. जयपुर जिले में मानपुरा-माचेड़ी को विकसित किया गया है—
    (अ) हार्डवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में
    (ब) लेदर (चमड़ा) कॉम्पलेक्स के रूप में
    (स) सोफ्टवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में
    (द) हैण्डीक्राफ्ट कॉम्पलेक्स के रूप में (ब)
11. 1998 की औद्योगिक नीति की सबसे प्रमुख बात है—
    (अ) समूहों के विकास पर विशेष बल
    (ब) आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना
    (स) विशेष प्रकार के उद्योगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना
    (द) मानवीय संसाधनों का विकास (अ)
12. राज्य में सोफ्टवेयर-टेक्नोलोजी-पार्क कहाँ स्थापित होगा ?
    (अ) गंगानगर क्षेत्र में
    (ब) निर्यात-प्रोत्साहन-औद्योगिक-पार्क, जयपुर में
    (स) कोटा में
    (द) जोधपुर में (ब)
13. राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (EPIP) कहाँ विकसित किया गया है ?
    (अ) भिवाड़ी में (ब) सीतापुरा (जयपुर) में
    (स) हीरावाला (जयपुर) में (द) उदयपुर में (ब)
14. राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (EPIP) कहाँ विकसित किया गया है—
    (अ) भिवाड़ी (ब) सीतापुरा (जयपुर)
    (स) कोटा (द) इनमें से कोई नहीं (ब)

15. 1998 की औद्योगिक नीति की सबसे प्रमुख बात है—

(अ) समूहों के विकास पर विशेष बल

(ब) आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना

(स) विशेष प्रकार के उद्योगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना

(द) मानवीय संसाधनों का विकास (अ)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान की नई औद्योगिक नीति, 1998 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । यह राज्य के औद्योगिक विकास को कहाँ तक प्रभावित कर पाएगी ?
2. नई औद्योगिक नीति 1998 का वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कीजिए ।
   - *(i)* इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास,
   - *(ii)* औद्योगिक समूहों (complexes) की स्थापना,
   - *(iii)* शक्ति का विकास,
   - *(iv)* निर्यात-संवर्धन,
   - *(v)* उद्योग-विशिष्ट क्षेत्र या थ्रस्ट-क्षेत्र,
   - *(vi)* बिक्री-कर मुक्ति/आस्थगन योजना, 1998,
   - *(vii)* रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवन तथा
   - *(viii)* विविध प्रकार की प्रेरणाएँ ।
3. राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं का वर्णन कीजिए ।

राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम
(Public Enterprises in Rajasthan)

योजनाबद्ध विकास में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। वे न केवल आधार-ढाँचे (infrastructure) के निर्माण में मदद देते हैं, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास, रोजगार-संवर्द्धन, निर्धनता-उन्मूलन व कई प्रकार के जन-कल्याण कार्यों व सार्वजनिक उपयोगिताओं से सम्बद्ध उपक्रमों (Public utilities) के विकास में भी सहयोग देते हैं। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए साधन जुटाने में भी मदद करेंगे।

राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए उपक्रम, (आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम।

(अ) केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम—1980-81 में राजस्थान में केन्द्रीय औद्योगिक परिसम्पत्तियों (assets) का 1.7% अंश लगा हुआ था, जो 1999-2000 में लगभग 2.2% रहा।[1] रोजगार में यह अनुपात 1.6% पर यथावत रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों में हिन्दुस्तान जिंक लि. (देबारी, उदयपुर), हिन्दुस्तान कॉपर लि. (खेतड़ी), हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर, इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा, सांभर साल्ट्स लिमिटेड (हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की सहायक कम्पनी), मॉडर्न बेकरीज (विश्वकर्मा

---

1. 1980-81 में कुल केन्द्रीय औद्योगिक परिसम्पत्तियो (assets) की राशि 21182 करोड़ रु. थी, जिसमें राजस्थान का हिस्सा मात्र 362 करोड रु. (1.7%) था। 1999-2000 में ये राशियाँ क्रमशः 381365 करोड़ रुपए व 8419 करोड रुपए (2.2%) रहीं।—**Handbook of Industrial Policy & Statistics, 2001, p-368,** Office of The Economic Adviser. Ministry of Commerce And Industry. GOI New Delhi Published in March 2002

औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर) तथा राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लि., कनकपुरा, (जयपुर के समीप) शामिल हैं। एच एम टी लि. इंजीनियरी, सुरक्षा व वाहन उद्योग के लिए प्रिसीजन ग्राइण्डिंग मशीनों का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (NTPC) द्वारा अन्ता (कोटा) में गैस आधारित पावर संयंत्र की स्थापना से राज्य में केन्द्रीय विनियोग की राशि में वृद्धि हुई है।

विभिन्न इकाइयों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है—

(i) **हिन्दुस्तान जिंक लि.**—इसके अन्तर्गत 5 खानें (तीन राजस्थान में, एक आंध्र प्रदेश में तथा एक उड़ीसा में) तथा ३ स्मेल्टर्स हैं (एक राजस्थान में, एक बिहार में तथा एक विशाखापट्टनम में)। इसे पावर व पानी की कमी का सामना करना पड़ा है।

प्राय: देबारी जिंक स्मेल्टर तथा जावर ग्रुप ऑफ माइन्स में उत्पादन-क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है।

(ii) **हिन्दुस्तान कॉपर लि.**—यह नवम्बर 1967 में एक निजी कम्पनी के रूप में स्थापित हुई थी। इसके अन्तर्गत खेतड़ी तांबा कॉम्पलेक्स, इण्डियन कॉपर कॉम्पलेक्स, घाटसिला, बिहार तथा पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में तथा ब्रांच कार्यालय दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास में हैं। इसके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ कई प्रकार हैं, जैसे ब्लिस्टर कॉपर, वायर बार, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रास रोल्ड, निकल सल्फेट, सेलेनियम, सोना, चाँदी व सिंगल सुपर फास्फेट।

(iii) **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर**—भारत सरकार की कम्पनी HMT के अन्तर्गत 6 इकाई HMT, 4 इकाई वाच व तीन डेयरी मशीनरी आदि की हैं, जो देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं। HMT अजमेर इस क्रम की छठी इकाई है। भारत की HMT कम्पनी लाभ में चल रही है। HMT की केन्द्रीय इकाई 1991-92 तक घाटे में चल रही थी।

(iv) **इन्स्ट्रूमेण्टेशन लि., कोटा**—इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट (केरल) में स्थित है। कोटा संयंत्र 1965 में स्थापित किया गया था। इसमें 1968-69 से उत्पादन चालू हुआ था। **राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एण्ड इस्ट्रूमेन्ट्स लि. जयपुर इसकी एक सहायक कम्पनी है जो रीको के साथ संयुक्त क्षेत्र में 1982-83 में स्थापित हुई थी।**

(v) **सांभर साल्ट्स लि.**—यह 30 सितम्बर, 1964 में स्थापित हुई थी। सांभर झील 90 वर्ग मील में फैली हुई है।

(vi) **मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड**—यह 1965 में स्थापित हुई थी। इसकी 14 ब्रेड इकाइयाँ हैं, जिनमें से एक जयपुर (राजस्थान) में है। इसे मॉडर्न बेकरीज कहते हैं। यह उपभोक्ता वस्तु के उद्योग में आती है।

(vii) जैसा कि पहले कहा जा चुका है, **राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स व इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि. (REEL) कनकपुरा** (जयपुर) कोटा इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि. कोटा की सहायक कम्पनी

होने के नाते यह केन्द्रीय सरकार के उपक्रम में शामिल की जाती है । इसमें भारत सरकार की ५1% तथा रीको की 49% पूँजी लगी है । इसे संयुक्त क्षेत्र की इकाई भी कहा जाता है ।

अन्य—राजस्थान ड्रग्स व फार्मास्यूटिकल्स लि. की स्थापना नवम्बर 1978 में इसकी प्रधान कम्पनी IDPL की सहायक इकाई के रूप में रीको के साथ संयुक्त क्षेत्र में की गई थी । बिक्री के आर्डर न मिलने से इसकी उत्पादन-क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है तथा इसे छोटे उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है । कम्पनी के लिए कार्यशील पूँजी का भी अभाव रहा है ।

(आ) राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । वर्तमान में इनकी संख्या 37 आँकी गई है तथा इनका वर्गीकरण इस प्रकार है—

***(i)* वैधानिक निगम बोर्ड—इनकी संख्या 7 थी** । इस श्रेणी में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (RSEB), राजस्थान सड़क परिवहन निगम, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य वेयर-हाउसिंग निगम, राजस्थान आवासन बोर्ड, राजस्थान भूमि विकास निगम तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड आते हैं ।

***(ii)* पंजीकृत कम्पनियाँ—इनकी संख्या 15 आँकी गई है** और ये कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हुई हैं । इनके नाम इस प्रकार हैं—दी गंगानगर शुगर मिल्स लि., स्टेट माइन्स व मिनरल्स लि., रीको, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम लि., राज्य होटल निगम लि., पर्यटन विकास निगम लि., राज्य बीज निगम लि., कृषि-उद्योग निगम लि., ब्रिज व कन्स्ट्रक्शन निगम लि. हाथकरघा विकास निगम लि., जल विकास निगम लि., राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि., (REL), राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. तथा राज्य टेनरीज लि. । इनमें कई इकाइयों के नामों में निगम के बाद लिमिटेड शब्द आने से ये कम्पनी संगठन में शामिल की गई हैं । कुछ वर्ष पूर्व राज्य टेनरीज लि. को एक निजी उद्यमकर्ता को हस्तान्तरित करने का समझौता किया गया जिससे अब यह इकाई राजकीय उपक्रमों में शामिल नहीं है । **राज्य माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. व राज्य खनिज विकास निगम लि. को मिला दिया गया है ।**

***(iii)* पंजीकृत सहकारी समितियाँ—इस श्रेणी की 13 इकाइयाँ इस प्रकार थीं-** श्रीगंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स लि. (1993-94 से); अनुसूचित जाति व जनजाति विकास सहकारी फैडरेशन लि., जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी फैडरेशन लि., राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., सहकारी भेड़ ऊन विपणन फैडरेशन लि., राज्य सहकारी मार्केटिंग फैडरेशन लि., सहकारी उपभोक्ता संघ लि., श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि., केशोरायपाटन, राज्य सहकारी कताई व जिनिंग मिल्स संघ लि. (स्पिन-फेड)*, सहकारी

---

* "स्पिनफेड" । अप्रैल, 1993 से अस्तित्व में आया है । इसमें पहले की गुलाबपुरा, गंगापुर व हनुमानगढ़ की सहकारी कताई मिलें तथा गुलाबपुरा की जिनिंग मिल शामिल की गई हैं ।

हाउसिंग फैडरेशन लि , श्रीगंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि., गजसिंहपुर तथा राजस्थान सहकारी तिलहन उत्पादक फेडरेशन (तिलम संघ) तथा राज्य सहकारी डेयरी संघ लि ।

(iv) विभागीय उपक्रम—अब इस श्रेणी में निम्न 2 उपक्रम लिए गए हैं— राजस्थान राज्य केमिकल्स वर्क्स (सोडियम सल्फेट वर्क्स), डीडवाना तथा राजस्थान सरकार नमक वर्क्स, डीडवाना।

बहुधा सार्वजनिक उपक्रमों में सहकारी संगठनों को शामिल नहीं किया जाता है और इनमें वैधानिक निगम या बोर्ड, पंजीकृत कम्पनियों व विभागीय उपक्रमों को ही शामिल किया जाता है । लेकिन राजस्थान सरकार के राज्य उपक्रम विभाग (सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो) द्वारा प्रकाशित "Public Enterprises Profile" में सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय उपलब्धियों में सहकारी इकाइयों को भी पहले शामिल किया गया था। **लेकिन 1996 से सहकारी उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो (BPE) से पृथक् कर दिया गया है । इसलिए वर्ष 1996-97 तथा बाद में प्रकाशित BPE की "सार्वजनिक उपक्रमों की प्रोफाइलों" में 23 राजकीय उपक्रमों का ही विस्तृत विवरण दिया गया है । सहकारी उपक्रमों का विवरण अलग से तैयार किया जाने लगा है ।**

सहकारी उपक्रमों को छोड़कर अन्य 24 राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों का निष्पादन (performance)[1]

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार हैं—

(i) राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश 1997-98 में लगभग 8986 करोड़ रुपए से बढ़कर 1998-99 में 10179 करोड़ रुपए हो गया। निवेश में परिदत्त पूँजी और अवधि-ऋण शामिल होते हैं । कुल कोषों में रिजर्व व सरप्लस की राशि भी शामिल होती है । 1994-95 में कुल कोषों की राशि लगभग 6488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1998-99 में 11106 करोड़ रुपए हो गई। इस अवधि में कुल कोषों में परिदत्त पूँजी का अंश बढ़ा है तथा दीर्घकालीन कर्जों का अंश घटा है ।

(ii) राज्य सरकार का परिदत्त पूँजी व अवधि-कर्ज के रूप में योगदान 1994-95 में लगभग 2909 करोड़ रुपए से बढ़कर 1998-99 में 3920 करोड़ रुपए हो गया है । यह राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में कुल निवेश का लगभग 38% रहा है।

(iii) कर्ज-शेयर पूँजी (इक्विटी) अनुपात 1994-95 में 5.3 : 1 से घटकर 1998-99 में 2.6 : 1 पर आ गया है।

---

1 Based on the Report of The Committee on Reorganisation, Strengthening And Disinvestment of State Public Sector Undertakings & Industrial Development, (Convenor, Rajsingh Nirwan) March 2001 for latest data on financial performance

(ii) 1999-2000 में सर्वाधिक शुद्ध लाभ 17.1 करोड़ रुपए का राज्य खान व खनन लि. को प्राप्त हुआ है, और सर्वाधिक शुद्ध घाटा राज्य सड़क परिवहन निगम को 70.65 करोड़ रुपए का हुआ है।

(v) राज्य केमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स) व राज्य सरकार नमक वर्क्स, डीडवाना बन्द पड़े हैं और राज्य टेनरीज लि. का कार्य निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(vi) 1998-99 में राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार की मात्रा 96017 थी जिसमें राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें 4917 कर्मचारी प्रबन्धकीय स्तर के थे तथा शेष 91100 कार्मिक व अन्य श्रेणियों के थे।

1999-2000 में शुद्ध लाभ कमाने वाले उपक्रम इस प्रकार रहे—

(करोड़ रु.) (लगभग)

1	राज्य वेयरहाउसिंग निगम	6.4
2	राज्य खान व खनिज लि.	17.1
3	राज्य खनिज विकास निगम लि.	6.7
4	रीको	0.5
5	राजस्थान वित्त निगम	3.4
6	राजस्थान लघु उद्योग निगम लि.	5.1
7	राज्य बीज निगम लि.	1.6
8	राज्य कृषि विपणन बोर्ड	8.3
9	राजस्थान आवासन मण्डल	0.10
10	राज्य पुल व निर्माण निगम लि.	2.4
11	गंगानगर चीनी मिल लि.	0.14
12	राज्य भूमि विकास निगम	1.4
13	राज्य जल विकास निगम	0.13

1999-2000 में घाटा उठाने वाली इकाइयाँ इस प्रकार रहीं—

(करोड़ रु.)

1	राज्य सड़क परिवहन निगम	70.6
2	राज्य होटल निगम लि.	0.1
3	राज्य हथकर्घा विकास निगम लि.	5.3
4	राज्य इलेक्ट्रोनिक्स लि.	0.15
5	राज्य टंगस्टन विकास निगम लि.	0.05

राज्य कृषि उद्योग निगम लि 1999-2000 में बन्द किया गया । राज्य पर्यटन विकास निगम लि को 1998-99 में 08 लाख रुपए का शुद्ध घाटा हुआ ।

1996-97 से 1999-2000 तक लगातार चार वर्ष तक जिन उपक्रमों को शुद्ध घाटा हुआ है वे इस प्रकार हैं—

(i) राज्य हथकर्घा विकास निगम लि ,

(ii) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि ,

(iii) राज्य टंगस्टन विकास निगम लि

1998-99 में 24 उपक्रमों में से 10 उपक्रमों ने अपना वित्तीय निष्पादन सुधारा और 10 चोटी के लाभ कमाने वाले उपक्रमों का मुनाफा कुल मुनाफे का 99% रहा । 1998-99 में 8 उपक्रमों ने घाटा उठाया जो लगभग 50 करोड़ रुपए का था ।

31 मार्च, 1998 के अंत तक 23 राजकीय उपक्रमों में से 7 उपक्रमों के संचयी घाटों (accumulated losses) की राशि 289 3 करोड़ रु पाई गई थी । जो इस प्रकार थी ।[1]

	(31 मार्च, 1998 तक संचयी घाटों की राशि (करोड़ रु. में)
1 राज्य विद्युत मण्डल	172 9
2 राजस्थान वित्त निगम	74 9
3 राज्य कृषि उद्योग निगम लि	21 5
4 हथकरघा विकास निगम लि	12 8
5 राज्य खनन विकास निगम लि	3 4
6 इलेक्ट्रोनिक्स लि	2 3
7 राज्य टंगस्टन विकास निगम लि	1.5
सातों का कुल	289.3

इस प्रकार राजकीय उपक्रमों के संचयी घाटों की राशि काफी ऊँची है । **CAG की मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष की रिपोर्ट (पृ. 13) के अनुसार इसी अवधि के अंत तक राजस्थान वित्त निगम का संचयी घाटा (accumulated loss) 80.33 करोड़ रुपए हो गया था, जिससे इसकी 67.53 करोड़ रुपए की परिदत्त-पूँजी (paid-up capital) का ह्रास हो गया था ।** भविष्य में इसकी स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए ।

स्मरण रहे कि संचयी घाटों की राशि 31 मार्च 1992 को 721 करोड़ रु. व 31 मार्च 1995 को 537 करोड़ रु. थी जो घटकर 31 मार्च, 1998 के अन्त में

---

1 Public Enterprises profile of Raj for 1997–98, released in 2000, (BPE, Govt of Raj), p.20

289 करोड़ रु. के स्तर पर आ गई है। इसका मुख्य कारण यह बतलाया गया है कि पिछले तीन वर्षों में राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार आया था।

राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की कमजोर वित्तीय दशा के कारण—सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यसिद्धि का मूल्यांकन केवल लाभ-हानि के आँकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनका रोजगार, उत्पादन, पिछड़े क्षेत्रों के विकास, सार्वजनिक राजस्व जैसे रॉयल्टी, उत्पाद-शुल्क, बिक्री-कर, आय-कर, आदि के रूप में प्राप्त राजस्व व सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि के रूप में भी योगदान देखा जाना चाहिए। लेकिन इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि यथासम्भव उनके वित्तीय घाटे कम किए जाएँ। इसलिए **घाटे के कारणों का उपक्रमानुसार अध्ययन किया जाना चाहिए।** उपक्रमों में कई कारणों से घाटे हो सकते हैं, जैसे गलत परियोजना का चुनाव (Wrong project-selection), पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धि का अभाव, माँग की कमी, प्रबन्ध-सम्बन्धी कठिनाइयाँ, गलत मूल्य-नीति, आवश्यकता से अधिक श्रमिकों की नियुक्ति, प्रतिकूल श्रम-सम्बन्ध, आदि।

पूर्व वर्षों में राज्य विद्युत मण्डल के घाटों के कारण

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को प्राय: भारी मात्रा में घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ा है। पिछले वर्षों में घाटे की सर्वाधिक राशि 1989-90 में 168 6 करोड़ रु की रही थी। 1990-91 में घाटे का अनुमान 101 2 करोड़ रु. लगाया गया था। 1991-92 में राज्य विद्युत मण्डल को 28 9 करोड़ रु का मुनाफा हुआ जो 1992-93 में 58 करोड़ रु, 1993-94 में 53.5 करोड़ रु, 1994-95 में 48 1 करोड़ रु, 1995-96 में 169 2 करोड़ रु. तक पहुँच गया। लेकिन 1996-97 में 31 75 लाख रुपये का घाटा रहा। 1997-98 में इसके खातों में 55 9 करोड़ रु का मुनाफा दर्शाया गया है, लेकिन CAG की रिपोर्ट के अनुसार मुनाफा जरूरत से ज्यादा बतलाया गया है। यह वस्तुत: इतना है नहीं। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता व कर्ज को अंशत: शेयर पूँजी में बदलने से यह अनुकूल स्थिति बनी है, जिनके अभाव में मण्डल को वस्तुत: घाटा ही उठाना पड़ता।

(1) पूर्व में इतने भारी घाटे का मुख्य करण यह रहा कि लागतों में निरन्तर वृद्धि होती गई, जबकि विद्युत- प्रशुल्कों (electricity tariffs) में आनुपातिक वृद्धि नहीं की गई। अगस्त 1985 में विद्युत-प्रशुल्क में वृद्धि की गई थी, लेकिन इसके अच्छे परिणाम 1985-86 व 1986-87 के वर्षों में मिले। फिर भी घाटे की स्थिति जारी रही। इसका आशय यह है कि राज्य विद्युत मण्डल को घाटा कम करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। **RSEB के घाटे का मुख्य कारण ग्रामीण विद्युतीकरण में ऊँची लागत का आना है।** ग्रामीण इलाकों में लम्बी दूरी तक लाइनें डालने में काफी खर्च उठाना पड़ता है। किसानों को कम कीमत पर बिजली देनी पड़ती है। 1 सितम्बर, 1992 से बिजली की दरों में वृद्धि की गई थी। **कृपकों के लिए यह 37 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 45 पैसे प्रति यूनिट की गई, हालांकि लागत के 130 पैसे प्रति यूनिट आने के**

कारण कृषकों को दी जाने वाली बिजली पर बाद में भी 85 पैसे प्रति यूनिट का घाटा जारी रहा। उपभोक्ताओं के लिए यह 75 पैसे प्रति यूनिट रखी गई थी। बड़े उद्योगों के लिए 135 पैसे प्रति यूनिट थी, जो दिल्ली, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश से कम थी।

सितम्बर 1995 में विद्युत की दरों में 10 पैसे से 23 पैसे प्रति इकाई तक की वृद्धि की गई। लघु उद्योगों के लिए बिजली की नई दरें 2 10 पैसे प्रति इकाई रखी गईं। 100 होर्स पावर तक के मध्यम उद्योगों के लिए यह 2.30 पैसे प्रति इकाई तथा 100 होर्सपावर से अधिक के लिए 2 35 पैसे प्रति इकाई तथा बड़ी इकाइयों के लिए 2.55 पैसे प्रति इकाई रखी गई। व्यावसायिक उपयोगों के लिए भी बिजली की दरें बढ़ाई गई। लेकिन घरेलू व कृषिगत उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पूर्व अध्यक्ष श्री पी.एन. भण्डारी ने अप्रैल 1996 में पत्रिका में पाठक पीठ के अन्तर्गत लिखते हुए यह स्पष्ट किया था कि विद्युत मण्डल को महंगी बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने से प्रति दिन ढाई करोड़ रुपए का नुकसान होता रहा है। 45 लाख उपभोक्ताओं में से 37 लाख को अनुदानित बिजली (Subsidised Electricity) उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिदिन विद्युत मण्डल को डेढ़ से दो करोड रु. तक का कोयला खरीदना पड़ता है। रेलवे व कोयला कम्पनियों को बड़ी मात्रा में भुगतान करना होता है। विभिन्न क्षेत्रों से करीब 1150 करोड़ रुपए की बिजली प्रतिवर्ष खरीदनी पड़ती है। कोल इण्डिया, रेलवे व राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन को भुगतान करना होता है, तभी वे क्रमशः कोयला, वैगन व बिजली उपलब्ध कराते हैं। राजस्थान को 1100 किलो-मीटर दूरी से कोयला मँगाना पड़ता है तथा कोयले पर व्यय से दुगुना व्यय उसके परिवहन पर लगता है। ऐसी स्थिति में राज्य विद्युत मण्डल को घाटा उठाना पड़ता है।[1]

(2) राजस्थान में विद्युत के ट्रान्समिशन व वितरण की हानि (T and D losses) का अनुपात 26% से घटकर 21% पर आ गया था। इस सम्बन्ध में समस्त देश का औसत 22% है। वर्तमान में इसे राज्य में 35% आंका गया है। एम.आर. गर्ग, पूर्व मुख्य अभियंता और तकनीकी सदस्य, राज्य विद्युत मण्डल के अनुसार राज्य में बिजली की चोरी व छीजत का अनुपात 45% से कम नहीं होगा।[2] अतः इसे प्रयत्न करके आगामी वर्षों में घटाया जाना चाहिए। बिजली की चोरी को भी रोका जाना चाहिए।

(3) राजस्थान विद्युत इकाइयों में श्रमिक आवश्यकता से ज्यादा लगे हुए हैं। राजस्थान में विद्युत के क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम की समस्या पायी जाती है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (फैक्ट्री सेक्टर) 1997-98 के अनुसार राजस्थान में कुल फैक्ट्री कर्मचारियों का लगभग 16 9% अंश विद्युत में लगा था, जबकि समस्त देश के लिए यह लगभग 10% रहा है। 1997-98 में राजस्थान में पूँजी-उत्पत्ति अनुपात विद्युत क्षेत्र में समस्त देश की तुलना में

1 राजस्थान पत्रिका, पाठक पीठ, 8 अप्रैल, 1996
2 एम आर. गर्ग, विद्युत मण्डल का विभाजन-लेख का दूसरा भाग, राजस्थान पत्रिका, 14 मार्च 2000

काफी ऊँचा पाया गया है। पूँजी-उत्पत्ति अनुपात जानने के लिए स्थिर पूँजी में जोड़े गए शुद्ध मूल्य का भाग दिया जाता है। 1997-98 में राजस्थान में विद्युत-क्षेत्र में 48945 कर्मचारी कार्यरत थे, जबकि राज्य में सभी फैक्ट्रियों में इनकी संख्या 290357 थी।[1]

इस प्रकार विद्युत मण्डल को ऊँचे पूँजी-उत्पत्ति-अनुपात व अतिरिक्त श्रम (excess labour) की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर व अजमेर के निर्माण खण्डों में हजारों तकनीकी व दक्ष श्रमिक मौजूद थे, फिर भी भूतकाल में 132 व 220 के.वी. लाइनों का निर्माण करने के लिए प्राइवेट ठेकेदारों को करोड़ों रुपए दिए गए। ऐसी दशा में विद्युत मण्डल को घाटा होना स्वाभाविक था।

(4) विद्युत के बिलों की राशि सही नहीं होती। बिजली की चोरी होने से कम राशि के बिल बनाए जाते हैं। 1987 में विद्युत मण्डल ने कोटा की एक फर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट में जीता था, जिससे 17 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान विद्युत मण्डल को प्राप्त हुआ था, हालांकि यह राशि 24 समान किस्तों में वसूल की गयी थी। फिर भी स्पष्ट है कि बिजली की चोरी रोकने का प्रयास करने से स्थिति सुधरेगी। कृषि के क्षेत्र में बिजली की चोरी का एक कारण यह रहा है कि सामान्य प्रार्थना पत्र देने और कुए का कनेक्शन देने में 8 से 9 वर्ष का समय लग जाता है। कई व्यक्ति इतनी लम्बी प्रतीक्षा करने की बजाय येन-केन-प्रकारेण अवैध रूप से बिजली का उपभोग कर कुए से पानी लेना चाहते हैं। **विद्युत मण्डल ने वर्ष 1997 में नर्सरी श्रेणी की योजना आरम्भ की थी जिसमें प्रतीक्षा सूची को लांघकर अतिरिक्त राशि लेकर कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया था। इस योजना से हजारों किसानों ने विधिवत कृषि-कनेक्शन ले लिए थे, जो अभी तक अवैध रूप से बिजली काम में ले रहे थे।** लेकिन अब यह व्यवस्था अप्रैल 1999 से समाप्त कर दी गई है। इस प्रकार बिजली-प्रशासन की आन्तरिक कमजोरियों से भी विद्युत-बोर्ड को घाटा उठाना पड़ा है।

पूर्व में RSEB को राज्य सरकार की ओर से ऋण-राशि का 50% शेयर-पूँजी (equity) में बदलने से 57.5 करोड़ रु. के वार्षिक ब्याज की बचत हुई थी। विद्युत मण्डल पर केन्द्र व वित्तीय संस्थाओं का दबाव पड़ रहा है ताकि वह लगी पूँजी पर 3% प्रतिफल की दर प्राप्त करने की भरपूर कोशिश करे।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (RSEB) को राजस्थान राज्य विद्युत निगम (RSEC) में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विद्युत के वितरण-कार्य को निजी क्षेत्र में सौंपने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को तीन कम्पनियों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया है यथा **सृजन, संचारण व वितरण**। लेकिन इसे लागू करने के लिए कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग जरूरी है, क्योंकि इस कदम से उनके हितों को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। **आशा है कि इस परिवर्तन से निजी क्षेत्र को उत्पादन व सप्लाई का काम ठेके पर देने से मौजूदा आर्थिक संकट को हल करने में कुछ सीमा तक मदद**

1. Report on ASI, Rajasthan 1997-98 DES p 215

मिलेगी, विद्युत की चोरी पर अंकुश लगेगा और बिलों की वसूली में सख्ती की जा सकेगी।

प्रथम चरण में अलवर व सवाईमाधोपुर जिलों में विद्युत-वितरण व बिल वसूली का काम ठेके पर दिया गया है। आगे चलकर पाली, जोधपुर, सिरोही व जोधपुर जिलों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

राज्य में विद्युत-नियामक आयोग (SERC) एक स्वतंत्र संस्था के रूप में जनवरी 2000 में स्थापित किया गया है जो राज्य विद्युत निगम के कार्यों का नियमन करेगा और विद्युत के ट्रान्समिशन व सप्लाई के लाइसेंस जारी करेगा।

आशा है विद्युत के क्षेत्र में भावी सुधारों से इस क्षेत्र में गुणात्मक सुधार आएगा और राज्य विद्युत निगम की वित्तीय दशा में आमूल-चूल परिवर्तन सम्भव हो सकेगा।

सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव—सार्वजनिक उपक्रमों की दशा को सुधारने के लिए अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो साप्ताहिक पत्रिका Mainstream के मार्च 14 व 21, 1987 के अंकों में प्रकाशित हुई थी। मई, 1987 में स्वर्गीय प्रोफेसर सुखमॉय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आर्थिक सलाह-कार परिषद् (Economic Advisory Council) ने प्रधानमंत्री को Public Enterprise in India : Some Current Issues पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों को केन्द्र व राज्य स्तरों पर अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे।

चक्रवर्ती समिति का यह मत था कि अलग-अलग क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों व अलग-अलग इकाइयों की समस्याओं के हल के लिए विशिष्ट समाधान ढूँढ़ने होंगे। समिति ने सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादन-क्षमता के उपयोग को बढ़ाने पर बल दिया था।

जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार राजस्थान की नियोजित अर्थव्यवस्था में भी सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य-कुशलता व उपलब्धियों का विशेष महत्त्व माना जाता है। इसलिए इनकी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए उप-क्रमानुसार कार्यक्रम बनाए जाने आवश्यक हैं। पिछले वर्षों में इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव सामने आए हैं जिन्हें कार्यान्वित करने से स्थिति में आवश्यक सुधार होगा—

(1) प्रमुख अधिकारियों व प्रबन्ध संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि—सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधि-कारियों व पूर्णकालिक प्रबन्ध संचालकों को कम से कम पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रबन्ध में व्यवसायीकरण की नितांत आवश्यकता है। दो वर्ष की अवधि के डेप्यूटेशन पर अध्यक्षों व प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति से प्रबन्ध में दक्षता व निरन्तरता नहीं आ पाती है।

(2) स्वायत्तता (Autonomy)—सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों को काम करने में स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि वे उपक्रम के हित में शीघ्रता से सही निर्णय ले सकें। मंत्रालय व सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध में उचित तालमेल स्थापित होना चाहिए।

(3) **लेखादेयता** (Accountability)—जहाँ एक तरफ प्रबन्ध में स्वायत्तता दी जानी चाहिए, वहाँ दूसरी तरफ प्रबन्धकों पर कार्य-सिद्धि के सम्बन्ध में अधिक जिम्मेदारी भी डाली जानी चाहिए । इसको कारगर बनाने के लिए **प्रबन्धकों में मेमोरेण्डम ऑफ अण्डर-स्टेण्डिंग (MOUs) भरवाए जाने चाहिए**, जिनमें आवश्यक विचार-विमर्श के बाद उप-क्रमानुसार उत्पादन के लक्ष्य आदि का वर्णन होना चाहिए । ऐसा केन्द्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग व कोयला उद्योग में चालू किया गया है, हालांकि उनके परिणामों का मूल्यांकन करने में अभी समय लगेगा ।

स्वायत्तता व लेखादेयता के बीच उचित संतुलन व तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में प्रतियोगी वातावरण में काम करने वाली इकाइयों व अन्य प्रकार की इकाइयों में अन्तर किया जाना चाहिए ।

(4) औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार किया जाना चाहिए । सार्वजनिक उपक्रमों में श्रम को प्रबन्ध व पूँजी में साझेदारी दी जानी चाहिए, जिससे श्रमिकों का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने में अधिक योगदान मिलेगा । इस दिशा में मजदूर-संघों का समुचित सहयोग वांछित होगा ।[1]

(5) अतिरिक्त श्रमिकों की समस्या का समाधान यह होगा कि उनको प्रशिक्षण देकर अन्य प्रकार की क्रियाओं में लगाया जाना चाहिए । इसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों का विविधीकरण (diversification) किया जाना चाहिए ।

(6) निरन्तर घाटा उठाने वाली इकाइयों को बन्द कर देना चाहिए तथा श्रमिकों को अन्य कामों में लगाने की जिम्मेदारी सरकार को अपने कंधों पर लेनी चाहिए ।

(7) चुने हुए उपक्रमों के निजीकरण (Privatisation) का प्रयास किया जाना चाहिए । यह प्रारम्भ में प्रबन्ध के सम्बन्ध में किया जा सकता है, तथा बाद में स्वामित्व के सम्बन्ध में किया जा सकता है । यदि घाटा उठाने वाली इकाइयों को वार्षिक लीज की निर्धारित राशि पर निजी व्यक्तियों द्वारा चलाने का निर्णय किया जाए तो उसके लिए भी प्रयास किया जा सकता है । लेकिन इस सम्बन्ध में सोडियम सल्फेट संयंत्र, डीडवाना तथा राजकीय ऊनी मिल्स, बीकानेर के अनुभव अनुकूल व उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं, क्योंकि लीज की राशि का भुगतान न होने से न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं ।

(8) **राज्य सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विस्तृत अध्ययन करवाना चाहिए** जिनमें पिछले पाँच-सात सालों से लगातार घाटा हो रहा है और भविष्य में भी जिनकी वित्तीय स्थिति के सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते । उनकी रिपोर्टों पर शीघ्र व उचित कार्यवाही होनी चाहिए ।

(9) जिस प्रकार केन्द्र काफी समय से सार्वजनिक क्षेत्र पर श्वेतपत्र तैयार करने का विचार रखता है, उसी प्रकार राज्य सरकार को भी इनके सम्बन्ध में एक श्वेतपत्र बनवाना

---

1 "Workers' participation in management along with issue of equity shares as bonus is proposed as means of increasing the morale of the workers and raising productivity" Chakaravarty Report, May 1987

चाहिए, जिनमें इनकी मूलभूत समस्याओं पर उपक्रमानुसार विचार किया जाना चाहिए तथा भविष्य में सुधार के लिए सुझाव पेश किए जाने चाहिए । इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । हाल ही में केरल सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में एक विस्तृत श्वेत-पत्र प्रकाशित किया है जो इनके सुधार में काफी मदद देगा ।

आशा है उपर्युक्त सुझावों को लागू करने पर राजस्थान में आगामी वर्षों में सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय दशा में सुधार होगा जिससे इनके भावी विकास के लिए साधन जुटाने में मदद मिलेगी । पिछले वर्षों में इनमें घाटे की दशा के पाए जाने के कारण आम जनता में इनकी उपयोगिता व उपादेयता के सम्बन्ध में काफी संदेह उत्पन्न हो गए हैं, जिन्हें दूर करने के लिए इनमें प्रबन्धकीय कार्यकुशलता का विकास करना आवश्यक हो गया है । एक मजबूत, कार्यकुशल व प्रावैगिक सार्वजनिक क्षेत्र नियोजित अर्थव्यवस्था का हृदय होता है, तथा एक दुर्बल, अकार्यकुशल व गतिहीन सार्वजनिक क्षेत्र नियोजन को निष्प्राण बना देता है । अत: इस क्षेत्र को अधिक मजीव व अधिक सबल बनाना सभी के हित में होगा । ये पंचवर्षीय योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । इनकी बचतों का उपयोग आर्थिक विकास में किया जा सकता है ।

राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रमों (State enterprises) के बारे में रिपोर्ट देने के लिए मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन अक्टूबर, 1991 में किया गया था । समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून, 1992) में निम्न सात उपक्रमों की वित्तीय स्थिति पर विचार किया था । गंगानगर शूगर मिल्स लि., राजस्थान राज्य बीज निगम लि , राजस्थान जल-विकास निगम लि , राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., राज्य सहकारी विपणन संघ, श्री केशोरायपटन सहकारी शूगर मिल्स लि , तथा गंगानगर तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि , गजसिंहपुर ।

दूसरी रिपोर्ट में राजस्थान भूमि विकास निगम, राजस्थान राज्य होटल निगम लि., (खासा कोठी जयपुर व आनन्द भवन, उदयपुर), सहकारी भेड़ व ऊन विपणन संघ लि , तथा राज्य सहकारी आवास संघ लि., नामक चार राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई थी । इसके सुझाव सरकार को पेश किए गए थे ।

राजकीय उपक्रमों में *कई ऐसे उपक्रम हैं जिन्हें 1980-81 से 1994-95* के 15 वर्षों में से अधिकांश वर्षों में घाटा रहा है । राजस्थान एग्रो-उद्योग निगम लि., को लगातार पन्द्रह वर्षों तक घाटा हुआ है । राज्य लघु उद्योग निगम लि., को बारह वर्ष तक व राज्य बीज निगम लि को दस वर्षों तक घाटा रहा है । राजस्थान एग्रो-उद्योग निगम लि को 1995-96 व 1996-97 में भी घाटा हुआ है । इस प्रकार इसे सदैव घाटा होता रहा है ।

अन्य उपक्रम जिन्हें उक्त अवधि (15 वर्ष की) में अधिकांश वर्षों में घाटा रहा है, उनके नाम इस प्रकार हैं—राजस्थान भूमि विकास निगम (आठ वर्ष), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि., (आठ वर्ष), राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन संघ लि , (आठ वर्ष), राज्य सहाकारी उपभोक्ता संघ लिवर्ष), सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा' (सात वर्ष),

गंगापुर सहकारी स्पिनिंग . (सात वर्ष), केशोरायपटन सहकारी शूगर मिल्स लि , (आठ मिल्स* लि. (सात वर्ष), श्रीगंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि., गजसिंहपुर (पिछले तेरह वर्ष से लगातार), राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री) डीडवाना (दस वर्ष), आदि, आदि ।

भविष्य में राजकीय उपक्रमों के घाटों की पूर्ति बजट से करना सम्भव नहीं होगा । अत: इनकी वित्तीय दशा सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हो गए हैं । इनमें से कुछ को बंद करना होगा, और कर्मचारियों को वैकल्पिक स्थानों या विभागों में काम पर लगाना होगा । कुछ का निजीकरण किया जा सकता है, जैसे होटल जैसी क्रिया को निजी क्षेत्र में देना ज्यादा हितकर सिद्ध हो सकता है । कुछ की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके उन्हें लाभ में लाने का प्रयास किया जा सकता है ।

राजस्थान भूमि विकास निगम ने 1991 में कोई फार्म-विकास क्रिया संचालित नहीं की थी । इसका समग्र घाटा 14 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि इसकी परिदत्त पूँजी 20 करोड़ रुपए ही थी । निगम को व्यापारिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को लगभग 70 करोड़ रुपए कर्ज के चुकाने थे । इसे किसानों से लगभग 84 करोड़ की बकाया राशि वसूल करनी थी, जबकि इंदिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकार द्वारा बकाया कर्जो की वसूली रोक दी गई थी । इसी क्षेत्र के किसान बिना भूमि विकास निगम की अनुमति के अपनी भूमि बेच देते थे । ऐसी स्थिति में इस निगम का कार्यरत रहना कठिन हो गया था । सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय किया है । सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने इस निगम के काफी कर्मचारी अन्य उपक्रमों में लगा दिए हैं और शेष कर्मचारी भी इस प्रकार अन्यत्र काम पर लगा दिए जाएँगे ।

1991-92 में सरकार ने राज्य वन विकास निगम लि. को बंद कर दिया था । राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. को भी बंद कर दिया गया है तथा इसकी स्थिर परि-सम्पत्तियाँ इन्स्ट्रूमेण्टेशन लि., कोटा को हस्तान्तरित कर दी गई हैं, जो एक केन्द्रीय क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है । राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. की टंगस्टन- क्रिया हिन्दुस्तान जिंक लि. को हस्तान्तरित कर दी गई है । राज्य टेनरीज लि. में सरकारी शेयर पूँजी एक निजी उद्यमकर्ता को हस्तान्तरित करने का समझौता किया गया है । राज्य केमिकल वर्क्स की सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री बन्द पड़ी है । राज्य सरकार के सॉल्ट-वर्क्स, पचपदरा भी 1992-93 से बन्द हैं । बन्द पड़ी इकाइयों से वार्षिक खाते प्राप्त नहीं हुए हैं ।

पूर्व में सरकार ने निम्न उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया था ।[1]

(i) राज्य कृषि-उद्योग निगम, *(ii)* हाई टेक ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर (जो गंगानगर चीनी मिल की एक इकाई है), *(iii)* श्रीगंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि.,

---

* अब स्पिनफेड में शामिल ।

1 Public Enterprises Profile of Rajasthan for 1991-92 to 1994-95 March, 1997

गजसिंहपुर तथा *(iv)* लाडनूँ व चूरू की ऊनी मिलें जो राजस्थान लघु उद्योग निगम के अधीन थीं। *(v)* राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लि. (सत ईसबगोल फैक्ट्री, आइस प्लान्ट व फैक्ट्री, अलवर) अन्य उपक्रमों के सम्बन्ध में भी मजदूरों के हितों की रक्षा करने हेतु उचित निर्णय लेने होंगे। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को 1991-92 से 1997-98 की अवधि में निरन्तर सात वर्षों तक लाभ प्राप्त हुआ था। 1994-95 में लाभ की राशि 24 I करोड़ रु. रही थी जो बाद के वर्षों में घटी, लेकिन फिर भी इसे 1997-98 में लगभग 4 करोड़ रु का मुनाफा प्राप्त हुआ। **1998-99 में इसे लगभग 50 करोड़ रु. का घाटा हुआ था तथा 1999-2000 में इससे भी अधिक का घाटा हुआ है,** जिसके पीछे रोडवेज के कुप्रबन्धन, भ्रष्टाचार, अवैध रूप से निजी बसों का धड़ल्ले से संचालन, निजी बसों की तुलना में रोडवेज की बसों का अधिक किराया, आदि तत्त्व जिम्मेदार माने गए हैं।

व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् (NCAER) ने अगस्त 1994 में राजस्थान के सभी राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों के अध्ययन पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो एक अनूठा प्रयास है।[1] इसमें सभी राज्य स्तरीय सार्वजनिक व सहकारी उपक्रमों की वित्तीय कार्य-सिद्धि पर क्रमवार विचार किया गया है, जो 1990-91 तक के आँकड़ों पर आधारित हैं।

इसमें SWOT विश्लेषण लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत क्रमशः Strength, Weakness, Opportunity and Threats (शक्ति, कमजोरी, अवसर व सम्भावित खतरा या धमकी) प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग-अलग देखे जाते हैं और फिर यह तय किया जाता है कि उसे चालू रखना है अथवा बंद करना है। इस प्रकार के विश्लेषण में प्रत्येक उपक्रम की शक्ति के बिन्दु, कमजोर बिन्दु, आगे के विकास के अवसर के बिन्दु तथा उसके लिए सम्भावित खतरों के बिन्दु अलग-अलग निर्धारित किए जाते हैं और फिर कोई अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

उपर्युक्त अध्ययन में निम्न सात उपक्रमों को बंद करने की सिफारिशें की गई थीं-धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, टेनरीज लि., भूमि विकास निगम, वन विकास निगम, इलेक्ट्रोनिक्स लि., तथा टंगस्टन विकास निगम लि.। सम्भवतः राज्य सरकार ने इसी रिपोर्ट की सिफारिश पर कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसी रिपोर्ट पहली बार किसी राज्य के लिए तैयार की गई है। कांग्रेस की नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद जनवरी 1999 में सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक तीन सदस्यों की समिति गठित की है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर इनकी भावी पुनर्रचना का प्रयास किया जाएगा।

भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नई नीति में निरंतर घाटे में चलने वाली इकाइयों में श्रमिकों की छंटनी, पुनर्प्रशिक्षण, उनको नए काम में लगाने की नीति लागू करने

1 S L Rao & R Venkatesan, **Restructuring of State Level Public Enterprises in Rajasthan, August, 1994.**

का निर्णय लिया है। राज्य सरकार को भी इस दिशा मे आवश्यक कदम उठाने चाहिए। लेकिन इसके लिए मजदूर–सघों से बातचीत करके ही कोई उचित मार्ग निकला जा सकता है। भारत सरकार की श्रम–सबधी बहिर्गमन नीति का विरोध किया गया है। इससे बेरोजगारी उत्पन्न होने का भय उत्पन्न हो गया है।

अत **विभिन्न सार्वजनिक व सहकारी उपक्रमों पर विस्तृत अध्ययन व विश्लेषण करके सरकार को एकश्वेत-पत्र (white paper) निकाल कर इनके सम्बन्ध में अपनी भावी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।** तभी इनकी स्थिति मे स्थायी सुधार हो सकता है। इनमें से कुछ इकाइयो को आपस मे मिलाने, रुग्ण इकाइयों को बद करने तथा इनके कार्य संचालन को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार को कुछ कडे कदम उठाने चाहिए, अन्यथा लगातार घाटे मे चलने वाली इकाइयाँ राज्य की वित्तीय स्थिति को कभी दुरस्त नहीं होने देगी। इस सम्बन्ध मे प्रति वर्ष CAG की रिपोर्ट मे दिए गए सुझावो पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शुद्ध लाभ–हानि का आकलन भी अधिक सही व अधिक सुनिश्चित होना चाहिए। केवल हिसाबी–समायोजन (accounting-adjustment) से सतोष नहीं करना चाहिए।

राजस्थान में स्थापित राजकीय उपक्रमों को सुव्यवस्थित (streamline) करने की दृष्टि से श्री राजसिंह निर्वाण, पूर्णकालिक सदस्य, राज्य योजना बोर्ड, के संयोजकत्व में जून 1999 में 'राजकीय उपक्रमों के पुनर्गठन, सशक्तिकरण, व विनिवेश तथा औद्योगिक विकास' समिति का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न सवैधानिक निगमो/बोर्डों व पंजीकृत कम्पनियो की प्रथम चरण मे समीक्षा करके अपना प्रतिवेदन 15 मई, 2001 को राज्य के मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया। दूसरे चरण मे सहकारी (राजकीय) उपक्रमो की समीक्षा की गई है।

समिति की प्रमुख सिफारिशे इस प्रकार हैं[1]–

(1) समिति ने निम्न **सात सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करने की सिफारिश की है**– हथकर्घा विकास निगम भूमि विकास निगम जल विकास निगम, कृषि उद्योग निगम, टगस्टन विकास निगम, इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड तथा टेनरीज लिमिटेड।

(2) इसने **पर्यटन विकास निगम व होटल निगम के पूर्ण निजीकरण की सिफारिश की है।**

(3) समिति ने **श्रीगंगानगर शूगर मिल** को वन्द करने तथा **इसकी शराब इकाई को सरकार से अलग करके निजी हाथों मे सौंपने** की सिफारिश की है।

(4) निम्न ग्यारह इकाइयो के विलय, कामकाज के बटवारे अथवा कुछ शेयर निजी क्षेत्र को बेच देने की आवश्यकता बतलाई है। राजस्थान वित्त निगम, रीको, राजस्थान माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड, खनिज विकास निगम, भण्डारण (वेयर हाउसिग) निगम, **लघु उद्योग निगम, आवासन मण्डल,** बीज निगम, रोडवेज, कृषि विपणन निगम तथा पुल व निर्माण निगम।

---

1 पूर्वाद्धत रिपोर्ट मार्च 2001तथा दैनिक भास्कर 3 दिसम्बर 2001

(i) इसमे रीको की उत्पादक इकाइयो को या तो बन्द करे अथवा बेच दे। दूसरा कामकाज दो भागो में बाट दे– एक आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु और दूसरा विनियोग के लिए।

(ii) **लघु उद्योग निगम** मे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) के जरिए कर्मचारी कम करे।

(iii) **रोडवेज** को क्षेत्रवार अलग–अलग कम्पनियो मे बाँट देने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय मार्गों की सख्या को बढाने का सुझाव दिया गया है।

(iv) **आवासन मण्डल** को एक निगम मे बदलने व आशिक रूप से निजी हाथो मे सौपने तथा इसके कामकाज मे व्यापक सुधार करने के सुझाव दिए गए है।

आशा है राज्य सरकार समिति की सिफारिशो पर उचित निर्णय लेकर सरकारी उपक्रमो मे सुधार की दिशा मे आवश्यक कदम उठाएगी।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान मे अब तक सबसे ज्यादा सचित घाटा किस उपक्रम को हुआ है?
   (अ) राज्य विद्युत मण्डल (ब) राजस्थान वित्त निगम
   (स) राज्य कृषि–उद्योग निगम लि (द) हथकरघा विकास निगम लि (अ)
2. राजकीय उपक्रमो की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
   (अ) अतिरिक्त स्टॉफ मे कमी (ब) टेक्नोलोजी का उन्नयन
   (स) उचित कीमत–निर्धारण (द) सभी (द)
3. निम्न मे से कौन–सा उपक्रम निगम (corporation) नहीं माना जाएगा?
   (अ) राज्य विद्युत मण्डल
   (ब) राज्य सडक परिवहन निगम
   (स) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि
   (द) राजस्थान वित्त निगम (स)
4. निम्न मे से राजस्थान का कौन सा राजकीय उपक्रम बन्द है?
   (अ) राज्य वन विकास लि
   (ब) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, पचपदरा
   (स) राज्य केमिकल वर्क्स (सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री), डीडवाना
   (द) सभी (द)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान मे सार्वजनिक उपक्रमो की वित्तीय कार्यसिद्धि का परिचय दीजिए तथा, इसको सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए।
2. सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–
   (i) राज्य विद्युत मण्डल का घाटा,
   (ii) राज्य सरकार के उपक्रमों की वित्तीय कार्यसिद्धि,
   (iii) राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रमो की लाभप्रदता को बढाने के उपाय।

औद्योगिक विकास में विभिन्न निगमों की भूमिका

(Role of Different Corporations in Industrial Development)

राजस्थान में औद्योगिक विकास से कई प्रकार के संगठन जुड़े हुए हैं, जिनमें अगस्त, 1986 में पुनर्गठित सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद् भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष राज्य के उद्योग मंत्री हैं। यह औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा करती है, राज्य सरकार को औद्योगिक नीति व कार्यक्रमों पर सलाह देती है तथा उद्योगों को समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओं व रियायतों का जायजा लेती है।

राज्य में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास से सम्बद्ध विभाग, संगठन या निगम इस प्रकार हैं—

(1) मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग—

(i) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि. (रीको)

(ii) राजस्थान वित्त निगम (आर एफ.सी.)

(iii) सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (बी.पी.ई.)

(2) ग्रामीण व लघु उद्योग—

(i) उद्योग निदेशालय

(ii) खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड

(iii) हथकरघा विकास निगम

(iv) राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको)

(3) इनके अलावा निम्न केन्द्रीय संगठन व निगम भी राज्य के औद्योगिक विकास में सहयोग देते हैं—

(i) लघु उद्योग सेवा संस्थान

(ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई)

(iii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफ.सी आई.)

(iv) राजस्थान सलाहकर संगठन लि. (राजकोन) (जिसका प्रवर्तन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किया गया है)।

हम नीचे रीको, राजस्थान वित्त निगम तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम के कार्यों व उनकी प्रगति पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और साथ में अन्य संस्थाओं व संगठनों का संक्षिप्त परिचय देंगे।

1. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि. (रीको) (Rajasthan State In-dustrial Development and Investment Corporation Ltd.) (RIICO)

इसकी स्थापना 1969 में हो चुकी थी, लेकिन नवम्बर, 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) के अलग से स्थापित होने के बाद रीको का कार्य औद्योगिक विकास के क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया था।

इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—

(i) प्रोजेक्टों का चयन करना, उनके लिए आशय-पत्र (letters of intent) व औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं से मिलकर या स्वयं उनका क्रियान्वयन करना।

(ii) राजस्थान के औद्योगिक विकास की स्कीमों को प्रोत्साहन देना और उनका संचालन करना।

(iii) प्रोजेक्टों की तस्वीरें (project profiles), प्रोजेक्टों की रूपरेखाएँ (project blueprints) व प्रोजेक्ट-रिपोर्ट तैयार करवाना और आवश्यक सलाह प्रदान करना।

(iv) उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन करना एवं उद्योगों को स्थापना के लिए फैक्ट्री-शेड उपलब्ध करना।

(v) मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना जिसके निम्न रूप हो सकते हैं—

(अ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त सहायता स्कीम के अन्तर्गत अवधि-कर्ज (term loans) देना।

(आ) शेयरों का अभिगोपन (underwriting) करना तथा उनमें प्रत्यक्ष अंशदान करना। इसे शेयर-पूँजी या इक्विटी में भाग लेना (equity partici-pation) कहते हैं। अभिगोपन की प्रक्रिया में शेयर बिकवाने की व्यवस्था की जाती है, जबकि प्रत्यक्ष अंशदान में स्वयं रीको कुछ शेयर खरीद लेता है।

(इ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की तरफ से सीड पूँजी (Seed Capital) उपलब्ध करना, जो नए उद्यमकर्ता के अंशदान (promoter s contribution) की कमी की पूर्ति के लिए मामूली सर्विस चार्ज पर उपलब्ध की जाती है।

(ई) बिक्री कर की एवज में ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था करना तथा

(*u*) प्रवासी भारतीयों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध करना।

इस प्रकार रीको औद्योगिक विकास व विनियोग से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित करता है।

साधन (Resources)– रीको के वित्तीय साधन शेयर पूँजी, ऋणपत्रों, भारतीय औद्योगिक बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त सहायता व राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज तथा स्वयं के रिजर्व व बचतो से बने हैं। 31 मार्च 2003 को इसकी परिदत्त शेयर पूँजी लगभग 168.60 करोड़ रु थी (अधिकृत पूँजी 175 करोड़ रु)। राज्य सरकार इसकी शेयर पूँजी में अपना अंशदान देती है। यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक व भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से पुनर्वित्त के रूप में सहायता प्राप्त करता है। जनवरी 1995 मे इसने 14 5% ब्याज की दर पर 250 करोड़ रु के अपरिवर्तनीय बांड पहली बार जारी किए थे जिनसे आवश्यक धनराशि प्राप्त हो गई थी। 11 जनवरी, 2002 को इसका पूरा भुगतान किया जा चुका है। **1999-2000 मे रीको ने 13.15% की ब्याज-दर पर 288.05 करोड़ रु. के बांड-II जारी किए थे।**

IDBI ने रीको के कार्य की प्रगति को देखकर इसे पुनर्वित्त की स्कीम में रियायतें दी हैं। रीको अब साधारणतया 4 करोड़ रुपये तक के अवधि-कर्ज स्वीकृत कर सकता है। यह 10 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्टों को वित्तीय सहायता दे सकता है। इसमें IDBI की साझेदारी भी होती है। इसके ऊपर की राशि के प्रोजेक्टों के लिए अखिल भारतीय संस्थाओं से सम्पर्क करना पड़ता है।

सितम्बर, 1976 में (IDBI) ने रीको को वित्तीय संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की थी, जिसके बाद इसकी विनियोग-सम्बन्धी क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई है। साधारणतया रीको संयुक्त क्षेत्र (joint sector) की परि-योजनाओं की शेयर पूँजी (equity) में 26% अंश लेता है (जहाँ 49% शेयर पब्लिक को बेचे जाते हैं) तथा सहायता-प्राप्त परियोजनाओं (assisted projects) की 10% से 15% तक शेयर पूँजी लेता है।

इसकी दो सहायक कम्पनियाँ (Subsidiary Com-panies) इस प्रकार रही हैं—

(*i*) राजस्थान कम्यूनिकेशन्स लि. (RCL), (*ii*) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. (REL)। अब यह बंद कर दी गई है तथा इसकी परिसम्पत्तियाँ इस्ट्रूमेण्टेशन लि. कोटा को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। यह पहले टी.वी. सेट बनाया करती थी।

मार्च 2003 तक रीको द्वारा 286 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं जिनमें 17,121 औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं।[1] इसने कई औद्योगिक प्रोजेक्ट पिछड़े क्षेत्रों में लगाए हैं तथा

1. 34th Annual Report 2002-2003, p 7.

कुछ जनजाति क्षेत्रों में लगाए हैं। इस प्रकार रीको पिछड़े क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्नशील रहा है।

वर्तमान में रीको की स्वयं की दो परियोजनाएँ इस प्रकार हैं—घड़ी व टू-वे रेडियो संचार-उपकरण परियोजनाएँ, राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. नामक टी.वी. इकाई में पहले टेलीविजन सेट्स बनाए जाते थे, लेकिन जैसा कि पहले बतलाया गया है अब यह बंद कर दी गई है।

रीको की वाच एसेम्बली इकाई ने लाउडस्पीकर, डिजिटल क्लॉक, विद्युत इमरजेन्सी लाइट्स आदि के निर्माण की योजना बनाई है। घड़ियों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया गया है। अब तक कई लाख घड़ियाँ एसेम्बल की जा चुकी हैं।

रीको ने संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। संयुक्त क्षेत्र के प्रोजेक्टों में ज्यादातर इकाइयाँ कार्पेट यार्न व सिन्थेटिक यार्न बनाती हैं। रीको ने स्वयं के क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र), संयुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र सभी का विकास करने का प्रयास किया है। कुछ प्रोजेक्टों में विदेशी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है। आशा है रीको के प्रयत्नों से भविष्य में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकास होगा तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार होगा।

रीको इलेक्ट्रोनिक्स परियोजनाओं के विकास पर समुचित रूप से ध्यान दे रहा है। 1985-86 में इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य 70 करोड़ रुपए था जो 1991 में बढ़कर 350 करोड़ रुपए हो गया। इसकी इलेक्ट्रोनिक्स की इकाइयाँ लघु, मध्यम व बड़ी सभी आकार की हैं और उनका निरन्तर विकास किया जा रहा है। सबसे अधिक व महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं-एलाइड इलेक्ट्रो-निक्स एण्ड मेग्नेटिक्स लि., उदयपुर (फ्लोपी डिस्केट के लिए), राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेण्ट्स लि., जयपुर (इलेक्ट्रोनिक दुग्ध-विश्लेषक, आदि के लिए), सेम्टल इण्डिया लि., भिवाड़ी (टीवी पिक्चर ट्यूबों के लिए), बहुबली इलेक्ट्रोनिक्स लि. अजमेर (ऑडियो मेग्नेटिक टेप्स के लिए) सेम्कोर ग्लास लि., कोटा का टीवी ग्लास शेल्स प्रोजेक्ट, इन्स्ट्रूमेण्टेशन लि. का इलेक्ट्रोनिक्स स्विचिंग सिस्टम्स तथा मोदी ए.आर.ई. का मोडेम्स (modems), आदि।

सेम्कोर ग्लास लि. की तरफ से कलर TV ग्लास शेल्स का प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपए की लागत से कोटा में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रथम इकाई में ग्लास शेल के लिए इसमें 210 करोड़ रुपए का विनियोग होगा। इलेक्ट्रो-निक्स स्विचिंग सिस्टम्स प्रोजेक्ट, कूकस (जयपुर) में स्थापित किया गया है। इसकी लागत 150 करोड़ रुपए अनुमानित है।

अन्य कई इलेक्ट्रोनिक्स के प्रोजेक्ट क्रियान्वयन व विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है और भविष्य में यह देश में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा।

1994-2002 की अवधि में वर्षवार प्रोजेक्ट-क्रियान्वयन की प्रगति इस प्रकार रही :

वर्ष 1994-95 में रीको निम्न परियोजनाओं को आकर्षित करने में सफल रहा है वोल्टाज इन्टरनेशनल लि. (इन्टीग्रेटेड ग्रेनाइट का निर्माण करने के लिए), पीरामल एन्टरप्राइजेज लि. (रक्त की थैली का निर्माण करने के लिए), ग्रेपको निटपिन लि (मार्बल खनन व प्रोसेसिंग के लिए), गुजरात टेलीफोन केबल लि (इन्टीग्रेटेड जेली फिल्ड टेलीफोन केबल्स, जोइन्टिंग किट्स, रेडियो पार्ट्स व पावर जेनेरेटर के लिए) तथा प्रेरणा सिन्टेक्स लि. (टेक्सटाइल का सामान बनाने के लिए) एवं अन्य इकाइयाँ।

वर्ष 1995-96 में इसने 64 बड़े प्रोजेक्टों से टाई-अप किया है, जिससे 3486 करोड़ रुपए का विनियोग सम्भव हो सकेगा। **1995-96 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मदद से 6 औद्योगिक प्रोजेक्ट आकर्षित किए गए जिनमें 705 करोड़ रु. का विनियोग होगा।** इनमें ग्लास शैल व जीएलएस लेम्प्स के लिए फिलिप्स इण्डिया लि, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरों व व्हाइट माल के लिए इलेक्ट्रोलक्ष लि, पैकेजिंग उद्योग की स्याही के लिए मोन्टारी उद्योग लि., स्पोर्ट्स कारों के लिए कमल सेबर मोटर्स लि, सिलीकोन्स के लिए सिलीकोन्स उद्योग लि. तथा सीआर कोयल्स के लिए महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा हैं।

1996-97 में रीको ने 28 बड़े प्रोजेक्टों के साथ टाइ-अप किया जिनसे लगभग 1259 करोड़ रु. का विनियोग हो सकेगा। **1990-91 से 1996-97 तक 37 प्रोजेक्टों में 3810 करोड़ रु. का विनियोग आकर्षित हुआ।**

1996-97 में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग से निम्न चार प्रोजेक्टों में 953 5 करोड़ रु. का विनियोग आकर्षित हुआ। उनके नाम इस प्रकार हैं : **सेम्कोर ग्लास लि.** (कलर टी.वी. ग्लास शैल्स के लिए) (इकाई II), **मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लि.** (मीको) (ईंधन-इन्जेक्शन-उपकरण के लिए), **कम्प्यूकोम टेक्नोलोजीज प्रा. लि.** (कम्प्यूटर सोफ्टवेयर के लिए), **रोयल इण्डिया ज्यूलरी विनिर्माण कम्पनी लि.** (स्वर्ण आभूषण के लिए)।

1997-98 में कुल स्वीकृतियों का 38% सैकण्ड हैण्ड सुल्जर लूम्स प्रोजेक्ट्स (Sulzer Looms Projects) **के लिए दिया गया।** अवधि-कर्ज का 45% टेक्स-टाइल्स व होटल उद्योग के लिए दिया गया। इस अवधि में 75% अवधि-कर्ज का लाभ जयपुर व भीलवाड़ा जिलों में स्थित परियोजनाओं को मिला है।

1998-99 में रीको द्वारा स्वीकृत अवधि-कर्जों का आधे से ज्यादा अंश चालू कम्पनियों को विस्तार/ विविधीकरण/वित्त-स्कीम/उपकरण-पुनर्वित्त तथा कार्य-शील पूँजी या विकसित/विशिष्ट कर्ज के रूप में दिया गया। इससे अवधि-कर्ज में गुणात्मक परिवर्तन हो पाया है। अवधि-कर्ज के 49 प्रोजेक्टों को स्वीकृति प्रदान की गई। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

1999-2000 में बिजीनेस प्रोमोशन सैल के प्रयासों से 1,837 करोड़ रु. का निवेश निम्न किस्म के उपक्रमों में किया गया है—जयपुर व उदयपुर में कोका कोला

की बोटलिंग के लिए **हिन्दुस्तान कोका कोल लि.**, जोधपुर व अलवर में पेप्सी को बोटलिंग के लिए **वरुण ब्यूअरीज लि.**, जोधपुर में **ताज होटल्स** द्वारा डीलक्स होटल, यार्न प्रोसेसिंग के लिए गिनी इन्टरनेशनल लि., इन्सुलेटेड वायर्स व केबल्स के लिए **पेरामाउण्ट कम्यूनिकेशन्स लि.**, शेविंग ब्लेड व रेजर्स के विस्तार के लिए **इण्डियन शेविंग प्रोडक्ट्स लि.**, सोफ्टवेयर्स के लिए **कोम्प्यूकोम सोफ्टवेयर्स लि.**, कलर पिक्चर ट्यूबों के ग्लास पार्ट्स के लिए **सेम्कार ग्लास लि.**, वेट ग्राउण्ड केल्सियम कार्बोनेट के लिए **20 माइक्रोन्स लि.**, कॉटन यार्न शीटिंग के लिए **एस. कुमार्स सिनालेब्स (Synalabs) लि.**, जोजोबा-बागान व प्रोसेसिंग के लिए **आर एस बी प्रोजेक्ट्स लि.**, तथा एस्बेस्ट्स शीटों आदि के लिए **रूफिट इण्डिस्ट्रीज लि.** ।

इसके अलावा 1999-2000 में **इन्फ्रास्ट्रक्चर, सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक पार्को, व्यर्थ भूमि पर एग्रो-प्रोजेक्ट, आबू रोड़ में एग्रो/फूड पार्क, सीडोस (पत्थरों के विकास) आदि के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं जिनके लाभ आगामी वर्षों में मिल सकेंगे ।**

2000-2001 में रीको ने अवधि-कर्ज-सहायता के रूप में 74 प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जिनमें 170.9 करोड़ रु. का निवेश होने का अनुमान है । कुल स्वीकृतियों में 37% राशि टेक्सटाइल्स इकाइयों को प्राप्त हुई । रीको ने प्राइवेट इन्जीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सिनेमा घरो आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की ।

2002-2003 में रीको ने निम्न प्रोजेक्टों से 'टाई-अप' किया : नीमराना ने फूड प्रोडक्ट्स; IT प्रोजेक्ट, सीतापुरा, जयपुर, भीलवाड़ा में कॉटन स्पिनिंग व निटिंग; एडवान्स IT इन्स्टीट्यूट, जयपुर, बायो-टैक इन्स्टीट्यूट, जयपुर ।

रीको ने राज्य के बाहर काम करने वाले प्रवासी राजस्थानियों व अन्य लोगों को राजस्थान मे आकर उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु समय-समय पर विभिन्न स्थानों में 'औद्योगिक अभियान' (Industrial Campaigns) आयोजित किए हैं। इससे कुछ उद्यमकर्त्ता उद्योग स्थापित करने हेतु राजस्थान के लिए तैयार हुए हैं । पिछले वर्षों में विभिन्न स्थानों जैसे मुम्बई, कोलकाता व दिल्ली में आयोजित अभियान काफी सफल माने गए हैं ।

यह विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों को भी आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है ताकि राज्य में औद्योगिक विनियोग बढ़ सके ।

रीको द्वारा वित्तीय सहायता की प्रगति—रीको द्वारा औद्योगिक इकाइयों को कई प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इनका परिचय आगे दिया जाता है—

(i) इक्विटी में योगदान देकर, अर्थात् औद्योगिक इकाइयों की शेयर-पूँजी में भाग लेकर,

(ii) अवधि-कर्ज (Term loan) देकर,

(iii) बिक्री कर की एवज में ब्याज-मुक्त कर्ज (interest free sales tax loan) देकर तथा

(iv) विनियोग सब्सिडी प्रदान करके ।

लेकिन इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुख्य रूप अवधि-कर्ज देना है ।

पिछले 6 वर्षों की अवधि में स्वीकृत वित्तीय सहायता व वितरित वित्तीय सहायता की स्थिति अग्र तालिका में दर्शाई गई है ।[1]

---

1. 34th Annual Report (RIICO) for 2002-2003, July 16, 2003, pp 4-6 व पूर्व रिपोर्टें ।

1998-99 से 2002-2003 तक वित्तीय सहायता

(करोड़ रु.)

वर्ष	स्वीकृत	वितरित
1998-1999	98 2	66 1
1999-2000	100 9	49.6
2000-2001	106 6	101 6
2001-2002	76 3	86 1
2002-2003	63 3	48.5 (अवधि-कर्ज + इक्विटी सहायता)

2002-2003 में वितरित वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है—

(करोड़ रु.)

	वितरित
(i) अवधि-कर्ज (term loan)	45 9
(ii) इक्विटी-सहायता	2 6
कुल	48.5

इस प्रकार रीको द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता में अवधि-कर्ज (term-loan) का सबसे अधिक अंश होता है। 2002-03 में 2/3 स्वीकृतियाँ वस्त्र उद्योग के लिए की गयी तथा दूसरा स्थान होटल व इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का रहा । ज्यादा स्वीकृतियाँ भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर व अलवर जिलों के लिए की गयी ।

2002-2003 में रीको ने 45.9 करोड़ रु. के अवधि-कर्ज वितरित किए जो पिछले वर्ष से कम थे । 2001-2002 में अवधि-कर्ज की रिकवरी व समायोजनों की राशि 95.2 करोड़ रु. रही, जो पिछले वर्ष से कम थी । अपने उत्तम कार्य-निष्पादन के कारण रीको राज्यों के औद्योगिक विकास व विनियोग निगमों में श्रेणी A में अपना स्थान बनाए रख सका है ।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की प्रगति[1]

मार्च 2003 के अन्त में रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 286 हो गई थी । इनमें 17121 उद्योग स्थापित किए जा चुके थे । 2002-2003 में 419 प्लाट विकसित किये गये । रीको प्रतिवर्ष नए भू-क्षेत्र अवाप्त करता है ताकि नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा सके। इसने वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 423 एकड़ भूमि अवाप्त की।

उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि रीको भूमि प्राप्त करने व विकसित करने के कार्य में काफी सक्रिय रहा है। भूखण्डो के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का चुनाव सही नहीं हुआ है । प्रत्येक जिले में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है । अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में जल, परिवहन व संचार की सुविधाओं की कमी पाई जाती है। इसे उद्यमकर्त्ताओं को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सुधार की नितांत आवश्यकता है।

1. 34th Annual Report 2002-2003, RIICO, July 2003, pp 6-7

दिल्ली के समीप होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के अलवर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसमें भिवाड़ी को फ्लेगशिप क्षेत्र मानकर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं । खुशखेड़ा विस्तार, चोपन्की व 'मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र-विस्तार', NCR नियोजन बोर्ड की वित्तीय सहायता से विकसित किए जा रहे हैं । इसके अलावा भिवाड़ी के समीप एक ऑटो-सहायक कॉम्पलेक्स, तथा सारेखुर्द व राजगढ़ नामक औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ।

5 विकास केन्द्रों आबू रोड़, बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ व धौलपुर विकास-केन्द्रों (growth centres) का विकास-कार्य प्रगति पर है । भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ मार्ग पर बनास नदी के निकट 174 एकड़-क्षेत्र में **हमीरगढ़** में पाँचवा विकास केन्द्र स्थापित किया गया है । 3 विकास-केन्द्र और विकसित किये जा रहे हैं । ये हैं— पलसाना (सीकर), परबतसर (नागौर) तथा बीकानेर में एक और करणी (पहले खारा में)। इनको मिलाकर 8 ग्रोथ सेन्टर्स हो जायेंगे ।

भारत सरकार की समन्वित आधार-ढाँचा विकास [Integrated Infrastructure Development (IID)] **स्कीम के तहत लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जोधपुर के सांगरिया, नागौर के गोगेलाव** (Gogelao), **टोंक के निवाई तथा उदयपुर के कल्लेडवास** (Kaladwas) **में चार स्थानों पर IID केन्द्र (लघु-विकास-केन्द्र)** (mini gowth-centres) **स्थापित किए गए हैं** । ये फालना (पाली), हिण्डौन सिटी (करौली), बयाना (भरतपुर), धोहिन्दा (राजसमंद) व बारां (बारां जिला) में भी स्थापित किये जायेंगे । (कुल 9 होगे) ।

विशेष उद्देश्यों के लिए औद्योगिक पार्क—जैसा कि औद्योगिक नीति के अध्याय में बतलाया गया था, राज्य सरकार जेम्स व ज्यूलरी, चमड़ा, गार्मेण्ट, इंजीनियरिंग, दस्तकारी, इलेक्ट्रोनिक्स आदि उद्योगों के विकास के लिए विशेष उद्देश्यों वाले औद्योगिक पार्क विकसित कर रही है । इनका परिचय स्थान सहित निम्न तालिका मे दिया गया है—

क्षेत्र/पार्क	स्थान
1 चमडा	मानपुरा-माचेडी, भरतपुर, धौलपुर और भिवाड़ी के समीप चोपन्की
*2 एग्रो-फूड पार्क्स	रनपुर (कोटा), बोरानाडा (जोधपुर), उद्योग-विहार के समीप (श्रीगगानगर)
3. इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर पार्क	कूकस (जयपुर)
4 सिरेमिक कॉम्प्लेक्स/पार्क	बीकानेर
5 ऊन कॉम्प्लेक्स/पार्क	बीकानेर व ब्यावर
*6 बायो-टेक्नोलोजी पार्क्स	जयपुर (सीतापुरा), अलवर व जोधपुर (बोरानाडा)
7. लधु खनिज कॉम्प्लेक्स/पार्क	करौली, दोंहिन्डा (राजसमंद) एवं मित्रपुरा (दौसा)
8 जेम्स व ज्यूलरी	निर्यात-प्रोत्साहन पार्क (EPIP) सीतापुरा (जयपुर)
*9 सूचना एव प्रौद्योगिकी पार्क्स (IT)	जयपुर (सीतापुरा), कोटा व अलवर में स्थापित तथा (जोधपुर व उदयपुर के लिए नियोजित)

* विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (EPIP) सीतापुरा, जयपुर की लागत 47.2 करोड़ रु. अनुमानित है । **पार्क अब तक पूरी तरह विकसित व कार्यात्मक घोषित किया जा चुका है।** मार्च 2003 के अन्त तक 260 भूखण्ड (Plots) आवंटित किये जा चुके हैं । इसमें 6 विभिन्न क्षेत्र हैं जिनका सम्बन्ध जेम्स व ज्यूलरी, चमड़े की वस्तुओं, गारमेन्ट/होजियरी, इन्जीनियरिंग, गलीचों/दस्तकारियों व इलेक्ट्रोनिक्स से है। एक कॉमन-सुविधा-केन्द्र (CFC) का भी निर्माण किया गया है। **दूसरा EPIP तपूकड़ा (Tapukada) (भिवाड़ी के समीप) नामक स्थान पर विकसित किया जाना था, लेकिन बाद में उसका स्थान बदलकर बोरानाडा (Boranada) जोधपुर कर दिया गया।**

स्पेशल आर्थिक जोन (प्रदेश) (Special Economic Zone) (SEZ)

औद्योगिक, सेवा व व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं के लिए सीमा शुल्क मुक्त, विदेशी निवेश से युक्त व अन्य सुविधाओं सहित राज्य में दो स्पेशल आर्थिक जोन विकसित किये जा रहे हैं—एक तो सीतापुरा (जयपुर) में जेम्स व ज्यूलरी क्षेत्र के लिए और दूसरा दस्तकारी इकाइयों के लिए बोरानाडा (जोधपुर) में ।

रीको ने, स्टोन्स के विकास के लिए एक केन्द्र (Centre for Development of Stones (CDOS)] सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थापित करने का निश्चय किया है। इससे स्टोन-उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। 30 जून, 1998 को CDOS को एक समिति के रूप मे पजीकृत किया गया है । 2-6 फरवरी 2000 के मध्य रीको व राज्य सरकार के सहयोग से "इण्डिया स्टोनमार्ट 2000" नामक अन्तर्राष्ट्रीय मेला निर्यात-प्रोत्साहन-औद्योगिक-पार्क (EPIP) जयपुर मे आयोजित किया गया । दूसरा स्टोनमार्ट 2003 में 31 जनवरी से 4 फरवरी 2003 तक CII (Confederation of Indian Industry), रीको व यूनीडो (संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन) के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर मे आयोजित किया गया। अगला इण्डिया स्टोनमार्ट जनवरी 28 से 1 फरवरी 2005 में आयोजित करने का कार्यक्रम रखा गया है ।

CDOS के पूरी तरह कार्यरत होने पर इससे कई प्रकार की सुविधाएँ मिलने लगेंगी, जैसे स्टोन टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेड इन्फोर्मेशन सेन्टर, रिसर्च एण्ड डेवलपमेट सेन्टर, स्कूल ऑफ स्टोन टेक्नोलोजी, प्रोडक्ट डिसप्ले सेन्टर, स्टोन पार्क, स्टोन म्यूजियम व स्टोन बिजनेस सेन्टर जैसे कई केन्द्र बन जाएँगे जो स्टोन के चहुँमुखी विकास में मदद पहुँचाएँगे ।

CDOS की सदस्यता के लिए फाउन्डर-सदस्यों, दानी (डोनर) सदस्यो, लाइफ-सदस्यों व वार्षिक-सदस्यों का प्रावधान किया गया है । यह स्टोन से जुड़े विविध प्रश्नों के समाधान का कार्य करेगा, जैसे इनका व्यापार बढ़ाना, स्टोन की जाँच व इनके बारे मे जरूरी सलाह देना, मानवीय साधनों का विकास करना, स्टोन के मेले व प्रदर्शनियाँ आयोजित करना, आदि। इसका कार्य-संचालन 37 सदस्यों के एक संचालक-मण्डल द्वारा किया जाएगा।

पार्कों की परियोजनाओं से भिवाड़ी औद्योगिक शहर एक 'वृहत्तर-भिवाड़ी' (Greater Bhiwadi) बन सकेगा। इससे दिल्ली पर भीड़भाड़ व जमघट का भार कम करने में मदद मिलेगी। 'वृहत्तर-भिवाड़ी' का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त भूमि भी खरीदनी होगी।

रीको ने 'उद्योग श्री' (Udyog Shri) नाम की एक नई स्कीम भी चालू की है। इसका उद्देश्य ऐसे पेशेवर लोगों को आकर्षित करना है जिनके पास ज्ञान व अनुभव होता है और जो अपने उपक्रमों द्वारा औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक उद्यमकर्ता की योग्यता भी रखते हैं। रीको ऐसी परियोजनाओं में इक्विटी सहायता भी प्रदान करेगा ।

इस प्रकार रीको राजस्थान के औद्योगिक विकास में काफी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है ।

2. राजस्थान वित्त निगम
(Rajasthan Financial Corporation)

यह लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए 1955 में स्थापित किया गया था । यह एक वैधानिक निगम है, जिसे राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है । इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

(i) औद्योगिक इकाइयों को कर्ज व अग्रिम राशियाँ प्रदान करना, यह 10 करोड़ रु. तक के कर्ज दे सकता है ।

(ii) औद्योगिक इकाइयों को कर्ज देने के मामले में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के एजेन्ट के रूप में कार्य करना,

(iii) औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए गए कर्जों पर गारन्टी देना अथवा इनके द्वारा जारी किए गए स्टॉक, शेयर, डिबेंचर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या उनका अभिगोपन करने (underwrite) में योगदान देना तथा

(iv) नई औद्योगिक इकाइयों को सीड पूँजी (seed capital) देना, औद्योगिक इकाइयों को ब्याज-मुक्त कर्ज (बिक्री-कर की एवज में) देने की व्यवस्था करना, औद्योगिक सब्सिडी देना तथा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता या सेवा प्रदान करना, जो औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना, प्रवर्तन, विस्तार या पुनर्जीवन (revival) के लिए आवश्यक मानी जाती है । यह निगम उद्योग, खनन, परिवहन, होटल आदि के लिए कर्ज की व्यवस्था करता है । राजस्थान वित्त निगम की लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की कई स्कीमें कार्यरत हैं । इनका परिचय नीचे दिया जाता है—

(1) कम्पोजिट कर्ज की स्कीम—इसके अन्तर्गत ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में दस्तकारों, कुटीर उद्योगों व टाइनी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में संलग्न व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है । इससे उत्पादन व स्वरोजगार बढ़ाने में मदद मिलती है ।

(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए उनको उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(3) शिल्पबाड़ी स्कीम—यह स्कीम 1987-88 में ग्रामीण व शहरी शिल्पकारों व दस्तकारों को लाभ पहुँचाने के लिए प्रारम्भ की गई थी । अब तक कई क्षेत्रों में शिल्प-बाड़ियाँ स्थापित की गई हैं जिनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मकान, वर्क-शेड, उपकरण, कच्चा माल व कार्यशील पूँजी के लिए प्रति शिल्पी 50 हजार रुपए तक की राशि उपलब्ध की गई है । इसके अन्तर्गत शिल्पियों को भवन-निर्माण के लिए कुछ राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध की जाती है ।

(4) टेक्नोक्रेट स्कीम—इसके अन्तर्गत तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्वरोजगार में संलग्न हो सकें ।

(5) भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारत सरकार के (पुनर्वास) निदेशालय द्वारा संचालित स्कीमों के अन्तर्गत स्वरोजगार के कार्यक्रम लागू किए गए हैं यह SEMFEX (self-employment for Ex-servicemen) स्कीम कहलाती है ।

(6) महिला उद्यमकर्ता : महिला वर्ग में स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं, इनसे महिलाओं को लाभ मिलता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा संचालित नई स्कीम '*महिला-उद्यम-निधि*' के अन्तर्गत महिला उद्यमकर्ताओं को 'सीड-पूँजी' दी जाती है।

(7) सब्सिडी की एवज में कर्ज की स्कीम—30 सितम्बर, 1988 के बाद केन्द्रीय सब्सिडी के बंद हो जाने पर निगम ने सब्सिडी की एवज में कर्ज देने की स्कीम प्रारम्भ की थी ताकि औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में बाधा न पड़े।

(8) सहायता की एकल खिड़की-स्कीम (Single Window Scheme)—निगम ने इस स्कीम के अन्तर्गत इकट्ठे 7 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है, जिसमें 5 लाख रुपए स्थिर पूँजी के होते हैं और 2 50 लाख रुपए कार्यशील पूँजी के होते हैं। इससे एक ही संस्था से उद्यमकर्ता को दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दिशा में उपयोगी कदम उठाया गया है। इस स्कीम के तहत आने वाले प्रोजेक्टों की सीमा अब 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है।

इस प्रकार निगम ने वित्तीय सहायता देने के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए हैं। इससे दंगा प्रभावित क्षेत्रों को भी लाभ पहुँचा है। पर्यटन को समुन्नत करने के लिए होटल उद्योग के विकास के लिए कर्ज दिए गए हैं।

निगम के वित्तीय साधन—राजस्थान वित्त निगम के पूँजीगत साधन निम्न स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं—*(i)* स्वयं की शेयर पूँजी से तथा कुछ स्पेशल शेयर पूँजी राज्य सरकार व IDBI के पास से, *(ii)* इसे IDBI व SIDBI (लघु बैंक) दोनों से पुनर्वित्त के रूप में सहायता मिलती है। *(iii)* निगम बॉण्ड जारी करके भी वित्तीय साधन जुटाता है तथा अपने रिज़र्व कोष का भी प्रयोग करता है।

1999-2000 से 2003-2004 की अवधि के लिए निगम द्वारा वित्तीय सहायता की स्वीकृति व वितरित राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है[1]—

(करोड़ रु.)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
स्वीकृत राशि	204 6	196 3	174 4	202.8	240 9
वितरित राशि	127.9	146 1	128.8	139 9	168 3

इस प्रकार इसके द्वारा वित्तीय सहायता के वितरण की राशि 2002-03 में 139.9 करोड़ रुपये रही, जो पिछले वर्ष से अधिक थी। 2003-2004 में 168.3 करोड़ रुपये की वितरित राशि में काफी राशि पिछड़े क्षेत्रों (Backward areas) को मिली। 2003-04 में वितरित राशि सर्वोच्च रही है। इस प्रकार निगम ने अपेक्षाकृत पिछड़े व कम विकसित क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। 1955-56 में इसके द्वारा वितरित राशि केवल 1.85 करोड़ रुपये की रही थी। इस प्रकार अपने कार्यकाल में इसने वितरित

1. Economic Review 2003-04, p 31 व RFC की पूर्व वार्षिक रिपोर्ट।

राशि में काफी प्रगति की है । निगम अब खनन-कार्यों के लिए भी ऋण देने लगा है और इस क्षेत्र के नए उद्यमियों को 10 लाख रुपए की कार्यशील पूँजी भी दी जाती है ।

विभिन्न जिलों के अनुसार वितरित राशि काफी असमान रही है । जयपुर जिले में अधिक राशि वितरित हुई जबकि जैसलमेर जिले में कम राशि वितरित की गई है । लेकिन इसका प्रमुख कारण विभिन्न जिलों के लिए प्रोजेक्टों की मात्रा में अन्तर का पाया जाना रहा है ।

निगम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2001-2002 में इसे शुद्ध लाभ 2.42 करोड़ रुपयों का हुआ जबकि पिछले वर्ष मात्र 92 लाख रु. का शुद्ध लाभ हुआ था । CAG की रिपोर्ट के अनुसार 1998-99 में भी इसे शुद्ध लाभ नहीं हुआ था । मार्च 1999 के अन्त तक इसे कुल 80.33 करोड़ रु. का संचयी घाटा हुआ था, जिससे इसकी सम्पूर्ण परिदत्त पूँजी (67.53 करोड़ रु.) का सफाया हो गया । यह एक चिंताजनक स्थिति मानी गयी है ।

आगामी वर्षों में राजस्थान वित्त निगम को राज्य के औद्योगिक विकास में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी । इसके लिए इसके वित्तीय साधनों में वृद्धि करनी होगी तथा प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयास करने होंगे । विभिन्न स्कीमों का पुनरीक्षण करना होगा ताकि उनसे अधिक लाभ प्राप्त किए जा सके । निगम अब खनिज क्षेत्र के अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में होटल, मोटल एवं रेस्टोरेंट आदि खोलने के लिए भी ऋण देने लगा है । पर्यटन के विकास के लिए विश्राम-स्थल स्थापित करने एवं बड़े शहरों व जिला मुख्यालयों में शो-रूम खोलने के लिए भी पूँजी की व्यवस्था करेगा । निगम को अपने कार्य में पर्याप्त सुधार करना होगा और कर्ज की रिकवरी बढ़ानी होगी ।

3. राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (राजसीको) (Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.) (RAJSICO)

यह जून 1961 में एक सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था ।

इसमें मुख्य कार्य निम्नांकित हैं—

(i) यह लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल, साख, तकनीकी व प्रबंधकीय सहायता, वस्तुओं की बिक्री, प्रशिक्षण आदि के रूप में मदद देता है तथा उनके हितों को आगे बढ़ाता है;

(ii) उद्यमकर्ताओं व दस्तकारों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करके हस्तशिल्प-क्रियाओं का विकास करता है ।

(iii) बड़े पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयों में आवश्यक समन्वय व तालमेल स्थापित करता है ताकि लघु पैमाने की इकाइयाँ बड़े पैमाने के लिए सहायक माल तैयार कर सकें;

(iv) ऊनी यार्न, गलीचों, कम्बलों आदि का उत्पादन कर सकने के लिए संयंत्र प्राप्त करना, स्थापित करना तथा उनको चलाना एवं;

(v) लघु उद्योगों में संयंत्र की उत्पादन-क्षमता का उपयोग कराने के लिए आवश्यक कदम उठाना ।

पूँजी का ढाँचा—1996-97 में इसके कुल वित्तीय साधन 11.86 करोड़ रुपए के थे जिनमें राज्य सरकार को परिदत्त पूँजी की राशि 5 16 करोड़ रुपए थी तथा राज्य सरकार से प्राप्त अवधि-कर्ज की राशि 3 1 करोड़ रुपए थी । शेष राशि अन्य स्रोतों से प्राप्त परिदत्त पूँजी, रिजर्व तथा सरप्लस व अवधि-कर्ज के रूप में थी ।

यह निगम कच्चा माल एकत्र करके उसके वितरण की व्यवस्था करता है । इसके मार्फत लोहा व इस्पात, कोयला व कोक, जस्ता, स्टेनलेस स्टील, ब्रास शीट आदि वितरित किए जाते हैं । यह दस्तकारों के 12 एम्पोरियम भी चलाता है, जिनमें बिक्री की व्यवस्था की गई है । इसके द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चालू किए गए हैं, जिनकी संख्या 25 है जिनमें से 5 केन्द्र जनजाति क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं ।

निगम की देखरेख में चूरू व लाडनूँ की ऊनी मिलें संचालित की गई थीं जो अब बंद कर दी गयी हैं । यह टोंक में मयूर बीड़ी फैक्ट्री चलाता है तथा तेंदू की पत्तियों का संग्रह करवाता है । इसने सांगानेर एयरपोर्ट पर 'एयर कारगो कॉम्पलेक्स' की स्थापना में मदद दी है, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई है । भविष्य में इसका कार्यक्रम ऊन-आधारित होजियरी कॉम्पलेक्स व ट्रक-चेसिस के लिए सहायक इकाइयाँ चालू करने का है । इसने एक फर्नीचर बनाने का केन्द्र जयपुर में चालू किया है ।

निगम की वित्तीय कार्य-सिद्धि[1]—1980-81 से 1999-2000 तक के 20 वर्षों में इसे 12 वर्षों में घाटा रहा । 1996-97 से 2000-01 के वर्षों में यह लाभ की स्थिति में रहा ।

2000-01 से 2002-03 के वित्तीय परिणाम निम्न तालिका में दिये जाते हैं ।[1]

(लाख रुपयों में)

वर्ष	लाभ (+), हानि (-)
2000-01	(+) 156 2
2001-02	(–) 190 8
2002-03	(–) 440 6

इस प्रकार निगम का घाटा 2002-03 में 4 4 करोड़ रु का हुआ जो पिछले साल से काफी अधिक था । भविष्य मे इसकी स्थिति सुधारने के लिए इसके कार्यों की ठीक से जाँच-पड़ताल की जानी चाहिए ताकि इस सम्बन्ध मे आवश्यक उपाय काम में लिए जा सकें ।

1. 42nd Annual Report 2002-03, RAJSICO, p 4.
(एप्रोप्रियेशन के बाद का मुनाफा या घाटा) ।

औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले अन्य निगम व संगठन

(1) सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो (Bureau of Public Enterprises)—राजस्थान में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की स्थापना की गई है, जिसमें वित्त-सचिव व उद्योग सचिव भी सदस्य हैं । इसमें राजकीय उपक्रमों में दो मुख्य अधिकारी व दो अन्य विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में लिए जाते हैं।

ब्यूरो के कार्य इस प्रकार हैं—*(i)* सभी राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा करना व इनका मूल्यांकन करना; *(ii)* इनके प्रबंध, टेक्नोलोजी आदि में सुधार के उपाय सुझाना, *(iii)* विभिन्न उपक्रमों में कर्मचारी सम्बन्धी नीतियों, कल्याण-कार्यों, मजदूरी-ढाँचे आदि में समरूपता लाना, *(iv)* कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्टाफ भवन-निर्माण की स्कीमों आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा *(v)* उपक्रमों के बारे में सूचना एकत्र करना व उसे प्रसारित करना।

(2) उद्योग निदेशालय (Directorate of Industries)—इसका मुख्य उद्देश्य लघु, टाइनी, ग्रामीण व दस्तकारी क्षेत्र के विकास में मदद करना है ताकि राज्य का तेजी से औद्योगीकरण हो सके । इसके लिए यह जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वार्षिक कार्यकारी योजनाएँ बनाता है, लघु व शिल्पकारों की इकाइयों का पंजीकरण करता है, स्थानीय साधनों का उपयोग करके रोजगार-संवर्द्धन व विकास में प्रादेशिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है । यह औद्योगिक सर्वेक्षण कराता है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्टें तैयार करने में सहायता देता है । यह औद्योगिक अभियान में योगदान देता है । इसके कार्य विविध प्रकार के होते हैं । यह वित्तीय सहायता, विपणन, निर्यात-प्रोत्साहन, औद्योगिक सहकारिताओं, हथकरघा उद्योग, ग्रामीण औद्योगीकरण, जनजाति, मरु/प्रदेश व नहरी क्षेत्रों के औद्योगिक विकास, नमक उद्योग, रुग्ण व बन्द इकाइयों आदि के सम्बन्ध में आवश्यक योगदान देता है।

(3) जिला-उद्योग केन्द्र (District Industries Centres)—यह जिला-स्तर पर एक केन्द्र-चालित कार्यक्रम है, जो कुटीर व ग्रामीण व लघु व टाइनी उद्योगों से सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करता है । इससे ग्रामीण व छोटे कस्बों में उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खुलते हैं । वर्तमान में राज्य में 33 जिला औद्योगिक केन्द्र व 8 उप-केन्द्र कार्यरत हैं । ये साधनों की उपलब्धि की जाँच करते हैं, साख व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम, राजसीको आदि के बीच कड़ी स्थापित करने का कार्य करते हैं।

इनके अलावा राजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हथकरघा विकास निगम आदि संस्थाएँ भी अपने-अपने क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का विकास करने में कार्यरत हैं।

अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता[1]—अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने राजस्थान को बहुत

---

1 Report on Development Banking in India 1999–2000, IDBI June 19, 2001 Various tables

कम वित्तीय सहायता प्रदान की है । **वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित राशि का विवरण इस प्रकार है—**

(अ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) ने राजस्थान को 1948-2000 की अवधि में लगभग 1695.4 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की । मार्च 2000 तक कुल वितरित सहायता में राजस्थान का अंश 4.3% था जबकि महाराष्ट्र का 17.8% था ।

(आ) भारतीय औद्योगिक साख व विनियोग निगम (ICICI) ने मार्च 1999 तक राजस्थान को लगभग 3368.6 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की । अब तक की वितरित राशि में राजस्थान का अंश 2.9% तथा महाराष्ट्र का 29.4% रहा है ।

(इ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) ने 1964-2000 की अवधि में राजस्थान को लगभग 6514.2 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की । अब तक की वितरित राशि में राजस्थान का अंश 5.0% तथा महाराष्ट्र का 18.7% रहा ।

(ई) अन्य अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा वितरित सहायता की राशि—भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने मार्च 2000 तक राजस्थान को कुल 288.6 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की जो कुल वितरित राशि का 0.7% मात्र था । भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक (IIBI) (पहले का IRBI) ने मार्च 2000 तक लगभग 266.5 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की जो इसके द्वारा कुल वितरित राशि का 3.7% रही थी । इसी अवधि तक जीवन-बीमा निगम ने 335.7 करोड़ रुपए की सहायता राजस्थान को वितरित की जो कुल वितरित सहायता का 1.3% मात्र थी ।

इस प्रकार देश की विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं ने अब तक राजस्थान को बहुत कम मात्रा में वित्तीय सहायता वितरित की है । इसका कारण राजस्थान से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रोजेक्टों का अभाव माना गया है ।

इन विभिन्न संस्थाओं द्वारा 1998-99 व 1999-2000 की अवधि में राजस्थान को वितरित की गई सहायता की राशियाँ निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं, जिससे विभिन्न संस्थाओं के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है ।

राजस्थान को विभिन्न संस्थाओं द्वारा वितरित राशि की मात्रा

(करोड़ रुपए में)

	1998-99	1999-2000
1 IFCI	156.4	47.6
2 ICICI	226.7	278.7
3 IDBI	857.1	680.1
4 LIC	6.8	70.3
5 UTI	—	85.0
6 IIBI (पूर्व का IRBI)	76.6	45.0

इस प्रकार 1999-2000 में अखिल भारतीय संस्थाओं में राजस्थान के लिए सर्वाधिक योगदान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) का रहा है, जिसके द्वारा वितरित सहायता की राशि 1999-200 में 680 करोड़ रुपए की रही थी, जो 1998-99 की तुलना में काफी कम थी। इसी अवधि में ICICI व IFCI के द्वारा राजस्थान को वितरित सहायता में कुछ वृद्धि हुई है। UTI ने राजस्थान को 1998-99 में कोई सहायता नहीं दी जबकि 1999-2000 में यह 85 करोड़ रुपए रही है।

भविष्य में राज्य में औद्योगिक विकास की गति के तेज होने की आशा है। तब अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं पर उद्योगों के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आएगी। आशा है भविष्य में ये संस्थाएँ वित्त की समुचित व्यवस्था कर पाएँगी और उद्योगों का विकास वित्त के अभाव में अवरुद्ध नहीं होगा।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान का पहली निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (EPIP) की स्थापना जयपुर में सीतापुरा में कब हुई थी ?
   (अ) 1995 (ब) 1985
   (स) 1997 (द) 1990 (स)
2. निम्न संगठनों में से कौनसा संगठन राजस्थान में इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है ?
   (अ) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि.
   (ब) राजस्थान वित्त निगम
   (स) राजस्थान लघु उद्योग निगम
   (द) जिला-उद्योग-केन्द्र (अ)
3. रीको सामान्यतया एक औद्योगिक इकाई को ज्यादा-से-ज्यादा कितना कर्ज दे सकता है ?
   (अ) 10 करोड़ रुपये का (ब) 4 करोड़ रुपये का
   (स) 1 करोड़ रुपये का (द) कोई सीमा नहीं है
   (साधारणतया कर्ज की सीमा) (ब)
4. राजस्थान वित्त निगम (RFC) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अन्तर्गत स्थापित किया गया—
   (अ) 1951 में (ब) 1955 में
   (स) 1956 में (द) 1952 में (ब)

5. रीको ने स्टोन्स के विकास का केन्द्र (CDOS) कब और कहाँ स्थापित किया ?
   उत्तर : सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में; 1998 में जब CDOS को 30 जून 1998 को एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था।
6. राज्य का 'टेक्सटाइल सिटी' है—
   (अ) भीलवाड़ा (ब) कोटा
   (स) गंगानगर (द) जयपुर (अ)
7. ऑटो-एन्सिलरी कॉम्प्लेक्स (Auto-Ancillary Complex) स्थापित करने की योजना है—
   (अ) कोटा में (ब) जोधपुर में
   (स) भिवाड़ी व जयपुर में (द) किसी में नहीं (स)
8. राजस्थान में इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (इलेक्ट्रोनिक्स कॉम्पलेक्स) कहाँ विकसित किया गया है ?
   (अ) सीतापुरा, जयपुर में (ब) कूकस, जयपुर में
   (स) कोटा में (द) भिवाड़ी में (ब)
9. राजस्थान वित्त निगम (RFC) किन महत्त्वपूर्ण स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है ?
   उत्तर : *(i)* कम्पोजिट टर्म लोन,
   (ii) SC/ST उद्यमकर्ताओं को,
   (iii) महिला उद्यम निधि के तहत,
   (iv) नर्सिंग होम/अस्पताल,
   (v) सेम्फेक्स (SEMFEX),
   (vi) सिंगल विण्डो स्कीम (एकल खिड़की योजना),
   (i) टर्म लोन (अवधि-कर्ज),
   (ii) कार्यशील पूँजी कर्ज।
   (vii) होटल व विश्रान्तिगृह,
   (viii) उत्तम उधार लेने वालों की स्कीम।

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान के औद्योगिक विकास में '*राजस्थान राज्य वित्त निगम*' तथा '*राजस्थान* राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम' (रीको) की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

2. राजस्थान के औद्योगिक विकास में 'राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम' (रीको) की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान वित्त निगम—कार्य व प्रगति।
   (ii) राजस्थान लघु उद्योग निगम की राजस्थान के औद्योगिक विकास में भूमिका।
   (iii) रीको का प्रमुख उद्देश्य बताइए।
4. राजस्थान के औद्योगिक विकास में किस वित्तीय संस्था का योगदान सर्वोपरि रहा है और क्यों? समझाकर लिखिए।
5. राजस्थान में औद्योगिक विकास में लगी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का वर्णन कीजिए।
6. राजस्थान के औद्योगिक विकास में (RFC, RIICO एवं RAJSICO) की भूमिका की विवेचना करें।

पर्यटन-विकास
(Tourism Development)

राजस्थान के पर्यटन-विभाग ने देश-विदेश के पर्यटकों को '**पधारो म्हारे देस**' का आकर्षक आमंत्रण देकर राज्य में पर्यटन के विकास के प्रति सरकार का संकल्प प्रगट किया है। राजस्थान एक रंग-रंगीला प्रदेश माना गया है। राजस्थानी अत्यधिक प्यार से अपने राज्य को '**सुरंगा राजस्थान**' कहना पसन्द करते हैं। **प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कर्नल जेम्स टॉड ने अपने राजस्थान भ्रमण के दौरान जो कुछ राजस्थान के विभिन्न भागों में देखा उसके आधार पर उन्होंने राजस्थान को अत्यधिक रसमय तथा अत्यन्त मुग्ध करने वाला प्रदेश माना।** इसका वर्णन उनकी पुस्तक '**ट्रेवल्स इन वैस्टर्न इंडिया**' में मिलता है।[1] देशी व विदेशी पर्यटक इसके विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके स्मृति-पटल पर इनकी छाप अमिट हो जाती है।

राज्य में उद्योगों के साथ-साथ पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएँ हैं। यहाँ के प्रमुख शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि अपनी-अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं व कलाओं के लिए जाने जाते हैं। जयपुर का सिटी पैलेस, हवा महल, रामबाग पैलेस, जंतर-मंतर और सैन्ट्रल म्यूजियम प्रसिद्ध हैं। जयपुर के पास कनन वृन्दावन, आमेर व सिसोदया रानी का बाग दर्शनीय व रमणीय स्थल हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह धार्मिक स्थल के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध है। जोधपुर में मोती महल, फूल महल व मान महल तथा सिलह खाना (Sileh khana) पत्थर पर कारीगरी के अद्भुत नमूने हैं। उदयपुर अपनी झीलों, फव्वारों व महलों के लिए विख्यात है। सहेलियों की बाड़ी, प्रताप स्मारक, उदयपुर से 48 किलोमीटर दूर जयसमंद कृत्रिम झील तथा रनकपुर के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। माउण्ट आबू में एक हजार वर्ष पुराने देलवाड़ा के जैन मंदिर उच्च श्रेणी के

1 देखिए गोपालनारायण बहुरा का लेख कितना रसमय है राजस्थान ?, राजस्थान पत्रिका-पर्यटन 29 मार्च 1998

मार्बल से बने हैं। इसी प्रकार राज्य में अन्य छोटे छोटे कस्बों की हवेलियों की चित्रकारियाँ भी मनमोहक हैं और राज्य के विभिन्न त्यौहार, उत्सव, मेले, गीत-संगीत, नृत्य, कला-कृतियाँ, लोक-कथाएँ आदि सभी बरबस देशी व विदेशी पर्यटकों को सदियों से आकर्षित करते रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। श्रीगंगानगर जिले की पीलीबंगा तहसील में कालीबंगा और सूरतगढ़ तहसील में रंगमहल जैसे ऐतिहासिक स्थल राज्य के पर्यटन-नक्शे में शामिल होने के लायक हैं। इन स्थलों के थेड़ों की खुदाई से पता चला है कि यहाँ की सभ्यताएँ हड़प्पाकालीन सभ्यता से भी ज्यादा पुरानी हैं।

बाड़मेर, किराडू, महाबार, बालोतरा तथा कानाना में मार्च में **थार-महोत्सव** आयोजित किया जाता है। इसके अन्तर्गत बाड़मेर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बारहवीं शताब्दी के ऐतिहासिक एवं प्रस्तर कला के पुरातात्विक महत्त्व के बेजोड़ किराडू-मंदिरों के प्रांगण में, बाड़मेर शहर में, बाड़मेर से 5 किलोमीटर दूर महाबार गाँव में रेत के ऊँचे-ऊँचे स्वर्णिम धोरों पर एवं ऐतिहासिक ग्राम कानाना में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, जैसे संगीत, नृत्य, कुछ प्रति-योगिताएँ, शोभायात्राएँ, ऊँट-दौड़, आदि आयोजित किए जाते हैं, जिनका आनंद स्थानीय जन-समुदाय के अलावा देशी-विदेशी पर्यटक भी लेते हैं। **थार-महोत्सव में लोकगीतों व लोक कलाकारों का अद्भुत संगम होता है और अलगोजा की मधुर स्वर-लहरियों में पर्यटक कुछ क्षणों के लिए खो जाते हैं।**

राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों (मण्डल-क्षेत्रों) में बाँटा गया है जो निम्नांकित हैं। इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं।[1]

(i) जयपुर आमेर
(ii) अलवर-सिलीशेड-सरिस्का
(iii) भरतपुर-डीग-धौलपुर
(vi) रणथम्भौर-टोंक
(v) हाड़ौती क्षेत्र (कोटा-बूँदी-झालावाड़)
(vi) मेरवाड़ा (अजमेर-पुष्कर-मेड़ता-नागौर)
(vii) शेखावाटी क्षेत्र
(viii) मरु-सर्किट/क्षेत्र (बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर-जोधपुर)
(ix) माउण्ट-आबू-रणकपुर
(x) मेवाड़ क्षेत्र (उदयपुर-कुम्भलगढ़-नाथद्वारा-चित्तौड़गढ़-जयसमंद-डूँगरपुर)

इन विभिन्न सर्किटों के अपने-अपने विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं। कोई प्रदेश पहाड़ी है तो कोई मरुस्थली, कहीं ऐतिहासिक इमारतें व किले हैं तो कहीं राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य हैं। इस प्रकार प्रकृति ने राजस्थान को कई प्रकार की भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधताएँ प्रदान की हैं, जिनका पर्यटक भरपूर आनंद उठा सकते हैं।

अब हम पर्यटन-विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे।

---

1 Tourist Guide Map of Rajasthan, Deptt of Tourism, GOR, कहीं-कहीं नौ क्षेत्रों (सर्किटों) का भी उल्लेख मिलता है।

(अ) राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका

(1) विदेशी मुद्रा का अर्जन—आज समस्त विश्व में पर्यटन को एक महत्त्वपूर्ण उद्योग माना जाने लगा है। भारत को भी पर्यटन से प्रति वर्ष कई अरब रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमें राजस्थान का काफी ऊँचा योगदान होता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कहा जाता है कि भारत भ्रमण के लिए आने वाले तीन विदेशी पर्यटकों में से एक राजस्थान अवश्य आता है। इससे राजस्थान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद दे पाता है। राजस्थान में पर्यटकों, विशेषतया विदेशी पर्यटकों का आगमन काफी बढ़ गया है। वर्तमान में कुल 56 लाख पर्यटक प्रति वर्ष राजस्थान आते हैं। इनमें से 50 लाख भारत के विभिन्न राज्यों से होते हैं शेष 6 लाख विदेशी पर्यटक होते हैं जो भारत आने वाले समस्त विदेशी पर्यटकों की 18 लाख संख्या का एक-तिहाई होता है। सातवीं योजना में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। 1978-79 में 21% विदेशी पर्यटक राजस्थान आया करते थे। 1992 में इनकी संख्या बढ़कर 33% तक पहुँच गई। इस प्रकार अब सामान्यतया एक-तिहाई विदेशी पर्यटक राजस्थान आने लगे हैं। आजकल पर्यटकों का आना-जाना सभी मौसमों में बना रहता है।[1]

पर्यटन की दृष्टि से 2003 का वर्ष काफी उत्तम रहा। 2003 में 125.45 लाख भारतीय एवं 6.29 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए थे। इस प्रकार राज्य में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या 131.74 लाख रही, जबकि 2002 में यह 87.28 लाख रही थी।[2] इस प्रकार राजस्थान में आने वाले देशी व विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 80 लाख को पार गई है। सितम्बर 1995 से बड़ी लाइन पर नई 'पैलेस ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी चालू कर दी गई है। पर्यटकों में इस रेलगाड़ी को लेकर काफी उत्साह पाया गया है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार एक पर्यटक राजस्थान में औसतन अढ़ाई दिन ठहरता है। एक विदेशी पर्यटक प्रतिदिन भोजन व आवास पर 800-900 रुपए व्यय करता है तथा देशी पर्यटक 300-400 रुपए व्यय करता है। इस प्रकार राज्य में आने वाले पर्यटक यहाँ प्रतिवर्ष लगभग एक हजार करोड़ रु. खर्च करके जाते हैं जिससे पर्यटन द्वारा राज्य के आर्थिक विकास को मिलने वाले योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है।

राज्य के आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह राज्य के निवासियों के लिए आमदनी बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सकता है।

---

1 Strategy of Development of Tourism with special reference of RTDC during five year plan period, in **High Power Committee Report on Strategy for Industrial Development in Eighth Five Year Plan**, Vol II, 1989 p 171

2 Economic Review 2003-04, p 98.

(2) रोजगार का साधन—अब राज्य में पर्यटन को 'उद्योग' का दर्जा दे दिया गया है। यह एक प्रदूषणरहित उद्योग है और इसमें किए गए विनियोग की तुलना में यह काफी रोजगार के साधन उपलब्ध कर सकता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक आठ विदेशी पर्यटकों पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों पर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है। पर्यटकों से होटल, परिवहन, हथकरघा उद्योग, दस्तकारियों, आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होने से पर्यटन-स्थलों में कई अन्य उद्योग भी पनपते हैं। इस प्रकार पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। भारत में कश्मीर की अर्थव्यवस्था तो पूर्णयता पर्यटन पर आश्रित रही है। गोवा की अर्थव्यवस्था भी बहुत-कुछ पर्यटन पर आधारित है। कश्मीर क्षेत्र के समस्याग्रस्त होने के कारण पिछले वर्षों में पर्यटकों को गोवा व राजस्थान की ओर मुड़ना पड़ा है। गोवा जैसे रमणीय समुद्रतटीय स्थल अन्य देशों में भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन राजस्थान, कुछ विशेष कारणों से, विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है।

(3) सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण व सदुपयोग—पर्यटन का विकास करने से सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने के अवसर बढ़ते हैं और लोगों का मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है। राज्य में शेखावाटी इलाके की हवेलियों में दीवारों पर बनी चित्रकारी ने पर्यटकों को काफी आकर्षित किया है। झुंझुनूँ जिले के महानगर (महणसर) ग्राम की हवेली के भीतरी भाग की सोना-चाँदी की हवेली की मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। नवलगढ़ में कई करोड़पतियों की हवेलियाँ पर्यटकों के लिए देखने लायक हैं। इनमें मोरों की हवेली तथा पोदारों, सेकसरिया, भगत, मानसिंघका, छावछरिया आदि की हवेलियों में आकर्षक रंगों में मनमोहक चित्र अंकित हैं। इन चित्रों में झांकता जीवन अत्यंत रोचक प्रतीत होता है। हालाँकि ये हवेलियाँ आज सूनी पड़ी हैं, क्योंकि इनके ज्यादातर सेठ-साहूकार लोग बड़े नगरों व शहरों में बस गए हैं, लेकिन यहाँ से उनका सम्पर्क अभी भी बना हुआ है।[1] इसी प्रकार अन्य कस्बों जैसे मण्डावा आदि की हवेलियों में बने चित्र व उनके बाहरी दृश्य पर्यटकों को लुभावने लगते हैं। उनका पर्यटन-विकास-माला में उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न नगरों में महल, किले व अन्य इमारतें, झीलें आदि पर्यटकों को अपनी तरफ निरन्तर खींचते रहते हैं। यहाँ के मेलों, त्यौहारों आदि पर जो उत्सव, नृत्य व संगीत के कार्यक्रम होते हैं, उनको देखकर विदेशी पर्यटक अत्यन्त हर्षित होते हैं और लोक कलाकारों को विशेषतया कठपुतली के खेल आदि में अपनी प्रतिभा व दक्षता दिखाने का तथा उन्हें विकसित करने का सुअवसर मिलता है। जैसलमेर का मरु-मेला वास्तव में काफी अद्भुत किस्म का माना गया है और प्रतिवर्ष काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस प्रकार आज भी राजस्थान 'सांस्कृतिक पर्यटन' में योगदान बनाए हुए है, हालांकि पर्यटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश-पर्यटन (Holiday

---

1 सत्यनारायण 'अद्भुत हवेलियो की पहचान, नवलगढ़', राज पत्रिका, 28 मार्च, 1993, तथा रामावतार पारीक, 'शेखावाटी में पर्यटन विकास की सम्भावनाएँ', पत्रिका, 20 अक्टूबर, 1991

tourism), ऊँट-सफारी जिसमें ऊँट पर पर्यटकों का भ्रमण (Camel safari) आयोजित किया जाता है, वन्य जीव सेंचुरी या अभयारण्यों (Wild life sanc-tuaries) जैसे भैंसरोडगढ़, दर्राह, डेजर्ट नेशनल, जयसमंद, कुंभलगढ़, माउंट आबू, आदि; तथा नेशनल पार्क जैसे केवलादेव घना नेशनल पार्क, भरतपुर तथा रणथम्भौर नेशनल पार्क का विकास भी तेजी से हो रहा है । आमेर में 'हाथी-सफारी' का भी कुछ सीमा तक उपयोग होता है ।

इसलिए राजस्थान में पर्यटन का कई दृष्टियों से महत्त्व है, लेकिन भारत में विदेशी मुद्रा के अभाव की स्थिति में राज्य में भी इसी पक्ष पर विशेष रूप से बल दिया जाना स्वाभाविक है । अत: राजस्थान को पर्यटन का विकास करके राज्य की अर्थव्यवस्था को सबल करने का भरसक प्रयास करना चाहिए । इससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, परिवहन, संचार आदि) का विकास होने से कई प्रकार के उद्योगों को पनपने का अवसर मिलेगा, पर्यटकों के व्यय से प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तथा उनके द्वारा मिलने वाले निर्यात ऑर्डरों से निर्यात-संवर्द्धन भी होगा एवं सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों के रख-रखाव व उनके आसपास के स्थानों को सुधारने का अवसर मिलेगा । इससे राज्य को कई प्रकार के लाभ एक साथ प्राप्त होंगे । जिस प्रकार औद्योगिक विकास से रोजगार, आय, क्षेत्रीय विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, आदि में मदद मिलती है, उसी प्रकार पर्यटन भी इन दिशाओं में अपना योगदान करता है ।

(ब) राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ

(i) **सांस्कृतिक पर्यटन** (Cultural Tourism)—सौभाग्य से राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएँ हैं जिनका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए ताकि यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सके । जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, **राजस्थान में आज भी 'सांस्कृतिक पर्यटन' के विस्तार का काफी क्षेत्र है** । यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बड़ी सम्पन्न है और राज्य के प्राचीन किले, (अलवर का नीलकंठ भर्तृहरि बाला किला) महल, धार्मिक स्थल, हवेलियाँ व अन्य भवन तथा इमारतें और साथ में लोक नृत्य व संगीत तथा दस्तकारियाँ पर्यटन के विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं । राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों की सुन्दरता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए । अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्त्व है । यहाँ प्रति वर्ष दूर-दूर से काफी संख्या में जायरीन आते हैं ।

राज्य के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देकर एक तरफ उनकी परम्परागत कलाओं व प्रतिभाओं को प्रश्रय व संरक्षण दिया जा सकता है तथा दूसरी तरफ पर्यटन को भी विकसित किया जा सकता है । इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए निजी व सार्वजनिक कला केन्द्रों का विकास किया जाना चाहिए ।

राज्य की समृद्ध-सांस्कृतिक-विरासत में राजस्थान के मेलों व त्योंहारों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । राज्य के पर्यटन विभाग ने वर्ष 2001 तक के लिए **अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रचारित करने के लिए अग्रांकित मेलों व त्योंहारों का एक कलेण्डर तैयार किया है ।**

(1) ग्रीष्मकालीन त्योंहार, माउण्ट आबू
(2) तीज का त्योंहार, जयपुर
(3) मारवाड़ त्योंहार, जोधपुर
(4) पुष्कर मेला, पुष्कर
(5) चन्द्रभागा मेला, झालावाड़
(6) ऊँट त्योंहार, बीकानेर
(7) नागौर मेला, नागौर
(8) मरु त्योंहार, जैसलमेर
(9) हाथी त्योंहार, जयपुर
(10) मेवाड़ त्योंहार, उदयपुर
(11) गणगौर त्योंहार, जयपुर

इन मेलों व त्योंहारों में राज्य की संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से झलकती है।

***(ii)* सभा/सम्मेलन पर्यटन** (Convention Tourism)—सभाओं या सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से भी पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं का उपयोग किया जा सकता है। आजकल राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न संगठन अपने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं। इसके लिए सभागारों की आवश्यकता होती है जिनकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके लिए प्रायः होटलों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके लिए वह पर्याप्त नहीं रहता। अतः जयपुर में बिड़ला सभागार-केन्द्र की भाँति अन्य स्थानों में केन्द्रों की स्थापना से भी इस दिशा में मदद मिल सकती है। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर व माउण्ट आबू आदि स्थानों पर आधुनिक किस्म के सभागार केन्द्र स्थापित करने की सम्भावनाएँ हैं। इससे भी पर्यटन को उचित प्रोत्साहन मिलेगा। सम्मेलनों में आने वाले व्यक्तियों को दर्शनीय स्थानों को देखने का अवसर मिलेगा और उन स्थलों का विकास भी हो सकेगा।

***(iii)* खेल-कूद व साहसिक कार्यों से सम्बद्ध पर्यटन** (Sports and Adventure Tourism)—हालांकि राजस्थान में इस प्रकार के पर्यटन के अवसर सीमित हैं, फिर भी यहाँ के मरु-प्रदेश में 'ऊँट-सफारी' (Camel safari) पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन सकती है। शेखावाटी के टीलों में एवं विशेषतया जैसलमेर के मरु मेले के अवसर पर तथा श्रीगंगानगर की नोहर व भादरा तहसीलों में एवं बाड़मेर के क्षेत्र में इसका विकास किया जा सकता है। राज्य की झीलों में साधारण रूप में नावों का उपयोग होता है, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर जल-क्रीड़ाओं का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया है।

राजस्थान में वन्य-जीव पर्यटन (Wild Life Tourism) के विकास की संभावनाएँ अवश्य हैं और भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा अलवर के वन्य-जीव अभयारण्यों (Sanctuaries) में काफी पर्यटक जाते हैं (राजस्थान आने वाले लगभग 5% पर्यटक)। केवलादेव पक्षी-विहार, घना (भरतपुर) पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। रणथम्भौर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इसमें सांभर, नीलगाय, चीतल आदि जानवर भी विचरण करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का, अलवर से 37 किलोमीटर दूर है। यह मूलतः बाघों का आवास है। यहाँ अन्य वन्य-जीव भी पाए जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर में लोमड़ी, खरगोश आदि जानवरों के अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी-जैसे सारस और बस्टर्ड आदि पाए जाते हैं। 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (Great Indian Bustard) मरुस्थल के सुदूर आन्तरिक भाग में ही अपनी वंश-वृद्धि करते हैं। यह गोंडावन

पक्षी के नाम से मशहूर हैं। इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। भविष्य में मरु राष्ट्रीय पार्क (जैसलमेर), कुम्भलगढ़ अभयारण्य आदि के विकास पर ध्यान दिया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफी सम्भावनाएँ निहित हैं। यहाँ सांस्कृतिक रुचि रखने वाले पर्यटकों, व्यावसायिक कार्यों के लिए आने वाले पर्यटकों (घरेलू व विदेशी), सभा-सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आने वाले पर्यटकों तथा छुट्टी का आनन्द लेने वाले पर्यटकों, आदि सभी की दृष्टि से पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं।

जैसाकि पहले कहा जा चुका है राजस्थान में सांस्कृतिक पर्यटन के विकास की सर्वाधिक सम्भावनाएँ हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि राज्य में पर्यटन का तीव्र गति से विकास कैसे किया जाए। मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में नियुक्त पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति ने यह सुझाव दिया था कि पर्यटन को उद्योग का स्वरूप दिया जाना चाहिए, तभी इसका उचित दिशा में विकास सम्भव हो पाएगा। **मार्च 1989 में राज्य में पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया गया, जिससे इसके विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएँ अधिक सुगमता से दूर की जा सकेंगी।** पर्यटन के विकास से सम्बन्धित निम्न समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है—

(स) पर्यटन के विकास की समस्याएँ व उनका हल

(1) भूमि की समस्या—पर्यटन का विकास पर्याप्त मात्रा में होटलों की स्थापना व अन्य सुविधाओं की उपलब्धि पर निर्भर करता है। शहरी क्षेत्रों का तेजी से विकास होने से होटल व पर्यटन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए भूमि का मिलना काफी कठिन होता जा रहा है। *अतः नगर-नियोजन में रियायती दरों पर इनके लिए उचित प्रावधान किया जाना* चाहिए। तभी व्यावसायिक दृष्टि से इनको लाभकारी बनाना सम्भव हो सकता है।

(2) केन्द्रीय व राज्यीय पूँजी-सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता—जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए पूँजी-सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार पर्यटन-क्षेत्र के अभावों को ध्यान में रखते हुए नये प्रोजेक्टों के लिए पूँजी-सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उद्यमकर्त्ता इस क्षेत्र में आने के लिए आकर्षित किए जा सकें।

दिसम्बर 1993 से राज्य में पर्यटन विकास के लिए एक पूँजी-विनियोजन की सब्सिडी-योजना लागू की गई है। हैरीटेज होटलों को छोड़कर अन्य पर्यटन इकाइयों; जैसे एक सितारा व इससे ऊपर की श्रेणी के होटल, मार्ग में स्थित मोटल, होलीडे रिजोर्ट, मनोरंजन-पार्क, सफारी पार्क, आदि में मान्य पूँजीगत-विनियोग पर 15% या 15 लाख रु., जो भी कम हो, की सब्सिडी दी जा सकती है। ऐसी ही इकाइयाँ जो चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूँदी, जालौर, बालोतरा, राजसमंद, कुम्भलगढ़, मेनाल (Menal), किराडू, ओसियाँ, जयसमंद व बांसवाड़ा की म्यूनिसिपल सीमाओं में स्थित हैं, उनके लिए सब्सिडी 20% या 20 लाख रु. जो भी कम हो, दी जा सकती है। राज्य के किसी भी भाग में स्थित **'हैरीटेज होटलों'**

के लिए भी पूँजी-विनियोग की 20% राशि या 20 लाख रु., जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दी जा सकती है।

"हैरीटेज होटल" उस किले, महल या हवेली को कहते हैं जो 75 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है और जिसका उपयोग अब होटल के रूप में किया जा रहा है। इन्हें तीन श्रेणियों में रखा गया है : *(i)* **हैरीटेज होटल** जिनमें न्यूनतम 5 कमरे, 10 शैयाएँ और पारम्परिक पर्यावरण होता है तथा जो 1950 से पहले के बने हैं; ***(ii)* हैरीटेज क्लासिक** जिनमें 15 कमरे व 30 शैयाएँ हों और जो 1935 से पूर्व के बने हों तथा ***(iii)* हैरीटेड ग्रेन्ड** जिनमें 15 कमरे, 30 शैयाएँ, आधे कमरे वातानुकूलित हों तथा जिनका निर्माण 1935 से पूर्व का हुआ हो, और जिनमें पारम्परिक क्षेत्रीय व्यंजन (food) व कोन्टीनेन्टल व्यंजन की प्रस्तुति तथा तरणताल, हेल्थ क्लब, टेनिस लॉन, घुड़सवारी, गोल्फ कोर्स की सुविधाओं का होना भी जरूरी माना गया है।

(3) उदार शर्तों पर कर्ज की व्यवस्था—पर्यटन क्षेत्र के विकास में उद्योगों की तुलना में अधिक समय लगता है। इसलिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज की शर्तों को अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। इनको 10% मार्जिन मनी (उद्यमकर्त्ता द्वारा लगाई जाने वाली मुद्रा) पर कर्ज मिलना चाहिए तथा इनके लिए ब्याज व मूलधन सहित पुनर्भुगतान की अवधि 15 वर्ष रखी जा सकती है। अलग-अलग नगरों में ऋण चुकाने की अवधि की कानूनी छूट (Moratorium period) तीन से सात वर्ष तक रखी जा सकती है। इस छूट की अवधि बढ़ाने से उद्यमकर्ताओं को सहूलियत होगी, क्योंकि पर्यटन के प्रोजेक्टों के क्रियान्वयन में सामान्यतया अधिक विलम्ब हुआ करता है।

(4) नये होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी-पूँजी की व्यवस्था—नये होटलों की स्थापना के लिए इक्विटी पूँजी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि वित्तीय संस्थाओं के कर्ज पर आश्रित होने से ब्याज का भार ऊँचा हो जाता है। इसलिए होटल-उद्योग के लिए सब्सिडी व कर्ज के साथ-साथ इक्विटी पूँजी की व्यवस्था भी बढ़ाई जानी चाहिए। इससे निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा होटल निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कार्य 'रीको' द्वारा उद्योगों की भाँति होटल निर्माण के लिए भी किया जा सकता है, अथवा एक पृथक् पर्यटन विकास निगम की स्थापना केन्द्रीय व राज्य स्तर पर की जा सकती है ताकि उद्यमकर्ताओं को वित्त के अभाव का सामना न करना पड़े।

(5) करों में रियायतें व छूटें—बिक्री-कर से प्रारम्भिक तीन से सात वर्षों के लिए (विभिन्न श्रेणी के नगरों के अनुसार) छूट दी जानी चाहिए। चूँकि पर्यटन-क्षेत्र विदेशी विनिमय अर्जित करने में मदद देता है, इसलिए पंजीकृत विश्रामगृहों व होटलों में अल्कोहल-युक्त पेय-पदार्थों पर राज्य-आबकारी शुल्क में कुछ छूट देने पर विचार किया जा सकता है। **इनमें बीयर की बिक्री की स्वतंत्रता होनी चाहिए।** होटलों में प्रयुक्त होने वाले आयातित उपकरणों व साज-सामान पर आयात-शुल्क में 50% की छूट दी जानी चाहिए। **डीजल जेनेरेटिंग सेट की खरीद पर सब्सिडी दी जानी चाहिए।**

(6) होटल-विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएँ—होटल-उद्योग का विकास करने के लिए भवन-निर्माण सामग्री का आवंटन इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है । इनके लिए विशेष कोटा निर्धारित किया जा सकता है । इनके लिए पानी व बिजली की दरों का निर्धारण उद्योगों की भाँति ही किया जाना चाहिए । जो रियायतें व छूटें नये उद्योगों को दी जाती हैं, वे पर्यटन-क्षेत्र को भी दी जानी चाहिए ।

(7) पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार—ऊपर पर्यटकों के लिए होटल-व्यवस्था के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है । लेकिन ऐसा समझा जाता है कि भारतीय व्यावसायिक यात्रियों की संख्या के बढ़ने के कारण पाँच या चार सितारा होटलों में विदेशी पर्यटकों के लिए निवास की व्यवस्था अपर्याप्त रहती है, इसलिए इसको बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है । इसके लिए जिन सरकारी इमारतों का वर्तमान में अधिक उपयोग नहीं होता है, उनको होटलों या पर्यटन-बंगलों में सुगमतापूर्वक बदल देना चाहिए । सरकारी दफ्तरों के निर्माण-कार्य को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो सरकारी भवन शुरू में होटल की दृष्टि से बनाए गए थे और बाद में उनमें सरकारी दफ्तर स्थापित कर दिए गए, वे खाली कराकर पुनः होटल के लिए काम में लिए जा सकें । इनके अलावा कई निजी भवनों में भी काफी जगह खाली पड़ी रहती है, जिनके मालिक सम्भवतः अतिरिक्त आमदनी के लिए उनका उपयोग पर्यटकों के लिए करना पसंद करें । इस सम्बन्ध में होटलों व ट्रैवल एजेन्टों की सेवाओं का उपयोग करके निजी निवासों में पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है ।

(8) परिवहन का समुचित विकास—परिवहन का विकास पर्यटन-विकास का हृदय (Heart) माना जा सकता है । इसके लिए सड़कों का विकास, आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों, कारों, स्टेशन वैगनों, मिनी-बसों, हवाई अड्डों, एयर बसों, आदि की उपलब्धि बहुत आवश्यक होती है । निजी क्षेत्र में हवाई टैक्सियों व हैलीकॉप्टर सेवाओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है । 'मिड-वे' व होटलों की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए । शिक्षित ड्राइवर व अन्य व्यक्ति उत्तम गाइड का काम कर सकते हैं । स्मरण रहे कि पर्यटक वापस लौटते समय अपने साथ यात्रा की मधुर स्मृतियाँ व कटु अनुभव दोनों ले जाते हैं । यदि उनके साथ उत्तम व्यवहार होगा और वे हर्षित होकर व प्रभावित होकर लौटेंगे तो अन्य लोगों को भारत-भ्रमण व राजस्थान-भ्रमण के लिए प्रेरित कर पाएँगे । यदि उनके साथ धोखाधड़ी हुई, दुर्व्यवहार व अशिष्टता हुई और उन्हें अनुचित कष्ट उठाने पड़े, तो आगे के लिए पर्यटन हतोत्साहित होगा। इसलिए पर्यटकों के लिए परिवहन, निवास, भोजन, पेय-पदार्थों आदि की उत्तम ही नहीं, बल्कि सर्वोत्तम, व्यवस्था होनी चाहिए ।

राजस्थान में जयपुर को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा सकता है और विदेशों से चार्टर्ड उड़ानें (Chartered Flights) यहाँ के लिए चालू की जा सकती हैं । ग्रुप-यात्रा व गन्तव्य-स्थान-जयपुर (Destination Jaipur) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ानें

प्रारम्भ की जा सकती हैं । अधिक से अधिक विदेशी पर्यटक भारत में जयपुर को अपना गन्तव्य स्थान बना सकते हैं । इसका आशय यह है कि वे जयपुर को अपना आधार (base) बनाकर दिल्ली, आगरा, वाराणसी, खजुराहो, आदि स्थानों को देखने के लिए भी जयपुर से ही आ-जा सकते हैं । उनके लिए 'जयपुर-चलो' का संदेश राज्य में पर्यटन-विकास के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है । लेकिन इसके लिए काफी विज्ञापन, सूचना-सामग्री, परिवहन व निवास-व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं आदि की आवश्यकता होगी । यह कार्य युद्ध-स्तर पर करने से ही आवश्यक सफलता की आशा की जा सकती है । पहियों पर राजमहल (Palace on Wheels) नामक रेलगाड़ी का उपयोग जयपुर, दिल्ली, आगरा पर्यटन-त्रिकोण* पर काफी आकर्षक रहा है । जैसा कि पहले बतलाया गया है बड़ी लाइन पर 'पैलेस ऑन व्हील्स' गाड़ी सितम्बर 1995 से चालू कर दी गई है ।

(9) मनोरंजन की सुविधाओं का विकास—होटलों में टेलीविजन की सुविधा सर्वोत्तम होनी चाहिए । स्वाभाविक है कि कार्यक्रमों का स्तर व विविधता तथा भाषा-सम्बन्धी आदि सभी प्रश्नों में गुणवत्ता के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । स्थानीय लोक कलाकारों के कार्यक्रमों का संयोजन भी भलीभाँति किया जाना चाहिए और उनमें विविधता व गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(10) हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था व पर्यटन विकास—राजस्थान की दस्तकारियों के विकास व पर्यटन-विकास का परस्पर गहरा सम्बन्ध पाया जाता है । राज्य में कई प्रकार की कलात्मक व उच्च कोटि की हस्तशिल्प की वस्तुएँ बनती हैं जिन्हें विदेशी बहुत चाव से खरीदते हैं । इनमें रत्न-आभूषण, वस्त्र, मूर्तियाँ आदि विशेष महत्त्व रखते हैं । इनमें माल की गुणवत्ता, कीमत व डिजायनों की विविधता आवश्यक होती है । इनके उत्पादन व विपणन के प्रमापीकरण पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा । प्रथम, कारीगर को अपने माल की उचित कीमत मिले, द्वितीय पर्यटक के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो । इसके लिए बिक्री केन्द्रों की व्यवस्था में अत्यधिक सुधार करने की आवश्यकता है ।

(11) अन्य सुझाव—पर्यटन विकास के लिए कानून व व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए । इसके अलावा छोटी-छोटी अनेक बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे पर्यटकों को भिखारी तंग न करें, उन्हें कहीं भी घेर लेने का प्रयास न करें तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का अशिष्ट व्यवहार न हो । यह भी प्रस्ताव है कि अलग से 'पर्यटन-पुलिस' बनाई जाए जिसे पर्यटकों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए । पर्यटन-विभाग को सम्बन्धित सेवाओं को लाइसेंस देने और निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए । हमें राज्य में आने वाले देशी व

---

* दिल्ली, आगरा व जयपुर का त्रिकोण 'स्वर्णिम त्रिकोण' (golden triangle) कहलाता है, एवं जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर का 'मरु-त्रिकोण' (desert-triangle) कहलाता है ।

विदेशी पर्यटकों की प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों पर पूरा ध्यान देना चाहिए और सभी प्रकार की सुविधाओं व साधनों को बेहतर बनाना चाहिए ताकि भविष्य में पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि हो सके।

राजस्थान में पर्यटन के लिए संकट का दौर—1990-91 में राजस्थान के पर्यटन-उद्योग को काफी धक्का पहुँचा था। देश में राजनीतिक अशांति, विशेषतया मण्डल-मन्दिर विवाद के कारण राज्य में पर्यटकों का आगमन बहुत कम हुआ था जिससे इस उद्योग में लगे व्यक्तियों के लिए रोजगार व आमदनी के अवसर घटे थे व उनमें निराशा की भावना फैली थी। इससे पर्यटकों के माध्यम से हमें जो निर्यात के आर्डर मिल सकते थे, उनमें गिरावट आई और होटलों को लाभ में चलाना काफी मुश्किल हो गया था। यदि भविष्य में भी स्थिति अनुकूल नहीं रही तो इस उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश में कानून व व्यवस्था की स्थिति में तुरन्त सुधार हो ताकि लोग निर्भय होकर देश में भ्रमण कर सकें। कश्मीर का पर्यटन-उद्योग भी विपरीत राजनीतक दशाओं के कारण काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह आवश्यक कदम उठाकर स्थिति को सामान्य बनाए ताकि होटलों के उद्यमकर्ता व विभिन्न कर्मचारी, ड्राइवर, गाइड, हथकरघा, दस्तकारी, उद्योगों, आदि में संलग्न व्यक्ति अपना रोजगार छोड़ने को बाध्य न हों। अत: जहाँ पर्यटन के विकास से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है, वहाँ इस उद्योग को मंदी के दौर से निकालने की भी नितान्त आवश्यकता है।

दिसम्बर 1992 में अयोध्या घटना के बाद हुए देशव्यापी साम्प्रदायिक दंगों का भी पर्यटन-उद्योग पर कुछ समय के लिए विपरीत प्रभाव पड़ा था। अत: इस उद्योग की द्रुतगति से प्रगति के लिए आन्तरिक शांति, सद्भाव व सौहार्द्र की नितान्त आवश्यकता मानी गई है। कोई भी पर्यटक अपने को जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसलिए जरा-सा आतंक व भय उत्पन्न होते ही पर्यटक सर्वप्रथम अपना कार्यक्रम स्थगित करते हैं, अथवा रद्द करते हैं, जिससे होटलों पर विपरीत असर आता है और देश को दुर्लभ विदेशी मुद्रा से हाथ धोना पड़ता है। अत: यह उद्योग बहुत संवेदनशील माना गया है और मानवीय व्यवहार की उत्तमता की नींव पर खड़ा है जिसको ठेस पहुँचाने की बजाय सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

पर्यटन-विशेषज्ञों व अधिकारियों का मत है कि राज्य में मरु-त्रिकोण (Desert-triangle) के विकास के अन्तर्गत भविष्य में जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को शामिल करने की आवश्यकता है। इससे इन क्षेत्रों में पर्यटन-विकास को काफी बल मिलेगा। पर्यटन-उद्योग एक सेवा-क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है, इसलिए इसके विकास पर मानवीय गुणों व मानवीय व्यवहार का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ राजस्थान पर्यटन-विकास निगम लि. का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है क्योंकि यह राज्य में पर्यटन-विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

पर्यटन के विकास की विपुल सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आजकल इस पर प्रति वर्ष अधिक धनराशि खर्च की जाने लगी है।

भविष्य में उदयपुर, माउंट आबू, कोटा व चित्तौड़गढ़ में पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित किए जाएँगे। डीग (भरतपुर), बालोतरा (बाड़मेर) में टूरिस्ट लॉज, नाथद्वारा में यात्री निवास तथा नागौर में टूरिस्ट बंगले का निर्माण करवाया जाएगा। उदयपुर में राजसमन्द झील, नौचौकी पाल और पहाड़ी पर बने राजमन्दिर को विकसित करने की आवश्यकता है। राजसमन्द झील की पाल के जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण की जरूरत है।

राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
[Rajasthan Tourism Development Corporation Ltd. (RTDC)]

इसकी स्थापना 1978 में एक निजी सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में हुई थी।

इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—

(i) राज्य में पर्यटन-विकास के लिए प्रोजेक्ट व स्कीम बनाना व लागू करना;
(ii) पर्यटकों के लिए निवास व भोजन आदि की व्यवस्था के लिए होटल, मोटल, युवा-होस्टल, टूरिस्ट बंगले आदि बनाना व चलाना;
(iii) परिवहन, मनोरंजन, माल की खरीद आदि के लिए सुविधाएँ प्रदान करना व पैकेज-पर्यटन की व्यवस्था करना,
(iv) पर्यटन महत्त्व के स्थानों का रख-रखाव व विकास करना तथा,
(v) पर्यटन की प्रचार-सामग्री उपलब्ध करना, वितरित करना तथा बेचना।

1997-98 में इसमें कुल विनियोजित पूँजी की मात्रा 31.5 करोड़ रुपये थी। इसे 1993-94 में कर से पूर्व मुनाफा 1.25 करोड़ रु. का हुआ जो घटकर 1994-95 में 28.9 लाख रु हो गया। 1995-96 में यह 2 57 करोड़ रु., 1996-97 में केवल 24 लाख रु. व 1997-98 में 23 4 लाख रु रहा। 1998-99 में इसे 98.1 लाख रु का घाटा हुआ है। इसके प्रबन्ध-सचालन में सुधार करके इसकी कार्य-कुशलता व लाभप्रदता में वृद्धि की जानी चाहिए। हालाँकि इसे हाल के वर्षों मे लाभ हुआ है, लेकिन स्थिति में स्थायी सुधार करने के लिए बहुत प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने व उसे लागू करने की आवश्यकता है ताकि यह अधिक कारोबार करके अधिक लाभ अर्जित कर सके। हाल में RTDC ने धौलपुर में एक नया मिडवे चालू किया है जो इसकी 42वीं इकाई है। प्रत्येक जिले में पर्यटन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। देश में होटलों की एक नई श्रेणी हेरीटेज होटल्स के कुल 20 में से 15 होटल अकेले राजस्थान में चल रहे हैं, जिन्हें बढ़ाया जा रहा है। एक वीडियो कैसेट "डेजर्ट ट्राइएंगल" तैयार किया गया है जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा व भीलवाड़ा क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों व वहाँ की संस्कृति को चित्रित किया गया है।

राज्य में पर्यटन-विकास के नये कार्यक्रम

(1) राज्य सरकार की नीति इसमें निजी विनियोग-कर्ताओं को बढ़ावा देने की है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है राज्य में **मार्च, 1989 में पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया**। बाद में इसके लिए स्वीकृत पूँजी-विनियोजन के 15 से 20 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की घोषणा की गई। 1994-95 में इसके लिए 1 5 करोड़ रुपये की सब्सिडी तथा किलों, महल व गढ़ की सुरक्षा व विकास के लिए 6 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

(2) राज्य में पेइंग गेस्ट योजना के अन्तर्गत नौ शहरों—जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउण्ट आबू एवं पुष्कर में 562 परिवारों के माध्यम से 4 हजार से अधिक व्यक्तियों के ठहराने की सुविधा जुटाई गई है।

(3) विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर किले के संरक्षण हेतु गन्दे पानी व सीवरेज-निकास की योजना प्रारम्भ की गई है।

(4) 1994-95 में डेचू, सालासर, देवली, पिण्डवाड़ा तथा ब्यावर में पर्यटकों के लिए 'मिडवे' की सुविधाओं का निर्माण करवाने के कार्यक्रम रखे गए थे।

(5) राज्य सरकार दरगाह शरीफ, अजमेर तथा पुष्कर के सर्वांगीण विकास की वृहद् क्षेत्रीय योजना पर पहले से काम कर रही है। इसी क्रम में 1994-95 में कैलादेवी, गोगा-मेढ़ी, सालासरजी, रामदेवरा, देशनोक, मेहन्दीपुर के बालाजी व नागौर की दरगाह के नियोजित विकास करने के कार्यक्रम रखे गए थे।

(6) पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य में विमान-सेवा का विस्तार किया जा रहा है। प्रति सप्ताह उड़ानों की संख्या 9 से बढ़कर 42 कर दी गई। राज्य सरकार एयर टेक्सीज के लिए टूरिस्ट सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। इसके लिए राज्य में उपलब्ध हवाई पट्टियों का उपयोग किया जाएगा।

(7) उदयपुर की मोतीमगरी एवं आमेर के महलों में दृश्य एवं श्रव्य (Light and sound) शो प्रारम्भ किया जाएगा।

(8) राजस्थान में हेरीटेज होटलों की संख्या 65 हो गई है तथा वर्ष 1995-96 के अन्त तक इनके 100 से भी अधिक हो जाने का अनुमान लगाया गया था।

(9) राज्य सरकार पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग लेना चाहती है।

(10) राज्य में पर्यटन-विकास की एक समग्रीकृत नीति तैयार की जा रही है जिसमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में पहली बार पर्यटन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय मेला 'इन्वेस्ट्यूर' 1995 (Investour 1995) भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की ओर से 1-4 दिसम्बर, 1995 तक जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया था। इसमें अमरीका, सिंगापुर, इजरायल, इंग्लैण्ड, इटली, स्विट्ज़रलैण्ड आदि देशों सहित भारत के

विभिन्न राज्यों से जुड़े काफी संगठनों व व्यक्तियों ने भाग लिया था। इस मेले के लिए राजस्थान को 'मेजबान राज्य', केरल को 'अतिथि राज्य' व सिंगापुर को 'सहभागी देश' घोषित किया गया था। इसमें पर्यटन से जुड़े विभिन्न विषयों पर गोष्ठियाँ आयोजित की गई थी। इस मेले में काफी लोग शरीक हुए तथा इससे राजस्थान में पर्यटन-विकास को एक नया आयाम मिला था।

1998 के प्रारम्भ में जयपुर में 'प्रशांत एशिया ट्रेवल एसोसियेशन' (पाटा) के सदस्यों का सम्मेलन हुआ था जिसमें राजस्थान में पर्यटन की सम्भावनाओं व समस्याओं की चर्चा की गई थी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सरकार पर्यटन के विकास के लिए कृतसंकल्प है और वह इसके विकास के माध्यम से रोजगार व आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दृष्टि से हवाई पट्टी के विस्तार के प्रथम चरण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है। अजमेर में दरगाह शरीफ एवं पुष्कर तीर्थ में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई पट्टी के निर्माण के लिए 57 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जोधपुर में होटल प्रबन्ध-संस्थान खोलने की योजना है तथा उदयपुर में फूड-क्राफ्ट-इन्स्टीट्यूट के लिए एक नया भवन बनाया जा रहा है ताकि अतिरिक्त पाठ्यक्रम चलाए जा सकें। भविष्य में 'ग्रामीण-पर्यटन' की योजना भी प्रारम्भ की जाएगी। इसके अन्तर्गत पर्यटन महत्त्व के गाँवों का विकास किया जाएगा। प्राय: ग्रामीण इलाकों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में किले, महल, अभयारण्य, आदि स्थित होते हैं, और अधिकतर मेले व त्यौहार ग्रामीण संस्कृति व परम्पराओं से जुड़े होते हैं। हैरीटेज होटल, सफारी, आदि भी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा प्रचलन में देखे गए हैं। इनमें यात्राओं के दौरान पर्यटक घोड़े, ऊँट या जीप की सवारी का आनन्द ले सकते हैं। ग्राम्य कलाएँ व हस्तशिल्प पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय होती हैं। ग्रामीणों का सरल स्वभाव पर्यटकों को काफी सुहाता है। ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या कम होने से भीड़भाड़ कम होती है और प्राकृतिक वनस्पति व जीव-जगत की विविधताओं को देखने का सुअवसर मिलता है। इस दृष्टि से यदि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के द्वारा पर्यटन के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाए तो पर्यटन के माध्यम से रोजगार के काफी नये अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं।

1997-98 के बजट में पर्यटकों के बढ़ते दबाव को देखते हुए आबू पर्वत में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 50 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया गया था। बीकानेर में सूरसागर से गंदे पानी के निकास की समस्या के निवारण के लिए 1997-98 में एक करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। तारागढ़ क्षेत्र के विकास हेतु 50 लाख रु. व्यय करने का प्रस्ताव था। वर्तमान में चालू पूंजी-निवेश-सब्सिडी योजना, 1993 व डीजल जेनरेटिंग सेट क्रय-अनुदान-योजना, 1994 को दो वर्ष

और जारी रखा जाना प्रस्तावित है । अजमेर, उदयपुर व जोधपुर स्थित फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट का संचालन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें आगामी वर्षों में स्ववित्त पोषित (self financing) बनाया जाएगा ।

वर्ष 1999-2000 के बजट में पर्यटन-विकास के लिए 23 करोड़ 3 लाख रु. का प्रावधान किया गया जो पिछले वर्ष के 16 करोड़ 74 लाख रु से अधिक था । ओसियां मंदिर, जोधपुर के विकास के लिए 20 लाख रु. का व्यय प्रस्तावित किया गया । इसके अतिरिक्त नाथद्वारा, पुष्कर, सालासर व विराटनगर में 20-20 लाख रु. के व्यय का प्रावधान किया गया । सरकार ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार व संरक्षण पर जोर दे रही है । केन्द्रीय संग्रहालय, अल्बर्ट हाल, जयपुर के संरक्षण व रख-रखाव पर बल दिया गया है ।

वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार द्वारा आमेर महल, जयपुर को सर्वोत्तम पर्यटक-मित्र स्मारक पुरस्कार प्रदान किया गया है ।

वर्ष 2000-2001 में ओसियाँ मंदिर, जोधपुर, किराडू मंदिर, बाडमेर, आमेर महल, जयपुर, शाही छतरियाँ, मण्डोर, जोधपुर, मेवाड़ कॉम्पलेक्स, उदयपुर व अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार कराया जाएगा । पर्यटन के विकास के लिए 2001-2002 में 10 करोड़ रु. की राशि आंवटित की गई । इसका उपयोग आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण व प्रचार-प्रसार में किया जाएगा । इसके अलावा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर 2.12 करोड रु. व्यय किए जायेंगे राजस्थान में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजीव गाँधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना की गई है, जो पर्यटन से जुडे विभिन्न विभागों में ताल–मेल स्थापित करेगा और पर्यटन विकास के माध्यम से शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। यह ग्रामीण पर्यटन को भी बढावा देगा।

राज्य की नई नीति को मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति[1]

पर्यटन को जन-उद्योग बनाने व इसके माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मन्त्रिमण्डल ने नई पर्यटन नीति को 24 सितम्बर, 2001 को अपनी मजूरी देदी थी। इसमें पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न रियायतें देने का निश्चय किया गया था--

(i) इसमें सरकार की भूमिका उत्प्रेरक के तौर पर तय की गई थी। राज्य की समृद्ध हस्तकला और कुटीर उद्योगों के माल की बिक्री के लिए समुचित बाजार विकसित करने पर बल दिया गया ताकि कलाकारों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित किया जा सके ।

(ii) पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि भूमि की आरक्षित दरों के एक चौथाई दाम पर अधिकतम चार बीघा भूमि के आवंटन का प्रावधान किया गया था।

(iii) पर्यटन इकाई में अकुशल (unskilled) कार्यबल की शत-प्रतिशत भर्ती स्थानीय स्तर पर करने की शर्त लागू की गई थी ।

1 राजस्थान पत्रिका, *24 सितम्बर 2001*

(iv) नई पर्यटन इकाइयों को पाँच वर्ष तक के लिए विलासिता-शुल्क (luxury tax) में छूट दी गई थी । नीति में एक हजार रुपए तक के किराये वाले कमरो पर कोई विलासित शुल्क नहीं लेने, और दो हजार रुपए किराये तक के कमरों पर पाँच प्रतिशत विलासिता कर लागू करने का प्रावधान किया गया था । दो हजार रुपए से ज्यादा किराए वाले कमरों पर शुल्क की दर 10% रखी गई थी ।

(v) यह व्यवस्था की गयी कि नए होटलों को शहरी सीमा में भूमि खरीदने पर पंजीयन शुल्क में 50% की छूट तभी दी जाएगी जबकि नई इकाई में कम से कम एक करोड़ रुपये का निवेश किया जाए, और इकाई का संचालन एक अप्रैल 2000 से 31 दिसम्बर, 2001 के बीच में किया जाए ।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को इन दोनों शर्तों के साथ-साथ भूमि एवं भवन कर में शत-प्रतिशत छूट दी गयी ।

(vii) राज्य में सघन प्रचार व विपणन तथा पर्यटन मार्ट आयोजन का प्रावधान किया गया था ।

(viii) साहसिक पर्यटन, पर्यावरण-पर्यटन, ऊँट व घोड़ों की सफारी, नदियों व नहरों नौकायन, शैक्षणिक व ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया था ।

(ix) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज अनुदान, डी.जी. सैट्स अनुदान, राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन, मल्टीप्लेक्स, ड्राइव इन सिनेमा व थियेटर विकसित करने पर भी स्वीकृति दी गई थी ।

(x) 60 लाख रुपए का निवेश करने वाली पर्यटन इकाई को ब्याज में 2% की छूट देने का प्रावधान किया गया । फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी फिल्में जिनकी 75% शूटिंग राजस्थान मे हुई हो, उनको एक साल तक मनोरंजन कर से मुक्ति देने का प्रावधान किया गया । लेकिन यह छूट केवल 'यू' प्रमाण-पत्र प्राप्त फिल्मो को ही दी गयी । मल्टीप्लेक्स और ड्राइव इन सिनेमाघरो को भी उनके व्यावसायिक संचालन की तारीख से 3 वर्ष तक के लिए मनोरंजन कर से छूट दी गई । यह छूट पहले वर्ष 75%, दूसरे वर्ष 50% तीसरे वर्ष 25% की दर से दी गयी ।

इस प्रकार यह पर्यटन नीति काफी विकासमूलक व प्रगतिशील मानी जाती है । लेकिन 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका मे विश्व व्यापार केन्द्र व पेंटागन पर हमलो के बाद तथा 7 अक्टूबर, 2001 को अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर जवाबी हमलों को शुरू करने से एक बार पर्यटन-उद्योग को भारी धक्का पहुँचा था ।

राज्य के 2002-2003 के बजट में पर्यटन के लिए योजना-मद से 19.50 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में दुगुना तथा 2000-2001 की तुलना में छः गुना अधिक था । एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण के आधार पर पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शहरों-सवाईमाधोपुर, माउण्ट आबू, जैसलमेर एवं पुष्कर में धरोहर संरक्षण हेतु 50 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया था । जयपुर को हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने हेतु यूरोपीय कमीशन द्वारा 2.25 करोड रु की लागत से एक कार्यक्रम "हेरिटेज वाक" के नाम से स्वीकृत किया गया था ।

एलबर्ट हॉल से हवामहल तक 2.5 किलोमीटर के रास्ते व उस पर बने भवनों के संरक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था। 2003-04 के बजट में पर्यटन के विकास पर 13 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान किया गया । मेवाड़ कॉम्पलेक्स योजना के तहत महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे गोगुन्दा, हल्दीघाटी व चावंड का पर्यटन स्थल के रूप में विकास का लक्ष्य रखा गया ।

राज्य के 2004-05 के परिवर्तन बजट में पर्यटन के विकास के लिए 22.50 करोड़ रु का व्यय प्रस्तावित किया गया है जो पिछले वर्ष से अधिक है । जयपुर में जलमहल क्षेत्र, उदयपुर में रोप-वे का निर्माण, जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का 'कन्वेन्शन केन्द्र' व गोल्फ रिसोर्ट, अलवर जिले में तिजारा फोर्ट पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जायेंगे । आमेर दुर्ग व हाडौती क्षेत्र का

विकास किया जायगा । आध्यात्मिक पर्यटन के लिए अजमेर में दरगाह शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, श्रीमहावीर जी, रणकपुर, रामदेवरा, जैसे प्रसिद्ध स्थलों का विकास किया जायगा । अनेकों मन्दिरों से जुड़ी सम्पत्तियों को चिन्हित कर 'अपना धाम-अपना काम-अपना नाम' योजना चलायी जाएगी ।[1]

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सोनार किला स्थित है—
(अ) जैसलमेर में (ब) बीकानेर में
(स) बाड़मेर में (द) जयपुर में (अ)
2. वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार द्वारा किस-पर्यटन-स्थल को सर्वोत्तम पर्यटन-मित्र स्मारक पुरस्कार दिया गया ?
(अ) ओसियाँ मन्दिर, जोधपुर (ब) आमेर महल, जयपुर
(स) शाही छतरियाँ, मण्डोर, जोधपुर (द) मेवाड़ कॉम्पलेक्स, उदयपुर (ब)
3. किराडू मन्दिर स्थित हैं—
(अ) जोधपुर में (ब) बूँदी में (स) बाड़मेर में (द) कोटा मे (स)
4. 'ग्रीष्मकालीन त्योहार' (Summer Festival) राजस्थान में मनाया जाता है—
(अ) जयपुर (ब) जोधपुर
(स) पुष्कर (द) माउण्ट आबू (द)
5. वर्ष 2003 में राज्य में घरेलू व विदेशी पर्यटको की कुल सख्या थी—(लगभग)
(अ) 68 लाख (ब) 131 7 लाख
(स) 70 लाख (द) 80 लाख (ब)
6. राज्य में 'नये पर्यटन पैकेज' में शामिल हैं—
(अ) पैलेस ऑन व्हील्स (ब) हैरीटेज होटल
(स) पेईंग गेस्ट स्कीम (द) सभी (द)
7. राज्य में पर्यटन के विकास में मुख्य बाधा है—
(अ) राज्य की गर्म जलवायु
(ब) पर्यटकों के लिए, न्यूनतम सुविधाओ का अभाव
(स) आधार ढाँचे को कमियाँ
(द) पर्यटन-स्थलों की दुर्दशा (स)
8. पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बाँटने की योजना है—
(अ) 10 क्षेत्रों में (ब) 8 क्षेत्रो मे (स) 6 क्षेत्रो मे (द) 4 क्षेत्रों में (अ)
(10 सर्किलों में) [RAS, 1998]
[(i) जयपुर-अजमेर, (ii) अलवर-सिलीसेड-सरिस्का (iii) भरतपुर-डीग-धौलपुर, (iv) रणथम्भौर-टोंक, (v) हाड़ोती (कोटा-बूँदी-झालावाड) (vi) मेरवाड़ा (अजमेर-पुष्कर-मेड़ता-नागौर), (vii) शेखावाटी (viii) मरु सर्किट (बीकानेर-जैसलमेर-बाड़मेर-जोधपुर) (ix) माउण्ट आबू-रणकपुर, (x) मेवाड़ (उदयपुर-कुम्भलगढ़-नाथद्वारा-चित्तौड़गढ़-जयसमंद-डूँगरपुर) ।
9. रणथम्भौर स्थित है—
(अ) भरतपुर (ब) अलवर
(स) सवाईमाधोपुर (द) झालावाड़ (स)

---

1 श्रीमती राजे का बजट-भाषण, 12 जुलाई, 2004, पृ 36-37

10. राजस्थान में पर्यटन-विकास की क्षमता किन बातों से परिलक्षित होती है ?

[उत्तर : संकेत : राजस्थान का पर्यटन-बल निम्न बातों से प्रगट होता है—

(i) इमारतें (क़िले, राजप्रासाद, हवेली, छतरियाँ, बाग, नगर, इत्यादि) (ii) रणक्षेत्र (हल्दीघाटी, चित्तौडगढ, रणथम्भौर आदि), मंदिर (सभी धर्मों के, कला व संस्कृति (मेले लोककला, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि), व्यवसाय (हस्तकलाएँ, रत्न-आभूषण, गलीचे, संगमरमर-ग्रेनाइट, आदि), प्राकृतिक सौन्दर्य (वन, जैसलमेर का मरुस्थल, अभयारण्य आदि), भौगोलिक स्थिति (सड़कों, रेल व हवाई सेवाओं से जुड़ा रहना), आतिथ्य की परम्परा (होटल, मोटल, भोजनालय आदि), मनोरंजन के साधन (ऊँट, घोडे, हाथी की सवारी आदि) तथा विभिन्न पर्यटनस्थलों के बीच सम्पर्क (डेजर्ट ट्राइएंगिल, गोल्डन ट्राइ-एंगिल) एवं राज्य का शान्तिप्रिय देश होना।] मरु-त्रिकोण (Desert-triangle) मे जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर आते हैं, तथा स्वर्णिम त्रिकोण (Golden triangle) में दिल्ली, आगरा व जयपुर आते हैं ।

11. राजस्थान के कुछ किलों व महलो के नाम लिखिए जिनका पर्यटन की दृष्टि से महत्त्व है ।

किले	महल
नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर	चन्द्रमहल, जयपुर,
(पास मे जयगढ व आमेर का पुराना किला)	रामबाग पैलेस, जयपुर
लाल किला, अलवर	सिलीसेढ़ व सरिस्का पैलेस, अलवर,
लोहागढ़, भरतपुर	मोतीमहल, भरतपुर
रणथम्भौर, सवाईमाधोपुर	जयनिवास (लैक पैलेस), उदयपुर,
चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ	मीरा का महल, चित्तौडगढ़,
मेहरानगढ़, जोधपुर	उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर,
सोजत फोर्ट, सोजत सिटी,	नागौर पैलेस, नागौर सिटी,
सोनार किला, जैसलमेर,	जूनागढ़ व लालगढ़ के महल, बीकानेर,
(यह 'गोल्डन फोर्ट कहलाता है)	जगमंदिर पैलेस, कोटा तथा
तारागढ फोर्ट, बूँदी, तथा	जूना पैलेस, डूँगरपुर जिला ।
गागरान फोर्ट, झालावाड़ जिला	

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका स्पष्ट कीजिए । राज्य में पर्यटन के विकास की सम्भावनाओ पर प्रकाश डालिए और निकट भविष्य मे इस उद्योग के विकास के लिए सुझाव भी दीजिए ।
2. राज्य के पर्यटन विकास पर एक निबन्ध लिखिए ।
3. राजस्थान मे पर्यटन विकास के लिए किए गए सरकारी प्रयासों का उल्लेख करते हुए राज्य में पर्यटन की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिए ।
4. राज्य में पर्यटन के विकास की समस्याओ पर प्रकाश डालिए और आगामी वर्षों मे इसके विकास के लिए उपयोगी सुझाव दीजिए ।
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान मे पर्यटन, उद्योग, (ii) राजस्थान मे पर्यटन विकास
   (iii) राज्य में 'सांस्कृतिक पर्यटन' के अवसर,
   (iv) हैरिटेज होटलों की पर्यटन-विकास मे भूमिका ।
6. राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे पर्यटन उद्योग के महत्त्व को बतलाइए । इस उद्योग के विकास की भावी संभावनाएँ व समस्याएँ क्या हैं ?

राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Special Area Development Programmes in Rajasthan)

राजस्थान में ग्रामीण विकास, रोजगार-संवर्द्धन व विभिन्न क्षेत्रों की विशेष किस्म की समस्याओं को हल करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें निम्न कार्यक्रम प्रमुख हैं—*(i)* सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, *(ii)* मरु विकास कार्यक्रम, *(iii)* जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, *(iv)* अरावली विकास कार्यक्रम, *(v)* दस्यु संभाव्य क्षेत्रों में कन्दरा (बीहड़) सुधार कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास स्कीम तथा *(vi)* मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना *(vii)* व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम तथा *(viii)* सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्य-क्रम। इनके अलावा राज्य में विकास के लिए न्यूनतम आधारभूत-ढाँचा उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (Minimum Needs Programme) (MNP) भी संचालित किया जा रहा है। राज्य में निर्धनता-निवारण के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme) (IRDP) भी लागू किया गया है। वैसे MNP व IRDP को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत लेना ज्यादा तर्कसंगत होगा। नीचे इनका क्रमशः विवेचन किया जाता है।

(1) सूखा-संभाव्य (सूखा प्रभावित) क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme) (DPAP)—यह कार्यक्रम 1974-75 में केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम (Centrally-Sponsored Scheme) के रूप में प्रारम्भ किया गया था। इसकी वित्तीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्यों का 50 50 हिस्सा रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। इसके लिए भूमि व जल के उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में अकाल व सूखे के प्रतिकूल प्रभाव कम किए जा सकें।

इन क्षेत्रों में निम्न कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है—

(i) मिट्टी व नमी का संरक्षण करना (Soil and moisture conservation)

(ii) जल संसाधनों का विकास (Water Resources-Development)

(iii) वृक्षारोपण (afforestation) करना तथा

सूखा-संभाव्य-क्षेत्र-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल जिलों व खण्डों में समय-समय पर परिवर्तन किया गया है। 1982-83 में इस कार्यक्रम के दायरे से वे खण्ड हटा दिए गए जो पहले मरु-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल थे। वर्तमान में यह कार्यक्रम 11 जिलों—**अजमेर, बाँसवाड़ा, बाराँ, भरतपुर, डूँगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक व उदयपुर जिलों के विभिन्न खण्डों (लगभग 32 खण्ड) में संचालित किया जा रहा है।** इन जिलों के कुछ खण्डों के नाम इस प्रकार हैं—

- डूँगरपुर व बाँसवाड़ा जिलों के समस्त खण्ड,
- उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, झडोल व कोटड़ा खण्ड,
- अजमेर जिले के मसूदा व जवाजा खण्ड,
- झालावाड़ जिले के झालरापाटन, डग व खानपुर खण्ड,
- कोटा व बाराँ जिलो के शाहबाद, सांगोद, चेचट व छबड़ा खण्ड,
- टोंक जिले मे उनियारा, देवली व टोडारायसिंह खण्ड तथा
- सवाई माधोपुर जिले के नादोती व खण्डार खण्ड।

1995-96 से इस कायक्रम के अन्तर्गत भरतपुर जिले का डीग तथा अजमेर जिले का भिनाय (Bhinai) खण्ड शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था।

इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति जिलों में डूँगरपुर व बाँसवाड़ा जिलों के समस्त खण्ड शामिल किए गए हैं, लेकिन अन्य जिलों के चुने हुए खण्ड ही शामिल किए गए हैं।

सातवीं योजना में प्रगति—इस कार्यक्रम में कोष (funds) खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम पर लगभग 23.8 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस योजना की अवधि में 21471 हैक्टेयर भूमि में मिट्टी व नमी संरक्षण के काम किए गए, 2389 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की सम्भावना उत्पन्न की गई तथा 10918 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया।[1]

सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरु विकास कार्यक्रम पर प्रोफेसर हनुमन्थ राव की *अध्यक्षता में नियुक्त तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर* ***1 अप्रैल, 1995*** **से प्रत्येक गाँव में लगभग 500 हैक्टेयर भूमि के वाटरशेड (जल-ग्रहण क्षेत्र) के विकास हेतु कोषों का हस्तान्तरण करने की सिफारिश की गई। प्रत्येक हैक्टेयर की लागत 4000 रु. अनुमानित है, और एक जल-ग्रहण क्षेत्र का कार्य 4 वर्ष की अवधि में पूरा करने की बात कही गई।** अत: 1995-96 से यह कार्यक्रम 10 जिलों के 32 खण्डों में चलाया जा रहा है।[2] विनियोग के इन मापदण्डों को स्वीकार करके आठवीं योजना में

1. Eighth Five Year Plan 1992-97, March, 1993, p 149 (Rajasthan).
2. Draft Tenth Five Year Plan, 2002-07, p 11.5 (GOR)

DPAP पर अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया। कार्यकारी दल के सुझावों के अनुसार व्यय की राशि का आवंटन इस प्रकार सुझाया गया : 30% भूमि-विकास व भू-संरक्षण आदि कार्यों पर, 20% जल-साधनों के विकास पर, 25% वृक्षारोपण व चरागाह विकास पर तथा 15% अन्य क्रियाओं पर। यह कहा गया कि प्रशासन-लागत 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राजस्थान सरकार ने सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, कोटा तथा झालावाड़ जिलों में 20 नये खण्डों को सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया था, क्योंकि इनमें वर्षा का औसत 500 मिलीमीटर से कम पाया जाता है और इनमें सूखा पड़ने की पर्याप्त सम्भावना पाई जाती है।

योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एल.सी. जैन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति ने अगस्त, 1990 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम राज्यों को हस्तान्तरित कर देना चाहिए ताकि राज्य सरकार इस कार्यक्रम में अन्य क्षेत्र शामिल करने के बारे में स्वयं कोई फैसला कर सके।

DPAP कार्यक्रम के माध्यम से भू-संरक्षण, नमी-संरक्षण, सिंचाई व वृक्षारोपण की दिशा में प्रगति हुई है। इसे नवीं योजना में जारी रखा गया है तथा प्रति खण्ड विनियोग की राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है ताकि वांछित परिणाम मिल सकें।

(2) मरु-विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme, DDP)—यह केन्द्र-चालित स्कीम है और वर्ष **1985-86 से इसका सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करने लगी है। यह कार्यक्रम 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना व इन क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारना है। 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम निम्न 16 मरु जिलों के 85 खण्डों में संचालित किया जा रहा है—अजमेर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, चूरू, पाली, गंगानगर, जैसलमेर, सीकर तथा झुंझुनूं। वर्ष 1995-96 से यह कार्यक्रम भी जल-ग्रहण क्षेत्र/क्लस्टर/इन्डेक्स कैचमेण्ट आधार पर संचालित किया जा रहा है और 500 हैक्टेयर के एक माइक्रो जल-ग्रहण प्रोजेक्ट पर प्रति हैक्टेयर 5000 रु. की लागत आंकी गई है जिसे 4 वर्ष में पूरा करने पर बल दिया गया है।**[1]

इसमें निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं जो सूखे की गम्भीरता को कम कर सकें, जीवन की गुणवत्ता को रोजगार के अवसर बढ़ाकर सुधार सकें तथा लोगों के जीवन की अन्य दशाओं को उन्नत कर सकें।

---

1 Draft Tenth Five Year Plan 2002-07, Vol I, p 116

(i) कृषि, वानिकी (चारा व चराई साधनों) का विकास,
(ii) पशु-पालन व भेड़ पालन का विकास,
(iii) पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था,
(iv) लघु सिंचाई (भूजल के विकास सहित) तथा,
(v) ग्रामीण विद्युतीकरण।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रगति—सातवीं योजना में भारत सरकार ने इस कार्यक्रम पर कुल लगभग 147 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। प्रति व्यक्ति विनियोग की राशि 190 रुपये रही थी, जो आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम थी। सातवीं योजना में व्यय की वास्तविक राशि प्रस्तावित आवंटन के लगभग समान (146 5 करोड़ रुपये) रही। **इसके फलस्वरूप भूमि-संरक्षण व नमी-संरक्षण का कार्य 42637 हैक्टेयर में किया गया, अतिरिक्त सिंचाई की संभावना 10367 हैक्टेयर में उत्पन्न की गई तथा 68443 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया एवं पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति के लिए 3983 कार्य पूरे किए गए।**[1]

आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र को अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ी है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में मरु-विकास क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों (Fringe areas) के विकास पर भी बल दिया गया। इनमें केवल वृक्षारोपण की क्रिया को ही आगे बढ़ाया गया ताकि मरु-क्षेत्रों को हरा-भरा बनाने की प्रक्रिया आस-पास के क्षेत्रों से प्रारम्भ होकर मरु-क्षेत्रों में प्रवेश कर सके। वर्ष 1995-96 से यह कार्यक्रम 8 नये खण्डों में वाटरशेड (जलग्रहण-क्षेत्र) के आधार पर संचालित करने का प्रस्ताव किया गया। ये खण्ड निम्नांकित हैं—अजमेर जिले के पीसांगन (Pisangan), किशनगढ़ व श्रीनगर खण्ड, जयपुर जिले का दूदू खण्ड, राजसमंद जिले के देवगढ़ व भीम खण्ड, सिरोही जिले का शिवगंज खण्ड तथा उदयपुर जिले का गोगुन्दा खण्ड। यह निश्चय किया गया कि इन नये खण्डों के लिए केन्द्र 75% कोष देगा तथा राज्य सरकार केवल 25% देगी। मरु-क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों के विकास का विचार काफी सही व सार्थक प्रतीत होता है। इससे बाद में स्वयं मरु-क्षेत्रों के विकास में भी मदद मिलेगी।

इस कार्यक्रम पर 1995-96 में 110 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई ताकि **भूमि व नमी-संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण व पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा** बढ़ाने के **कार्य सम्पन्न किए जा सकें। जैसा कि पहले कहा जा चुका है प्रत्येक वाटरशेड की** लागत **प्रति हैक्टेयर 5 हजार रु. आंकी गई और इसके अन्तर्गत 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल रखा** गया। **इस कार्य के लिए बाह्य संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने का प्रयास किया** जा रहा है।

---

1 Eighth Five Year Plan, 1992 97, March 1993, p 151 (Rajasthan)

इजराइल से तकनीकी सहयोग लेने का प्रयास जारी है । लूनी जलग्रहण क्षेत्र के विकास हेतु एक योजना तैयार की जा रही है ।

भारत सरकार ने 841 वाटरशेड-प्रोजेक्ट आवंटित किए थे जिन्हें केन्द्र की शत-प्रतिशत सहायता से 31 मार्च, 2000 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया था । **1 अप्रैल, 1999 से नए प्रोजेक्टों के लिए केन्द्र का अंश 75% व राज्य का 25% रखा गया है। भारत सरकार ने एक विशेष प्रोजेक्ट 'मरुस्थलीकरण (रेगिस्तान का प्रसार) रोकने' (Combating Desertification) के लिए 4 वर्ष की अवधि में 97.50 करोड़ रुपये की लागत का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, जो ऊपरवर्णित 75 : 25 वित्तीय व्यवस्था के आधार पर है ।**

राजस्थान की जनजातियाँ व उनकी अर्थव्यवस्था

1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 12.44% आंकी गई है । इनमें मीणा 49%, भील 46%, गरासिया 2.7%, सहरिया 1% व डामोर 0.7% हैं । शेष अन्य जनजाति (कंजर, कथोड़ी आदि) के हैं । **इस प्रकार कुल जनजातियों के लोगों में लगभग 95% मीणा व भील जनजाति के अन्तर्गत आते हैं ।**

राजस्थान में जनजातियों का क्षेत्रवार वितरण

(1) थार मरुस्थल का प्रदेश—राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भील, मीणा व गरासियाँ जनजातियाँ रहती हैं । राजस्थान के जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर व झुंझुनूं जिलों में कुल जनजाति का लगभग 7% निवास करता है ।

(2) दक्षिणी अरावली क्षेत्र—इस क्षेत्र में गरासिया व डामोर जनजाति के लोग एवं भील पाए जाते हैं । गरासिया जनजाति के लोग सिरोही व आबू रोड़ में विशेषतया पाए जाते हैं । मेवाड़ प्रदेश भील जनजाति बाहुल्य वाला इलाका है । डामोर जनजाति डूँगरपुर जिले में विशेष रूप से पाई जाती है । कुल मिलाकर अरावली के दक्षिणी भाग में राज्य की कुल जनजाति का 57% (सर्वाधिक अंश) पाया जाता है ।

(3) अरावली का पूर्वी मैदानी व पठारी प्रदेश—इस भाग में अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूँदी व झालावाड जिले आते हैं ।

इस प्रदेश में मीणा जनजाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं । इसके अलावा इस क्षेत्र में भील व सहरिया जनजाति के लोग (कोटा की शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में) पाए जाते हैं । राज्य की कुल जनजातियों का 36% इसी भाग में निवास करता है ।

1991 की जनगणना के अनुसार अग्र जिलों में कुल जनसंख्या में जनजाति के लोगों का अंश 10% से अधिक पाया गया :

कुल जनसंख्या में जनजाति का अंश (% में)[1]

क्र.स.	जिला	
1	बांसवाड़ा	73.5
2	डूँगरपुर	65 8
3	उदयपुर	46 3
4	दौसा	26 3
5	सिरोही	23 4
6	सवाई माधोपुर	22 5
7	बारा	21 1
8	बूँदी	20 3
9	चित्तौडगढ	20 3
10	राजसमन्द	12 8
11	झालावाड	11 9
12	टोंक	11 9

तालिका से स्पष्ट होता है कि **बांसवाड़ा, डूँगरपुर व उदयपुर जिले विशेष रूप से** जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं। लेकिन इनके बाद दौसा, सिरोही, सवाई माधोपुर, बारां, बूँदी व चित्तौड़गढ़ जिलों में भी कुल जनसंख्या में जनजातियों का अनुपात 20% से अधिक पाया गया है।

राज्य में जनजातियों की संख्या में वृद्धि-दर **1951-61** में **25%**, **1961-71** में **28%**, **1971-81** में **30.6%** तथा **1981-91** में **24.7%** रही। ये वृद्धि-दरें काफी ऊँची हैं और राज्य के विकास में तथा स्वयं जन-जातियों की प्रगति में अवरोधक हैं।

जनजातियों की अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ

(1) कृषि—**ज्यादातर जनजातियाँ कृषि-कार्य से अपना जीवन-यापन करती हैं।** *लेकिन खेती में बटाईदारी प्रथा के पाए जाने के कारण वास्तविक काश्तकारों का आर्थिक* शोषण होता रहता है। कृषि में इन्पुटों की कमी के कारण उत्पादन का स्तर भी नीचा पाया जाता है। ये पशुपालन में भी संलग्न रहते हैं।

(2) वनों से लकड़ी काटने के अलावा ये वनों की छोटी उपजें संग्रह करने; जैसे **पत्ते, जड़ी-बूटियाँ, फल, शहद आदि में संलग्न पाए जाते हैं।** इसके अलावा भील जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। जनजाति के लोग आस-पास के क्षेत्रों में घरेलू सेवा-कार्य भी करते हैं।

---

1. **Some Facts About Rajasthan 2003,** Part II, pp 36-37.

(3) स्थानीय कुटीर व घरेलू उद्योगों में भी ये रोजगार के लिए संलग्न पाए जाते हैं। इसके अलावा ये चौकीदारी का कार्य विशेष रूप से करते हैं।

(4) सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया के दौरान आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाकर धीरे-धीरे इनका प्रवेश **प्रशासनिक सेवाओं, डॉक्टरी, इन्जीनियरिंग व सरकार में भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है**। लेकिन कुल मिलाकर इनकी अर्थव्यवस्था अभी भी काफी पिछड़ी हुई, जीवन-स्तर नीचा, अधिकांश व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे, बेरोजगारी व अल्परोजगार के शिकार व कठिन जीवन से त्रस्त पाए जाते हैं। उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का काम सुगम नहीं है। सरकार ने इनके आर्थिक विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की है जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Tribal Area Development Programme, TADP)—1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 54 75 लाख जनजाति के लोग थे, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 12 4% अंश था। भारत में इसका अनुपात 8% था। राज्य में बावरिया, भील, मीना, डामोर, गरासिया व सहरिया आदि जनजाति के व्यक्ति बसते हैं।

जनजाति के व्यक्तियों को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है।

***(i)* जनजाति उपयोजना** (Tribal Sub-Plan)—इसके अन्तर्गत बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व सिरोही जिलों की 23 पंचायत समितियाँ आती हैं। राज्य की कुल जनजाति के 54.8 लाख लोगों में से 24 लाख जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आते हैं। इसमें 4409 गाँव शामिल हैं।

जनजाति उप-योजना के माध्यम से जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने, जनजातियों व जनजाति क्षेत्रों के विकास की सम्भावनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से वित्तीय साधन जुटाए जाते हैं तथा राज्य की योजना से कोष प्रदान किए जाते हैं। इनके अलावा जनजाति क्षेत्र विकास विभाग को राज्य योजना कोषों से भी धन दिया जाता है।

जनजाति उप-योजना 1974-75 से आरम्भ की गई थी। इसके मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सिंचाई, विद्युत, फल-विकास, बेर-बेडिंग, डीजल पम्पिंग से सामुदायिक सिंचाई, बीज व उर्वरक वितरण, फार्म-वानिकी (Farm forestry), आदि। जनजाति के व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इनमें विद्यार्थियों को स्टाइपेण्ड भी दिया जाता है।

भविष्य में छात्रावासों के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। **वर्ष 1999-2000 से राज्य में जनजाति विकास की महाराष्ट्र प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रारम्भ में 13 विभागों की राज्य-योजना मद की 8 प्रतिशत राशि का एक जनजाति-विकास-कोष बनाया जाएगा। इसके तहत 2000-2001 में 112 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय की जाने**

वाले राशि का निर्धारण सम्बन्धित विभागों से चर्चा करने के बाद जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

आश्रम-छात्रावासों के छात्रों के भोजन, वस्त्र, आदि के लिए दी जाने वाली राशि को प्रति माह 350 रुपये से बढ़ाकर 675 रु किया जाना प्रस्तावित है। जनजाति उप-योजना क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में विपणन एवं बिक्री प्रशिक्षण हेतु, तपेदिक नियंत्रण हेतु तथा फ्लोरोसिस नियंत्रण हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है। सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए *जनजाति उपयोजना क्षेत्र व जनजाति गैर-उपयोजना क्षेत्र में सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई* योजनाओं, एनीकटों के निर्माण व डीजल पम्प सेटों के वितरण की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इन क्षेत्रों में ग्राम सभाओं एवं पंचायतों को सशक्त किया जाएगा। विद्युतीकरण के कार्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

***(ii)* परिवर्तित क्षेत्र-विकास-दृष्टिकोण (माडा)** (Modified Area Development Approach, MADA)—इसमें 13 जिलों के 2939 गाँवों में 44 समूहों के जनजाति के लोग शामिल हैं। ये जिले इस प्रकार हैं—अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूँदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक व जयपुर। इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। यह कार्यक्रम *1978-79* से प्रारम्भ किया गया था। इसमें वैयक्तिक लाभ पहुँचाने वाली स्कीमें शामिल की गई थीं। माडा में शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले वर्षों में इस कार्यक्रम पर चार-पाँच करोड़ रु सालाना व्यय किए गए हैं। आठवीं योजना (1992-97) में इस कार्यक्रम में शिक्षा, लघु सिंचाई कार्यक्रमों, हथकरघा, दरी, बुनाई, बढ़ईगिरी आदि पर बल दिया गया। पहले माडा के अन्तर्गत लोगों की संख्या 10 लाख व्यक्ति आंकी गई थी।

***(iii)* सहरिया विकास कार्यक्रम**—यह 1977-78 से आरम्भ किया गया था। इसमें बारां (पहले कोटा) जिले की शाहबाद व किशनगंज पंचायत समितियों के 50 हजार लोग शामिल हुए हैं जो 435 गाँवों में फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता मिलती है तथा राज्य की योजना में भी इसके लिए प्रावधान किया जाता है। 2000-2001 के लिए 37 50 लाख रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि, पशु-पालन, कुटीर उद्योग, वानिकी, शिक्षा, पोषण, पेयजल, ग्रामीण विकास आदि पर धनराशि व्यय की जाती है ताकि इस जनजाति को लाभ पहुँचाया जा सके।

***(iv)* बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम**—यह *1979* से प्रारम्भ किया गया था। इसका संचालन जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (Tribal Area Development Department, TADD) द्वारा किया जाता है। विभिन्न जिलों में इनकी संख्या 14.3 लाख आंकी गई है। इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, होस्टल, (विशेषतया लड़कियों के लिए) नि:शुल्क पोशाकें, पुस्तकें, छात्रवृत्तियाँ, परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि कार्य किए जाते हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित अन्य गतिविधियाँ

(अ) एक जनजाति अनुसंधान संस्थान (Tribal Research Institute, TRI)—उदयपुर में स्थापित किया गया है। इसमें जनजाति के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किए जाते हैं। यह केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम है। इसमें केन्द्र व राज्यों का 50 50 हिस्सा है। इसके माध्यम से सेमीनार, लाइब्रेरी, वर्कशॉप, लोकसंगीत, आदि की क्रियाएँ संचालित की जाती हैं। इसका 1989-90 में पुनर्गठन किया गया था।

(ब) पोषण-कार्यक्रम—एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम आँगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित किया जाता है जिसमें स्त्रियों व बच्चों के पोषण के सुधार पर ध्यान दिया जाता है। इससे माताओं व शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार आता है।

निष्कर्ष—जनजाति के लोगों के लिए कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया जाता है। इनका जीवन वनों से जुड़ा होता है। इनके लिए भू-जोतों का आकार 2 हैक्टेयर से नीचा होता है। कहीं-कहीं यह 1 हैक्टेयर से भी कम होता है। परिवहन की जटिलता, सिंचाई व पेयजल की कमी, अशिक्षा, कुपोषण, सामाजिक कुरीतियाँ, अन्धविश्वास, आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, जंगलों से गोंद, लाख आदि छोटे-मोटे पदार्थों पर निर्भरता, आदि इनके आर्थिक जीवन की विशेषताएँ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके आर्थिक विकास का काम बहुत दुष्कर होता है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनसंख्या जनजाति के लोगों की होती है। लेकिन इन क्षेत्रों में भी इनके लिए आरक्षण 12% ही पाया जाता है। **राजस्थान सरकार ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे क्षेत्रों में इनके लिए आरक्षण 12% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए ताकि वन-रक्षक, कानस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, कनिष्ठ लिपिक, वाहन-चालक व तृतीय श्रेणी के सहायक अध्यापक के पदों पर इनके लिए आरक्षण बढ़ सके।**

कुछ विचारकों का मत है कि जिन खण्डों में 75% जनसंख्या आदिवासियों की पाई जाए, वे जनजाति के विकास खण्ड घोषित कर दिए जाएँ और वहाँ की भूमि पर आदिवासियों का अधिकार हो जाए और वे उन क्षेत्रों के उद्योग, व्यापार व सेवा के सारे अवसर प्राप्त करें।

2004-05 के बजट में अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए **'महाराष्ट्र पैटर्न'** की योजना को लागू करने पर जोर दिया गया है। इस वर्ष 30 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने पर धनराशि व्यय की जायगी। बारां जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में **सहरिया जाति के प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 20 करोड़ रु. व्यय किये जायगे।**

उदयपुर जिले के कोटड़ा व झाडोल क्षेत्र में भी कथौड़ी जनजाति के विकास का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायगा।[1] इन क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराने पर व्यय किया जायेगा।

---

1. 2004-05 का बजट-भाषण, 12 जुलाई, 2004

(4) अरावली विकास कार्यक्रम (Aravalli Development Programme)—केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ कर दिए गए थे ताकि इन क्षेत्रों में परिवेश-व्यवस्था (Eco-system) की रक्षा की जा सके तथा उसका समुचित रूप से विकास किया जा सके। परिवेश-व्यवस्था का सम्बन्ध भूमि, जल, पशु व वृक्ष के परस्पर सम्बन्ध से होता है और इनका संतुलित विकास जारी रखने से परिवेश संतुलन (ecological balance) स्थापित होता है और देशवासियों की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं की ज्यादा अच्छी तरह से पूर्ति हो सकती है। केन्द्र ने अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम हिमालय व अन्य पहाड़ी प्रदेश, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों व नीलगिरी की पहाड़ियों में चलाए हैं। राजस्थान सरकार भारत को अरावली पहाड़ी क्षेत्र को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कहती रही है। वर्ष 1986 में योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया था ताकि वह पहाड़ी क्षेत्रों का निर्धारण कर सके। उस दल ने पहाड़ी क्षेत्रों के निर्धारण के आधार सुझाए थे। उनको ध्यान में रखकर ही राजस्थान में अरावली पहाड़ी प्रदेश के कुछ भाग पहाड़ी विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए छाँटे गए थे।

इसमें 16 जिलों के 120 खण्डों का 41,447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है, जिसमें अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का 11,786 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। इस प्रकार प्रमुखतया अरावली का पहाड़ी क्षेत्र लगभग 29,661 वर्ग किलोमीटर रखा गया है।

अरावली विकास का महत्त्व—अरावली क्षेत्र के विकास का राष्ट्रीय महत्त्व है क्योंकि **यह प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश के सतह-जल व भू-जल के भण्डारों का निर्धारण करता है। इसके अलावा यह रेगिस्तान को पूर्व दिशा में बढ़ने से भी रोकता है।**

पहले अरावली की पहाड़ियों में सघन वन व वृक्ष हुआ करते थे जिनमें अनेक वन्य-पशु पाए जाते थे। लेकिन कालान्तर में वृक्षों के भारी विनाश ने सम्पूर्ण परिवेश-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया। निम्न कारणों से इस प्रदेश का भारी पर्यावरणीय तथा आर्थिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक ह्रास हुआ है।

- *(i)* जनसंख्या व पशुओं के बढ़ने के कारण जैविक दबाव (Biotic pressure) उत्पन्न हो गए हैं।
- *(ii)* अंधाधुंध ढंग से वृक्षों की कटाई से काफी क्षति पहुँची है।
- *(iii)* खनन कार्यों के फलस्वरूप कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। खनन कार्यों के बाद खाली भूखण्डों की कोई देखरेख नहीं होती है।
- *(iv)* पर्यावरण का ध्यान रखे बिना कई प्रकार के निर्माण-कार्य करा लिए गए हैं तथा
- *(v)* मरु-विस्तार में तेजी आई है।

इसलिए अरावली पहाड़ी प्रदेश का पुनरुद्धार व पुनर्जीवन अत्यावश्यक हो गया है। इससे निम्न लाभ मिलने की आशा है—

(i) समस्त अरावली प्रदेश का स्थानीय साधनों के अनुसार विकास-कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा।

(ii) स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुसार विकास की योजनाएँ बनाई जा सकेंगी।

(iii) वनों का विकास करके रोजगार के साधन उत्पन्न किए जा सकेंगे।

(iv) मिट्टी व जल-साधनों का संरक्षण किया जा सकेगा।

(v) ईंधन की लकड़ी व चारे की सप्लाई बढ़ाना सम्भव हो सकेगा।

(vi) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा सकेगा।

(vii) फलोत्पादन बढ़ाया जा सकेगा।

(viii) चारे की सप्लाई के बढ़ने से व चरागाहों का विकास होने से पशुपालन के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

(ix) रेगिस्तान को गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने से रोका जा सकेगा।

(x) व्यर्थ पड़ी भूमि (Wastelands) का सदुपयोग करने का मार्ग खुल जाएगा जिससे पेड़-पौधे लगाने, जल-संरक्षण, चरागाह विकास आदि से इस प्रदेश का कायापलट हो सकेगा।

(xi) लोगों में सामुदायिक विकास की भावना का सृजन होगा।

(xii) इन क्षेत्रों के सामाजिक विकास में मदद मिलेगी और

(xiii) जनजाति के लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकलने का अवसर मिलेगा।

इस प्रकार अरावली-विकास इस प्रदेश के सम्पूर्ण विकास का आधार तैयार कर सकता है। लेकिन इस कार्य को सम्पन्न करना सुगम नहीं है। इसकी सफलता की निम्न शर्तें हैं—

(अ) व्यापक तकनीक व वैज्ञानिक नियोजन,

(ब) लोगों की भागीदारी,

(स) वित्तीय साधन तथा भौतिक सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि,

(द) संगठनात्मक तैयारी,

(च) दीर्घकालीन प्रयास, उचित नेतृत्व व सरकारी सहयोग।

अरावली विकास के लिए विदेशी वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है। इस कार्य में भारी विनियोग के बिना सफलता सुनिश्चित करना कठिन है। पहले आठवीं योजना के लिए सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये व केन्द्र द्वारा 150 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन साधनों के अभाव में 1991-92 के लिए राज्य की योजना में इस कार्यक्रम के लिए केवल 25 लाख रुपये के व्यय का ही प्रावधान किया गया, जो अपर्याप्त था। अत: भारी विनियोग की आवश्यकता को देखते हुए इस परियोजना के लिए अन्त-र्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए तथा प्राप्त साधनों का पूरा सदुपयोग होना चाहिए। यदि ऐसा सम्भव हो सका तो यह कार्यक्रम गरीबी दूर करने व रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ

आर्थिक विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेगा । जापान के ओवरसीज इकोनोमिक **कॉपरेशन फण्ड (OECF) की सहायता से चलाई जा रही अरावली वृक्षारोपण परियोजना में वर्ष 1992-93 में 10 जिले शामिल किए गए थे।** ये 10 जिले इस प्रकार हैं—**अलवर, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जयपुर (दौसा सहित), पाली, सिरोही, उदयपुर (राजसमंद सहित), चित्तौड़गढ़ व बाँसवाड़ा** । इस अवधि में 14 7 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था । 1993-94 में अरावली पहाड़ियों के विकास-कार्यों पर 10 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया था । अरावली वृक्षारोपण परियोजना की कुल लागत 177 करोड़ रुपये आंकी गई है । इसमें सरकार की बंजर पड़ी वनों की व्यर्थ भूमि पर पेड़ लगाए जाएँगे, सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाए जाएँगे, नई नर्सरी की कई इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी, फार्म-वानिकी कार्यक्रम के लिए पौधे वितरित किए जाएँगे और एनीकटों का निर्माण किया जाएगा ।

वर्ष 1992-93 से अरावली विकास के ही तहत **पुष्कर समन्वित विकास परियोजना** हाथ में ली गई थी ताकि यहाँ के घाटों को सुधारा जा सके, झील में मिट्टी आदि की भराई रोकी जा सके, पहाड़ियों पर वृक्षारोपण किया जा सके, सड़कों का निर्माण किया जा सके व पुष्कर में आधार सुविधाएँ विकसित की जा सकें ताकि यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बन सके ।

1995-96 के लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास, भू-संरक्षण व वानिकी-कार्यों पर 52 4 लाख रु के व्यय का प्रावधान किया गया था । 1996-97 में इस परियोजना के अन्तर्गत 34500 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया । 1997-98 में पुष्कर सरोवर में जमी मिट्टी को निकाल कर सरोवर को गहरा करने का कार्यक्रम रखा गया । इस क्षेत्र में जलग्रहण विकास कार्य के लिए कनाडा सरकार की सहायता से एक नई परियोजना पर 1997 98 में काम प्रारम्भ किया गया । **अरावली-वनरोपण-प्रोजेक्ट (Aravalli Afforestation Project (AAP) जो 1992-1993 में चालू किया गया था, वह 31 मार्च 2000 के अन्त में समाप्त हो गया है । 288 करोड़ रुपए की संशोधित लागत से इसके तहत 1.51 लाख हैक्टेयर में वनरोपण तथा पौधों के वितरण, नमी-संरक्षण व नई नर्सरियों की स्थापना के कार्य सम्पन्न किए गए हैं ।**

क्षेत्रीय विकास के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम

(5) कन्दरा-सुधार कार्यक्रम (Ravine Reclamation Programme) एवं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम—यह कार्यक्रम 1987-88 में लागू किया गया था ताकि कन्दराओं या बीहड़ों का फैलाव आस-पास के उपजाऊ कृषिगत क्षेत्रों में न हो सके । इसका एक उद्देश्य यह भी है कि बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन-क्षमता वापस प्राप्त की जा सके । वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के दस्यु संभाव्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है जिनमें निम्न 8 जिले आते हैं—कोटा, बूँदी, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, करौली, भरतपुर तथा धौलपुर । इसे डांग-क्षेत्र कहते हैं । यह 100 प्रतिशत केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम है । इसमें

वृक्षारोपण व परिधि-बाँध बनाने (Peripheral Bunding) के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। झालावाड़, धौलपुर, सवाई माधोपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में समन्वित विकास कार्यक्रम चलाने की योजना है। पहले परिधि-बाँध बनाने व वृक्षारोपण पर बल दिया गया था। **राज्य सरकार ने 1995-96 से डाँग क्षेत्र विकास स्कीम लागू की है।** यह 8 जिलों की 332 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है। 1999-2000 में विभिन्न विकास कार्यों पर दिसम्बर 2000 तक 1 18 करोड़ रु व्यय किए गए थे। सरकार ने डांग-प्रदेश-विकास-बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है ताकि इस प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जा सके। डांग-क्षेत्र-विकास स्कीम में मूलत: **आधार-ढाँचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।**

(6) मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना *(Mewat Regional Development Project)*—यह कार्यक्रम मेव जाति के लोगों के लिए बनाया गया है। **राजस्थान सरकार ने फरवरी, 1987 में मेवात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की थी ताकि अलवर व भरतपुर जिलों के मेवात क्षेत्रों का विकास किया जा सके।** इसमें अलवर जिले की निम्न 7 पंचायत समितियों (तिजारा, रामगढ़, किशनगढ़ बास, लक्ष्मणगढ़, मंडावर, उमरैन तथा कठूमर) तथा भरतपुर जिले की 3 पंचायत समितियाँ (कामाँ, नगर व डीग) शामिल की गई हैं। यह कार्यक्रम अलवर व भरतपुर की जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर स्पेशल स्कीम व एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सचिव द्वारा इस कार्यक्रम की प्रशासनिक, वित्तीय व मोनिटरिंग की व्यवस्था की जाती है।

इसमें निम्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं—

(1) सड़क-निर्माण, (2) सिंचाई, (3) पेयजल, (4) अन्य कार्य तथा (5) प्रशासन।

1995-96 मे इसके लिए 2 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। 1996-97 में डाँग-क्षेत्र व मेवात-क्षेत्र (क्रम संख्या 5 व 6) दोनों पर कुल 7 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया था जो पिछले वर्ष के समान था। यह धनराशि सड़क निर्माण, सिंचाई व पेयजल के कार्यों पर व्यय के लिए रखी गयी थी। 2003-04 में 144 कार्यों को 2 85 करोड़ रु. के व्यय से पूरा किया गया था।

इस प्रकार राजस्थान में कई प्रकार के स्पेशल क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरु क्षेत्रों एवं मेवात क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके। इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा, गरीबी कम होगी और लोगों के जीवनस्तर में सुधार आएगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इन कार्यक्रमों पर किए गए व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए और साथ में इनको विकास की व्यापक योजनाओं का प्रभावशाली अंग बनाया जाए। हमें यह ध्यान रखना होगा कि विशेष क्षेत्रीय

विकास कार्यक्रम नियोजित विकास की मुख्य धारा से कटे हुए न हों, बल्कि इनमें परस्पर गहरा तालमेल हो, तभी इनकी दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित हो पाएगी।

(7) व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम (Wasteland Development Programme) (WDP)—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, सीकर, अजमेर, जैसलमेर व पाली (10 जिलों) में 16 प्रोजेक्टों पर 45 करोड़ रु. की लागत से 63 हजार हैक्टेयर भूमि में पिछले पाँच वर्षों में व्यर्थ भूमि के विकास के कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 6 प्रोजेक्टों की 37700 हैक्टेयर भूमि में विकास-कार्य सम्पन्न हुए हैं, और 1998-99 में 8 प्रोजेक्ट भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गए थे। **भारत सरकार ने व्यर्थ भूमि की समस्या के हल के लिए वर्ष 1985 में व्यर्थ भूमि-विकास-बोर्ड का गठन किया था।**

(8) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme) (BADP)—यह कार्यक्रम बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर के 4 जिलों के 13 विकास-खण्डों में **1993-94 से कार्यान्वित किया जा रहा है।** ये जिले राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इनमें सुरक्षा के लिए आधार-ढाँचे के विकास पर पुलिस, सीआईडी, सीमा-सुरक्षा-बल (BSF) व होमगार्ड, आदि विभागों के जरिए सामाजिक-आर्थिक प्रगति के कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों में पब्लिक वर्क्स, विद्युत, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भेड़ व ऊन, शिक्षा, पशुपालन, मानवीय साधनों के विकास, आदि के कार्य शामिल किए गए हैं। 2003-04 में 43.73 करोड़ रु. के व्यय से 715 कार्य पूरे किये गये थे।

ग्रामीण विकास के अन्य कार्य जिनसे क्षेत्रीय विकास में मदद मिलती है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme, MNP)—यह कार्यक्रम सीमित साधनों व विकास के लिए आवश्यक मूलभूत न्यूनतम आधार-ढाँचे (infrastructure) के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह सर्वप्रथम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसमें निम्न कार्यक्रम शामिल हैं—

(1) ईंधन की लकड़ी व चारा स्कीम, (2) ग्रामीण विद्युतीकरण, (3) ग्रामीण सड़कें, (4) प्रारम्भिक शिक्षा, (5) प्रौढ़ शिक्षा, (6) ग्रामीण स्वास्थ्य, (7) ग्रामीण जल-पूर्ति, (8) ग्रामीण सफाई, (9) ग्रामीण आवास, (10) शहरी गंदी-बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार, (11) पोषण तथा (12) खाद्य व नागरिक आपूर्ति।

इस प्रकार इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जीवन की सुविधाएँ पहुँचाने का लक्ष्य सर्वोपरि माना गया है।

1995-96 की योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर व्यय हेतु लगभग 497 करोड़ रु. प्रस्तावित किए गए थे। इस राशि में से सर्वाधिक राशि 157 करोड़ रु. प्रारम्भिक शिक्षा पर तथा ग्रामीण जलपूर्ति पर 102 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान किया गया था। इस कार्यक्रम में ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण स्वास्थ्य व ग्रामीण विद्युतीकरण पर भी काफी बल दिया जाता है।

1995-96 में 300 गाँवों को बिजली देने तथा 5100 कुओं को शक्तिचालित करने का कार्यक्रम रखा गया था। 5 हजार हैक्टेयर में बागान लगाने का कार्यक्रम था, ताकि ईंधन की लकड़ी व चारे की सप्लाई बढ़ सके। 14617 गाँवों को सड़कों से जोड़ने, शिक्षा का विस्तार करने, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए 8 हजार उपकेन्द्र, 1596 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 256 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के कार्यक्रम रखे गए थे। आशा की गई थी कि इससे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिलेगी।[1]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme, IRDP)—**यह निर्धनता-उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है।** *राज्य में यह 1978-79 में प्रारम्भ किया गया था। यह एक केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम (CSS)* है। इसका व्यय केन्द्र व राज्यों के बीच समान रूप से बाँटा जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए गरीब परिवारों को दुधारू पशु (गाय, भैंस, भेड़, बकरी) बैलगाड़ी, सिलाई की मशीनें, हथकरघा, आदि साधन प्रदान करने के लिए सरकार अनुदान (Subsidy) देती है तथा बंकों से कर्ज दिलवाने को व्यवस्था करती है। यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर गरीब परिवार व व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पाएँगे क्योंकि इस कार्यक्रम से स्वरोजगार (Self-employment) के अवसर उत्पन्न होते हैं तथा सहायता-प्राप्त व्यक्तियों की आमदनी बढ़ती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों को कोई परिसम्पत्ति (asset) दी जाती है ताकि वे उसका उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें और गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें।

इस कार्यक्रम का लाभ लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों, खेतिहर श्रमिकों, गैर-कृषक श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राप्त होता है तथा इसके अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों व बिना जीविकोपार्जन के साधन वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति—यह 1978-79 में राजस्थान के चुने हुए 112 खण्डों में लागू किया गया था और 2 अक्टूबर, 1980 से राज्य के सभी खण्डों में फैला दिया गया। इससे लघु व सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, गाँव के गरीब कारीगरों व दस्तकारों तथा पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को कुछ सीमा तक लाभ पहुँचा है।

कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर 1990-91 के अन्त तक 17 62 लाख परिवार (छठी योजना में 7 1 लाख परिवार) लाभान्वित हुए हैं। इनमें अनुसूचित जाति के 6 27 लाख परिवार, अनुसूचित जनजाति के 3 21 लाख परिवार तथा 1 69 लाख महिलाएँ शामिल थीं। सरकारी सब्सिडी के अलावा वित्तीय संस्थाओं से लगभग 445 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में उपलब्ध कराए गए थे।

राजस्थान में इस कार्यक्रम पर 1987-88 व बाद में प्रति वर्ष लगभग 33-35 करोड़ रु व्यय किए गए, जिससे काफी परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य में 1977 में गरीबों के

---

1 Draft Annual Plan 1995-96 Table VIII pp 8 1 to 8 5

कल्याण के लिए अन्त्योदय योजना लागू की गई थी, जिसके आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था।

1995-96 के लिए इस कार्यक्रम पर धनराशि लगभग 61 50 करोड़ रुपये रखी गई ताकि 1 08 लाख परिवारों को लाभ पहुँचाया जा सके। इसमें राज्य सरकार का अंश आधा 30 75 करोड़ रु रखा गया। 1996-97 में भी इसके अन्तर्गत 1 08 लाख परिवारों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया जिसे बढ़ाकर 1997-98 के लिए 1 10 लाख परिवार किया गया। **पहले निर्धनता की रेखा से नीचे (BPL) के परिवार की वार्षिक आमदनी 11,000 रु. आंकी जाती थी जिसे बाद मे 1997-98 से बढ़ाकर 20,000 रु. किया गया है।** कार्यक्रम पर प्रति परिवार विनियोग की मात्रा भी बढ़ा कर 20,000 रु कर दी गई जो 1996 97 में 18,700 रु थी। 1998-99 में इस कार्यक्रम से दिसम्बर 1998 के अन्त तक 31,842 परिवार लाभान्वित हुए जिन्हें सब्सिडी के बतौर 23 59 करोड़ रु व कर्ज के रूप में 73 63 करोड़ रु उपलब्ध कराए गए।[1]

कार्यक्रम की कमियाँ तथा उनको दूर करने के लिए सुझाव

***(i)* गैर-गरीब परिवारों का चुनाव**—1984 मे विकास अध्ययन संस्थान, (IDS) जयपुर ने जयपुर जिले मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों का अध्ययन किया था तथा जोधपुर जिले मे नाबार्ड के मार्फत सर्वेक्षण किया गया था। इनसे प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। जयपुर जिले में 14 7% तथा जोधपुर जिले में 21 4% परिवार ऐसे गरीब मान लिए गए जो वास्तव में गरीब नहीं थे। जयपुर के सर्वेक्षण से पता चला कि 54% कर्ज लेने वालों ने अपने पशु बेच दिए, अथवा उनके पशु मर गए। उन्हें चारे की कमी का सामना करना पड़ा। भेड़-बकरी के सम्बन्ध में स्थिति बहुत खराब रही। केवल 18% कर्ज लेने वाले ही गरीबी की रेखा पार कर पाए थे। इस प्रकार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ सीमित रही हैं। सरकारी आँकड़ों में जिन उपलब्धियों का दावा किया गया है उनका आधार कार्यक्रम पर व्यय की राशि व लाभान्वित परिवारों की संख्या होती है, जो पूर्णतया सही नहीं मानी जा सकती।

***(ii)* कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हुआ है।** गरीब परिवारों के चुनाव व उनके लिए कार्यक्रमों का चुनाव में बैंकों की भूमिका नगण्य रही है। कार्यशील पूँजी का अभाव पाया गया है। लक्ष्यों के निर्धारण में गरीबों के साधनों, अवसरों व क्षमताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है।

(iii) कई मामलों में सब्सिडी का दुरुपयोग भी हुआ है। दुधारू पशु-विशेषतया भैंस देने का विषय काफी चर्चा का विषय रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य शिकायत यह रही है कि कोरी कागजी कार्यवाही करके सब्सिडी की राशि प्राप्त कर ली गई तथा वास्तविक उपलब्धि कम रही।

---

1 Economic Review 1998-99, p 52

(iv) बहुत गरीब लोग बहुधा परिसम्पत्ति (Asset) को नहीं संभाल पाते। वे मजदूरी पर रोजगार करना ज्यादा पसंद करते हैं।

(v) लाभान्वित परिवारों के लिए विपणन की सुविधाओं का अभाव रहा है जिससे वे अपना माल बेच पाने में कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में निम्न परिवर्तन किए गए थे

(i) जो लोग पहले गरीबी की रेखा से ऊपर उठ नहीं सके, उनको सहायता की दूसरी किस्त (Second dose) दी गई, *(ii)* महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 30% का लक्ष्य रखा गया *(iii)* प्रति परिवार विनियोग बढ़ाया गया, *(iv)* निर्धनता की मात्रा व प्रभाव के अनुसार दृष्टिकोण में समरूपता के स्थान पर चुनाव का तरीका अपनाया गया ताकि सबसे ज्यादा गरीबों को पहले व अधिक मात्रा में मदद मिल सके। *(v)* जनता के प्रतिनिधियों व ऐच्छिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाई गई, *(vi)* साथ-साथ कार्यक्रम के मूल्यांकन की प्रणाली जारी की गई तथा *(vii)* सभी स्तरों पर प्रशासनिक ढाँचे को मजबूत किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में इस कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न दिशाओं में प्रयास करने के सुझाव दिए गए—

(अ) प्रति परिवार विनियोग की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

(ब) केवल गरीब परिवारों का ही चुनाव हो सके, इसके लिए चुनाव की विधि अन्त्योदय कार्यक्रम के अनुसार अपनाई जाएगी जिसमें गरीबों का चुनाव ग्राम सभाओं व लोगों की आम सलाह से करने का प्रयास किया जाएगा।

(स) लाभान्वित परिवारों को विभिन्न विकास-विभागों से जोड़ा जाएगा ताकि वे आगे-पीछे की कड़ियों (Forward and backward linkages) के लाभ भी प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, दुधारू पशु लेने वालों के लिए चारे की व्यवस्था करनी होगी तथा पशु-चिकित्सा का लाभ उन तक पहुँचाना होगा (Backward linkages), और दूसरी तरफ उनके दूध की बिक्री की समुचित व्यवस्था (Forward linkages) करनी होगी ताकि वे उचित आमदनी प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम में इस प्रकार की आगे-पीछे की कड़ियों के गायब रहने से स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है।

ट्राइसम—ग्रामीण युवावर्ग को स्वरोजगार में प्रशिक्षण देने की स्कीम 1979 में शुरू *की गई थी। यह IRDP के अन्तर्गत ही चलाया जाता है। इसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष के* व्यक्तियों को काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाद में वे अपने रोजगार में लगने का प्रयास करते हैं। 1995-96 में ट्राइसम पर कुल **14 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया था जिसमें आधी राशि राज्य सरकार की थी।** इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है। 1995-96 में इसको मिलाकर IRDP पर कुल 75.50 करोड़ रु व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें राज्य का अंश भी शामिल था।

राज्य में रोजगार बढ़ाने पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है । 1995-96 में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों; जैसे—मरु-विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, नेहरू रोजगार योजना, वाटरशेड विकास, आदि पर 1158 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान किया गया था ताकि राज्य में 15 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया जा सके । यह राशि पिछले वर्ष के 365 करोड़ रु से काफी अधिक रखी गई थी (बजट-भाषण) । 1996-97 में ग्रामीण रोजगार की योजनाओं व कार्यक्रमों पर 570 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित किया गया ताकि 11 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया जा सके (बजट-भाषण) । **1997-98 में जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना, 30 जिला 30 काम योजना, निर्बन्ध राशि योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, ग्रामीण विकास केन्द्र-योजना आदि रोजगारोन्मुख योजनाओं के माध्यम से गाँवों के आधारभूत ढाँचे के विकास पर विशेष बल दिया गया । पक्के निर्माण कार्यों में भविष्य में सामग्री व श्रम का अनुपात 50 : 50 स्वीकृत करने का निर्णय किया गया ।** इस प्रकार राज्य सरकार क्षेत्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर रही है ।

नया कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)

1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार ने एक नया कार्यक्रम SGSY प्रारम्भ किया है जिसमें अब तक के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), ट्राइसम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास (DWCRA), ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक औजारों की सप्लाई (SITRA), गंगा-कल्याण-योजना (GKY) व मिलियन कुओं की स्कीम (MWS) एक नए प्रोग्राम में मिला दिए गए हैं, जिसका नाम SGSY रखा गया है ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धनों के लिए टिकाऊ आय की व्यवस्था करना है । इसके लिए माइक्रो-उपक्रमों की स्थापना की जाएगी । **इस कार्यक्रम में 50% लाभ SC/ST वर्ग के लोगों के लिए 40% लाभ महिलाओं के लिए तथा 3% लाभ शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे जाएँगे । अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ब्लॉक में 30% ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है । लेकिन यह कोषों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।**

ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा 'पंचायती राज व ग्रामीण विकास' के स्वतंत्र अध्याय में की जाएगी ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से क्रियान्वित किया जा रहा है ?
   (अ) 1995-96 से (ब) 1985-86 से
   (स) 1993-94 से (द) 1987-88 से (अ)
2. निम्न में से कौनसा क्षेत्रीय कार्यक्रम सबसे ज्यादा जिलों में लागू है ?
   (अ) मेवात क्षेत्र विकास कायक्रम (ब) व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम
   (स) डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम (द) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
   [(ब), 10 जिलों में]
3. राज्य में सबसे पहले चालू किए जाने वाले क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को छाँटिए—
   (अ) मरु-विकास कार्यक्रम (ब) सूखा-सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम
   (स) डांग क्षेत्र विकास स्कीम (द) व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम
   [(ब), 1974-75 में]
4. कौनसा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम वाटरशेड क्षेत्र विकास-कार्यों पर आधारित है ?
   (अ) मरु विकास कार्यक्रम
   (ब) व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम
   (स) मरु विकास कार्यक्रम तथा सूखा-सम्भाव्य-क्षेत्र-कार्यक्रम
   (द) सूखा-सम्भाव्य-क्षेत्र-कार्यक्रम (स)
5. मेवात-क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम फैला है कितने जिलों में ?
   (अ) चार (ब) एक
   (स) दो (द) तीन (स)
6. स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) में कौन-से कार्यक्रम मिलाए गए हैं ?
   (अ) IRDP व TRYSEM (ब) SITRA
   (स) GKY व MWS (द) सभी (द)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान में सूखा-संभाव्य क्षेत्र विकास-कायक्रम का विवेचन कीजिए । इसको भविष्य में कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है ?
2. राज्य में मरुक्षेत्र विकास-कार्यक्रम से क्या लाभ होता है ? इस कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए ।
3. राजस्थान में जनजाति विकास के लिए सरकारी प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए । इस सम्बन्ध में जनजाति-उपयोजना की भूमिका स्पष्ट कीजिए ।

4. 'अरावली विकास' का क्या महत्त्व है ? इसके सम्भावित लाभों पर प्रकाश डालिए और यह बतलाइए कि कार्यक्रम के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ?
5. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान में सूखा-संभाव्य-क्षेत्र कार्यक्रम,
   (ii) अरावली विकास की परियोजना,
   (iii) रेगिस्तान के बढ़ते चरणों को रोकने की विधि,
   (iv) मेवात विकास,
   (v) कन्दरा-विकास-कार्यक्रम या डांग क्षेत्र विकास-कार्यक्रम,
   (vi) राज्य में विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव, तथा
   (vii) मरु-विकास-कार्यक्रम
   (viii) समन्वित ग्रामीण-विकास कार्यक्रम (IRDP)
6. राजस्थान में विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएँ एवं कार्यक्रमों की विवेचना करें। ये कार्यक्रम किस सीमा तक लाभदायक सिद्ध हुए ?
7. राजस्थान में चलाए जा रहे विभिन्न विशेष क्षेत्र 'कार्यक्रमों की प्रकृति एवं प्रगति' की समीक्षा कीजिए।
8. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए—
   (i) सूखा संभाव्य सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम,
   (ii) मरु विकास कार्यक्रम,
   (iii) जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।

राजस्थान में आर्थिक नियोजन
(Economic Planning in Rajasthan)

> **"जनसाधारण की अपेक्षाओं को सुलभता से पूर्ण कर जन-विश्वास का पुनर्स्थापन हमारी योजनाओं तथा शासन प्रणाली का प्रमुख अंग होगा जिससे नीति और क्रियान्विति के बीच की दूरी को कम किया जा सके । हमने विभिन्न विकल्पों पर विचार कर पाँच वर्ष के विकास की रूपरेखा तैयार की है जो हमारे 'विजन डॉक्यूमेंट' में परिलक्षित होती है ।"**
>
> **—मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, बजट भाषण, 12 जुलाई, 2004, पृ. 6.**

नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान की आर्थिक स्थिति

राजस्थान 'एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश' माना गया है । राज्य में वर्षा का औसत काफी कम रहता है और राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भागों में बहुत कम वर्षा होने एवं थार का रेगिस्तान पाए जाने के कारण आर्थिक विकास में काफी कठिनाइयाँ आती हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी । 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 33 8 लाख टन हुआ था और 1951-52 में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 27% भाग ही शुद्ध जोता-बोया गया क्षेत्र (Net area sown) था । उस समय सकल सिंचित क्षेत्रफल 11 71 लाख हैक्टेयर था, जो सकल क्षेत्रफल का केवल 12% अंश था ।

राज्य में बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का बड़ा अभाव पाया जाता था । 1950-51 **के अंत में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता केवल 13 मेगावाट ही थी और 42 ग्रामों को ही बिजली मिली हुई थी ।** केवल 17,399 किलोमीटर में सड़कें थीं । सड़क, पानी व बिजली के अभाव में राज्य में बड़े पमाने के उद्योगों का विकास संभव नहीं था ।

राज्य शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओं की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा हुआ था । 1950-51 के अन्त में 6-11 वर्ष की उम्र के बच्चों में स्कूल जाने वालों का अनुपात 16 6%, 11-14 वर्ष की उम्र वालों में 5 4% एवं 14 17 वर्ष की उम्र वालों में मात्र 1 8% ही था । इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का भी पता लगता है । 1950-51 के अन्त में

अस्पताल में रोगियों के बिस्तरों की संख्या केवल 5,720 थी। परिवार नियोजन केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) की स्थापना ही नहीं हुई थी। अस्पतालों व दवाखानों की संख्या भी बहुत सीमित थी। उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थाएँ केवल 418 ही थीं तथा प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सा संस्थाएँ केवल 3 थीं।

इस अध्याय में हम नियोजित विकास के 53 वर्षों (1951-2004) की प्रगति का वर्णन करेंगे। विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए व्यय पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

राजस्थान में नियोजित विकास के पाँच दशक

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजस्थान का निर्माण 19 छोटे-छोटे राज्यों व तीन चीफशिपों के एकीकरण से हुआ था। ये राज्य आकार, जनसंख्या, राजनीतिक महत्व, प्रशासनिक कुशलता व आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी भिन्न व असमान स्तर वाले थे। एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से प्रारम्भ होकर 1956 में पूरी हुई थी। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय राज्य एकीकरण की समस्याओं में उलझा हुआ था। उस समय राज्य में भावी विकास का अनुमान लगाने के लिए आधारभूत आँकड़ों का भी नितान्त अभाव पाया जाता था।

तालिका 1

	प्रस्तावित व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)	वास्तविक व्यय की राशि (करोड़ रुपयों में)
प्रथम योजना	64.5	54.1
द्वितीय योजना	105.3	102.7
तृतीय योजना	236 0	212.7
वार्षिक योजनाएँ (1966-69)	132.7	136.8
चतुर्थ योजना	306.2	308.8
पंचम योजना	847.2	857.6
वर्ष 1979-80 योजना	275.0	290.2
छठी योजना (1980-85)	2,025	2,130 7
सातवीं योजना (1985-90)*	3,000	3,106.2
1990-91	956	975.6
1991-92	1,166	1,178.4
आठवीं योजना (1992-97)	11,500	11,999
नवीं योजना (1997-2002)	27650 (पूर्व मे प्रस्तावित)	19836.5
2002-03*	4370.8	4431.1
2003-04	5504 5	6044.4
2004-05	7031.4 (योजना आयोग से स्वीकृति लेनी है)	(योजना-जारी)

राजस्थान में विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तावित व्यय तथा वास्तविक व्यय की राशियाँ पूर्व तालिका में दी गई हैं—

तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की राशि 54 करोड़ रुपये से बढ़कर द्वितीय योजना में 103 करोड़ रुपये, तृतीय योजना में 213 करोड़ रुपये, 1966-69 के तीन वर्षों में 137 करोड़ रुपये व चतुर्थ योजना में 309 करोड़ रुपये हो गई थी। पाँचवीं योजना की अवधि में वास्तविक व्यय की राशि 858 करोड़ रुपये रही थी।

1979-80 की वार्षिक योजना मे 290 करोड़ रुपये व्यय हुए। छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड़ रुपये रखा गया था, जबकि वास्तविक व्यय लगभग 2131 करोड़ रुपये का रहा।

सातवीं योजना का आकार 3000 करोड़ रुपये रखा गया था जो छठी योजना से लगभग 48 प्रतिशत अधिक था लेकिन इस योजना में वास्तविक व्यय लगभग 3106 करोड़ रुपये रहा। इसमें राहत कार्यों का व्यय भी शामिल है। 1990-91 व 1991-92 के वर्ष वार्षिक योजनाओं के वर्ष रहे। इनमें क्रमशः लगभग 976 करोड़ रु व 1178 करोड़ रु व्यय किए गए।

आठवीं योजना (1992-97) में प्रस्तावित व्यय की राशि 11,500 करोड़ रुपये रखी गई थी, जो सातवीं योजना के 3,000 करोड़ रुपये के मुकाबले 3.83 गुनी थी। आठवीं योजना में वास्तविक व्यय की राशि के 11,999 करोड़ रु दर्शाई गई है, जो लक्ष्य से थोड़ी अधिक है। **नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) का आकार पूर्व सरकार द्वारा 27,650 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का लगभग अढ़ाई गुना तथा सातवीं योजना के नौ गुने से भी अधिक था।** 1997-98 की वार्षिक योजना पर परिव्यय 3500 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था जबकि वास्तविक व्यय 3987.4 करोड़ रु. किया गया। 1998-99 के लिए योजना 4300 करोड़ रु. की स्वीकृत कराई गई थी, लेकिन साधनों की कमी के कारण वास्तविक व्यय 3833 करोड रु. दर्शाया गया है। **वर्ष 1999-2000 की योजना का अन्तिम आकार 3855 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय मात्र 3685 करोड़ रु. हो पाया।** वर्ष 2000-2001 में योजना का व्यय 3697.7 करोड़ रुपये तथा 2001-2002 के लिए लगभग 4219 करोड़ रुपये हुआ है। 2002-03 की वार्षिक योजना पर व्यय 4431 करोड़ रु. आंका गया है, जो प्रस्तावित व्यय से कम है, क्योंकि कुछ राशि योजना कोषों से अकाल सहायता की तरफ हस्तान्तरित की गयी थी। 2003-04 की योजना पर 6044 करोड़ रु. का व्यय हुआ है जो प्रस्तावित व्यय से काफी अधिक है। दसवीं योजना (2002-07) का आकार **(चालू कीमतों पर) 31,832 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। 2001-2002 की कीमतों पर यह 27318 करोड़ रुपये है।**

आगे तालिका 2 मे विभिन्न योजनाओं मे सार्वजनिक व्यय का विभिन्न मदों पर आवंटन दर्शाया गया है। **इसमे हमने वास्तविक व्यय के आवंटन को ही लिया है।**

तालिका 2. योजनाओ में सार्वजनिक व्यय की स्थिति[1] (कुल वास्तविक व्यय प्रतिशत में)

	विकास का शीर्षक	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	तीन वार्षिक योजनाएँ	चतुर्थ योजना	पंचम योजना	1979–80	छठी योजना 80–85	सातवीं योजना 85–90	1990–91	1991–92	आठवीं योजना 1992–97 (वास्तविक)	नवीं योजना (1997–2002) (सम्भावित व्यय)
1	कृषि व सहायक कार्यक्रम	6.6	11.0	11.3	10.4	8.2	9.3	17.6	10.2[2]	11.9	13.6	15.4	16.8	14.7
2	सहकारिता व सामुदायिक विकास	6.0	14.0	8.0	0.7	2.7	1.8	1.6	1.2	1.3	1.2	1.3		
3	सिंचाई व शक्ति	58.3	33.2	54.4	68.3	58.4	57.2	54.8	52.6	51.9	46.4	47.9	42.4	38.3
4	उद्योग व खनन	0.8	3.3	1.4	1.5	2.6	4.0	4.1	3.9	4.7	9.1	5.3	5.3	3.3
5	परिवहन संचार व पर्यटन	10.3	9.8	4.7	3.2	3.2	9.8	7.8	11.8	4.6	4.3	5.0	7.2	9.9
6	सामाजिक सेवाएँ	16.9	23.6	19.7	15.8	24.0	17.4	13.7	19.8	23.7	22.8	23.3	25.8	32.3
7	विविध*	1.1	1.1	0.5	0.1	0.9	0.5	0.4	0.5	1.9	2.6	1.8	2.5	1.5
		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	वास्तविक व्यय (करोड़ रु में)	54.1	102.7	212.7	136.8	308.8	857.6	290.2	2130.7	3106.2	975.6	1178.5	11999.0	**19836.5**

1. आय-व्यय अध्ययन, राजस्थान 2003-2004, पृ. 48-52.
2. इसमें कृषि सम्बद्ध सेवाएँ, ग्रामीण विकास व स्पेशल क्षेत्रीय कार्यक्रम का व्यय शामिल है। 1991-92 के बाद सहकारिता पर प्रस्तावित व्यय श्रेणी-1 (कृषि व सहायक कार्यक्रम) में शामिल किया गया है।

* इसमें वैज्ञानिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ व सामान्य सेवाएँ शामिल हैं।

तालिका से स्पष्ट होता है कि **राजस्थान की आर्थिक योजनाओ में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई व शक्ति को दी गई है जो उचित मानी जा सकती है** । प्रथम योजना में कुल व्यय का 58 3% सिंचाई व शक्ति पर व्यय किया गया था, जो सातवीं योजना में लगभग 52% रहा । आठवीं योजना में यह 42 4% रहा । कृषि, सहकारिता व ग्रामीण विकास पर प्रथम योजना मे लगभग 13% व्यय हुआ, जो सातवीं योजना मे 13 2% व आठवीं योजना में 14 7% रहा । राज्य सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, चिकित्सा जल सप्लाई) की दृष्टि से भी काफी पिछड़ा रहा हे । अत: इसके विकास को भी ऊँची प्राथमिकता दी गई है । प्रथम योजना के कुल व्यय के 17% से प्रारम्भ करके सातवीं योजना में इसे 24% तक पहुँचा दिया गया। नवीं योजना मे यह 32 3% रहा। **इस प्रकार राजस्थान ने एक तरफ सिंचाई व विद्युत के विकास को प्राथमिकता दी और दूसरी तरफ इसने जन-कल्याण के लिए सामाजिक सेवाओ के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता दी।**

योजना के पाँच दशको में विभिन्न पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं में सार्वजनिक व्यय के आवटन का अध्ययन करने से पता चलता है कि सभी योजनाओं की प्राथमिकताएँ लगभग एक-सी रही हैं । सातवीं योजना तक सार्वजनिक व्यय का लगभग आधा भाग सिचाई व शक्ति पर तथा 1/5 भाग सामाजिक सेवाओ पर व्यय किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद नवीं योजना मे सिंचाई व शक्ति पर लगभग 38 3% तथा सामाजिक सेवाओ पर लगभग 32 3% व्यय किया गया । **इस प्रकार व्यय का प्रतिशत सिंचाई व शक्ति पर कुछ कम हुआ है और सामाजिक सेवाओं पर कुछ बढ़ा है । 2004-05 की वार्षिक योजना में पुन: सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है** । इस प्रकार आज भी राजस्थान के नियोजन मे इन दोनो क्षेत्रो का ही वर्चस्व बना हुआ हे । **दसवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का आकार 31,832 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसका अधिकांश भाग आर्थिक व सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर व्यय किया जाएगा ।**

राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य
(Objectives of Planning in Rajasthan)

राजस्थान में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के मूलभूत उद्देश्य इस प्रकार रहे हैं—

(i) अर्थव्यवस्था को विकास की दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, *(ii)* पहले से सृजित विकास की सम्भावनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करना, *(iii)* समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, *(iv)* सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास के ढाँचे में मूलभूत सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध करना एवं *(v)* रोजगार के अवसर बढ़ाने व प्रादेशिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य को भी पंचवर्षीय योजनाओं में ऊँचा स्थान दिया गया है ।

समस्त देश की भाँति राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में भी परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। **राजस्थान की पंच-वर्षीय योजनाओं के उद्देश्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के ही अनुकूल रहे हैं।**

प्रथम पंचवर्षीय योजना के मोटे तौर पर उद्देश्य इस प्रकार थे—कृषिगत उत्पादन व सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, पावर के साधनों व मूलभूत सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने के लिए शिक्षा, दवा व जल-पूर्ति की व्यवस्था को बढ़ाना।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई, शक्ति व सामाजिक सेवाओं पर बल जारी रहा लेकिन सिंचाई व शक्ति पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के विकास पर जोर दिया गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना में सिंचाई व शक्ति की परियोजनाओं पर बल जारी रहा, लेकिन राज्य के औद्योगिक व खनन विकास तथा सामाजिक सेवाओं की प्रगति पर भी ध्यान दिया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र-विकास (Area development) की अवधारणा पर बल दिया गया। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई। राज्य में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र, डेयरी विकास व कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का संचालन प्रारम्भ किया गया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के विकेन्द्रित नियोजन को प्राथमिकता दी गई। समाज के कमजोर वर्गों जैसे लघु व सीमान्त कृषक, खेतिहर मजदूरों, कृषि-श्रमिकों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) चलाया गया। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया जाने लगा।

छठी पचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन के माध्यम से तीव्र गति से ग्रामीण विकास करने पर ध्यान दिया गया। इसके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) पर जोर दिया गया। नये बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने पर बल दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए 'स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना' बनाई गई ताकि उनको लाभान्वित किया जा सके। बिखरी जनजातियों के लिए संशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण (Modified Area Development Approach), (MADA) अपनाया गया जो जनजाति उप-योजना के अलावा स्वीकृत कार्यक्रम था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की सातवीं योजना के उद्देश्यों जैसे, रोजगार-संवर्द्धन, निर्धनता-उन्मूलन व असमानता में कमी, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, सामाजिक उपभोग जैसे शिक्षा, चिकित्सा के ऊँचे स्तर प्राप्त करना, लघु परिवार नॉर्म लागू करना, उत्पादन-क्षमता का गहरा उपयोग करना, उद्योगों के आधुनिकीकरण, ऊर्जा-संरक्षण,

पर्यावरण व परिवेश की सुरक्षा तथा विकेन्द्रित नियोजन के अलावा निम्न चार उद्देश्यों पर पृथक् से जोर दिया गया—

(i) राष्ट्रीय व राज्य की आय के औसतों के अन्तरों को कम करना,
(ii) राष्ट्रीय आय में 5% वृद्धि-दर के स्थान पर राज्य की अर्थव्यवस्था में 8% वार्षिक वृद्धि-दर प्राप्त करना,
(iii) राज्य की भौगोलिक व धरातल की बनावट को देखते हुए क्षेत्र-विशेष के कार्यक्रम जैसे मरु प्रदेश का कार्यक्रम लागू करना, तथा
(iv) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) व बीस सूत्री कार्यक्रम (TPP) पर जोर देना।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्देश्यों व राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया गया -

(i) विकास की गति को तेज करना,
(ii) रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना,
(iii) निर्धनता व प्रादेशिक असमानताओं में काफी कमी करना,
(iv) मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा
(v) लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। योजना में ग्रामीण पक्ष पर अधिक बल देकर विकास की गति को तेज करने तथा प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करने की नीति अपनाई गई।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में निम्न को शामिल किया गया : जनसंख्या की वृद्धि-दर को कम करना तथा चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा करना ताकि लागत व समय निर्धारित सीमा से अधिक न हो जाए। साथ में कृषिगत आधार को अधिक व्यापक बनाने पर बल दिया गया और इसके लिए बागवानी, पशुपालन, मछली पालन व एग्रो-प्रोसेसिंग, आदि क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।

राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना का स्वरूप केन्द्र की नवीं पंचवर्षीय योजना के अनुरूप होगा। इसमें निम्न उद्देश्यों पर बल दिया जाएगा[1] –

(i) कृषि, सिंचाई व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना ताकि उत्पादक रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में विकसित हो सकें और निर्धनता का उन्मूलन किया जा सके, *(ii)* सभी को खाद्य व पोषण की सुरक्षा प्रदान करना; *(iii)* मूलभूत न्यूनतम सेवाएँ उपलब्ध कराना, *(iv)* जनसंख्या की वृद्धि-दर को नियन्त्रित करना; *(v)* पर्यावरण की रक्षा करना, *(vi)* महिलाओं व समाज के कमजोर वर्गों को अधिक अधिकार देना तथा *(vii)* विकास में *आत्म-निर्भरता व स्वदेशी* पर जोर देना।

इस प्रकार राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में समयानुकूल परिवर्तन होते रहे हैं।

---

1 देखिए नवीं पंचवर्षीय योजना पर एक पृथक् अध्याय।

अब हम विभिन्न योजनाओं मे सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय एवं प्रगति का उल्लेख करेंगे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में आधारभूत आँकड़ों का अभाव होते हुए भी योजना की प्राथमिकताएँ बिल्कुल स्पष्ट थीं। **योजना का प्रमुख लक्ष्य सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना था,** इसलिए प्रथम योजना में भाखड़ा व अन्य महत्त्वपूर्ण सिंचाई की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था। प्रथम योजना में 64 5 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था लेकिन वास्तविक व्यय 54 1 करोड़ रुपये का हुआ, जिसका विभिन्न मदों पर वितरण पहले दिया जा चुका है।

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में कुल व्यय का 58.3% सिंचाई व शक्ति पर व्यय किया गया था। इसमें कृषित क्षेत्रफल के विस्तार एवं सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि होने के खाद्यान्नों का उत्पादन 1955-56 में 42 4 लाख टन हुआ था। सिंचित क्षेत्रफल 15 93 लाख हैक्टेयर हो गया था। शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 15 मेगावाट हो गई थी जो योजना के प्रारम्भ की तुलना में थोड़ी अधिक थी। योजना में 17% व्यय सामाजिक सेवाओं पर किया गया जिससे शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)

जब द्वितीय योजना का निर्माण किया गया तो राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से कुछ ठीक हो गई थी, इसलिए इस योजना का आकार बड़ा रखा गया। सिंचाई व शक्ति पर आवश्यक बल देना जारी रखा गया ओर इस अवधि में सिंचाई व शक्ति के बड़े कार्यक्रम भी चालू किए गए। जागीरदारी, जमींदारी, बिस्वेदारी प्रथाओं की समाप्ति से गाँवों में सामन्ती प्रथा को मिटाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए।

द्वितीय योजना में 105 3 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया था, लेकिन योजना में वास्तविक व्यय 102 7 करोड़ रुपये का हुआ, जिसका विभिन्न मदों पर प्रतिशत आवंटन पहले दिया जा चुका है।

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में कुल वास्तविक व्यय का 37.2% सिंचाई व शक्ति पर किया गया, जो प्रथम योजना की तुलना में कम था। सामाजिक सेवाओं पर लगभग 23.6% राशि व्यय की गई। उद्योग व खनन पर केवल 3.3% राशि व्यय की गई।

द्वितीय योजना में खाद्यान्नों के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता तो काफी बढ़ी, लेकिन 1960-61 में मौसम की प्रतिकूलता के कारण वास्तविक उत्पादन 45 4 लाख टन ही हुआ, जो 1955-56 के उत्पादन से थोड़ा अधिक था। अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता का वास्तविक लाभ 1961-62 में मिला, जब खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 55.7 लाख टन हो गया था। द्वितीय योजना के अन्त में सिंचित क्षेत्र 20.8 लाख हैक्टेयर हो गया था। विद्युत की प्रस्थापित क्षमता 1960-61 में 135 8 मेगावाट हो गई थी। सामाजिक सेवाओं का भी विस्तार किया गया और शहरी क्षेत्रों में जल की पूर्ति के कार्यक्रम लागू किए गए।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)

तृतीय योजना के प्रारम्भ में आर्थिक विकास के लिए आधारभूत-ढाँचा काफी सीमा तक तैयार हो गया था । सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हो जाने से गहन कृषि की पद्धतियों का उपयोग करना संभव हो गया था । शक्ति व यातायात का विकास होने से उद्योगों की स्थापना करना संभव हो गया था । तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप प्रशिक्षित व योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की अधिक उपलब्धि होने लग गई थी । इन सब बातों के कारण तृतीय योजना का आकार लगभग दुगुना रखा गया और 236 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय लगभग 213 करोड़ रुपये ही हो गया, जिसका विवरण तालिका 2 मे दिया जा चुका हे ।

उस तालिका से पता चलता है कि तृतीय योजना में सिंचाई व शक्ति पर कुल व्यय का लगभग 54 4% अंश व्यय किया गया । सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का लगभग 20% किया गया जो पहले से मात्रा की दृष्टि से काफी अधिक था । 1962 में चीनी आक्रमण के बाद समस्त राष्ट्र में कृषि के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया ओर चुने हुए क्षेत्रों में गहन विकास की नीति अपनाई गई । इसके लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम (I A D P) तथा पैकेज प्रोग्राम एव गहन कृषि कार्यक्रम (I A A P) व तीव्र प्रभाव दिखाने वाले कार्यक्रम (Crash Programmes) अपनाए गए ताकि उत्पादन मे तेजी से वृद्धि की जा सके । तृतीय योजना में काफी तनाव व दबाव की स्थिति रहने से पहले के विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त करने की नीति अपनाई गई । इसलिए चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया और पुराने लाभों को सुदृढ़ करने की दिशा में अधिक प्रयास किए गए ।

तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति

तृतीय योजना की प्रगति वित्तीय दृष्टि से तो संतोषजनक रही, लेकिन इस अवधि में बार-बार एवं व्यापक रूप से अकाल व अभाव की परिस्थितियों ने अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाले । 1963-64 व 1965-66 के अकालों की भीषणता अभूतपूर्व थी । **खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1961-62 में 55.7 लाख टन के स्तर पर पहुँच चुका था, वह 1965-66 मे केवल 38.4 लाख टन ही रह गया ।** यदि इन असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति संतोषजनक मानी जा सकती है ।

1965-66 में सिंचित क्षेत्र 20 7 लाख हेक्टेयर हो गया जो 1960-61 की तुलना में लगभग 3 2 लाख हैक्टेयर अधिक था । गाँधीसागर क्षेत्र में वर्षा के अभाव के कारण उत्पन्न गम्भीर कठिनाइयों के बावजूद शक्ति की प्रस्थापित क्षमता काफी बढ़ी । योजना के अन्त में 1,242 स्थानों में बिजली की व्यवस्था की गई । शक्ति के क्षेत्र में किए गए विनियोगों का पूरा लाभ तृतीय योजना की अवधि में नहीं मिल पाया क्योंकि सतपुड़ा, राणाप्रताप सागर व भाखड़ा (दायें भाग) की बड़ी परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हो गया था । इसके लाभ 1966-67 से आगे की अवधि में मिल सके । योजना के अंतिम वर्षों में शक्ति के

अभाव के कारण औद्योगिक विकास को धक्का पहुँचा, यद्यपि विकास का आधारभूत-ढाँचा बहुत सुधर चुका था।

सम्भवत: तृतीय योजना में सर्वाधिक लाभ सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में प्राप्त किए गए। राज्य में शिक्षा का विकास हुआ। चिकित्सा-सुविधाओं के विस्तार एवं बीमारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। योजनाकाल में तीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए और कई शहरों व गाँवों में जल-पूर्ति के कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी सुदृढ़ की गई।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69)

1965 में पाकिस्तान से संघर्ष के बाद विदेशी सहायता के सम्बन्ध में काफी अनिश्चितता की दशा उत्पन्न हो गई थी और 1965-66 व 1966-67 में लगातार दो वर्षों तक सूखा व अकाल पड़ने से विकास के लिए उपलब्ध साधनों का अभाव रहा जिससे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1966 से प्रारम्भ नहीं की जा सकी। 1966-69 की अवधि में वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वित करके नियोजन की प्रक्रिया को जारी रखा गया। इस अवधि में पुराने लाभों को बनाए रखने के लिए एवं विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयास किए गए।

खाद्य-स्थिति के जटिल होने के कारण कृषि में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम अपनाए गए। शक्ति के क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के लिए बिजली की लाइनों के निर्माण पर जोर दिया गया। साधनों के अभाव के कारण शिक्षा, चिकित्सा व सड़कों के विकास पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया जा सका। ग्रामीण जल-पूर्ति का कार्य तेजी से प्रगति नहीं कर सका।

तीन वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय लगभग 137 करोड़ रुपयों का हुआ, जिसका आवंटन तालिका 2 में दिया गया है। उस तालिका से प्रतीत होता है कि कुल व्यय का लगभग 68% सिंचाई व शक्ति पर हुआ और सामाजिक सेवाओं पर 15 8% व्यय हुआ। इस प्रकार सिंचाई व शक्ति को पहले से दी जाने वाली प्राथमिकता में और वृद्धि की गई। सामाजिक सेवाओं पर किए जाने वाले प्रतिशत व्यय में द्वितीय व तृतीय योजनाओं की तुलना में कमी हो गई। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साधनों के अभाव में इस अवधि में योजनाओं की प्राथमिकताओं में मामूली फेरबदल करना आवश्यक हो गया था।

तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में आर्थिक प्रगति

ऊपर बताया जा चुका है कि 1966-69 के तीन वर्षों में दो वर्ष 1966-67 व 1968-69 अकाल व सूखे के वर्ष रहे जिससे अर्थव्यवस्था को काफी क्षति पहुँची थी।

अनेक कठिनाइयों के बावजूद वार्षिक योजनाओं की अवधि में कुछ क्षेत्रों में प्रगति जारी रही। 1967-68 में खाद्यान्नों का उत्पादन 66 लाख टन हुआ, जबकि 1966-67 में 43.5 लाख टन हुआ था। 1968-69 में खाद्यान्नों का उत्पादन पुन: घटकर 35.5 लाख टन पर आ गया था। शक्ति की क्षमता में वृद्धि जारी रही। 1967-68 में गाँधी सागर परियोजना

के क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो जाने से पिछले वर्षों में की गई विद्युत-शक्ति की कटौतियाँ हटा ली गईं और औद्योगिक क्षेत्र में विनियोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं।

तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति जारी रही। स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ा। बीमारियों पर नियंत्रण व परिवार नियोजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। ग्रामीण जल-पूर्ति व शहरी जल-पूर्ति के कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)

राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1969 में प्रारम्भ हो गई थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। विकास के क्रम में बाधा न हो, इसके लिए वार्षिक योजनाएँ जारी रखी गईं। योजना में 306 करोड़ रुपये के व्यय का *प्रावधान किया गया था, जबकि वास्तविक व्यय 309 करोड़ रुपयों का हुआ, जिनका* आवंटन तालिका 2 में दिया जा चुका है। इस योजना में भी 58 4 प्रतिशत राशि सिंचाई व शक्ति पर व्यय की गई। सामाजिक सेवाओं पर 24 प्रतिशत व्यय हुआ, जो प्रतिशत की दृष्टि से पुनः द्वितीय योजना के स्तर पर आ गया था।

पूर्व योजना की भाँति चतुर्थ योजना में भी आर्थिक विकास की अधिकतम दर प्राप्त करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाएँ बढ़ाने तथा राजस्थान नहर व चम्बल कमाण्ड क्षेत्रों का विकास करने और गरीब लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने पर बल दिया गया था। इसके लिए चालू परियोजनाओं व कार्यक्रमों को पूरा करना आवश्यक समझा गया। योजना में सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दी गई ताकि कृषिगत विकास का आधार सुदृढ़ हो सके।

चतुर्थ योजना की उपलब्धियाँ

राज्य में चतुर्थ योजना की अवधि में प्रतिकूल मौसमों व अकालों का सामना करना पड़ा। फिर भी अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 1968-69 में 5.24 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 1973-74 में 10.54 लाख हैक्टेयर कर दिया गया। 1968-69 में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 30 हजार टन से बढ़कर 1973-74 में लगभग 74 हजार टन हो गया। 1973-74 में खाद्यान्नों का उत्पादन 67 2 लाख टन रहा जो 1970-71 के 88.4 लाख टन से काफी कम था। 1968-69 में सभी साधनों से सकल सिंचित क्षेत्रफल 21.2 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1973-74 में 26 2 लाख हैक्टेयर हो गया था।

चतुर्थ योजना की अवधि में वनस्पति तेल, सीमेंट, पावर केबल्स, सूती धागे, चीनी एवं नाइलोन के धागे के उद्योग स्थापित किए गए। बिजली की कमी व अनेक बाधाओं के बावजूद औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। राज्य में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनियोग की राशि 1966-67 में 17 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 में 100 करोड़ रुपये

हो गई थी। चतुर्थ योजना की अवधि के अन्त में झामर-कोटड़ा की खानों से प्राप्त रॉक-फॉस्फेट से 6 23 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। योजना में ताँबा, कच्चे लोहे, अभ्रक, चाँदी, सीसे व कैल्साइट का उत्पादन बढ़ा था।

राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)

राजस्थान की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप—राज्य सरकार ने जुलाई 1973 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके योजना आयोग के समक्ष पेश किया था। इसमें राज्य की योजना का आकार 635 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय की कुल राशि 858 करोड़ रुपये रही थी। यह योजना के प्रारूप में प्रस्तावित राशि से काफी अधिक थी।

उद्देश्य व मूल नीति—विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किए गए ताकि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ पहुँचे। उनको रोजगार देने व उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया गया। राज्य में कृषि, पशु-पालन, उद्योग व खनन का विकास किया गया।

कृषिगत नियोजन में प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ाने की नीति अपनाई गई। राज्य में पशु-पालन के विकास की विशाल सम्भावनाएँ हैं। इसके लिए चरागाहों व चारे का विकास करने पर बल दिया गया। भूजल (Ground water) का विशेष रूप से प्रयोग करने पर बल दिया गया, क्योंकि राज्य में सतह के जल (Surface water) की मात्रा सीमित है।

कृषक के लिए कृषि व पशु-पालन के विकास के लिए साख की सुविधा बढ़ाने, भूमि को समतल करने, भू-संरक्षण व सूखी खेती के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इसके लिए चम्बल व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के सिंचाई के क्षेत्रों का समन्वित ढंग से विकास करने तथा इनमें सड़क व मण्डियों का निर्माण, विद्युतीकरण व वैज्ञानिक कृषि की पद्धतियाँ अपनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। चम्बल क्षेत्र में पानी के निकास की समस्या, मिट्टी के खारेपन व नहर में वीड्स (घास-पात) की अनियंत्रित बढ़ोतरी को रोकने के लिए विश्व बैंक की सहायता का उपयोग करने पर बल दिया गया।

पाँचवीं योजना में आर्थिक प्रगति

पाँचवीं योजना में स्थिर भावों पर (1980-81 में मूल्यों पर) राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में प्रतिवर्ष 5.2% तथा प्रति व्यक्ति आय में 2.2% वृद्धि हुई। 1979 में राज्य में गम्भीर सूखे की स्थिति पाई गई थी।

कृषि व सम्बद्ध क्रियाओं की प्रगति—खाद्यान्नों का उत्पादन 1973-74 में 67.2 लाख टन से बढ़कर 1978-79 में 77.80 लाख टन हो गया। तिलहन, गन्ना व कपास के उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी।

अधिक उपज देने वाली किस्मों का फैलाव 1973-74 में 10.5 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1978-79 में 15 8 लाख हैक्टेयर हो गया। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 0 73

लाख टन से बढ़कर 134 लाख टन हो गया। सकल सिंचित क्षेत्रफल 26 8 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 30.4 लाख हैक्टेयर हो गया।

औद्योगिक क्षेत्र में 'रीको', 'राजस्थान वित्त निगम', 'राजसीको' व जिला-उद्योग केन्द्रों (DICs) ने औद्योगिक विकास में भाग लिया। सूती खादी, ऊनी खादी व ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन बढ़ा। राज्य के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है छठी पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय 2025 करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन वास्तविक योजना-व्यय लगभग 2131 करोड़ रुपये रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय का 52 6% सिंचाई व शक्ति पर तथा 19 8% सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया गया जो पूर्व योजनाओं की भाँति ही था। कृषि, ग्रामीण विकास व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता पर 11 4% व्यय किया गया। उद्योग व खनन पर केवल 3 9% व्यय हुआ।

इस प्रकार छठी योजना में भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आधारभूत-ढाँचा (इन्फ्रा-स्ट्रक्चर) सुदृढ़ करने का प्रयास जारी रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति

राज्य की आय अथवा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) छठी योजना में 1980-81 की कीमतों पर 5 9% वार्षिक बढ़ी। इस प्रकार विकास की वार्षिक दर संतोषप्रद रही। 1983-84 में स्थिर भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में लगभग 23% को वृद्धि हुई जो सर्वाधिक थी। प्रति व्यक्ति आय (1980-81 के भावों पर) 1979-80 में 1189 रुपये से बढ़कर 1984-85 में 1379 रुपये हो गई। छठी योजना की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर भावों पर 3% वार्षिक दर से वृद्धि हुई।

कृषि—1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन 79.1 लाख टन हुआ जबकि 1979 80 में 52 4 लाख टन हुआ था। 1984-85 में तिलहन का उत्पादन 12 3 लाख टन, गन्ने का 13.7 लाख टन तथा कपास का 4 4 लाख गाँठें हुआ था। वर्ष 1983-84 को छोड़कर अन्य वर्षों में मानसून अनियमित रहा था, जिससे चार वर्षों में राज्य में अकाल व सूखे का कुप्रभाव पड़ा था।

1984-85 में अधिक उपज देने वाली किस्मों में 26 9 लाख हैक्टेयर भूमि आ चुकी थी तथा उर्वरकों का वितरण 2 लाख टन से कुछ अधिक हो गया था।

छठी योजना में लगभग 21 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का विकास किया गया। राज्य में डेयरी का विकास किया गया तथा ऊन का उत्पादन 127 लाख किलोग्राम से बढ़कर योजना के अन्त में

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से छठी योजना में 7.1 लाख परिवार लाभान्वित हुए जिनमें आधे से ज्यादा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के थे। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की गई।

शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 1984-85 में 1713 16 मेगावाट हो गई थी।

योजना के आरम्भ में 38% गाँवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी थी जो 1984-85 में 55% के स्तर तक पहुँच गई थी। राज्य में बायो-गैस संयंत्रों का विकास किया गया था जिनमें गोबर का उपयोग होता है।

उद्योग—राज्य में विनियोग-सब्सिडी का विस्तार किया गया तथा रीको ने संयुक्त उद्योगों व सहायता-प्राप्त क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। मार्च, 1985 में राज्य में 29 संयुक्त क्षेत्र की इकाइयों में उत्पादन कार्य चालू हो गया था।

खादी—(सूती व ऊनी), ग्रामीण उद्योगों, हथकरघा आदि में उत्पादन बढ़ा तथा ग्रामीण उद्योगों में रोजगार 62 हजार व्यक्तियों से बढ़कर 1 7 लाख व्यक्ति हो गया। राज्य में खनिज पदार्थों में रॉक-फॉस्फेट, जिप्सम आदि का उत्पादन बढ़ाया गया।

विविध—राज्य में सड़कों का विस्तार किया गया। सामान्य शिक्षा का अधिक फैलाव हुआ। अस्पतालों की संख्या बढ़ी तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों में सड़कों, प्रारम्भिक शिक्षा, पेयजल आदि का विस्तार किया गया।

इस प्रकार छठी योजना की अवधि में राज्य का आर्थिक व सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हुआ, लेकिन राज्य में अकाल व अभाव की समस्या के कारण ग्रामीण जनता को निरन्तर काफी कष्टों का सामना करना पड़ा और राज्य सरकार के सामने अकाल राहत की समस्या बहुत जटिल बनी रही।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि सातवीं योजना का आकार 3000 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया था। यह छठी योजना के लिए स्वीकृत धनराशि से 48% अधिक था। लेकिन इस योजना में वास्तविक व्यय की राशि लगभग 3106 करोड़ रुपये रही। व्यय में आधी से कुछ अधिक राशि (52%) सिंचाई, बाढ़-नियन्त्रण व विद्युत के विकास पर तथा लगभग 1/4 राशि (23.7%) सामाजिक सेवाओं पर व्यय की गई। इस प्रकार योजना में बिजली, खाद्यान्न, औद्योगिक उत्पादन व रोजगार में वृद्धि पर जोर दिया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में सार्वजनिक परिव्यय का प्रस्तावित तथा वास्तविक आवंटन

	प्रस्तावित (करोड़ रु.)	कुल का %	वास्तविक व्यय (करोड़ रु.)	कुल का %
1 कृषि व सहायक क्रियाएँ एवं ग्रामीण विकास	290 3	9 7	369 6	11 9
2 सहकारिता	46 2	1 5	41.5	1 3
3 सिंचाई बाढ़ नियंत्रण व शक्ति	1608 5	53 7	1612 3	51 9
4 उद्योग व खनन	190 5	6 3	145 6	4 7
5 परिवहन	153 3	5 1	142.5	4 6
6 सामाजिक व सामुदायिक सेवाएँ	674 7	22 5	734 7	23 7
7 विविध (वैज्ञानिक सेवाएँ व अनुसंधान आर्थिक सेवाएँ, सामान्य सेवाएँ, प्रशासनिक सुधार मेवात विकास आदि)	36 5	1 2	60 0	1 9
	3000 0	100.0	3106.2	100 0

यह कहा गया कि सातवीं योजना के लिए लगभग 1140 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी तथा राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे।

सातवीं योजना में विद्युत उत्पादन-क्षमता को 1713 मेगावाट से बढ़ाकर 2660 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया था। इस प्रकार इसमें 62% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। योजना में 4 38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का लक्ष्य रखा गया। 1500 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गाँवों तथा 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50% गाँवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि का विकास करने के कार्यक्रम रखे गए। इलेक्ट्रोनिक्स इकाइयों के लिए कई प्रकार की छूटें व रियायतें दी गई थीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति (Economic progress under Seventh Five Year Plan)—दुर्भाग्य से सातवीं योजना के पाँचों वर्ष अकाल व अभाव के वर्ष रहे। प्रथम वर्ष में 26 जिले अकाल से प्रभावित हुए तथा 1986-87 व 1987-88 में प्रत्येक में सभी 27 जिले अकाल व सूखे की चपेट में रहे थे। 1988-89 में 17 जिले अकाल व अभाव से प्रभावित हुए तथा 1989-90 में पुन: 25 जिलों में अकाल घोषित किया गया था।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में काफी उतार-चढ़ाव उत्पन्न हुए। 1980-81 की कीमतों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 1984-

85 में 5208 करोड़ रु से बढ़कर 1989-90 में लगभग 7324 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार इसमें वार्षिक वृद्धि दर 7% रही। **वर्ष 1988-89 की अत्यधिक वृद्धि ने योजना की औसत दर को प्रभावित किया।** प्रति व्यक्ति आय 1984-85 में 1379 रुपयों से बढ़कर 1989-90 में 1716 रुपये हो गई। इस प्रकार इसमें 4.3% वार्षिक दर से वृद्धि हुई।

खाद्यान्नों का उत्पादन 1987-88 में 48 लाख टन पर आ गया था जो 1988-89 में बढ़कर 106 6 लाख टन रहा। यह 1989-90 में 85.3 लाख टन रहा।

तिलहन का उत्पादन 1986-87 में 8.8 लाख टन हुआ था जो 1989-90 में 18.5 लाख टन हो गया। कपास का उत्पादन 1989-90 में 9.86 लाख गाँठें हुआ, जबकि 1987-88 में यह 2 18 लाख गाँठें हुआ था। गन्ने का उत्पादन 1989-90 में 7 16 लाख टन हुआ, जो पिछले वर्ष से अधिक था।

1989-90 में कुल सिंचित क्षेत्रफल 44 6 लाख हैक्टेयर रहा, जबकि 1984-85 में यह 38 3 लाख हैक्टेयर रहा था। इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल लगभग 6 3 लाख हैक्टेयर बढ़ा।

पावर व औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति

सातवीं योजना में पावर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन का लक्ष्य 385 मेगावाट रखा गया था, जबकि वास्तविक उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई। 1989-90 के अन्त में यह लगभग 2702 मेगावाट तक पहुँच गई थी। इस वृद्धि में कोटा थर्मल चरण II की दो इकाइयों, माही हाइडल पावर हाउस-2 की दो इकाइयों, (अन्ता) गैस पावर स्टेशन व रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन में हिस्सा मिलने आदि से मदद मिली। इस प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की पावर स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी।

राज्य में भिवाड़ी क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों का विकास किया गया। 1989-90 में *ग्रामीण उद्योगों का उत्पादन 120 करोड़ रुपये से अधिक रहा तथा इनमें रोजगार बढ़कर 3* लाख व्यक्तियों तक पहुँच गया था। सूती व ऊनी खादी का उत्पादन 1989-90 में 26 2 करोड़ रुपये का हुआ। 1990-91 व 1991-92 वार्षिक योजनाओं के वर्ष रहे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में आर्थिक प्रगति —राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11,500 करोड़ रु. के लक्ष्य के स्थान पर वास्तविक व्यय लगभग 12,000 करोड़ रु. आंका गया है। नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार **आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में वार्षिक वृद्धि-दर 7.3 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय में (1980-81 के मूल्यों पर) लगभग 5.1 प्रतिशत रही।** लेकिन स्मरण रहे कि इस पर 1992-93, 1994-95 व 1996-97 की राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की तेज वृद्धियों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था।

राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन प्रति वर्ष घटता- बढ़ता रहा है। यह 1991-92 में 79.8 लाख टन से बढ़कर 1995-96 में 95.7 लाख टन हो गया तथा 1996-97

में 128.4 लाख टन आंका गया है । राजस्थान में तिलहन का उत्पादन 1991-92 में 27 लाख टन से बढ़कर 1996-97 में 35 2 लाख टन हो गया जो एक उपलब्धि है । सिंचित क्षेत्रफल 1991-92 में 52 6 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1996-97 में 67.4 लाख हैक्टेयर हो गया ।

पावर की प्रस्थापित क्षमता 1991-92 में 2652 मेगावाट से बढ़कर 1996-97 में 3082 मेगावाट हो गई, जो 3851 मेगावाट के लक्ष्य से नीची रही ।

इस अवधि में राज्य ने नियोजित विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को विद्युत, सड़क, पर्यटन, खनन, आदि क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास किया है जिसे आगामी वर्षों में जारी रखना होगा ताकि विकास की गति तेज की जा सके ।

अब हम योजनाकाल में आर्थिक प्रगति की समीक्षा करने से पूर्व संक्षेप में पूर्व जनता शासनकाल की अन्त्योदय योजना का परिचय देंगे ।

पूर्व जनता सरकार का निर्धनता-निवारण के लिए अपनाया गया अन्त्योदय कार्यक्रम

राज्य में जनता सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धनता को दूर करने की दिशा में "अन्त्योदय कार्यक्रम" अपनाया गया था । इस कार्यक्रम ने अन्य राज्यों का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित किया था । राजस्थान को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में अग्रणी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जो एक सराहनीय बात थी । इसका ऐतिहासिक महत्त्व रहा है, इसलिए यहाँ इसका संक्षिप्त विवेचन किया जाता है ।

अन्त्योदय कार्यक्रम गाँधीवादी कार्यक्रम की एक कड़ी माना जा सकता है । **इसमें प्रत्येक गाँव से सबसे अधिक निर्धन पाँच परिवार चुने जाते थे जिनको आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता था । राज्य में लगभग 33 हजार गाँव हैं ।** इन निर्धनतम परिवारों का चयन ग्राम-सभाओं व गाँव के लोगों की सलाह से किया जाता था । इनको सरकारी व व्यापारिक बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराए जाते थे ताकि ये दुधारू पशु— गाय, भैंस, बकरी आदि खरीद सकें, या भेड़-पालन व सूअर-पालन कर सकें, अथवा बैलगाड़ी या बैल, ऊँटगाड़ी या कहीं-कहीं रिक्शा आदि भी खरीद सकें; अथवा दस्तकारी, कुटीर उद्योगों को स्थापित करके अपना जीविकोपार्जन कर सकें । इन्हें कृषि के लिए भूमि भी दी जा सकती थी । इस प्रकार यह सबसे गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक दृष्टि से साधन प्रदान करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने का उत्तम तरीका माना गया था । ऐसे लोग योजनाकाल में विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए थे और विकास के लाभ कुछ सम्पन्न व अर्द्ध-सम्पन्न परिवारों तक ही सिमट कर रह गए थे ।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन निर्धन परिवारों का चयन किया जाता था उनकी प्रति व्यक्ति प्रति माह आमदनी 20 रुपयों से भी कम होती थी, हालांकि उस समय प्रति व्यक्ति प्रति माह 55 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे माने गए थे ।

अन्त्योदय योजना में भूमिहीन श्रमिकों व ग्रामीण दस्तकारों को अधिक लाभ मिलने की आशा थी। ये लोग सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि योग्य भूमि को देते थे और बाद में पशु-पालन, कुटीर-उद्योग, हथकरघा उद्योग आदि को देते थे। जनता सरकार का विचार था कि यदि इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की जा सके तो राज्य में निर्धनता को दूर किया जा सकता है।

लन्दन के समाचार पत्र 'दी इकोनोमिस्ट' ने यह मत प्रकट किया था कि "अन्त्योदय योजना" को गाँवों के सम्पन्न भू-स्वामियों से कोई खतरा नहीं है, जैसा कि भूमि-सुधार कार्यक्रम को रहा है। 'अन्त्योदय योजना' व समग्र ग्रामोदय योजना को योजना की नई शैली का आधार बनाने का प्रयोजन यही था कि हमारी योजनाएँ ग्रामोन्मुख, गरीबोन्मुख, रोजगारोन्मुख व कुटीर उद्योगोन्मुख बनें, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने का उत्तम अवसर मिल सके, जो उन्हें पूर्व योजनाओं में नहीं मिल पाया था।

राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा बीस संकल्पों की घोषणा

1980 में राज्य में कांग्रेस (आई) सरकार के पुनः सत्तारूढ़ हो जाने पर "अन्त्योदय कार्यक्रम" के स्थान पर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू किया गया। 1985-86 में बीस सूत्री कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी जो योजना में प्रस्तावित व्यय का 70% थी। **सितम्बर 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर की सरकार ने 'पिछड़े को पहले' कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 संकल्पों को पूरा करने पर जोर दिया था।** ये बीस संकल्प इस प्रकार थे—(1) पूरे चुनाव, (2) बढ़िया शिक्षा, (3) सस्ता न्याय, (4) गरीब को छप्पर, (5) छोटा परिवार, (6) नई ऊर्जा, (7) राजस्थान नहर, (8) कोटा थर्मल, (9) जंगल में मंगल, (10) ग्राम तक सड़क, (11) खेत में बिजली, (12) पीने का पानी, (13) पिछड़े को पहले, (14) विकलांग कल्याण, (15) भंगी कष्ट-मुक्ति, (16) राष्ट्रीय एकता, (17) डेयरी विकास, (18) मुर्गी-पालन, (19) कृषि व सहकारिता, और (20) हस्तशिल्प एवं उद्योग।

'पिछड़े को पहले' अभियान अन्त्योदय का ही एक विकसित स्वरूप माना जा सकता है। 'अन्त्योदय' गाँवों के सबसे पिछड़े पाँच परिवारों के आर्थिक उत्थान का कार्यक्रम था, जबकि 'पिछड़े को पहले' ग्रामीण विकास की रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

राजस्थान में योजनाकाल के लगभग पाँच दशकों (1951-2004) की उपलब्धियाँ अथवा आर्थिक प्रगति[1]

राजस्थान में योजनाकाल की आर्थिक प्रगति हुई, फिर भी यह राज्य भारत में सबसे ज्यादा निर्धन व पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है। हम नीचे संक्षेप में 1951 से 2004 तक की अवधि में हुई आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालेंगे, जिससे पता चलेगा कि राजस्थान ने 53 वर्षों में राज्य की आमदनी (State income), कृषिगत उत्पादन, सिंचाई, शक्ति, औद्योगिक

1 Economic Review 2003-04 pp 1-105, **Draft Tenth Five Year Plan 2002-2007** Vol I, Chapter 1 एवं **Some Facts** About Rajasthan, 2003 (Various Tables).

विकास, सडक, शिक्षा, चिकित्सा, जल–सप्लाई आदि क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, लेकिन आगामी वर्षों मे विकास की यात्रा व विकास की प्रक्रिया को अधिक तेज व अधिक सुदृढ करने की आवश्यकता है ताकि लोगों का जीवन–स्तर ऊँचा किया जा सके।

(1) राज्य की आय में वृद्धि– राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे मानसून की अस्थिरता के कारण प्रति वर्ष व्यापक उतार–चढाव आते रहते है, इसलिए इसका विश्लेषण काफी जटिल व अनिश्चित हो गया है। फिर भी 1993-94 की स्थिर कीमतों पर 1960-61 से 2000-01 तक की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के पूरे सिरीज का अध्ययन करने से पता चलता है कि 1960-61 से 2000-01 की अवधि में राज्य की आय मे 4 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय मे 1 8% वार्षिक दर से वृद्धि हुई।

1960-61 में स्थिर कीमतो (1993-94 की कीमतो पर) राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP) 7606 करोड रु से बढकर 2000-01 में 44335 करोड रु (5.8 गुनी) हो गई तथा प्रति व्यक्ति आय भी स्थिर भावो पर 3865 से बढकर 7932 रु (2 1 गुनी) हो गई।

राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में प्रति वर्ष भारी उतार-चढ़ाव आते हैं जिसका मूल कारण कृषिगत उत्पादन की अस्थिरता माना गया है । **1988-89 में स्थिर मूल्यों (1993-94 का आधार-वर्ष) पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष की तुलना में 39% बढ़ी थी, लेकिन अगले वर्ष 1989-90 में यह 2.1% घट गई थी । पुन: 1990-91 में यह 28.7% बढ़ गई थी । उतार-चढ़ाव का यह क्रम बाद के वर्षों में भी पाया गया है । आजकल राज्य की घरेलू उत्पत्ति (SDP) का आधार 1993-94 कर दिया गया है । 1993-94 के मूल्यों पर 1994-95 में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 18.3%, 1995-96 में 3.7%, 1996-97 में 11.7%, 1997-98 में 12.2%, 1998-99 में 4.4% व 1999-2000 में 0.3% की वृद्धि हुई । 2000-01 में इसमें (–) 2.8%, 2001-02 में 8.5%, 2002-03 में (–) 8.9% तथा 2003-04 में 15.6% की वृद्धि हुई ।**

कृषिगत उत्पादन में भारी उतार–चढ़ाव आने से राज्य की आमदनी भी प्रभावित होती रहती है । **राज्य की अर्थव्यवस्था सदैव बहुत अस्थिर व अनिश्चित किस्म की रही है ।** पंचवर्षीय योजना में एक वर्ष को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की अत्यधिक वृद्धि से सम्पूर्ण योजना की औसत वृद्धि–दर प्रभावित होती रही है ।

हाल मे योजना आयोग के सदस्य **डॉ. मोन्टेक सिंह अहलूवालिया** ने आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में राज्यों की आर्थिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उसमें बतलाया गया है कि 1980-81 के मूल्यों पर राजस्थान की सकल घरेलू उत्पत्ति (GDP) में 1980-81 से 1990-91 की अवधि में वार्षिक वृद्धि–दर 6 60% तथा 1991-92 से 1997-98 की अवधि में यह 6 54% रही। **इसी प्रकार 'बीमारू राज्यों' बिहार, म.प्र., उ.प्र., व राजस्थान की श्रेणी में गिने जाने पर भी राजस्थान की वार्षिक वृद्धि–दर 14 राज्यों के अध्ययन में प्रथम अवधि में सर्वोच्च रही और द्वितीय अवधि में गुजरात (9.57%), महाराष्ट्र (8.01%) व पश्चिम बंगाल (6.91%) के बाद चौथे**

स्थान पर रही, जो काफी संतोषप्रद मानी जा सकती है । इस प्रकार राजस्थान विकास की दर की दृष्टि से घटिया दर वाला राज्य नहीं माना जा सकता । दोनों अवधियों में प्रति व्यक्ति GDP की वार्षिक दर लगभग 4% भी काफी आकर्षक मानी जा सकती है ।[1] लेकिन आँकड़ों का अर्थ लगाते समय हमें यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि एक वर्ष की अत्यधिक ऊँची वृद्धि-दर पंचवर्षीय योजना की कुल अवधि की औसत वृद्धि-दर को काफी ऊपर की ओर ले जा सकती है ।

(2) कृषिगत उत्पादन व सिंचाई[2]—राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 33.8 लाख टन हुआ जो 1983-84 में 100.8 लाख टन हो गया था, लेकिन 1987-88 में यह घटकर 47.8 लाख टन पर आ गया था एवं 1988-89 में बढ़कर 1 करोड़ 6.6 लाख टन हो गया था । राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में एक साल वृद्धि और दूसरे साल गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है । 2001-02 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह 140 लाख टन 2002-03 के अंतिम अनुमानों के अनुसार 75.3 लाख टन तथा 2003-04 के सम्भावित अनुमानों के अनुसार 189 लाख टन दर्शाया गया है ।

इस प्रकार एक ही वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन पूर्व वर्ष की तुलना में काफी घट-बढ़ जाता है ।

राज्य मे अकाल व सूखे के कारण उत्पादन घटा है । राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 1950-51 में 10 लाख हैक्टेयर से बढकर 2001-02 में 67.4 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गया था । इस प्रकार सिंचित क्षेत्र 6.7 गुना हो गया । फिर भी राज्य का लगभग 2/3 कृषित क्षेत्रफल मानसून की दया पर आश्रित रहता है । राज्य में प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं जिन्हें सिंचाई का विस्तार करके ही कम किया जा सकता है । राज्य में सिंचाई की अन्तिम सम्भाव्यता 51.5 लाख हैक्टेयर आंकी गई है जिसमें से 27.5 लाख हैक्टेयर में वृहद् व मध्यम साधनों से तथा 24 लाख हैक्टेयर में लघु साधनों से मानी गई है ।

राज्य में अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) का उपयोग बढ़ रहा है । 1968-69 में ये किस्में 5.24 लाख हैक्टेयर में तथा 2001-02 में लगभग 45.8 लाख हैक्टेयर में बोई गईं । सुधरे हुए बीजो का वितरण भी किया गया है । रासायनिक खाद का उपभोग 1951-52 में केवल 324 टन हुआ था जो बढ़कर 2001-02 में 7.9 लाख टन पर पहुँच गया । कपास का उत्पादन 2001-02 में 2.8 लाख गांठें (प्रति गाँठ = 170 किलोग्राम) रहा है जबकि 1987-88 मे 2.2 लाख गाँठें ही हुआ था । 2002-2003 में भी कपास का उत्पादन 2.5 लाख गाँठें हुआ तथा 2003-04 में 5.3 लाख गाँठे होने की आशा है । राज्य में सिंचाई के साधनों के विस्तार से खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता बढ़ी है । जैसा कि पहले बताया गया है, राजस्थान में सकल कृषित क्षेत्रफल 1951-52 में रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 28% से

---

1 Montek S. Ahluwalia, Economic Performance of States in Post-Reforms Period. EPW May 6 2000 p 1638

2. Ecnomic Review 2003-04 GOR, pp 41-51, 2001-02 व बाद के वर्षों के लिए)

बढ़कर 2001-02 में लगभग 60.7% हो गया है, जिससे राज्य में विस्तृत खेती की प्रगति का भी परिचय मिलता है ।

राज्य में योजनाकाल में डेयरी का विकास किया गया है । राज्य में डेयरी संयंत्रों की संख्या 10 तथा अवशीतन केन्द्रों (Chilling Centres) की संख्या 25 हो गई है तथा औसत दैनिक दुग्ध-संग्रह की क्षमता 2003-04 में 13.45 लाख लीटर हो गयी है । राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों का विकास किया गया है । **दूध की खरीद व विपणन में पिछले दो वर्षों की सफलता को देखते हुए राज्य को ''व्यावसायिक उपक्रमों के ग्लोबल संगठन'' की तरफ से वर्ष 2000 में 'ज्ञान ज्योति' पुरस्कार दिया गया है ।**

(3) विद्युत-शक्ति की प्रगति—राज्य में 1950-51 में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 13 मेगावाट थी । यह बढ़कर 2003-04 के अन्त में 5237.72 मेगावाट हो गई । 2003-04 में इसमें 690.54 मेगावाट की वृद्धि का अनुमान है । इस प्रकार शक्ति की प्रस्थापित क्षमता बढ़ी है । राज्य में बिजली प्राप्त गाँवों की संख्या 42 से बढ़कर मार्च, 2004 के अन्त तक 38285 तथा शक्तिचालित कुओं/पम्पसेट्स की संख्या 30 से बढ़कर 6.87 लाख हो गई है । शक्ति की प्रस्थापित क्षमता की वृद्धि में प्रमुख योगदान कोटा थर्मल चरण II की प्रथम व द्वितीय इकाई, माही हाइडल पावर हाउस-2, अन्ता गैस पावर स्टेशन, इकाई I व II तथा रिहन्द सुपर-थर्मल पावर स्टेशन ने दिया है । भविष्य मे शक्ति की स्थापित क्षमता के बढ़ने की और सम्भावनाएँ हैं ।

(4) औद्योगिक विकास—पहले बताया जा चुका है कि योजना की अवधि में राज्य में कई कारखाने खोले गए हैं जिससे पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफी बढ़ी है । राज्य में सीमेंट का उत्पादन 1951 में 2.8 लाख टन से बढ़कर 2003 में 84 5 लाख टन (लगभग 30 गुना) हो गया । चीनी का उत्पादन 1951 में 1.5 हजार टन से बढ़कर 2000 में 12 हजार टन तथा 2001 में 4 67 हजार टन हो गया । सूती वस्त्र और सूत का उत्पाद बढ़ा है । राज्य में बॉल बियरिंग की संख्या 2003 में 290.8 लाख रही थी । **राज्य में बिजली के मीटरों का उत्पादन 1998 में 1.95 लाख इकाई हुआ था, जो 2000 में भारी मात्रा में गिरकर 10.9 हजार पर तथा 2001 में शून्य पर आ गया ।** राज्य में नमक का उत्पादन भी पहले से बढ़ा है । 2001 में नमक का उत्पादन 16 लाख टन हुआ, जबकि 1971 मे यह 5.5 लाख टन हुआ था ।

(5) सड़कों का विकास—राज्य मे 1950-51 के अन्त में सड़कों की लम्बाई 17,339 किलोमीटर थी जो बढ़कर 2003-04 में 96091 किलोमीटर हो गई । इस प्रकार सड़कों की लम्बाई 5.5 गुनी हो गई । 2003-04 के अन्त में राज्य मे सड़कों की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में 45.9 किलोमीटर आंकी गई है, जो पहले से अधिक है। लेकिन फिर भी यह समस्त भारत के औसत स्तर (लगभग 77 किलोमीटर) (1998-99) से नीची है। 1991 की जनगणना के आधार पर मार्च 2002 के अन्त तक जो गाँव सड़कों से जोड़े गए उनमें से 1500 व अधिक जनसंख्या वाले 33% गाँव, 1000-1500 जनसंख्या वाले 20%

गाँव तथा 1000 से कम जनसंख्या वाले 47% गाँव थे । इस प्रकार कुल गाँवों में से 46.4% गाँव सडकों से जोड दिए गए हैं ।

(6) **शिक्षा की प्रगति**—3,000 व ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गाँवों में प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए हैं । सभी पंचायत समितियों में एक या अधिक माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं । राज्य के सभी जिलों में कॉलेज स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है । राज्य में बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, पिलानी और मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज, जयपुर के स्थापित हो जाने से टेक्नीकल शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ गई हैं । राज्य में पॉलीटेक्नीक संस्थाएँ भी स्थापित की गई हैं । राज्य में स्कूली शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है । राज्य में साक्षरता का अनुपात 1981 में 30% से बढ़कर 2001 में 61.03% हो गया है । 2001 में समस्त भारत के लिए साक्षरता का अनुपात 65.4% था । इस प्रकार योजनाकाल में शिक्षण संस्थाओं का काफी विकास किया गया है । 1950-51 में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की भर्ती 3.30 लाख थी जो बढ़कर 1999-2000 में 98 लाख हो गई । फिर भी लाखों बच्चे (6-14 वर्ष की आयु तक) अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं ।

मार्च 2003 में राज्य में ग्यारह विश्वविद्यालय थे (दो कृषि-विश्वविद्यालयों सहित), 6 विश्वविद्यालयस्तरीय संस्थान तथा 334 कॉलेज/अनुसंधान संस्थाएँ थी, जो स्नातकोत्तर शिक्षा में संलग्न हैं । पिछले वर्षों में नये कॉलेज, नये विषय, नये सेक्शन, नये पाठ्यक्रमो, आदि की व्यवस्था की गई है । वर्तमान में राज्य में कुल 30 इन्जीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। **23 इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र में चालू किए गए हैं** । चूरू में एक पोलीटेक्नीक सस्थान चालू किया गया है । राज्य में मिनी ITI संस्थानों को उन्नत किया गया है व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया गया है । राज्य में कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था बढ़ायी जा रही है ।

सरकार सामुदायिक या निजी निवेश से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज व प्रबन्ध व व्यवसाय संस्थान खोलने के लिए रियायती दर पर भूमि का आवटन करेगी । सरकार सूचना प्रौद्योगिकी व कम्प्यूटरीकरण को भी प्रोत्साहन देगी । वर्ष 2003-2004 में उच्च शिक्षा पर 242 करोड़ रु. व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया था । (बजट-भाषण, 5 मार्च, 2003) ।

(7) **चिकित्सा व जल-पूर्ति के क्षेत्र में प्रगति**– राज्य मे मलेरिया व चेचक आदि पर काफी मात्रा मे नियत्रण स्थापित कर लिया गया है। राज्य को 1977 में चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था। अस्पतालों में रोगियों के लिए बिस्तरो की संख्या बढाई गई और चिकित्सा सुविधा भी बढी है। सभी पचायत समितियों मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

अवधारणा केलोरी-उपभोग की मात्रा से जुड़ी हुई है। गाँवों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 केलोरी व शहरों में 2100 केलोरी से कम उपभोग करने वाले लोग गरीब माने जाते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे के उपभोग व्यय के आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। 1987-88 में उपभोग-व्यय के अनुसार गरीबी के माप के लिए विभाजक-रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 132 रु प्रति व्यक्ति प्रति माह, शहरी क्षेत्रों के लिए 152 3 रु. प्रति व्यक्ति माह मानी गई और इनसे नीचे व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गए। 1993-94 में ये विभाजक रेखाएँ 228 9 रु (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) व 264 1 रु (शहरी क्षेत्रों के लिए) निर्धारित की गई। **भारत में निर्धनता का अनुपात व निर्धनों की संख्या ज्ञात करने के लिए दो विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं—एक तो योजना-आयोग की विधि और दूसरी लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह (Expert Group) की विधि।** योजना आयोग की विधि में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के उपभोग व्यय के आँकड़ों को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के उपभोग-व्यय के ऊँचे आँकड़ों के अनुसार जनसंख्या के विभिन्न उपभोग-समूहों के लिए समायोजित (adjust) किया जाता है, जिससे निर्धनता का अनुपात व निर्धनों की संख्या कम आती है, जबकि विशेषज्ञ समूह (EG) के अनुसार इस प्रकार का समायोजन (adjustment) न करने से निर्धनता का अनुपात व निर्धनों की संख्या ज्यादा आती है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने विशेषज्ञ-समूह की विधि को अपनाया था जिसके अनुसार निर्धनों की संख्या में वृद्धि हुई थी। लेकिन इसका कई विचारकों ने समर्थन नहीं किया है।

योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात 1999-2000 में 13.74%, शहरी क्षेत्रों में 19.85% तथा संयुक्त रूप से कुल जनसंख्या में 15.28% रहा।[1] इनका विस्तृत विवेचन आगे चलकर एक स्वतन्त्र अध्याय में किया गया है।

विभिन्न विधियों का प्रयोग करने से राजस्थान में भी विभिन्न वर्षो के लिए निर्धनता के आँकडों मे काफी अन्तर पाया गया है। उदाहरण के लिए, राज्य मे **1993-94 के लिए योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में निर्धनों का अनुपात 27.41% रहा था (ग्रामीण क्षेत्रों मे 26.46% व शहरी क्षेत्रो में 30.49%)। फिर भी यह माना गया है कि राज्य में निर्धनता का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में योजना आयोग की विधि के अनुसार 1987-88 मे 33.2% से घटकर 1999-2000 में 13.7% हो गया है।** राजस्थान मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति का अध्ययन किया गया है।

1984 में जयपुर जिले (मार्फत विकास-अध्ययन संस्थान, जयपुर) व जोधपुर (मार्फत नाबार्ड) जिलों में IRDP की प्रगति के सर्वेक्षण हुए थे जिनसे प्राप्त परिणाम संतोषजनक स्थिति के सूचक नहीं हैं। जयपुर जिले में 14.7% परिवार तथा जोधपुर जिले में 21.4% परिवार, जो गरीब माने गए थे, वस्तुतः गरीब नहीं थे। जयपुर के अध्ययन में बतलाया गया कि 54% कर्ज लेने वालों ने अपने पशु बेच दिए अथवा उनके पशु मर गए, उनको चारे की

1 Draft Tenth Five Year Plan GOI Vol III, p 77, February 2003

कमी के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है । केवल 18% कर्ज लेने वाले ही निर्धनता की रेखा को पार कर पाए हैं । भेड़, बकरी आदि के सम्बन्ध में स्थिति काफी खराब रही है । इस प्रकार IRDP की उपलब्धियाँ सीमित ही रही हैं । राजस्थान के योजना विभाग की सूचना के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में 7 1 लाख परिवारों को IRDP से लाभ पहुँचा था जिनमें लगभग आधे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों के थे । लाभान्वित होने वाले परिवारों के माल के विक्रय की व्यवस्था भी की गई है । 1993-94 में लगभग 35 करोड़ रुपये के व्यय से 80 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था । वर्ष 1994-95 में लगभग 54 4 करोड़ रु. व्यय करके (राज्य का अंश आधा) 1 08 लाख परिवारों को तथा 1995-96 में 61.50 करोड़ रु के व्यय से (राज्य का अंश आधा) 1.08 लाख परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य रखे गए थे । 1996-97 में भी IRDP के मार्फत 1.08 लाख परिवारों व 1997-98 में 1 10 लाख परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य रखे गए । 1998-99 में दिसम्बर 1998 तक 31842 परिवारों को लाभान्वित किया गया । इन्हें 23 59 करोड़ रु. की सब्सिडी व 75.63 करोड़ रु. के कर्ज उपलब्ध कराए गए । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1996-97 में प्रति परिवार निवेश की राशि 18,700 रु. थी जिसे बढ़ाकर 1997-98 में 20,000 रु किया गया ।

निर्धनता-रेखा की केलोरी-आधारित अवधारणा को कई राज्यों व विशेषज्ञों ने सही नहीं माना है । इसमें एक समय के केलोरी से जुड़े मौद्रिक व्यय को जीवन-व्यय सूचकांक से समायोजित कर देते हैं, लेकिन यह रेखा आगे के व्यय-वितरण में निर्धनता-रेखा के बिन्दुओं को सही ढंग से नहीं बतला पाती ।

इसमें निम्न कमियाँ हैं—

(i) इसमें भार-ढाँचे (Weighting diagram) में उन परिवर्तनों पर विचार नहीं होता जो फसल-प्रारूप में परिवर्तनों, सस्ते स्थानापन्नों की उपलब्धि व मोटे अनाजों की कीमतों व सामान्य कीमत-सूचकांक के बीच अन्तरों से सम्बन्धित होते हैं ।

(ii) एक व्यक्ति की क्रिया का स्तर तथा तदनुरूप उसकी ऊर्जा की आवश्यकता भौतिक वातावरण (Physi-cal environment) पर भी निर्भर होती है । मरु व पहाड़ी क्षेत्रों के कठोर भौतिक वातावरण में रोजमर्रा की क्रियाओं में लोगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है । ऐसी दशाओं में सभी राज्यों में समान केलोरी का नॉर्म लागू करने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है ।

कई विशेषज्ञों की राय है कि ऐसी दशाओं में एक विशिष्ट राज्य के अपने केलोरी-नॉर्म प्रयुक्त होने चाहिए ।

***(iii)* एक विशिष्ट वर्ष के सर्वेक्षण के आँकड़ों की विश्वसनीयता का भी प्रश्न होता है, विशेषतया राजस्थान जैसे सूखा-सम्भाव्य राज्य के लिए । प्राय: सूखा पड़ने से राज्य के कृषिगत उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं । अत: एक वर्ष का उपभोग-व्यय व कीमत-सूचकांक सामान्य दशा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते । इस प्रकार योजना आयोग के द्वारा प्रयुक्त निर्धनता के अनुमान अविश्वसनीय बन जाते हैं ।**

(9) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)—इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था की जाती थी। अकाल-राहत के कार्य भी कराए जाते थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए कुओं का निर्माण, स्कूल-भवनों, डिस्पेन्सरियों, ग्रामीण सड़कों, लघु सिंचाई के साधनों व भू-संरक्षण के कार्य शामिल किए जाते थे।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (RLEGP), ट्राइसम, मैसिव कार्यक्रम (लघु कृषकों के लिए), मरु विकास, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास, रेवाइन रिक्लेमेशन कार्यक्रम (कन्दरा-सुधार कार्यक्रम) (डाँग-क्षेत्र के विकास के लिए), सीमावर्ती क्षेत्र विकास, मेवात विकास आदि के लिए धनराशि व्यय की गई है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता रहा है। अब जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका विस्तृत विवेचन आगे चलकर सम्बन्धित अध्याय में किया गया है।

सारांश– योजनाकाल मे 53 वर्षों की आर्थिक प्रगति से राज्य में विकास का आधार–ढाँचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुदृढ हुआ है। सिचाई की सुविधाएँ बढी हैं, विद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढी है और राज्य औद्योगिक विकास के नये कार्यक्रम अपनाने की स्थिति में आ गया है। रीको ने सयुक्त क्षेत्र व सहायता–प्राप्त क्षेत्र मे कई इकाइयाँ स्थापित की हैं, जिनमे से कई इकाईयो मे उत्पादन कार्य चालू हुआ है। इसने बहुराष्ट्रीय निगमों के सहयोग से भी औद्योगिक इकाइयाँ चालू की है। RFC लघु व मध्यम उद्योगो को काफी मात्रा मे दीर्घ–कालीन कर्ज देने लगा है।

लेकिन राज्य मे जनसख्या की कुल वृद्धि-दर 1981-91 में 28 44% तथा 1991-2001 में लगभग 28 33% रही है जो अभी भी ऊँची बनी हुई है, और जनसख्या नियत्रण के क्षेत्र में राज्य के लिए भावी चुनौती की सूचक है। राज्य में निरन्तर अकाल व अभाव की स्थिति बनी रहती है। विद्युत की सृजन-क्षमता के बढ़ने पर भी कृषिगत व औद्योगिक कार्यों के लिए प्राय: विद्युत की कमी बनी रहती है, जिससे कृषि व उद्योग दोनों के विकास में बाधा पहुँचती है। पर्यटन का विकास भी अपर्याप्त मात्रा में हुआ है, जिस पर भविष्य में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी।

हम नीचे राजस्थान के विकास में धीमी गति के कारणों का उल्लेख करके भावी प्रगति के लिए व्यावहारिक सुझाव देंगे ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सके।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के कारण अथवा आर्थिक विकास में बाधक तत्त्व
(Causes of Slow Growth of the Economy of Rajasthan or Constraints on Economic Growth)

नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व अन्य दृष्टियों से देश के अन्य भागों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ था। पिछले 53 वर्षों में कई क्षेत्रों में प्रगति होने से राज्य के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन में कमी आई है, लेकिन अभी भी इस दिशा

में काफी कार्य करना शेष रह गया है। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में वार्षिक उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में अन्त-र्निहित अस्थिरता व अनिश्चितता को सूचित करते हैं।

इससे राज्य की धीमी आर्थिक प्रगति का ही नहीं, बल्कि आर्थिक गतिहीन दशा का भी पता लगता है। राज्य में अकाल व सूखे की दशाओं के कारण कृषिगत उत्पादन पर निरन्तर विपरीत प्रभाव पड़ता रहता है।

राज्य में धीमी आर्थिक प्रगति के कारण—

(1) प्राकृतिक बाधाएँ—पहले बतलाया जा चुका है कि अरावली पर्वतमालाओं के पश्चिम में थार का रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है जिसमें वर्षा बहुत कम होती है और मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है। इससे कृषि-कार्यों में बहुत बाधा पहुँचती है।

विभिन्न प्राकृतिक बाधाएँ इस प्रकार हैं—

(i) वर्षा की अनिश्चितता, सूखा, अकाल आदि—राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत अन्य कई राज्यों की तुलना में कम पाया जाता है। वर्षा की अनिश्चितता व अनियमितता समस्त भारत की विशेषता है, लेकिन इसका विशेष कुप्रभाव राजस्थान पर पड़ता है। राज्य में वर्षा का सामान्य वार्षिक औसत 59 सेन्टीमीटर माना गया है, जो जैसलमेर में 15 सेन्टीमीटर से झालावाड़ में 104 सेन्टीमीटर तक पाया जाता है। यहाँ एक ही समय में राज्य के कुछ भागों में अतिवृष्टि के फलस्वरूप बाढ़ के कारण जान-माल की भारी हानि देखी जाती है (जैसा कि जुलाई-अगस्त, 1990 की दो बार की बरसात से राज्य के पश्चिमी क्षेत्र—जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर व जोधपुर में देखा गया था) तो दूसरी तरफ अनावृष्टि व सूखे के कारण लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता और पानी व चारे के अभाव में पशुधन को भारी क्षति पहुँचती है। राज्य के लिए यह स्थिति एक आम बात हो गई है।

भूतकाल में राज्य से प्रतिवर्ष पशुओं का मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों को निरन्तर निष्क्रमण होता रहा है। प्राकृतिक प्रकोपों से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार को राहत कार्य (Relief works) चालू करने पड़ते हैं और भू-राजस्व आदि की भारी मात्रा में छूटें देनी पड़ती हैं। वर्षा की कमी के कारण राजस्थान में हर वर्ष किसी न किसी क्षेत्र में अकाल की स्थिति अवश्य पाई जाती है। कभी-कभी अकाल की व्यापकता व भीषणता बहुत बढ़ जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की अवधि में एक वर्ष (1983-84) को छोड़कर बाकी सभी वर्षों में राज्य में सूखे व अभाव की स्थिति रही। अतिवृष्टि व अनावृष्टि दोनों के कारण राज्य को अकाल के संकट का सामना करना पड़ता है। सातवीं योजना (1985-90) के सभी वर्ष अकाल की चपेट में रहे। सबसे भारी क्षति 1987-88 के अकाल से हुई, जब इससे राज्य के 27 जिलों के 36,252 गाँव प्रभावित हुए थे। बाद के वर्ष भी केवल 1990-91 व 1994-95 को छोड़कर अकाल व सूखे से प्रभावित हुए हैं। 1995-96 में अकाल से 29 जिले, 1996-97 में 21 जिले, 1997-98 में 24 जिले, व 1998-99 में 20 जिले प्रभावित हुए। **1999-2000 का अकाल काफी भीषण माना गया है। इसमें 26 जिलों के 23406 गाँव अकाल की चपेट में माने गए हैं। लगभग 2.5 करोड़**

जनसंख्या व 3.5 करोड पशुओं को अकाल की मार सहन करनी पडी है। राज्य में सर्वत्र पानी, चारे व अनाज का भारी संकट रहा है। 2002-2003 का वर्ष लगातार अकाल का चौथा गम्भीर वर्ष है। इस बार 32 जिलो मे 40990 गाँवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। यह 'मैक्रो-ड्रॉउट' कहा गया है क्योकि लगभग देश के 12 राज्यों में अकाल छाया हुआ है। राज्य ने केन्द्र से भारी मात्रा में सहायता की मांग की है।

अकाल के कारण लोग रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकने लगते हैं तथा पशुओं के लिए भी चारे व पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है । इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान के पशु-पालकों का जीवन कितना कष्टमय है व घोर निराशाओं से भरा हुआ है । सरकार को अन्य राज्यों से चारे की खरीद करनी होती है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती और फलस्वरूप चारा महँगा हो जाता है । इससे दूध के भावों पर भी भारी असर पड़ता है ।

***(ii)* पीने के पानी का अभाव**—राज्य के कई जिलों में भूमि के नीचे पानी बहुत गहराई से निकलता है अथवा कभी-कभी भूमि के नीचे जल बिल्कुल नहीं निकलता और कुछ दशाओं में खारा पानी (Brackish water) निकलता है जो किसी भी काम का नहीं होता । इस प्रकार पीने के पानी के अभाव में लोगों को काफी दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें अनावश्यक मात्रा में श्रम, शक्ति व साधन नष्ट हो जाते हैं । सूखे की स्थिति में तो भयानक गर्मी व प्यास से कभी-कभी मनुष्य व पशु मौत के शिकार हो जाते हैं । गाँवों में पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था करनी होती है । इस प्रकार राज्य में आज भी काफी गाँव ऐसे हैं जिनमें पेयजल की पर्याप्त सुविधा नहीं हो पाई है । राज्य सरकार हैण्डपम्प व नलकूप लगाने पर काफी बल दे रही है । काफी गाँवों में पेयजल की कठिनाई को दूर करने का प्रयास जारी है । सरकार को अकाल व सूखे की स्थिति में ट्रकों व टैंकरों की सहायता से गाँवों में पेयजल पहुँचाना होता है । इसके अलावा प्राइवेट ट्रकों, ऊँटगाड़ियों व बैलगाड़ियों का भी पेयजल पहुँचाने में उपयोग किया जाता है ।

***(iii)* भूमि का कटाव**—राज्य में तेज हवा के कारण भूमि के कटाव की भी गम्भीर समस्या पाई जाती है । पशुओं के द्वारा अनियन्त्रित चराई के कारण घास की अन्तिम पत्ती तक साफ कर दी जाती है जिससे भूमि का कटाव और भी तेज हो जाता है । इस प्रकार वर्षा की कमी व अनियमितता, भूमि के नीचे पानी की कमी और मिट्टी के कटाव ने राज्य को कभी अकालों से मुक्त नहीं होने दिया है ।

(2) सिंचाई के साधनों का अभाव—यद्यपि योजना-काल में सकल सिंचित क्षेत्र लगभग छः गुना हो गया है, तथापि आज भी कुल जोते-बोए क्षेत्र का लगभग 30% ही सिंचाई के अन्तर्गत आ पाया है । राज्य का लगभग 70% कृषि क्षेत्र मानसून की दया पर आश्रित रहता है । सिंचाई के अभाव में एक से अधिक फसलें बोना भी सम्भव नहीं हो पाता और गहन कृषि की पद्धतियों को अपनाने में भी कठिनाई होती है । फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए रासायनिक खाद के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है ।

(3) विद्युत शक्ति का अभाव—राज्य में योजनाकाल में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता तो 13 मेगावाट से बढ़कर 2003-2004 के अन्त में लगभग 5238 मेगावाट कर दी गई है,

लेकिन पिछले वर्षों में चम्बल क्षेत्र में वर्षाभाव के कारण विद्युत की पूर्ति में कटौती करनी पड़ी है, जिससे औद्योगिक इकाइयों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। राज्य को विद्युत के लिए मध्य प्रदेश व पंजाब की परियोजनाओं का मुँह ताकना पड़ता है। राणाप्रताप सागर के पास अणु-शक्ति केन्द्र के चालू हो जाने से राज्य में विद्युत की पूर्ति बढ़ी है, लेकिन इस संयंत्र में तकनीकी खराबी से इसको कई बार बन्द करना पड़ा है, जिससे बिजली का संकट बारम्बार उत्पन्न होता रहता है। कभी-कभी इसकी दोनों इकाइयाँ बन्द हो जाती हैं। राज्य में लिग्नाइट के अलावा ईंधन के अन्य स्रोतों का अभाव पाया जाता है। आगामी तीन वर्षों में एक हजार मेगावाट क्षमता बढ़ाने के लिए 3 हजार करोड़ रु. व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। जो राज्य-विद्युत-मण्डल के तत्त्वावधान में विद्युत के उत्पादन, प्रसारण, उप-प्रसारण व वितरण मद के अन्तर्गत व्यय किए जाएँगे। पूर्व में ऊर्जा विकास की राशि माही प्रोजेक्ट, कोटा थर्मल प्रोजेक्ट के नये चरणों तथा ट्रांसमिशन कार्यक्रम एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर व्यय की गई। मिनी-हाइडल प्रोजेक्ट—सूरतगढ़, मांगरोल, माही की दायीं नहर, पूगल व चारणवाला चालू किए गए हैं, जिससे विद्युत-सृजन क्षमता बढ़ेगी। राज्य में स्वदेशी व विदेशी निजी कम्पनियों का भी विद्युत-सृजन में योगदान तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इनसे राज्य की पावर-सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार होगा, लेकिन कृषि व उद्योग के लिए पावर की माँग तेजी से बढ़ रही है। अतः मुख्य समस्या बढ़ती माँग को पूरा करने की है। राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण पावर-वितरण पर खर्च भी ज्यादा आता है। पश्चिमी राजस्थान में लम्बी दूरी के कारण व्यय बढ़ जाता है तथा वर्तमान में राज्य में 35% पावर की क्षति ट्रांसमिशन व वितरण में आंकी गई है, जो बहुत ऊँची है। विद्युत के इस भारी ह्रास को रोका जाना चाहिए।

आठवीं योजना के अन्त तक पावर की माँग व पूर्ति में 41 21% का अन्तर रहने का अनुमान लगाया गया था। राज्य का अंश केन्द्रीय पावर-सृजन केन्द्रों में सिगरौली में 15% से घटकर बाद के प्रोजेक्टों में 9 5% मात्र रह गया है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सृजन-केन्द्रों द्वारा राज्यों को आवंटित अंश के निर्धारण का आधार बदला जाना चाहिए। वर्तमान में एक राज्य द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा (Energy consumed) तथा पिछले पाँच वर्षों में प्राप्त योजना सहायता (Plan-assistance) के भारित औसत (Weighted average) के आधार पर केन्द्रीय सृजन-केन्द्रों (Central generating stations) से उसका विद्युत का अंश निर्धारित होता है, जिससे पिछड़े व निर्धन राज्यों के हितों को हानि होती है। विपरीत थर्मल-विद्युत व जल-विद्युत मिश्रण से भी ऐसे राज्यों के लिए पावर अनार्थिक बन जाती है। अतः पावर की कमी वाले राज्यों के हितों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

(4) यातायात के साधनों का अभाव—राज्य में पिछले वर्षों में सड़कों की प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काफी कमी बनी हुई है। रेलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि चौड़ी पटरी से संकरी पटरी में परिवहन का अन्तरण करते समय स्टेशनों पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है—जैसे भूतकाल में सवाई माधोपुर स्टेशन पर यह कठिनाई विशेष रूप से देखने में आई थी, लेकिन

अब जयपुर स्टेशन से सवाई माधोपुर स्टेशन तक ब्रॉडगेज लाइन के बन जाने से जयपुर शहर मुम्बई से बड़ी लाइन से सीधा जुड़ गया है। इससे राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सवाई माधोपुर स्टेशन पर माल को ढोने में जो टूट-फूट होती थी वह नहीं होगी। इससे राज्य का व्यापार भी अन्य राज्यों से बढ़ सकेगा।

1992-93 में राजस्थान के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर-विकास का सूचकांक (Index) 80 रहा (समस्त भारत का 100), जबकि पंजाब के लिए यह 205, मध्य प्रदेश के लिए 75, उत्तर प्रदेश के लिए 109 तथा बिहार के लिए 96 रहा।[1] 1966-67 में राजस्थान के लिए यह सूचकांक 59 रहा था। अत: योजनाकाल में इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे राज्य के आधारभूत-ढाँचे की दृष्टि से पिछड़ी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

(5) अलौह-खनिजों व ईंधन का अभाव—राजस्थान में अलौह खनिज जैसे ताँबा, सीसा, जस्ता, चाँदी व रांगा एवं अन्य कई खनिज तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कच्चे लोहे, कोयले (लिग्नाइट के अलावा) एवं खनिज तेलों का अभाव पाया जाता है। इसी वजह से यह लोहे व इस्पात एवं अन्य पूँजीगत उद्योगों का विकास कर सकने में असमर्थ रहा है। राज्य के पास लिग्नाइट कोयले के विपुल भण्डार हैं। इनका उपयोग करके थर्मल पावर की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है।

(6) उपभोग के केन्द्र (Consumption Centres)—ये ज्यादातर राजस्थान से बाहर पाए जाते हैं। राज्य भूतकाल में उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने में विफल रहा है। इसके लिए कई कारण बतलाए गए हैं, लेकिन एक कारण यह है कि **विभिन्न वस्तुओं के उपभोग के मुख्य केन्द्र राजस्थान के बाहर पाए जाते हैं जिससे टिकाऊ या गैर-टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं अथवा उत्पादक व पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन राजस्थान में न किया जाकर देश के पूर्वी व पश्चिमी प्रदेशों में किया जाता है।** राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति भी उद्योगों की स्थापना के लिए देश के अन्य भागों में गए और उन्होंने राजस्थान में आज तक पर्याप्त मात्रा में रुचि नहीं दिखलाई। राज्य के सभी मुख्यमंत्री प्रवासी उद्यमकर्ताओं को राजस्थान के औद्योगीकरण में सहयोग देने के लिए निरन्तर अपील करते रहे हैं, लेकिन उसका वांछित, आशा-जनक व उत्साहवर्द्धक परिणाम मिलना अभी शेष है। भविष्य में उनकी शंकाओं व शिकायतों का उचित समाधान निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए समय-समय पर विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि व्यावहारिक समस्याएँ सामने आ सकें और उनका वहीं पर उचित समाधान किया जा सके।

(7) प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय की कमी—राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय औसत से काफी कम है और इसमें तथा समस्त राज्यों के औसत के बीच का अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए, छठी योजना की अवधि में राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय की राशि 622 रुपये थी, जबकि समस्त राज्यों के लिए इसका औसत 707 रुपये था। **सातवीं योजना में राजस्थान के लिए यह राशि 875**

1 Basic Statistics Relating to States of India, September, 1994, table 5 1-1 (CMIE)

रुपये तथा समस्त राज्यों के लिए 1162 रुपये रही थी। इस प्रकार दोनों के बीच का अन्तर छठी योजना में 85 रुपये से बढ़कर सातवीं योजना में 287 रुपये हो गया था। प्रति व्यक्ति योजना- परिव्यय के अन्तराल (Gap) का बढ़ना अनुचित है, क्योंकि इससे प्रादेशिक असमानता को कम करने में बाधा पहुँचती है। लेकिन बाद के वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है। 1991 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय (plan-outlay) 217 रुपये हुआ जो राष्ट्रीय औसत (262 रु) से कम था। **लेकिन 1995-96 में राजस्थान के लिए यह 727 रु. रहा जो राष्ट्रीय औसत 524 रु. से अधिक था। 1995-96 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उडीसा, तमिलनाड्, उत्तर प्रदेश व प. बंगाल से अधिक रहा।**[1]

(8) सरकार के पास वित्तीय साधनों का अभाव—आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए पर्याप्त मात्रा मे वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्षों मे विकास-कार्यों एव अकाल सहायता-कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार, वित्तीय सस्थाओ व जनता से काफी कर्ज प्राप्त किया है जिससे देनदारियों की कुल बकाया राशि (प्रोविडेण्ट कोष आदि सहित) 31 मार्च, 2003 के अन्त तक लगभग 45871 करोड़ रुपये हो गई थी जिसमे केन्द्रीय ऋणों की राशि 20961 करोड़ रुपये या लगभग 46% थी। शेष कर्ज राज्य के प्रोविडेण्ट फण्ड, बीमा व पेंशन फण्ड, बाजार कर्ज आदि के रूप मे जुटाया गया था। **मार्च 2005 के अन्त तक राज्य पर कुल कर्ज की बकाया राशि के 59280 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है।**[2] इस प्रकार राज्य कर्ज के भार से उत्तरोत्तर अधिक दबता जा रहा है। फिर भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में राजस्थान पर कर्ज का भार अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो **'राजकोषीय अलार्म'** (राजकोषीय खतरे की घंटी) के दौर में प्रवेश कर गया है।

इस प्रकार राजस्थान की स्थिति यू.पी. से तो बेहतर है, लेकिन राज्य पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज व अग्रिम राशियों का भार काफी ऊँचा है। आजकल नये केन्द्रीय ऋण पुराने ऋण की अदायगी में प्रयुक्त होने लगे हैं। राज्य को अधिकांश केन्द्रीय सहायता भी ऋणों के पुनर्भुगतान में प्रयुक्त हो जाती है। इससे राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति का पता चलता है। राज्य को नई योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी दशा में सरकार के समक्ष वित्तीय साधनों को जुटाने की जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। सिंचाई व विद्युत आदि क्षेत्रों में किए गए विनियोगों से उचित प्रतिफल नहीं मिलने से गहरा वित्तीय संकट बना रहता है। वित्तीय साधनों की हानि को कम करने के लिए सरकार ने शराबबन्दी को समाप्त कर दिया, जिससे राज्य को आबकारी कर से पुनः अच्छी आमदनी होने लगी है। 2003-04 के संशोधित अनुमानो में इससे 1240 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है।

1. Financial Management, Development Planning and Economic Reforms in Rajasthan, GOR December 1995 p 2
2. मार्च, 2004 में राज्य वित्त विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर।

(9) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बेरोजगारी व अल्प- रोजगार की समस्याएँ—1991-2001 के बीच राजस्थान की जनसंख्या में 28 33% की वृद्धि हुई, जो भारत में औसत वृद्धि (21 34 प्रतिशत) से 7% विन्दु अधिक है । राज्य में रोजगार के साधनों के अभाव में बेरोजगारी की समस्या भी विद्यमान है । रोजगार सलाहकार समिति (अध्यक्ष डॉ. विजय शंकर व्यास) की दिसम्बर, 1991 की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 1991 से 2000 की अवधि में 44 लाख नये व्यक्ति श्रम-शक्ति में प्रविष्ट होंगे । पहले के 4 83 लाख बकाया बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल करने पर उपर्युक्त अवधि में लगभग 49 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने होंगे । इस पर अधिक विस्तार से एक स्वतंत्र अध्याय में विवेचन किया गया है । अकाल के वर्षों में बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो जाती है । लोग यथासम्भव रोजगार के लिए शहरों की तरफ आने लगते हैं, जिससे शहरों की स्थिति और भी खराब हो जाती है । राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण की समस्या भी बहुत जटिल है । इसका सामाजिक पहलू भी है । अतः उनको हल करने के लिए कई दिशाओं में प्रयत्न करने आवश्यक हो गए हैं ।

(10) धीमी आर्थिक प्रगति के अन्य कारण—उपर्युक्त तत्त्वों के अलावा राज्य के आर्थिक विकास में अन्य तत्त्व भी बाधक रहे हैं, जैसे गाँवों का सामाजिक पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, कुशल व ईमानदार प्रशासन का अभाव एवं पर्याप्त जन सहयोग की कमी । इनमें से कुछ कारण तो समस्त देश में धीमी आर्थिक प्रगति के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं, लेकिन राजस्थान का सामन्ती वातावरण, सामाजिक पिछड़ापन, जाति-प्रथा, ऊँच-नीच का भेद-भाव एवं शिक्षा की कमी आदि यहाँ के विकास को विशेष रूप से अवरुद्ध करते रहे हैं । योजना-कार्यों पर जितना धन व्यय किया जाता है, उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता । साधनों के अभाव की स्थिति में साधनों का सर्वोत्तम उपयोग और भी अधिक आवश्यक हो गया है । राजस्थान की धीमी आर्थिक प्रगति के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करने के बाद अब हम राज्य में आर्थिक प्रगति को तेज करने के उपायों के बारे में आवश्यक सुझाव देते हैं ।

भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए सुझाव (Suggestions for Rapid Economic Growth in Future)

राज्य मे नवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से लागू की गई थी । 1990-91 व 1991-92 के वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएँ सचालित की गई थीं । इस समय 2003-2004 की वार्षिक योजना कार्यान्वित की जा रही है जो दसवीं पचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है । अत हमे भूतकाल के अनुभवो से लाभ उठाकर भावी नियोजन को अधिक सक्रिय व सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि राज्य में विकास की गति तेज की जा सके । इस सम्बन्ध मे निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं–

(1) आर्थिक सर्वेक्षण—राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा में होने चाहिए जिससे औद्योगिक व खनिज विकास की भावी सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके । इन सर्वेक्षणों से आवश्यक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे । आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्

(NCAER) ने राज्य के लिए 1974-89 की अवधि के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की थी, जिसमें राज्य के भावी विकास के लिए काफी उपयोगी सुझाव दिए गए थे । एम.वी. माथुर समिति ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना निर्धारित करने के लिए अपनी जून, 1989 की रिपोर्ट में कई उपयोगी सुझाव दिए थे । राजस्थान में **'रोजगार समस्या की मात्रा व भावी अनुमानों'** पर रोजगार सलाहकार समिति ने दिसम्बर, 1991 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट जारी की थी जिसमें वर्ष 2000 तक राज्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए थे । राज्य सरकार ने भावी विकास के लिए "विकास-परिदृश्य" पर एक प्रतिवेदन तैयार किया है जो दीर्घकालीन नियोजन की दिशा में एक उपयोगी कदम है । इसे अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।

(2) सूखे से बचने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास—राज्य में निरन्तर पड़ने वाले अकालों से बचने के लिए सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाना चाहिए । इसके लिए **सिंचाई के साधनों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए** । राज्य में सभी प्रकार के साधनों से अन्तिम सिंचाई की सम्भाव्यता 52 लाख हैक्टेयर आँकी गई है जिसमें से 1993-94 के अन्त तक 45 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की क्षमता का विकास कर लिया गया था । अत: भविष्य में सिंचाई के विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, जिनका उपयोग किया जाना चाहिए । पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी बढ़ाई जानी चाहिए और ट्यूब-वैलों के समीप चारे को जमा करने के लिए 'फॉडर बैंक' बनाने चाहिए । सिंचाई के विस्तार का एक प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ा है कि गंगनहर अथवा इन्दिरा गाँधी नहर के क्षेत्र में जहाँ कुछ वर्ष पूर्व चराई के मैदानों से 'सेवण' (Seven) घास उपलब्ध हो जाती थी, अब वहाँ खेती का विस्तार होने से घास की मात्रा काफी कम हो गई है और पशुओं को सुदूर स्थानों में चराई के लिए ले जाना पड़ता है । इसलिए राज्य में चारे का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा । इस दिशा में डेयरी विकास निगम, राजस्थान गौ-सेवा संघ व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के प्राधिकारी चारे का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ।

(3) राजस्थान के शुष्क प्रदेश में भू-संरक्षण व जल व्यवस्था—राजस्थान के शुष्क प्रदेश में सिंचाई की सम्भावनाएँ सीमित होने से उपलब्ध नमी के संरक्षण व कुशल उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । फसलों का ऐसा प्रारूप अपनाना होगा जो कम नमी के अनुकूल हो । इसके लिए बन्डिंग या कन्टूर-बन्डिंग की विधि ज्यादा उपयुक्त होगी, बनिस्बत टेरेसिंग (terracing), रिजमेकिंग (ridge-making), चैक-डेम (check-dam) के निर्माण, आदि के । बन्ध के खेतों में चने की फसल कम वर्षा के समय भी हो सकती है । हवा को रोकने में पेड़ व झाड़ियाँ भी लाभप्रद हो सकते हैं । शुष्क प्रदेशों में कैर आदि के पेड़ बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । कुछ स्थायी घास की किस्में सुरक्षात्मक टुकड़ियों का काम कर सकती हैं । इन टुकड़ियों के बीच में खेती की जा सकती है । इनसे खड़ी फसलों की रक्षा की जा सकती है । मिट्टी का हवा से होने वाला कटाव रुकता है और नमी पर नियंत्रण हो पाता है । इन संरक्षण के उपायों से शुष्क प्रदेश में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत मदद मिल सकती है ।

(4) अरावली क्षेत्र के विकास पर बल—अरावली प्रदेश का राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश के सतह व भूजल-स्रोतों व भण्डारों के निर्धारण में काफी महत्त्व है तथा यह रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। लेकिन इस क्षेत्र को पिछली अवधि में काफी क्षति का सामना करना पड़ा है और इसकी पर्यावरण व परिवेश सम्बन्धी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इस प्रदेश के विकास को पहाड़ी-क्षेत्र के विकास में शामिल करने से राज्य को काफी लाभ पहुँचेगा। योजना आयोग के एक कार्य-कारी दल ने इसका समर्थन किया है। अत: भविष्य में अरावली प्रदेश का विकास पहाड़ी क्षेत्र विकास का अनिवार्य अंग बनाया जाना राज्य के हित में होगा। इस पर पहले अधिक विस्तार से विवेचन किया जा चुका है।

(5) पेयजल की सुविधा—राज्य में जिन क्षेत्रों में पेयजल का अभाव पाया जाता है, उनमें जल-पूर्ति के कार्यक्रम तेजी से लागू करने होंगे। खारे पानी की पट्टी में पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए गाँवों के समूह के लिए क्षेत्रीय योजनाएँ बनानी पड़ेंगी और आस-पास के क्षेत्रों में नलों के जरिए पानी पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी। जहाँ पानी गहराई में उपलब्ध होता है और मनुष्य व पशुओं के पीने योग्य होता है, वहाँ अधिक संख्या में ट्यूब-वैल लगाने होंगे। कुछ क्षेत्रों में नये कुएँ खोदने और पुराने कुओं को गहरा करने से भी काफी सीमा तक पेयजल की समस्या हल हो सकती है।

(6) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास—इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के क्षेत्र में नई बस्तियाँ बसाई जा सकती हैं जिनमें काफी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अत: इस क्षेत्र में मिट्टी के सर्वेक्षण, सड़क-निर्माण, वृक्षारोपण, पानी की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सच पूछा जाए तो **मरुभूमि का कल्याण इस नहर को पूरा करने पर निर्भर करता है**। इस योजना के पूरा हो जाने पर सारा प्रदेश हरा-भरा हो जाएगा और सारी धरती लहलहा उठेगी। अत: केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार दोनों को मिलकर यथासम्भव शीघ्रता से इस परियोजना के दोनों चरणों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक विलम्ब होने से भविष्य में परियोजना की लागत और बढ़ जाएगी और अन्य कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। राज्य सरकार चाहती है कि भारी वित्तीय व्यय की आवश्यकता के कारण इसे केन्द्र अपने हाथ में लेकर संचालित करे।

अकाल-राहत कार्यों में सड़क-निर्माण के नाम पर काफी रुपया प्रतिवर्ष व्यय होता रहा है, लेकिन सड़कें फिर भी ठीक से नहीं बन पाती हैं। यदि यही धनराशि इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को पूरा करने में लगती तो राज्य के लिए ज्यादा अच्छा होता। **इस प्रकार साधनों के अभाव की स्थिति में भी साधनों का दुरुपयोग होना वास्तव में एक चिन्ता का विषय है और वह प्रभावपूर्ण नियोजन के अभाव का सूचक है।**

निरन्तर सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम चालू किए हैं। यह कार्यक्रम जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, चूरू, बीकानेर, बाँसवाड़ा व डूँगरपुर जिलों में लागू किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सड़क, लघु

सिंचाई, वृक्षारोपण, चरागाह विकास, ग्राम्य-जल सप्लाई योजना, आदि पर बल देने से अकालों की भीषणता में कमी होगी और लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। राज्य में अकाल राहत कार्यों के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाना चाहिए।

(7) आधुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकास—अभी तक राजस्थान में आधुनिक किस्म के लघु उद्योगों का विकास कम हुआ है। राज्य में कृषिगत उत्पादन बढ़ाने से कृषि-आधारित उद्योगों (Agro-based industries) व फूड प्रोसेसिंग उद्योगों जैसे तेल उद्योग, कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग, खण्डसारी, ब्रेड, बिस्कुट, फलों एवं सब्जियों को डिब्बों में भरने, मेथी, पापड़-भुजिया, शर्बत, मसालों आदि का विकास किया जा सकता है।

भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ में पावर लूम का विस्तार किया जा सकता है। लकड़ी-आधारित उद्योग भी डूँगरपुर व झालावाड़ मे स्थापित किए जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में लकड़ी की पेटियाँ, कार्ड बोर्ड, औजारों के हत्थे, लकड़ी चीरने आदि के उद्योग गिनाए जा सकते हैं। राज्य में खनिज-आधारित उद्योगों में चीनी-मिट्टी के बर्तन, अभ्रक की पिसाई, मारबल कटिंग व ड्रेसिंग आदि का विकास किया जा सकता है। रसायन उद्योगों में साबुन पेंट-वार्निश, प्लास्टिक, बूट-पॉलिश आदि का विकास सम्भव है। धातु-आधारित उद्योगों में शीट मेटल राज्य का सामान्य उद्योग रहा है। भविष्य में कृषि औजारों, तारों का निर्माण, आटा मिलें, स्टील फर्नीचर, स्टोव, कुकर्स, ताले, साइकिल व खिलौने आदि बनाए जा सकते हैं। विविध समूह में खेल का सामान, बर्फ, आइसक्रीम, सिले-सिलाए वस्त्र, गलीचों, जूतों, दुग्ध पदार्थ आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। राज्य में रत्न-जवाहरात व आभूषणों, नाना प्रकार की दस्तकारियों, पर्यटन आदि के विकास के अवसर विद्यमान हैं जिनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।

इस प्रकार विभिन्न किस्म के उद्योगों का विस्तार करके उपभोक्ता-माल व अन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के विकास के भी काफी अवसर हैं। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है।

(8) प्रवासी अथवा अनिवासी (NRIs) उद्यम- कर्त्ताओं को आकर्षित करना—औद्योगिक विकास में उद्योगपतियों से अधिक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और उन्हें नये उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजस्थान के कुछ उद्योगपति अन्य राज्यों में उद्योगों को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें अपने राज्य में आकर उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज की परिवर्तित परिस्थितियों में 'निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र' की नीति का विशेष अर्थ नहीं रह गया है, बल्कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों के शीघ्र व पर्याप्त विकास एवं विस्तार की नीति अपनाई जानी चाहिए। निजी उद्योगपतियों में उद्योगों के संस्थापन, संचालन व विकास की जो योग्यता पाई जाती है, उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। **हमें अनियंत्रित पूँजीवाद की शोषण प्रवृत्ति एवं सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्यकुशलता व अकर्मण्यता के बीच का कोई अधिक सही एवं अधिक व्यावहारिक मार्ग ढूँढना चाहिए। देश के आर्थिक विकास में दोनों क्षेत्रों का समुचित सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके**

लिए संयुक्त क्षेत्र का विकास करना भी उचित होगा। रीको के द्वारा संयुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने से राज्य में आने वाले वर्षों में औद्योगिक विनियोगों में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भी औद्योगिक विकास में सहयोग बढ़ रहा है जिसे भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है।

(9) वित्तीय साधनों में वृद्धि—पहले बतलाया जा चुका है कि राज्य के पास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय साधनों की कमी रहती है। इसमें वृद्धि करना आवश्यक है। इसके लिए सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं में किए गए पुराने विनियोगों से उचित प्रतिफल प्राप्त करने होंगे। जिन क्षेत्रों व जिन वर्गों की आमदनी बढ़ी है, उनसे अधिक मात्रा में वित्तीय साधन जुटाने होंगे और भविष्य में अपव्ययपूर्ण खर्च को रोकना होगा। राज्य को आन्तरिक साधनों के संग्रह पर अधिक बल देना चाहिए। गैर-योजना व्यय की वृद्धि पर रोक न लग सकने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति काफी शोचनीय हो गई है। समय-समय पर राज्य कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने व बोनस आदि देने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ जाता है। इससे राज्य का वित्तीय संकट बढ़ता है। राज्य के राजस्व का बड़ा भाग प्रशासन पर व्यय हो जाता है, जिससे विकास कार्यों के लिए वित्तीय साधनों का अभाव रहने लगा है। सरकार ने पानी, बिजली व बसों के किराये बढ़ाकर साधन-ग्रहण करने का प्रयास किया है, लेकिन इससे सर्व-साधारण पर आर्थिक भार बढ़ा है। विभिन्न परियोजनाओं की लागत कम करने व प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

(10) राज्य में पशुधन के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए—राजस्थान में पशुपालन एक महत्त्वपूर्ण सहायक व्यवसाय है। इससे राज्य की आय में लगभग 15% का योगदान मिलता है, लेकिन योजना के परिव्यय का 1% से कम अंश ही पशुपालन पर खर्च किया जाता है। अतः इस असन्तुलन को कम करने की आवश्यकता है। पशु-धन के विकास पर अधिक विनियोजन करने की आवश्यकता है।

(11) पर्यटन का विकास किया जाना चाहिए—प्रायः यह देखा गया है कि भारत में आने वाले प्रत्येक तीन पर्यटकों में से एक पर्यटक राजस्थान अवश्य आता है। इससे राज्य पर्यटन से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। राजस्थान में कई पर्यटन स्थल हैं, जहाँ किले, मन्दिर (जैसे माउन्ट आबू में दलवाड़ा का सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर आदि), अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह, पुष्कर झील, पर्वतीय प्रदेश, वन, पुरानी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कला-कृतियाँ आदि दर्शनीय हैं। इनको देखकर विदेशी पर्यटक बहुत प्रभावित होते हैं। अतः पर्यटन-विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए जयपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदला जाना चाहिए ताकि सीधी चार्टर उड़ानें इस शहर तक की आ सकें। इसके लिए पर्यटन-निदेशालय को अनेक प्रकार के कार्य सम्पन्न करने होंगे। दस्तकारियों का विकास करना होगा। गाइडों व टैक्सी-ड्राइवरों की अनुचित आदतों पर अंकुश लगाना होगा जिनके सम्पर्क में विदेशी पर्यटक आते ही बहुत निराश हो जाते हैं। राज्य में पर्यटन को उद्योग घोषित करने का कदम काफी सराहनीय रहा है। अब पर्यटन

को परियोजनाओं के लिए पूँजी-विनियोजन पर 15% से 20% सब्सिडी भी दी जाने लगी है।

(12) जिलास्तरीय नियोजन को सक्रिय रूप देकर साधनों का अधिक कारगर उपयोग किया जाना चाहिए तथा विकेन्द्रित नियोजन को सफल बनाया जाना चाहिए। नियोजन की तकनीक में सुधार किया जाना चाहिए। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में नये सिरे से लागत-लाभ अध्ययन किए जाने चाहिए। IRDP व JRY के लिए आवश्यक परियोजनाओं का चयन सही ढंग से किया जाना चाहिए। जवाहर रोजगार योजना को सफल बनाने तथा पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय करने के लिए जिला, खण्ड व ग्राम-स्तर पर परियोजनाओं के चयन का महत्त्व बढ़ गया है। इस सम्बन्ध में नये सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय साधनों का अपव्यय रोका जा सके और उत्पादक रोजगार बढ़ाया जा सके।

(13) अन्य सुझाव—विकास की प्रक्रिया में आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में समुचित ताल-मेल बैठाया जाना चाहिए। राज्य में शिक्षा का प्रसार करके सामाजिक पिछड़ेपन को दूर किया जाना चाहिए और प्रशासनिक कार्यकुशलता में भी सुधार किया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक असमानता को भी कम करना होता है जिसके लिए राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व हरिजनों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चलाने होंगे। प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि करने की नीति के साथ-साथ कार्यकुशल व ईमानदार व्यक्ति के लिए उचित प्रेरणाएँ व पुरस्कार एवं अकार्यकुशल व बेईमान व्यक्तियों के लिए कड़ी सजाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये बातें काफी जानी-बूझी हैं, लेकिन आवश्यकता है इनको व्यवहार में लागू करने की, जिससे विकास की गति तेज की जा सके तथा सभी क्षेत्रों में उत्पादन व कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके।

(14) राज्य नियोजन व विकास बोर्ड को सक्रिय बनाने तथा पंचवर्षीय योजना का संशोधित प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता—कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में राज्य नियोजन बोर्ड (State Planning Board) गठित किया गया था, लेकिन उसने योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में अभी तक कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है। गहलोत सरकार ने इसका पुनर्गठन किया था। सरकार को केन्द्र से आवश्यक विचार-विमर्श करके इसे और अधिक सक्रिय बनाना चाहिए। योजना आयोग की भाँति इसका भी पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि राज्य की विभिन्न समस्याओं के विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्रों में गहन अध्ययन करके राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के लिए व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक आदि के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है।

राज्य का योजना विभाग पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करके दिल्ली में योजना आयोग को पेश करता रहा है जिसमें आवश्यक कटौती व संशोधन करके योजना आयोग अपनी स्वीकृति देता है। उसके बाद पूर्व वर्षों में पंचवर्षीय योजना का

संशोधित व अन्तिम रूप फिर से विस्तारपूर्वक तैयार करने की कोशिश नहीं होती थी, बल्कि वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही योजना की प्रक्रिया जैसे-तैसे जारी रखी जाती थी। इससे नियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य या दृष्टि (long term perspective) का अभाव सदैव बना रहता था। यहाँ तक कि पंचवर्षीय दृष्टि भी ठीक से सामने नहीं आ पाती थी। राजस्थान के आर्थिक नियोजन में फिलहाल 10 या 15 वर्षों के परिप्रेक्ष्य का अभाव माना गया है। इस अभाव को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ समय पूर्व वर्ष 2011 के लिए **"विकास-परिदृश्य" (Development Vision)** का एक प्रारूप तैयार किया था जो सही दिशा में प्रयास माना जा सकता है। भविष्य में आवश्यक संशोधन के बाद पंचवर्षीय योजना का अन्तिम मसौदा भी अवश्य तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि मार्च 1993 में आठवीं योजना, 1992 97 के लिए किया गया था। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों तथा राज्य की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित व्यय की राशि के आधार पर पंचवर्षीय योजना का ब्यौरेवार संशोधित व नया प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। इससे विकास व उत्पादन के लक्ष्यों पर अधिक ध्यान देने के अलावा राज्य में नियोजन की भूमिका अधिक सबल व सार्थक बन सकेगी। पिछले वर्षों में राज्य में बहुत कुछ वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही काम चलाया जाता रहा है जो काफी नहीं है। **बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) का अंतिम स्वरूप भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। राज्य में योजना के आकार के सम्बन्ध में काफी भ्रमपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कोई योजना के बडे आकार का समर्थन कर रहा है, तो कोई इसके छोटे आकार का। इस सम्बन्ध में आर्थिक विश्लेषकों व विशेषज्ञों से सलाह करके कोई सार्थक निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है।**

यहाँ भी गुजरात की भाँति औद्योगिक योजना को अधिक वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए काफी तकनीकी कार्य करना होगा, जैसे विभिन्न उद्योगों के बीच आवश्यक कड़ियों की स्थापना करना (Inter-industry linkages), विभिन्न जिलों या उद्योगों के बीच औद्योगिक कड़ियाँ स्थापित करना, कृषि व उद्योगों के बीच कड़ी स्थापित करना, औद्योगिक संगठन व प्रबन्ध के नये ढाँचे तैयार करना, प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाना, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर व उद्योगों के बीच कड़ी स्थापित करना, टेक्नोलोजी मिशनों का औद्योगिक विकास में उपयोग करना, आदि-आदि। अभी तक इस प्रकार के औद्योगिक नियोजन का राजस्थान में नितान्त अभाव रहा है और कुछ ऐच्छिक किस्म के निर्णयों से काम चलाया जाता रहा है। आशा है 2002-2007 की अवधि में दसवीं पंचवर्षीय योजना पहले की नियोजन की प्रवृत्तियों व प्रक्रियाओं से मुक्त होकर वैज्ञानिक व तकनीकी नियोजन का मार्ग ग्रहण कर पाएगी, जिनके अभाव में नियोजन एक दिखावे या भुलावे (या कुछ व्यक्तियों के अनुसार छलावे)

के अलावा और कुछ नहीं रह गया है बल्कि वह एक तरह से शुद्ध पूँजीवादी बाजार-तंत्र से भी अधिक बदतर हो गया है । इस प्रकार राज्य में सम्पूर्ण **नियोजन-तंत्र अधिक को व्यापक व अधिक वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है** । इसके लिए राज्य के नियोजन बोर्ड में विशेषज्ञों की एक "सक्षम टीम" होनी चाहिए । हालांकि इस कार्य में काफी विलम्ब हो गया है । लेकिन '**कभी नहीं से तो देर ही सही**' के नियम के अनुसार राज्य में नियोजन को अधिक सक्रिय व अधिक सार्थक बनाने की आवश्यकता है । पूर्व में गहलोत सरकार ने राज्य में '**आर्थिक सलाहकार बोर्ड**' (EDB) का गठन करके राज्य के दीर्घकालीन विकास में उद्योगपतियों, विशेषज्ञों व अधिकारियों का व्यापक सहयोग लेने का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया था । जनवरी 2004 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने के बाद विकास का परिदृश्य एक नया रूप ले रहा है । सरकार ने एक '**आर्थिक नीति व सुधार परिषद्**' तथा एक '**व्यय-सुधार-आयोग**' का गठन किया है, जो राज्य के आर्थिक व वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के सम्बन्ध मे अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे ।

राज्य में खनिज सम्पदा, डेयरी विकास व पशु-धन के विकास की काफी संभावनाएँ विद्यमान हैं । राज्य सरकार चारे का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है । इसके लिए इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र का उपयोग घास उगाने के लिए भी करना होगा । इस दिशा मे अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । अत: कोई कारण नहीं कि सुनियोजित व अधिक सक्रिय ढंग से आगे बढ़ने पर राज्य अपना आर्थिक विकास अधिक तेज गति से न कर सके । आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमो व अकाल राहत-कार्यक्रमों में अधिक ताल-मेल बैठाया जाना चाहिए । राज्य की जल-समस्या पर विशेष ध्यान देया जाना चाहिए। केन्द्र की भाँति राज्य-स्तर पर भी आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को लागू करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में काफी स्पष्ट कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर नये सिरे से विचार करके '**सहकारी-संघवाद**' (**cooperative federalism**) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. आठवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि क्या थी ?
   (अ) 1991-96 (ब) 1992-97
   (स) 1990-95 (द) 1993-98 (ब)

2. नवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि क्या थी ?
   (अ) 1996-2001 (ब) 1990-1995
   (स) 1995-2000 (द) 1997-2002 (द)

3. ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो योजना लागू की गई है, उसका ना है ?
   (अ) *गुरुमित्र योजना* (ब) *शिक्षाकर्मी योजना*
   (स) सरस्वती योजना (द) गोपाल योजना (स)

4. राजस्थान की आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वास्तविक व्यय की राशि सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में लगभग कितनी गुनी रही ?
   (अ) 3 9 गुनी (ब) 4 गुनी
   (स) 3 5 गुनी (द) 3 गुनी (अ)

5. राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना के वास्तविक व्यय में सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया ?
   (अ) सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण पर
   (ब) शक्ति पर
   (स) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर
   (द) कृषि, ग्रामीण विकास व विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर (स)

6 राजस्थान की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक व्यय का सार्वधिक अंश *सामान्यतया किस मद पर किया गया ?*
   (अ) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर
   (ब) सिंचाई व शक्ति पर
   (स) कृषि व ग्रामीण विकास पर
   (द) उद्योग, खनन व पर्यटन पर (ब)

7. राजस्थान के नियोजित विकास की प्रमुख उपलब्धि रही है—
   (अ) विकास की ऊँची वृद्धि दर
   (ब) रोजगार में वृद्धि
   (स) *आधार-ढाँचे का तेजी से विकास*
   (द) सिंचित क्षेत्र में वृद्धि (द)

8. राजस्थान के विकास में प्रमुख बाधा है—
   (अ) गर्म जलवायु (ब) जनता का अशिक्षित होना
   (स) वित्तीय साधनों का अभाव (द) जल का अभाव (द)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं ? नियोजन काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कीजिए । **(Raj. Iyear, 2004)**

2. "राजस्थान के धीमे आर्थिक विकास के लिए सतत अकाल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, शृंखला और रिसाव, दोषपूर्ण प्राथमिकताएँ, उदासीन जन सहयोग तथा केन्द्रीय सहायता पर अत्यधिक निर्भरता ही उत्तरदायी है।" समीक्षा कीजिए।

राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएँ
(Constraints in the Economic Development of Rajasthan)

हमने इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विवरण में उनसे सम्बद्ध बाधाओं व समस्याओं का उल्लेख किया है और संक्षेप में उनको दूर करने व हल करने के उपाय भी सुझाए हैं। विशेषतया नियोजन के अध्याय में राज्य में नियोजित विकास की बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है तथा विकास की गति को तेज करने के उपाय भी सुझाए गए हैं। इस अध्याय में हम अधिक गहराई से कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं का विवेचन करेंगे और उनको दूर करने के व्यावहारिक उपायों की चर्चा करेंगे ताकि राज्य द्रुत गति से सामाजिक-आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होकर बेरोजगारी, निर्धनता तथा आर्थिक असमानता की समस्याओं का निवारण कर सके।

योजनाकाल में आर्थिक प्रगति के बावजूद आज भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कई दृष्टियों से कमजोर बनी हुई है। इसके भावी विकास में निम्न बाधाएँ मानी जा सकती हैं—

(i) राज्य के विकास में प्रमुख बाधा भौगोलिक है। 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में भारत का बड़ा मरुस्थल फैला हुआ है। जनसंख्या के दूर-दूर तक छितरे होने के कारण बुनियादी सेवाओं जैसे विद्युत, जल, सड़क, शिक्षा, संचार, चिकित्सा, आदि को पहुँचाने की प्रति व्यक्ति लागत ऊँची आती है,

(ii) कृषि की मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। मानसून के विलम्ब से आने, अथवा इसके अभाव, अथवा वर्षा के क्रम में अन्य गड़बड़ हो जाने से कृषिगत उत्पादन बहुत प्रभावित होता है,

(iii) राज्य में **जनसंख्या की वृद्धि की दर** भारत की औसत वृद्धि-दर से अधिक होने के कारण (1991-2001 में राजस्थान में लगभग 28.3% तथा भारत में 21.3%) आर्थिक दृष्टि से कमजोर अर्थव्यवस्था पर निरन्तर जनभार बढ़ता जा रहा है;

(iv) श्रम-शक्ति में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगों को रोजगार देने में कठिनाई आ रही है। बेरोजगारी पर व्यास-समिति की दिसम्बर 1991 की अन्तिम रिपोर्ट

(इस विषय का विस्तृत विवरण आगे चलकर एक पृथक् अध्याय में दिया गया है) के अनुसार 2000 के अन्त तक राज्य में पूर्ण रोजगार देने के लिए इस अवधि में 49 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना होगा। राज्य में शिक्षित वर्ग में भी बेरोजगारी की समस्या काफी गम्भीर होती जा रही है,

(v) राज्य में जल का नितान्त अभाव है। राजस्थान की सतही जल की मात्रा समस्त भारत के सतही जल की मात्रा का 1% है, जो बहुत कम है। भूमि के नीचे जल कई स्थानों पर लवणीय है तथा अन्य स्थानों में सूखे के कारण जल-स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अतः राजस्थान में जल-प्रबन्ध का प्रश्न सर्वोपरि माना गया है। इसे राज्य की समस्या नं । माना जा सकता है;

(vi) राज्य के स्वयं के विद्युत-उत्पादन के स्रोतों का विकास होना बाकी है। आज भी राज्य विद्युत के लिए बाहरी साधनों पर काफी निर्भर करता है जिनमें कुछ में इसका प्रत्यक्ष हिस्सा है और कुछ में से इसे हिस्सा आवंटित किया गया है, जिनका स्पष्टीकरण सम्बन्धित अध्याय में किया जा चुका है। विद्युत की माँग व पूर्ति में अन्तर बढ़ता जा रहा है जिसे कम करने के लिए राज्य के ताप बिजलीघरों (बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित बिजली की परियोजना सहित), सौर्य ऊर्जा व पवन ऊर्जा का शीघ्र विकास करना आवश्यक है,

(vii) राज्य में सामाजिक व आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आज भी काफी पिछड़ा हुआ है । राजस्थान में साक्षरता की दर 2001 में 61% रही जो 1991 की तुलना में अधिक होते हुए भी समस्त भारत के 65.4% के औसत से कम है । इससे राज्य के शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का अनुमान लगाया जा सकता है ।

(viii) राज्य परिवहन व संचार की दृष्टि से भी राष्ट्रीय स्तर से नी‌चे आता है जिससे अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, खनन आदि का विकास भी अवरुद्ध हो गया है,

(ix) राज्य के विभिन्न भागों में विकास की दृष्टि से काफी असमानताएँ पाई जाती हैं जिन्हें कम करने का प्रयास करना होगा,

(x) इसके अलावा राज्य के पास विकास के लिए वित्तीय साधनों का अभाव रहने से इसे केन्द्रीय सहायता पर अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार राज्य के विकास में मूलतः भौगोलिक, जनांकिकीय (Demographic) आधार-ढाँचे से सम्बन्धित (Infrastructural), वित्तीय, प्रशासनिक आदि बाधाएँ हैं, जिनको दूर किए बिना राज्य के सुखद भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती ।

अब हम कृषिगत विकास व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे और प्रत्येक बाधा के साथ ही उसको दूर करने का उचित व प्रभावशाली उपाय भी सुझाएँगे ताकि आगामी 10-15 वर्षों में उन बाधाओं को काफी सीमा तक दूर किया जा सके । इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्थान मे आज की तुलना में आर्थिक विकास की भावी सम्भावनाएँ काफी हैं और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने पर राज्य विकसित राज्यों की पंक्ति में आ सकता है ।

(अ) राजस्थान के कृषिगत विकास की प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के उपाय

हम कृषिगत विकास के अध्याय में बतला चुके हैं कि योजनाकाल मे राज्य मे कुल कृषित क्षेत्रफल प्रथम योजना के औसतन 113 लाख हैक्टेयर से बढकर 2000-01 में 192 3 लाख हैक्टेयर हो गया। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% से बढकर लगभग 56 1% हो गया। इस प्रकार राज्य मे कुल जोते-बोए गए क्षेत्र मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो एक सतोष का विषय है। इसी अवधि मे कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषित क्षेत्रफल के 12% से बढकर 31 9% पर आ गया है तथा विभिन्न फसलों की पैदावार बढी है। कृषिगत इन्पुट जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ, कृषिगत औजार आदि का विस्तार हुआ है। राज्य ने तिलहन के उत्पादन मे नए कीर्तिमान स्थापित किए है। उद्यान व फल-विकास, पुश-पालन, दुग्ध-व्यवसाय व अन्य सम्बद्ध क्रियाओ का विकास किया गया है।

लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद भावी कृषिगत विकास के मार्ग में कुछ बाधाएँ हैं जिनको दूर करना होगा। इनका सम्बन्ध फसलों के विकास के साथ-साथ फलोद्यान, पशु-पालन, चारा, जल-प्रबन्ध आदि से है। इनका विवेचन नीचे किया जाता है—

(1) भूमि पर सीमा-निर्धारण कानून के क्रियान्वयन में बाधाएँ—राजस्थान में सामन्ती प्रथा का बोलबाला रहा है। राज्य में जागीरदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन के कानून बनाए गए हैं। उनके माध्यम से मध्यस्थ-वर्ग को समाप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है। लेकिन सीलिंग कानून के तहत अतिरिक्त भूमि को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति धीमी व असन्तोषजनक रही है, क्योंकि इसके क्रियान्वयन को अदालतों में **'स्टे'** लाकर चुनौती दी गई है, जिसके फलस्वरूप भूमिहीनों में भूमि का वितरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया है। इससे भूमि के वितरण की असमानता कम नहीं हो पाई है।

(2) मानसून पर निर्भरता को देखते हुए उचित जल-प्रबन्ध की आवश्यकता—राजस्थान में मानसून की अनियमितता, अनिश्चितता व अपर्याप्तता को देखते हुए जल-प्रबन्ध को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सर्वथा उचित माना जाएगा। राज्य में भारत के कुल सतही जल का 1% हिस्से में आया है, जो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ देश के कृषित क्षेत्र का 11% है तथा राज्य की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत 536 मिलीमीटर है, जो पश्चिम में जैसलमेर व बीकानेर जिलों में 100 से 250 मिलीमीटर के बीच तथा पूर्व में बाँसवाड़ा व झालावाड़ जिलों में 900 मिमी. से अधिक पाया जाता है।[1]

राज्य में वर्षा के अभाव के कारण प्रायः सूखे व अभाव की दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उपलब्ध जल-साधनों में से लगभग 70% सतही जल एवं 50% भू-जल का उपयोग किया जा चुका है। हालांकि 1997-98 के आँकड़ों के अनुसार कुल कृषित क्षेत्र के 30% भाग पर सिंचाई की जाने लगी है, फिर भी लगभग 70% कृषित भाग अभी भी वर्षा पर आश्रित है।

---

1 राज्य में औसत वर्षा ५६ सेन्टीमीटर होती है, जो 10 से 90 सेन्टीमीटर के बीच पाई जाती है।

जिलेवार सिंचित क्षेत्र में काफी असमानताएँ पाई जाती हैं। इसलिए सीमित मात्रा में उपलब्ध जल के संरक्षण व सदुपयोग के जरिए अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना सम्भव हो सकता है। अनुमान है कि उपलब्ध जल का लगभग आधा भाग खेत तक पहुँचने में ही नष्ट हो जाता है। बहकर जाने वाले वर्षा के जल का खेत में ही संरक्षण व उपयोग होना चाहिए। इससे नमी-संरक्षण (Moisture Conservation) में मदद मिलेगी। **सूखी खेती के लिए जलधारा या जल-ग्रहण विकास कार्यक्रम (Watershed Development Programme) के माध्यम से वर्षा के जल को रोकने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि नमी-संरक्षण सम्भव हो सके। इससे पैदावार बढ़ेगी, लेकिन इस सम्बन्ध में ऐसी फसलों का चुनाव करना होगा जो जल्दी पक कर तैयार हो सकें। उनके लायक उर्वरकों व औजारों की भी व्यवस्था करनी होगी।** अत: राजस्थान में सूखी खेती के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। राज्य में भारत सरकार की सहायता से वर्षा-आश्रित क्षेत्रों के लिए 136 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय जल-ग्रहण विकास कार्यक्रम (National Watershed Development Programme) (NWDP) व विश्व बैंक की सहायता से 74 करोड़ रुपये की समन्वित जल-ग्रहण विकास परियोजना (Integrated Watershed Development Project) (IWDP) चालू की गई है।* जल के सर्वोत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न उपायों पर बल देना होगा—

(i) **सिंचाई हेतु पक्की नालियाँ बनाना**—सिंचाई के जल को फसल तक पूरी तरह पहुँचाने के लिए सिंचाई की नालियाँ पक्की करने या पी.वी.सी. पाइप लाइनें डालने हेतु किसानों को अनुदान दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से व्यर्थ जाने वाले पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी और जल की बर्बादी रुकेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य कृषकों को 25% तथा लघु व सीमान्त कृषकों को 50% अनुदान दिया जाता है। एक कृषक को 100 मीटर नाली बनाने के लिए यह सुविधा दी जाती है।

(ii) **फव्वारा-सिंचाई योजना** (Sprinkler Irrigation Scheme)—**यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लाभदायक होगा जहाँ भूमि समतल नहीं है, जल का रिसाव अधिक होता है, सिंचाई का साधन कुआँ व ट्यूब-वैल होता है एवं जल काफी गहराई से निकाला जाता है।** राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में जैसे—सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जालौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर आदि जिलों में इससे लाभ मिल सकते हैं। इसके प्रचार-प्रसार के लिए भी कृषकों को अनुदान देना चाहिए। इससे फलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। पिछले वर्षों में राज्य में फव्वारा सिंचाई सेट लगाने का कार्यक्रम रखा गया है। इससे सरसों की फसल में चेपा लग जाने पर वह इस पद्धति से धुल जाता है।

(iii) **बूँद-बूँद सिंचाई पद्धति** (Drip Irrigation)—इस पद्धति में पानी को खेत पर एक जगह एकत्र करके उसे कन्ड्यूट पाइपों द्वारा पौधों तक पहुँचाया जाता है। इससे पानी की किफायत होती है तथा फलों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके लिए

* **IWDP अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर व उदयपुर जिलों में विश्व बैंक की सहायता से नवम्बर 1990 से प्रारम्भ किया गया था और यह मार्च 1999 में समाप्त हो गया है।**

भी अनुदान दिया जाता है। इसमें एक बार पानी को स्टोर करने व अन्य व्यवस्था में व्यय अवश्य करना होता है, लेकिन बाद में इससे काफी किफायत होने लगती है।

(iv) **सामुदायिक नलकूप योजना**—जैसा कि पहले कहा जा चुका है भू-जल सिंचाई के क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक नलकूप योजना लागू की जा रही है। इसके लिए पर्याप्त भू जल (Ground-water) की आवश्यकता होती है। यह योजना सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर व टोंक जिलों में लाभकारी होगी। **एक सामुदायिक नलकूप के लिए लघु व सीमान्त कृषकों का एक समूह बनाना होता है। उनको सरकार अनुदान देती है और यह राशि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75% एवं अधिकतम 15 हजार रुपये प्रति कुआँ दी जा सकती है। इससे प्रतिवर्ष हजारों परिवारों को लाभ पहुँच सकता है।**

(v) **फसलों के प्रारूप में परिवर्तन**—सीमित जल का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन हेतु फसलों के ढाँचे को भी बदलना होगा। इसके लिए **अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों जैसे—गेहूँ, जौ आदि के स्थान पर कम जल की आवश्यकता वाली फसलों जैसे—सरसों, धनिया, चना, अलसी आदि फसलों का उपयोग करना होगा ताकि कृषकों की आय भी बढ़ाई जा सके।** इसके लिए फसल-प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए उर्वरक, बीज आदि के लिए अनुदान की भी व्यवस्था करनी होती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में सिंचाई की पक्की नालियाँ बनाकर, फव्वारा व बूँद-बूँद सिंचाई पद्धति का उपयोग करके, सामुदायिक नलकूप योजना अपनाकर व फसलों के ढाँचे को बदलकर, तथा सूखी खेती के विकास के लिए 'जल-ग्रहण' विकास कार्यक्रम को लागू करके कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने व इसमें वार्षिक उतार-चढ़ावों को कम करने की दिशा में प्रगति सम्भव हो सकती है।

(3) लवणीय मिट्टियों की समस्या—राज्य में लगभग 10 लाख हैक्टेयर भूमि लवणता व क्षारीयता (Salinity and alkalinity) की समस्याओं की शिकार है। 1987-88 में यह कृषित भूमि का लगभग 7.5% थी। इस समस्या का समाधान करने से कृषिगत उत्पादन बढ़ सकता है। राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग में कुओं की सिंचाई से लवणता की समस्या बढ़ी है। खारे पानी के कारण तथा मिट्टी के अपने लवणों के कारण यह समस्या फसलों के उत्पादन को गिरा देती है।

हाल में बीकानेर जिले के लूणकरणसर तथा कोलायत क्षेत्रों में 'सेम' (वाटरलोगिंग), जो लवणता को उत्पन्न करती है, व 'खार' की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इससे दूर-दूर तक भूमि पर लवण की सफेद-सफेद परतें जम गई हैं और धरती बंजर होती जा रही है। भूमि पर निरन्तर पानी के जमाव से 'सेम' के कारण खार बाहर निकल आता है जो भूमि को बंजर बना देता है। मूलत: खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी देने से यह समस्या उत्पन्न होती है, तथा पानी के निकास (Drainage) की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती।

लवणयुक्त मिट्टियों की समस्या का समाधान करने के लिए निम्न उपाय सुझाए गए हैं—*(i)* फसलों का एक विशेष प्रकार का ढाँचा, *(ii)* हरी खाद देना, *(iii)* भूमि की लवणता व क्षारीयता को ध्यान में रखकर उर्वरकों का उपयोग करना, *(iv)* लवणयुक्त सिंचाई के पानी में सुधार करना, *(v)* मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार जिप्सम का उपयोग करना।

कृषकों को इस सम्बन्ध में जानकारी दी जानी चाहिए तथा उनको उचित मात्रा में जिप्सम अनुदान सहित उपलब्ध कराई जानी चाहिए। समस्याग्रस्त मिट्टियों की जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा करने से लवणीय भूमि को पुनः काश्त में लाना सम्भव हो सकेगा। राजस्थान सरकार की विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत विस्तृत कृषि-विकास परियोजना में समस्याग्रस्त मिट्टियां वाली भूमि को पुनः काश्त में लाने की स्कीम भी शामिल की गई है।

(4) कृषिगत इन्पुटों-अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वरकों, खाद, पौध-संरक्षण (कीटनाशक दवाओं) व आवश्यक औजारों के अभाव की पूर्ति करना—कृषिगत उत्पादन का कृषिगत इन्पुटों की सप्लाई से सीधा सम्बन्ध होता है। इसलिए कृषकों को पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत व उत्तम किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किए जाने चाहिए। 2001-02 मे बाजरे के अन्तर्गत कुल 51.3 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे केवल 14.5 लाख हैक्टेयर में अधिक उपज देने वाली किस्मो का प्रयोग किया गया था, जो 28.3% था। गेहूँ में यह अनुपात 81% तक पहुँच गया था।[1] अन्य फसलों में इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बाजरे में यह क्षेत्रफल बढ़ाया जाना चाहिए। जौ, चना, मोठ व ग्वार में भी उन्नत किस्मों की बुवाई की जानी चाहिए। इससे खाद्यान्नो की पैदावार बढाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, बाजरे की स्थानीय किस्सों के उपयोग से प्रति हैक्टेयर औसतन 8-10 क्विटन उत्पादन मिलता है, जबकि उन्नत किस्मों से 25-30 क्विंटल (तिगुना) उत्पादन मिलता है। इसलिए विभिन्न फसलों में उन्नत व प्रमाणित बीजों का प्रयोग करके उत्पादन-क्षमता व वर्तमान उत्पादन के अन्तर को कम किया जा सकता है। बीजों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए बीज-ग्राम की योजना अपनाई जा सकती है, जिसमें गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र में एक विशेष किस्म की फसल उगाई जा सकती है तथा प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा सकता है।

2001-02 में राज्य में उर्वरकों की कुल खपत 7.90 लाख टन रही थी, जिसमें खपत का स्तर अलवर, बारां, भरतपुर, बूँदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर (सर्वाधिक), हनुमानगढ़, कोटा व जयपुर जिलों मे काफी ऊँचा रहा है। बारानी (असिंचित) फसलों पर भी सूखी खेती की तकनीक के विकास के साथ-साथ प्रति हैक्टेयर उर्वरकों का उपभोग बढ़ाया जा सकता है। मरु क्षेत्रों में जहाँ वर्षा का औसत 250 मिलीमीटर है, वहाँ बाजरे की खड़ी फसल को प्रति हैक्टेयर 10 किलोग्राम नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा गोबर की खाद आदि का प्रयोग बढ़ाकर भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

---

1 Agricultural Statistics, Rajasthan, 2001-02 January 2004, pp 37-38

पौध-संरक्षण दवाओं व इनके उपकरणों का उपयोग अनुदान की सहायता से बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य में कई प्रकार के स्प्रेयरों पर अनुदान दिया जाता है। बीजों को फफून्द से बचाने के लिए उचित मात्रा में दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, चूहा व विशेष कीट नियंत्रण, सफेद लट, कातरा, दीमक आदि कीटों से फसलों को बचाने से पैदावार बढ़ेगी। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण देना होगा तथा उनके लिए प्रदर्शन, मिनी किट्स आदि की व्यवस्था बढ़ानी होगी। तिलहन व दालों के विकास के लिए विशेष सुविधाएँ देनी होंगी।

(5) सहकारी साख के विस्तार व कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता—कृषकों के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन कर्ज की आवश्यकता होती है। राज्य में सहकारी साख संस्थाओं का विकास किया गया है। 2000-01 में राज्य में 5240 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ थीं जिनकी सदस्य सख्या 55.9 लाख थी। इनमें से आधी से ज्यादा कमजोर अवस्था में थीं। इनमें से काफी समितियाँ बन्द पड़ी थीं, क्योंकि उन्होंने सम्पूर्ण वर्ष में कृषकों को कोई उत्पादन कर्ज नहीं दिए थे। केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर ओवरड्यूज का भार है। कुल 26 में से ज्यादातर बैंक कमजोर श्रेणी के हैं। साख की आवश्यकता व साख की पूर्ति में भारी अन्तर पाया गया है। राज्य में साख की आवश्यकता वितरित साख की मात्रा से लगभग दुगुनी आंकी गई है। इसी प्रकार प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की दशा भी अच्छी नहीं है। इनमें से कई बैंकों में घाटे की राशि काफी ऊँची रही है। राज्य में अकाल व सूखे के कारण कृषकों की कर्ज चुकाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि व ग्रामीण ऋण-राहत स्कीम, 1990 के अन्तर्गत राज्य में 18 लाख परिवारों को 500 करोड़ रुपये की राहत दी गई थी। इसमें किसान, बुनकर व दस्तकार शामिल थे। तिलहन के क्षेत्र में किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी क्षेत्र में एक तिलम संघ की स्थापना की गई है। लेकिन इसके कार्य में कई प्रकार के दोष पाए गए हैं।

राजस्थान में सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ये कृषिगत उत्पादन बढ़ाने में उचित भूमिका निभा सकें।

वर्ष 2004-05 के लिए 1640 करोड़ रुपये के अल्पकालीन तथा 310 करोड़ रुपए के मध्यमकालीन व दीर्घकालीन ऋण देने के लक्ष्य रखे गए हैं। कुल ऋण की राशि का लक्ष्य 1950 करोड़ रु. का है।[1] ये पिछले वर्ष की सम्भावित उपलब्धियों से अधिक हैं। सहकारी संस्थाओं द्वारा दिए गए कर्जों की वापसी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सहकारी क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने एवं प्रबन्ध समिति में कम से कम एक संचालक महिला प्रतिनिधि के रूप में रखने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं में बढ़ते हुए असंतुलन की समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा।

(6) चारे का अभाव—कृषकों के लिए कृषि व पशुपालन दोनों का महत्त्व है क्योकि ये उसके रोजगार व आमदनी को प्रभावित करते हैं। राज्य में पशु-पालन का, विशेषतया शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में, बहुत महत्त्व है। राजस्थान में वनों का अभाव है।

1. मुख्यमंत्री का बजट-भाषण, 12-7-2004, पृ. 29.

राज्य में 47 लाख पशु सरकारी वन-भूमि पर चराई करते हैं, जो उसकी क्षमता का 20 गुना है। अधिकांश बंजर व अकृषित भूमि पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। चारे की कमी से पशु पालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सूखे व अभाव के वर्षों में चारे की तलाश में राज्य से पशुओं का निष्क्रमण होता रहता है। राज्य में भूमि के कटाव की समस्या भी काफी गम्भीर है। चारे व ईंधन की पूर्ति माँग की तुलना में काफी कम है। अन्य राज्यों से चारा लाकर पशुओं को खिलाया जाता है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।

कृषि-वानिकी (Farm forestry) एवं चारा उत्पादन—किसानों द्वारा कृषि-वानिकी व चारा उत्पादन के कार्यक्रम को अपनाने की आवश्यकता है। उनको वन-पेड़ों के पौधे उपलब्ध किए जाने चाहिए। दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में रतन जोत तथा पश्चिमी भाग में खेजड़ी के पौधों का महत्त्व है। कृषकों के खेतों पर पौधशालाओं का विकास किया जाना चाहिए। कृषकों को कुट्टी की मशीन व नांद (Trough) उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे चारा काट कर पशुओं को खिला सकें। इससे पशुओं को साल भर चारा मिल सकेगा, जिससे ऊन व दूध का उत्पादन बढ़ेगा और राज्य से पशुओं के पलायन में कमी आएगी। राज्य में चारे व ईंधन की कमी के दूर होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल होने का अवसर मिलेगा।

(7) उद्यान व फलोत्पादन का विकास—राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए जनजाति उप-योजना (Tribal sub-plan), मरु-विकास व सूखा सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नाबार्ड, फल-विकास योजना आदि के अन्तर्गत फलोत्पादन बढ़ाया जा रहा है। झालावाड़ में संतरा, श्रीगंगानगर में किन्नों, मौसमी, माल्टा, उदयपुर, बाँसवाड़ा, भरतपुर व जयपुर में आम, जोधपुर में बेर, सवाई माधोपुर जिले में अमरूद व जालौर में अनार आदि का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

सब्जी, फूल व मसालों (मिर्च, धनिया, मैथी, जीरा, सौंफ, अदरक, हल्दी आदि) तथा पान की पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। भूमि व जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए कोटा, बूँदी, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिलों में रेशम का उद्योग पनपाने के लिए शहतूत की खेती की जा सकती है। टसर योजना कोटा, उदयपुर व बाँसवाड़ा जिलों में लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत अर्जुन पौध-रोपण किया जाता है। इसके 4-5 वर्ष में विकसित होने पर कीट पाले जाते हैं। यह आदिवासी लोगों की आमदनी बढ़ाने का एक उत्तम उपाय माना गया है।

निष्कर्ष—राज्य सरकार ने एक सर्वांगीण कृषि-विकास परियोजना तैयार की है। यह विश्व बैंक के सहयोग से आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में संचालित की गई है। इसमें फसल-उत्पादन के अन्तर्गत सोयाबीन, मेंहदी, तुम्बा (एक प्रकार की अखाद्य तेल की फसल) तथा ईसबगोल को शामिल किया गया है। इसमें चारा उत्पादन के लिए कृषि-वानिकी विकास कार्यक्रम, समस्याग्रस्त मिट्टियों के सुधार, कृषि-विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्र को समुन्नत करने, फल-विकास, जल-विकास, बीज-विकास, विपणन साख सहकारिता,

समग्र पशु विकास, भेड़-विकास, मछली-पालन व सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई आदि के विकास के लिए विस्तृत कार्यक्रम रखे गए हैं। यह कार्यक्रम संशोधित रूप में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत हो गया है। इसमें राजस्थान के लिए कृषिगत क्षेत्रों में व्यापक क्रान्ति की सम्भावनाएँ छिपी हुई हैं। लेकिन इसके लिए वित्तीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा।

सरकार के समक्ष नई कृषिगत विकास की नीति की घोषणा का प्रश्न विचाराधीन है।

(आ) औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के उपाय

हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के अध्ययन में देख चुके हैं कि राज्य की आय में विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing sector) का अंश (1993-94 के मूल्यों पर) 2001-02 में 11% व 2002-03 मे 11.5% रहा है। यह काफी कम माना गया है। खनने, निर्माण तथा विद्युत्, गैस व जलपूर्ति को मिलाने पर समस्त औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की आय में योगदान 2002-03 मे 28% रहा था, जो औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन को बतलाता है। आज भी राज्य की आय मे कृषिगत क्षेत्र की प्रधानता बनी हुई है।

यह ध्यान देने की बात है कि 2002-03 में अकेले निर्माण क्षेत्र (Construction) से राज्य की आय में योगदान 1993-94 के मूल्यों पर 10.3% रहा था।

योजनाकाल में राज्य का औद्योगिक विकास हुआ है। लेकिन कई बाधाओं के कारण प्रगति उतनी नहीं हो पाई है जितनी गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों की हुई है। हम पहले बतला चुके हैं कि उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1999-2000 में गुजरात में फैक्ट्रियों की संख्या 15210 थी, जबकि राजस्थान में केवल 5160 थी। फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या गुजरात में 9 03 लाख थी, जबकि राजस्थान में 2 64 लाख ही थी। **इस प्रकार देश की जनसंख्या में लगभग समान अंश रखते हुए भी गुजरात में फैक्ट्रियों का विकास राजस्थान की तुलना में लगभग तिगुना हुआ है।** इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के औद्योगिक विकास में कुछ तत्त्व बाधक रहे हैं। उनको दूर करके ही भविष्य में औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकती है।

(1) पंचवर्षीय योजना में खनन व उद्योगों के विकास पर कुल सार्वजनिक व्यय का अंश काफी कम रहा है। इससे औद्योगिक विकास में बाधा पहुँची है। 1960 के दशक में इस क्षेत्र के विकास पर नियोजित व्यय का लगभग 1.5 प्रतिशत ही व्यय किया गया था। चतुर्थ योजना में यह 2 8% तथा पाँचवीं योजना में 4% हो गया एवं छठी योजना में भी लगभग इतना ही अंश बना रहा। **सातवीं योजना में खनन व उद्योग पर प्रस्तावित व्यय 6.4% रखा गया था, लेकिन वास्तविक व्यय केवल 4.7% ही रहा, जो लक्ष्य से काफी नीचा था। योजना में खनन व उद्योग के विकास के लिए 190.5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जबकि वास्तविक व्यय केवल 145.6 करोड़ रुपये ही हो पाया था। इस प्रकार लक्ष्य से लगभग 45 करोड़ रुपये कम व्यय किए जा सके थे।**

लेकिन 1990-91 में पहली बार उद्योग व खनन पर योजना में कुल सार्वजनिक परिव्यय की 9.1% राशि व्यय की गई थी, जो 1991-92 में घटकर 5.3% हो गई। आठवीं योजना में यह लगभग 5.4% रही। 2003-04 में यह मात्र 1.5% ही हो पाया है.

(89.5 करोड़ रु., जब कि योजना का कुल व्यय 6044 करोड़ रु. आंका गया है) ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक परिव्यय का उद्योग व खनन पर नीचा अंश रखने से इस क्षेत्र के विकास में बाधा पहुँची है ।

1989 में एम.वी. माथुर समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का लगभग 10% अंश औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, जो वर्तमान स्तर का प्रतिशत की दृष्टि से लगभग दुगुना होगा । इससे औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे ।

(2) औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर (विजली, परिवहन, संचार, जल आदि) का अभाव

***(i)* ब्रोडगेज रेलवे की कमी**—भूतकाल में राज्य में मीटर गेज रेलवे अधिक रही है जिससे माल की ढुलाई में बाधा पड़ी है । हाल तक केवल भरतपुर, कोटा व सवाई माधोपुर ही ब्रोडगेज लाइन पर स्थित रहे हैं । **अब कोटा-चित्तौड़गढ़ के बीच ब्रोडगेज की रेलवे लाइन बन जाने से सीमेंट की कुछ इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं, जिनमें एक सुपरसीमेंट संयंत्र भी शामिल है ।** जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच मीटर गेज लाइनों को ब्रोडगेज लाइनों में बदल देने से औद्योगिक विकास के नए अवसर खुले हैं । इससे जयपुर-मुम्बई के बीच यातायात बहुत सुगम व शीघ्रगामी हो गया है । इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में नई रेल-लाइनें बिछाने से औद्योगिक विकास का आधार-ढाँचा सुदृढ़ हो सकता है । इसी प्रकार दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग को ब्रोडगेज में बदलने से विकास के नये अवसर खुले हैं ।

(ii) औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं रही है । उनमें कई स्थानों पर सड़कों का अभाव है तथा अन्यत्र रख-रखाव की दृष्टि से अभाव पाया गया है ।

***(iii)* विद्युत का अभाव तथा सप्लाई में अनियमितता**—औद्योगिक विकास में विद्युत की सप्लाई का सर्वोपरि स्थान माना गया है । हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य में विद्युत की माँग व पूर्ति में काफी अन्तर पाया जाता है । विद्युत की पूर्ति की तुलना में माँग अधिक पाई जाती है । अभी तक राजस्थान विद्युत की पूर्ति के लिए आन्तरिक साधनों का पर्याप्त रूप से विकास नहीं कर पाया है ।

आठवीं योजना में बरसिंगसर व सूरतगढ़ ताप परियोजनाओं के चालू होने से विद्युत की स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है । राज्य को बाहरी स्रोतों से भी बिजली के मिलने की सम्भावना है जिससे इसका अभाव दूर होगा ।

पहले बतलाया जा चुका है कि सरकार ने बीकानेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, आबू रोड व धौलपुर में विकास केन्द्र (Growth centres) स्थापित करने का निश्चय किया है जिसके अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर प्रति केन्द्र 30 करोड़ रुपये आगामी वर्षों में व्यय किए जाएँगे । इससे विद्युत, सड़क, संचार, जल आदि की उपलब्धि के बढ़ने की सम्भावना है ।

(3) अक्टूबर, 1988 से मार्च, 1991 तक स्थिर पूँजी पर केन्द्रीय सब्सिडी के बन्द करने से पिछडे क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में गतिरोध आ गया था ।

सितम्बर 1988 के बाद राज्य में केन्द्रीय पूँजी-सब्सिडी की स्कीम बन्द कर दी गई थी जिससे पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। पिछड़े इलाकों में लघु व मध्यम पैमाने की इकाइयों की स्थापना पर पूँजी-सब्सिडी की सुविधा से काफी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अक्टूबर 1988 से केन्द्रीय सब्सिडी बन्द होने से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता व शिथिलता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। पहले पूर्णतया उद्योग-विहीन जिले (NID) में एक करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपये की सब्सिडी मिलने से उसकी स्थापना को काफी प्रोत्साहन मिलता था। राजस्थान में केन्द्रीय सब्सिडी की राशि 1981-82 में 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 1984-85 में 8 करोड़ रुपये हो गई थी। इससे उद्योगों की स्थापना को काफी प्रोत्साहन मिला था।

केन्द्रीय सब्सिडी स्कीम के अक्टूबर, 1988 से बन्द होने के बाद अन्य राज्यों ने तो अपने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए अपनी-अपनी नई औद्योगिक नीतियाँ घोषित कीं, ताकि इनमें विकास की गति को बनाए रखा जा सके। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल ने राजकीय सब्सिडी 15 से 30% तक कर दी, जबकि पहले केन्द्रीय सब्सिडी 10% से 15% तक ही हुआ करती थी।

तमिलनाडु ने पिछड़े "तालुकों" में राजकीय सब्सिडी देना चालू कर दिया था। उत्तर प्रदेश ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए 10 करोड़ रुपये का एक उपक्रम कोष (Venture fund) स्थापित किया था। हरियाणा ने पावर-सब्सिडी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी थी, ताकि उद्यमकर्त्ता स्वयं के डीजल जेनरेटिंग सेट लगा सकें।

इस प्रकार अन्य राज्यों ने केन्द्रीय सब्सिडी के अभाव को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन राजस्थान ने पूँजी-विनियोग पर सब्सिडी की स्कीम जोर-शोर से अप्रैल 1991 से चालू की, जिसके अन्तर्गत मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए 15% सब्सिडी व लघु उद्योगों के लिए 20% सब्सिडी की व्यवस्था काफी उदारतापूर्वक की गई, जिसका विवरण औद्योगिक नीति के अध्याय में किया जा चुका है। बाद में आदिवासी क्षेत्रों व उद्योगविहीन जिलों में 5% की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की गई।

आशा की गई कि सब्सिडी की नई सुविधा से पिछड़े क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान में औद्योगिक विकास की नई लहर उत्पन्न होगी तथा राज्य द्रुत गति से औद्योगिक प्रगति कर पाएगा।

(4) औद्योगिक रुग्णता से उत्पन्न बाधाएँ—राजस्थान में भी अन्य राज्यों की भाँति औद्योगिक रुग्णता के कारण विकास में बाधा पड़ी है। मार्च, 1998 के अन्त में राज्य में गैर-लघु उद्योगों की रुग्ण/कमजोर (sick/weak)[1] इकाइयों की संख्या 87 थी। इनमें बैंकों की

---

1 एक गैर-लघु रुग्ण इकाई वह होती है जिसे पंजीकृत हुए पाँच वर्ष से कम नहीं हुआ है और इसके इकट्ठे घाटे शुद्ध पूँजी (entire net worth) के बराबर या अधिक होते हैं। गैर-लघु कमजोर इकाई वह होती है जिसमें इकट्ठे घाटे पिछले चार वर्षों की सर्वाधिक शुद्ध पूँजी (peak net worth) के 50% के बराबर या अधिक हो गए हैं (अन्य बातों के अलावा)।

बकाया उधार की राशि 371 3 करोड़ रुपये थी, जो देश की कुल बैंक बकाया उधार राशि का 3.1% थी। इसी अवधि के अन्त तक रुग्ण लघु पैमाने की (Sick SSI units) इकाइयाँ[1] 15655 थीं, जिनमें बैंकों की 108 6 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जो समस्त देश की बकाया राशि का 2.8% थी। इससे इन इकाइयों के रोजगार, उत्पादन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।[2]

राजस्थान में लघु व मध्यम उद्योगों के रुग्ण होकर बन्द होने का मुख्य कारण कार्यशील पूँजी (Working capital) का संकट माना गया है। बैंक कार्यशील पूँजी समय पर व पर्याप्त मात्रा में नहीं देते हैं। राजस्थान वित्त निगम की 1990-91 में खतरे में पड़ी उगाही वाले खातों की राशि 13 करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी, इसलिए निगम ने 105 इकाइयों की 46 लाख रुपये की राशि बट्टे खाते लिखने का निर्णय लिया था। राजस्थान का यह पहला सार्वजनिक उपक्रम था जिसे बट्टे खाते में रकम डालने का फैसला करना पड़ा था। बाद के वर्षों में भी समय-समय पर बट्टे खाते में रकम डालने का फैसला करना पड़ा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक रुग्णता भी औद्योगिक विकास में एक अवरोधक तत्त्व है।

(5) अन्तर-संस्थागत समन्वय (inter-institutional coordination) व सहयोग का अभाव—विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय वित्त निगम, रीको, राजस्थान वित्त निगम, व्यापारिक बैंकों आदि में परस्पर समन्वय का अभाव पाया जाता है। इससे उद्यमकर्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए, उद्यमकर्त्ताओं को वित्तीय संस्था से स्थिर पूँजी के लिए कर्ज मिलने के बाद कार्यशील पूँजी के लिए व्यापारिक बैंकों के पास जाना होता है। लेकिन वहाँ से कर्ज मिलने में विलम्ब व असुविधा होती है। यदि इन संस्थाओं के कार्यो में अधिक तालमेल हो जाए तो औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन मिल सकता है।

(6) राज्य में 'औद्योगिक संस्कृति' (industrial culture) **का अभाव**—राजस्थान के सन्दर्भ में प्राय: यह कहा गया है कि यहाँ 'औद्योगिक संस्कृति' का अभाव है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र आदि में यह अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई है। औद्योगिक संस्कृति का आशय यह है कि सरकारी प्रशासन उद्यमकर्त्ता पर कितना ध्यान देता है। यदि छोटे-छोटे

---

1 **एक लघु इकाई उस स्थिति में रुग्ण मानी जाती है जब उसका उधार का खाता संदेहास्पद अग्रिम (doubtful advance) का रूप ले ले, अर्थात् मूलधन या ब्याज का भुगतान $2\frac{1}{2}$ वर्ष से ज्यादा अवधि तक न किया गया हो, और नकद घाटों के कारण इसकी नेट वर्थ पिछले दो हिसाब के वर्षों के लिए अधिकतम नेट वर्थ (peak net worth) के 50% या अधिक तक नष्ट हो गई हो।**

2 Report on Currency and Finance, 1998 99, p IV-24 for sick SSI units, and p 25 for non-SSI sick/weak units

कामों को करवाने के लिए उद्यमकर्त्ता विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं, एवं बार-बार अनेक इन्स्पेक्टर फैक्ट्रियों में उनको अकारण तंग करते पाए जाते हैं तो समझना चाहिए कि उस राज्य में 'औद्योगिक संस्कृति' का अभाव है । इसके विपरीत यदि सरकारी प्रशासन उद्यमकर्त्ता की समस्याओं के हल में मदद देता है और उत्पादन बढ़ाने में सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करता है तो औद्योगिक संस्कृति विकसित मानी जाती है । नए उद्यमकर्त्ताओं और प्रवासी भारतीयों को राजस्थान के औद्योगिक विकास में शरीक करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ-साथ 'खुले मंच' में उद्यमकर्त्ताओं की समस्याओं पर विचार होना चाहिए, तथा 'एकल खिड़की सेवा' (One window service) के दृष्टिकोण को मूर्तरूप दिया जाना चाहिए ताकि एक ही बिन्दु पर उद्यमकर्त्ता को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मिल सकें और उसे अनावश्यक रूप से एक जगह से दूसरी जगह न भटकना पड़े ।

(7) 'औद्योगिक वातावरण' (industrial climate) का अभाव—प्रायः यह भी सुनने को मिलता है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में औद्योगिक वातावरण (Industrial climate) का अभाव है । इसका अर्थ यह है कि राज्य में उद्यमकर्त्ताओं को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं व प्रेरणाओं की कमी है । औद्योगिक वातावरण तब बनता व पनपता है, जब इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ विकसित हों (आवश्यकतानुसार पानी, बिजली, सड़क, टेलीफोन आदि की सुविधाएँ मिल सकें) तथा उद्यमकर्त्ताओं को वित्तीय व कर-सम्बन्धी आवश्यक छूटें व रियायतें मिलें । पड़ौसी राज्यों की तुलना में इनमें कमी रहने से उद्योग दूसरे राज्यों में जाने लगेंगे और फलस्वरूप राजस्थान के औद्योगिक विकास में शिथिलता आएगी ।

इस समस्या के समाधान के लिए लचीली व प्रावैगिक औद्योगिक नीति अपनानी होगी । अन्य राज्यों की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान को अपनी नीति में इस प्रकार के परिवर्तन व समायोजन करने चाहिए ताकि वह उनसे किसी तरह पीछे न रहे । ऐसा करने पर ही राज्य का औद्योगिक वातावरण अधिक अनुकूल बन पाएगा ।

(8) दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन का अभाव औद्योगिक विकास में बाधक—स्मरण रहे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, पूँजीगत सब्सिडी की सुविधा, कर्ज की सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, करों की छूट आदि अपने आप में औद्योगिक विकास की आवश्यक शर्तें तो हैं, लेकिन ये पर्याप्त शर्तें नहीं हैं । औद्योगिक विकास को उचित गति प्रदान करने के लिए सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियायती कर्ज, पूँजीगत-सब्सिडी, नवीन व उन्नत टेक्नोलोजी, उचित औद्योगिक सम्बन्ध, पर्याप्त माँग व बिक्री की सुविधाएँ आदि सभी जरूरी हैं । लेकिन इनसे भी अधिक जरूरी है उचित किस्म का

औद्योगिक नियोजन (Industrial planning) जिसमें निम्न बातों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए—

(i) कृषि व उद्योग के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ (Linkages) या ताल-मेल की दशाएँ हों,
(ii) विभिन्न उद्योगों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हों,
(iii) विभिन्न जिलों, क्षेत्रों/प्रदेशों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हों,
(iv) उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र के बीच बंटवारा किस प्रकार का हो,
(v) एक वर्षीय, पंचवर्षीय व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन में समन्वय किस प्रकार बैठाया जाए।

उपर्युक्त ढंग के वैज्ञानिक औद्योगिक नियोजन की "प्रखर" तथा व्यावहारिक औद्योगिक व्यूहरचना से ही औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकती है। राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं, **लेकिन औद्योगिक नियोजन, विशेषतया 10-15 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन ही औद्योगिक विकास को सही दिशा व आवश्यक गति प्रदान कर सकता है।** इसके अभाव में राज्य में कुछ कारखाने अवश्य खुल जाएँगे, लेकिन उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, प्रायः उद्यमकर्ता उद्योग की स्थापना के लिए अल्पकालीन दृष्टिकोण अपनाते हैं। उन्हें लगता है कि सीमेन्ट के उद्योग में काफी मुनाफा हो रहा है तो वे इसकी इकाइयाँ लगाने के लिए अनेक आवेदन-पत्र एक साथ पेश कर देते हैं और उनको स्वीकृति मिलने पर काम प्रारम्भ कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि सम्भवतः इस क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा इकाइयाँ लग गई हैं, और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं का अभाव बना हुआ है। इन दशाओं को उत्पन्न न होने देने के लिए अधिक वैज्ञानिक आधार पर तैयार किए गए औद्योगिक नियोजन से लाभ हो सकता है जिसमें अनेक बिन्दुओं पर तालमेल बैठाए जाते हैं जिनमें से कुछ का संकेत ऊपर दिया गया है।

(9) गैर-फैक्ट्री क्षेत्र में खादी, ग्रामीण उद्योग, हथकरघा व दस्तकारियों की समस्याओं के समुचित समाधान की आवश्यकता—हमने ऊपर जिन बाधाओं की चर्चा की है उनमें से अधिकांश का सीधा सम्बन्ध फैक्ट्री-क्षेत्र या संगठित क्षेत्र के उद्योगों से माना गया है। लेकिन राजस्थान के जनजीवन में रोजगार व आय की दृष्टि से गैर-फैक्ट्री क्षेत्र के उद्योगों का महत्त्व कम नहीं है। उनकी समस्याओं का समाधान करना भी बहुत आवश्यक है। उनका भी यथासम्भव आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि माल की गुणवत्ता में सुधार हो और उनकी लागत कम की जा सके। उनका निर्यात बढ़ाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में नई औद्योगिक नीति में हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों पर यार्न व अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुलभ करने पर बल दिया गया है। आठवीं योजना में 10 हजार नए हथकरघे लगाने का प्रस्ताव किया गया था ताकि 30 हजार व्यक्तियों को अतिरिक्त काम दिया जा सके।

दस्तकारियों के विकास हेतु नई नीति में कारीगरों व शिल्पकारों के प्रशिक्षण, कच्चे माल, विपणन, कार्यशील पूँजी आदि की सुविधाओं को बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा विशेष कदम उठाने तथा एक डिजाइन व विकास केन्द्र स्थापित करने आदि पर जोर दिया गया है। लेकिन इनके सम्बन्ध में अधिक विस्तार से योजना बनानी होगी जिनमें क्षेत्रवार, उद्योगवार व माँग के अनुसार विकास के कार्यक्रम निर्धारित करने होंगे, ताकि ठीक से यह पता लग सके कि योजना में इस क्षेत्र में कितने लोगों को लाभप्रद रोजगार मिल पाएगा और उनकी आमदनी व जीवन-स्तर में किस प्रकार का परिवर्तन आ पाएगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक नियोजन, औद्योगिक नीति व औद्योगिक प्रशासन तथा उद्यमकर्त्ताओं के समुचित सहयोग से ही औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाना व राज्य का औद्योगीकरण करना, विशेषतया ग्रामीण औद्योगीकरण करना, सम्भव हो सकता है।

यहाँ पर आठवीं योजना में औद्योगिक विकास की नीति के सम्बन्ध में माथुर समिति की सिफारिशें देना भी लाभकारी होगा ताकि इस क्षेत्र के विकास में समुचित योगदान मिल सके।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त एम.वी. माथुर समिति के प्रमुख सुझाव व सिफारिशें[1]

आठवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना पर माथुर समिति (अध्यक्ष, प्रोफेसर एम.वी. माथुर) ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को 26 जून, 1989 को पेश की थी। इसमें औद्योगिक विकास के नए क्षेत्रों के बारे में सुझाव दिए गए थे तथा इस सम्बन्ध में विकास की नीतियाँ व आवश्यक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

(1) राज्य के विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग प्रकार के उद्योग विकसित किए जाने चाहिए, जैसे दक्षिणी राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योग, पश्चिम में नहर सिंचित क्षेत्र में कृषि-प्रोसेसिंग उद्योग, पूर्वी क्षेत्र में विविध प्रकार के उद्योग तथा असिंचित जिलों में दक्षता-आधारित (Skill-based) हस्तशिल्प उद्योग विकसित किए जाने चाहिए। जैसलमेर क्षेत्र में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन व गैस-आधारित औद्योगिक इकाइयाँ भी विकसित की जा सकती हैं।

(2) समिति ने निम्न औद्योगिक समूहों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया था—इलेक्ट्रोनिक्स, कृषि-आधारित व फूड-प्रोसेसिंग, खनन व खनिज-पदार्थ, पर्यटन (tourism) रत्नमणि व जवाहरात उद्योग तथा दस्तकारियाँ (चमड़ा व चमड़े की वस्तुओं सहित)।

---

1 High Power Committee Report on Strategy for Industrial Dev-lopment in Eighth Five Year Plan, Vol I, 1989, Govt. of Rajasthan, Ch. V-Thrust Areas and Ch. VI-Conclusions, pp 31-48

(3) जैसा कि पहले बतलाया गया है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का लगभग 10% भाग औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित करने का सुझाव दिया गया था, जो वर्तमान स्तर से काफी ऊँचा था। आशा की गई थी कि इससे औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

(4) 2002-03 में विनिर्माण (Manufacturing) क्रिया का स्थिर कीमतों (1993-94 की कीमतों) पर राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP) में मात्र 11.5% अंश था, जिसे आगामी वर्षों में बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए पंजीकृत विनिर्माण व अपंजीकृत विनिर्माण दोनों का NSDP में अंश बढ़ाना होगा।

(5) राज्य सरकार को उद्योगो को दी जाने वाली वर्तमान रियायतों को प्रभाव-पूर्ण ढंग से लागू करना चाहिए। इन्फ्रास्ट्रक्चर व अन्य सेवाओं की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। उन उद्योगों के विकास पर जोर देना चाहिए, जिनमें राज्य को विशेष रूप से लाभ प्राप्त हैं, जैसे पशु-आधारित उद्योग व पर्यटन, जवाहरात व आभूषण, खनिज-पदार्थ व दस्तकारियाँ।

(6) भविष्य में रीको को औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए तभी भूमि अवाप्त करनी चाहिए जब यह अत्यावश्यक हो। जहाँ आगामी कुछ वर्षों में कोई उद्योग नहीं लगना है, वहाँ भूमि को अवाप्त नहीं करना चाहिए तथा अन्य क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना चाहिए।

(7) उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद् को राज्य के औद्योगिक विकास की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से अपनी बैठक करनी चाहिए।

(8) सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (Public Enterprise Selection Board) गठित किया जाना चाहिए जो कर्मचारियों के चयन की व्यवस्था करे।

(9) अभ्रक को बिक्री-कर से मुक्त कर देना चाहिए, जैसा कि बिहार सरकार ने किया है।

(10) चमड़े व दस्तकारियों के लिए टेक्नोलोजी मिशन स्थापित किया जाना चाहिए ताकि हमारे शिल्पकारों को आधुनिक विज्ञान व टेक्नोलोजी का लाभ मिल सके। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के साधन मिलाने होंगे जैसे उद्योग-निदेशालय, राजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी, पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग आदि।

माथुर समिति ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बहुत उपयोगी सुझाव दिए थे जिनको कार्यान्वित करने से इस क्षेत्र में अधिक तेजी से प्रगति हो सकती है।

पूर्व राज्य सरकार ने जून 1998 में नई औद्योगिक नीति घोषित की थी जिस पर सविस्तार पहले एक पृथक् अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। यह नीति काफी उदार व प्रगतिशील मानी गई है। इसमें राज्य में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करने के लिए कदम उठाए गए हैं और शीघ्र निर्णय की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया है। इसमें

विशेष उद्योगों के विकास के लिए नीति निर्धारित की गई है। इसमें पूँजी-सब्सिडी के स्थान पर ब्याज पर सब्सिडी की नई व्यवस्था लागू की गई है तथा निर्यात-संवर्धन, रुग्ण उद्योगों के पुनर्जीवन व उद्योगों के लिए प्रेरणाओं के अन्तर्गत बिक्री-कर मुक्ति/आस्थगन, 1998 की संशोधित व अधिक उदार योजना लागू की गई है। कांग्रेस की नई सरकार ने औद्योगिक विकास की नीति में **'एकल खिड़की' क्लीयरेन्स' (single window clearance) पर बल दिया है। इसे तीन स्तरों में लागू किया जा रहा है; प्रथम स्तर मे विनियोग की सीमा 3 करोड़ रु. तक, द्वितीय स्तर में 3 करोड़ रु. से 25 करोड़ रु से अधिक की सीमा रखी गयी है और इसके लिए तीन अधिकार प्राप्त समितियाँ नियुक्त की गयी हैं।** इनका विवरण पहले औद्योगिक नीति, 1998 के अध्याय में दिया जा चुका है।

आशा है आगामी दशक में राजस्थान भारत के औद्योगिक मानचित्र पर अपना यथोचित स्थान बना पाएगा।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान के कृषिगत विकास में मुख्य बाधा है—
   (अ) भूमि-सुधारों का अभाव
   (ब) सिंचाई का अभाव
   (स) उर्वरकों की कमी
   (द) वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता (द)
2. राजस्थान के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक ध्यान किस तत्त्व पर दिया जाना चाहिए ?
   (अ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राज्य में निवेश बढ़ाने पर,
   (ब) विद्युत की सप्लाई में वृद्धि करने पर तथा विद्युत की दरें उचित रखने पर,
   (स) सड़कों के विकास पर
   (द) पिछड़े क्षेत्रों में सब्सिडी की सुविधा बढ़ाने पर (ब)
3. राजस्थान व गुजरात के बीच औद्योगिक विकास की खाई कैसे पाटी जा सकती है ?
   (अ) राजस्थान में पूँजी-निवेश पर अधिक सब्सिडी देकर,
   (ब) राजस्थान में विद्युत की सुविधा बढ़ा कर
   (स) सामाजिक आधार-ढाँचे को औद्योगिक क्षेत्रों में मजबूत करके,
   (द) राज्य में औद्योगिक प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके,
   (ए) सभी (ए)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान में कृषि विकास की मुख्य बाधाएँ क्या हैं ? बताइए।
2. "राजस्थान में औद्योगिक विकास की व्यापक सम्भावनाएँ हैं, इसलिए इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।" इस सम्बन्ध में बाधाओं का विवेचन कीजिए तथा उनको दूर करने के उपाय सुझाइए।
3. राजस्थान के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएँ क्या हैं ? इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है ?
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान के जल-प्रबन्ध में सुधार,
   (ii) राज्य में लवणीय व क्षारीय मिट्टियों की समस्या,
   (iii) राजस्थान में शुष्क खेती तथा वाटरशेड (जल-ग्रहण) विकास कार्यक्रम,
   (iv) औद्योगिक विकास में पूँजी-विनियोग सब्सिडी या इमदाद की स्कीम,
   (v) राज्य के कृषिगत विकास में बाधाएँ
   (vi) राजस्थान के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएँ।
5. राजस्थान में औद्योगिक विकास की धीमी गति के लिए कौन से घटक उत्तरदायी हैं ? राज्य के तीव्र औद्योगीकरण के लिए सुझाव दीजिए।

राजस्थान में निर्धनता
(Poverty in Rajasthan)

पिछले दो दशकों में भारत में निर्धनता काफी चर्चा का विषय रहा है। हमारे देश की **पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-79) में निर्धनता-उन्मूलन को योजना के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था**। तब से विभिन्न विद्वानों ने इस पर, विशेषतया ग्रामीण निर्धनता पर, काफी लिखा है। निर्धनता की समस्या के विभिन्न पहलुओं पर प्रोफेसर वी.एम. दांडेकर व उनके सहयोगी नीलकंठ रथ, सर्वश्री बी.एस. मिन्हास, सुरेश तेंदुलकर, पनब बर्धन, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, हाल में गौरव दत्त व मार्टिन रेवेलियन (Martin Ravallion), आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। योजना आयोग ने समय-समय पर *निर्धनता के सम्बन्ध में अपने अनुमान पेश किए हैं और इस समस्या के हल के लिए नीतियाँ* भी सुझाई हैं। आजकल भारत में लकड़ावाला विशेषज्ञ दल (expert group) की विधि से निर्धारित निर्धनता-अनुपात व निर्धनों की संख्या का अधिक उपयोग किया जाने लगा है। योजना आयोग द्वारा पूर्व में निर्धारित निर्धनता-अनुपात की तुलना में विशेषज्ञ-दल के अनुमान ऊँचे आए हैं। इनका आगे चलकर उल्लेख किया जाएगा। **दिसम्बर 1999 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसरों-एंगस डीटन व एलसेन्ड्रो टारोजी (Angus Deaton and Alessandro Tarozzi) ने एक नई विधि का प्रयोग करके 1987-88 से 1993-94 के बीच भारत में कुछ राज्यों में निर्धनता के अनुपातों में होने वाले परिवर्तनों का विवेचन प्रस्तुत किया है, जो ज्यादा प्रामाणिक माना गया है**। इनका संक्षिप्त परिचय आगे चलकर दिया जाएगा।

निर्धनता की समस्या ने सरकार व नियोजकों का ध्यान अपनी तरफ कई कारणों से आकर्षित किया है। एक कारण तो यह है कि पहले यह सोचा गया था कि योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप अपने आप गरीबी कम होती चली जाएगी। इसे 'विकास का ढलकने वाला' या 'टपकने का प्रभाव' (tricle-down-effect) कहा गया है। जब यह प्रभाव

उत्पन्न नहीं हुआ और देश में गरीबी बढ़ती गई तो इस समस्या पर सीधा प्रहार करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए गए, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों के लिए विकास-कार्यक्रम (DWCRA), आदि । गरीबी जैसे विषय पर ध्यान जाने का दूसरा कारण यह था कि केन्द्र की तरफ से राज्यों को हस्तान्तरित किए जाने वाले वित्तीय साधनों के लिए गरीबी के स्तर को आधार बनाने की बात भी सोची जाने लगी । हालांकि नवें वित्त आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में तो गरीबी को आधार बनाने पर बल दिया था, लेकिन बाद में इसके माप की कठिनाइयों को देखते हुए अपनी दूसरी व अन्तिम रिपोर्ट में इसके स्थान पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और खेतिहर मजदूरों की संख्या के आधार पर 'पिछड़ेपन का मिश्रित सूचनांक' (Composite Index of Backwardness) तैयार करके उसे नए आधार के रूप में अपनाने पर बल दिया था । फिर भी करोड़ों नर-नारियों को गरीबी के जाल से मुक्त कराना नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए । इसलिए देश में राष्ट्रीय व राज्यीय दोनों स्तरों पर गरीबी एक विचारणीय विषय रहा है । अत: इसके माप, कारणों, सरकारी नीति व परिणामों पर विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हो गया है ।

गरीबी की रेखा का माप—सत्तर के दशक के प्रारम्भ से गरीबी की रेखा (Poverty line) को प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसका स्तर 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लगभग 49 रु. व शहरी क्षेत्रों के लिए 56 6 रु. निर्धारित किया गया था । इस सम्बन्ध में मुख्य बात यह कही गई थी कि व्यय के इन स्तरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी के बराबर उपभोग और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के बराबर उपभोग का स्तर प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा । इसलिए इन स्तरों के नीचे प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करने वाले व्यक्ति गरीब माने गए । बाद में गरीबी की रेखा में कीमत-सूचनांकों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जाते रहे । 1987-88 के भावों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी की रेखा 132 0 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह का व्यय मानी गई और शहरी क्षेत्रों के लिए यह 152.3 रुपये मानी गई । 1993-94 के भावों पर गरीबी की रेखाएँ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय के अनुसार क्रमश: 228 9 रु. व 264 1 रु. आंकी गई है ।

सातवीं योजना में गरीबी की रेखा 1984-85 की कीमतों पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 6400 रुपये का व्यय मानी गई थी, जिसे आठवीं योजना की अवधि (1992-97) के लिए 1991-92 के भावों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11,060 रुपये माना गया था ।

स्मरण रहे कि भारत में गरीबी की अवधारणा में न्यूनतम कैलोरी के उपभोग (Calorie-intake) की गारंटी दी गई है । लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार लगाना होगा कि 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह लगभग 132 रुपये व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तक का उपभोग कर रहा था । इससे कम व्यय करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग का यह स्तर प्राप्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह गरीब था । लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि 132 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के व्यय से खाद्य-पदार्थों से

2400 कैलोरी उपभोग प्राप्त करने के अलावा वह अन्य गैर-खाद्य-पदार्थों; जैसे वस्त्र, दवा आदि पर भी थोड़ा बहुत व्यय अवश्य कर रहा था। इसलिए गरीबी की रेखा वाला व्यय प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 कैलोरी के उपभोग की लागत-मात्र नहीं है। इसे ध्यान से समझ लेना चाहिए।

भारत में गरीबी की अवधारणा एक 'निरपेक्ष अवधारणा' (absolute concept) है क्योंकि इसे न्यूनतम कैलोरी के उपभोग से जोड़ दिया गया है। यदि इसे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी न्यूनतम आमदनी से जोड़ दिया जाता तो भी यह निरपेक्ष अवधारणा ही मानी जाती। 1973-74 से पहले 1960-61 के लिए 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह को गरीबी की रेखा मान कर गरीबी के अनुपात व गरीबों की संख्या ज्ञात किए गए थे।

गरीबी की सापेक्ष अवधारणा (relative concept) में चोटी के 10% या 5% के खर्च की तुलना निम्नतम 10% या 5% के खर्च से की जाती है। इससे व्यय में असमानता का अनुमान भी लगाया जा सकता है। लेकिन हमने भारत में गरीबी की अवधारणा को निरपेक्ष रूप में लिया है और इसे 'खुराक की मात्रा' से जोड़कर देखा है। **गरीबी की सामान्य रेखा से 75% नीचे का माप 'अत्यधिक गरीबी' (ultra poverty) कहलाता है।** विश्व बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट (1989) में इसके अनुमान अलग से दिए गए थे।

राजस्थान में निर्धनता-अनुपात व निर्धनों की संख्या—आजकल प्रति पाँच वर्ष में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के द्वारा उपभोग-व्यय (consumption-expenditure) के आँकड़ों का उपयोग करके निर्धन व्यक्तियों की गिनती (headcount) की जाती है। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से अनुपात 'निर्धनता-अनुपात' (poverty-ratio) कहलाता है।

1977-78 व 1983 (जनवरी-दिसम्बर) में एन.एस.एस. (National Sample Survey) के 32वें व 38वें चक्रों के आँकड़ों के आधार पर राजस्थान व भारत के लिए गरीबी के अनुपात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं[1]—

(प्रतिशत में)

	ग्रामीण		शहरी		कुल	
	1977-78	**1983**	**1977-78**	**1983**	**1977-78**	**1983**
राजस्थान	33 5	36 6	33 9	26 1	33 6	34 3
समस्त भारत	51 2	40 4	38 2	28 1	48 3	37 4

1983 में गरीबी का सर्वाधिक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में रहा था जो 51 4% था, और शहरी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में 40 3% रहा था और दोनों क्षेत्रों को मिलाने पर भी यह बिहार में ही सर्वाधिक पाया गया था, जो 49 5% था। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता

1 Facts for you, June 1991 (Annual Number, 1991-92) p 59 ये योजना-आयोग द्वारा तैयार किए गए व उसके द्वारा स्वीकृत आँकड़े हैं। बाद में लकडावाला विशेषज्ञ दल (expert group) ने इनसे भिन्न आँकडे दिए हैं।

है कि राजस्थान में गरीबी का अनुपात 1977-78 तथा 1983 में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग व संयुक्त रूप से समस्त भारत की तुलना में नीचा पाया गया है। **1983 में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 105 लाख तथा शहरों में 21.2 लाख और समस्त राज्य में 126.2 लाख रही थी।[1] उस वर्ष यह समस्त भारत के गरीबों का 4.66% था।** गरीबों में ज्यादातर लघु व सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण काश्तकार व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग, बंधुआ मजदूर, अपाहिज व्यक्ति, साधन-हीन कृषक, आदि आते हैं।

एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि **1977-78 से 1983 के बीच समस्त भारत व अन्य सभी राज्यों में गरीबी का अनुपात घटा था, लेकिन अकेला राजस्थान ही एक ऐसा राज्य रहा जिसमें यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 33.5% से बढ़कर 36.6% हो गया था और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाने पर 33.6% से बढ़कर 34.3% हो गया था (हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह 33.9% से घटकर 26.1% पर आ गया था)।** इस विषय को लेकर भी काफी चर्चा रही है कि आखिर राजस्थान में ही गरीबी का अनुपात 1977-78 से 1983 के बीच क्यों बढ़ा, जबकि अन्य सभी राज्यों व समस्त भारत में यह घटा था। इस अन्तर का कोई सुनिश्चित कारण बतलाना कठिन है, क्योंकि यह उपभोग-व्यय के आँकड़ों पर आधारित होता है। आँकड़ों से जो परिणाम निकलता है उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। 1987-88 के राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 43वें चक्र के परिणाम काफी अनुकूल आए हैं। ये निम्न तालिका में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।[2] साथ में तुलना के लिए 1983 के आँकड़े भी दिए गए हैं।

वर्ष 1983 व 1987-88 के लिए गरीबी के अनुपात-राजस्थान व समस्त भारत के लिए—

(प्रतिशत मे)

वर्ष	राजस्थान			समस्त भारत		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
38वाँ चक्र (1983)	36 6	26 1	34 3	40 4	28 1	37 4
43वाँ चक्र (1987 88)	26 0	19 4	24 4	33 4	20 1	29 9

इस प्रकार योजना-आयोग के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 1983 में 36 6% से घटकर 1987-88 में 26% एवं शहरी क्षेत्रों में 26 1% से घटकर 19 4% तथा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 34 3% से घटकर 24 4% पर आ गया था।

---

1 Children and Women in India, a Situation Analysis 1990, p 139 1987-88 के योजना आयोग के प्रारम्भिक अनुमानो के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 81 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 19 लाख थी। इस प्रकार राज्य में कुल गरीबों की संख्या 100 लाख थी, जो देश में कुल गरीबों की संख्या 2,377 लाख का 4 2% थी। (Basic Statistics Relating to States of India, September 1994, table 9 13 CMIE, Bombay) (योजना आयोग द्वारा स्वीकृत प्रारम्भिक आँकड़े)

2 CMIE, table 9 13

अत: सरकारी अनुमानों के अनुसार 1983 से 1987-88 की अवधि में राजस्थान में गरीबी का अनुपात 11-12 प्रतिशत बिन्दु कम हुआ है । इस प्रकार यह निष्कर्ष प्रचारित किया गया है कि 1980 के दशक में देश में तथा राजस्थान में गरीबी का अनुपात काफी घटा है ।

वर्ष 1987-88 में राजस्थान व समस्त भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है—

निर्धनता की रेखा से नीचे व्यक्तियों की संख्या (लाखों में) (lakhs)

वर्ष	राजस्थान			समस्त भारत		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1987 88	81	19	100	1960	417	2377

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, 1987-88 में राजस्थान में कुल गरीब 100 लाख, अथवा 1 करोड़ व्यक्ति, पाए गए, जबकि सी एम आई ई की तालिका के अनुसार 1977-78 में इनकी संख्या 105 लाख व्यक्ति (ग्रामीण क्षेत्रों में 86 लाख व शहरी क्षेत्रों में 19 लाख व्यक्ति) रही थी ।

लगभग एक दशक वर्ष पूर्व सर्वश्री बी एस मिन्हास, एल.आर. जैन एवं एस डी. तेन्दुलकर ने अपने एक अध्ययन में बतलाया था कि योजना आयोग ने 1987-88 के लिए निर्धनता में जो भारी कमी का दावा किया है वह सही नहीं है । उसमें सांख्यिकीय दृष्टि से कमी है । यदि व्यय का मध्यम श्रेणियों के लिए सही ढंग से कीमत-समायोजन (appropriate price-adjustment) किया जाए तो निर्धनता के अनुपात बहुत ज्यादा मात्रा में बदल जाएँगे ।

उदाहरण के लिए, राजस्थान के निर्धनता के अनुपात 1983 व 1987-88 के लिए योजना आयोग के अनुसार तथा मिन्हास-जैन-तेन्दुलकर के अनुसार, अग्र तालिका में दिए जाते हैं[1]—

(प्रतिशत में)

राजस्थान	योजना आयोग के अनुसार		मिन्हास-जैन-तेन्दुलकर के अनुसार	
	1983	1987-88	1983	1987 88
(i) ग्रामीण	36 6	26 0	42 0	41 9
(ii) शहरी	26 1	19 4	37 2	41 5
(iii) सम्पूर्ण राज्य	34 3	24 4	41 0	41 8

1 योजना आयोग के परिणामो के लिए CMIE, 1994 की तालिका देखें तथा मिन्हास-जैन तेन्दुलकर के परिणामों के लिए उनका लेख **Declining Incidence of Poverty in the 1980's—Evidence Versus Artefacts, EPW. July 6-13, 1991, p. 1676** table 5 (पूर्व में इस विषय पर यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा प्रामाणिक लेख माना गया है ।) लेकिन हाल में गौरव दत्त व मार्टिन रेवेलियन तथा प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के डीटन व टारोजी के अध्ययनों को ज्यादा महत्त्व दिया जाने लगा है ।

इस प्रकार योजना आयोग के परिणामों व मिन्हास-जैन-तेन्दुलकर के परिणामों में भारी अन्तर पाया जाता है। उपर्युक्त विशेषज्ञों के अनुसार 1983 व 1987-88 के बीच राजस्थान में गरीबी का अनुपात (ग्रामीण एवं कुल ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों का मिला-जुला) 41-42 प्रतिशत बना रहा, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए यह 37% से बढ़कर 41.5% हो गया।

1987-88 के लिए दोनों के परिणामों में लगभग 17-18 प्रतिशत बिन्दु का अन्तर है, जो काफी ऊँचा है। सम्पूर्ण राज्य में (ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को मिलाकर) गरीबी का अनुपात 1987-88 में योजना आयोग के अनुसार 24.4 प्रतिशत रहा, जबकि मिन्हास-जैन- तेन्दुलकर के अनुसार 41.8 प्रतिशत (लगभग 17.4 प्रतिशत बिन्दु अधिक) रहा। इससे निर्धनता-अनुपात सम्बन्धी आँकड़ों की प्रामाणिकता व सार्थकता पर एक बड़ा भारी प्रश्न-चिन्ह लग जाता है। हम नीचे देखेंगे कि राजस्थान में गरीबी का अनुपात 1987-88 के लिए 24.4 प्रतिशत सही नहीं जान पड़ता, क्योंकि **राज्य में जनसंख्या की अधिक तेज गति से वृद्धि, जनसंख्या व श्रम-शक्ति की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, प्रतिवर्ष सूखे व अकालों के प्रकोप, औद्योगीकरण का अभाव, प्रति व्यक्ति नीची आमदनी, ऊँची शिशु-मृत्यु-दर, गरीब बस्तियों में बीमारी का प्रभाव, आम तौर पर कुपोषण व अल्प-पोषण का पाया जाना, राज्य में निरक्षरता का ऊँचा अनुपात (विशेषतया ग्रामीण महिलाओं में), जीवन की अनिवार्यताओं की बढ़ती कीमतें, स्वास्थ्य व चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव, पेयजल का अभाव, आवास की असुविधाएँ, शहरों में बढ़ती हुई गन्दी बस्तियों से उत्पन्न अनेक समस्याएँ, जल तथा वायु का बढ़ता प्रदूषण, आदि गरीबी के ऊँचे अनुपात की ओर इंगित करते हैं, न कि गिरते हुए अनुपात की ओर।**

वैसे भी 1987-88 का वर्ष देश के लिए अभूतपूर्व सूखे का वर्ष रहा था। राजस्थान में भी सूखे का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन घटकर लगभग 48 लाख टन पर आ गया था। अतः **प्रश्न उठता है कि योजना आयोग के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में निर्धनता का अनुपात 1983 में 34.3% से घटकर 1987-88 में 24.4% पर कैसे आ गया?** अभूतपूर्व सूखे के वर्ष में निर्धनता-अनुपात के घटने की बात व्यवहार व सामान्य ज्ञान से मेल नहीं खाती। इसका एक स्पष्टीकरण तो यह हो सकता है कि सूखे से जो आमदनी घटी उसकी पूर्ति सरकार ने विशेष मजदूरी रोजगार-कार्यक्रमों (wage-employment programmes) को बढ़ाकर की हो। इसके अलावा सम्भवतः सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक मात्रा में खाद्य-पदार्थ स्थिर भावों पर सर्वसाधारण को उपलब्ध किए हों। लेकिन इनसे हमारी समस्या का पूरा समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि 1987-88 में राज्य में बेरोजगारी की दरें पूर्व वर्षों की तुलना में ऊँची पाई गई हैं। **इसलिए 1987-88 में निर्धनता का घटता अनुपात बेरोजगारी के बढ़ते अनुपात से मेल नहीं खाता।** इस वजह से भी मिन्हास-जैन-तेन्दुलकर का राजस्थान के लिए 42% का निर्धनता-अनुपात वाला निष्कर्ष ज्यादा सही व अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है।

लकड़वाला विधि के अनुसार, योजना आयोग ने 1993-94 व 1999-2000 के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से निर्धनता के अनुपात राजस्थान व भारत के लिए इस प्रकार दिए हैं[1]—

(प्रतिशत में)

	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
	1993-94	1999-2000	1993-94	1999-2000	1993-94	1999-2000
राजस्थान	26.5	13.7	30.5	19.9	27.4	15.3
भारत	37.3	27.1	32.4	23.6	36.0	26.1

इनसे स्पष्ट होता है कि 1999-2000 में निर्धनता का अनुपात राजस्थान में 15.3% रहा, जो 1993-94 से कम था व यह समस्त भारत के 26% से भी कम था ।

राजस्थान में 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का अनुपात 13.7% व शहरी क्षेत्रों में 19.9% रहा, जब कि भारत में इन्हीं अवधियों के लिए यह क्रमश: 27.1% व 23.6% रहा । NSSO का 1993-94 का दौर 50वाँ व 1999-2000 का 55वाँ माना गया है ।

राजस्थान में निर्धनता को प्रभावित करने वाले तत्त्व अथवा राज्य में निर्धनता के कारण

(1) ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ—राजस्थान एकीकरण से पूर्व 19 सामन्ती राज्यों व 3 चीफशिपों का समूह था, जिनमें सामाजिक-आर्थिक विकास काफी पिछड़ा हुआ था । उस समय की भूमि-व्यवस्था कृषिगत विकास के अनुकूल नहीं थी । कृषकों का आर्थिक शोषण होता था । राज्य का सामन्ती वातावरण गरीबी और पिछड़ेपन का जनक था । इसे बदलने की नितान्त आवश्यकता थी ।

इसके अलावा राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशों में कुल भू-क्षेत्र का 61% व जन-संख्या का 40% पाया जाता है । ये क्षेत्र प्राकृतिक विपदाओं, जैसे अकाल व सूखे के निरन्तर शिकार होते आए हैं, जिससे गरीब विशेष रूप से त्रस्त होते हैं । उनके लिए रोजगार, आमदनी, खाद्यान्न व पानी की कठिनाई उत्पन्न होती रहती है ।

(2) जनसंख्या सम्बन्धी तत्त्व—राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर 1981-91 में 28.44% तथा 1991-2001 में 28.33% रही, जो भारतीय औसत दरों, क्रमश: 23.86% व 21.34% से ऊँची थी । 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 76.6% जनसंख्या ग्रामीण थी, हालांकि 1961 में यह 83.7% थी । 2001 में कुल जनसंख्या 5.65 करोड़ रही है । इसमें ग्रामीण जनसख्या 4.33 करोड़ व्यक्ति रही है, जिसके लिए उचित स्तर पर रोजगार व आमदनी के अवसर उत्पन्न करना कोई आसान काम नहीं है । इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोग 17.16% व अनुसूचित जनजाति के 12.56% थे, जो भारत से अधिक थे । इनमें गरीबी के दबाव अधिक मात्रा मे पाए जाते हैं । जिन जिलो में जनसंख्या में पिछड़ी जातियो का अनुपात ऊँचा

1 Draft Tenth Five Year Plan 2002-07, Vol III, GOI p 77, February 2003

पाया जाता है उनमें गरीबी का प्रभाव भी ज्यादा पाया जाता है । राज्य के मरु क्षेत्र, सूखाग्रस्त क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र विशेषतया गरीबी के शिकार पाए जाते हैं ।

(3) राज्य में श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों (Casual Workers) के अनुपात के बढ़ने से भी निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव आया है । समस्त राज्य में 1977-78 में कुल श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों का अनुपात लगभग 9 5% था जो 1983 में 11 7% तथा 1987-88 में 19 6% हो गया । **इस प्रकार कुल पाँच श्रमिकों में से एक श्रमिक आकस्मिक श्रमिक की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कोई नियमित काम की व्यवस्था नहीं है । इससे इनके लिए पर्याप्त आमदनी के अवसर कम रहते हैं और इनमें गरीबी अधिक मात्रा में पाई जाती है ।** राज्य में 1981-91 की अवधि में खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(4) भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव—हम पहले देख चुके हैं कि राज्य में सीमा निर्धारण कानून को लागू करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में बाँटने के काम में वास्तविक प्रगति धीमी रही है । भूमि-सुधारों के बाद भी कार्यशील जोतों के वितरण में भारी असमानता पाई जाती है और सीमान्त व लघु जोतों का (2 हेक्टेयर तक) कुल जोतों में अनुपात 1995-96 में 50 3% रहा और इनके अन्तर्गत कुल कृषित क्षेत्रफल का मात्र 11% अंश समाया हुआ था । अत: भूमि-सुधारों का गरीबी दूर करने में योगदान बहुत कम हुआ है ।

(5) कृषिगत उत्पादन में अनियमित उतार-चढ़ाव तथा ग्रामीण निर्धनता—ग्रामीण निर्धनता का सीधा सम्बन्ध कृषिगत उत्पादन से माना गया है । राज्य में मानसून की अ-निश्चितता व अनियमितता के कारण कृषिगत उत्पादन में वार्षिक उतार-चढ़ाव बहुत आते हैं जिससे सूखे व अकाल के वर्षों में रोजगार व आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । पशु-पालकों के लिए भी पानी व चारे की भीषण समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनको आर्थिक हानि होती है ।

(6) राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार निर्धारित निम्नतम 20% के समूह की आर्थिक-सामाजिक स्थिति अधिक दयनीय है—1983 के 38वें एन एस एस. चक्र के आँकड़ों के अनुसार निम्नतम दो दशांशों (Two Deciles) (अर्थात् व्यय के निम्नतम 10% के समूह व अगले 10% से 20% तक के समूह) में स्वरोजगार में लगे ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय राजस्थान में 60 से 65 रुपया प्रति माह आँका गया था, जो काफी कम था । 1981 में 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में एकीकृत बाल-विकास स्कीम (ICDS) की परियोजनाओं के अन्तर्गत कुपोषण का प्रभाव 8 2% बच्चों में पाया गया । यह प्रभाव अनुसूचित जाति के 17 3% व अनुसूचित जनजाति के 8 1% बच्चों में पाया गया था । 1983 में 15 वर्ष व अधिक आयु के वयस्कों में 0 20% तक के निम्नतम व्यय-समूह में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का अनुपात पुरुषों में 21% व महिलाओं में 2% पाया गया । शहरी क्षेत्रों के लिए ये अनुपात इस व्यय-समूह के लिए क्रमश: 54% व 21% रहे थे ।[1] इससे यह

1 India Poverty, Employment and Social Services, A World Bank Country Study, 1989, pp 47-55

स्पष्ट होता है कि निम्नतम व्यय-समूह में कुपोषण व निरक्षरता का प्रभाव अधिक है, जो उनमें व्याप्त गरीबी का सूचक माना जा सकता है।

(7) गरीबों द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य-पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का निर्धनता से सम्बन्ध—स्वर्गीय धर्म-नारायण ने अपने अध्ययनों में इस बात पर ध्यान आकर्षित किया था कि गरीबों द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्य-पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होने से गरीबी बढ़ती है और इनकी कीमतों में कमी होने से गरीबी भी कम होती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समस्त देश के विभिन्न क्षेत्रों की तरह राजस्थान में भी गरीबों के उपभोग की अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में, विशेषतया खाद्य-पदार्थों की कीमतों में, वृद्धि हुई है। मोटे अनाज जैसे बाजरा, जौ, आदि तथा दालों, खाद्य तेलों, चीनी, गुड़ आदि के दामों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। इससे मजदूरी के बढ़ने पर भी जीवन-स्तर में गिरावट आती है। व्यवहार में न्यूनतम मजदूरी कानून के क्रियान्वयन में बाधा पाई गई है।

(8) सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता—राज्य में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा व पेयजल की पूर्ति आवश्यकता से काफी कम पाई जाती है। मरु व पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चे के लिए 1-2 किलोमीटर की दूरी में एक स्कूल की व्यवस्था करना कठिन है। राज्य में 1988 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु-मृत्यु-दर 111 थी, जबकि केरल में यह 30 ही थी। 1981 में 34,968 गाँवों में से 7,861 गाँवों में प्रति गाँव 40 परिवार थे तथा 10,425 गाँवों में प्रति गाँव 40 से 100 परिवार ही थे।[1] इस प्रकार की बस्तियों में सामाजिक सेवाओं को ठीक से पहुँचाने का काम आसान नहीं होता है। इसलिए ये गाँव शिक्षा, पेयजल, दवा व चिकित्सा, पुलिस, सामान्य प्रशासन, विद्युत आदि की सुविधाओं से वंचित रहे हैं। जनवरी 1989 में प्रति एक लाख जनसंख्या पर अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में बिस्तरों (beds) की संख्या 64 थी, जबकि समस्त भारत में यह 91 थी।[2] अत: राज्य में जिस तरह का जनसंख्या का छितराव या फैलाव है, उससे सार्वजनिक सेवाओं को जनता तक पहुँचाना एक कठिन कार्य है। इससे भी बेकारी व गरीबी से संघर्ष करने में बाधा पहुँचती है।.

(9) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कॉमन-प्रोपर्टी- साधनों (Common Property-Resources, CPRs) से मिलने वाली सुविधाओं में भारी गिरावट—पहले गरीब लोग गाँव की कॉमन प्रोपर्टी में चरागाह, वन, नदी के किनारे तथा उसके अन्य क्षेत्रों से प्राप्त साधन व जलग्रहण क्षेत्र, तालाब वगैरह शामिल किए जाते थे। डॉ. एन.एस. जोधा ने अपने एक अध्ययन में बतलाया है कि पहले ग्रामवासियों को प्रति परिवार गाँव की कॉमन सम्पत्ति के उपयोग से 530 रुपये से 830 रुपये वार्षिक आमदनी हो जाया करती थी। लेकिन अब इनका निजीकरण होने से धीरे-धीरे गाँव के निवासियों को इनके लाभ नहीं मिल रहे हैं। अब जनजाति के लोगों को वनों से जलाने की लकड़ी नहीं मिल पाती। वैसे भी वृक्षों की अनियमित कटाई, मिट्टी के कटाव व अन्य कारणों से 'परिवेश-असन्तुलन' (ecological

1 Memorandum to the Ninth Finance Commission, Government of Rajasthan, p 5 (गाँवों में परिवारों की स्थिति के लिए)

2 Memorandum to The Tenth Finance Commission, 1994 p 27

imbalance) की समस्या उत्पन्न होती जा रही है जिससे स्वयं कॉमन सम्पत्ति ही क्षीण हो गई है। इस तत्त्व ने भी गरीबी को बढ़ाने में मदद की है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में समस्त देश की भाँति विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जनसंख्या-सम्बन्धी व आर्थिक तत्त्वों ने मिलकर राज्य में गरीबी की समस्या को प्रभावित किया है।

गरीबी की कैलोरी-आधारित अवधारणा में दोष[1]—राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्रों में गरीबी की कैलोरी-आधारित अवधारणा सही नहीं मानी गई है। इसके निम्न कारण हैं—

(i) यह पाँच वर्षों में एक बार राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोग-व्यय के सर्वेक्षण की सूचना पर आधारित होती है। इसलिए उस वर्ष की विशेष परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण यह पूर्णतया विश्वसनीय नहीं होती।

(ii) गरीबी की रेखा के लिए कैलोरी की मात्रा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में देश के सभी राज्यों के लिए एक-सी मान ली गई है, जो सही नहीं है, क्योंकि इसमें आयु, लिंग व आर्थिक क्रिया के अनुसार परिवर्तन होने जरूरी होते हैं। लोगों की ऊर्जा (energy) की जरूरत अलग-अलग होती है। डॉ वी एम राव का मत है कि केरल में कैलोरी की मात्रा 1714 हो सकती है, जबकि राजस्थान में यह 2743 होनी चाहिए।

अतः कैलोरी की मात्रा राज्यों की विशेष परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग निर्धारित होनी चाहिए थी। इसके अलावा राजस्थान में विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उपभोग में बाजरे की प्रधानता होने से इसकी ऊँची कैलोरी की मात्रा के कारण राज्य में गरीबी का अनुपात नीचा आता है जिससे वह सही स्थिति का सूचक नहीं माना जा सकता। राज्य आँकड़ों में तो कम गरीब दीखता है, जबकि वास्तव में अधिक गरीब है।

(iii) व्यय के आँकड़ों को कीमत-सूचकांकों से समायोजित करने में कठिनाई आती है। हम पहले देख चुके हैं कि योजना-आयोग व विशेषज्ञों के निष्कर्षों में इसी कारण से भारी अन्तर पाया जाता है।

(iv) आजकल गरीबी की अवधारणा का सम्बन्ध कैलोरी की मात्रा के स्थान पर न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे—जीवन-निर्वाह के स्तर के लिए आवश्यक भोजन-सामग्री के अलावा शिक्षा, दवा, आवास, पेयजल, मनोरंजन, आदि से करने पर जोर दिया जाने लगा है, ताकि गरीबी की अवधारणा को अधिक वैज्ञानिक, अधिक व्यापक व अधिक सार्थक बनाया जा सके। इसलिए कैलोरी से जुड़ा गरीबी का दृष्टिकोण अपर्याप्त व अनुपयुक्त माना जाने लगा है।

***(v)* जैसा कि पहले कहा गया है केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (C.S.O.) तथा राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के निजी उपभोग पर व्यय के आँकड़ों में अन्तर पाया जाता है, जिनमें समायोजन व समन्वय स्थापित करने की समस्या का सामना करना होता है। लेकिन लकड़ावाला विशेषज्ञ-समूह ने अपनी वर्ष 1993 की रिपोर्ट में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के उपभोग-व्यय के आँकड़ों में किसी प्रकार का समायोजन (adjustment) करने का समर्थन नहीं किया है।**

---

1 Papers on Perspective Plan, Rajasthan 1990-2000 AD pp 111-112

राजस्थान में निर्धनता-उन्मूलन के विशेष कार्यक्रम

ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1989-90 में जवाहर रोजगार योजना में शामिल) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों, जैसे सूखा-सम्भाव्य-क्षेत्र कार्यक्रम, मरुक्षेत्र विकास-कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि का निर्धनता-उन्मूलन पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। लेकिन हम यहाँ पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे। विशेष क्षेत्रीय-विकास कार्यक्रमों का विवेचन पहले एक पृथक् अध्याय में किया गया है। गरीबी और बेरोजगारी का परस्पर गहरा सम्बन्ध होने के कारण हमने यहाँ रोजगार कार्यक्रमों का विवेचन करना अधिक उपयुक्त समझा है।

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme) (IRDP)—**जैसा कि पहले विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के अध्याय में बतलाया गया है, यह निर्धनता-उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है।** राज्य में यह 1978-79 में प्रारम्भ किया गया था। यह एक केन्द्र-प्रवर्तित योजना (CSS) का अंग है। इसका व्यय केन्द्र व राज्यों के बीच समान रूप से बाँटा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए गरीब परिवारों को दुधारू पशु (गाय, भैंस, भेड़, बकरी) बैलगाड़ी, सिलाई की मशीनें, हथकरघा, आदि साधन प्रदान करने के लिए सरकार अनुदान (subsidy) देती है तथा बैंकों से कर्ज दिलवाने की व्यवस्था करती है। यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाकर गरीब परिवार व व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पाएँगे, क्योंकि इस कार्यक्रम से स्वरोजगार (self-employment) के अवसर उत्पन्न होते हैं तथा सहायता-प्राप्त व्यक्तियों की आमदनी बढ़ती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों को कोई न कोई परिसम्पत्ति (asset) दी जाती है ताकि वे उसका उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें और गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें।

राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति—यह 1978-79 में राजस्थान के चुने हुए 112 खण्डों में लागू किया गया था और 2 अक्टूबर, 1980 से राज्य के सभी खण्डों में फैला दिया गया। इससे लघु व सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, गाँव के गरीब कारीगरों व दस्तकारों तथा पिछड़ी जाति के गरीब लोगों को कुछ सीमा तक लाभ पहुँचा है।

कार्यक्रम के आरम्भ से लेकर 1990-91 के अन्त तक 17 62 लाख परिवार (छठी योजना में 7 1 लाख परिवार) लाभान्वित हुए। इनमें अनुसूचित जाति के 6 27 लाख परिवार, अनुसूचित जनजाति के 3 21 लाख परिवार तथा 1.69 लाख महिलाएँ शामिल हैं। सरकारी सब्सिडी के अलावा वित्तीय संस्थाओं से लगभग 445 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में उपलब्ध कराए गए।

राजस्थान में इस कार्यक्रम पर 1987-88 व बाद में प्रतिवर्ष लगभग 33-35 करोड़ रु. व्यय किए गए, जिससे काफी परिवार लाभान्वित हुए हैं। राज्य में 1977 में गरीबों के

कल्याण के लिए अन्त्योदय योजना लागू की गई थी, जिसके आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था।

राज्य की आठवीं योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय हेतु 177 13 करोड़ रु का प्रावधान किया गया। 1992-93 में 20 3 करोड़ रु. व 1993-94 में 21 9 करोड़ रु. व्यय किए गए और क्रमश: 1 01 लाख परिवार व 1 17 लाख परिवार लाभान्वित हुए थे। 1994-95 में व्यय की 30 9 करोड़ रु की राशि से 1 08 लाख परिवार लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इतनी ही राशि केन्द्र ने अलग से व्यय की थी।

1995-96 के लिए इस कार्यक्रम पर धनराशि लगभग 61 50 करोड़ रुपये रखी गई, ताकि 1 08 लाख परिवारों को लाभ पहुँचाया जा सके। इसमें राज्य सरकार का अंश आधा (30 75 करोड़ रु) रखा गया। 1996-97 में IRDP के मार्फत 1 08 लाख परिवारों व 1997-98 में 1 10 लाख परिवारों को लाभान्वित करने के लक्ष्य रखे गए। **पहले निर्धनता की रेखा से नीचे के परिवार की वार्षिक आमदनी 11,000 रु. तक मानी गई थी जिसे 1997-98 में बढ़ाकर 20,000 रु. किया गया।** इस कार्यक्रम में अधिकाधिक गुणवत्ता लाने के लिए प्रति परिवार विनियोजन बढ़ाया गया है, भविष्य में देख-रेख की व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी तथा लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए अन्य विकास कार्यक्रमों का लाभ दिलाए जाने के प्रयास किए जाएँगे। 1998-99 में (दिसम्बर 1998 के अंत तक) 31842 परिवारों को लाभान्वित किया गया। इन्हें सब्सिडी की राशि 23 6 करोड़ रु व कर्ज की राशि 75 6 करोड़ रु उपलब्ध कराई गई।[1]

कार्यक्रम की कमियाँ तथा उनको दूर करने के लिए सुझाव

***(i)* गैर-गरीब परिवारों** (non-poor families) **का चुनाव**—1984 में विकास-अध्ययन-संस्थान, (IDS) जयपुर ने जयपुर जिले में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपलब्धियों का अध्ययन किया था तथा जोधपुर जिले में नाबार्ड के मार्फत सर्वेक्षण किया गया था। इनसे प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि कार्यक्रम में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। जयपुर जिले में 14 7% तथा जोधपुर जिले में 21 4% परिवार ऐसे गरीब मान लिए गए जो वास्तव में गरीब नहीं थे। जयपुर के सर्वेक्षण से पता चला कि 54% कर्ज लेने वालों ने अपने पशु बेच दिए, अथवा उनके पशु मर गए। उन्हें चारे की कमी का सामना करना पड़ा। भेड़-बकरी के सम्बन्ध में स्थिति बहुत खराब रही। केवल 18% कर्ज लेने वाले ही गरीबी की रेखा को पार कर पाए थे। इस प्रकार कार्यक्रम की उपलब्धियाँ सीमित रही हैं। सरकारी आँकड़ों में जिन उपलब्धियों का दावा किया गया है उनका आधार कार्यक्रम पर व्यय की राशि व लाभान्वित परिवारों की संख्या होती है, जो पूर्णतया सही नहीं मानी जा सकती।

***(ii)* कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हुआ है।** गरीब परिवारों के चुनाव व उनके लिए कार्यक्रमों के चुनाव में बैंकों की भूमिका नगण्य रही है। कार्यशील पूँजी का अभाव पाया गया है। लक्ष्यों के निर्धारण में गरीबों के साधनों, अवसरों व क्षमताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है।

---

1 Economic Review 1998-99, p 52

(iii) कई मामलों में सब्सिडी का दुरुपयोग भी हुआ है। दुधारू पशु विशेषतया भैंस देने का विषय काफी चर्चा का विषय रहा हे। इस सम्बन्ध में मुख्य शिकायत यह रही है कि कोरी कागजी कार्यवाही करके सब्सिडी की राशि प्राप्त कर ली जाती है तथा वास्तविक उपलब्धि कम हो पाती है।

(iv) बहुत गरीब लोग दी गई परिसम्पत्ति (asset) का भली-भांति उपयोग नहीं कर पाते हैं। वे मजदूरी पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं।

(v) लाभान्वित परिवारों के लिए विपणन की सुविधाओं का अभाव रहा हे जिससे वे अपना माल बेच पाने में कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में निम्न परिवर्तन किए गए—*(i)* जो लोग पहले गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सके थे उनको सहायता की दूसरी किस्त (second dose) दी गई, *(ii)* महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 30% आरक्षण का लक्ष्य रखा गया, *(iii)* प्रति परिवार विनियोग बढ़ाया गया, *(iv)* निर्धनता की मात्रा व प्रभाव के अनुसार दृष्टिकोण में समरूपता के स्थान पर चुनाव का तरीका अपनाया गया ताकि सबसे ज्यादा गरीबों को पहले व अधिक मात्रा में मदद मिल सके, *(v)* जनता के प्रतिनिधियों व ऐच्छिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाई गई, *(vi)* साथ-साथ कार्यक्रम के मूल्यांकन की प्रणाली जारी की गई तथा *(vii)* सभी स्तरों पर प्रशासनिक ढाँचे को मज़बूत किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में इस कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न दशाओं में प्रयास करने के सुझाव दिए गए—

(अ) प्रति परिवार विनियोग की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

(ब) केवल गरीब परिवारों का ही चुनाव हो सके, इसके लिए चुनाव की विधि अन्त्योदय कार्यक्रम के अनुसार अपनाई जानी चाहिए जिसमें गरीबों का चुनाव ग्राम सभाओं व लोगों की आम सलाह व सहमति से किया जा सके।

(स) लाभान्वित परिवारों को विभिन्न विकास-विभागों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे आगे-पीछे की कड़ियों (forward and backward linkages) के लाभ भी प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, दुधारू पशु लेने वालों के लिए चारे की व्यवस्था करनी चाहिए तथा पशु-चिकित्सा का लाभ उन तक पहुँचाना चाहिए (backward linkages), और दूसरी तरफ उनके दूध की बिक्री की समुचित व्यवस्था (forward linkages) करनी चाहिए ताकि वे उचित आमदनी प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम में इस प्रकार की आगे-पीछे की कड़ियों के गायब रहने से स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है।

पहले बतलाया जा चुका है कि अब IRDP को TRYSEM, DWCRA, SITRA, GKY व MWS के साथ 1 अप्रैल 1999 से प्रारम्भ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) में मिला दिया गया है।

ट्राइसम—ग्रामीण युवावर्ग को स्वरोजगार में प्रशिक्षण देने की स्कीम 15 अगस्त, 1979 में शुरू की गई थी। यह IRDP के अन्तर्गत ही चलाया जाता है। इसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष के व्यक्तियों को काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाद में वे अपने रोजगार में लगने का

प्रयास करते है । 1995-96 में ट्राइसम पर कुल 14 0 **करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया, जिसमें आधी राशि राज्य सरकार की रही** । इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है । 1995-96 में इसको मिलाकर IRDP पर कुल 75 50 करोड़ रु व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था । इसमें राज्य का आधा अंश भी शामिल है । 1998-99 में 10500 व्यक्तियों को ट्राइसम के अन्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया जिसमें से दिसम्बर 1998 के अंत तक 3507 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सका और 2610 युवा प्रशिक्षित किए जा रहे थे ।

(2) जवाहर रोजगार योजना (JRY)—ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से जवाहर रोजगार योजना एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है । यह 1989-90 में प्रारम्भ की गई थी । इसमें केन्द्र का अंश 80% व राज्यों का 20% रखा गया है । इससे पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के दो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे *(i)* राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा *(ii)* ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) । 1989-90 से ये दोनों कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में मिला दिए गए । लेकिन जवाहर रोजगार योजना का विस्तृत विवेचन करने से पूर्व इन दोनों का संक्षिप्त परिचय देना उपयुक्त होगा ।

(अ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—यह कार्य-क्रम अक्टूबर 1980 में प्रारम्भ किया गया और 1 अप्रैल, 1981 से यह एक नियमित कार्यक्रम बना दिया गया था । इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी पर रोजगार (wage-employment) बढ़ाने की व्यवस्था की जाती थी । इसके माध्यम से अकाल-राहत कार्य भी कराए जाते थे । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए कुओं का निर्माण, स्कूल-भवन, दवाखाने, ग्रामीण सड़कें, लघु सिंचाई व भू-संरक्षण आदि के कार्य किए जाते थे । लोगों का पोषण-स्तर ऊँचा उठाने के लिए काम के बदले अनाज भी दिया जाता था । इसमें केन्द्र व राज्यों का अंश 50 50 होता था ।

राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति तीन वर्षों के लिए अग्र तालिका में दी गई है[1]—

वर्ष	खाद्यान्नों के मूल्य सहित कुल व्यय-राशि (करोड़ रु. में)	काम का सृजन (मानव दिवसों मे) (करोड़ में)
1986–87	65 6	9 3
1987–88	42 3	2 4
1988–89	36 9	2 27

इस प्रकार NREP के अन्तर्गत राजस्थान में 1986-87 में 65 6 करोड़ रुपये का कुल व्यय करके 9.3 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया गया जो सर्वाधिक था । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यह कार्यक्रम 1989-90 से जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया है ।

1 Annual Plan, 1989 90 & 1990-91 Government of India, Planning Commission आगे RLEGP की प्रगति के आँकडे भी इन्हीं से लिए गए हैं ।

(ब) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP)—यह कार्यक्रम अगस्त 1983 में चालू किया गया था । इसका सम्पूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाता था । इसका उद्देश्य भूमिहीनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना होता था ताकि प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक के परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन तक का काम दिया जा सके । इसमें भी कार्य लगभग वही होते थे जो NREP में किए जाते थे, जैसे सड़क-निर्माण, पंचायत व स्कूल भवन का निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था, आदि ।

तीन वर्षों में राजस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार रही—

वर्ष	व्यय की राशि (करोड़ रु. में)	काम का सृजन (मानव दिवसों में) (करोड़ में)
1986-87	24 8	1.5
1987-88	35 4	2 0
1988-89	24 7	1.25

इस प्रकार RLEGP के अन्तर्गत 1987-88 में 35 4 करोड़ रु. के व्यय से 2 करोड़ मानव-दिवस का काम सृजित किया गया जो सर्वाधिक था ।

जवाहर रोजगार योजना की मुख्य बातें—

(i) इसके द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ii) इसका कार्य ग्राम-पंचायतों के माध्यम से किया जाता है ताकि राज्य सरकारों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो ।

(iii) इसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है ।

(iv) इसमें कोषों के आवंटन में अलग-अलग स्तरों पर निर्धनों की संख्या, पिछड़ेपन के सूचनांक तथा जनसंख्या आधार-स्वरूप माने गए हैं । राज्यों के आवंटन में निर्धनों की संख्या, जिला-स्तर पर पिछड़ेपन का सूचनांक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटन के लिए जनसंख्या को आधार बनाया जाता है ।

(v) जिला-स्तर पर कुल आवंटन का 6% अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए इन्दिरा आवास योजना में इस्तेमाल किया जाता है । धनराशि का उपयोग सामाजिक वानिकी, सड़क व भवन-निर्माण आदि स्थानीय जरूरतों के मुताबिक किया जाता है ।

1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान में 126 करोड़ रुपयों के व्यय से 4.39 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था । इसमें राज्य द्वारा व्यय की गई कुल राशि 25.2 करोड़ रुपये रखी गई थी । शेष लगभग 100 करोड़ रु. केन्द्र का अंशदान रखा गया था । 1989-90 में वास्तविक व्यय 106.6 करोड़ रु. हुआ और 4.44 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया गया, जो लक्ष्य से अधिक था । 1990-91 में इस योजना पर व्यय की गई राशि बढ़ाकर 128 करोड़

रुपये कर दी गई और रोजगार-सृजन का लक्ष्य 5 34 करोड़ मानव-दिवस रखा गया। **1990-91 में राजस्थान जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन में सर्वप्रथम रहा था।** 1991-92 व 1992-93 में इस कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष कुल लगभग 150 करोड़ रु के प्रावधानों में राज्य सरकार का अंश 30 करोड़ रुपये रहा था। 1993-94 में भी इस कार्यक्रम पर कुल 150 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया ताकि 4 1 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया जा सके। 1994-95 के लिए व्यय की राशि 255 करोड़ रु. रखी गई तथा 1995-96 के लिए 220 करोड़ रु. प्रस्तावित की गई जिसमें केन्द्र का अंश 176 करोड़ रु. व राज्य सरकार का 44 करोड़ रु. रखा गया।

इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण कार्यों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का पूरी तरह सरलीकरण किया गया है। ग्राम पंचायत को 10 हजार रु. तक के कच्चे कार्य एवं 50 हजार रु. तक के पक्के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए हैं। विकास की गंगा को गरीब के दरवाजे तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले के NREP व RLEGP के अन्तर्गत अधूरे पड़े कार्यों को पूरा किया जा रहा है। कई स्थानों पर पाठशाला-भवन, सड़कें, सामाजिक वानिकी के कार्य आदि पूरे किए जा रहे हैं।

अब जवाहर रोजगार योजना (JRY) के स्थान पर 1 अप्रैल 1999 से जवाहर-ग्राम-समृद्धि-योजना (JGSY) लागू की गयी है, जो पूर्व योजना का एक अधिक व्यापक रूप है। इससे गाँवों के गरीबों के लिए रोजगार के स्थायी अवसर उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा। इसका दूसरा उद्देश्य बेरोजगार गरीबों के लिए पूरक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। 1999-2000 के लिए इस योजना पर 50 करोड़ रु. व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था।

1 जनवरी, 1991 से "अपना गाँव अपना काम" योजना का श्रीगणेश किया गया था इसमें 30% राशि जन-सहयोग से व 70% राशि सरकार द्वारा (जवाहर रोजगार योजना/राज्य योजना कोषों से) देने की विधि अपनाई गई है। 1991-92 के लिए इस कार्यक्रम के वास्ते 25 करोड़ की राशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को प्रोत्साहन मिला है। 1992-93 में इस कार्यक्रम के तहत 10 करोड़ रु. की राशि राज्य की योजना में से उपलब्ध कराई गई थी, ताकि 50 करोड़ रुपये के कार्य करवाए जा सकें। 1993-94 से इसके प्रारूप में परिवर्तन किया गया। **अब इस कार्यक्रम में जनता व सरकार का अंश व्यय में आधा-आधा कर दिया गया है। किसी भी सामुदायिक विकास कार्य के लिए स्थानीय लोगों/ दानदाताओं/गैर-सरकारी संगठनों/सामुदायिक समूहों द्वारा 30% न्यूनतम राशि सार्वजनिक अंशदान (public contribution) के रूप दी जाएगी और 50% 'राशि अपना- गाँव-अपना-काम' (AGAK) कोष से दी जाएगी। शेष राशि उस स्कीम से उपलब्ध की जाएगी, बशर्ते कि प्रस्तावित कार्य उसमें स्वीकृत किया गया है।** 1993-94 में इस कार्यक्रम पर कुल प्रस्तावित व्यय 20 करोड़ रु. तथा 1994-95 व 1995-96 में प्रत्येक वर्ष के लिए 30 करोड़ रु. रखे गए थे जिनमें राज्य

सरकार का पूरक अंश आधा रहा था। भविष्य में इस योजना के अधिक लोकप्रिय होने की आशा है।

राजस्थान में इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक (First Decade of 21st Century) में गरीबी कम करने के लिए आवश्यक सुझाव

(1) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार "दो बच्चों के नॉर्म" को लागू करना चाहिए। इसके लिए परिवार-कल्याण व परिवार-नियोजन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

(2) एक व्यापक व अधिक सुनियोजित 'मजदूरी पर रोजगार कार्यक्रम' सभी जिलों के विकास खण्डों में चलाया जाना चाहिए जिनमें उत्पादक-रोजगार के कार्यक्रम लिए जाएँ जो स्थानीय आवश्यकताओं व स्थानीय साधनों के अनुकूल हों। **आगे चलकर IRDP आदि को भी इसमें मिलाया जा सकता है ताकि सीमित वित्तीय साधनों का रोजगार सृजन करने में सर्वाधिक उपयोग हो सके और साधनों की अनावश्यक बर्बादी व फिजूलखर्ची रोकी जा सके।**

(3) भूमि-सुधारों के कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से लागू करने का प्रयास करना चाहिए।

(4) पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सहकारी समाज तथा विकेन्द्रित व जिला-नियोजन को साकार रूप दिया जाना चाहिए।

(5) ग्रामीण निर्धनों का 'एक राजनीतिक संगठन' बनाया जाना चाहिए जो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके।

(6) **कृषिगत उत्पादन बढ़ाने के लिए "सूखी खेती" की विधि को लागू करना चाहिए** ताकि जल-ग्रहण विकास परियोजनाओं (watershed development projects) के माध्यम से फसलों की पैदावार के साथ-साथ चारे, जलाने की लकड़ी आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जा सके। व्यर्थ-भूमि के विकास के कार्यक्रम हाथ में लिए जाने चाहिए ताकि भूमि का सदुपयोग हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके।

(7) ग्रामीण उद्योगों में उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(8) सरकार को सामाजिक सेवाओं जैसे—शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली आदि का विस्तार करना चाहिए ताकि **कम आमदनी वाले लोगों को भी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित न होना पड़े।**

गरीबी एक सामाजिक-आर्थिक अभिशाप (socio-economic curse) है। इसके कई आयाम (dimensions) होते हैं। यह एक बहुत पेचीदी समस्या है। इसका हल सुगम नहीं होता। फिर भी विभिन्न प्रकार के प्रयास करके इसकी तीव्रता अवश्य कम की जा सकती है और कम की जानी चाहिए। तीव्र गति से आर्थिक विकास, खाद्यान्नों के

उत्पादन में वृद्धि, रोजगार-सृजन के लिए कृषि-आधारित उद्योगों का विकास, सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि का विकास गरीबी को दूर करने की अत्यावश्यक शर्तें हैं। गरीबी दूर करने के लिए सामाजिक पिछड़ापन भी दूर करना होगा और सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार करना होगा।

निर्धनता के माप पर विशेषज्ञ-समूह (Expert Group) की रिपोर्ट की मुख्य बातें

1989 में योजना-आयोग द्वारा स्वर्गीय प्रो डी टी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ-दल निर्धनता की रेखा की पुन: परिभाषा करने व निर्धनों की संख्या-व-अनुपात के ताजा अनुमान प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके सदस्यों में प्रो. वी एम. दांडेकर, प्रो *पी वी सुखात्मे, डॉ आर राधाकृष्ण डॉ ए वैद्यनाथन, श्री एस एन रयाण्द* तथा प्रो एस आर हाशिम रहे हैं। शुरू में प्रो बी एस मिन्हास, डॉ राजा जे चेलैया व डॉ. *योगेन्द्र अलक, आदि अर्थशास्त्री भी इससे सम्बद्ध रहे थे।*

विशेषज्ञ-दल ने अपनी रिपोर्ट योजना-आयोग को जनवरी 1993 में प्रस्तुत कर दी थी। लेकिन इसके सम्बन्ध में सरकारी प्रेस-नोट जुलाई 1993 में जारी किया गया था। विशेषज्ञ-दल ने निर्धनता की अवधारणा को पुनः परिभाषित करने की सिफारिश की है। **दल के अनुसार इसमें 'खाद्य के उपभोग' के स्थान पर 'जीवन-स्तर' को शामिल किया जाना चाहिए।** यदि निर्धनता की रेखा का आधार 'कैलोरी की आवश्यकता' को ही माना जाए तो भी इसमें जलवायु के अन्तर, उम्र, लिंग व आर्थिक क्रिया के अनुसार अन्तर तथा एक समय में व एक समयावधि में कीमतों के अन्तरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दल के अनुसार निर्धनता-अनुपात के अनुमानों के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता (quality of life) के अन्य तत्त्वों का भी आकलन किया जाना चाहिए, जैसे निर्धनों की सामाजिक संरचना (Social composition), उनका प्रदेशवार वितरण, उनके पारिवारिक लक्षण, उनके पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा की दशाएँ, उनके रहने के पर्यावरण की गुणवत्ता, आवास, पेयजल, आदि की स्थिति। दल के अनुसार 1987-88 में भारत में निर्धनता का अनुपात 38% रहा था, जबकि पहले योजना-आयोग के अनुसार यह 30% ही रहा था। विशेषज्ञ-समूह (EG) के अनुसार इसी वर्ष बिहार में यह 53.02%, मध्य प्रदेश में 46.14%, पंजाब में 14 25% तथा राजस्थान में 32 02% रहा था। ये योजना-आयोग के पूर्व अनुमानों से अधिक हैं।

नीचे राजस्थान व भारत के लिए योजना-आयोग (PC) व विशेषज्ञ-समूह (EG) द्वारा 1977-78, 1983 व 1987-88 के लिए निर्धनता की रेखा से नीचे जनसंख्या के प्रतिशत दर्शाए गए हैं।[1]

1 The Economic Times August 2 1993

(शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से)
(For rural and urban combined)

(प्रतिशत में)

	1977-78		1983		1987-88	
	PC	EG	PC	EG	PC	EG
राजस्थान	33 6	35 99	34 3	33 13	24 4	32 02
भारत	48 3	50 13	37 4	43.28	29 9	37 96

तालिका से पता चलता है कि विशेषज्ञ-समूह (EG) के अनुमान, विशेषतया 1987-88 में, राजस्थान व भारत दोनों के लिए, योजना-आयोग (PC) के अनुमानों से ऊँचे रहे हैं। 1987-88 में योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में निर्धनता का अनुपात (poverty-ratio) 24 4% रहा, जब कि विशेषज्ञ-समूह के अध्ययन के अनुसार यह 32% रहा। समस्त भारत के लिए ये अनुपात क्रमश: 30% व 38% रहे। **इस प्रकार दोनों के लिए विशेषज्ञ-समूह के निर्धनता अनुपात योजना-आयोग के निर्धनता अनुपातों से लगभग 8 प्रतिशत बिन्दु ऊँचे रहे हैं।**

विशेषज्ञ-दल की विधि (Expert Group Method) के अनुसार राज्यवार ग्रामीण निर्धनता के अनुपात (rural poverty ratios) 1987-88 के बाद के वर्षों 1989-90, 1990-91, 1992 व 1993-94 के लिए भी उपलब्ध किए गए हैं। आगे राजस्थान की ग्रामीण निर्धनता की स्थिति की तुलना भारत से की गई है[1]—

ग्रामीण निर्धनता के अनुपात
(विशेषज्ञ-दल की विधि के आधार पर)
(Rural poverty ratios, EG-Method)

(प्रतिशत में)

	1987-88	1989-90	1990-91	1992	1993-94
राजस्थान	33 2	26 1	25 9	31 7	26.5
भारत	39 1	34 4	35 0	44 0	37.3

तालिका के निष्कर्ष—उपर्युक्त तालिका का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों का निर्धनता पर प्रभाव जानने के लिए किया गया है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि **आर्थिक सुधारों से पूर्व के वर्ष 1989-90 में राजस्थान में ग्रामीण निर्धनता का**

1 C.P. Chandrasekhar & Abhijit Sen, Statistical truths : Economic Reforms and Poverty, article in Frontline, February 23, 1996, p 101. तालिका में 1993-94 के लिए संशोधित आँकड़े दिए गए हैं, जो योजना-आयोग ने दिसम्बर 1996 में 'फाइनल' किए हैं। चन्द्रशेखर व सेन ने अपने लेख में इन्हें राजस्थान व समस्त भारत के लिए क्रमश: 27.5% व 37.5% दर्शाया था। बाकी के आँकड़े पूर्ववत् ही हैं।

अनुपात 26.1% था जो 1993-94 में बढ़कर 26.5% हो गया। समस्त भारत के लिए यह इसी अवधि में 34.4% से बढ़कर 37.3% हो गया। इस प्रकार आर्थिक सुधारों का ग्रामीण निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। लेकिन उपर्युक्त आँकड़ों से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि 1993-94 में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात राजस्थान व भारत दोनों में 1992 की तुलना में कम हुआ है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि **1993-94 में 1987-88 की तुलना में ग्रामीण निर्धनता के अनुपात राजस्थान व भारत दोनों में कुछ अंशों तक कम हुए हैं।**

मार्च 1997 में प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार विशेषज्ञ-दल की विधि के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में निर्धनता-अनुपात 31 6% रहा। लेकिन 11 मार्च, 1997 को संयुक्त मोर्चा सरकार के कुछ घटकों, विशेषतया आँध्र प्रदेश ने, निर्धनता के आँकड़ों में संशोधन करने का केन्द्र पर दबाव डाला था, जिसके फलस्वरूप विशेषज्ञ-समूह की विधि के आधार पर नये संशोधित (modified) आँकड़े जारी किए गए थे।

राजस्थान के लिए 1987-88 व 1993-94 के लिए प्रारम्भिक आँकड़े (योजना आयोग की विधि-पर आधारित), विशेषज्ञ-दल की विधि तथा संशोधित (modified) विशेषज्ञ दल की विधि के अनुसार गरीबों की संख्या (लाखों में) के आँकड़े (शहरों व गाँवों के मिलाकर) निम्न तालिका में दिए गए हैं—

(लाखों में)

राजस्थान	प्रारम्भिक (योजना-आयोग की विधि के अनुसार)	विशेषज्ञ-समूह की विधि के अनुसार	संशोधित विशेषज्ञ-समूह की विधि के अनुसार
1987-88	84.3	140 3	142 9
1993-94	41 7	129 8	128 5

स्रोत : बिजिनेस लाइन, 13 मार्च, 1997.

इस प्रकार 1993-94 में राजस्थान में PC व EG तथा EG (modified) (संशोधित) तीनों तरह से प्राप्त आँकड़े 1987-88 की तुलना में राज्य में निर्धनों की संख्या में कमी दर्शाते हैं।

डीटन व टारोजी के निर्धनता-सम्बन्धी अनुमान

दिसम्बर 1999 में एक अध्ययन में डीटन व टारोजी (प्रोफेसर, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय) ने लकड़ावाला-ग्रुप की विधि में दो कमियाँ बतलायी हैं—**एक तो यह कि उसमें लास्पेयर सूचकांक-गणना-विधि का उपयोग किया गया जो मुद्रास्फीति की दर को ऊँचा करती है, और दूसरा, उसमें कीमतों का उपयोग NSS के आँकड़ों की सहायता से नहीं किया गया है, बल्कि लकड़ावाला विधि में ग्रामीण-उपभोग को खेतिहर श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य- सूचकांकों से समायोजित किया गया है और शहरी उपभोग को अखिल भारतीय उपभोक्ता-मूल्य-सूचकांकों की सहायता से**

समायोजित किया गया। इसके विपरीत डीटन-टारोजी विधि में लास्पेयर सूचकांक के स्थान पर टोर्नक्विस्ट (Tornqvist) सूचकांक विधि का उपयोग किया गया जिससे प्राप्त परिणाम ज्यादा विश्वसनीय व स्वीकार्य माने गए हैं। इसके अलावा डीटन-टारोजी ने कीमतें NSS के आँकड़ों से ही काम में ली हैं जिनमें उपभोग की मात्रा व उपभोग पर व्यय दोनों एक साथ दिए रहते हैं, जिससे कीमतें भी प्राप्त हो जाती हैं।

1987-88 से 1993-94 की अवधि में लकड़ावाला-विधि व डीटन-टारोजी (प्रिंस्टन-विधि) के परिणामों में भारी अन्तर देखने को मिला है। राजस्थान में 1987-88 से 1993-94 की अवधि में लकड़ावाला-विधि के अनुसार ग्रामीण निर्धनता के अनुपात में 6.9% की गिरावट आयी, जब कि प्रिंस्टन-विधि के अनुसार 12.2% की गिरावट आयी। इसी प्रकार शहरी-निर्धनता के अनुपात में लकड़ावाला-विधि के अनुसार 7 7% की गिरावट आयी जबकि प्रिंस्टन-विधि के अनुसार 2 5% की ही गिरावट आयी। **अत: प्रिंस्टन-विधि के परिणाम ज्यादा सही व ज्यादा विश्वसनीय माने गए हैं। लेकिन स्वामीनाथन एस. एंकलेसरिया ऐय्यर का मत है कि हमें निर्धनता को मापते समय केवल NSS के आँकड़ों पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए।**[1]

आजकल निर्धनता का एक नया माप सामने आया है जिसे क्षमता-निर्धनता-माप (Capability poverty ratio) कहा गया है। इसके अनुसार मानवीय विकास के तीन सूचकों के आधार पर (यथा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजन वालों का अंश, महिलाओं के प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति का प्रतिशत तथा 15 वर्ष व अधिक की महिलाओं में निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत) निर्धनता का अनुपात निकाला जाता है। **यह सुझाव यू एन डी पी की मानवीय विकास रिपोर्ट 1996 में दिया गया है।** 1994 में एन सी ए ई आर, दिल्ली ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण कराया था जिसके अनुसार क्षमता-निर्धनता-माप की नई अवधारणा के अनुसार राजस्थान में निर्धनता का अनुपात 66% आया है, जो समस्त भारत के 52% से ऊँचा है। केरल में यह 12% व बिहार में 66% आया है (बिजिनेस टुडे, 7 फरवरी, 1997)। अत: राजस्थान व बिहार में 2/3 ग्रामीण परिवार निर्धन-परिवारों की श्रेणी में आए हैं। भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की सुविधाएँ बढ़ाकर राज्य में क्षमता-निर्धनता-अनुपात को 2/3 से घटाकर 1/2 पर लाने के लिए भारी प्रयास करना होगा।[1] अत: निर्धनता की समस्या आँकड़ों के जाल में काफी उलझी हुई है, और मानवीय साधनों के विकास में केन्द्रीय स्थान रखती है। इसका हल निकालने के लिए रोजगारोन्मुख, ग्रामोन्मुख व गरीबोन्मुख विकास-रणनीति अपनाई जानी चाहिए।

---

1 Swaminathan S Anklesaria Aiyar, **New Light on the poverty puzzle**, in the Economic Times, June 14, 2000

1999-2000 के लिए निर्धनता-अनुपात भारत के लिए 26% आया है जो 1993-94 में 36% आंका गया था। राजस्थान के लिए यह **1999-2000 के लिए 15.3% रहा है जो 1993-94 के लिए 27.4% आंका गया था।** लेकिन गणना-विधि में अन्तर के कारण ये आंकड़े तुलनीय नहीं हैं, क्योंकि इनकी 'रिकॉल-अवधियाँ' अलग-अलग थीं (1999-2000 में साप्ताहिक आधार पर सूचना प्राप्त की गई थी)।

निर्धनता-अनुपातों की तुलनीय स्थिति: 1999-2000 व 2006-07[1]

(% में)

राज्य	(1999-2000)			(2006-07)		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
(1) राजस्थान	13 7	19 9	15.3	11 1	15 4	12 1
(2) बिहार	44.3	32 9	42 6	44 8	32.7	43.2
(3) पजाब	6 4	5 8	6.2	2.0	2.0	2.0
(4) उत्तर प्रदेश	31.2	30 9	31.2	24 3	26.2	24 7
(5) समस्त भारत	27 1	23 6	26 1	21 1	15 1	19 3

तालिका के परिणामः— इस प्रकार योजना—आयोग का अनुमान है कि निर्धनता का अनुपात समस्त भारत मे 1999-2000 मे 26% से घटकर 2006-07 मे 19% तक आ जायगा। लेकिन बिहार जैसे राज्य की स्थिति 2006-07 मे 1999-2000 की तुलना मे निर्धनता-अनुपात की दृष्टि से ज्यादा बदतर होने का भय है। पजाब मे इसके काफी बेहतर होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। राजस्थान मे भी निर्धनता-अनुपात के 1999-2000 में 15.3% से घटकर 2006-07 मे 12.1% पर आने की सम्भावना है। इसके लिए राजस्थान में 2002-07 में विकास की दर का लक्ष्य 8.5% (स्थिर भावों पर) रखा गया है।

राजस्थान के 2004-05 के बजट में निर्धन-वर्ग के लाभ के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम[2] :—

(1) अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए 'राशन टिकिट' योजना लागू की जायेगी। ये 'राशन टिकिट' राशन कार्ड के अलावा अग्रिम रूप से दे दिये जायेंगे। राशन खरीदते समय ये टिकिट क्रेता द्वारा विक्रेता को दिये जायेंगे ताकि उन्हें आसानी से खाद्यान्न मिल सके।

---

1. Draft Tenth Five Year Plan 2002-07, GOI, Vol III p 77 & p 133.
2. बजट-भाषण, 13 जुलाई, 2004, पृ. 8–10.

(2) सहरिया आदिम जाति के लोगों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जायेगा । इस योजना पर 2.92 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है ।

(3) जनजाति बाहुल्य जिलों में 'विश्व-खाद्य-कार्यक्रम' के तहत दस रुपये मूल्य के बराबर 8 लाख खाद्य-यूनिट्स मजदूरी के अंश के रूप में वितरित की जायेंगी । **एक खाद्य-यूनिट में 2 किलो गेहूँ व 200 ग्राम दाल उपलब्ध करायी जायगी जिससे लोगों को खाद्य-सुरक्षा मिल सकेगी ।**

(4) सरपंच को 10 क्विंटल तक के 10-10 किलो के **'फूड-स्टाम्प'** उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि खाद्यान्नों के अभाव की स्थिति में **किसी परिवार को 10 किलो गेहूँ के 'फूड-स्टाम्प' तात्कालिक सहायता के रूप में जारी किये जा सकें ।** इनके आधार पर ऐसा व्यक्ति या परिवार राशन की दुकान से बिना भुगतान किये गेहूँ प्राप्त कर सकेगा । इस पर 4.22 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है ।

आशा है इन कार्यक्रमों से गरीबों को अवश्य लाभ प्राप्त होगा ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. समन्वित ग्रामीण विकास योजना (IRDP) का मुख्य लक्ष्य है—
   (अ) ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देना
   (ब) भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार जुटाना
   (स) मरुस्थलीयकरण पर नियंत्रण
   (द) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना
   (द)
2. 1999-2000 में राजस्थान में ग्रामीण निर्धनता का अनुपात लकड़ावाला-ग्रुप की
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) राजस्थान में निर्धनता की समस्या
   (ii) समन्वित ग्रामीण विकास-कार्यक्रम
   (iii) राज्य में जवाहर रोजगार-योजना तथा,
   (iv) 1999-2000 में राजस्थान में गरीबी की स्थिति की समीक्षा
4. 'राजस्थान में निर्धनता' पर एक सारपूर्ण व संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । साथ में आर्थिक सुधारों का ग्रामीण निर्धनता पर प्रभाव भी समझाइए ।

राजस्थान में बेरोजगारी

(Unemployment in Rajasthan)

राजस्थान में जनसंख्या की तीव्रगति से वृद्धि, कृषिगत विकास के उतार-चढ़ावों तथा धीमे औद्योगिक विकास ने राज्य में रोजगार की स्थिति को प्रभावित किया है । इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य में बेरोजगारी व अल्परोजगार (Underemployment) की दशा निरंतर बिगड़ती जा रही है । एक तरफ खुली बेरोजगारी की दरें 1980 के दशक में बढ़ी हैं, तो दूसरी तरफ छिपी हुई बेरोजगारी या अल्परोजगार की स्थिति व्यापक रूप से, विशेषतया वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में, पाई जाती है । कृषिगत सुस्त मौसम में लोगों को पूरा काम नहीं मिल पाता । यही नहीं बल्कि राज्य में उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षित वर्ग के लोग; जैसे डॉक्टर, इं .,नियर व कृषिगत ग्रेज्युएट आदि भी अपनी योग्यता व पसंद के मुताबिक काम पा सकने में कठिनाई महसूस करते हैं । अतः शिक्षित बेरोजगारी का प्रकोप भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है ।

बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड़े

बेरोजगारी से सम्बद्ध तीन अवधारणाएँ---*राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण संगठन* के पाँच वर्ष में एक बार होने वाले सर्वेक्षण के दौर से बेरोजगारी के आँकड़े प्राप्त होते रहे हैं । इस सम्बन्ध में हाल के वर्षों में 50वें दौर (1993-94) व 55वें दौर (1999-2000) की अवधि के लिए सम्पन्न किए गए हैं । इनमें बेरोजगारी की तीन अवधारणाओं का उपयोग किया गया है जिनका स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है—

(1) सामान्य स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (Usual Status Concept)— इसमें कार्य की स्थिति लम्बी अवधि के लिए देखी जाती है; जैसे 1993-94 के 50वें दौर में यह अवधि सर्वेक्षण के पिछले 365 दिनों तक के लिए निर्धारित की गई थी । **सामान्य स्थिति की बेरोजगारी वर्ष भर की बेरोजगारी या दीर्घकालीन बेरोजगारी (Chronic**

unemployment) को बतलाती है और यह व्यक्तियों की संख्या में मापी जाती है। इसके आँकड़े दो शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने हैं—(1) एक तो सामान्यतया मुख्य स्टेटस के अनुसार बेरोजगार व्यक्ति (unemployed in principal status) तथा (2) सामान्य स्टेटस (समायोजित) (usual status adjusted) के अनुसार बेरोजगार व्यक्ति जिसमें से सहायक स्टेटस वाले श्रमिकों को हटा दिया जाता है (subsidiary status workers are excluded)।

हम आगे चलकर सामान्य स्टेटस (समायोजित) के आँकड़ों का उपयोग करेंगे। इसमें मुख्य स्टेटस के अनुसार सामान्यतया बेरोजगार व्यक्तियों में से सहायक क्रिया वाले श्रमिकों को हटा दिया जाता है। स्मरण रहे कि समस्त भारत में व अधिकांश राज्यों में इस प्रकार की दीर्घकालीन बेरोजगारी प्रायः कम मात्रा में ही पाई जाती है।

(2) साप्ताहिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (Weekly Status Concept)—इसके अनुसार काम की स्थिति पिछले सात दिनों की अवधि के सन्दर्भ में देखी जाती है। वह व्यक्ति रोजगार में लगा माना जाता है जो किसी लाभप्रद धन्धे में लगा होता है, तथा **एक सप्ताह की सन्दर्भ-अवधि (reference period) में किसी भी दिन कम से कम एक घण्टे काम करने की रिपोर्ट देता है। जो व्यक्ति पूरे सप्ताह में एक घण्टे भी काम नहीं कर पाता, लेकिन जो काम की तलाश में रहता है, या काम के लिए उपलब्ध रहता है, वही बेरोजगार माना जाता है। इससे औसतन एक सप्ताह में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रगट होती है।** इसमें दीर्घकालीन बेरोजगारी के साथ-साथ बीच-बीच में होने वाली बेरोजगारी (intermittent unemployment) भी शामिल होती है, जो सामान्यतया रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में मौसमी उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है।

(3) दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (Daily Status Concept)—दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा में व्यक्ति के कार्य की स्थिति पिछले 7 दिनों में प्रत्येक दिन के लिए रिकार्ड की जाती है। **जो व्यक्ति किसी भी दिन कम से कम एक घण्टे, लेकिन चार घण्टे से कम काम कर पाता है, उसे आधे दिन के लिए काम करने वाला गिना जाता है। यदि वह एक दिन में चार या अधिक घण्टे काम कर पाता है तो वह पूरे दिन काम में लगा माना जाता है।**

इसमें सर्वेक्षण-वर्ष में औसतन एक दिन में बेरोजगार व्यक्ति-दिवसों (person-days) की संख्या प्रगट होती है। यह अवधारणा बेरोजगारी की सबसे ज्यादा व्यापक दर को सूचित करती है।

इसमें निम्न तीन प्रकार की बेरोजगारी के दिन शामिल होते हैं—

(1) दीर्घकालीन बेरोजगारी से सम्बन्धित बेरोजगारी, (2) प्रायः काम में लगे लोगों के वे बेरोजगारी के दिन जिनमें **सन्दर्भ सप्ताह में वे बीच-बीच में बेरोजगार हो जाते हैं** तथा (3) चालू साप्ताहिक स्टेटस की प्राथमिकता के आधार पर काम में लगे व्यक्तियों के बेरोजगारी के दिन भी इसमें शामिल होते हैं। इसलिए यह बेरोजगारी का माप सबसे ज्यादा व्यापक व सबसे ज्यादा विस्तृत माना गया है।

राजस्थान में बेरोजगारी की दरें—एन.एस.एस के 1999-2000 के 55वें दौर के अनुसार, राजस्थान में उपर्युक्त तीनों अवधारणाओं के अनुसार, बेरोजगारी की दरें अग्र तालिका में दर्शाई गई हैं। बेरोजगारी की दर में बेरोजगारो का कुल श्रम-शक्ति **(labour force)** से अनुपात देखा जाता है। स्मरण रहे कि श्रम-शक्ति में काम में लगे व बेरोजगार दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं।

राजस्थान में बेरोजगारी की दरें[1]

(1999-2000) **श्रम-शक्ति के (प्रतिशत में)**

	ग्रामीण क्षेत्र (Rural)			शहरी क्षेत्र (Urban)		
	सामान्य स्टेटस (समायोजित) (μPS)	चालू साप्ताहिक स्थिति	चालू दैनिक स्थिति (CDS)	सामान्य स्टेटस (समायोजित) (μPS)	चालू साप्ताहिक स्थिति	चालू दैनिक स्थिति (CDS)
पुरुष	0.6	2.6	3.3	2.6	4.0	4.7
महिला	0.1	1.5	1.9	2.1	2.7	3.5
व्यक्ति (persons)	0.4	2.2	2.8	2.5	3.8	4.5

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में सामान्य स्टेटस (समायोजित) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दरें बहुत नीची थीं। ये पुरुष-वर्ग में 0 6% व महिला-वर्ग में 0 1% थीं। शहरी क्षेत्रों में ये पुरुष-वर्ग में अधिक 2.6% तथा महिला-वर्ग में 2 1% ही थीं।

दैनिक स्थिति के अनुसार बेरोजगारी की सर्वाधिक दर शहरी क्षेत्रों में पुरुष-वर्ग के लिए 4 7% रही, जबकि न्यूनतम दर महिला-वर्ग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 9% रही। ये सभी दरें चालू दैनिक स्थिति (CDS) के अनुसार राजस्थान में समस्त भारत की तुलना में बेरोजगारी की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है[2]—

	1999-2000 में रोजगार-प्राप्त व्यक्ति (करोड़)	बेरोजगारी-अनुपात 1993-94	बेरोजगारी-अनुपात 1999-2000
1 राजस्थान	1.99	1.31	3.13
2 भारत	33.67	5.99	7.32

इस प्रकार राजस्थान मे 1999-2000 में रोजगार-प्राप्त लोगों की संख्या लगभग 2 करोड़ (CDS के अनुसार) आँकी गई है, तथा बेरोजगारी की दर श्रम-शक्ति का 3.1% थी।

बेरोजगारों के आँकड़ों का दूसरा स्रोत रोजगार-विनिमयालय (employment-exchanges) होते हैं। उनके चालू (लाइव) रजिस्टर के अनुसार, बेरोजगारों की संख्या राजस्थान

1 Employment and Unemployment in India 1999-2000, NSS 55th Round (July 1999-June 2000), Report No 458, May, 2001 (Part I) pp 139-142

2 **Special Group Report on Employment Generating Growth, GOI, PC New Delhi, May, 2002, p.135, table 9, (Chairman : S.P. Gupta).**

में 1992 में 9.06 लाख तथा 1994 में 8.5 लाख आंकी गई है ।[1] लेकिन ये आँकड़े बेरोजगारी की सही स्थिति को सूचित नहीं करते, क्योंकि (1) सभी बेरोजगार व्यक्ति इन विनिमयालयों में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, (2) जिनको काम मिल जाता है वे अपना नाम उनके रजिस्टरों से नहीं कटाते तथा (3) कई लोग बेहतर काम की तलाश में भी अपना नाम इसमें रजिस्टर करा लेते हैं, हालांकि वे रोजगार प्राप्त होते हैं । **इसलिए बेरोजगारी के अध्ययन में आजकल एन.एस.एस. के आँकड़ों का ही ज्यादातर उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ भी दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, क्योंकि ये आँकड़े ज्यादा व्यापक श्रेणी के माने जाते हैं । स्मरण रहे कि हमने ऊपर 1987-88 के लिए सामान्य स्टेटस (समायोजित) के आधार पर बेरोजगारों की संख्या दी है । यह वर्ष भर की बेरोजगारी या दीर्घकालीन बेरोजगारी को सूचित करती है। नियोजन में नीति-निर्धारण की दृष्टि से दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारों की संख्या पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होता है ।**

राजस्थान में अल्परोजगार (Underemployment in Rajasthan)—खुली बेरोजगारी के बजाय राजस्थान में भी अल्परोजगार या अर्द्धरोजगार की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है । मौसमी बेरोजगारी इसका मुख्य रूप है । राज्य में कृषि के वर्षा पर आश्रित होने के कारण एक फसल की खेती ज्यादा पाई जाती है । आज भी लगभग 3/4 कृषिगत क्षेत्र असिंचित पाया जाता है । खरीफ की फसल के बाद लोगों के पास काम बहुत कम रह जाता है । इसलिए वे अतिरिक्त काम (additional work) की तलाश में रहते हैं । खरीफ व रबी दोनों फसलों के लिए जितना श्रम उपलब्ध होता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है । इसी प्रकार ग्रामीण दस्तकार भी वर्षभर पूरा काम नहीं प्राप्त कर पाते हैं और उनकी आमदनी कम पाई जाती है । कई लोग जो काम करते हैं उसकी जगह दूसरा काम तलाश करते रहते हैं, अर्थात् वे वैकल्पिक काम (alternative work) करना चाहते हैं ।

एन.एस.एस. के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में **अतिरिक्त काम** चाहने वालों का अनुपात 1993-94 में निम्न प्रकार रहा था[2]—

(प्रतिशत में)

	पुरुष	महिला
ग्रामीण	6.2	3.6
शहरी	2.8	2.0

इस प्रकार 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्रों में 6.2% पुरुष अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार थे, तथा 3.6% महिलाएँ भी अतिरिक्त काम करने के लिए तैयार थीं । इससे राज्य में अल्परोजगार की गम्भीर स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है । सूखे व अकाल के वर्षों

1 Fact Book on Manpower, Rajasthan 1995, Planning (Manpower) Department, Jaipur, p.44

2 NSSO की मार्च, 1997 की रिपोर्ट सं.409, पृ.158 (तालिका 8.6.1.1)

में स्थिति और बिगड़ जाती है और लोगों को राहत कार्यों के माध्यम से सहायता पहुँचानी आवश्यक हो जाती है।

जैसाकि पहले बतलाया गया है दसवीं योजना में प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित **स्पेशल-ग्रुप (अध्यक्ष : डॉ. एस.पी. गुप्ता) ने अपनी मई 2002 की रिपोर्ट में चालू दैनिक स्थिति [Current Daily Status (CDS)] के आधार पर राजस्थान में बेरोजगारी का अनुपात (बेरोजगार व्यक्ति श्रम-शक्ति के अनुपात के रूप में) 1993-94 में 1.31% तथा 1999-2000 में 3.13% रहा है। (समस्त भारत के लिए क्रमशः लगभग 6% व 7.32%)। इस प्रकार राजस्थान में बेरोजगारी का अनुपात 1999-2000 में 1993-94 की तुलना में बढ़ा है।** 1999-2000 में यह केरल में 21%, पश्चिम बंगाल में 15% व तमिलनाडु में 11.8% पाया गया है। अत: 1999-2000 में राजस्थान में बेरोजगारी का अनुपात इन राज्यों की तुलना में काफी कम रहा है।

1990 के दशक में कितने लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी?

जयपुर स्थित विकास-अध्ययन-संस्थान (IDS) के पूर्व निदेशक प्रो. विजय शंकर व्यास की अध्यक्षता में **"राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का आकार तथा भावी अनुमान"** पर नियुक्त समिति ने अपनी दिसम्बर 1991 की अंतिम रिपोर्ट (final report) में बतलाया था कि **1990 के आरम्भ में राज्य में बेरोजगारों की बकाया संख्या 4.83 लाख थी, तथा 15-59 वर्ष की आयु में श्रम-शक्ति 1990-95 में 20.5 लाख तथा 1995-2000 के बीच 23.3 लाख और बढ़ेगी। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की स्थिति लाने के लिए 1990 के दशक में कुल लगभग 49 लाख व्यक्तियों के लिए नये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी।**[1] समिति के मतानुसार इसके लिए राज्य में कुल रोजगार में वार्षिक वृद्धि-दर 2.5 प्रतिशत प्राप्त करनी होगी, ताकि वर्ष 2000 तक राज्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सके। समिति के अनुसार, अस्सी के दशक में राज्य में रोजगार में वार्षिक वृद्धि-दर 2.1% रही थी।

राज्य में रोजगार-सृजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव[2]

राजस्थान में रोजगार नीति को ठोस आधार प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि जिलेवार व आर्थिक क्रिया के अनुसार रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएँ।

व्यास समिति ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार- संवर्द्धन के लिए निम्न सुझाव दिए हैं—

(1) कृषि—समिति के मतानुसार राजस्थान में इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना (चरण II) में कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र 10.10 लाख हैक्टेयर है, जिसमें से सातवीं योजना के अन्त तक केवल 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ही कृषि के अन्तर्गत लाया जा सका है। तीन लाख

---

1 Report of the Advisory Committee on Employment, December 1991, p 32

2 Ibid, Chapter X, pp 42-71

हैक्टेयर क्षेत्र के 1995 तक तथा अगले चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र के वर्ष 2000 तक कृषि में आने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार कुल सात लाख हैक्टेयर क्षेत्र के कृषि के अन्तर्गत आने की सम्भावना है। यदि एक मुरब्बे, अर्थात् 6 हैक्टेयर, में काश्त करने पर वर्ष में दो व्यक्तियों को काम दिया जा सके तो इस क्षेत्र में 2 लाख व्यक्तियों के लिए काम सृजित किया जा सकता है। इसके लिए खेतिहर परिवारों को बसाने, उन्हें प्रशिक्षण देने, औजार प्रदान करने व बिक्री की व्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता होगी।

सिंचित क्षेत्रों में बहुफसल कार्यक्रम (multiple crop programme) अपनाकर एक लाख मानव-वर्ष का रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा फल, सब्जी व फूल जैसे ऊँचे मूल्य वाली फसलें उगाकर अधिक रोजगार सृजित किया जा सकता है। इससे 5-6 लाख व्यक्तियों के लिए काम उत्पन्न किया जा सकता है।

(2) पशु-पालन द्वारा वानिकी व मछली उद्योग—इनके द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार उत्पन्न होने के काफी आसार हैं। वर्ष 2000 तक राज्य में पशुओं की संख्या 6.18 करोड़ होने की आशा है। इसके लिए चारे का उत्पादन बढ़ाना होगा। राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ प्रशीतक संयंत्र और लगाए जा सकते हैं। राज्य में ऊन-उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ हैं। अजमेर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनूं, पाली व सीकर जिलों में इसके विकास की सम्भावनाएँ हैं। राज्य में गलीचा-उद्योग में रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है।

व्यर्थ भूमि पर वनों का विकास करके रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में लगभग 1 लाख मानव-वर्ष का रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान है।

राज्य के कुछ जिलों जैसे कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बाँसवाड़ा, श्रीगंगानगर, जयपुर, टोंक, डूँगरपुर, पाली, भीलवाड़ा तथा चम्बल, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना व माही सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में मछली उत्पादन बढ़ाकर रोजगार बढ़ाना सम्भव हो सकता है।

(3) खनन—राज्य में खनिज-सम्पदा के विकास की सम्भावना है। जैसलमेर में स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। बाड़मेर, बीकानेर व नागौर जिलो में लिग्नाइट कोयले के भंडारों का विदोहन किया जाना है। राज्य में उर्वरक उद्योग के विकास के अवसर विद्यमान हैं। क्रूड तेल व गैस के भण्डारों का पता लगाया गया है। आगामी दस वर्षों में खनन-क्रिया में 50 हजार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की सम्भावना प्रतीत होती है।

(4) उद्योग—राज्य में अभी तक विनिर्माण क्षेत्र का विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। फैक्ट्री क्षेत्र व गैर-फैक्ट्री क्षेत्र में उत्पादन की नई इकाइयाँ स्थापित करके रोजगार बढ़ाया जा सकता है। राज्य में इलेक्ट्रोनिक, इंजीनियरिंग, रसायन, कृषि-आधारित उद्योगों आदि के विकास के अवसर विद्यमान हैं। दस्तकारी, हथकरघा, रत्न व आभूषण (जेम्स व ज्यूलरी) आदि का विकास किया जा सकता है। गेहूँ, जौ, मक्का, कपास, तिलहन, गन्ना, लाल मिर्च व मसालों आदि के आधार पर एग्रो-प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। सूजी, मैदा, बिस्कुट, पापड़, भुजिया, आदि पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं। एग्रो-प्रोसेसिंग इकाइयों में 1990-2000 की अवधि में 16 हजार व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार देना

सम्भव हो सकता है । राज्य में टाइनी उद्योगों, दस्तकारियों व कारीगरी के कामों में प्रयत्न करने से दस वर्षों में 3.5 से 5 लाख व्यक्तियों को खपा सकना सम्भव हो सकता है ।

इनके अलावा उदयपुर, बाँसवाड़ा, पाली व सिरोही जिलों में नाना प्रकार के उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं क्योंकि वहाँ आधार-ढाँचा (infrastructure) सुदृढ़ होने से **कई प्रकार के स्वतन्त्र किस्म के उद्योग (foot-loose industries), जो कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं तथा जिनका कच्चा माल बाहर से आ सकता है एवं जिनकी बिक्री की व्यवस्था राज्य के बाहर भी की जा सकती है ।**

(5) पर्यटन—राज्य में वर्ष 2000 तक देशी व विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी । पर्यटन के विकास के लिए होटलों, मोटलों (motels) व अन्य आधारभूत सुविधाओं का पर्याप्त विकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं ।

(6) निर्माण-कार्य—सिंचाई, सड़क निर्माण व भवन-निर्माण में काफी श्रमिकों को खपाया जा सकता है । इस क्षेत्र में 5 8 लाख व्यक्तियों के लिए काम के नये अवसर जुटा पाना कठिन नहीं होगा ।

(7) व्यापार, परिवहन व सेवाएँ—अन्य क्षेत्रों में विकास से व्यापार, परिवहन आदि क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर खुलते हैं । कृषिगत उत्पादन, खनन उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, आदि के बढ़ने से व्यापार व परिवहन के क्षेत्रों में विकास के नये अवसर खुलते हैं । सन् 2000 तक अतिरिक्त रोजगार के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं—

अतिरिक्त रोजगार के अवसर	(सीमाएँ) (range) (लाख व्यक्तियों में)
1 कृषिगत फसलें उगाना	5-6
2 कृषि-उप क्षेत्र	1 5-2
3 खनन	3 5-5
4 उद्योग	5-8
5 पर्यटन	1-2
6 निर्माण (construction)	5-6
7 व्यापार, परिवहन व सेवाएँ	14-15
कुल	35-44

समिति के मतानुसार आगामी दशक में संगठित क्षेत्र में 5 से 7 लाख रिक्त स्थान मृत्यु व अवकाश प्राप्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होंगे । अत: यदि पूरा प्रयास करके **44 लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सके तो वर्ष 2000 तक राज्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति आ सकती है** । यदि केवल 35 लाख व्यक्तियों को ही काम पर लगाया जा सका (निचली सीमा) तो वर्ष 2000 में बेरोजगारों की संख्या 7 से 9 लाख तक पाई जा सकती है ।

इस प्रकार राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग बढ़ाकर तथा श्रम-गहन विधियों का प्रयोग करके रोजगार-संवर्द्धन का प्रयास किया जाना चाहिए । इस प्रक्रिया की देखरेख व संचालन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक रोजगार-परिषद् (employment council) का गठन किया जाना चाहिए । व्यास-समिति ने इसकी स्थापना पर काफी जोर दिया है ।

अन्य सुझाव—रोजगार-संवर्द्धन के वर्तमान कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना (जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है),

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि का पुनरीक्षण करके उनको अधिक सक्रिय किया जाना आवश्यक है। इन पर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए। इनमें परस्पर समन्वय व पूरा तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए। स्वयं नियोजन का स्वरूप इस प्रकार का बनाना चाहिए ताकि उसी में से ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम के अवसर उत्पन्न हो सकें। तब आगे चलकर रोजगार के विशेष कार्यक्रमों पर निर्भरता भी कम की जा सकेगी।

सच पूछा जाए तो रोजगार का एक ही व्यापक राज्यव्यापी (state-wide) **कार्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए जो बेरोजगारों के लिए 'एक सुरक्षा-जाल' (safety-net) का काम करे और बेरोजगार लोग उससे आवश्यकतानुसार लाभ उठा सकें। इसके लिए राजस्थान में भी महाराष्ट्र के नमूने पर रोजगार-गारंटी-कार्यक्रमों (EGS) को चालू किया जाना चाहिए। रोजगार-संवर्द्धन के विभिन्न प्रचलित कार्यक्रमों की समीक्षा करके उनको अधिक युक्तिसंगत व अधिक लाभकारी बनाने की आवश्यकता है। उनसे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन** (creation of community assets) **ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होना चाहिए।**

राजस्थान में अस्सी के दशक में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP) में 6.5% सालाना की वृद्धि हुई और रोजगार में वार्षिक वृद्धि दर 2.1% रही। अब नब्बे के दशक में *राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की वृद्धि-दर 5.5% वार्षिक अनुमानित है, तथा रोजगार में* वृद्धि-दर 2.5% वार्षिक रखी गई है।[1] इस प्रकार नब्बे के दशक में घरेलू उत्पत्ति में अपेक्षाकृत कम वृद्धि-दर से रोजगार की अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए श्रम-गहन विधियों का अधिक सहारा लेना होगा। अत: राज्य के समक्ष रोजगार-संवर्द्धन की एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। आशा है राजस्थान इस दिशा में सफलता प्राप्त करके अन्य राज्यों के समक्ष एक उदाहरण पेश कर पाएगा। रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि, पशु-पालन, वानिकी, खनन, ग्रामीण उद्योग, लघु, मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग, पर्यटन, परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों का समुचित विकास करना होगा और विशेषतया ग्रामोत्थान पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा। नियोजन का स्वरूप बदलना होगा ताकि विकेन्द्रित नियोजन तथा ग्रामोन्मुख, गरीबोन्मुख व लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित नियोजन के माध्यम से सर्वाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकें। अत: 'रोजगारोन्मुख नियोजन' (employment-oriented planning) को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

1995-96 की वार्षिक योजना में ग्रामीण विकास पर 250.4 करोड़ रु. तथा विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम पर 7.5 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया था। नई सार्वजनिक

---

1 इस प्रकार राजस्थान में रोजगार-लोच (employment-elasticity) अस्सी के दशक में 2.1/6.5 = 0.32 से बढ़ा कर नब्बे के दशक में 2.5/5.5 = 0.45 करने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए श्रम-गहन विधियों का अधिक मात्रा में उपयोग करना आवश्यक माना गया है। इसके लिए लघु व ग्रामीण उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देनी जरूरी मानी गई है।

वितरण प्रणाली (revamped public distribution system) के अन्तर्गत 122 विकास खण्डों में निर्धनतम ग्रामीण परिवारों के लिए आवश्यकतानुसार वर्ष में 100 दिन का "आश्वस्त किस्म का रोजगार" (assured employment) उत्पन्न करने का काम 2 अक्टूबर 1993 से हाथ में लिया गया जिसमें प्रति परिवार कम से कम 2 व्यक्तियों को इस प्रकार का रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया था । साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन भी किया जाना चाहिए । यह जवाहर रोजगार योजना के नमूने पर केन्द्र-चालित योजना है ।

राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में बेरोजगारी की समस्या का आकार व रोजगार-नीति[1]

अनुमान लगाया गया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 2 37 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे । इसे बेरोजगारी की बकाया (backlog of unemployment) कहते हैं । 5 वर्ष व अधिक की आयु में श्रम-शक्ति में बढ़ोतरी का अनुमान, 2002-2007 की अवधि के लिए 26 लाख व्यक्ति लगाया गया है । इस प्रकार दसवीं योजना में कुल अतिरिक्त श्रम-शक्ति जिसको रोजगार उपलब्ध करना होगा, वह 28 37 लाख व्यक्ति होगी । इन सबके लिए योजनावधि में रोजगार व आमदनी बढ़ाने के प्रयास करने आवश्यक हैं ।

राज्य सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए निम्न रणनीति अपनाने का निश्चय किया है—

(i) श्रम-गहन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर लेना, *(ii)* **जवाहर रोजगार योजना (JRY), रोजगार आश्वस्त स्कीम (EAS)** आदि स्पेशल मजदूरी रोजगार-कार्यक्रमों पर अधिक बल देकर लागू करना, *(iii)* **अपना गाँव अपना काम तथा 32 जिले 32 काम** जैसे कार्यक्रमों में जन-भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास पर बल देना, *(iv)* शहरी क्षेत्रों में **प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना,** आदि के माध्यम से रोजगार बढ़ाना, *(v)* ग्रामीण क्षेत्रों में **गोपाल, सरस्वती, स्वास्थ्य कर्मी,** आदि कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार में वृद्धि करना ताकि स्थानीय युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण देकर समाज के लिए उपयोगी सेवाओं में लगाया जा सके, *(vi)* तकनीकी सेवाओं सहित औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा का विस्तार करके **व्यवसायीकरण (vocationalisation)** की प्रक्रिया पर बल देना, *(vii)* **ट्राइसम व शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार स्कीम (SEEUY) के माध्यम से** स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, तथा *(viii)* ग्रामीण क्षेत्रों में **बुनियादी ढाँचे का विकास** करके साथ में **ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देना ।**

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए विनियोग-रोजगार के नॉर्म लगाने पर अनुमान लगाया गया है कि **दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-2007 में 38.85** लाख **व्यक्तियों को**

---

1 Draft Tenth Five Year Plan 2002–2007, Vol I GOR, Planning Department 2002 Chapter 6

अतिरिक्त काम देना सम्भव हो सकेगा। राज्य में अतिरिक्त रोजगार के अवसर कृषि, पशु-पालन, वन, मछली-पालन, वेयरहाउसिंग, बिक्री, ग्रामीण व लघु उद्योग, सिंचाई, कमांड क्षेत्र-विकास, खनन, ग्रामीण सड़कों, सामाजिक सेवाओं—शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, भवन-निर्माण तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत हैं, जिनका पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए।

आर्थिक उदारीकरण के दौर में राज्य सरकार भी रोजगार बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रही है। **1995-96 में राज्य में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों में एक लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार देने का कार्यक्रम बनाया गया था।** तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपने 1995-96 के बजट-भाषण में कहा था कि सरकार निर्धनता-उन्मूलन (अथवा निर्धनता-निवारण) तथा रोजगार-संवर्धन के लिए कृतसंकल्प है और **आर्थिक सुधारों के मानवीय स्वरूप पर अधिक बल देना चाहती है।** अतः **1995-96 में मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, सहभागी नगर विकास योजना, नेहरू रोजगार योजना, निर्बन्ध-राशि-योजना, (untied fund scheme), जल-ग्रहण-विकास परियोजनाओं तथा योजना में सिंचाई व सड़क निर्माण हेतु, प्रावधानों को मिलाकर कुल 1158 करोड़ रु. व्यय करके 15 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था।** यह राशि पिछले वर्ष इन कार्यों पर खर्च की जाने वाली राशि से 365 करोड़ रु. अधिक थी। वर्ष 1996-97 में ग्रामीण विकास कार्यों पर लगभग 775 करोड़ रु के व्यय का प्रावधान किया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रमों व योजनाओं पर 570 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित किया गया। इससे करीब 11 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित करने का अनुमान लगाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने **1996-97 के बजट-भाषण में** घोषणा की थी कि जो उद्यमकर्ता राज्य सरकार से उद्योग लगाने के लिए विभिन्न सुविधाएँ लेते हैं उनके लिए यह आवश्यक होगा कि **वे अकुशल श्रमिकों का 70% तथा कुल श्रमिकों का कम से कम 50% तक नियोजन स्थानीय श्रमिकों में से ही करें।** यह आशा की गई थी कि सरकार के इस निर्णय से राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और उस सीमा तक बेरोजगारी की समस्या का हल निकल पाएगा।

1997-98 के बजट में जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना, 30 जिला 30 काम योजना, निर्बन्ध राशि योजना (जो विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में विकास-कार्यों पर व्यय की जाती है), अपना गाँव अपना काम योजना, ग्रामीण विकास केन्द्र योजना आदि रोजगार-परक योजनाओं के माध्यम से गाँवों के आधार-भूत ढाँचे के विकास पर विशेष बल दिया गया। सरकार ने पक्के कार्यों के निर्माण के लिए भविष्य में सामग्री एवं श्रम का 50 : 50 अनुपात रखना स्वीकार किया।

वर्ष 1999-2000 के बजट में वित्त मंत्री ने विधानसभा के सदस्यों द्वारा स्वयं के स्तर पर विभिन्न विकास कार्य कराने हेतु प्रति सदस्य 10 लाख रुपये के वर्तमान प्रावधान को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की, जिसके लिए आगामी वर्ष में कुल 40 करोड़ रु. की धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। 1999-2000 के बजट में कृषि, उद्योग, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, आदि क्षेत्रों में व्यय की राशि के बढ़ाए जाने से रोजगार के अधिक अवसर खुलने की आशा लगाई गई। राज्य सरकार ने सेवामुक्ति (retirement) की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी ताकि राजकीय सेवा में नये लोगों की भर्ती के अवसर उत्पन्न किए जा सकें।

वर्ष 2000-2001 के बजट में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित करवाई जाने वाली छोटी दुकानों व स्टॉलों या गुमटियों (कियोस्क) में से 10% दुकानें निःशुल्क या कमजोर व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु आरक्षण (reservation) किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि कमजोर व्यक्तियों को उक्त गुमटियाँ या कियोस्कें निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाएँगी और इनकी कीमत राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत चार वर्षों में चार लाख कियोस्क का निर्माण करने का कार्यक्रम रखा गया था। प्रथम चरण में नगरीय निकायों द्वारा दिसम्बर 2000 तक लगभग 6 हजार कियोस्कों का निर्माण हो चुका था तथा 1033 निर्माणाधीन थे। 2000-2001 में 25 हजार कियोस्क के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था।[1]

2004-05 के बजट में रोजगार-संवर्धन के कार्यक्रमः—[2]

सरकार कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन, सहकारिता, पर्यटन, खनिज एवं उद्योग जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों का समन्वित विकास करके अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी।

बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति तथा उदयपुर जिले के कोटड़ा एवं झाडोल क्षेत्र में निवास करने वाली कथौड़ी जनजाति के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को जो प्राथमिक शिक्षा तक योग्यता रखते हैं, उनको राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत अपना धंधा लगाने हेतु अथवा उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण पर ब्याज में 5% का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस 'स्वावलंबन योजना' के तहत 5 हजार अनसूचित जाति के लोगों को लाभ पहुँचाया जायगा। वन-विकास कार्यों पर वर्ष में 30 हजार श्रमिक प्रति दिन काम पा सकेंगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार का सृजन होगा।

---

1. पहल और परिणाम दिसम्बर 2000, राजस्थान सरकार, पृ 19
2. परिवर्तित बजट 2004-05, बजट-भाषण, 12 जुलाई, 2004, विभिन्न पृष्ठों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर।

जिला-गरीबी-उन्मूलन-परियोजना पर 2004-05 में 200 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान है । इस वर्ष खनिज एवं खनन आधारित उद्योगों में 40 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार और 1 लाख व्यक्तियों को परोक्ष रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अलावा पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिक उद्योग, सड़क-विकास आदि क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे ।

वर्तमान सरकार को उपर्युक्त कार्यक्रमों को समन्वित रूप देकर विभिन्न क्षेत्रों के लिए आर्थिक क्रियाओं के अनुसार, निवेश की मात्रा निर्धारित करके, निवेशकर्त्ता के सम्बन्ध में निर्णय करके, उत्पादन के पैमाने को तय करके, माँग की स्थिति को स्पष्ट करके एवं अन्य सम्बद्ध फैसले करके एक व्यापक रोजगार कार्यक्रम आगामी 5 वर्ष के लिए घोषित करके उस पर कड़ाई से अमल करना चाहिए ताकि राज्य में दक्ष, अर्द्ध दक्ष व अदक्ष, ग्रामीण व शहरी, पुरुष व महिला, शिक्षित व अशिक्षित सभी प्रकार के बेरोजगार लोगों को लाभप्रद रोजगार (gainful employment) उपलब्ध हो सके ।

आशा है कि राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों से राजस्थान में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में वांछित सफलता मिल पाएगी । भावी पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं में रोजगार-संवर्धन के कार्यक्रमो पर अधिक स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है—
   (अ) राज्य का अल्प-विकास
   (ब) बड़े उद्योगो के विकास पर अधिक जोर
   (स) ग्रामीण उद्योगों का ह्रास (द) दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली (अ)
2. राज्य में सर्वाधिक रोजगार के अवसर हैं—
   (अ) कृषिगत क्षेत्र में (ब) पशु-पालन में
   (स) खनन-उद्योग में
   (द) ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में (द)
3. राज्य में रोजगार बढ़ाने के वर्तमान में प्रचलित चार कार्यक्रमों के नाम लिखिए—
   उत्तर : *(i)* स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY),
   (ii) अपना गाँव अपना काम (AGAK),
   (iii) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY),
   (iv) 32 जिले 32 काम (BZBK) ।

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का स्वरूप व आकार क्या है ? विवेचन कीजिए।
2. राज्य को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना ने बेरोजगारी को दूर करने में कहाँ तक योगदान दिया है ? समझाकर लिखिए ।
3. राजस्थान में नये रोजगार के क्षेत्र किन आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा प्रतीत होते हैं ? स्पष्ट कीजिए ।
4. राजस्थान में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति, कारणों व सरकारी नीति का विवेचन कीजिए । क्या राज्य में आगामी दशक में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करना सम्भव हो सकेगा ?

राजस्थान में पंचायती राज व ग्रामीण विकास
(Panchayati Raj and Rural Development in Rajasthan)

पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकता

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज-व्यवस्था के महत्त्व को सभी राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किया गया है। पंचायती राज की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि इसके द्वारा ग्रामीण विकास व आर्थिक नियोजन को सफल बनाया जा सकता है और प्रशासनिक तंत्र को जन-भावनाओं के अनुसार 'संवेदनशील', 'पारदर्शी' व 'जबावदेही' बनाया जा सकता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास के कार्यक्रम बनाने, स्थानीय साधनों को जुटाने एवं विकास में जन-भागीदारी को सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की अहम् भूमिका होती है। कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय सड़कों, पानी-बिजली, आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति व प्रबन्ध में ये संस्थाएँ कारगर सिद्ध हो सकती हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में पंचायती राज संस्थाओं पर अपनी महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत में 1959 से पंचायती राज्य को अपनाया जाने लगा था और राजस्थान देश का प्रथम व अग्रणी राज्य बना जिसने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में इस व्यवस्था को अपनाया था। वहाँ पंचायती राज के उद्घाटन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे **'नए भारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम'** घोषित किया था। ऐसा माना जाता है कि शुरू के दस वर्षों तक तो इस व्यवस्था ने ठीक से काम किया, लेकिन बाद में ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये संस्थाएँ अपने मूलभूत उद्देश्यों से उत्तरोत्तर दूर होती जा रही हैं। इनकी प्रगति की रफ्तार भी धीमी रही है। लेकिन सभी क्षेत्रों में यह महसूस किया जाता रहा कि गाँवों में रोजगार, आमदनी व उत्पादन बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना व सुदृढ़ीकरण की नितान्त आवश्यकता है।

पंचायती राज-व्यवस्था का स्वरूप—लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारतीय संविधान का 73वाँ संशोधन 1992 में पारित किया गया तथा इसे 24 अप्रैल, 1993 से सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। **इसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल पाया है।** अब प्रत्येक राज्य-सरकार को इनकी स्थापना करनी पड़ेगी। इसकी व्यवस्था के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम-पंचायत, खण्ड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समिति और जिला-स्तर पर जिला परिषद् स्थापित करनी होगी। इन तीनों स्तरों पर प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से (direct election) चुनाव कराना होगा, अर्थात् ग्राम पंचायत के सभी वार्ड-मेम्बर, अथवा ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों तथा सरपंचों का, पंचायत-समिति के सदस्यों का तथा जिला-परिषद् के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से सीधा किया जाएगा। जनसंख्या के आधार पर वार्ड्स बनाए जाएँगे। प्रत्येक स्तर की पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता अपना मत देकर करेगा।

ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था लेकिन पंचायत समिति व जिला परिषद् के अध्यक्ष-पद का चुनाव चुने हुए सदस्य अपने में से ही करेंगे। कोई भी बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा। राजस्थान में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जिसे सरपच कहते हैं उसका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से, तथा उप-सरपंच का चुनाव पंचों में से बहुमत के आधार पर (परोक्ष विधि से) किया जाता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष 'प्रधान' व जिला परिषद् का अध्यक्ष 'प्रमुख' कहलाता है। पंचायत समिति के सदस्य अपने में से प्रधान व उप-प्रधान का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार जिला परिषद के सदस्य अपने में से प्रमुख व उप-प्रमुख का चुनाव करते हैं। यह 'परोक्ष विधि' कहलाती है।

सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और कार्य-काल समाप्त होने पर छह माह के भीतर चुनाव अनिवार्य रूप से कराना होगा। **चुनाव कराने हेतु राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा।** प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी जो राज्य सरकार की ओर से इन संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें पेश करेगा। प्रत्येक पाँच वर्ष में एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा। यह पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों के सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिशें देगा।

पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों के लिए **महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण भी इनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है।** इससे इन संस्थाओं पर सम्पन्न वर्ग का प्रभाव कम हो जाएगा। यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन है, लेकिन इसको सफल बनाने के लिए एक तरफ महिलाओं को साक्षर करना होगा, प्रधानों व प्रमुखों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी और इन संस्थाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों का इन्तजाम भी करना होगा। कार्यों के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ वित्तीय साधनों का भी विकेन्द्रीकरण जरूरी होगा।

प्रारम्भ में राजस्थान के नए पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार 31 जिला-परिषदों में से छह के प्रमुख अनुसूचित जाति के निर्धारित किए गए थे। ये जिले इस प्रकार थे—बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व सवाई माधोपुर। निम्न पाँच जिलों के प्रमुख अनुसूचित जनजाति के रखे गए—बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, दौसा, सिरोही व उदयपुर। अन्य पिछड़ी जाति के प्रमुख बाड़मेर, जालौर, टोंक, झुंझुनूं व धौलपुर के लिए आरक्षित किए गए। इसी तरह 237 पंचायत समितियों के प्रधानों के लिए भी आरक्षण किया गया था।

संविधान के नए प्रावधानों के अनुसार एक 'राज्य वित्त आयोग' गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष श्री कृष्णकुमार गोयल और सदस्य श्री चन्दनमल बैद एवं सेवानिवृत्त आई ए एस. अधिकारी देवेन्द्रसिंह शक्तावत तथा एक आई ए एस अधिकारी श्रीनिवासन आयोग के सदस्य-सचिव नियुक्त किए गए थे। आयोग को राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं के बीच ऐसे करों, शुल्कों, पथ-करों और फीसों की विशुद्ध आय का वितरण सुझाने के लिए कहा गया था जो संविधान के अनुसार उनके बीच विभाजित किए जा सकते हैं। साथ में इसे यह भी सुझाना था कि इस राशि को स्थानीय संस्थाओं में किस फार्मूले के अनुसार आवंटित किया जाए। इसे राज्य की संचित निधि (consolidated fund) में से सहायता-अनुदान की राशि की सिफारिश करने के लिए भी कहा गया था। आयोग का कार्यक्षेत्र इन संस्थाओं के द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों व फीस, आदि के बारे में सुझाव देना भी था। इस प्रकार इसे स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के आवश्यक उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया था। राज्य के प्रथम वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी जिसकी सिफारिशों पर आगे चलकर प्रकाश डाला जाएगा।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि गाँवों के आर्थिक विकास के लिए त्रिस्तरीय संस्थाओं—ग्राम-पंचायत, पंचायत-समिति व जिला-परिषदों की स्थापना व सफल संचालन की नितान्त आवश्यकता है, तभी चहुँमुखी ग्रामीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना के लिए स्थानीय संस्थाओं की विकास-कार्यों में भागीदारी आवश्यक मानी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास-परियोजनाओं के चयन व संचालन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है और विभिन्न कार्यक्रमों की देख-रेख व नियन्त्रण में काफी मदद मिलती है। हालाँकि पंचायती राज संस्थाओं के वास्तविक सुदृढ़ीकरण की तरफ सरकार का ध्यान पिछले कुछ वर्षों में ही गया है, फिर **भी गाँवों में पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में संविधान के 73वें संशोधन व नगरों में नगरपालिकाओं के लिए 74वें संशोधन से देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आर्थिक विकेन्द्रीकरण व आर्थिक उदारीकरण के मिलन की दिशा में यह एक अनूठा प्रयास है, जिसे जनसहयोग व जन-भागीदारी से सफल बनाया जाना चाहिए।**

राजस्थान में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम[1]

ग्रामीण विकास-कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, आय का अधिक समान वितरण करना, गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी का विनियोजन बढ़ाना है। हम पहले राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के अध्याय में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रमों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाल चुके हैं। वहाँ सूखा-संभाव्य-क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र-विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम, डाँग क्षेत्र-विकास कार्यक्रम, मेवात विकास कार्यक्रम, व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि की चर्चा की गई थी। यहाँ अन्य कार्यक्रमों का भी परिचय दिया जाएगा और राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका व योगदान को अधिक सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी सुझाव भी दिए जाएँगे। पूर्व में वर्णित कार्यक्रमों के *विस्तृत विवेचन के लिए सम्बन्धित अध्याय का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ उनकी* प्रमुख बातों पर ही पुन: ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(1) एकीकृत अथवा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करके निर्धन व्यक्तियों की आमदनी को बढ़ाना है ताकि वे गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकें। इससे लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों, गैर-कृषिगत मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ पहुँचेगा। इनमें से भी बंधुआ मजदूरों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों व साधनहीन कृषकों को अधिक वरीयता दी जाएगी ताकि वे विभिन्न किस्म की आर्थिक क्रियाओं में लग कर निर्धनता की रेखा को पार कर सकें।

वर्ष 1996-97 में प्रति परिवार विनियोग की राशि पहले के 18,700 रु से बढ़ाकर *20,000 रु कर दी गई। 1998 99 में दिसम्बर 1998 तक 31,842 परिवारों को 23 59* करोड़ रु. की सब्सिडी व 75 63 करोड़ रु. का कर्ज देकर लाभान्वित किया गया। पिछले वर्षों में प्रति वर्ष लगभग एक लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा जाता रहा है। 1 अप्रैल 1999 से यह कार्यक्रम ट्राइसम, ड्वाकरा, सीट्रा, जी.के.वाई. तथा एम.डबलू.एस. के साथ **स्वर्णजयंती- ग्राम-स्वरोजगार-योजना (SGSY) में मिला दिया गया है** ताकि गाँवों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सके। उन्हें रोजगार दिया जा सके और उनकी आमदनी बढ़ायी जा सके।

ट्राइसम कार्यक्रम (ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार कार्यक्रम में प्रशिक्षण) यह IRDP का ही एक भाग है जिसे भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1979 से प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत 10 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए 1995-96 में 14 करोड़ रु. के व्यय का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें केन्द्र व राज्य

---

1. Economic Review 2003-2004, GOR pp 84-90 तथा राज्य के मुख्यमंत्री का परिवर्तित बजट-भाषण 2004-05, 12 जुलाई, 2004, पृ. 44-46

सरकार का आधा-आधा अंश रखा गया था। 1995-96 में उद्योगों में प्रशिक्षण देने हेतु 20 संस्थान स्थापित करने का कार्यक्रम था। आगामी कुछ वर्षों में ये सभी पंचायन-समितियों में खोल दिए जाएँगे ताकि युवावर्ग को मजदूरी-रोजगार व स्वरोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु-पालन क्षेत्र में 'गोपाल' को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बागवानी व दुग्ध-व्यवसाय के विकास के लिए संस्थागत प्रयास किया जाएगा। 1998-99 में 10,500 युवा वर्ग के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम रखा गया है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास (ड्वाकरा) (Development of Women and Children in Rural Areas) (DWCRA)—यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उप-योजना (Sub-Scheme) के रूप में **वर्ष 1984 में चलाई गई थी।** इसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे की ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। DWCRA के अन्तर्गत 10 से 15 स्त्रियों के समूह को TRYSEM में आय-सृजन के लायक दक्षताएँ प्रदान की जाती हैं, और स्थानीय स्तर पर दक्षता, कच्चा माल, तैयार माल की बिक्री की सुविधाएँ उपलब्ध की जाती हैं। इससे उनको अतिरिक्त आय प्राप्त होने से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और उनकी सामाजिक-आर्थिक शक्ति व क्षमता में वृद्धि होती है।

1995-96 से पूर्व इसमें यूनीसेफ की वित्तीय सहायता भी दी जाती थी। लेकिन 1995-96 से इसमें 25,000 रु. के कोष की व्यवस्था प्रत्येक समूह के लिए की जाती है, जिसका आधा हिस्सा राज्य सरकार देती है और शेष आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार देती है।

प्रारम्भ से लेकर 1997-98 तक 5545 महिला-समूह बनाए जा चुके थे तथा राज्य के 174 चुने हुए खण्डों में 75400 स्त्रियों को लाभान्वित किया जा चुका था। ये समूह प्रायः चाक, दरी-पट्टी, मोमबत्ती व टोकरी बनाने का काम करते हैं। इनकी वस्तुएँ **"सुरंगी"** के नाम से बेची जाती हैं।

(3) महिलाओं का विकास (Women Development)—राजस्थान में यह कार्यक्रम महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए **1984 में यूनीसेफ की सहायता से 6 जिलों में प्रारम्भ किया गया था।** इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को विकास में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए तैयार करना है। इसके लिए उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना के आदान-प्रदान व सामूहिक कार्यों के जरिए अधिक सक्षम बनाया जाता है। **इस कार्यक्रम के माध्यम से दहेज, बाल-विवाह, स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, महिलाओं के प्रति हिंसा (परिवार के अन्दर व बाहर) जैसे प्रश्नों पर ध्यान** *दिया जाता है। 1992 से यूनीसेफ का सहयोग समाप्त हो गया है और* ***1997-98*** **के अंत तक यह सभी जिलों में संचालित किया जाने लगा है।**[1]

आठवीं योजना में इस कार्यक्रम पर लगभग 11 करोड़ रु. व्यय किए गए। ग्राम-स्तर पर साथिनों के मार्फत महिलाओं के विकास के अन्य कार्यक्रमों—जैसे DWCRA, आदि के साथ इसका ताल-मेल बैठाना आवश्यक माना जा सकता है। 1998-99 से ड्वाकरा को 6

1 Draft Tenth Five Year Plan 2002–2007 p II 4 (GOR)

जिलों की बजाए सभी क्षेत्रों का एक यूनिवर्सल-कार्यक्रम बना दिया गया है। इसके अन्तर्गत **किशोर बालिका योजना "लाडली", स्व-सहायता समूह, महिला रोजगार योजना, बालिका समृद्धि योजना, आदि संचालित किए जा रहे हैं।** 1 अप्रैल 1999 से ड्वाकरा को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है।

(4) **जवाहर रोजगार योजना (JRY)**—इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व अर्द्ध-रोजगार प्राप्त पुरुषों व स्त्रियों को लाभप्रद रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है। लेकिन इससे उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का भी निर्माण होगा। इसके अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों के बीच व्यय का आवंटन 80 20 के अनुपात में रखा गया है। 1995-96 में इस कार्यक्रम पर 220 करोड़ रु. व्यय हेतु रखे गए जिसमें राज्य का अंश 44 करोड़ रु और भारत सरकार का 176 करोड़ रु रखा गया था। इसका विस्तृत विवेचन बेरोजगारी के अध्याय मे किया गया है। 2001-02 मे दिसम्बर 2001 तक लगभग 46 68 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया था और इस पर 56 52 करोड रु व्यय किए गए थे। 1 अप्रैल 1999 से इसका व्यापक स्वरूप जवाहर–ग्राम–समृद्धि–योजना (JGSY) अपनाया गया है।

(5) **इन्दिरा-आवास-योजना (IAY)**—यह योजना **1985-86 में RLEGP की उप-योजना के रूप में शुरू की गयी थी** जिसे बाद में **JRY** की उप-योजना के रूप मे जारी रखा गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रारम्भ की गई थी। **अब यह 1 जनवरी, 1996 से स्वतन्त्र रूप से संचालित की जा रही है।** सामान्य क्षेत्रों में प्रति मकान 20 हजार रु. तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 22 हजार रु. की लागत निर्धारित की गई है। 2003-2004 में 31678 नए मकान निर्मित किए गए तथा 9755 इन्दिरा आवास का अप-ग्रेडेशन किया गया।

(6) **जीवन-धारा-योजना (JDY)**—1995-96 तक यह योजना भी जवाहर रोजगार योजना के अंग के रूप में चलाई गई थी। **अब यह स्वतन्त्र रूप से संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत लघु व सीमान्त किसानों को कुओं के निर्माण व लघु सिंचाई कार्यों के लिए शत-प्रतिशत सरकारी सब्सिडी दी जाती है।** 1998-99 में दिसम्बर 1998 तक 1270 कुओं का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका था तथा अन्य पर कार्य चालू था।

(7) **रोजगार-आश्वस्त-स्कीम (Employment-Assurance Scheme) (EAS)—ग्रामीण क्षेत्रों में आश्वस्त रोजगार की एक नई योजना 2 अक्टूबर, 1993 से राज्य के 22 जिलों में नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले 122 खण्डों में चालू की गई थी।** जवाहर-रोजगार-योजना की भाँति इसमें भी केन्द्र व राज्यों का अंश 80 20 के अनुपात में रखा गया है। **इसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम दो व्यक्तियों को वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।** वर्तमान में यह कार्यक्रम 204 खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक लगभग 49.12 करोड़ रु. व्यय किये जा सके। **1 अप्रैल 1999 से यह केन्द्र व राज्य के क्रमश: 75 : 25 वित्तीय**

अंशों के रूप में संचालित की जा रही है। इसके कुल कोषों का 70% पंचायतों को तथा शेष 30% जिला-परिषदों को जारी किया जाता है।

(8) अपना गाँव अपना काम—गाँवों में आत्मनिर्भरता की भावना को उत्पन्न करने के लिए 1 जनवरी, 1991 से यह कार्यक्रम चलाया गया है। इसके द्वारा अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करके सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाता है। संशोधित वित्त-व्यवस्था के प्रारूप के अनुसार, इसके लिए 50 प्रतिशत कोष की व्यवस्था सार्वजनिक व ग्राम पंचायत के अंशदान से की जाती है (जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि सार्वजनिक अंशदान के रूप में (नकद, श्रम या माल के रूप में) दी जाती है) और शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य के द्वारा अपने अंश के रूप में दी जाती है। यह राशि जवाहर रोजगार योजना व अन्य योजनाओं में से दी जाती है।

वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर 2001 तक इस कार्यक्रम पर 6 03 करोड़ रु. व्यय किए गए।

(9) बिना बंधा (निर्बन्ध) कोष योजना (Untied Fund Scheme) (UF)—स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को उचित महत्त्व देने की दृष्टि से यह जरूरी है **कि योजना के कुछ कार्य जिलों को हस्तान्तरित कर दिए जाएँ।** यह कार्यक्रम 1988-89 से लागू किया गया था। वर्ष 2001-02 मे दिसम्बर 2001 तक विभिन्न प्रकार के कार्यो पर लगभग 4 79 करोड रु की राशि व्यय की गई।

इस कोष से वे स्कीमें चलाई जाती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं; जैसे मनुष्यों व जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, स्कूलों के लिए भवन-निर्माण करना, अस्पताल, डिस्पेन्सरी, मातृत्व-केन्द्र, रक्त-बैंक, सामुदायिक हॉल, आदि का निर्माण करना। ये ग्रामीण व शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्रों के लिए होते हैं। इनके माध्यम से विधानसभा के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में विकास के कार्य सम्पन्न करवाते हैं। इस सम्बन्ध में जवाहर रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों का आवश्यक संशोधनों सहित उपयोग किया जाता है।

(10) 32 जिले 32 काम—यह स्कीम 1991-92 से चालू की गई थी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिला विकास की एक क्रिया का चयन करता है; जैसे लिफ्ट सिंचाई, स्प्रिन्कलर, एनीकट, स्कूल-भवन व अस्पताल-भवन का निर्माण, बिजली, पेयजल, सड़क, आदि का निर्माण। **यह राज्य के सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है।** वर्ष 2000-2001-2002 मे दिसम्बर 2001 तक इस पर 4 87 करोड रु व्यय किए जा चुके थे। यह स्थानीय नियोजन व विकास में जन भागीदारी को बढावा देता है।

(11) सूखा-संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP)—यह कार्यक्रम 1974-75 में केन्द्र-प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में 50 50 आधार पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूमि व पानी का सर्वोत्तम उपयोग करना माना गया है। इससे सूखे व

अभाव के विपरीत प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। वर्तमान में यह 10 जिलों के 32 खण्डों में क्रियान्वित हो रहा है। इनका विस्तृत उल्लेख पहले किया जा चुका है।

2003-04 में इस कार्यक्रम पर 28.21 करोड़ रु. व्यय किये गये। 1 अप्रैल, 1995 से यह जल-ग्रहण क्षेत्र (Watershed) के आधार पर चलाया जा रहा है। प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र में 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल होता है और एक हैक्टेयर पर 4 हजार रु. व्यय किए जाने का प्रावधान है।

(12) मरु विकास कार्यक्रम (DDP)—यह कार्यक्रम 1977-78 में मरुक्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आरम्भ किया गया था। यह पूर्णतया केन्द्र-चालित कार्यक्रम है। यह 16 मरु जिलों के 85 खण्डो में चलाया जा रहा है। प्रत्येक 500 हैक्टेयर के एक वाटरशेड के लिए 5 हजार रु के व्यय की राशि निर्धारित की गई है। **1 अप्रैल, 1999 से नए प्रोजेक्टों के लिए केन्द्र का अंश 75% तथा राज्य का 25% कर दिया गया है।** 2003-04 में इस कार्यक्रम पर 110.44 करोड़ रु. व्यय किये गये।

(13) ग्रामीण विकास केन्द्र—ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सामाजिक व आर्थिक आधार-ढाँचे की कमी पाई जाती है जिसे दूर करने के लिए ग्रामीण विकास केन्द्र की योजना वर्ष 1995-96 से लागू की गई है। इसको क्रियान्वित करने से लोगों के जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life) में सुधार आएगा। प्रारम्भ में यह सभी जिलों की 237 पंचायत समितियों में से प्रत्येक में 5 ग्राम-केन्द्रों के अनुसार, अर्थात् कुल **1185 ग्राम विकास केन्द्रों में चलाई गई है।** इसके अन्तर्गत निम्न आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाता है—पक्की सड़क, बस-स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पोस्ट-ऑफिस व तार-घर, टेलिफोन-कार्यालय, मार्केट यार्ड/हाट, सहकारी समिति, बैंक शाखा, एग्रो-सर्विस-केन्द्र, आटा चक्की, उचित मूल्य की दुकान, स्कूल, अस्पताल/डिस्पेन्सरी, दवा की दुकान, पटवार-घर, पुलिस-स्टेशन, आदि।

(14) ग्रामीण हाट बाजार—ग्रामीण क्षेत्रों में आधार-भूत सुविधाओं का विकास उन क्षेत्रों में ज्यादा जरूरी माना गया है जहाँ समय-समय पर हाटें लगती हैं। प्रति हाट-बाजार पर *औसत व्यय 50 हजार रु होने का अनुमान है। 1995-96 में 2.50 करोड़ रु* की लागत से 500 हाट-बाजार विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। इससे ग्रामीण इलाकों में विपणन की सुविधाओं का विस्तार होने की आशा है।

(15) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme) (BADP)—राजस्थान के पश्चिमी भाग में पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा आती है। **इसके अन्तर्गत चार जिले शामिल होते हैं जो इस प्रकार हैं—बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व** गंगानगर। सीमा तहसीलों की जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है। इसलिए वर्ष 1993-94 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से सीमा क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम चलाया गया है। वर्तमान में इसके अन्तर्गत उपर्युक्त 4 जिलों के 13 विकास-खण्ड शामिल हैं। ये 13 खण्ड अग्रांकित हैं—

जिला	खण्ड/पंचायत समिति
1 बाड़मेर	(i) शिव (Sheo)
	(ii) बाड़मेर
	(iii) चोहटन (Chohtan)
	(iv) घोरीमन्ना
2 जैसलमेर	(i) जैसलमेर
	(ii) सम (Sam)
3 बीकानेर	(i) बीकानेर
	(ii) कोलायत
4 श्रीगंगानगर	(i) करनपुर
	(ii) गंगानगर
	(iii) पदमपुर
	(iv) रायसिंहनगर
	(v) अनूपगढ़

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में आधार-ढांचे के विकास के लिए पुलिस, सी.आई.डी., सीमा-सुरक्षा-बल (BSF) व होमगार्ड आदि विभागों के जरिए प्रयास किए जाते हैं, और दवा व स्वास्थ्य, भेड व ऊन, शिक्षा, पशु-पालन व मानवीय साधनों के विकास, आदि पर बल दिया जाता है । **वर्ष 2003-04 में 43.73 करोड़ रु. की लागत से 715 काम करवाये गये ।**

(16) डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड—डांग-क्षेत्र मुख्यतया डाकुओं का प्रदेश माना जाता है, जिसमें घाटियाँ पाई जाती हैं । इसके विकास के लिए डांग प्रादेशिक विकास-बोर्ड का गठन किया गया है जो मेवात विकास बोर्ड के नमूने पर है । इसके द्वारा डांग-क्षेत्र का आर्थिक-सामाजिक विकास जिला-ग्रामीण विकास एजेन्सियों के मार्फत किया जाता है । **यह क्षेत्र 8 जिलों की 332 ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है** और इसके सामाजिक-आर्थिक विकास पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे इस क्षेत्र के जीवन को बदलने में भारी मदद मिलेगी । आठ जिलों में सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, करौली, कोटा व बूँदी शामिल हैं ।

(17) गंगा कल्याण योजना—यह केन्द्र चालित योजना फरवरी 1997 से चालू की गई है । इसमें केन्द्र व राज्यों का हिस्सा 80 20 है । इसके अन्तर्गत उन लघु व सीमान्त कृषकों को व्यक्तिगत या समूह के रूप में भूजल (ground water) (कुएं व नलकूप) की सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है, जिन्हें किसी अन्य योजना के तहत यह लाभ नहीं मिल रहा है । इस स्कीम का आधा कोष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलता है । पहले यह स्कीम IRDP के तहत थी, लेकिन बाद में यह एक पृथक् स्कीम के रूप में चलाई जा रही है । **अतः गंगा कल्याण योजना लघु व सीमान्त कृषकों को भूजल-सिंचाई में मदद करती है ।**

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है । इसके लिए 1995-96 में मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, सहभागी नगर विकास योजना, नेहरू रोजगार योजना, निर्बन्ध-राशि-योजना (untied fund scheme), जल ग्रहण विकास परियोजना (water-shed development project), योजना में सिंचाई व सड़क-निर्माण के प्रावधानों को मिला कर **कुल 1158 करोड़ रु. व्यय करके 15 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था ।** यह राशि 1994-95 के वर्ष से 365 करोड़ रु. अधिक थी । इससे गरीबी दूर करने में भी मदद मिल सकती है ।

राज्य में 1 अप्रैल, 1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY), 15 अगस्त, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY), 2000-01 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण आवास तथा संसद सदस्यों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं ।

ग्रामीण विकास व पंचायत विकास के कार्यक्रम—1995-96 के लिए ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के निम्न कार्यक्रमों पर व्यय हेतु लगभग 21 करोड़ रु. प्रस्तावित किए गए थे—(i) पंचायती राज को नवजीवन प्रदान करना होगा । इसके लिए ग्राम सेवक के नए पद सृजित करने होंगे । इनका समस्त व्यय राज्य सरकार को वहन करना होगा । (ii) जयपुर में पंचायत-भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा । (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जाएगा । यूनीसेफ भी गाँवों में इस प्रकार के कार्यों में मदद देगा । (iv) पंचायतों द्वारा अपने कर-राजस्व को उगाहने हेतु समान रूप से अनुदान देने की स्कीम जारी रखी जाएगी । (v) जिला-परिषद् व पंचायत-समिति भवनों के आधुनिकीकरण की स्कीम जारी रखने के लिए आधी धनराशि स्वयं स्थानीय संस्थाएँ जुटाएँगी । (iv) **ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं (VLWs) को प्रशिक्षण देने के लिए जोधपुर के आलावा डूँगरपुर व जयपुर में दो नए प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की जाएगी ।** (vii) जिला-परिषदों व पंचायत-समितियों में कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । (viii) पंचायती-राज संस्थाओं के लिए नए चुने गए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ।

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर में पंचायती राज पर अनुसंधान व अध्ययन की व्यवस्था है । इसके द्वारा उक्त विषय पर गोष्ठियाँ, वर्कशॉप, सेमीनार आदि आयोजित किए जाते हैं । भूमि-सुधारों को गति प्रदान करने के लिए उन लोगों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है जिन्हें सीलिंग से ऊपर की अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है ताकि वे उस भूमि का यथोचित विकास कर सकें । कृषिगत-संगणना (agricultural census) पर केन्द्र द्वारा धनराशि व्यय की जाएगी तथा कुछ राशि राज्य सरकार व्यय करेगी । बन्दोबस्त विभाग (settlement department) के लिए व्यय का प्रावधान किया गया है । एक प्रशिक्षण-स्कूल की स्थापना की जाएगी जिसमें चालू व्यय का भार राज्य सरकार पर होगा । राजस्व-प्रशासन के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण के लिए कम्प्यूटर, प्रपत्र सोफ्टवेयर की खरीद, आदि की व्यवस्था बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ।

उपर्युक्त विवेचन का सार यह है कि राज्य में नई पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण विकास की एक सबल एजेन्सी के रूप मे विकसित करने का भरपूर प्रयास जारी है । परिवर्तित परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत जरूरी हो गया है । इनके बिना

सम्पूर्ण आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया विफल हो सकती है । लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, जनता की भागीदारी, स्थानीय विकास कार्यक्रमों का चयन व क्रियान्वयन, आदि भावी ग्रामीण विकास के अविभाज्य अंग बन गए हैं । इनको सफल बनाना होगा, अन्यथा गाँवों से शहरों की ओर जनता का पलायन नहीं रुकेगा और ग्रामीण जनता विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगी ।

राजस्थान में दिसम्बर 1994 व जनवरी 1995 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न हुए थे । इनमें कुल 1,19,419 निर्वाचित प्रतिनिधि विभिन्न पदों पर निर्वाचित होकर आए थे । वर्तमान में राज्य में 32 जिला परिषदें, 237 पंचायत-समितियाँ व 9189 ग्राम-पंचायतें कार्यरत हैं । सामान्यतः एक ग्राम पंचायत में 2 से 5 हजार तक जनसंख्या होती है तथा एक पंचायत-समिति में 1 लाख से 1.5 लाख तक की जनसंख्या होती है । इनके कार्यक्षेत्र व वित्तीय अधिकारों की काफी चर्चा होती रहती है । इनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान निकालने की आवश्यकता है ।

अब हम पंचायती राज व ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव देंगे।

पंचायती राज व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव[1]—राजस्थान का नया पंचायती राज कानून, 1994 राज्य में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रान्ति का सूत्रपात करने की दृष्टि से काफी महत्त्व रखता है । लेकिन केवल कानून बनने से सब कुछ नहीं हो जाता । इसको सफल बनाने के लिए इसके राजनीतिक व वित्तीय पहलुओं पर भी गहराई से ध्यान देना होगा । इस सम्बन्ध में निम्न प्रश्न उभर कर सामने आते हैं जिनका उचित समाधान निकाला जाना चाहिए ।

(1) साक्षरता-अभियान व प्रशिक्षण-कार्यक्रम की आवश्यकता—ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पदों के लिए आरक्षण तो दे दिया गया है, लेकिन उसको कारगर बनाने के लिए साक्षरता-अभियान व प्रशिक्षण-कार्यक्रम को तेज करना होगा ताकि चुने हुए प्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान व प्रमुख आदि अपने-अपने कर्त्तव्यों को निभा सकें । इस सम्बन्ध में युद्ध-स्तर पर प्रयास करना होगा ताकि सच्चे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना की जा सके ।

(2) लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता के लिए चार प्रकार के शक्ति-हस्तान्तरण की आवश्यकता है । सर्वप्रथम, वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों का हस्तान्तरण केन्द्र से राज्यों की ओर, राज्यों से जिला-स्तर की ओर; तथा इसी क्रम में ब्लॉक स्तर की ओर व ग्राम-पंचायत स्तर की ओर होना चाहिए । इससे स्थानीय स्वशासन सुदृढ़ होगा । इसे

---

1 डॉ निरंजन मिश्र का लेख : लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण · कुछ आधारभूत प्रश्न, राज पत्रिका, 21 अप्रैल, 1996, पृ 3 (अत्यन्त सारपूर्ण लेख) एव इन्हीं के दो और लेख : पचायती राज संस्थाएँ कैसे सशक्त हों ? राज. पत्रिका 26 व 27 फरवरी 1999 तथा डॉ एच एस महला का विस्तृत लेख : राजस्थान में पचायती राज की वर्तमान स्थिति, समस्याएँ एवं सुझाव, क्रॉनिकल, पी एस.सी , अप्रैल 1999, पृ 53-60

लम्बवत् हस्तान्तरण (vertical transfer) की संज्ञा दी जा सकती है। द्वितीय किस्म का सत्ता का हस्तान्तरण सरकारी विभागीय अधिकारियों व निर्वाचित सदस्यों के बीच होना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्थानीय सार्वजनिक सेवाएँ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन चलाई जानी चाहिए ताकि पानी-बिजली आदि की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें। इसे शक्ति का क्षैतिज-हस्तान्तरण (horizontal transfer) कहते हैं। तीसरे शक्ति-हस्तान्तरण के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं में वार्डों से सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों व राज्य के विधायकों तथा लोक सभा के सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग व तालमेल की व्यवस्था करनी होगी। इनके आपसी सम्बन्धों को अधिक मधुर बनाना होगा जो प्राय: कठिन पाया गया है। इस सम्बन्ध में उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित करना होगा। राज्य के विधायकों व लोक सभा के सदस्यों को आवश्यक अधिनियम व नियम बना कर पंचायती राज संस्थाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए और स्थानीय संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को उन कानूनों व नियमों के क्रियान्वयन का काम सौंपा जाना चाहिए। कुल मिलाकर सम्पूर्ण शक्ति पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिए। इसे **क्रियानुसार-हस्तान्तरण (activity transfer)** कह सकते हैं। अन्त में पंचायती राज संस्थाओं पर आधिपत्य सम्भ्रान्त, प्रभावशाली व अभिजात्य वर्ग का न होकर समाज के आम आदमी का होना चाहिए। इसे सत्ता का **धरातलीय हस्तान्तरण (base-level transfer)** कह सकते हैं। अत: वर्चस्व जनता द्वारा चुने गए सच्चे प्रतिनिधियों का होना चाहिए।

(3) वित्तीय व्यवस्था से जुड़े प्रश्न—पंचायती राज संस्थाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ये अपने कार्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाएँगी। मुख्यमंत्री ने अपने 1995-96 के राजस्थान के बजट में ग्राम-पंचायतों को दिए जाने वाले प्रति व्यक्ति अनुदान की राशि में 25% वृद्धि करने की घोषणा की थी। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत इन संस्थाओं को वर्ष 1996-97 से सहायता देने का प्रावधान किया गया था।

राज्य वित्त आयोग की स्थानीय संस्थाओं को राजकोष कोष के अन्तरण के सम्बन्ध में सिफारिशें—

(i) आगामी वर्षों में इन संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपनी शुद्ध कर-राजस्व राशि (net tax-revenue) का 2.18% हिस्सा स्थानीय संस्थाओं को वितरित किया जाना चाहिए।

(ii) यह राशि पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं को जनसंख्या के अनुपात में वितरित करनी चाहिए।

(iii) यह धनराशि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।

आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य प्रयोजन हेतु, अनुदान की वर्तमान दर 5 रुपये प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति व्यक्ति तथा पंचायत समितियों के लिए 50 पैसे प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 1 रुपया 25 पैसे करने की सिफारिश की थी।

आयोग ने नगरपालिकाओं के सामान्य कार्यों के लिए अनुदान की वर्तमान राशि के अलावा 53 करोड़ 93 लाख रु पाँच वर्षों में देने की सिफारिश की थी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं को 5 वर्षों में विकास की जरूरतों के लिए 10 करोड़ 48 लाख रु की सहायता देने की सिफारिश की थी।

राज्य सरकार ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार कर लिया था और तदनुसार वर्ष 1995-96 के संशोधित अनुमानों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 32 करोड़ 95 लाख रु. तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए 11 करोड़ 53 लाख रु. के अन्तरण का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1996-97 के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 करोड़ 48 लाख रुपये और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए 14 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था तथा 1997-98 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 59.50 करोड़ रु. तथा नगरीय स्थानीय निकायों को 17.15 करोड़ रु. देने का प्रस्ताव किया गया था।

पूर्व में कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त व अधिक सक्षम बनाने का प्रयास प्रारम्भ किया था। इसके लिए **जिला-ग्रामीण-विकास-एजेन्सियों (DRDAs) की अध्यक्षता जिलाप्रमुखों को सौंपी गई थी** जो एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था। ग्रामोत्थान की नौ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ जिला परिषदों को हस्तान्तरित की गई थी। **सरपंच को पंचायत समिति एवं प्रधान को जिला-परिषद् का सदस्य मनोनीत कर त्रिस्तरीय सामंजस्य स्थापित किया गया था। ग्राम सभाओं को लोक-कल्याण एवं विकास-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की महत्ती जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा का प्रावधान किया गया जो विकास-कार्यों का निर्धारण करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण 15% से बढ़ाकर 21% किया गया।** 1999-2000 के बजट में ग्रामीण विकास व पंचायती राज के सम्बन्ध में निम्न घोषणाएँ की गई थीं—

(i) 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में 40 बच्चों पर एक प्राथमिक शिक्षा केन्द्र के हिसाब से **16 हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र** खोले जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

(ii) **इसी वर्ष** पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 77 करोड़ 67 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 53 करोड़ 6 लाख रु और विशिष्ट-योजना-संगठन (SSO) के माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 202.80 करोड़ रु का व्यय प्रस्तावित किया गया।

(iii) आगामी वर्ष में पंचायत-चुनावों के लिए 27.90 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित किया गया।

(iv) प्रत्येक विधानसभा के सदस्य द्वारा अपने क्षेत्र में स्वयं के स्तर पर विभिन्न विकास कार्य करवाने के लिए 10 लाख रु के स्थान पर 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। इसके लिए कुल 40 करोड़ रु की राशि का प्रावधान किया गया।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जब पंचायती राज संस्थाओं को विकास-कार्यों का हस्तान्तरण किया जा रहा है तो उनको वित्तीय हस्तान्तरण भी काफी मात्रा में करना होगा ताकि वे अपने कार्यों को ठीक से पूरा कर सकें।

2003-2004 के बजट में ग्रामीण विकास व पंचायती राज पर 536 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया था। पानी के पारम्परिक जल-स्रोतों के रख-रखाव व सुदृढ़ीकरण के लिए जन-सहभागिता से 'राजीव गाँधी पारम्परिक जल-स्रोत-संधारण-कार्यक्रम' नामक योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने पर बल दिया गया था।

पहाडी क्षेत्रों मे अन्य पिछड़ी जातियों व अल्पसंख्यक लोगों के उत्थान के लिए **'मकरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम' बनाया गया था। यह राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर व पाली जिलों में संचालित किया गया।**

विधानसभा सदस्यगणों द्वारा विभिन्न विकास कार्य स्वयं के स्तर पर करवाने के लिए प्रति सदस्य 25 लाख रुपये का प्रावधान जारी रखा गया। इसके लिए 2000-2001 में भी 40 करोड रु. का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया।

(4) ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर ताल-मेल की आवश्यकता बढ़ गई है। भविष्य में सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए दी जानी उपयुक्त रहेगी ताकि साथ में उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण भी सम्भव हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विनियोग की मात्रा बढ़ाने से ही कृषि, पशु- पालन, लघु व कुटीर उद्योग, विपणन, आधार-ढाँचे—सिंचाई, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि का तेजी से विकास हो सकता है। अब विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम निर्धारित करते समय स्थानीय आवश्यकताओं व स्थानीय साधनों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से इस दिशा में काफी सहयोग मिलेगा क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जन सहयोग की पर्याप्त व्यवस्था सम्भव हो सकती है। भविष्य में जन-आकांक्षाओं के अनुरूप विकास-कार्यक्रम निर्धारित होने चाहिए और लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने पर अधिक शक्ति लगाई जानी चाहिए।

(5) भूतकाल में प्रायः यह देखा गया है कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान अचानक नए कार्यक्रम घोषित कर दिए जाते हैं; जबकि पहले के कार्यक्रम अधूरे पड़े रहते है। भविष्य में इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

साधनों के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से कार्यक्रमों की संख्या सीमित रख कर उनको कारगर ढंग से पूरा करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा। मुख्य बात यह है कि विकास-कार्यक्रमों को सीधे लोगों की आम ज़रूरतों से जोड़ना होगा ताकि इनका लाभ

सर्वसाधारण को मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व पिछड़े वर्गों को रोजगार एवं आमदनी बढ़ाने के उत्तरोत्तर अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। हमारे देश में यह धारणा पाई जाती है और समय के साथ जोर भी पकड़ती जा रही है कि आर्थिक सुधारों के लाभ समाज के धनी वर्ग को तथा विदेशी कम्पनियों को ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, और देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व बेरोजगारी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में स्थानीय संस्थाओं, स्थानीय विकास-कार्यों व जनता की भागीदारी, आदि का महत्त्व विकास की रणनीति में काफी बढ़ गया है। अतः इस निष्कर्ष से इन्कार नहीं किया जा सकता कि **आर्थिक उदारीकरण की सफलता के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को एकीकृत रूप से अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।**

पंचायती राज व विकेन्द्रित नियोजन के सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण रिपोर्टें प्रस्तुत हुई हैं; जैसे **अशोक मेहता समिति रिपोर्ट 1978, जिला-नियोजन पर डॉ. सी.एच. हनुमंता राव कार्यकारी दल की रिपोर्ट, (सितम्बर 1982); जी.वी.के. राव समिति रिपोर्ट, मार्च 1985 (ग्रामीण विकास की प्रशासनिक व्यवस्था व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा पर), पंचायती राज के पुनर्जीवन पर एक 'कन्सेप्ट पेपर' (डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा जून 1986) तथा दिसम्बर 1987 से जून 1988 के बीच जिला मजिस्ट्रेटों/जिलाधीशों की कार्यशालाओं की रिपोर्टें**, आदि। इनका उपयोग करके पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जाना चाहिए।

पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण की दिशा में पूर्व सरकार के प्रयास[1]

(1) जिला प्रमुखो को जिला विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाकर इनका प्रबन्ध जिला परिषदों को सौंपा गया।

(2) संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से अब तक 16 विषयों का कार्य पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया।

(3) पचायती राज संस्थाओं के चुनावों में SC/ST, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 21% किया गया।

(4) गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को रियायती दर पर 30 हजार भूखण्ड आवंटित करने का कार्य आरम्भ किया गया।

(5) DRDA द्वारा संचालित प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा-कर्मी, लोक जुम्बिश योजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को हस्तान्तरित किए गए।

---

1 पहल और परिणाम, वर्ष कुशल नेतृत्व के, राजस्थान सरकार, दिसम्बर 2000 पृ 6–8

(6) वर्ष 1999 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया तथा 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं की बैठके आयोजित करके सामाजिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया । आगे भी ये सभाएँ आयोजित की जाती रहेगी ।

(7) जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों में **Extension Act, 1999** पारित कर ग्राम सभा का प्रावधान किया गया । इनमें सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद **ST** के लिए ही आरक्षित किए गए ।

(8) प्रत्येक गाँव में वार्ड-पंचों की अध्यक्षता में एक **चारागाह प्रबन्धन समिति** बना कर सार्वजनिक चरागाहों पर अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था की गई ।

(9) आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया । SC/ST, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के आरक्षित वर्ग के अध्यक्ष पद से किसी को हटने पर उसी वर्ग के सदस्य को अध्यक्ष पद दिया गया ।

(10) वर्ष 2003-04 के लिए द्वितीय राज्य वित्त आयोग एवं ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशो के अनुसरण मे पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए क्रमश: 116 करोड़ 21 लाख रु. एवं 98 करोड़ 19 लाख रु. का प्रावधान किया गया ।

2004-05 के बजट में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम[1]

(1) 2004-05 मे पचायनी राज संस्थाओं को 130.40 करोड़ रु. तथा नगरपालिकाओ को 48.94 करोड़ रु. अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेगे । **नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर में हिस्से के रूप में राशि दी जायगी** । चुंगी की राशि में 10% की दर से वृद्धि की जायगी जिससे 2004-05 में **नगरपालिकाओं को** 449.16 करोड़ रु. हस्तान्तरित किये जा सकेंगे जो पिछले वर्ष से 40.83 करोड़ रु. अधिक होंगे ।

पंचायती राज संस्थाओं को कार्यो व गतिविधियों के हस्तान्तरण के साथ-साथ कोष व कर्मचारी (फण्ड्स व फंक्शनरीज) भी हस्तान्तरित किये जायेंगे ताकि वे वास्तव में स्वशासी इकाइयों के रूप में अपने कार्य संपादित कर सकें ।

इस प्रकार राज्य सरकार ने पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आवश्यक कदम बढ़ाए हैं, जिन्हें व्यवहार में पूरी तरह लागू किया जाना जरूरी है ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था ?
   (अ) 1991 (ब) 1992 (स) 1993 (द) 1994 *(ब)*
2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया ?
   (अ) 1993 (ब) 1992 (स) 1994 (द) 1991 (स)

---

1. परिवर्तित बजट-भाषण, 2004-05, पृ. 44-46.

3. राजस्थान मे ग्राम-पंचायत के उप-सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान व उप-प्रधान तथा जिला-परिषद् के प्रमुख व उप-प्रमुख का चुनाव किस विधि से होता है ?
   (अ) प्रत्यक्ष विधि से (ब) परोक्ष विधि से
   (स) अंशत: दोनों से (द) किसी से नहीं (ब)
   (चुने हुए सदस्यो द्वारा अपने में से ही किया जाता है)
4. पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकता है—
   (अ) लोकतंत्र की रक्षा के लिए (ब) समतावादी समाज की स्थापना के लिए
   (स) लोगों को न्यूनतम सुविधा मुहैया कराने के लिए
   (द) सभी के लिए (द)
5. लघु व सीमान्त कृषकों को सिंचाई के काम में सहायता देने हेतु कार्यक्रम है—
   (अ) वाटरशेड विकास योजना (ब) सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई स्कीम
   (स) अपना गाँव-अपना काम (द) जीवनधारा योजना (द)

अन्य प्रश्न

1. पंचायती राज संस्थाओ व ग्रामीण विकास पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।
2. ग्रामीण विकास के निम्न कार्यक्रमो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
   (ii) ग्रामीण क्षेत्रों मे महिलाओं व बच्चो का विकास (ड्वाकरा)
   (iii) जवाहर रोजगार योजना
   (iv) निर्बन्ध-राशि योजना (United fund Scheme)
   (v) डांग-क्षेत्र विकास-कार्यक्रम
3. पंचायती राज संस्थाओ व ग्रामीण विकास कार्यक्रमो को अधिक सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दीजिए । इनके मार्ग मे आने वाली प्रमुख बाधाएँ क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है ?

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
[Ninth Five Year Plan (1997-2002)]

पूर्व राज्य सरकार ने नवीं पचवर्षीय योजना का आकार 27650 करोड रु का रखा था, जो आठवीं पचवर्षीय योजना के आकार का लगभग $2\frac{1}{2}$ गुना था। योजना–आयोग ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। यह आकार प्रचलित मूल्यो (at current prices) पर था। **1996-97 के मूल्यों पर यह 22526 करोड रु. आँका गया था। (Economic Review 1999-2000, पृ. 12)** बाद मे राज्य के समक्ष वित्तीय साधनो की कमी को देखते हुए यह महसूस किया गया कि नवीं योजना का आकार 27,650 करोड रु रख पाना कठिन होगा। नवीं पचवर्षीय योजना मे वास्तविक व्यय लगभग 19836 करोड रु आका गया है, जो प्रस्तावित व्यय का लगभग 72% (या 3/4) ही रहा है। ऐसा वित्तीय साधनो के अभाव के कारण हुआ है। पूर्व सरकार ने इसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए थे।[1]

(i) **कृषि व ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना ताकि उत्पादक रोजगार का सृजन किया जा सके तथा निर्धनता का उन्मूलन किया जा सके, *(ii)* अर्थव्यवस्था की विकासदर तेज करना, लेकिन साथ मे कीमतें यथास्थिर रखना; *(iii)* खाद्य व पोषण की सुरक्षा प्रदान करना, विशेषतया समाज के कमजोर वर्गों के लिए, (iv) मूलभूत न्यूनतम सेवाएँ जैसे सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, सडके, आवास, आदि समयबद्ध रूप मे उपलब्ध करना, (v) जनसंख्या की वृद्धि-दर को नियन्त्रित करना; (vi) विकास की प्रक्रिया मे पर्यावरण-संरक्षण की व्यवस्था करना**

1 Draft Ninth Five Year Plan 1997-2002, Vol 1 pp 3 2 and 3 3

(vii) महिलाओं व समाज के कमजोर वर्गों को अधिक अधिकार देकर सशक्त बनाना; *(viii)* जन-साझेदारी की संस्थाओं का विकास करना तथा *(ix)* आत्म-निर्भरता की दिशा में प्रयासों को मजबूत करना ।

इस प्रकार पूर्व योजनाओं की भाँति नवीं पंचवर्षीय योजना में भी आर्थिक आधार-ढाँचे को सुदृढ़ करने, सामाजिक क्षेत्र का विकास करने, जल-संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, निर्यात बढ़ाने तथा चालू परियोजनाओं को अविलम्ब पूरा करने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है । इसमें "रोजगार-संवर्धन" को विकास का केन्द्र माना गया है । इन उद्देश्यों या लक्ष्यों में विशेष नयापन नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इनको प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ नीतियाँ अपनाई जाएँ ।

पूर्व राज्य सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) का आकार 27,650 करोड़ रु. रखा था जिसका विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार आवंटन नीचे की तालिका में दर्शाया गया है । इसमें संशोधित प्रारूप को तैयार करते समय कुछ परिवर्तन की सम्भावना है ।

नवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक परिव्यय का क्षेत्रवार प्रस्तावित आवंटन[1]
(प्रस्तावित परिव्यय 27650 करोड़ रु.)

	विकास की मद	करोड़ रु.	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	कृषि व सहायक क्रियाएँ	1953 2	7 1
2	ग्रामीण विकास	1963 2	7 1
3	विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम	140 6	0 5
4	सिंचाई	3027 2	10 9
5	शक्ति (power)	6528 0	23 6
6	उद्योग व खनन	2152 2	7 8
7	परिवहन	2689 2	9 7
8	वैज्ञानिक सेवाएँ	38 4	0 1
9	सामाजिक व सामुदायिक सेवाएँ	7520 0	27.2 (H)
10	आर्थिक सेवाएँ	769 0	2 8
11	सामान्य सेवाएँ	169 0	0 6
12	केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों (CSS) को हस्तान्तरित	700 0	2.5
	लगभग	27650 0	100 0

1. आय व्ययक अध्ययन, 2002-03, पृ. 48.

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि **नवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक परिव्यय में सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को दी गई जो 27.2% है तथा द्वितीय प्राथमिकता शक्ति के क्षेत्र को दी गई जो 23.6% है।** कृषि व सहायक क्रियाओं, ग्रामीण विकास व विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम को सार्वजनिक परिव्यय का 14.7% अंश दिया गया। इसमें सिंचाई का 10.9% अंश मिला देने से यह 25.6% हो जाता है, जो योजना के कुल प्रस्तावित परिव्यय के 1/4 से कुछ अधिक होता है।

नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विकास के प्रमुख लक्ष्यों व नीतियों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। (नवीं योजना के ड्राफ्ट, मार्च 1998, के अनुसार जिसे संशोधित किया जाना था)

कृषि, पशु-पालन, वानिकी व जल-संसाधन

	वर्ष 2001-2002 में उत्पादन का लक्ष्य (लाख टन में)
1 खाद्यान्न	134.65
2 तिलहन	39.50
3 गन्ना	10.00
4 कपास (लाख गाँठें)	15.25

इसके अलावा वर्ष 2001-2002 में ऊन का उत्पादन 2 करोड़ किलोग्राम, अंडों का 60 करोड़ इकाई, दूध का 62 लाख टन तथा मांस का 60 हजार टन तक करने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य में वानिकी के विकास के लिए अरावली वृक्षारोपण, परियोजना व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, वृक्षारोपण प्रोजेक्ट तथा वानिकी विकास प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया।

राज्य के कुछ जिलों में जैसे अलवर, भरतपुर, जालौर, जयपुर, दौसा, सीकर व झुंझुनूं जिलों में भूजल का दोहन 85% के स्तर से ज्यादा होने लगा है। अत: इस प्रकार की भयावह स्थिति को नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। राज्य में जल के अभाव को देखते हुए जल-नियोजन की तरफ समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

ऊर्जा का विकास—1996-97 में राज्य में विद्युत की प्रस्थापित सृजन-क्षमता 3050 मेगावाट आंकी गई थी। नवीं योजना में निजी क्षेत्र में 2265 मेगावाट विद्युत सृजन-क्षमता के जोड़े जाने की सम्भावना व्यक्त की गई। सरकारी क्षेत्र में सूरतगढ़-कोयला-आधारित व

रामगढ़-गैस-आधारित परि योजनाओं से 600 मेगावाट क्षमता उत्पन्न होने की आशा प्रगट की गई । राज्य में पूर्व प्रस्तावित सौर-ऊर्जा परियोजनाएँ कठिनाई का सामना कर रही हैं जिनके सम्बन्ध में नए प्रयास किए जा रहे हैं ।

औद्योगिक विकास, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का विकास तथा खनन-विकास— नवीं योजना में औद्योगिक विकास जून 1998 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत करने पर जोर दिया गया । राज्य में तेज गति से औद्योगिक विकास की आवश्यकता है और सम्भावना भी । राजस्थान में कुटीर, लघु उद्योगों, हथकरघा व दस्तकारियों के विकास के अत्यधिक अवसर हैं । ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए चमड़ा, ऊन व खनिज-साधनों के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । इस क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता बढ़ाने को ऊँची प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

नवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में उन खनिज-पदार्थों की खोज पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनमें इनकी देश में कमी पाई जाती है, अथवा जिनका औद्योगीकरण व निर्यात की दृष्टि से विशेष महत्त्व है । बेस मेटल्स, तेल व प्राकृतिक गैस, लिग्नाइट, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, फायर क्ले, फ्लोराइट पोटाश, रॉक फॉस्फेट, सोना व टंगस्टन के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ।

सड़कों का विकास—राज्य में 45% गाँव अभी भी सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं । नवीं योजना में भारत सरकार सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का काम शीघ्र प्रारम्भ करने वाली है । निजी क्षेत्र को **'बनाओ, स्वामित्व रखो, संचालन करो तथा हस्तान्तरित करो' (Build, Own, Operate and Transfer) (BOOT)** के आधार पर सड़क निर्माण को बढ़ावा देने की नीति स्वीकार की गई है ।

शिक्षा, स्वास्थ्य व पेयजल के क्षेत्रों की प्रगति—राज्य में साक्षरता के प्रसार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषतया महिला-साक्षरता पर, क्योंकि 1991 में राज्य में महिला-साक्षरता की दर लगभग 20% थी, जो एक गम्भीर चिन्ता का विषय है । राजस्थान में लड़कियों के लिए कॉलेजों की स्थापना पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ।

राज्य के 32 जिलो में से 28 जिलों में जन्म-दर व शिशु-मृत्यु-दर बहुत ऊँची है, तथा चिकित्सा की सुविधाएँ अखिल भारतीय स्तर से कम पाई जाती हैं । नवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा के प्रसार को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए ।

वर्ष 2000 तक राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 100% सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करने पर बल दिया जाना चाहिए । जल-प्रदूषण को रोकने, जल-संसाधनों के पतन व गिरावट की समस्याओं को हल करने तथा जल के ह्रास को रोकने की दिशा में प्रयास करने होंगे ।

नगरीय विकास व विकेन्द्रित नियोजन—राज्य के नगरों में सामुदायिक सेवाओं, आवास, आदि आम सुविधाओं की कमी पाई जाती है । इनके विस्तार के लिए निम्न संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करके बेहतर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करना होगा । ये संस्थाएँ हैं— नगर पालिकाएँ, शहरी-विकास ट्रस्ट (UITs), सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य व इंजीनियरिंग विभाग (PHED), राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, विपणन बोर्ड तथा औद्योगिक विकास निगम ।

राज्य में विकेन्द्रित नियोजन को अपनाने की दृष्टि से सभी 32 जिलों में जिला-नियोजन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जो जिलाधीश के नियंत्रण में मुख्य नियोजन अधिकारी की देख-रेख में अपना कार्य संचालित करते हैं । भविष्य में इनके माध्यम से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP), रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों व ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और नियोजन की प्रक्रिया में स्थानीय जनता की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाएगा । योजना की स्कीमों को राज्य की स्कीमों व जिला-स्तर की स्कीमों में विभक्त किया जाएगा । **जिला-नियोजन की नीतियों, प्राथमिकताओं, लक्ष्यों व रणनीति को तय करने के लिए एक शीर्ष जिला संस्था का गठन किया जाना चाहिए ।** इसमें जिला-स्तर के अधिकारियों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों, स्थानीय गैर-सरकारी संस्थाओं के व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, आदि का सहयोग लिया जाना चाहिए । विकेन्द्रित नियोजन के माध्यम से जन-भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है तथा विकास की गति तेज की जा सकती है । इससे स्थानीय साधनों के सर्वोत्तम उपयोग का अवसर मिलता है ।

सरकार नवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक परिव्यय के लिए वित्तीय साधन जुटाने का प्रयास कर रही है । इस सम्बन्ध में अधिकांश साधन निम्न स्रोतों से जुटाए जा सकते हैं—

(अ) राज्य के स्वयं के साधन

(i) राज्य प्रोविडेण्ट कोष

(ii) अल्पबचतों के तहत केन्द्र से प्राप्त होने वाले कर्ज

(iii) बाजार से प्राप्त कर्ज (शुद्ध)

(iv) वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर्ज

(v) बांड/ऋणपत्र बेचकर प्राप्त साधन

(vi) अतिरिक्त साधन-संग्रह (दसवें वित्त आयोग के 29% सूत्र के तहत राज्य को होने वाले हस्तान्तरण व केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों को हस्तान्तरण की राशि को शामिल करके) तथा

(vii) दसवें वित्त आयोग द्वारा स्पेशल अनुदान ।

(आ) केन्द्रीय सहायता

(i) घरेलू केन्द्रीय सहायता

(ii) बाह्य-सहायता पर आधारित परियोजनाओं के अन्तर्गत सहायता ।

स्मरण रहे कि पूर्व में राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न स्रोतों से ऋणात्मक राशि का अनुमान लगाया गया था—

(i) चालू राजस्व से बकाया राशि

(ii) सार्वजनिक उपक्रमो का अंशदान

(iii) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (शुद्ध)

वर्तमान में दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (2002-2003) की वार्षिक योजना पर कार्य चल रहा है, लेकिन कई कारणो से अभी तक नवीं योजना का स्पष्ट चित्र सामने नहीं आ पाया है । **केन्द्र व राज्य दोनों मे नवीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति अनिश्चित व डांवाडोल रही है ।** राज्य के समक्ष भारी मात्रा मे राजस्व-घाटा व राजकोषीय घाटा होने तथा पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य-स्तर पर क्रियान्वित करने से वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे नवीं पंचवर्षीय योजना के बड़े आकार के अनुसार सार्वजनिक परिव्यय के मार्ग में काफी कठिनाई उत्पन्न हो गई थी । नवीनतम सूचना के अनुसार नवीं योजना मे लगभग 19,836 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

नवी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय का क्षेत्रवार वितरण[1] — 1997-98 की योजना का आकार 3504 करोड़ रु निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें वास्तविक **व्यय लगभग 3987.4 करोड़ रु. जो लक्ष्य से अधिक था । वर्ष 1998-99 की योजना का व्यय 3832.8 करोड़ रु. आंका गया था । 1999-2000 की वार्षिक योजना का अन्तिम आकार 3855 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय 3685 करोड़ रु. हुआ । 2000-2001 की वार्षिक योजना का अन्तिम आकार 4238 करोड़ रु. का प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कटौती की गई । वास्तविक व्यय 3698 करोड़ रु. हुआ । नवीं योजना के अन्तिम वर्ष 2001-2002 के लिए योजना का अन्तिम आकार 4642 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था, जबकि वास्तविक व्यय 4219 करोड़ रु. दर्शाया गया है ।**

वित्तीय संकट की वजह से अब बड़ी योजना का वित्तीय पोषण करना कठिन हो गया है । **ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय 19,836 करोड़ रु. ही हो पाया है ।***

---

1 परिवर्तित आय-व्ययक अध्ययन, 2004-05, पृ, 48 व 50 (1999-2000 व बाद के आँकडो के लिए)

* उपर्युक्त राशियो को जोडने पर नवीनतम संशोधित व्यय 19422 करोड रु आंका गया है ।

पूर्व में उपलब्ध सूचना के आधार पर नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में क्षेत्रानुसार परिव्यय का आवंटन (प्रतिशत के रूप में) (% में)[1]

क्रम सख्या	क्षेत्र	1997-2002 वास्तविक व्यय (लगभग)
1	कृषि सम्बद्ध सेवाएँ व सहकारिता	5 4
2	ग्रामीण विकास	8 5
3	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0 8
4	सिचाई व बाढ नियत्रण	11 4
5	शक्ति (Power)	26 8 II
6	उद्योग एवं खनिज	3 3
7	यातायात	9 9
8	वैज्ञानिक सेवाएँ व अनुसंधान	0 1
9	सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ	32 3 (H) I
10	आर्थिक सेवाएँ	0 5
11	सामान्य सेवाएँ	0 9
	कुल (लगभग)	100 0
	कुल व्यय की राशि (करोड रु)	19,836.5

तालिका से स्पष्ट होता है कि **नवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के क्षेत्र को दी गई, जिस पर कुल सार्वजनिक व्यय का 32.3% खर्च किया गया**, जो सर्वाधिक था।

नवीं योजना मे सार्वजनिक व्यय मे दूसरा स्थान शक्ति का रहा जिस पर 26 8% राशि व्यय की गई। इस प्रकार नवीं योजना का आधे से अधिक अंश (59%) शक्ति व सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओ पर व्यय किया गया। योजना का वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय का लगभग 72% रहा।

राज्य की नवीं पचवर्षीय योजना में आर्थिक प्रगति[2]

राज्य की घरेलू उत्पत्ति के अध्याय मे बतलाया जा चुका है कि **राजस्थान में नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) की अवधि में विकास की औसत दर लगभग 4.5%** रही। इसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव काफी देखे गये, जैसे 1997-98 में 12.2% 1998-99 में

1 आय-व्ययक अध्ययन 2002-2003, मार्च, 2002 पृ 50.

* इसमे प्रशासनिक सुधार, निर्बंध जिला योजना, बत्तीस जिले बत्तीस काम आदि शामिल हैं।

2 Economic Review 2003-04, and earlier Economic Reviews, relevant tables

4.4%, 1999-2000 में 0.3%, 2000-2001 में (-) 2.8% तथा 2001-02 में 8.5% (1993-94 के भावों पर, पिछले वर्ष से तुलना करने पर) **योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07 के प्रारूप (Draft) के खण्ड I, पृ. 41 पर राजस्थान में नवीं योजना के विकास की दर 3.5% दर्शायी है। यह अंतर आंकड़ों की असमानता के कारण हो सकता है।** फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि राज्य में नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निरंतर अकाल व सूखे की दशाओं का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1998-99, 1999-2000 व 2000-2001 में तो काफी गाँव अकालग्रस्त घोषित किये गये जिससे सरकार को अकाल राहत पर धनराशि व्यय करनी पड़ी और भू-राजस्व भी निलंबित करना पड़ा। इससे सरकार विकास-कार्यों पर ज्यादा धनराशि व्यय नहीं कर सकी।

राज्य में प्रति व्यक्ति आय 1996-97 में 7862 रु. (1993-94 के भावों पर) थी, जो 2001-02 में 8571 रु. के स्तर पर रही। इसमें भी वार्षिक उतार-चढाव आते रहे। यह 2000-2001 मे 8104 रु. ही रही थी। राज्य की अर्थव्यवस्था मे भारी अस्थिरता पायी जाती है; इसलिए योजना के प्रारम्भ की स्थिति की तुलना योजना के अंत की स्थिति से करना कभी-कभी भ्रमात्मक भी हो सकता है।

राज्य की अर्थव्यवस्था की अस्थिरता मूलतया कृषिगत अर्थव्यवस्था की अस्थिरता मे प्रगट होती है।

इसलिए **खाद्यान्नों का उत्पादन प्रति वर्ष घटता-बढ़ता रहता है। यह 1996-97 में 128.2 लाख टन हुआ था जो 1997-98 में 140.5 लाख टन के स्तर पर पहुँच कर आगामी तीन वर्षों में घटकर 2000-01 में 100.3 लाख टन पर पहुँच गया, जिसके लिए 2001-02 का संशोधित अनुमान 140 लाख टन लगाया गया है।**

राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र 2001-02 में 67.4 लाख हैक्टेयर रहा, जब कि 1999-2000 में यह 69.3 लाख हैक्टेयर रहा था। राज्य में दूध, मांस, ऊन व अण्डों के उत्पादन का स्तर नवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। जैसा कि नियोजन की प्रगति के खण्ड में बतलाया गया था, राज्य में 2001-02 में दूध का कुल उत्पादन 77.2 लाख टन के स्तर पर पहुँच गया है।

राज्य में औद्योगिक प्रगति विभिन्न उद्योगों में असमान रही है। फिर भी सीमेंट का उत्पादन 2002 में 81.45 लाख टन हुआ जो पहले से अधिक था। 2001-02 के अंत में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता 4517 मेगावाट तक पहुँच गयी थी, जो योजना के प्रारम्भ की तुलना में अधिक थी।

नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुछ चिंताजनक पहलू

(1) **योजना में वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय का लगभग 70-72% ही रहा, क्योंकि विदेशी सहायता लक्ष्य से काफी कम प्राप्त हुई तथा केन्द्र से वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण राज्य की तरफ कम हो पाया। राज्य पर बकाया कर्ज का भार उत्तरोत्तर बढ़ता गया जिसकी राशि मार्च 1997 के अंत में 16,776 करोड़ रु. से बढ कर मार्च 2002 के अंत में 39,970 करोड़ रु. हो गयी (वृद्धि 138%)**

(अथवा पहले की तुलना में 2.38 गुनी)। निरंतर बजट-घाटा बढ़ने से उधार की राशि के बढ़ने से राज्य पर ब्याज की देनदारी बढ़ गयी। इस प्रकार राज्य 2001-02 के अंत में वित्तीय दबाव में आ गया था।

(2) राज्य मे 1997 मे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र मे रोजगार की मात्रा 12.76 लाख रही (सार्वजनिक क्षेत्र में 10.13 लाख तथा निजीक्षेत्र मे 2.63 लाख) जो 2002 (जून तक) 12.00 लाख पर आ गयी (सार्वजनिक क्षेत्र मे 9.54 लाख तथा निजी क्षेत्र मे 2.46 लाख)। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र मे रोजगार काफी घटा है, जिससे राज्य मे बेरोजगारी मे वृद्धि हुई है।

राज्य का दसवी योजना (2002-07) मे विकास की दर 8.3% (योजना आयोग द्वारा निर्धारित विकास-दर) प्राप्त करने के लिए भारी प्रयास करना होगा।

(3) राज्य मे आज भी आधारभूत सुविधाओ जेसे सडक सचार विद्युत सिचाई आदि का नितान्त अभाव हे। जिससे आधुनिक उद्योगो व कृषि के विकास व विस्तार मे बाधा पडती है। इसलिए आगामी वर्षो मे आधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ करने की आवश्यकता हे।

(4) राज्य मे कृषिगत क्षेत्र के भारी उतार-चढाव वास्तविक चिंता के कारण हैं। अत कृषिगत उत्पादन मे वृद्धि के उपायो पर नये सिरे स विचार करने की आवश्यकता हे। अकालो का सामना करने के लिए दीर्घकालीन नीति तैयार की जानी चाहिए।

(5) राज्य मे पर्यटन, पशुधन, खनन, दस्तकारी व निर्यात विकास के प्रमुख केन्द्र बन सकते हैं। इनके सम्बन्ध मे आगामी योजना मे एकीकृत्त रणनीति अपनानी चाहिए। अभी तक विकास के इन क्षेत्रो पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

(6) वैसे तो सम्पूर्ण देश औद्योगिक मंदी की समस्या का सामना कर रहा है। लेकिन राजस्थान में लघु व मध्यम उपक्रम (SMEs) औद्योगिक रुग्णता से ज्यादा मात्रा में शिकार हैं। इसलिए इनका विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर इनको पुनः जीवित करने के लिए एक नया पैकेज तैयार किया जाना चाहिए।

आगामी अध्याय मे राज्य की दसवीं पचवर्षीय योजना (2002-07) के विभिन्न पहलुओ पर विस्तार से चर्चा की जायगी।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान की नवीं पचवर्षीय योजना मे जिस मद में सबसे अधिक प्रतिशत धन व्यय किया गया वह है –
   (अ) कृषि (ब) सिचाई एव बाढ नियत्रण
   (स) ऊर्जा (द) सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ (द)
2. दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार बडा करना चाहिए क्योकि –
   (अ) राज्य का आर्थिक आधार-ढाँचा अभी कमजोर है

(ब) राज्य का सामाजिक आधार–ढाँचा काफी पिछडा हुआ है

(स) कृषिगत विकास पर व्यय के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है

(द) सभी (द)

3. राज्य की नवीं योजना में प्रथम वर्ष की वार्षिक योजना व इसकी पंचम वर्ष की वार्षिक योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता में अन्तर बताइए–

उत्तर : 1997–98 की वार्षिक योजना मे सर्वोच्च प्राथमिकता शक्ति के क्षेत्र को दी गई थी, जबकि 2001-2002 को वार्षिक योजना में यह सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को दी गई ।

4. नवीनतम सूचना के अनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितना व्यय हुआ है ?

(अ) 27,650 करोड़ रु (ब) 27,444 करोड़ रु.

(स) 25,000 करोड़ रु. (द) 20,159 करोड़ रु.

(ए) 19422 करोड़ रु. (ए)

अन्य प्रश्न

1 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए –
नवीं पचवर्षीय योजना के उद्देश्य

2 राजस्थान की नवीं पचवर्षीय योजना (1997-2002) पर एक निबन्ध लिखिए।

दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07 तथा तीन वार्षिक योजनाएँ (2002-05 तक) [Tenth Five Year Plan, 2002-07 and Three Annual Plans (2002-05)]

राष्ट्रीय योजना आयोग ने दसवीं पचवर्षीय योजना के प्रारूप, खण्ड 1—आयामो व रणनीतियो— के अन्तर्गत दसवीं योजना व उसके बाद के लिए निम्न ग्यारह मोनीटरेबल लक्ष्य निर्धारित किये है जिनको ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने अपनी दसवीं योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं व व्यूहरचना तैयार की है। राष्ट्रीय योजना आयोग के अनुसार ग्यारह मोनीटरेबल लक्ष्य इस प्रकार हैं [1]

- गरीबी वर्ष 2007 तक पाँच और 2012 तक 15 फीसदी कम करना।
- कम से कम दसवीं योजना में बढने वाली श्रम—शक्ति को उच्च गुणात्मक एव लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना।
- वर्ष 2003 के अन्त तक सभी बच्चो को स्कूल भेजकर वर्ष 2007 तक उनकी पाँच वर्ष तक की शिक्षा पूरी करना।
- साक्षरता एव मजदूरी में वर्ष 2007 तक लिंग—भेद (gender gaps) 50 फीसदी कम करना।
- वर्ष 2001 व 2011 के दशक मे जनसख्या वृद्धि दर 16.2 प्रतिशत तक करना।
- योजना अवधि मे साक्षरता दर बढाकर 75 फीसदी तक करना।
- वर्ष 2007 तक शिशु मृत्यु दर (IMR) कम कर प्रति हजार 45 करना तथा 2012 तक इसे 28 पर लाना।
- वर्ष 2007 तक मातृ मृत्यु—दर (MMR) कम कर प्रति हजार 2 तथा 2012 तक 1 करना।
- वर्ष 2007 तक वन—क्षेत्र मे 25 एव 2012 तक 33 फीसदी की बढोतरी करना।
- योजना—अवधि मे सभी गाँवो को स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना।

1 Draft Tenth Five Year Plan, 2002-07, Vol. I p 6 (GOI)

- वर्ष 2007 तक सभी मुख्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करना तथा 2012 तक अन्य अधिसूचित (notified) जल क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करना।

जैसा कि पहले बतलाया गया है राष्ट्रीय उद्देश्यो को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार ने दसवीं पचवर्षीय योजना के लिए निम्न दृष्टिकोण व व्यूहरचना पर बल दिया है।[1]

- राज्य व राष्ट्र की प्रति व्यक्ति औसत आय के अन्तर को कम करना। इसके लिए विकास की दर ऊँची करनी होगी।
- ससाधन आवटन को अधिक विवेकपूर्ण बनाना। प्रत्येक विभाग द्वारा स्वय के साधनो का आन्तरिक सृजन करना।
- सेवा क्षेत्र मे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढाना, विशेषतया शहरी क्षेत्रो मे।
- क्षमता-निर्माण के विभिन्न स्तरो पर लगन वाले समय एव लागत मे कमी करना तथा उसके उपयोग को बढाना।
- वर्तमान आधारभूत योजनाओ को पूर्ण करने पर जोर देना, विशेषतया सिचाई के क्षेत्र मे जहाँ स्कीमे काफी समय से लम्बित पडी हैं।
- कृषि आधारित क्षेत्र को बागवानी पशुधन मत्स्य तथा कृषि प्रसस्करण (agro-processing) जैसी विभिन्न योजनाओ हेतु उपयोग मे लाना।
- पेयजल प्रबन्धन को अत्यधिक महत्त्व देना। जल जैसे सीमित साधन का सबसे ज्यादा कार्यकुशल उपयोग करना तथा भूमि की उत्पादकता बढाना।
- राहत कार्यो को सामान्य योजना कार्यक्रमो से जोडना ताकि राज्य को सूखे के सकट से बचाया जा सके।
- वाछित स्तर के कम उपलब्धि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को विनिवेश के अन्तर्गत लाने का प्रयास करना।
- स्थानीय लाभ के क्रियाकलापो जैसे- पर्यटन हैन्डीक्राफ्ट तथा हैण्डलूम को प्राथमिकता दिया जाना।
- सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो पर विशेष ध्यान देना, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रो मे।
- जनसंख्या वृद्धि रोकने को मुख्य उद्देश्य के रूप मे लेकर उसे कम करने के गम्भीर प्रयास करना।
- सूचना, प्रोद्योगिकी का गाँव स्तर तक विस्तार करना।
- आधारभूत सुविधा की कमी वाले क्षेत्रो पर विशेष ध्यान देना ताकि विकास मे प्रादेशिक असतुलन कम किये जा सके।
- 73 एव 74 वें सविधान सशोधन के अन्तर्गत पचायती राज सस्थाओं एव शहरी निकायो को न्यायिक मजबूती प्रदान करना ताकि विकास स्थानीय जरूरतो, स्थानीय साधनो व स्थानीय प्राथमिकताओ के अनुरूप किया जा सके।

---

1. Draft Tenth Five Year Plan 2002-07, Vol I (Narrative) GOR Planning Department, pp 3 3 3 4

इन उद्देश्यो के अलावा दसवीं योजना के प्रारुप मे पर्यटन, दस्तकारी व हथकरघा के विकास रोजगार के अवसरो मे वृद्धि पर्यावरण विनाश पर रोक तथा योजना व गैर–योजना क्रियाओ मे कार्यकुशलता को बढाने पर बल दिया गया है।

राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना का आकार प्रचलित कीमतों पर 31831.75 करोड रुपये तथा वर्ष 2001-02 की स्थिर कीमतों पर 27318.00 करोड रुपये रखा गया है। प्रमुख मदो का प्रस्तावित योजना–आवटन निम्न तालिका मे दर्शाया गया है

राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना - मुख्य मदवार परिव्यय (Sectoral outlay)

(करोड रुपये)

क्र.सं.	मद	परिव्यय[1] (प्रचलित कीमतों पर)	(प्रतिशत मे)	परिव्यय* (वर्ष 2001 -02 की कीमतो पर)	(प्रतिशत मे)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कृषि एव सम्बद्ध सेवाएँ	1934 02	6 1	1641 06	60
2	ग्रामीण विकास	2683 69	8 4	1792 72	6 6
3	विशिष्ट क्षेत्रीय विकास	197 18	0 6	215 48	0 8
4	सिचाई एव बाढ नियत्रण	3475 44	10 9 III	3846.37	14 1 III
5	ऊर्जा	8460 43	26 6 II	4565 84	16 7 II
6	उद्योग एव खनिज	1113 56	3 5	1414 84	5 2
7	परिवहन	2950 10	9 3	3365 25	12.3
8	वैज्ञानिक सेवाएँ	14 18	0 0 (नगण्य)	37 39	0 1
9	सामाजिक एव सामुदायिक सेवाएँ	9642 80	30 3 I	9205 10	33 7 I
10	आर्थिक सेवाएँ	1258 32	4 0	522 64	1 9
11	सामान्य सेवाएँ	102 03	0 3	711.31	2.6
-	योग	31831 75	100 0	27318 00	100 00

इस प्रकार प्रचलित कीमतो पर, राजस्थान की दसवीं पचवर्षीय योजना का आकार लगभग 31832 करोड रु प्रस्तावित किया गया है, जो नवीं योजना के प्रस्तावित आकार 27,650 करोड रु से 15% अधिक है। दसवीं योजना मे परिव्यय मे सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ को दी गयी है जो 30 3% है। द्वितीय स्थान ऊर्जा को

1. Economic Review 2003-04 (GOR) p. 16. (प्रतिशत निकाले गये हैं)

* 2001-02 की कीमतों पर परिव्यय का आवंटन **Draft Tenth Five Year Plan, vol. I (Planning Commission)** p 93 पर आधारित है, जो अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है। यह अन्य स्रोतों के आवंटन से भिन्न है।

दिया गया है। सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण को तृतीय स्थान दिया है। इस प्रकार दसवीं योजना मे भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर व सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

2001-02 के मूल्यों पर राज्य की दसवीं पचवर्षीय योजना का आकार 27318 करोड रु आका गया है।

दसवीं योजना के लिए वित्तीय साधन[1]

राज्य को योजना के वित्तीय पोषण मे भारी दिक्कतो का सामना करना पडता है। एक तरफ राज्य के वित्तीय साधन काफी सीमित हैं और दूसरी तरफ प्रतिवर्ष अकाल राहत के लिए भारी मात्रा मे धन की आवश्यकता पडती है। 2002--03 की वार्षिक योजना का आकार 15% से घटाकर उसमे से वित्तीय साधनो को अकाल राहत की तरफ हस्तान्तरित करना पडा था। इसलिए राजस्थान में योजना का वित्तीय पक्ष काफी अनिश्चित व कमजोर रहा है। इसमे निरतर भारी उलट--फेर होते रहते है और राज्य की योजना का वित्तीय पोषण उधार पर आश्रित होने लगा है। राज्य की दसवीं योजना के प्रारूप मे योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए निम्न प्रावधान सुझाये गये हैं जिनमे आगे चल कर भारी बदलाव की सम्भावना है।

राज्य की दसवीं योजना के लिए वित्तीय साधनो का प्रस्तावित प्रारूप (करोड रु.)

राज्य के स्वय के साधन		
(अ) राज्य के स्वय के साधन, इसके तहत:		
(i) चालू राजस्व से बकाया	(–) 10327 7	
(ii) सार्वजनिक उपक्रमो का योगदान	873 1	
(iii) राज्य प्रोविडेण्ट कोष (शुद्ध)	6770 5	
(iv) विविध पूजीगत प्राप्तिया (शुद्ध)	(–) 7342 1	
(v) योजना–अनुदान (दसवॉ व ग्यारवॉ वित्त आयोग)	826 6	
(vi) अल्प बचत सग्रह	14525 0	
(vii) सकल बाजार उधार (विधानिक तरलता अनुपात)	5667 3	
(viii) समझौता आधारित कर्ज (negotiated loan)	5705 8	
(ix) ऋण पत्र/बाड	1350 0	18048 5
(आ) केन्द्रीय सहायता		
(i) केन्द्रीय सहायता (घरेलू)	6355 9	
(ii) बाह्य सहायता प्रोजेक्टो के लिए सहायता	4455 1	10811 0
समग्र योजना साधन		28859 5

1 Draft Tenth Five Year Plan Vol I (Narrative) GOR, p 4 1

इस प्रकार 31.832 करोड रु की योजना के लिए लगभग 28860 करोड के साधनो के अनुमान तो दिये गये हैं लेकिन लगभग 2972 करोड रु के साधनो का अतराल छोड़ा गया है जिसकी जानकारी आगे चलकर दी जायेगी। तालिका मे दिये गये विवरण से स्पष्ट होता है कि योजना की वित्तीय व्यवस्था बाह्य सहायता पर काफी सीमा तक निर्भर करेगी। **चालू राजस्व से बकाया राशि भारी मात्रा मे ऋणात्मक रहने की सम्भावना है।** केन्द्रीय सहायता (घरेलू व बाह्य प्रोजक्टो के अन्तर्गत) की राशि 10811 करोड रु दर्शायी गयी है जबकि चालू राजस्व से बकाया राशि (–) 10328 करोड रु रखी गयी है। **चालू राजस्व से बकाया राशि के ऋणात्मक होने से स्पष्ट होता है कि राज्य मे गेर-योजना राजस्व-व्यय की राशि कुल राजस्व-प्राप्तियो से अधिक रहती है, जो एक चिंता का विषय है, क्योकि इस स्थिति मे राजस्व खाते से योजना के वित्तीय पोषण के लिए धनराशि नहीं मिल पाती है।**

तालिका से स्पष्ट होता है कि योजना के वित्तीय पोषण में स्वयं के साधनों मे अल्प बचत-सग्रह का योगदान सर्वाधिक आका गया है। लेकिन वित्तीय व्यवस्था का सम्पूर्ण चित्र काफी अनिश्चित व परिवर्तनशील किस्म का माना गया है, और वास्तविक स्थिति प्रस्तावित स्थिति से काफी भिन्न निकलती है।

दसवीं पचवर्षीय योजना विकास व उत्पादन के प्रमुख लक्ष्य[1]

मदे	नवीं योजना (1997-2002) (प्रत्याशित उपलब्धि)	दसवीं योजना (2002-07) का (लक्ष्य)
1 खाद्यान्नो का उत्पादन (लाख टन)	121 9	142 0
2 तिलहन का उत्पादन (लाख टन)	31 8	48 4
3 कपास (लाख गाठे)	8 3	13 4
4 गन्ना (लाख टन)	8 3	10 8
5 अधिक उपज देने वाली किस्मो के अन्तर्गत क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर)	42 1 (2001-02 मे)	50 6
6 कुल सिचाई की सम्भाव्यता सृजित (लाख हैक्टेयर मे) (वृहद्, मध्यम, लघु, आदि)	3 4	4 2
7 सडको की लम्बाई (किलोमीटर मे) (सतहदार + गैर–सतहदार)	88801	94221

इस प्रकार दसवीं योजना मे कृषिगत उत्पादन मे वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। खाद्यान्न, तिलहन, कपास व गन्ना आदि के उत्पादन में दसवीं योजना में नवीं योजना की तुलना में वृद्धि करने का प्रयास किया जायगा। अधिक उपज देने वाली किस्मो के अतर्गत क्षेत्रफल बढाया जायगा। सिचाई की सम्भाव्यता (irrigation potential) का

1 Draft Tenth Five Year Plan 2002-07, Vol II (Tables), GOR, Planning Department pp 2 1 – 2 17

विकास किया जायगा तथा सडको की लम्बाई बढायी जायगी।

कृषिगत उत्पादन की वृद्धि मानसून पर निर्भर करेगी। इसलिए इस क्षेत्र की प्रगति के सम्बध मे कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता।

राष्ट्रीय योजना आयोग ने राजस्थान की दसवीं पचवर्षीय योजना मे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सकल–राज्य–घरेलू–उत्पाद (GSDP) मे वृद्धि की निम्न दरे अनुमानित की हैं।[1]

(वार्षिक वृद्धि दर % मे)

	कृषि	उद्योग	सेवाए	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) मे वृद्धि
राजस्थान	4 50	10 06	9 63	8 3
भारत	4 0	8 9	9 4	8.0

इस प्रकार योजना आयोग के अनुसार राजस्थान की दसवीं योजना (2002-07) मे कृषि उद्योग व सेवाओ जैसे सभी क्षेत्रो मे विकास की वार्षिक औसत दरें समस्त भारत की औसत दरो से अधिक आकी गयी है ताकि **दसवीं योजना की अवधि में राजस्थान विकास की औसत दर 8.3% प्राप्त कर सके जो भारत की औसत दर 8.0% से थोडी अधिक होगी।**

जेसा कि निर्धनता के अध्याय मे बतलाया गया हे राजस्थान मे सयुक्त-निर्धनता अनुपात के 1999-2000 मे 15.3% से 2006-07 मे 12.1% पर पहुँचने की सम्भावना व्यक्त की गयी हे।

राज्य की दसवीं पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (2002-03) व द्वितीय वर्ष (2003-04) की योजनाओ का परिचय:-

राज्य की वार्षिक योजना 2002–03 का आकार (कोर-योजना के अन्तर्गत) 5160 करोड़ रु. का रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित करके 4370.8 करोड़ रु. किया गया, **क्योकि योजना में से 790 करोड़ रु. के कोष राज्य में अकाल-राहत कार्यों की तरफ हस्तान्तरित करने पड़े थे** । 2002–03 की वार्षिक योजना में वास्तविक व्यय 4431.1 करोड़ रु. का हुआ था ।

2003–2004 की वार्षिक योजना के लिए पूर्व वित्त मंत्री ने 5858 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रावधान किया था, जिसे बाद में संशोधित करके 4258 करोड़ रु.; और पुनः संशोधित करके 5504.5 करोड़ रु. किया गया, और वास्तविक व्यय का नवीनतम अनुमान 6044.4 करोड़ रु. प्रस्तुत किया गया है ।

1 Draft Tenth Five Year Plan (2002-07) Vol 1 Planning Commission, GOI p 42

निम्न तालिका में 2002-03 व 2003-04 की वार्षिक योजनाओं के संशोधित परिव्यय (**Revised Outlay**) तथा वास्तविक व्यय के आंकड़े दिये गये हैं ।[1]

क्षेत्र	(करोड़ रु.) (दशमलव के एक स्थान तक)				
	2002-03		2003-04		
	संशोधित परिव्यय (Outlay)	वास्तविक व्यय (expendit ure)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	
1. कृषि व सम्बद्ध सेवाएँ	76.3	73.9	70.6	89.9	
2. ग्रामीण विकास	522.0	472.7	495.8	508.9	
3. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	32.8	42.1	32.8	32.8	
4 सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण	354.1	370.2	916.8	916.8	
5. ऊर्जा	1304.2	1240.2 II	1667 8	2106.3	I
6. उद्योग व खनिज	84.2	86.6	76.8	89.5	
7. परिवहन	480 2	614.0	435.8	502.3	
8 वैज्ञानिक सेवाएँ व अनुसंधान	0.8	1.0	0.9	0.8	
9. सामाजिक व सामुदायिक सेवाएँ	1447.3	1286 2 I	1685 0	1625.2	II
10. आर्थिक सेवाएँ	28.7	221 4	68.6	126.7	
11 सामान्य सेवाएँ	40 2	22.6	53 6	45.2	
कुल योग	4370 8	4431.1	5504.5	6044.4	

तालिका से स्पष्ट होता है कि 2002-03 में वास्तविक व्यय मे प्रथम स्थान **सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का रहा,** जो कुल व्यय का 29% था; हालांकि यह प्रस्तावित (संशोधित) व्यय से कम था । 2003-04 मे वास्तविक व्यय में प्रथम स्थान ऊर्जा का रहा जो कुल व्यय का 34.8% था । यह प्रस्तावित (संशोधित) परिव्यय से काफी अधिक था । **आज भी योजना व्यय में ऊर्जा व सामाजिक सेवाओं की ही वरीयता जारी है ।**

2002-03 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में, 1993-94 के भावों पर 6.5% घटा, और 2003-04 में 14.7% बढ़ा (कृषिगत उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के कारण)। यह ध्यान देने की बात है कि वर्ष 2002-03 में राजस्थान मे कृषि व पशुधन से प्राप्त आय, 1993-94 के भावों पर, पिछले वर्ष की तुलना में 29.4% घटी, लेकिन 2003-04 में यह 45.2% बढ़ी । इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी अस्थिरता का अनुमान लगाया जा सकता है । खाद्यान्नों का उत्पादन 2001-02 में 140 लाख टन से घट कर 2002-03 में 75 3 लाख टन पर आ गया, और 2003-04 में इसके बढ़कर 189 लाख टन के स्तर पर पहुँचने का अनुमान लगाया गया है ।

---

[1] Modified Budget Study 2004-05, July 2004, p. 48 and p 50

2004-05 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रस्ताव[1]

(1) 2004-05 में योजना परिव्यय (plan outlay) का आकार 7031.44 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया है जिसे योजना आयोग से विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दिया जायगा । यह 2003-04 की योजना के संशोधित परिव्यय के आकार (5504 करोड़ रु.) की तुलना में 1527 करोड़ रु. अधिक है ।

इसमें सर्वाधिक राशि 2411 करोड़ रु. (34.3%) (लगभग 1/3) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के लिए प्रस्तावित की गयी है । दूसरा स्थान विद्युत का रखा गया है जिसके लिए 2169 करोड़ रु. (30.8%) का प्रावधान किया गया है । इस प्रकार इन दो मदों पर लगभग 65% (2/3 अंश) व्यय का लक्ष्य रखा गया है ।

(2) वार्षिक योजना की 7031 करोड़ रु. की वित्तीय व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रस्ताव इस प्रकार हैं : सार्वजनिक कर्ज से आधिक्य 2328 करोड़ रु., सार्वजनिक खाते से 1516 करोड़ रु, जीवन बीमा निगम से 280 करोड़ रु, नाबार्ड से 500 करोड़ रु., सामान्य योजना केन्द्रीय सहायता से 776 करोड रु., बाह्य सहायता प्रोजेक्ट से 968 करोड़ रु., अन्य स्रोतों से 1017 करोड़ रु., बजट के बाहर के स्रोतों से 822 करोड़ रु. तथा बजट-घाटा 334 करोड़ रु. । लेकिन गैर-योजना खाते में 1509 करोड़ रु. का घाटा आंका गया है । लेकिन यह व्यवस्था सांकेतिक ही मानी जानी चाहिए । इसे भविष्य में अधिक स्पष्ट किया जायगा ।

(3) राज्य में 2004 में भी सूखे की स्थिति के कारण सरकार ने केन्द्र से 7719.43 करोड़ रु. की राशि व राहत सहायता के रूप में गेहूँ की माँग की है । इस प्रकार 2004-05 की योजना के समक्ष भी भारी कठिनाई उत्पन्न हो गयी है । पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी योजना की वित्तीय व्यवस्था कर पाना मुश्किल होगा ।

राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दे

(1) हम पहले बतला चुके हैं कि राष्ट्रीय योजना आयोग ने राजस्थान की दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर का लक्ष्य 8.3% सुझाया है । इसके लिए कृषिगत क्षेत्र में विकास की दर 4.5%, उद्योगों में 10.1% तथा सेवा-क्षेत्र मे 9.6% प्राप्त करनी होगी । राज्य की 2002-03 में 1993-94 के भावों पर विकास की दर (–) 7 7% रही है । 2003-04 में योजना का आकार छोटा रहने से विकास की दर के सम्बन्ध में कुछ भी कह सकना फिलहाल कठिन जान पड़ता है । **इसलिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8.3% विकास की दर प्राप्त करना अत्यन्त कठिन जान पड़ता है ।** नवीं योजना में राज्य की वार्षिक विकास-दर 3.5% तथा आठवीं योजना के दौरान 7.5% रही थी । राज्य में वर्षा की अनिश्चितता व पानी के निरंतर बढ़ते अभाव की स्थिति में 2002-07 मे कृषिगत क्षेत्र में विकास की दर 4.5% प्राप्त करने की बात दिवास्वप्न जैसी प्रतीत होती है । पंजाब के लिए यह 4 1% ही निर्धारित की गयी है ।

(2) पिछले वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति काफी प्रतिकूल हो गयी है जिससे योजनाओं के लिए आवश्यक मात्रा में साधन-संग्रह करना कठिन हो गया है । विकास और अकाल वित्तीय साधनों के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धी हो गये हैं जिसकी क्षति विकास को झेलनी पड़ी है । नवी योजना मे वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय से काफी कम हुआ । इसी प्रकार की स्थिति साधनों के अभाव में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बन सकती है । इस सम्बन्ध मे भारत सरकार, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय

---

1 Modified Budget At A Glance 2004-05, July 2004, Various tables

रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, आदि सम्बद्ध पक्षों को राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। तभी योजना की रेल पुनः पटरी पर आ सकेगी।

(3) *राज्य की मूल्यवर्धित कर (VAT) के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है।* बिक्री कर राज्य के राजस्व का प्रमुख आधार है। **वैट के माध्यम से राज्य के राजस्व पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं आना चाहिए।** इस सम्बन्ध में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट की जानी चाहिए।

(4) ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में आर्थिक नियोजन के साथ-साथ राजकोषीय या वित्तीय नियोजन (fiscal or financial planning) भी संचालित किया जाना चाहिए। इसका विस्तृत विवेचन आगामी अध्यायों में किया जायगा। इसके लिए राज्य मे मध्यमकालीन राजकोषीय सुधारों का कार्यक्रम लागू करना आवश्यक है। **केन्द्र की भांति राजस्थान में भी 'राजकोषीय जिम्मेदारी व बजट प्रबंधन अधिनियम' लागू किया जाना चाहिए ताकि पाँच वर्ष की अवधि में राजस्व घाटा शून्य पर लाया जा सके; राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2-3 प्रतिशत पर लाया जा सके और राज्य के बढ़ते बकाया कर्ज पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।** इस प्रकार स्वस्थ राजकोषीय स्थिति से ही स्वस्थ नियोजन उत्पन्न हो सकता है हालांकि यह सम्बन्ध विपरीत दिशा में भी सही सिद्ध होता है।

(5) चूंकि आर्थिक सुधारों व उदारीकरण के युग मे विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका प्रबल हो गयी है; इसलिए राज्य को अपने आर्थिक साधनों का उचित उपयोग करने में निजी क्षेत्र की पूँजी-निवेश में भागीदारी बढ़ानी चाहिए ताकि पर्यटन, खनन, पशुधन, दस्तकारी, निर्यात, आदि क्षेत्रों में उत्पादन-क्षमता को बढ़ा कर विकास की वार्षिक दर, प्रचलित कीमतों पर, 15 प्रतिशत प्राप्त की जा सके, ताकि 7% मुद्रास्फीति के बाद राज्य वास्तविक विकास की दर 8% अर्जित कर सके। यह काम केवल नियोजन के माध्यम से होना कठिन है, **इसलिए राज्य सरकार को निजी क्षेत्र को उचित प्रेरणा देकर विकास की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए।**

(6) चूँकि राज्य के पास वित्तीय साधनों का नितांत अभाव है, इसलिए राजस्थान को **भी विशिष्ट श्रेणी के राज्यों (special category states) में शामिल किया जाना** चाहिए ताकि इसे योजना के लिए जो वित्तीय सहायता मिलती है उसमे 90% अनुदान व 10% कर्ज मिल सके, जब कि वर्तमान में इसे 70% कर्ज व 30% अनुदान-राशि मिलती है जिससे इस पर ब्याज की देनदारी बढ़ जाती है।

अतः भविष्य में नियोजन की सफलता के लिए राजकोषीय परिदृश्य को सुधारा जाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रश्न

1. राजस्तान की दसवीं पंचवर्षीय योजना पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
2. राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना की आलोचनात्मक समीक्षा लिखिए।
3. राजस्थान की दसवीं योजना का आकार, प्रचलित भावों पर छाँटिए:
   (अ) 31532 करोड़ रु (ब) 31832 करोड़ रु.
   (स) 27318 करोड़ रु. (द) 27650 करोड़ रु. (ब)
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-
   (i) राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्ष : 2002-05 तक।

राज्य की बजट-प्रवृत्तियाँ तथा 2004-05 का बजट (State-Budgetary Trends and The Budget for 2004-05)

योजनाकाल में राजस्थान के वित्तीय ढाँचे में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । इस अध्याय मे राज्य की बजट-सम्बन्धी प्रवृत्तियों (budgetary trends) व 2004-05 के बजट पर प्रकाश डाला जायेगा जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति व विभिन्न प्रकार के घाटों जैसे राजस्व-घाटों, राजकोषीय घाटों, समग्र घाटों, आदि की सही जानकारी हो सकेगी । निरन्तर पड़ने वाले अकालों व सूखे के कारण राज्य की वित्तीय दशा काफी कमजोर रही है । स्वयं राज्य के द्वारा किए गए तीव्र आर्थिक विकास व केन्द्र से प्राप्त होने वाली अधिक वित्तीय सहायता से राजस्थान का आर्थिक भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है ।

2004-05 के बजट-अनुमानों के अनुसार राजस्व-खाते में घाटा लगभग 2204 करोड़ रुपये व पूँजी-खाते में आधिक्य (surplus) 1870 करोड़ रुपये दिखाया गया है । इस प्रकार 2004-05 के बजट मे समग्र घाटा लगभग 334 करोड़ रु. हो जाता है ।

2003-04 के संशोधित अनुमानों में राजस्व-घाटा लगभग 3667 करोड़ रुपए व पूँजीगत-आधिक्य 3385 करोड़ रु. रहा था, जिससे बजट घाटा 282 करोड़ रु. रहा । वित्तमंत्री ने अपने 12 जुलाई, 2004 के बजट-भाषण में इस घाटे की पूर्ति के लिए कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है । लेकिन इस प्रकार के घाटे की राशि से राज्य-सरकार का वित्तीय संकट गहरा ही होगा । राजस्व-घाटे का ऊँचा रहना केन्द्र तथा राज्यों में राजकोषीय संकट (fiscal crisis) का सूचक माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में चालू व्यय की पूर्ति उधार लेकर करनी पड़ती है, जो राजकोषीय असंतुलन (fiscal imblance) को प्रकट करती है ।

अब हम राजस्व खाते मे आय-व्यय की प्रवृत्तियों, पूँजी-खाते में आय-व्यय की प्रवृत्तियो, सार्वजनिक कर्ज के भार, आदि पर प्रकाश डालेंगे ।

रास्व खाते में आय की प्रवृत्तियाँ[1]

(Trends in Receipts under Revenue Account)

राजस्व खाते में विभिन्न प्राप्तियों को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है—

कर-राजस्व, अ-कर राजस्व व सहायतार्थ अनुदान (grants-in-aid) । नीचे इनका क्रमश: विवरण दिया जाता है—

(1) कर-राजस्व (Tax-revenue)—इसके अन्तर्गत राज्य का केन्द्रीय करों में हिस्सा तथा स्वयं राज्य का कर-राजस्व (state's own tax revenue) दिखाया जाता है । राजस्थान को अन्य राज्यों की भाँति केन्द्रीय आयकर व संघीय उत्पादन शुल्क में हिस्सा प्राप्त होता रहा है । राज्य में स्वयं के द्वारा लगाए गए निम्न करों से राजस्व की प्राप्ति होती है—भू-राजस्व (land revenue), स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क, राज्य आबकारी (state excise), बिक्री-कर (sales tax), वाहनों पर कर, सामान व यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर व शुल्क तथा अन्य कर व महसूल । अन्य करों में मनोरंजन कर, व्यापारिक फसलों पर उपकर, आदि शामिल होते हैं ।

1951-52 मे कुल कर-राजस्व की प्राप्ति 11.6 करोड़ रुपये हुई जो बढ़कर 1961-62 में 29 करोड रुपये, 1971-72 में 109 करोड़ रुपये, 1981-82 में 508 करोड़ रुपये तथा 1991-92 मे 2445 करोड़ रुपये हो गई (केन्द्रीय करों में अंश सहित) । 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में यह लगभग 11094 करोड़ रुपये तथा 2004-2005 के बजट अनुमानों में 12724 करोड़ रुपये दर्शाई गई है ।

करों को प्रत्यक्ष व परोक्ष दो श्रेणियो में विभाजित किया जाता है । प्रत्यक्ष करों का भार दूसरे पर नहीं खिसकाया जा सकता, जबकि परोक्ष करों का खिसकाया जा सकता है । राजस्थान राज्य को जिन प्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्त होता है उनमें निम्न शामिल हैं—*(i)* केन्द्रीय आयकर मे अंश, *(ii)* भू-राजस्व (land revenue), *(iii)* स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा *(iv)* अचल सम्पत्ति पर कर । परोक्ष करो (indrect taxes) में निम्न कर आते हैं—*(i)* संघीय आबकारी या उत्पादन-शुल्कों में अंश, *(ii)* राज्य आबकारी, *(iii)* बिक्री कर, *(iv)* वाहनों पर कर, *(v)* सामान व यात्रियों पर कर, *(vi)* विद्युत-शुल्क, *(vii)* मनोरंजन कर तथा *(viii)* व्यापारिक फसलों पर उपकर ।

1971-72 में कुल कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अंश 29% था जो 1991-92 में 16.7% रहा । 2001-2002 मे यह 20.8% व 2003-2004 के संशोधित अनुमानों मे भी यह 21.3% दिखाया गया है । इस प्रकार कर-राजस्व *में प्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग* 1/5 रहा है । यह परोक्ष करो की तुलना में काफी नीचा है ।

---

1 परिवर्तितत आय-व्ययक अध्ययन 2004-05, जुलाई 2004, विभिन्न तालिकाएँ ।

कर-राजस्व का विश्लेषण—निम्न तालिका में विभिन्न वर्षों के लिए कर-राजस्व में विभिन्न करों के योगदान का विश्लेषण किया जाता है—

शीर्षक	1971-72 (Accounts)		2003-04 (सं. अं.) (RE)	2004-05 (बजट अनुमान) (परिवर्तित) (BE)	2004-05 (बजट अनुमान) कुल कर-राजस्व में प्रतिशत (केन्द्रीय सहित)
	लेखे (करोड़ रु.)	%	(करोड़ रु.)	(करोड़ रु.)	(%)
(क) केन्द्रीय करों का अंश	43.3	39 7	3491.1	4503.2	35.4
(ख) राज्य कर राजस्व	65.7	60.3	7603.0	8221.1	64.6
(i) भू-राजस्व	8.6	7.9	95.1	100.1	0.8
(ii) मुद्रांक व रजिस्ट्रेशन शुल्क	3.5	3.2	700.0	800.0	6.3
(iii) राज्य आबकारी	9.4	8.6	1240.0	1325.0	10 4
(iv) बिक्री कर	33 1	30 4	4200.0	4486.0	35.3
(v) वाहनों का कर	3 8	3.5	852 1	805.0	6.3
(vi) अन्य	7.3	6.7	515.8	705.0	5.5
(vii) कुल कर-राजस्व	109.0	100.0	11094.1	12724.3	100.0

तालिका से पता चलता है कि 1971-72 मे कुल कर-राजस्व मे केन्द्रीय करो का अश 40% था जो 2004-2005 के बजट-अनुमानों में घटकर 35 4% पर आ गया है । इस प्रकार राज्य के स्वय के कर-राजस्व का अंश 60% से बढ़कर 64 6% हो गया है । राज्य के कुल कर-राजस्व में भू-राजस्व का अंश काफी घट गया है । यह 1971-72 में 8% से घटकर 2004-2005 के बजट-अनुमानों में 0.8% पर आ गया है । इसी अवधि में बिक्री-कर का योगदान 30 4% से बढ़कर 35 3% पर आ गया है ।

आजकल राज्य के स्वयं के कर-राजस्व में बिक्री-कर का स्थान सर्वप्रथम आता है । 2004-2005 के बजट में राज्य का स्वयं का कुल कर-राजस्व 8221 करोड़ रुपये आँका गया है, जिसमें बिक्री कर का अंश 4486 करोड़ रुपये, अर्थात् लगभग 54 6% है। स्मरण रहे कि बिक्री-कर का राज्य के कुल कर-राजस्व में 2004-2005 के बजट-अनुमानों मे अंश लगभग 35.3% आंका गया है । लेकिन राज्य के स्वयं के (own) कुल कर-राजस्व में यह अंश और भी ऊँचा, अर्थात् 54 6% आँका गया है । **इस प्रकार बिक्री-कर**

राज्य के स्वयं के कर-राजस्व का आधे से भी कुछ ज्यादा अंश प्रदान करता है । अतः राज्य की करों से प्राप्त राशि में बिक्री-कर की सर्वोपरिता है । दूसरा स्थान राज्य आबकारी कर तथा तीसरा वाहनों पर कर का है । भूमि-सुधारों के फलस्वरूप भू-राजस्व का योगदान कुल कर-राजस्व 0.8% रह गया है । राज्य आबकारी से 2004-2005 के बजट में 1325 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान है ।

(2) अ-कर राजस्व (Non-Tax Revenue)—राजस्व खाते में आय का यह दूसरा स्रोत है । **सहायतार्थ अनुदान** (grants-in-aid) **जो केन्द्र से प्राप्त होते हैं वे भी इसी के अन्तर्गत दिखाए जाते हैं,** हालांकि उनकी राशि ऊँची होने से उनका विवेचन अलग से भी किया जाता है । संविधान के अनुच्छेद (article) 280 (3) (ब) के अन्तर्गत राज्यों के राजस्व के लिए सहायतार्थ-अनुदान दिए जाते हैं । अ-कर राजस्व की आय निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाई जाती है—**ब्याज की प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, सामान्य सेवाओं से प्राप्त राशि, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं व अन्य साधनों से प्राप्त राशियाँ एवं सहायतार्थ अनुदान** (grants-in-aid) ।

सामाजिक सेवाओ के अन्तर्गत निम्न मदें शामिल होती हैं—*(i)* शिक्षा, कला व संस्कृति, *(ii)* चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, *(iii)* जलपूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास तथा *(iv)* अन्य । आर्थिक सेवाओ में निम्न मदें आती हैं—*(i)* लघु सिंचाई, *(ii)* वानिकी व वन्य जीवन, *(iii)* उद्योग, ग्रामीण व लघु उद्योग, *(iv)* वृहद् एवं मध्यम सिंचाई, *(v)* अलौह धातु, खनन व धातु-कार्मिक उद्योग व *(vi)* अन्य ।

जैसाकि पहले कहा जा चुका है, सहायतार्थ अनुदान भी अ-कर-राजस्व के अन्तर्गत ही दिखाए जाते हैं ।

अ-कर-राजस्व का वर्गीकरण 1972-73 से बदला गया है । 1951-52 में अ-कर राजस्व की राशि (सहायतार्थ अनुदानो सहित) 4.4 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 1961-62 मे 17 करोड़ रुपये, 1971-72 मे 76 करोड़ रुपये, 1981-82 में 349 करोड़ रुपये व 1995-96 मे 3416 करोड रुपये हो गई । 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में अ-कर राशि 4608.9 करोड़ रुपये रही तथा 2004-2005 के बजट अनुमानों में यह 4659.8 करोड रुपये आंकी गई है ।

राजस्व-खाते मे राजस्व-प्राप्तियाँ (revenue receipts) के इन तीन स्रोतों का योगदान निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

प्रतिशत

	2003-2004 *(संशोधित अनुमान)*	2004-2005 *(बजट अनुमान)*
(i) कर-राजस्व	70.6	73.2
(ii) अ-कर-राजस्व	12.1	11.9
(iii) सहायतार्थ अनुदान	17.3	14.9
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	100.0	100.0
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (करोड रु.)	15703.1	17384.1

तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्व खाते की कुल-प्राप्तियों में सहायतार्थ-अनुदानों का अंश 2004-2005 के बजट-अनुमानों में लगभग 14.9% आँका गया है, जो पिछले वर्ष से प्रतिशत के रूप में कम है । यह 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में लगभग 2701.5 करोड़ रु. था, जिसके 2004-2005 के बजट-अनुमानों में 2589.8 करोड़ रु. रहने की आशा है । अतः इसमें निरपेक्ष रूप में कमी का अनुमान है ।

राजस्थान में कुल कर राजस्व का घरेलू उत्पत्ति से अनुपात—निम्न तालिका में 1971-72, 1981-82 तथा 2002-2003 के लिए राज्य में कुल कर-राजस्व व राज्य की घरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावों पर) के आँकड़े दिए गए हैं—

(करोड़ रुपये) (प्रचलित भावों पर)

		1971-72	1981-82	2002-2003
1.	कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करो में अश सहित)	109	508	9316.4
2	राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP)(प्रचलित भावो पर)	1534	4978	75048
3	कुल कर राजस्व का राज्य की आय से अनुपात	7 1%	10 2%	12 4%

इस प्रकार 2002-2003 मे कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करो मे अंश सहित) राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP) का 12.4% रहा, जो 1971-72 की तुलना में 5.3 प्रतिशत बिन्दु अधिक था ।

यदि हम राज्य के स्वयं के कर-राजस्व को लें तो इसकी राशि 2002-2003 में 6253.3 करोड़ रुपये थी, जो उस वर्ष की राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP) का 8.3% मात्र थी । अत: 2002-2003 में केन्द्रीय करों में अंश सहित राज्य का कुल कर-राजस्व राज्य की आय का 12.4% रहा, जबकि इसी वर्ष राज्य का स्वयं का कर-राजस्व राज्य की आय का 8.3% ही रहा था । इससे केन्द्रीय करों के अश के हस्तान्तरण (NSDP) का 4 1% का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है ।

राजस्थान में प्रमुख करों की प्रतिक्रियात्मकता या बॉयन्सी (Buoyancy of Major Taxes in Rajasthan)

दो वर्षों के बीच किसी कर से प्राप्त राजस्व की प्रतिशत वृद्धि में राज्य की आय की प्रतिशत वृद्धि का भाग देने से जो परिणाम आता है, उसे उस कर की बॉयन्सी या प्रतिक्रियात्मकता कहते हैं । इसमें कर की दर में परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल कर लेते हैं । लेकिन किसी कर की लोच (tax-elasticity) निकालते समय कर की दरें स्थिर रखी जाती हैं । अत: कर की लोच राज्य की घरेलू उत्पत्ति के परिर्त्तनों से स्थिर दरों पर कर-राजस्व की प्रतिक्रिया का माप होती है । इस प्रकार कर की लोच को निकालते समय कर की दरें स्थिर मानी जाती हैं, जबकि कर की बॉयन्सी ज्ञात करते समय कर की दरों के परिवर्तन भी शामिल किये जाते हैं ।

1980-89 के बीच राजस्थान में कुछ प्रमुख करों की बॉयन्सी (buoyancy) इस प्रकार रही है । इससे 1980 के दशक में राज्य में इनकी बॉयन्सी का पता चलता है ।[1]

राजस्थान में कर-बॉयन्सी (Tax-buoyancy in Rajasthan)

(i)	कुल कर-राजस्व	1.15
(ii)	राज्य का स्वयं का कर-राजस्व	1.26
(iii)	बिक्री-कर	1.23
(iv)	*राज्य आबकारी कर*	*2.03*
(v)	मनोरंजन कर	0.52
(vi)	विद्युत-शुल्क	1.61

1 Amaresh Bagchi & Tapas Sen Budgetary Trends and Plan Financing in the States, Chapter 2 in State Finances in India, edited by Bagchi, Bajaj and Byrd, 1992, table 2 13 pp 87-88

यदि कर की बॉयन्सी एक से अधिक होती है तो कर-प्रयास उत्तम माना जाता है और यदि यह एक से कम होती है तो कर-प्रयास कमजोर माना जाता है । उपर्युक्त तालिका के अनुसार केवल मनोरंजन कर को छोड़कर कर-बॉयन्सी के एक से अधिक रहने से राज्य में कर-प्रयास उत्तम माना जाएगा । राज्य आबकारी कर व विद्युत-शुल्क में तो यह और भी उत्तम रही है । कर-बॉयन्सी के एक से अधिक रहने का आशय यह है कि राज्य के अमुक कर के राजस्व में अमुक अवधि में वृद्धि की दर राज्य की घरेलू उत्पत्ति की वृद्धि की दर से भी अधिक रही । दसवें वित्त आयोग ने भी अपनी दिसम्बर 1994 की रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों के लिए बिक्री कर, राज्य आबकारी कर, आदि के लिए बॉयन्सी-गुणांक (buoyancy coefficient) निकाले हैं (रिपोर्ट, पृ. 90-91), जिनका उपयोग उच्च स्तरीय अध्ययन मे किया जा सकता है ।

राजस्व खाते में व्यय की प्रवृत्तियाँ
(Trends in Expenditure in Revenue Accounts)

राजस्व-व्यय को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाया जाता है—

(1) सामान्य सेवाओं (general services) पर व्यय—इनमें राज्य के अंगों (Organs of State) पर व्यय (मंत्रिपरिषद्, विधानसभा, न्याय प्रशासन, निर्वाचन आदि), राजकोषीय सेवाएँ (कर-वसूली व्यय), ऋण-परिशोधन व ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक सेवाएँ, पेन्शन व विविध सामान्य सेवाएँ तथा सहायतार्थ अनुदान (जो राज्य सरकार देती है) शामिल होते हैं । इनमें सर्वाधिक व्यय ऋण-परिशोधन व ब्याज के भुगतान की मद पर होता है ।

(2) सामाजिक सेवाओं पर व्यय—इसमें निम्न मदों का व्यय आता है—

(i) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, *(ii)* चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, *(iii)* जलपूर्ति, सफाई, आवास व शहरी विकास, *(iv)* श्रमिक व श्रम-कल्याण, *(v)* अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियो व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, *(vi)* समाज कल्याण व पोषाहार । इनमें सर्वाधिक व्यय शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति की मद के अन्तर्गत होता है ।

(3) आर्थिक सेवाओं पर व्यय—इनमें निम्न मदें शामिल की जाती हैं—*(i)* कृषि व सम्बद्ध क्रियाएँ, *(ii)* ग्रामीण विकास व विशेष क्षेत्र-कार्यक्रम, *(iii)* उद्योग व खनिज, *(iv)* सिचाई, बाढ़-नियंत्रण व ऊर्जा, *(v)* परिवहन, *(vi)* विज्ञान, टेक्नोलोजी व पर्यावरण तथा *(vii)* सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।

1951-52 में कुल राजस्व-व्यय 17.2 करोड़ रुपये हुआ, जो बढ़कर 1961-62 में 52 करोड़ रुपये, 1971-72 में 203 करोड़ रुपये व 1981-82 में 823 करोड़ रुपये हो गया । 2002-2003 में राजस्व-व्यय 17016 करोड़ रुपये हुआ जिसके 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में 19371 करोड़ रुपये तथा 2004-2005 के बजट अनुमानों में इसके 19588 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

2004-2005 के बजट-अनुमानों में राजस्व-व्यय का सर्वाधिक अंश 43.1% सामान्य सेवाओं पर, 36.4% सामाजिक सेवाओं पर तथा शेष लगभग 20.5% आर्थिक सेवाओं पर व्यय हेतु रखा गया है ।

आगे 2003-2004 (संशोधित अनुमान) व 2004-2005 (बजट-अनुमानों) में कुछ व्यय की मदों की स्थिति दर्शाई गई है । साथ में 2004-2005 के लिए कुल राजस्व-व्यय में उनका प्रतिशत अंश भी दिया गया है ।

शीर्षक	2003-04 (संशोधित अनुमान) (करोड रु.)	2004-05 (बजट-अनुमान) (करोड़ रु)	2004-05 में कुल राजस्व-व्यय का प्रतिशत
1. ब्याज का भुगतान (सामान्य सेवाओं में)	4800 4	5166 4	26.4
2. शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति (सामाजिक-सेवाओं में)	3753.3	4150 0	21 2
3. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण व ऊर्जा (आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत)	1754.2	2164.7	11.1
4 प्रशासनिक सेवाएँ (सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत)	1162 5	1251.1	6.4
5 पेंशन व विविध सामान्य सेवाएँ (सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत)	1921 9	1362 9	7.0
कुल राजस्व-व्यय (अन्य मदों सहित)	19370 5	19588 2	100 0

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य पर ऋण-भार काफी बढ़ गया है, जिससे 2004-2005 के बजट अनुमानों के अनुसार ब्याज का भुगतान कुल राजस्व-व्यय का 26.4% हो जाएगा, जो काफी ऊँचा है । कुल राजस्व-व्यय का लगभग 21 2% व्यय शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति की मद पर होगा । प्रशासनिक सेवाओं पर कुल राजस्व-व्यय का लगभग 6.4% होने लग गया है । सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण व ऊर्जा पर 2004-2005 के बजट में कुल राजस्व-व्यय का 11 1% रखा गया है । **पेंशन व विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय 2004-2005 के लिए कुल राजस्व-व्यय का 7.0% दर्शाया गया है, जबकि 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में यह 9.9% रहा था । वर्ष 1999-2000 में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से 58 वर्ष करने से राज्य पर आगामी वर्षों में वित्तीय भार बढ़ा है ।** अब पुन: सेवानिवृत्ति की आयु के 60 वर्ष हो जाने से वित्तीय भार कम प्रतीत होगा ।

राजस्व व्यय को *(i)* विकास-व्यय व *(ii)* अ-विकास-व्यय में भी विभाजित किया जाता है । 1951-52 मे विकास-व्यय कुल राजस्व-व्यय का 42% हुआ करता था जो 1971-72 में 58%, 1981-82 में 70% व 2002-2003 में 55.1% रहा । 2003-2004 के संशोधित अनुमानों मे यह 55.5% रखा गया है । इसके 2004-2005 के बजट में 57% रहने का अनुमान है ।

1973-74 से राजस्व-व्यय के प्रस्तुतीकरण का स्वरूप बदल गया है । जैसा कि ऊपर **स्पष्ट किया गया है कि अब यह सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न मदों के माध्यम से दिखाया जाता है ।**

राजस्व-खाते में घाटा—राजस्थान में राजस्व-खाते में 1951-52 में 1.2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जो 1971-72 में 17.9 करोड़ रुपये का तथा 1981-82 में 356 करोड़ रुपये का रहा । 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में लगभग 3667 करोड़ रुपये का घाटा रहा तथा 2004-2005 के बजट-अनुमानों मे 2204 करोड़ रुपये का राजस्व-घाटा दिखाया गया है । **1990-91 के लेखों (accounts) में राजस्व-खाते में 168 करोड़ रुपये की बचत (surplus) रही थी,** जो केन्द्र से भारी मात्रा में सहायतार्थ-अनुदान मिलने के कारण सम्भव हो सकी थी ।

पूँजीगत प्राप्तियों (सार्वजनिक लेखों की शुद्ध प्राप्तियों सहित) तथा पूँजीगत व्यय

[Capital Receipts (including net public accounts) and Capital Expenditure]

(क) पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts)—पूँजीगत प्राप्तियाँ निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाई जाती हैं—

(i) आन्तरिक ऋण (Internal Debt)—आन्तरिक ऋण स्थायी व अल्पकालीन दो प्रकार का हो सकता है । इसका उल्लेख नीचे किया जाता है—

(अ) स्थायी ऋण (Permanent Debt)—इसके अन्तर्गत जनता से लिए गए बाजार-ऋण शामिल किए जाते हैं । ये विकास-ऋण होते हैं, जो राज्य की विकास योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए जारी किए जाते हैं । इनमें भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए 'फ्लोटिंग-ऋण' या अल्पकालीन ऋण भी शामिल किए जाते हैं ।

(आ) अल्पकालीन ऋण (Floating Debt)—इनकी मात्रा राज्य के स्वयं के साधनों व आवश्यकताओं पर निर्भर करती है । ये काफी परिवर्तनशील होते हैं । राज्य सरकार सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण लेती है ।

(ii) केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण (Loans from the Central Government)—राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से भी ऋण लेती है । ऐसे अवसर भी आए हैं जब भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई ओवरड्राफ्ट की राशि को चुकाने के लिए केन्द्र ने राज्य को ऋण दिए हैं ।

(iii) ऋण व अग्रिम राशियों की रिकवरी (Recoveries of Loans and Advances)—राज्य सरकार को कर्ज व अग्रिम राशियों की वापसी से भी धनराशि प्राप्त होती रहती है । ये राशियाँ सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं के लिए दिए गए पूर्व ऋणों की रिकवरी को सूचित करती हैं ।

(iv) सार्वजनिक लेखों से प्राप्त शुद्ध राशियाँ—**सार्वजनिक लेखों या खातों में वे सौदे दिखाए जाते हैं जो सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में करती है** । इसमें सस्पेन्स व भुगतान (suspense and remittance) के सौदे भी शामिल होते हैं । इसमें **अल्प बचतों, प्रोविडेण्ट फण्ड, रिजर्व कोष, जमाओं व अग्रिम राशियों की शुद्ध प्राप्तियाँ दर्शाई जाती हैं** ।

पूँजीगत खाते की प्राप्तियाँ (Capital Recepits) निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं[1] —

(करोड़ रु. में)

	शीर्षक	2003-2004 (संशोधित अनुमान)	2004-2005 (बजट अनुमान)
(i)	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	12684.4	11303.9
(ii)	केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण	5854.7	6057.5
(iii)	ऋण व अग्रिम राशियों की वसूली (रिकवरी)	119.7	56.0
(iv)	शुद्ध सार्वजनिक लेखे (Net Public Accounts)	1542.3	1515.6
	कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ (Capital Receipts) (लगभग)	20201.1	18933.0

1 Modified Budget At a Glance 2004-2005, July 2004, p 8

इस प्रकार पूँजीगत खाते की प्राप्ति के अन्तर्गत राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण व केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण प्रमुख मदें होती हैं । ऋण व अग्रिम राशियों की रिकवरी के अन्तर्गत सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओ व आर्थिक सेवाओं के लिए दिए पूर्व ऋणों की रिकवरी को राशियाँ आती हैं । **सार्वजनिक लेखे से शुद्ध राशि 2004-2005 के बजट-अनुमानों में लगभग 1516 करोड़ रु. दर्शाई गई है, जो पहले से कुछ कम है । इसमें मुख्यतया अल्प बचतें, प्रोविडेण्ट फण्ड, वगैरह की शुद्ध राशियाँ आती हैं ।**

(ख) पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)—पूँजीगत व्यय राजस्व-व्यय की भाँति सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं की विभिन्न मदो के अन्तर्गत दिखाया जाता है । **इसका प्रयोजन परिसम्पत्ति का निर्माण करना होता है ।** यह व्यय योजना-व्यय, गैर-योजना तथा केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों के तहत सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत अलग-अलग दर्शाया जाता है । समग्र पूँजीगत व्यय की मदें अग्र प्रकार दर्शाई जाती हैं[2]

पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)

(करोड़ रु. में)

	वितरण की मदें	2003-2004 (संशोधित अनुमान)	2004-2005 (बजट अनुमान)
(अ)	पूँजीगत व्यय (योजना, गैर-योजना केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों के अन्तर्गत मिलाकर)		व
	(i) सामान्य सेवाएँ	60 0	69 9
	(ii) सामाजिक सेवाएँ	1482 8	2062 9
	(iii) आर्थिक सेवाएँ	1897 3	2040 5
	कुल (अ) (लगभग)	3440 1	4173.3
(ब)	सार्वजनिक कर्ज (गैर-योजना)	12434 3	12400.5
(स)	कर्ज व अग्रिम राशियाँ (राज्य ने दीं)	941 6	489 4
	समग्र पूँजीगत व्यय (लगभग) (अ) + (ब) + (स)	16816 0	17063.2

पूँजीगत व्यय की जो मदें सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत दिखाई जाती हैं, उनका वही अर्थ होता है, जो राजस्व-खाते में इन मदों पर व्यय के समय स्पष्ट किया गया था । जैसा कि पूर्व तालिका से स्पष्ट होता है **इसमें सर्वाधिक राशि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय की जाती है, ताकि पूँजीगत परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जा सके; जैसे—उद्योग, पशुपालन, सिंचाई की परियोजनाएँ, सड़कें आदि** । इसके अलावा राज्य सरकार स्वयं भी विभिन्न संस्थाओं आदि को कर्ज देती है तथा स्वयं कर्ज चुकाती है जो पूँजीगत व्यय में दिखाया जाता है । सार्वजनिक कर्ज (गैर-योजना) की मद के अन्तर्गत भी पूँजीगत व्यय की राशि दिखाई जाती है ।

2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) का कुल योग (grand total) 16816 करोड़ रुपये रहा, जिसके 2004-2005 के बजट-अनुमानों में बढ़कर 17063 करोड़ रु. रहने का अनुमान है । **पूँजीगत व्यय में इस प्रकार की कमी एक प्रतिकूल दशा की सूचक होती है ।**

पूँजीगत आधिक्य (Capital Surplus)—जब पूँजीगत व्यय की कुल राशि पूँजीगत प्राप्तियों की कुल राशि से कम होती है तो पूँजीगत आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कुछ सीमा तक राजस्व-घाटे की पूर्ति में लगाई जाती है ।

---

2. Ibid, p. 12

2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार पूँजीगत आधिक्य लगभग 3385 करोड़ रुपए का रहा जिसके 2004-2005 के बजट-अनुमानों में 1870 करोड़ रुपए रहने की सम्भावना है ।

पूँजीगत आधिक्य के कारण समग्र घाटे की राशि राजस्व-घाटे की राशि से कम हो जाती है, अथवा कभी-कभी वह समग्र अधिशेष भी हो सकती है । 2004-2005 के बजट-अनुमानो में राजस्व-घाटा 2204 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, लेकिन पूँजीगत आधिक्य के 1870 करोड रुपये रहने के कारण बजटीय घाटा 334 करोड रुपये रहा । इससे पूँजीगत आधिक्य के उपयोग का पता चलता है । लेकिन साथ में राजकोषीय असंतुलन की स्थिति भी प्रगट होती है, क्योंकि **राजस्व घाटे की पूर्ति उधार लेकर करना आगे चलकर वित्तीय कठिनाई उत्पन्न करता है ।**

समग्र बजट घाटे या बचत की स्थिति (वर्ष 1982-83 से 2004-2005) के बजट-अनुमानों तक)[1] —

जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है 2004-2005 में समग्र बजट-घाटा लगभग 334 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है ।

स्मरण रहे कि राज्य में समग्र बजट-घाटे का रहना व बढ़ना एक चिंता का कारण है । इसका मुख्य कारण राजस्व-घाटे की ऊँचा रहना है, अर्थात् सरकार का चालू व्यय इसकी चालू प्राप्तियों से अधिक रहता है ।

राजस्थान की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है । सरकार को अकाल राहत कार्यों के संचालन पर भारी व्यय करना पड़ता है । अकाल व सूखे के कारण राज्य सरकार के कर-राजस्व में कमी आ जाती है एवं राहत-कार्यो पर व्यय मे वृद्धि करनी होती है ।

राज्य का कुल बजट-घाटा या बचत अग्र तालिका मे दर्शाए गए हैं—

तालिका : समग्र बजट-अधिशेष (overall surplus) (+) या घाटा (deficit) (–)

[पिछले वर्ष का घाटा समायोजित (adjust) किए बिना]

वर्ष (लेखे)	(करोड़ रुपये)	
1982-83	(+)	23.2
1983-84	(+)	8.9
1984-85	(–)	1.4
1985-86	(+)	45.7
1986-87	(–)	59.0
1987-88	(–)	70.0
1988-89	(+)	104.5
1989-90	(–)	14.1
1990-91	(–)	143.8
1991-92	(+)	274.0
1992-93	(–)	170.5
1993-94	(–)	128.3
1994-95	(+)	56.1

1. आय-व्ययक अध्ययन 2004-2005, जुलाई 2004, व पूर्व वर्षों के आय-व्ययक अध्ययन ।

वर्ष (लेखे)	(करोड़ रुपये)	
1995-96	(–)	202.9
1996-97	(+)	121.4
1997-98	(–)	42.1
1998-99	(–)	258.9
1999-2000	(–)	495.7
2000-2001	(–)	179.3
2001-2002	(+)	90.8
2002-2003	(–)	206.5
2003-2004 (संशोधित अनुमान)	(–)	282.4
2004-2005 (बजट अनुमान)	(–)	334.4

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1982-83 से 2004-2005 की अवधि में कुछ वर्षों में समग्र बजट में अधिशेष (surplus) भी रहा था । 1991-92 में समग्र बजट अधिशेष 274 करोड़ रु. रहा था । बाद में 1996-97 व 2001-2002 में भी समग्र बजट में अधिशेष रहा । 2003-2004 के सं.अ. 282.4 करोड़ रु तथा 2004-2005 के बजट अनुमानों में 334.4 करोड़ रु का समग्र घाटा दर्शाया गया है ।

राजस्थान में 1992-93 से 2004-2005 की अवधि में राजस्व-घाटे के बढ़ने के कारण

राजस्थान के बजट में 1990-91 में राजस्व-बचत या आधिक्य की मात्रा 168.0 करोड़ रुपये तथा 1991-92 में 48.5 करोड़ रुपये रही थी । लेकिन 1992-93 से राजस्व-घाटे मे 1996-97 तक वृद्धि हुई । 1997-98 में इसमें कमी होकर बाद में काफी वृद्धि हुई है । 2004-2005 के बजट-अनुमानों में भी इसका स्तर ऊँचा रहा है । यह स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट होती है—

राजस्व-घाटा (Revenue Deficit)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राशि
1992-93	109.5
1993-94	300.7
1994-95	424.8
1995-96	701.8
1996-97	865.9
1997-98	581.8
1998-99	2996.3
1999-2000	3639.9
2000-2001	2633.6
2001-2002	3795.7
2002-2003	3933.9
2003-2004 (संशोधित अनुमान)	3667.5
2004-2005 (बजट-अनुमान)	2204.2

तालिका से स्पष्ट होता है कि 1992-93 से 1996-97 के बीच राजस्व घाटा 7.9 गुना हो गया था । वर्ष 1998-99 तथा बाद के वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई है । **2004-2005 में भी राजस्व-घाटा ऊँचा (2204 करोड़ रुपये) दर्शाया गया है । पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण राज्य-कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से राज्य सरकार का राजस्व-घाटा काफी बढ़ गया है** । सरकार ने राजस्व-घाटे को समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया है ।

राजस्व-घाटे के बढ़ने के सम्बन्ध में निम्न कारणों पर ध्यान देना होगा—

(1) राजस्व-घाटे के बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्षों में राजस्व-प्राप्तियों में प्रतिशत वृद्धि राजस्व-व्यय की प्रतिशत वृद्धि से कम रही है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट होती है—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व-व्यय
1991-92 (लेखे)	4128.8	4080.2
2004-2005 (बजट-अनुमान) (परिवर्तित)	17384.1	19588.2
2004-2005 में 1991-92 की तुलना में वृद्धि	321.0	380.0

उपर्युक्त स्थिति में राजस्व-घाटे का बढ़ना स्वाभाविक था । 1991-92 से 2004-2005 की अवधि में राजस्व-प्राप्तियों में लगभग 13255 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा राजस्व-व्यय में लगभग 15508.0 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाई गई है । **इस प्रकार राजस्व-व्यय राजस्व-प्राप्तियों से अधिक तेज गति से बढ़ा है ।**

(2) 1991-92 से 2004-2005 की अवधि में ब्याज की अदायगी का भार लगभग 616 करोड़ रुपये से बढ़कर 5166 करोड़ रुपये की तरफ चला गया है । इस प्रकार तेरह वर्षों में ब्याज का भार 8 4 गुना हो गया है, जो एक चिंता का विषय है ।

(3) राज्य के अंगों (Organs of State) जैसे मंत्रिपरिषद्, विधानसभा, न्याय-प्रशासन व चुनावों पर व्यय 1991-92 में 48.8 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2004-2005 (बजट-अनुमान) मे 212.3 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

(4) प्रशासनिक सेवाओं; अर्थात् लोक सेवा आयोग, सचिवालय, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, पुलिस, जेल, मुद्रण आदि पर इसी अवधि में व्यय 349 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1251 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । पेंशन व विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय 277 करोड़ रु. से बढ़कर 1362.9 करोड़ रु. होने का अनुमान है । वर्ष 1995-96 में पेंशन व विविध सामान्य सेवाओं पर व्यय की राशि 1331 करोड़ रुपये दर्शाई गई थी । यह 2003-2004 के सं.अ. में 1921.9 करोड़ रु. रही थी जिसका कारण सेवा-निवृत्ति की आयु का 60 से 58 वर्ष करना माना गया है । 2004-2005 के बजट-अनुमानों में पेंशन व विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 1362.9 करोड़ रु. की राशि दिखाई गयी है । सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु पुनः 60 वर्ष घोषित कर दी है ।

(5) प्रमुखतया चुनावी व्यय के कारण राज्य के अंगों (organs of state) पर व्यय 1992-93 में 45.3 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में 241.8 करोड़ रु. दर्शाया गया है ।

(6) एम. गोविन्दा राव व सुदिप्तो मुण्डल के अनुसार राजस्थान में सामाजिक व आर्थिक सेवाओं पर कुल सब्सिडी का भार 1977-78 में 279 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1987-88 में 1742 करोड़ रुपये हो गया था, जो 20% सालाना वृद्धि का सूचक था । इन पर लागत की तुलना में रिकवरी की दर काफी नीची रहती है । बाद के वर्षों में भी राज्य पर सब्सिडी का भार जारी रहा है । **डी.के. श्रीवास्तव, भुजंगाराव, पी. चक्रवर्ती व रंगमन्नार (NIPFP, मार्च, 2003) के एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान पर कुल सब्सिडी का भार 1998-99 में 8652 करोड़ रुपये रहा था, जिसमें वांछित (मेरिट) सब्सिडी (जो सारे समाज को लाभ पहुँचाती है) 4093 करोड़ रुपये रही, तथा गैर-जरूरी (नॉन-मैरिट) सब्सिडी, जो सिर्फ कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुँचाती है, 4559 करोड़ रुपये रही ।**[1]

(7) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय घाटों का भार भी बजट पर पड़ता रहता है । पूर्व मे राज्य विद्युत मण्डल को प्रति वर्ष करोडो रु. के वित्तीय घाटे का भार उठाना पड़ा है ।

(8) केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमो (CSS) के लिए कुछ धनराशि केन्द्र से अवश्य मिलती है, लेकिन इनकी अवधि के पूरा हो जाने पर व्यय का सम्पूर्ण भार राज्य पर आ जाता है, जिससे इन पर होने वाले राजस्व-व्यय का भार राज्य सरकार को वहन करना होता है ।

(9) राज्य पर बकाया कर्ज का भार ऊँचा होने से कर्ज की अदायगी में भी धनराशि लगाई जाती है, जिससे शुद्ध कर्ज की प्राप्ति घट जाती है । इस प्रकार राज्य के पास विकास के साधन सीमित हो जाते हैं ।

(10) राज्य पर प्रतिवर्ष अकाल, सूखे आदि के लिए राहत-व्यय का भार पड़ता रहता है, जिससे सुदृढ़ वित्तीय स्थिति प्राप्त करना कठिन हो जाता है । 1987-88 मे राहत-कार्यों पर व्यय की राशि 622 करोड़ रु. तथा 1988-89 मे 324 करोड़ रु. रही थी । बाद में भी राहत पर व्यय निरन्तर किया जाता रहा है । पिछले पाँच वर्षो में लगातार अकाल पड़ने के कारण भी राहत-व्यय काफी बढ़ाना पड़ा है, हालांकि 2001-2002 में स्थिति ज्यादा प्रतिकूल नहीं थी ।

---

1 इसकी प्रारम्भिक चर्चा लेखक ने वनस्थली मे आयोजित राजस्थान आर्थिक परिषद् के 18वें वार्षिक सम्मेलन, 21--23 अप्रैल, 1994 के अपने अध्यक्षीय भाषण में की थी, जिसका विषय *Fiscal Problems of Rajashtan* था । यह Rajasthan Economic Journal के जनवरी 1994 के अक में प्रकाशित हुआ था । लेखक ने स्व जे पी गुप्ता तथा डॉ सतीश के बत्रा के साथ राजस्थान के आर्थिक परिषद् के 13-15 फरवरी 1999 के जयपुर-सम्मेलन में **Fiscal Scenario of Rajasthan : Some Basic Issues** में इसका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया था, जिसका सशोधित व परिवर्धित प्रारूप बाद में Rajasthan Economic Journal अप्रैल 2000 के अंक में प्रकाशित किया गया था ।

(11) आजकल योजना के अन्तर्गत राजस्व-व्यय का अनुपात पहले से ज्यादा हो गया है जिसकी पूर्ति उधार लेकर करनी पड़ती है जिससे राजस्व-घाटा ब्याज के कारण बढ़ जाता है ।

इस प्रकार राज्य के राजस्व-खाते में स्थिति पिछले वर्षों में ऐसी हो गई है जिसको सम्भाल सकना उत्तरोत्तर अधिक कठिन होता जा रहा है ।

सुदृढ़ वित्तीय स्थिति प्राप्त करने हेतु राजस्व-घाटा समाप्त करके इसे समयबद्ध तरीके से राजस्व-आधिक्य (revenue surplus) में बदलना जरूरी हो गया है, तभी राजस्व-खाते की बचतें पूंजी-निर्माण में मदद दे सकती हैं ।

राज्य के राजस्व-घाटे को कम करने के लिए सुझाव—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, राज्य की मुख्य समस्या राजस्व-घाटे (revenue deficit) की है । 2003-2004 के संशोधित अनुमानों मे राजस्व घाटा 3667 करोड़ रुपये व 2004-2005 के बजट-अनुमानों में लगभग 2204 करोड़ रुपये दर्शाया गया है । अत: हाल के वर्षों में भी राजस्व घाटा ऊँचा बना हुआ है । लेकिन भविष्य में राजस्व-घाटे को उत्तरोत्तर कम करने व अन्ततोगत्वा समाप्त करने के लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिए—

(1) राज्य को अपने करो; जैसे बिक्री-कर, राज्य आबकारी कर, विद्युत करों व शुल्कों आदि से अधिक राजस्व जुटाने का प्रयास करना चाहिए । राज्य के विद्युत-करों को अन्य राज्यों के समकक्ष लाने का प्रयास जारी रखना चाहिए ।

(2) राज्य को केन्द्र से मिलने वाले अनुदानों (grants-in-aid); जैसे गैर-योजना अनुदानों, राज्य की योजना-स्कीमों के अनुदानों, केन्द्रीय योजना-स्कीमों के अनुदानों तथा केन्द्र-चालित स्कीमों के अनुदानों की राशियों में वृद्धि की जानी चाहिए ।

(3) कुछ विद्वानों का सुझाव है कि राज्य का केन्द्रीय करों में जैसे आयकर व उत्पादन-शुल्क में अंश बढ़ाया जाना चाहिए । इन करों से केन्द्र की आमदनी के बढ़ने से यह स्वत: कुछ सीमा तक बढ़ जाएगा । अत: केन्द्र द्वारा इन करों की वसूली में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए । नई व्यवस्था में सभी केन्द्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियो का 29.5% राज्यों में वितरित किया जाने लगा है ।

(4) राजकीय उपक्रमों का घाटा कम करने के उचित उपाय किये जाने चाहिए—जैसे उनके प्रबन्ध में सुधार, उचित मूल्य-नीति, टेक्नोलोजी के स्तर को ऊँचा करना, आदि । यदि कुछ इकाइयाँ लगातार घाटे में जा रही हैं तो इनको निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित करने, अथवा बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है । लेकिन ऐसा करते समय श्रमिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए ।

(5) अनुत्पादक व्यय व व्यर्थ के व्यय पर रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए एक स्पष्ट व सुनिश्चित कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए ।

(6) राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वांछित व अवांछित सब्सिडी की राशि की जाँच करके उसमें यथासम्भव कमी करने का प्रयास करना चाहिए और सब्सिडी उन्हीं को दी जानी चाहिए जो इसके लायक हों ।

(7) सरकार को विद्युत, सिंचाई, सड़क-परिवहन, आदि की दरों को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए ताकि इनकी लागत अवश्य निकल सके । इसके लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति व विधायको के राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता होगी । साथ में लागत कम करने के प्रयास भी निरन्तर जारी रखे जाने चाहिए ।

वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष राजस्व-घाटे को पूरा करने की समस्या विद्यमान है, जिसके लिए इसे अनावश्यक व अनुत्पादक व्यय में कटौती करनी होगी । राज्य सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों से बचतें प्राप्त करनी चाहिए तथा भूतकाल में किए गए विनियोगों से अधिक प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । राज्य की विपरीत स्थिति उत्तरोत्तर अधिक जटिल होती जा रही है । इसको सुधारने के लिए कई उपाय करने होंगे । इसमें केन्द्र व राज्य सरकार दोनों को अपना उचित योगदान देना होगा । इस पर आगे चलकर अधिक विस्तार से चर्चा की जायगी ।

राजस्थान का बजट 2004-2005*

राजस्थान का 2004-05 का परिवर्तित बजट मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने विधानसभा में 12 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किया । इससे पूर्व 4 फरवरी, 2004 को 4 महीनों के लिए, 31 जुलाई, 2004 तक व्यय हेतु लेखानुदान-प्रस्तावों सहित, वार्षिक वित्तीय विवरण सभा के पटल पर रखे गये थे ।

85 पृष्ठों के अपने बजट-भाषण में मुख्यमंत्री ने विकास व कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया है । बजट मे वार्षिक योजनाओं, दरिद्रता, कुपोषण व भूख से मुक्ति, महिला-कल्याण, पिछड़ी जातियो के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल व सामाजिक विकास, रोजगार-सृजन, कृषि की प्रगति, औद्योगिक व खनन विकास, पर्यटन, सूचना-प्रौद्योगिकी, पंचायती राज संस्था, वित्तीय प्रबन्धन में सुधार, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास—सड़क, ऊर्जा, सिंचाई व जल प्रदाय योजनाओ के प्रबंधन, आदि पर बल दिया गया है । कर-प्रस्तावों में राज्य मे उद्योग व व्यापार के हितो को आगे बढाने के लिए बिक्री कर, प्रवेश कर, आदि मे आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं । रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए योजनाएँ प्रस्तावित की गयी हैं । सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने का सकल्प व्यक्त किया गया है और 5 से 7 वर्ष की अवधि मे राजस्व-घाटे को शून्य करने और राजकोषीय घाटे (fiscal dificit) को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 5 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है । बजट की छ: प्राथमिकताओ मे दरिद्रता-निवारण, अशक्तो व महिलाओं को सहायता, रोजगार-सवर्धन, वित्तीय सुधार, आर्थिक आधारभूत व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार शामिल किये गये है । बजट की मुख्य बातों पर नीचे प्रकाश डाला जाता है ।

वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण

दसवीं योजना के प्रथम दो वर्षो—2002-03 व 2003-04 में 10475 करोड़ रु. व्यय होने से योजना का लगभग 33% निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया है । आगामी तीन वर्षों में 21356 करोड़ रु का व्यय किया जाना है । इसलिए दसवी योजना के तीसरे वर्ष 2004-05 में परिव्यय का लक्ष्य 7031 करोड़ रु. रखा गया है, जो पिछले वर्ष की योजना के आकार से 1527 करोड़ रु. अधिक है । इस प्रकार सरकार योजना के आकार को बढ़ाने के पक्ष में है ताकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित सार्वजनिक परिव्यय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।

---

* श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री का बजट भाषण, 12 जुलाई, 2004, परिवर्तित बजट 2004-05 पर आधारित ।

2003-04 में प्रचलित कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 17.3 प्रतिशत तथा स्थिर कीमतों पर 14.7% प्रतिशत की वृद्धि हुई है । प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित कीमतों पर 15.6 प्रतिशत तथा स्थिर कीमतों पर 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस प्रकार 2003-04 का वर्ष विकास की दृष्टि से उत्तम रहा है ।

दरिद्रता-निवारण, कुपोषण से मुक्ति, महिला-कल्याण व पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्यक्रम

आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 35.82 लाख बच्चों, गर्भवती स्त्रियों, धात्री माताओं व बालिकाओं को पूरक पोषाहार वितरित किया जायगा जिसके लिए 118 करोड़ 6 लाख रु. का प्रावधान किया गया है । आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 26521 सहयोगिनियों (साथिनों) की नियुक्ति की जायगी । राशन कार्ड के अलावा 'राशन टिकिट' भी गरीब परिवारों को दिये जायेंगे ताकि उन्हें खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा सके ।

बारां जिले की सहरिया आदिम जाति के परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जायगा । ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच को 10 क्विंटल तक के 10-10 किलोग्राम के 'फूड-स्टेंप' दिये जायेंगे जिनका उपयोग तात्कालिक सहायता के रूप में किया जा सकेगा ।

सुरक्षित मातृत्व हेतु 10 हजार पारंपरिक दाइयों को प्रशिक्षित किया जायगा । बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जायगा । इसके लिए विद्यालय खोले जायेंगे ।

राजकीय विद्यालयों में 1 से 12 तक की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी ।

कामकाजी महिलाओं के लिए शहरी क्षेत्रो में छात्रावास व ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु पालना गृह स्थापित किये जायेंगे । जिला मुख्यालयों पर मूक-बधिर व नेत्रहीन बालकों के लिए शिक्षण संस्था की स्थापना की जायेगी । निःशक्तजनों के लिए **'विश्वास स्वरोजगार सहायता योजना'** के तहत कर्ज व अनुदान की व्यवस्था की जायगी । **वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोडवेज की बसों में किराये में 30% की छूट दी जायगी ।**

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये नये छात्रावास स्थापित किये जायेंगे । **सहरिया** जनजाति के प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार देने के लिए 20 करोड़ रु. व्यय किये जायेंगे । उदयपुर जिले के कोटड़ा व झाडोल क्षेत्र में **कथौड़ी जाति** के प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायगा ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल व सामाजिक विकास—प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा पर अधिक धनराशि व्यय की जायगी । शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जायेगा । विभिन्न प्रकार के विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायगा । पिछड़े विकास खण्डों वाले प्रत्येक जिले में एक **'कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय' पिछली जाति की बालिकाओं के लिए खोला जायगा** । साधनहीन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति में मदद देने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु **'आपकी बेटी'** योजना लागू की जायगी ।

उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जायगा । **एक तकनीकी विश्वविद्यालय व एक मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना है ।** उदयपुर जिले में खेरवाड़ा, अलवर जिले में थानागाजी व झुंझुनूं में सरकारी कॉलेज खोलने

का प्रस्ताव है । झालावाड़ व बारां कॉलेजों को स्नातकोत्तर कॉलेजों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है ।

राज्य में खेल स्टेडियमों के विकास के लिए जयपुर व अजमेर स्टेडियमों का चुना गया है । झालावाड़ में भी खेल संकुल का विकास किया जायगा ।

स्वास्थ्य-सुविधाओं के विस्तार के लिए **विश्व बैंक की सहायता से 472 करोड़ रु. की लागत से 'राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स प्रोजेक्ट'** प्रारम्भ किया जा रहा है जिस पर 2004-05 में 92 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है । राज्य में स्वास्थ्य उपक्रम स्थापित किये जायेंगे । आदिवासी क्षेत्रों में 1119 अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जायगी । राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित 6 अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों के प्रभावी उपचार के लिए 'ट्रोमा यूनिट्स' स्थापित की जायेगी । एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधा के लिए एक छत के नीचे व्यवस्था चुने हुए स्थानों पर की जायगी । प्रथम चरण में यह सुविधा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल, जिला मुख्यालय व गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रारम्भ की जायेगी ।

रोजगार-सृजन, कृषि, पशु-धन, उद्योग व खनन-विकास

रोजगार-सृजन के लिए पशुपालन, मत्स्य, वन, सहकारिता, पर्यटन, खनिज एवं उद्योगों में समन्वित विकास करना होगा । कृषिगत क्षेत्र में फसल-पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है । धनिया, जीरा व ग्वार-गम के लिए कृषि-निर्यात-क्षेत्र विकसित किये जायेंगे । खरीफ 2003 से 6 फसलों—मक्का, ज्वार, बाजरा, मूँगफली, कपास एवं ग्वार के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गयी थी । इनमें फसल नुकसान का 50 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होता है । इस वर्ष 2004 की खरीफ में इस योजना को 14 फसलों पर लागू किया जायगा जो इस प्रकार होंगी—धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूँग, मोठ, उड़द, चौला, अरहर, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, अरण्डी व ग्वार । इससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे । कृषकों को संतरो, जीरा, धनिया व प्याज के उचित दाम दिलाने की योजना लागू की गयी है ।

'कृषक-साथी' योजना में कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रु. व दो अंगों की क्षति होने पर न्यूनतम 25 हजार रु.की सहायता देना प्रस्तावित है । कृषकों को 30 प्रतिशत अधिक ऋण दिया जायगा । अगस्त 2004 से एक सघन अभियान चला कर 3 **माह में सभी पात्र किसानों को बैंकों से 'किसान क्रेडिट कार्ड' उपलब्ध करा दिये जायेंगे ।** दवा-पौधों, फल-सब्जी व ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों का निर्माण किया जायगा । इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे । पशुधन के विकास के लिए 'जर्म-प्लाज्म' की व्यापक उपलब्धि सुनिश्चित की जायगी । दूध का प्रतिदिन संग्रहण गुजरात की भांति 50 लाख लीटर तक (निजी व सहकारी क्षेत्र में) किया जा सकता है । आगामी 4 वर्षों में केवल सहकारिता क्षेत्र मे 25 लाख लीटर प्रतिदिन संग्रहण का लक्ष्य तय किया गया है । गौ-वंश की वृद्धि व नस्ल सुधार के लिए **पथमेड़ा गौशाला** का विकास किया जायगा ।

उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 72 हजार लोगों को रोजगार दिया जायगा । रोजगार के अवसर खादी व ग्रामीण उद्योगों में तथा रीको व आर.एफ.सी. द्वारा

किये जा रहे निवेश से उत्पन्न होंगे । औद्योगिक क्षेत्र में एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जेम्स-ज्वैलरी, सीमेंट, टैक्सटाइल्स, दस्तकारी, साल्ट्स, व खाद्य तेल के लिए पृथक से औद्योगिक नीति बनायी जायगी । निर्यात-प्रोत्साहन नीति प्रस्तावित है । लघु व अति लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया जायगा । बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी जायगी । इसके लिए बुनकर संघ, सहकारी समिति व राज्य वित्त निगम के बीच एक अनुबंध कराया जायगा ।

अनुसूचित जाति के 5 हजार लोगों को राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त व विकास सहकारी निगम से स्वरोजगार के तहत अपना धंधा लगाने हेतु 5% अनुदान पर ऋण उपलब्ध कराया जायगा । वन-विकास के माध्यम से रोजगार दिया जायगा । ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर 619.25 करोड़ रु. का व्यय अनुमानित है । इससे रोजगार का सृजन होगा । जिला गरीबी उन्मूलन (Initiative)—परियोजना (DPIP) पर 200 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण व रख-रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना' प्रारम्भ की जायगी जिसमें सामान्य क्षेत्र में 30% राशि जन-सहयोग से तथा शेष सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायगी । खनिज व खनन आधारित उद्योगों में प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार बढ़ाया जायगा । 2004-05 में अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार 40 हजार व्यक्तियों को और परोक्ष रोजगार 1 लाख व्यक्तियों को देने का लक्ष्य है ।

पर्यटन, सूचना-प्रौद्योगिकी, पंचायती राज संस्थाएँ

पर्यटन पर 2004-05 में 22.50 करोड़ रु. के व्यय का प्रावधान किया गया है जबकि पिछले वर्ष यह राशि मात्र 12 करोड़ रु. थी । जयपुर में जलमहल क्षेत्र, उदयपुर में रोप-वे का निर्माण, जयपुर में 'कन्वेन्शन सेंटर' एवं 'गोल्फ रिसोर्ट' की स्थापना व अलवर जिले में तिजारा फोर्ट को पर्यटन इकाई के रूप में प्रारम्भ किया जायगा । इनके अलावा आमेर दुर्ग, हाड़ौती क्षेत्र, अजमेर में दरगाह शरीफ, पुष्कर, नाथद्वारा, श्रीमहावीरजी, रणकपुर, रामदेवरा जैसे स्थलों का विकास किया जायगा ।

अनेक मन्दिरों से जुड़ी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में 'अपना धाम-अपना काम-अपना नाम' योजना क्रियान्वित की जायगी ।

सूचना प्रौद्योगिकी में प्रथम वर्ष में 1200 व द्वितीय वर्ष में 2 हजार व्यक्तियों को रोजगार दिया जायगा । इस वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी का बजट 27 करोड़ रु. प्रस्तावित है जो पिछले वर्ष से अधिक है । इस क्षेत्र में 'लोक-मित्र' व 'जन-मित्र' योजनाएँ संचालित की जा रही हैं । ई-मित्र सेवाओं मे निजी क्षेत्र की व जनता की भागीदारी बढ़ायी जायगी । न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण बढ़ाया जायगा । इन्दिरा गाँधी नहर, गंग नहर व भाखड़ा कमाण्ड क्षेत्र के अस्थायी पट्टाधारकों को खातेदारी अधिकार जमीन की कीमत वसूल करके दिये जायेंगे । पुलिस-प्रशासन का जनता के लिए आसान बनाया जायगा । 'लर्निंग-लाइसेंस' बनाने के अधिकार मोटर वाहन डीलरों व वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थानों को दिये जायेंगे। हरिश्चन्द्र माथुर संस्थान में एक 'सेंटर फॉर गुड गवर्नेन्स' स्थापित किया जायगा ।

पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं को इस वर्ष अधिक धन राशि दी जायेगी। **नगरपालिकाओं को चुंगी की क्षतिपूर्ति के रूप में इस वर्ष 449.16 करोड़ रु. हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से अधिक है।** इनको विभिन्न गतिविधियों के हस्तान्तरण के साथ-साथ कोष व कर्मचारी भी हस्तान्तरित किये जायेंगे। इसके लिए विस्तारपूर्वक कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।

वित्तीय प्रबंधन में सुधार—केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक' तैयार करेगी। इसके माध्यम से 5-7 वर्ष में राजस्व-घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.5 प्रतिशत पर लाया जायगा। केन्द्र के ऊँचे ब्याज के कर्ज को नीचे ब्याज के कर्ज में बदलने (डेट-स्वॉप) की विधि का प्रयोग करके बकाया कर्ज व ब्याज के भार को कम करने का प्रयास किया जायगा। 2003-04 के अन्त तक लगभग 2962 करोड़ रु के कम ब्याज के ऋण लेकर पहले के ऊँचे ब्याज के कर्ज को चुकाया गया है। इससे ब्याज के पेटे बचत हुई है जिसे आगे भी जारी रखा जायगा। इसी प्रकार 'हाउसिंग-विकास-वित्त-निगम' का कुछ ऋण भी नीचे ब्याज पर रिशिडयूल कराया गया है जिससे ब्याज मे कमी हुई है। 1 जनवरी, 2004 से भर्ती किये जाने वाले राज्य कर्मचारियो के लिए एक स्वपोषित या अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है। सरकार ने राज्य कर्मचारियो के लिए भवन-निर्माण हेतु 7 5% व वाहन क्रय हेतु 8.5% *ब्याज दर पर बैंकों व वित्तीय सस्थाओ से कर्ज लेने की व्यवस्था की है।*

सरकार को अल्प बचत से 2003-04 मे 4125 51 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं जो पिछले साल से 21.4% अधिक हैं। यह सारी राशि राज्य को कर्ज के रूप में मिलेगी। सरकार को 2003-04 में बाह्य सहायता से अधिक राशि प्राप्त हुई। 2003-04 में राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों का 22 5% रहा, जो 2002-03 के 30 1% की तुलना में 7.6% बिन्दु कम था। इसके 5% बिन्दु कम होने पर केन्द्र से प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो राज्य को इस वर्ष 59 77 करोड़ रु. मिलेगी। अगले वर्ष भी सम्भवत: हमें 60 6 करोड़ रु की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, बशर्ते कि राजस्व-घाटा राजस्व-प्राप्तियो के अनुपात में 2004-05 में भी 5% कम हो जाय, जिसकी काफी सम्भावना लगती है। इस प्रकार राज्य की वित्तीय स्थिति कुछ सुधार की ओर है।

आधारभूत सुविधाओं का विकास—(i) **सड़कें**—राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार का प्रयास कर रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार को 960 करोड़ रु. की योजना दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 100 दिवस की कार्य-योजना के तहत काम जारी है। काफी गाँवों का सम्पर्क सड़कों से जोडा गया है। राजमार्गों, जिला सड़को, आदि का मानक स्तर के अनुसार काम किया जा रहा है। राज्य के छ: बड़े शहरों में एशियन विकास बैंक की सहायता से आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। **इसके दूसरे चरण में** *900 करोड़ रु के व्यय से 75 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पर्यटन व धार्मिक* दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शहरों मे आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जायगा। 'राजस्थान शहरी आधार ढाँचा वित्त व विकास निगम' गठित किया जायगा। शहरी सेवाओं के विकास के लिए मोहल्लेवार समितियों का गठन किया जायगा।

(ii) **विद्युत का विकास—ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 करोड़ रु. का निवेश लिग्नाइट आधारित योजना, गिराल तथा 120 करोड़ रु. का निवेश गैस परियोजना, धौलपुर में किया जाना प्रस्तावित है** । विद्युत-प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए 400 के.वी. जयपुर-मेड़ता-जोधपुर लाइन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त 400 के.वी. रतनगढ़-मेड़ता लिंक लाइन, 220 के.वी. के 4 तथा 132 के.वी. के 12 नये ग्रिड स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है । **विद्युत 'ट्रान्समिशन व डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज' (T & D Losses) को घटा कर 25% पर लाया जायगा । इसके लिए फीडरों पर नवीनीकरण (रिनोवेशन) किया जायगा** ।

(iii) **जल-संसाधन**—राज्य में जल का दोहन तेजी से हो रहा है । जल-संग्रह व जल के उचित संरक्षण की व्यवस्था बढ़ानी होगी । **सिंचाई परियोजनाओं के लिए 695.54 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है** । इसमें 100 करोड़ रु. नर्मदा परियोजना पर, 50 करोड़ रु. माही परियोजना पर, 72 करोड़ रु. गंगनहर के आधुनिकीकरण पर तथा 55 करोड़ रु. बीसलपुर परियोजना के लिए शामिल हैं । **इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना पर अलग से 177 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिससे 1.15 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करायी जायगी।**

वर्ष 2004-05 में छापी, पांचना व बेथली मध्यम तथा 35 लघु सिंचाई परियोजनाएँ पूरी की जायेगी । **इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना व नर्मदा परियोजना को भारत सरकार के सहयोग से आगामी 4 वर्षों में पूरा करने का प्रयास किया जायगा** ।

बनास नदी पर ईसरदा बाँध बनाने का प्रस्ताव है । इस वर्ष लघु सिंचाई परियोजनाओं पर 217 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित है । वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एनिकट्स, चैक-डैम, टैंक, खडीन, आदि के काम कराने होंगे । सिंचित क्षेत्रों में खालों का निर्माण-कार्य कराया जा रहा है । इस वर्ष सिद्धमुख नहर परियोजना पर सिंचित क्षेत्र विकास कार्य शुरू किया जायगा । भू-जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, खारापन आदि की समस्या के हल के प्रयास किये जा रहे हैं ।

अजमेर जिले की 'फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना' के लिए 26 करोड़ रु. का प्रावधान *किया गया है । जयपुर शहर के लिए बीसलपुर बाँध आधारित परियोजना को शुरू* **करने के लिए इस वर्ष 59 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है** । इसी वर्ष भीलवाड़ा-कांकरोलिया घाटी योजना, चूरू-बिसाऊ परियोजना, आरजीएलसी (द्वितीय चरण) जोधपुर परियोजना व उदयपुर की मानसी-वॉकल परियोजना को पूरा किया जायगा ।

31 मार्च, 2004 तक राज्य में 90972 निवासस्थानों (habitations) को जल-प्रदाय योजनाओं के तहत लाया जा चुका था । स्व-जल धारा योजना पर कार्य प्रगति पर है । जल प्रदाय की **'आपणी योजना'** चूरू व हनुमानगढ़ जिलो के 335 गाँवों में जन-सहयोग से काफी कारगर सिद्ध हुई है । इसमें पाइप लाइन के रख-रखाव का काम जन-समूह द्वारा किया जाता है ।

इस प्रकार बजट मे विभिन्न आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय के प्रावधान किये गये हैं ।

कर-प्रस्ताव (Tax-Proposals)

2004-05 के बजट में कर-प्रशासन के सरलीकरण का प्रयास किया गया है । इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय परिवर्तन इस प्रकार हैं ।

(1) बिक्री कर पर सरचार्ज तथा टर्न/ओवर टैक्स को समाप्त किया गया है । टैक्सटाइल, पेट्रोल तथा डीजल (ईंधन के रूप में प्रयोग को छोड़कर) पर लागू प्रवेश कर (entry tax) को भी समाप्त किया गया है । बिक्री कर की दरों का पुनर्निधारण किया गया है; जिनमें ज्यादातर प्रस्तावित दरों को वर्तमान दरों से नीचे वाले स्लैब में रखने का प्रयास किया गया है, जैसे पूर्व की 20.7% की जगह नई दर 20% रखी गयी है, लेकिन कहीं-कहीं आगे की समीप की स्लैब भी अपनायी गयी है, जैसे 49.45% की जगह 50% आदि । इससे हिसाब में आसानी होगी एवं उपभोक्ता को राहत मिलेगी ।

(2) कच्चे माल पर बिक्री-कर सरचार्ज सहित 3.45% हो जाता है जिसे घटा कर 3% किया गया है । डीजल पर लागू सरचार्ज, टर्नओवर टैक्स व प्रवेश कर समाप्त कर सीधे 20%, व पेट्रोल पर सीधे 28% बिक्री कर लगाना प्रस्तावित है ।

(3) प्रवेश कर केवल तीन श्रेणियों पर रहेगा; यथा, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरोपित वस्तुओं पर, औद्योगिक इकाइयो के उपयोग के ईंधन पर तथा राज्य के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए ।

(4) राज्य के व्यवहारियों की स्वकर निर्धारण में फार्म 5-ए, 5-बी व 5-सी भरने होते हैं जिन्हें छोटा व सरल किया गया है और केवल 5.% की रैण्डम सेम्पल आधार पर चैकिंग होगी । जिन व्यवसायियों ने गत वर्ष से कम से कम 16% अधिक कर जमा कराया है, उन्हें **'गोल्ड कार्ड योजना'** के तहत विशेष सुविधा दी जायगी । वाणिज्यिक कर विभाग मे लंबित अपीलों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे । निस्तारण के लिए व्यवसायी को ब्याज व पेनल्टी की छूट दी जायेगी, बशर्ते कि वह न्यायालय से अपनी अपील वापस ले ले, और मूल कर को तीन वर्षों में किस्तों में जमा करा दे । व्यवहारियों को घोषणा पत्र विभाग में जमा कराने में राहत दी गयी है । इनको रिफण्ड का भुगतान शीघ्र कराने की व्यवस्था की जायगी । बिक्री कर विलम्ब से जमा कराने पर ब्याज की दर 18% से घटाकर 12% तथा रिफण्ड के समय दिये जाने वाले ब्याज की दर भी 8% से घटा कर 6% की गयी है । व्यवहारियों को अन्य कई प्रकार की सुविधाएँ दी गयी हैं ।

(5) जेम्स व ज्यूलरी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में घोषित प्रशमन (कर कम करने सम्बन्धी) योजना को परिवर्तित किया जा रहा है । जयपुर को पुन: बुलियन व्यापार का प्रमुख केन्द्र बनाया जायगा ।

(6) कृषकों को कई प्रकार की राहतें दी गई हैं; जैसे खल व तेल रहित खल को पूर्णतया कर मुक्त करना, ईसबगोल व जीरे पर मंडी कर घटाना (1.6% से 0.5%), वाटर पम्प सेटों व ऑयल इंजनों पर कर की दर 8% से घटाकर 4% करना, अन्य पम्पसेटों पर कर कम करना, जिप्सम पर कर 10% से घटा कर 4% करना, रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाओं, बीजों, कच्चे ऊन, वूल वेस्ट व टोप्स, आदि पर कर घटाया गया है ।

(7) गृहणियों को किराना, सूखे मेवों व बेबी फूड, पर कर कम देना होगा । सिलाई की मशीनों पर कर की दर 8% से 4% की गयी है । शर्बत, जैम, मुरब्बा आदि

पर कर घटाया गया है । **घरेलू गैस पर 3 रु. प्रति सिलेण्डर कीमत कम की गयी है । मिट्टी का तेल 15 पैसे प्रति लीटर सस्ता किया गया है** । खील व मुरमुरा कर मुक्त किया गया है ।

(8) औद्योगिक विकास व निर्यात प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं; **जैसे नये उद्योग के लिए प्लान्ट व मशीनरी की खरीद पर कर पूर्णतया समाप्त किया गया है** । कपड़े को प्रवेश-कर से मुक्त किया गया है, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, हैण्डपम्प निर्माण उद्योग, बिजली के तार व केबल्स उद्योग आदि पर कर भार कम किया गया है । खान के मिनरल बेस्ट को कर से पूर्णतया मुक्त किया गया है । ए सी प्रेशर पाइप, कुछ कन्डक्टर व ट्रांसफारमर्स, आयरन व स्टील इन्गट्स, प्लास्टिक के बोरों व खाली टीन के कनस्तरों पर 4% प्रवेश कर लगाया गया है, ताकि आयातित माल की प्रतिस्पर्द्धा से इन्हें बचाया जा सके । कागज को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है ।

निवेश नीति 2003 में संशोधन प्रस्तावित है । सम्बन्धित इकाई द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए उसकी ऋण की सीमा 50 लाख रु. से घटा कर 10 लाख रु. व भूमि व भवन में निवेश की सीमा 25 लाख रु. से घटा कर 10 लाख रु. की गयी है । कालीन उद्योग में हस्तनिर्मित कालीनों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए इन पर केन्द्रीय बिक्री पर समाप्त किया गया है ।

रुग्ण औद्योगिक इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए बिजली के बिलों के भुगतान में उद्यमी को सुविधा दी जायगी, उसको 5% ब्याज अनुदान (interest subsidy) देय होगा और विद्युत शुल्क में 50% की छूट 7 वर्षों के लिए दी जायगी । रीको व राजस्थान वित्त निगम की रुग्ण इकाई को भी ब्याज अनुदान व विद्युत-शुल्क में उपर्युक्त छूट मिल सकेगी ।

अधिकतम खुदरा मूल्य पर बिक्री कर लगाने के लिए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 में संशोधन किया जा रहा है । इससे राजकोष में आमदनी बढ़ेगी ।

(9) **पंजीयन व मुद्रांक शुल्क की दर 11% से घटा कर 8% की गयी है** । तीन या अधिक मंजिल के भवनों पर फ्लैट की प्रथम खरीद पर 8%, बाद में 5 वर्षों के पश्चात् प्रथम हस्तान्तरण पर 5%, द्वितीय हस्तान्तरण पर 4%, तृतीय व बाद के हस्तान्तरण पर 3% स्टाम्प शुल्क देय होगा । इससे करापवंचन पर अंकुश लगेगा ।

वाहन विक्रय प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प-शुल्क समाप्त किया गया है । 'पावर आफ अटार्नी' के माध्यम से अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय पर स्टाम्प कर 3% से घटा कर 2% किया गया है । स्टाम्प प्रकरणों के निस्तारण के लिए एक 'एमनेस्टी योजना' लागू की जायगी। पंजीयन व मुद्रांक शुल्क में कमी से जनता को काफी राहत मिलेगी । भूमि व भवन कर की 94 करोड़ रु. की बकाया राशि वसूल करने के लिए करदाताओं को राहत दी जायगी । **125 के वी व अधिक क्षमता के 'केप्टिव पावर जेनेरेशन सेट्स' द्वारा उत्पादित विद्युत पर 25 पैसे प्रति यूनिट विद्युत-शुल्क लगाया जायगा । इसकी आय से विद्युत वितरण कम्पनियों को सबवेन्ट का भुगतान किया जायगा ताकि वे केन्द्रीय कम्पनियों द्वारा कोयले व डीजल की मूल्य-वृद्धि का अतिरिक्त भार वहन कर सकें ।**

(10) पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए होटलों पर विलासिता कर 10% से घटा कर 8% किया गया है ।

इस प्रकार 2004-05 के बजट में कर-व्यवस्था को सरल व प्रभावी बनाने का व्यापक रूप से प्रयास किया गया है । अब हम बजट की आलोचना से पूर्व इसके प्रमुख आँकड़ों पर दृष्टि डालते हैं ।

राज्य का बजट : एक नजर में (करोड़ रु. में) (दशमलव के एक स्थान तक)

मदें	2002-03 (वास्तविक) (Accounts)	2003-04 के संशोधित अनुमान (RE)	2004-05 के परिवर्तित बजट- अनुमान (modified BE)
(1) राजस्व-प्राप्तियों	13081.9	15703.1	17384.1
(2) राजस्व-व्यय	17015.8	19370.5	19588.2
(3) राजस्व खाते में घाटा	- 3933.9	- 3667.5	- 2204.2
(4) पूँजीगत प्राप्तियाँ (लोक लेखे की शुद्ध प्राप्तियों सहित)	18638.6	20201.1	18933.0
(5) पूँजीगत व्यय	14911.3	16816.0	17063.2
(6) पूँजीगत खाते का अधिशेष (surplus)	3727 3	3385.1	1869.8
(7) कुल बजट घाटा	- 206.5	- 282.4	- 334.4
(8) राजकोषीय घाटा	- 6114.0	- 7929 6	- 6810.9
(9) ब्याज की देनदारी	4300.1	4800.4	5166.4
(10) प्राथमिक घाटा (8-9)	- 1813.9	- 3129 2	- 1644.5
(11) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (चालू कीमतों पर)	85355	100094	(अभी उपलब्ध नहीं)
(12) राज्य पर बकाया कर्ज की राशि	45871	53509	59280
(13) राज्य का बकाया कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में (%)	53.7	53.5	(उपलब्ध नहीं)
(14) राजस्व घाटा/राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में (%)	4.6	3.7	" "
(15) राजकोषीय घाटा/राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में (%)	7.2	7.9	" "
(16) राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटे के अनुपात में (%)	64.3	46.3	32.4

[स्रोत : Budget At A glance (Modified) 2004-05, Economic Review 2003-04 & Debt tables, Finance Department, GOR, 2004.]

बजट की आलोचना

सकारात्मक पक्ष--स्वयं मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने यह कहा है कि इस बजट में विभिन्न करों को समाप्त करके, एक सरल एवं सुसंगत कर-व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया गया है । साथ में करों में रियायतों के फलस्वरूप वाणिज्यिक व व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से राजस्व में वृद्धि की संभावनाएँ व्यक्त की गयी हैं । बजट के कर-

प्रस्तावों से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और जनता को लाभ पहुँचेगा। इस सम्बन्ध में निम्न दिशाओं में प्रगति के आसार व्यक्त किये गये हैं—

(1) इस बजट में **समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया है।** जैसा कि बजट के विस्तृत विवरण से स्पष्ट होता है; आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए व्यय के प्रावधान किये गये हैं जो पिछले वर्ष से अधिक हैं। यह पिछले वर्षों के बजटों की भी शैली रही है और उसी परम्परागत शैली को दोहराते हुए इसमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत, सिंचाई व जल-पूर्ति, पर्यटन, समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण, आदि पर व्यय की राशि बढ़ायी गयी है ताकि राज्य में चहुँमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बालिकाओं, आदि की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है।

(2) बजट में स्पष्टतया वार्षिक योजना के आकार को बढ़ाने की नीति पर बल दिया गया है। 2004-05 के लिए योजना का आकार लगभग 7031 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष के प्रस्तावित आकार से 1527 करोड़ रु. अधिक है। **इस प्रकार सरकार 'बड़ी व सशक्त वार्षिक व पंचवर्षीय योजना' की पक्षधर है ताकि राज्य को तीव्र विकास के पथ पर डाला जा सके।**

(3) **बजट में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने के लिए श्रम-गहन आर्थिक क्रियाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है;** जैसे खनन व खनिज आधारित उद्योग, खादी व ग्रामीण उद्योग, पर्यटन, विविधतापूर्ण कृषिगत विकास, पशुधन का विकास, आदि। **पिछड़ी अनुसूचित जन-जातियों के लिए एक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने का कार्यक्रम सराहनीय माना जा सकता है।** इससे सहरिया जनजाति व कथौड़ी जनजाति के लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा।

(4) बजट में कृषि के विकास के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं; जैसे ऋणों में 30% की वृद्धि करना, फसल-बीमा का दायरा बढ़ाना, दुर्घटना ग्रस्त होने पर कृषक के लिए मुआवजे की व्यवस्था करना, किसान-क्रेडिट-कार्ड सभी पात्र कृषकों को उपलब्ध कराना, दवा सम्बन्धी पौधों, फल-सब्जी आदि का विकास करना, आदि।

(5) राज्य में औद्योगिक विकास के लिए कई प्रकार की नीतियाँ घोषित की गयी हैं जिनका लाभ लघु उद्योगों को मिलेगा। बुनकरो के लिए कार्यशील पूँजी को जुटाने की नीति घोषित की गई है। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों को कई प्रकार की रियायतें दी गयी हैं; जैसे बिजली के बिलों को चुकाने में रियायतें, ब्याज पर सब्सिडी देना आदि।

(6) बजट में **राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट-प्रबंधन विधेयक के माध्यम से राज्य के राजस्व घाटे को 5-7 वर्ष में शून्य पर लाने व राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयास सामयिक हैं और सराहनीय हैं।** कर्ज की अदला-बदली (debt-swap) की नीति को लागू करना भी उत्तम सिद्ध होगा। सरकार राजस्व-घाटे को राजस्व-प्राप्तियों के अनुपात में प्रति वर्ष 5% की कमी करके केन्द्र से 'प्रेरणा-राशि' प्राप्त करने का भी भरपूर प्रयास कर रही है। राजस्व-घाटा राजकोषीय घाटे के अनुपात में 2004-05 में 32% रखा गया है, जो 2002-03 की तुलना में प्रतिशत की दृष्टि से आधा है। यह एक उचित परिवर्तन है। **इस प्रकार इस बजट में सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का संकल्प व्यक्त किया**

है । बिक्री करों, प्रवेश-कर, टर्नओवर कर, आदि में उचित फेर-बदल करके राज्य में उद्योग व वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया है जिससे इस बजट की व्यापारिक क्षेत्रों में काफी सराहना हुई है । राज्य में राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है ।

इस प्रकार इस बजट में आर्थिक विकास व सामाजिक विकास दोनों पर संतुलित रूप से ध्यान देने का प्रयास किया गया है । वित्तीय साधनों के अभाव की स्थिति में भी विकास की प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया गया है । यदि बजट में प्रस्तावित कार्यक्रमो को पूरी तरह लागू किया जाय तो निश्चित रूप से राज्य का आर्थिक-सामाजिक विकास होगा ।

बजट के कमजोर बिन्दु

परिवर्तित बजट 2004-05 में जो घोषणाएँ व कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये हैं, उनको व्यवहार में लागू करना कठिन होगा । इस सम्बन्ध में दो प्रकार की दिक्कतें सामने आ सकती हैं, एक तो वित्तीय साधनों के अभाव की और दूसरी आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव की । इसलिए प्रत्येक घोषणा व कार्यक्रम की लागत का आकलन कराया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी और इसकी व्यवस्था कैसे की जायगी । सरकार इस सम्बन्ध में सचेष्ट प्रतीत होती है । भूतकाल मे भी प्रत्येक वार्षिक बजट में कई प्रकार के कार्यक्रम घोषित किये गये, लेकिन उनके क्रियान्वयन को प्रगति की कोई सूचना नहीं मिली । इसलिए बेहतर यह होगा कि अगले वर्ष 2005-06 के बजट में कुछ पृष्ठों में 2004-05 के बजट के कार्यक्रमो की प्रगति का विवरण दिया जाय, उपलब्धियों व कमियों को स्पष्ट किया जाय और पूरी समीक्षा की जाय ताकि बजट के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ सके । अभी तक काफी लोग बजट को आंकड़ों का एक वार्षिक मायाजाल मानते हैं जिसे शीघ्र ही भुला दिया जाता है ।

2004-05 के बजट में भी राजस्थान के अधिकांश राजकोषीय संकेतक चिंता की दशा को ही प्रकट करते हैं । इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं ।

(1) राज्य का बकाया कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2002-03 व 2003-04 में लगभग 53-54 प्रतिशत है, जो इस सम्बन्ध में नॉर्म का प्रतिशत की दृष्टि दुगुना बैठता है जो चिंता का कारण है । इसलिए राज्य कर्ज के जाल में फँसता जा रहा है, और 'डेट-स्वाप' से भी इसका कोई पर्याप्त हल होता नहीं दिखायी देता ।

(2) राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2003-04 के संशोधित अनुमानों में लगभग 7.9% है जो काफी ऊँचा है । **जब तक राज्य की GDP में तेज गति से वृद्धि नहीं होती और राज्य की उधार पर निर्भरता कम नहीं होती तब तक इसको घटा सकना कठिन होगा ।**

(3) राज्य पर ब्याज की देनदारी 2004-05 में लगभग 5166 करोड़ रु. आंकी गयी है जो राजस्व घाटे से भी अधिक है । राज्य में पूँजीगत व्यय भी कम है जिससे विकास में बाधा पहुँचती है । अभी तक राज्य की वित्तीय स्थिति मे सुधार के स्थायी चिह्न प्रगट नहीं हो पाये हैं । इसलिए राज्य को आगामी वर्षों में विकास की गति को तेज करने, राजस्व में वृद्धि करने तथा अनावश्यक व्यय को कम करने की दिशा में काफी प्रयास करने होंगे ।

(4) बजट में मूल्य-संवर्द्धित कर (VAT) का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि इसे विभिन्न राज्यों में 1 अप्रेल, 2005 से लागू करने का निर्णय लिया गया है । **वैसे बजट में घोषित कर-प्रस्तावों से ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत कुछ वैट के आगमन को ध्यान में रखते हुए ही पहले से बिक्री-कर, प्रवेश कर, टर्न ओवर टैक्स आदि में कई प्रकार के परिवर्तन किये हैं ।** लेकिन फिर भी भ्रम का निवारण करने के लिए सरकार को वैट लगाने की अपनी तैयारी दर्शानी चाहिए ।

(5) 2004-05 के बजट में अतिरिक्त साधन-संग्रह के लिए कोई लक्ष्य घोषित नहीं किया गया है । विकास पर व्यय के साथ-साथ साधन जुटाना भी आवश्यक माना गया है । **अतिरिक्त साधन-संग्रह के पक्ष पर 2004-05 का बजट कमजोर माना जा सकता है** ।

(6) 2004 में राज्य में अकाल व सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य पर अकाल सहायता का भारी भार आने की आशंका उत्पन्न हो गयी है । **ऐसी स्थिति में सरकार को गम्भीर वित्तीय स्थिति से जूझना पड़ सकता है** ।

सारांश में यह कहा जा सकता है कि 2004-05 का बजट सरकार के उत्तम व नेक इरादों को जाहिर करता है । लेकिन इसके क्रियान्वयन पर प्रश्न-चिह्न लगा है, और एक वर्ष बाद ही असली वस्तु स्थिति सामने आ पायेगी ।

(New Investment Policy of the State Government, 27 June, 2003)

राज्य सरकार ने राजस्थान में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई-निवेश नीति घोषित की थी जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(i) नये निवेश पर **विलासिता-कर (luxury-tax) में शत-प्रतिशत की छूट दी गई है** ।

(ii) स्टाम्प ड्यूटी व रूपान्तरण-शुल्क में 50% की छूट दी गई है ।

(iii) आधारभूत ढांचे के लिए हर साल 100 करोड़ रु. खर्च करने का प्रावधान बजट में किया जायगा जो वर्ष 2007 तक जारी रहेगा । इससे राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास को मदद मिलेगी । इसके फलस्वरूप राज्य में आधारभूत ढांचे की कमियाँ दूर हो सकेंगी ।

(iv) नये निवेश पर विद्युत कर, मण्डी कर व मनोरंजन कर पर भी सात साल के लिए 50% छूट के अतिरिक्त ब्याज-अनुदान (Interest subsidy) को 2% से बढ़ाकर 5% करने का प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जाति व जनजाति के निवेशकों के लिए 1% का अतिरिक्त ब्याज-अनुदान उपलब्ध होगा । यह छूट उन उपक्रमों के लिए होगी जिनके लिए कम से कम 50 लाख रु. का ऋण लिया गया हो, अथवा 25 लाख रु. का निवेश भूमि व भवन मे किया गया है । 2004-05 के परिवर्तित बजट में ऋण व भूमि व भवन मे किये जाने वाले *निवेशों की सीमा घटाकर प्रत्येक के लिए 10 लाख रु. कर दी गयी है* । इससे निवेश के लिए लघु उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा ।

(v) नई निवेश नीति में **रोजगार-सब्सिडी (Employment-subsidy) का प्रावधान** किया गया है । यह नियमित श्रमिकों पर किये गये व्यय पर 25% सात साल तक मिलेगी । *जहाँ निवेशक द्वारा ब्याज-अनुदान नहीं लिया जा रहा है वहाँ 30% तक सब्सिडी* मिलेगी ।

(vi) **ब्याज व रोजगार-सब्सिडी निवेशक द्वारा दिये जा रहे बिक्री कर व वैट आदि के 50% की सीमा तक निवेशक द्वारा कम से कम 10 लोगों को रोजगार देने पर ही दी जायेगी** । इस सम्बन्ध मे एक माह के अन्दर भुगतान नहीं देने पर पाँच प्रतिशत ब्याज का प्रावधान है ।

(vii) सरकार जयपुर में 'रत्न व जवाहरात' के लिए, जोधपुर में 'दस्तकारी' के लिए तथा बीकानेर में 'ऊनी गलीचों' पर आधारित उद्योगों के लिए विशिष्ट-आर्थिक-क्षेत्र (Special economic zones) (SEZs) स्थापित करेगी, तथा सीतापुर (जयपुर), बोरानाडा

(जोधपुर) व नीमराणा (अलवर) में निर्यात-संवर्धन-औद्योगिक-पार्क (EPIP) भी विकसित करेगी ।

सरकार की नई निवेश नीति का उद्देश्य राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा देना है ताकि रोजगार, उत्पादन, आमदनी व विकास में मदद मिल सके । इस नीति की सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन व उद्यमियों के सहयोग पर निर्भर करेगी । सरकार ने पहले पूँजीगत-सब्सिडी का प्रयोग किया है; और बाद में ब्याज-सब्सिडी का प्रयोग किया है और अब रोजगार-सब्सिडी में इसका प्रयोग किया जा रहा है ।

आर्थिक विश्लेषकों को पूर्व सब्सिडी के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करके नई नीति के सम्भावित प्रभावों की व्यापक रूप से चर्चा करनी चाहिए ताकि राज्य में निवेश-संवर्धन का सही मार्ग प्रशस्त हो सके ।

राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ठोस सुझाव

राज्य पर निरन्तर बढ़ते कर्ज व ब्याज की देनदारी तथा बजट-घाटे की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए एक नई मध्यमकालीन राजकोषीय नीति (medium term fiscal policy) लागू करनी होगी, जिसकी सरल रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है । 2004-2005 के बजट में राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधरने के लिए कुछ नए व प्रभावी दिशा-निर्देश दिये जाते तो बेहतर होता । **यह एक परम्परागत किस्म का ही बजट है, जिसमें बजट-सम्बन्धी प्रचलित नीतियों व दृष्टिकोणों को ही जारी रखा गया है, जिनसे किसी भारी आर्थिक-सामाजिक बदलाव की आशा नहीं की जा सकती ।** राज्य सरकार को निम्न समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ नई शुरूआतें करनी थीं, जो बजट में नहीं की गई हैं । उदाहरण के लिए, राज्य में राजस्व घाटा राजकोषीय घाट का 2002-2003 में 64.3% था, जो राजकोषीय घाटे की नीची गुणवत्ता को सूचित करता है; क्योंकि राजकोषीय घाटे की 64% राशि राजस्व घाटे की पूर्ति में लगाई गई थी । राज्य में पूँजीगत निवेश या परिव्यय की राशि 2002-2003 में 2028 करोड़ रुपये आँकी गयी थी जो राजकोषीय घाटे का लगभग 1/3 थी । वार्षिक पूँजीगत निवेश (Capital outlay) की राशि राजस्व घाटे से भी नीची बैठती है । लेकिन 2003-04 के सं.अ. में तथा 2004-05 के बजट-अनुमानों मे पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि का प्रयास दर्शाया गया है जो एक अच्छी प्रवृति का सूचक है । **अतः राज्य को आगामी वर्षों में निम्न दशाओं में प्रयास करने होंगे ताकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, वर्ष 2007 में, राज्य वित्तीय संकट से मुक्त हो सके**[1]—

(1) राज्य को कर्ज की अदला-बदली (debt-swap) की केन्द्र की योजना का लाभ उठाना चाहिए जिसके तहत पूर्व में ऊँचे ब्याज पर लिये गये कर्ज की राशियों को कम ब्याज पर नये कर्जों में बदलने की व्यवस्था की जाती है ।

(2) राज्य सरकार को एक 'रोलिंग-राजकोषीय-योजना' (Rolling Fiscal Plan), बनानी चाहिए जिसमें कुछ मान्यताओं के आधार पर राजस्व-बढ़ाने व व्यय को सीमित करते हुए राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 1/2% प्रति वर्ष घटाने का प्रयास किया जाय, ताकि आगे चलकर इसे शून्य पर लाया जा सके ।

---

1. लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, **कैसे सुधरे राज्य की वित्तीय स्थिति ?** दैनिक भास्कर, 10 अप्रैल, 2002 तथा दूसरा लेख : **गहराते वित्तीय संकट को दूर करने पर शीघ्र ध्यान दें**, नफा-नुकसान, 31 मई, 2004.

इसके लिए प्रत्येक वर्ष एक नया पंचवर्षीय नक्शा बनाया जाना चाहिए जिसमें नये तथ्यों के आधार पर लक्ष्यों का पुनर्निधारण किया जा सके । इसी मार्ग पर चलकर आगामी वर्षों में राजकोषीय घाटे को कम करना तथा कर्ज की देनदारी को नियंत्रित करना सम्भव हो सकेगा । इसे राजकोषीय-उत्तरदायित्व व बजट-प्रबन्धन योजना के तहत लिया जा सकता है ।

(3) राज्य सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में भारी सुधार करना होगा । इसके लिए राजसिंह निर्वाण समिति की सिफारिशों को अमल में लाना होगा और सार्वजनिक उपक्रमों में परस्पर एकीकरण, इनकी निजी क्षेत्र को सीधी बिक्री व आवश्यकता पड़ने पर निरंतर घाटा उठाने वाली इकाइयों को बंद करने की दिशा में जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे ।

(4) सरकार को अवांछित या गैर-मेरिट सब्सिडी को कम करने के लिए सघन अभियान चलाना चाहिए ताकि सरकारी खर्च पर अंकुश लगाया जा सके । इस प्रकार की सब्सिडी का लाभ समाज के एक विशेष वर्ग को ही मिल पाता है, सारे समाज को नहीं । सार्वजनिक वित्त व नीति के राष्ट्रीय संस्थान (NIPFP), नई दिल्ली ने 1998-99 के लिए विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध मे मेरिट व गैर-मेरिट सब्सिडी के आँकड़े प्रकाशित किये हैं । उनके आधार पर गैर-मेरिट सब्सिडी को घटाने की दिशा में कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए ।

(5) चूँकि सार्वजनिक निवेश की मात्रा सीमित है, इसलिए राज्य सरकार को देशी व विदेशी निजी निवेश को प्रोत्साहन व प्रेरणा देकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में तेज गति से वृद्धि करनी चाहिए, जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सके और आगे चलकर बजट-घाटे कम किए जा सकें । राज्य में पर्यटन, दस्तकारी, पशुधन, खनन, निर्माण, आदि के विकास की सम्भावनाओं का पर्याप्त लाभ उठाया जाना चाहिए ।

(6) वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए राजस्व-संग्रहण व व्यय-परिसीमन पर अधिक विस्तार से विचार किया जाना चाहिए ।

(7) पूँजीगत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करके उनसे पर्याप्त मात्रा में प्रतिफल प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए । सीएजी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2002 के अंत मे 300 अपूर्ण प्रोजेक्टों में 1760 करोड़ रु. की पूँजी रुकी पड़ी है, जिसमें कई वर्षों से परियोजनाएँ अधूरी पड़ी हैं । उनको पूरा करने से प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं ।

(8) राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए राज्य के विशेषतया खनिज-साधनों का सबसे बड़े स्तर पर विदोहन का प्रयास किया जाना चाहिए । राज्य के प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी ग्यारहवीं रिपोर्ट में गैस, लिग्नाइट व पेट्रोल के भण्डारों का उपयोग करके राज्य में विद्युत की क्षमता बढ़ाने व सरकारी राजस्व बढ़ाने का सुझाव दिया है । उस पर शीघ्रतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि इसमें अनावश्यक विलम्ब हो जाए जिससे हमारे हितों को क्षति पहुँचे। राज्य को ऊँची विकास-दर प्राप्त करने की योजना बनानी चाहिए और उसे कार्यान्वित करना चाहिए । इसमें निजी निवेश की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए ।

वर्तमान में देश में केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय संकट गहराता जा रहा है । अत: उचित नीतियाँ अपनाकर आगामी दस वर्षों में स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने की कोशिश की जानी चाहिए ।

परिशिष्ट-1 (Appendix-1)

राजस्थान का सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit), (GFD) 1993-94 से 2004-05 (बजट-अनुमानों) तक[1]

(अ) सकल राजकोषीय घाटे के विभिन्न अंग (Decomposition)

(करोड़ रु.)

वर्ष	राजस्व-अधिशेष (-) तथा राजस्व-घाटा (+)	पूँजीगत परिव्यय*	शुद्ध उधार**	सकल राजकोषीय घाटा (GFD)
1993-94	300.7	782 6	386 8	1470.1
1994-95	424 8	1060.6	277 3	1762.7
1995-96	701 8	1757 5	115 0	2574.3
1996-97	865.9	1658 0	-17.4	2506.5
1997-98	581.8	2507 0	-536 8	2552.0
1998-99	2996 3	1792 0	362 6	5150.9
1999-2000	3639 9	1517 3	204.0	5361 2
2000-2001	2633 6	1384 1	295.6	4313 2
2001-2002	3795 7	1817 8	134 9	5748 4
2002-2003	3933.9	2027.5	152.6	6114 0
2003-2004 (संशोधित अनुमान)	3667.5	3440 1	822 0	7929 6
2004-2005 (बजट-अनुमान)	2204 2	4173 3	433.5	6810 9

* पूँजीगत परिव्यय पूँजीगत वितरण की राशियों का एक अंश होता है और इसमें विकास-व्यय (सामाजिक व आर्थिक सेवाओ पर) तथा सामान्य सेवाओं पर गैर-विकास व्यय शामिल होता है ।

** शुद्ध उधार में राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जों व अग्रिम राशियों में से उसके द्वारा कर्ज की रिकवरी घटाने से प्राप्त राशि आती है ।

---

1 राजकोषीय घाटे की गणना की विधि के लिए व आँकड़ो के लिए **State Finances : A Study of Budgets of 2003-04, RBI, April 2004** व इसके पूर्व अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए । देखिए : राजस्थान का राजकोषीय घाटा-क्या सही, क्या गलत ? मेरा लेख राजस्थान पत्रिका, 11 अप्रैल, 2000

(ब) सकल राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था (Financing) का रूप

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्र से प्राप्त कर्ज (शुद्ध)	राज्य की स्वयं की पूँजीगत प्राप्तियाँ*	समग्र बचत (−) घाटा (+)	सकल राजकोषीय घाटा
1993-94	463.0	878.6	128.4	1470 0
1994-95	694.2	1124 6	(-) 56.1	1762.7
1995-96	856.1	1515.3	202.9	2574 3
1996-97	926 3	1701.6	- 121.4	2506.5
1997-98	1115.3	1394 6	42 1	2552.0
1998-99	1615 2	3276 8	258.9	5150.9
1999-2000	2546.9	3309.9	- 495 6	5361.2
2000-2001	2224.6	1909.3	179.3	4313 2
2001-2002	2945 9	2893 4	(-) 90.8	5748 4
2002-2003	3045.6	2861.9	206 5	6114 0
2003-2004 (संशोधित अनुमान)	3347.7	4299 5	282 4	7929.6
2004-2005 (बजट-अनुमान) (परिवर्तित)	2527.5	3949 0	334 4	6810.9

* निम्नलिखित मदों को कुल पूँजीगत प्राप्तियों में से घटाने पर

(i) केन्द्र से प्राप्त कर्ज व अग्रिम राशियाँ (सकल) (इसमें अल्प बचतों का अंश शामिल होता है)

(ii) राज्य के द्वारा कर्ज व अग्रिम राशियों की रिकवरी,

(iii) **आन्तरिक कर्ज की वापसी** (Discharge) (आन्तरिक कर्ज में बाजार ऋण, जीवन बीमा निगम से कर्ज, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), आदि से प्राप्त कर्ज शामिल होता है) ।

दूसरे शब्दों मे, इसमें केन्द्र से प्राप्त कर्जों की वापसी (Discharge) को छोड़कर राज्यस्तरीय सार्वजनिक कर्ज की वापसी शामिल होती है ।

(स) सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पत्ति के अनुपात के रूप में

(करोड़ रु.)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा (GFD)	सकल राज्य घरेलू उत्पत्ति (GSDP) (चालू मूल्यों पर) (संशोधित)	$\frac{GFD}{GSDP} \times 100 = \frac{(2)}{(3)} \times 100$
(1)	(2) (करोड़ रु.)	(3) (करोड़ रु.)	(4) (% में)
1993-94	1470	32970	4.5
1994-95	1763	41487	4 2
1995-96	2574	47313	5 4
1996-97	2507	57516	4.3
1997-98	2552	64061	4.0
1998-99	5151	73118	7 0
1999-2000	5361	78481	6.8
2000-2001	4313	79600	5 4
2001-2002	5748	89727	6.4
2002-2003	6114	85355	7 2
2003-2004 (सं.अं.)	7930	100094	7 9

स्रोत : (i) परिवर्तित आय-व्ययक अध्ययन 2004-2005, जुलाई 2004 व पूर्व वर्षों के प्रपत्र,

(ii) परिवर्तित आय-व्ययक एक दृष्टि में 2004-2005, जुलाई 2004 व पूर्व वर्षों के प्रपत्र,

(iii) परिवर्तित बजट-भाषण, मुख्यमंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे, 12 जुलाई, 2004,

(iv) लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, **बजट तथा राज्य की वित्तीय स्थिति**, राजस्थान पत्रिका, 18 अप्रैल व 19 अप्रैल, 2000, राज्य-बजट 2001-2002 को दिशा क्या हो ? राजस्थान पत्रिका, 27 मार्च, 2001, पृ. 9.

(v) लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, **राजस्थान का राजकोषीय घाटा-क्या सही, क्या गलत**, राजस्थान पत्रिका, 11 अप्रैल, 2000.

(vi) लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, **कैसे सुधरे राज्य की वित्तीय स्थिति ?** दैनिक भास्कर 10 अप्रैल, 2002.

(vii) लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, **गहराते वित्तीय संकट को दूर करने पर शीघ्र ध्यान दें**, नफा-नुकसान, 31 मई, 2004.

प्रश्न

1. राजस्थान को सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है ?
   (अ) मनोरंजन कर्ज
   (ब) केन्द्र के उत्पाद-शुल्क में हिस्से के रूप में
   (स) केन्द्र से व्यक्तिगत आयकर में हिस्से के रूप में
   (द) बिक्री-कर (द)
2. राज्य में बकाया कर्ज की राशि के 31 मार्च, 2005 के अन्त तक लगभग कितनी हो जाने का अनुमान है ?
   (अ) 41 हजार करोड़ रु. (ब) 36 हजार करोड़ रु.
   (स) 59.3 हजार करोड़ रु. (द) 58.8 करोड़ रु. (स)
3. राज्य पर बकाया कर्ज की राशि के बढ़ने का प्रमुख कारण छाँटिए—
   (अ) राजस्व घाटे का लगातार बने रहना
   (ब) बजट में समग्र घाटे का सदैव रहना
   (स) राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक रहना
   (द) सदैव राजकोषीय घाटे का रहना (द)
4. योजना का आकार कैसा होना चाहिए ?
   (अ) बड़ा (ब) छोटा
   (स) साधनों की प्राप्ति के अनुकूल (द) इनमें से कोई नहीं (स)
5. पिछले वर्षों में राजस्थान में वित्तीय संकट का प्रमुख कारण बताइए—
   (अ) राजकीय कर्मचारियों को प्रत्येक 9 वर्ष बाद तीन बार प्रोमोशन की स्कीम
   (ब) पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर
   (स) योजनाओं का आकार बड़ा रखने के कारण
   (द) सब्सिडी का असहनीय भार
   (ए) किसानों को कम दर पर विद्युत की उपलब्धि करना (ब)
6. विकास-व्यय व गैर-विकास व्यय में अन्तर करिए ।

   (**उत्तर—संकेत : विकास-व्यय सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं पर किया जाता है; जबकि गैर-विकास व्यय केवल सामान्य सेवाओं पर किया जाता है ।** सामाजिक सेवाओं मे शिक्षा, चिकित्सा, जलापूर्ति, शहरी विकास, आदि आते हैं; तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण आदि आते हैं । **सामान्य सेवाओं** में राज्य के अंगों (organs of the state) पर व्यय, (विधानसभा, मन्त्रिपरिषद्, न्याय-प्रशासन, निर्वाचन-सहित) कर-वसूली व्यय, ब्याज की देनदारी, प्रशासनिक सेवाएँ, पेंशन, सहायतार्थ अनुदान, आदि आते हैं ।

राजस्थान में 2004-2005 के बजट-अनुमानों में विकास-व्यय कुल व्यय का 56% अनुमानित है । दोनों प्रकार के व्ययों का विभाजन राजस्व, पूँजी व ऋण की श्रेणियों में भी किया जाता है ।)

7. राज्य में बकाया कर्ज राज्य की सकल घरेलू उत्पाद का 31 मार्च, 2004 के अन्त में लगभग कितना अंश हो गया था ?

   (अ) 53% (ब) 46%

   (स) 44% (द) 50% (अ)

8. राज्य का स्वयं का कर-राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बढ़ा—(1990-91 से 2000-2001 तक)

   (अ) 5% से 10% (ब) 5.9% से 6.9%

   (स) 6.7% से 7.3% (द) इनमें से कोई नहीं (ब)

9. प्रचलित कीमतों पर राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति 2002-03 में 1993-94 की तुलना में लगभग कितनी गुनी हो गई ?

   (अ) 3.7 गुनी (ब) 1.7 गुनी

   (स) 2.6 गुनी (द) 4.7 गुनी (स)

(स्रोत : Economic Review 2003-04, table 11, at the end)

विभिन्न वित्त आयोग, गाडगिल फार्मूला व राजस्थान की वित्तीय स्थिति

(Different Finance Commissions, Gadgil Formula and Rajasthan Finances)

प्राय: प्रत्येक पाँच वर्ष बाद भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत एक नए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है—

(अ) जो कर केन्द्र व राज्यों के बीच अनिवार्यत: विभाजनीय हैं (जैसे व्यक्तिगत आयकर), अथवा विभाजनीय हो सकते हैं (जैसे संघीय उत्पादन-शुल्क), उनकी शुद्ध प्राप्तियों का केन्द्र व राज्यों के बीच वितरण निर्धारित करना तथा अलग-अलग अंश निर्धारित करना।

(आ) राज्यों के राजस्व-सम्बन्धी सहायतार्थ अनुदान की राशि (grants-in-aid) के सिद्धान्त निर्धारित करना, तथा

(इ) सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य किसी विषय पर केन्द्र के निर्देश पर विचार करना।

अब तक दस वित्त आयोगों की रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री कृष्णचन्द्र पंत थे। इसकी रिपोर्ट (1995-2000) की अवधि के लिए राष्ट्रपति को 26 नवम्बर, 1994 को प्रस्तुत की गई थी। इस पर सरकार द्वारा कार्यवाई की घोषणा मार्च 1995 में की गई। ग्यारहवाँ वित्त आयोग डॉ. ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में जुलाई 1998 के प्रथम सप्ताह में गठित किया गया है। इसे अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1999 तक प्रस्तुत करनी थी। लेकिन इसकी अन्तरिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को 15 जनवरी 2000 को प्रस्तुत की गयी जिसमें 2000-2001 के लिए प्रारम्भिक व्यवस्थाएँ सुझाई गईं। इसकी मुख्य रिपोर्ट (main report) (2000-2005 के

लिए) राष्ट्रपति को 7 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई तथा एक पूरक-रिपोर्ट अतिरिक्त विचारणीय विषय (Additional Term of Reference) पर 30 अगस्त 2000 को प्रस्तुत की गई जिन पर अगले अध्याय में सविस्तार चर्चा की गई है।

वित्त आयोग के कार्यों के सम्बन्ध में संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार है—

***(i)* संविधान की धारा 270 के अधीन आयकर में राज्यों की हिस्सेदारी अनिवार्य मानी जाती है।** प्रथम वित्त आयोग ने आयकर को शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 55% रखा था, जिसके वितरण का आधार 80% जनसंख्या व 20% वसूली रखा गया था। दसवें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 77.5% सुझाया था जिसका वितरण विभिन्न *राज्यों के बीच पाँच आधारों पर इस प्रकार रखा गया—20%, 1971 की जनसंख्या के* आधार पर; 60% प्रति व्यक्ति आय की दूरी के आधार पर, 5% 'समायोजित क्षेत्रफल' (area adjusted) के आधार पर, 5% आधार-ढाँचे के सूचकांक के आधार पर, तथा 10% कर-प्रयास के आधार पर किया गया। इनका आगे चलकर विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण किया गया है।

राजस्थान का अंश आयकर की विभाज्य आय में प्रथम वित्त आयोग, 1952 की रिपोर्ट के अनुसार 3.50% से बढ़ाकर दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में 5.551% कर दिया गया।

***(ii)* संविधान की धारा 272 के अन्तर्गत संघीय उत्पादन-शुल्क** की आय में राज्यों को हिस्सा दिया जाता है, हालांकि यह बँटवारा ऐच्छिक माना जाता है, अनिवार्य नहीं। इसकी स्थिति भी प्रथम वित्त आयोग से नवें वित्त आयोग तक काफी बदल गई है। प्रथम वित्त आयोग ने केवल तीन वस्तुओं—तम्बाकू, माचिस व वनस्पति-पदार्थों की शुद्ध प्राप्तियों का 40% पूर्णतया जनसंख्या के आधार पर राज्यों में वितरित करने का प्रावधान किया था। **दसवें वित्त आयोग ने संघीय उत्पादन-शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का 47.5% राज्यों में वितरण हेतु सुझाया था। इसमें से 40%** का वितरण उसी आधार **पर किया गया जिस पर आयकर की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण की ऊपर सिफारिश की गई थी। शेष 7.5% का राज्यों में वितरण आयोग द्वारा सुझाए गए अंशों के अनुसार किया गया। इसका आधार राज्यों का वित्तीय घाटा (deficit) रखा गया था।**

राजस्थान का संघीय उत्पादन-शुल्क के राजस्व में अंश प्रथम वित्त आयोग के अनुसार 4.41% से बढ़ाकर दसवें वित्त आयोग के अनुसार 40% वाले हिस्से में 5.551% अंश रखा गया तथा 7.5% वाले हिस्से में से 1995-96 में राजस्थान को 0.835% अंश दिया गया तथा बाद के चार वर्षों के लिए राज्य का अंश शून्य रखा गया क्योंकि उस अवधि में राज्य के लिए घाटे की स्थिति नहीं मानी गई।

***(iii)* वस्त्र, चीनी व तम्बाकू पर लगे अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण**—द्वितीय वित्त आयोग, 1957, ने वस्त्र, चीनी व तम्बाकू पर पूर्व में लगे बिक्री-करों की एवज में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों को राज्यों में

वितरण की सिफारिश की थी, जिसे बाद में जारी रखा गया। इसके पहले प्रत्येक राज्य को एक निश्चित गारंटी-राशि के साथ-साथ बाकी बची राशि का निर्धारित प्रतिशत दिया जाता था। इस सम्बन्ध में दसवें वित्त आयोग ने राजस्थान का अंश 4 873% रखा।

***(iv)* रेल-यात्री किराए पर कर की एवज में अनुदान** (Grant in Lieu of Tax on Railway Passenger Fare)—भारत में रेल यात्री किराए पर कर सर्वप्रथम 1957 में लागू किया गया था, जो 1961 में समाप्त कर दिया गया। यह 1971 में पुन: लागू किया गया और 1973 में पुन: समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसकी एवज में राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई। 1961-62 से 1965-66 तक प्रतिवर्ष 12.50 करोड़ रुपये की एक-मुश्त राशि इस कर की समाप्ति की एवज में राज्यों में अनुदान के रूप में वितरित की गई। संविधान की धारा 282 के तहत तदर्थ अनुदान (ad hoc-grants) के रूप में 1966-67 से 1980-81 तक यह प्रति वर्ष 16 25 करोड़ रुपये रही। 1980-81 से 1983-84 तक 23 12 करोड़ रुपये रही, जिसे आठवें वित्त आयोग ने बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये तथा नवें वित्त आयोग ने 150 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (1990-95 के लिए) कर दिया और दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 की अवधि के लिए इसे बढ़ाकर 380 करोड़ रु. वार्षिक कर दिया, जिसमें राजस्थान का अंश 4 445% रखा गया।

***(v)* सहायतार्थ अनुदान** (grants-in-aid)—संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत राज्यों को राजस्व सम्बन्धी सहायतार्थ-अनुदान के भुगतान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए वित्त आयोग को यह पता करना होता है कि प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी जानी चाहिए ताकि केन्द्रीय करों में हिस्सा मिलने के बाद इसके राजस्व के अभाव की पूर्ति की जा सके।

राज्यों को राजस्व-सम्बन्धी सहायतार्थ-अनुदान निरन्तर मिलते रहे हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों को केन्द्रीय करों के हस्तान्तरण के पश्चात् रहने वाले गैर-योजना राजस्व घाटों की पूर्ति के लिए सहायतार्थ-अनुदानों की सिफारिश की जिसके अनुसार राजस्थान को 2000-2005 की अवधि में 1244 68 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त होगा।

***(vi)* अन्य सहायतार्थ-अनुदान**—ग्यारहवें वित्त आयोग ने 2000-2005 की अवधि के लिए समुन्नत-अनुदान (upgradation grants) (जिला-प्रशासन, शिक्षा) व विशेष समस्याओं के लिए, 299 85 करोड़ रु., स्थानीय निकायों के लिए (पंचायतों व नगर पालिकाओं दोनों को मिलाकर) 590 37 करोड़ रु. तथा राहत-व्यय के लिए 857.85 करोड़ रु. स्वीकृत किए थे। इस प्रकार उपर्युक्त 1244 68 करोड़ रु. की अनुदान-राशि सहित कुल सहायतार्थ-अनुदान राशि 2992 75 करोड़ रु. रखी गई थी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न वित्त आयोगों की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्थान को कुछ शुल्कों में तथा राजस्व सम्बन्धी सहायतार्थ-अनुदानों में हिस्सा मिलता रहा है। इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार के अनुदानों की व्यवस्था भी की गई है।

अब हम यह देखेंगे कि वित्त आयोगों के द्वारा राज्यों की तरफ किए गए कुल वित्तीय हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश कितना रहा है, और इसमें किस दिशा में परिवर्तन हुए हैं।

केन्द्र द्वारा राजस्थान की तरफ किए गए हस्तान्तरण (केन्द्रीय करों व शुल्कों में अंश व अनुदानों के रूप में)

1950-51 से 1955-56 तक छ: वर्षों में राजस्थान के पक्ष में हस्तान्तरण की कुल राशि 18 6 करोड़ रुपये रही जो कुल हस्तान्तरित राशि (715 7 करोड़ रुपये) का केवल 2 6% थी।[1] 1957-58 से 1960-61 तक के चार वर्षों में राज्य को हस्तान्तरित राशि लगभग 55 करोड़ रुपये रही, जो सभी राज्यों को हस्तान्तरित कुल राशि 1203 8 करोड़ रुपये का 4 57% थी।[2] बाद में 1961-62 से 1965-66 की अवधि में केन्द्रीय करों व अनुदानों से राज्य को कुल 123 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध हुई।[3] तत्पश्चात् विभिन्न वित्त आयोगों की रिपोर्टों के अनुसार केन्द्रीय हस्तान्तरणों में राजस्थान की स्थिति इस प्रकार रही।[4]

वित्त आयोग	राजस्थान के पक्ष में अंतरण (Devolution) (करोड़ रु.)	सभी राज्यों को कुल अन्तरित-राशि (करोड़ रु.)	राजस्थान का अंश (प्रतिशत में)
चतुर्थ (1966–71)	130 4	2885 9	4 52
पंचम (1969–74)	265 0*	5316 0	4 99
छठा (1974–79)	563 9	9603 9	5 87
सातवां (1979–84)	902 8	20843 0	4 33
आठवाँ (1984–89)	1676 2	39452 0	4 25
नवाँ (प्रथम रिपोर्ट) (1989–90)	651 3	13662 4	4 77
नवाँ (द्वितीय रिपोर्ट) (1990–95)	6525 6	106036 4	6 15
दसवाँ वित्त आयोग (1995–2000)	11400 87	226643 30	5 03
ग्यारहवाँ वित्त आयोग (2000–2005)	23588 63	434905 40	5 42

* वास्तविक

1 Report of the *First Finance Commission* 1952, p 190 and Report of the *Second Finance Commission*, 1957, pp 194-203
2 Report of the *Third Finance Commission* 1961, pp 104-107
3 Report of the *Fourth Finance Commission*, 1965, p 194
4 *Fifth Commission* 1969, p 224, *Sixth Commission* 1973, p 237 *Seventh Commission* 1978, p 110, *Eighth Commission*, 1984, p 96, *Ninth Commission (First report), July* 1988, p 53, -- 1 *Second Report December* 1989, p 29, and *Tenth Commission Report, Decem* 1994, p 53 Eleventh FC Report, June 2000, pp 98–99

तालिका से स्पष्ट होता है कि चतुर्थ वित्त आयोग से छठे वित्त आयोग तक राजस्थान का कुल हस्तान्तरणों में अंश 4 52% से बढ़कर 5 87% हो गया; तत्पश्चात् आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप यह घटकर 4 25% हो गया। उसके बाद नवें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार यह 1989-90 के लिए 4 77% और इसकी द्वितीय रिपोर्ट में 1990-95 की अवधि के लिए बढ़ा कर 6 15% कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप राजस्थान को केन्द्र से अधिक वित्तीय साधन हस्तान्तरित किए गए। ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुसार कुल हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश 5 42% आया, जो प्रतिशत की दृष्टि से दसवें वित्त आयोग के 5 03% से अधिक है तथा हस्तान्तरण की कुल निरपेक्ष राशि (absolute amount) भी पहले से काफी अधिक है।*

राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण
(Per Capita Resource Devolution for Rajasthan)

1971 की जनसंख्या को आधार मानते हुए राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण की तुलना सभी राज्यों की स्थिति से निम्न तालिका में की गई है।[1]—

वित्त आयोग का क्रम	राजस्थान (रुपयों में)	सभी राज्यों के लिए (रुपयों में)
पाँचवाँ	102 9	98 2
छठा	218 9	177 5
सातवाँ	350 4	384 9
आठवाँ	650 5	728 6
नवाँ (1990–95)	2529 3	1935 0

तालिका से पता चलता है कि पाँचवें, छठे व नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति साधन–हस्तान्तरण राजस्थान में भारत के औसत स्तर से ऊँचा रहा, लेकिन सातवें व आठवें वित्त आयोग के अनुसार यह राजस्थान में भारत के औसत से नीचा रहा। नवें वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान के लिए समस्त भारत के औसत स्तर से 31% ऊँचा रखा जो राज्य के हित में माना गया है।

---

* ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का सविस्तार विवेचन अगले अध्याय में दिया गया है।

1 Memorandum to the Ninth Finance Commission, Govern-ment of Rajasthan, p 28 (पाँचवें से आठवें वित्त आयोग के लिए)।

गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत केन्द्र के योजना-हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश
(Share of Rajasthan in Central Plan Transfers Under Gadgil Formula)

वित्त आयोग द्वारा राज्यों की तरफ किए गए हस्तान्तरण **वैधानिक हस्तान्तरण** (Statutory transfers) कहलाते हैं। इनके अलावा राज्यों के लिए दो प्रकार के हस्तान्तरण और किए जाते हैं, जो इस प्रकार होते हैं—*(i)* योजना-हस्तान्तरण (plan transfers) जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित आधारों पर तथा प्रोजेक्टों के लिए किए जाते हैं, *(ii)* ऐच्छिक हस्तान्तरण (discretionary transfers) जो संविधान की धारा 282 के तहत राज्यों को केन्द्रचालित स्कीमों (centrally-sponsored schemes) तथा विभिन्न गैर-योजना उद्देश्यों के लिए संघीय मंत्रालयों द्वारा किए जाते हैं।

योजना-हस्तान्तरण का सूत्र (फार्मूला)—योजना-हस्तान्तरण का गाडगिल फार्मूला (जो तत्कालीन योजना-आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी आर गाडगिल के नाम से जाना जाता है) 1969 में लागू किया गया था। इसके आधार पर चौथी व पाँचवीं योजनाओं में राज्यों की तरफ योजना सम्बन्धी हस्तान्तरण किए गए थे। इसे 1990 में संशोधित किया गया जिसके आधार पर छठी व सातवीं योजनाओं में योजना-हस्तान्तरण किए गए। पुनः 11 अक्टूबर, 1990 को गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन सुझाया गया था।

लेकिन कई मुख्यमंत्रियों द्वारा आग्रह किए जाने पर योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसे गाडगिल फार्मूले की जाँच का काम सौंपा गया था। इसके सदस्य डॉ मनमोहन सिंह व डॉ सी रंगराजन भी थे। इसे आठवीं योजना *(1992-97)* के लिए संशोधित गाडगिल फार्मूला सुझाने के लिए कहा गया था।

बाद में इस पेनल के सुझावों के आधार पर 24 दिसम्बर, 1991 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में विचार करके आम सहमति से जो फार्मूला स्वीकृत किया गया, उसमें जनसंख्या को (1971 के आधार पर) 60% भार, प्रति व्यक्ति आय को 25% भार (विचलन-विधि (deviation-method) से 20% तथा दूरी-विधि (distance-method) से 5% भार), कर-प्रयास, फिस्कल-प्रयास व कार्य-सम्पादन (Perfor-mance) के आधार पर 7.5% भार तथा शेष 7.5% भार विशिष्ट समस्याओं के लिए दिया गया था। कार्य-सम्पादन में *(i)* जनसंख्या-नियंत्रण व मातृत्व तथा बाल-स्वास्थ्य में राज्यों की कार्य-सिद्धि, *(ii)* प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ साक्षरता का सार्वभौमिकीकरण तथा *(iii)* बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समय पर पूर्ति नामक तीन राष्ट्रीय महत्त्व के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र रखे गए। 24 दिसम्बर, 1991 के नए भार भी निम्नांकित तालिका में शामिल किए गए हैं—

गाडगिल फार्मूले के इन चारों रूपों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

आधार	मूल गाडगिल फार्मूला (1969) (चौथी व पाँचवीं योजनाओं में लागू)	संशोधित (Modified) गाडगिल फार्मूला (1980) (छठी व सातवीं योजनाओं में लागू)	परिवर्तित (Revised) गाडगिल फार्मूला (11 अक्टूबर, 1990)	संशोधित (Modified) फार्मूला (24 दिसम्बर, 1991)
(i) जनसंख्या (1971 की जनसंख्या के आधार पर)	60	60	55	60
(ii) प्रति व्यक्ति आय	10	20	25	25
(iii) चालू सिंचाई व शक्ति परियोजनाएँ	10	—	—	—
(iv) कर प्रयास (tax effort)	10	10	—	—
(v) राजकोषीय प्रबन्ध (Fiscal management)	—	—	5	7.5*
(vi) विशेष समस्याएँ	10	10	15	7.5
योग	100	100	100	100

* यह भार कर-प्रयास, राजकोषीय प्रबन्ध व अन्य क्षेत्रों में राज्यों की उपलब्धियों के आधार पर है।

इस प्रकार राज्यों के लिए योजना-हस्तान्तरण के लिए 24 दिसम्बर, 1991 से संशोधित किए गए गाडगिल सूत्र में जनसंख्या को 60 प्रतिशत भार दिया गया। प्रति व्यक्ति आय को 25 प्रतिशत, कर-प्रयास, फिस्कल प्रबन्ध व कुछ क्षेत्रों में राज्यों के कार्य-सम्पादन व कार्य-सिद्धि को 7.5% तथा विशेष समस्याओं को 7.5 प्रतिशत भार दिया गया।

कर-प्रयास का अर्थ (Meaning of tax-effort)—इसमें राज्य की आय (शुद्ध घरेलू उत्पत्ति, NDP) से कर-राजस्व का अनुपात देखा जाता है, अथवा प्रति व्यक्ति कर-राजस्व को प्रति व्यक्ति राज्य की आय के अनुपात के रूप में देखा जाता है। **यह आधार प्रतिगामी (regressive) होता है, क्योंकि यह ऊँची आमदनी वाले राज्यों को ज्यादा लाभ पहुँचाता है।** इसका कारण यह है कि कर का आय से अनुपात इसलिए बढ़ता है कि ऊँची आय वाले राज्यों की कर-देय क्षमता ऊँची होती है। इस हिसाब से कई विकसित राज्य बेहतर 'कर-प्रयास' कर पाते हैं, चाहे वे अपनी प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए कम साधन ही एकत्र कर पा रहे हों। इसी प्रकार गरीब राज्यों को नीचे कर-आय अनुपात के कारण केन्द्र की तरफ से साधन-आवंटन में घाटा उठाना पड़ता है, चाहे वे अपनी तरफ से बेहतर कर-प्रयास कर रहे हों।

राजकोषीय प्रबन्ध (Fiscal management)—इस कमी को दूर करने के लिए 1990 में कर-प्रयास की जगह 'राजकोषीय प्रबन्ध' को लागू करने का सुझाव पेश किया गया था। **राजकोषीय प्रबन्ध में यह देखा जाता है कि उस राज्य ने योजना आयोग से स्वीकृत कराए गए साधन-संग्रह के लक्ष्यों (targets) की तुलना में वास्तविक (actual) साधन-संग्रह कितना किया है। इसमें वित्त मंत्रालय कर-प्रयास के अलावा गैर-योजना खर्च में की गई किफायत (economy in non-plan expenditure) को भी देखता है।** अतः यह 'कर-प्रयास' की तुलना में अधिक व्यापक आधार होता है। **राजस्व-घाटों में वृद्धि को देखते हुए 'राजकोषीय प्रबन्ध' की अवधारणा ज्यादा महत्त्व रखती है। इसमें साधन-संग्रह के साथ-साथ व्यय की मितव्ययिता पर भी ध्यान दिया जाता है।** चूँकि कमजोर साधन आधार के कारण कम आय वाले राज्य को हानि हो सकती है, इसलिए इसे 1990 के गाडगिल सूत्र में केवल 5% भार ही दिया गया था।

1990 के परिवर्तित गाडगिल सूत्र में 'विशेष समस्याओं' को 15% का भार दिया गया था ताकि यदि कोई राज्य घाटे में रह जाए तो उसे विशेष समस्या के तहत मदद दी जा सके। **लेकिन यह आधार बहुत कुछ ऐच्छिक श्रेणी का होता है, क्योंकि इसमें सांख्यिकी व गणित की दृष्टि से हिसाब लगाना आसान नहीं होता, जैसा कि सूत्र के अन्य आधारों में पाया जाता है।** 1991 के संशोधित सूत्र में इसे 7.5% भार दिया गया है।

विशेष समस्याओं में निम्न सात विशेष समस्याएँ रखी गई हैं—

(i) तटीय क्षेत्र, *(ii)* विशेष पर्यावरणीय प्रश्न, *(iii)* बाढ़ व सूखा-सम्भावित क्षेत्र, *(iv)* विशेष रूप से कम या अधिक घनत्व वाले जनसंख्या के क्षेत्र, *(v)* न्यूनतम वांछित किस्म की योजना का आकार प्राप्त करने के लिए विशेष वित्तीय कठिनाइयाँ, *(vi)* रेगिस्तानी समस्याएँ, *(vii)* शहरी क्षेत्रों की गंदी बस्तियाँ।

योजना-आयोग ही विशेष समस्याओं के बारे में फैसला कर सकता है। यदि राजनीतिक प्रभावों से बचा जा सके तो व्यवहार में यह आधार बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

योजना-हस्तान्तरणों की राशि में कर्ज व अनुदानों (loans and grants) का अनुपात गैर-विशिष्ट श्रेणी (non-special category) के राज्यों के लिए 70 : 30 रखा गया, अर्थात् 70% कर्ज तथा 30% अनुदान के रूप में रखा गया। यह विशिष्ट श्रेणी (special category) के दस राज्यों, यथा-अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम व त्रिपुरा—के लिए 10 : 90, अर्थात् 10% का कर्ज और 90% अनुदान के रूप में रखा गया। इसलिए उनके लिए अनुदान का अंश 90% रखा गया, जबकि गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों (जिनमें राजस्थान भी आता है) के लिए यह केवल 30% ही रखा गया।

संशोधित सूत्र में प्रति व्यक्ति आय के लिए जो 25% भार सुझाया गया उसमें 5% दूरी-विधि (distance-method) से वितरित किया जाता है तथा 20% विचलन-विधि (deviation-method) से वितरित किया जाता है। **दूरी-विधि में एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय का**

सर्वाधिक आय वाले राज्य की प्रति व्यक्ति आय से अन्तर लिया जाता है; जबकि विचलन-विधि में एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के औसत से देखा जाता है।

भूतकाल में राजस्थान को योजना के तहत कितनी केन्द्रीय सहायता मिली ?

निम्न तालिका में राजस्थान को योजनाओं के लिए प्राप्त प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता की राशि, प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय (outlay) (प्रस्तावित) की राशि तथा सहायता का योजना-परिव्यय से अनुपात दर्शाया गया है।[1]

योजना	योजनाओं में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता (रु. में)	प्रति व्यक्ति योजना-परिव्यय (रु. में)	केन्द्रीय सहायता का राज्य योजना-परिव्यय से अनुपात (% में)
चौथी	83	120	69 2
पाँचवीं	113	275	41 1
छठी	255	786	32 4
सातवीं	513	1164	44 1

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य के योजना-परिव्यय में केन्द्रीय सहायता का अंश चौथी योजना में 69 2% से घटकर छठी योजना में 32 4% हो गया। लेकिन सातवीं योजना में यह पुन: बढ़कर 44 1% पर आ गया था। इस प्रकार सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में योजना-परिव्यय के लिए केन्द्रीय सहायता पर निर्भरता बढ़ी थी। 24 दिसम्बर, 1991 के संशोधित फार्मूले के अनुसार प्रति व्यक्ति आय को 25% भार देने से राजस्थान को विशेष लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन जनसंख्या को 60% भार देने से (1971 की जनगणना के आधार पर) राज्य को लाभ नहीं मिला, क्योंकि उस समय राजस्थान की जनसंख्या कम थी। कर-प्रयास, फिस्कल-प्रबन्ध व राज्यों द्वारा कार्य-सम्पादन के आधार को 7.5% भार देने के बारे में प्रभाव स्पष्ट होना बाकी है। विशेष समस्याओं को 7.5% भार दिया गया है, जिसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर भी नए सूत्र को लागू करने में इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि किसी भी राज्य का पहले वाला अंश 10% से अधिक न घट जाए, तथा 20% से अधिक न बढ़ जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य को पहले केन्द्रीय योजना-हस्तान्तरणों में 6% अंश मिल रहा था, तो दिसम्बर 1991 में स्वीकृत फार्मूले के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि उसे 5 4% से कम अंश न मिले, और 7.2% से ज्यादा अंश न मिले। इस बंधन से सम्भवत: राज्यों में असंतोष नहीं होगा और राज्यों के बीच अधिक न्यायपूर्ण आवंटन करना सम्भव हो सकेगा।

1 Plan Transfers to State—Revised Gadgil Formula an Analysis, Ramalingon and K N Kurup, an article in EPW, March 2 9, 1991, p 504

कुछ विचारकों का मत है कि यदि पुन: संशोधित फार्मूले में क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत, इन्फ्रास्ट्रक्चर को 10 प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय को 30 प्रतिशत भार दिया जाता और जनसंख्या का भार घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाता और विशेष समस्याओं का भार 10 प्रतिशत कर दिया जाता, तो सम्भवत: राजस्थान को ज्यादा लाभ मिल सकता था। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे सभी राज्यों को एक साथ लाभ प्राप्त हो सके। यदि एक फार्मूले से राजस्थान को लाभ होता है तो उसी फार्मूले से अधिक जनसंख्या वाले किसी दूसरे राज्य को हानि होती है। इसलिए इस विषय पर सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

अत: ज्यादा से ज्यादा यह कहना उचित होगा कि गाडगिल फार्मूले में 'पिछड़ेपन' का भार बढ़ाया जाना चाहिए। नवें वित्त आयोग ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट (1990-95 के लिए) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व खेतिहर मजदूरों की संख्या के आधार पर पिछड़ेपन का एक संयुक्त सूचनांक (composite index of backwardness) विकसित किया था। अत: पिछड़ेपन को आधार-स्वरूप मानने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि 24 दिसम्बर, 1991 का पुनर्संशोधित आम सहमति का गाडगिल फार्मूला, या मुखर्जी फार्मूला पिछड़े राज्यों के हितों का ज्यादा ध्यान रखेगा, क्योंकि इसमें प्रति व्यक्ति आय का भार 25% रखा गया है जिसके द्वारा उनके हितों का अधिक संरक्षण सम्भव हो सकेगा। इसमें राज्यों की कार्य-सिद्धि, आदि को 7.5% भार देने से राज्यों को जनसंख्या-नियंत्रण, मातृत्व व बाल-कल्याण, साक्षरता-विस्तार आदि क्षेत्रों में बेहतर काम करके दिखाने की प्रेरणा मिलेगी। यदि किसी राज्य का अंश कम होता दिखाई दिया तो 'विशिष्ट समस्याओं' के आधार के अन्तर्गत अधिक मदद देकर उसे लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा सकेगा। इस प्रकार दिसम्बर 1991 का नया फार्मूला अधिक संतुलित, विकासोन्मुख व समताकारी प्रतीत होता है।

स्मरण रहे कि ऐसा कोई सूत्र तलाश करना मुश्किल है जो एक साथ सभी राज्यों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रख सके। लेकिन विभिन्न राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानता व अन्तर को कम करने के लिए 'पिछड़ेपन' को अधिक भार देना उचित माना जा सकता है।

केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमें व राज्यों की योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था—राज्यों को योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए अधिक साधन उपलब्ध करने का एक रास्ता यह है कि वर्तमान में जो केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमें (Centrally-sponsored schemes) चल रही हैं (जिनकी संख्या सातवीं योजना में 262 हो गई थीं); जैसे मरु-विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) आदि; उनके कोष विकेन्द्रित नियोजन के तहत स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिए जाएँ। इससे राज्यों को योजना के लिए धन भी अधिक मिल जाएगा और उसका बेहतर उपयोग भी सम्भव हो सकेगा।[1] योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ.

---

1 दिसम्बर 1991 में इनमें से 113 स्कीमों को राज्यों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वित्तीय साधनों की दृष्टि से इनका अंश केवल 8% ही था, जो काफी-कम माना गया है।

अरुण घोष ने कहा है कि 1990-91 में ग्रामीण विकास से सम्बद्ध केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों (CSS) पर (कल्याण व स्वास्थ्य सहित) कुल 5000 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था । यदि यह धनराशि राज्यों की योजनाओं में व्यय के लिए मिल जाती तो उनके वित्तीय साधन काफी बढ़ सकते थे । भविष्य में इस प्रकार की सुविधा मिल जाने पर वे अपनी जरूरतों के मुताबिक अधिक लाभकारी योजनाओं को बना पाएँगे और केन्द्र के कार्यक्रमों से बंधे नहीं रहेंगे । अब हम राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने के विषय में आवश्यक सुझाव पेश करते हैं ।

राजस्थान में राजस्व-घाटे को कम करने व वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक सुझाव

हम पहले देख चुके हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है । वर्ष 2004-2005 में राजस्व-घाटा 2204 करोड़ रु. रहने की आशा है जबकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह 3667 करोड़ रु. था । 31 मार्च, 2004 के अन्त में राज्य पर बकाया कर्ज का संशोधित भार लगभग 53509 करोड़ रु. आँका गया है । इसके 2004-2005 के अन्त में 59280 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है ।[1] बकाया कर्ज की राशि के बढ़ने पर ब्याज व मूलधन की किस्त को चुकाने का भार काफी अधिक हो गया है । राज्य की वर्तमान जटिल वित्तीय स्थिति कोई एक-दो वर्षों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह *दीर्घकाल से चली आ रही आर्थिक समस्याओं का परिणाम है । राज्य की प्रति व्यक्ति आय* में भारी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं ।

राज्य में 1968-69 से 2003-04 तक के कुल 36 वर्षों में से 28 वर्षों में अकाल व सूखे की दशाएँ पाई गईं । इनमें से 22 वर्षों में अकालों ने 20 व इससे अधिक जिलों को प्रभावित किया है । इससे स्पष्ट होता है कि राज्य निरंतर अकाल की विभीषिका से जूझता रहा है जिससे इसके राजस्व को काफी क्षति हुई है और राहत-व्यय के भार में वृद्धि हुई है । कहने का तात्पर्य है कि राज्य अभी तक अकाल की समस्या पर नियंत्रण नहीं कर पाया है । राज्य की पंचवर्षीय योजनाएँ अकालों के संकट को कम नहीं कर पाई हैं । राज्य में निरन्तर जल, चारे, अनाज व रोजगार का अभाव बना रहता है । अत: राज्य के आर्थिक विकास की रणनीति पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है ।

राज्य की वित्तीय दशा को आगामी वर्षों में ठीक करने के लिए निम्न उपाय सुझाए जा सकते हैं—

(1) राजस्थान को विशिष्ट श्रेणी (Special Category) के राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इसको योजना-हस्तान्तरणों का 90% अनुदान के रूप में मिल सके (जो वर्तमान में केवल 30%) ही है) । राज्य में कई सूचकों जैसे पावर, साक्षरता, सड़क आदि की दृष्टि से इसकी स्थिति अन्य विशिष्ट श्रेणी के राज्यों से अच्छी नहीं है, **इसलिए इसे विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल करना जरूरी है** । इससे इस पर भावी कर्ज का भार भी कम रहेगा और इसे अनुदान भी ज्यादा मात्रा में मिलने लग जायेंगे । वर्तमान में गैर-विशिष्ट श्रेणी में गिने जाने के कारण राज्य को योजना-सहायता (plan-assistance) *का 70% कर्ज के रूप में तथा 30% अनुदान (grant) के रूप में मिलता है ।* लेकिन आजकल

1. Data from Finance Department, GOR. March 2004

योजना में राजस्व-व्यय का अंश काफी ऊँचा रहने लगा है, इसलिए अनुदान का 30% अंश कम मान जाने लगा है और कर्ज 70% अंश में से कुछ धनराशि योजना के राजस्व-व्यय की तरफ हस्तान्तरित करनी होती है जिससे ब्याज की देनदारी बढ़ जाती है और राजस्व-घाटे पर भार बढ़ जाता है। इसलिए यदि राज्य को विशिष्ट श्रेणी में न भी रखा जाए तो भी योजना-सहायता में अनुदान का अंश 30% से बढ़ाकर 50% करना आवश्यक प्रतीत होता है।

(2) वित्तीय साधन बढ़ाने के लिए बिक्री-कर व अन्य करों की वसूली में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके बिक्री-कर की आय काफी बढ़ाई जा सकती है। बिक्री कर की बकाया राशियाँ वसूल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य के कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करों में अंश सहित) का लगभग 1/3 अंश बिक्री-कर से प्राप्त होता है। 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में बिक्री-कर से 4200 करोड़ रु. के राजस्व का अनुमान लगाया गया है। यदि इसमें 10% वृद्धि की जा सके तो लगभग 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाई जा सकती है।

9-10 फरवरी, 1989 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चुनी हुई मदों के लिए बिक्री-कर की न्यूनतम दरों पर आम सहमति हो गई थी। लेकिन कुछ राज्य/संघीय प्रदेशों ने बाद में अपनी बिक्री-कर की दरें इन स्वीकृत न्यूनतम दरों से भी नीची रख लीं, जिससे अन्य राज्यों को राजस्व की हानि उठानी पड़ी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया था कि राज्य समान न्यूनतम बिक्री-कर लागू करने की नीति स्वीकार कर लें। हाल में आम सहमति से राज्यों ने समान न्यूनतम बिक्री-कर लागू करने की नीति का पालन करना चालू कर दिया है।

अन्य राज्यों की भांति राजस्थान सरकार पर भी 1 अप्रेल, 2005 से बिक्री-कर के स्थान पर मूल्य-संवर्धित कर (वैट) (VAT) लागू करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में अभी तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पायी है। व्यापारियों की शंकाओं व आशंकाओं का समाधान करके वैट को लगाने की तैयारी की जानी चाहिए। **हरियाणा ने वैट लागू करके अपना राजस्व बढ़ाया है।** देर-सवेर वैट तो लागू करना ही है।

(3) कृषिगत-क्षेत्र में कर-भार में वृद्धि की जानी चाहिए—पिछले वर्षों में भू-राजस्व का योगदान घटकर कुल कर-राजस्व का लगभग $\frac{1}{2}$% रह गया है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई से लाभ हुआ है, उनमें व्यावसायिक फसलों पर उपकर (cess) बढ़ाकर तथा सिंचाई की दरों में वृद्धि करके कृषिगत क्षेत्र से आमदनी बढ़ाई जा सकती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जिन वर्गों को लाभ होता है, उन्हें करों के रूप में अधिक योगदान करना चाहिए।

(4) देश में उत्पादन व आय बढ़ने से केन्द्र की आयकर व उत्पादन-शुल्कों से आय बढ़ेगी, जिससे राज्यों के हिस्से मे केन्द्रीय करों की अधिक राशि आएगी। इसलिए केन्द्र को आर्थिक विकास की गति तेज करने का प्रयास करना चाहिए।

(5) राज्य सड़क परिवहन, राज्य सिंचाई की परियोजनाओं, राज्य विद्युत मण्डल व अन्य राजकीय उपक्रमों की प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके इनके घाटों को कम करने अथवा लाभप्रदत्ता को ऊँचा करना होगा, ताकि अकार्यकुशलता व भ्रष्टाचार को समाप्त करके इनमें किए गए विनियोगों से ऊँचे प्रतिफल प्राप्त किए जा सकें।

(6) ग्रामीण विकास को जिला-नियोजन से जोड़ने की आवश्यकता है। भविष्य में अधिक मजदूरी-रोजगार (wage employment) को बढ़ाकर सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण पर जोर देना चाहिए। जब तक सुदृढ़ कार्यक्रम पूरे नहीं होते तब तक परिसम्पत्ति वितरण द्वारा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर धनराशि का अपव्यय नहीं करना चाहिए।

(7) राज्य में कृषि-आधारित, खनिज पदार्थ-आधारित व पशुधन आधारित उद्योगों का विकास करके रोजगार, आमदनी व सरकारी राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए पानी, बिजली, सड़क व अन्य साधनों की समुचित व्यवस्था को जानी चाहिए। आगामी 10 वर्षों में उद्योगों व खनिज-पदार्थों का तेजी से विकास करके आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकती है। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

(8) इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए बिजली की प्रस्थापित क्षमता व वास्तविक उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए। रेल-परिवहन का विकास किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए चुने गए विकास-केन्द्रों में सड़कों के निर्माण व रख-रखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

(9) राजस्थान में योजनाकाल के 53 वर्षों (1951 से 2004 तक) में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय की राशि लगभग 53000 करोड़ रुपये रही है, जबकि 31 मार्च, 2004 के अन्त में राज्य पर अनुमानित कर्ज लगभग 53500 करोड़ रुपये आँका गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज की राशि काफी ऊँची है। राज्य के ऋणों के सम्बन्ध में सरकार को **विभिन्न प्रकार के ऋणों के बारे में एक विस्तृत स्थिति-प्रपत्र (status-paper) तैयार करना चाहिए और ऋण-भार को कम करने के लिए केन्द्र पर जोर डालना चाहिए। पिछले वर्षों में राहत-कार्यों पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि को गैर-योजना सहायतार्थ अनुदानों में बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।** ऊँचे ब्याज के केन्द्रीय कर्ज को नीचे ब्याज के केन्द्रीय कर्ज में बदलने की नीति (डेट-स्वॉप) का लाभ उठाना चाहिए। राज्य सरकार को केन्द्र से अल्प बचत के तहत कम ब्याज का कर्ज मिलेगा, और उसे बाजार से कम ब्याज का कर्ज ले लेना चाहिए। इससे ब्याज का भार काफी कम हो जायगा।

(10) कुछ वर्ष पूर्व यह सुझाव दिया जाता था कि राज्य को **खेप-कर (Consignment tax) लागू करना चाहिए। यह कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले माल पर केन्द्रीय बिक्री-कर को बड़े पैमाने पर टालने से रोकने के लिए लगाया जाना आवश्यक माना गया था।** प्राय: एक फर्म अपनी ब्रांच को दूसरे राज्य में माल भेज देती है, जिसे ब्रांच-ट्रांसफर मानकर केन्द्रीय बिक्री-कर से बचने का प्रयास किया जाता है। खेप-कर लगने से इस प्रकार की स्थिति को रोकना सम्भव हो सकेगा। यह कर *अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर की भाँति लगाया व क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस कर* की आय का 50% उस राज्य को मिलना चाहिए जहाँ से माल बाहर भेजा गया है और शेष 50% अंश केन्द्रीय विभाजनीय कोष में जमा किया जाना चाहिए, जिसे वित्त-आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों में आवंटित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को खेप-कर लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

इस प्रकार राज्य सरकार को एक तरफ वित्तीय साधनों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और दूसरी तरफ परियोजनाओं के उचित चयन, उचित क्रियान्वयन व

राज्य में साधन-संग्रह की समस्या देश में मुद्रास्फीति की समस्या से भी जुड़ी हुई है। मुद्रास्फीति की दर के बढ़ने से राज्य के कर्मचारी व कारखानों के श्रमिक मजदूरी बढ़ाने के लिए आन्दोलन करने लगते हैं। उनकी माँगें पूरी होने पर अगले दौर में फिर मुद्रास्फीति प्रारम्भ हो जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करके राज्यों में भी आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकती है।

आशा है आगामी वर्षों मे राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास से राज्य की वर्तमान खस्ता वित्तीय हालत सुधरेगी और राज्य को समग्र घाटा कम करने का अवसर मिलेगा। भविष्य में अनुत्पादक व्यय में किफायत के उपायों पर अमल किया जाना चाहिए। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में वर्तमान में जो सब्सिडी दी जा रही है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और उसे यथासम्भव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि राज्य के सीमित वित्तीय साधनों पर व्यय के दबाव कम किए जा सकें। राज्य के विभिन्न जिलों में तेजी से औद्योगिक विकास किया जाना चाहिए। **राज्य को हर प्रकार के अनुत्पादक व्यय पर अंकुश लगाना होगा और योजना-व्यय से अधिकाधिक सामुदायिक परिसम्पत्तियों (community assets) का निर्माण करना होगा। हमें यह स्मरण रखना होगा कि वित्तीय साधन बढ़ाने की जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक आवश्यकता उनके सदुपयोग, संरक्षण व संवर्धन की है।** समय-समय पर होने वाली प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितताओं व घोटालों से उत्पन्न धन के अपव्यय को भी यथासम्भव रोका जाना चाहिए। **आशा है भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आने वाले वर्षों में राजस्व-वृद्धि व अनावश्यक व्यय में कमी करने की दिशा में आवश्यक सफलता प्राप्त कर सकेगी।** राज्य में व्यय-नियंत्रण पर सुझाव देने के लिए नई सरकार द्वारा एक **'व्यय-सुधार-आयोग' (Expenditure Reforms Commission)** का गठन किया गया है, जो 31 दिसम्बर, 2004 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में कुल घाटा 282 करोड़ रु. आँका गया है जिसके 2004-05 के बजट-अनुमानों में 334 करोड़ रु. रहने का अनुमान है। इसे अपूरित छोड़ दिया गया है। **राज्य का राजकोषीय घाटा 2004-2005 में 6811 करोड़ रुपये आँका गया है जो पिछले वर्ष से कुछ कम है। यह घाटा राज्य की वर्ष में शुद्ध उधार की राशि को इंगित करता है। राज्य को अपनी वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए अभी काफी प्रयास करना होगा।** राज्य का प्रारम्भिक घाटा (राजकोषीय घाटा-ब्याज की देनदारी) 2004-05 में 1645 करोड़ रुपए आँका गया है, जो पिछले वर्ष से कम है।[1]

1. Modified Budget At A Glance 2004-2005, p 2, (July 12, 2004)

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. गाडगिल फार्मूले के दिसम्बर 1991 के प्रारूप में प्रति व्यक्ति आय को कितना भार दिया गया है ?

   (अ) 10%

   (ब) 20%

   (स) 25%

   (द) कोई नहीं (स)

2. हाल के वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति के प्रतिकूल होने का मुख्य कारण रहा—

   (अ) सरकार द्वारा अत्यधिक फिजूलखर्ची

   (ब) पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राजकीय कर्मचारियों पर लागू करने की मजबूरी

   (स) राज्य के स्वयं के कर-राजस्व में भारी गिरावट

   (द) केन्द्रीय करो की हस्तान्तरण-राशि में भारी कमी

   (ए) सेवानिवृत्ति की आयु का 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करना (ब)

3. राज्य की राजकोषीय दशा को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए—

   (अ) कर-राजस्व की वसूली में सुधार व अनावश्यक व्यय में कटौती

   (ब) गैर-कर-राजस्व में वृद्धि के उपाय

   (स) सार्वजनिक उपक्रमों की लाभप्रदता में सुधार

   (द) केन्द्र के द्वारा विशेष राहत-सहायता तथा राज्य को 'स्पेशल श्रेणी' के राज्यों में शामिल करना

   (ए) मध्यमकालीन बजट-नियोजन (राजकोषीय नियोजन)

   (ऐ) डेट-स्वाप

   (ओ) सभी (ओ)

अन्य प्रश्न

1. विभिन्न वित्त आयोगों ने राजस्थान को करो व शुल्कों की हिस्सेदारी व सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जो धनराशि हस्तान्तरित की है, इसके स्वरूप व मात्रा को दर्शाइए। क्या इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है ? विवेचना कीजिए।

2. गाडगिल सूत्र क्या है ? राजस्थान को इस सूत्र से अब तक योजना-हस्तान्तरण की दृष्टि से क्या लाभ मिला है ? क्या 24 दिसम्बर, 1991 का पुनर्संशोधित गाडगिल सूत्र राजस्थान के हितों की अनदेखी करता है ? इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दीजिए ।

3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए--

   (i) दसवाँ वित्त आयोग एवं राजस्थान,

   (ii) गाडगिल फार्मूला,

   (iii) राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के उपाय ।

केन्द्र-राज्य वित्त-सम्बन्ध, ग्यारहवाँ वित्त आयोग, राजस्थान की वित्तीय दशा तथा राज्य का नियोजित विकास*

(Centre-State Financial Relations, Eleventh Finance Commission, Rajasthan Finances and Planned Development of the State)

केन्द्र से राज्यों की तरफ हस्तान्तरणों के तीन रूप—भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था (Federal Financial system) पाई जाती है। संविधान की विभिन्न धाराओं के अनुसार केन्द्र व राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध परिभाषित किए गए हैं। ऐसा देखा गया है कि राज्यों के वित्तीय साधन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते, इसलिए केन्द्र से राज्यों की तरफ वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण किया जाता है। ये हस्तान्तरण तीन प्रकार के होते हैं—

(i) **वैधानिक हस्तान्तरण (Statutory Transfers),** इनके अन्तर्गत केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तथा राज्यों को दिए जाने वाले सहायतार्थ-अनुदान (Grants-in-aid) आते हैं, जिनके सम्बन्ध में **प्रत्येक पाँच वर्ष बाद एक वित्त आयोग अपनी सिफारिशें पेश करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है।**

(ii) **योजना-हस्तान्तरण (Plan-Transfers)**—योजना आयोग विभिन्न राज्यों को योजना-कार्यों के लिए वित्तीय साधन हस्तान्तरित करता है। पिछले वर्षों में गाडगिल

* विषय का उच्चस्तरीय नवीनतम विश्लेषण व विवेचन।

फार्मूले (Gadgil Formula) के अन्तर्गत इस प्रकार के हस्तान्तरण किए गए हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है गाडगिल फार्मूला राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) की एक समिति ने 1969 में निर्धारित किया था। उस समय स्व. प्रोफेसर डी आर. गाडगिल योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इसमें विशेषतया 1980 व दिसम्बर, 1991 में महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। वर्तमान में इस फार्मूले में जनसंख्या को भार 60% (1971 की जनसंख्या के आधार पर), प्रति व्यक्ति आय को 25% कार्य सम्पादन (performance) को 7.5% (इसमें विभिन्न राज्यों में कर-प्रयास, राजकोषीय प्रबन्ध, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, महिला कल्याण कार्यक्रम भूमि-सुधार, विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की समय पर पूर्ति, वगैरह की प्रगति देखी जाती है) तथा राज्यों की विशिष्ट समस्याओं को 7.5% भार दिया गया है। इस फार्मूले के अनुसार आठवीं योजना (1992-97) व बाद में केन्द्र के द्वारा नॉर्मल योजना-साधनों का राज्यों में आवंटन निर्धारित किया गया है।

(iii) अन्य प्रकार के ऐच्छिक हस्तान्तरण (Other Discretionary Transfers)—वैधानिक व योजना-हस्तान्तरणों के अलावा केन्द्र से राज्यों की तरफ **ऐच्छिक हस्तान्तरण भी किए जाते हैं, जिनके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत** *राज्यों को अनुदान व ऋण भी दिए जाते हैं। ऋण निम्न उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं*— राज्यों के ओवरड्राफ्ट की राशियों को चुकाने के लिए, साधनों की कमी की पूर्ति के लिए, प्राकृतिक विपदाओं में राहत सहायता देने के लिए, अल्प बचतों की एवज में दिए जाने वाले ऋण, आदि। इसमें ज्यादातर हस्तान्तरण केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों [Centrally-sponsored Schemes (CSS)] के लिए होते हैं।

हमारे देश में केन्द्र-राज्य वित्त-सम्बन्धों के प्रश्न पर काफी विवाद पाया गया है। राज्य सरकारों पर योजना के संचालन की अधिक जिम्मेदारी रहती है, लेकिन इसके अनुरूप काम करने के लिए उनके पास वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता है। इसलिए राज्य प्रायः अधिक वित्तीय स्वायत्तता (Financial autonomy) की माँग करते रहते हैं। योजना के लिए वित्तीय साधनों के वितरण का कोई भी एक सूत्र सभी राज्यों को स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ राज्य अपेक्षाकृत अधिक धनी होते हैं, कुछ कम गरीब होते हैं और कुछ अधिक गरीब होते हैं।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के राज्य सभा के सदस्य श्री अशोक मित्र ने केन्द्र-राज्य वित्त-सम्बन्धों पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि केन्द्र के हाथों में वित्तीय साधन काफी मात्रा में एकत्र हो गए हैं। फलस्वरूप राज्यों के लिए स्वतन्त्र रूप से साधन जुटाने का क्षेत्र काफी सीमित हो गया है। राज्यों को केन्द्र के पास वित्तीय साधनों के लिए जाना पड़ता है और जब राज्यों में सरकारें केन्द्रीय सरकार से भिन्न विचारधारा वाले दलों की होती हैं तो उन्हें योजना-हस्तान्तरणों व ऐच्छिक हस्तान्तरणों की राशि अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिल पाती है। इस अध्याय में इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाएगा और समस्या के उचित समाधान प्रस्तुत किए जाएँगे।

सर्वप्रथम, हम केन्द्र व राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों के बारे में वैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे । उसके बाद केन्द्र से राज्यों की ओर होने वाले हस्तान्तरणों व सम्बन्धित समस्याओं की चर्चा की जाएगी ।

भारतीय संविधान में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाए जा सकते हैं । **संविधान की सातवीं अनुसूची में संघीय सूची व राज्यीय सूची में जो कर हैं, वे नीचे दिए जाते हैं ।**[1]

संघीय सूची (Union List) के 13 कर

(1) कृषिगत आय के अलावा अन्य आय पर कर,

(2) कस्टम-शुल्क या सीमा-शुल्क (निर्यात-शुल्कों सहित),

(3) तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क और भारत में विनिर्मित या उत्पादित अन्य वस्तु, लेकिन निम्न को छोड़कर—

(अ) मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब,

(आ) अफीम, भारतीय भांग (hemp) और नशीली दवाएँ व नशीली वस्तुएँ, (narcotics), लेकिन इस उप-मद (आ) में शामिल कोई वस्तु या अल्कोहल युक्त दवा व प्रसाधन-सामग्री (toilet preparations) सहित ।

(4) निगम कर,

(5) परिसम्पत्तियों के पूँजीगत मूल्य पर कर, व्यक्तियों व कम्पनियों की कृषिगत भूमि को छोड़कर कम्पनियों की पूँजी पर कर,

(6) कृषिगत भूमि के अलावा जायदाद पर सम्पदा-शुल्क (Estate Duty)

(7) कृषिगत भूमि के अलावा जायदाद के उत्तराधिकार (succession) पर शुल्क,

(8) रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर (टर्मिनल कर), रेल किरायों व भाड़ों पर कर,

(9) स्टॉक एक्सचेंज व भविष्य के बाजारों के सौदों पर स्टाम्प शुल्कों के अलावा कर;

(10) विनिमय बिल, चैक, प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, बीमा पॉलिसी, शेयर-हस्तान्तरण, ऋण-पत्र, प्रोक्सीज (proxies) व प्राप्तियों पर स्टाम्प शुल्क की दरें,

(11) अखबारों के विक्रय या क्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर लगे कर;

(12) अखबारों के अलावा अन्य वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर लगे कर; जहाँ ऐसे विक्रय या क्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होते हैं तथा

(13) वस्तुओं के खेप (consignment) पर कर (चाहे यह खेप इसे करने वाले के नाम से हो या अन्य व्यक्ति के नाम से हो), जहाँ यह खेप अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है ।

---

1 Raja J Chelliah, **Agenda for Comprehensive Tax Reform,** in the Indian Economic Journal January—March, 1994, pp 54 55

राज्यीय सूची (State list) के 19 कर

(1) भू-राजस्व (land revenue), इसमें राजस्व-निर्धारण व संग्रह शामिल होता है, भूमि के रिकार्डों का रख-रखाव, राजस्व-कार्य के लिए सर्वेक्षण व अधिकारों के रिकार्ड तथा राजस्व से विमुख (alienation) होने की बातें शामिल हैं, (2) कृषिगत आय पर कर, (3) कृषिगत भूमि के उत्तराधिकार पर शुल्क, (4) कृषिगत भूमि पर सम्पदा-शुल्क, (5) भूमि व भवन कर, (6) खनन-अधिकार पर कर; खनन-विकास पर संसद द्वारा पारित कानून द्वारा लगी सीमाओं के दायरे में, (7) राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क व प्रति संतुलनकारी शुल्क (Countervailing Duties) जो अन्यत्र भारत में विनिर्मित या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर समान या नीची दरों से लगाए गए हों,

(अ) मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब, (आ) अफीम, भारतीय भांग या अन्य नशीली दशाएँ व नशीली वस्तुएँ; लेकिन इस मद के उप-भाग (आ) में शामिल अल्कोहल या अन्य वस्तु वाली दवा या प्रसाधन-सामग्री को छोड़कर, (8) स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए प्रवेश (entry) पर कर, (9) बिजली के उपभोग या बिक्री पर कर, (10) अखबारों के अलावा अन्य वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कर (केन्द्रीय सूची की मद संख्या 13 के प्रावधानों के दायरे में), (11) अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों के अलावा अन्य विज्ञापनों पर कर (तथा रेडियो या दूरदर्शन पर किए गए विज्ञापनों पर), (12) सड़क या आन्तरिक जलमार्गों द्वारा ले जाई गई वस्तुओं व यात्रियों पर कर, (13) वाहनों (Vehicles) पर कर, चाहे वे यांत्रिक विधि से चलाए गए हों या न हों, लेकिन जो सड़कों के लिए उपयुक्त हों, ट्रामकारों सहित, (14) पशुओं व नावों पर कर, (15) मार्ग-कर (tolls), (16) पेशों-व्यापार, व्यवसाय (Callings) व रोजगार पर लगे कर, (17) प्रति व्यक्ति के अनुसार लगे कर (Capitation taxes), (18) विलासिताओं पर लगे कर, मनोरंजन, मनोविनोद, दाव लगाने व जुए पर लगे करों सहित तथा (19) केन्द्रीय सूची में वर्णित प्रपत्रों (Documents) के अलावा अन्य प्रपत्रों पर स्टाम्प-शुल्क की दरें ।

इस प्रकार केन्द्र व राज्यों को कुल मिलाकर 32 विभिन्न प्रकार के कर उपलब्ध हैं, जिनमें से केन्द्र को 13 व राज्यों को 19 कर उपलब्ध हैं । स्मरण रहे कि यदि इन सभी करों को लगा दिया जाए और उनमें उचित समन्वय न रहे तो देश में जो कर-व्यवस्था उत्पन्न होगी वह अविवेकपूर्ण व असमान किस्म की होगी । इसलिए व्यवहार में इनका उपयोग काफी समन्वयात्मक रूप से व सोच-समझकर ही करना होगा ।

करों के सम्बन्ध में संविधान के अन्य आवश्यक अनुच्छेद (articles)—

(*i*) कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें केन्द्र लगा सकता है, लेकिन जिनकी सम्पूर्ण आय राज्यों में बाँटनी होती है (संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार) । इसमें अग्रलिखित सात मदें आती हैं—

(क) कृषिगत भूमि के अलावा अन्य जायदाद पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध में शुल्क; (ख) कृषिगत भूमि के अलावा अन्य जायदाद के सम्बन्ध में सम्पदा-शुल्क (Estate duty). (ग) रेल, समुद्र या वायु-मार्ग द्वारा ले जाए गए यात्रियों व माल पर सीमा-कर (Terminal taxes). (घ) रेल किरायों व भाड़ों पर कर, (ङ) स्टॉक बाजार व भावी बाजारों के सौदों पर स्टाम्प शुल्क के अलावा कर, (च) अखबारों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर; (छ) अखबारों के अलावा अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर, जहाँ ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान होता है ।

(ii) आय-कर से प्राप्त राशियों का **आवश्यक रूप से विभाजन** (संविधान के अनुच्छेद 270) ।

(iii) संघीय उत्पादन-शुल्कों में हिस्सा देकर (अनुच्छेद 272) । यह हिस्सा देना अनिवार्य नहीं किया गया है, और केन्द्र की इच्छा पर ही इसका विभाजन छोड़ दिया गया है । लेकिन भारत में संघीय उत्पादन-शुल्कों की आय राज्यों में सदैव विभाजित होती रही है । इसलिए कुछ लोग भूल से इनकी आय के विभाजन को अनिवार्य मान लेते हैं, जो वैधानिक दृष्टि से सही नहीं है ।

(iv) राज्यों को वैधानिक सहायतार्थ अनुदान (Statutory Grants-in-aid) देकर (अनुच्छेद 275) ।

(v) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनुदान देकर (अनुच्छेद 282) ।

उपर्युक्त सहायता की व्यवस्था राजस्व खाते में की गई है । केन्द्र को संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को किसी भी प्रयोजन के लिए ऋण स्वीकृत करने का भी अधिकार दिया गया है । योजनाकाल में केन्द्र से राज्यों की तरफ विशाल मात्रा में वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण होता रहा है, लेकिन इससे संविधान में निहित प्रणाली की कार्यकुशलता में कोई बाधा नहीं पड़ी है । आर्थिक नियोजन के लागू होने से केन्द्र-राज्य-वित्त सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ हुए हैं और समस्त राष्ट्र के वित्तीय साधनों को ठीक से काम में लेने के अवसर बढ़े हैं ।

केन्द्र से राज्यों की तरफ वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण—निम्नांकित तालिका में केन्द्र से राज्यों की ओर वित्तीय साधनों के बढ़ते हुए हस्तान्तरणों का परिचय मिलता है[1]—

1 M M Sury, Centre-State Financial Relations in India : 1870–1990 in the Journal of Indian School of Political Economy January–March 1992 p 42

(करोड़ रुपये में)

अवधि	वित्त आयोगों द्वारा वैधानिक हस्तान्तरण	योजना आयोग द्वारा योजना-हस्तांतरण	अन्य ऐच्छिक हस्तांतरण	कुल
1951-56 (प्रथम योजना)	477	880	104	1,431
	(31.2%)	(61.5%)	(7.3%)	(100.0)
1956-61	918	1.058	892	2,868
1961-66	1.590	2.738	1,272	5,600
1966-69	1.782	1.917	1.648	5,347
1969-74	5,421	4.731	4,949	15,101
1974-79	11.168	10.353	3.761	25.282
1979-85	28,584	29.655	12,849	71,088
[इसमें वार्षिक योजना (1979-80) तथा छठी योजना (1980-85) शामिल है]	(40.2%)	(41.7%)	(18.1%)	(100.0)
1985-90 (सातवीं योजना)	54.449	55,062	27.125	1,36.636
	(39.8%)	(40.3%)	(19.8%)	(100.00)

तालिका से स्पष्ट होता है कि **प्रथम योजना की अवधि में योजना-आयोग द्वारा किए गए हस्तान्तरणों का अंश 61.5% था, जो सातवीं योजना की अवधि में घट कर 40.3% पर आ गया।** इसके विपरीत वित्त-आयोगों के द्वारा किए गए वैधानिक हस्तान्तरणों व अन्य हस्तान्तरणों के अनुपात बढ़े हैं।

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वैधानिक हस्तान्तरणों, योजना-हस्तान्तरणों व अन्य ऐच्छिक हस्तान्तरणों का योगदान 40 : 40 : 20 के अनुपात में (1979-90 की अवधि में) पाया गया है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि केन्द्र से राज्यों की तरफ कुल हस्तान्तरणों की राशि प्रथम योजना में 1,431 करोड़ रुपये से बढ़कर सातवीं योजना में 1,36,636 करोड़ रुपये हो गई जो पहले से काफी अधिक थी।

उपर्युक्त आँकड़ों के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं—प्रथम, केन्द्र पर राज्यों की निर्भरता काफी बढ़ गई है, द्वितीय, केन्द्र ने राज्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का काफी ध्यान रखा है और राष्ट्रीय साधनों का राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रित ढंग से उपयोग किया है।

प्रश्न उठता है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को इतनी बड़ी मात्रा में वित्तीय साधनों का हस्तान्तरण करने पर भी राज्यों के द्वारा इस सम्बन्ध में प्राय: इस प्रकार की शिकायतें क्यों

उठाई जाती हैं कि उनको केन्द्र की तरफ से पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं मिलते ? सम्भवतः इसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं। फिर भी राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से देखने पर प्रतीत होता है कि आर्थिक विकास से ही साधनों की कमी दूर हो सकती है। **यह कहना उपयुक्त नहीं जान पड़ता है कि केन्द्र के पास साधनों का केन्द्रीयकरण हो गया है और राज्यों के पास वित्तीय साधन अपर्याप्त मात्रा में रह गए हैं।** यदि राज्य सरकारें कृषिगत-क्षेत्र से ज्यादा आमदनी जुटाने का प्रयास करतीं एवं सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं में किए गए विनियोगों से उचित प्रतिफल प्राप्त करतीं तथा सड़क परिवहन-निगमों को मुनाफों में चलातीं तो उन्हें ज्यादा मात्रा में वित्तीय साधन प्राप्त होते और इसमें केन्द्र ने कोई बाधा नहीं डाली है। विद्वानों के मतानुसार केन्द्र-राज्य वित्त सम्बन्धों की वर्तमान व्यवस्था सही मानी जा सकती है और इसके बदलने से निर्धन राज्यों को हानि होने की ज्यादा सम्भावना प्रतीत होती है। इसके अलावा केन्द्र के ऊपर भी देश की सुरक्षा, इस्पात, कोयला, विद्युत, परिवहन, संचार, आदि क्षेत्रों के विकास की भारी जिम्मेदारी है, जिनमें भारी मात्रा में वित्तीय साधनों को लगाने की आवश्यकता होती है। अत: केन्द्र से राज्यों को साधन-हस्तान्तरण की व्यवस्था भूतकाल में बहुत कुछ सफल, व्यावहारिक एवं लचीली रही है। **प्रथम वित्त आयोग ने राज्यों की तरफ 477 करोड़ रुपयों के हस्तान्तरणों की व्यवस्था की थी, जबकि नवें वित्त आयोग ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट में 1990-95 की अवधि के लिए लगभग 1,06,036 करोड़ रुपयों की एवं दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 की अवधि के लिए 2,26,643 करोड़ रु. के हस्तान्तरण की व्यवस्था की है।** अत: स्वयं केन्द्र ने राज्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का समुचित रूप से ध्यान रखा है।

दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र के समग्र कर-राजस्व का जो अंश राज्यों को हस्तान्तरित किया गया, वह निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

समग्र केन्द्रीय कर-राजस्व-प्राप्तियों का अंश, जो राज्यों को हस्तान्तरित किया गया[1]

अवधि (औसत)	S_1	S_2	(प्रतिशत में) $(S_1 + S_2)$
(अवधि सातवें वित्त आयोग) 1979-84	24 32	2.96	27 28
(अवधि आठवें वित्त आयोग) 1984-89	22 22	3 22	25 44
(अवधि नवें वित्त आयोग) 1990-95	24 30	2 95	27 26

स्मरण रहे कि समग्र केन्द्रीय कर-राजस्व में आय-कर, मूल उत्पाद-शुल्क, रेलवे यात्री भाड़ों पर कर की एवज में अनुदान तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की राशि ही शामिल मानी गई है।

1 Report of the Tenth Finance Commission, (1995 2000), December, 1994 p 60. S_1 की श्रेणी आय कर, बेसिक उत्पाद-शुल्क तथा रेल यात्री भाड़े की एवज में अनुदानों से प्राप्त केन्द्रीय कर-राजस्व में राज्यों के अंश की द्योतक है, तथा S_2 की श्रेणी अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों में राज्यों के अंश की सूचक है।

विभिन्न वित्त-आयोगों द्वारा आय-कर व संघीय उत्पादन-शुल्क में राज्यों की हिस्सेदारी तथा वितरण के आधार—संविधान के अनुच्छेद 270 के अधीन आय-कर में राज्यों को हिस्सेदारी अनिवार्य मानी गई है, तथा अनुच्छेद 272 के अन्तर्गत संघीय उत्पादन-शुल्कों में से राज्यों को हिस्सा देने की अनुमति दी गई है। वैधानिक दृष्टि से संघीय उत्पादन-शुल्कों की आय का राज्यों में बंटवारा ऐच्छिक होता है, अनिवार्य नहीं। संघ चाहे तो इनकी राजस्व का कुछ अंश राज्यों को दे सकता है, अथवा नहीं दे सकता है। विभिन्न वित्त-आयोगों ने आय-कर व संघीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में वितरण की जो व्यवस्था सुझाई है, वह नीचे दी जाती है—

(1) आय-कर के वितरण की व्यवस्था-विभिन्न वित्त-आयोगों द्वारा राज्यों में वितरण के लिए सुझाया गया अंश तथा वितरण के आधार निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं—

(प्रतिशत)

वित्त-आयोग		आय-कर की शुद्ध प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा	वितरण के आधार		
			जनसंख्या	वसूली	पिछड़ेपन के तत्त्व
प्रथम	(1952-57)	55	80	20	—
द्वितीय	(1957-62)	60	90	10	—
तृतीय	(1962-66)	66 67	80	20	—
चतुर्थ	(1966-69)	75	80	20	—
पंचम	(1969-74)	75	90	10	—
छठा	(1974-79)	80	90	10	—
सातवाँ	(1979-84)	85	90	10	—
आठवाँ	(1984-89)	85	22 5	10	67 5
नवाँ-I	(1989-90)	85	22 5	10	67.5
नवाँ	(1990-95)	85	22 5	10	67 5
दसवाँ	(1995-2000)	77 5	[20% जनसंख्या, 60% प्रति व्यक्ति आय से दूरी, 5% क्षेत्रफल, 5% आधार-ढाँचे का सूचकांक तथा 10% कर-प्रयास]		

दसवें वित्त आयोग ने राज्यों में आय कर की शुद्ध प्राप्तियों का 77.5% अंश वितरण के लिए प्रस्तावित किया है, जबकि पहले यह 85% था। इससे आयकर की प्राप्तियों में केन्द्र की रुचि बढ़ेगी और राज्यों के हिस्से में विशेष असर नहीं पड़ेगा। साथ में केन्द्र ने संघीय उत्पाद-शुल्क में राज्यों का अंश 45% से बढ़ा कर 47 5% कर दिया। जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया गया है दसवें वित्त आयोग द्वारा आय-कर का राज्यों में वितरण अग्रलिखित आधारों पर करने की सिफारिश की गई थी—

(i) 20% अंश, 1971 की **जनसंख्या** के आधार पर;

(ii) 60% **प्रति व्यक्ति आय से दूरी** के आधार पर। इसमें एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय की दूरी सर्वोच्च आय वाले राज्य की आय से माप कर उसे जनसंख्या से गुणा किया जाता है। फिर उस गुणा की राशि का अनुपात समस्त राज्यों के योग के आधार पर निकाला जाता है। सर्वोच्च आय वाले राज्य के लिए उसकी प्रति व्यक्ति आय की दूरी उससे ठीक नीचे वाले राज्य की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करके ज्ञात की जाती है; जैसे पंजाब की प्रति व्यक्ति आय की दूरी महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से तुलना करके ज्ञात की गई है। गोआ के लिए भी ऐसा ही किया गया है।

(iii) 5% **'समायोजित क्षेत्रफल'** (area adjusted) के आधार पर। विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ उपलब्ध करने की लागतों में अन्तर के आधार पर आवश्यक समायोजन किया गया है।

(iv) 5% **आधार-ढाँचे के सूचकांक** (index of infrastructure) के आधार पर।

(v) 10% **कर-प्रयास** के आधार पर। कर-प्रयास के माप के लिए एक राज्य के प्रति व्यक्ति स्वयं के कर-राजस्व का अनुपात उसकी प्रति व्यक्ति आय से लिया गया है।

(2) संघीय उत्पादन-शुल्कों के वितरण की व्यवस्था—विभिन्न वित्त-आयोगों द्वारा वितरण के लिए सुझाए गए अंश तथा वितरण के आधार निम्नांकित तालिका में दिए जाते हैं—

वित्त आयोग	संघीय उत्पादन-शुल्कों की शुद्ध आय में राज्यों का हिस्सा	वितरण के आधार
1	2	3
प्रथम	तीन वस्तुओं तम्बाकू, माचिस व वनस्पति-पदार्थों की शुद्ध प्राप्तियों का 40%	पूरा केवल जनसंख्या के आधार पर।
द्वितीय	आठ वस्तुओं चीनी, माचिस, तम्बाकू, वनस्पति-पदार्थ, कॉफी, चाय, कागज व वनस्पति-गैर-आवश्यक तेलों की शुद्ध प्राप्तियों का 25%	90% जनसंख्या, 10% समायोजनों के लिए प्रयुक्त
तृतीय	35 वस्तुओं की शुद्ध प्राप्तियों का 20%	जनसंख्या-प्रमुख तत्त्व, राज्यों की वित्तीय कमजोरी, विकास के स्तरों में असमानता, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को भी भार दिया गया।

वित्त आयोग	संघीय उत्पादन-शुल्कों की शुद्ध आय में राज्यों का हिस्सा	वितरण के आधार
चतुर्थ	समस्त वस्तुएँ 20%	जनसंख्या 80% सापेक्ष आर्थिक पिछड़ापन 20%
पंचम	समस्त वस्तुएँ 20%	जनसंख्या 80% शेष 20% का दो-तिहाई प्रति व्यक्ति आय की कमी के आधार पर तथा एक-तिहाई पिछड़ेपन के समग्र सूचनांक के आधार पर, जिसमें छह तत्त्वों का समावेश किया गया था, यथा—सिंचाई, रेल, स्कूल जाने वाले बच्चे, अनुसूचित जाति के लोग, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या, आदि
छठा	समस्त वस्तुएँ 20%	*जनसंख्या 75% पिछड़ापन 25% (पिछड़ेपन के लिए राज्य की* प्रति व्यक्ति आय तथा अन्य राज्य की सर्वोच्च प्रति व्यक्ति आय के अंतर को राज्य की जनसंख्या से गुणा किया गया) (दूरी विधि द्वारा)।
सातवाँ	समस्त वस्तुएँ 40%	*(i)* जनसंख्या 25% *(ii)* राज्य की घरेलू उत्पत्ति का विलोम 25% *(iii)* राज्य में गरीबों का प्रतिशत 25% *(iv)* राजस्व के समानीकरण का फॉर्मूला 25%
आठवाँ	समस्त वस्तुएँ 45%	(क) शुद्ध प्राप्तियो का 40% निम्न प्रकार से—*(i)* 25%, 1971 की जनसंख्या के आधार पर, *(ii)* 25%, राज्य की प्रति व्यक्ति आय के विलोम को जनसंख्या से गुणा करने के आधार पर, *(iii)* 50%, राज्य की प्रति व्यक्ति आय व अधिकतम प्रति व्यक्ति आय के अंतर का राज्य की जनसंख्या से गुणा करने के आधार पर (जैसा कि आय कर के सम्बन्ध में रखा गया है)। (ख) शुद्ध प्राप्तियो का 5% उन राज्यों को जिन्हें कर व शुल्कों के हस्तान्तरण के बाद घाटा रहेगा। वितरण का आधार प्रत्येक राज्य का घाटा सभी राज्यों के कुल घाटों के अनुपात के रूप में लिया गया।
नवाँ (1990-95 के लिए)	45%	*(i)* 25% राज्यों की जनसंख्या (1971 की) के आधार पर। *(ii)* 12.5 प्रतिशत *अंश आय समायोजित-कुल जनसंख्या के आधार* पर (Income-adjusted total population) वितरित किया जाना चाहिए। इसके लिए आय-समायोजित कुल जनसंख्या की गणना राज्यों की 1971 की जनसंख्या तथा 1982–83 से 1984–85 की तीन वर्ष की अवधि के लिए नई शृंखला के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय के व्युत्क्रम (inverse) पर की जानी चाहिए। किसी राज्य के हिस्से का निर्धारण, सभी राज्यों की आय-समायोजित कुल जनसंख्या के कुल योग में से उस राज्य की आय-समायोजित कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाना चाहिए। *(iii)* 12.5 प्रतिशत का वितरण पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किया जाना चाहिए। *(iv)* 33.5 प्रतिशत का वितरण 1982–83 से 1984–85 की तीन वर्षों की अवधि के

वित्त आयोग	संघीय उत्पादन-शुल्कों की शुद्ध आय में राज्यों का हिस्सा	वितरण के आधार
		दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय (नई शृंखला) तथा उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले पंजाब जैसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर को 1971 की जनसंख्या से गुणा करके किया जाना चाहिए। (1) शेष 16 5 प्रतिशत का वितरण घाटे वाले राज्यों में किया जाना चाहिए। आय-कर, उत्पादन-शुल्क, बिक्री कर की एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा रेल यात्रा किराए पर निरस्त कर की एवज में अनुदान के बाद रहे राज्यों के घाटों की राशि के अनुपात में यह राशि वितरित की जानी चाहिए।
दसवाँ (1995–2000 के लिए)	47 5%	40% का वितरण उन्हीं आधारों पर जो ऊपर आयकर के लिए सुझाए गए हैं शेष 7 5% का वितरण राज्यों के घाटों के आधार पर। घाटों का अनुमान वित्त आयोग ने लगाया है, और तद्नुरूप प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न राज्यों के अंश रिपोर्ट में सुझाए गए हैं। जैसे राजस्थान का 7 5% वाले भाग में अंश 1995-96 के लिए 0 835% रखा गया तथा शेष चार वर्षों के लिए यह शून्य रखा गया क्योंकि उन वर्षों में राज्य के लिए घाटे की स्थिति नहीं मानी गई।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 15 जनवरी, 2000, मुख्य रिपोर्ट (main report) 7 जुलाई, 2000 तथा पूरक रिपोर्ट (Supplementary report) 30 अगस्त, 2000 को पेश की। यहाँ पर प्रारम्भ में मुख्य रिपोर्ट (जुलाई, 2000) के आधार पर ग्यारहवें वित्त आयोग के द्वारा केन्द्र व राज्यों की वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनाये गये दृष्टिकोण, सुझावों तथा सिफारिशों पर प्रकाश डाला जायगा। उसके बाद रिपोर्ट की समीक्षा प्रस्तुत की जायगी। अंत में अगस्त 2000 में प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख किया जायगा। विवेचन में राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को भी विशेष रूप से उजागर किया जायेगा।

सार्वजनिक वित्त से जुड़े प्रश्न तथा ग्यारहवें वित्त आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने प्रारम्भ में इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि केन्द्र व राज्यों का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का ऊँचा अंश बना हुआ है। GDP के पुराने सिरीज के अनुसार 1990-91 में केन्द्र का राजकोषीय घाटा GDP का 8 3% व राज्यों का 3 3% तथा संयुक्त रूप से 9 6% रहा था। 1998-99 में यह केन्द्र के लिए 6 8% व राज्यों के लिए 4 5% (संयुक्त रूप से 9 5%) रहा। इस प्रकार नब्बे के दशक के प्रारम्भ में संयुक्त रूप से राजकोषीय घाटे की जो स्थिति थी, लेकिन वही स्थिति इस दशक के अंत में भी पायी गयी है। 1999-2000 के लिए यह लगभग 10 4% आंकी गयी है। राजस्व घाटा भी 1998-99 व 1999-2000 में तेजी से बढ़ा है। **यही नहीं बल्कि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे के अनुपात में केन्द्र के लिए 1990-91 में 50% से बढ़कर 1999-**

2000 में 67.5% व राज्यों के लिए 1990-91 में 26% से बढ़कर 1998-99 में लगभग 61% हो गया है। इस प्रकार केन्द्र व राज्यों की उधार की राशि का काफी बड़ा अंश चालू खर्च की पूर्ति में लगने लगा है जो एक चिंता का विषय है। राजस्व-घाटे के बढ़ने से पूँजीगत व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वह कम हो गया है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी घटाने से जो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, उसकी स्थिति भी 1998-99 में बिगड़ी है। **केन्द्र व राज्यों पर बकाया कर्ज की राशि 1999-2000 में GDP का 65% हो गयी है। घरेलू कर्ज में वार्षिक वृद्धि-दर GDP की वार्षिक वृद्धि-दर से अधिक रहने लगी है।** इस प्रकार राजकोषीय घाटों का भार असहनीय हो गया है। **GDP के नये सिरीज को लेने पर भी राजकोषीय घाटा GDP का 1993-94 में केन्द्र व राज्यों का संयुक्त रूप से 8.2% से बढ़कर 1998-99 में 9% हो गया है।** इस प्रकार ग्यारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे की स्थिति के उत्तरोत्तर अधिक गम्भीर होने की ओर संकेत किया है। 1997-98 से 1999-2000 तक पुराने सिरीज पर राजकोषीय घाटे के प्रतिशतों का आकलन नये सिरीज के आंकड़ों को। 0577 कन्वर्सन-फैक्टर से गुणा करके किया जा सकता है।

केन्द्र व राज्यों पर बकाया सरकारी गारंटियों (government guarantees) का भार भी काफी ऊँचा है। मार्च 1998 के अंत में यह GDP का 9.4% हो गया था। बकाया कर्ज के बढ़ने से ब्याज की देनदारी का भार ऊँचा होता गया है। राज्यों ने राज्य वित्त निगमों के मार्फत भी उधार की व्यवस्था की है, जो बजट के बाहर होते हुए भी भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर ही डालती है।

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन की राशियां बढ़ने से तथा आर्थिक मंदी के कारण कर-राजस्व की वृद्धि में बाधा पड़ने से राजकोषीय स्थिति में 1997-98 से गिरावट आयी है। केन्द्र के कर-राजस्व में वृद्धि से ज्यादा उसके राजस्व-व्यय में वृद्धि हुई है। इस कारण से सरकारों को उधार का अधिक मात्रा में सहारा लेना पड़ा है। **बजट-घाटे मूलतया ढांचेगत (structural) किस्म के रहे हैं; जैसे कर-सकल घरेलू उत्पाद (tax-GDP) अनुपात का घटना, गैर-कर राजस्व का गतिहीन बने रहना, सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मान समय-समय पर बढ़ाया जाना, ब्याज की दरों का बढ़ना, सब्सिडी का बढ़ता भार, आदि।** इनका मंदी जैसे **चक्रीय कारणों से कम सरोकार रहता है।** नब्बे के दशक में कर-राजस्व की बॉयन्सी (buoyancy) (GDP के सन्दर्भ में) पिछले दशक की तुलना में घटी है। गैर-कर राजस्व की वृद्धि भी इसी दशक में लगभग यथास्थिर बनी रही है। **केन्द्र व राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों के कुल 3.5 लाख करोड़ रुपयों के कुल निवेश पर प्रतिफल का स्तर काफी नीचा है; राज्यों के उपक्रमों पर तो यह लगभग नहीं के बराबर है। राज्य विद्युत बोर्डों में लगी पूँजी पर 1998-99 में 18.7% का ऋणात्मक प्रतिफल रहा (अर्थात् घाटा रहा)। राज्य-सड़क-परिवहन-उपक्रमों की वित्तीय स्थिति भी काफी कमजोर है।** सार्वजनिक सेवाओं (सामाजिक व आर्थिक) पर लागत की

रिकवरी बहुत नीची पायी जाती है। केन्द्र व राज्य सरकारों को उधार पर ब्याज की दरें ऊँची देनी पड़ी हैं। इससे उन पर ब्याज की देनदारी बढ़ गयी है। केन्द्र व राज्यों पर सब्सिडी का भार बहुत बढ़ गया है। केन्द्र व राज्यों पर पेंशन की देनदारी भी बढ़ गयी है। **सेना में पेंशन की राशि अफसरों के वेतन व भत्तों से अधिक हो गयी है।** कानूनी व प्रशासनिक प्रणाली की कमियों के कारण भी सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में असंतुलन उत्पन्न हो गये हैं, जैसे अभी तक परोक्ष करों के दायरे में सेवाओं को नहीं लाया गया है। गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के योजना-राजस्व खातों में काफी घाटा रहने लगा है। इससे उन्हें उधार पर ही आश्रित होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में ब्याज का बढ़ता भार आगे चल कर राजस्व-खाते के घाटे को और बढ़ा देता है।

ग्यारहवें वित्त आयोग के द्वारा सार्वजनिक वित्त की पुनर्रचना के सम्बन्ध में अपनाया गया दृष्टिकोण

(i) राज्य स्तर पर राजकोषीय घाटा मध्यम अवधि में काफी सीमा तक घटाया जाय व राजस्व-घाटा समाप्त किया जाय। सरकारी व्यय में सामाजिक क्षेत्र व पूँजीगत व्यय के पक्ष में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। इसके लिए राजस्व प्राप्तियों का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात भी बढ़ाना होगा।

(ii) केन्द्र से राज्यों की तरफ केन्द्रीय राजस्व (कर तथा गैर-कर दोनों को मिला कर) के हस्तान्तरणों की एक सीमा तय करनी होगी। उस समग्र सीमा के भीतर इनके अपने-अपने अंश अलग से तय किये जा सकते हैं। **आयोग ने केन्द्र के साधनों व आवश्यकताओं को देखते हुए केन्द्र से राज्यों की तरफ किये गये कुल राजस्व प्राप्तियों का 37.5% अंश तक हस्तान्तरित करने की सिफारिश की है।** इससे दोनों स्तरों पर सरकारी वित्त की स्थिति नहीं गड़बड़ायेगी। **आयोग ने यह प्रयास किया है कि गैर-योजना राजस्व खाते में सहायतार्थ-अनुदानों के बाद किसी भी राज्य को घाटा न रहे।** सहायतार्थ-अनुदानों के तहत आयोग ने गैर-योजना खाते में राजस्व-घाटे के अनुदान, प्रशासन-अपग्रेडेशन व स्पेशल समस्याओं के लिए अनुदान, स्थानीय संस्थाओं (पंचायतों व नगरपालिकाओं) के लिए दिये जाने वाले अनुदान व आपदा-राहत के लिये दिये जाने वाले अनुदान शामिल किये हैं।

(iii) आयोग ने आदर्शात्मक (नोर्मेटिव) दृष्टिकोण को अधिक सुदृढ़ किया है। केन्द्र से राज्यों की तरफ हस्तान्तरण-प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण व कार्यकुशल बनाने के लिए *आयोग ने राज्यों को 'क्या करना चाहिए' पर विशेष ध्यान दिया है, न कि इस पर कि* वे 'वास्तव में क्या कर रहे हैं'। इसने राज्यों के साधनों के उपयोग की स्थिति को पूरी तरह ध्यान में रखा है। इस प्रकार आयोग ने राज्यों के द्वारा आधार-वर्ष में उपलब्ध राजस्व से ज्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है।

(iv) **राजकोषीय अनुशासन (fiscal discipline) के लिए प्रेरणाएँ दी गयी हैं।** आयोग ने कर्ज-राहत की स्कीम इस प्रकार से तैयार की है ताकि सम्बद्ध राज्य को कर्ज-सकल घरेलू-उत्पाद का अनुपात घटाने की उचित प्रेरणा मिल सके।

(v) **संघीय हस्तान्तरणों के सम्बन्ध में एक समग्र दृष्टिकोण (holistic approach) अपनाया गया है।** आयोग ने हस्तान्तरण का जो मॉडल या प्रारूप सुझाया है, उसमें योजना-राजस्व-अनुदान (Plan-revenue-grants) हस्तान्तरण-पैकेज में से अन्तिम (Residual) बचत के रूप में प्रगट होते हैं। **इसके लिए योजना व गैर-योजना राजस्व-अनुदानों पर एक साथ विचार करने की नीति अपनायी गयी है ताकि बजट-संतुलन व सार्वजनिक वित्त की पुनर्रचना के उद्देश्य एक साथ प्राप्त किये जा सकें।** इस प्रकार वित्त आयोग द्वारा राजस्व-व्यय (योजना व गैर-योजना) पर समग्र रूप से विचार किया गया है।

सार्वजनिक वित्त की पुनर्रचना के लिए सुझाव

आयोग ने अपनी रिपोर्ट के तीसरे अध्याय में केन्द्र व राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जो इस प्रकार हैं—

(i) **आयोग का मत है कि मौद्रीकृत घाटे (Monetised deficit) (घाटे की व्यवस्था मुद्रा-प्रसार के माध्यम से करना) की सीमा (GDP) से जोड़ी जानी चाहिए। सरकार की बाह्य उधार की मात्रा भी सीमित रहनी चाहिए** क्योंकि बाह्य ऋण-सेवा भार ज्यादा होने से बाहरी दबाव बढ़ते हैं। घरेलू उधार का भी ब्याज की दर व निजी क्षेत्र के निवेश पर असर पड़ता है। इसलिए कर्ज का GDP से अनुपात एक बिन्दु से परे नहीं बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार ब्याज की देनदारी राजस्व-प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ऐसे स्तर पर सीमित की जानी चाहिए ताकि उपलब्ध प्राप्तियों से व्यय की जरूरतें पूरी की जा सकें। ऐसा करने से ही देश में आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकेगी। 2000–2005 की अवधि में महत्त्वपूर्ण आर्थिक पैरामीटरों में इस प्रकार के परिवर्तन करने पड़ेंगे ताकि सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में नई रचना करना सम्भव हो सके। इसके लिए निम्न परिवर्तन आवश्यक माने गये हैं।

मैक्रो-चलराशियों (Macro Variables) में परिवर्तनों का स्वरूप (अवधि 2000-2005)

आयोग की मान्यताएँ (assumptions)	1999–2000	2004–2005
(i) विकास की दर (प्रति वर्ष % में)	5 9	7 0–7 5
(ii) मुद्रास्फीति की दर(प्रति वर्ष % में)	3 5	5 5–5 0
(iii) चालू खाते की बकाया (GDP का %)	–1 5	–1 5
(iv) राजस्व-घाय (GDP का %)	6 76	1 0
(v) राजकोषीय घाटा (GDP का %)	9 83	6 5
(vi) कर-राजस्व (GDP का %)	14 0	16 7
(vii) गैर-कर राजस्व (GDP का %)	2 48	3 2
(viii) पूँजीगत व्यय (GDP का %)	4 17	6 6

तालिका से स्पष्ट होता है कि आगामी वर्षों में विकास की वार्षिक दर 7–7.5 प्रतिशत प्राप्त करनी होगी। मुद्रास्फीति की दर थोड़ी बढ़ सकती है। चालू खाते की बकाया

राशि GDP का (–) 1 5% रहने का अनुमान है । **राजस्व-घाटा व राजकोषीय घाटा दोनों में काफी कमी लानी होगी । राजस्व-घाटा (केन्द्र व राज्यों का मिलाकर) GDP का 2004-2005 तक 1% तक लाना होगा । राज्यों का तो वर्ष 2004-2005 तक राजस्व घाटा GDP के अनुपात के रूप में शून्य करना होगा ।** कर-राजस्व व गैर-कर-राजस्व तथा पूँजीगत व्यय (केन्द्र व राज्यों दोनों का मिलाकर) में GDP के अनुपात के रूप में वृद्धि करनी होगी । इस प्रकार ग्यारहवें वित्त आयोग ने सरकारों की राजकोषीय पुनर्रचना के लिए 'एक साहसी किस्म का राजकोषीय समायोजन का कार्यक्रम' (bold fiscal adjustment programme) प्रस्तुत किया है, जिसकी सफलता से केन्द्र व राज्यों की सरकारों की वित्तीय स्थिति में आवश्यक परिवर्तन आ सकता है । **यदि उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर आवश्यक परिवर्तन नहीं किये गये तो देश की सार्वजनिक वित्त की हालत आगामी वर्षों में अधिक प्रतिकूल हो सकती है । वित्त आयोग का मत है कि इससे अधिक साहसी कार्यक्रम को लागू करना आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से भारत की वर्तमान लोक- तान्त्रिक प्रणाली में सम्भव नहीं हो सकता ।**

उपर्युक्त तालिका में 2004-2005 के लिए कर-राजस्व में GDP के अनुपात के रूप में जो 2 7% बिन्दुओं की वृद्धि अनुमानित की गयी है, उसमें से केन्द्र के कर-GDP अनुपात में वृद्धि लगभग 1 5% बिन्दुओं की होगी और राज्यों के कर-GDP अनुपात में 1 2% बिन्दुओं की वृद्धि होगी ।

परोक्ष करों की बॉयन्सी को सुधारने के लिए सेवाओं को कर के दायरे में लाना जरूरी हो गया है क्योंकि **भारत में सेवा-क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का 50% से भी ज्यादा अंश सृजित होने लगा है ।** इसके लिए सेवाओं की समवर्ती सूची (Concurrent list) में लाया जाना चाहिए । राज्यों की बिक्री-करों में प्रतिस्पर्धात्मक कटौती करने से बचना चाहिए । इसके लिए हाल में न्यूनतम बिक्री-करों में समानता की अपनायी गयी नीति उपयुक्त मानी जा सकती है । वर्तमान में 13 राज्यों में व्यवसाय-कर (Profession tax) लगा हुआ है जिसकी अधिकतम सीमा 1988 में 2500 रु निर्धारित की गयी थी, जिसे अब संसदीय कानून के मार्फत बदला जाना चाहिए । बकाया कर-राजस्व की वसूली कड़ाई से की जानी चाहिए । आर्थिक व सामाजिक सेवाओं के लिए प्रयोगकर्त्ताओं से उचित चार्जेज वसूल किये जाने चाहिए । सेवाओं की लागतों को यथासम्भव कम किया जाना चाहिए ।

इसके लिए कार्यकुशलता में वृद्धि करना भी आवश्यक होगा । राज्यों को कर्जों व अग्रिम राशियों से अधिक ब्याज प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि उन्हें उधार लेने पर ऊँचा ब्याज भरना पड़ता है । खनिजों पर रॉयल्टी की दरों में आवश्यक संशोधन करके राज्य अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं ।

आयोग का मत है कि सरकार को वेतन, पेंशन, ब्याज व सब्सिडी की राशि की वृद्धि पर लगाम लगानी होगी । सार्वजनिक वित्त की पुनर्रचना के लिए यह नितान्त आवश्यक हो गया है । मजदूरी व वेतन राजस्व-प्राप्तियों के एक निश्चित अनुपात से अधिक नहीं बढ़ाये जाने चाहिए । **जब कीमतों की वृद्धि के कारण कर्मचारियों को वर्ष में दो**

बार पूरी क्षति-पूर्ति दे दी जाती है, तब हर दस वर्ष बाद एक वेतन आयोग नियुक्त करना जरूरी नहीं होना चाहिए। इसकी नियुक्ति विशेष परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय राज्यों की सलाह से तय किये जाने चाहिए। वेतन व भत्तों का राजस्व व्यय से सम्बन्ध तय किया जाना चाहिए। इनका सम्बन्ध राज्यों की स्वयं की भुगतान करने की क्षमता से होना चाहिए। केन्द्र की सहायता पर आश्रित होकर राज्यों को अपने वेतन मान संशोधित नहीं करने चाहिए। समस्त देश के कर्मचारियों के वेतन व भुगतानों के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद् (*Inter-State Council*) में एक राष्ट्रीय नीति तय की जा सकती है।

हाल के वर्षों में पेंशन की राशि में तीव्र गति से वृद्धि पायी गयी है। सुरक्षा-पेंशन में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। इनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए एक कोष बनाने पर विचार किया जा सकता है। राज्यों पर ब्याज का भार कम करने के लिए ऊँचे ब्याज पर लिया गया 25 वर्ष का कर्ज कम ब्याज की दरों पर 15 वर्ष के लिए बदलने पर विचार किया जा सकता है। गैर मेरिट सब्सिडी कम की जानी चाहिए। योजना-राजस्व-व्यय की भरपायी यथासम्भव गैर-योजना राजस्व-व्यय की पूर्ति के बाद चालू राजस्व की बकाया राशि (Balance from Current Revenues) (BCR) से होनी चाहिए, न कि उधार की राशि से। उधार की राशि तो केवल निवेशों के लिए ली जानी चाहिए। निजी निवेशों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। केन्द्र-प्रवर्तित स्कीमों (CSS) को राज्यों को हस्तान्तरित करने का प्रयास तेज किया जाना चाहिए। आर्थिक सुधारों के दौर में सरकार का आकार ठीक किया जाना चाहिए। इससे नोकरशाही पर होने वाले व्यय को कम करने में सफलता मिल सकेगी। सरकार में अपव्यय व अकार्यकुशलता को हर सम्भव तरीके से कम किया जाना चाहिए। अनावश्यक सरकारी विभागों को बंद किया जाना चाहिए। सरकारी व्यय की कार्यकुशलता में वृद्धि की जानी चाहिए। **व्यय को योजना व गैर-योजना तथा विकास व गैर-विकास श्रेणियों में विभाजित करने पर जरूरत से ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। सरकारी व्यय के प्रबंध व नियन्त्रण तथा बजटिंग की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए।** भारत में प्रोजेक्ट-नियोजन व उसकी बजटिंग की व्यवस्था को अधिक कार्यकुशल बनाया जाना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा होकर लाभ व प्रतिफल देना प्रारम्भ कर सके। अब यह महसूस किया जाने लगा है कि राजस्व व पूँजीगत दोनों प्रकार के खर्चों को योजना व गैर योजना शीर्षकों में विभाजित करने की प्रक्रिया में रख-रखाव के खर्चों (maintenance expenditure) को ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती है क्योंकि इन्हें प्रायः गैर-योजना मद में डाल दिया जाता है।

सार्वजनिक उपक्रमों की पुनर्रचना पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए उनकी प्रबन्ध-व्यवस्था को अधिक स्वायत्त, जवाबदेही, पेशेवर, पारदर्शी व टिकाऊ बनाया जाना चाहिए। कई घाटे में चलने वाली इकाइयों के पास भूमि व अन्य वास्तविक जायदाद (real estate) बहुत ऊँचे बिक्री-मूल्य की पायी जाती है जिसे बेचकर अन्य इकाइयों में लगाकर उनका विस्तार किया जा सकता है।

सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए सभी प्रकार के सुधार किये जाने चाहिए । राज्यों के विद्युत-बोर्डों व राज्य-सड़क-परिवहन-निगमों में सुधार की प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए ताकि इनके घाटे कम किये जा सकें ।

कर्ज पर नियन्त्रण के लिए संविधान के अनुच्छेद 292 व अनुच्छेद 293 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा उधार व गारंटियों पर संसद द्वारा सीमाएँ निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है । अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत राज्यों की उधार (state borrowings) व राज्य सरकारों द्वारा कर्जो पर दी जाने वाली गारंटियों पर राज्य विधानसभाओं द्वारा सीमाएँ निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है । इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति का भी प्रावधान है, बशर्ते कि राज्यों पर बकाया केन्द्रीय कर्ज हो; अथवा ऐसे कर्ज जिन पर केन्द्रीय सरकार ने गारंटी दे रखी हो । अभी तक संविधान की इन व्यवस्थाओं का प्रभावी उपयोग नहीं किया गया है । लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इनका उपयोग करना जरूरी हो गया है । यदि आवश्यक हो तो अन्य संवैधानिक व कानूनी परिवर्तन भी किये जा सकते हैं । **सरकार ने इस सम्बन्ध में राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट-प्रबन्धन बिल, 2000** (Fiscal Responsibility and Budget Management Bill, 2000) संसद में प्रस्तुत किया है, ताकि केन्द्र व राज्यों के उधार पर अंकुश लगाया जा सके ।

वित्त आयोग का मानना है कि उपर्युक्त सुझावों को लागू करने पर केन्द्र व राज्यों में सार्वजनिक वित्त की पुनर्रचना व पुनर्गठन में काफी मदद मिलने की आशा की जा सकती है ।

ग्यारहवें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें

(1) आयोग ने संघीय करों व शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों की 28% तथा इनकी ही अतिरिक्त 1.5% राशि उन राज्यों को देने की सिफारिश की है जो चीनी, टेक्सटाइल्स व तम्बाकू पर बिक्री-कर वसूल नहीं करते हैं । **इस प्रकार संघीय करों व शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का 29.5% राज्यों को वितरित किया जाएगा ।**

(2) आयोग ने राज्यों में करों से प्राप्त शुद्ध राशियों के वितरण के आधार इस प्रकार सुझाये हैं—

(XI) वें वित्त आयोग द्वारा		(X) वें वित्त आयोग के आधार
(i) जनसंख्या	10%	(20%)
(ii) प्रति व्यक्ति आय (अधिकतम से दूरी के आधार पर)	62.5%	(60%)
(iii) क्षेत्रफल	7.5%	(5%)
(iv) इन्फ्रास्ट्रक्चर सूचकांक	7.5%	(5%)
(v) कर-प्रयास	5%	(10%)
(vi) राजकोषीय अनुशासन	7.5%	—

संघीय करों से प्राप्त शुद्ध राशियों में राज्यवार आवंटन के प्रतिशत आगे की तालिका में दिये गये हैं, जहाँ उनकी तुलना दसवें वित्त आयोग के आवंटनों से की गयी है।

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र के कुल राजस्व के उस अंश पर सीमा लगा दी है जो राज्यों में वितरित किया जा सकता है। **यह सीमा (cap) केन्द्र की राजस्व-प्राप्तियों का 37.5% रखी गयी है।** इनमें केन्द्र की करों व गैर-करों दोनों की प्राप्तियाँ शामिल की गयी हैं।

(4) पंचायतों के लिए प्रति वर्ष अनुदान की राशि 1600 करोड़ रु व म्यूनिसिपैलिटियों के लिए 400 करोड़ रु रखी गयी है। इस प्रकार दोनों के लिए पाँच वर्ष के लिए कुल 10,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

(5) आपदा-राहत के लिए राष्ट्रीय कोष (NFCR) को वर्तमान रूप में समाप्त कर दिया गया है और **एक पृथक कोष-राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा कोष (National Calamity Contingency Fund) (NCCF) भारत सरकार के सार्वजनिक खाते (Public Account) के अन्तर्गत सृजित किया गया है।** इसमें भारत सरकार ने प्रारम्भ में 500 करोड़ रु का अंशदान दिया है। इसमें से जब भी राशि निकाली जायगी तभी उसकी पुनर्भरती करों पर स्पेशल सरचार्ज लगाकर की जायगी। इसके लिए आवश्यक कानून बना दिया जायगा।

(6) केन्द्रीय कर-राजस्व की राशियों के आवंटन के बाद भी **कुछ राज्यों को गैर-योजना राजस्व-खाते में घाटा रहेगा, उसके लिए संविधान के अनुच्छेद (1) के तहत 35,359 करोड़ रु. के सहायतार्थ-अनुदानों (grants-in-aid) की व्यवस्था की गई है जो *2000-2005 की अवधि में उनके कुल गैर-योजना राजस्व-घाटों की* राशि के बराबर होगी।** ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्त आयोग को एक स्थायी आयोग बनाने का महत्त्वपूर्ण सुझाव भी दिया है।

(7) आगे की तालिका में केन्द्र के करों की प्राप्तियों में राज्यों के अंश ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। साथ में तुलना के लिए दसवें वित्त आयोग के प्रस्तावित अंश भी दिये गये हैं ताकि इस बात की जानकारी हो सके कि केन्द्रीय करों के आवंटन में किस राज्य का अंश बढ़ा है तथा किसका घटा है।

(दशमलव के दो स्थानों तक)

राज्य	11वें वित्त आयोग के अनुसार अंश (%)	10वें वित्त आयोग के अनुसार अंश (%)	11वें वित्त आयोग के अनुसार लाभ में (Gainers) √
1 आन्ध्र प्रदेश	7 70 V	7 91 III	
2 अरुणाचल प्रदेश	0 24	0 66	
3 असम	3 28	3 42	
4 बिहार	14 60 II	11 29 II	√
5 गोआ	0 21	0 25	
6 गुजरात	2 82	3 88	
7 हरियाणा	0 94	1 24	
8 हिमाचल प्रदेश	0 68	1 81	
9 जम्मू कश्मीर	1 29	2 86	
10 कर्नाटक	4 93	4 86	√ मामूली
11 केरल	3 06	3 50	
12 मध्य प्रदेश	8 84 III	7 40 IV	√
13 महाराष्ट्र	4 63	6 23 VI	
14 मणिपुर	0 37	0 82	
15 मेघालय	0 34	0 74	
16 मिजोरम	0 20	0 68	
17 नागालैण्ड	0 22	1 06	
18 उडीसा	5 06	4 26	√
19 पंजाब	1 15	1 53	
20 राजस्थान	5 47 VI	4 97 VIII	√
21 सिक्किम	0 18	0 27	
22 तमिलनाडु	5 38	6 11 VII	
23 त्रिपुरा	0 49	1 13	
24 उत्तर प्रदेश	19 80 I	16 25 I	√
25 पश्चिम बंगाल	8 12 IV	6 84 V	√
कुल (सभी राज्य)	100 00	100 00 (लगभग)	

तालिका से स्पष्ट है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप कर-राजस्व (tax-revenue) के आवंटन में जिन राज्यों को फायदा हुआ है, वे इस प्रकार हैं— बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व मामूली रूप से कर्नाटक ।

केन्द्रीय सरकार ने ग्याहरवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में दी गयी लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली थी । आयोग ने केन्द्र व राज्यों की सार्वजनिक वित्त की स्थिति का बारीकी से अध्ययन करके एक विस्तृत व काफी उपयोगी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और **इसमें विकास की दर, मुद्रास्फीति की दर, कर-सकल घरेलू उत्पाद-अनुपात, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, पूँजीगत व्यय, आदि के सम्बन्ध में 2004-2005 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, यदि वे प्राप्त कर लिये जाते हैं, तो निश्चित रूप से देश की राजकोषीय स्थिति काफी सीमा तक सुधर जायगी** । लेकिन पिछली अवधि के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है । फिर भी भारत को अपनी आर्थिक व वित्तीय हालत सुधारने के लिए इस दिशा मे प्रयास करना ही होगा ।

वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रति असंतोष व आपत्तियाँ

भारत के सार्वजनिक वित्त के इतिहास मे पहली बार किसी वित्त आयोग की सिफारिशों व सुझावों का इतना भारी विरोध देखने मे आया है । आन्ध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चन्द्रबाबू नायडू ने 21 अगस्त, 2000 को दिल्ली में आयोजित 8 राज्यों के सम्मेलन में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को आर्थिक सुधार करने वाले व उत्तम कार्य करने वाले राज्यों (Reforming and Performing States) के हितो के विपरीत बतलाया था । इस सम्मेलन में छः मुख्यमंत्री—आन्ध्र प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, पजाब व हरियाणा के; महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री व तमिलनाडु के विधि मंत्री उपस्थित थे । उनकी मांग थी कि केन्द्र द्वारा राज्यों को अपने मूल राजस्व का 37.5% अंश वितरित करने की ऊपरी सीमा हटा कर इसे न्यूनतम सीमा घोषित कर देना चाहिए, केन्द्रीय कर-राजस्व का आवंटन 29.5% को बजाय 33.5% किया जाना चाहिए । जिन राज्यों पर ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से विपरीत प्रभाव पड़ा है उनके लिए एक स्पेशल-कोष का निर्माण करके उन्हें विशेष मदद देनी चाहिए । सम्मेलन में कुछ और सुझाव उभर कर सामने आये थे जो इस प्रकार हैं—

(i) राजस्व-घाटे सम्बन्धी अनुदान केवल विशिष्ट (स्पेशल) श्रेणी के राज्यों को ही दिये जाने चाहिए ।

(ii) अन्य राज्यों को राजस्व-घाटे के अनुदान न देकर उन्हें करों में ज्यादा अंश दिया जाना चाहिए ।

(iii) आय को असमानताओं को मापने के लिए 1991 का आधार-वर्ष लिया जाना चाहिए ।

(iv) कर्ज-राहत का अनुमान लगाने में (debt-relief computation) केन्द्रीय कर-आवंटन की राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

(v) योजना व गैर-योजना अनुदानों के सम्बन्ध में 2000-2001 के बजट-प्रावधानों को बनाये रखना चाहिए ।

(vi) कर-पुनर्निर्धारण की स्पेशल स्कीमें (special debt rescheduling schemes) विकसित की जानी चाहिए ।

(vii) स्थानीय निकायों के लिए आवंटन बढ़ाये जाने चाहिए ।

इसके अलावा 21 अगस्त, 2000 के उक्त सम्मेलन में अन्तर्राज्यीय परिषद् की राष्ट्रीय विकास-परिषद् की बैठक बुलाकर इन मुद्दों पर चर्चा कराने पर जोर दिया गया ताकि घाटे में रहने वाले राज्यों के प्रति उचित न्याय किया जा सके । **लेकिन प्रधानमंत्री ने अन्तर्राज्यीय परिषद् की बैठक बुलाने से इन्कार कर दिया और यह कहा गया कि ग्यारहवें वित्त आयोग की पूरक रिपोर्ट में जो अगस्त 2000 के अंत तक पेश की जानी है** राज्यों की शिकायतों पर विचार करके घाटा उठाने वाले राज्यों के हितों का ध्यान रखा जाय, और यथा-सम्भव आवश्यक अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाय । अत: भारत में केन्द्र-राज्य वित्त-सम्बन्धों में एक कटुता या कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसे शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है ।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों (total central transfers) में कौन-से राज्य फायदे में रहे और कौन-से राज्य घाटे में रहे ?

निम्न तालिका में ग्यारहवें व दसवें वित्त आयोगों द्वारा कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों में विभिन्न राज्यों के अंशों की तुलना की गयी है जिससे यह ज्ञात हो सकेगा कि किनको कितना फायदा हुआ और किनको कितनी हानि हुई है ।

(कुल केन्द्रीय हस्तान्तणों में अंश)

राज्य	11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार (2000-2005)	10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार (1995-2000)	XIवें वित्त आयोग के नार्म अपनाने से 2000-2005 की अवधि में दसवें वित्त आयोग के नॉर्मों की तुलना में लाभ (+) या हानि (–)	
(1)	(2) (% में)	(3) (% में)	(4) (% में)	(5) (करोड़ रु. में)
1 आंध्र प्रदेश	7 13	7 98	(–) 0 85	(–) 3697
2 अरुणाचल प्रदेश	0.53	0 78	(–) 0 25	(–) 1087
3 असम	3 05	3 67	(–) 0 62	(–) 2696
4 बिहार	13 04	10 88	(+) 2 16	(+) 9394
5 गोआ	0 19	0.27	(–) 0 08	(–) 348

क्र.	राज्य	11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार (2000-2005)	10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार (1995-2000)	XIवें वित्त आयोग के नार्म अपनाने से 2000-2005 की अवधि मे दसवें वित्त आयोग के नॉर्मों की तुलना मे लाभ (+) या हानि (–)	
6	गुजरात	2.76	3.92	(–) 1.16	(–) 5045
7	हरियाणा	0.97	1.23	(–) 0.26	(–) 1131
8	हिमाचल प्रदेश	1.72	2.10	(–) 0.38	(–) 1653
9	जम्मू कश्मीर	3.78	3.23	(+) 0.55	(+) 2392
10	कर्नाटक	4.53	4.64	(–) 0.11	(–) 478
11	केरल	2.83	3.41	(–) 0.58	(–) 2522
12	मध्य प्रदेश	8.05	7.10	(+) 0.95	(+) 4132
13	महाराष्ट्र	4.46	6.05	(–) 1.59	(–) 6915
14	मणिपुर	0.74	0.94	(–) 0.20	(–) 870
15	मेघालय	0.68	0.83	(–) 0.15	(–) 652
16	मिजोरम	0.58	0.79	(–) 0.21	(–) 913
17	नागालैण्ड	1.02	1.23	(–) 0.21	(–) 913
18	उड़ीसा	4.77	4.28	(+) 0.49	(+) 2131
19	पंजाब	1.25	1.58	(–) 0.33	(–) 1435
20	राजस्थान	5.42	5.03	(+) 0.39	(+) 1696
21	सिक्किम	0.38	0.31	(+) 0.07	(+) 304
22	तमिलनाडु	4.97	5.89	(–) 0.92	(–) 4000
23	त्रिपुरा	1.00	1.27	(–) 0.27	(–) 1174
24	उत्तर प्रदेश	18.05	15.95	(+) 2.10	(+) 9133
25	पश्चिम बंगाल	8.10	6.61	(+) 1.49	(+) 6480
	कुल (सभी राज्य)	100.00	100.00	—	—
	कुल हस्तान्तरण राशि	434905.40	226643.30	—	—

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से केन्द्र के कुल हस्तान्तरणों में केवल 8 राज्यों—बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान व सिक्किम के हिस्सों में ज्यादा धनराशि आयी है। यदि दसवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित अंश (shares) ही (2000-2005 की अवधि) जारी रखे जाते तो इनको इतना फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन शेष 17 राज्यों को घाटा हुआ है। इनमें से कई राज्य तो काफी घाटे में रहे हैं; विशेषतया महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व हरियाणा को काफी क्षति पहुँची है। यदि दसवें वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर इनको केन्द्र के कुल हस्तान्तरणों में आवंटन किया जाता है इन्हें ज्यादा धनराशि मिल सकती थी। जिन राज्यों को फायदा मिला है उनमें से 5 राज्य 'बोमारू' (BOMARU) राज्यों की श्रेणी में आते हैं—ये हैं—बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश। इन्हें विशेष रूप से प्रति व्यक्ति आय की दूरी के आधार पर 62.5% भार दिये जाने के कारण लाभ मिला है। जनसंख्या का 10% भार भी इनके पक्ष में गया है। प्रोफेसर पी.आर. ब्रह्मानन्द का मत है कि आयोग ने *प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए 1991 की जनसंख्या* को आधार बनाया है। यदि वह 1971 की जनसंख्या को काम में लेता है तो तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा व पंजाब राज्यों को अधिक राशि मिल सकती थी। इसलिए आयोग द्वारा 1991 की जनसंख्या के आंकड़े प्रति व्यक्ति आय की गणना में प्रयुक्त करना सही नहीं माना जा सकता। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की इस बात को लेकर भी आलोचना की गयी है कि इसने आर्थिक सुधार व आर्थिक विकास की दिशा में उत्तम काम करने वाले राज्यों को सजा दी है तथा इन दिशाओं में घटिया काम करने वाले राज्यों को इनाम दिया है। लेकिन यह निर्णय पूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि एक तरह से पिछड़े राज्यों को अधिक कोषों का दिया जाना उचित ही माना जायेगा, क्योंकि यह विकास में प्रादेशिक असमानता या विषमता को कम करने के लिए आवश्यक है।

पूरक रिपोर्ट, 30 अगस्त, 2000 की प्रमुख सिफारिशें

ग्यारहवें वित्त आयोग को 28 अप्रैल, 2000 को 'एक अतिरिक्त विचारार्थ विषय' पर अपना मत प्रगट करने के लिए कहा गया था। वह विषय यह था कि आयोग राज्यों के सम्बन्धों में मोनीटर करने लायक एक राजकोषीय सुधारों का कार्यक्रम (monitorable fiscal reforms programme) सुझाए जिसका उद्देश्य राज्यों का राजस्व-घाटा कम करना हो एवं आयोग साथ में यह भी सुझाये कि उनको गैर-योजना राजस्व-खाते के घाटों को पूरा करने के लिए दिये जाने वाले सहायतार्थ- अनुदानों को प्रस्तावित सुधार-कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति से किस प्रकार से जोड़ा जाय।

आयोग ने 30 अगस्त, 2000 को पेश की गई अपनी पूरक रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें की हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

(1) आयोग ने एक प्रेरणा कोष (Incentive-Fund) की स्थापना की सिफारिश की है, जिसके **भाग A** में राज्यों के लिए 2000-2005 की अवधि के लिए गैर-योजना-राजस्व-घाटे की पूर्ति के लिए निर्धारित सहायतार्थ अनुदानों की राशि का 15% अंश रोक लिया जायगा, जो 5303 86 करोड़ रु होगा (कुल 35359 करोड़ रु का 15%) जिसे राज्यों की राजकोषीय सुधारों की कार्यसिद्धि (performance) के आधार पर वितरित किया जाएगा।

(2) केन्द्र, **भाग B** में, अपना अंशदान भी इतना ही अर्थात्, 5303 86 करोड़ रु रखेगा, *जिसका राज्यों में आवंटन उनकी राजकोषीय सुधारों की कार्यसिद्धि के आधार पर* किया जाएगा।

इस प्रकार प्रेरणा-कोष की कुल राशि 10607.72 करोड़ रु. हो जाएगी।

(3) इस कोष का संचालन एक मोनीटरिंग-एजेन्सी करेगी जिसमें **योजना आयोग, वित्त-मंत्रालय (भारत सरकार) व राज्य सरकार का प्रतिनिधि होगा।**

(4) प्रत्येक राज्य का अंश 1971 की जनगणना में भारत की जनसंख्या में उसके अनुपात के आधार पर, भाग B की राशि में से किया गया है। लेकिन राज्य को मिलने वाली राशि उसकी कार्यसिद्धि (performance) के आधार पर ही तय होगी, जैसे आधी कार्यसिद्धि (performance) होने पर उसे निर्धारित राशि का आधा अंश ही मिल पायेगा।

राजस्थान का *अंश* 2000-2005 के लिए 251.63 करोड़ रु. निर्धारित किया था जो 5303.86 करोड़ रु. की भाग B, की राशि का 4.74% आंका गया है।

उत्तर प्रदेश का अंश 16.27%, बिहार का 10.38%, मध्य प्रदेश का 7.67%, महाराष्ट्र का 9.28% व आंध्र-प्रदेश का 8.01% रखा गया है। डॉ. ए. बागची, सदस्य ग्यारहवाँ वित्त आयोग, ने आयोग की सिफारिशों के प्रति अपनी पूर्ण असहमति प्रकट की थी।

बारहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन बनाये गये हैं। आयोग को अपनी सिफारिशे 2005-2010 की अवधि के लिए प्रस्तुत करनी है।

ग्यारहवाँ वित्त आयोग व राजस्थान

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से राजस्थान पर अनुकूल प्रभाव आया है। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों से केन्द्रीय कर-राजस्व में राजस्थान का अंश 4.97% रहा था जो ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 5.47% हो गया है। कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों में यह 5.03% से बढ़कर 5.42% हो गया है। 2000-2005 की अवधि में कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों में राजस्थान को ग्यारहवें वित्त आयोग के सूत्र के अनुसार दसवें वित्त आयोग के सूत्र की तुलना में लगभग 1700 करोड़ रु. अधिक मिलने का *अनुमान लगाया गया है*। कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों में केन्द्रीय करों व शुल्कों में अंश, गैर-योजना राजस्व-घाटा अनुदान, प्रशासन-अपग्रेडेशन व विशेष समस्याओं के लिए अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए **अनुदान व राहत-व्यय अनुदान शामिल किये जाते हैं।**

राजस्थान को कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों की राशि दसवें वित्त आयोग के द्वारा 11401 करोड़ रु. प्रदान की गयी थी, जिसे ग्यारहवें वित्त आयोग ने बढ़ा कर 23589 करोड़ रु. कर दी है । इस प्रकार इसमें 107% की वृद्धि की गयी है । इससे राज्य को वित्तीय क्षेत्र में राहत अवश्य मिलेगी । लेकिन राज्य पर बकाया कर्ज व ब्याज का भार काफी ऊँचा है तथा बढ़ता राजस्व-घाटा व बढ़ता राजकोषीय घाटा चिंता के कारण बने हुए हैं ।

अब हमें राज्य के लिए कुछ राजकोषीय सूचकों (fiscal indicators) पर प्रकाश डालेंगे और उनके सन्दर्भ में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन करेंगे ।

(1) राजस्थान में राज्य के स्वयं के कर-राजस्व का सकल-घरेलू-उत्पाद से अनुपात (own-tax revenue to GDP ratio) 1994-95 से 1996-97 में औसत रूप से 5.33% रहा, जबकि तमिलनाडु में यह 8.47% (सर्वोच्च) तथा मिजोरम में 0.56% (न्यूनतम) रहा । अत: राज्य मे स्वयं के कर-राजस्व में वृद्धि की आवश्यकता है । बेहतर कर-वसूली से तथा मूल्य वर्धित कर (VAT) प्रणाली को बिक्री-कर के स्थान पर लागू करके इसमें सुधार किया जा सकता है । कर-प्रशासन को भी सुदृढ़ करना होगा ।

(2) राजस्व घाटे व राजकोषीय घाटे की स्थिति (राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति के संदर्भ में) (1998-99 से 2002-2003 तक) (वास्तविक)

(करोड़ रु.)

वर्ष	राजस्व-घाटा	राजकोषीय घाटा	राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) (प्रचलित भावों पर) (संशोधित सिरीज)	राजस्व-घाटा GSDP के अनुपात में (%)	राजकोषीय घाटा GSDP के अनुपात में (%)
1998-1999	2996 3	5150 9	73118	4.1	7 0
1999-2000	3639 9	5361.2	78481	4 6	6 8
2000-2001	2633 6	4313 2	79600	3.3	5.4
2001-2002	3795 7	5748 0	89727	4.2	6.4
2002-2003	3933 9	6114.0	85355	4.6	7.2

तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य में राजस्व-घाटा 1998-99 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% तथा राजकोषीय घाटा 7.0% रहा जो 1999-2000 में राजस्व-घाटा GSDP का 4.6% व राजकोषीय घाटा 6.8% रहा एवं ये दोनों काफी ऊँचे बिन्दु पर थे । 2002-03 में राजस्व घाटा GSDP का 4.6% व राजकोषीय घाटा 7.2% रहा। भविष्य में इनको कम करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए ।

राज्य में राजकोषीय घाटे के बढ़ने के कारण उधार की राशि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है । राजस्व-घाटा राजकोषीय घाटे के अनुपात के रूप में 2002-03 में 64% (लगभग 2/3) रहा, जो काफी ऊँचा था । इससे राज्य में राजकोषीय घाटे

की कमजोर गुणवत्ता का पता चलता है, क्योंकि उधार की 2/3 राशि चालू खर्च की पूर्ति में लगायी जाती है। यदि यह विकास-कार्य या पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण में लगायी जाती तो विशेष चिन्ता की बात नहीं थी। अत: भविष्य में राजस्व-घाटे को कम करने का प्रयास करना होगा।

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पर बकाया कर्ज की राशि मार्च 1999 व मार्च 2000 के अंत में इस प्रकार रही।[1]

(करोड रु.)

अवधि	केन्द्रीय कर्जों की राशि	बाजार ऋण व बाड	बैंको से कर्ज, आदि	प्रोविडेण्ड कोष, आदि	कुल कर्ज*	सभी राज्यो का अश (%)
31 मार्च, 1999 के अत में	9933 8	4229 6	665 2	5394 3	20222 9	6 0
31 मार्च, 2000 के अत में	12222 1	5019 0	1776 5	6516 9	25534 5	6 4

इस प्रकार राज्य पर बकाया कर्ज की राशि मार्च 1999 के अंत में सभी राज्यों की बकाया कर्ज का 6% थी, जो मार्च 2000 के अंत में बढ़ कर 6 4% पर आ गयी थी।

राज्य पर बकाया कर्ज की राशि मार्च 1999 के अंत में 1998-99 की राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति का 30.8% थी, जो मार्च 2000 के अंत में 1999-2000 की GSDP का 37.7% हो गयी। यदि भविष्य में बकाया कर्ज की राशि द्रुतगति से बढ़ती गई और GSDP में धीमी गति से वृद्धि हुई, तो कर्ज-GSDP अनुपात 50% को भी पार कर सकता है जो एक भयावह स्थिति मानी जायगी।

ग्यारहवें वित्त आयोग का मत है कि केन्द्र व राज्यों पर बकाया कर्ज की राशि सकल घरेलू उत्पाद का 1999–2000 में 65% हो गई थी, जिसे घटा कर 2004–2005 (सुधार-परिदृश्य (reform-scenario) के आधार पर) में 55% पर लाया जाना चाहिए। इसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

वर्ष	केन्द्र पर बकाया कर्ज GDP के अनुपात में (%)	राज्यो पर बकाया कर्ज GDP के अनुपात में (%)	केन्द्र के द्वारा राज्यो को कर्ज की राशि-*GDP* के अनुपात में (%)	केन्द्र व राज्यो पर कुल कर्ज *GDP* के % में
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2-3)
1999-2000	53	25	13	65
2004-2005 (सुधार-परिदृश्य के आधार पर)	48	27	20	55

1 Report of the EFC (2000–2005), pp 282–283, ये आँकड़े राज्य के वित्त-विभाग के आँकड़ों से थोडे भिन्न हैं।

* इसमें RBI के 'वेज एण्ड मीन्स एडवान्सेज' व 'रिजर्व कोष तथा जमाएँ' शामिल नहीं हैं।

तालिका के कॉलम (4) में हमने कॉलम (1) व (2) के जोड़ में से कॉलम (3) की मात्रा घटायी है जो दोहरी गिनती को टालने के लिए जरूरी है । केन्द्र द्वारा राज्यों को दिया गया कर्ज वस्तुत: कॉलम (2) का अंश है । अत: इसे घटाना होगा । इस प्रकार ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह नॉर्म रखा है कि 2004-2005 में राज्यों पर कुल बकाया कर्ज GDP का 27% से अधिक नहीं होना चाहिए । इसमें केन्द्र द्वारा राज्यों को दिया गया 20% कर्ज भी शामिल है । **चूँकि राजस्थान में 1999-2000 में बकाया कर्ज GSDP का 37-38% आ गया है, जो काफी ऊँचा है, इसलिए भविष्य में राज्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कर्ज- GSDP अनुपात को घटा कर 30% से नीचे लाने** की होगी । ऐसा कर सकने के लिए एक तरफ कर्ज पर नियंत्रण रखना होगा, और दूसरी तरफ GDP में वार्षिक वृद्धि दर काफी ऊँची (15% से भी अधिक प्रचलित भावों पर) रखनी होगी ।

कर्ज-GSDP अनुपात, राजकोषीय घाटा- GSDP अनुपात व विकास-दर (प्रचलित कीमतों पर) में परस्पर सम्बन्ध:

ग्यारहवें वित्त आयोग ने कर्ज-GSDP अनुपात को एक विशेष स्तर पर स्थिर करने के लिए इस बात पर बल दिया है राजकोषीय घाटे का GSDP से अनुपात पूर्णतया नियंत्रण में रखना होगा । इसके लिए आयोग द्वारा निम्न सूत्र का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है ।

$$f_t = a_t \left(\frac{g}{1+g}\right)_t ;$$

यहाँ f_t = राजकोषीय घाटे का GSDP से अनुपात का सूचक,

a_t = कर्ज-GSDP का अनुपात,

तथा g_t = **GSDP की वार्षिक वृद्धि-दर (प्रचलित कीमतों पर)**

मान लीजिए

a_t = 0.42 अथवा 42%

g_t = 0.20 अथवा 20% (मान्यता)

तो आवश्यक f_t या राजकोषीय घाटे का GSDP से अनुपात उपर्युक्त सूत्र का उपयोग करके निकाला जा सकता है

$$f_t = a_t\left(\frac{g}{1+g}\right) = 0.42\left(\frac{0.20}{1+0.20}\right)$$

$$= 0.42\left(\frac{0.20}{1.20}\right) = \left(\frac{0.42}{6}\right)$$

$$= 0.07 = 7\%$$

अत: कर्ज– GSDP को 42% पर कायम रखने के लिए विकास की वार्षिक दर 20% की दशा में राजकोषीय घाटा- GSDP अनुपात 7% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि राजकोषीय घाटा- GSDP अनुपात 7% से अधिक होता है, तो कर्ज-

GSDP अनुपात 42% पर कायम नहीं रह सकता । इसे बढ़ाना होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को अन्य दुष्परिणाम भुगतने होंगे । स्मरण रहे कि इस गणना में विकास की वार्षिक दर 20% मानी गयी है, जो राज्य के हाल के वर्षों के अनुभवों को देखते हुए काफी ऊँची है । इसलिए राज्य में राजकोषीय घाटे-GDP अनुपात को घटाना कठिन जान पड़ता है ।

उपर्युक्त विवेचन से राजस्थान के समक्ष गम्भीर राजकोषीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है । राजस्थान में ब्याज की देनदारी काफी बढ़ गयी है । यह 1997-98 में 1897 करोड़ रु., 1998-99 में 2243 करोड़ रुपये, 1999-2000 में 2870 करोड़ रु., 2000-2001 में 3339 करोड़ रु., 2001-2002 में 3878 करोड़ रु., 2002-2003 में 4300 करोड़ रु., 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में 4800 करोड़ रु. तथा 2004-05 के बजट-अनुमानों में 5166 करोड़ रु. हो गयी है । **2003-04 में ब्याज की देनदारी कुल राजस्व-प्राप्तियों का 31% तथा कुल राजस्व-व्यय का 25% आंकी गयी है, जो काफी ऊँची है ।** 2002-03 में गैर-योजना राजस्व-घाटा 3048 करोड़ रु. हुआ था, जो 2003-04 के सं. अनुमानों में 3085 करोड़ रु. रहा । अत: हाल के वर्षों में राजस्व-बजट खाते से योजना के वित्तीय पोषण में मदद मिलने की बजाय स्वयं गैर-योजना राजस्व घाटा रहने से गैर-योजना राजस्व-व्यय की पूर्ति के लिए उधार की व्यवस्था करनी पड़ी है । इस प्रकार योजना की वित्तीय व्यवस्था उधार पर आश्रित होती जा रही है जिससे ब्याज की देनदारी बढ़ती है, और परिणामस्वरूप राजस्व-घाटा बढ़ता है, जिससे पुन: उधार पर निर्भरता बढ़ती है; और इस प्रकार यह राजकोषीय या वित्तीय कुचक्र चलता रहता है ।

राजस्थान का नियोजित विकास तथा राज्य की वित्तीय स्थिति— समस्या व समाधान

राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए उत्तरोत्तर अधिक उधार की राशि पर निर्भर रहने की दशा उत्पन्न हो गयी है, जिससे राज्य पर कर्ज का भार द्रुतगति से बढ़ता जा रहा है । पूर्व सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 27.650 करोड़ रु. का निर्धारित किया था, लेकिन राज्य के समक्ष जटिल वित्तीय दशा के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि 1997-2002 की अवधि में प्रचलित भावों पर वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय का 70-72% ही हो पाया है । राज्य की 2002-03 की वार्षिक योजना का प्रारम्भिक आकार 5160 करोड़ रखा गया था जिसे बाद में संशोधित करके 4371 करोड़ रु. किया गया। वास्तविक व्यय 4431 करोड़ रु. ही हो पाया था । लगातार अकाल व सूखे के कारण राज्य की विकास दर भी 2002-03 में स्थिर भावों पर 8 9% ऋणात्मक रही । **इस प्रकार राज्य के समक्ष दोहरा संकट है—एक तो विकास की दर का नीचा रहना और दूसरा वित्तीय संकट का गहराते जाना । इसलिए राज्य को दसवीं पंचवर्षीय योजना (*2002-2007*) की अवधि के लिए एक नया *वित्तीय या राजकोषीय-परिदृश्य***

(fiscal-scenario) तैयार करना होगा जिसकी दिशा-सूचक रूपरेखा (guide-line) नीचे दी जाती है—

(1) राजस्व बढ़ाने व अनावश्यक व्यय को घटाने के लिए विस्तृत अध्ययन करके मदवार 2004-05 से लेकर 2008-09 तक के लक्ष्य निर्धारित किये जाने आवश्यक हैं, ताकि 2008-09 तक राजस्व-घाटा राज्य की सकल घरेलू उत्पाद के शून्य स्तर पर लाया जा सके (वैसे इसे सिद्धान्ततः शून्य के स्तर पर लाने की आवश्यकता तो सभी महसूस करते हैं, लेकिन व्यवहार में इसे बढ़ने से रोकना ही कठिन होता जा रहा है। इसके लिए केन्द्र की भाँति राजस्थान सरकार को भी राजकोषीय जिम्मेदारी व बजट-प्रबंधन अधिनियम' पारित करना चाहिए ताकि राजकोषीय घाटा व राज्य पर बकाया कर्ज आदि भी कम किये जा सकें। 2004-05 के बजट में इसके संकेत दिये गये हैं।

(2) राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा कम करने की रणनीति तैयार करना भी आवश्यक हो गया है। इसके लिए उनके सम्बन्ध में विनिवेश की नीति बनायी जा सकती है; यथासम्भव उनका परस्पर एकीकरण किया जा सकता है; उन्हें निजी हाथों में बेचा जा सकता है; अथवा, दूसरा कोई विकल्प न होने पर, उन्हें बंद भी किया जा सकता है। इसके लिए उपक्रमानुसार विस्तृत व ताजा जांच-पत्र तैयार किया जाना जरूरी है।

(3) राज्य में दी जाने वाली सब्सिडी (मेरिट व गैर-मेरिट) की जांच की जानी चाहिए और गैर-मेरिट सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करने का कार्यक्रम विधान-सभा में बजट के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि आवश्यक बहस के बाद निर्णय लेकर उसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।

(4) जिन करों की बॉयन्सी आय के सन्दर्भ में एक से कम है, उनको एक के बराबर लाने का प्रयास करना चाहिए; अर्थात् करो की आय के सन्दर्भ में बॉयन्सी बढ़ाई जानी चाहिए।

(5) सरकार के आकार को उचित स्तर पर लाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वार्षिक वृद्धि-दर राज्य में जनसंख्या की वृद्धि-दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति-स्कीम (VRS) के क्रियान्वयन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

(6) चूँकि सरकार के पास वित्तीय साधनों का नितान्त अभाव है, इसलिए राज्य के कुछ क्षेत्रों; जैसे पशुधन, खनिज सम्पदा, दस्तकारी, पर्यटन, निर्यात, आधार-ढांचे—आर्थिक व सामाजिक—के विकास के लिए निजी निवेश—स्वदेशी व विदेशी—को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रेरणादायक-पैकेज (incentive package) तैयार किया जाना चाहिए। जिसमें ब्याज की दरों, कर की दरों, इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिये जाएँ। इसमें केन्द्र की सहायता की भी आवश्यकता होगी। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में कर-राजस्व के आवंटनों व सम्पूर्ण वित्तीय हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश दसवें वित्त आयोग की तुलना में बढ़ाया है, लेकिन राज्य में अकाल

राहत की जरूरतों को देखते हुए वह पर्याप्त नहीं है । **अतः राज्य का आर्थिक विकास व सामाजिक कल्याण राज्य के आर्थिक साधनों के उचित विदोहन पर ही निर्भर करेगा।** इसलिए राज्य को अगले दशक के लिए 'विकास की एक स्पष्ट दूरदृष्टि' (clear development-vision) का आलेख तैयार करना चाहिए, जिसके अंदर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त **करने के लिए स्वदेशी व विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें सरकारी नीतियों की स्थिरता व सबलता की गारंटी देनी चाहिए । ऐसा करने से राज्य निश्चित रूप से विकसित राज्यों की पंक्ति में शामिल हो सकेगा और यह 'बीमारू राज्यों' की प्रचलित सूची से निकल पाएगा ।** भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार राज्य के आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक है और राज्य के द्रुतगति से विकास के प्रति कृत संकल्प है । आशा है वह रोजगारोन्मुख व ग्रामोन्मुख विकास का प्रगतिशील मार्ग अपना सकेगी ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. ग्यारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की तरफ किये गये कुल-केन्द्रीय हस्तान्तरणों मे राजस्थान का कितना अंश रखा है ?

   (अ) 5.03% (ब) 6.42%
   (स) 5.42% (द) 7.03% (स)

2. EFC ने राज्य का अंश केन्द्रीय (शुद्ध प्राप्त राशियो) करों के आवंटन में कितना रखा है ?

   उत्तर : 5.47%

3. भविष्य मे राज्य में विकास-दर को ऊँचा करने का कोई अधिक प्रभावी, व्यावहारिक व सुनिश्चित उपाय बताइए—

   (अ) निजी निवेश को प्रोत्साहन (ब) अकालो पर नियंत्रण
   (स) सरकारी सब्सिडी को घटाना (द) सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना (अ)

4. राज्य में राजस्व-घाटे को शून्य पर लाने के लिए आगामी पाँच वर्षों में क्या रणनीति होनी चाहिए ?

   (अ) राजस्व-प्राप्तियों में वृद्धि
   (ब) अनावश्यक व्यय में भारी कटौती
   (स) विकास की वार्षिक दर में द्रुतगति से वृद्धि
   (द) उधार पर कम निर्भरता
   (ए) सभी । (ए)

राजस्थान में आर्थिक सुधार व उदारीकरण (Economic Reforms and Liberalisation in Rajasthan)

भारत में आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की प्रक्रिया जुलाई 1991 से प्रारम्भ की गई थी जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक, आधुनिक व कार्यकुशल बनाना था ताकि भारतीय माल विश्व-प्रतिस्पर्धा में टिक सके और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ सके । इसके लिए बाजार-संयंत्र को अपनाने पर बल दिया गया ताकि आर्थिक निर्णयों में बाजार की भूमिका सर्वोपरि हो सके । अत: नई आर्थिक नीति में बाजारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण अथवा अन्तर्राष्ट्रीयकरण को अधिक महत्त्व दिया गया । नई नीति में लाइसेंस-व्यवस्था को धीरे-धीरे समाप्त करने, नियंत्रणों को हटाने, नौकरशाही का प्रभाव कम करने, सब्सिडी को यथासम्भव कम करने व खुली अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया गया । इसके लिए केन्द्र ने नई औद्योगिक नीति, विदेशी व्यापार नीति, कर-नीति, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की नीति आदि घोषित की । इन व्यष्टिगत आर्थिक नीतियों (Micro-economic policies) का उद्देश्य सम्बद्ध क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवर्तन करना था ताकि वस्तुओं के उत्पादन व उनकी पूर्ति में वृद्धि हो सके और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र काफी सुदृढ़ हो सकें । पिछले तेरह वर्षों (1991-2004) में केन्द्र की आर्थिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बढ़ा, भारत के विदेशी मुद्रा कोष बढ़े, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग व पोर्ट-फोलियो विनियोग (विदेशी संस्थागत विनियोगकर्त्ताओं के माध्यम से) बढ़ा, देश के निर्यात बढ़े, औद्योगिक उत्पादन की गति तेज हुई, मुद्रास्फीति पर कुछ सीमा तक नियंत्रण स्थापित

किया जा सका तथा देश अपनी अस्सी के दशक की ऊँची वार्षिक विकास-दर को पुन: प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ। इसका यह अर्थ नहीं कि आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की प्रक्रिया ने भारत को समस्त आर्थिक समस्याओं का समाधान कर दिया। सच तो यह है कि आज भी देश के समक्ष कई गम्भीर आर्थिक प्रश्न विद्यमान हैं, जैसे विदेशी कर्ज का बढ़ता भार, निर्धनता, बेरोजगारी व पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्याएँ, आदि। लेकिन इन सबके बावजूद एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आर्थिक सुधारों का मार्ग देश के हित में है। इसे सभी राजनीतिक दल स्वीकार करने लगे हैं, हालाँकि कुछ मुद्दों पर उनमें मतभेद पाए जाते हैं जो स्वाभाविक हैं। मुख्य बात यह है कि कोई भी दल पूर्ण रूप से सुधारों व उदारीकरण के विरुद्ध नहीं है। *विदेशी विनियोग को आकर्षित करने का विभिन्न* राज्य सरकारों द्वारा भी प्रयास किया गया है।

वर्तमान समय में देश में इस प्रकार का मानस प्रतीत होता है कि आर्थिक सुधारों की *प्रक्रिया को आवश्यक संशोधन के साथ जारी रखा जाए। इसे आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ* राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, कानूनी व अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए ताकि देश को अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा यह भी महसूस किया गया है कि **आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की प्रक्रिया को राज्य-स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए।** इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से मानी गई है।

राज्य-स्तर पर आर्थिक सुधार क्यों आवश्यक हैं ?

भारत की संघीय व्यवस्था (federal system) में अकेला केन्द्र सब कुछ नहीं **कर सकता। राज्य सरकारों का सहयोग सभी कार्यक्रमों में नितान्त जरूरी होता है।** देश में आर्थिक सुधारों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें आर्थिक सुधारों के प्रति उदासीन न रहें और उनका विरोध भी न करें। बल्कि वे इनकी सफलता में सक्रिय रूप से भागीदार बनें। केन्द्र व राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें अब भारत जैसे देश के लिए एक वास्तविकता बन चुकी हैं। इसलिए एक तरफ यह आवश्यक है कि केन्द्र की आर्थिक नीति राज्यों के हितों को किसी भी प्रकार से हानि न पहुँचाए और दूसरी तरफ यह भी आवश्यक है कि राज्य अपनी तरफ से केन्द्र की आर्थिक नीतियों को सफल बनाने में पूर्ण रूप से योगदान दें। इसमें समस्त राष्ट्र के भले के साथ-साथ राज्यों का अपना भला भी होगा। उनमें आर्थिक विकास की गति तेज होगी और लोगों को *गरीबी, अभाव, बेरोजगारी व पिछड़ेपन से कुछ सीमा तक मुक्ति मिलेगी।*

पूर्व में केन्द्र में विभिन्न गठबंधन सरकारों ने सहकारी संघवाद (Cooperative federalism) को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया था। इसके अन्तर्गत निर्णय की प्रक्रिया में राज्यों की अधिक भागीदारी स्वीकार की गई थी एवं राज्यों को अधिक स्वायत्तता (autonomy) देने का समर्थन किया गया था। केन्द्र व राज्यों के बीच विभिन्न प्रश्नों पर अधिक सार्थक विचार-विमर्श होना आवश्यक माना गया है। अन्तर्राज्यीय-परिषद् की बैठकों का अधिक उपयोग किया गया है ताकि राज्य सरकारों के विचार जाने जा सकें और उनकी उचित मांगों की पूर्ति की जा सके।

भारत के सुप्रसिद्ध राजकोषीय विशेषज्ञ (fiscal expert) डॉ. राजा जे. चेल्लैया का मत है कि देश में ऊँची विकास-दर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपना कर भारतीय अर्थ-व्यवस्था की क्षमता को बढ़ाएँ। ऐसा करके वे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद देदे सकती हैं। इसके लिए उन्हें मध्यम व दीर्घकाल के सन्दर्भ में निम्न कदम उठाने होंगे[1]—

(i) **कर-प्रणाली में सुधार करना होगा। ऐसा विशेषतया परोक्ष करों में करना होगा ताकि इन्पुटों पर कर न लगें, अथवा लागतों में वृद्धि न हो, और राज्यों के बीच होने वाले व्यापार में कोई रुकावट न आए।** इसके लिए मूल्यवर्धित कर (value added tax) (VAT) प्रणाली को अपनाना होगा और अन्तर्राज्यीय व्यापार पर कर नहीं लगाना होगा। राज्यों के बिक्री-कर की दरों में अधिक समानता लानी होगी और उनमें आपस में बिक्री-कर की दरों को कम करने की होड़ समाप्त करनी होगी। उन्हें अनुचित रियायत के माध्यम से अपने यहाँ विनियोग आकर्षित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनमें उस रियायत की किस्म व मात्रा पर आम समझौता होना चाहिए जो विशेष क्षेत्रों के पिछड़ेपन की क्षतिपूर्ति के लिए देनी वाजिब होगी।

(ii) **आगे आने वाले लगभग पाँच वर्षों में राजस्व- घाटा समाप्त करके बजट-संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।** इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की संख्या को तेजी से बढ़ने से रोकना होगा तथा गैर-विकास व्यय को सीमित करना होगा। साथ में सरकार को कई क्षेत्रों से हटना होगा और उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोलना होगा।

(iii) **इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए राज्य-स्तर पर विद्युत-दर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।** इसके लिए विद्युत मण्डलों के सम्बन्ध में पवार समिति की सिफारिशें लागू करनी होंगी। इसी प्रकार सड़क परिवहन निगमों में सरकारी पूँजी का विनिवेश (disinvestment) करना होगा। निजी क्षेत्र को सड़क, पुल, बंदरगाह आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और इस सम्बन्ध में नीतियों को तेजी से लागू करना होगा।

(iv) **घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बन्द करना होगा और उन इकाइयों की पूँजी बेचने की व्यवस्था करनी होगी** जिनका कोई संवर्धनात्मक (promotional) उद्देश्य नहीं है।

(v) **उद्योगों को शीघ्र स्वीकृतियाँ प्राप्त हो सकें** व काम करने की इजाजत मिल सके इसके लिए विधि-सम्बन्धी सुधार (procedural reforms) करने होंगे।

(vi) बड़े शहरों व बढ़ते नगरों में **स्थानीय प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त** बनाना होगा और स्थानीय कराधान में सुधार करना होगा।

इस प्रकार डॉ. चेल्लैया का विचार है कि राज्य-सरकारें कर-सुधार, बजट-संतुलन, आधार-ढाँचे के विकास, विशेषतया विद्युत व सड़क के विकास, सार्वजनिक

---

1 Dr Raja J Chelliah India As An Emerging Strong Common Market And The Role of The Economist, Presidential Address, printed in the Indian Economic Journal, January March 1995, pp 10-11

क्षेत्र की घाटे की इकाइयों को बन्द करके, उद्योगों को त्वरित स्वीकृतियाँ व क्लीयरेन्स देकर तथा स्थानीय प्रशासन को सुधार कर आर्थिक सुधार-कार्यक्रम को द्रुतगामी बनाने में योगदान दे सकती हैं।

इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे शिक्षा, चिकित्सा पेयजल, निर्धनता उन्मूलन, रोजगार-सृजन सामाजिक सुरक्षा आदि में राज्य सरकारें प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। कृषिगत विकास भी उन्हीं के दायरे में आता है। अतः देश में आर्थिक सुधारों की सफलता बहुत कुछ राज्य सरकारों के सहयोग व समर्थन पर निर्भर करती है। भविष्य में विकेन्द्रित व स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राम-पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला-परिषदों तथा नगरपालिकाओं को भी आर्थिक सुधारों के सन्दर्भ में उसी प्रकार की भूमिका निभानी होगी जिस प्रकार की अपेक्षा आज राज्य सरकारों से की जा रही है। **इस प्रकार केन्द्र, राज्य, जिला, खण्ड व ग्राम तथा नगर-स्तरों तक आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की लहर पहुँचनी चाहिए। तभी देश का चहुँमुखी विकास सम्भव हो सकेगा।**

राजस्थान में आर्थिक सुधार व उदारीकरण की नीतियाँ

नीतिगत दृष्टिकोण—राजस्थान में 1990 में विधान-सभा के चुनावों के फलस्वरूप प्रदेश में श्री भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में सरकार बनी थी और राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष को छोड़कर तब से राज्य में निरन्तर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में रही। वर्तमान में कांग्रेस के नेतृत्व में भारी बहुमत से नई सरकार कार्यरत है। यह भी आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण व सुधार की प्रक्रिया बहुत-कुछ औद्योगिक नीति (1990) के तहत ही चल पड़ी थी। पूर्व सरकारों ने अपने वार्षिक बजटों में समय-समय पर बिक्री-कर में सुधार की प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखा और उसमें राहतों व रियायतों का दौर बराबर जारी रहा। लेकिन सही रूप में राज्य में आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की प्रक्रिया का सिलसिला जून 1994 से प्रारम्भ हुआ जब राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। उसके बाद अगस्त 1994 में खनन-नीति, अक्टूबर 1994 में मार्बल नीति, जनवरी 1995 में ग्रेनाइट-नीति, दिसम्बर 1994 में नई सड़क नीति, दिसम्बर 1995 में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन-मेले के अवसर पर पर्यटन विकास कार्यक्रम तथा बाद में विदेशी तथा निजी कम्पनियों के सहयोग से स्थापित की जाने वाली विद्युत-परियोजनाओं (power projects) से राज्य में आर्थिक उदारीकरण को एक नया आयाम व व्यापक स्वरूप मिला है। **यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि भाजपा सरकार ने आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की मूल भावना को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ में वह इसके 'मानवीय पक्ष' (human aspect) को अधिक महत्त्व देने की पक्षधर रही है। उसके मतानुसार सुधारों का राज्य में रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उदारीकरण के फल-स्वरूप राज्य के लघु व कुटीर उद्योगों के विकास को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। अल्पकाल व मध्यमकाल में समाज के कमजोर वर्गों को सुधारों के प्रतिकूल व कष्टदायक प्रभावों से बचाने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए।** इस प्रकार भाजपा का

दृष्टिकोण आर्थिक सुधारों को पूर्णतया जनहितकारी व-लोक कल्याणकारी बनाना रहा है और वह इस बात के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहना चाहती है कि उदारीकरण के फलस्वरूप गरीबों पर अनुचित आर्थिक भार न पड़े, राज्य के परम्परागत कुटीर व ग्रामीण उद्योग अधिक समृद्ध हों तथा बेरोजगार व्यक्तियों को काम उपलब्ध किया जा सके। ये उद्देश्य वांछित हैं और इनके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता। वास्तव में आर्थिक सुधारों के लिए जन-सहयोग तभी सम्भव हो सकता है जब लोग इनसे प्रत्यक्षतया लाभान्वित हों। अन्यथा उनकी इनमें रुचि नहीं हो सकती। यह सही है कि आर्थिक सुधारों का लाभ केवल समाज के सम्पन्न व सम्भ्रान्त वर्ग तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनमें उपेक्षित व कमजोर वर्ग की भी भागीदारी होनी चाहिए।

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों के लिए नई नीतियाँ

1. औद्योगिक नीति

वैसे राज्य की 1990 की औद्योगिक नीति भी उदार थी और उसमें रोजगार बढ़ाने व राज्य में साधन-आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। नए उद्योगों के लिए 15 से 20% पूँजीगत सब्सिडी तथा बिक्री-कर में छूट व आस्थगन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जून 1994 की औद्योगिक नीति में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किए गए और इसे अधिक उदार व व्यापक बनाया गया। जून 1998 में भाजपा सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति में भी पुनः व्यापक संशोधन किए गए जिनका विस्तृत विवेचन सम्बन्धित अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ इसकी प्रमुख बातों को पुनः दोहराया जाता है—

(i) इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। निजी उद्यमकर्ताओं को औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने, विद्युत-संयंत्र लगाने व दूरसंचार सेवाओं को स्थापना का अवसर दिया गया है।

(ii) लघु व अति लघु उद्योगों, दस्तकारों, महिला-उद्यमियों, हथकरघा बुनकरों, खादी बुनकरों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं।

(iii) राज्य में कच्चे माल का उपयोग बढ़ाने व मूल्यवर्धन (value addition) में मदद देने के लिए वित्तीय प्रेरणाएँ दी गई हैं ताकि राज्य में रोजगार व आमदनी बढ़ सके।

(iv) निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है।

(v) निम्नांकित थ्रस्ट-क्षेत्रों को विकास हेतु चुना गया है—गारमेन्ट्स व बुने हुए वस्त्र, रत्न व आभूषण, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोनिक्स एवं दूरसंचार, सॉफ्टवेयर, स्वचालित वाहन एवं उनके पुर्जे, फुटवियर एवं चर्म वस्तुएँ, आयामी पत्थर, सीमेंट, काँच व मिट्टी तथा कृषि-उत्पाद की प्रोसेसिंग।

***(vi)* पूर्व में श्रम-कानूनों के तहत निरीक्षणों की संख्या घटाई गई है।** इन्स्पेक्टर राज समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया गया है। लगभग 5000 इकाइयों को फैक्ट्री

अधिनियम के दायरे से हटा लिया गया है। निरीक्षण कार्य अधिक व्यावहारिक बनाया गया है।

(vii) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOCs) लेने की विधि सरल बनाई गई है। प्रत्येक सम्बद्ध विभाग में एक अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया गया है जो समयबद्ध रूप में क्लीयरेन्स लेने में सहायक होगा।

(viii) गुणवत्ता सुधार के लिए नकद-पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। जाँच-उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई गई है। अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन दिया गया है।

(ix) रुग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान के लिए व रुग्णता को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

(x) पहले बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन स्कीम 1989 लागू थी, जिसके स्थान पर अब 1998 की नई स्कीम लागू की गई है, जिसकी शर्तें अधिक उदार रखी गई हैं। इनका विवरण पहले दिया जा चुका है।

(xi) अब पूँजी-सब्सिडी के स्थान पर ब्याज- सब्सिडी की नई व्यवस्था सुझाई गई है।

(xii) पूर्व सरकार ने एक 'आर्थिक विकास बोर्ड' का गठन किया था जिसमें देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, अर्थशास्त्री व वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए थे जिन्हें राज्य के तीव्र विकास के उपाय सुझाने थे।

(xiii) 'एकल खिड़की क्लीयरेन्स' के अन्तर्गत तीन स्तरों पर अधिकार प्राप्त समितियाँ गठित की गई हैं। इनमें एक समिति 3 करोड़ रु. तक के निवेश के प्रस्तावों पर विचार करेगी जिसके अध्यक्ष जिलाधीश होंगे, दूसरी समिति 3 करोड़ रु. से ऊपर व 25 करोड़ रु. तक के प्रस्तावों पर विचार करेगी जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे तथा तीसरी समिति 25 करोड़ रु. से ऊपर के प्रस्तावों पर विचार करेगी जिसके अध्यक्ष स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और यह समिति **'इन्फ्रास्ट्रक्चर व निवेश प्रोत्साहन बोर्ड' (BIIP)** कहलाएगी। इस बोर्ड ने कई प्रतिष्ठित निवेश-प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी प्रदान की है।

व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् (NCAER) के एक नवीन अध्ययन में औद्योगिक नीति के चार पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जो इस प्रकार हैं[1]—

(1) रणनीति-सम्बन्धी परिवर्तन (Strategy-changes)—जैसे औद्योगिक-उद्यमीयता-ज्ञापन (Industrial Entrepreneurial Memorandums) (IEMs) भरना, जिनमें उद्यम-कर्ता अमुक उद्योग लगाने का अपना इरादा प्रगट करता है। यह भारत सरकार के औद्योगिक स्वीकृति-सचिवालय, (SIA) को भर कर देना होता है, और उद्यमकर्ता कहीं भी उद्योग लगाने के लिए स्वतन्त्र होता है। पहले 'लेटर ऑफ इन्टेन्ट' (LOI) लेना पड़ता था। इसी प्रकार रणनीति के परिवर्तनों में औद्योगिक कॉम्पलेक्स स्थापित करने की बात आती है

---

1 R. Venkatesan, Problems in the Implementation of Economic Reforms at the State Level, NCAER, June 1994, Chapter I

जिसके अन्तर्गत एक किस्म के उद्योग एक स्थान पर केन्द्रित किए जाते हैं ताकि उनका तीव्र विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

(2) संरचनात्मक परिवर्तन (Structural changes)—इसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास व वित्त सम्बन्धी निगमों में संरचनात्मक परिवर्तन की बातें शामिल की जाती हैं । औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर-विकास-निगम का प्रश्न लिया जा सकता है । सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयरों की बिक्री की बात शामिल की जा सकती है जिसे विनिवेश (disinvestment) कहते हैं ।

(3) व्यवस्था या प्रक्रिया के परिवर्तन (Systems or process-changes)—इसमें सब्सिडी, बिक्री-कर प्रेरणा/आस्थगन आदि के प्रश्न आते हैं । इनके द्वारा अ-निवासी भारतीयों के विनियोगों व विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

(4) दृष्टिकोण-सम्बन्धी परिवर्तन (Attitudinal changes)—इसके अन्तर्गत उद्यमकर्त्ताओं को 'एक खिड़की के अन्तर्गत सभी सुविधा' (single window service) प्रदान की जाती है । विभागीय अधिकारियों का विकास के अनुकूल दृष्टिकोण बनाने के लिए गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं । उनके लिए सेमीनार व प्रशिक्षण-कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

कहने का आशय यह है कि 1994 की नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत रणनीति-सम्बन्धी परिवर्तनों, व्यवस्था-सम्बन्धी परिवर्तनों तथा दृष्टिकोण-सम्बन्धी परिवर्तनों का भरसक प्रयास किया गया था । **लेकिन इसमें संरचनात्मक या ढाँचागत परिवर्तनों का अभाव रहा था, जो फिलहाल** अन्य विकसित राज्यों में भी देखा जा सकता है । भविष्य में इन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा ताकि रीको व राजस्थान वित्त निगम जैसी संस्थाओं में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सके जिससे औद्योगिक विकास को अधिक प्रोत्साहन मिल सके । इस सम्बन्ध में इन्फ्रास्ट्रक्चर-विकास-निगम की स्थापना पर भी विचार किया जा सकता है ।

पिछली सरकार ने एक निवेश-प्रेरणा-नीति घोषित की थी जिसमें निवेशकों को विलासिता कर पर शत प्रतिशत रिबेट, व स्टाम्प व रूपान्तरण-फीस शुल्क में 50% की रिबेट नये प्रतिष्ठानों व चालू इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए दी गयी थी । विद्युत, मण्डी व मनोरंजन कर में भी सात वर्ष के लिए 50% की छूट दी गयी थी । स्पेन-पार्क व परिधान (वेश-भूषा) (apparel) पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था ।

2. खनिज नीति

जैसा कि सम्बन्धित अध्याय में बतलाया जा चुका है अगस्त 1994 की नई खनिज नीति अधिक व्यापक व अधिक वैज्ञानिक किस्म की थी । इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(i) इसमें खनिज क्षेत्र के विकास के लिए **आधुनिक टेक्नोलोजी** व वैज्ञानिक खनन-विधियों को अपनाने, मूल्य-वर्धन (value addition) के लिए खनिज-आधारित उद्योगों की स्थापना करने तथा खनन के निर्यात पर बल दिया था ।

(ii) सरकार ने **मार्बल व ग्रेनाइट के लिए अलग से नीतियों की घोषणा** की थी ताकि इनका वैज्ञानिक व व्यवस्थित खनन व संरक्षण किया जा सके । इनके लिए प्लाट का आकार 1 हैक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 हैक्टेयर किया गया ताकि खनिजों को नष्ट होने से बचाया जा सके और वैज्ञानिक ढंग से खनन क्रिया को प्रोत्साहित किया जा सके ।

(iii) सीमेन्ट ग्रेड के लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों को छाँटा गया था ताकि बड़े पैमाने के सीमेन्ट के कारखाने स्थापित किए जा सकें। राज्य में 5000 करोड़ रु. की लागत से 13 सीमेन्ट के बड़े कारखाने स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया था। इसके अलावा जैसलमेर जिले में खींया-खींवसर क्षेत्र में सीमेन्ट के तीन और कारखाने स्थापित करने की योजना तैयार की गई थी।

(iv) लिग्नाइट का खनन-कार्य गिरल क्षेत्र (बाड़मेर) मे राजस्थान खनन-विकास निगम द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इससे सीमेन्ट के संयंत्रों व अन्य उद्योगों को ईंधन प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ में कोयले पर निर्भरता कम होगी।

(v) बरसिंगसर, कपूरडी व जालीपा में लिग्नाइट के भण्डारों का उपयोग करने के लिए तथा उन पर आधारित विद्युत-गृह स्थापित करने के लिए ग्लोबल टेण्डर आमंत्रित किए गए थे।

इस प्रकार नई खनिज नीति में खनन की आधुनिक व वैज्ञानिक टेक्नोलोजी को अपनाने, खनन-क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, प्रक्रियाओं व नियमों का सरलीकरण करने तथा मानवीय साधनों के विकास व खनिजों के निर्यात पर बल दिया गया था, जो वर्तमान परिस्थितियों में उचित माना जा सकता है। भूतकाल में कई विदेशी कम्पनियों ने खनन-कार्य में काफी रुचि दर्शाई थी। आस्ट्रेलिया की कम्पनियों ने निकल व सोने की खोज में रुचि प्रदर्शित की है। इन्होंने अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए लाइसेंस लेने की इच्छा प्रगट की है। आशा है यह रुचि नई सरकार के कार्यकाल में भी जारी ही नहीं रहेगी बल्कि बढ़ेगी भी।

3. सड़क विकास नीति

राज्य सरकार ने दिसम्बर 1994 में सड़क विकास की नई नीति घोषित की थी। सड़कों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए राजस्थान हाईवे अधिनियम 1994 पारित किया गया था। इससे अतिक्रमण को रोकने तथा हाईवे के साथ-साथ रिबन-विकास में मदद मिलने की सम्भावना व्यक्त की गई है। सड़क-नीति की अन्य उल्लेखनीय बातें निम्नांकित हैं[1]—

(i) भविष्य में अन्तर्राज्यीय सड़कों के निर्माण, चालू सड़कों को चौड़ा करने, गायब कड़ियों को जोड़ने व शहरी केन्द्रों के लिए मार्गों के निर्माण आदि पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया।

(ii) आठवीं व नवीं पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क-निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आठवीं योजना में सड़क-निर्माण कार्य 9600 किलोमीटर में तथा नवीं योजना में 15000 किलोमीटर में करने का लक्ष्य रखा गया। नवीं योजना में सड़क-निर्माण पर 4000 करोड़ रु. का विनियोग करने की सम्भावना व्यक्त की गई।

1 Financial Management, Development Planning And Economic Reforms in Rajasthan, GOR, December 1995, pp 36-39

(iii) सड़क-निर्माण के लिए हडको व बैंकों द्वारा संस्थागत वित्त की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। पुलों, टनलों व बाई-पास मार्गों के निर्माण के लिए परियोजनाएँ तैयार की गई हैं। एक सड़क सुधार कोष की स्थापना की गई है। सड़कों पर किए गए विनियोग का प्रतिफल टोल-टैक्स लगाकर वसूल किया जाना चाहिए। इसकी दरें संशोधित की गई हैं।

(iv) सड़क-निर्माण का कार्य विभिन्न कार्यक्रमों के तहत किया जाना चाहिए, जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रम, मण्डी सड़क निर्माण, विश्व बैंक की सहायता से संचालित कृषि गत विकास कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि।

(v) पुलों व मार्गों का निर्माण 'बोट' सिद्धान्त (Build, Operate and Transfer) (BOT) पर किया जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत निजी पार्टियाँ स्वयं के साधनों से इनका निर्माण करेंगी, वे इनका संचालन करेंगी (टोल टैक्स लगाकर अपने विनियोग पर प्रतिफल वसूल करेंगी) और अन्त में प्रतिफल वसूल हो जाने के बाद सरकार को वह परियोजना हस्तान्तरित कर दी जाएगी।

हाल में सड़क विकास के लिए एक और अवधारणा 'मोट' (MOT) (Maintain, Operate and Transfer) (रख-रखाव करो, संचालन करो और हस्तान्तरित करो) को लागू किया जा रहा है, जिसके द्वारा सड़कों के रख-रखाव को बढ़ावा दिया जाएगा। **विश्व बैंक ने 1560.51 करोड़ रु. की कुल लागत से एक राज्य हाईवे सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी;** जिसके तहत 876 किलोमीटर में राज्य हाईवे व बड़ी जिला सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने व उन्नत करने का काम शुरू किया जाना था और 1809 किलोमीटर में इनके रख-रखाव (maintenance) का कार्य सम्पन्न किया जाना था। राज्य में कई बाई-पासों का काम पूरा किया जा चुका है (जैसे पाली बाई-पास, उदयपुर बाई-पास व सीकर बाई-पास का) और कई सड़क-परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है। इन कामों में तेजी लाने की जरूरत है।

4. ऊर्जा-क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम व नीति

आर्थिक विकास में ऊर्जा-क्षेत्र के विकास की प्रमुख भूमिका होती है। सरकार ने 4280 मेगावाट विद्युत सृजन की क्षमता के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से कई परियोजनाओं पर कार्यारम्भ किया था जिनकी लागत लगभग 18,000 करोड़ रु अनुमानित की गई थी। बरसिंगसर की शक्ति-सृजन परियोजना 2 × 240 मेगावाट की, कपूरडी की 2 × 250 मेगावाट की, जालीपा की 1000 मेगावाट की, सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना द्वितीय चरण (2 × 250 मेगावाट की), लघु शक्ति परियोजनाएँ 1000 मेगावाट तथा धौलपुर ताप बिजली परियोजना 700 मेगावाट की घोषित की गई थी। इनके अलावा नेफ्था-आधारित 10 विद्युत संयंत्र, प्रत्येक की क्षमता 40 मेगावाट (कुल 400 मेगावाट) ब्रिटिश पावर इण्डस्ट्रीज (BPI) द्वारा लगाने के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। राज्य में जैसलमेर व बाड़मेर में विदेशी कम्पनियों के सहयोग से सौर-ऊर्जा के संयंत्र लगाने के कार्यक्रम स्वीकृत हुए थे, जैसे—जैसलमेर में एनरजन के सहयोग से 200 मेगावाट का सौर-ऊर्जा संयंत्र, एमको-एनरान के सहयोग से ही जैसलमेर में 50 मेगावाट का संयंत्र तथा बाड़मेर के आगोरिया गाँव में 50

मेगावाट का एक और सौर-ऊर्जा संयंत्र सन सोर्स इण्डिया के सहयोग से लगाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ कारणों से एनरजन व एमको-एनरान के सौर-ऊर्जा के प्रोजेक्ट संकट में पड़ गए और उन्हें फिलहाल निरस्त करना पड़ा है ।

पहले यह कहा जा रहा था कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वित होने पर राजस्थान पावर के क्षेत्र में न केवल आत्म-निर्भर हो जाएगा, बल्कि पावर-आधिक्य (power surplus) राज्य की श्रेणी में आ सकेगा । इस प्रकार पावर के क्षेत्र में देशी व विदेशी निजी विनियोग की सहायता से राज्य विद्युत-सृजन क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है । इसके लिए राज्य सरकार ने **भूतकाल में 'ग्लोबल टेण्डर' आमंत्रित करने की नीति अपनाई थी, जो 'मेमोरेण्डम-ऑफ-अण्डर- स्टेंडिंग' (MOU) की विधि से ज्यादा पारदर्शी व अधिक युक्तिसंगत मानी गई है ।** लेकिन उसमें व्यवहार में पूरी सफलता नहीं मिल सकी । अब कांग्रेस की नई सरकार नई परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए प्रयत्नशील है ।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए एक कार्यात्मक व वित्तीय कार्य-योजना (Operational and Financial Action Plan) (OFAP) को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है । कुछ समय पूर्व राज्य-विद्युत मण्डल ने विद्युत-प्रशुल्क बढ़ाने व कृषिगत कनेक्शनों पर खम्भे की सब्सिडी (pole subsidy) को घटाने के उपाय अपनाने प्रारम्भ किए थे । **राज्य विद्युत मण्डल (RSEB) को राज्य विद्युत निगम लि. (RSEC) में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं ।** विद्युत के वितरण में निजी क्षेत्र को भागीदारी को बढ़ाया गया है ।

विद्युत मण्डल की 5 कम्पनियाँ गठित

विद्युत-सुधार-कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 जून 2000 को कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत राज्य विद्युत मण्डल की पाँच कम्पनियों का पंजीकरण किया गया है । ये पाँचों लिमिटेड कम्पनियाँ होंगी । ये इस प्रकार होंगी—

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राज्य में विद्युत-उत्पादन की योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन एवं रख-रखाव का कार्य देखेगा ।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण (Transmission) निगम लि. राज्य में प्रसारण तन्त्र का निर्माण, संचालन व संधारण करेगा । बिजली वितरण के लिए तीन कम्पनियाँ क्रमशः जयपुर, अजमेर व जोधपुर में अपने-अपने क्षेत्रों में वितरण का कार्य स्वतन्त्र रूप से संचालित करेंगी ।

विद्युत मण्डल के विभाजन की प्रक्रिया जुलाई 2000 के अन्त तक पूरा की जानी थी । सरकार ने आश्वासन दिया था कि विद्युत कर्मचारी व अभियन्ताओं की सेवा-शर्तों की सुरक्षा की जाएगी और उनकी पेन्शन व सेवानिवृत्ति के परिलाभों की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी । इस बात से इन्कार नहीं किया जा

सकता कि विद्युत-सुधार-कार्यक्रम की सफलता विद्युत-कर्मचारियों के सहयोग पर ही निर्भर करेगी । सरकार ने बाड़मेर जिले में गिराल स्थान पर लिग्नाइट-आधारित ताप-पावर-संयंत्र का 618 करोड़ रु. की लागत से निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया है । इसकी सृजन-लागत आगे चल कर कम हो जायगी ।

भविष्य में राजस्थान में ऊर्जा की माँग व पूर्ति का अन्तराल (gap) कम किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य में ऊर्जा की पूर्ति का विस्तार किया जा रहा है । इसलिए ऊर्जा की सृजन-क्षमता में यथासम्भव तेज गति से विस्तार करना आवश्यक हो गया है ।

5. राज्य में कर-सुधार प्रक्रिया

अर्थव्यवस्था में ढाँचेगत सुधार (structural reforms) के लिए कर-सुधारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका माना गई है । कर-सुधारों का कृषिगत उत्पादन व औद्योगिक विनियोगों पर प्रभाव पड़ता है । बिक्री-कर की छूट व आस्थगन से औद्योगिक विनियोग में अभिवृद्धि होती है और पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास होता है । करों में रियायतें देने से समाज के कमजोर वर्ग को लाभ होता है ।

राज्य मे कर-सुधार, करों में रियायतें देने व कर-प्रणाली के सरलीकरण व विवेकीकरण की दिशा में पिछले वर्षों में निम्नांकित प्रयास किए गए हैं—

वाणिज्यिक कर (Commercial Taxes)[1]

(i) राजस्थान में सिंगल बिक्री-कर लगाया जाता है, जबकि कई अन्य राज्यों में अतिरिक्त बिक्री-कर अथवा टर्नओवर कर अथवा बिक्री-कर पर सरचार्ज भी लगाए जाते हैं । **वर्ष 1995-96 में बिक्री-कर के स्लेब 14 से घटाकर 8 कर दिए गए, जो कर-सरलीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था ।**

(ii) एक अक्टूबर, 1995 से एक नया राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 लागू किया गया है और इसके साथ नए बिक्री-कर नियम भी जारी किए गए हैं ।

(iii) एक मई, 1995 से वाणिज्यिक कर-विभाग व परिवहन-विभाग के सभी चेक-पोस्ट समाप्त कर दिए गए हैं जिससे मार्गों में होने वाली असुविधा काफी सीमा तक कम हो गई है और व्यापार व आवागमन अधिक मुक्त व आसान बना दिया गया है । **वर्ष 1998-99 के परिवर्तित बजट में चुंगी समाप्त कर दी गई जिससे 280 करोड़ रु. की राजस्व-हानि का अनुमान है । सरकार ने 1 अगस्त, 1998 से बिक्री-कर पर 12% सरचार्ज लगा दिया, लेकिन व्यापारी-वर्ग ने इसका समर्थन नहीं किया ।**

(iv) राज्य सरकार ने राज्य में बिक्री-कर के स्थान पर मूल्यवर्धित कर (वैट) (Value-added Tax) 1 अप्रैल, 2003 से लागू करने का विचार किया था, लेकिन व्यापारियों के विरोध व पूरी तैयारी के अभाव में फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है । इसे बाद में लागू किया जायगा । देश के विभिन्न राज्यों में इसे 1 अप्रैल, 2005 से लागू करने की घोषणा की गयी है ।

(v) वर्ष 1995 से एक स्व-कर-निर्धारित स्कीम (Self Assessment Scheme) पहली बार लागू की गई जिसके तहत सभी व्यापारी अपने रिटर्न स्वयं भर कर कर-विभाग को भेज सकेंगे और उन्हें बिना रिकार्ड की छानबीन के स्वीकार कर लिया जाएगा । ऐसे कर के मामलों में कुछ प्रतिशत रिटर्नों को ही रेण्डम आधार पर चेक किया जाएगा ।

---

1. Ecomonic Review 2003-2004, GOR. pp. 100-102 व पूर्व सर्वेक्षण ।

(vi) कर-विभाग में कम्प्यूटरीकरण, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आदि की व्यवस्था को आसान बनाया गया है।

(vii) औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए करों में छूट दी गई है। वर्ष 1996-97 के बजट में 1989 की बिक्री कर आस्थगन की योजना में सीमेंट इकाई के विस्तार (expansion of Cement Unit) को भी शामिल किया गया था। ग्रेनाइट व संगमरमर पर आधारित बड़ी इकाइयों को भी बिक्री कर प्रोत्साहन अथवा आस्थगन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। अब बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन स्कीम 1998 लागू की गई है।

(viii) वर्ष 1996-97 के बजट में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए ट्रेक्टरों के टायर-ट्यूब पर, सिंचाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले डीजल इंजन व पानी के पम्प, प्लास्टिक पाइप व फिटिंग्स पर कर की दरें घटाई गई थीं। 1998-99 के परिवर्तित बजट में औद्योगिक विकास के लिए करों में रियायतें दी गई थी 2000 2001 में भी बिक्री करों की दरों में आवश्यक परिवर्तन किए गए।

(ix) समाज में कमजोर वर्ग व जनसाधारण पर कर का भार कम किया गया है। वर्ष 1996-97 के बजट में 75 रुपये मूल्य तक की डिजिटल घड़ियों, बर्फ, पानी के नारियल, रस्सी सूतली, वाद्य-यंत्रों, कारीगरों के औजारों, मकान के निर्माण में प्रयुक्त लोहे के कड़े व खूंटियों, शिशु-आहार, सिलाई मशीन, कटलरी के सामान, आदि पर कर की दरें कम की गई थीं ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। कई प्रकार की दवाइयों को कर-मुक्त किया गया था। कुटीर व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विनिर्मित खाद्य तेल पर कर की दर घटाई गई थी। कर की चोरी को रोकने के लिए मोटर वाहनों के कुछ पार्ट्स, बिजली के स्विच, सॉकेट, आदि तथा मोबाइल क्रेन पर कर घटाया गया था। बिना ब्राण्ड की खुली चाय, सोप-स्टोन पर आधारित उद्योगों, अभ्रक, आदि पर कर की दरें घटाई गई **थी। 2004-05 के बजट में भी करों, में विशेषतया प्रवेश-कर में, कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिनका उल्लेख पहले बजट के विवेचन के समय किया जा चुका है।**

इस प्रकार राज्य सरकार ने कर-प्रणाली में सुधार, सरलीकरण व विवेकीकरण की दिशा में कई प्रयास किए हैं। **साथ में भूतकाल में यथासम्भव व्यय में किफायत को प्रोत्साहन देने के लिए नए पदों के सृजन व दैनिक मजदूरी पर रोजगार पर प्रतिबन्ध, वाहनों व एयरकन्डीशनरों की खरीद पर प्रतिबन्ध, विदेशी यात्राओं पर प्रतिबन्ध व यात्रा-भत्तों के व्यय में कमी, गैर-योजना व्यय में (वेतन, दवा, स्कूलों, आदि के अलावा) 10% की कटौती, शून्य आधार-बजट को अपनाने, जैसे उपायों का सहारा** लिया गया है। लेकिन उनमें कोई उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं की जा सकी है। इसलिए भविष्य में इन दिशाओं में अधिक प्रयास करने होंगे।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की दृष्टि से एक साधारण किस्म का प्रगतिशील राज्य (moderately progressive state) माना जा सकता है। इसने औद्योगिक, खनन, सड़क, पर्यटन, विद्युत आदि क्षेत्रों में नई नीतियों, नए कार्यक्रमों व नई पद्धतियों की शुरुआतें की हैं, जिनके लाभकारी

परिणाम आगामी वर्षों में मिलने की सम्भावना है । **इनमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना उदारीकरण की दिशा में एक महती प्रयास माना जा सकता है ।** कांग्रेस की नई सरकार को राज्य में उदारीकरण व आर्थिक सुधारों का एक अधिक व्यापक कार्यक्रम घोषित करना चाहिए । अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक **'सुधार-निर्देशन-ग्रुप'** (A Reform-Guidance-Group) की स्थापना की है, जो इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने का काम करेगा । राज्य में आर्थिक सुधारों को बल मिलेगा ।

राजस्थान में आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की उपलब्धियाँ—राज्य में आर्थिक सुधारों के प्रभावों के विश्लेषण का अभी उपयुक्त समय नहीं आया है, क्योंकि सही अर्थों व सही रूप में इनको प्रारम्भ हुए अभी तक लगभग पाँच वर्ष ही हुए हैं । संशोधित औद्योगिक नीति जून 1998 में घोषित की गई है । आगामी पाँच-सात वर्षों में नई नीतियों के पूरे परिणाम सामने आएँगे । फिर भी अब तक की प्रगति से दिशा का बोध अवश्य हो सकता है, जिसका नीचे विवेचन किया जाता है ।

(1) औद्योगिक विकास के नए क्षितिज (New Horizons of Industrial Development)[1]—राजस्थान में 1990-95 की अवधि में औद्योगिक विकास की गति तेज हुई और उत्पादन में विविधता आई । **आठवीं योजना में बड़े व मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में विकास की वार्षिक दर 33% तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र में 15% से अधिक रही** (नई नीति, जून 1998 के प्रपत्र की सूचना के अनुसार) । आज राज्य टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में प्रमुख उत्पादक बन गया है । यहाँ रासायनिक व इंजीनियरी उद्योगों का विकास हुआ है । राज्य में विद्युत की उपलब्धि बढ़ रही है । 1995-96 के अन्त तक 2000 किलोमीटर दूरी में रेल-मार्ग का मीटर गेज से परिवर्तन ब्रोड गेज में होने का अनुमान लगाया गया था । मार्च 1990 के अन्त में राज्य में 225 बड़ी व मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ थीं, जिनकी संख्या मार्च 1995 के अन्त में 399 हो गई । इस प्रकार औद्योगिक इकाइयों में 77% की वृद्धि हुई । 1990-95 की अवधि में इनमें 8894 करोड़ रु. का नया विनियोग हुआ । 31 मार्च, 1995 को इनमें 148867 व्यक्ति रोजगार पाए हुए थे ।

1990 तक विदेशी विनियोग से 8 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई थीं जिनकी संख्या बढ़ कर 22 हो गई है । इनमें विदेशी इक्विटी का अंश 2% से 51% तक पाया जाता है । औद्योगिक प्रगति की कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं—

(i) जुलाई 1991 से दिसम्बर 2000 तक राज्य मे उद्योगों की स्थापना के लिए भारत सरकार के औद्योगिक–स्वीकृति–सचिवालय (SIA) मे 2113 औद्योगिक उद्यमीयता ज्ञापनों (Industrial Entrepreneurial Memorandums) (IEMs) को पेश किया गया था जिनमें कुल विनियोग की राशि 35173 करोड़ रु रही थी और इनमे रोजगार की क्षमता 295393 व्यक्ति आँकी गई थी । **प्रस्तावित विनियोग की दृष्टि से राजस्थान का भारत में आठवां स्थान रहा था ।**[1]

1 Survey of Indian Industry 2001, article by Dr C R angarajan on Industrial Policy, p 16

था, जिनमें विनियोग की राशि 3835 करोड़ रु. रही थी तथा 53164 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था।

रीको ने **'उद्योग श्री'** नामक एक योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत नए उद्यम-कर्ताओं को उनकी इक्विटी में योगदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे उन लोगों को मदद मिलती है जिनको टेक्नोलोजी की जानकारी होती है और जिनके पास अनुभव व योग्यता होती है। इससे पेशेवर लोगों को उद्योग लगाने में मदद मिलती है।

रीको ने राज्य में कई औद्योगिक कॉम्पलेक्स विकसित किए हैं, जैसे **निर्यात-प्रोत्साहन-औद्योगिक-पार्क (EPIP), सीतापुरा (जयपुर), चमड़ा-कॉम्पलेक्स मानपुरा-माचेड़ी (जयपुर), सोफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क, जयपुर; हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क, जयपुर; ऑटो-एन्सीलरी कॉम्पलेक्स, भिवाड़ी; टेक्सटाइल सिटी, भीलवाड़ा; फ्लोरीकल्चर कॉम्पलेक्स, भिवाड़ी तथा स्वर्ण आभूषण कॉम्पलेक्स, सीतापुरा (जयपुर)।**

इनके अलावा बीकानेर में एक सिरेमिक कॉम्पलेक्स, इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में कृषि-उत्पादों पर आधारित आधुनिक उद्योगों के लिए एक कॉम्पलेक्स तथा भरतपुर व भिवाड़ी में चर्म-आधारित उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएँगे। औद्योगिक कॉम्प-लेक्स स्थापित करने का कार्यक्रम औद्योगिक विकास के लिए रणनीति-सम्बन्धी-परिवर्तनों (strategy-changes) में आता है, जिस पर राज्य सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में काफी मदद मिलने की सम्भावना है।

(ii) **राज्य में लघु पैमाने के उद्योगों में 1990-2002 की अवधि में औद्योगिक इकाइयों की संख्या, विनियोग व रोजगार में काफी वृद्धि हुई है। विनियोग की राशि 1989-90 में लगभग 762 करोड़ रु. से बढ़कर 2002-2003 में 3571 करोड़ रु. हो गई।**

***(iii)* राज्य में खादी व ग्रामोद्योगों में रोजगार व आमदनी में वृद्धि हुई है।** कोटा व बूँदी जिलों में महिला बुनकरों, बाँसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों में अनुसूचित जनजाति एवं जालौर तथा सिरोही जिलों में अनुसूचित जाति के बुनकरों को लाभ पहुँचाया गया है।

(iv) प्रधानमंत्री रोजगार योजना व जिला-ग्रामीण-उद्योग-परियोजना (DRIP) के अन्तर्गत विकास के कार्यक्रम अपनाए गए हैं। जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना सवाई माधोपुर जिले में नाबार्ड की सहायता से चलाई गई है।

(v) 100% निर्यातोन्मुक इकाइयों की संख्या 41 हो गई है, जिनमें ग्वार गम की 8 इकाइयाँ हैं। अन्य इकाइयाँ कृषि-उत्पादों, दस्तकारी, सिन्थेटिक कॉटन, इलेक्ट्रोनिक्स, चमड़े के जूतों, ग्रेनाइट, रत्न-आभूषण, रसायन व इन्जीनियरी वस्तुओं से सम्बद्ध हैं।

***(vi)* राज्य से किए जाने वाले निर्यातों की स्थिति**—राज्य से दस्तकारी, गलीचों, रेडीमेड पौशाकों, चमड़े की वस्तुओं, रसायनों, खनिज पदार्थों, आदि का **निर्यात 1991-92 में 689 करोड़ रु. का हुआ, जो बढ़कर 1992-93 में 1051 करोड़ रु., 1993-94 में 1432 करोड़ रु., 1994-95 में 2820 करोड़ रु., 1995-96 में 3269 करोड़ तथा 1996-97 में 3480 करोड़ रु. हो गया।**[1] 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों को

1 राजस्थान सुजस, अप्रैल-जुलाई 1999, पृ 9.

प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं; जैसे कच्चे माल पर क्रय-कर में छूट, पूँजी-सब्सिडी की सुविधा, आदि ।

जयपुर के समीप सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में निर्यात-प्रोत्साहन-औद्योगिक-पार्क (EPIP) का उद्घाटन 22 मार्च 1997 को सम्पन्न हुआ था । यह अपनी किस्म का पहला औद्योगिक पार्क है और केन्द्र ने भी इसकी काफी सराहना की है । यह 47 करोड़ रु. की लागत से बनाया गया है । इसमें छः अलग-अलग क्षेत्र (Zones) निर्धारित किए गए हैं, जो विभिन्न उद्योगों से जुड़ी परियोजनाओं की स्थापना में मदद देंगे । ये इस प्रकार हैं— *(i)* रत्न व जवाहरात (Gems and Jewellery), *(ii)* इलेक्ट्रो-निक्स, *(iii)* पोशाकें/होजियरी, *(iv)* गलीचे/दस्तकारी, *(v)* इन्जीनियरिंग, *(vi)* चमड़े का सामान ।

ये सभी उद्योग प्रदूषण-मुक्त हैं (pollution free) । इसके निर्माण में रीको की अहम् भूमिका रही है ।

इस औद्योगिक पार्क के विकसित होने पर राजस्थान से रत्नाभूषण, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल्स, सिले-सिलाए वस्त्र, गलीचों, खनिज-पदार्थों व चमड़े के सामान, इलेक्ट्रोनिक्स व इंजीनियरिंग के सामान आदि का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

राज्य में पुष्पोत्पादन के क्षेत्र में भी नई क्रांति आई है और फूलों के निर्यात को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

राज्य में सांगानेर में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा स्थापित एक 'एयर कारगो कॉम्पलेक्स' के साथ वर्ष 1989 में एक 'इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो' (ICD) भी स्थापित किया गया था । राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के निर्यातकों को मदद देने के लिए 1996 में जोधपुर में एक दूसरा "इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो" स्थापित किया गया है ।

भविष्य में भीलवाड़ा में शीघ्र ही तीसरा इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि निर्यातों के लिए सामान एकत्र करने में सहूलियत बढ़ सके । निर्यातकों को हवाई अड्डे के समीप होने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से काफी सुविधा प्राप्त हो रही है । इसके अलावा सड़क मार्ग द्वारा निर्यात के लिए माल के कन्टेनरों को 'बान्डेड ट्रकों' द्वारा सीधे बन्दरगाह तक भेजने की व्यवस्था भी की गई है । **ऐसे माल के लिए परिवहन-भाड़े पर 25% सब्सिडी देने की भी व्यवस्था की गई है ।**

दूसरा निर्यात-प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (EPIP) भिवाड़ी में स्थापित किया जा रहा है । इसमें विदेशी निवेशकों ने भी काफी रुचि दिखाई है ।

राजस्थान से औद्योगिक व अन्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्न दिशाओं में प्रयास करने की आवश्यकता है—*(i)* निर्यातक माल की किस्म, गुणवत्ता व कीमत आदि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाना चाहिए, *(ii)* औद्योगिक पार्क में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाकर विभिन्न प्रकार की निर्यात वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए, *(iii)* विदेशों के लिए माँग के अनुरूप (जैसे रेडीमेड गारमेन्ट्स) माल का उत्पादन किया जाना चाहिए, *(iv)* इन्फ्रास्ट्रक्चर, विशेषतया परिवहन की सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, *(v)* जयपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया जाना चाहिए ।

आशा है कि आगामी वर्षों में राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, परम्परागत कलात्मक प्रतिभा, पर्यटकों के लिए अनेक दर्शनीय स्थलों, लोक नृत्य व लोक संगीत की अनोखी

धरोहर, आदि का लाभ उठाकर अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम हो सकेगा।

— ग्रामीण इलाकों में गैर-कृषि क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए नई नीति अपनाई गई है ताकि विशेषतया चमड़ा व ऊन उद्योगों में रोजगार बढ़ाया जा सके।

औद्योगिक नीति 1994 के उत्तम परिणाम मिले हैं। राज्य मे औद्योगिक वातावरण विकसित हुआ है। 1994-2002 की अवधि मे औद्योगिक उद्यमकर्ता मेमोरेण्डम (IEM) व लैटर ऑफ इन्टेंट (LOI) के तहत निवेश के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे औद्योगिक विकास को गति मिली है। रीको व राज वित्त निगम के कार्यों का निरन्तर विस्तार हो रहा है। हथकरघा व दस्तकारी के क्षेत्र मे प्रगति जारी है।

(vii) उद्यमकर्ताओं की समस्याओं को हल करने में विभिन्न विभागीय कर्मचारियों का पहले से अधिक सहयोग मिलने लगा है जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलने लगी है। इन्स्पेक्टर राज धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

(viii) राजकीय उपक्रमों की कार्यकुशलता व उत्पादकता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 10 करोड़ रु की राशि से एक राज्य-नवीकरण-कोष स्थापित किया गया है ताकि सार्वजनिक इकाइयों के ढाँचे में सुधार किया जा सके। इससे कुछ इकाइयाँ लाभ में आ गई हैं, जो पहले घाटे में चला करती थीं। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को काम करने की स्वतन्त्रता दी गई है, आवश्यक दशाओं में वित्तीय सहायता दी गई है, घाटे में चलने वाली इकाइयों की निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा अतिरिक्त स्टाफ एवं अलाभप्रद क्रियाओं का पता लगा कर उनमें सुधार के उपाय किए जाते हैं।

सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप कुछ उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इसके लिए कुछ उपक्रमों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

(i) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम—इस पर 1990-91 के अन्त में लगभग 47 करोड़ रु. के संचयी घाटे का भार था। इसने डिपो-इकाइयों को स्वतन्त्र रूप से लाभ के केन्द्र बना दिया और कर्मचारियों के लिए लाभ-सहभाजन की स्कीम चालू की। फलस्वरूप 1991-92 व बाद के वर्षों में लगातार लाभ अर्जित करके इसने 1994-95 के अन्त तक पुराना संचयी घाटा समाप्त कर दिया। इसे 1994-95 से 1997-98 तक प्रतिवर्ष कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ। लेकिन 1998-99 मे लगभग 50 करोड रु का घाटा हुआ, जो **31 दिसम्बर, 2001 के अन्त तक बढकर 196.4 करोड रुपए तक पहुँच गया। यह इसकी परिदत्त पूँजी 107.95 करोड रुपए से अधिक था।**[1]

(ii) राजस्थान राज्य खान व खनिज लि.—इसे विकसित रॉक-फॉस्फेट की खानों का काम लीज पर मिलने से तथा निम्न श्रेणी के रॉक-फॉस्फेट के सुधार के संयंत्र का सफल संचालन करने से पिछले वर्षों में काफी लाभ हुआ है। 1996-97 के लिए कर पूर्व लाभ का अनुमान 17.8 करोड़ रु. लगाया गया है।

---

1 CAG Report for the year ending March 2001, released in March 2002

(iii) **रीको** - इसे 1990-91 तक सचयी घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन बाद के वर्षों मे इसे शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है, जो 2001-02 मे कर के पश्चात् 6 24 करोड़ रु रहा।

***(iv)* राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ (राजफेड)**—1991 में तेल-संयंत्रों को तिलम-संघ को हस्तान्तरित करने के बाद इसने कृषिगत उपज की खरीद व विपणन का काम व्यावसायिक आधार पर स्वयं अपने निर्णय मे संचालित किया है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार आया है। इसे 1993-94 में कर-पूर्व 4 88 करोड़ रु. व 1994-95 में 1.20 करोड़ का मुनाफा हुआ था।

(v) राजस्थान पर्यटन विकास निगम - यह 1987-88 के अन्त तक घाटे मे चल रहा था। पिछले वर्षों मे इसने मुनाफा अर्जित करके पुराना घाटा भी मिटा दिया है। 1996-97 मे इसे 24 लाख रु का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। 1997-98 मे भी इसे 23.40 लाख रु का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ लेकिन 1998-99 मे 98 लाख रु का घाटा हुआ। (स्रोत राजसिह—निर्वाण—समिति की रिपोर्ट, मार्च 2001, पृ 62)

राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को काम करने की अधिक स्वायत्तता दी जाने लगी है, उनके लिए बजट–सहायता में कमी की जा रही है तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं से अधिक साधन जुटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। **1994-95 में राज्य विद्युत मण्डल ने रीको के मार्फत 250 करोड़ रु. बाण्ड बेचकर एकत्र किए थे। इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय ढाँचे को परिवर्तित करने का भी प्रयास जारी रहा है।**

अन्य क्षेत्रों में प्रगति—वर्ष 1995 में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका हे बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में लिग्नाइट का खनन प्रारम्भ किया गया है। बाड़मेर व सांचोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस की खोज प्रारम्भ की गई है। सीमेन्ट के कई बड़े कारखाने स्थापित करने के लिए सीमेन्ट–ग्रेड लाइमस्टोन का विकास किया जा रहा है। मार्बल व ग्रेनाइट के संयंत्रों में विनियोजन बढ़ाया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी लाइन पर नई पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी सितम्बर 1995 से चालू की गई है। विद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न नई परियोजनाओं के समझौतों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा सौर–ऊर्जा के विकास की दिशा में प्रयास जारी हैं।

राज्य सरकार ने पिछले वर्षों के ब्जटों में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, आदि पर व्यय की जाने वाली राशि बढ़ाई है। इस प्रकार उसने सामाजिक सेवाओं के विकास पर भी अधिक ध्यान दिया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान सरकार आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की प्रक्रिया को द्रुतगति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस दृष्टि से राजस्थान की गिनती भारत के कुछ अग्रणी राज्यों में की जाने लगी है, और इसकी नीतियों को अन्य राज्य मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। यही कारण है कि राज्य औद्योगिक विकास की दृष्टि से अब पहले जितना पिछड़ा हुआ नहीं रहा है और आगामी पाँच वर्षों में इसकी स्थिति में काफी सुधार होने की आशा है।

राज्य में आर्थिक उदारीकरण को सफल बनाने के लिए सुझाव (Suggestions for the Success of Economic Liberalisation in Rajasthan)

भविष्य में राजस्थान में उदार आर्थिक नीतियों के काफी लाभकारी परिणाम सामने आने की आशा है । अत: उनके क्रियान्वयन के लिए भरसक प्रयास किया जाना चाहिए । बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नीतियों में आवश्यक सुधार भी किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक विकास की गति तेज हो सके और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । राज्य में आर्थिक सुधारों व उदारीकरण को सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

(1) राजस्व-घाटे व राजकोषीय घाटे को कम किया जाए—पहले राज्य की वित्तीय स्थिति के विवेचन में बतलाया गया था कि राज्य पर प्रतिवर्ष राजस्व-घाटे का भार अधिक रहता है और सरकार को अपने कुल व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए उधार लेना पड़ता है जिससे राजकोषीय घाटे की मात्रा भी ऊँची हो जाती है । 2004-05 के वार्षिक-बजट में राजकोषीय घाटा लगभग 6811 करोड़ रु. दर्शाया गया है, जो काफी ऊँचा है । इसकी पूर्ति उधार लेकर करने से ब्याज की देनदारी बढ़ेगी । अत: आगामी वर्षों में केन्द्र की भाँति राजस्थान को भी राजकोषीय घाटा कम करने के लिए राजस्व-प्राप्तियों को बढ़ाना होगा और अनावश्यक व अनुत्पादक व्यय में कमी करनी होगी ।

राज्य की चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पत्ति के सन्दर्भ में राजकोषीय घाटे का अनुपात निम्न तालिका में दर्शाया गया है—

(करोड़ रु.)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा (GFD)	राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति (GSDP) (प्रचलित भावों पर)	राजकोषीय घाटा GSDP के अनुपात में (%)
2002-2003	6114	85355	7.2

तालिका से स्पष्ट होता है कि 2002-2003 में राजकोषीय घाटा राज्य की आमदनी का 7.2% रहा, जबकि इसी अवधि के लिए केन्द्र में यह अपेक्षाकृत नीचा रहा है । 2003-04 के संशोधित अनुमानों में यह 7930 करोड़ रु. रखा गया है । 31 मार्च, 2004 के अन्त में राज्य पर बकाया कर्ज की राशि 53509 करोड़ रु. थी जिसके मार्च 2005 के अन्त में 59280 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है । अत: बकाया कर्ज की वृद्धि पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, अन्यथा राज्य 'कर्ज के जाल' (debt-trap) में प्रविष्ट हो सकता है ।

(2) राज्य को कृषिगत विकास, पशुपालन, डेयरी विकास व जल-प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक सुविचारित नीति तैयार करनी चाहिए क्योंकि इनसे अधिकांश लोगों का रोजगार व आमदनी प्रभावित होते हैं । राज्य की प्रमुख समस्या जल की कमी की मानी गई है । राज्य में प्राय: सूखे व अकाल की दशा उत्पन्न हो जाती है । इस सम्बन्ध में दीर्घकालीन

नियोजन करने व स्पष्ट नीति को कार्यान्वित करने से ही राज्य अस्थिर विकास व धीमे विकास की वर्तमान स्थिति से मुक्त हो सकता है । अतः सिंचाई का विस्तार करने, बूँद-बूँद सिंचाई व स्प्रिंक्लर सिंचाई को अपनाने, व्यर्थ भूमि का समुचित उपयोग करने व वृक्षारोपण के कार्यक्रम को व्यापक बनाने तथा जल-प्रबन्ध-नीति को तैयार करने की आवश्यकता है । इन कार्यक्रमों पर सरकार ध्यान दे रही है । लेकिन इनमें अधिक समन्वय व ताल-मेल स्थापित करने की जरूरत है । इनमें विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यक है । एग्रो-प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

(3) राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयाँ अब भी घाटे में चल रही हैं । राज्य सरकार को इनके निजीकरण, यथासम्भव एकीकरण (कुछ इकाइयों का परस्पर विलयन) व निरन्तर घाटे में चलने वाली इकाइयों को बन्द करके उनके श्रमिकों के पुनर्स्थापन के लिए कोई कारगर नीति व कार्यक्रम तैयार करना चाहिए । इसमें श्रमिक संघों का सहयोग वांछनीय है । इनकी प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए तथा इनके वित्तीय ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए । इसके लिए पहले व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् (NCAER) के तत्त्वावधान में एक अध्ययन करवाया गया था । इसका बदली हुई परि-स्थितियों में पुनरीक्षण करके एक ताजा नीति-प्रपत्र (policy paper) तैयार करवाया जाना चाहिए जिस पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाना चाहिए । कांग्रेस की नई सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति का अध्ययन करके आवश्यक सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर इनके पुनर्गठन का कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा ।

(4) विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए घोषित नीतियों के सन्दर्भ में उद्योग, खनिज, सड़क, पर्यटन व विद्युत जैसे क्षेत्रों के लिए एक 'कोर-प्लान' (core plan) तैयार की जानी चाहिए, जिसमें जिलेवार परियोजनाएँ चिह्नित की जाएँ और उनके क्रियान्वयन के लिए संगठन व संस्थाएँ निर्धारित की जाएँ । इस सम्बन्ध में अधिक पारदर्शी व समयबद्ध कार्यक्रमों की आवश्यकता है । इसकी वित्तीय व्यवस्था के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं (विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेण्ट बैंक, आदि), विदेशी सरकारों और विदेशी निजी कम्पनियों से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए । इसके लिए भारी मात्रा में विनियोग (massive investment) की आवश्यकता होगी, जिसके बिना प्रगति सम्भव नहीं है । सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है । उसे अधिक सजग व सचेष्ट होने की आवश्यकता है ।

(5) राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, ग्रामीण विकास, आदि पर अधिक धनराशि का आवंटन किया है जो उचित है । लेकिन इन कार्यक्रमों को अधिक सशक्त, उत्पादक तथा लाभकारी बनाने की आवश्यकता है । इसके लिए इनकी प्रबन्ध-व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा और समाज के कमजोर वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को विकास का केन्द्र-बिन्दु बनाना होगा । इन क्षेत्रों में गुणवत्ता के सुधार की बहुत आवश्यकता है ।

(6) नई विकास नीति के सन्दर्भ में प्राय: केन्द्र-राज्यों के परस्पर सम्बन्धों का प्रश्न उठाया गया है। इसके लिए सरकारिया आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की पृष्ठभूमि में राज्यों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। पहले राज्य सरकार 40 मेगावाट क्षमता के संयंत्र (लागत 100 करोड़ रु) तक की विद्युत-परियोजना को ही केन्द्र की मंजूरी के बिना स्वीकार कर सकती थी, जिसे एक बार बढ़ा कर 100 मेगावाट क्षमता (लागत 400 करोड़ रु) तथा **पुन: 20 अगस्त, 1996 से बढ़ा कर 250 मेगावाट क्षमता (लागत 1000 करोड़ रु.) किया गया था। पहले राज्य सरकारों को निर्णय लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था।** भविष्य में ऐसे कई विषयों पर निर्णय का अधिकार राज्यों को हस्तान्तरित करने से देश व प्रदेश दोनों को लाभ हो सकता है। इसमें पर्यावरण-संरक्षण जैसे विषयों के निर्णय भी शामिल होते हैं, जिनमें केन्द्र के हस्तक्षेप से कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अत: केन्द्र को यथासम्भव निर्णय की स्वतन्त्रता राज्यों को देनी चाहिए, हालाँकि इसमें देश के समग्र हितों का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। 1996 के अन्तिम महीनों में उच्चतम न्यायालय के एक आदेश से राज्य में काफी खानों के वन-क्षेत्रों में पर्यावरणीय कारणों से बन्द हो जाने से काफी खनन-श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। इससे खनिज-आधारित उद्योगों को भी भारी क्षति पहुँची थी। हालांकि बाद में कुछ खानें चालू की गई हैं, फिर भी अचानक इस प्रकार के निर्णय वांछित नहीं होते और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा अवश्य किया जाना चाहिए।

(7) विभिन्न विद्वानों व विचारकों का मत है कि आर्थिक सुधारों व उदारीकरण को सफलता के लिए राजनीतिक सुधार, चुनाव-प्रणाली में सुधार, प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार, कानूनी सुधार, शैक्षणिक सुधार व सामाजिक तथा संस्थागत सुधारों की भी आवश्यकता है। लेकिन इस पर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि उदारीकरण का कार्यक्रम 'कार्यकुशलता' का पर्यायवाची बन जाए और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग में समा जाए। फिर भी आगामी वर्षों में राज्य सरकारें अपने सीमित दायरे में भी इन क्षेत्रों में आवश्यक सुधार करने की दिशा में अग्रसर हो सकती हैं।

(8) भविष्य में विकेन्द्रित संस्थाओं—स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राम-पंचायतों व नगर-पालिकाओं को क्रमश: ग्रामीण विकास व नगरीय विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अत: इन संस्थाओं की कार्य-प्रणाली, वित्तीय व्यवस्था व प्रशासन में सुधार करना होगा ताकि ये उन दोषों को दूर कर सकें जो विकास में अब तक बाधक रहे हैं।

कुछ विचारकों का मत है कि भारत के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश व परिदृश्य में आर्थिक सुधारों व उदारीकरण की दिशा में भविष्य में राज्य सरकारें केन्द्र से भी आगे निकलने का प्रयास कर सकती हैं क्योंकि जन-कल्याण के कार्यों को सम्पन्न करने में अधिक विलम्ब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। अत: आर्थिक उदारीकरण को विकास व जनहित का एक प्रबल अस्त्र बनाने की आवश्यकता है।

राजस्थान की नई सरकार को आगामी वर्षों में आर्थिक सुधारों का एक विस्तृत, व्यावहारिक व पारदर्शी कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्यकारी- दल नियुक्त करना चाहिए, जो गहन अध्ययन करके एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर सके ताकि राज्य आर्थिक प्रगति के मार्ग पर अधिक तेजी से अग्रसर हो सके।

पूर्व कांग्रेस सरकार के आर्थिक विकास व जन-कल्याण की दिशा में नये प्रयास[1]

पूर्व सरकार ने अपने घोषणा-पत्र के आधार पर राज्य के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प दोहराया था। 18 व 19 नवम्बर, 1999 को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी विशेष बैठक में राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास की निम्न **15 प्राथमिकताएँ** निर्धारित की थीं—

(*i*) **प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीनकरण (universalisation)** व सम्पूर्ण साक्षरता

(*ii*) पेयजल के लिए **पारम्परिक जलस्रोतों का विकास** तथा नये भवनों में वर्षा के जल के संग्रह के लिए टांका बनाना जरूरी

(*iii*) **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना**

(*iv*) मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से **रोजगार के अवसर बढ़ाना**

(*v*) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना

(*vi*) ग्रामीण विकास का विकेन्द्रीकरण व **पंचायती राज की स्थापना पर बल देना**

(*vii*) **शहरी सुविधाओं का विकास** व पुनर्गठन

(*viii*) **ऊर्जा क्षेत्र का विकास** एवं किसानों को बिजली की आपूर्ति में प्राथमिकता

(*ix*) **सूचना का अधिकार**

(*x*) **अल्पसंख्यकों को आर्थिक सहायता देना व शैक्षणिक विकास में मदद देना**

(*xi*) **आदिवासी विकास के लिए वार्षिक बजट बनाना**

(*xii*) कम्प्यूटर व तकनीकी **शिक्षा** को प्रोत्साहन देना

(*xiii*) **राजस्व प्रशासन (revenue administration)** को सक्रिय करना

(*xiv*) **स्वच्छ व जवाबदेह प्रशासन**

(*xv*) **अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, विकलांगों व जरूरतमंद लोगों के आर्थिक विकास में मदद देने के लिए अलग से वित्त निगम स्थापित करना।**

इस प्रकार सरकार ने आर्थिक विकास व सामाजिक कल्याण की दिशा में अग्रसर होने के लिए उपर्युक्त प्राथमिकताओं पर बल देने का निश्चय दोहराया है।

---

1 अपना शासन : तेज विकास और जन-कल्याण, दिसम्बर 2001, पृ 1–35 (सम्पूर्ण)

प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास व प्रगति

1. विभिन्न आयोगों का गठन

(अ) 11 मई, 1999 को **प्रशासनिक सुधार आयोग** (श्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में) नियुक्त किया गया था, जिसने राजस्व प्रशासन, पंजीयन व मुद्रांक, नगरीय सम्पत्ति-कर, गृह-कर, भूमिकर एवं शहरी जमाबन्दी, स्थानांतरण नीति एवं जन अभियोग निराकरण व राज्य ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे।

(ब) 15 मई, 1999 को महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए एक **महिला आयोग** का गठन किया गया था।

(स) 22 मार्च, 2000 को एक **मानवाधिकार आयोग** का गठन किया गया था जिसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

(द) जनवरी 2000 में **राजस्थान विद्युत नियामक आयोग** का गठन किया गया था।

(ए) तीन वर्ष बाद राज्य **अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन** किया गया तथा आयोग के अध्यक्ष को राज्य मंत्री के स्तर का दर्जा दिया गया।

2. विभिन्न क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्धारण

(अ) 20 जनवरी, 2000 से राज्य में **जनसंख्या नीति** लागू की गयी जिसके तहत मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करने व जनसंख्या के स्थिरीकरण पर जोर दिया गया तथा बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम के लिए उपाय सुझाये गये।

(ब) 15 अप्रैल, 2000 को **सूचना-प्रौद्योगिकी-नीति** की घोषणा की गयी। सरकार ने एक **उच्च स्तरीय साइबर नियम कार्यदल** का गठन किया जो नागरिकों, व्यापारियों व सरकार के बीच इलेक्ट्रोनिक आदान-प्रदान को सुलभ कराने का मार्ग सुझायेगा। एक दिसम्बर, 1999 से मुख्य मंत्री, सचिवालय व समस्त जिला कलेक्टरों के कार्यालयों की सूचनाओं के बीच आदान-प्रदान में तेजी लाने के लिए **'राज स्विफ्ट'** नामक व्यवस्था चालू कि गयी। **राज्य में सूचना-आधारित उद्योगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया।** आई.बी. एम एवं माइक्रोसोफ्ट कम्पनियाँ राज्य सरकार को नवीनतम तकनीक प्रदान करेंगी। IT-क्षेत्र को बढ़ाने के अन्य प्रयास भी जारी हैं।

(स) पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया गया था।

(द) निर्यात-नीति को भी अन्तिम रूप दिया गया ताकि राज्य वर्ष 2003 तक 15 हजार करोड़ रु. तक का वार्षिक निर्यात कर सके।

3. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

(अ) विद्युत-विकास—

पूर्व सरकार के कार्यक्रम में 3-4 साल में विद्युत की सृजन-क्षमता में 5% की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है[1]—

परियोजना का नाम	ऊर्जा का भविष्य	
सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	क्षमता (मेगावाट में)	कब तक
इकाई III	250	अक्टूबर 2001 तक कार्यशील
इकाई IV	250	मई 2002 तक कार्यशील
इकाई V	250	जून 2003 तक कार्यशील
रामगढ़ गैस प्लान्ट	76	सामाजिक आर्थिक क्लीयरेन्स प्राप्त की जा रही है
मथानिया (इन्टीग्रेटेड सोलर साइकिल) प्रोजेक्ट	140	क्वालिफिकेशन के लिए प्रार्थनाएँ प्राप्त
वायु पावर प्लान्ट्स	100	शीघ्र स्थापित करने का कार्यक्रम

इसके अलावा जैसा कि पूर्व में पावर के अध्याय में बतलाया गया है राज्य में RSEB को पाँच कम्पनियों में विभाजित किया गया—एक सृजन, दूसरी ट्रान्समिशन (प्रसारण) व तीन वितरण—जयपुर, अजमेर व जोधपुर क्षेत्रों के लिए। नये ग्रिड-स्टेशन स्थापित करने पर बल दिया गया। **पावर-सैक्टर-सुधार अधिनियम 1 जून, 2000 से प्रभावी हो गया।** विश्व बैंक से विद्युत क्षेत्र की पुनर्संरचना के लिए 4500 करोड़ रु. के ऋण की प्राप्ति का प्रयास किया गया। नये विद्युत कनेक्शन देने, ग्राम-विद्युतीकरण, कुओं के विद्युतीकरण, आदि के कार्य जारी हैं। **राज्य में प्रसारण व वितरण घाटे (T & D losses) 1999-2000 में 43% से अधिक थे, जो 2001-02 में लगभग 38% के स्तर पर आ गये थे। *विद्युत-क्षेत्र का राजस्व-घाटा 1999-2000 में 1670 करोड़ रु. से घट कर 2001-02 में 1270 करोड़ रु. पर आ गया था।***

(ब) सड़क विकास - राज्य मे डामर की सडको का निर्माण कार्य जारी है। कृषि-विपणन बोर्ड द्वारा भी सडको का निर्माण कराया जा रहा है। जयपुर मे मालवीय नगर रोड ओवर ब्रिज व बाईस गोदाम रोड ओवर ब्रिज-विस्तार, मालवीय नगर अण्डर ब्रिज व झोटवाड़ा रोड ओवर ब्रिज का निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया है।

(स) सिंचाई-विकास - इन्दिरा गाधी नहर परियोजना पर धनराशि खर्च करके गडरा रोड उपशाखा, सुल्ताना, घन्टयाली व लिफ्ट नहरों पर काम करके काफी कृषि योग्य नया क्षेत्र खोला गया है। गजनेर लिफ्ट नहर, बांगडसर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर आदि पर कार्य किया जा रहा है।

(4) कृषिगत विकास—सहकारी साख की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए किसानों को 16 लाख क्रेडिट कार्ड दिये जाने थे जिनमें से 11 लाख वितरित किये जा

1 The Hindustan Times, February 5, 2001, news item

चुके हैं। इससे उन्हें समिति से खाद-बीज प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। सिंचाई-प्रबन्ध में किसानों की भागीदारी का विधेयक पारित किया गया। विश्व-बैंक से सिंचाई की व्यवस्था सुधारने के लिए 1 हजार करोड़ रु. का कर्ज प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए बैंक सहमत हो गया था। किसानों को विद्युत की आपूर्ति 6-8 घंटे प्रतिदिन नियमित रूप से करने का प्रयास किया गया।

(5) औद्योगिक विकास—उद्यमियों को एक स्थान पर सारी सुविधाएँ सुलभ कराने के लिए एक खिड़की व्यवस्था (Single Window System) लागू की गयी। 25 करोड़ रु. से अधिक के निवेश के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमेंट, 3 से 25 करोड़ रु. के प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति एवं 3 करोड़ रु. तक के प्रस्तावों के लिए जिलाधीशों की अध्यक्षता में समितियाँ कार्यरत हैं। रीको ने उद्यमियों के लिए कई प्रकार की रियायतें घोषित कीं। निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया। RFC व रीको ने मंदी के बावजूद कर्ज देने मे प्रगति की। खादी व ग्रामोद्योगों में उत्पादन बढ़ाया गया। राजस्थान खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड का नाम 'गोकुल भाई भट्ट राजस्थान खादी ग्रामोद्योग' कर दिया गया।

(6) पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण—इसके लिए जिला-प्रमुखों को जिला-विकास-अभिकरणो (DRDA) का अध्यक्ष बनाकर इनका प्रबन्ध जिला-परिषदों को सौंपा गया, 29 विषयों में से 16 विषयो का कार्य इन्हें हस्तान्तरित किया गया, SC/ST, पिछड़ा वर्ग व महिलाओ को आरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 21% किया गया, वर्ष 1999 ग्राम-सभा वर्ष घोषित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों मे एक लाख दुकानें (कियोस्क) बनाने का लक्ष्य रखा गया था।

(7) रोजगार-संवर्धन, शिक्षा व लोक-कल्याण के कार्यो पर जोर—मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 4 वर्षों मे चार लाख गुमटियाँ (कियोस्क) बनाकर बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने का कार्यक्रम चलाया गया। राजकीय सेवाओ में रोजगार सुलभ कराने के लिए सरकारी सेवाओं मे सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार हेतु ऋण व अनुदान की व्यवस्था की गयी।

शिक्षा—प्रारम्भिक शिक्षा के 2003 तक सार्वजनीनकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा व साक्षरता मिशन स्थापित किया गया। गाँवों व शहरों की कच्ची बस्तियों में पाठशालाएँ व स्कूल भवन आदि बनाये गये। पाठशालाओं को क्रमोन्नत किया गया। विश्व बैंक की सहायता से 10 जिलों में जिला-प्राथमिक-शिक्षा-कार्यक्रम (DPEP) संचालित किया गया।

सरकार ने निर्धनता-उन्मूलन व लोक कल्याण की दृष्टि से कई कदम उठाये, जैसे सात जिलों—बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद व टोंक में 644 करोड़ रु. से गरीबी उन्मूलन की परियोजना लागू की गयी। नये छात्रावास बनाये

गये, छात्रवृत्तियाँ बढ़ायी गयी, निर्मित दुकानों में से 10% दुकानें अशक्त व्यक्तियों को दी गयीं, कई अन्य जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में लिया गया, जैसा जाट, बिश्नोई, मेव आदि । गाड़िया लुहारों आदि के लिए आवास-निर्माण की लागत प्रति इकाई 5 हजार रु. से बढ़ाकर 17,500 रु. की गयी । मुख्यमंत्री जीवन-रक्षा कोष से गरीबों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गयी । **एड्स व क्षय रोग नियंत्रण, पल्स पोलियो अभियान, मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन हेतु, वर्ष 2001 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया** । अल्पसंख्यकों के कल्याण की दिशा में प्रयास किये गये ।

राज्य की राजकोषीय या वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय—राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए **आवश्यक व्यय में कमी करने की दिशा में कुछ कदम उठाये गये**; जैसे स्टाफ-कार की व्यवस्था 1 दिसम्बर, 1999 से समाप्त की गयी, मंत्रियों को केवल एक कार उपलब्ध की गयी, मंत्रियों व अधिकारियों के लिए निर्धारित टेलीफोन कॉल्स में कमी की गयी, हवाई यात्राओं तथा राज्य से बाहर (दिल्ली को छोड़कर) की यात्राओं पर पूर्ण पाबन्दी लगायी गयी, तथा सरप्लस कर्मचारियों को रिक्तियों के तहत समायोजित किया गया ।

इस प्रकार पूर्व में कांग्रेस सरकार ने राज्य के आर्थिक विकास व जन-कल्याण की दिशा में कुछ प्रयास किये थे जिन्हें भविष्य में जारी रखना होगा और यथासम्भव बढ़ाना होगा ।

सुझाव

(1) राज्य की वित्तीय स्थिति काफी जटिल है, अत: **दसवीं योजना की अवधि (2002-2007) के लिए राजस्व-घाटे को कम करने के लिए एक नया राजकोषीय सुधार-कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए** जिसमे वर्षवार व मदवार राजस्व-बढ़ाने व व्ययों को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये जाएँ, ताकि 5 वर्ष बाद कर्ज-GSDP का अनुपात तथा राजकोषीय घाटा-GSDP का अनुपात, आदि घटाये जा सकें ।

(2) दीर्घकालीन योजना, पंचवर्षीय योजना व वार्षिक योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास से सम्बन्धित अधिक सुनिश्चित आलेख तैयार किये जाने चाहिए । भारतीय जनता पार्टी की नई सरका द्वारा गठित 'आर्थिक नीति व सुधार परिषद्' तथा 'व्यय-सुधार-आयोग' को राज्य के आर्थिक सुधारों व वित्तीय सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देने हैं ताकि राज्य भविष्य में विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके ।

(3) राज्य को अकालों व सूखे की समस्या के हल के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार करने चाहिए ताकि इस दिशा में स्थायी प्रगति हो सके ।

(4) राज्य में निजी निवेश (स्वदेशी व विदेशी) को प्रोत्साहन देने के लिए एक व्यापक-पैकेज तैयार करना चाहिए, ताकि विकास की दर ऊँची की जा सके, रोजगार-संवर्धन हो सके और निर्धनता-निवारण की दिशा में अधिक प्रगति हो सके । संस्थागत एजेन्सियों से भी अधिक कर्ज लेने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

अत: राज्य में आर्थिक विकास व जन-कल्याण का प्रश्न काफी जटिल है । इसके लिए आगामी दशक के लिए राज्य को अपनी विकास-रिपोर्ट व विकास का नया एजेण्डा तैयार करना चाहिए, तभी इस दिशा में स्थायी व ठोस प्रगति करना सम्भव हो सकेगा ।

मुख्यमंत्री श्रीमति वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में नई सरकार राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के प्रति कृतसंकल्प है और इसके लिए आवश्यक कार्यक्रम शीघ्र ही लागू करेंगी ।

प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. राजस्थान में आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में क्या कहना उचित होगा ?
   (अ) प्रगतिशील (ब) साधारण रूप से प्रगतिशील
   (स) धीमी (द) अनिश्चित (ब)
2. राज्य में आर्थिक सुधारों के संकेतक छाँटिए—
   (अ) नई औद्योगिक नीति (ब) नई खनन नीति
   (स) कर-व्यवस्था में उदारीकरण (द) नई सड़क नीति
   (ए) सभी (ए)
3. राज्य में आगामी पाँच वर्षों में आर्थिक उदारीकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए ?
   (अ) कृषि-नीति तैयार करनी चाहिए
   (ब) सामाजिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए
   (स) प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाना चाहिए
   (द) सभी (द)
4. राज्य सरकार ने हाल में औद्योगिक उदारीकरण की दिशा में नया कदम उठाया है—
   (अ) पूँजी-सब्सिडी के स्थान पर ब्याज-सब्सिडी की स्कीम लागू की है,
   (ब) एकल-खिड़की-क्लीयरेन्स की व्यवस्था लागू की है,
   (स) इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया है,
   (द) इन्स्पेक्टर राज समाप्त किया है। (ब)

अन्य प्रश्न

1. राजस्थान में 'आर्थिक सुधारों व उदारीकरण' पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
2. राजस्थान में आर्थिक सुधारों का परिचय देकर उनको सफल बनाने के लिए सुझाव दीजिए।
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   (i) एकल खिड़की क्लीयरेन्स व्यवस्था
   (ii) राज्य में विद्युत सुधार-कार्यक्रम
   (iii) राज्य में राजकोषीय सुधार

परिशिष्ट

राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर
800 वस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर (दोहराने हेतु)

[800 Objective and Short Questions and Answers, Related with the Economy of Rajasthan (For Revision)

नीचे राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ व लघु उत्तर प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि उन्हें आसानी से याद किया जा सके तथा उनको एक स्थान पर एक साथ पढ़कर इनके सम्बन्ध मे व्यापक, सही व अधिक सुनिश्चित जानकारी प्राप्त की जा सके। आशा है इस परिशिष्ट का अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें विशेषतया **Statistical Abstract, Rajasthan, 2001, Basic Statistics, Rajasthan, 2002 (DES, Jaipur)** आर्थिक समीक्षा 2003-2004, परिवर्तित आय-व्ययक अध्ययन 2004-2005 तथा आय-व्ययक एक दृष्टि में (2004-2005) राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का बजट-भाषण, 2004-05, 12 जुलाई 2004, **Some Facts About Rajasthan 2003 (DES, Jaipur), Agricultural Statistics, Rajasthan 2001-02, (January 2004), Report of ASI, Rajasthan, 2000-2001, February 2003 (DES)**, तथा भारत-सरकार के **Economic Survey 2003-2004** से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया गया है। आवश्यक आँकड़ों के लिए राष्ट्रीय योजना-आयोग के प्रकाशन: **Draft Tenth Five Year Plan 2002-07, Vol. III, State Plans: Trends, Concerns and Strategies**, तथा टाटा की **Statistical Outline of India 2003-04 (January 2004)** का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन-सा स्थान है ?
   (अ) तृतीय (ब) द्वितीय (स) चतुर्थ (द) प्रथम **(द)**
   (मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद)
2. राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ?
   (अ) 15% (ब) 17%
   (स) 10.4% (द) 9% **(स)**
3. 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना अंश थी ?
   (अ) 10% (ब) 4% (स) 13% (द) 5.5% **(द)**

4. 2001 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी रही ?
(अ) 4 34 करोड़ (ब) 5 65 करोड़
(स) 4 89 करोड़ (द) 4 32 करोड़ (ब)

5. 1951-2001 की अवधि में राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि की मुख्य बात क्या रही ?

उत्तर : 1951 में जनसंख्या 1 59 करोड़ से बढ़कर 2001 में 5 65 करोड़ हो गई (लगभग 3 55 गुनी)

6. 1991-2001 के दशक मे राजस्थान की जनसख्या लगभग कितनी बढ़ी ?
(अ) 30% (ब) 26% (स) 28 33% (द) 25% (स)

7. राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना था ?
(अ) 110 व्यक्ति (ब) 104 व्यक्ति
(स) 200 व्यक्ति (द) 165 व्यक्ति (द)

8. 1991-2001 में कौन-से जिले में जनसंख्या की वृद्धि-दर सर्वाधिक रहा है ?

उत्तर : जैसलमेर जिला (47 45%)।

9. 1991-2001 में सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि-दर किस जिले मे व कितनी रही ?

उत्तर : राजसमंद जिला (19 88%)।

10. 2001 में राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक रहा ?
(अ) भरतपुर (ब) जयपुर
(स) दौसा (द) धौलपुर (ब)
(471 प्रति वर्ग किमी)

11. राज्य में 2001 में सबसे कम घनत्व किस जिले में व कितना रहा ?

उत्तर : जैसलमेर में, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ।

12. 2001 में साक्षरता की दर राज्य में सर्वाधिक किस जिले में रही ?
(अ) जयपुर (ब) झुँझुनू
(स) कोटा (द) उदयपुर (74.45%) (स)

13. 2001 में साक्षरता की दर न्यूनतम किस जिले में व कितनी रही ?
(अ) बांसवाड़ा (ब) डूँगरपुर
(स) जैसलमेर (द) पाली (44.22%) (अ)

14. 2001 में राजस्थान में स्त्रियों में साक्षरता की दर रही है—
(अ) 20.44% (ब) 55%
(स) 44.34% (द) 61 0% (स)

15. 2001 मे पुरुषों में राज्य मे साक्षरता की दर रही—

(अ) 76 46% (ब) 66 46%
(स) 56 46% (द) 46 46% (अ)

16. 2001 में स्त्रियों मे साक्षरता की न्यूनतम दर किस जिले में व कितनी रही ?

(अ) जैसलमेर (ब) जालौर
(स) टोंक (द) बांसवाड़ा (27.53%) (ब)

17. 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजाति का जनसंख्या में क्या अनुपात था ?

(अ) 17 44% (ब) 12 44%
(स) 15 44% (द) 18 44% (ब)

18. 1991 में जनजाति में किस जिले में अनुपात उसकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक रहा और कितना रहा ?

(अ) बांसवाड़ा (ब) डूँगरपुर
(स) उदयपुर (द) दौसा (73.5%) (अ)

19. राज्य के किस भाग में जनजातियों का सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है ?

(अ) दक्षिण (ब) दक्षिण-पूर्व
(स) उत्तर (द) पश्चिम (ब)

20. 1991 में राज्य की कुल जनजातियों में किस जिले में उनका सर्वाधिक अनुपात पाया गया है ?

(अ) बांसवाड़ा (ब) उदयपुर
(स) डूँगरपुर (द) जयपुर (19.42%) (ब)

21. माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है ?

(अ) जयपुर (ब) बांसवाड़ा
(स) उदयपुर (द) डूँगरपुर (स)

22. जनजाति कल्याण व विकास हेतु प्रमुख व सर्वाधिक कार्यक्रम किस परियोजना में हैं ?

(अ) जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजना
(ब) माडा योजना
(स) सहरिया योजना
(द) घुमक्कड़ व बिखरी जनजातियों के कार्यक्रम (अ)

23. राजस्थान में ग्रामीण विकास की दृष्टि से किसका सर्वोच्च स्थान रहा है?

(अ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
(ब) बायो-गैस कार्यक्रम
(स) बीस-सूत्री कार्यक्रम
(द) जवाहर रोजगार योजना (अ)

24. 1995-96 में अनुसूचित जनजाति के पास भूजोतों का औसत आकार कितना पाया गया ? (Some Development Facts of Rajasthan, 1956-1999, DES, August 2000, p.15)
(अ) 2.17 हैक्टेयर (ब) 3 22 हैक्टेयर
(स) 3 96 हैक्टेयर (द) 1 हैक्टेयर (अ)

25. आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल 'बेणेश्वर' किस जिले में स्थित है ?
(अ) उदयपुर (ब) बांसवाड़ा
(स) डूँगरपुर (द) चित्तौड़गढ़ (स)

26. जनजातियों में सर्वाधिक संख्या किनकी मानी गयी है ?
(अ) मीणा (ब) सहरिया
(स) डामोर (द) गरासिया
(ए) भील (अ)

27. इन्दिरा गांधी नहर पर निर्माण-कार्य का श्रीगणेश कब प्रारम्भ हुआ ?
(अ) 31 मार्च, 1952 (ब) 31 मार्च, 1958
(स) 31 मार्च, 1954 (द) इनमें से कोई नहीं (ब)

28. राजस्थान में 2002 के लिए सेम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली (SRS) के अनुसार प्रति हजार जन्म दर व मृत्यु दर लिखिए।

उत्तर : जन्म दर 30.6 प्रति हजार व मृत्यु दर 7.7 प्रति हजार ।
(स्रोत : Economic Survey, 2003-2004 p S. 109)

29. राजस्थान में मरुक्षेत्र, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का क्रमशः कुल क्षेत्र में अंश लिखिए ।

उत्तर : मरुक्षेत्र = 61%, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र = 7 8%, जनजाति क्षेत्र = 5.8%, कुल = 74 6%

30. 2001 की जनगणना के अनुसार जयपुर जिले में साक्षरता-अनुपात क्या रहा ?
(अ) 75% (ब) 80%
(स) 70 63% (द) 82 24% (स)

31. 2001 में राज्य के केवल एक जिले में लिंग-अनुपात 1991 की तुलना में घटा—
(अ) जैसलमेर (ब) सिरोही
(स) बाड़मेर (द) अजमेर (ब)
(949 से 944)

32. 2001 में लिंग-अनुपात 1000 से ऊपर रहा—
(अ) डूँगरपुर जिला (ब) राजसमन्द जिला
(स) डूँगरपुर व राजसमंद जिलों में (द) जयपुर जिला (स)

33. 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा अनुकूल परिवर्तन 1991 की तुलना में क्या माना जाना चाहिए ?

(अ) दसवर्षीय वृद्धि-दर का घटना
(ब) लिंग-अनुपात का बढ़ना
(स) घनत्व का बढ़ना
(द) व्यक्तियों में साक्षरता की दर का बढ़ना
(ए) स्त्रियों में साक्षरता की दर का बढ़ना **(ए)**

(20.44% से 44.34%)

34. जून 2001 में जनसंख्या-नियंत्रण व परिवार-नियोजन के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या अधिसूचना जारी की गयी है ?

उत्तर : 1 जून 2002 को या इसके बाद दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थी को सरकारी नोकरी नहीं मिलेगी तथा पदोन्नति 5 वर्ष तक रोकी जा सकेगी ।

35. राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या, पुरुषों की संख्या व स्त्रियों की संख्या लिखिए।

उत्तर : कुल जनसंख्या 5 65 करोड़ व्यक्ति, पुरुष-वर्ग 2 94 करोड़ तथा स्त्री-वर्ग 2.71 करोड़ ।

36. 2001 में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की व सबसे कम जनसंख्या किस जिले की रही ?

उत्तर : सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले की 52 52 लाख व्यक्ति, कुल जनसंख्या का 9 3% व सबसे कम जनसंख्या 5 08 लाख जैसलमेर जिले की (0 9%), एक प्रतिशत से भी कम ।

37. राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग-अनुपात (स्त्री-पुरुष अनुपात) कितना रहा, सर्वाधिक किस जिले में कितना व न्यूनतम किस जिले में कितना रहा ?

उत्तर : राज्य में 922 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष । सर्वाधिक : डूँगरपुर में 1027, न्यूनतम : जैसलमेर में 821 ।

38. राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति स्पष्ट कीजिए (लगभग 150 शब्दों में)।

उत्तर : डा. एस.पी. गुप्ता (स्पेशल-ग्रुप) की *रिपोर्ट, मई 2002 के अनुसार* राजस्था में, चालू दैनिक स्थिति के अनुसार, 1999-2000 मे रोजगार-प्राप्त व्यक्ति की संख्या लगभग 2 करोड आकी गई है तथा बेरोजगारी की दर 3.13 थी। 1993-94 में यह अनुपात 1.31% रहा था। इस प्रकार 1999-2000 राज्य में बेरोजगारी का अनुपात बढा है।

राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के अनुसार, योजना के आरम्भ में 2.37 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे तथा 5 वर्ष एवं इससे ऊपर श्रम-शक्ति में 2002-2007 की अवधि में 26 लाख व्यक्तियों की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, ***जिससे दसवीं योजना में कुल 28.37 लाख व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करनी आवश्यक मानी गई***। इसके अलावा योजना के आरम्भ में कई लाख व्यक्ति अल्परोजगार की समस्या से भी ग्रस्त थे। (Draft Tenth Five Year Plan, 2002-2007, Vol. I, ch. 6).

– राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है जितनी यह केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है।

39. राजस्थान में बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में सरकारी उपाय लिखिए।

उत्तर : आर्थिक विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी कम होगी। **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)** के मार्फत स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई है। *जवाहर रोजगार योजना व अकाल राहत सहायता कार्यक्रमों* के माध्यम से रोजगार दिया गया है। 1989-90 में ग्रामीण निर्धन परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसमें पूर्व कार्यक्रम NREP व RLEGP को मिला दिया गया था। राज्य में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को विकसित करके अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। पर्यटन व निर्माण-उद्योग में भी रोजगार की काफी सम्भावनाएँ पाई जाती हैं। **'अपना गाँव अपना काम' व '32 जिले 32 काम'** के अन्तर्गत भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। 1995-96 में नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े 122 विकास खण्डों में निर्धनतम ग्रामीण परिवारों के लिए आवश्यकतानुसार वर्ष में 100 दिन के आश्वस्त-किस्म के रोजगार (assured employment) का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था जिसके अन्तर्गत प्रति परिवार कम से कम 2 व्यक्तियों को इस प्रकार का रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य था, जिसमें साथ में स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण भी किया जा सके। कांग्रेस सरकार ने भी रोजगार संवर्धन के प्रयास किए थे।

40. इस बात का प्रमाण दीजिए कि राजस्थान सरकारें राज्य में गरीबी-उन्मूलन व गरीब को रोजगार देने के लिए कृतसंकल्प रही है।

उत्तर : 1995-96 में रोजगार-संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे DPAP, DDP, JRY, NRY, जल-ग्रहण-विकास परियोजनाओं, आदि पर 1158 करोड़ रु. व्यय करके 15 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया था। यह राशि पिछले वर्ष से 365 करोड़ रु. अधिक थी। वर्ष 1996-97 में ग्रामीण रोजगार-सृजन-कार्यक्रमों व योजनाओं पर 570 करोड़ रु. के व्यय से 11 करोड़ मानव-दिवस रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया। 1997-98 के बजट में जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना, '30 जिले 30

काम' योजना, निर्बन्ध-राशि योजना, अपना गाँव अपना काम योजना, ग्रामीण विकास केन्द्र योजना, आदि रोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से गाँवों के आधारभूत ढाँचे के विकास पर विशेष बल दिया गया। पक्के कार्यों के लिए सामग्री व श्रम का अनुपात 50 : 50 रखा गया। **कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कियोस्क (गुमटियों) का निर्माण करवाया था। गरीबी-उन्मूलन के लिए पूर्व में कांग्रेस सरकार ने सात जिलों—बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद व टोंक में 644 करोड़ रु. की एक गरीबी-उन्मूलन-परियोजना लागू की थी।**

41. 2001 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात लिखिए।

उत्तर : भारत में श्रमिकों का जनसंख्या में अनुपात 39 26% तथा राजस्थान में 42.11% रहा।

42. 2001 में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि में संलग्न श्रमिकों व खेतिहर श्रमिकों का अनुपात बताइए।

उत्तर : कृषिक व खेतिहर मजदूर के रूप में 66% अनुपात रहा है। शेष 34% श्रमिक गैर-कृषिगत कार्यों में संलग्न थे।

43. राजस्थान में निर्धनता की स्थिति स्पष्ट कीजिए।

उत्तर : 1987-88 के भावों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 132 रुपये (ग्रामीण क्षेत्रों में) तथा 152 3 रुपये (शहरी क्षेत्रों में) से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गए थे। **1993-94 के भावों पर ये सीमाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 228 रुपये 90 पैसे तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 264 रुपये 10 पैसे कर दी गई थीं।**

योजना आयोग के अनुसार अथवा सरकारी विधि के अनुसार राजस्थान में 1987-88 में निर्धनों की संख्या 84 3 लाख थी (कुल जनसंख्या का 24 4%) जो 1993-94 में 41.7 लाख हो गई। **विशेषज्ञ- समूह या लकड़ावाला समिति की विधि के अनुसार यह इसी अवधि में 140.3 लाख से घटकर 128 लाख हो गई थी (कुल जनसंख्या का 27.4%)।** कैलोरी को आधार स्वरूप लेने पर राजस्थान में निर्धनता का अनुपात नीचा आता है, क्योंकि यहाँ के भोजन में बाजरे की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो यहाँ का मुख्य अनाज है। इसमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। लेकिन मिन्हास-जैन-तेन्दुलकर के अध्ययन के अनुसार, ये आँकड़े सही नहीं हैं, और इनके द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, निर्धनता का अनुपात 1987-88 में राजस्थान में 42% प्रस्तुत किया गया है। योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता-अनुपात 1987-88 में 22% था, जो 1993-94 में घट कर 9.3% पर आ गया था (शहरी क्षेत्रों में 16.2% से 7.5%)। **विशेषज्ञ-समूह की विधि के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता-**

अनुपात 1993-94 में 26.5% व 1999-2000 में 13.7% रहा (शहरी क्षेत्रों में यह 30.5% व 19.9% रहा)। समग्र रूप से यह 27.4% व 15.3% ही रहा।

44. राजस्थान में प्राय: अकाल क्यों पड़ते हैं ?

उत्तर : सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में सभी पाँचों वर्षों में राज्य में अकाल व अभाव की स्थिति रही थी। यहाँ निरन्तर वर्षा का अभाव रहता है। वर्षों से चले आ रहे हवा व पानी से मिट्टी के कटाव के कारण उपजाऊ भूमि बेकार होती जाती है। अनियंत्रित चराई, वृक्षों की कटाई व जल-प्रबन्ध के अभाव से परिवेश-असन्तुलन (ecological imbalance) उत्पन्न हो गया है। 'वृक्ष नहीं, पानी नहीं तथा उपजाऊ भूमि नहीं', का दुष्चक्र निरन्तर चल रहा है। जल, जंगल, जमीन **आदि के परस्पर सन्तुलन बिगड़ गए हैं, जिससे मनुष्य व पशु दोनों पर भारी** विपदा आ गई है। 1986-87 व 1987-88 में सभी 27 जिले अकालग्रस्त घोषित किए गए थे। 1988-89 में 17 जिलों में तथा 1989-90 में 25 जिलों में अकाल व अभाव की स्थिति रही। 1990-91 का वर्ष अकाल-मुक्त रहा, लेकिन 1991-92 में पुन: 30 जिले, 1992-93 में 12 जिले, 1993-94 में 25 जिले, 1995-96 में 29 जिले, 1996-97 में 21 जिले, 1997-98 में 24 जिले, 1998-99 में 20 जिले, 1999-2000 में 26 जिले तथा 2000-2001 में धौलपुर को छोड़कर शेष 31 जिले सूखे से प्रभावित हुए। 2002-2003 में सभी 32 जिले सूखा-प्रभावित घोषित किए गए

45. सरकार अकाल राहत सहायता में कौन से कार्यक्रम चलाती है ?

उत्तर : अकाल राहत विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा पंचायतों आदि के मार्फत विविध प्रकार के निर्माण कार्यों पर (स्कूल-भवनों, सड़कों, तालावों आदि का निर्माण या मरम्मत) लोगों को रोजगार उपलब्ध किया जाता रहा है। काम के बदले मजदूरी का कुछ अंश अनाज के रूप में दिया जाता है। पीने के पानी की व्यवस्था टंकियों, टैंकरों, ट्रकों, बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों, वगैरा के द्वारा की जाती है। पशुओं के लिए चारे की सप्लाई बढ़ाई जाती है। विभिन्न राज्यों से चारे की खरीद करके जरूरतमंद केन्द्रों में पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। चारे पर परिवहन-सब्सिडी भी दी जाती है।

46. रजाद (RAJAD) परियोजना क्या है ?

उत्तर : चम्बल परियोजना क्षेत्र में **सतह से नीचे ड्रेनेज के काम** (sub-surface drainage works) को रजाद परियोजना कहते हैं।

47. जयपुर के पास रामगढ़ के बंधे में किस नदी से पानी आता है ?

(अ) गम्भीरी (ब) ताला

(स) सूकड़ी (द) लूनी **(ब)**

48. 'पहियों पर राजमहल' (palace on wheels) का पर्यटन के लिए किन स्थानों के लिए उपयोग किया जाता है ?

उत्तर : जयपुर, दिल्ली व आगरा पर्यटन-त्रिकोण पर विशेष पर्यटन रेलगाड़ी का उपयोग किया जाता है । इसे स्वर्णिम-त्रिकोण (golden triangle) कहते हैं । इस पर सितम्बर 1995 से बड़ी लाइन पर 'नई पैलेस ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी चालू की गई है ।

49. राजस्थान के प्रमुख खनिजों के नाम लिखिए ।

उत्तर : ताँबा, सीसा व जस्ता, टंगस्टन, लाइमस्टोन, संगमरमर का पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, भवन निर्माण के पत्थर, रॉक-फॉस्फेट, मुल्तानी मिट्टी, फ्लोर्सपार आदि ।

50. पिछले वर्षों में राजस्थान में कौन से खनिज भण्डारों का पता चला है ?

उत्तर : जैसलमेर जिले में घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल भण्डार पाया गया है । 6 जुलाई, 1990 को जैसलमेर जिले में ही 'डांडेवाला' स्थान पर प्राकृतिक गैस के नए विशाल भण्डार मिले हैं । अक्टूबर 1990 में गैस का एक नया भण्डार मिला है । अप्रेल 1992 में आयल इण्डिया को बीकानेर के निकट बाधेवाला क्षेत्र में तेल के विशाल भण्डार मिले हैं । भालवाड़ी जिले में रामपुरा-आगूचा में जस्ते व सीसे के विपुल भण्डार मिले हैं । बीकानेर जिले में बरसिंगसर में लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं, जिनसे थर्मल पावर प्लान्ट लगाया जा रहा है । चित्तौड़गढ़ जिले के गाँव केसरपुर (प्रतापगढ़) के निकट हीरे की खोज उल्लेखनीय है । बीकानेर, नागौर व बाड़मेर जिलों में लिग्नाइट के विशाल भण्डार मिले हैं । जैसलमेर जिले में स्टीलग्रेड लाइमस्टोन तथा पाली में टंगस्टन के भण्डार प्राप्त हुए हैं ।

उदयपुर से करीब 16 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व स्थित साकरोदा गाँव के समीप बेराइट खनिज (बेराइटिज) के बड़े भण्डार मिले हैं । ये 60 किलोमीटर लम्बी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी भू-पट्टी का भू-वैज्ञानिक-सर्वे करने के बाद मिले हैं (राज पत्रिका, 11 जुलाई, 1998 पृ. 6) । 2003-04 मे बाड़मेर जिले में कच्चे तेल व गैस के विशाल भण्डार मिले हैं । केयर्न एनर्जी कम्पनी ने वहाँ अगस्त 2004 में चौथी बड़ी खोज की है ।

51. राजस्थान में सकल कृषिगत क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र की मात्रा बताइए ।

उत्तर : 2001-02 के अनुसार कुल कृषिगत क्षेत्रफल 208 लाख हैक्टेयर था, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 60 7% था । इसी वर्ष सकल सिंचित क्षेत्र 67.44 लाख हैक्टेयर रहा, जो कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 32.4% था । 1960-61 में यह 15% रहा था । 2002-03 में सिंचित क्षेत्र 39.9% आंका गया है ।

52. राजस्थान की खरीफ की फसलों के नाम लिखिए ।

उत्तर : चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, खरीफ की दालें जैसे तुअर, मूँग, मोठ, चोला व उड़द । खरीफ के तिलहनों में मूँगफली, तिल, सोयाबीन व अरण्डी (Castor-seed) आते हैं ।

53. राजस्थान की रबी की फसलों के नाम लिखिए।

उत्तर : गेहूँ, जौ, चना, सरसों व अफीम, रबी की अन्य दालें जैसे मसूर की दाल आदि। रबी के तिलहनों में राई-सरसों, तारामीरा व अलसी आते हैं।

54. राजस्थान में गेहूँ, बाजरा व चावल की खेती किन जिलों में प्रमुखतया की जाती है ?

उत्तर : (अ) **गेहूँ**—श्रीगंगानगर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर व अलवर।

(आ) **बाजरा**—अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनूं, नागौर, जोधपुर, पाली सवाई माधोपुर, सीकर व टोंक।

(इ) **चावल**—श्रीगंगानगर, कोटा, बूँदी, डूँगरपुर, उदयपुर व झालावाड़।

55. राजस्थान में व्यापारिक फसलों या नकद फसलों के नाम लिखिए।

उत्तर : तिलहन में तिल, सरसों, अलसी, मूँगफली, अरण्डी, सोयाबीन, आदि। इनके अलावा कपास, गन्ना, तम्बाकू, लाल मिर्च, आलू, धनिया, जीरा आदि।

56. राजस्थान की खाद्य-फसलों की विशेषता का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: सामान्यतया कुल कृषित क्षेत्रफल के आधे से कुछ कम भाग पर अनाज (cereals) की फसलें बोई जाती हैं। 1999-2000 मे यह अश 44% तथा 2001-02 मे 45% रहा; यह प्रतिवर्ष घटता–बढता रहता है। अनाजों मे सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे के अन्तर्गत पाया जाता है। यह अनाजो के क्षेत्रफल के आधे भाग म अथवा कुल कृषित क्षेत्रफल के लगभग 20% भाग पर बोया जाता है। 2001-02 मे बाजरा 51.3 लाख हैक्टेयर मे बोया गया तथा सकल कृषित क्षेत्रफल, 208._ लाख हैक्टेयर था। इस प्रकार इस वर्ष बाजरे के अन्तर्गत क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 24.7 रहा। यह प्रति वर्ष घटता–बढता रहता है।

57. 1996-97 से 1999-2000 के खाद्यान्नों के औसत उत्पादन के आधार पर राजस्थान का अंश कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बताइए—
(i) चावल में, (ii) गेहूँ में, (iii) दालों में तथा (iv) समस्त खाद्यान्नों में।

उत्तर : (i) चावल में 0 2%

(ii) गेहूँ में 9 6%

(iii) दालों में 14.2%

(iv) खाद्यान्नों में 6 3%

58. 1993-94 से 1996-97 का औसत लेने पर राजस्थान में तिलहन व गन्ने के उत्पादन में राष्ट्रीय उत्पादन का अंश बताइए।

उत्तर : तिलहन में 13.2%, गन्ने में 0 4%

59. राजस्थान में योजनाकाल में खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या परिवर्तन हुए ?

उत्तर : राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 30 लाख टन से बढ़कर 1983-84 में लगभग 1 करोड़ टन हो गया था। इसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव बहुत आते

रहे हैं । 1987-88 के खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान 47.8 लाख टन लगाया गया था । 1990-91 में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 109.35 लाख टन हुआ । प्राय: खरीफ की फसल अकाल व सूखे का शिकार हो जाती है जिससे उत्पादन घट जाता है । पिछले वर्षों में रबी में खाद्यान्नों का उत्पादन खरीफ के खाद्यान्नों से अधिक रहा है । 1997-98 में खाद्यान्नों का उत्पादन 140.5 लाख टन, 1998-99 में 129.3 लाख टन, 1999-2000 में लगभग 107 लाख टन आँका गया है । 2000-2001 में 100.4 लाख टन व 2001-2002 में 140.0 लाख टन हुआ । 2002-03 में 75 लाख टन तथा 2003-04 में 189 लाख टन की सम्भावना है ।

60. राजस्थान में तिलहन की पैदावार में कितनी वृद्धि हुई है ?

उत्तर : 1987-88 में 12.6 लाख टन से बढ़कर 1997-98 में 33 लाख टन हो गई । 1998-99 में यह 38.1 लाख टन, 1999-2000 में 34 लाख टन आँकी गई है । सूखे के बावजूद राज्य में तिलहन का उत्पादन बढ़ा है । 2001-02 में 31.3 लाख टन, व 2002-03 में 17.6 लाख टन का अनुमान है । 2003-04 में 39.4 लाख टन की सम्भावना है ।

61. राजस्थान में कृषिगत इन्पुटों पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए ।

उत्तर : ***(i)* खाद्य-पदार्थ**—दुग्ध-पदार्थ, फल व सब्जियाँ (डिब्बों के अचार-मुरब्बा), आटा मिलें, दाल मिलें, बेकरी, चीनी, गुड़, देशी खांड, वनस्पति घी, खाद्य तेल, वगैरह । इसी में जोधपुर व नागौर क्षेत्र की मेथी, पाली की मेहन्दी, पुष्कर क्षेत्र के फल, सब्जी व गुलाब के फूल, बाँसवाड़ा के आम-पापड़ व बीकानेर के पापड़-भुजिया आदि भी आते हैं ।

***(ii)* तम्बाकू पदार्थ**—जरदा, बीड़ी ।

***(iii)* कॉटन प्रोसेसिंग व कॉटन वस्त्र**—जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ, कताई व बुनाई, रंगाई व छपाई व ब्लीचिंग (बुनाई के लिए कई प्रकार की टेक्नोलोजी प्रयुक्त होती है; जैसे—हथकरघा, शक्ति करघा, मिल करघा, वगैरह) ।

***(iv)* रेशम का उद्योग ।**

***(v)* टेक्सटाइल वस्तुएँ**—गलीचे, निटिंग मिलें, गारमेंट, रेनकोट, कपड़े के जूते। एग्रो-उद्योग (agro-industries) के व्यापक अर्थ में पशु-आधारित व वन-उद्योगों के अलावा कृषि के लिए इन्पुट तैयार करने वाले उद्योगों जैसे उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, ट्रैक्टर, कृषिगत औजारों आदि को भी शामिल किया जाता है । लेकिन संकीर्ण अर्थ में इसके अन्तर्गत कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योग ही लिए जाते हैं ।

62. राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों के स्थान बताइए ।

उत्तर : ये पाली, भीलवाड़ा, किशनगढ़, ब्यावर, श्रीगंगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा व भवानीमंडी में स्थित हैं । पिछले वर्षों में इनकी संख्या 23 बताई गई है । इनमें 17 निजी क्षेत्र में, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में व 3 सहकारी क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं।

63. राजस्थान में 1997 में गौ-वंश के पशुओं की संशोधित संख्या कितनी थी ?
(अ) 1 21 करोड़ (ब) 1 9 करोड़
(स) 2 करोड़ (द) 80 लाख (अ)

64. 1997 की पशु-संगणना के अनुसार राज्य में भेड़ों की संख्या सूचित कीजिए।

उत्तर : (भेड़ें 145 8 लाख) (समस्त देश की भेड़ों का लगभग 25%) (संशोधित आँकड़े)।

65. राजस्थान के पशु-धन (Livestock) की विशेषता बताइए तथा इस पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए।

उत्तर : 1997 में राज्य में पशुओं की संख्या 5 47 करोड़ हो गई, जो 1992 की तुलना में 69 लाख अधिक थी। राज्य में पशुओं की कुछ सर्वोत्तम नस्लें पाई जाती हैं। राजस्थान में भेड़ों की उत्तम नस्लें पाई जाती हैं, जैसे बीकानेर की नाली, चोकला व मगरा, जैसलमेर की जैसलमेरी व जोधपुर की मारवाड़ी।

पशु-धन पर आधारित उद्योग—डेयरी उद्योग, दुग्ध से बने पदार्थ, ऊन, माँस, चमड़ा, हड्डी। राज्य में पशु-धन का विकास करके लोगों को रोजगार दिया जा सकता है व आमदनी बढ़ाई जा सकती है। ये कृषि के सहायक उद्योगों के रूप में विकसित किए जा सकते हैं। ये मरुप्रदेश के लिए भी उपयुक्त माने जाते हैं।

66. 2002-03 में राजस्थान में दूध का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ?
(अ) 42 लाख टन (ब) 79.1 लाख टन
(स) 44 लाख टन (द) 50 लाख टन (ब)

67. राजस्थान की बहुराज्यीय बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं के नाम लिखिए।

उत्तर : राजस्थान की निम्न बहुराज्यीय बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं में हिस्सा है—

(i) भाखड़ा-नांगल (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान)
(ii) चम्बल (मध्य प्रदेश व राजस्थान)
(iii) व्यास (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान)
(iv) माही बजाज सागर (गुजरात व राजस्थान)

68. माही बजाज सागर परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर : इसका निर्माण बाँसवाड़ा के समीप किया गया है। यह कुल 80 हजार हैक्टेयर में सिंचाई कर सकेगी। पावर हाउस नं. 1 पर 25-25 मेगावाट की दो इकाइयाँ जनवरी 1986 में चालू की गई थीं।

पावर हाउस नं. 2 पर 45-45 मेगावाट की दो इकाइयाँ लगाई गई हैं। इस प्रकार सातवीं योजना में इस परियोजना से पावर की प्रस्थापित क्षमता 140 मेगावाट हो गई थी।

69. राजस्थान के सतही जल-साधनों का भारत के कुल सतही जल-साधनों में क्या स्थान है ?

(अ) 10% (ब) 1% (स) नगण्य (द) 5% **(ब)**

70. राजस्थान की वृहद् सिंचाई परियोजनाएँ कौन- कौनसी हैं ? इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।

उत्तर : राजस्थान की वृहद् सिंचाई परियोजनाओं (जिनके नीचे कमांड क्षेत्र 10 हजार हैक्टेयर से अधिक होगा) में निम्नलिखित हैं—

(1) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, (2) गुड़गाँव नहर (जिला भरतपुर), (3) ओखला बैराज (जलाशय) (जिला भरतपुर), (4) नर्मदा (जालौर), (5) जाखम (उदयपुर), (6) नोहर, (7) सिद्धमुख (श्रीगंगानगर), (8) बीसलपुर (जिला टोंक) । इन सभी परि-योजनाओं का कार्य प्रगति पर है ।

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना में मुख्य नहर व्यास-सतलज के संगम पर हरीके बाँध से प्रारम्भ होती है । इसे बाड़मेर में गडरा रोड तक ले जाया जाएगा । फीडर की लम्बाई 204 किलोमीटर है तथा मुख्य नहर की लम्बाई 445 किलोमीटर है । इस पर वर्ष 1958 से कार्य किया जा रहा है । मुख्य नहर 1 जनवरी, 1987 तक अपने सुदूर छोर तक पहुँचा दी गई थी । इसके दोनों चरणों के पूरा होने पर **15.79 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी तथा अनाज, गन्ना, कपास, तिलहन आदि की पैदावार बढ़ेगी ।** द्वितीय चरण की स्कीम में साहबा, गजनेर, कोलायत, फलौदी, पोकरन व बाड़मेर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (जलोत्थान योजनाओं) के द्वारा पानी को 60 मीटर ऊँचा उठाकर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी । इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है । मार्च 2004 तक इस पर 2600.9 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं; 393.2 करोड़ रु. प्रथम चरण में और 2207.7 करोड़ रु. दूसरे चरण में । 2003-04 तक 12.13 लाख हैक्टेयर में सिंचाई की सम्भाव्यता विकसित की गई है । **इससे लगभग 1600 करोड़ रु. का वार्षिक कृषिगत उपलब्ध होता है । इसके दसवीं योजना में वर्ष 2005 तक पूरा होने की आशा है ।**

71. थार मरुस्थल (Thar desert) का प्रदेश बताइए ।

उत्तर : **अरावली के पश्चिम व उत्तर-पश्चिम का प्रदेश बालू रेत से भरा है । इसका सुदूर का पश्चिमी भाग (Western most part) "थार मरुस्थल" कहलाता है, जो पाकिस्तान की सीमा पर कच्छ के रन के सहारे-सहारे पंजाब तक फैला है ।** बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर के कुछ भागों में बड़े-बड़े टीले पाए जाते हैं । यहाँ के निवासियों को शुष्क जीवन का सामना करना पड़ता है । यह भारत का सबसे गर्म प्रदेश माना जाता है । इसमें दूर-दूर तक बहुत कम मात्रा में हरियाली नजर आती है । भीषण जलवायु, कम वर्षा, सुदूर प्रदेश व कठोर जीवन मरुस्थल की विशेषताएँ हैं ।

72. राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के नाम बताइए।

उत्तर : राज्य के निम्न 12 जिले मरुस्थलीय या रेगिस्तानी जिले कहलाते हैं। इनमें राज्य का 61% क्षेत्रफल तथा 40% जनसंख्या शामिल है। ये जिले इस प्रकार हैं— जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगा-नगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू, पाली, जालौर, सीकर तथा झुंझुनूं।

73. मरु-विकास-परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर : मरु-विकास-परियोजनाओं (DDP) का उद्देश्य रेगिस्तान के मार्च या फैलाव को रोकना तथा मरु प्रदेश का आर्थिक विकास करना है। 1985-86 से यह पूर्णतया केन्द्र-प्रवर्तित कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया था। **यह राज्य के 16 जिलों के 85 खण्डों में चलाया जाता है।** इसके अन्तर्गत निम्न कार्य प्रमुख हैं— भू-संरक्षण, वानिकी या वन-विकास, भूजल-विकास (ground water development), भेड़ व ऊन विकास, पेयजल स्कीम व लघु सिंचाई की योजनाएँ। अब यह कार्यक्रम जलग्रहण-आधार (watershed-basis) पर चलाया जाता है। **प्रत्येक वाटरशेड का क्षेत्रफल लगभग 500 हैक्टेयर होता है और प्रति हैक्टेयर लागत 5000 रु. होती है और इसे 4 वर्ष में पूरा किया जाता है।**

74. राजस्थान के सूखा-सम्भाव्य-क्षेत्र-कार्यक्रम (DPAP) का परिचय दीजिए।

उत्तर : **सूखा-सम्भाव्य-क्षेत्र-कार्यक्रम 1974-75 में प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत पहले कई जिले शामिल किए गए थे, लेकिन छठी योजना में इसे निम्न प्रदेशों तक सीमित कर दिया गया, क्योंकि अन्य प्रदेशों में मरु विकास कार्यक्रम चालू हो गया था।** डूँगरपुर व बाँसवाड़ा के जनजाति के जिले, उदयपुर जिले के भीम, देवगढ़, खेरवाड़ा तहसीलें तथा अजमेर जिले की ब्यावर तहसील। वर्तमान मे इसके क्षेत्र पुन बदल गए हैं। **अब यह 11 जिलो मे संचालित किया जा रहा है** जो इस प्रकार है– उदयपुर, डूँगरपुर बाँसवाडा कोटा, बारा भरतपुर, झालावाड टोक, सवाई माधोपुर करौली व अजमेर। DPAP के अन्तर्गत भू-संरक्षण, लघु सिंचाई व वृक्षारोपण पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व आमदनी बढ़ाई जाती है। DDP व DPAP के कार्यक्रमों में पंचायतों का अधिक सहयोग लिया जाना चाहिए। DPAP को भी वाटरशेड के आधार पर चलाया जाने लगा है। प्रति हैक्टेयर 4000 रु. रखे जाते हैं और एक वाटरशेड का क्षेत्रफल 500 हैक्टेयर माना जाता है और इसे 4 वर्ष में पूरा किया जाता है।

75. राजस्थान के सन्दर्भ में व्यर्थ भू-खण्डों (Wastelands) (कृषियोग्य व बंजर) की समस्या का रूप स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: **2000-01 में राजस्थान में लगभग 49.1 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल मे कृषियोग्य व्यर्थ भू-खण्ड (culturable wastelands) थे, जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 14.3% अंश था।** कृषियोग्य व्यर्थ भू-खण्ड व परती भूमि

का कुल योग लगभग 28 5% आता है। परती भूमि किन्ही कारणो से बिना खेती किए छोड दी जाती है। व्यर्थ भू–खण्डो के कई रूप होते हैं, जैसे कन्दराएँ व गहरी एव पतली घाटियाँ (ravines), बालू रेत के टीले जलमग्न क्षेत्र क्षारयुक्त व लवणयुक्त भू–खण्ड जनजाति क्षेत्रो मे झूम खेती वाले भू–खण्ड आदि। व्यर्थ भू–खण्ड मे कुछ बजर भू–खण्ड (barren lands) भी होते हैं जो कृषि योग्य नहीं होते तथा कुछ कृषि योग्य होते हैं। 2000-01 मे कृषि योग्य व्यर्थ भू–खण्ड 49 1 लाख हैक्टेयर में थे तथा बजर व अकृषियोग्य भूखण्ड 25 7 लाख हैक्टेयर में थे। इस प्रकार कुल व्यर्थ भूखण्ड 74 8 लाख हैक्टेयर मे थे। **स्मरण रहे कि इसमें परती भूमि शामिल नहीं है।** व्यर्थ भू-खण्डों की समस्या के उग्र होने का कारण अत्यधिक चराई, वृक्षों को अंधाधुंध ढंग से काट डालना तथा फलस्वरूप परिवेश-सन्तुलन को नष्ट कर डालना है। भूमि का कवर हट जाने से मिट्टी का कटाव प्रारम्भ हो जाता है। वन विभाग, रेवेन्यू विभाग व पंचायतों को व्यर्थ भू-खण्डों का उपयोग करके पशुओं के लिए चारे, ग्रामीणों के लिए जलाने की लकड़ी तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। राजस्थान में व्यर्थ भू-खण्डों की समस्या को हल करने हेतु राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना की गई है। व्यर्थ भू-खण्डों का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा इनके सदुपयोग के कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए ताकि ग्रामीण जनता व पशु दोनों लाभान्वित हो सकें। बालू के टीलों का स्थिरीकरण करने के लिए 'कूँचा' (सूखे घास की पानी के पूले) जमीन में गाड़े जा सकते हैं। सामाजिक व फार्म-वानिकी का विस्तार किया जाना चाहिए। चारे के पेड़ों में 'खेजड़े' के पेड़ लगाए जा सकते हैं। बेर की झाड़ी से फल, पाला व बाड़ के काँटे मिलते हैं। रोहिड़ा के पेड़ से टिम्बर भी प्राप्त होती है। मरुस्थल में शीघ्र व कम व्यय से पेड़ों व चरागाहों का विकास करने की विधियाँ निकाली जा चुकी हैं। आवश्यकता है उनको कार्यान्वित करने की।

76. राजस्थान में सीमेंट, चीनी, सिन्थेटिक यार्न व रसायन उद्योग के विभिन्न स्थान बताइए।

उत्तर : (अ) राजस्थान में **सीमेंट** के कारखाने निम्न स्थानों में हैं—

सवाई माधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, गोटन (नागौर) (सफेद सीमेंट संयंत्र), मोडक (कोटा), बनास (सिरोही), ब्यावर तथा कोटा। इस प्रकार सफेद सीमेंट सहित राज्य में सीमेंट की 10 इकाइयाँ हैं।

मिनी सीमेंट प्लांट सिरोही (पिण्डवाड़ा), आबू-रोड, बाँसवाड़ा व कोट-पूतली में स्थित हैं। पिछले वर्षों में वित्तीय संस्थाओं ने कई सीमेंट के कारखानों को लगाने की स्वीकृति दी है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास की भावी सम्भावनाएँ काफी हैं। सीमेंट-ग्रेड लाइमस्टोन के भण्डारों का उपयोग सीमेंट के बड़े कारखानों की स्थापना में करने के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(आ) चीनी–भूपालसागर (चित्तौड़गढ़) (निजी क्षेत्र), श्रीगंगानगर (सार्वजनिक क्षेत्र) व केशोरायपाटन (सहकारी क्षेत्र)। इस प्रकार राज्य में चीनी के 3 बड़े कारखाने चल रहे हैं।

(इ) सिन्थेटिक यार्न–बाँसवाड़ा, बहरोड़, डूँगरपुर, रींगस, जोधपुर, आबूरोड उदयपुर, अलवर, गुलाबपुरा (रीको द्वारा संयुक्त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्रों में)।

(ई) रसायन उद्योग–डीडवाना में रसायन वर्क्स, सांभर साल्ट्स, श्रीराम फर्टिलाइजर्स, कोटा; उदयपुर फॉस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, उदयपुर, राजस्थान एक्सप्लोजिव्स व केमिकल्स लि., धौलपुर (विस्फोटक detonators बनाता है), मोदी अल्केलीज एण्ड केमिकल्स लि., अलवर, हिन्दुस्तान जिंक लि., देबारी, उदयपुर; हिन्दुस्तान कॉपर लि., खेतड़ी आदि।

77. राजस्थान में खनिज-आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर : इन्हें धात्विक (metallic) व अ-धात्विक (non-metallic) दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

***(i)* धात्विक खनिज आधारित उद्योग–**इस्पात उद्योग जो कच्चे लोहे, चूने के पत्थर, डोलोमाइट वगैरा पर आधारित है। इसके अलावा स्टील फर्नीचर, मशीनरी व औजारों का निर्माण आदि।

***(ii)* अधात्विक खनिजों पर आधारित उद्योगों में निम्न आते हैं–**सीमेंट, स्टोन-वस्तु उद्योग, काँच व काँच का सामान, चायना क्ले पर आधारित चीनी मिट्टी के बर्तन, एस्बेस्ट्स व सीमेंट के पाइप/पदार्थ आदि।

78. राजस्थान के औद्योगिक जीवन में लघु उद्योगों की क्या भूमिका है ?

उत्तर : 1997-98 के केन्द्रीय बजट के अनुसार, लघु उद्योगों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में विनियोग की सीमा 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रु. कर दी गई थी। बाद में दिसम्बर 1999 में यह पुनः एक करोड़ रु. कर दी गई। राजस्थान में लघु इकाइयों का आकार काफी छोटा पाया गया है। राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र में लघु इकाइयों की भरमार है। इनमें रोजगार का ऊँचा अंश पाया जाता है। फैक्ट्री क्षेत्र की अधिकांश इकाइयाँ इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। **2002-03 में राज्य में पंजीकृत लघु उद्योगों व दस्तकारी इकाइयों की कुल संख्या लगभग 2.41 लाख थी, जिनमें विनियोग की मात्रा 3571 करोड़ रु. थी तथा रोजगार की मात्रा लगभग 9.27 लाख व्यक्ति थी।**

79. राजस्थान की प्रमुख दस्तकारी अथवा हस्तशिल्प की वस्तुओं का परिचय दीजिए।

उत्तर : जयपुर के मूल्यवान व अर्द्ध-मूल्यवान रत्नों एवं सोने-चाँदी के कलात्मक आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ संगमरमर की मूर्तियाँ, कारीगरी की जूतियाँ (मोजड़ियाँ व नागरे), ब्ल्यू पॉटरी की नाना प्रकार की वस्तुएँ, सांगानेरी व बगरू प्रिन्ट के वस्त्र, 250 ग्राम रूई र

बनी रजाइयाँ, मिट्टी के खिलौने, चन्दन व हाथी दाँत से बनी वस्तुएँ, लहरिए, चुनड़ियाँ व ओढ़नियाँ, गलीचे (बीकानेर व जयपुर के), जोधपुर के बादले, ऊँट की खाल से बनी कलात्मक वस्तुएँ, लकड़ी के खिलौने, नाथद्वारा की पिछवाइयाँ तथा 'फड़' (वस्त्र पर पेंटिंग की कलाकृतियाँ), सलमा-सितारे व गोटे-किनारी के काम से युक्त परिधान। इस प्रकार वस्त्र, लकड़ी, खाल, धातु, सोने-चाँदी आदि पर हस्तशिल्प व अद्भुत कारीगरी का काम राजस्थान के कुटीर उद्योगों की अपनी विशेषता है। इनका काफी मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। राजस्थान से गलीचों का निर्यात होता है। भविष्य में रत्न व जवाहरात का निर्यात बढ़ाया जा सकता है।

80. राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था (tribal economy) की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर : *1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या राजस्थान* में 54.7 लाख थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 12.4% थी। इसमें अघोषित जनजाति (denotified tribes) के व्यक्ति भी शामिल हैं। राज्य में 10 घुमक्कड़ (खानाबदोश) व 13 अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजातियाँ निवास करती हैं। अधिकांश जनजाति के लोग बाँसवाड़ा व डूँगरपुर के पूरे जिलों में तथा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों की कुछ तहसीलों में निवास करते हैं। *1980-81* में जनजाति के पाँच जिलों में 45% आदिवासियों के पास एक हैक्टेयर से कम कृषिगत जोत थी। औसत जोत 1.7 हैक्टेयर पाई गई थी। (राज्य की औसत 4.4 हैक्टेयर)। इस प्रकार इनके पास जोत का आकार काफी छोटा पाया जाता है। इनके लिए दस्तकारी का अभाव होता है। परिवहन की कठिनाई होती है। सिंचाई व पेयजल की कमी होती है। इनका जीवन जंगलों में लकड़ी की कटाई पर आश्रित होता है। ये जंगलों से लाख, गोंद आदि भी एकत्र करते हैं। प्रायः राहत कार्यों पर इनको मजदूरी पर काम दिया जाता है। ये आर्थिक शोषण, सामाजिक पिछड़ेपन व कुरीतियों, अन्धविश्वास, कुपोषण, अशिक्षा, वगैरा के शिकार पाए जाते हैं। इनमें बहु-विवाह (Polygamy) की प्रथा भी पाई जाती है। इनके विकास के लिए जनजाति उपयोजना, माडा, सहरिया विकास कार्यक्रम आदि चलाए गए हैं।

81. राज्य सरकार की जनजाति विकास योजनाओं का स्पष्टीकरण दीजिए।

उत्तर : राज्य सरकार जनजाति विकास के लिए चार प्रकार की योजनाएँ संचालित कर रही है, जो इस प्रकार हैं—

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र—यह 1974-75 से प्रारम्भ की गई थी। इसके अन्तर्गत 4409 गाँव आते हैं। इसके अन्तर्गत अधिकांश राशि सिंचाई, पावर, फल-विकास, 'बेर-बेडिंग', सामुदायिक सिंचाई (डीजल पम्पिंग सेट द्वारा), कृषि-वानिकी के कार्यों पर व्यय की जाती है। आदिवासियों को बीज तथा उर्वरकों

का वितरण भी किया जाता है। भविष्य में कुओं को गहरा करने, डीजल पम्प-सेटों के वितरण, सामुदायिक व्यर्थ भूखण्ड विकास कार्यक्रम, पशु-प्रजनन सुधार कार्यक्रम, मुर्गीपालन कार्यक्रम, बतख कार्यक्रम, रेशम कार्यक्रम, लघु व कुटीर उद्योग, प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग कार्यक्रम तथा बायो-गैस संयंत्र की स्थापना व सड़क-निर्माण पर बल दिया जाएगा।

(2) परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा)—यह 1978-79 से प्रारम्भ किया गया था। इसमें 13 जिलों के लगभग दस लाख व्यक्ति शामिल हैं। गाँवों की संख्या 2939 है। इसके लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता (Special central assistance) प्राप्त होती है।

(3) सहरिया विकास कार्यक्रम—यह 1977-78 में लागू किया गया था। इससे 435 गाँवों के 50 हजार व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों में सहरिया आदिम जाति (Primitive tribe) को लाभ पहुँचाता है। व्यय का अधिकांश अंश शिक्षा तथा लघु सिंचाई पर व्यय किया जाता है ताकि सहरिया कृषिगत परिवारों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मिल सके तथा उनमें शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो सके।

(4) बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम—यह जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (Tribal Area Development Department, TADD) के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 41 8 लाख जनजाति के लोगों में से 27 5 लाख लोगों को जनजाति उप-योजना, माडा व सहरिया कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है तथा शेष 14 3 लाख बिखरी जनजाति के लोगों को TADD के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

82. राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रीय व अन्य प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का परिचय दीजिए।

उत्तर : *(i)* मरु विकास कार्यक्रम (DDP)

(ii) सूखा सम्भाव्य कार्यक्रम (DPAP)

(iii) कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम (CADP), इसके अन्तर्गत अग्र तीन कार्यक्रम शामिल हैं—

(अ) इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम—भूमि को समतल बनाना, पानी की नालियों को पक्का करना, सड़क, मण्डी, जल सप्लाई, कृषि, पशु-पालन आदि का विकास करना।

(आ) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्य- क्रम—उचित ड्रेनेज, वृक्षारोपण, जंगली घास-पात उखाड़ना, गोदाम-भवन निर्माण आदि।

(इ) माही कमाण्ड विकास कार्यक्रम—कच्चा जल-मार्ग बनाया जा रहा है जिससे जनजाति के पिछड़े लोग लाभान्वित होंगे। सड़क, क्रोसिंग, कलवर्ट, ड्रोप, स्ट्रक्चर्स एवं विशेष जल-मार्गों की लाईनिंग पर ध्यान दिया जा रहा है।

(iv) **मैसिव कार्यक्रम**—लघु व सीमान्त कृषकों को नल-कूप के लिए कर्ज व सब्सिडी।

(v) **संशोधित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RBADP)** (Revamped Border Area Development Programme)—**यह 1993-94 से 4 जिलों के 13 विकास-खण्डों में संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर जिलों के समस्त क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं।**

(vi) **मेवात विकास**—यह भरतपुर व अलवर में मेव बाहुल्य क्षेत्रों के लिए है।

(vii) **डेयरी विकास।**

(viii) **सामाजिक वानिकी**—सड़क, नहर आदि के किनारे-किनारे कन्दरा क्षेत्रों में वायुयान से बीजारोपण करना।

(ix) **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)**—निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, स्वरोज-गार के अवसरों में वृद्धि, परिसम्पत्ति का वितरण, सब्सिडी का तत्त्व, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, बकरी, भैंस, सिलाई की मशीनों का वितरण। यह 1978-79 से चलाया जा रहा है। इसमें केन्द्र व राज्य का आधा-आधा अंश होता है। इनके माल की बिक्री की व्यवस्था में सुधार करना भी आवश्यक है। 1997-98 में 1 10 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। अब यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 से ट्राइसम, ड्वाकरा, सीट्रा, गंगा कल्याण योजना, व मिलियन कुआ स्कीम के साथ स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) में मिला दिया गया है।

(x) **राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम (NREP)**—1988-89 में 20 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था तथा 65 लाख मानव-दिवस रोजगार का लक्ष्य रखा गया था। अब यह कार्यक्रम JRY में शामिल कर दिया गया है।

(xi) **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (RLEGP)**—1988-89 में 22 9 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए थे तथा 75 लाख मानव-दिवस रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। अब यह कार्यक्रम JRY में शामिल कर लिया गया है।

(xii) **बायो-गैस संयंत्र योजना तथा निर्धूम चूल्हा योजना**—गाँवों के लाभार्थ।

(xiii) **जवाहर रोजगार योजना (JRY)**—1989-90 से NREP व RLEGP को परस्पर मिला दिया गया। अब ग्रामीण रोजगार का विस्तृत कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाया गया है ताकि ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए रोजगार व आमदनी का विस्तार किया जा सके। इसमें केन्द्र का अंश 80% व राज्यों का 20% रखा गया है। इससे रोजगार का सृजन होता है। इसके अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उप-केन्द्रों एवं आयुर्वेद-औषधालयों के भवन बनाने का कार्यक्रम शामिल किया जाता है। 1 अप्रैल 1999 से यह

कार्यक्रम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) नामक व्यापक कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया है।

(xiv) **ट्राइसम** (Training Rural Youth for Self Employment)—इसके अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए दस्तकारी आदि के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि वे कोई कारीगरी का काम सीख कर अपनी जीविका स्वयं चला सकें। 1998-99 में 10,500 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। अब यह कार्यक्रम SGSY में मिला दिया गया है।

83. अरावली विकास से क्या लाभ होंगे?

उत्तर : *(i)* चारे की सप्लाई में वृद्धि, *(ii)* रेगिस्तान के बढ़ने पर रुकावट, *(iii)* मिट्टी व जल-संसाधनों का सरक्षण, *(iv)* रोजगार में वृद्धि व गरीबी में कमी तथा *(v)* व्यर्थ पड़ी भूमि का सदुपयोग।

84. डांग क्षेत्र विकास का अर्थ लिखिए।

उत्तर : डांग क्षेत्र राज्य के 8 जिलों में 332 ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है। इसमें मुख्यतया वे क्षेत्र आते हैं जिनमें घाटियाँ पाई जाती हैं और ये डाकू प्रभावित इलाके होते हैं। इसके लिए डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड का गठन भी किया गया है।

85. 'उद्योग श्री' योजना क्या है?

उत्तर : इसके अन्तर्गत व्यावसायिक दक्षता वाले व्यक्तियों को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 1995-96 के लिए इस योजना पर व्यय हेतु 5 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। नए उद्यमियों की परियोजनाओं के लिए शेयर-पूँजी देने के लिए *एक जोखिम-पूँजी-कोष (Venture Capital Fund)* गठित किया गया है। *'उद्योग श्री'* योजना रीको द्वारा संचालित की जा रही है ताकि उन नए उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके जिनके पास अनुभव, योग्यता व क्षमता होती है और उनको इक्विटी में योगदान मिलने से उद्योग लगाने में सहूलियत हो जाती है।

86. राजस्थान में विकास संस्थाओं का उल्लेख कीजिए।

उत्तर : ग्रामीण विकास विभाग तथा विशिष्ट आयोजना संगठन (Special Schemes Organisation, SSO) द्वारा मरु विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर योजना व ट्राइसम का संचालन किया जाता है। व्यर्थ भू-खण्डों के विकास का कार्यक्रम राजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा किया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम वन विभाग द्वारा एवं डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा संचालित किया जाता है। उद्योगों के विकास के लिए रीको, राजस्थान वित्त निगम (RFC), राजस्थान लघु उद्योग निगम (RAJSICO), कृषि उद्योग निगम (Agro-Industries Corporation), आदि संस्थाएँ कार्यरत हैं। जनजाति क्षेत्र विकास विभाग

(TADD) जनजाति कल्याण को देखता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यों को सूचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के सगठनो व एजेन्सियों का निर्माण किया गया है।

87. राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में वास्तविक व्यय अब लगभग कितना अनुमानित है?
 (अ) 27000 करोड रु (ब) 20000 करोड रु
 (स) 19836 करोड रु (द) 19000 करोड रु (स)

88. **राज्य की वार्षिक योजना 2003-2004 का अंतिम परिव्यय (outlay) निर्धारित किया गया :**
 (अ) 5505 करोड़ रु. **(ब) 3515 करोड़ रु.**
 (स) 4415 करोड रु (द) 5858 करोड रु (अ)

89. *राजस्थान की नवीं योजना (1997-2002) के 27,650 करोड रु. के आकार* में सर्वाधिक व्यय किस मद पर प्रस्तावित किया गया था?
 (अ) ग्रामीण विकास पर
 (ब) पावर पर
 (स) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ पर
 (द) सिचाई व बाढ–नियत्रण पर **(27.2%)** (स)

90. राज्य सरकार ने 1994 मे कौन-कौन सी नई उदार नीतियाँ घोषित की?

उत्तर: (i) नई औद्योगिक नीति, जून 1994 में
 (ii) नई खनिज नीति, अगस्त 1994 मे
 (iii) नई सडक नीति, दिसम्बर 1994 में।

91. **वर्ष 2002-03 में राजस्थान की वार्षिक योजना का परिव्यय (outlay) कितना निर्धारित किया गया था ?**

उत्तर : लगभग 4371 करोड़ रुपये ।

92. 2001-02 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों (1993-94) पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (NSDP) कितनी रही?
 (अ) लगभग 566.3 अरब रुपये **(ब) 499.0 अरब रुपये**
 (स) 413 अरब रुपये (द) 396 7 अरब रुपये (अ)

93. 2001-02 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों (1993-94) पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही?
 (अ) 8088 रुपये (ब) 8571 रुपये
 (स) 8290 रुपये (द) 8790 रुपये (ब)

94. वर्तमान में राज्य की सकल/शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का नया आधार-वर्ष क्या है?
 (अ) 1980-81 (ब) 1981-82
 (स) 1993-94 (द) 1982-83 (स)

95. जिला-प्राथमिक-शिक्षा-कार्यक्रम (DPEP) क्या है ?

उत्तर : यह बाह्य सहायता पर आधारित प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से प्रोग्राम ऑफ एक्शन, 1992 का उद्देश्य प्राप्त किया जाना है । इसमें लागत व जवाबदेही पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, और स्थानीय समुदाय का सहयोग बच्चों की भरती, उनको स्कूलों में रोके रखने तथा स्कूल-प्रणाली को प्रभावी बनाने में प्राप्त किया जाता है ।

96. राजस्थान की पावर की स्थिति बताइए ।

उत्तर : राज्य में 2003-04 में विद्युत-सृजन क्षमता 5238 मेगावाट आंकी गयी है । इसमें स्वय की क्षमता, साझा-प्रोजेक्टो की क्षमता तथा केन्द्र से आवटित क्षमता शामिल है। इसमें थर्मल का अश सर्वाधिक है। राज्य के स्वय के स्वामित्व की क्षमता कोटा थर्मल पावर स्टेशन (KTPS) की प्रमुख मानी गई है। राज्य का अश सतपुडा, भाखडा-नागल व्यास I (देहर) व्यास II (पोंग) व चम्बल परियोजना में है। इसके अलावा राज्य को सिगरौली रिहन्द अन्ता औरैया, राजस्थान आणविक पावर प्रोजेक्ट (RAPP) व नरोरा आणविक विद्युत परियोजनाओ से भी विद्युत आवटित की जाती है । 2003-04 में इसमें 690.5 मेगावाट के और जुड़ जाने से राज्य में विद्युत की प्रस्थापित क्षमता मार्च 2004 के अन्त में 5238 मेगावाट आंकी गयी है।

राजस्थान में जल-विद्युत के स्रोत इस प्रकार हैं—(i) भाखड़ा-नांगल, (ii) व्यास इकाई I व इकाई II, (iii) गाँधी सागर, (iv) राणा प्रताप सागर, (v) जवाहर सागर (तीनों चम्बल परियोजना के अन्तर्गत), (vi) माही बजाज सागर परियोजना के शक्ति गृहों से ।

थर्मल परियोजनाएँ इस प्रकार हैं—(i) सतपुड़ा, (ii) सिंगरोली, (iii) राजस्थान अणु शक्ति केन्द्र, कोटा इकाई I व II, (iv) कोटा थर्मल पावर संयंत्र । 1980-81 में पावर की कमी 9 6% थी जो 1987-88 में 30% हो गई थी । आठवीं योजना में पावर की माँग व पूर्ति का अन्तर 40% हो जाने का अनुमान लगाया गया था । आठवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त विद्युत सृजन-क्षमता का लक्ष्य लगभग 540 मेगावाट का था, जबकि वास्तविक उपलब्धि 258.65 मेगावाट ही रही थी, जो लक्ष्य से लगभग आधी थी ।

97. राजस्थान किस प्रकार विद्युत सृजन-क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ?

अथवा

राजस्थान में विद्युत सृजन-क्षमता बढ़ाने के नए प्रयासों का परिचय दीजिए ।

उत्तर : दो-तीन वर्ष पूर्व राजस्थान सरकार राज्य में लगभग 4300 मेगावाट विद्युत-क्षमता के सृजन के लिए पावर-प्रोजेक्ट लगाने का कार्यक्रम बना रही थी । इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र की कम्पनियों से टेण्डर या आवेदन पत्र माँगे गये थे ।

नए कार्यक्रम इस प्रकार रखे गए थे–

(i) **कोटा ताप बिजलीघर की 210 मेगावाट की छठी इकाई को नवीं योजना के दौरान लगभग 470 करोड रु की लागत से चालू करने का विचार था।**

(ii) **कपूरडी प्रोजेक्ट** लिग्नाइट-आधारित होगा और 1800 करोड़ रु. की लागत से इसकी दो विद्युत-सृजन इकाइयाँ (प्रत्येक 250 मेगावाट की) चालू की जाएँगी। **जालीपा परियोजना** में चार इकाइयाँ (प्रत्येक 250 मेगावाट की) (कुल क्षमता 1000 मेगावाट) 3600 करोड़ रु की लागत से स्थापित की जाएँगी। यह भी लिग्नाइट-आधारित योजना है। यह पूर्व में चर्चित रही है।

(iii) **धौलपुर ताप बिजली संयंत्र** की क्षमता 788 50 मेगावाट (2 × 394 25 मेगावाट) रखी गई। इसे पर्यावरण-मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। यह तरल ईंधन पर आधारित है। यह आर पी जी, उपक्रम द्वारा स्थापित किया जा रहा है।

(iv) **सूरतगढ़ ताप बिजली घर** के प्रथम चरण की दो इकाइयों से 500 मेगावाट की विद्युत-क्षमता में वृद्धि हो सकी है। दूसरी इकाई का 13 अक्टूबर 2000 को लोकार्पण किया गया, इकाई–III से 250 मेगावाट अक्टूबर 2001 तक, इकाई–IV से 250 मेगावाट मार्च 2002 तक तथा इकाई–V से 250 मेगावाट जून 2003 तक प्राप्त होने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रोजेक्ट पर 5000 करोड़ रु. के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

(v) **बरसिंगसर ताप विद्युत परियोजना** में दो इकाइयाँ होंगी (प्रत्येक 240 मेगावाट की) जिसकी लागत 1800 करोड़ रु आँकी गई है।

(vi) **अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व आबूरोड में डीजल-आधारित विद्युत-संयंत्र स्थापित करने की योजना घोषित की गई थी।** इनमें प्रत्येक की क्षमता 100 मेगावाट आँकी गई है। इनकी कुल लागत 1900 करोड़ रु आँकी गई है।

(vii) जैसलमेर से 65 किलोमीटर दूर रामगढ़ के पास गैस-आधारित 76 मेगावाट (संशोधित) बिजलीघर का उद्घाटन 9 फरवरी, 1996 को किया गया था।

(viii) जोधपुर जिले में **मथानिया स्थान** पर सौर ताप-विद्युत-परियोजना 140 मेगावाट (संशोधित) की होगी। इसमें पश्चिमी राजस्थान की विशाल सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। जैसलमेर में एनरजन कम्पनी के सहयोग से 200 मेगावाट का, एमको-एनरान के सहयोग से 50 मेगावाट के सौर-ऊर्जा संयंत्र को लगाने तथा बाड़मेर के आगोरिया गाँव में 50 मेगावाट का सौर-ऊर्जा संयंत्र (सन सोर्स के सहयोग से) लगाने के कार्यक्रम घोषित किए गए थे। **लेकिन कुछ कारणों से एनरजन तथा एमको-एनरान सौर विद्युत परियोजनाओं को निरस्त करना पड़ा है।**

पूर्व में राजस्थान में विद्युत के विकास की विभिन्न परियोजनाओं पर लगभग 18 हजार करोड़ रु. के विनियोजन का कार्यक्रम बनाया गया था ताकि राज्य विद्युत के क्षेत्र में आगे एक लम्बा डग भर सके।

98. राजस्थान मे सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का परिचय दीजिए।

उत्तर: 2000-01 के अन्त तक राज्य में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 21732 तथा सदस्य संख्या लगभग 89.6 लाख व्यक्ति हो गई थी । प्राथमिक कृषि साख समितियाँ 5240 तथा उनकी सदस्य संख्या 55.9 लाख थी । 30 जून, 1990 तक राज्य में 99% ग्राम व 87% कृषक परिवार सहकारिता के दायरे में आ चुके हैं । सहकारी ऋणों (अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन) के सम्बन्ध में 2003-04 के लिए कुल 1625.0 करोड़ रुपये के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनमें अल्पकालीन ऋणों की राशि 1250 करोड़ रुपये, मध्यमकालीन ऋणों की 100 करोड़ रु. दीर्घकालीन ऋणों की 275 करोड़ रुपये रखी गई थी । पिछले वर्षों में सरकार ने 18 लाख कृषक परिवारों को 500 करोड़ रुपये की ऋण-राहत राशि (debt-relief) प्रदान की थी ।

99. राजस्थान में 2003 में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ? (*प्रारम्भिक अनुमान*)

(अ) 60 लाख टन (ब) 84.5 लाख टन

(स) 48 लाख टन (द) 70 लाख टन (ब)

100. राज्य की 2003-2004 की वार्षिक योजना की वास्तविक व्यय के आधार पर दो क्षेत्रवार आवंटन की प्राथमिकताएँ बताइए :

उत्तर : 6044.4 करोड़ रु. के कुल वास्तविक व्यय का 26.9% सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर तथा 34.8% ऊर्जा पर व्यय किया गया है । इस प्रकार इन दो आर्थिक क्षेत्रों पर वार्षिक योजना का लगभग 62% अंश व्यय किया गया था ।

101. राजस्थान में कितने प्रधान खनिज (major minerals) तथा कितने अप्रधान खनिज (minor minerals) पाए जाते हैं ?

उत्तर : प्रधान खनिज 42 किस्म के ।
अप्रधान खनिज 23 किस्म के ।

102. उन खनिजों के नाम बताइए जिनमें राजस्थान का समस्त भारत के उत्पादन में 90% या इससे ऊँचा अंश है । उनके अंश भी लिखिए ।

उत्तर : वोलस्टोनाइट (100%), जास्पर (100%), जस्ता कन्सन्ट्रेट (99%), फ्लोराइट (96%), जिप्सम (93%), मार्बल (90%) ।

103. 1993 में राजस्थान में खानों में कितने श्रमिक कार्यरत थे ?

उत्तर : 3 25 लाख व्यक्ति ।

104. खनन उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन-सा स्थान है और वह कितना प्रतिशत है ?

उत्तर : पाँचवाँ स्थान, देश के कुल उत्पादन के मूल्य का 5 74%, प्रथम स्थान बिहार का 13 09% तथा बाद में मध्य प्रदेश, गुजरात व असम का स्थान आता है ।

105. नई खनिज नीति, 1994 के सात मूलभूत उद्देश्य बताइए।

उत्तर : आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके राज्य की खनिज-सम्पदा की खोज करना, यांत्रिक व वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहन देना, खनिज-आधारित उद्योगों के माध्यम से मूल्यवर्द्धन (Value addition) पर बल देना (ताकि राज्यों में आय व रोजगार बढ़ें), खनिजों का निर्यात बढ़ाना, मानवीय साधनों का विकास करना, निर्णय-प्रक्रिया को स्पष्ट व पारदर्शी बनाना और रोजगार बढ़ाना (विशेषतया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए)।

106. राजस्थान में बिक्री-मूल्य की दृष्टि से चार बड़े खनिजों के नाम लिखिए।

उत्तर : 2000-01 के आँकडो के अनुसार, चार बडे खनिज इस क्रम मे रहे— संगमरमर (ब्लॉक), सेडस्टोन, रॉक फोस्फेट तथा लाइमस्टोन।

107. रीको का परिचयात्मक विवरण दीजिए।

उत्तर : राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लि. अथवा रीको नवम्बर 1969 में स्थापित किया गया था। इससे मूलतया राजस्थान राज्य खनन विकास निगम अलग करके 1979 में रीको की स्थापना की गई। रीको के कार्य इस प्रकार हैं—*(i)* औद्योगिक क्षेत्रों/बस्तियों का निर्माण करना, *(ii)* सार्वजनिक, संयुक्त व सहायता प्राप्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना, *(iii)* औद्योगिक शेयर पूँजी/अभिगोपन की व्यवस्था करना, *(iv)* औद्योगिक विकास के लिए सर्वेक्षण करवाना व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना, *(v)* रियायतें व प्रेरणाओं की व्यवस्था करना। रीको की स्वयं की चालू परियोजनाएँ इस प्रकार हैं—घड़ी तथा टू-वे रेडियो संचार उपकरण परियोजनाएँ। राजस्थान कम्यूनिकेशन लि इसकी सहायक कम्पनी है। पहले की टी.वी. सेट बनाने वाली राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि. नामक सहायक इकाई को इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. कोटा को हस्तान्तरित कर दिया गया है। अत: इलैक्ट्रोनिक्स लि. नामक इकाई बंद कर दी गई है।

108. सरिस्का बाघ परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है ?

(अ) भरतपुर जिला (ब) अलवर जिला
(स) कोटा जिला (द) सवा माधोपुर जिला (ब)

109. सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र में अन्तर करें।

उत्तर : सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई का स्वामित्व, नियन्त्रण व प्रबन्ध पूर्णतया सरकार के अधिकार में होता है। संयुक्त क्षेत्र में सरकार का रीको के माध्यम से इक्विटी में प्राय: 26% अंश होता है। इसका प्रबन्ध निजी हाथों में सौंपा जाता है। सहायता प्राप्त क्षेत्र में रीको का इक्विटी या शेयर पूँजी में प्राय: 10-15% तक अंश होता है। ये औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं। आजकल सहायता-प्राप्त क्षेत्र का महत्त्व बढ़ गया है, जो व्यवहार में प्राय: निजी क्षेत्र की ही इकाई होती है।

110. गंगा कल्याण योजना को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर : यह भारत सरकार की नई केन्द्र-प्रवर्तित योजना है, जो फरवरी 1997 से 80 : 20 के आधार पर (80% व्यय केन्द्र का तथा 20% राज्य सरकार का) चालू की गई है। इसका उद्देश्य भूजल को कुओं व नलकूपों के माध्यम से प्राप्त करने में उन लघु व सीमान्त कृषकों को सहायता पहुँचाना है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं और जिन्हें केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अन्य लघु सिंचाई कार्यक्रम के द्वारा सहायता नहीं पहुँचाई गई है। इसमें कम से कम 50% कोष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए नियत किए जाते हैं।

111. राजस्थान वित्त निगम व राज्य के वित्त विभाग में अन्तर कीजिए।

उत्तर : राजस्थान वित्त निगम 1955 में लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाया गया था। यह परिवहन व होटल के लिए भी कर्ज देता है। उदार ऋण स्कीम में इसका काम काफी बढ़ा है।

राज्य का वित्त विभाग राज्य के सचिवालय में एक विभाग होता है जो सरकार के वित्त सम्बन्धी मामलों पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह बजट-निर्माण में सहायता देता है तथा सरकारी आय-व्यय का हिसाब रखता है। वित्त विभाग प्रत्येक नए वित्त आयोग के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन (memorandum) प्रस्तुत करता है, जिसमें 5 वर्षों की अवधि के लिए आय-व्यय के अनुमान होते हैं। इनके आधार पर वित्त-आयोग राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है।

112. "राजसीको" की भूमिका समझाइए।

उत्तर : "राजसीको" का पूरा अर्थ है 'राजस्थान लघु उद्योग निगम' (Rajasthan Small Industries Corporation)। यह 1964 में स्थापित किया गया था। यह कच्चे माल जैसे कोयला/कोक, इस्पात, सीमेंट, जस्ता आदि का वितरण करता है। इसने दस्तकारों के एम्पोरियम तथा गलीचा-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। इसने चूरू व लाडनूँ में ऊनी मिलें, टोंक में मयूर बीड़ी फैक्ट्री, तेन्दू की पत्तियों के संग्रह की व्यवस्था तथा सांगानेर एयरपोर्ट पर निर्यात की सुविधा के लिए एक 'एयर कार्गो कॉम्पलेक्स' स्थापित किया है। राजसीको लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता है। लगातार घाटे में चलने के कारण चूरू व लाडनूँ की ऊनी मिलें बन्द कर दी गई हैं।

113. राजस्थान के आर्थिक जीवन में खादी व ग्रामोद्योग का क्या स्थान है?

उत्तर : राज्य में सूती व ऊनी खादी का उत्पादन होता है। 2003-04 में खादी उद्योग में उत्पादन 23.5 करोड़ रु. का हुआ था। इस उद्योग में काफी लोग अल्पकालिक व पूर्णकालिक काम पाए हुए हैं। ग्रामोद्योग से घानी का तेल, गुड़ व खांडसारी, हाथ का कागज, अखाद्य तेल से बना साबुन, चमड़े की वस्तुएँ, मिट्टी के बर्तन, मधुमक्खी पालन व धान को हाथ से कूट कर छिलका हटाने आदि के काम

शामिल हैं । ग्रामोद्योग के उत्पादन का मूल्य 2003-04 में 97.3 करोड़ रु. का हुआ । राज्य में खादी व ग्रामोद्योग का रोजगार, आमदनी व निर्धनता-निवारण कार्यक्रमों की दृष्टि से बहुत महत्त्व माना गया है । ये ग्रामवासियों के आर्थिक जीवन का आधार स्तम्भ है ।

114. पूर्व में निर्धारित प्रीमियर औद्योगिक इकाइयों, बहुत प्रेस्टीजियस इकाइयों तथा प्रेस्टीजियस इकाइयों के लिए स्थिर पूँजी की नई सीमाएँ बताइए ।

उत्तर : प्रीमियर औद्योगिक इकाई के लिए 150 करोड़ रु.
बहुत प्रेस्टीजियस इकाई के लिए 50 करोड़ रु.
प्रेस्टीजियस इकाई के लिए 15 करोड़ रु. ।
ये सीमाएँ पूर्व में क्रमश: 250 करोड़ रु., 100 करोड़ रु. तथा 25 करोड़ रु. हुआ करती थीं ।

115. राजस्थान के परिवर्तित 2004-2005 के वार्षिक बजट में राजस्व-घाटा कितना दिखाया गया है और उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी ?

उत्तर : राजस्व-घाटा लगभग 2204 करोड़ रुपये आँका गया है जिसकी पूर्ति अंशतः पूँजी-खाते के आधिक्य से की जाएगी तथा करो से अतिरिक्त साधन जुटाने का प्रयास किया जाएगा।

116. राजस्थान का 2003-2004 का संशोधित अनुमानों के आधार पर तथा 2004-2005 के बजट-अनुमानों के आधार पर राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) बताइए । इसको ज्ञात करने के लिए किन-किन मदों को जोड़ना होगा ?

उत्तर : 2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा लगभग 7930 करोड़ रु. तथा 2004-2005 के बजट-अनुमानों के अनुसार 6811 करोड़ रु. । ये सरकारी व्यय की पूर्ति के लिए राज्य की कर्ज पर आश्रितता को सूचित करते हैं ।

राजकोषीय घाटे को ज्ञात करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की विधि के अनुसार निम्न तीन मदो की राशियाँ जोडी जाती हैं–

(i) राजस्व–घाटा (revenue deficit)

(ii) पूँजीगत परिव्यय (Capital outlay)– इसमें सामाजिक व आर्थिक सेवाओ का विकासमूलक व्यय तथा सामान्य सेवाओं का गैर-विकास व्यय शामिल होता है ।

(iii) शुद्ध उधार (Net lending)– इसमे राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जों मे से पुराने कर्जों की रिकवरी घटाने से प्राप्त राशि दर्शाई जाती है।

2003-2004 के संशोधित अनुमानों के लिए ये क्रमशः (i) 3668 करोड़ रु., (ii) 3440 करोड़ रु. तथा (iii) में 822 करोड़ रु. रही । कुल 7930 करोड़ रु. का राजकोषीय घाटा रहा ।

117. राजस्थान में राजस्व-घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात बताइए।

उत्तर : 2002-03 में यह अनुपात 64%, 2003-04 के सं. अ. में 46% तथा 2004-05 के ब.अ. में यह 32% रहा। अत: राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे के अनुपात के रूप में पहले से कम हुआ है। यदि राजस्व-घाटा राजकोषीय घाटे के अनुपात के रूप में ऊँचा होता है तो इसका अर्थ यह है कि सरकार ज्यादा मात्रा में उधार की राशि लेकर राजस्व-घाटे या चालू खर्च की पूर्ति में लगा रही है, जो वित्तीय दृष्टि से उचित नहीं है, और आगे कठिनाई उत्पन्न करने वाली है।

118. राजस्थान राज्य के स्वयं के प्रमुख करों के नाम लिखिए। इनमें सर्वाधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है।

उत्तर : बिक्री-कर, भू-राजस्व, राजकीय आबकारी शुल्क, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन वाहनों पर कर तथा मनोरंजन कर। बिक्री कर से सर्वाधिक आय होती है जो 2004-2005 के बजट-अनुमानों में राज्य के कर-राजस्व (tax revenue) का 35% आँकी गई है। (बिक्री-कर से राजस्व 4486 करोड़ रुपये जो कुल कर-राजस्व 12724 करोड़ रुपये का लगभग 35% है)। कुल कर-राजस्व में राज्य के स्वयं के कर-राजस्व के अलावा केन्द्रीय करों का अंश भी शामिल किया जाता है।

119. राजस्थान के फैक्ट्री-क्षेत्र में प्रमुख ओद्योगिक वस्तुएँ कौन-कौन सी उत्पादित होती हैं।

उत्तर : सीमेंट, चीनी, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, बाल बियरिंग, विद्युत मोटर, नमक, पोलियेस्टर धागा, आदि।

120. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है?

(अ) भरतपुर (ब) अलवर
(स) धौलपुर (द) सवाई माधोपुर (अ)

121. राजस्थान में कुछ नए इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों के नाम व स्थान बताइए।

उत्तर : *(i)* कीन्जल इण्डियन समय लि., भिवाड़ी (Kienzle Indian Samay Ltd., Bhiwadi), यहाँ क्वॉर्ट्ज क्लॉक टाइमिंग मूवमेंट का उत्पादन किया जाता है।

(ii) राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि, भिवाड़ी में इलेक्ट्रोनिक्स पुश बटन व टेलीफोन उपकरणों का निर्माण किया जाता है।

(iii) एलाइड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मैग्नेटिक्स लि, उदयपुर में विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स गैजेटों में याददाश्त का काम करने हेतु 'फ्लोपी डिस्केट्स' बनाए जाते हैं।

(iv) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि., जयपुर, विद्युत मिल्क टेस्टर (दूध विश्लेषक यंत्र) (रीको के सहयोग से)।

(v) इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि., भिवाड़ी-कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स (Resistors)।

(vi) सेमटल (Samtel) इण्डिया लि., भिवाड़ी—यह ब्लेक एण्ड व्हाइट टी.वी ट्यूब्स (कम्पोनेन्ट) बनाती है।

(vii) टेली ट्यूब इलेक्ट्रोनिक्स लि , भिवाड़ी—यह भी ब्लेक एण्ड व्हाइट टी वी ट्यूब्स (कम्पोनेन्ट) बनाती है ।

(viii) पुनसुमी इण्डिया लि , भिवाड़ी—यह एक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनिक्स केपेसीटर्स बनाती है ।

122. 'औद्योगिक अभियानों' के आयोजनों से क्या तात्पर्य है ?

उत्तर : राजस्थान में रीको, राजस्थान वित्त निगम व उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में देश के अन्य भागों में जाकर उद्योगपतियों को राजस्थान में आकर उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है । इन औद्योगिक अभियानों में सरकारी प्रतिनिधियों व उद्यमकर्ताओं की आमने-सामने बातचीत होती है और विभिन्न शंकाओं व आशंकाओं का समाधान किया जाता है । ऐसे औद्योगिक अभियान पिछले वर्षों में मुम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी व शिलोंग आदि में चलाए गए हैं । इनके माध्यम से सरकार नए उद्यमकर्ताओं से सम्पर्क करती है और अभियान के दौरान उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक समझौते करने का प्रयास भी करती है ।

123. आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति से क्या अभिप्राय है ?

उत्तर : भारत सरकार ने पिछले आठ वर्षों से आर्थिक क्षेत्र में सुधार व उदारीकरण की नीति अपनाई है । इसके अन्तर्गत अनावश्यक आर्थिक नियन्त्रणों को धीरे-धीरे समाप्त किया गया है तथा अर्थव्यवस्था में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया गया है । जुलाई 1991 में सरकार ने रुपये का लगभग 18 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था तथा व्यापार-नीति को अधिक सरल व उदार बनाया था । नई औद्योगिक नीति में (MRTP) कम्पनियों के लिए परिसम्पत्ति की सीमा हटा दी गई थी, तथा विदेशी कम्पनियों को 35 उद्योगों में 51% तक इक्विटी की स्वत: इजाजत दी गई थी । इसे बाद में दिसम्बर 1996 में 3 उद्योगों में 50% तक तथा 13 अन्य उद्योगों में 51% तक बढ़ा दिया गया । इसके अलावा 9 उद्योगों में 74% तक की विदेशी इक्विटी की स्वचालित इजाजत दी गई । सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया जो अभी भी जारी है । उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत निजीकरण, बाजारीकरण, अन्तर्राष्ट्रीयकरण, विनियन्त्रण, सब्सिडी कम करना, लाइसेंस-परमिट-इन्स्पेक्टर राज हटाना, नौकरशाही का प्रभाव कम करना, आदि भी शामिल होते हैं । इससे कार्य-कुशलता, प्रतियोगिता व आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है । 1998-99 के अंत में देश में केवल 5 उद्योगों के लिए ही औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था कायम रह गई है और शेष के लिए यह समाप्त कर दी गई है ।

124. जवाहर रोजगार योजना किनको मिलाकर बनाई गई थी ?

(अ) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना व ट्राइसम

(ब) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना व ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास योजना

(स) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

(द) कोई नहीं । (स)

125. राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई बताइए ।

उत्तर : 2003-2004 के अन्त में 45.9 किलोमीटर जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर 1998-99 रहा है (आर्थिक समीक्षा, 2003-2004 राजस्थान सरकार) (General Review)।

126. राजस्थान में 2002-03 में प्रति व्यक्ति पावर का वार्षिक उपभोग बताइए ।

उत्तर : (291 किलोवाट घंटे प्रतिवर्ष) (भारत का औसत 373 किलोवाट घंटे प्रति वर्ष)

127. राजस्थान में जिलों, तहसीलों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, गाँवों व शहरों की संख्या बताइए ।

उत्तर : (जिले = 32 (पाँच नए जिलों दौसा, राजसमन्द, बाराँ, हनुमानगढ़ व करौली सहित), 2001 में तहसीलें = 241, पंचायत समितियाँ = 237, ग्राम–पंचायतें = 9189 कुल राजस्व–गाँव = 41,353 (वर्तमान में)।

128. ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2000-2005) की सिफारिशों के अनुसार कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणों में राजस्थान का अंश कितना रहा ?

(अ) 8% (ब) 5.42% (स) 6% (द) 7% (ब)

129. 2000-2005 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुसार राजस्थान का कुल अन्तरण कितने करोड़ रुपये रहा तथा उसका मदवार वितरण दीजिए ।

उत्तर : *कुल अन्तरण लगभग 23589 करोड़ रुपये, जिसका वितरण मदवार निम्न प्रकार है—*

(2000–2005)	(करोड़ रुपये में)
(अ) करों व शुल्कों का अन्तरण	20595.9
(आ) सहायतार्थ-अनुदान (grants-in-aid)	
(i) गैर-योजना राजस्व-घाटे की एवज में	1244.7
(ii) अपग्रेडेशन व विशेष समस्याओं के लिए	299.8
(iii) स्थानीय निकायों के लिए	590.3
(iv) राहत व्यय के लिए	857.5
कुल (दशमलव के एक स्थान तक)	23588.16 (लगभग)

इस प्रकार अन्तरण में सर्वाधिक राशि करों व शुल्कों का अन्तरण है जो 2000-2005 के लिए 20596 करोड़ रु. निर्धारित की गई है ।

130. मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना किन दो जिलों के समुदायों को लाभ पहुँचाने के लिए है ?

(अ) अलवर व धौलपुर (ब) अलवर व भरतपुर
(स) बाड़मेर व जैसलमेर (द) सवाई माधोपुर व भरतपुर (ब)

131. स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर : यह अनुसूचित जाति (scheduled caste) के लिए बनाई जाती है ताकि ये लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें, परिसम्पत्ति के स्वामित्व में हिस्सा प्राप्त कर सकें एवं इनको रोजगार व आमदनी प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिल सके । इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों के निर्माण आदि पर जोर दिया जाता है तथा महत्तरों की पुनर्स्थापना पर बल दिया जाता है । पिछले वर्षों में कुल योजना के परिव्यय का 17% स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान पर व्यय किया गया है, जो जनसंख्या में इनके अनुपात (17%) के अनुरूप ही रहा है ।

132. इनका विस्तार कीजिए :

(*i*) **IFFCO** (*ii*) **KRIBHCO**
(*iii*) **NAFED** (*iv*) **GAIL** (*v*) **REDA**

उत्तर : (*i*) Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.

(*ii*) Krishak Bharti Cooperative Ltd.

(*iii*) National Agricultural Cooperative Marketing Federation.

(*iv*) Gas Authority of India Ltd.

(*v*) Rajasthan Energy Development Agency.

133. 2002-03 में राजस्थान में तिलहन का अन्तिम उत्पादन कितना हुआ ?

(अ) 35.20 लाख टन (ब) 17.6 लाख टन
(स) 30 लाख टन (द) 32 लाख टन (सूखे के कारण) (ब)

134. राजस्थान की सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का परिचय दीजिए ?

उत्तर : योजना आयोग ने 11 जुलाई, 1990 को 113 करोड़ रुपये की इस सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की थी । इसे आठवीं योजना (1992-97) में क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था । इसके अन्तर्गत हरियाणा व राजस्थान में नहर प्रणाली का निर्माण करने का कार्यक्रम रखा गया ताकि श्रीगंगानगर जिले में भादरा व नोहर तहसीलों में कुल 33620 हैक्टेयर में सिंचाई की जा सके ।

135. कृषिगत व सहायक पदार्थों के निर्यात में कौन-सी वस्तुएँ आती हैं ?

उत्तर : चाय, काफी, चावल, तम्बाकू (अनिर्मित व विनिर्मित) काजू, मसाले, खली, फल-सब्जी, फलों का रस, सामुद्रिक पदार्थ, माँस व माँस से बनी वस्तुएँ तथा चीनी ।

136. 2002-03 में भारत के कुल निर्यातों में कृषिगत व सहायक पदार्थों का निर्यातों में अंश कितना था ?

(अ) 40% (ब) 16% (स) 12.8% (द) 20% (स)

137. भारत के छः निर्यात-प्रोसेसिंग क्षेत्रों के नाम लिखिए ?

उत्तर : (i) कांदला मुक्त व्यापार क्षेत्र

(ii) सान्ताक्रूज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात क्षेत्र

(iii) मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र

(iv) नोइडा (NOIDA) (New Okhla Industries Development Area)

(v) फाल्टा

(vi) कोचीन

138. विस्तार कीजिए ।

(i) TRIPS (ii) TRIMS

उत्तर : (i) Trade-related Intellectual Property Rights

(ii) Trade-related Investment Measures

139. गन्धेली साहबा योजना क्या है ?

उत्तर : यह श्रीगंगानगर, चूरू व झुंझुनूं जिलों के 354 ग्रामों को इन्दिरा गाँधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है । इसमें नए ग्राम शामिल करने का विचार है । इसके लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है ।

140. 'राजस्थान विकास कोष' का उद्देश्य बताइए ।

उत्तर : यह प्रवासी राजस्थानियों से प्रदेश के विकास में महत्त्वपूर्ण सहयोग लेने के लिए बनाया गया है । इसमें सरकार ने अपनी तरफ से 50 लाख रुपये का प्रारम्भिक योगदान दिया है । इस कोष का उपयोग राज्य में पेयजल, पशु-संरक्षण, शिक्षा व सामुदायिक सुविधाओं के विकास, आदि में करने की योजना है ।

141. यमुना नदी का जल राजस्थान को मिलने से किन पाँच जिलों की पेयजल समस्या का स्थाई हल सम्भव होगा ?

उत्तर : भरतपुर, धौलपुर, अलवर, झुंझुनूं और चूरू जिले ।

142. राजस्थान में बारह मास बहने वाली नदियों के नाम बताइए ।

उत्तर : चम्बल व माही के अलावा कोई नदी बारह महीने नहीं बहती ।

143. हथिनी कुण्ड बाँध किस राज्य में है ?

(अ) पंजाब (ब) हिमाचल प्रदेश (स) हरियाणा (स)

144. रेणुका बाँध किस राज्य में है ?

(अ) हरियाणा (ब) पंजाब (स) हिमाचल प्रदेश (स)

145. निम्न में से कौन-सा बाँध दिल्ली की पेयजल समस्या का समाधान कर पाएगा ?

(अ) हथिनी कुण्ड बाँध (ब) रेणुका बाँध (स) दोनों (ब)

146. नाथपा-झाकड़ी परियोजना का परिचय दीजिए ।

उत्तर : 1500 मेगावाट क्षमता वाली नाथपा-झाकड़ी जल-विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकड़ी ऊर्जा निगम द्वारा तैयार की जा रही है । इसमें राजस्थान का 15.22 प्रतिशत अंश रखा गया है ।

147. कोल परियोजना किस राज्य की है और इससे राजस्थान को क्या लाभ हो सकता है ?

उत्तर : यह हिमाचल प्रदेश की जल-विद्युत परियोजना है । 20 जून, 1984 को एक समझौते के अनुसार 800 मेगावाट की नियोजित क्षमता में से राजस्थान को 63 प्रतिशत ऊर्जा मिलनी थी, और इसे 75 प्रतिशत व्यय का अंश देना था । लेकिन अब इस परियोजना का काम नाथपा-झाकड़ी विद्युत निगम को सौंपे जाने के बाद राजस्थान को इस परियोजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है जिस पर राज्य सरकार ने कड़ी आपत्ति की है ।

148. जैसलमेर जिले में गैस भण्डार के दो क्षेत्रों के नाम बताइए ।

उत्तर : (1) मनहर टीबा क्षेत्र, (2) तनोट क्षेत्र ।

149. पर्यटन की दृष्टि से अलवर के कौन-से किले का विकास किया जाना चाहिए ?

उत्तर : नीलकण्ठ भर्तृहरि वाला किला ।

150. भूटान में भारत सरकार के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से कौन-सी पन-बिजली परियोजना क्रियान्वित की गई है ?

उत्तर : 336 मेगावाट की चुखा पन-बिजली परियोजना । इस परियोजना में चार इकाइयाँ हैं (प्रत्येक 84 मेगावाट की) जो चालू कर दी गई हैं । यह भूटान में व भारतीय सीमा पर अनेक स्थानों को बिजली देती है ।

151. लूनी नदी का परिचय दीजिए ।

उत्तर : यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है । यह वर्षाकालीन नदी है ।

152. बनास नदी किस नदी में व कहाँ मिलती है ?

उत्तर : बनास नदी अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलकर सवाई माधोपुर जिले में चम्बल नदी में मिलती है ।

153. चम्बल नदी का मार्ग बताइए ।

उत्तर : इसका उद्गम मध्य प्रदेश में है तथा वह राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना नदी में मिलती है ।

154. राजस्थान में नमक का उत्पादन कुल भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है ?

उत्तर : 1998 में राजस्थान मे नमक का उत्पादन लगभग 12 लाख टन हुआ, जबकि 1998-99 में भारत मे 119 6 लाख टन हुआ था । इस प्रकार राजस्थान का अंश 10% रहा था ।

155. 2001-02 में राजस्थान में कृषि (पशुधन सहित) से चालू कीमतो (current prices) पर राज्य की आय में कितना अंश रहा?
(अ) 50% (ब) 26.5% (स) 55% (द) 40% (ब)

156. 2001-02 मे राजस्थान में कृषि (पशुधन सहित) से स्थिर (1993-94) कीमतो पर राज्य की आय में कितना अंश रहा?
(अ) 27.4% (ब) 39% (स) 50% (द) 42.7% (अ)

157. 2001-02 मे राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र (पजीकृत + गैर-पजीकृत) का लगभग अंश राज्य की आय में 1993-94 की कीमतो पर छाँटिए-
(अ) 14.4% (ब) 9.7% (स) 10.5% (द) 8 7% (अ)

158. राजस्थान की आय (SDP) मे निम्न मे से किसका अश सबसे ऊँचा है?
(अ) वन (ब) खनन (स) निमार्ण (Construction) (स)

159. **राजस्थान में 2001-02 में सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना था तथा वह राज्य के कुल कृषित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था ?**

उत्तर : 2001-02 में राजस्था में सकल सिंचित क्षेत्रफल 67.4 लाख हैक्टेयर था । यह राज्य के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग 32.4% था ।

160. 2001-02 मे राजस्थान मे तिलहन का सशोधित अन्तिम उत्पादन कितना हुआ और यह भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत था?

उत्तर: 31 3 लाख टन (राजस्थान), भारत में उत्पादन = 205 लाख टन। अत राजस्थान का समस्त भारत मे अश = 15 3% था।

161. राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केन्द्र स्थित है:
(अ) बीकानेर मे (ब) शिवबाडी गाँव (बीकानेर)
(स) जोरबीड (बीकानेर) (स) जैसलमेर मे (स)

162. **2001-02 में राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना था ?**

तर : 54 2 लाख हैक्टेयर ।

163. राजस्थान में 2001-02 में 6-11 वर्ष की आयु (प्राइमरी कक्षा I-V) में स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात (सकल नामांकन-अनुपात) छाँटिए।
(अ) 112% (ब) 92% (स) 103% (अ)

64. **'लोक-जुम्बिश' का अर्थ समझाइए ।**

तर : **'लोक-जुम्बिश' का अर्थ है 'जन-आन्दोलन' (People's movement) । जुम्बिश एक उर्दू/फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आन्दोलन या गति। अतः लोक-जुम्बिश का आशय है जन-आन्दोलन, अथवा लोगों के लिए आन्दोलन।** इसमें लोकशक्ति के निर्माण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाता है। यह शिक्षा की एक व्यापक स्कीम है, जिसमें स्वीडन के सहयोग से राजस्थान में साक्षरता के प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया है । इस महती योजना के अन्तर्गत राज्य में शिक्षा पर धनराशि खर्च की जाती है । पिछले वर्षों में

इसके माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा, अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, पाठशाला-भवनों का निर्माण व अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र खोले गये थे ।

165. उरमूल डेयरी के संयंत्र की आधार शिला कहाँ रखी गयी ?

(अ) बीकानेर (ब) गंगानगर रोड
(स) चूरू (द) छतरगढ़ (ब)

166. वर्तमान में राज्य में साक्षरता-कार्यक्रम व अभियान की स्थिति बताइए ।

उत्तर : राज्य के सभी जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम लागू कर दिया गया है । इनमें से 19 जिलों में उत्तर-साक्षरता कार्यक्रम व 13 जिलों में **निरंतर शिक्षा** (continuing education) कार्यक्रम चल रहा है ।

167. राजस्थान में हाल में तेल के विशाल भण्डार कहाँ व कितनी मात्रा वाले मिले हैं ?

उत्तर : अप्रैल 1992 में बीकानेर के निकट बाघेवाला क्षेत्र में तेल के करीब साढ़े तीन करोड़ टन के भण्डार मिले हैं । फरवरी 2003 व बाद में चौथी बार बाड़मेर जिले में विशाल भंडार मिले हैं ।

168. गंगानगर शहर में 'कॉटन कॉम्पलैक्स' की स्थापना 1987 में कहाँ की गयी ?

उत्तर : गंगानगर शहर से 12 किलोमीटर दूर गंगानगर-हनुमानगढ़ सड़क-मार्ग पर उद्योग-विहार में ।

169. राजस्थान में पर्यावरण समस्या में सबसे ज्यादा गम्भीर समस्या क्या है ?

(अ) जल-प्रदूषण (ब) वायु-प्रदूषण
(स) जल का अभाव (द) वनों का ह्रास
(ए) मिट्टी का कटाव (स)

170. राजस्थान में किन स्थानों पर राज्यस्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं ?

उत्तर : *(i)* श्री मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा (बाड़मेर), (ii) बलदेव मेला, मेड़ता सिटी (नागौर), (iii) वीर तेजाजी मेला, परबतसर (नागौर), (iv) रामदेव मेला, नागौर, (v) गोमती सागर मेला, झालरापाटन (झालावाड़) (vi) गोगामेड़ी मेला, गोगामेड़ी (श्रीगंगानगर), (vii) कार्तिक मेला, पुष्कर (अजमेर), (viii) जसवंत मेला (भरतपुर), (ix) चन्द्रभागा मेला, झालरापाटन (झालावाड़), (x) शिवरात्रि मेला, करौली (सवाई माधोपुर) ।

171. विस्तार कीजिए—

(i) OECF (ii) CAZRI (काजरी)

उत्तर : (i) Overseas Economic Cooperation Fund (यह जापान का कोष है जिसके तहत अन्य देशों को विकास कार्यों में सहायता दी जाती है)

(ii) Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, इसमें शुष्क प्रदेश की समस्याओं पर अनुसंधान किया जाता है ।

172. SIDA व CIDA क्या है ?

उत्तर : SIDA = Swedish International Development Agency
CIDA = Canadian International Development Agency
इनसे राजस्थान को विकास-कार्यों में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

173. ओजोन परत के क्षीण होने से कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं ?

उत्तर : चर्म-केन्सर व आँखों का मोतियाबिन्द।

174. राजस्थान की नई सड़क नीति, दिसम्बर 1994 के मुख्य लक्ष्य बताइए।

उत्तर : वर्ष 2002 तक 1000 जनसंख्या के सभी गाँव व पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों (B.T. Roads) से जोड़ना तथा 31 मार्च 1997 तक 1500 की जनसंख्या के सभी गाँवों को डामर की सड़कों से जोड़ना। इस कार्य के लिए 3000 करोड़ रु के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

175. राज्य में 31 मार्च, 2004 तक सार्वजनिक-निर्माण-विभाग (PWD) की सड़कों की कुल लम्बाई कितनी थी ?

उत्तर : 96091 किलोमीटर।

176. राजस्थान में 2003-04 के अन्त तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है और यह सड़कों की कुल लम्बाई का कितना प्रतिशत है ?

उत्तर : राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 5592 किलोमीटर (डामर की) हैं, जो सड़कों की कुल लम्बाई 96091 किलोमीटर का मात्र 5 8% है।

177. मार्च 2002 के अंत तक राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत बसे हुए गाँव सड़कों से जुड़ पाये थे ?

(अ) 46.4% (ब) 47.3%
(स) 27.3% (द) 57.3% (स)

178. द्वितीय कृषि-क्रान्ति से क्या आशय है ?

उत्तर : यह वर्षाश्रित क्षेत्रों में होगी, जहाँ सूखी खेती (dry farming) की विधियों को अपना कर उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जलग्रहण-विकास-कार्यक्रम (Watershed Development Programme) व सिंचाई के लिए फव्वारा-विधि व ड्रिप-विधि का उपयोग किया जाएगा। यह देश के पूर्वी भागों में भी अपनाई जाएगी। इसके द्वारा दालों व तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा।

179. राजस्थान में 1995-96 में जोतों का औसत आकार क्या था ?

उत्तर : 3.96 हैक्टेयर। यह 1990-91 में 4 11 हैक्टेयर रहा था।

180. राजस्थान में 1995-96 में सीमान्त जोतें कितनी थीं ?

उत्तर : 16.11 लाख (एक हैक्टेयर तक)।

181. 1995-96 में राजस्थान में कुल कार्यशील जोतें कितनी थीं ?

उत्तर : 53.64 लाख।

182. राजस्थान में 2001-02 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना रहा तथा उसमें सर्वोपरि स्रोत कौनसा रहा ?

उत्तर : 67.4 लाख हैक्टेयर (सकल सिंचित क्षेत्र), कुओं, (नलकूपों सहित) = 44 लाख हैक्टेयर ।

183. अलवर को पर्वतमाला के नाम पर, सवाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य के नाम पर, धौलपुर को मगरमच्छों के नाम पर तथा भरतपुर को पक्षी-विहार के नाम पर केन्द्र अपने अधिकार में क्यों लेना चाहता है ?

उत्तर : पर्यावरण-संतुलन के लिए ।

184. मानसी-वाकल योजना के निर्माण में किनका कितना-कितना हिस्सा होगा ?

उत्तर : 35% योगदान हिन्दुस्तान जिंक लि. का तथा शेष राजस्थान सरकार का । प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है ।

185. जापान द्वारा अप्रैल 2003 से प्रारम्भ किये जाने वाले वानिकी प्रोजेक्ट का नाम लिखिए।

उत्तर: राजस्थान वानिकी व जैव-विविधता प्रोजेक्ट जिसकी वित्तीय व्यवस्था JBIC जापान द्वारा की जायगी।

186. महिला-सहकारी समितियाँ किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं ?

(अ) महिला शहरी बैंक (ब) महिला दुग्ध उत्पादक समितियाँ

(स) महिला कुटीर उद्योग (द) महिला साख समिति

(अ) तथा (ब)

187. राज्य में वर्तमान में कितने केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं ?

(अ) 25 (ब) 26 (स) 30 (द) 20 (ब)

188. निम्न में से शिक्षा की कौन-सी योजना स्वीडन की संस्था (सीडा) सहायता से चालू की गयी थी ?

(अ) गुरुमित्र (ब) राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएँ

(स) सरस्वती (द) लोक जुम्बिश (द)

189. शिक्षाकर्मी परियोजना किस वर्ष से चालू की गयी ?

(अ) 1977 (ब) 1987 (स) 1997 (द) 1994 (ब)

190. राज्य में 2003-04 अस्पतालों (hospitals) की संख्या लगभग कितनी रही ?

(अ) 500 (ब) 300 (स) 120 (द) 150 (स)

191. प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 2003-04 तक कितने प्रतिशत निवास-स्थानों (habitations) को पेयजल की स्कीमों से लाभान्वित किया गया ? (Economic Review 2003-04, p. 76)

(अ) शत-प्रतिशत (ब) 96.8% (स) 80% (द) 70% (ब)

[93946 मुख्य निवास-स्थानों व अन्य निवास-स्थानों में से 90972 निवास-स्थानों को]

192. भारत के फैक्ट्री-क्षेत्र के निम्न सूचकों (फैक्ट्रियों की संख्या, स्थिर पूँजी, कर्मचारियों की संख्या व वर्धित-मूल्य, आदि) में राजस्थान का अंश है (1999-2000 की सूचना के आधार पर)

(अ) 2% से 4% (ब) 3% से 4%
(स) 3% से 3 7% (अ)

193. राज्य में फैक्ट्री-क्षेत्र में सकल उत्पाद के मूल्य का तीन-चौथाई अंश किन उद्योगों से प्राप्त होता है ?

उत्तर : निम्न सात उद्योग :

(i) ऊन व रेशम टेक्सटाइल,
(ii) रसायन व रसायन-पदार्थ,
(iii) खाद्य-उत्पाद,
(iv) गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ,
(v) परिवहन के अलावा अन्य मशीनरी,
(vi) रबड़, पेट्रोलियम व कोयला-उत्पाद,
(vii) विद्युत।

194. राज्य में ऐसा कौन-सा उद्योग है जो वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र तीनों में चलाया जा रहा है ?

(अ) चीनी (ब) नमक (स) सीमेंट (द) सभी (अ)

195. मथानिया इन्टीग्रेटेड सोलर कम्बाइन्ड साइकिल (ISCC) पावर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता कितनी रखी गयी है ?

(अ) 70 मेगावाट (ब) 120 मेगावाट
(स) 140 मेगावाट (द) 250 मेगावाट (स)

196. वर्ष 2003 तक सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कितनी इकाइयाँ कार्यशील बन पायीं थीं ?

(अ) 7 (ब) 6 (स) 4 (द) 5 (द)

197. 1999 व 2002 की अवधि में राज्य में विद्युत-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हुई है—

(अ) 500 मेगावाट (ब) 1000 मेगावाट
(स) 1208 मेगावाट (द) 1500 मेगावाट (स)

198. रामगढ़ गैस प्लान्ट की प्रस्तावित विद्युत-उत्पादन क्षमता होगी :

(अ) 250 मेगावाट (ब) 76 मेगावाट
(स) 140 मेगावाट (द) 100 मेगावाट (ब)

199. राज्य में पशु-आधारित कौन-सा उद्योग योजना- काल में सबसे ज्यादा विकसित हुआ है ?

(अ) डेयरी उद्योग (ब) ऊन उद्योग
(स) चमड़ा उद्योग (द) मांस का उद्योग (अ)

200. राजस्थान में सकल कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 1951-52 से 2001-02 तक कितना हो गया ?
(अ) 25% से 57% (ब) 28% से 61%
(स) 30% से 65% (द) 15% से 30% (ब)

201. राज्य में सकल कृषित क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग पर कौनसी फसल बोई जाती है?
(अ) गेहूँ (ब) चना
(स) सरसो व राई (द) बाजरा (द)
(लगभग 20%)

202. राज्य में गेहूँ कृषित क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग पर बोया गया (2001-02 में) ?
(अ) 1/10 (ब) 1/5 (स) 1/4 (द) 1/8 (अ)

203. सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का लगभग कितना अंश है (2002-2003) ?
(अ) 36% (ब) 30% (स) 25% (द) 39.9% (द)

204. शुद्ध कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का कितना अंश रहा, 2001-02 में (लगभग)
(अ) 49% (ब) 57% (स) 37% (द) 27% (अ)

205. राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में सबसे अधिक है (लाख हैक्टेयर में) ? (2001-02 में)
(अ) हनुमानगढ़ (ब) गंगानगर (स) अलवर (द) जयपुर (ब)
(8 2 लाख हैक्टेयर)

206. सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है ? (2001-02 में)
(अ) डूँगरपुर (ब) जैसलमेर (स) बाड़मेर (द) राजसमंद (द)
(26318 हैक्टेयर)

207. तिलहन का उत्पादन करने वाले दो सबसे बड़े जिलों का युग्म (pair) छाँटिए 2001-02 ।
(अ) चित्तौड़गढ़-कोटा (ब) कोटा-बारां
(स) बारां-चित्तौड़गढ़ (द) नागौर-कोटा (ब)

208. भीलवाड़ा जिले की झीलों को छाँटिए :
(अ) मेजाबांध (ब) उम्मेद सागर
(स) जैतपुर बांध (द) सभी (द)

209. राज्य में खारे पानी की झीलों व मीठे पानी की झीलों की संख्या की दृष्टि से तुलनात्मक स्थिति कैसी है ?
(अ) खारे पानी की झीलें ज्यादा हैं (ब) मीठे पानी की झीलें ज्यादा हैं
(स) दोनों लगभग समान हैं (द) अनिश्चित (ब)

210. मार्च 1997 तक की सूचना के आधार पर राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन पाये जाते हैं ?
(अ) बारां (ब) सवाई माधोपुर
(स) उदयपुर (द) चित्तौड़गढ़ (स)

211. राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क/टाइगर रिजर्व हैं ?
(अ) 5 (ब) 4 (स) 3 (द) 2 (ब)
(रणथम्भौर, केवलादेव-घना व डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क तथा टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का)
(टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का को शामिल नहीं करने पर राष्ट्रीय पार्क 3, राष्ट्रीय डेजर्ट पार्क को भी शामिल न करने पर मात्र 2 रह जाते हैं ।)

212. (i) राजस्थान में कुल वन्य-प्राणी अभयारण्य (**wild life Sanctuary**) कितने हैं ?
(अ) 17 (ब) 20 (स) 25 (द) 18 (स)
[स्रोत : Economic Review 2003-04, p 56]
(ii) सबसे अधिक वन्य-प्राणी शरणस्थल (अभयारण्य) किस जिले में स्थित हैं ?
(अ) कोटा (ब) चित्तौड़गढ़ (स) उदयपुर (द) जयपुर
(अ, तथा स में)

213. राज्य में बड़े खनिजों (**major minerals**) में शामिल हैं—
(अ) ताँबा (ब) जिप्सम (स) अभ्रक (द) सभी (द)

214. राजस्थान में लघु खनिजों में आते हैं—
(अ) बेन्टोनाइट (ब) फुलर्स अर्थ
(स) लाइमस्टोन (द) संगमरमर (ए) सभी (ए)

215. राज्य में पाये जाने वाले धात्विक खनिजों में शामिल हैं—
(अ) तांबा अयस्क (ब) सीसा (स) जस्ता (द) चांदी
(ए) सभी (ए)

216. खनिज-पदार्थो की दृष्टि से राजस्थान पर कौनसा कथन लागू होता है ?
(अ) यह खनिजों का अजायबघर है
(ब) इसका खनिज-उत्पादन में भारत मे प्रथम स्थान है
(स) यहाँ खनिज-पदार्थ बहुतायत मे पाये जाते हैं
(द) सभी कथन सही हैं (अ)

217. रॉक फॉस्फेट पाया जाता है—
(अ) सीकर के समीप (ब) उदयपुर के समीप
(स) जैसलमेर के समीप (द) सभी में (ब)
(झामर-कोटड़ा)

218. राज्य की खनिज नीति घोषित की गयी—
(अ) अगस्त 1994 (ब) अगस्त 1995
(स) जनवरी 1995 (द) जनवरी 1998 (अ)

219. खनिज-नीति का उद्देश्य है :
(अ) नयी तकनीक से खनिजों की खोज करना
(ब) इनका निर्यात बढ़ाना
(स) खनन में यंत्रीकरण करना
(द) सभी (द)

220. 1997 में राज्य में पशुओं की संख्या लगभग कितनी थी ? (संशोधित)
(अ) 5 47 करोड़ (ब) 4.53 करोड़
(स) 3 54 करोड़ (द) 4.77 करोड़ (अ)

221. 1992-97 की अवधि में पशुओं की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ?
(अ) 15 4% (ब) 20 4% (स) 14 4% (द) 10% (स)

222. 1992-97 की अवधि में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किन पशुओं में हुई ?
(अ) गाय-बैल या गौवंश के पशुओं में (ब) भैंस-जाति के पशुओं में
(स) भेड़ों में (द) बकरी-जाति में (26%) (ब)

223. गौ-वंश के पशु (Cattle) राज्य में सर्वाधिक किस जिले में पाये गये (1997 में) ?
(अ) उदयपुर (ब) बाड़मेर (स) जयपुर (द) पाली (अ)

224. राज्य में भेड़ें किस जिले में सर्वाधिक पायी गईं (1997 में) ?
(अ) जोधपुर (ब) सिरोही
(स) बाड़मेर (द) जैसलमेर (ब)

225. राजस्थान में बकरी की संख्या सर्वाधिक किस जिले में पायी जाती है ?
(अ) जोधपुर (ब) नागौर
(स) बाड़मेर (द) जैसलमेर (स)

226. राज्य में एक लाख से अधिक ऊँट (1997 में) किन-किन जिलों में पाये गये ?
(अ) चूरू (ब) बीकानेर (स) गंगानगर (द) बाड़मेर (द)

227. प्रति वर्ग किलोमीटर पशु-घनत्व (Livestock-density) किस जिले में सर्वाधिक पाया गया (1997 में) ?
(अ) डूँगरपुर (ब) भीलवाड़ा (स) अजमेर (द) बांसवाड़ा
(ए) राजसमंद (272) (अ)

228. क्रोस-ब्रीड के पशुओं में किस वर्ग में *1992-97* में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गयी ?
(अ) गौ-वंश के पशुओं में (ब) भेड़-जाति के पशुओं में
(स) बकरी-जाति के पशुओं में (द) अनिश्चित (अ)
(82.4%)

229. जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह है :
(अ) रॉक फॉस्फेट (ब) जिप्सम (स) खाद (द) यूरिया (ब)
(RAS, 1998)

230. राज्य में किन जिलों में नदी नहीं है ?
(अ) चूरू (ब) बीकानेर
(स) चूरू व बीकानेर (द) सीकर (स)

231. करौली जिले में जो नदी बहती है :
(अ) चम्बल (ब) बनास (स) गम्भीरी (द) तीनों (द)

232. चम्बल नदी किस जिले में बहती है ?
(अ) कोटा (ब) भरतपुर
(स) सवाई माधोपुर (द) धौलपुर
(ए) करौली (ऐ) सभी में से बहती है (ऐ)

233. काटली (कान्तली) नदी का उद्‌गम व प्रवाह-मार्ग बताइए :
उत्तर : यह सीकर जिले की खण्डेला की पहाड़ियों से निकल कर सीकर व झुन्झुनूं जिलों में बहने के बाद चूरू जिले की सीमा में विलीन होती है।

234. चम्बल नदी की सहायक नदियाँ हैं :
(अ) काली सिंध (ब) पार्वती (स) बनास (द) कुराल
(ए) सभी (ए)

235. अजमेर के समीप अरावली की ढालों से कौन- सी नदी निकलती है ?
(अ) लूनी (ब) माही (स) बनास (द) जवाई (अ)

236. राजस्थान में अपवाह-प्रणाली (drainage system) की दृष्टि किस नदी के क्रम का सर्वोच्च स्थान है ?
(अ) चम्बल (ब) माही (स) लूनी
(द) आंतरिक नदियों का (अ)

237. चम्बल-नदी-क्रम का राजस्थान की ड्रेनेज- प्रणाली में कितना अंश है ?
(अ) 1/5 (ब) 1/2 (स) 1/3 (द) 1/4 (अ)

238. घग्घर नदी कहाँ जाकर विलीन होती है ?
(अ) गंगानगर (ब) हनुमानगढ़
(स) सूरतगढ़ (द) हिसार (ब)

239. बाणगंगा नदी किसमें मिलती है ?
(अ) बनास (ब) चम्बल
(स) यमुना (द) काली सिंध (स)

240. राजस्थान में निम्न में से खारे पानी की झीलें हैं :
(अ) सांभर (ब) डीडवाना (स) पचपदरा (द) लूणकरणसर
(ए) सभी (ए)

241. बाड़मेर जिले में खारे पानी की झील है :
(अ) पचपदरा (ब) लूणकरणसर
(स) कोलायत (द) कोई नहीं **(अ)**

242. राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है :
(अ) राजसमंद (ब) आनासागर
(स) सिलिसेढ़ (द) जयसमंद **(द)**

243. गोमती नदी किस झील में गिरती है ?
(अ) जयसमंद (ब) पिछोला
(स) कोलायत (द) राजसमंद **(द)**

244. कडाणा बांध किस जिले में है ?
(अ) उदयपुर (ब) बांसवाड़ा
(स) जोधपुर (द) डूँगरपुर **(ब)**

245. ब्रह्माजी का मन्दिर स्थित है :
(अ) बद्रीनाथ (ब) केदारनाथ
(स) पुष्कर (द) अजमेर **(स)**

246. महाराजा राजसिंह ने 1662 में किस झील का निर्माण करवाया था ?
(अ) जयसमंद (ब) राजसमंद
(स) आनासागर (द) जयसमंद **(ब)**

247. नक्की झील किस जिले में स्थित है ?
(अ) सिरोही (ब) जोधपुर
(स) अजमेर (द) अलवर **(अ)**

248. हाड़ौती पठार राज्य के किस भाग में आता है ?
(अ) दक्षिण में (ब) पूर्व में
(स) दक्षिण व दक्षिण-पूर्व में (द) दक्षिण-पूर्व में **(स)**

249. बागड़ क्षेत्र का किससे सम्बन्ध है ?
(अ) चम्बल बेसिन (ब) बनास बेसिन
(स) मध्य माही बेसिन (द) मालपुरा-करौली मैदान **(स)**

250. भोराट (Bhorat) का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला है ?
(अ) बांसवाड़ा व डूँगरपुर (ब) डूँगरपुर व चित्तौड़गढ़
(स) चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा (द) उदयपुर व राजसमंद **(द)**

251. संलग्न राज्यों का वह जिला जो प्रत्यक्षत: राजस्थान को छूता नहीं है :
(अ) भटिण्डा (ब) भिवानी (स) भुज (द) झाबुआ **(स)**

252. आबू पर्वत खण्ड में सबसे ऊँची चोटी है :
(अ) गुरुशिखर (ब) सेर
(स) अचलगढ़
(द) दिलवाड़ा के पश्चिम की अन्य चोटियाँ **(अ)**

253. राजस्थान के पूर्ण निर्माण में राजा-महाराजाओं की कितनी रियासतें व राज्य शामिल किये गये थे ?
(अ) 15 (ब) 20 (स) 18 (द) 21 (ब)

254. 'मावट' की विशेषता है :
(अ) यह शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है
(ब) इससे रबी की फसलों को लाभ होता है
(स) जब उत्तरी-पश्चिमी हवाएँ राजस्थान के दक्षिण-पूर्व से होकर गुजरती हैं तब यह वर्षा होती है
(द) सभी (द)

255. राज्य में सामान्य वर्षा व वास्तविक वर्षा में अधिकतम अंतर किस युग्म-जिले में पाया जाता है ?
(अ) अलवर-भरतपुर (ब) टोंक-अजमेर
(स) बाड़मेर-जैसलमेर (द) डूँगरपुर-बाँसवाड़ा (स)

256. राजस्थान में व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम (Waste/land Development Programme) कितने जिलों में चलाया जा रहा है ?
(अ) 12 (ब) 13 (स) 14 (द) 15 (स)

257. राज्य में वार्षिक तापक्रम में सर्वाधिक अंतर (अधिकतम व न्यूनतम के बीच) किस जिले व स्थान में पाया जाता है ?
(अ) अजमेर (ब) बाँसवाड़ा
(स) चूरू (द) गंगानगर (स)

258. खेजड़ी का पेड़ ज्यादातर किस क्षेत्र में पाया जाता है ?
(अ) खेतड़ी (ब) शेखावाटी क्षेत्र
(स) बाड़मेर क्षेत्र (द) जैसलमेर-क्षेत्र (ब)

259. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र किसके विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा ?
(अ) खाद्यान्नों की पैदावार (ब) कपास की पैदावार
(स) चरागाह-पशुपालन (द) पशुपालन-फलोत्पादन (द)

260. राज्य में मृदा के कितने भौतिक प्रदेश हैं ?
(अ) 9 (ब) 12 (स) 13 (द) 5 (अ)

261. राजस्थान में मृदा-प्रदेशों के नाम बताइए :
(i) रेतीला शुष्क मैदान, *(ii)* मध्य-पश्चिम का जालौढ़ मैदान, *(iii)* आन्तरिक निकास का मैदान, *(iv)* घग्घर मैदान, *(v)* अरावली पहाड़ियाँ, *(vi)* पूर्वी मैदान, *(vii)* छप्पन मैदान, *(viii)* उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र तथा *(ix)* दक्षिण-पूर्वी हाड़ौती पठार।
(स्रोत : निगम-तिवारी, राजस्थान का भूगोल, 1998, पृ 355)

262. हाड़ौती पठार की मिट्टी है :
(अ) कछारी (जालौढ़) (ब) लाल
(स) भूरी (द) मध्यम काली **(द)**

263. राजस्थान का लगभग कितना क्षेत्रफल मरुस्थल की दशाओं से प्रभावित है ?
(अ) 2 लाख वर्ग किलोमीटर (ब) 3 लाख वर्ग किलोमीटर
(स) 4 लाख वर्ग किलोमीटर (द) 1 लाख वर्ग किलोमीटर **(अ)**

264. थार मरुस्थल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ?
उत्तर : अरावली शृंखला के पश्चिम से लेकर सिंधु नदी तक है।

265. राजस्थान में मरुस्थल के निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारम्भ हुई ?
(अ) लगभग 6000 वर्ष पूर्व (ब) 10000 वर्ष पूर्व
(स) 500 वर्ष पूर्व (द) 1000 वर्ष पूर्व **(अ)**

266. मरुस्थल के क्षेत्रफल में किसी समय क्या रहा होगा ?
(अ) झील (ब) समुद्र
(स) टेथिस सागर (द) नदियाँ **(स)**

267. मरुस्थल के निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया :
(अ) तापक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि
(ब) वर्षा की कमी
(स) वनस्पति की समाप्ति
(द) हवाओं से अन्य स्थानों में रेत का जमना
(ए) सभी **(ए)**

268. सरस्वती मिथक नदी के बारे में अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर उसका उद्‌गम व प्रवाह- मार्ग बताइए :
उत्तर : सरस्वती नदी हिमालय में नाइटवर में टांस क्षेत्र से निकलकर बाटा घाटी के साथ-साथ बहती बद्री के मैदान में प्रविष्ट होती थी और हरियाणा, राजस्थान व गुजरात सहित 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अरब सागर में मिलती थी।

269. मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं ?
(अ) 12 (ब) 10 (स) 11 (द) 13 **(अ)**
(हनुमानगढ़ सहित)

270. मरुस्थलीयकरण से राजस्थान के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?
(अ) मिट्टी का कटाव (Soil erosion) (ब) वनों का ह्रास
(स) बंजर भूमि का विस्तार (द) सभी **(द)**

271. राजस्थान का मरुस्थल किन राज्यों की तरफ बढ़ रहा है ?
(अ) पंजाब व हरियाणा (ब) हरियाणा व उत्तर प्रदेश
(स) दिल्ली व मध्य प्रदेश (द) हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर
(ब + स)

272. मरुस्थलीकरण को रोकने के चार प्रमुख उपाय बताइए।

उत्तर : (1) अरावली के अन्तरालों (दर्रों) से रेत के प्रसार को रोकने के लिए सघन वृक्षारोपण करना, (2) खेतों की मेड़ों पर बाड़ें लगाना, (3) अनियंत्रित पशु-चराई पर रोक लगाने के लिए नये चरागाहों का विकास करना, (4) पेड़ों की कटाई से ज्यादा जोर नये पेड़ लगाने पर देना।

273. राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ ?

(अ) 6 (ब) 7 (स) 8 (द) 5 (ब)

274. राज्य के पूर्ण गठन की प्रक्रिया कब पूरी हुई ?

(अ) 1 नवम्बर, 1956 (ब) 1 नवम्बर, 1955
(स) 26 जनवरी, 1950 (द) 15 मई, 1949 (अ)

275. राजस्थान का कौन-सा भौतिक प्रदेश सबसे बड़ा है ?

(अ) उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश (ब) अरावली प्रदेश
(स) पूर्वी मैदान (द) हाड़ौती पठार (अ)

276. पार्वती जल-विद्युत परियोजना का परिचय दीजिए।

उत्तर : यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लु-मनाली क्षेत्र में (कुल्लु के निकट) 4 हजार करोड़ रुपये के व्यय से 7 वर्षों में तीन चरणों में पूरी की जाएगी। कुलक्षमता = 2051 मेगावाट होगी। इसमें विभिन्न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार होगा—

विभिन्न राज्यों के अंश*

(i)	हिमाचल प्रदेश	27% (12% नि शुल्क तथा 15% उत्पादन-लागत पर)
(ii)	राजस्थान	40%
(iii)	दिल्ली	8%
(iv)	हरियाणा	25%
	कुल	100

277. राज्य के 2004-05 के परिवर्तित बजट अनुमानों में समग्र बजट-घाटा लगभग कितना दर्शाया गया है ?

(अ) 700 करोड़ रुपये (ब) 334 करोड़ रुपये
(स) 190 करोड़ रुपये (द) 1903 करोड़ रुपये (ब)

278. राजस्थान सरकार की गैर-कर राजस्व की मदों में, सहायतार्थ-अनुदानों के अलावा, सर्वाधिक राजस्व किस मद से प्राप्त होता है ?

उत्तर : ***ब्याज की प्राप्तियों, लाभांश एवं लाभ से।*** **2004-05 के परिवर्तित बजट में 4660 करोड़ रुपये कुल गैर-कर राजस्व में अनुमानित हैं (सहायतार्थ-अनुदानों**

* राजस्थान पत्रिका, 26 दिसम्बर 1998

सहित), इनमें से 791 करोड़ रुपये की राजस्व अकेले उपर्युक्त मद के अन्तर्गत ही दर्शाई गई है ।

279. राजस्थान को 2002-03 के संशोधित अनुमानों मे संघीय करों के अंश के रूप में से कितनी राशि प्राप्त हुई?

उत्तर: लगभग 4503 करोड रुपये।

280. ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र के सकल कर-राजस्व की शुद्ध-प्राप्तियो का कितना प्रतिशत राज्यों में वितरित करने की सिफारिश की है?

(अ) 30% (ब) 29 5% (स) 27% (द) 35% (ब)

281. ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र के कर व गैर-कर राजस्व के योग के राज्यों की तरफ हस्तान्तरण पर ऊपरी सीमा (Cap) कितनी सुझाई हैं?

(अ) 29% (ब) 37% (स) 37 5% (द) 29.5% (स)

282. राजस्थान में हाल के वर्षो में राजस्व-व्यय के अन्तर्गत ब्याज के भुगतानों की वार्षिक राशि बतलाइए।

उत्तर : 2003-04 के संशोधित अनुमानों में 4800 करोड़ रुपये, 2004-05 के बजट अनुमानों में 5166 करोड़ रुपये, इसमें बाजार ऋणों, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों, प्रोविडेण्ट फण्ड की जमाओं व अन्य जमाओं पर दिए गए ब्याज की राशियाँ दशाई जाती हैं ।

2004-2005 में इतनी अधिक वृद्धि का कारण अधिक कर्ज लेना व अधिक जमाओं पर ब्याज की अदायगी का भार है ।

283. राजस्थान में वर्तमान में प्रशासनिक सेवाओं पर वार्षिक व्यय की राशि इंगित करिए । इसमें क्या-क्या शामिल किया जाता है ?

उत्तर : 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में 1163 करोड़ रुपये, 2004-2005 के बजट अनुमानों में 1251 करोड़ रुपये ।

इसमें लोक सेवा आयोग (PSC), सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, जिला प्रशासन ट्रेजरी, पुलिस, जेल, स्टेशनरी व छपाई, पब्लिक वर्क्स व अन्य व्यय शामिल होते हैं ।

284. राजस्थान में शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर वार्षिक-व्यय की राशि सूचित करिए ।

उत्तर : 2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3753 करोड़ रुपये । यह व्यय सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत दर्शाया जाता है ।

285. 2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्थान का प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय कुल कर-राजस्व (Tax revenue) का कितना अंश रहा ?

उत्तर : प्रशासनिक सेवाओं पर राजस्व-व्यय = 1163 करोड़ रुपये ।

कुल कर-राजस्व = लगभग 110941 करोड़ रुपये

प्रशासनिक सेवाओं पर राजस्व-व्यय कुल कर-राजस्व का अंश = 10.5%

286. 2003-2004 के संशोधित अनुमानों के अनुसार ब्याज के भुगतान की राशि कुल कर-राजस्व का कितना अनुपात रही ?

उत्तर : ब्याज के भुगतान = 4800 करोड़ रुपये
कुल कर-राजस्व = 110941 करोड़ रुपये
अनुपात = 43.3 प्रतिशत
इस प्रकार कुल कर-राजस्व का लगभग 43 प्रतिशत अंश ब्याज चुकाने में चला जाता है। (2003-2004 के सं.अ. के आधार पर)

287. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है :
(अ) जोधपुर (आफरी) (ब) जैसलमेर
(स) गंगानगर (द) बाड़मेर **(अ)**

288. ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुसार केन्द्र के कुल कर-राजस्व की शुद्ध-प्राप्तियों का राज्यों में वितरण किन आधारों पर किया जाएगा ?

उत्तर : *(i)* 10%, (1971 की जनसंख्या के आधार पर)
(ii) 62.5%, प्रति व्यक्ति आय की दूरी के आधार पर
(iii) 7.5%, समायोजित क्षेत्रफल के आधार पर
(iv) 7.5%, आधार-ढाँचे के सूचकांक के आधार पर तथा
(v) 7.5%, राजकोषीय अनुशासन के आधार पर,
(vi) 5% कर-प्रयास।

289. केन्द्रीय मरु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ? (काजरी)
(अ) जैसलमेर (ब) जोधपुर
(स) बाड़मेर (द) बांसवाड़ा **(ब)**

290. ग्यारहवें वित्त आयोग ने प्रति व्यक्ति आय का भार दसवें वित्त आयोग की तुलना में कितना कर दिया है ?

उत्तर : 60% से बढ़ाकर 62.5%.

291. जैसलमेर जिले के तनोट क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है :
(अ) लिग्नाइट (ब) गैस (स) सौर ऊर्जा (द) सभी **(ब)**

292. मारवाड़ का अमृत सरोवर क्या है :

उत्तर : जवाई बांध। इससे मीठा जल उपलब्ध कराया गया है।

293. मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है ?
(अ) कोठारी (ब) बनास (स) माही **(अ)**

294. 2001 के लिए राजस्थान में कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों (total workers) का अनुपात, अर्थात् काम में भाग लेने की दर लिखिए—
***(i)* सभी व्यक्तियों में, *(ii)* पुरुषों में, *(iii)* स्त्रियों में।**

उत्तर : *(i)* 42.1% *(ii)* 50.1%, *(iii)* 33.5%.
[Paper No 3 of 2001, Distribution of Workers and Non-workers, pp 33-38]

इस प्रकार दो मे से एक पुरुष काम मे भाग लेता है, और लगभग तीन मे से एक स्त्री आर्थिक क्रिया मे भाग लेती है।

295. 2001 में राजस्थान में 0 – 6 वर्ष की आयु मे बच्चों का अनुपात कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत रहा?

(अ) 25 (ब) 18 5 (स) 30 (द) 32 (ब)

296. मार्च 2003 के अन्त तक राजस्थान में विद्युतीकृत गाँवों का कुल गाँवों (total number of villages) से कितना प्रतिशत था ?

उत्तर : 97.4%
(Economic Review 2003-2004 (GOR), table 10)

297. 2000 में (SRS-2000 के अनुसार) राजस्थान में प्रति हजार शिशु मृत्यु दर कितनी थी ?

(अ) 80 (ब) 78 (स) 79 (द) 90 (स)

(स्रोत : Economic Survey 2003-2004 p S. 109).

298. बारहवे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

उत्तर. डॉ सी रगराजन।

299. 2002-03 की अवधि में भारत के खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में राजस्थान का अंश कितना था ?

उत्तर : राजस्थान 75.3 लाख टन, भारत का 17.42 करोड़ टन, अत: राजस्थान का अंश 4.3 प्रतिशत रहा । इसमें काफी वार्षिक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं ।

300. मार्च 2004 के अन्त में राजस्थान में अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों, स्वास्थ्य केन्द्रों व उप-केन्द्रों आदि की संख्या कितनी थी ?

उत्तर : 12185

301. राजस्थान में सामान्य थोक मूल्य संचकाको का आधार-वर्ष क्या है?

(अ) 1981-82 (ब) 1970-71
(स) 1952-53 (द) 1962 (स)

302. 2001-02 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय चालू भावं पर तथा 1993-94 के भावों पर लिखिए ।

उत्तर : चालू भावों पर 13738 रुपये तथा 1993-94 के भावों पर 8571 रुपये ।

303. राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण-कार्य, रख-रखाव आदि कौन-सा निगम या संगठन देखता है ?

(अ) रीको (ब) आरएफसी (स) राजसीको
(द) उद्योग-निदेशालय (ए) सभी (अ)

304. राजस्थान में सबसे ज्यादा लागत वाले बहुराष्ट्रीय कम्पनी के प्रोजेक्ट की राशि, नाम, स्थान आदि लिखिए ।

उत्तर : 500 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागत से सेम्कोर ग्लास लि (अमेरिका की कोर्निंग कम्पनी के सहयोग से), टी.वी पिक्चर ट्यूब्स के लिए ग्लास शेल, कोटा में स्थापित ।

305. वर्ष 2003 में राज्य में सभी किस्म के सीमेंट का उत्पादन हुआ—
(अ) 84.5 लाख टन (ब) 76 लाख टन
(स) 66 लाख टन (द) 56 लाख टन (अ)

306. सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है तथा इसके विकास की सम्भावनाएँ लिखिए।

उत्तर : सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र सांगानेर हवाई अड्डे के समीप है। यह गोनेर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है। जयपुर-मुम्बई बड़ी रेल लाइन खुल जाने से इसका महत्त्व काफी बढ़ गया है। यहाँ गारमेंट, इलेक्ट्रोनिक्स, रत्न व आभूषण (जेम्स व ज्यूलरी) तथा दस्तकारियों के लिए पृथक्-पृथक् क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके विकसित होने से जयपुर पर आवासीय भार भी कम किया जा सकेगा। इसे जयपुर के सहायक नगर (satellite town) के रूप में विकसित किया जा सकता है।

307. दसवें वित्त आयोग ने किस प्रकार की सहायतार्थ अनुदान राशि की सिफारिश नहीं की है?
(अ) गैर-योजना राजस्व-घाटे के लिए
(ब) अपग्रेडेशन के लिए
(स) विशेष समस्याओं के लिए
(द) योजना राजस्व-घाटे की पूर्ति के लिए (द)

308. अपग्रेडेशन सहायतार्थ-अनुदान क्या होते हैं?

उत्तर : ये जिला प्रशासन में सुधार व शिक्षा को समुन्नत करने से सम्बद्ध होते हैं। जिला प्रशासन में पुलिस आवास, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस संचार, अग्नि-सेवाएँ आदि आते हैं।

309. दसवें वित्त आयोग ने कर्ज-राहत (debt relief) के आधार क्या रखे थे?

उत्तर : *(i)* राजकोषीय कार्य-सम्पादन की स्थिति,
(ii) राजकोषीय दबाव, जो कर्ज की समस्या को सूचित करता है।

310. दसवें वित्त आयोग के समक्ष सबसे गम्भीर चुनौती का काम क्या था?

उत्तर : राज्यों व केन्द्र के राजस्व-घाटों व राजकोषीय घाटों को कम करने के लिए सुझाव देना ताकि राजकोषीय स्थिति में सुधार हो सके। इसके बिना राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना कठिन है।

311. राजस्थान को केवल 1995-96 के लिए ही 33.45 करोड़ रु. की सहायता-अनुदान राशि क्यों दी गई थी, अन्य चार वर्षों के लिए क्यों नहीं दी गई थी?

उत्तर : दसवें वित्त आयोग का मानना था कि सम्बन्धित कर-राजस्व की राशि का अंश राजस्थान को मिलने के बाद उसे गैर-योजना राजस्व खाते में वर्ष 1996-97 से बचत होने लगेगी। अत: उसे गैर-योजना राजस्व-घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान देने की जरूरत नहीं मानी गई।

312. सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है :
(अ) डूँगरपुर जिला
(ब) उदयपुर जिला
(स) बांसवाड़ा जिला (अ)

313. मार्च 2004 के अंत तक राजस्थान में कितने मुख्य निवासस्थानों (habitations) में पेयजल की सुविधा पहुँचा दी गई थी ?

उत्तर : 37675 निवासस्थानों में ।

314. बीसलपुर परियोजना किस जिले की किस नदी पर बनायी जाने वाली परियोजना है ?

उत्तर : टोंक जिले में बनास नदी पर ।

315. जाखम परियोजना से किस तहसील को सबसे ज्यादा लाभ होगा ?

उत्तर : उदयपुर जिले की धरियाबद तहसील क्षेत्र को ।

316. राजस्थान की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आँकड़ों के प्रमुख पाँच स्रोत बताइए।

उत्तर : *(i)* **Statistical Abstract of Rajasthan, DES, Jaipur, (Latest)**
(ii) Economic Review 2003-2004 Modified Budget Study 2004-2005
Budget At A Glance 2004-2005
(iii) **Some Facts About Rajasthan, (12 July 2004) (Latest)**
(DES, Jaipur) Annual Publication, Pocket-size)
(iv) **Economic Survey 2003-2004 (GOI)**
(Some State-wise tables)
(v) **Basic Statistics, Rajasthan, (Latest)**
(DES, Jaipur)

317. बारहवे वित्त आयोग का अध्यक्ष छांटिए:
(अ) डा पारथसारथी शोम
(ब) यशवत सिन्हा
(स) जसवत सिह
(द) डॉ सी रगराजन
(ए) कोई नहीं (द)

318. गंगा एक्शन प्लान के चरण II में किन नदियों के प्रदूषण को दूर करने का कार्यक्रम है ?

उत्तर : यमुना व गोमती ।

319. राजस्थान में आर्थिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्त्व कौन-सा है ?
(अ) जनसंख्या की तीव्र वृद्धि (ब) पानी की भारी कमी
(स) बिजली की कमी (द) सड़कों की दुर्दशा
(ए) सभी (ब)

320. राजस्थान के आर्थिक विकास में किसके योगदान का महत्त्व माना जाएगा ?
(अ) सूखी खेती की विधियों को अपनाया जाना
(ब) खनन-विकास
(स) पर्यटन-विकास
(द) सभी का (द)

321. राजस्थान में रोजगार संवर्धन की दृष्टि से किस प्रकार के उद्योगों के विकास पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए ?
(अ) खादी व ग्रामीण उद्योगों पर
(ब) खनिज-पदार्थों पर आधारित उद्योगों पर
(स) पशु-धन पर आधारित उद्योगों पर
(द) इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग पर
(ए) सभी पर (अ)

322. केन्द्रीय थर्मल पावर स्टेशनों से सम्बद्ध प्रदेश के राज्यों में पावर के आवंटन का सूत्र लिखिए।

उत्तर : (i) 10% पावर उन राज्यों को दी जाती है जिनमें प्रोजेक्ट लगाया जाता है (होम-स्टेट को देने की व्यवस्था)
(ii) 75% पावर उस प्रदेश के राज्यों में (होम-स्टेट सहित) पिछले 5 वर्षों में दी गई केन्द्रीय योजना सहायता की राशि व इन्हीं वर्षों में उनमें की गई ऊर्जा की खपत को ध्यान में रखकर वितरित की जाती है। इन दोनों तत्त्वों को समान भार दिया जाता है।
(iii) 15% पावर केन्द्र अपने पास बिना-आवंटित किए (unallocated) रख लेता है, ताकि वह वैयक्तिक राज्यों की समय समय पर उत्पन्न होने वाली शीघ्र आवश्यकता (urgent need) की पूर्ति कर सके। जल-विद्युत का विभिन्न राज्यों के बीच वितरण उचित किस्म का होना चाहिए ताकि देश को सर्वाधिक लाभ मिल सके।

323. यमुना जल बंटवारे पर हुए समझौते में विभिन्न राज्यों का जल का हिस्सा बताइए।

उत्तर : 12 मई, 1994 को हुए जल-समझौते के अनुसार हरियाणा को 573 करोड़ घनमीटर, उत्तर प्रदेश को 403 2 करोड़ घनमीटर, राजस्थान को 111 9 करोड़ घनमीटर और हिमाचल प्रदेश को 37 8 करोड़ घनमीटर पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इससे राजस्थान की साढ़े तीन लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी।

324. राजस्थान के राज्य-स्तरीय दो सार्वजनिक उपक्रमों के नाम बताइए जिन्हें बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

उत्तर : (i) राजस्थान राज्य कृषि-उद्योग निगम लि.
(ii) श्रीगंगानगर तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लि., गजसिंहपुर।

325. SWOT विश्लेषण क्या होता है ?

उत्तर : यह Strength, Weakness, Opportunity व Threat विश्लेषण होता है, जिसके आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों का भविष्य निश्चित किया जाता है । इनके प्रतिकूल पाए जाने पर उपक्रम को बन्द करने का निर्णय भी लिया जा सकता है ।

326. सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की पहली इकाई का नियमित उत्पादन कब से प्रारम्भ हुआ ?

(अ) 1 जनवरी 1999 (ब) 3 नवम्बर 1998
(स) अक्टूबर 2000 से होगा (द) कोई नहीं **(ब)**

327. दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?

(अ) डॉ. सी रंगराजन (ब) कृष्ण चन्द्र पंत
(स) एन.के.पी साल्वे (द) बी.पी आर. विट्ठल **(ब)**

328. तिलम संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

उत्तर : राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लि. या तिलम संघ की स्थापना 1990 में हुई थी । इसका उद्देश्य सदस्य कृषकों से तिलहन खरीदना, उसका तेल निकालना व उसको बेचने की व्यवस्था करना है । यह मूँगफली, सरसों, सोयाबीन, आदि का तेल निकालने का कार्य करता रहा है, इसकी सहायक इकाइयाँ कोटा (सोयाबीन के लिए), जालोर, मेड़ता सिटी, झुंझुनूँ, गंगापुर सिटी व श्रीगंगानगर में (सरसों के लिए), बीकानेर में मूँगफली व सरसों के लिए तथा फतेहनगर में मूँगफली के लिए स्थापित की गई । इसे 1990-91 में 1.9 करोड़ रु. का मुनाफा हुआ था । लेकिन 1991-92 व बाद के वर्षों में इसे लगातार घाटा होता रहा है । 1993-94 मे लगभग 11 करोड़ रु. का घाटा हुआ, जो 2000-01 में बढ़कर 130 करोड़ रु. से अधिक हो गया था । तिलम-संघ की वित्तीय घाटों के कारण काफी आलोचना की गई है । **बाद में इसकी पाँच इकाइयों बीकानेर, जालोर, झुंझनूँ, मेड़ता सिटी व गंगापुर सिटी बंद हो गयीं और तीन इकाइयाँ कोटा, फतेहनगर, व श्रीगंगानगर की चालू रहीं । लेकिन इनकी वित्तीय स्थिति भी ठीक नहीं है ।**

329. ग्यारहवें वित्त आयोग ने सहायतार्थ-अनुदान किन-किन मदों के अन्तर्गत दिए हैं ?

उत्तर : *(i)* गैर-योजना राजस्व-घाटे के लिए
(ii) उन्नयन (अपग्रेडेशन) व विशेष समस्याओं के लिए
(iii) स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगर-पालिकाओं) के लिए
(iv) राहत-व्यय के लिए ।

330. संविधान के अनुच्छेद 268 में लगाए जाने वाले करों का लक्षण बताइए।

उत्तर : ये केन्द्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में इनको एकत्र करते हैं और प्राप्त-राशियाँ अपने पास रखते हैं।

331. संविधान के अनुच्छेद 269 में लगाए जाने वाले करों की क्या विशेषता होती है?

उत्तर : ये भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और उसी के द्वारा इनकी राशि एकत्र की जाती है, लेकिन इनसे प्राप्त कर राजस्व को पूरी तरह से राज्यों को दे दिया जाता है।

332. 1990-95 की अवधि में केन्द्र ने आयकर, मूलभूत उत्पाद-शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क तथा रेल यात्री किराये पर कर की एवज में अनुदान की इकट्ठी राशि का कितना प्रतिशत राज्यों को वितरित किया था?

उत्तर : 27 26%

333. 2003-2004 के संशोधित अनुमानों में राजस्थान के लिए ब्याज की देनदारी कुल राजस्व-व्यय का कितना अंश रही?

उत्तर : ब्याज की देनदारी = 4800 करोड़ रु., कुल राजस्व प्राप्तियाँ = 15703 करोड़ रु. इसलिए ब्याज की देनदारी कुल राजस्व प्राप्तियों का 30.6% (लगभग 31%) अनुमानित है।

334. 'अपना गाँव अपना काम' का अर्थ लिखिए।

उत्तर : **यह योजना राजस्थान में एक जनवरी 1991 से आरम्भ की गई थी।** इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण जनता की सच्ची भागीदारी विकसित करना है। इसकी वित्तीय व्यवस्था में 50% अंश जनता व ग्राम पंचायत के योगदान का होता है (न्यूनतम 30% राशि जनता के योगदान के रूप में नकद, श्रम या माल के रूप में दी जाती है) और 50% राज्य का पूरक हिस्सा होता है, जो AGAK कोष से दिया जाता है।

335. बीसलपुर परियोजना से किन शहरों को लाभ होगा?

उत्तर : जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ व ब्यावर नगरों को लाभ होगा। इनके लिए पेयजल की आपूर्ति बढ़ेगी। सिंचाई में भी लाभ मिलेगा।

336. राजस्थान सरकार आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम को कहाँ तक अपना पाई है?

उत्तर : औद्योगिक नीति, जून 1994, तथा पुनरीक्षित नई औद्योगिक नीति, जून 1998, नई खनिज नीति, अगस्त 1994, नई सड़क नीति, दिसम्बर 1994 तथा पर्यटन विकास-कार्यक्रम आर्थिक उदारीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों को सूचित करते हैं। राज्य सरकार निजी विनियोगों (देशी व विदेशी) को प्रोत्साहन दे रही है, ताकि औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सके। **राजस्व-घाटे व राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राजकोषीय**

संतुलन की दशा उत्पन्न की जा सके। उद्योगों में इन्सपेक्टर-राज कम किया जा रहा है । निर्णय की प्रक्रिया तेज की जा रही है । घाटे में चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बंद करने, अथवा उनका निजीकरण करके, उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयास जारी हैं । इस दिशा में राज्य सरकार को अधिक ठोस कदम उठाने होंगे । बिक्री कर-व्यवस्था में काफी सरलीकरण किया गया है । 1989 के स्थान पर बिक्री-कर मुक्ति/आस्थगन स्कीम, 1998 लागू की गई थी । पावर के क्षेत्र में निजी कम्पनियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे । उन पर निर्णय के प्रयास किये गये थे । पावर के क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया तेजी से लागू की जा रही है । RSEB के स्थान पर 5 कम्पनियाँ पंजीकृत की गई हैं ।

337. बीमारू (BIMARU) राज्यों में कौन-से राज्य शामिल होते हैं ?

उत्तर : बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश । स्वर्गीय प्रो. पी.आर. ब्रह्मानंद ने अपने एक लेख में बीमारू (BOMARU) राज्यों का उल्लेख किया था । इसमें उड़ीसा भी शामिल किया गया था ।

338. ''शिक्षाकर्मी'' योजना क्या है ?

उत्तर : यह 'सीडा' (स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी) के सहयोग से गाँवों में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्यान्वित की जा रही है । इसमें गाँवों के शिक्षित युवकों (पुरुष व महिलाओं दोनों को) प्रशिक्षण देकर गाँवों में अध्यापक के रूप में रोजगार दिया जाता है । ये शिक्षाकर्मी दिन में तथा रात को पाली में स्कूलें चलाते हैं । इस योजना के लिए एक स्वशासित बोर्ड का भी गठन किया गया है ।

339. राज्य में औद्योगिक विकास केन्द्र कहाँ-कहाँ स्थापित किए गए हैं ?

उत्तर : बीकानेर (2) धौलपुर, झालावाड़, आबूरोड़, भीलवाड़ा, नागौर व सीकर (पलसाना) । कुल 8 औद्योगिक विकास केन्द्र हैं । (रीको द्वारा स्थापित)

340. राज्य में 1 अप्रेल, 2004 से न्यूनतम मजदूरी की दरें लिखिए ।

उत्तर : अदक्ष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 73 रु.

अर्द्ध-दक्ष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 77 रु.

दक्ष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 81 रुपये । इनमें मंहगाई बढ़ने के कारण समय-समय पर वृद्धि की घोषणा की जाती है ।

341. राज्य में भेड़-पालन के सम्बन्ध में मुख्य तथ्य दीजिए ।

उत्तर : *(i)* 1997 मे भेडों की सख्या 1.46 करोड (सशोधित), देश की कुल भेडजाति के पशुओ की सख्या का लगभग एक चौथायी,

(ii) 2 लाख से अधिक परिवार ऊन--प्रोसेसिंग की क्रिया मे सलग्न,

(iii) 204 लाख किलो ऊन का वार्षिक उत्पादन (2002-03 में)

(iv) प्रतिवर्ष कई लाख भेड-बकरी माँस के लिए प्रयुक्त की जाती हैं ।

342. राज्य में कृषिगत उत्पादन के सूचकांक का आधार-वर्ष है :

(अ) 1979-80 (ब) 1981-82

(स) 1979-80 से 1981-82 का औसत (द) 1982-83 **(स)**

"सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान" प्रश्न-पत्र, आर.ए.एस. परीक्षा, 1994, (दिनांक 10 दिसम्बर 1995) से लिए गए प्रश्न

343. सहकारी साख समितियों का ढाँचा है—
(1) एक-स्तरीय (2) द्वि-स्तरीय
(3) त्रि-स्तरीय (4) चतुर्थ-स्तरीय (3)

344. प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक सम्भावनाएँ हैं जिनका आधार है—
(1) पशुधन (2) कृषि (3) खनिज (4) वन (3)

345. इस वर्ष इन्दिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है—
(1) दस लाख मकानों का निर्माण
(2) बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति
(3) अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना
(4) केन्द्र द्वारा दस करोड़ रुपये का प्रावधान (1)

346. जिस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है, वह है—
(1) बाड़मेर (2) जयपुर
(3) जैसलमेर (4) बाँसवाड़ा (1)

347. राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है—
(1) अरावली का दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर प्रसार
(2) अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा
(3) मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण
(4) विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग (2)

348. अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य है—
(1) मिट्टी अवक्रमण को नियन्त्रित करना
(2) थार-मरुस्थल के प्रसार को रोकना
(3) वनों के नष्ट होने को रोकना
(4) पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना (4)

349. अपना गाँव, अपना काम योजना प्रारम्भ की गई—
(1) 1 दिसम्बर, 1990 को (2) 1 जनवरी, 1991 को
(3) 15 अगस्त, 1990 को (4) 2 अक्टूबर, 1991 को (2)

350. बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को 'आधुनिक भारत के मन्दिर' किसने कहा था ?
(1) डॉ राजेन्द्र प्रसाद (2) जवाहरलाल नेहरू
(3) श्रीमती इन्दिरा गाँधी (4) महात्मा गाँधी **(2)**

351. अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी—
(1) प्रथम योजना में (2) द्वितीय योजना में
(3) तृतीय योजना में (4) चतुर्थ योजना में **(1)**

352. दिसम्बर 1999 में लघु उद्योगों के लिए पूँजी-विनियोग की सीमा है—
(1) 60 लाख रु (2) एक करोड़ रु.
(3) 35 लाख रु (4) तीन करोड़ रु **(2)**

353. राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है—
(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (2) प्राथमिक सहकारी बैंक
(3) राज्य सहकारी बैंक (4) केन्द्रीय सहकारी बैंक **(4)**

354. कथन (A) : विश्व में पर्यावरण-अवक्रमण की गम्भीर समस्या है ।
कारण (R) : इस समस्या का प्रमुख कारण है मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण ।
(1) A सही है परन्तु R असत्य है
(2) A एवं R दोनों सही हैं
(3) A असत्य है परन्तु R सही है
(4) A सही है परन्तु R आंशिक रूप से ही सही हे । **(4)**

355. नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खम्भात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह है—
(1) लूनी (2) माही (3) जवाई (4) पार्वती **(2)**
(मध्य प्रदेश के धार जिले में विन्ध्याचल पहाडी से उंद्गम)

356. सातवीं योजना का प्रमुख नारा था—
(1) भोजन, काम और उत्पादकता
(2) सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा
(3) राष्ट्रीय आय की पाँच प्रतिशत वृद्धि दर
(4) सामुदायिक विकास कार्यक्रम **(1)**

357. निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना है—
(1) द्वितीय पंचवर्षीय योजना (2) तृतीय पंचवर्षीय योजना
(3) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (4) पंचम पंचवर्षीय योजना **(4)**

358. महानदी पर निर्मित बाँध का नाम है—
(1) भाखड़ा नांगल (2) गाँधी सागर
(3) हीराकुण्ड (4) तुंगभद्रा **(3)**

359. कथन (अ)—राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थली जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं
कारण (ब)—इन्दिरा गाँधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएँ प्रदान कर दी हैं
उपयोग कीजिए यदि—
(1) कथन सही है और कारण भी सही है
(2) कथन गलत है और कारण भी गलत है
(3) कथन सही है परन्तु कारण गलत है
(4) कथन गलत है, परन्तु कारण सही है (4)

360. कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक मात्र संस्था है—
(1) आर बी आई (2) नाबार्ड
(3) ए आर.डी सी (4) नाफेड (2)

361. राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है—
(1) बनास नदी का प्रवाह-क्षेत्र
(2) राजस्थान का दक्षिणी भाग
(3) हाड़ौती-पठार
(4) अरावली के दोनों तरफ के भाग (1)

362. राजस्थान के जिस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की केयर्न एनर्जी बिट्रिश कम्पनी द्वारा नयी खोजें की गयी हैं, वह है—
(1) बाड़मेर (2) जालौर
(3) जैसलमेर (4) गंगानगर (1)

363. मई सन् 1994 में सम्पन्न यमुना नदी जल के बँटवारे सम्बन्धी समझौते के अनुसार राजस्थान को मिलने वाले जल की मात्रा है—
(1) 800 क्यूसेक (2) 70 करोड़ घनमीटर
(3) 111 9 करोड़ घनमीटर (4) 120 5 करोड़ घनमीटर (3)

364. कडाना बांध किस राज्य में किस नदी पर बनाया गया है ?
उत्तर : गुजरात राज्य में माही नदी पर।

365. निम्नांकित में से कौनसा एक जोड़ा सही है—
गरीबी-रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत (1993-94)

	राज्य	प्रतिशत
(1)	पंजाब	45 3
(2)	बिहार	13 8
(3)	उत्तर प्रदेश	49 5
(4)	राजस्थान	34 3

(4)
(प्रश्न में त्रुटि है) (यह 1983-84 के लिए है)

366. भारत में सबसे महत्त्वपूर्ण लघु-स्तर उद्योग है—

(1) वस्त्र उद्योग (2) कागज उद्योग

(3) हाथकरघा उद्योग (4) जूट उद्योग (3)

367. निम्नांकित को सुमेल कीजिए—

बाँध	स्थान
A जवाहर सागर बाँध	I चित्तौड़गढ़
B राणा प्रताप सागर बाँध	II कोटा
C उम्मेद सागर बाँध	III बाँसवाड़ा
D बजाज सागर बाँध	IV भीलवाड़ा

	A	B	C	D
(1)	I	IV	III	II
(2)	II	I	IV	III
(3)	I	II	III	IV
(4)	III	IV	I	II

(2)

368. भारत का योजना आयोग है—

(1) एक स्वायत्तशासी संस्था (2) एक सलाहकार संस्था

(3) एक संवैधानिक संस्था (4) एक वैधानिक संस्था (2)

369. सहकारी तन्त्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है—

(1) उदयपुर में (2) श्रीगंगानगर में

(3) भूपालसागर में (4) केशोरायपाटन में (4)

370. निम्नांकित में से कौनसा एक युग्म गलत है? (प्रश्न बदलने पर)

जनगणना, 2001

जिला	लिंग-अनुपात
(1) धौलपुर	830
(2) डूँगरपुर	1027
(3) जैसलमेर	821
(4) जालोर	968

(1)

371. बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति-परियोजना का प्रस्तावित स्थान है—

(1) कपूरडी (2) जालीपा (3) बाड़मेर (4) चौहटन (2)

372. जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है, वे हैं—

(1) रॉक-फॉस्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम

(2) ग्रेनाइट, संगमरमर एवं बलुआ-पत्थर

(3) सीसा, जस्ता एवं ताँबा

(4) अभ्रक, घीया पत्थर एवं फ्लोराइट (1)

373. पूर्व में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है—

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम
(2) समग्र ग्रामीण विकास
(3) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
(4) ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम (3)

374. औद्योगिक उद्यमीयता ज्ञापन (Industrial Entrepreneurial Memorandum) (IEM) किसे कहते हैं ?

उत्तर : भारत सरकार की 1991 की नई औद्योगिक नीति के अनुसार जिन उद्योगों में अनिवार्य लाइसेंस-व्यवस्था नहीं है, उनमें नई औद्योगिक इकाई लगाने के लिए उद्यमकर्त्ता को उद्योग-मंत्रालय, नई दिल्ली के **'सेक्रेटेरिएट ऑफ इण्डस्ट्रियल अप्रूवल्स' (SIA)** में एक निर्धारित फार्म पर ज्ञापन देना होता है जिसमें यह सूचित किया जाता है कि वह एक बड़े/मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाई स्थापित करना चाहता है। उसे अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी उपक्रम स्थापित करने की स्वतन्त्रता होती है। राजस्थान के लिए जुलाई 1991 से दिसम्बर 2000 तक ऐसे 2113 IEMs भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें 35173 करोड़ रु का विनियोजन प्रस्तावित किया गया था। **इनके रजिस्ट्रेशन में विनियोजन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में नवाँ स्थान रहा था।** (Hindu Survey of Indian Industry 2001, p 16)

375. वर्ष 1999-2000 के लिए राजस्थान के निर्यातों का अनुमान छाँटिए-

(1) 2700 करोड़ रु (2) 2500 करोड़ रु
(3) 3050 करोड़ रु (4) 4623 करोड़ रु (4)

376. राजस्थान में गैर-विभागीय केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में विनियोजन (परिसम्पत्तियों) का अंश 1999-2000 में कितना रहा?

(1) 1.5% (2) 5% (3) 2.2% (4) 0.5% (3)

(स्रोत Hand Book of Industrial Policy And Statistics, 2001, p. 368)

377. राज्य के लिए निम्न प्रस्तावित विद्युत-परियोजनाओं में सर्वाधिक सृजन-क्षमता किसकी व कितनी होगी ?

(अ) बरसिंगसर (ब) जालीपा
(स) धौलपुर (द) कपूरडी **(ब)**

(1000 मेगावाट)

378. चम्बल पावर लि. की ओर से बूँदी में 166 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना किस पर आधारित की गयी थी ?

(अ) सौर-ऊर्जा (ब) लिग्नाइट (स) डीजल (द) नेफ्था **(द)**

379. बाड़मेर में जिस ऊर्जा-संयंत्र का फरवरी 1996 में उद्घाटन हुआ था, उसका परिचय दीजिए।

उत्तर : इसे बाड़मेर में **आगोरिया गाँव** में लगाने का कार्यक्रम था। यहाँ 50 मेगावाट का सौर-ऊर्जा संयंत्र लगाना था जो **सन सोर्स इण्डिया** द्वारा थिन फिल्म फोटो वोल्टेइक तकनीक पर लगाया जाना था। इसकी लागत 400 करोड़ रु अनुमानित की गई थी। लेकिन बाद में इसे नहीं लगाया गया।

380. सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह की दूसरी इकाई का लोकापर्ण कब हुआ ?

उत्तर : 13 अक्टूबर 2000 को।

381. राजस्थान सरकार द्वारा कृषकों को बिजली का कनेक्शन देने की 'नर्सरी योजना' कब से समाप्त कर दी गई ?

(अ) 1 अप्रैल 1999 से (ब) 1 अप्रैल 1998 से

(स) 1 अप्रैल 2000 से (द) 1 अप्रैल 2001 से **(अ)**

382. 'SEEZ किसे कहते हैं ?

उत्तर : इसका पूरा नाम **Solar Energy Enterprise Zone** (सौर-ऊर्जा-उपक्रम क्षेत्र) है। इसके अन्तर्गत जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर के क्षेत्र शामिल होते हैं, जहाँ सौर-ऊर्जा के विकास की विपुल सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में सौर-ऊर्जा के विकास की अत्यधिक सम्भावनाएँ हैं जिनका विदोहन करके न केवल राजस्थान अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगा, बल्कि वह अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करने की स्थिति में आ सकेगा।

383. राजस्थान में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए तीन प्रमुख आधार बताइए।

उत्तर : *(i)* इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, सड़क, जलपूर्ति पर अधिक ध्यान,

(ii) खनन-विकास

(iii) पशुधन व डेयरी विकास।

384. राजस्थान पर अत्यधिक कर्ज का भार होने व प्रति वर्ष ब्याज की देनदारी बढ़ते जाने पर भी राज्य के वित्तीय प्रबन्ध को प्रायः सराहा जाता है। ऐसा क्यों है ?

उत्तर : *(i)* राज्य ने वार्षिक योजना में वास्तविक विनियोजन लक्ष्य के मुताबिक किया है, और पंचवर्षीय योजना के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि की है,

(ii) सरकार ने अतिरिक्त साधन-संग्रह लक्ष्य से अधिक किया है,

(iii) सरकार व प्रशासन बजट–घाटे को कम करने के लिए कृतसकल्प है और राज्य के बजट मे अतिरिक्त साधन–सग्रह करने की दिशा मे कुछ प्रयास किया जाना चाहिए।

(iv) गैर-योजना व्यय में कमी करने का प्रयास किया गया है और आंगे भी इस दिशा में प्रयास जारी रहेगा ।

385. पिछले कई वर्षो से राजस्थान सरकार की सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता किन बातों से प्रगट होती है ।

उत्तर : *(i)* नियोजन में सामाजिक क्षेत्र को सिंचाई व विद्युत के बाद काफी ऊँची प्राथमिकता दी गई है, *(ii)* पूर्व राज्य सरकार द्वारा 1994-95 का बजट 'शिक्षा' को समर्पित किया गया था, 1995-96 का बजट 'चिकित्सा व स्वास्थ्य' को समर्पित किया गया, 1996-97 के बजट में 'पेयजल' को सर्वोपरि प्राथमिकता दी गई थी और 1997-98 का बजट समाज के कमजोर व निर्धन वर्ग को समर्पित किया गया था । 1999-2000 का बजट किसी विभाग या सेवा को समर्पित नहीं करके सीधे राज्य की जनता को समर्पित किया गया । 2000-2001 का बजट राजकोषीय सुदृढ़ीकरण व वित्तीय अनुशासन को समर्पित किया गया । अत: राज्य सरकार सामाजिक व राजकोषीय आवश्यकताओं के प्रति काफी सजग व जागरूक रही है । 2004-05 के परिवर्तित बजट में सभी आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है ।

386. राज्य में 'विनिर्माण' क्षेत्र का आमदनी में योगदान कैसे बढ़ाया जा सकता है ?

उत्तर : *(i)* इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं का, विशेषतया पिछड़े क्षेत्रों में विस्तार करके,
(ii) खनिज-आधारित उद्योगों, पशु-आधारित उद्योगों व पर्यटन को प्रोत्साहन देकर एवं राज्य के हथकरघा उद्योग व दस्तकारियों का विकास करके ।

387. औद्योगिक कॉम्पलेक्स स्थापित करने से क्या लाभ है ?

उत्तर : इससे एक स्थान पर एक प्रकार के उद्योगों का संकुल व समूह बन जाता है जिससे उनके विकास को अधिक प्रोत्साहन मिलता है और कई प्रकार की बाह्य किफायतें (external economies) मिलने लग जाती हैं । इससे लागत घटाने व उद्योग की समस्याएँ हल करने में मदद मिलती है ।

388. आर्थिक सुधार व उदारीकरण की दृष्टि से राज्य को कौन-सा दर्जा दिया जा सकता है ?

(अ) अत्यधिक प्रगतिशील (ब) प्रगतिशील
(स) साधारण प्रगतिशील (द) पिछड़ा हुआ ।

(ब) नीति निर्धारण में, (स) क्रियान्वयन में ।

389. राज्य के प्रथम वित्त आयोग ने स्थानीय संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने शुद्ध कर-राजस्व का कितना अंश इनको वितरित किए जाने की सिफारिश की है ?

(अ) 4% (ब) 2.18% (स) 5% (द) 1% **(ब)**

390. राज्य की 2004-2005 की वार्षिक योजना में सर्वाधिक वरीयता किस क्षेत्र के लिए प्रस्तावित की गई है ?

(अ) सिंचाई व विद्युत को

(ब) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ को

(स) ग्रामीण विकास को

(द) कृषि व सम्बद्ध सेवाओ को (ब)

391. राज्य की 2003-04 की वार्षिक योजना में वास्तविक व्यय कितना रहा ?

उत्तर : 6044 करोड़ रु. ।

(प्रस्तावित परिव्यय 5505 करोड़ रु. था ।)

"सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान" प्रश्न-पत्र, आर.ए.एस. परीक्षा, 1995 (अक्टूबर 1996) से लिए गए प्रश्न

392. 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है— (प्रश्न बदल कर)

(1) जालौर (2) बाड़मेर

(3) जैसलमेर (4) बाँसवाड़ा (1)

393. निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है—

(1) उष्ण कटिबन्धीय शुष्क

(2) उष्ण कटिबन्धीय कँटीली

(3) उष्ण कटिबन्धीय मरुस्थलीय

(4) उष्ण कटिबन्धीय तर पतझड़ी (4)

394. मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है—

(1) शुष्क-कृषि विधि

(2) खेती में जिप्सम का उपयोग

(3) वृक्षारोपण

(4) समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि (2)

395. किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया—
(1) गुजरात (2) राजस्थान
(3) बिहार (4) आंध्र प्रदेश (2)

396. निम्नांकित को सुमेल कीजिए—
A वन्यजीव विहार I सरिस्का
B केवलादेव उद्यान II जैसलमेर
C मरु राष्ट्रीय उद्यान III भरतपुर
D टाइगर रिजर्व IV जयसमन्द
चुनिए—

	A	B	C	D
(1)	I	II	III	IV
(2)	IV	III	II	I
(3)	III	I	II	IV
(4)	I	IV	I	III

(2)

397. निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है—

	जिला	लिंग-अनुपात
(1)	सिरोही	952
(2)	जैसलमेर	910
(3)	अलवर	889
(4)	बाँसवाड़ा	969

(2)
(1991 में इसका लिंग-अनुपात = 807 था।)
(सिरोही व अलवर के आँकड़े भी पूरे सही नहीं हैं।)
(सिरोही का सही अंक 949 व अलवर का 880 था।)

398. निम्न में से किसके द्वारा गरीबी को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है ?
(1) कृषि की उत्पादकता (2) बेरोजगारी
(3) पोषणिक आवश्यकताएँ (4) आय में असमानता (3)

399. निम्न में से कौन-सा युग्म सही है ?

	प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र (राजस्थान)	प्रतिशत जनसंख्या (राजस्थान)
(1)	60	40
(2)	55	45
(3)	50	50
(4)	40	60

(1)

400. सागवान-रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं—
(1) भरतपुर एवं अलवर (2) श्रीगंगानगर एवं बीकानेर
(3) जालौर एवं सिरोही (4) बाँसवाड़ा एवं उदयपुर **(4)**

401. 'स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान' विकास से सम्बन्धित है—
(1) अनुसूचित जाति के (2) अनुसूचित जनजाति के
(3) नगरीय समुदाय के (4) ग्रामीण समुदाय के **(1)**

402. डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न जिलों से सम्बन्धित है—
(1) कोटा, बूँदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर
(2) जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर
(3) उदयपुर, बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, चित्तौड़गढ़
(4) नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर **(1)**
(अब बारां, झालावाड़, भरतपुर व करौली सहित कुल 8 जिले)

403. संलग्न राज्यों का जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता नहीं है—
(1) भटिण्डा (2) भिवानी (3) झाबुआ (4) भुज **(4)**

404. राजस्थान में 'भूरी क्रान्ति' का सम्बन्ध है—
(1) खाद्यान्न प्रसंस्करण (2) भैंस दूध उत्पादन
(3) ऊन उत्पादन (4) बकरी के बालों का उत्पादन
(1)

405. 'सेवण घास' किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है ?
(1) बाड़मेर (2) जोधपुर (3) जैसलमेर (4) सीकर **(3)**

406. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना में 'लिफ्ट नहरों' की संख्या है—
(1) 8 (2) 7 (3) 6 (4) 5 **(2)**
(बांगड़सर सहित)

407. राजस्थान में प्रस्तावित 'निर्यात-संवर्धन औद्योगिक उद्यान' को निम्न की सहायता से स्थापित किया जाएगा—
(1) जापान (2) विश्व बैंक
(3) भारत सरकार (4) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण
(3)

408. सौर-ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र सम्बन्धित है जिलों से—
(1) जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर (2) जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर
(3) नागौर, जोधपुर, पाली (4) जोधपुर, जालौर, बाड़मेर **(1)**

409. इजरायल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाएगा वह है—
(1) सूर्यमुखी (2) सोयाबीन (3) बाजरा (4) होहोबा **(4)**

410. नया 'अन्तर्देशीय आधान (Container) डिपो' निकट भविष्य में राजस्थान में स्थापित होगा—
(1) जयपुर में (2) कोटा में
(3) जोधपुर में (4) उदयपुर में (3)

411. राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है—
(1) ब्यावर (2) गोटन
(3) निम्बाहेड़ा (4) चित्तौड़गढ़ (2)

412. प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा-परियोजना निम्न में से किस स्थान पर है—
(1) धौलपुर (2) जालीपा
(3) भिवाड़ी (4) रामगढ़ (4)

413. राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है—
(1) मैंगनीज (2) क्रोमाइट
(3) अभ्रक (4) बॉक्साइड (3)

414. निम्न में से कौन-सा युग्म जो पशु-मेले से सम्बन्धित है—सही है

पशु मेला	स्थान
(1) मल्लीनाथ	(1) तिलवाड़ा
(2) बलदेव	(2) नागौर
(3) रामदेव	(3) रामदेवरा
(4) तेजा	(4) पुष्कर

(1)

415. निम्न में से कौन-सा युग्म सही है—
(1) कोठारी-लूनी (2) सुकड़ी-बनास
(3) जाखम-माही (4) बाणगंगा-चम्बल (3)

416. 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' का उद्देश्य है, आधारभूत ढाँचा उपलब्ध करवाना—
(1) नगरीय जनसंख्या को (2) ग्रामीण जनसंख्या को
(3) ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या को (4) जनजाति जनसंख्या को (2)

अन्य विविध प्रकार के प्रश्न

417. राजस्थान वित्त निगम की स्वर्ण कार्ड (गोल्ड कार्ड) योजना क्या है ?

उत्तर : इस स्कीम के तहत राजस्थान वित्त निगम द्वारा नियमित रूप से कर्ज अदायगी कर्त्ताओं को कार्यशील पूँजी तथा अतिरिक्त परिसम्पत्ति के लिए 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस सम्बन्ध में लघु उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

418. राजस्थान परमाणु बिजलीघर की तीसरी व चौथी इकाई (2 × 220 मेगा-वाट) राष्ट्र को कब समर्पित की गई :

(अ) 18 मार्च 1999 (ब) 18 मार्च 2000

(स) 18 मार्च 2001 (द) अभी नहीं **(स)**

419 ऐसे दो राज्यों के नाम छाँटिए जिनमें कृषिगत उत्पादन मे स्थिर भावों पर सर्वाधिक उतार–चढ़ाव पाए जाते हैं—

(1) राजस्थान (2) मेघालय

(3) महाराष्ट्र (4) गुजरात **(1) व (4)**

420. निम्न कर-स्त्रोतो से सर्वाधिक राजस्व राजस्थान को किस स्त्रोत से मिलता है ?

(1) राज्य का केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों में अंश

(2) राज्य का केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में अंश

(3) राज्य आबकारी कर

(4) बिक्री-कर **(4)**

421. 2003-04 में राजस्थान की सकल घरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावों पर) कितनी आंकी गयी है ?

(1) 90 हजार करोड़ रु. (2) 1 लाख करोड़ रु.

(3) 95 हजार करोड़ रु. (4) 80 हजार करोड़ रु. **(2)**

422. भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ापन किस झलकता है?

(1) यहाँ फेक्ट्रियों की संख्या कम है (2) इनमे स्थिर पूँजी की मात्रा कम है,

(3) फैक्ट्रियो मे रोजगार कम है (4) सभी (4)

423. एशियन विकास बैंक से 6 प्रमुख शहरो के सम्पूर्ण ढांचागत विकास के लि कितनी राशि स्वीकृत की गई?

उत्तर· 1529 करोड रु इसमे वृद्धि की आशा है।

424. वर्ष 2003-04 में राजस्थान में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) में लगभग कितने करोड़ रु. व्यय किये गये ?

(1) 50 करोड़ रु. (ब) 170 करोड़ रु.

(स) 221 करोड़ रु. (द) 120 करोड़ रु. **(3)**

425. संक्षिप्त परिचय दीजिए—

(1) शिक्षाकर्मी योजना (2) सरस्वती योजना

(3) गुरु मित्र योजना

उत्तर : (1) शिक्षाकर्मी योजना—स्वीडन की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (सीडा) की सहायता से राज्य के दुर्गम (Difficult) ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत 1877 औपचारिक स्कूलों व 3520 अनौपचारिक केन्द्रों को

प्रारम्भ किया गया हे, अथवा पुनर्जीवित किया गया है । 6-14 वर्ष के आयु समूह में 83% लड़कियों का नामांकन किया गया हे और इस प्रकार की स्कूलों व केन्द्रों में गाँवों में लगभग 80% औसत उपस्थिति पाई गई है । 1997 98 के अन्त तक इसे 143 विकास खण्डों में लागू करने का लक्ष्य घोषित किया गया था ।

(2) सरस्वती योजना—यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियो की शिक्षा को बढावा देने के लिए लागू की गई है । इसके अन्तर्गत शिक्षित महिलाएँ अपने घर पर ही लडकियो को पढ़ाने का कार्यक्रम चलाती है । वर्तमान में यह स्कीम राज्य के सभी जिलां मे लागू कर दी गई है ।

(3) गुरुमित्र योजना—राज्य के 10 जिलों में कार्यान्वित की जा रही हे । इसके *अन्तर्गत अध्यापकों का प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता* है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता ह । यह यूनीसेफ की सहायता से बीकानेर व जयपुर जिला को गदा वस्तिया में भी क्रियान्वित की जा रही है ।

426. निम्न राज्य स्तरीय पशु मेलो के स्थान लिखिए—

(1) श्री मल्लीनाथ पशु मेला (2) श्री बलदेव पशु मेला
(3) श्री गागामेड़ी पशु मेला (4) श्री वीर तेजाजी पशु मेला
(5) श्री रामदेव पशु मेला

उत्तर : (1) तिलवाडा (2) मेड़ता शहर (नागोर)
(3) श्रीगगानगर (4) परबतसर (नागौर)
(5) नागार

427. निम्न नदियाँ किस नदी मे मिलनी अथवा कहाँ गिरती हैं ?

(1) चम्बल (2) बनास (3) लूनी (4) माही
(5) बाणगंगा

उत्तर : (1) यमुना में (2) चम्बल मे
(3) इसका अधिकांश पानी राजस्थान-गुजरात सीमा पर झील की तरह फेल जाता ह, यह किसी अन्य नदी मे नहीं मिलती । यह गर्मियों मे सूख जाती हे । इसकी सहायक नदियो में सूकड़ी, जोजरी, जवाई बांडी आदि के नाम उल्लेखनीय हें ।
(4) खम्भात की खाड़ी मे (5) यमुना में ।

428. राज्य में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया गया है ?

(अ) जापान (ब) स्वीडन
(स) भारत सरकार (द) विश्व बेंक **(द)**

429. "कामधेनु" योजना क्या हे ?

उत्तर : 1997-98 में गोशालाओं को उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केन्द्र बनाने के लिए 'कामधेनु' नाम की नई योजना प्रारम्भ की गइ था । इसका लाभ कृषि विकास केन्द्र व सक्षम स्वयंसेवी संस्थाओं को प्राप्त होगा । बाद में चयनित निजी पशुपालक भी इसके अन्तर्गत लाए जाएँगे :

430. राजस्थान के 2004-2005 के परिवर्तित बजट में अनुमानित राजस्व प्राप्तियाँ छाँटिए—
 (1) लगभग 17384 करोड़ रु. (2) 12130 करोड़ रु.
 (3) 8000 करोड़ रु. (4) 9000 करोड़ रु. (1)

431. राज्य के 2004-05 के परिवर्तित बजट में अनुमानित राजस्व-व्यय छाँटिए—
 (1) 17120 करोड़ रु. (ब) 8320 करोड़ रु.
 (स) 19588 करोड़ रु. (द) 14197 करोड़ रु. (3)

432. निम्न बड़ी नदी-प्रणालियों में किसका प्रवाह- क्षेत्र (Catchment area) सर्वाधिक है?
 (1) बनास (2) लूनी (3) चम्बल (4) माही (1)

433. राज्य के किस जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक अंश वनों के अन्तर्गत आता है और वह लगभग कितना है?

उत्तर : सिरोही जिला, लगभग 31%

434. 2001-02 में राजस्थान के किस जिले में वन-क्षेत्र कुल क्षेत्र का सर्वाधिक अंश था और कितना था?

उत्तर : करौली जिला, 33.8%

435. 2001-02 में किस जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्रफल का सर्वाधिक अंश था, और वह कितना था?

उत्तर : गंगानगर जिला, 82.5%

436. निम्न झीलों के जिले लिखिए—
 (1) पचपदरा (2) राजसमंद (3) अन्नासागर (4) सिलीसेढ़
 (5) कडाणा बाँध

उत्तर : (1) बाड़मेर (2) उदयपुर (3) अजमेर (4) अलवर
 (5) बाँसवाड़ा

437. राजस्थान में कृषियोग्य व्यर्थ भूमि (Culturable Wasteland) का क्षेत्र सबसे ज्यादा किस जिले में है? उसमें राज्य की कुल कृषियोग्य व्यर्थ भूमि का कितना अंश पाया जाता है? (2001-02 में)
 (1) जालोर (2) बाड़मेर
 (3) पाली (4) जैसलमेर (54.5%) (4)

438. राजस्थान में 2001-02 में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल (net area sown) सर्वाधिक किस जिले में पाया गया था? उसका क्षेत्रफल भी बताइए।
 (1) बाड़मेर (2) बीकानेर (3) चुरू (4) जोधपुर
 (5) नागौर (6) गंगानगर (1)
 (16.49 लाख हैक्टेयर)

439. छापी डेम किस जिले में स्थित है ?

(अ) धौलपुर	(ब) भीलवाड़ा
(स) झालावाड़	(द) बारां (स)

440. राजस्थान में आर्थिक अस्थिरता व भारी उतार-चढ़ाव की दशा को ठीक करने के लिए सर्वाधिक बल किस पर दिया जाना चाहिए ?
(1) रोजगार-संवर्धन पर
(2) कृषिगत उत्पादन बढ़ाने पर
(3) सिंचाई की क्षमता बढ़ाने व उसका कार्यकुशलता से उपयोग करने पर
(4) गैर-कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास करने पर (3)

आर.ए.एस. प्रारम्भिक परीक्षा, 7 जून, 1998 (सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान) प्रश्न पत्र से तथा साथ में नये प्रश्न

441. जहाँ लिग्नाइट पर आधारित ताप-विद्युतगृहों का अस्तित्व होगा, वे स्थान हैं—
(1) कापूरडी, जालीपा एवं बरसिंगसर
(2) पोकरण, कापूरडी एवं जालीपा
(3) पलाना, अलवर एवं बरसिंगसर
(4) रामगढ़, बरसिंगसर एवं सूरतगढ़ (1)

442. 'ऊर्जा-संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है।' निम्नांकित में से कौन-सा ऊर्जा-स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा ?

(1) पवन ऊर्जा	(2) बायो गैस
(3) सौर ऊर्जा	(4) तापीय ऊर्जा (2)

443. अरावली श्रेणियों की दूसरे नम्बर की ऊँची चोटी का नाम है—

(1) कुम्भलगढ़	(2) नाग पहाड़
(3) सेर	(4) अचलगढ़ (3)

444. निम्नांकित में से कौन-सा युग्म सही है ?

(1) बाणगंगा—बनास	(2) कोठारी—लूनी
(3) सूकड़ी—चम्बल	(4) जाखम—माही (4)

445. हाड़ौती-पठार की मिट्टी है—
(1) कछारी (जालौढ़) (2) लाल
(3) भूरी (4) मध्यम काली (4)

446. कोटा के प्रमुख बांध का नाम लिखिए ।

उत्तर : सावन भादों ।

447. सरस्वती नदी की विशेपता है .
(अ) यह वैदिक काल की नदी है (ब) यह गहरी नहीं है
(स) यह विशाल हे (द) सभी (द)

448. 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है ।
(1) 17.16 एव 12.56 (2) 13.82 एव 6.77
(3) 17.29 एवं 13.82 (4) 12.44 एवं 6.77 (1)

449. राजस्थान में बारम्बार होने वाले 'सूखे एवं अकाल' का प्रमुख कारण है—
(1) वनों का अवक्रमण (2) जल का अविवेकपूर्ण उपयोग
(3) अनियमित वर्षा (4) भमि का कटाव (3)

450. समन्वित ग्रामीण विकास योजना (IRDP) का मुख्य लक्ष्य था—
(1) ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देना
(2) भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार जुटाना
(3) मरुस्थलीयकरण पर नियंत्रण करना
(4) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना
(4)

451. दुग्ध-उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं—
(1) थारपारकर एवं राठी (2) राठी एवं नागौरी
(3) मालवी एवं थारपारकर (4) मेवाती एवं मालवी (1)

452. निम्नांकित को सुमेल कीजिए—

	खनिज		प्रदेश
A	जिप्सम	I	झामर-कोटड़ा
B	ताँबा	II	रामपुरा-आगूंचा
C	फॉस्फेट रॉक	III	खो-दरीबा
D	सीसा एवं जस्ता	IV	जामसर

	A	B	C	D
(1)	III	II	IV	I
(2)	II	III	IV	I
(3)	IV	III	I	II
(4)	I	IV	II	III

(3)

453. राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र स्थित है—

(1) अलवर में (2) नागौर में
(3) सेवर में (4) बहरोड में (3)

454. सोम कमला अम्बा सिचाई परियोजना जिस जिले मे स्थित है—

(1) डूँगरपुर (2) बाँसवाडा
(3) उदयपुर (4) चित्तोडगढ़ (1)

455. राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है—

(1) जैसलमेर एवं बाड़मेर (2) जैसलमेर एवं जालौर
(3) बीकानेर एवं चूरू (4) जाधपुर एवं जेसलमेर (3)

456. राजस्थान मे 2001-02 वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर ऑकी गई है- (लगभग)

(1) 13738 रु (2) 17500 रु
(3) 19800 रु (4) 18000 रु (1)

(प्रश्न आवश्यक परिवर्तन रहित)

457. औद्योगिक श्रमिको के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के दो शहर हैं—

(1) कोटा एवं जयपुर (2) कोटा एवं ब्यावर
(3) जयपुर एवं अजमेर (4) जयपुर एवं जोधपुर (3)

458. मार्च 2004 तक राजस्थान में कितने कुओं का ऊर्जीकरण किया गया ?

उत्तर : 6.87 लाख कुओं का ।

459. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड कब स्थापित किया गया ?

उत्तर : Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RREC) अगस्त 2002 में स्थापित किया गया ।

460. राज्य मे तीन स्पेशल इकोनोमिक जोन (SEZ) कहाँ स्थापित किये जा रहे है?

उत्तर जयपुर मे जेम्स एण्ड ज्यूलरी का जोधपुर मे हैण्डीक्राफ्टस का बीकानेर मे ऊन का।

461. जयपुर जिले में मानपुरा-माचेड़ी को विकसित किया गया है—

(1) सोफ्टवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में
(2) हार्डवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में
(3) लेदर (चमड़ा) कॉम्पलेक्स के रूप में
(4) हेण्डीक्राफ्ट कॉम्पलेक्स के रूप में (3)

462. एक संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएँ प्रदान करता है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, वह है—

(1) राजसीको (2) आर एफ.सी.
(3) रीको (4) आर.के.वी.आई.बी. **(1)**

463. राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह है—

(1) उदयपुर (2) कोटा
(3) झालावाड़ (4) बाँसवाड़ा **(4)**

464. राजस्थान का वह जिला जो अब ईसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है—

(1) गंगानगर (2) बूँदी (3) जालौर (4) कोटा **(3)**

465. राजस्थान में जीवनधारा योजना का सम्बन्ध है—

(1) गरीबों के लिए बीमा योजना
(2) सिंचाई कुओं का निर्माण
(3) ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना
(4) चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना **(2)**

466. राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जलपक्षियों का स्वर्ग है—

(1) अलवर (2) भरतपुर (3) उदयपुर (4) जोधपुर **(2)**
(नाम : केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना)

467. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है—

(1) बीकानेर (2) जसोल
(3) अविकानगर (4) जैसलमेर **(3)**

468. राजस्थान के वे जिले जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं—

(1) गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर
(2) गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर एवं जालौर
(3) गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालौर
(4) जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर **(1)**

469. राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है—

(1) केलवा (2) कांकरोली
(3) करौली (4) कोटपूतली **(2)**

470. संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित है—

(1) राजस्थान के सभी जिलों में
(2) जनजातीय, मरुस्थलीय एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में
(3) केवल मरुस्थलीय जिलों में
(4) इनमें से कोई नहीं **(2)**

471. राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना की गई है—
(1) औद्योगिक उत्पादों के विपणन में सहायता हेतु
(2) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करने हेतु
(3) नए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन हेतु
(4) नए साहसियों को प्रशिक्षण देने हेतु (4)

472. पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बाँटने की योजना है—
(1) 10 क्षेत्रों में (2) 8 क्षेत्रों में
(3) 6 क्षेत्रों में (4) 4 क्षेत्रों में (1)
(10 सर्किटों में विभाजित) (कहीं-कहीं 9 सर्किट भी दिए गए हैं)

विविध प्रश्न

473. राजस्थान में जयपुर व अजमेर केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का आधार वर्ष है—
(अ) 1982 (ब) 1980-81
(स) 1981-82 (द) 1952-53 (अ)

474. राज्य में नौ समन्वित आधार ढाँचे के विकास केन्द्रों (मिनी विकास केन्द्रों) के नाम व जिले लिखिए।
उत्तर : सांगरिया (जोधपुर), गोगेलाव (नागौर), निवाई (टोंक), काल्लड़वास (उदयपुर), फालना (पाली), हिण्डौन सिटी (करौली), बारां (बारां), बयाना (भरतपुर) एवं धोहिन्दा (राजसमन्द)।

475. 2001 में राज्य में किस उद्योग में उत्पादन शून्य हो गया ?
(अ) कॉस्टिक सोड़ा (ब) नमक
(स) बिजली के मीटर (द) बाल बियरिंग्स (स)

476. राज्य में 2000 व 2001 दोनों वर्षों में किस उद्योग में उत्पादन नहीं हुआ ?
(अ) नायलान यार्न व पोलियेस्टर यार्न (ब) बिजली के मीटर
(स) पानी के मीटर (द) रेलवे वैगन (अ)

477. राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कहाँ-कहाँ स्थापित किये गये हैं ?
उत्तर : जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर।

478. कपास की खेती के प्रमुख दो जिले हैं—
(अ) कोटा व बूँदी (ब) अलवर व भरतपुर
(स) गंगानगर व हनुमानगढ़ (द) जयपुर व दौसा (स)

479. राज्य में समन्वित वाटरशेड विकास प्रोजेक्ट के चार जिले बताइए ?

उत्तर अजमेर भीलवाडा जोधपुर व उदयपुर ।

480. राजस्थान में पावडी (PAWADI) (People Action for Watershed Development Initiatives) नामक प्रोजेक्ट दिसम्बर 1995 में किसके सहयोग से तेयार किया गया ?

(अ) कनाडा की विकास एजेन्सी
(ब) स्वीडन की विकास एजेन्सी
(स) जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोऑपरेशन फण्ड (OECF,
(द) भारत सरकार (ब)

481. कवरसैन लिफ्ट कैनाल से पेयजल मिलता है—

(अ) बीकानेर रेंगर व प्रोजेक्ट क्षेत्र के 99 गाँवो को
(ब) चूरू जिले के गाँवों को
(स) जोधपुर शहर को
(द) किसी को नहीं (अ)

482. अजमेर जिले का रामसर गाँव जाना जाता है—

(अ) भेड़-प्रजनन केन्द्र के रूप में
(ब) पशु-प्रजनन केन्द्र के रूप में
(स) भेड़-बकरी प्रजनन केन्द्र के रूप में
(द) बकरी प्रजनन केन्द्र के रूप में (द)

483. दोहरे काम (dual-purpose) की भेड़ की नस्लें हैं—

(अ) नाली-पूगल (ब) जैसलमेरी-चोकला
(स) सोनाड़ी-मालपुरा (द) मारवाड़ी-मागरा (स)

484. राज्य में वन्यजीवन अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries) हैं—

(अ) 20 (ब) 3 (स) 25 (द) 15 (संशोधित) (स)

485. राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो की संख्या है—

(अ) 10 (ब) 8 (स) 6 (द) 4 (ब)

486. जीवन-धारा-योजना किसके अन्तर्गत चलाई जा रही है ?

(अ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ब) जवाहर रोजगार योजना
(स) इन्दिरा आवास योजना (द) स्वतंत्र (द)

487. व्यर्थभूमि विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है ?

(अ) 14 (ब) 8 (स) 4 (द) 6 (अ)

488. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम से कितने जिले सम्बद्ध हैं ? उनके नाम भी दीजिए ।

(अ) 3 (ब) 4 (स) 5 (द) 6 (ब)

[बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर] (13 खण्डों में)

489. ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं व अन्य जन- प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र की सहायता से जिन तीन स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं, उनके नाम लिखिए।

उत्तर : अजमेर, डूँगरपुर व जोधपुर (मन्डोर)।

490. राज्य में 'डेजर्ट-फेस्टिवल' (मरु-त्योंहार) कहाँ मनाया जाता है ?

(अ) बीकानेर (ब) जोधपुर
(स) बाड़मेर (द) जेसलमेर (द)

491. राज्य को भूमि व भवन कर (LBT) से वार्षिक राजस्व लगभग कितना मिलता था?

(अ) 30 करोड़ रु (ब) 130 करोड़ रु
(स) 20 करोड़ रु (द) 3 करोड़ रु (अ)

(पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा समाप्त 1 अप्रेल, 2003 से)

492. माही नदी का परिचय दीजिए।

उत्तर : यह विंध्याचल पर्वत की उत्तरी पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्यों मे बहती हुई काम्बे की खाडी मे मिलती है। इसमें सोम, जाखम व बनास नदियाँ मिलती हैं। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है।

493. राजस्थान बागड़ किस भौतिक विभाग का उप- विभाग है ?

(अ) मरुस्थली (ब) शेखावाटी प्रदेश
(स) पूर्वी मैदान (द) पश्चिमी रेतीला मैदान (ब)

494. वृहद् भारतीय रेगिस्तान थार (Great Indian Desert 'Thar') राज्य के कितने भू-भाग पर फैला है ?

(अ) दो-तिहाई (ब) एक-तिहाई (स) 61% (द) एक-चौथाई (स)

495. इन्दिरा गाँधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है ?

(अ) चम्बल-यमुना (ब) रावी-व्यास
(स) सतलज-रावी (द) व्यास-सतलज (ब)

496. राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लम्बी नदी का नाम है—

(अ) चम्बल नदी (ब) लूणी नदी
(स) बनास नदी (द) माही नदी (ब)

497. "कामधेनु" नामक योजना का सम्बन्ध है—

(अ) दूध का उत्पादन बढ़ाने से
(ब) गायों की नस्ल सुधारने से
(स) उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन केन्द्र बनाने से
(द) सभी से (स)

498. ऑपरेशन फ्लड III कार्यक्रम किस योजना में चलाया गया ?

(अ) छठी योजना में (ब) सातवीं योजना में
(स) आठवीं योजना में (द) नवीं योजना में (ब)

499. भेड़ों के सम्बन्ध में क्रॉस-प्रजनन कार्यक्रम किस समूह की भेड़ों पर लागू किया गया है ?
(अ) नाली, चोकला, सोनाड़ी व मालपुरा नस्लों पर
(ब) जैसलमेरी, मारवाड़ी, पूगल व मगरा नस्लों पर
(स) नाली, जैसलमेरी, सोनाड़ी व मालपुरा नस्लों पर
(द) किसी पर भी नहीं (अ)

500. राजस्थान में बकरी के क्रॉस-प्रजनन कार्य के विकास में किस देश से सहयोग किया गया है ?
(अ) फ्रांस से (ब) स्वीडन से
(स) स्विट्ज़रलैण्ड से (द) ब्रिटेन से (स)

501. निम्न में से 'पिक-अप' बांध छांटिए—
(अ) गांधी सागर बांध (ब) राणा प्रताप सागर बांध
(स) जवाहर सागर बांध (द) कोटा सिंचाई बांध (स)

502. व्यास परियोजना किन राज्यों की योजना है ?
(अ) पंजाब, हरियाणा व राजस्थान
(ब) पंजाब, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान
(स) पंजाब, दिल्ली व मध्य-प्रदेश
(द) पंजाब, मध्य-प्रदेश व राजस्थान (अ)

503. कडाना बाँध किस राज्य में बनाया गया है ?
(अ) मध्य प्रदेश में (ब) गुजरात में
(स) हरियाणा में (द) उत्तर प्रदेश में (ब)

504. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई की कुल सम्भाव्यता या क्षमता कितनी है ?
(अ) 14 79 लाख हैक्टेयर (ब) 13 79 लाख हैक्टेयर
(स) 15 17 लाख हैक्टेयर (द) लगभग 17 लाख हैक्टेयर (स)

505. बांगड़सर लिफ्ट नहर का कार्य किस वर्ष पूरा किया गया ?
(अ) 1998 (ब) 1999
(स) 2000 (द) अभी नहीं (स)

506. सिद्धमुख सिंचाई की वृहद् परियोजना से किस जिले/जिलों को लाभ होगा ?
(अ) श्रीगंगानगर तथा चूरू जिलों को
(ब) डूँगरपुर जिले को
(स) बांसवाड़ा जिले को
(द) सिरोही व जालोर जिलों को । (अ)

507. गुजरात राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई का लाभ मिलेगा ?
(अ) जालोर (ब) बाड़मेर
(स) सिरोही (द) जालोर व बाड़मेर (द)

508. मार्च 1994 में कोटा थर्मल पावर प्लान्ट की कौन-सी इकाई कमीशन की गई ?
(अ) तृतीय (ब) चतुर्थ (स) पंचम (द) छठी (स)

509. बड़ा बाग 'अमरसागर' बाईपास रोड (जैसलमेर) पर अप्रैल 1999 में किस परियोजना का शिलान्यास किया गया है ?
(अ) पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र का
(ब) गैस-आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र का
(स) नेफ्ता-आधारित विद्युत उत्पादन-संयंत्र का
(द) सौर्य-ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र का । (अ)

510. बिजली की 'नर्सरी स्कीम' का आशय था—
(अ) क्रम लांघकर कृषकों को बिजली का कनेक्शन देना,
(ब) कृषकों को आसानी से बिजली का कनेक्शन देना,
(स) कृषकों को कम शुल्क पर बिजली का कनेक्शन देना
(द) कोई नहीं । (अ)

511. गजनेर लिफ्ट नहर से किन जिलों के गांवों को पेयजल सुविधा मिलेगी ?
उत्तर : बीकानेर व नागौर जिलों के 801 गाँवों को ।

512. राजस्थान में किस प्रकार के उद्योगों की इकाइयाँ सर्वाधिक पायी जाती हैं ?
(अ) कृषि व पशु-धन पर आधारित
(ब) खनिज-आधारित
(स) रसायन-उद्योग
(द) सामान्य-इन्जीनियरिंग की इकाइयाँ (अ)

513. राजस्थान वित्त निगम 'कम्पोजिट टर्म लोन' योजना के अन्तर्गत किनको कर्ज देता है ?
(अ) लघु उद्यमकर्ताओं को (ब) ग्रामीण कारीगरों को
(स) शहरी उद्यमकर्ताओं को (द) दस्तकारों व उद्यमियों को (द)

514. राजस्थान सरकार ने प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की—
(अ) जून 1976 में (ब) जून 1977 में
(स) जून 1979 में (द) जून 1978 में (द)

515. राजस्थान सरकार की द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई ?
(अ) दिसम्बर 1988 में (ब) दिसम्बर 1990 में
(स) जनवरी 1991 में (द) दिसम्बर 1991 में (ब)

516. हीरावाला ओद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है ?
(अ) 11 (ब) 8 (स) 9 (द) 10 (अ)

517. जेम्स एण्ड ज्यूलरी पार्क स्थापित होगा—
(अ) जयपुर में (ब) जोधपुर में
(स) भिवाड़ी मे (द) उदयपुर में (अ)

518. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक जोन कौन स्थापित कर रहा है ?
(अ) रीको
(ब) आर एफ सी
(स) राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग
(द) राजसीको (द)

519. पर्यटन का क्षेत्र उद्योग के अन्तर्गत कब लिया गया ?
(अ) मार्च 1989 मे (ब) मार्च 1988 में
(स) मार्च 1990 में (द) अभी नहीं (अ)

520. रीको की स्थापना किस वर्ष हुई ?
(अ) 1979 में (ब) 1969 में
(स) 1959 में (द) 1989 में (ब)

521. रीको ने स्टोन्स के विकास के लिए एक केन्द्र (CDOS) कहाँ स्थापित किया है ?
(अ) जयपुर में
(ब) सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में
(स) भिवाड़ी में
(द) कोटा में (ब)

522. राजस्थान में गलीचा-प्रशिक्षण-केन्द्र कौन संचालित करता है ?
(अ) उद्योग-निदेशालय (ब) रीको
(स) राजसोको (द) आर एफ सी. (स)

523. जनजाति उप-योजना राजस्थान में कब से आरम्भ की गई ?
(अ) 1977–78 से (ब) 1974–75 से
(स) 1980–81 से (द) 1989 से (ब)

524. डांग-क्षेत्र में कितने जिले शामिल हैं ?
(अ) 8 (ब) 10 (स) 6 (द) 12 (अ)

525. कोटा थर्मल की किस इकाई को जून 2001 में मंत्री परिषद् की मंजूरी मिली थी?
(अ) सातवीं इकाई (ब) छठी इकाई
(स) पाँचवीं इकाई (द) आठवीं इकाई (ब)
(195 मेगावाट की)

526. मान्सी-वाकल परियोजना से जल-पूर्ति की जायेगी—
(अ) चित्तौड़गढ़ को (ब) उदयपुर को
(स) डूँगरपुर को (द) बांसवाड़ा को (ब)

527. राजस्थान में 1997-98 में निर्धनता-निवारण के लिए प्रति परिवार निवेश की प्रस्तावित राशि कितनी रही ?
(अ) 18,700 रु (ब) 15,000 रु
(स) 20,000 रु. (द) 25,000 रु (स)

528. सामुदायिक नलकूप योजना किनको लाभ पहुँचाती है ?
(अ) सभी प्रकार के किसानों को
(ब) उनका सहकारी संगठन बनाना होता है
(स) लघु व सीमान्त कृषकों के समूह को
(द) निर्धन काश्तकारों को नि:शुल्क सिंचाई की सुविधा । (स)

529. 2001-2002 में राजस्थान मे किस जिले की वन-रक्षा व प्रबन्ध समिति को 'इन्दिरा-वृक्ष-मित्र-अवार्ड' दिया गया?
(अ) उदयपुर जिला (ब) कोटा जिला
(स) जयपुर जिला (द) बीकानेर जिला (अ)
(सालुखेरा समिति को)

530. ड्वाकरा (DWCRA) स्कीम किस वर्ष से चालू की गई ?
(अ) 1974 (ब) 1984
(स) 1964 (द) 1994 (ब)

531. जवाहर रोजगार योजना में व्यय का आवंटन केन्द्र व राज्यों के बीच किस प्रकार होता है ?
(अ) 80 : 20
(ब) 50 . 50
(स) सम्पूर्ण व्यय-भार केन्द्र पर
(द) सम्पूर्ण व्यय-भार राज्य सरकार पर (अ)

532. ग्रामीण विकास केन्द्र (Rural Growth Centre) की योजना किस वर्ष से प्रारम्भ की गयी ?
(अ) 1965–66 (ब) 1975–76
(स) 1985–86 (द) 1995-96 (द)

533. गंगा कल्याण योजना का सम्बन्ध है—
(अ) गांवों में पेयजल की सुविधा पहुँचाने से
(ब) गांवों में सिंचाई का विस्तार करने से
(स) लघु व सीमान्त कृषकों को भूजल-सिंचाई में मदद देने से
(द) इनमें से किसी से भी नहीं (स)

534. राजस्थान में पंचायतों के प्रधानों तथा जिला परिषदों के प्रमुखों का चुनाव किस विधि से किया जाता है ?
(अ) प्रत्यक्ष विधि के द्वारा
(ब) परोक्ष विधि के द्वारा
(स) सरकार द्वारा नियुक्ति
(द) इनमें से किसी भी पद्धति द्वारा नहीं (ब)
(क्रमश: पंचायतों व जिला-परिषदों के चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने में से ही)

535. निर्मल ग्राम-योजना का सम्बन्ध है—
(अ) गाँवों को साफ-सुथरा रखने से
(ब) गाँवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करने से
(स) गाँवों के कचरे से कम्पोस्ट खाद तैयार करने से
(द) गाँवों में आवास की सुविधा बढ़ाने से (स)

536. **राजस्थान में सूखा बन्दरगाह इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो की स्थापना किन स्थानों पर की गई है/की जा रही है ?**
(अ) जयपुर (ब) जोधपुर
(स) भिवाड़ी (द) भीलवाड़ा
(ए) सभी स्थानों पर स्थापित करने का कार्यक्रम है। (ए)

537. श्री गंगानगर जिले की नदी छाँटिए—
(अ) कांटली (ब) लूणी
(स) घग्घर (द) कोई नहीं (स)

538. **वर्ष 2003-04 में 'राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना' किसकी सहायता से प्रारम्भ की गयी है ?**
(अ) कनाडा (ब) जापान
(स) भारत सरकार (द) राज्य सरकार व केन्द्र सरकार (ब)
(जापान की जेबीआईसी)
(जापान बैंक फॉर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग)

539. **2001 में करौली जिले की अनुमानित जनसंख्या रही—**
(अ) 10 लाख (ब) 12.06 लाख (स) 9 लाख (द) 8.28 लाख (ब)

540. **1995 में राजस्थान में दम्पत्ति-सुरक्षा-दर (CPR) लगभग थी—**
(अ) 25% (ब) 32.6% (स) 35% (द) 30.5% (ब)
(नवीं योजना, भारत सरकार, खण्ड-I पृ. 26)

541. **'माइनर' खनिजों का समूह छाँटिए—**
(अ) तांबा, सीसा व जस्ता (ब) जिप्सम, अभ्रक व लिग्नाइट
(स) लाइमस्टोन, फ्लोराइट व फेल्सपार
(द) ग्रेनाइट, संगमरमर व सेण्डस्टोन (द)

542. निम्न में से टाइगर रिजर्व परियोजना छाटिए-
(अ) रणथम्भार, राष्ट्रीय पार्क, सवाइमाधोपुर
(ब) मरु राष्ट्रीय पार्क, जेसलमेर
(स) टाइगर प्रोजेक्ट, सरिस्का, अलवर
(द) केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर (स)

543. केलादेवी वन्य जीव अभयारण्य (Sanctuary) कहाँ स्थित है ?
(अ) सवाई माधोपुर/करौली में (ब) उदयपुर में
(स) अजमेर में (द) चित्तौड़गढ़ में (अ)

544. राजस्थान राज्य खनन-विकास-निगम (RSMDC) किन खनिजों का उत्पादन करता है ?
(अ) जिप्सम (ब) रॉक-फॉस्फेट
(स) स्टीलग्रेड लाइमस्टोन (द) सभी का (द)

545. मानपुरा-माचेड़ी किस जगह स्थित है ?
(अ) चोमू के समीप (ब) जयपुर के समीप
(स) शाहपुरा के समीप (द) गोविन्दगढ़ के समीप (अ)

546. सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना के दोनों चरणों की चारों इकाइयों के चालू हो जाने पर इसकी कुल क्षमता कितनी हो जायेगी ?
(अ) 800 मेगावाट (ब) 1000 मेगावाट
(स) 900 मेगावाट (द) 1200 मेगावाट (ब) (250 × 4)

547. हनुमानगढ़ टाउन में घग्घर नदी के किनारे स्थित पुरातत्व महत्त्व का कौन-सा दुर्ग है ?
(अ) तारागढ़ फोर्ट (ब) गागरान फोर्ट
(स) भटनेर दुर्ग (द) लाल किला
(ए) भर्तृहरि बाला किला (स)

548. सिद्धमुख-नोहर परियोजना का कार्य किसकी वित्तीय सहायता से किया जा रहा है ?
(अ) विश्व बैंक की सहायता
(ब) योरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) की सहायता
(स) स्वीडन-अन्तर्राष्ट्रीय-एजेन्सी (SIDA) की सहायता
(द) भारत सरकार व एशियन विकास बैंक की सहायता (ब)

549. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत 'सहवा' जलोत्थान सिंचाई योजना किस जिले से सम्बन्धित है ?
(अ) बीकानेर (ब) बाड़मेर
(स) चूरू (द) जैसलमेर (स)

550. फरवरी 1998 मे फतेहपुर-अम्बाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की कौन-सी संख्या घोषित की गई ?
(अ) 65 (ब) 62 (स) 63 (द) 64 (अ)

551. राजस्थान में दूसरा औद्योगिक-प्रोत्साहन-पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा ?
(अ) जयपुर में (ब) अलवर में
(स) भीलवाड़ा में (द) जोधपुर (द) (बोरानाडा)

552. राज्य मे 'संजीवनी योजना' का किससे सम्बंध है?

उत्तर: घाटे मे चल रही सहकारी सस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए गांवों व शहरो में 'इनोवेटिव सहकारी समितियो' का गठन किया जायगा।

553. राजस्थान में बाघ परियोजना का स्थल है-
(अ) रणथम्भौर सवाई माघोपुर
(ब) सरिस्का अलवर
(स) केलादेवी अभयारण्य, करौली
(द) कोई नहीं (अ) तथा (ब)

554. जवाई बांध किस जिले में स्थित है ?
(अ) जालोर (ब) पाली
(स) सिरोही (द) किसी में नहीं (ब)

555. राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार की सम्भावनाएँ किसमें है ?
(अ) हरित क्रान्ति में (ब) श्वेत क्रान्ति में
(स) नीली क्रान्ति में (ब) भूरी क्रान्ति में (ब) (दुग्ध)

556. राजस्थान में आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने वाले तत्त्व हैं—
(अ) पशु-धन (ब) खनिज-पदार्थ
(स) पर्यटन-स्थल (द) सभी (द)

557. राजस्थान में आर्थिक विकास के कमजोर पहलू हैं—
(अ) जनसंख्या की तीव्र वृद्धि-दर
(ब) व्यापक निरक्षरता
(स) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के लोगों का बाहुल्य
(द) जलाभाव
(ए) सभी (ए)

558. राजस्थान में सूखे व अभाव की स्थिति का दीर्घकालीन समाधान है—
(अ) सिंचाई के साधनों का विकास
(ब) रोजगार के अवसरों में वृद्धि
(स) सूखी खेती की विधियों का विस्तार
(द) सभी (अ)

559. उदयपुर के वन्य जीव अभयारण्यों के नाम लिखिए—
उत्तर : (अ) कुम्भलगढ़ अभयारण्य,
(ब) जयसमंद अभयारण्य,
(स) फुलवारी की नाल अभयारण्य,
(द) सज्जनगढ़ अभयारण्य।

560. राजस्थान के जिले में वन-क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम अनुपात है ?
(अ) चूरू (ब) बाड़मेर
(स) गंगानगर (द) जैसलमेर (अ)

561. राजस्थान पर्यटन को उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रचार सामग्री, सर्वश्रेष्ठ पैवेलियन व प्रोमोशन ऑफ हैरिटेज मोन्यूमेन्ट्स के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ:
(अ) 2000 (ब) 2001 (स) 2002 (द) 2003 (स)

562. जाखम सिंचाई परियोजना से किन जिलों को सिंचाई का लाभ मिलेगा ?
(अ) चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा (ब) चित्तौड़गढ़ व झालावाड़
(स) चित्तौड़गढ़ व उदयपुर (द) चित्तौड़गढ़ व डूँगरपुर (स)

563. चम्बल नदी किस जिले की नदी मानी जाती है ?
(अ) कोटा (ब) भरतपुर
(स) धौलपुर (द) सभी की (द)

564. बनास नदी किन-किन जिलों में बहती है ?
(अ) चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा (ब) अजमेर
(स) टोंक (द) सवाई माधोपुर
(ए) सभी में (ए)

565. निम्न झीलों व बांधों के जिलानुसार युग्म बनाइए—

झील का बांध	जिले
I मोरेल बांध	(1) उदयपुर
II नक्की झील	(2) भीलवाड़ा
III जयसमंद	(3) सिरोही
IV मेजा बांध	(4) सवाई माधोपुर

[I (4), II (3), III (1), IV (2)]

566. स्टेट फोरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार समस्त राजस्थान में वन-क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना अनुपात है ?
(अ) 8.32% (ब) 9.32% (स) 7.32% (द) 7% (ब)

567. निम्न अभयारण्यों के जिलों के अनुसार युग्म बनाइए—

अभयारण्य	जिला
I केलादेवी	(1) चित्तौड़गढ़ (कुछ अंश उदयपुर)
II कुम्भलगढ़	(2) सवाई माधोपुर
III फुलवारी की नाल	(3) उदयपुर
IV सीतामाता	(4) उदयपुर

[I (2), II (3), III (4), IV (1)]

568. राजस्थान राज्य का पक्षी, राज्य का पशु, राज्य का वृक्ष व राज्य का पुष्प बताइए।

उत्तर : क्रमश: गोडावण, चिंकारा, खेजड़ी, व रोहिड़ा।

569. मेजाबांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हो गया था ?

(अ) 1956–57 (ब) 1966–67
(स) 1976–77 (द) 1986–87 (अ)

570. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ?

(अ) जैसलमेर में (ब) बाड़मेर में
(स) जोधपुर में (द) सिरोही में (स)

571. जोरबीड में अनुसंधान केन्द्र है—

(अ) भेड़ों पर शोध के लिए
(ब) ऊँटों पर शोध के लिए
(स) गौ-वंश के पशुओं पर शोध के लिए
(द) किसीके लिए नहीं (ब)

572. 1987 में 'कॉटन कॉम्पलैक्स' की स्थापना कहाँ की गई ?

(अ) कोटा में (ब) गंगानगर में
(स) हनुमानगढ़ में (द) भीलवाड़ा में (ब)

573. वर्तमान में फैक्ट्री क्षेत्र में माल का उत्पादन (मूल्य की दृष्टि से) सबसे ज्यादा किस जिले में होता है ?

(अ) जयपुर (ब) अलवर
(स) कोटा (द) उदयपुर (अ)

574. राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विषय में क्या कहना ज्यादा सही होगा ?

(अ) यह अविकसित अर्थव्यवस्था है
(ब) राज्य गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में आता है
(स) यह अविकसित राज्यों में अधिक विकसित है
(द) यह पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। (ब)

575. राजस्थान की योजनाओं में प्राथमिकताएँ बदल रही हैं—
(अ) कृषि से उद्योगों की तरफ
(ब) कृषि से सामाजिक सेवाओं की तरफ
(स) पावर से सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं की तरफ
(द) सिंचाई से पावर की तरफ (स)

576. फैक्ट्री-क्षेत्र के सूचकों में सामान्यतया राजस्थान का भारत में अंश है—
(अ) लगभग 3% (ब) 4% (स) 2% (द) 5% (अ)

577. राजस्थान में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रोजेक्ट सर्वाधिक कहाँ स्थित हैं ?
(अ) जयपुर के समीप (ब) अलवर में
(स) भिवाड़ी में (द) कोटा में (स)

578. निम्नांकित में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कौन-सा संगठन स्थापित किया गया ?
(अ) रीको (ब) आर.एफ.सी.
(स) कोई नहीं (द) दोनों (अ)

579. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रकृति है—
(अ) नीची प्रति व्यक्ति आमदनी (ब) कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था
(स) अत्यधिक अस्थिर अर्थव्यवस्था (द) सभी (द)

580. राजस्थान को सर्वाधिक कर्ज किस स्रोत से प्राप्त हुआ है ?
(अ) केन्द्रीय सरकार से
(ब) बाज़ार-कर्ज के रूप में
(स) विदेशी कर्ज व सहायता के रूप में
(द) प्रोविडेण्ट कोष से (अ)

581. राजस्थान में लोगों का जीवन-स्तर को ऊँचा करने के लिए किस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए ?
(अ) तीव्र गति से आर्थिक विकास पर
(ब) सामाजिक क्षेत्र के विस्तार पर
(स) रोजगार-संवर्धन पर
(द) निर्धनता-उन्मूलन कार्यक्रमों पर
(ए) रोजगारोन्मुख आर्थिक विकास पर (ए)

582. राजस्थान के तीव्र आर्थिक विकास के लिए किस तत्त्व पर जोर दिया जाना चाहिए—
(अ) गाँवों में गैर-कृषि क्षेत्र के विकास पर
(ब) आधार-ढाँचे को सुदृढ़ करने पर
(स) सामाजिक सुविधाओं के समुचित विस्तार पर
(द) सभी पर (द)

583. राज्य में परिधान (अपैरल) (apparel) पार्क का क्षेत्र व जिला लिखिए।

उत्तर : जयपुर जिले का महल क्षेत्र।

584. राज्य की प्रति व्यक्ति आमदनी 2003-04 में (1993-94 के भावों पर) पिछले वर्ष की तुलना में किस प्रकार बदली?

(अ) ज्यादा बढ़ी (ब) ज्यादा घटी
(स) स्थिर रही (द) मामूली घटी (12.7% वृद्धि) (अ)

585. राज्य में खाद्यान्नों का सर्वोच्च उत्पादन किस स्तर तक जा पाया है?

(अ) 120 लाख टन (ब) 189 लाख टन
(स) 130 लाख टन (द) 150 लाख टन (ब)
(2003-04 में संभावित)

586. तीसरा निर्यात-प्रोत्साहन-औद्योगिक-पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है?

उत्तर : नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, अलवर।

587. 2000-01 मे राज्य मे प्रति हैक्टेयर उर्वरकों का उपभोग अखिल भारतीय स्तर का लगभग कितना अनुपात रहा?

(अ) 1/3 (ब) 1/4 (स) 2/3 (द) 3/4 (अ)

588. वर्षाश्रित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय-वाटरशेड-विकास-कार्यक्रम (NWDPRA) किस जिले में लागू नहीं है?

उत्तर : यह गंगानगर जिले में लागू नहीं किया गया है।

589. राज्य में दिसम्बर 2003 के अंत में बैंकों का साख-जमा अनुपात रहा—

(अ) 50% (ब) 45.8%
(स) 54.6% (द) 60% (स)

590. दिसम्बर 2003 के अन्त में राज्य में किस प्रकार के बैंकों के कार्यालय सर्वाधिक थे?

(अ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के
(ब) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के
(स) सहकारी बैंकों के
(द) अन्य अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के (ब)

591. राजस्थान वित्त निगम सहायता देता है—

(अ) भूतपूर्व सैनिकों को,
(ब) अस्पताल व नर्सिंग होम चलाने के लिए,
(स) होटल के लिए,
(द) सभी के लिए। (द)

592. राजस्थान सरकार के मार्च 1999 मे जारी किये गये अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र (White Paper) (1951–1998) की मुख्य बातें बताइए—

इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण दो भागों में बाँटा गया है—

(i) 1951–1990 तक के लिए

(ii) 1990–1998 तक के लिए

***(i)* 1951–1990 की अवधि (प्रथम दौर) में आर्थिक प्रगति की मुख्य बातें :** इस अवधि में जमींदारी व बिस्वेदारी प्रणाली को समाप्त करके काश्तकारों को 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। **इस प्रकार सरकार व किसान के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ। यह भूमि-सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।**

प्रथम दौर में राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन **1950–51 में 33.9 लाख टन से बढ़कर 1989–90 में 85.3 लाख टन, तिलहन का 1.3 लाख टन से 18.5 लाख टन, गन्ने का 4.1 लाख टन से 7.2 लाख टन तथा कपास का 1 लाख गांठों से बढ़कर 9.9 लाख गांठें हो गया।** इसी अवधि में सकल कृषित क्षेत्रफल 93 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 156 लाख हैक्टेयर हो गया तथा **सिंचित क्षेत्रफल 11.7 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 44.6 लाख हैक्टेयर (चौगुना) हो गया।**

बिजली का उत्पादन 13 मेगावाट से बढ़कर 2712 मेगावाट, विद्युतीकृत बस्तियाँ 42 से बढ़कर 27166, सड़कों की लम्बाई 13553 किलोमीटर से 56956 किलोमीटर तथा रेलों की (केन्द्र सरकार का क्षेत्र) 4989 किलोमीटर से 5825 किलोमीटर हो गई।

1950–51 में राज्य में 6 कपड़ा मिलें थी जो 1989–90 में 30 हो गईं। राज्य में चीनी व सीमेंट के कारखानों में भी वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा। राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैकेण्ड्री, हायर सैकेण्ड्री तथा सीनियर सैकेण्ड्री स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल व इन्जीनियरिंग कॉलेजों का विस्तार हुआ तथा विश्वविद्यालय बढ़े। साक्षरता का अनुपात लगभग 9% से बढ़कर 38.6% हो गया।

इस अवधि में चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, हुआ। अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गयी।

सातवीं योजना (1985–90) में विकास की चक्र- वृद्धि दर 7 1% रही। **इसमें विद्युत-क्षमता का विस्तार 569 मेगावाट हुआ जो 385 मेगावाट के लक्ष्य से अधिक रहा।**

इस प्रकार श्वेत-पत्र में 1951–90 के प्रथम दौर में कृषि, उद्योग, आधार-ढांचे, सामाजिक ढांचे के विस्तार की दिशा में हुई प्रगति की सराहना की गयी है।

***(ii)* दूसरे दौर 1990–98 में आर्थिक प्रगति की मुख्य बातें**—इस दौर में राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। 1990–91 व 1991–92 में वार्षिक योजनाओं में विकास की वार्षिक दर लगभग 3.4% रही, जो सातवीं योजना की आधी थी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास की चक्रवृद्धि दर तो 7 2% से 7 3% रही, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में नीची रही, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट परिलक्षित हुई, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार लक्ष्य से नीचा रहा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना की उपलब्धियाँ लक्ष्यों से नीची रही। **विद्युत उत्पादन के 540 मेगावाट की वृद्धि के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक प्राप्ति मात्र 262 मेगावाट (लगभग आधी) रही।**

कृषिगत उत्पादन में वार्षिक उतार-चढ़ाव देखे गये। **औद्योगिक उत्पादन में 1991–97 की अवधि में चीनी, सूती धागा, जस्ता-छड़ों, सीमेंट, रेलवे वैगन तथा यूरिया का तो उत्पादन बढ़ा, लेकिन वनस्पति घी, नमक, सूती कपड़े, नायलन धागे, पोलियेस्टर धागे, तांबे व सुपर फोस्फेट का उत्पादन घटा।**

राज्य में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। राज्य पर बकाया कर्ज की राशि उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। **यह मार्च 1990 में 6127 करोड़ रु. से बढ़कर मार्च 1999 में 24170 करोड़ रु. हो गई और ब्याज की देनदारी 437 करोड़ से बढ़कर 2870 करोड़ रु. हो गई।**

श्वेत-पत्र में राज्य को 'हाई फिस्कल स्ट्रेस' (ऊँचे राजकोषीय दबाव) वाला क्षेत्र माना गया। इसके लिए सुझाव दिया गया कि भविष्य में राजकीय खर्चों में मितव्ययिता बरत कर, वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि करके तथा बकाया राशियों की वसूली करके राजकोषीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में विशेष सावधानी की आवश्यकता :

राजस्थान की आर्थिक प्रगति का विवेचन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि भ्रमात्मक निष्कर्षों को टाला जा सके।

***(i)* राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी उतार-चढ़ाव आते हैं जिनका कृषिगत पैदावार के उतार-चढ़ावों से अधिक सम्बन्ध होता है जो मानसून आधारित होती है।** अत: आर्थिक स्थिरता के लिए सिंचाई के विस्तार व जल के सदुपयोग पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

(ii) **राज्य का जनसंख्या का पक्ष काफी चिंताजनक है**—इसमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि-दर, व्यापक निरक्षरता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति का कुल जनसंख्या में बाहुल्य तथा उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति चिंता के बिन्दु हैं ।

(iii) राज्य में पानी का अभाव और निरन्तर पड़ते अकाल व सूखे की दशाएँ अर्थव्यवस्था को झकझोरती रहती हैं ।

(iv) वित्तीय साधनों के अभाव, प्रबन्ध की कमी, राजनीतिक परिस्थिति व अन्य कठिनाइयों से पशुधन, खनन, पर्यटन, दस्तकारियों, आदि क्षेत्रों का विकास कम हो पाया है ।

593. भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार ने मई 2004 में जो आर्थिक एजेण्डा या इकोनोमिक विजन, 2025 तैयार किया है, उसकी प्रमुख बातें बताइए ।

उत्तर :[1]

(1) विजन 2025 में निवेश के लिए **पाँच प्रमुख क्षेत्र छाँटे गये हैं—सड़कें, बिजली, शहरी आधारभूत ढांचा, औद्योगिक क्षेत्र व पानी** । इनमें दसवीं पंचवर्षीय को मिलाकर, पाँच पंचवर्षीय योजनाओं में **2025 तक 294315 करोड़ रुपयों के निवेश की आवश्यकता होगी ।**

(2) इससे प्रति व्यक्ति आय को 2025 तक साढ़े तीन गुना तक बढ़ाया जा सकेगा ।

(3) रोजगार का मुख्य आधार खनन को माना गया है जिसमें प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है । दूसरा आधार पर्यटन को माना गया है जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है । आधारभूत ढांचा तैयार होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में 6 प्रतिशत सालाना की वृद्धि सम्भव होगी । अकेले औद्योगिक क्षेत्र में 2025 तक कुल निवेश की 13 हजार करोड़ रु. की जरूरत होगी ।

(4) आवश्यक धन की व्यवस्था सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के सहयोग से की जायगी ।

(5) राज्य में 2025 तक 7.75% की विकास-दर हासिल की जा सकती है ।

(6) 2025 तक 294315 करोड़ रु. का आवंटन क्षेत्रवार इस प्रकार रखा गया है— (करोड़ रु.)

(i) सड़कें	103502
(ii) बिजली	134720
(iii) शहरी क्षेत्र विकास	28975
(iv) औद्योगिक क्षेत्र	13184
(v) जल संसाधन	13933
कुल	294315

आशा है सरकार आर्थिक-विजन को सक्रिय रूप प्रदान करके इसके क्रियान्वयन का प्रयास करेगी ।

[1] दैनिक भास्कर, 12 मई, 2004, पृष्ठ 9.

594. राज्य का क्षेत्रफल बताइए—
(अ) 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर (ब) 4.32 लाख वर्ग किलोमीटर
(स) 2.34 लाख वर्ग किलोमीटर (द) 3.24 लाख वर्ग किलोमीटर (अ)

595. विस्तार करिए :-(i) RREC (ii) REDA (iii) RSPCL

उत्तर : (i) Rajasthan Renewable Energy Corporation Ltd.
(ii) Rajasthan Energy Development Agency.
(iii) Rajasthan State Power Corporation Ltd.

596. राजस्थान में 2003 में लगभग कितने पर्यटक (घरेलू + विदेशी) आए ?
(अ) 60 लाख (ब) 131.7 लाख
(स) 55 लाख (द) 75 लाख (ब)

597. राजस्थान की 2004-2005 की वार्षिक योजना का प्रस्तावित आकार कितना रखा गया ?
(अ) 7031 करोड़ रु. (ब) 5858 करोड़ रु.
(स) 5022 करोड़ रु. (द) 3955 करोड़ रु. (अ)

598. सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई—
(अ) 15 अप्रैल, 1999 (ब) 15 अप्रैल, 2000
(स) 15 अप्रैल, 2001 (द) अभी नहीं (ब)

599. राजस्थान में ब्याज-सब्सिडी-स्कीम के तहत ब्याज पर कितनी सब्सिडी दी जाती है ?
(अ) 1.5% (ब) 1% (स) 2% (द) 3% (स)

600. राजस्थान का टेक्सटाइल शहर कौन-सा है ?
(अ) ब्यावर (ब) जयपुर
(स) जोधपुर (द) भीलवाड़ा (द)

601. राज्य के औद्यगिक विकास केन्द्रों में किसका स्थान नहीं है ?
(अ) बीकानेर (ब) धौलपुर
(स) झालावाड़ (द) जयपुर (ए) आबू रोड़ (द)

602. बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में राजस्थान को प्रथम स्थान मिला—
(अ) 1998-99 (ब) 1999-2000
(स) 2000-2001 (द) अभी नहीं (अ)

603. राज्य में स्पेशल आर्थिक जोन 'दस्तकारियों के लिए कहाँ स्थापित किया जा रहा है ?
(अ) नीमराना (अलवर) (ब) बोरानाडा (जोधपुर)
(स) सीतापुरा (जयपुर) (द) अभी निर्णय नहीं (ब)

604. राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (RSMDC) किन खनिजों के उत्पादन व विपणन का काम देखता है ?
उत्तर : लाइमस्टोन, रोकफोस्फेट, लिग्नाइट व जिप्सम ।

605. उदयफोश क्या होता है ?
(अ) नाइट्रोजन उर्वरक (ब) फोस्फेट उर्वरक
(स) पोटाश उर्वरक
(द) रोकफोस्फेट की घटिया श्रेणी जो खेती में सीधे उर्वरक का काम करती है ।
(द)

606. राजस्थान में खरीफ मौसम में कुल खेती का लगभग कितना अंश आता है ?
(अ) 2/3 (ब) 1/2 (स) 4/5 (द) 2/5 (अ)

607. राजस्थान में 1997-98 से 2002-03 की अवधि में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष रहा ?
(अ) 1997-98 (ब) 1998-99
(स) 1999-2000 (द) 2002-03 (140 लाख टन)(अ)

608. राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से संचालित कृषि-विकास-प्रोजेक्ट कब प्रारम्भ किया गया ?
(अ) 1998 से (ब) 1997 से (स) 1992 से (द) 1994 से (स)

609. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना की मुख्य नहर कब पूरी हुई थी ?
(अ) जनवरी 1986 में (ब) दिसम्बर 1986 में
(स) जनवरी 1996 में (द) दिसम्बर 1996 में (ब)

610. बकरी-प्रजनन-केन्द्र किस जिले में स्थित है ?
(अ) जोधपुर (ब) सिरोही में (स) अजमेर में (द) बाड़मेर में (स)

611. राजस्थान में कितनी किस्म की भेड़ें पायी जाती हैं ?
(अ) 10 (ब) 9 (स) 8 (द) 7
(ए) अनेक (स)

612. 2.25 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की दूसरी इकाई कहाँ स्थापित की गई है ?

उत्तर : चित्तौड़गढ़ (देवगढ़) में, जून 2000 से उत्पादन प्रारम्भ ।

613. *अरावली-वृक्षारोपण-प्रोजेक्ट (AAP) की अवधि बताइए—*
(अ) 1992-93 से 2000-2001 तक (ब) 1991-92 से 1999-2000 तक
(स) 1992-93 से 1999-2000 तक (द) कोई भी नहीं (स)

614. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना वानिकी-प्रोजेक्ट कब चालू किया गया और यह कब समाप्त होगा ?

उत्तर : 1991-92 में चालू किया गया तथा इसकी समाप्त होने की संशोधित अवधि 5 फरवरी 2002 रखी गयी थी ।

615. राज्य में राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निजी क्षेत्र की सहायता से कहाँ की जा रही है ?

उत्तर : जयपुर जिले के रूपा की नांगल गाँव में ।

616. *राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया—*
(अ) जनवरी 1998 में (ब) जनवरी 2000 में
(स) जनवरी 2001 में (द) दिसम्बर 2000 में (ब)

617. ''लाडली'' योजना किस कार्यक्रम के तहत आती है ?
(अ) समन्वित बाल विकास स्कीम (ICDS)
(ब) महिला विकास कार्यक्रम (WDP)
(स) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA)
(द) मुख्यमंत्री की रोजगार-स्कीम (CMES) (ब)

(किशोर बालिका योजना)

618. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार (SGSY) में भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1999 से कौन-कौन से कार्यक्रम शामिल किये हैं ?
   (अ) IRDP
   (ब) TRYSEM
   (स) DWCRA
   (द) ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक औजारों की सप्लाई (SITRA)
   (ए) गंगा-कल्याण-योजना (GKY)
   (ऐ) मिलियन-कुएं-स्कीम (MWS)
   (ओ) सभी (ओ)

619. मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 से नये प्रोजेक्टों के लिए केन्द्र व राजस्थान राज्य का लागत में अंश कितना रहेगा ?
   (अ) शत-प्रतिशत केन्द्र का
   (ब) शत-प्रतिशत राजस्थान का
   (स) 50 : 50
   (द) 75 25 (क्रमश: केन्द्र व राज्य का) (द)

620. औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल-खिड़की-क्लीयरेंस की स्कीम के लिए अधिकार प्राप्त-समितियों के तीन स्तर बताइये।
   उत्तर :
   (i) 3 करोड़ रु. तक के विनियोग के प्रस्तावों के लिए
   (ii) 3 करोड़ रु से अधिक व 25 करोड़ रु तक के विनियोग के प्रस्तावों के लिए
   (iii) 25 करोड़ रु. से अधिक के विनियोग के प्रस्तावों के लिए।

621. राजस्थान में सिंचाई की दरें कब से दुगुनी की गयी है ?
   (अ) 1 अप्रैल 2000 से
   (ब) 1 अप्रैल 1998 से
   (स) 1 अप्रैल 1999 से
   (द) अभी नहीं की गई हैं (स)

622. विश्व-बैंक से सहायता-प्राप्त राज्य-हाई वे- सड़क-प्रोजेक्ट (SHRP) की अनुमानित कुल लागत कितनी है ?
   (अ) 561 करोड़ रु.
   (ब) 1,561 करोड़ रु.
   (स) 61 करोड़ रु.
   (द) 11,561 करोड़ रु. (ब)

आर.ए.एस. प्रारम्भिक परीक्षा, नवम्बर 1999
(सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान)
प्रश्न पत्र से चुने हुए प्रश्न

623. *समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर डी.पी.) का प्रमुख लक्ष्य है—*

(1) छोटे एवं सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
(2) ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थ बनाना
(3) कृषि श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
(4) ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास करना (2)

624. **निम्नलिखित मे से कौनसा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है—**

(1) दि गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड
(2) राजस्थान स्टेट केमीकल-वर्क्स डीडवाना
(3) स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर
(4) मोडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड (4)

625. **पावरलूम उद्योग में प्रथम 'कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेट' स्थापित किया गया है—**

(1) पाली में (2) भीलवाड़ा में
(3) जोधपुर में (4) बालोतरा में (2)

626. **राजस्थान में इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है—**

(1) जयपुर में (2) जोधपुर में
(3) अलवर में (4) कोटा में (4)

627. **राजस्थान में तांबे के विशाल भण्डार स्थित हैं—**

(1) डीडवाना क्षेत्र में (2) बीकानेर क्षेत्र में
(3) उदयपुर क्षेत्र में (4) खेतड़ी क्षेत्र में (4)

628. **निम्न में से कौनसा युग्म सही है ?**

	प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र (राजस्थान)	प्रतिशत जनसंख्या (राजस्थान)
(1)	60	40
(2)	55	45
(3)	50	50
(4)	40	60

(1)

629. राजस्थान में सफेद-सीमेन्ट का उत्पादन होता है—
(1) ब्यावर में (2) गोटन में
(3) निम्बाहेड़ा में (4) चित्तौड़गढ़ में. (2)

630. राजस्थान में गांवों को स्वावलम्बी बनाने का प्रभावी माध्यम है :
(1) ग्रामीणमुखी आर्थिक योजनाओं का निर्माण
(2) शहरीकरण का विस्तार
(3) ग्रामीण शिक्षा प्रसार
(4) ग्रामीण बेरोजगारों को नगरों में नौकरी (1)

631. सौर-ऊर्जा-उपक्रम क्षेत्र सम्बन्धित है निम्न जिलों से—
(1) जैसलमेर, जालोर, बीकानेर (2) जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर
(3) बीकानेर, नागौर, चूरू (4) जोधपुर, जैसलमेर, जालोर (2)

632. राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन-सी नीति व्यावहारिक रूप से अपनायी गयी है ?
(1) स्वतंत्र व्यापार नीति
(2) अर्द्ध-स्वतंत्र एवं संरक्षण की नीति
(3) आर्थिक नियोजन नीति
(4) समाजवादी नीति (3)

633. स्थिति (location) के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है, वह है—
(1) अलवर-भरतपुर (2) बीकानेर-गंगानगर
(3) जैसलमेर-जालोर (4) डूंगरपुर-बांसवाड़ा (3)

634. राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन-सी फसल उगायी जाती है ?
(1) गेहूँ (2) चावल
(3) उड़द (4) गन्ना (3)

635. निम्न में से कौनसा युग्म सही समेकित है ?
(1) वन्य जीव विहार सरिस्का
(2) केवलादेव उद्यान जैसलमेर
(3) मरु राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर
(4) टाइगर रिजर्व जयसमन्द (1)

636. मत्सय संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया—
(1) 1947 में (2) 1948 में
(3) 1949 में (4) 1950 में (2)

637. जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिचरणों का अध्यक्ष बनाया गया :
(1) 26 जनवरी 1998 को (2) 15 अगस्त 1998 को
(3) 26 जनवरी 1999 को (4) 30 जनवरी 1999 को (4)

638. संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है ?
(1) जयपुर में (2) किशनगढ़ में
(3) बांसवाड़ा में (4) उदयपुर में (1)

639. जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, वह है—
(1) उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम (2) पूर्व से पश्चिम
(3) दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व (4) पश्चिम से पूर्व (1)

640. सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा, है—
(1) बीसलपुर (2) नर्मदा (3) जाखम (4) पांचना (3)

641. पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है—
(1) जापान (2) फ्रांस (3) बैल्जियम (4) कनाडा (4)

642. निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है—
(1) चम्बल परियोजना (2) जवाई सागर परियोजना
(3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (4) बीसलपुर परियोजना (1)

643. 1999-2000 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम 'पर्यटन मित्र' पुरस्कार किसको दिया गया ?

उत्तर : आमेर महल, जयपुर को ।

आर.ए.एस. प्रारम्भिक परीक्षा, मार्च 2000

अनिवार्य प्रश्न-पत्र-I (दुबारा)

(सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान) (नये प्रश्नों सहित)

644. सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध के लिए संस्था स्थापित की गई है—
(1) उदयपुर में (2) बीकानेर में
(3) कोटा में (4) जयपुर में (4)

645. 1978 में 'राजकोन' की स्थापना का उद्देश्य, उपलब्ध कराना है—
(1) लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबन्धकीय एवं तकनीकी मदद
(2) भारी निर्माण कार्यों के लिए सरकार को मदद
(3) कपड़ा मिलों को कच्चा माल
(4) सरकारी प्रतिष्ठानों को कानूनी मदद (1)

646. मक्का की फसल पकने की अवधि है—
(1) 40 दिन (2) 60 दिन
(3) 140 दिन (4) 110 दिन **(4)**

647. 'DWCRA' योजना सम्बन्धित है—
(1) गरीबी रेखा के नीचे वाली ग्रामीण महिला सदस्यों को ऊपर उठाना
(2) गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चों को ऊपर उठाना
(3) प्राथमिक शालाओं के बच्चों को खाना उपलब्ध करवाना
(4) शालाओं में बच्चों के ठहराव के लिए निशुल्क गेहूँ का वितरण करना **(1)**

648. निम्नलिखित में से कौन-सी खरीफ की फसल नहीं है—
(1) मूँगफली (2) मक्का
(3) मसूर (4) धान **(3)**

649. लघु और कुटीर उद्योग इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि—
(1) ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं
(2) सरकार इनकी सहायता करती है
(3) वे परम्परागत हैं
(4) उसका प्रबन्ध करना आसान है। **(1)**

650. निम्नलिखित नदियों में से कौन-सी कोटा जिले में नहीं है ?
(1) आहू (2) परबन
(3) निवाज (4) पीपलाज **(4)**

651. निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता है ?
(1) जवाहरात (2) सीमेंट
(3) मार्बल (4) खाद्यान्न **(2)**

652. 'राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ' की स्थापना जिस वर्ष में की गई, वह है—
(1) 1970 (2) 1976 (3) 1980 (4) 1984 **(2)**

653. माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है, वह है—
(1) दौसा (2) जयपुर
(3) अलवर (4) भरतपुर **(1)**

654. 'सेम्फेक्स' योजना लागू की गई है—
(1) राजसीको द्वारा (2) आर.एफ.सी. द्वारा
(3) रीको द्वारा (4) आर.एस.एम.डी.सी. द्वारा **(2)**
[यह self-employment for Ex-service men]

655. हिन्दुस्तान साँभर साल्ट्स जिसके द्वारा सचालित है, वह है—
(1) केन्द्रीय सरकार (2) राज्य सरकार
(3) सहकारी समिति (4) निजी क्षेत्र **(1)**

656. केन्द्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइये, जिसके अन्तर्गत मरुस्थल के किसानों को पम्पसैट कम-से-कम किराए या पट्टे पर दिये जाते हैं—

(1) जलधारा योजना (2) किसान विकास योजना
(3) मरु विकास कार्यक्रम (4) भाग्यश्री योजना (1)

657. राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा-नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है, वह है—

(1) गंगानगर (2) हनुमानगढ़
(3) चूरू (4) बीकानेर (1)

658. राजस्थान में शक्कर उद्योग के केन्द्रों का सही समुच्चय है—

(1) कोटा-टोंक-भीलवाड़ा
(2) उदयपुर-टोंक-भीलवाड़ा
(3) केशोरायपाटन-श्री गंगानगर-बीकानेर
(4) श्रीगंगानगर-भोपालसागर-केशोरायपाटन (4)

659. जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अन्तर्राज्यीय सीमा है, वह है :

(1) गुजरात (2) मध्य प्रदेश
(3) हरियाणा (4) पंजाब (4)

660. प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है—

(1) धौलपुर में (2) जालीपा में
(3) भिवाड़ी में (4) रामगढ़ में (4)

661. राजस्थान में सर्वाधिक वन-क्षेत्र है—

(1) उदयपुर और राजसमन्द जिलों में
(2) कोटा और बारां जिलों में
(3) चित्तौड़गढ़ जिले में
(4) सवाई माधोपुर और करौली जिलों में (1)

662. 2001 की जनगणना के अनुसार जयपुर जिले में महिला वर्ग में साक्षरता का प्रतिशत है—(नया प्रश्न)

(1) 55.44 (2) 52 44 (3) 56 18 (4) 48 44 (3)

663. *2001 की जनगणना के आधार पर जो युग्म सही है, वह हैं- (प्रश्न बदलने पर)*

	जिले	लिंग-अनुपात
(1)	धौलपुर	828
(2)	डूँगरपुर	942
(3)	जैसलमेर	997
(4)	जालोर	810

(1)

664. राजस्थान में 1981-91 के दशक की तुलना में 1991-2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि-दर में जितनी कमी आई है, वह है— (प्रतिशत बिन्दुओं में)
(1) 5.5% (2) 4.1% (3) 0.11% (4) 3.8% (3)
(नया प्रश्न)

665. राजस्थान में बेकार भूमि (Wasteland) का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है, वह है—
(1) जालौर (2) बाड़मेर
(3) पाली (4) जैसलमेर (4)

666. जिस जिले में 'नेशनल वुड फॉसिल पार्क' स्थित है, वह है—
(1) बाड़मेर (2) जैसलमेर
(3) चूरू (4) सीकर (2)

667. **राजस्थान का 'गुमानेवाला' क्षेत्र जिस कारण समाचार में है, वह है**
(1) घना मरुस्थल
(2) परमाणु विस्फोट
(3) कोयला
(4) तेल व गैस का विशाल भण्डार (4)

668. भारत का वह पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए 'पी.ए.टी.ए.' स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ, है—
(1) कर्नाटक (2) राजस्थान
(3) बिहार (4) उत्तर प्रदेश (2)

669. पावड़ी परियोजना का सम्बन्ध है :
(अ) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल से (ब) जलग्रहण क्षेत्रों से
(स) विद्युत-विकास से (द) जनजाति विकास से (ब)

670. 1999-2000 में राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात की मद रही-
(अ) टेक्सटाइल (ब) फूड/एग्रो प्रोडक्ट्स
(स) जेम्स व ज्यूलरी (द) डायमंड (21%) (अ)

671. राजस्थान में किन जिलों के गांवों में फ्लोराइड व खारे पानी की समस्या पायी जाती है ?
(अ) अजमेर (ब) पाली
(स) धौलपुर (द) भरतपुर
(ए) सभी (ए)

672. **राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा जो नीति घोषित नहीं की जा सकी थी—**
(अ) महिला-नीति (ब) जनसंख्या-नीति
(स) जल-नीति (द) कृषि-नीति
(ए) सूचना-प्रौद्योगिकी-नीति (द)

673. आजकल राजस्थान की वार्षिक योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है—
(अ) सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं को
(ब) सिंचाई व बाढ़-नियंत्रण को
(स) कृषि व ग्रामीण विकास तथा सहकारिता को
(द) पावर को (अ)

674. कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ?
(अ) फुलवारी की नाल (ब) राष्ट्रीय मरु उद्यान
(स) केवलादेव (द) रणथम्भौर (अ)

675. चूलिया जल-प्रपात किस नदी पर है ?
(अ) चम्बल (ब) बनास
(स) गम्भीरी (द) माही (अ)

676. राज्य में कियोस्कों का निर्माण किया जा रहा है—
(अ) खुदरा व्यापार को बढ़ाने के लिए
(ब) एक लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए
(स) शहरों में अतिक्रमण को दूर करने के लिए
(द) शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए (ब)

677. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को फिलहाल कितनी कम्पनियों में पुनर्गठित किया गया है ?
(अ) 4 (ब) 5 (स) 6 (द) 3 (ब)

678. मथानिया विद्युत परियोजना आधारित होगी ?
(अ) गैस पर
(ब) लिग्नाइट पर
(स) सौर व डीजल के मिले-जुले प्रयोग पर
(द) सौर-ऊर्जा पर (द)

679. राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण का प्रतिशत कितना कर दिया गया है ?
(अ) 15 (ब) 21 (स) 33 (द) 20 (ब)

680. रामगढ़ गैस थर्मल प्रोजेक्ट के विस्तार-चरण उल्लेख करिए।
उत्तर: प्रस्थापित क्षमता 75 मेगावाट, (i) 7 अगस्त, 2002 को गैस–टरबाइन 37 5 मेगावाट का प्रारम्भ, (ii) मार्च 2003 से स्टीम–टरबाइन 37 5 मेगावाट के प्रारम्भ होने की सम्भावना थी।

681. राज्य में जैसलमेर में प्रथम वायु-शक्ति- परियोजना ने कब उत्पादन चालू किया ?
(अ) 10 अप्रैल 1999 को (ब) 14 अगस्त 1999 को
(स) 13 फरवरी 2000 को (द) अभी नहीं (ब)

682. राजस्थान का दूध के उत्पादन में भारत में कौनसा स्थान है ?
(अ) 1 (ब) 2
(स) 3 (द) 4 (अ)

683. राज्य में वर्तमान मे निरंतर-शिक्षा-कार्यक्रम किन दो जिलों में चलाया जा रहा है ?
(अ) अलवर व भरतपुर में (ब) अजमेर व जयपुर में
(स) अजमेर व डूँगरपुर में (द) गंगानगर व हनुमानगढ़ में (स)

684. निम्न में से राजस्थान के ग्रामीण विकास के लिए कौन-सी योजना केन्द्र-प्रवर्तित-योजना के अन्तर्गत नहीं आती ?
(अ) इन्दिरा आवास योजना (IAY)
(ब) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)
(स) रोजगार आश्वासन स्कीम
(द) डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम (द)

685. स्थिर मूल्यों पर (1993-94 का आधार-वर्ष लेने पर) राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में वृद्धि-दर की प्रवत्ति 2002-03 किस प्रकार की रही?
(अ) मामूली बढी (ब) काफी घटी
(स) अत्यधिक बढी (द) समान बनी रही (–8.9%) (संशोधित) (ब)

686. आजकल राज्य में उद्योगों को समय पर भुगतान करने पर ब्याज पर कितनी सब्सिडी दी जाती है ?
(अ) 3% (ब) 4% (स) 2% (द) 5% (स)

687. राजस्थान में 2002 में जन्म-दर प्रति हजार कितनी आंकी गयी है ?
(अ) 35.5 (ब) 30.5 (स) 30.6 (द) 32.5 (स)

688. योजना-आयोग के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन-दर (Total Fertility Rate) (TFR) = 2.1 कब तक होने की सम्भावना है ?
(अ) 2048 (ब) 2038 (स) 2028 (द) 2058
(ए) 2018 (अ)

689. राज्य में 2001-2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि-दर घटाने के लिए किया जाना चाहिए—
(अ) दम्पति-सुरक्षा-दर (CPR) को बढ़ाना
(ब) लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाना
(स) शिशु मृत्यु-दर घटाना
(द) सभी (नया प्रश्न) (द)

690. भारत में शिशु मृत्यु-दर सर्वाधिक किस राज्य में पायी गयी है ?
(अ) उड़ीसा में (ब) राजस्थान में
(स) असम में (द) बिहार में (अ)

691. राजस्थान को 'बीमारू' राज्यो की श्रेणी मे क्यों रखा गया ?
(अ) यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है
(ब) यहाँ जनसंख्या में गरीबी का अनुपात ऊँचा है
(स) यहाँ जनसंख्या सम्बन्धी सूचकों जैसे जन्म-दर, साक्षरता-दर, शिशु मृत्यु-दर, आदि की दृष्टि से प्रतिकूल दशाएं पायी जाती हैं
(द) यहाँ ज्यादा लोग बीमार पाये जाते हैं (स)

692. राज्य के विकास में प्रमुख अवरोधक है :
(अ) पानी का अभाव (ब) शिक्षा का अभाव
(स) जनाधिक्य (द) आर्थिक साधनों की कमी (अ)

693. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ बताइए—
उत्तर :
(i) प्रति व्यक्ति आमदनी नीची 2003-04 में यह 8571 रु. (1993-94 के भावों पर) थी, जो भारत की आय लगभग 73 प्रतिशत थी ।
(ii) 2003-04 में राज्य की आय मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, स्थिर भावों पर, 30.7 प्रतिशत लेकिन भारत में 24.4 प्रतिशत रहा ।
(iii) विकास की वार्षिक दर में भारी उतार-चढ़ाव ।
(iv) सामाजिक व आर्थिक आधार-ढांचे में पिछड़ापन ।

694. राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने के उपाय बताइए :
उत्तर :
(i) जनसंख्या की वृद्धि-दर को घटाया जाय
(ii) राज्य की सकल आमदनी को बढ़ाने के लिए पशु-सम्पदा, खनिज-सम्पदा, पर्यटन व उद्योगों का तेजी से विकास किया जाय । इसके लिए आर्थिक आधार-ढांचा-विद्युत, सड़क, संचार, आदि को सुदृढ़ किया जाय ।

695. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई का लाभ नहीं मिलेगा ?
(अ) चूरू व गंगानगर (ब) बीकानेर व जैसलमेर
(स) जोधपुर व बाड़मेर (द) हनुमानगढ़ व जालोर (द)

696. कमांड विकास कार्यक्रम किस क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है ?
(अ) इन्दिरा गांधी नहर (ब) चम्बल
(स) माही (द) सभी में (द)

697. राज्य में अब तक घोषित नीतियों के नाम बताइए—
उत्तर : *(i)* बिक्री-कर सुधार की स्कीमें *(ii)* सड़क-नीति (दि. 1994) *(iii)* खनन-नीति (अगस्त 1994) *(iv)* पावर-सुधार-नीति, 2000 *(v)* जल-नीति, जून 1999 *(vi)* सूचना-प्रौद्योगिकी नीति, 15 अप्रैल 2000, *(vii)* पर्यटन नीति 2002 ।

698. राज्य की जल-नीति, 1999 जून का परिचय दीजिए-

उत्तरः इसमे सर्वोच्च प्राथमिकता पेयजल को तथा बाद में सिंचाई, विद्युत–उत्पादन व उद्योग को दी गयी है। इसके अलावा निम्न बातों पर बल दिया गया है (*i*) शहरी व ग्रामीण आवश्यकताओ दोनो पर पूरा ध्यान दिया जायगा, (*ii*) जल–स्रोतो को हानि न हो, (*iii*) काश्तकारोका सहयोग लिया जायगा, (*iv*) सिचाई के जल का उचित वितरण किया जायगा, (*v*) जल की दरो को क्रमश बढाया जायगा (*vi*) जल का परीक्षण व रख–रखाव किया जायगा, आदि।

699. राजस्थान सरकार का RAPP की तीसरी व चौथी इकाई के सम्बंध में न्यूक्लियर पावर निगम (NPC) से क्या समझौता हुआ है?

उत्तरःराजस्थान आणविक पावर प्रोजेक्ट (RAPP) की तीसरी व चौथी इकाई से पूरी बिजली राजस्थान को 2 78 रु प्रति यूनिट पर दी जाएगी, जिसमे प्रति वर्ष 18 पैसे की वृद्धि होगी। यह समझौता 5 वर्ष के लिए किया गया है। पहले केवल 86 मेगावाट (विद्युत–क्षमता का 19 56%) बिजली मिलने की चर्चा थी, लेकिन अब पूरी 440 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिल सकेगी।

RAPP की तीसरी इकाई जून 2000 मे पूरी हो चुकी है, तथा चौथी इकाई के दिसम्बर 2000 तक पूरी होने का अनुमान लगाया गया था।

700. राज्य में एकल-खिडकी-सेवा (Single window service) से क्या तात्पर्य है?

उत्तरः इस स्कीम के माध्यम से उद्यमकर्त्ताओ को विभिन्न प्रकार की औद्योगिक सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध की जायेगी, जो औद्योगिक–प्रोत्साहन–ब्यूरो (BIP) नामक सस्थान के माध्यम से मुहय्या की जायेगी।

701. राज्य में किस नहर के आधुनिकीकरण का कार्य किया गया है ?

(अ) गंग नहर (ब) इन्दिरा गांधी नहर
(स) कंवरसेन लिफ्ट नहर (द) इनमें से कोई नहीं **(अ)**

702. राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग कितना अंश पशुपालन क्षेत्र से प्राप्त होता है ?

(अ) 9% (ब) 7%
(स) 13% (द) 15% **(अ)**

703. जनगणना 1991 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम रहा—
(a) जैसलमेर (b) झुँझनू
(c) उदयपुर (d) अजमेर (a)

704. राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र स्थित है—
(a) जयपुर (b) झुँझनू
(c) अलवर (d) सेवर (भरतपुर) (d)

705. रणथम्भौर स्थित है—
(a) भरतपुर (b) अलवर
(c) सवाईमाधोपुर (d) झालावाड़ (c)

706. खेतड़ी जाना जाता है—
(a) कोयला खान (b) ताम्र परियोजना
(c) जिंक स्मेल्टर प्लांट (d) संगमरमर पत्थर (b)

707. श्वेत क्रान्ति का सम्बन्ध है—
(a) खाद्यान्न प्रसंस्करण
(b) ऊन उत्पादन
(c) दूध उत्पादन
(d) बकरी के बालों का उत्पादन (c)

708. राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केन्द्र स्थित है—
(a) अलवर (b) बाड़मेर
(c) बीकानेर (d) जैसलमेर (c)

709. 'ग्रीष्मकालीन त्यौहार' राजस्थान में मनाया जाता है—
(a) जयपुर (b) जोधपुर
(c) पुष्कर (d) माउन्ट आबू (d)

710. 1991 में जिस जिले मे साक्षरता दर सबसे कम रही, वह है—
(a) जयपुर (b) झुँझनू
(c) सीकर (d) बाड़मेर (d)

711. राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क-कहाँ है—
(a) जोधपुर (b) बाड़मेर
(c) जैसलमेर (d) जालौर (c)

712. नक्की झील स्थित है—
(a) माउन्ट आबू (b) उदयपुर
(c) जैसलमेर (d) बीकानेर (a)

713. राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (EPIP) कहाँ विकसित किया गया है—
(a) भिवाड़ी (b) सीतापुरा (जयपुर)
(c) कोटा (d) इनमें से कहीं नहीं (b)

714. राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है—
(a) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (b) राज्य सहकारी बैंक
(c) केन्द्रीय सहकारी बैंक (d) इनमें से कोई नहीं (c)

715. राजस्थान के वर्तमान वित्तमंत्री है—
(a) प्रद्युम्न सिंह (b) हरीशंकर भाभड़ा
(c) चन्दन मल वैद्य (d) इनमें से कोई नहीं (d)

716. राजस्थान में नवीं पंजवर्षीय योजना की समय अवधि है—
(a) 1990-1995 (b) 1996-2001
(c) 1995-2000 (d) 1997-2002 (d)

717. राजस्थान में 'जीवनधारा योजना का सम्बन्ध है'—
(a) गरीबों के लिए बीमा योजना
(b) सिंचाई कुओं का निर्माण
(c) ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना
(d) चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना (b)

718. राजस्थान के पड़ोस में राज्य है—
(a) गुजरात (b) मध्यप्रदेश
(c) हरियाणा (d) उपरोक्त सभी (d)

719. राजस्थान की राजधानी है—
(a) जयपुर (b) जोधपुर
(c) बीकानेर (d) भीलवाड़ा (a)

720. बिड़ला समूह कहलाता है—
(a) मारवाड़ी (b) पंजाबी
(c) सिंधी (d) गुजराती (a)

721. क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है—
(a) प्रथम (b) द्वितीय
(c) तृतीय (d) सप्तम (a)
[मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद]

722. राजस्थान में कितने जिले हैं—
(a) 30 (b) 40
(c) 32 (d) 35 (c)

723. निम्नलिखित जिलो मे से किस जिले में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है—
(a) उदयपुर (b) सीकर
(c) चुरू (d) झालावाड़ **(a)**

724. राजस्थान में किस जिले में प्रकृतिक गैस की अधिक सम्भावनाएँ हैं—
(a) कोटा (b) उदयपुर
(c) झुँझुनूँ (d) बाडमेर **(d)**

725. 2000-01 में राजस्थान में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे—
(a) 25 (b) 30
(c) 31 (d) 17 **(c)**

726. बीसलपुर बांध परियोजना का सम्बन्ध है—
(a) बनास नदी से (b) माही नदी से
(c) चम्बल नदी से (d) इसमें से कोई नहीं **(a)**

727. सोनार किला कहाँ है—
(a) बीकानेर में (b) जैसलमेर में
(c) जोधपुर में (d) जयपुर में **(b)**

728. मार्च 2004 के अंत तक राजस्थान में कितने कुएँ विद्युतीकृत हुए—
(a) 4.97 लाख (b) 6.87 लाख
(c) 5 52 लाख (d) 5 68 लाख **(b)**

729. खनन उत्पादन में मूल्य की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है—
(a) पहला (b) चौथा
(c) दसवाँ (d) पाँचवाँ **(d)**

730. हिन्दुस्थान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है—
(a) भारत सरकार का
(b) राजस्थान सरकार का
(c) पंजाब सरकार का
(d) उपरोक्त में से किसी का नहीं **(a)**

731. राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है—
(a) पुष्कर (b) भरतपुर
(c) जयपुर (d) उदयपुर **(d)**

732. 'पटुओं की हवेली' है—
(a) झुँझुनूँ में (b) रामगढ़ में
(c) जैसलमेर में (d) जयपुर में **(c)**

733. सन् 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात है—
(a) 922 महिलाएँ, 1000 पुरुष (b) 933 महिलाएँ, 1000 पुरुष
(c) 950 महिलाएँ, 1000 पुरुष (d) 900 महिलाएँ, 1000 पुरुष **(a)**

734. **श्वेत क्रान्ति का सम्बन्ध है—**

(a) दूध उत्पादन
(b) खाद्य प्रसंस्करण
(c) ऊन उत्पादन
(d) बकरी के बालों का उत्पादन **(a)**

735. **सन् 2001 में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक रहा—**

(a) अजमेर (b) कोटा
(c) जयपुर (d) उदयपुर **(c)**

736. **चालू कीमतों पर राजस्थान में 2000-01 के लिए प्रति व्यक्ति आय होने का अनुमान रहा—(संशोधित)**

(a) 12570 रुपए **(b) 11,045 रुपए**
(c) 12,500 रुपए (d) 9,950 रुपए **(a)**

737. **चम्बल घाटी परियोजना से सम्बन्धित राज्य हैं—**

(a) राजस्थान, मध्य प्रदेश (b) राजस्थान, पंजाब
(c) राजस्थान, हरियाणा (d) इनमें से कोई युग्म नहीं **(a)**

738. **जयपुर जिले में मानपुरा-माचेड़ी को विकसित किया गया है—**

(a) सोफ्टवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में
(b) हार्डवेयर कॉम्पलेक्स के रूप में
(c) लेदर (चमड़ा) कॉम्पलेक्स के रूप में
(d) हेन्डीक्राफ्ट कॉम्पलेक्स के रूप में **(c)**

739. **पीरामल समूह का सम्बन्ध है—**

(a) कोटा से (b) बगड़ (झुंझुनूँ) से
(c) पिलानी (झुंझुनूँ) से (d) जयपुर से **(b)**

740. **राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है—**

(a) जालोढ (Alluvial) मिट्टी (b) रेतीली मिट्टी
(c) भूरी मिट्टी (d) काली मिट्टी **(a)**

741. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान मे महिला साक्षरता प्रतिशत क्या है:
(a) 52.11% (b) 20 44% (c) 39 42% (d) 44 33% (d)

742. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या क्या है:
(a) 4 40 करोड (b) 5 65 करोड (c) 3 40 करोड (d) 7 2 करोड (b)

743. गेहूँ का उत्पादन करने की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान है:
(a) प्रथम (b) चतुर्थ (c) दशम (d) पचम (d)
[क्रमश उत्तरप्रदेश, पजाब हरियाणा, मध्यप्रदेश व राजस्थान]

744. राज्य में खारे पानी की सबसे बडी कौन-सी झील है:
(a) पचभद्रा झील (b) साभर झील
(c) रामगढ झील (d) नवकी झील (b)

745. वर्ष 2001 में राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व क्या है?
(a) 165 (b) 129 (c) 205 (d) 322 (a)

746. जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिग-अनुपात सर्वाधिक रहा:
(a) अजमेर (b) झुझुनू (c) डूँगरपुर (d) अलवर (c)
[1027]

747. नीली क्राति का सम्बंध है:
(a) ऊन उत्पादन (b) दुग्ध उत्पादन
(c) मछली उत्पादन (d) खाद्य प्रससकरण (c)

748. सेवण घास निम्न में से किस जिले में विस्तृत रूप से पायी जाती है:
(a) बाडमेर (b) बीकानेर (c) जैसलमेर (d) जोधपुर (c)

749. राज्य का टेक्सटाइल सिटी है:
(a) कोटा (b) अलवर (c) भीलवाडा (d) जयपुर (c)

750. पोल्टी-फार्म कहाँ स्थित है:
(a) जोधपुर मे (b) कोटा मे (c) जयपुर मे (d) बीकानेर मे (c)

751. राजस्थान में दूसरा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (EPIP) विकसित किया गया है—
(a) जयपुर मे (b) कोटा मे (c) जोधपुर (बोरानाडा) (d) भिवाडी में (c)

752. प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना निम्न मे से किस स्थान पर है:
(a) भिवाडी (b) रामगढ (c) जालीपा (d) जालोर (b)

753. केवलादेव-घना नेशनल पार्क स्थित है:
(a) जोधपुर (b) बाडमेर (c) जालोर (d) भरतपुर (d)

754. मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना में कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है.

(a) एक (b) तीन (c) दो (d) चार (c)

755. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एव विनियोजन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई:

(a) 1969 (b) 1979 (c) 1981 (d) 1960 (a)

756. सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (काजरी) स्थित है:

(a) जयपुर (b) उदयपुर (c) जोधपुर (d) बाडमेर (c)

757. किराडू मन्दिर स्थित है:

(a) जोधपुर मे (b) बूँदी मे (c) बाडमेर मे (d) कोटा मे (c)

758. राजस्थान मे दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है:

(a) 2002-2007 (b) 1997-2002 (c) 1992-1997 (d) 1990-1995 (a)

759. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ:

(a) 1965 (b) 1955 (c) 1968 (d) 1952 (b)

760. राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क कहाँ है

(a) जोधपुर (b) बाडमेर (c) जैसलमेर (d) जालोर (c)

761. समन्वित वानिकी विकास एवं बायो-डाइवरसिटी परियोजना किसके द्वारा संचालित की जायगी?

(a) भारत सरकार द्वारा (b) जे बी आई सी जापान द्वारा
(c) जर्मनी की सहायता से (d) सीडा स्वीडन द्वारा (b)

762. वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है?

(a) 32 (b) 34 (c) 30 (d) 29 (b)

763. राज्य की ज्ञात लिफ्ट नहरों में पानी अधिकतम कितनी ऊँचाई तक उठाया जा सकता है?

(a) 60 मीटर (b) 70 मीटर (c) 65 मीटर (d) 60 फुट (a)

764. माही बजाज सागर प्रोजेक्ट किस राज्य-युग्म से सम्बन्ध है?

(a) गुजरात–राजस्थान (b) राजस्थान–मध्यप्रदेश
(c) राजस्थान–उत्तरप्रदेश (d) राजस्थान–पजाब (a)

765. राजस्थान में पावर क्षेत्र सुधार-अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया?

(a) 1998 (b) 1992 (c) 1999 (d) 2000 (c)

766. राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के विभाजन के बाद निर्मित पाच स्वतंत्र कम्पनियों के नाम बताइए-

उत्तर: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., रा राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि।

767. राजस्थान मे पावर सप्लाई के मुख्य स्रोत है:

(a) कोटा व सूरतगढ थर्मल पावर प्लान्ट्स (तापीय सयत्र)

(b) माही हाइडल प्रोजक्ट (जलविद्युत् परियोजना)

(c) भाखडा व्यास चम्बल व सतपुडा प्रोजेक्ट

(d) सभी (d)

768. राजस्थान की केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओ के नाम लिखिए:

उत्तर: राजस्थान परमाणु ऊर्जा सयत्र, सिंगरौली रिहन्द अन्ता औरैया नरौरा दादरी गैस, ऊँचाहार तापीय व टनकपुर सलाल चमेरा एव उरी जल परियोजनाए।

769. गैर-परम्परागत ऊर्जा का स्रोत छाँटिए—

(a) बायोमास पावर (b) वायु पावर (c) सौर्य ऊर्जा (d) सभी (d)

770. राजस्थान में मार्च 2002 के अन्त में रेलमार्ग की कुल लम्बाई लगभग कितनी थी ?

(a) 5894 किलोमीटर (b) 6926 किलोमीटर

(c) 4926 किलोमीटर (d) 9526 किलोमीटर (a)

771. स्वर्णजयती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) मे प्रोजेक्ट लागत पर सामान्य सब्सिडी का अनुपात बताइए:

(a) 50% (b) 75% (c) 30% (d) 25% (c)

772. वर्तमान में मरु-विकास-कार्यक्रम व सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के जिले बताइए:

उत्तर: मरु—विकास—कार्यक्रम के 16 जिले। सूखा प्रभावित क्षेत्र—कार्यक्रम के 11 जिले।

773. राजस्थान मे दिसम्बर 1998 से नवम्बर 2003 के बीच पाँच वर्षो मे विद्युत-क्षमता का कितना विस्तार अनुमानित है?

(a) 1750 मेगावाट (b) 750 मेगावाट

(c) 2750 मेगावाट (d) कोई नही (a)

774. राज्य सरकार गगा एवं उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त जल को राजस्थान मे लाने के लिए कौनसी नहर बनाने के लिए प्रयासरत है?

उत्तर. इसके तहत गगा की सहायक नदी शारदा से 370 किलोमीटर लम्बी सम्पर्क नहर बना कर पानी को यमुना नदी मे डाला जाना प्रस्तावित है। इसके पश्चात् 502 किलोमीटर यमुना-राजस्थान सम्पर्क नहर राजस्थान मे बहेगी और इसके अन्तिम छोर से राजस्थान -साबरमती-लिंक निकलेगी, जो राजस्थान मे 691 किलोमीटर लम्बाई मे बहेगी। इस नहर से हनुमानगढ, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर व सिरोही जिलों मे सिंचाई की सुविधा एवं पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी।

775. राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना कितने प्रमुख शहरों के समग्र विकास में मदद देगी?

(a) 10 शहर (b) 6 शहर (c) 3 शहर (d) 8 शहर (b)

776. राज्य में बायो-टेक्नोलॉजी-पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है?
(a) सीतारामपुरा (b) बोरानाडा
(c) सीतानाला (d) इन सभी औद्योगिक क्षेत्रो मे (d)

777. राज्य में जैव-प्रौद्योगिकी-अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना कहाँ की जायगी?
(a) जयपुर मे (b) जोधपुर मे (c) कोटा मे (d) अजमेर मे (a)
(विज्ञान उद्यान, जयपुर में)

778. आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
(a) जयपुर (b) बीकानेर (c) जोधपुर (d) कोटा (c)

779. अब राज्य में कुल-प्रजनन दर (TFR) 2.1 (बच्चे प्रति महिला) का लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जा सकेगा?
(a) 2010 (b) 2011 (c) 2016 (d) 2048 (b)

780. राज्य में 10 किलाग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क गेहूँ, निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को (जिन्हें पेशन नहीं मिलती) किस स्कीम के तहत दिया जाता है?
(a) अन्त्योदय अन्न योजना (b) अन्नपूर्णा योजना
(c) खाद्यान्न बैंक योजना (d) सभी के तहत (b)

781. नया सहकारिता अधिनियम कब से लागू हो गया है?
(a) 14 नवम्बर, 2000 (b) 14 नवम्बर, 2001
(c) 14 नवम्बर, 2002 (d) अभी नहीं (c)

782. **वर्ष 2003-2004 के रेल-बजट में राजस्थान को छः नई एक्सप्रेस गाड़ियाँ मिली थीं जो इस प्रकार थीं :**

उत्तर: (i) जयपुर से सियालदाह (साप्ताहिक) (वाया टूँडला)
(ii) जबलपुर से कोटा (प्रतिदिन)
(iii) जयपुर से उदयपुर (प्रतिदिन) (वाया अजमेर–चित्तौडगढ)
(iv) अजमेर से मुम्बई सेन्ट्रल (सप्ताह मे तीन दिन)
(v) बीकानेर से सिकन्दराबाद (सप्ताह मे एक दिन)
(vi) जोधपुर से तिरुवनतपुरम (सप्ताह मे एक बार) (वाया गुडगाँव)

783. राज्य की नवीं योजना (1997-2002) मे वास्तविक व्यय प्रस्तावित व्यय से कम क्यों हुआ?
(a) केन्द्र से करो मे मिलने वाली राशि का आकलन गलत लगाया गया था,
(b) बाहरी सहायता परियोजनाओ के लिए अनुमान से बहुत कम राशि मिली थी,
(c) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओ का राज्य को हस्तान्तरण न होने से कम राशि मिली थी,
(d) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अतिरिक्त भार पडा था,
(e) सभी (c)

784. राजस्थान में राजस्व-व्यय का सर्वाधिक अंश किस एक मद पर किया जाता है?
(a) पेंशन व विविध सामान्य सेवाओं पर
(b) चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण पर
(c) सिंचाई, बाढ-नियंत्रण व ऊर्जा पर
(d) शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर (d)

785. निम्न में से सबसे ऊँचा पहाड छांटिए:-
(a) पालखेडा (b) जयराज (c) अचलगढ (d) देलवाडा (a)

786. राजस्थान के वह जिला-युग्म छांटिए जहां भूमिगत जल-स्तर नहीं गिरा है?
(a) जयपुर-कोटा (b) पाली-सिरोही
(c) गंगानगर-झालावाड (d) चित्तौडगढ-डूँगरपुर (c)

787. उम्मेदसागर बांध किस स्थान से सम्बद्ध है?
(a) उदयपुर (b) कोटा (c) बांसवाडा (d) भीलवाड़ा (d)

788. लूनी नदी की सहायक नदी बताइए:
(a) कोठारी (b) गम्भीर (c) जवाई (d) सोम (c)

789. सबसे लम्बी नदी छांटिए:
(a) माही (b) लूनी (c) बनास (d) चम्बल (c)

790. राजस्थान में समस्याग्रस्त मिट्टी की जाँच प्रयोगशाला कहाँ स्थित है?
(a) गंगानगर मे (b) जोधपुर मे (c) अजमेर मे (d) नागौर में (b)

791. सोम -कमला-अम्बा परियोजना किस जिले से सम्बन्धित है?
(a) चित्तौडगढ (b) बूदी (c) डूँगरपुर (d) उदयपुर (c)

792. राजस्थान में मिनी सीमेंट संयंत्रों के स्थान लिखिए :
उत्तरः पिण्डवाडा (सिरोही), आबूरोड, कोटपुतली, आदि।

793. राजस्थान में रेल्वे वैगनों का कारखाना कहाँ स्थित है?
(a) भिवाडी (b) अलवर (c) भरतपुर (d) कोटा (c)

794. 'सन-सैट' के दृश्य को निहारने के लिए पर्यटक को किस नगर में जाना चाहिए?
(a) जयपुर (b) जोधपुर (c) माउण्ट आबू (d) आबू रोड (c)

795. गरासिया जनजाति के लोग किस इलाके में पाये जाते है?
(a) उदयपुर (b) डूँगरपुर (c) बासवाडा (d) आबू रोड (d)

796. राजस्थान से किन वस्तुओं के निर्यात की अधिक सम्भवनाए है?
(a) जेम्स एण्ड ज्यूलरी (b) दरिया
(c) गलीचे (d) सीमेट (a)

797. राजस्थान में डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है?
(a) बीकानेर (b) जोधपुर (c) उदयपुर (d) कोटा (c)

798. पिछले दो दशकों में राजस्थान में अकाल से 40 हजार से अधिक गाँव किस वर्ष प्रभावित हुए ?

(a) 1987-88 (b) 2000-01

(c) 2001-02 (d) 2002-03

(e) कभी नहीं (d) (40990)

799. पिछले दो दशकों में राज्य में अकाल के कारण सबसे अधिक भू-राजस्व निलंबित किस वर्ष किया गया ?

(a) 1986-87 (b) 1987-88

(c) 1993-94 (d) 2002-03

(लगभग 7.5 करोड़ रु.) (b)

800. (i) मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित 2004-05 के बजट में सबसे नयी घोषणा क्या मानी जायगी ?

(a) 2004-05 की वार्षिक योजना का आकार 7031 करोड़ रु. प्रस्तावित करना;

(b) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक तैयार करके 5-7 वर्ष में राजस्व-घाटे को समाप्त करने पर जोर;

(c) रोजगार के अवसर बढ़ाने पर अधिक बल;

(d) समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण पर जोर; (b)

(ii) 15 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा घोषित 365 दिन की कार्ययोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उत्तर : मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राजस्तरीय मुख्य समारोह में 365 दिन की कार्य योजना घोषित की है जिसमें ज्यादातर बजट-भाषण में शामिल कार्यक्रमों को शामिल किया गया । इसमें रोजगार-संवर्धन, कृषिगत विकास, स्वास्थ्य-कार्यक्रम व पिछड़ी जातियों के कल्याण पर बल दिया गया है ।

कार्यक्रम की विभिन्न मुख्य बातें इस प्रकार हैं

- 80 हजार से अधिक महिलाओं को रोजगार
- पचास विशिष्ट प्रसूति केन्द्र
- साधनहीन बालिकाओं के लिए 'आपकी बेटी' योजना
- 25 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन
- कृषि कार्य के दौरान मौत पर अधिक सहायता
- किसान जीवन कल्याण कोष
- चार नए सहकारी केन्द्रीय बैंक

- रबी की फसल के लिए आठ घण्टे बिजली
- 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खालों का निर्माण
- उद्योगों में 1.30 लाख को रोजगार
- हैण्डलूम बुनकरों के लिए बीमा योजना
- जोधपुर, कोटा व श्रीगंगानगर में एग्रो फूड पार्क
- रुग्ण उद्योगों के लिए विशेष पैकेज
- 1661 नए प्राथमिक विद्यालय
- 1315 विद्यालय क्रमोन्नत
- 1236 राजीव गांधी पाठशाला प्रा. वि. बनेंगी
- स्कूलों में 32 हजार से अधिक शिक्षक व हैड मास्टर की भर्ती
- निजी विश्वविद्यालय के लिए कानून
- अजा-जजा के दो लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति
- वृद्धजन नीति व वृद्धों को रोडवेज बसों के किराये में 30 फीसदी की छूट
- कर्मचारी तबादला नीति के लिए तीन मंत्रियों की उपसमिति
- 365 मेगावाट बिजली का उत्पादन
- अजमेर जिले की फ्लोराइड नियंत्रण पर 26 करोड़ खर्च होंगे
- दूदू-बीसलपुर योजना का काम शुरू होगा
- जयपुर-बीसलपुर योजना के लिए 59 करोड़ का प्रावधान
- मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों की सुविधाओं के लिए 386 लाख रु. का प्रावधान
- राजस्थान विकास सेवा, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा का गठन
- 41 थाना भवनों का निर्माण
- जयपुर में साइंस सिटी व संभागीय मुख्यालयों में साइंस पार्क
- माध्यमिक-उच्च माध्यमिक स्कूलों में उपभोक्ता व साइंस क्लब

कार्ययोजना के मात्र वायदों की बजाय इनको निभाने पर व इनके क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा । उसी से इनकी सफलता का मूल्यांकन हो पायेगा ।